

भारत में
अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद
खण्ड : एक

रामविलास शर्मा



राजकमल प्रकाशन
नयी दिल्ली पटना ११

मूल्य : रु. ६५.००

© डा. रामविलास शर्मा

प्रथम संस्करण : १९८२

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड;

८, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-११०००२

मुद्रक : रुचिका प्रिंटर्स द्वारा गीतम आर्ट प्रेस,

नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

BHARAT MEIN ANGREZI RAJ AUR MARXVAAD

By Dr. Ram Bilas Sharma

भूमिका

... ५ आधुनिकता की शुरूआत कब हुई ? आधुनिक सभ्यता, आधुनिक संस्कृति, साहित्य में आधुनिकता बोध की शुरूआत कब हुई ? अंग्रेजों के आने के बाद, भारत की धरती पर अंग्रेजी राज कायम होने के बाद, भारत के पराधीन होने के बाद । भारत को मध्ययुगीन अन्धकार के बाहर किसने निकाला ? औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करके समाज की चौमुखी प्रगति की प्रेरणा किमने दी ? अंग्रेजों ने । भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से लेकर उसके खात्मे तक, पलासी की लड़ाई से लेकर नाविक विद्रोह तक, इंग्लैण्ड के जिन बुद्धिजीवियों ने भारत में अंग्रेजी राज का विरोध किया, वे प्रगतिशील थे या प्रतिक्रियावादी ? प्रतिक्रियावादी ही होंगे क्योंकि वे अंग्रेजी राज में भारत के आधुनिकीकरण का महत्व न समझ पा रहे थे, वे चिन्तन की 'वैज्ञानिक' पद्धति से जरूर अपरिचित रहे होंगे जो पराधीनता से जुड़ी हुई सामाजिक प्रगति की विराट प्रक्रिया देख ही न पाये । माना कि जनता का आर्थिक शोषण हुआ, लाखों आदमी भूख से मर गये (पंतीस लाख अकेले बंगाल के युद्धकालीन अकाल में मरे), पुराने उद्योग-धन्धों का नाश भी हो गया, पर पुराने के नाश के बिना नये का जन्म कब होता है ? और समाजवादी रूस, या वियतनाम, या अफगानिस्तान, यहाँ के लाखों आदमी शरणार्थी नहीं हुए ? बोलशेविकों ने कत्लेआम में, मुखमरी में, लाखों की जानें नहीं ली ? तब अंग्रेजी राज ने प्रगति का जो तोहफा दिया, वह सस्ता ही पड़ा । फिर आजादी मिली अंग्रेजों के हृदय-परिवर्तन से, शान्तिपूर्वक, भारतीय जनता के भविष्य के लिए उनकी शुभकामना सहित । विश्वमानवता के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक युगान्तरकारी, अधिक प्रगतिशील भूमिका और किसकी है ? ईस्ट इण्डियाकम्पनी १६०० ई. में बनी, पलासी की लड़ाई १७५७ ई. में हुई। डेढ़ सौ साल तक अंग्रेजी राज अपनी प्रगतिशील भूमिका पूरी करने से वंचित क्यों रहा ? इसी अवधि में अंग्रेज, और उनके साथी (या शत्रु) दूसरे यूरोपियन युग-वर्तक, अमरीका और अफरीका में क्या कर रहे थे ? रेड इण्डियन आदिवासी भूमि निवासभूमि से गायब कहाँ हो गये ? गुलामों के व्यापार से अंग्रेजों की

प्रगतिशील भूमिका का सम्बन्ध किस तरह का है ? अमरीका में बसनेवाले अंग्रेज मूल भूमि त्रिटोन के अंग्रेजों से क्यों लड़ गये ? फिर अमरीका में बसे हुए अंग्रेज ही आपस में क्यों लड़े ? अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली आदि आपस में क्यों लड़ते रहे ? जो अंग्रेज भारतीय माल यूरुप और इंग्लैण्ड में बेचते थे, वे अंग्रेजी माल भारत में बेचने लायक कैसे बन गये ?

भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका पर विचार करते समय आमतौर से ऐसे प्रश्न नहीं किये जाते किन्तु अंग्रेज जो विश्वबाजार कायम कर रहे थे, भारत उसी का एक हिस्सा था। भारत में उन्होंने जो कुछ किया, और भारतीय जनता ने जो कुछ किया, उसका विवेचन विश्वबाजारवाली अंग्रेजों की भूमिका को एक तरफ छोड़ते हुए कैसे किया जा सकता है ? इस पुस्तक के पहले अध्याय में विश्वबाजार और इस भूमिका पर ध्यान देते हुए मैंने यथामति इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भारतीय माल ब्रिटिश बाजार में बेचनेवाले अंग्रेज व्यापारी भारतीय बाजार में ब्रिटिश माल बेचने लायक कैसे बन गये। एडम स्मिथ इंग्लैण्ड में आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक थे। उनकी राय थी कि अंग्रेजी अमलदारी में भारतीय जनता आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर लौट रही है। यह बात उन्होंने विशुद्ध अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से कही थी। वह पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे किन्तु व्यापारियों की इजारेदारी के विरोधी थे। उनका दृष्टिकोण औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का था और यह वर्ग अभी राज्यसत्ता पर अधिकार न कर पाया था। किसी भी देश के आर्थिक विकास को समझने के लिए व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और महाजनी पूंजीवाद में भेद करना आवश्यक है। इसके बिना इंग्लैण्ड का सामाजिक विकास समझ में न आयेगा, भारत में अंग्रेजों की भूमिका समझ में न आयेगी। एडमण्ड बर्क की सहानुभूति उस अभिजात वर्ग के प्रति थी जो इंग्लैण्ड और यूरुप में सत्तारूढ़ था किन्तु राज्यशक्ति, और उससे भी अधिक अर्थशक्ति, उसके हाथ से बराबर निकलती जा रही थी। वह नये अर्थपतियों को आलोचनात्मक निगाह से देखता था। एडम स्मिथ की तरह एडमण्ड बर्क ने भी इस बात पर बराबर जोर दिया कि अंग्रेज भारत को उजाड़ रहे हैं, भारतीय बाजार का विकास करना दूर, वे उसका नाश कर रहे हैं। भारत के सन्दर्भ में एक जगह बर्क ने भी स्मिथ की तरह इजारेदारी के विरुद्ध स्वच्छन्द व्यापार का समर्थन किया है। विलियम डिग्बी ने समृद्ध ब्रिटिश भारत (प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया) नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ में यहाँ के बाजार के विनाश का, एशिया के बाजार में भारत की भूमिका को बिगाड़ने का, किसानों के शोषण और मुखमरी का, व्यापारकेन्द्रों की तबाही और शहरों के देहातीकरण की ब्रिटिश नीति का विशद विवेचन किया। इस प्रकार अठारहवीं सदी के अन्तिम चरण से लेकर बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक तीन ब्रिटिश विद्वानों ने भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका का विश्लेषण करके एक से परिणाम निकाले। डिग्बी पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे, उनका दृष्टिकोण पूंजीवादी उदारपत्नियों (बुर्जुआ लिबरलो) का है। वायरन, अर्नेस्ट जोन्स आदि जो ब्रिटिश बुद्धिजीवी यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भारत के किसान गंगा के मैदानों में उठ खड़े होते हैं और आतताइयों को समुद्र की ओर खदेड़ देते हैं, उनकी बात

ही भलग है। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के अर्थशास्त्री, अभिजातवर्ग के समर्थक और व्यापारिक पूंजीवाद के आलोचक, पूंजीवादी उदारपन्थियों के श्रेष्ठ प्रतिनिधि, ये तीन तरह के लोग अंग्रेजी राज के बारे में एक ही तरह की बातें कह रहे थे। भारतीय इतिहासकार इनकी बातों की अनदेखी नहीं कर सकते। इनकी धारणाओं का संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक के पहले अध्याय में है।

१८५७ की लड़ाई भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो चाहे सामन्ती हितों की रक्षा के लिए चलाया जानेवाला प्रतिक्रियावादी संघर्ष हो, एक बात निर्विवाद है कि सावरकर और लाला हरदयाल से लेकर चन्द्रशेखर आज़ाद और भगतसिंह तक भारत में जिन लोगों ने सशस्त्र क्रान्ति का प्रयास किया, प्रायः उन सबने गदर से प्रेरणा ली। जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही गदर पार्टी रखा, उन्होंने डके की चोट पर गदर में अपने सम्बन्ध की घोषणा की। ये लोग जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, इसके लिए भारत के सभी सम्प्रदायों के लोगों को सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों में लड़ना चाहिए। क्रान्तिकारियों के प्रसंग में गदर पार्टी की चर्चा कम ही होती है। गदर पार्टी को साम्राज्यविरोधी पार्टी माना जाय तो १८५७ के गदर को प्रतिक्रियावादियों का संघर्ष कहना ज़रा मुश्किल काम होगा। अंग्रेजों ने हृदयपरिवर्तन की वेला में यहाँ जो दो राज्य बनाये, गदर में वे हारते तो ये दो राज्य कभी बनते ही नहीं। जो भी गदर से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा, वह कहीं न कहीं गदर के उस रूप से ज़रूर प्रभावित होगा जो साम्प्रदायिक सकीर्णता से मुक्त था। सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक में इस तरह का प्रभाव मौजूद है। लाला हरदयाल और गदर पार्टी के नेताओं को यह पुस्तक बहुत प्रिय थी और पहले महायुद्ध के बादवाले दौर के क्रान्तिकारियों को भी उसने खूब प्रभावित किया था। मार्क्सवादी और गैरमार्क्सवादी क्रान्तिकारियों ने गदर के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया, यह इस पर निर्भर है कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका को किस तरह समझा है। मार्क्सवादियों ने साम्राज्यविरोधी आन्दोलन किस तरह चलाया, उसमें किस तरह भाग लिया, यह साम्राज्यवाद के बारे में उनकी समझ पर निर्भर है। पूंजीवाद, अंग्रेजी राज, भारत का सामाजिक विकास, साम्राज्यविरोधी आन्दोलन, मार्क्सवाद, ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे अध्याय में सावरकर, गदर पार्टी और क्रान्तिकारी दल की चर्चा के अलावा मैंने गदर के प्रति जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, स्वाधीनताप्राप्ति से पहले तथा उसके बाद मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण का सारांश अपनी टिप्पणियों सहित दिया है। सोवियत संघ के मार्क्सवाद लेनिनवाद संस्थान ने गदर का जो विश्लेषण मार्क्स के भारत-सम्बन्धी दस्तावेजों के प्रसंग में किया है, ऐसा लगता है कि अनेक प्रगतिशील इतिहासकारों को वह दिखायी नहीं दिया। उसकी चर्चा भी दूसरे अध्याय में है।

गदर पार्टी के अनेक नेता जनआन्दोलन का महत्व समझते थे, क्रान्तिकारी दल के अधिकांश युवक क्रान्ति की सफलता के लिए जनता को, विशेषकर किसानों और मजदूरों, को संगठित करना ज़रूरी समझते थे। क्रान्ति चाहे राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए की जाय चाहे समाजवाद के लिए, उसमें विभिन्न वर्गों की

भूमिका पहचानना, उसके अनुसार नीति निर्धारित करना समाज के वैज्ञानिक विवेचन से ही सम्भव है। मार्क्स ने समाज के विवेचन को जो पद्धति प्रतिपादित की, वह ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा मार्क्सवाद के नाम से विख्यात है। गदर पार्टी के अनेक नेता, क्रान्तिकारी दल के अनेक युवक जितना ही क्रान्ति की सफलता के लिए जनसंगठनों और जनआन्दोलनों को आवश्यक समझने लगे, उतना ही वे मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। विशेष रूप से क्रान्तिकारी युवकों को मार्क्सवादी विचारधारा की ओर ले आने में राधामोहन गोकुलजी का सहयोग अत्यन्त मूल्यवान साबित हुआ।

लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू ने मार्क्सवाद के बारे में काफी लिखा है। लाला हरदयाल ने बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चिन्तन का समर्थन करते हुए फासिस्टों और युद्धवादियों की जो आलोचना की, वह हमारे लिए आज भी अत्यन्त प्रासंगिक है। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद का समर्थन करते हुए कांग्रेस के दक्षिणपन्थी नेतृत्व की जो आलोचना की, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस संचालित आन्दोलन की जो कमजोरियाँ बताईं, इतिहास और समाज के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर जो कुछ लिखा, वह कांग्रेसियों तथा गैरकांग्रेसियों दोनों के अध्ययन करने योग्य है। स्वाधीनता आन्दोलन कब कौसी राह से आगे बढ़ा, इसका गहरा सम्बन्ध मार्क्सवाद के प्रति उसके नेताओं के दृष्टिकोण से भी है। तीसरे अध्याय में लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू की मार्क्सवाद-सम्बन्धी धारणाओं का विवेचन है। कहना न होगा कि ये सब धारणाएँ दूसरे महायुद्ध से पहले की हैं।

लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू की कृतियाँ अंग्रेज़ी में हैं। इनसे अलग समाजवादी विचारधारा से सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य हिन्दी में है। चौथे अध्याय में इसका विवरण है। इस साहित्य का एक भाग वह है जो नवम्बर १९१७ की रूसी क्रान्ति से पहले लिखा गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व किसी की निगाह से छिपा न रहेगा। समाजवादी चेतना भारतीय जनता की साम्राज्यविरोधी चेतना का ही प्रसार है, यह बात इस पहले भाग की सामग्री से स्पष्ट हो जायेगी। दूसरे भाग में वह सामग्री है जो रूसी क्रान्ति के बाद किन्तु भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से पहले की है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी असन्दिग्ध है। इसे प्रस्तुत करनेवाले अधिकतर वही लोग हैं जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी आदि से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं। भारत में समाजवादी विचारधारा का इतिहास लिखते समय कोई भी विवेचक नवम्बर १९१७ और दिसम्बर १९२५ के बीच हिन्दी में लिखे हुए समाजवाद-सम्बन्धी विशाल साहित्य की अनदेखी नहीं कर सकता। इस पुस्तक में उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

साम्राज्यवाद ने अपना शोषण कार्य जारी रखने के लिए दमन और कूटनीति दोनों से काम लिया; भारतीय जनता ने इसका मुकाबला नये जनसंगठन बनाकर नये जनसंघर्षों द्वारा किया। स्वाधीनता आन्दोलन में अनेक प्रकार के रुझान थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध आन्दोलन चलाओ किन्तु उनसे समझौता कर लेने की भी

कोशिश करते रहो। यह सुधारवादी रुझान हुआ। समझौते का रास्ता बन्द करो, आन्दोलन क्रान्तिकारी ढंग में चलाओ, मजदूरों और किसानों के अपने संगठन बनाओ, इन संगठनों के द्वारा स्वाधीनता आन्दोलन को अजेय बना दो, यह क्रान्तिकारी रुझान था। इन दोनों का आपस में टकराना अनिवार्य था। राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की नीति निर्धारित करने में किसानों-मजदूरों के संगठनकर्ता किम हद तक प्रभावशाली होते हैं, इस पर स्वाधीनता आन्दोलन का भविष्य निर्भर था। इन समस्याओं का विवेचन पाँचवें अध्याय में है।

दूसरे महायुद्ध के बाद भारत में जनक्रान्ति का उभार, साम्राज्यवाद का जवाबी हमला, मुस्लिम सम्प्रदायवाद की भूमिका आदि की चर्चा छठे अध्याय में है। इसकी सामग्री ब्रिटिश दस्तावेजों के संग्रह ट्रान्सफर आफ पावर (खण्ड ६, ७, ८ और ९) से ली गयी है। भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति इस समय है, अंग्रेजों ने इन राज्यों के जिस तरह के सम्बन्ध है, उस सबकी बुनियाद १९४५-४७ के बीच डाली जा चुकी थी। अंग्रेजों पर भारत की क्रान्तिकारी परिस्थिति का दबाव बराबर बना हुआ था, इसे अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी तरह और कोई न जानता था। उन्होंने इस दबाव के असह्य होने से पहले ही निश्चित योजना के अनुसार जवाबी हमला किया और इसमें उन्हें काफी सफलता मिली। स्वाधीनता-प्राप्ति के मामले पर विचार करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। स्वाधीनताप्राप्ति की पूर्ववेला से उसकी उत्तरवेला का गहरा सम्बन्ध है, इस उल्लेख के साथ पुस्तक का पहला खण्ड समाप्त हुआ है।

मानी बात है कि सैद्धान्तिक विवेचन के लिए बहुत-सी समस्याएँ बच रहती हैं। माक्स ने भारतीय ग्रामसमाजों के बारे में जो कुछ लिखा है, वह पहले खण्ड में दिखायी नहीं देता। और माक्स ने कहा था, क्रान्ति होगी किसी इग्लैण्ड जैसे उद्योग-प्रधान देश में, टूटै वह पिछड़े हुए रूस में। तब माक्सवाद अवैज्ञानिक है कि नहीं? और युद्धकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति? भारत में क्या उसी तरह का सामन्तवाद था जिस तरह का मूरूप में था? उसे सामन्तवाद कहना कहाँ तक उचित है? मानता हूँ कि ये और इस तरह के और भी प्रश्न विवेच्य हैं और इस खण्ड में अधिवेचित है। इसीलिए पुस्तक का दूसरा खण्ड आवश्यक हुआ। उसमें इन प्रश्नों में सम्बन्धित विवेचना रहेगी।

इस पुस्तक (दोनों खण्डों) के लिए सामग्री-संग्रह के कार्य में सर्वश्री सोहनार्तिह जोश, सत्यभक्त, शिव वर्मा, उदयशंकर शास्त्री, नामवरसिंह, श्यामबिहारी राय, कृष्णबिहारी मिश्र (कलकत्ता), श्रीप्रकाश कश्यप, नरेगचन्द्र चतुर्वेदी, उपेन्द्र ने मेरी जो अमूल्य सहायता की है, उसके लिए उनके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वेदव्यास कुचरू और रामानन्द भारद्वाज ने पाठ उनकी प्रगति के लिए मेरी शुभकामना



विषय-सूची

अध्याय १. विश्वबाजार और भारत	१७-७५
१. पूंजीवाद की मजिलें---भारत और इंग्लैण्ड	१७
२. विश्वबाजार और भारत	२३
३. विश्वबाजार और अमरीकी महाद्वीप	२७
४. विश्वबाजार और अफरीका	३१
५. व्यापार, बाजार और जनसंहार	३६
६. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और - ऐडम स्मिथ	३८
७. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और एडमण्ड बर्क	४७
८. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और विलियम डिग्बी	५५
९. भारत में रेलमार्गों का निर्माण	६३
अध्याय २. गदर की परम्परा	७६-१५७
१. लाला हरदयाल और गदर पार्टी	७६
२. राधामोहन गोकुलजी और क्रान्तिकारी दल	८६
३. क्रान्तिकारी दल और जनआन्दोलन	९६
४. गदर का इतिहास और सावरकर	११२
५. गदर और जयप्रकाश नारायण तथा जवाहरलाल नेहरू	११८
६. गदर और मार्क्सवादी विचारक--- स्वाधीनताप्राप्ति से पहले	१२१

७. गदर और मार्क्सवादी विचारक—
स्वाधीनताप्राप्ति के बाद

१२६

अध्याय ३. लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और
जवाहरलाल नेहरू तथा मार्क्सवाद १५८-२३१

१. लाला हरदयाल
२. जयप्रकाश नारायण
३. जवाहरलाल नेहरू

१५८
१७६
२०४

अध्याय ४ हिन्दी प्रदेश में
समाजवादी धारणा का प्रसार

२३२-२३१

१. जर्मी पत्रिका में पहले
२. जर्मी पत्रिका के बाद—कम्युनिस्ट पार्टी की
स्थापना में पहले

२३२

२५६

अध्याय ५. गांधीय विरोधी राष्ट्रीय मोर्चा
और मजदूर वर्ग

३३२-४०६

१. कांग्रेस में दक्षिणवादी वर्ग
२. कांग्रेस का आन्दोलन वर्ग
३. राष्ट्रीय मजदूर और किसान
४. राष्ट्रीय आन्दोलन और धर्मिक वर्ग

३३२
३४०
३४०
३४०

५. साम्प्रदायिक समस्या और सुधारवादी रुझान ३६२

अध्याय ६. क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबी हमला	४१०-५६१
१. नयी परिस्थिति और क्रिप्स-प्रस्ताव	४१०
२. साम्राज्यवाद का अभूतपूर्व संकट	४१३
३. नाविक विद्रोह	४२३
४. जातीय और राष्ट्रीय एकता तथा साम्राज्यवाद	४२८
५. साम्राज्यवाद का मुख्य अस्त्र— मुस्लिम साम्प्रदायवाद	४३५
६. पूर्ण स्वाधीनता और साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा	४५७
७. क्रान्तिकारी उभार और क्रान्तिविरोधी अभियान	४७०
८. अन्तरिम सरकार—ब्रिटिश कूटनीति का मजबूत फन्दा	४८४
९. गैरमुस्लिम अल्पसंख्यक	५१५
१०. कश्मीर	५२३
११. स्वाधीनताप्राप्ति की पूर्ववेला और उत्तरवेला	५३२

परिशिष्ट ५६२-५६६

(राधामोहन गोकुलजी का निबन्ध-मंग्रह विप्लव) ५६२

भारत में अंग्रेजी राज
और मार्क्सवाद



विश्ववाज़ार और भारत

१. पूजावाद की मंजिलें—भारत और इंग्लैन्ड

भारत और इंग्लैन्ड का सम्बन्ध इन दोनों देशों के इतिहास के लिए और संसार के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन् १६०० में इंग्लैन्ड के कुछ व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनाई। १७५७ में पलासी की लड़ाई हुई और अगले सौ साल में भारत में अंग्रेजी राज तेजी से फैला और मजबूती से कायम होता गया। १८५७ में भारत का प्रथम और अन्तिम सशस्त्र स्वाधीनता-संग्राम हुआ। १९४६ में भारतीय जनता के क्रान्तिकारी संघर्षों के फलस्वरूप १९४७ में भारत स्वाधीन हुआ। इन संघर्षों ने व्यापक क्रान्ति का रूप न लिया, इसलिए अंग्रेजी कूटनीति सफल हुई और भारत विभाजित हुआ, साम्प्रदायिक आधार पर एक नये राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय गणतंत्र ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य बना हुआ है। इस कामनवेल्थ का मुखिया है इंग्लैन्ड। उसके अन्य सदस्य हैं भूतपूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के नव-स्वाधीन देश।

अंग्रेज जाति की निवास भूमि का नाम है इंग्लैन्ड। इस भूमि के साथ वेल्स और स्काटलैन्ड के प्रदेश हैं। यहाँ अंग्रेजी में भिन्न समुदाय की भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं। सैकड़ों साल तक युद्ध करने के बाद इन प्रदेशों को उस राष्ट्र में मिला लिया गया जिसके शासक अंग्रेज थे। वहाँ के लोग अंग्रेजीकरण के लगातार प्रयत्नों को विफल करके आज भी अपनी भाषा और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिटेन कहने से इंग्लैन्ड, स्काटलैन्ड और वेल्स तीनों प्रदेशों का बोध होता है। क्रिकेट में हमेशा इंग्लैन्ड का नाम आता है, ब्रिटेन की टीम कोई नहीं कहता। इसी तरह साहित्य में इंग्लिश लिटरेचर का उल्लेख होता है, ब्रिटिश लिटरेचर का नहीं। किन्तु साम्राज्य के लिए ब्रिटिश-एम्पायर शब्द हैं, इंग्लिश एम्पायर नहीं। अंग्रेजों ने भारत से पहले आयरलैंड को गुलाम बनाया था, भारत से पहले साम्प्रदायिक आधार पर उन्होंने आयरलैंड का विभाजन किया। अन्तर

कैथलिक और प्रोटेस्टेन्ट। आयर्लैंड के जिस भाग में कैथलिक बहुमत है, उसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, जिस भाग में प्रोटेस्टेन्ट बहुमत है, उस पर अंग्रेज अधिकार बनाये रहे। इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेन्ट बहुमत है। आयर्लैंड में देश की एकता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष अभी जारी है। आयर्लैंड के पराधीन उत्तरी भाग को ब्रिटेन से मिलाकर यूनाइटेड किंगडम नाम दिया गया। साम्राज्य, साहित्य या क्रिकेट की टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम जैसा नाम नहीं जोड़ा जाता। हिन्दी में अंग्रेजी राज का अर्थ इंग्लैंड का राज और ब्रिटिश-एम्पायर दोनों हैं।

१६वीं सदी से लेकर २०वीं सदी के उत्तरार्द्ध के अन्तिम चरण तक इंग्लैंड और यूरोप के सामाजिक विकास की मंजिल पूँजीवाद की है। पूँजीवाद कई तरह का होता है और उसकी कई मंजिलें हैं। माल तैयार करना, मुनाफे पर उसे बेचना, माल तैयार करने और बेचने के लिए पूँजी एकत्रित करना, ये तीनों काम साथ-साथ होते हैं। माल तैयार करने का काम पूँजीवाद से पहले भी होता था पर वह बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने के लिए न किया जाता था। विनिमय के लिए सोना-चादी या सिक्कों से पहले भी काम लिया जाता था। पर बहुत में लोगों का धन एक जगह बटोरकर बैंको के माध्यम से उद्योग-धन्धों और व्यापार में लगाने के लिए बड़ी-बड़ी रकमें उधार देने की व्यवस्था पहले न थी। उद्योग, व्यापार और महाजनी, पूँजीवाद के लिए ये तीनों जरूरी हैं। पहले दौर में भाप से चलने वाली मशीनों का उपयोग नहीं होता। उत्पादन के औजार पुराने होते हैं। कारीगर ज्यादातर अपने घर पर ही काम करते हैं, कुछ जगहों में उन्हें कारखाने में इकट्ठा करके उनसे काम कराया जाता है। कारीगर जो माल बनाते हैं, उस पर उनका अधिकार नहीं होता। सौदागर पेशगी धन देकर कारीगर की श्रमशक्ति पहले ही खरीद चुका होता है, वही उसके बनाये माल का मालिक होता है। सौदागर मुनाफे के लिए माल तैयार कराता है और पेशगी धन देकर कारीगर की श्रमशक्ति खरीद लेता है, इन दो विशेषताओं के कारण उत्पादन का यह तरीका पूँजीवादी कहलाता है। कारीगर अभी मशीनों के बदले पुराने औजारों से काम लेते हैं, ये औजार हाथ से इस्तेमाल किये जाते हैं, इसलिए उक्त कोटि के पूँजीवाद को दस्तकारी पूँजीवाद कह सकते हैं। अंग्रेजी के 'मैनूफैक्चर' शब्द का सीधा अर्थ है दस्तकारी। जब भाप से चलनेवाली मशीनों का उपयोग होता है, तब कारखाने में काम करनेवाले मजदूर के लिए, पुराने कारीगर की तरह, हाथ से मेहनत करना जरूरी नहीं रह जाता। उत्पादन अब और भी बड़े पैमाने पर होता है, मुनाफे में जबर्दस्त बढ़ती होती है। इंग्लैंड में इस तरह का मशीनी उत्पादन १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शुरू हुआ। इसे अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (औद्योगिक क्रांति) कहते हैं। 'इंडस्ट्री' और उद्योग समानार्थी शब्द हैं और दोनों का व्यापक अर्थ है। एक आदमी पढ़ने-लिखने में बड़ी मेहनत करना है, वह 'इंडस्ट्रियस' कहलायेगा, भले ही कारखाने से उसका कोई सम्बन्ध न हो। उद्योगिनं पुरुषमिहमुनेति लक्ष्मी, यहां उद्योग और उद्योगी का सम्बन्ध मशीनी उत्पादन में नहीं है। 'इंडस्ट्री' की तरह उद्योग या उद्योग-धन्धे से मशीनी उत्पादन का बोध होता है।

१८ / भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

उत्पादन के तरीके में कोई बड़ा परिवर्तन हो, इसके लिए जरूरी होता है कि पूंजीवादी तरीके में जो माल तैयार किया जाये, उसकी खपत के लिए पहले से बाजार मुलभ हो। बाजार के निर्माण के बिना पूंजीवादी उत्पादन का विकास असम्भव है। बाजार के निर्माण का काम व्यापारी करते हैं। माल उन्होंने खुद तैयार कराया हो, चाहे दूसरों ने तैयार कराया हो, उसे एक जगह में दूसरी जगह ले जाने और बेचने का काम व्यापारी ही करते हैं। सबसे पहले उनकी कार्यवाही से किसी देश के बाजार का निर्माण होता है। इस तरह के बाजार के निर्माण से जातीय गठन का गहरा सम्बन्ध है। यूरोप में जिते रिनेतेन्स (पुनर्जागरण) कहते हैं, वह जातीय गठन का युग है। इटली में उस तरह के व्यापार का सबसे पहले विकास हुआ, इस कारण यूरोप के तथाकथित पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली से हुई। इंग्लैंड में यह प्रक्रिया १६वीं सदी में घटित हुई। इसी समय इंग्लैंड के घरेलू बाजार का गठन होता है और विभिन्न जनपदों में फैले हुए लोग अंग्रेज जाति के रूप में गठित होने हैं। व्यापार बड़े पैमाने पर होता है और वह किसी एक देश तक सीमित नहीं होता। विदेश व्यापार उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। इटली की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण पूरव के देशों में उसका व्यापार था। जब उत्तरी और दक्षिणी अमरीका का पता चला, तब विदेश व्यापार के लिए एक नयी दुनिया मिली, उसका दायरा बहुत बढ़ गया। इस कार्रवाई में पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। इनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इटली का आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व, विश्वबाजार की दृष्टि से, क्षीण हो गया, किन्तु घरेलू बाजार के गठित होने के साथ-साथ उसकी साम्प्रतिक गरिमा में और भी वृद्धि हुई। इंग्लैंड में १६वीं सदी के उत्तरार्द्ध से लेकर १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक सामाजिक विकास में अग्रणी भूमिका व्यापारियों की रही। लगभग दो सौ वर्ष तक इंग्लैंड की राज्यसत्ता का सम्बन्ध व्यापारी वर्ग से रहा। इस अवधि में दस्तकारी पूंजीवाद बना रह, किन्तु दस्तकारी वाला उद्योगपति व्यापारी से पीछे है, आगे नहीं। सामाजिक विकास निर्धारित करने वाली मुख्य शक्ति उद्योगपति की नहीं है, मुख्य शक्ति व्यापारी की है। अर्थशास्त्र की पुस्तकों में इस युग को उचित ही मर्कन्टाइलिज्म (व्यापारवाद) की संज्ञा दी जाती है। 'इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन' के समान कुछ इतिहासकार 'कमर्शल रेवोल्यूशन' (सौदागरी क्रान्ति) की चर्चा भी करते हैं। मुख्य बात यह है कि इस अवधि में व्यापार का स्तर बदल गया है। यह नये ढंग का पूंजीवादी व्यापार है। विशेषरूप से इंग्लैंड में व्यापारियों के सघ कायम हुए जो मिलकर बड़े पैमाने पर काम करते थे। इन्हें कम्पनी नाम दिया गया। जिन कम्पनियों में प्रत्येक व्यापारी अपनी पूंजी अलग रखता था, अपना व्यापार अलग करता था, हानि-लाभ के लिए खुद जिम्मेदार होता था, उनकी व्यापार-क्षमता सीमित होती थी। जिन कम्पनियों में व्यापारी अपनी पूंजी मिला लेते थे, हानि-लाभ के लिए जिम्मेदारी सभी की होती थी, उनकी व्यापार-क्षमता भी बहुत बढ़ी। इन्हें 'ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी' कहते थे। कोई कम्पनी किन्हीं खास वस्तुओं के व्यापार के लिए या किन्हीं खास देशों से व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लेती थी। वह अपने अधिकार क्षेत्र में विदेशी कम्पनी दरकिनार, अपने देश की ही किसी दूसरी

कम्पनी को घुमने न देती थी। ऐसी ही कम्पनी ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी।

यहां दो बातें ध्यान देने की हैं। पहली यह कि यूरोप के जिन युग में व्यापार का नये स्तर पर प्रसार होता है, उस युग में औद्योगिक पूंजीवाद का अभाव नहीं है, भले ही उद्योग-धन्धों में भाप से चलनेवाली मशीनों का उपयोग न होता हो। दूसरी यह कि इस युग को व्यापारिक पूंजीवाद का युग कहना उचित है, भले ही इन शब्दों से उत्पादन-प्रणाली का सीधा सम्बन्ध न हो। पूंजीवाद अपने इस प्रारम्भिक रूप में ही ज्वलन्त इजारेदारी ज्ञान का परिचय देता है। चाहे व्यापार हो, चाहे माल की पैदावार, पूंजीवाद की प्रवृत्ति होती है कि एक शक्तिशाली गुट दूसरे गुटों को दबाकर अपना इजारा कायम करे। व्यापारिक पूंजीवाद के युग में इजारेदार कम्पनियों का निर्माण और उनकी शक्ति का प्रसार इसी प्रवृत्ति का सूचक है। ये कम्पनियां इतनी ताकतवर हैं कि वे राज्य-मत्ता पर हावी हो जाती हैं अथवा उसे अपना ममथन करने को मजबूर करती हैं। राज्य-मत्ता में पूंजी-पतियों का गठबन्धन पूंजीवाद की विशेषता है। यह विशेषता पूंजीवादी विकास के प्रारम्भिक दौर में ही साफ दिग्याई देती है। राज्य-मत्ता जो कानून बनाती है, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों का, विशेषरूप में इजारेदार कम्पनियों का, हित करना होता है। जितना ही कानून और राज्य-मत्ता का उपयोग व्यापारी अपने हित में करते हैं, उतना ही वे इन्हें वर्गों में परे, वर्ग-स्वार्थ में मुक्त घोषित करते हैं। व्यापारिक पूंजीवाद सामन्ती व्यवस्था को कमजोर करता है पर उसे सत्तम नहीं कर पाता। सामन्ती अवशेषों से गठबन्धन करके वह कारीगरों, किसानों और मजदूरों को दबाये रखता है। व्यापारियों में जिसे भी सुविधा होती है, जमीन खरीदकर भूस्वामी वर्ग में शामिल हो जाता है और अभिजात वर्ग के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठा पाता है। व्यापारिक पूंजीवाद के अम्युदय के पहले भी युद्ध होते थे। बड़े-बड़े सामन्त अपना राज फैलाने के लिए दूसरों के राज पर हमला करते थे। फिर भी इन युद्धों का सीधा सम्बन्ध उत्पादन या वितरण की पद्धति से न था। व्यापारिक पूंजीवाद की जन्मकुण्डली में युद्ध लिखा हुआ था। एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से युद्ध करते थे, जो देश पिछड़े हुए थे, उनके निवासियों को लूटने और गुलाम बनाने के लिए युद्ध करते थे, लूटने और गुलाम बनाने का इजारा किसके पाम हो, यह तय करने के लिए युद्ध करते थे। पिछड़े हुए देश के निवासियों से युद्ध, यह एक तरह की लड़ाई हुई; व्यापार में आगे बढ़े हुए देशों से युद्ध, यह दूसरी तरह की लड़ाई हुई। दोनों तरह की लड़ाइयाँ पूंजीवाद के अम्युदय काल से, व्यापारिक पूंजीवाद के युग से ही, आरम्भ हो जाती हैं। युद्ध और व्यापार में विजय पाने के लिए एक ओर व्यापारिक पूंजीवाद विज्ञान को प्रोत्साहन देता है, दूसरी ओर सामन्ती अवशेषों की रक्षा करने के लिए, देश की जनता का समर्थन पाने और आवश्यकता अनुसार उसे दबाने के लिए, धार्मिक सस्थाओं और अंध-विश्वासों को बढावा देता है। विज्ञान से उसे इतनी ही दिलचस्पी है कि उससे प्राप्त कौशल का उपयोग व्यापार की उन्नति के लिए, लूट और मुनाफे में वृद्धि के लिए, कर सके। प्रकृति और मानव समाज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और प्रसार उसका लक्ष्य कभी नहीं होता।

व्यापारिक पूँजीवाद ने देश में जातीय बाजार कायम किया, देश-विदेश मिलाकर उसने अन्तरजातीय बाजार अथवा विश्वबाजार कायम किया। बाजार कहने से मन में यह भाव आता है कि सबकुछ व्यवस्थित है, लोग शान्तिपूर्वक लेन-देन के काम में लगे हैं। यह भाव धोखा है। शान्ति न देशी बाजार में है, न विदेशी बाजार में। १७वीं सदी के इंग्लैंड में भयंकर गृहयुद्ध हुआ। यहाँ उसकी याद दिलाता भर काफी होगा। विदेशी बाजार में और भी ज्यादा अशान्ति थी। पुर्तगाल, स्पेन, हालैंड, फ्रांस, इंग्लैंड विश्वबाजार में लगातार युद्ध करते दिखाई देते हैं। व्यापारिक पूँजीवाद के युग में लूट और व्यापार में ज्यादा फर्क नहीं है। इंग्लैंड के व्यापारी को मौके से समुद्र पर जाता हुआ स्पेन का जहाज मिल जाये, तो उसे लूट लेना उसके लिए धर्म युद्ध है। पिछड़े हुए देशों का माल लूटने में उसे और भी हिचकिचाहट नहीं होती। डाकू और लुटेरे माल लूटने के लिए और लूट का माल वांटने के लिए अगर कोई बाजार कायम करें, तो जो हालत उस बाजार की होगी, वही हालत व्यापारिक पूँजीवाद के युग में विश्वबाजार की थी।

यह स्वाभाविक था कि इजारेदार व्यापारी और कारखानेदार पूँजीपति, इन दोनों के स्वार्थ टकरायें। जातीय और अन्तरजातीय बाजार कायम होने से कारखाने में बने माल की खपत के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार हो गया था। किन्तु व्यापारिक इजारा इस माल की खपत और उसकी पैदावार की बढ़ती में बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। इस रुकावट को दूर किया औद्योगिक पूँजीवाद ने। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुई। इससे पहले, इंग्लैंड का जातीय बाजार कायम हो चुका था, विश्वबाजार कायम हो चुका था। व्यापारिक पूँजीवाद इतिहास में अपनी भूमिका पूरी कर चुका था। उसने औद्योगिक पूँजीवाद के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तैयार कर दी थीं। अब उसे सामाजिक विकास के रास्ते से हट जाना चाहिए था। पर वह हटा नहीं। सौ साल तक वह राज्य-सत्ता से और चिपटा रहा। पूँजीवाद के विकास के लिए ही वह निहायत प्रतिक्रियावादी बन गया था। इंग्लैंड के मजदूरों ने उससे राज्य-सत्ता छीनने से लिए प्रसिद्ध चार्टिस्ट आन्दोलन चलाया। चार्टिस्ट आन्दोलन संसार का पहला व्यापक और संगठित मजदूर आन्दोलन है। इस आन्दोलन ने राजनीतिक मार्गें उस पार्लियामेंट के सामने रखी जो दुनिया में जनतंत्र की माँ कहलाती है और जिसमें भूस्वामियों और इजारेदार व्यापारियों के प्रतिनिधियों का बहुमत था। औद्योगिक पूँजीवाद के युग में व्यापार समाप्त नहीं हो गया वरन् और बड़े पैमाने पर बढ़ा। महाजनी का काम भी पहले से और बढ़ा। बैंकपति और व्यापारी की तुलना में उद्योगपति शक्तिशाली होता जाता था, आर्थिक शक्ति के मूत्र अब उसके हाथ में थे। उपनिवेश और पराधीन देश उभरे अपने माल की खपत के लिए चाहिए थे। व्यापारियों का इजारा टूटा, सामन्ती अवशेष और भी कमजोर हुए, पर यह सब काम बहुत धीरे-धीरे हुआ, सिर्फ मजदूरों और किसानों की मुकलमी बहुत तेजी से बढ़ी। उद्योगपतियों ने इजारेदार व्यापारियों और सामन्तों से समझौता किया। इंग्लैंड समेत किसी भी देश में उद्योगपतियों ने सामन्तवाद को पूरी तरह खतम नहीं किया। कई मंजिलों में गुधार करने के बाद, पार्लियामेंट का सामाजिक

आधार विस्तृत करने के लिए अनेक रिफार्म-बिल पाम करने के बाद, इंग्लैंड के उद्योगपति राज्य-सत्ता पर हावी हो सके। पूजीपतियों और राज्य-सत्ता का गठ-बन्धन पहले से और मजबूत हुआ। १८५७ में जब भारत में गदर हुआ, तब यहा कम्पनी का राज था और इंग्लैंड में उद्योगपति पूरी तरह राज्य-सत्ता पर हावी न हो पाये थे। उनके रास्ते में इजारेदार व्यापारियों को हटाने में गदर की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

व्यापारिक पूजीवाद की तुलना में औद्योगिक पूजीवाद की प्रधानता बहुत थोड़े समय तक रही। दूसरा रिफार्म-बिल १८६७ में पाम हुआ। इसके पहले आर्थिक शक्ति औद्योगिक पूजीवाद के हाथ में आ चुकी थी और वह राज्य-सत्ता पर हावी होने लगा था पर राजनीतिक शक्ति पूरी तरह उसे १८६७ के बाद ही मिली। १८७५ में महाजनी पूजीवाद का युग प्रारम्भ होता है। आर्थिक शक्ति उद्योगपति के हाथ से निकलकर बैंकपति के हाथ में सिमट आती है। व्यापार ने उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया। उद्योग-धन्धों ने साहूकारी को बढ़ावा दिया। साहूकारी पहले भी थी पर उद्योगपति के मुकाबले बैंकपति कमजोर था। अब बैंकपति प्रधान हो गया। उसे भी राज्य-सत्ता पर हावी होने में कुछ समय लगा। १९१४ के विश्व मह-युद्ध के समय तक इंग्लैंड का महाजनी पूजीवाद राज्य-सत्ता पर हावी हो चुका था। विश्वबाजार में सुटेरो की लडाईं अब इतने बड़े पैमाने पर हुई, जितने बड़े पैमाने पर पहले कभी न हुई थी। व्यापारिक पूजीवाद के युग में अमरीकी उपनिवेश अपनी आजादी के लिए लड़े और स्वाधीन हुए। अमरीकी स्वाधीनता संग्राम १७७५ में १७८३ तक हुआ। भारत का स्वाधीनता संग्राम १८५७-५८ में उस समय हुआ जब व्यापारिक पूजीवाद का आखिरी दौर था। १९०५ में रूस में असफल क्रान्ति हुई। रूस में यह औद्योगिक पूजीवाद का विकासकाल था विश्व पैमाने पर यह महाजनी पूजीवाद का विकासकाल था। १९१७ में दूसरी बार रूस में क्रान्ति हुई। पहले सामन्ती अवशेषों के गढ़ जार-शाही का विध्वन हुआ, उसके कुछ महीने बाद समाजवादी क्रान्ति हुई। सत्तार के देशों में जहा भी उद्योगपति राज्य-सत्ता पर हावी हुए, कही भी इतने कम समय में गद्दी से हटाये नहीं गये। इसका श्रेय रूस के किसानों-मजदूरों, प्रगतिशील बुद्धि-जीवियों, इन्हें संगठित करनेवाली बोलशेविक-पार्टी और इस पार्टी के निर्माता लेनिन को है। मार्क्सवाद ने विश्वबाजार में पूजीवादी इजारा तोड़ दिया।

पूजीवाद की चारों अवस्थाओं में भारत का सम्बन्ध इंग्लैंड से बना रहा है। ये अवस्थाएँ एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इंग्लैंड से भारत का सम्बन्ध भी निरन्तर बदलता रहा। विश्वबाजार में यदि दो पूजीवादी शक्तियाँ आपस में टकरायेंगी, तो उसका असर भारत पर पड़ेगा। किसी पूजीवादी देश के उपनिवेश अथवा पराधीन देश अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं, तो इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ेगा। यदि किसी पूजीवादी देश की श्रमिक जनता पूजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करती है तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। यदि विश्व-बाजार में कही भी पूजीवादी इजारा टूटता है, तो इसका और भी गहरा असर भारत पर पड़ेगा। इसी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध जो लडाइयाँ हुईं,

उनका प्रभाव पूंजीवाद की विश्वस्थिति पर पड़ा, पूंजीवादी देशों के श्रमिक-आन्दोलन पर पड़ा, पराधीन देशों के स्वाधीनता-आन्दोलन पर पड़ा। अतः भारत विश्व पूंजीवाद के प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल आया है तो इसमें सन्देह नहीं कि संसार के शक्ति सन्तुलन में इससे भारी परिवर्तन हुआ।

२. विश्ववाजार और भारत

भारत और इंग्लैंड में आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध इस युद्ध-दुर्घटने से पहले ही थे जिस समय व्यापारिक पूंजीवाद की प्रधानता है। इस दौर में इंग्लैंड के उद्योग-धन्धे ऐसी अविकसित अवस्था में हैं कि इंग्लैंड के उद्योगपति भारत में अपना माल बेचने की स्थिति में नहीं हैं। उस देश के व्यापारी भारत से जो आर्थिक सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं, उनमें तैयार माल बेचने का काम भारत का है, उस माल को इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में बेचने का काम अंग्रेज सौदागरों का है। माल का निर्यात भारत में होता है, इंग्लैंड में उसका आयात होता है। भारतीय माल के बदले उपयुक्त सामग्री देने लायक इंग्लैंड के उद्योग-धन्धे नहीं हैं। इसलिए उस देश का सोना-चांदी तब तक भारत आता रहता है, जब तक आयात-निर्यात का यह सम्बन्ध बदल नहीं जाता। यह सम्बन्ध बदलना है १९वीं सदी के दूसरे दशक में। उस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति लगभग हो चुकी है, मशीनों से उत्पादन में विकास का क्रम जारी है, व्यापारिक पूंजीपतियों के समानान्तर उद्योगपतियों का प्रभावशाली वर्ग तैयार हो गया है, और यद्यपि वह पूरी तरह राज्य-सत्ता पर हावी नहीं है, फिर भी उसे अपने हित में प्रभावित कर सकता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ईस्वी सन् १६०० में बनी; इसके बाद दो सौ वर्ष तक भारत और इंग्लैंड के सम्बन्ध वैसे ही बने रहे जैसे ऊपर बताया गया है अर्थात् भारत निर्यातक देश था और इंग्लैंड आयातक।

विश्ववाजार के निर्माण के दौर में इंग्लैंड तथा यूरोप के पूंजीपतियों ने दोनों अमरीकी महाद्वीपों तथा अफ्रीका से आर्थिक सम्बन्ध कायम किये। ये सम्बन्ध भारत-इंग्लैंड के आर्थिक सम्बन्धों से नितान्त भिन्न स्तर के हैं। जिस समय अमरीका के सम्य देशों का सोना-चांदी इंग्लैंड और यूरोप के लुटेरे ढोकर ले जाते थे, उस समय इन्हीं लुटेरों का दूसरा वर्ग भारत में, यहाँ के माल के बदले, सोना-चांदी ढोकर ला रहा था। विश्ववाजार में अमरीका-अफ्रीका की स्थिति में भारत की स्थिति भिन्न रही है, यह तथ्य विश्ववाजार के निर्माण और उसमें पूंजीपतियों की गतिविधि के विवेचन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूरोप और भारत के पुराने व्यापारमार्गों पर अरबों और तुर्कों का आधिपत्य था। इस आधिपत्य को खत्म न कर पाने के कारण यूरोप के जहाजी अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज रहे थे। इस मार्ग को खोजते हुए वे जिस देश में भी पहुंचें, वे पहले समझे कि यही 'हिन्दिया', 'इंडिया' है। इसी कारण ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज आदि द्वीप समूहों के नाम में इंडीज शब्द बैठा हुआ है, इसी कारण अमरीकी आदिवासी इंडियन कहलाये। अतः वास्तव में भारतवासियों से भिन्नता दिखाने के लिए उन्हें ईस्ट इंडियन या अमरीकन इंडियन कहा गया। कोलम्बस ने अमरीका

का पता लगाया पर वह निकला था पता लगाने भारत का। अमरीकी महाद्वीपों का पता लगने से पुरानी दुनिया के लोगों को एक नयी दुनिया का ज्ञान हुआ। जो विश्ववाजार अब कायम हुआ, उसमें पुरानी दुनिया के अलावा यह नयी दुनिया शामिल थी। इस नयी दुनिया का पता लगाने में अप्रत्यक्ष प्रेरणा भारत की थी।

किन्तु प्रत्यक्ष रूप से भी विश्ववाजार के निर्माण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत का माल खरीदने के लिए यूरोप के व्यापारियों में लडाइयाँ हुईं। इनमें फ्रान्स और इंग्लैंड की लडाईं ने और सब लडाइयों को पीछे-छोड़ दिया। नैपोलियन के विरुद्ध अंग्रेजों और उनके सहायकों का संग्राम विश्वयुद्ध की रिहसल के समान था। क्लाइव के जमाने में अंग्रेजों और फ्रांसिसियों की जो लडाईं भारत में हुईं, उसका उद्देश्य अपना माल बेचने के लिए यहाँ के बाजार पर अधिकार करना न था; उसका उद्देश्य यहाँ का माल खरीदने के लिए दूसरे खरीददारों को हटाना था। एशिया से जो माल यूरोप में बिकने जाता था, वह वहाँ मुख्य रूप से भारत की मडियों से पहुँचता था। इस प्रकार भारत विश्ववाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर भी भारत और यूरोप के व्यापारियों में बहुत बड़ा अन्तर इस बात को लेकर था कि माल ढोने के साधन यूरोप के व्यापारियों के हाथ में थे। जितने बड़े पैमाने पर जलपोतों का उपयोग व्यापारिक पूँजीवाद के इस युग में हुआ, उतने बड़े पैमाने पर पहले कभी न हुआ था। भारत के व्यापारी घर बँटे खूब धन कमा रहे थे; घर के बाहर जलमार्गों पर विदेशियों का अधिकार था। जिसके हाथ में जलमार्ग थे, आवाजाही के साधनों पर अधिकार था, वह विश्ववाजार पर हावी होने की स्थिति में था। व्यापारिक पूँजीवाद की विशेष परिस्थितियों में जहाजरानी की भूमिका निर्णायक हुई। भारत के कारीगर अच्छे और मजबूत जहाज बनाते थे, अंग्रेज अपने यहाँ जहाज बनाने के अलावा भारत के जहाज भी खरीदते थे। किन्तु भारत का व्यापारी वर्ग समुद्र यात्रा करके यूरोप के सौदागरों से टकराने का खतरा मोल लेने को तैयार न था। यदि आवाजाही के पुराने स्थल-मार्ग ही चालू रहते, तो शायद संसार में इतना उलटफेर न होता। किन्तु स्थलमार्गों से काम न बना, न भी पुर्तगाल, स्पेन आदि ने समुद्री मार्गों की खोज शुरू की थी। शुरू में जहाजरानी का तरीका पुराना ही रहा जैसे कपड़ा बुनने का तरीका पुराना था। बाद में भाप से चलने वाली मशीनों से कपड़ा बुना जाने लगा, भाप से जहाज भी चलाये जाने लगे। उद्योग-धन्धों में मशीनों के चलन से जो क्रान्ति हुई, उसके साथ परिवहन-व्यवस्था में भी क्रान्ति हुई। भाप से चलने वाले जहाजों द्वारा संसार के जलमार्गों पर हावी होकर इंग्लैंड संसार का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। जिस बाजार से वह माल खरीदता था, उस पर हावी होकर वहाँ अपना माल बेचना उसके लिए बहुत मुश्किल न रह गया।

अपने माल की बिक्री के लिए भारत के बाजार को इस्तेमाल करने में अंग्रेजों ने केवल आर्थिक साधनों से काम न लिया। आर्थिक साधन मौण थे, मुख्य साधन राजनीतिक और सैनिक थे। अंग्रेज यहाँ क्रमशः अपना राज्यविस्तार कर रहे थे। जब वे राजनीतिक रूप से मजबूत हो गये, तब उन्होंने अपने देश में भारतीय माल की बिक्री पर रोक लगाई और भारत में अपने माल की बिक्री को छूट दी। राज्य-

शक्ति के बिना अपने मशीनी उत्पादन के बावजूद अंग्रेज मुनी होड में भारत के बाजार पर हावी न हो सकते थे। राज्यशक्ति के सहारे उन्होंने यहां के व्यापारियों को मुनी होड में बाहर कर दिया और यहां के उद्योग-धंधों को तबाह करने में सफल हुए। विश्वबाजार में परिवर्तन हुआ; भारत इंग्लैंड को कच्चा माल भेजे और वहां का पक्का माल खरीदे, यह उलटफेर सैनिक-शक्ति के बल पर हुआ।

भारत में एक गामन्त को दूसरे से लड़ाकर अंग्रेज यहां के राजा बन गये, यह बात सभी लोग जानते हैं। भारत में फूट न होती तो अंग्रेजी राज कायम न होता, यह आम धारणा बहुत कुछ गही है। किन्तु इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जितना भारत के गामन्त आपस में लड़ रहे थे, उगमें कही ज्यादा यूरोप के व्यापारी आपस में लड़ रहे थे। अनेक राष्ट्रों की आपसी लड़ाई के अलावा १७वीं सदी में इंग्लैंड ने गृह-युद्ध का सामना किया और १८वीं सदी के अन्त में उगमें भी बड़े पैमाने पर फ्रान्स में गृहयुद्ध हुआ। इसलिए भारत में लड़ाया हो रही थी तो यह कोई अनोखी बात न थी। होना तो यह चाहिए था कि यूरोप के व्यापारी आपसी लड़ाइयों के कारण भारत पर अधिकार ही न कर पाते। किन्तु भारत के व्यापारी और गामन्त उनकी फूट में लाभ उठाने की स्थिति में न थे; इनकी फूट में लाभ उठाने की स्थिति में यूरोप के व्यापारी थे। इसका कारण यह नहीं है कि भारत के व्यापारी चिन्नायती सौदागरों के मुकाबले में कम धन-दौलत वाले थे। धनदौलत की कमी न थी; इनके पास इतनी सम्पदा थी कि ये ईस्ट इंडिया कम्पनी जैसी कई कम्पनियों का सारा माल-मना खरीद सकते थे। कारण यह था कि केन्द्रीय राज्यसत्ता विघटित हो रही थी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी १६०० में कायम हुई, पलामी की लड़ाई १७५७ में हुई। अंग्रेजी राज के प्रसार में १७५७ का साल महत्वपूर्ण है। डेढ़ सौ साल तक अंग्रेज राज्य-विस्तार का अभियान शुरू करने में सफल न हो सके। यदि इसी अवधि में उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के इतिहास से इस देश के इतिहास की तुलना की जाये तो यह बात साफ समझ में आ जायेगी कि यूरोप के व्यापारी भारत में अपना राज कायम न कर सके, तो इसका कारण इच्छा की कमी न थी। अकबर और शाहजहा के समय में भारतीय व्यापार ने अभूतपूर्व उन्नति की थी। औरंगजेब के समय में जब केन्द्रीय सत्ता शिथिल हुई और उसके बाद अनेक नये राज्यों की स्थापना हुई, तब अंग्रेजों को अपना राज्य-विस्तार करने में मुविधा हुई। ये नये राज्य काफी शक्तिशाली थे। पंजाब के रणजीतसिंह, महाराष्ट्र के पेशवा, कर्णाटक के हैदरअली और टीपू सुल्तान अकेले ही अंग्रेजों को परास्त करने में समर्थ थे। अंग्रेजों ने इन सबमें एक साथ लड़ने की गलती न की। पहले किसको पीटना चाहिए, फिर किससे निपटना चाहिए, यह तय करने में उन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई। जब तक रणजीतसिंह जीवित रहे, अंग्रेजों ने पंजाब की तरफ आग्रह न उठाई। उनके मरने के बाद उन्होंने पंजाब को धर दबाया। इस काम में उन्हें भारत के ही सिपाहियों में बड़ी मदद मिली। अमरीकी आदिवासियों से लड़ते समय तोप-बन्दूक केवल यूरोप वालों के पास थी। वहां बहुत जल्दी राज्य-विस्तार करने में उन्हें सफलता मिली। भारत में ऐसी एकतरफा लड़ाई न थी। तोप के जवाब में तोप,

बन्दूक के जवाब में बन्दूक यहां मौजूद थी। यदि अंग्रेज यहां के गरीब किसानों को फौज में भरती करके यहां के सामन्तों में उन्हें न लटाते, तो वे अपना राज्य-विस्तार करने में सफल न होते। यह बात याद रखनी चाहिये कि अकबर और शाहजहा के समय में यहां जो अपार सम्पदा जमा थी, उसमें किसानों का हिस्सा न था। खेती न किसान को भिखारी को न भीख दलि बनिक् को बनिज न चाकर को चाकरी; ऊंचे नीचे करम धरम अघरम करि पेट ही को पचत बँचत वेटा वेटकी—यह सब तुलसीदास ने मुगल साम्राज्य के समृद्धि काल में लिखा था। उस साम्राज्य के विघटन काल में किसानों की हालत और भी खराब हो गयी। यही कारण है कि क्लाइव के जमाने में हिन्दी प्रदेश के भूखे किसान बंगाल जाकर अंग्रेजी फौज में भरती होने लगे थे। अंग्रेजों के लिए पंजाब को फतह करने में इन हिन्दी सिपाहियों की भूमिका मुख्य थी। यद्यपि भारत के सामन्त अंग्रेजों से अलग-अलग लड़े पर वे लड़े और उनका लड़ना अकारथ नहीं हुआ। अगर ये न लड़ते तो भारत की हालत भी वैसी होती जैसी अमरीका या दक्षिणी अफरीका की है। बड़े पैमाने पर जनसंहार करके यहां की भूमि पर इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हालैंड जैसे किसी भी अन्य देश के लोग यहां अपने उपनिवेश कायम करते और यहां के लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देशों में बेचते। सवाल यह नहीं था कि अंग्रेज यहां औद्योगिक क्रान्ति करने आ रहे हैं और पिछड़े हुए सामन्त उनका विरोध कर रहे हैं; सवाल यह था कि यहां के लोग अमरीकी आदिवासियों की तरह मार डाले जायेंगे और जमीन से खदेड़ दिये जायेंगे या उस जमीन पर जीवित बचे रहेंगे, अफरीकी अश्वेत जनो की तरह गुलाम बनाकर बेच दिये जायेंगे या खेती-किसानी करने के काबिल बने रहेंगे। जिन अंग्रेजों ने उत्तरी अमरीका में अपने उपनिवेश बनाये, जिन्होंने दक्षिणी अफरीका में आदिवासियों की भूमि छीनी, जिन्होंने गुलामों का व्यापार करने में यूरोप के हर देश को पछाड़ दिया, वही अंग्रेज भारत आये थे। यदि वे इस देश में उत्तरी अमरीका या दक्षिणी अफरीका जैसा खेल न दिखा मके तो इसका कारण यहां की जनता का प्रतिरोध था। इस प्रतिरोध का नेतृत्व यहां के सामन्तों ने किया। भारत की धरती को वीरान होने से बचाकर उन्होंने एक प्रगतिशील काम किया।

हिन्दी प्रदेश के गरीब किसान अंग्रेजी फौज में भरती हुए। अन्य प्रदेशों के किसान भी अंग्रेजी फौज में भरती हुए। बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये तीन बड़े प्रान्त अंग्रेजों ने यहां कायम किये। इन तीनों की एक-एक सेना थी जिसे बंगाल-आर्मी कहा जाता था, उसमें अंग्रेज बंगालियों को भरती न करते थे। उसके सारे सिपाही हिन्दी प्रदेश के थे। इन हिन्दी सिपाहियों की बढ़ती लड़ने बंगाल पर दखल किया, फिर पंजाब को परास्त किया। १८५७ में अंग्रेजों की हिन्दी फौज ने, पलासी की लड़ाई के ठीक सौ वर्ष बाद, विद्रोह कर दिया। १८५७-५८ में जो भारतीय सामन्त अंग्रेजों में लड़े, वे प्रगतिशील थे, जो सामन्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वे प्रतिक्रियावादी थे। किन्तु डग लड़ाई में नेतृत्व सामन्तों के हाथ में न था। अंग्रेजों में अब तक जितनी लड़ाई हुई थी, उनसे सन् ५७ की लड़ाई गुणात्मक रूप से भिन्न थी। इसका नेतृत्व सिपाही कर रहे थे। ये फौजी बर्दा

पहने हुए हिन्दी प्रदेश के किसान थे। भारतीय इतिहास में पहली बार सामन्त की मातहत बनाकर भारतीय किसान देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। अब तक भी यह इस तरह की अन्तिम लड़ाई है।

३. विश्ववाजार और अमरीकी महाद्वीप

१८५७ की लड़ाई में किसानों और सामन्तों के आपसी सम्बन्धों और लड़ाई में उनकी भूमिका के बारे में फिर बात करेंगे। पहले देलना चाहिए कि अमरीका के ग्रूप के सौदागरों ने विश्ववाजार कैसे कायम किया अथवा विश्ववाजार में दो महाद्वीपों और पड़ोस के अनेक द्वीपों को कैसे शामिल किया, वहाँ उन्होंने अपनी प्रगतिशील भूमिका किस प्रकार निवाही। अनेक महाद्वीपों के समान अमरीकी महाद्वीपों के निवासी भी सामाजिक विकास की अनेक मंजिलों से गुजर रहे थे। उनमें कुछ गण-व्यवस्था में जीवन बिता रहे थे, अन्य सामन्ती व्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे। गणव्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा दीर्घ-कालीन है, उसके अन्तर्गत विकास की अनेक मंजिलें हैं। कुछ गण मातृसत्ताक थे, अन्य पितृसत्ताक। कई जगह गण-मध्य स्थापित हो चुके थे और वे अपनी-अपनी गण-भाषा के अलावा एक सामान्य सघभाषा का व्यवहार भी करते थे। गण-संघों की स्थापना सामन्ती व्यवस्था के आरम्भ होने की सूचना है। अनेक आदिवासी समाजों में श्रमविभाजन रुढ़िवद्ध हो गया था और उसके अनुरूप समाज में धनी और निर्धन का भेद मौजूद था। अमरीकी आदिवासियों की समाज व्यवस्था सर्वत्र एक-सी नहीं थी। एक ओर बड़े-बड़े नगरों, राज-प्रासादों, देव मन्दिरों वाले समाज थे, दूसरी ओर आषेटजीवी वनवासी गण समाज थे। बीसवीं सदी के अमरीका में इन आदिवासियों का कहीं कोई ऐसा समाज दिखाई नहीं देता जो पूँजीपतियों और मजदूरों में विभाजित हो। जहाँ-तहाँ रेड इंडियन मजदूरी जरूर करते हैं, कुछ अग्रजीभाषी वनकर मध्यवर्ग में भी शामिल हो गये हैं। किन्तु कहीं कोई ऐसा रेड इंडियन समाज नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि वह पूँजीवादी व्यवस्था में है। जो रेड इंडियन अपनी भाषा और संस्कृति बचाये हुए हैं, वे बहुत कुछ दीन-हीन कब्रियों की जिन्दगी बिता रहे हैं। ग्रूप के पूँजीवाद ने रेड इंडियनों के सामाजिक विकास में कितनी मदद की, इन तथ्यों में प्रकट है। ग्रूप के सौदागरों ने जब अमरीकी महाद्वीपों का पता लगाया, तब विकास की दृष्टि से वहाँ के समाज ठहराव की हालत में न थे, इतिहास चलते-चलते रुक न गया था कि ग्रूप का धक्का लगने से फिर तेजी से आगे बढ़ चलना। अमरीकी आदिवासी अपनी भूमि के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े। जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी ने यह नहीं कहा कि प्रगतिशील पूँजीवाद के मुकाबले में अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले अमरीकी आदिवासी प्रतिक्रियावादी थे।

मध्य अमरीका में माया सभ्यता के अवशेष अब भी दर्शकों को चकित करते हैं। जो समय वैदिक सभ्यता का है, वही समय माया सभ्यता के प्रारम्भ का है। जब ग्रूप के लोगों से इस सभ्यता का सम्पर्क हुआ, तब माया लोगों का इतिहास साढ़े तीन हजार साल पुराना हो चुका था। आदिवासी अमरीकी सभ्यता में सबसे

आगे बढ़े हुए माया लोग थे। प्राचीन मिस्र के समान यहाँ के लोग चित्र-लिपि का व्यवहार करते थे। इनमें बहुत अच्छे गणित और खगोल विद्या के जानकार थे। भारत से बाहर उन्होंने गणना में स्वतंत्र रूप से शून्य का आविष्कार किया था। ये लोग स्थापत्य, शिल्प और चित्रकलाओं में अत्यन्त दक्ष थे। इन्हें उचित ही यूनानियों के समकक्ष बताया गया है। ज्ञान और कला में इस तरह की उन्नति श्रमविभाजन के बिना सम्भव नहीं होती। स्पष्ट ही माया सभ्यता सामन्ती व्यवस्था की सभ्यता थी। यूरोप के सौदागरों ने इस सभ्यता का नाश किया।

माया लोगों की तुलना प्राचीन काल के यूनानियों से की गई है तो दक्षिण अमरीका के इन्का लोगों की तुलना प्राचीनकाल के रोमनों से की गयी है। ये लोग युद्धविद्या में दक्ष थे। उनके पास सुसंगठित सेना थी। गण समाजों में गण सदस्य और सेना, दो अलग-अलग चीजें नहीं होती। पूरा गण ही शस्त्रधारी होता है। इन्का लोगों की सेना गण से अलग थी। खेती करने वाले अपनी भूमि छोड़कर न जा सकते थे। जो पेशा वाप का होता था, वही बेटे का होता था। आम जनता निर्धन थी। ऊपर के वर्ग सुख-सुविधा का जीवन बिताते थे। कारीगर सोना, चाँदी और ताँबे से बहुत सुन्दर वस्तुएँ बनाते थे। इनके बुनकर सुन्दर वस्त्र तैयार करते थे। ये लोग शल्यक्रिया से भी परिचित थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि वे शल्यक्रिया के समय बेहोशी की दवा इस्तेमाल करते थे। इन्होंने यातायात के लिए, विशेष रूप से अपनी फौजों के लिए, जैसी सड़कें बनाई थी, वैसे सड़कें अभी यूरोप में न थी। स्थापत्य कला का विकास इन्होंने विशेष रूप से किया था। इनके विशाल सूर्यमन्दिर के लिए कहा गया है कि वह पुरानी दुनिया के श्रेष्ठ भवनों में टक्कर ले सकता है। इन्होंने लगभग ३००० वर्ग मील के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था और उसमें रहनेवाले कबीले एक ही सामान्य राजभाषा का व्यवहार करते थे। धुएँ के सकेतचिन्हों से ये लोग चार घण्टे में २००० मील की दूरी तक अपना सँदेश भेज सकते थे। यूरोप के सौदागरों ने इस सभ्यता का नाश कर दिया।

मेक्सिको के अज्तेक लोग अपनी वीरता और युद्ध-कौशल के लिए विख्यात थे। इनके यहाँ पुरोहितों और भूस्वामियों का वर्ग बन चुका था और भूमि पर बहुत कुछ इन्हीं का अधिकार था। खेती करने वाले जन, अर्ध दासों के समान, भूमि छोड़कर कहीं जा न सकते थे। इनके यहाँ भूमिहीन सेतिहर मजदूर भी थे और गुलामों की संख्या भी काफी थी। दस्तकारी को चीजों के विनिमय के लिए ये लोग स्वर्णधूलि तथा अन्य धातुओं में काम लेते थे। इन्होंने आलू, तमाखू और मक्का की खेती का विकास किया था। ये लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ईगार्ड पादरियों ने इनकी हज़ारों पुस्तकें यह कहकर जला दी कि वे शैतान की निर्गी हई हैं। मोना-चादी-सकड़ी के काम में इन्होंने अद्भुत सौन्दर्यबोध का परिचय दिया था। गणित और ज्योतिष में बिलक्षण प्रगति के फलस्वरूप इन्होंने ३६५ दिनवाले वर्ष का चयन किया था; चार साल में एक बार वे एक दिन और जोड़ते थे। इनकी गणना भाग्य की कुछ पद्धतियों के गमान बीस के आधार पर चलती थी। तीन और तावा मिलाकर वे ऐसे अम्त्र बनाते थे कि कोई भी सन्त

सख्त पत्थर या धातु वे उनसे काट सकते थे। भिन्न के राजाओं के समान इन्होंने बड़े-बड़े पिरामिड बनाये थे। इतिहासकार कहते हैं कि ये भिन्न के पिरामिडों से भी बड़े थे। मन्दिरों के अलावा दुर्ग बनाने में भी ये कुशल थे। इनके प्रमुख नगर में साठ हजार घर थे। लोगों ने हिसाब लगाया है कि इस नगर की आबादी तीन से छह लाख के बीच रही होगी। १५वीं सदी में लन्दन की कुल आबादी दो लाख थी। यूरोप के सौदागरों ने इस सम्पत्ता का भी नाश कर दिया।

जब ये सौदागर वहाँ पहुँचे तो वहाँ के निवासियों ने इनका स्वागत बड़े प्रेम से किया। १६वीं सदी के मध्य तक केवल स्पेन के उपनिवेशों में लगभग डेढ़ करोड़ आदिवासियों को मौत के घाट उतारा गया। जहाँ अब संयुक्त राष्ट्र अमरीका और कनाडा के राज्य हैं, वहाँ कोलम्बस के समय में दस लाख इंडियन थे। २०वीं सदी में ये पाँच लाख रह गये थे। चार सौ साल में बढ़ने के बजाय वे पहले से आधे रह गये थे। जो रह गये थे, वे मुख्य भूमि से हटाकर विशेष इलाकों में बसा दिये गये थे। आदिवासी वीरता से लड़े, उन्हें गुलाम बनाना आसान न था। यूरोप से आनेवालों को उनकी जमीन चाहिए थी। यह जमीन उन्हें तभी मिल सकती थी जब आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाये और न सदेड़े जा सकें तो उनका नाश कर दिया जाये। हारते हुए, सदेड़े जाते हुए भी अमरीकी आदिवासी निरन्तर अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। उनके पास वारुद नहीं थी, तोपे और बन्दूकें नहीं थी। अपने अस्त्रशस्त्र के बल पर यूरोप के थोड़े से लोगों ने विशाल रेड इंडियन सेनाओं को परास्त किया। यदि आदिवासी समाज आपस में न लड़ते होते, उनमें से कुछ यूरोप के हमलावरों का साथ न देते, तो इतने बड़े पैमाने पर उनका विनाश न होता। फिर भी यूरोपवासियों की विजय का मुख्य कारण वारुद का व्यवहार था। इसके सिवा उन्होंने बहुत जगह अफ्रीका से लाये नीग्रो लोगों को फौज में भरती किया और उनकी मदद से रेड इंडियनों को हराया। फिर भी वे पूरी तरह उनका नाश न कर सके। दोनों महाद्वीपों में दूसरे महायुद्ध के दौरान अमरीकी आदिवासियों की सख्या तीन करोड़ से ऊपर थी। अमरीकी आदिवासियों को पूर्ण विनाश से बचने के लिए भारी मुसीबतें सहनी पड़ी और विकट संघर्ष करना पड़ा। उनमें बहुतों ने अपने बच्चों को गुलाम बनने से बचाने के लिए गला घोटकर उन्हें मार डाला। ऐमी बीमारियाँ फैल गयीं जिनसे पहले साबिका न पड़ा था। ये बीमारियाँ गोरे लोग अपने साथ लाये थे। इनमें सिफ़लिस और मलेरिया की बीमारियाँ भी थी। जो लडाकू आदिवासी बच रहे, उनका मनोबल नष्ट करने के लिए गोरो ने उन्हें शराब पिलाना शुरू किया। इसके सिवा ईसाई धर्म का प्रचार करके उन्हें यह सिखाने का प्रयत्न किया कि उनका और हमलावरों का धर्म एक है, इसलिए विरोध करना बेकार है। वेस इंडीज नाम के द्वीप समूह में लाखों आदिवासी मारे गये। स्पेन की गुलामी बचने के लिए बहुतों ने एक दूसरे को मारा या आत्म-हत्या की। इतिहासकार का अनुमान है कि इस जनसंहार में लगभग दस लाख आदिवासी मारे गये। इस व्यूवा द्वीप के तीन लाख इंडियन शामिल हैं।

जहाँ सामन्तवाद का अधिक विकास हुआ था, वहाँ आक्रमणकारियों ने

विश्वबाजार और भारत

कुछ सामन्तों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। मेक्सिको और पीरू के शासकों ने स्पैनिश विजेताओं से अपनी लड़कियों का ब्याह कर दिया। कई स्थानों में आदिवासियों के मन्दिरों को हमलावरों ने लूटा। कई जगह निहत्थे आदिवासियों को धोखे से इकट्ठा करके उन्हें हुकुम सुनाया कि या तो ईमाई बनो वरना सबके सब मार डाले जाओगे। १६वीं सदी के पूर्वार्द्ध में पीरू के सरदार अताहुआलपा को उसके हजारों निहत्थे आदिवासियों के साथ पिज़ारो नाम के स्पैनिश सेनापति ने एक जगह इकट्ठा किया। तब एक पादरी बाइबिल लेकर उनकी ओर बढ़ा और बोला, अपने देवताओं पर विश्वास करना छोड़ दो, ईमाई बन जाओ और स्पेन को अपना स्वामी मान लो। इस पर अताहुआलपा ने बाइबिल उठाकर फेंक दी। इस पर पादरी ने इशारा किया, इन्हें मारो। वहाँ दस हजार आदिवासियों ने प्राण गँवाये। उत्तरी अमरीका में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से अपना अभियान चलाया। शेरीडन नाम के सेनापति का कहना था, मुर्दा इंडियन ही अच्छा इंडियन होता है। यहाँ यह भी हुआ कि भारत की तरह अंग्रेजों ने कुछ को अपनी तरफ मिलाया और कुछ को फ्रांसीसियों ने अपनी तरफ लिया। आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। इस लड़ाई में वे आदिवासियों का उपयोग कर रहे थे। दोनों ही उनकी जमीन छीनते जाते थे। ये लड़ाइयाँ बहुत दिनों तक चलती रहीं। १६वीं सदी के अन्त में आदिवासियों को छोटे-छोटे इलाकों में कैदियों की तरह बन्द कर दिया गया।

यूरुपवालों से सम्पर्क होने पर आदिवासी समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन न हुआ। यूरुप हमलावर बड़े पैमाने पर खेती के लिए जमीन छीन रहे थे। यह खेती वे गुलामों से कराते थे। आदिवासियों का उपयोग यही था कि वे गुलाम बनकर खेती करें। गुलाम न बने या गुलाम बनने पर खेती उनसे न बन पड़ी तो गोरों के सामने एक ही रास्ता था कि उनका नाश कर दिया जाये। सामाजिक विकास में इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस आदि उन्हें जो सबसे ऊँचा दर्जा दे सकते थे, वह गुलाम का था। जहाँ वे पूरी तरह गुलाम न बनाये गये, वहाँ उनका दर्जा अर्द्ध-दासों का था। स्पैनिश जमींदारों ने कई जगह खेती में वह प्रथा चलाई जिससे भारतवासी अच्छी तरह परिचित हैं। आदिवासियों को अपनी खेती के लिए थोड़ी सी घटिया जमीन दे दी जाती थी। इसके बदले उन्हें अपने मालिक की जमीन पर काम करना पड़ता था। अपनी खेती के लिए उन्हें काम समय मिलता था, मालिक की खेती के लिए अधिक समय देना पड़ता था। सामन्ती व्यवस्था में बँटाई पर खेती कराने की जिस प्रथा का चलन है, उसी का यह एक रूप था। कर्ज देकर किसी को अपना अर्द्ध-दास बना लेना, सामन्ती व्यवस्था में इस प्रथा का चलन भी रहा है। स्पैनिश जमींदारों ने इस प्रथा से भी काम लिया। इनका लोगों में बेगार का चलन था। इनका सामन्त खानों में लोगों में बेगार कराते थे किन्तु उनके खाने-पहनने का ध्यान रखते थे। स्पैनिश लोगों ने आदिवासियों से खानों के अलावा खेती और कपड़ा उद्योग में भी बेगार कराई। उनके साथ गुलामों से भी बदतर सलूक किया; हजारों आदमी भूख और थकान से मर गये। एक पादरी ने लिखा था कि मेक्सिको की खानों के आसपास सड़कों और गुफाओं में आदिवासियों

के इतने अस्थिपंजर पड़े हुए थे कि वहाँ हड्डियों पर पैर रखे बिना चलना असम्भव था। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी अमरीका के अनेक राज्यों में गोरों के समाज में ही सामन्ती व्यवस्था के तगड़े अवशेष आज तक बने हुए हैं। सामन्ती व्यवस्था अनेक आदिवासी समाजों में पहले से ही विद्यमान थी। फिर सामाजिक विकास में उन्होंने किस तरह की सहायता दी? स्पेन और पुर्तगाल वालों ने बहुत जगह आदिवासियों की सामन्ती प्रथाएँ अपनाईं। इन सभी प्रदेशों में भावी प्रगति के लिए सामन्त विरोधी क्रान्ति का कार्य पूरा होना शेष है। पूँजीवादी समाज के अग्र बनकर जनसंहार में बचे हुए अमरीकी आदिवासियों के लिए समाजवाद की ओर बढ़ने का प्रश्न ही न था। और गुलामों का सत्रने बढ़ा गढ़ वह देश बना जो अब संयुक्त राज्य अमरीका कहलाता है। (अमरीकी आदिवासियों से सम्बन्धित अधिकांश सामग्री यहाँ विलियम जेड. फौस्टर की पुस्तक 'आउटलाइन पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ अमेरिकाज़', न्यूयार्क, १९५१ में ली गई है।)

४. विश्ववाजार और अफरीका

एक ओर यूरोप के गोरे अमरीकी आदिवासियों का नाश कर रहे थे, दूसरी ओर उनकी छीनी हुई जमीन पर रोती कराने के लिए अफरीका के काले आदिवासियों को पकड़कर ला रहे थे। इसका एक कारण यह था कि अमरीकी आदिवासी अपने कबीलों में संगठित थे, कई जगह वे इसमें आगे बढ़कर सामन्ती व्यवस्था वाले जनपदों में संगठित थे। जहाँ भी वे प्राण बचाने में सफल हुए, वहाँ वे अपना जातीय गठन अथवा कबीलाई संगठन भी बचा सके। यही कारण है कि अमरीकी आदिवासियों की अनेक भाषाएँ अभी जीवित हैं। इसके विपरीत जो लोग अफरीका से पकड़कर लाये गए, उनकी एक भी भाषा अमरीका में जीवित नहीं है। गुलामों के व्यापारी इस बात का ध्यान रखते थे कि एक जाति या कबीले के आदमी संगठित न हो सकें। भिन्न कबीलों के गुलाम एक जगह काम करेंगे तो वे एक दूसरे की भाषा न समझेंगे और संगठित भी न हो सकेंगे। वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमरीका आदि में काले दासों की भाषा वहाँ है जो उनके गोरे मालिकों की है। गोरों ने इन काले दासों का उपयोग अमरीकी आदिवासियों से लड़ने में भी किया। पूँजीवादी समाज में अर्थ की प्रधानता होने से मनुष्य के वंश, कुलीनता, रंग-रूप आदि का कोई महत्व नहीं होता। अमरीकी पूँजीवाद ने वर्ग भेद के साथ नस्ल भेद भी कायम किया। पहले उत्पादन में गुलामों का प्रयोग, फिर गुलामी प्रथा के खत्म को लेकर संयुक्त राज्य अमरीका में गृह-युद्ध, फिर दासप्रथा की समाप्ति के बाद अश्वेत जनो के मानव अधिकारों के लिए निरन्तर चलाया जाने-वाला संघर्ष, अमरीकी पूँजीवाद की ये अपनी विशेषताएँ हैं।

जान होप फ्रैन्कलिन ने अमरीकी अश्वेत जनता का इतिहास लिखा है फ्राम स्लेवरी टु फ्रीडम। यह १९४७ में प्रकाशित हुआ था और इसका नया संस्करण भारत में १९६७ में निकला था। इसके लेखक ने बताया है कि स्पेन और पुर्तगाल के लोग जब उत्तरी अमरीका में पैठ रहे थे, तब उनके साथ नीग्रो भी थे। जहाँ भी अमरीकी आदिवासियों को गुलाम बनाया गया, वहाँ इस गुलामी से विशेष लाभ

न हुआ। या तो लोग गुलाम बने नहीं या बने तो उनसे इस तरह काम लिया गया कि वे जीवित न बचे। अफ्रीका में लोगों को पकड़कर गुलाम बनाने से पहले व्यापारियों और जमींदारों ने दूसरी तरकीब से काम लिया था। जैसे हिन्दुस्तान में गिरमिट प्रथा का चलन हुआ, लोगों को अन्य देशों में मजदूरी करने के लिए ठेकेदार इकरारनामा लिखाकर ले जाते थे, वैसे ही यूरुप में जो लोग बेजमीन और बेसहारा थे, उन्हें धनी लोग अमरीका में जंगल साफ करने और खेती कराने के लिए ले जाते थे। भारतवासियों को कुली बनाकर वाहर ले जाने से पहले यूरुप वालों ने अपने ही गोरे भाइयों को कुली बनाकर अमरीका भेजा। स्वेच्छा से जाने-वालों की संख्या कम थी, इसलिए इंग्लैंड के जेलखानों से अपराधियों को छुट्टी देकर उन्होंने अमरीका भेजा। इससे भी काम न चला तो उन्होंने अपने देश की स्त्रियों और बच्चों का अपहरण शुरू किया।

जब गोरों के अपहरण से भी काम न चला, तब यूरुप के व्यापारियों ने अफ्रीका से काले आदमियों का अपहरण शुरू किया। अमरीका में उन्होंने सोना-चादी लूटा था, अफ्रीका में उनकी लूट का माल आदमी था। समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में वे अपने अट्टे कायम करते थे। इन अट्टों में गुलामों के व्यापारी रहते थे। वे अपने देश के राजा द्वारा या सौदागरों की कम्पनी द्वारा भेजे हुए लोग होते थे। इनके साथ सैनिक होते थे जो इनके अट्टों की रक्षा करते थे। वे आदिवासी कबीले के सरदार के पास जाते थे; कपड़ों, बर्तन-भांडों, शराब आदि देकर उसके प्रदेश में व्यापार करने की अनुमति लेते थे। अफ्रीकी लोग ही दूसरे अफ्रीकियों को बन्दी बनाकर ले आते थे और उन्हें निश्चित कीमत पाकर व्यापारियों के हवाले करते थे। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के आदमियों को पकड़ते थे; दोनों में लड़ाई होना स्वाभाविक था; इस लड़ाई से गोरे व्यापारियों का लाभ उठाना भी स्वाभाविक था। पकड़े हुए आदमी आसानी से दूसरी जगह जाने को तैयार न होते थे, मौका मिलते ही वे भाग खड़े होते थे; इसलिए उन्हें जजीरो से जकड़ रखा जाता था। जब तक जहाज चल न दे, तब तक सैनिक उनकी निगरानी करते थे। अक्सर वे नाव या जहाज से समुद्र में कूद पड़ते थे जिससे कि उन्हें गुलाम न बनाया जा सके। कूदने पर बचते कम थे, डूबकर मरनेवाले ज्यादा होते थे। छोटे-छोटे जहाजों में सैकड़ों गुलाम ठसा-ठसा भर दिये जाते थे। अमरीका जाते समय उनमें बहुत से किसी न किसी बीमारी से मर जाते थे। फ्रैंकलिन का मत है कि अफ्रीका से जितने आदमी जहाजों में जाते थे, उनमें आधे ही अमरीका पहुंचने पर काम करने लायक रह जाते थे। १७वीं-१८वीं सदियों में गुलामों के व्यापार से भारी मुनाफा मिलता था। १७८३ से १७९३ तक इंग्लैंड के केवल एक नगर लिवरपूल के व्यापारी अफ्रीका में तीन लाख गुलाम पकड़कर ले गये थे। गुलामों का व्यापार १९वीं सदी में शुरू हुआ था। १८वीं सदी के अन्त में यह व्यापार अपने शिखर पर था। व्यापारिक पूंजीवाद का युग काले गुलामों के व्यापार का स्वर्ण युग था।

व्यापार की अन्य शाखाओं के समान गुलामों के व्यापार में भी इजारेदारी चलती थी। शुरूआत पुर्तगाल ने की किन्तु दूसरे देशों ने उसकी इजारेदारी खत्म

की। किस देश का इजारा होगा, किसका नहीं, यह तय करने में ईसाइयों के धर्म-गुरु पोप का भी हाथ था। व्यापार के अन्य क्षेत्रों की तरह दास-व्यापार में भी इंग्लैंड ने देर से हाथ लगाया, फिर सबको हटाकर इजारा अपने हाथ में कर लिया। १६७२ में रायल अफ्रीकन कम्पनी नाम के व्यापारी-संघ को इंग्लैंड के राजा ने अधिकार-पत्र दिया। गुलामों का व्यापार करने में इस कम्पनी ने सबसे ज्यादा धन कमाया। इंग्लैंड के स्वतन्त्र व्यापारियों को इस कम्पनी से बड़ी ईर्ष्या थी। इजारा कम्पनी के हाथ में था, इसलिए स्वतन्त्र व्यापारियों ने इसका घोर विरोध किया; इससे काम न चला तो वे इजारे की चिन्ता न करके अफ्रीका में घुस गये। अन्त में कम्पनी का इजारा खत्म हो गया। शक्तिशाली जलसेना के कारण अंग्रेजों ने दूसरे देशों के व्यापारियों को खदेड़ दिया और अपने उपनिवेशों में गुलाम बेचने के अलावा वे उन्हें दूसरे देशों के उपनिवेशों में भी बेचने लगे। १७८८ तक अंग्रेज जितने गुलाम अमरीका ले गये थे, उनमें दो-तिहाई उन्होंने गैर-अंग्रेजी उपनिवेशों में बेचे। फ्रैंकलिन ने लिखा है, "यदि इंग्लैंड के उपनिवेश उसकी आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद थे, तो १८वीं सदी में गुलामों का व्यापार उसकी नींव का महत्वपूर्ण पत्थर था।" (पृ. ५३)।

जैमे अमरीकी आदिवासियों का नाश करने के लिए गोरे व्यापारियों ने ईसाई धर्म का उपयोग किया था, वैसे ही दास-व्यापार के लिए भी उन्होंने धर्म का उपयोग किया। व्यापारी उन्हें अपनी ईसाई विरादरी में शामिल करते थे और उन्हें गुलाम बनाकर उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। इस सन्दर्भ में फ्रैंकलिन ने दुख में लिखा है, "अजीब धर्म या यह ईसाई धर्म जो समानता और भाईचारे की सीख देता था, पर इसके साथ ही जिसने बड़े पैमाने पर देशी लोगों को, उनके घर में जबरन हटाकर, दूर देश ले जाकर, उनके गुलाम बनने की प्रथा का चलन भी किया था। यदि देशी लोगों ने ईसाई धर्म धीरे-धीरे स्वीकार किया तो इसका यही कारण नहीं था कि उन्हें अपने कबीलाई पूजा-पाठ में मोह या वरन् यह कारण भी था कि इस नये धर्म का अन्तर्विरोधी स्वरूप सही मान लेने की अतिमानवीय क्षमता उनमें नहीं थी।" (पृष्ठ ३४)।

अफ्रीका महाद्वीप का नाम लेने से अधिकांश लोगों के मन में एक पिछड़े हुए महाद्वीप का चित्र उभरता है। किन्तु मिस्र और दक्षिणोपिया जैमे मुगंस्कृत देशों के अलावा अफ्रीका के अन्य प्रदेशों में भी सम्यता का यथेष्ट विकास हो चुका था। फ्रैंकलिन का मत है कि पश्चिमी अफ्रीका की सम्यता मिस्र की छोटकर अफ्रीकी महाद्वीप की गवले आगे बढ़ी हुई सम्यता थी। गुलामों के व्यापारी चाहते थे कि जवान और स्वस्थ आदमी ही गुलाम बनाये जायें। ये व्यापारी पश्चिमी अफ्रीका की युवाशक्ति, उसका पौरुष लूट ले गये। यूरुप और इंग्लैंड के व्यापारिक पूजी-वाद से सम्पर्क होने पर अफ्रीका में किस तरह की सामाजिक क्रान्ति हुई? अफ्रीकी समाज प्रगतिपथ पर आगे बढ़ा या पीछे हटा? जान होप फ्रैंकलिन ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है, "पन्द्रहवीं सदी के आरम्भ में यूरुप और अफ्रीका के बीच का सांस्कृतिक फासला बहुत ज्यादा नहीं था। उत्तर के ईसाई पड़ोसियों ने उस पर बहुत ही खराब प्रभाव डाला। इन कठिन परिस्थितियों में वह पीछे हटने

लगा। समय बीतने पर १९वीं सदी में जब उगे साम्राज्यवादी शिकंजे में जलिया गया, तब उनके पीछे हटने की रफ्तार और तेज हो गयी।" (पृष्ठ ५६) अफ्रीकी इतिहास के इस अध्याय का ज्ञान भारतीय इतिहास के विवेचन में सहाय होगा। विश्ववाजार में शामिल किये जाने के बाद अफ्रीकी समाज आगे बढ़ने के बदले पीछे की तरफ चले।

अमरीका में काले दामों का उपयोग तमासू, धान और नील की खेती करने के लिए हुआ। से सब चीजें इंग्लैंड भेजी जाती थीं। इस तरह इंग्लैंड और अमरीकी उपनिवेशों ने आपस में श्रमविभाजन कर लिया था। उपनिवेश खेती करते थे; इंग्लैंड कारखाने चलाता था। फिर प्रवासी अंग्रेजों ने सोचा कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा उनकी पितृभूमि के व्यापारी रा जाते हैं; उनके उद्योग-धन्धों और व्यापार पर इंग्लैंड की सरकार ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। उन्होंने तय किया कि ये प्रतिबन्ध तोड़कर अपना स्वाधीन राज्य बनाना चाहिए। जब लड़ाई शुरू हुई तब काले दासों ने भी लड़ने की इच्छा प्रकट की। अमरीका के प्रवासी अंग्रेज अमरीकी आदिवासियों और फ्रांसीसियों से लड़ने में काले आदिवासियों का उपयोग कर चुके थे। उपनिवेशों के ये प्रवासी अंग्रेज अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे पर वे अपने गुलामों को आजाद करने के लिए तैयार न थे। वे जानते थे कि हाथ में हथियार आ जाने पर नीग्रो लोग उनका उपयोग गोरे मालिकों के विरुद्ध भी कर सकते हैं। अमरीकी सेनापति जार्ज वाशिंगटन ने तय किया कि फौज में कोई नीग्रो भरती न किया जायेगा, वह चाहे गुलाम ही, चाहे आजाद ही। किन्तु इस समय इंग्लैंड के सेनापतियों ने एलान किया कि जो नीग्रो शाही फौज में भरती होंगे, वे सब आजाद कर दिये जायेंगे। इस दवाव के कारण अमरीकी सेनापति वाशिंगटन को अपनी नीति बदलनी पड़ी। अमरीकी कांग्रेस ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि केवल आजाद नीग्रो भरती किये जायेंगे। वर्जीनिया राज्य के अमरीकियों ने अंग्रेजों की कड़ी आलोचना की कि वे उनके गुलामों को फुसला रहे हैं, और भागे हुए गुलामों से कहा कि दस दिन में काम पर लौट आओगे तो तुम्हारा कसूर माफ कर दिया जायेगा। काफी नीग्रो भागकर अंग्रेजों की तरफ आ गये। जब वहाँ आजादी न मिली तो वे वहाँ से भी भाग निकले। बहुत से दास मालिक का घर छोड़कर भागे लेकिन अंग्रेजी फौज के पास न गये। अकेले १७७८ के साल में वर्जीनिया राज्य से तीस हजार गुलाम भागे थे। इनमें से कुछ ही अंग्रेजी फौज में भरती हो सके। युद्ध के कारण जो उथल-पुथल हुई, उससे गुलामों के मालिकों को अपनी नीति काफी बदलनी पड़ी। कुछ प्रदेशों ने नीग्रो लोगों को अमरीकी फौज में भरती होने न दिया। आजादी के लिए लड़नेवाले न लाख अमरीकी सैनिकों में, फ्रेंकलिन के अनुसार, केवल पांच हजार के लग-बग नीग्रो थे। इनमें भी अधिकतर उत्तर के थे जबकि नीग्रो लोगों की सबसे बड़ा आबादी दक्षिण में थी। इससे अन्दाज हो जायेगा कि अमरीकी स्वाधीनता में हथियारबन्द नीग्रो से उसका मालिक कितना भयभीत था। १७८६ में फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति हुई। स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, क्रान्ति का नारा था। फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट दोमींग के गुलामों ने मांग की भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

कि उन्हें भी आज़ाद नागरिकों के अधिकार मिलें। गोरे मालिकों ने इसका विरोध किया तो १७९१ में गुलामों ने विद्रोह किया। उन्होंने अपने मालिकों को मार डाला। फ्रान्स की सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए फौज भेजी। विद्रोही गुलाम दो माल तक लड़ते रहे और अन्त में फ्रांसीसी सरकार को उन्हें स्वाधीन करना पड़ा। उधर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति हुई, किन्तु अमरीका में दास व्यापार १९वीं सदी में भी चालू रहा; "संयुक्त राज्य अमरीका में दासप्रथा और भी मजबूत हो गयी।" (पृष्ठ १५४)।

१८१२ में अमरीकी गोरों और अंग्रेजों में फिर लड़ाई हुई। नीग्रो लोगों ने फिर कहा कि वे देश की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। बहुत छोड़े नीग्रो फौज में भरती किये गये, ज़्यादातर उन्हें फौज में सिद्धमतगारों का काम सौंपा गया। एक बार अंग्रेजों ने फिर कहा कि जो नीग्रो उनकी तरफ आयेंगे, उन्हें वे आज़ाद कर देंगे। काफी नीग्रो भागकर अंग्रेजों की तरफ गये। फ्रैंकलिन के शब्दों में दोनों पक्षों ने नीग्रो लोगों के साथ विद्वेषासघात किया। अंग्रेजों ने भागकर आने वाले गुलामों को वेस्ट इंडीज में जाकर बेचा, इधर अमरीकियों ने लड़ाई खत्म होने पर, कुछ अपवाद छोड़कर, उन्हें अपने मालिकों के पास भेज दिया। अमरीकियों और अंग्रेजों में जब संधि हुई तो उसकी एक शर्त यह थी कि जिस पक्ष ने दूसरे की सम्पत्ति छीनी हो, वह उसे वापस कर देगा। सम्पत्ति में गुलाम भी शामिल थे। अंग्रेजों ने जिन गुलामों को बेच दिया था, उन्हें वापस कैसे करते? अमरीकियों ने हरजाना मागा। कई साल तक झगडा चलता रहा। आखिर १८२८ में अंग्रेजों ने मजदूर होकर हरजाने के तौर पर संयुक्त राज्य अमरीका को दस लाख डालर दिये।

पूँजीवाद व्यापक आर्थिक सम्बन्ध कायम करके जातीय क्षेत्रों को सुगठित करता है। अमरीका में इससे उल्टी बात हुई। संयुक्त राज्य अमरीका के उत्तरी भाग में औद्योगिक विकास हुआ, इसके साथ ही दक्षिणी भाग में गुलामों के मालिकों ने विद्रोह की तैयारी की। १८६१ में लिकन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राष्ट्रीय विघटन को कैसे रोकें। गुलामों के मालिक गुलामों के साथ राष्ट्र को भी अपनी जायदाद समझते थे। यह जायदाद उनके हाथ से निकलकर अब उद्योगपतियों के हाथ में जा रही थी। यह बात उन्हें पसन्द न थी; नतीजा यह कि अमरीका में गृह-युद्ध शुरू हो गया। दासप्रथा औद्योगिक विकास के लिए कितनी हानिकारक थी, यह गृह-युद्ध से साबित हो गया। दो बार अमरीकियों की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, इस बार अमरीकियों में आपस में ही टन गई। कहा जाता है कि यह युद्ध दासों को स्वाधीन करने के लिए हुआ था किन्तु नीग्रो लोग जब राष्ट्रीय-फौज में भरती होना चाहते थे, तो उन्हें भरती न किया जाता था। कई जगह वे भागकर राष्ट्रीय-फौज के सेनापतियों की दारण में आये। उनसे फौज के लिए सिद्धमतगारी कराई गयी। अन्यत्र उन्हें वापस मालिकों के पास भेज दिया गया। केंद्रीय सरकार की नीति निश्चित नहीं थी, इसलिए हर सेनानायक जो ठीक समझता था, करता था। अमरीका में ज़मीन की कमी न थी पर भागे हुए अश्वेतों को बसाने के लिए गोरे उन्हें ज़मीन देने को तैयार न थे। उत्तरी भाग के

असवारो ने काले आदिमियों के खिलाफ जहर उगलनेवाले लेग लिम्बे । इन लेगों में नीग्रो लोगों द्वारा गोरी स्त्रियों के साथ बलात्कार की कहानियों को विशेष स्थान दिया गया । फ्रंकलिन के अनुसार, "युद्ध के दौरान बहुत से उत्तरी ममाजों में नीग्रो जनों के प्रति शत्रु-भाव दरअसल और भी बढ़ गया ।" (पृष्ठ २७८)।

वर्गभेद तो हर पूजीवादी ममाज में होता है किन्तु उसके साथ रंगभेद को उत्पीड़न का साधन बनाना अमरीकी पूजीवाद की विशेषता है । दामप्रथा के चलन से राष्ट्रीय एकीकरण में कठिनाई हुई, वर्गों के आंतरिक गठन में भी कठिनाई हुई । गृह-युद्ध के दौरान काले आदिमियों के प्रति शत्रुभाव, मन्वे स्पष्ट रूप में, उत्तरी भाग के गोरे मजदूरों में देगा जाता था । उन्हें भय था कि आजाद होने वाले गुलाम उत्तरी भाग में आकर उनमें होड़ करेंगे और उनकी पगार घट जायेगी । कई जगह पगार बढ़ाने के लिए गोरे मजदूरों ने हड़ताल की । उनके मालिकों ने बिना सकोच के हड़ताल तोड़ने के लिए काले मजदूर भरती कर लिये । नतीजा यह कि कई जगह गोरे और काले मजदूरों में लड़ाई हुई, कई जगह दंगे हुए और गोरे मजदूरों ने काले मजदूरों के घर जला दिये । फ्रंकलिन के अनुसार "नीग्रो जनों के प्रति यह शत्रुभाव युद्ध के अन्त तक बना रहा और उसी से नीग्रो जनों के प्रति भेदभाव बरतने वाली नीति पैदा हुई जिसे बीनवी सदी में अनेक उत्तरी नगरों ने अपना लिया ।" (पृष्ठ २७६) ।

अफ्रीका से लाये हुए काले आदिमियों के जीवन में अंग्रेजों ने जो सामाजिक क्रान्ति की, उसका यह रूप था ।

५. व्यापार, बाजार और जनसंहार

व्यापार का प्रसार, बड़े-बड़े बाजारों का कायम होना पुराने उद्योग-धन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए आवश्यक है किन्तु इस सबके लिए अन्य देशों में जाकर नर-संहार करना, वहाँ के उद्योग-धन्धों को तबाह करना सामाजिक विकास की अनिवार्य शर्त नहीं है । यूरोप में प्राचीन यूनान के व्यापारियों ने जहाजरानी में भारी प्रगति की थी । उन्होंने भूमध्यसागर के द्वीपों और तटवर्ती प्रदेशों में मानव सम्पत्ता के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया । उन्होंने बड़े पैमाने पर मुनाफे के लिए माल तैयार किया और उसे बेचकर समृद्ध हुए । उत्पादन में दासों से वे भी काम लेते थे किन्तु इंग्लैंड की तरह दासों का व्यापार यूनान के लिए मुनाफे का मुख्य साधन न था । इसके सिवा उनके यहाँ दास दस्त-कारी के केंद्रों में बिकाऊ माल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किये जाते थे किन्तु अंग्रेजों ने उनका उपयोग मुख्यतः उपनिवेशों में गन्ना, कपास आदि की खेती के लिए किया । इसी तरह रोमन लोगों ने यूरोप के देशों में व्यापार के लिए यातायात के साधनों का विकास किया, इंग्लैंड में उनकी बनाई हुई सड़कों के अवशेष डेढ़ हजार साल तक विद्यमान थे । उनके यहाँ भी दासप्रथा का चलन था । वे खेती के लिए भी दासों का उपयोग करते थे । यूनानी और रोमनों ने जो व्यापारिक क्रान्ति की, उसमें उन्होंने कहीं भी उस तरह नर-संहार नहीं किया जैसा कि इंग्लैंड और स्पेन के व्यापारियों ने अमरीका में किया । स्पेन और इंग्लैंड की व्यापारिक क्रान्ति

यूनान और रोम की व्यापारिक क्रान्ति से जितना परिमाण की दृष्टि में बड़ी है, उतना आंतरिक गठन की दृष्टि में नहीं।

यूनान की संस्कृति का नाश मध्य और पूर्वी यूरोप के हमलावर कबीलों ने किया। इनमें मखदूनिया के फिलिप और उसके बेटे सिकन्दर की भूमिका मुख्य थी। इंग्लैंड के प्रगतिशील बुद्धिजीवी प्राचीन यूनान को अपना गुरु मानते थे; इंग्लैंड के साम्राज्यवादी यूनान के शत्रु सिकन्दर को महान् की उपाधि से विभूषित करते थे। यूनान का विनाश सुसंस्कृत ऐयेन्स और उसके असंस्कृत शत्रुओं के आपसी युद्ध के कारण भी हुआ। फिर रोमनों ने यूरोप पर अधिकार कर लिया। मूलभूमि में ह्रास होने पर भी भूमध्यसागर के उपनिवेशों में ग्रीक सभ्यता फूलती-फूलती रही। अरबों के अभ्युदय काल तक प्राचीन हितियों के जिस प्रदेश में तुर्की नाम का राष्ट्र है, उसमें यूनानियों का राज्य बना हुआ था। अरब इसका नाश करने में असफल हुए। उसका नाश करने में तुर्क सफल हुए। रोमन सभ्यता बहुत मौलिक नहीं थी; उसका विकास यूनानी सभ्यता के आधार पर हुआ था किन्तु रोमनों में इतनी समझ तो थी कि यूनानी सभ्यता में सीख सकें और उसका नाश न करें। रोमन सभ्यता का नाश करने में मध्य यूरोप के बर्बर कबीलों की भूमिका प्रमुख थी। ऐसी ही भूमिका अमरीका में गोरे व्यापारियों की थी।

यह उल्लेखनीय है कि यूनानियों और रोमनों ने अन्य देशों में जाकर धर्म के नाम पर दूसरों को नहीं मारा। यह काम अरबों और तुर्कों ने किया; उनके बाद यही काम स्पेन, पुर्तगाल और इंग्लैंड ने किया। जब रोम ईसाई धर्म का गढ़ बना, तब रोमन साम्राज्य और उसके साथ यूरोप ने अधिकार युग में प्रवेश किया। व्यापारिक क्रान्ति के साथ धर्म के नाम पर जनसंहार हो, लोगों को धर्मपरिवर्तन के लिए विवश किया जाये, सामाजिक विकास का ऐसा कोई नियम नहीं है। यूरोप में १४वीं सदी में जो नवजागरण आरम्भ हुआ, उसकी मुख्य प्रेरणा यूनान और रोम का पुराना साहित्य था। इंग्लैंड में १६वीं सदी से आरम्भ करके १९वीं सदी में डार्विन के जमाने तक जितना भी ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ, उतना ही धार्मिक अंधविश्वासों से भी संघर्ष हुआ। इसके विपरीत इंग्लैंड का व्यापारी वर्ग धार्मिकता का झंडा लिये घूम रहा था।

भारत में अशोक और समुद्रगुप्त के युगों में और बाद को भी मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में व्यापार के साथ सभ्यता का प्रसार हुआ। किन्तु इ प्रसार में कभी भी उस तरह नरसंहार नहीं हुआ जिस तरह अमरीका में हुआ। वास्तव में नरसंहार और व्यापार दो परस्पर विरोधी वस्तुएँ हैं। किसी देश उजाड़ दिया जाये तो उसमें व्यापार कैसे किया जायेगा? वहाँ का कच्चा माल ही खरीदना हो और अपना पक्का माल बेचना हो, तो भी खरीदनेवाले होने चाहिए। पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैंड ने १६वीं और १७वीं सदियों में जो उथल-पुथल की, विश्ववाजार कायम करने और व्यापार की प्रगति में कितनी सहायता मिली। दिन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यदि जंगल में रहने वाले कुछ गांव में आकर लूट-पाट करें और आने-जाने के मार्ग निश्चित करें, तो यह भी को गांव से जोड़ना हुआ। कुछ ऐसा ही सम्बन्ध यूरोप वालों ने अमरीका, अ

विश्ववाजार और भारत

और एशिया में कायम किया था। एशिया के अनेक प्रदेशों को वे वीरान बना रहे थे, अफ्रीका में लोगों को हटाकर उनका भूमि पर चम गये थे। इंग्लैंड के इजारेदार के निवासियों को हटाकर उनकी भूमि पर चम गये थे। इंग्लैंड के इजारेदार व्यापारी अपने ही उपनिवेशों के व्यापारिक विकास पर रोक लगाये हुए थे, उनके औद्योगिक विकास के वे परम शत्रु थे। गृह इंग्लैंड के भीतर वे उद्योग-धन्यो की प्रगति की राह में बहुत बड़ी बाधा बन गये थे। भारत के व्यापार का इजारा जब तक एक कम्पनी के हाथ में रहा, तब तक स्वयं इंग्लैंड के व्यापारिक विकास में रुकावट रही। जब हिन्दुस्तान के कारीगर और किमान मुसमरी में तबाह हुए, तब इंग्लैंड के तैयार माल के उतने ही खरीददार कम हुए। जिम देश में ज्यादातर लोग भूलें और नगें हों, उममें मैचेन्टर और लिवरपूल का बना हुआ माल बहुत ही सीमित मात्रा में बिक सफलता था। अंग्रेज व्यापारियों की इजारेदारी अपने ही देश में व्यापार और उद्योग-धन्यो के विकास में बाधा बन गई थी। विभिन्न देशों के इजारेदार अपने जन्मकाल में आपस में बराबर लड़ते रहे थे, उममें विश्व-बाजार में जो अव्यवस्था फैली, व्यापार की प्रगति में यह अन्य बहुत बड़ी बाधा थी।

६. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और ऐडम स्मिथ

इंग्लैंड के कारखानों में जैसे-जैसे मशीनों का व्यवहार बढ़ा, वैसे-वैसे कारखाने-दारों की ओर से इजारेदार व्यापारियों की आलोचना भी बढ़ी। इस आलोचना का सारतत्व यह था कि व्यापारिक इजारा खत्म होना चाहिए क्योंकि वह व्यापार की प्रगति में बाधक है, स्वच्छन्द व्यापार के बिना उद्योग-धन्यो का मुक्त विकास सम्भव नहीं है। इस आलोचना का लक्ष्य इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कम्पनी भी थी। यह कम्पनी इंग्लैंड के ही औद्योगिक विकास में बाधक थी, भारत के औद्योगिक विकास में वह भला क्या सहायक होती ?

उक्त आलोचना को व्यवस्थित रूप देने वाले, इंग्लैंड में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता ऐडम स्मिथ थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी और इजारेदार व्यापारियों की जो आलोचना की है, वह भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका समझने में सहायक है। उनकी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' १७७६ में प्रकाशित हुई थी। एडविन कैनन ने पुस्तक का सम्पादन करके १९०४ में उसे फिर प्रकाशित किया था। १९३० में पाचवा सस्करण निकला; उसके दूसरे खंड से उक्त आलोचना का सारांश मैं नीचे दे रहा हूँ।

अफ्रीका और ईस्ट इंडीज में यूरोप वालों ने काफी बस्तिया बसा ली, किन्तु वे न तो वैसे घनी आबादी हैं जैसी अमरीकी महाद्वीप और सायबेरिया के द्वीप-समूह हैं और न वैसे समृद्धि है। जिन अनेक देशों को ईस्ट इंडीज का सामान्य नाम दिया गया है, उनमें तथा अफ्रीका में बवंर जातिया रहती थीं। ये जातिया वैसे श्रेष्ठ और असहाय न थीं जैसी असहाय और निरुपाय अवस्था में अमरीकी आबादी थी। उनकी भूमि जितना उपजाऊ थी, उतना ही आबादी घनी थी। अफ्रीका और पौरू को छोड़कर अमरीकी आदिवासी आर्सेटजीवी थे। इसलिए भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

अफ्रीका और ईस्ट इंडीज में वहाँ के निवासियों को हटाकर उनकी भूमि पर खेती कराना यूरोप वालों के लिए ज्यादा मुश्किल था। (पृष्ठ १३३-३४) (ऐडम स्मिथ के विवेचन का महत्व यह है कि उन्होंने यह बात लक्ष्य की कि जहाँ विरोध प्रबल था, वहाँ आदिवासियों की भूमि छीनने में यूरोप वालों को कठिनाई हुई। जहाँ जैसा प्रतिरोध हुआ, उमी के अनुरूप वहाँ कम या अधिक यूरोपियों की सत्ता कायम हुई। और उनका लक्ष्य था दूसरों की जमीन छीनना।)

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह एक डच कम्पनी थी। इसने ईस्ट इंडीज पर अधिकार किया था। वहाँ के द्वीपों में गरम मसाला यूरोप भेजा जाता था। यूरोप में जितना मसाला विकने की सम्भावना होती थी, उसके हिसाब से डच व्यापारी पीछे बने रहने देते थे; जितने पीछे उनकी निगाह में फालतू होते थे, उन्हें बे जला देते थे। उन्हें डर यह था कि देशी लोग फालतू माल बेच लेंगे और मुनाफा कमायेंगे। "उन्होंने सोचा कि अपना इजारा बनाये रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उपज उनकी ही होने दी जाये जितनी वह खुद बाजार में ले जा सकें, उससे अधिक नहीं। उत्पीड़न के अनेक तरीकों द्वारा उन्होंने कई मलाका द्वीपों की आबादी घटाकर उतनी कर ली है जितनी उनकी अपनी छोटी-सी छावनियों के लोगों को ताजा सामान और जिन्दगी की दूसरी चीजें पहुँचाने के लिए काफी हो, और मसाने देने वाले उनके जहाज कभी-कभी वहाँ आ जाते हैं, उनके लिए भी सामान पहुँचाने को काफी हो। कहा जाता है कि पुर्तगालियों की हुकूमत में भी इन द्वीपों में खासी आबादी थी। बंगाल में अंग्रेजी कम्पनी को अभी ऐसी विनाशकारी व्यवस्था कायम करने का समय नहीं मिला किन्तु उनकी सरकार की योजना का शुक्राव ठीक इसी तरह का है। मुझे विश्वास है कि फौजदारी का सबसे ऊपर वाला नलक सरदार का काम करना है। उसके लिए यह बात अमाधारण नहीं है कि किसान को हुकुम दे कि पोस्ते के पीछों में लहलहाते खेत को जोन डालो और उसमें धान या कोई और अनाज बो दो। वहाना यह था कि अन्न की कमी न हो; असली कारण यह था कि सरदार के पास बहुत सी अफीम जमा थी और वह चाहता था कि उसे ऊँचे भाव बेचे। अन्य अवसरों पर इससे उल्टा हुकुम दिया गया। धान या किसी दूसरे अनाज का लहलहाता खेत जुलवा डाला गया जिससे कि उसमें पोस्ता बोया जाय। ऐसा तब होता है जब सरदार देखता है कि अफीम से भारी मुनाफा मिलेगा।" (पृष्ठ १३५)। (डच और अंग्रेज अपने इजारे की रक्षा के लिए उत्पादन बढ़ाने के बजाय उस पर रोक लगा रहे थे। २०वीं सदी में यही प्रवृत्ति बहुत बड़े पैमाने पर देखी गयी। अफ्रीका जैसे देशों के इजारेदार पूँजीपति उत्पादन पर रोक लगाते थे, फालतू माल नष्ट कर देते थे, उद्देश्य यह कि मुनाफे में कमी न होने पाये। इजारे की प्रवृत्ति पूँजीवाद के अम्मुदयकाल में मौजूद थी, उसके साथ पैदावार को रोकने और उसे नष्ट करने की प्रवृत्ति भी मौजूद थी। व्यापारिक पूँजीवाद के प्रतिनिधि, अंग्रेज पुर्तगाली या डच, जिन देशों में पहुँचे, उनमें उन्होंने मूल निवासियों का विनाश करना शुरू किया। तरीके अलग-अलग थे, नतीजा मिलता-जुलता था। जहाँ प्रतिरोध अधिक हुआ, वहाँ विनाश कम हुआ, जहाँ प्रतिरोध कमजोर था, वहाँ

विनाश बड़े पैमाने पर हुआ। इस समय भारत के लोगों के सामने समस्या यह नहीं थी कि अंग्रेजों की सहायता से अपने यहां उत्पादन में तब्दीली कैसे करें। उनके सामने समस्या यह थी कि अंग्रेजों से प्राण-रक्षा कैसे करें, देश की आवादी के पूरी तरह मिट जाने को कैसे रोकें।)

ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार की एक विशेषता यह थी कि कम्पनी के मालिकों के अलावा उनके अंग्रेज नौकर इजारेदारी से फायदा उठाकर अपना निजी व्यापार अलग चलाते थे। ऐडम स्मिथ ने लिखा कि कई बार कम्पनी के नौकरों ने भारत के विदेश व्यापार की ही नहीं, उसके भीतरी व्यापार की भी सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं पर अपना इजारा कायम करने का प्रयत्न किया था। उन्हें अपने इस काम में छूट मिल जाती तो यह असम्भव है कि जिन चीजों पर इनका इजारा होता, उनकी उपज पर वे रोक न लगाते। वह उतनी ही उपज होने देते जितनी वह खुद बेच पाते। एक-आध शताब्दी में अंग्रेजी कम्पनी की नीति पूरी तरह वैसे ही विनाशकारी सिद्ध होती जैसे डच कम्पनी की नीति हो चुकी थी। ये कम्पनियाँ जिन देशों में काम करती हैं, उन देशों की प्रमुखता इनके हाथ में है। जिसके हाथ में प्रमुखता होती है, उसे अपनी आमदनी जनता से प्राप्त होती है। जनता अपनी जमीन से और मेहनत से जितना ही ज्यादा पैदा करेगी, उतना ही सत्ताधारी की आमदनी बढ़ेगी। सत्ताधारी के हित में है कि वह सालाना पैदावार को भरसक बढ़ने दे। बंगाल के सत्ताधारी की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान है। पैदावार के मूल्य और परिमाण के हिसाब से लगान निर्धारित होगा। बाजार कितना बड़ा है, इस पर लगान और पैदावार दोनों निर्भर हैं। ग्राहकों में माल की जितनी खपत होगी और वे जितना दाम दे सकेंगे, उनी के हिसाब से पैदावार होगी। सत्ताधारी का हित इस बात में है कि देश की उपज के लिए बड़े से बड़ा बाजार कायम होने दें, व्यापार करने की पूरी स्वतन्त्रता हो। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और दाम लगान में आपसी होड़ होगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी इजारे खत्म किये जायें; घरेलू उपज को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने पर जो पाबन्दियाँ हैं, वे खत्म की जायें, दूसरे देशों को घरेलू माल का निर्यात करने पर जो पाबन्दियाँ लगाई गई हैं, वे खत्म की जायें, घरेलू माल के विनिमय में जिस विदेशी माल का आयात हो सकता है, उस पर लगायी हुई पाबन्दियाँ खत्म की जायें। इस तरह उपज के परिमाण और मूल्य में बढ़ती होगी और सत्ताधारी की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन सौदागरों की कम्पनी सत्ताधारी बन जाने पर भी सत्ताधारी की तरह काम नहीं करती। प्रमुखता उसके लिए व्यापार का पुछल्ला है; उसके लिए प्रमुखता का एक ही उपयोग है कि हिन्दुस्तान में माल सस्ता खरीदे और यूरुप में ज्यादा मुनाफे पर बेचे। जिन देशों पर ऐसी कम्पनियों का अधिकार है, वे भरसक विदेशी प्रतिद्वन्दियों को बाहर रखती हैं, अपनी जरूरत से अधिक उपज को रोकती हैं। सत्ताधारी को स्याई रूप में जो बड़ी आमदनी हो सकती है, उसकी बलि देकर वह इजारे में प्राप्त अस्थायी मुनाफा बटोरता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी सत्ताधारी है, इसलिए उसके हित में है कि अपने राज्य में यूरुप का माल सस्ता बिकने दे; जो देशी माल खरीदा जाता है,

उसके लिए अच्छी से अच्छी कीमत दी जाये, उसे महँगे से महँगा बेचा जाये। किन्तु कम्पनी की सरकार का रुझान यह है कि वह इजारेदारों के हितों के अनुसार काम करती है और देश की पैदावार को बढ़ने से रोकती है। जितने हाकिम-हुक्काम हैं, लगभग सभी अपना निजी व्यापार करते हैं। दस हजार मील की दूरी पर बैठे हुए क्लर्क में इंग्लैंडवासी मालिक का कहना कि निजी व्यापार न करो, भ्रष्टता की घान है। क्लर्क को मामूली तनखाह मिलती है। दौलत बटोरकर धनी बनने के सारे साधन उसके पास हैं। वह दौलत बटोरे बिना कैसे रहेगा? मालिक का हुकुम मानने के नाम पर बड़ा नौकर अपने मातहत छोटे नौकर को दबाता है। कोशिश यह होती है कि जो इजारा कम्पनी के पास है, वह उसके नौकर के पास हो। हुकुम देकर उसे निजी धधा करने से मना किया जायेगा तो वह छिपकर वही काम करेगा जो उस देश के लिए और भी बिनाशकारी होगा। व्यापार के दौरान उसके कारिन्दों के काम में जो भी बाधा डालेगा, उसे वह हुकूमत की पूरी ताकत लगाकर तबाह कर देगा, न्याय और कानून उठाकर ताक पर रख देगा। कम्पनी का व्यापार यूरोप तक सीमित है, हिन्दुस्तान के विदेश व्यापार का थोड़ा ही हिस्सा उसके पास है। किन्तु कम्पनी के नौकरो का निजी व्यापार देश-विदेश-व्यापार की सभी शाखाओं को अपने भीतर समेट सकता है। स्वच्छन्द व्यापार हो तो अतिरिक्त उपज का निर्यात यूरोप को हो सकता है किन्तु कम्पनी का इजारा इस उपज की स्वाभाविक वृद्धि को रोकता है। कम्पनी के नौकरो का इजारा हर तरह की उपज की वृद्धि रोकता है, उसकी खपत चाहे देश में हो चाहे विदेश में, बस इजारा इन नौकरो के हाथ में होना चाहिए। "इसका नतीजा यह होता है कि सारे देश की उपज का ह्रास होता है और उसकी आबादी घटती है। हर तरह की उपज घटती जाती है। कम्पनी के नौकर अगर समझते हैं कि खाने-पीने की चीजों की खरीद-फरोहत में मुनाफा मिलेगा तो इन चीजों की उपज भी कम होगी।" (पृष्ठ १३६-३६)।

(ईस्ट इंडिया कम्पनी के इजारे का परिणाम यह था कि हर तरह की उपज की वृद्धि रोक दी जा रही थी। जो चीजें मुनाफा कमाने के लिए पैदा की जाती थी, उनके अलावा केवल जीवित रहने के लिए जो खाने-पहनने की चीजें निहायत जरूरी थीं, उनकी पैदावार भी रोक दी जा रही थी। देश की हुकूमत जहाँ भी कम्पनी के हाथ में थी, उसके अंग्रेज नौकर हर तरह के व्यापार पर अपना इजारा कायम किये हुए थे। इसका नतीजा मुफलिसी, भुलभरी का बढ़ना और आबादी का घटना था। इंग्लैंड में मातृयम जैसे पादरी यह प्रचार कर रहे थे कि विभिन्न देशों में लोगों की गरीबी का कारण आबादी का बढ़ना है। भारत की औद्योगिक उन्नति दरकिनारा, उनके आन्तरिक और विदेशी व्यापार की प्रगति में अंग्रेजी राज सबसे बड़ी बाधा था। इसके साथ कम्पनी-राज ने भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा दिया था। कम्पनी के गोरे नौकर अपना निजी व्यापार चलाकर अपने गोरे मालिकों को ठगते थे, तब उन्हें हिन्दुस्तानियों को ठगने में, उन्हें गताने और तबाह करने में क्यों मंकोच होना? अंग्रेजी राज का कानून, उसकी न्याय-व्यवस्था थोड़े से इजारेदारों का हित साधने के लिए थी। उम पर तुरा यह कि देशी राजाओं के

शासन को भ्रष्ट बताकर उगमे प्रजा की रक्षा करने के नाम पर अंग्रेज एक के बाद दूसरा इलाका लगातार हड़पते चले जा रहे थे।)

(अंग्रेजी राज के पहले दौर में ही बड़े पैमाने पर दुर्भिक्ष पड़ने लगा था। एक एक प्रदेश में मरनेवालों की संख्या लाखों तक पहुँचने लगी थी। इस तरह की भूखमरी सबसे पहले बंगाल में फैली। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले भी बंगाल में ही सबसे ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हुए।) ऐडम स्मिथ ने लिखा था कि जिन देशों में लोग ज्यादातर चावल खाते हैं, उनमें सूखा पड़ने से, दूसरे देशों को देखते, ज्यादा नुकसान होता है। किन्तु चावल खाने वाले देशों में भी स्वच्छन्द व्यापार का चलन हो तो सूखा पड़ने से भूखमरी का फैलना अनिवार्य नहीं है। "कुछ साल पहले बंगाल में जो सूखा पड़ा, उससे अन्न की भारी कमी हो सकती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी के नौकरों ने चावल के व्यापार पर कुछ गलत पावन्दिया लगाई, कुछ गलत कायदे बनाये, उससे शायद अन्न की कमी ने भूखमरी का रूप ले लिया।" (पृष्ठ २८)। (यहाँ ऐडम स्मिथ ने हर रोग की औपधि के लिए स्वच्छन्द व्यापार का नाम लिया है। व्यापारी और सरकार दोनों मिलकर जनता को भूखा मारते हैं, यह १९४३ में जाहिर हो गया। पुस्तक के पहले खंड में ऐडम स्मिथ ने बंगाल की भूखमरी के बारे में कुछ अधिक विस्तार से लिखा था। चीन, भारत और अमरीका के अंग्रेजी उपनिवेश, ये तीन भिन्न प्रकार के देश थे। इन तीनों की हालत अलग-अलग तरह की थी। अमरीकी उपनिवेशों में खुद अंग्रेज बसे हुए थे। उनके साथ कुछ अन्य गोरी जातियों के लोग थे पर इनमें सबसे ज्यादा सख्या अंग्रेजों की थी। चीन साम्राज्यवादी प्रभाव-क्षेत्र में था किन्तु वहाँ यूरोप वालों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था। भारत पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। अमरीकी उपनिवेश तेजी से प्रगति कर रहे थे। चीन में प्रगति रुकी हुई थी। भारत भूखमरी का सामना करता हुआ प्रगति पथ पर रुके रहने के बदले तेजी से पीछे की लौट रहा था। ऐडम स्मिथ ने पहले खंड में, इस सदर्म में, जो कुछ कहा है, उसका सारासा आगे देते हैं।)

बहुत समय से चीन संसार के अत्यन्त उपजाऊ और धनी देशों में रहा है। वहाँ के लोग गैरी और दस्तकारी में दक्ष थे और आबादी घनी थी। किन्तु ऐसा लगता है कि वह बहुत दिनों से ठहराव की हालत में है। यात्रियों के वृत्तान्त तरह-तरह हैं पर उनमें एक बात सामान्य है कि मेहनत करने वालों को बहुत ही कम पैसा मिल जाता है। दिन-भर जमीन खोदने के बाद शाम को मुट्ठी भर चावल खरीदने पर पैसा आदमी को मिल जाये तो वह गन्नोप कर लेता है। कारीगरों की मजदूरी भी खराब है। काम की तलाश में अपने औजार लिये वे सड़क पर निकल जाते हैं। यूरोप की गृह-युद्धों की जातियों की तुलना में निम्नवर्ग के जहाज में जो भी गढ़ी-गली चीजें फेंकी जायें, वे लपकने दौड़ते हैं। मुर्दा नियाँ की हालत कहीं ज्यादा खराब है। माने की कमी है कि यूरोप में मरा हुआ कुत्ता या मरी हुई बिल्ली का मांस गड़कर गंधाने लगा हो, तो उसे खा जाते हैं। ब्याह कम उम्र में होना है और बड़े-बड़े शहरों में बच्चे मारे-मारे फिरोते मर जाते हैं या पिल्लों की तरह पानी में डुबाकर मार

रत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

डाने जाने हैं। उन्हें डुबाकर मारने में कुछ लोगों की जीविका तक चलती है। "यद्यपि चीन शायद ठहराव की हानि में है किन्तु ऐसा नहीं लगता कि वह पीछे को लौट रहा है। वहाँ के गहर नौगो के भाग जाने में वीरान नहीं हो गये। सेती की जमीन ध्यान न देने में ऊगर नहीं बन गई। हर साल जितनी मेहनत जरूरी हो, लगभग उतनी मेहनत की जाती है। मेहनतियों का पेट पालने के लिए जितनी धन-राशि दरकार है, उसमें कोई कटने-मुनने लायक कमी नहीं होती। इसलिए अन्न-वस्त्र की कमी के बावजूद मद्यमें निचले दर्जे के मजदूर भी किमी न किमी तरह मन्नान पैदा करने और उसे पालते जाते हैं जिममें कि उनकी संख्या में कमी नहीं होती।" (पृष्ठ ७३-७४)।

चीन में भिन्न भारत जैसे देशों की लक्ष्य करके ऐटम स्थिती आगे कहते हैं, "किन्तु जिन देश में मेहनतियों की जीविका के लिए निश्चित की हुई धन-राशि में कटने-मुनने लायक कमी होनी जाये, उसकी हालत दूररी होगी। विभिन्न प्रकार के कामों में मेहनतियों और मद्यको की माग माल-दर-माल कम होती जायेगी। जिन लोगों का लालन-पालन ऊंचे वर्गों में हुआ था, उन्हें अपना धन्धा न मिलने पर निचला काम करने में रूझी होगी। निचले वर्ग में उमी के मेहनती भरे होंगे; जब दूररी वर्गों के लोगों की बाढ़ उममें आ मिलेगी तो काम पाने के लिए ऐसी खबरदस्त होड़ होगी कि मेहनती की पगार बेहद कम हो जायेगी और उसे अन्न-वस्त्र के लालि पड़ जायेंगे। बट्टनों को ऐसी कठिन शर्तों पर भी काम न मिलेगा; वे या तो भूखों मरेंगे या पेट के लिए भीत मांगेंगे या फिर शायद भारी अपराध करेंगे। मुफलिगी, भुगमरी और अकाल मृत्यु का प्रसार पहले निचले वर्ग में होगा, और वहाँ में ऊगर वाले वर्गों में फैलेगा; देश में जो भण्डार और आमदनी बचेगी, उसमें जितने लोगों का पेट पाला जा सके, उतने ही जियेंगे; जिन अत्याचार या मुसीबत ने दूसरों का नाश कर दिया, उससे जो बच गये सो बच गये, बाकी मरेंगे और आवादी घटेगी। वर्तमान काल में बंगाल की, और ईस्ट इंडीज के कुछ अन्य अंग्रेजी राज्यों की, शायद लगभग यही हालत है। जो देश उपजाऊ हो, जहाँ की आबादी पहले ही काफी घट चुकी हो, इसके फलस्वरूप जहाँ खाने-पीने की चीजें मिलना बहुत मुश्किल न होना चाहिए, इसके बावजूद जहाँ एक साल में तीन-चार लाख आदमी भूख में मर जाते हों, वहाँ इसमें सन्देह न होना चाहिए कि गरीब मेहनतियों की जीविका के लिए निश्चित धन-राशि में तेजी से कमी होती जा रही है। ब्रिटिश-संविधान के अनुसार उत्तरी-अमरीका का शासन चलता है और संविधान उसकी रक्षा करता है। इधर सौदागरो की कम्पनी ईस्ट इंडीज को दबाये हुए है और वहाँ के लोगों का उत्पीड़न करती है। दोनों तरह के शासन में जो तात्त्विक अंतर है, उसे समझने का शायद दसने अच्छा और तरीका नहीं है कि दोनों देशों की हालत का फर्क देखा जाये। थम का उदार पुरस्कार राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि का अनिवार्य परिणाम है, जगका स्वाभाविक लक्षण भी। गरीब मेहनतियों को पेट पालने के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, यह इस बात का स्वाभाविक लक्षण है कि स्थिति में ठहराव आ गया है। यदि गरीब मेहनती भुखमरी के शिकार हैं तो यह इस बात का स्वाभाविक लक्षण है कि देश तेजी से

पीछे को लौट रहा है।" (पृष्ठ ७४-७५)।

(एडम स्मिथ ने धिगस आर ऐट ए स्टैंड लिखा है; इसके लिए मैंने अनुवाद में स्थिति में ठहराव आना लिखा है। जहा गरीब मेहनती मुखमरी के शिकार हैं, वहा दे आर गोइन्ग फास्ट बैकवर्ड्स लिखा है। यहा सर्वनाम दे पूर्ववाक्यांश के धिगस के लिए आया है। परिस्थिति बदलकर पीछे को लौट रही है। भाव यह कि देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे को जा रहा है। एडम स्मिथ को अभिमान था कि ब्रिटिश सविधान के कारण अमरीकी उपनिवेशों के लोग सुखी है। इन सुखी लोगों में वहा के आदिवासियों और काले दासों की गिनती न थी। किन्तु अंग्रेज और उनके साथी गोरे भी ब्रिटिश सविधान से कितना प्रमन्न है, यह बहुत जल्दी उस लड़ाई से जाहिर हो गया जो वे इंग्लैंड से लडे, लडे और जीते भी। किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका के ऊपर कनाडा नामक उपनिवेश है। वहा के संविधान में अव भी ब्रिटिश-पार्लियामेंट की आज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अमरीकी उपनिवेश क्यों लडे, इंग्लैंड द्वारा कायम किये हुए विश्वबाजार में उन्हें कौन दुख था, यह एडम स्मिथ के ही दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जाता है।) ग्रन्थ के दूसरे खंड में एडम स्मिथ ने बताया है कि अपने उपनिवेशों के व्यापार के प्रति इंग्लैंड की उदारता इतनी ही है कि उनके बाजार में उनका कच्चा माल या ऐसा माल जो आधा ही तैयार हुआ है विक्रि सके। (आशय यह है कि अमरीकी कारखानों में बना हुआ माल इंग्लैंड में न विकेगा। जिस माल की जरूरत इंग्लैंड के कारखानों को होगी, वही माल खरीदा जायेगा, चाहे वह सीधा खेत से उठाकर भेज दिया गया हो, चाहे उसका थोडा परिष्कार हुआ हो।) जो परिष्कृत माल है, उपनिवेशों में उसका उत्पादन ब्रिटिश व्यापारियों और कारखानेदारों ने अपने हाथ में रखा है। उपनिवेशों में उसके उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित न हो, इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट से भारी चुगी लगवा दी है या फिर सीधे निषेधाज्ञा जारी करवा दी है। (पृष्ठ ८२)।

एडम स्मिथ ने आगे लिखा है कि ब्रिटेन लोहे के उत्पादन के लिए अमरीकियों को प्रोत्साहन देता है किन्तु उन्हें इस्पात के कारखाने लगाने की पूरी मनाही है। (इसका मतलब यह है कि इस्पात खरीदना हो तो अमरीकी उसे पृष्ठ ८३)। (इसका मतलब यह है कि इस्पात खरीदना हो तो अमरीकी उसे लैंड से ही खरीद सकते हैं। ऊनी कपड़ों के घरेलू व्यापार पर जो पाबन्दी लगाई थी, वह और भी विचित्र थी।) एक अमरीकी सूबे से दूसरे सूबे तक जलमार्गों सड़कों से ऊनी सामान ले जाने पर ब्रिटेन ने पाबन्दी लगा दी थी। इसकी वजह र विक्रि सकने वाली चीजों के उत्पादन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। अमरीकी उपनिवेश अपने उद्योग-धन्धों से वैसी मोटी-शोटी, घरेलू चीजें ही विक्रि सकते थे जैसी चीजें कोई भी कुनवा आमतीर से अपने इस्तेमाल के लिए है। (अंग्रेजों ने अपने ही अमरीकी भाइयों के औद्योगिक विकास पर रोक थी। भारी उद्योग-धन्धों का तो गवाल ही न था, वे जो ऊनी माल तैयार कर सकते थे, उमे भी वे एक सूबे से दूसरे सूबे में न भेज सकते थे। इस तरह उनका बाजार भी विक्रिगत न हो सकता था।) फ्राग के विपरीत इंग्लैंड के गन्ना-उपनिवेश कच्ची शक्कर को परिष्कार न कर सकते थे। (पृष्ठ ८७)।

रत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

(इसका अर्थ यह है कि कच्ची शक्कर के परिष्कार का इजारा भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा था। फ्रांस के व्यापारियों ने अपने उपनिवेशों को अधिक मुक्ति दी थी। अमरीका में गेती लायक भूमि काफी थी। इंग्लैंड औद्योगिक विकास करे और अमरीकी उपनिवेश मुख्यतः खेती करें, ऐडम स्मिथ को यह बात अन्यायपूर्ण तो मालूम होती थी किन्तु अमरीका के लिए हानिकारक न जान पड़ती थी।) उपनिवेशों के व्यापार ने यूरुप के कारखानों में बने माल के लिए नया बाजार खोल दिया। सभी नये उपनिवेशों का उपयुक्त धन्या खेती है। ज़मीन मस्ती है, इसलिए और धन्यों से यह धन्या लाभकारी है। जितने काम करने वाले लोग हैं, सब खेती में लगे रहते हैं। कारखानों में बना हुआ माल दूसरे देशों से खरीदने में सस्ता पड़ता है। यह माल खरीदकर उपनिवेशों का व्यापार खेती को प्रोत्साहन देना है। (पृष्ठ १०६-११०)। (स्पष्ट ही अमरीकी लोग इस स्थिति से सन्तुष्ट न थे। वे ब्रिटिश कारखानों का माल खरीदने वाले, ब्रिटेन को कच्चा माल भेजने वाले खेतिहर देश के नागरिक बने रहने को तैयार न थे। अमरीका के उद्योगीकरण में इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति बाधक न थी, बाधक थी राजशक्ति। अमरीकी उपनिवेशों के मालिक इंग्लैंड में रहते थे। वे राजशक्ति का उपयोग अपने उद्योग-धन्यों, अपने व्यापार के विकास के लिए कर रहे थे। जब तक अमरीकी उपनिवेश स्वाधीन न हो जायें, तब तक वे औद्योगिक प्रगति न कर सकते थे। लड़ाई के बिना अंग्रेज उन्हें आज़ादी देने को तैयार न थे। अमरीका के आर्थिक विकास के लिए स्वाधीनता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। स्वाधीनता के लिए अमरीकियों ने इंग्लैंड से युद्ध किया और विजयी हुए। नतीजा यह कि कुछ समय बाद आर्थिक प्रगति में अमरीका इंग्लैंड से बहुत आगे बढ़ गया। भारत में अंग्रेजी राज की भूमिका समझने के लिए अमरीकी इतिहास का यह अध्याय अत्यन्त शिक्षाप्रद है।)

(भारत की आवादी घट रही थी और अमरीकी उपनिवेशों की आवादी बढ़ रही थी। दोनों पर इंग्लैंड का शासन था किन्तु जहाँ अंग्रेजों ने अपनी वस्तियाँ बसा रखी थी, वे 'उपनिवेश' थे। वहाँ के ग़ोरे निवासियों की स्थिति भारतवासियों की स्थिति से बिलकुल भिन्न थी। भारत 'पराधीन देश' था। 'पराधीन देश' की हालत 'उपनिवेश' के मुकाबले बहुत खराब थी। स्वाधीन होने से पहले भी अमरीका तेज़ी से समृद्ध हो रहा था। अपने ग्रन्थ के पहले खंड में ऐडम स्मिथ ने लिखा है :) यद्यपि उत्तरी अमरीका उतना धनी नहीं है जितना इंग्लैंड, फिर भी वह तेज़ी से समृद्ध हो रहा है। किसी देश की समृद्धि का अच्छा लक्षण उसके निवासियों की संख्या वृद्धि है। यूरुप के अधिकांश देशों में तथा ब्रिटेन में आबादी पांच सौ माल में दुगुनी होती है। उत्तरी अमरीका के ब्रिटिश उपनिवेशों में वह बीस-पच्चीस साल में दुगुनी हो जाती है। जो लोग बुढ़ापे तक जीते हैं, अक्सर अपने परिवार में पचास से सौ तक वंशज देखते हैं। मेहनत करने पर इतना पैसा मिलता है कि बच्चे भार-स्वरूप न होकर समृद्धि का कारण बनते हैं। किसी विधवा के चार-पांच बच्चे हों और वह अभी जवान हो, तो पुरुष उम्र में विवाह करने को आतुर हो जाते हैं। उत्तरी अमरीका में आमतौर से लोग कम उम्र में शादी करते हैं। इस तरह ब्याह करने से बच्चे अधिक होते हैं, फिर भी यह

शिकायत बनी रहनी है कि काम करने वालों की कमी है। (पृष्ठ ७२-७३)।

(यद्यपि ऐडम स्मिथ ने माना है कि चीन ठहराव की हालत में है और अंग्रेजी राज कायम होने के बाद भारत ठहराव से भी बदतर हालत में है, वह पीछे को लौट रहा है, फिर भी पुरानी व्यवस्था में यहाँ की जनता सुखी थी, यह बात वह जानते थे। ग्रन्थ के दूसरे खंड में उन्होंने लिखा है :) प्राचीन मिस्र और हिन्दुस्तान, दोनों देशों की सरकार खेती की ओर विशेष ध्यान देती थी। मिस्र के राजाओं ने नील नदी के पानी के समुचित वितरण के लिए जो निर्माण-कार्य किया था, वह प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, यात्री उसके अवशेष देखकर अब भी प्रशंसा करते हैं। गंगा तथा अन्य नदियों के पानी के समुचित वितरण के लिए उसी तरह का निर्माण-कार्य प्राचीन काल में हिन्दुस्तान के राजाओं ने किया। वह उतना प्रसिद्ध नहीं है किन्तु लगता है कि वह भी उतना ही महान् था। इसी कारण दोनों देश अपनी उपजाऊ शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं यद्यपि वहाँ जब-तब सूखा पड़ता रहा था। दोनों में घनी आबादी थी, फिर भी साधारण समृद्धि के वर्षों में वे अपने पड़ोसियों को भारी मात्रा में अनाज का निर्यात करते थे। मिस्र और हिन्दुस्तान, दोनों ही देश अतिरिक्त उपज के निर्यात के लिए दूसरे देशों की जहाज़रानी पर निर्भर रहे होंगे। इससे बाज़ार संकुचित रहा होगा और अतिरिक्त उपज के लिए प्रोत्साहन न मिला होगा। प्राचीन मिस्र और हिन्दुस्तान, दोनों के विदेशी बाज़ार के संकुचित होने में जो कमी हुई थी, वह बहुत कुछ घरेलू जलमार्गों में प्राप्त होने वाली यातायात की सुविधा से दूर हो गई थी। इससे इन देशों के सुदूर प्रान्तों की उपज के लिए, अत्यन्त लाभकारी ढंग में, समूचा घरेलू बाज़ार सुलभ था। हिन्दुस्तान के विशाल क्षेत्रफल ने भी उस देश के घरेलू बाज़ार को बहुत बड़ा बना दिया था। यह बाज़ार बहुत तरह के औद्योगिक माल की खपत के लिए काफी था। हिन्दुस्तान का बगाल प्रान्त आमतौर में चावल का निर्यात सबसे ज्यादा करता था। वह बहुत तरह के औद्योगिक माल के लिए भी विख्यात रहा है। (पृष्ठ १७६-८०)। (विश्वबाज़ार कायम करने वाले अंग्रेजों ने भारत का व्यापार ही नष्ट नहीं किया, उसका घरेलू बाज़ार भी नष्ट किया। चावल का निर्यात करने वाले लोग लावों की संख्या में भूखों मरे, वह अलग।)

चीन, मिस्र और हिन्दुस्तान के राजाओं को मुख्यतः भूमि-कर से आमदनी होती थी। फसल के अनुसार उसका एक अंश उपज या द्रव्य के रूप में राजा को दे दिया जाता था। राजाओं की समृद्धि खेती पर निर्भर थी, अतः इस ओर ध्यान देना उनके लिए विलकुल स्वाभाविक था। (पृष्ठ १८१)। एशिया में भूमि-कर मिलने में वहाँ के राजा खेती की ओर ध्यान देते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज कायम होने में पहले बगाल की मुसलमान हुकूमत को उपज का पाँचवाँ हिस्सा भूमि-कर के रूप में दिया जाता था। (पृष्ठ ३२२)। ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ नौकरों ने मालगुजारी की मही दर कायम करने के नाम पर ऐसी व्यवस्था की है कि लगानबमूली में भ्रष्टाचार फैलेगा और खेती करने को प्रोत्साहन न मिलेगा। हीं मकतना है कि इससे कम्पनी के नौकरों को लाभ हो किन्तु द्रममें उग देन का और उनके मालिकों का, दोनों का नुकसान होगा।

(पृष्ठ ३२४)। इसमें मित्र हुआ कि कम्पनी के मालिक और उसके निदेशक एक बड़े साम्राज्य का शासन करने के योग्य नहीं है, उसके शासन में भाग लेने के योग्य भी नहीं। कोई भी शासक अपनी प्रजा के दुःख-सुख के प्रति इतना उदासीन नहीं हो सकता जितना सौदागरों की ऐसी कम्पनी के मालिक है। राज्य उन्नति कर रहा है या तबाह हो रहा है, उनकी नेकनामी हो रही है या बदनामी हो रही है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। पार्लियामेंट की जाच के फलस्वरूप जो नये कायदे बने, उनसे यह उदासीनता दूर होने के बदले बढ़ने ही वाली है। (पृष्ठ २४३)। (स्पष्ट है कि कम्पनी का इजारा तोड़े बिना स्वयं इंग्लैंड का औद्योगिक विकास पूरी तरह न हो सकता था। जैमे-जैमे उद्योगपति शक्तिशाली हुए, कम्पनी का इजारा कमजोर हुआ। वे स्वच्छन्द व्यापार का नारा लगा रहे थे किन्तु वे यह स्वच्छन्दता कम्पनी के मुकाबले अपने लिए चाहते थे; वे भारतीय व्यापार को वैसे स्वतंत्रता देने के पक्ष में न थे।)

७. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और एडमंड बर्क

एडम स्मिथ इंग्लैंड के विक्राममान उद्योगपतिवर्ग के प्रतिनिधि थे। इनके विपरीत प्रसिद्ध बकता, लेखक और राजनीतिज्ञ एडमंड बर्क की सहानुभूति अभिजात वर्ग के साथ थी। जितना ध्यान बर्क ने भारत की समस्याओं की ओर दिया था, उतना बहुत कम लोगों ने दिया था। जो बातें एडम स्मिथ ने कही थी, उनकी पुष्टि बर्क के भाषणों, लेखों आदि से होती है। इंग्लैंड में जो भी भारत की वास्तविक दशा से परिचित थे और जो अंग्रेजी राज की लूट में शामिल नहीं थे, वे सब इस राज की तीखी आलोचना कर रहे थे। १७८८ में बर्क ने कहा था : हर देश व्यापार से समृद्ध होता है किन्तु बंगाल उससे पूरी तरह तबाह हो रहा है। जब किसी इलाके पर कम्पनी का राज कायम न हुआ था, तब उसे दस्तक या अनुमति-पत्र से विशेष सुविधाएं मिली हुई थी। उसका माल चुगी दिये बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता था। कम्पनी के नौकरों ने दस्तक का उपयोग अपने निजी व्यापार के लिए किया। जब तक यह काम बहुत सीमित था, तब तक देशी हुकूमत ने उसकी अनदेखी की, लेकिन जब वह पूरी तरह निजी व्यापार बन गया, तब वह व्यापार से ज्यादा लूट जैसा हो गया। ये व्यापारी हर जगह पहुँच जाते थे, जो कीमत चाहते थे, उसके हिसाब से माल बेचते थे। जिस भाव चाहते थे, लोगों को भी अपनी चीजें बेचने पर मजबूर करते थे। ऐसा लगता था कि व्यापार के बहाने लोगों को लूटने के लिए फौज पहुँच गयी है। लोग देशी अदालतों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना बेकार ही करते थे। व्यापारियों की यह फौज अपने अभियान में तुर्क विजेताओं से भी ज्यादा भारी तबाही बरपा करती थी। (बक्सर्वर्स; खंड १; पृष्ठ ७६-८०१)।

(किसी भी देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए जरूरी होता है कि कारखानों में बना माल बेचने के लिए बाजार सुलभ हो। बाजार न होगा, माल की माग न होगी, तो कोई कारखाना लगायेगा ही क्यों? अंग्रेजों ने बाजार कायम करने के बदले जो बाजार यहां पहले से मौजूद था, उसे बरबाद किया।

(भारत में अंग्रेजों को व्यापार में सफलता तभी मिली जब वे यहां अनेक प्रदेशों के राजा बन गये। अपना राज्यप्रभार करने में उन्हें यहां के सामन्तों से भारी सहायता मिली, सामन्तों की आपसी फूट से उन्होंने लाभ उठाया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद-भाव से लाभ नहीं उठा सके; उन्होंने एक वर्ग विशेष की फूट से लाभ उठाया। इस वर्ग में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, दोनों ही तरह के मामलों में हिन्दू-मुसलमान मौजूद थे। जब तक केंद्रीय शासन मजबूत था, तब तक अंग्रेजों को पैर फैलाने का मौका न मिला; जब हिन्दी प्रदेश में छोटे-छोटे राज्य कायम हुए, तब अंग्रेजों को पहले बंगाल में, और फिर शेष भारत में, राज्य-विस्तार का अवसर मिला।) भारत देश सम्बन्ध था, अंग्रेज यहां की मन्मता नष्ट कर रहे थे, इन बारे में बर्क ने लिखा था: ये लोग असम्ब और बर्बर नहीं हैं, दक्षिणी अमरीका की नदियों के किनारे जंगलों में घूमने वाले वन्य लोगों की तरह नहीं हैं। ये लोग युगों में सम्ब और सुसंस्कृत रहे हैं। "जब हम लोग अभी जंगलों में रहते थे, तब ये कलाकौशल में उन्नति करके सुसंस्कृत जीवन बिता रहे थे।" वहां ऐसे राजा हुए हैं, जिनकी गरिमा और गमृद्धि महान् थी। उनके इतिहास और ज्ञान का रक्षक एक पुरोहित वर्ग था। वहां का अभिजात वर्ग प्राचीनकाल से चला आ रहा था। "वहां बहुत से शहर थे, आबादी और व्यापार की दृष्टि से जिनकी तुलना में यूरोप के श्रेष्ठ नगर बढ़कर नहीं थे। वहां ऐसे व्यापारी और साहूकार थे जिनका एक-एक घराना अपनी पूंजी के बल पर बंक आफ इंग्लैंड से होड़ करता था। इन्होंने रुपया उधार देकर अक्सर लड़लड़ाते राज को संभाला है, तड़ाई और तवाही के दौरान अपनी सरकार की रक्षा की है। वहां लाखों कुशल कारीगर थे और धरती जोतनेवाले वे लाखों आदमी थे जो परिश्रमी होने के साथ बुद्धिमान भी थे। (उप., खंड २; पृष्ठ १८१-८२)। (बर्क ने भारत की समृद्धि के बारे में ये बातें १७८६ में कही थीं। अठारहवीं सदी के अन्त में यह किसी से छिपा न था कि भारत में बड़े-बड़े नगर हैं। इन नगरों में व्यापारी और साहूकार रहते हैं। महाजनी कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और इंग्लैंड का बड़ा बँक यहां के लोगों को साहूकारी सिखाने की स्थिति में नहीं है। औद्योगिक क्रान्ति के लिए जो पूंजी दरकार थी, वह यहाँ मौजूद थी। व्यापार-केंद्र, बड़े-बड़े नगर, संचार साधनों के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक इस आधार को नष्ट किया। इस विनाश कार्य में उन्होंने एक अद्भुत नीति अपनाई। यह नीति किसी एक राजा के प्रदेश या उसकी जायदाद को दूसरे राजा के हाथ बेच देना था, फिर खरीदनेवाले को भी तवाह कर देना था। इसके लिए वे राजाओं से सन्धि करते थे, इकरारनामे करते थे और थोड़े ही दिन बाद उनमें लिप्सी हुई शर्तों को तोड़ देते थे।) बर्क ने लिखा है: हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा राजा नहीं है जिससे अंग्रेजों का सम्पर्क हुआ हो और फिर जिसे उन्होंने बेच न लिया हो। कम्पनी ने सबसे पहले तैमूर के बंशज मुगल बादशाह को बेचा। उन्होंने बादशाह से कड़ा और इलाहाबाद का प्रदेश पाया और दो लाख साठ हजार पाउंड सालाना खिराज देने का वादा

इस तरह उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए जो आवश्यक आधार था, उसे ही खत्म कर दिया। उनके राज में देशी उद्योग-धन्धों का विकास तभी हो सकता था, जब यहाँ के व्यापारी नये सिरे से देशी बाजार कायम करें, फिर नये उद्योग-धन्धे कायम करें।) अंग्रेजी राज कायम होने से पहले भारत के बाजार और व्यापार की जो हालत थी, उसके बारे में वर्क ने १७८३ में लिखा था : बंगाल का भीतरी व्यापार काफी विकसित था; इग व्यापार से सोने और चांदी व आमद होती थी तथा व्यापार लायक बहुत तरह का माल प्राप्त होता था। मुगल साम्राज्य के ऊपरी सूवे समृद्ध थे और उनको आबादी घनी थी। उन बंगाल के बीच भारी मात्रा में आदान-प्रदान होता था। इन सूवों से होकर सभी देशों का बहुत सा व्यापार होता था जो ईरान की सीमाओं पर स्थित इन सूवों से होकर तुर्किस्तान के सीमान्त प्रदेशों तथा पश्चिमी हिन्दुस्तान के और भड़ोच का बहुत सा व्यापार होता था। इन सूवों से होकर बंगाल की सच्ची व्यवस्था ईरान की खाड़ी और लाल समुद्र से जुड़ी हुई थी, और इनके द्वारा ईरानी साम्राज्य के समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों तथा तुर्क साम्राज्य से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इन देशों तथा अन्य देशों के साथ अपने बन्दरगाहों के द्वारा बंगाल व्यापार-सम्बन्ध कायम किये हुए था। (उप. संड ४, पृष्ठ ३८-३९)। (इस सन्देह नहीं रह जाता कि मध्य एशिया तथा भारत में एक बहुत बड़ा बाजार पहले से कायम था। इस बाजार में केवल स्थल मार्गों का नहीं, बल्कि जल मार्गों का उपयोग भी होता था। भारत के आर्थिक विकास के लिए इस बाजार को सुदृढ़ करना जरूरी था; नये सिरे से आबाजाही के मार्गों का पता लगाने, एक नया बाजार कायम करने का सवाल न था।) वर्क ने आगे लिखा है : उस समय बंगाल मुगल खजाने को कोई बहुत बड़ी धनराशि न भेजता था, न उसे नियमित रूप से भेजता था। राज्य को जो कुछ देना होता था, वह ब्याज समेत, लाभकारी व्यापार के माध्यम से बहुत जल्दी दे दिया जाता था। (इसका अर्थ यह है कि मुगल शासन में बंगाल की अधिकांश सम्पदा उसी प्रान्त में रहती थी। केंद्रीय शासन को जो कुछ देना होता था, वह व्यापारिक लाभ से तुरत दे दिया जाता था।) सिंधु की तरफ चौपट हो गया। भारतीय व्यापार की सबसे अच्छी शाखा शाहजहाँ के शासन में बंगाल की अधिकांश सम्पदा उसी प्रान्त में रहती थी। (द्वि ग्रेट मार्ट्स आफ आगरा का भी ह्रास हुआ। इस उलट-पलट के बाद उत्तर-पश्चिमी सूवों में भी अव्यवस्था फैली, और अव्यवस्था फैलने का यह काम तब तक पूरी तरह से नही हुआ जब तक ब्रिटेन ने भी उसे आखिरी धक्का नहीं दिया। स्थिति और अवध के सुन्दर प्रान्तों पर, कड़ा और इलाहाबाद के प्रदेश पर, और भी बहुत जगह रेगिस्तान बन गये हैं या उनकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि व्यापार की बहुत ही कम सामग्री, व्यापार के बहुत ही कम साधन रह

(उप. पृष्ठ ३९)।

भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

(भारत में अंग्रेजों को व्यापार में सफलता तभी मिली जब वे यहां अनेक प्रदेशों के राजा बन गये। अपना राज्यप्रसार करने में उन्हें यहां के सामन्तों से भारी सहायता मिली, सामन्तों की आपसी फूट से उन्होंने लाभ उठाया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद-भाव से लाभ नहीं उठा सके; उन्होंने एक वर्ग विशेष की फूट से लाभ उठाया। इस वर्ग में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, दोनों ही तरह के सामन्तों में हिन्दू-मुसलमान मौजूद थे। जब तक केंद्रीय शासन मजबूत था, तब तक अंग्रेजों को पैर फेंलाने का मौका न मिला; जब हिन्दी प्रदेश में छोटे-छोटे राज्य कायम हुए, तब अंग्रेजों को पहले बगाल में, और फिर शेष भारत में, राज्य-विस्तार का अवसर मिला।) भारत देश सम्पदेश था, अंग्रेज यहां की मन्यता नष्ट कर रहे थे, इन बारे में बर्क ने लिखा था : ये लोग असभ्य और बर्बर नहीं हैं, दक्षिणी अमरीका की नदियों के किनारे जंगलों में घूमने वाले वन्य लोगों की तरह नहीं हैं। ये लोग युगों में सम्य और सुसंस्कृत रहे हैं। "जब हम लोग अभी जंगलों में रहते थे, तब ये कलाकौशल में उन्नति करके सुसंस्कृत जीवन बिता रहे थे।" वहां ऐसे राजा हुए हैं, जिनकी गरिमा और गमृद्धि महान् थी। उनके इतिहास और ज्ञान का रक्षक एक पुरोहित वर्ग था। वहां का अभि-जात वर्ग प्राचीनकाल से चला आ रहा था। "वहां बहुत से शहर थे, आबादी और व्यापार की दृष्टि में जिनकी तुलना में यूरुप के श्रेष्ठ नगर बढ़कर नहीं थे। वहां ऐसे व्यापारी और साहूकार थे जिनका एक-एक घराना अपनी पूजा के बल पर बैंक आफ इंग्लैंड से होड़ करता था। इन्होंने खपया उधार देकर अक्सर लड़खड़ाते राज को सँभाला है, लड़ाई और तवाही के दौरान अपनी सरकार की रक्षा की है। वहां लोगों कुशल कारीगर थे और धरती जोतनेवाले वे लाखों आदमी थे जो परिश्रमी होने के साथ बुद्धिमान भी थे। (उप., खंड २; पृष्ठ १८१-८२)। (बर्क ने भारत की समृद्धि के बारे में ये बातें १७८३ में कही थी। अठारहवीं सदी के अन्त में यह किसी में छिपा न था कि भारत में बड़े-बड़े नगर हैं। इन नगरों में व्यापारी और साहूकार रहते हैं। महाजनी कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और इंग्लैंड का बड़ा बैंक यहां के लोगों को साहूकारी सिखाने की स्थिति में नहीं है। औद्योगिक क्रान्ति के लिए जो पूजीदरकार थी, वह यहाँ मौजूद थी। व्यापार-केंद्र, बड़े-बड़े नगर, संचार साधनों के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक इस आधार को नष्ट किया। इस विनाश कार्य में उन्होंने एक अद्भुत नीति अपनाई। यह नीति किसी एक राजा के प्रदेश या उसकी जाय-दाद को दूसरे राजा के हाथ बेच देना था, फिर खरीदनेवाले को भी तवाह कर देना था। इसके लिए वे राजाओं से सन्धि करते थे, इकरारनामे करते थे और थोड़े ही दिन बाद उनमें लिखी हुई शर्तों को तोड़ देते थे।) बर्क ने लिखा है : हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा राजा नहीं है जिससे अंग्रेजों का सम्पर्क हुआ हो और फिर जिसे उन्होंने बेच न लिया हो। कम्पनी ने सबसे पहले तैमूर के वंशज मुगल बादशाह को बेचा। उन्होंने बादशाह से कड़ा और इलाहाबाद का प्रदेश पाया और दो लाख साठ हजार पाउंड सालाना खिराज देने का वादा

किया। यह प्रदेश उन्होंने बादशाह के वजीर शुजाउद्दौला के हाथ बेच दिया। उन्होंने रूहेलखण्ड पर घावा बोला, वहाँ के बहादुर मरदार को मार डाला। उसका सर काटकर एक बर्बर व्यक्ति के हाथ बेचा। उसकी स्त्री और बच्चे मुट्ठी भर अन्न के लिए अंग्रेजी छावनी में भीख मांगते फिरे। बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर जहा जो मिला, उसे भीत के घाट उतार दिया। रूहेलखण्ड का प्रदेश समृद्धि के लिए विख्यात था, वह अब उजड़ गया है, वीरान हो गया है। (उप., पृष्ठ १८३-८५)।

बंगाल में मिराजुद्दौला को भीर जाफर के हाथ बेचा, भीर जाफर को भीर कासिम के हाथ बेचा, भीर कासिम को फिर भीर जाफर के हाथ बेचा। भीर जाफर को गद्दी उसके बड़े बेटे के हाथ बेची, भीर जाफर के दूसरे बेटे मुबारक को उसकी सातेली माँ के हाथ बेचा। मराठा राज्य राघोबा के हाथ बेचा, राघोबा को पेशवा के हाथ बेचा। राघोबा और पेशवा दोनों को वरार के राजा के हाथ बेचने का मसौदा किया, उसी राजा के हाथ मिन्धिया को बेचना चाहा। दक्खिन का नवाब आरकट के नवाब के हाथ बेचा। उसी नवाब के हाथ उन्होंने हैदरअली और मैसूर का राज्य बेचा। आरकट के नवाब और उनके वारिस को उसके दूसरे बेटे के हाथ बेचा। जो प्रदेश भी इस तरह बेचा गया, वह उजाड़ डाला गया।

कम्पनी ने कभी कोई ऐसी सन्धि नहीं की जिसे उसने तोड़ा न हो। इस काम का गहरा सम्बन्ध इलाके और राज्य बेचने से है। कम्पनी ने मुगल बादशाह से इकरारनामा किया था कि वह उन्हें दो लाख साठ हजार पाउंड देगी। उसने यह इकरारनामा तोड़ा। उसने इकरार किया था कि बंगाल के सूबे को चार लाख पाउंड सालाना देगी। उसने बादशाह से किया हुआ यह इकरारनामा तोड़ा। कम्पनी ने निजाम और हैदरअली से जो सन्धियाँ की थी, उन्हें तोड़ा। (मशहूर है कि इसी तरह हिटलर सन्धि करता था और तोड़ता था। पूंजीवाद के अम्बुदय काल में फामिस्टो के बाप-दादा यही काम कर चुके थे।) मराठों के साथ उन्होंने इतनी परस्पर विरोधी सन्धियाँ की थी कि उनका एक साथ पालन ही ही न सकता था। “देखा गया कि इन सन्धियाँ की शर्तों पर अमल किया जाता तो दो अंग्रेजी फौजें मैदान में आमने-सामने होती और एक दूसरे का गला काटती होती। हिन्दुस्तान को जो लडाइयाँ उजाड़ रही हैं, वे हमारे भयानक विश्वासघात के कारण शुरू हुई हैं।” (उप., पृष्ठ १८७)। चारों तरफ शान्ति थी लेकिन कम्पनी की फौजें मराठा राज्य में घुस गयीं और सालमेट के किले पर अधिकार कर लिया। कम्पनी ने सन्धि की और फिर उसे तोड़ा। जिन लोगों को अपमानित किया गया था, जिनके माथ धोला हुआ था, उनके सामने कम्पनी की फौज को घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये लोग हारे हुए दुश्मन के साथ दग्गानियत में पेश आये। इस दग्गानियत का कुछ भी अगर कम्पनी पर न हुआ। सन्धि हुई और कम्पनी ने उसे तोड़ा। लूट का लोभ ऐसा प्रबल था कि यदि हैदरअली ने कर्णाटक में जोर का हत्ना न बोला होता, तो कम्पनी सन्धि की बात ही न सुनती। ऐसा अनेक राज्यों के एक संघ में मिल जाने में हुआ। हमारा नाश करने के लिए मानो किमी बमत्कार से परस्पर विरोधी शक्तियाँ मिलकर एक हो गयी थीं। हम ऐसी जाति (मैदान)

थे जिसका कोई विश्वास न कर सकता था। हम मानवजाति के घोपित शत्रु थे (दि डिक्लेयर्ड एनिमीज आफ दि ह्यूमैन स्पीशीज)। (उप., पृष्ठ १८७-८८)। (मानवजाति के घोपित शत्रु, ऐसे थे ये अंग्रेज।)

भारत पर पहले भी आक्रमण हुए थे। उनसे कम्पनी की लड़ाइयों की तुलना करते हुए बर्क ने लिखा : तुर्क आक्रमण दुष्टतापूर्ण था किन्तु भारत का नाश हमारा संरक्षण कर रहा है। वे तो दुश्मन थे, हम दोस्त हैं। बीस साल के बाद हमारी विजय में कोई खास तयदीली नहीं हुई। नौजवान अंग्रेज हुकूमत करते हैं, उन्हें देशी लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। दीलत बटोरने के लिए जितना सम्पर्क जरूरी होता है, देशी लोगों से उतना ही सम्पर्क कायम करते हैं। जमाने की हविस और जवानी का जोश, उनकी भूल कभी शान्त नहीं होती। मुनाफे का जो एक रूपया अंग्रेज लेता है, वह हिन्दुस्तान के हाथ से हमेशा को निकल जाता है। दूसरे विजेता अपने पीछे कोई ऐसी यादगार छोड़ गये हैं जिससे जनता को लाभ हो या उनका गौरव बढ़े। "यदि आज हम भारत से निकाल दिये जायें तो ऐसा कुछ न छोड़ जायेंगे जिससे जाहिर हो कि अपनी अमलदारी की घटिया अवधि में यहां जंगल के ओराङ्ग-उटाङ्ग या बाघ में कोई बेहतर जीव रहते थे।" (उप., पृष्ठ १६४-६५)। (बर्क ने अंग्रेजों के लिए कठोर शब्दावली का व्यवहार किया है। उन्होंने भारत को जिस तरह उजाड़ना शुरू किया था, उसे देखते उन शब्दों को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड में जिस प्रगतिशील सम्यता का विकास हो रहा था, उससे इन लुटेरे अंग्रेजों का कोई सम्बन्ध न था। अंग्रेजों को परास्त किया जा सकता था, वे अनेक बार परास्त हुए थे। हैदरअली और मराठे जब मिल गये, तब अंग्रेजों को लेने के देने पड़ गये। सन्धि करना और तोड़ना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका विशेष सम्बन्ध औद्योगिक क्रान्ति से हो। जो लोग समझते हैं कि उद्योग-प्रधान इंग्लैंड के सामने सामन्ती भारत की पराजय अनिवार्य थी, वे इस बात पर ध्यान दें कि अंग्रेजों ने जिम कूटनीति और ठगविद्या से काम लिया, वह औद्योगिक पूजीवाद की उपज नहीं है। दरअसल उसका सम्बन्ध व्यापारिक पूजीवाद से भी नहीं है। जब तक अंग्रेज व्यापारी बने रहे, तब तक वे इंग्लैंड का चांदी-सोना ढोकर इस देश में लाते रहे; यहां उन्हें पैर फैलाने का मौका न मिला। किन्तु जब वे राजा बन गये, तब व्यापार का रूप बदल गया और उन्होंने पैर भी खूब फैलाये।) इस सम्बन्ध में बर्क ने लिखा है : जब तक ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ बड़े-बड़े इलाके नहीं आये, तब तक व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार ही वह व्यापार करती रही। भारत के बाजार में जैसी चीजों की माग थी, वैसी चीजें वह लाती थी। जहां ऐसी चीजों से भारतीय माल का विनिमय सम्भव न था, वहां इस माल के लिए वह धन देती थी जो मुख्यतः चांदी के रूप में होता था। किसी-किसी साल इंग्लैंड में भारत को छह लाख अस्सी हजार पाउंड कीमत की चांदी भेजी गयी। भारत में व्यापार करने वाली दूसरी कम्पनिया भी इसी तरह व्यापार करती थी। मूल्य में हिन्दुस्तान जानेवाली चांदी बारह-तेरह लाख पाउंड सालाना से कम की न रही होगी। मूल्य की व्यापारी जातिया आपस में होड़ करती थी और भारत को धन दे रही थी। इससे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन

मिला। देशी हुकूमत के दोषों और लड़ाइयों के बावजूद खेतों में प्रगति हुई। इतनी चांदी बाहर जाने में यूरप में बेचनी थी और कुछ लोगों को ऐसा व्यापार लाभकारी प्रतीत न होता था। लेकिन व्यापार की अमली जरूरतें ऐसी जबरदस्त थी कि अटकलवाजी वाली आपत्तियों पर किसी ने ध्यान न दिया। व्यापार की सभी शाखाओं में जान फूंकने के लिए हिन्दुस्तानी माल इतना जरूरी था कि सभी जातियां उसके लिए ललचा रही थीं और आपस में होड़ कर रही थीं। इस तरह चांदी का निर्यात करते हुए अंग्रेजी कम्पनी बरसों तक फलती-फूलती रही। अंग्रेज जाति को इससे आमदनी हुई और कम्पनी के मालिकों का लाभांश ऊंचे दर्जे का रहा। लेकिन १७६५ के आस-पास कम्पनी अपने इलाकों से मालगुजारी वसूल करने लगी। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल को या हिन्दुस्तान के किसी अन्य भाग को नियमित रूप से चांदी भेजना बन्द कर दिया। यूरप के बाजार में हिन्दुस्तानी माल भेजने के लिए अंग्रेजी शक्ति और प्रभाव का उपयोग होने लगा। यदि इसे व्यापार कहा जा सके तो यह असम्भव था कि इस अनोखे व्यापार में हिन्दुस्तान पूरी तरह तबाह न हो जाये। कई माल से बंगाल की मालगुजारी का एक हिस्सा हिन्दुस्तानी माल सरीदने के लिए अलग कर लिया जाता है। यह मात इंग्लैंड भेजा जाता है। मालगुजारी के जिस हिस्से से वह खरीदा जाता है, उसे 'इन्वेस्टमेन्ट' कहते हैं। कम्पनी के नौकरों की कार-गुजारी की परग इस दान में होती है कि उन्होंने मालगुजारी का कितना बड़ा हिस्सा 'इन्वेस्टमेन्ट' के लिए अलग किया है। भारत की निर्धनता के बढ़ने का यह मुख्य कारण है। यहाँ लोग समझते हैं कि यह उस देश की समृद्धि का प्रमाण है। यूरप के कीमती माल से लदे हुए पचासों जहाज हर साल इंग्लैंड आते हैं। उन्हें देखकर लोग समझते हैं कि वह देश बहुत खुशहाल है, व्यापार के लिए अपनी पैदावार का इतना बड़ा अतिरिक्त अंश भेज देता है। हिन्दुस्तान के इस माल के लिए यहाँ में विनिमय में उपयुक्त सामग्री न दी जाती थी। कम्पनी के फौजी और गैरफौजी नौकर मालामाल होकर लौट रहे थे। कम्पनी के मालिकों ने सोचा कि नौकरों के साथ उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार ने भी सोचा कि विदेश में इलाका किमी ने भी हथियाया हो, उसके मुनाफे में उसका भी हिस्सा होना चाहिये। कुछ सीचतान के बाद दोनों में समझौता हो गया। मालिकों के सालाना लाभांश में करीब दो लाख पाउंड की वृद्धि हुई। चार लाख पाउंड राज्य को दिये गये। पुराने लाभांश में इस राशि के जुड़ने से हिन्दुस्तानी व्यापार और मालगुजारी से आठ लाख पाउंड सालाना की आमदनी हुई। (उप. संद ४, पृष्ठ ३०-३२)।

(भारतीय सामन्तों में अंग्रेजों ने अपना किम तरह का सम्बन्ध कायम किया था, उगवा विवरण टम प्रकार है।) कम्पनी की नीति यह होती है कि या तो वह बिगो ऐमे राजा को गद्दी पर बिठाती है जो इतना दुष्ट है कि कम्पनी की मदद के बिना गद्दी पर बैठा रह ही नहीं सकता, या अपनी कठपुतली बनाकर वह उसे बैसा ही दुष्ट बना देती है, फिर उसे गद्दी पर बिठाये रखने के लिए बड़ी उदारता से फौजी मदद देती है। मदद में कमी न हो, उसका ध्यान रखने के लिए उसके

दरबार में एक गैर-फौजी अफगर रहता है। उसे रेजिडेंट कहते हैं। फौज को बराबर तनख्वाह मिलती रहे, इस वहाने वह मालगुजारी की बसूली का काम हथियाता जाता है। उसके बन्दोबस्त में कर्ज बढ़ता जाता है। कर्ज अदा करने के लिए और भी मालगुजारी की बसूली उसके हाथ में आ जाती है। धीरे-धीरे सारी मालगुजारी और सारी राज्य-शक्ति उसके हाथ में आ जाती है। दीवानी विभाग की कमाई देखकर फौजी विभाग के लोग सोचते हैं, हम क्यों पीछे रहे? वे जानते हैं कि दीवानी विभाग की नीति के कारण प्रदेश में बिद्रोह होना आम बात है और उगे दवाने के लिए फौज की जरूरत होती है। तब अपनी सेवा का पुरस्कार उन्हें क्यों न मिले? मनमानी करने के लिए इलाके उन्हें सौंप दिये जाते हैं। तब पता यह चलता है कि उचित यह होगा कि फौज के अफसरों को मालगुजारी बसूल करने वाला तहसीलदार बना दिया जाये। इस तरह अच्छी तनख्वाह पाने वाले दीवानी विभाग और अच्छा पुरस्कार पाने वाले फौजी विभाग, इनके बीच देशी लोगों की हालत क्या होगी, श्रमकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। देश की कानूनी सरकार का अधिकार हर जगह खत्म कर दिया जाता है। हिंसा और उपद्रव फैल जाते हैं; उन्हें दवाने के लिए और उपद्रव होते हैं, और हिंसा होती है। फौज के कर्नल और मेजर लोग तहसीलदार बनकर जहाँ भी मालगुजारी बसूल करने जाते हैं, चारों तरफ तबाही फैल जाती है; बगावत उनके आगे चलती है, बगावत उनके पीछे चलती है। झुंड के झुंड लोग इलाके से भाग चलते हैं। सीमा पर फौज खड़ी रहती है, शत्रु को रोकने के लिए नहीं, वहाँ के निवासियों को भाग जाने में रोकने के लिए। (उप. खंड २, पृष्ठ २००-०१)।

(अवध में सन् ५७ की लड़ाई का उत्कृष्ट रूप देखने में आया, इसका एक कारण अंग्रेजी राज में अवध की स्थिति है।) कम्पनी के अधीन होने से पहले अवध का राज्य संस्कृति, व्यापार और जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध था। वहाँ के शासक और रईस ज्ञान-शौकत की जिन्दगी बिता रहे थे। कम्पनी के अधीन होते ही देश और उसके राजाओं की समृद्धि में तेजी से कमी होने लगी। अंग्रेजी प्रभाव के पहले इस राज्य की मालगुजारी तीस लाख पाउंड सालाना से ऊपर थी। इतनी मालगुजारी, प्रदेश की नुकसान पहुँचाये बिना, बसूल की जाती थी। १७७६ में वह घटकर पन्द्रह लाख पाउंड रह गई। अगले सालों में लगान की दर बढ़ाने और रैयत को सताने के वाजजूद मालगुजारी घटती चली गई। १७७६ में अवध के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट पलिंग ने नवाब से माग की कि कम्पनी को तेरह लाख साठ हजार पाउंड से ऊपर रकम दी जाए। कुल मालगुजारी पन्द्रह लाख पाउंड थी। कम्पनी को उतनी रकम देने के बाद एक लाख चालीस हजार पाउंड नवाब के पास बचते थे। इस रकम से ही नवाब को अपनी सरकार चलाना था, कर्ज अदा करना था और अपने कुटुम्ब का पालन करना था। फौजावाद की सन्धि से कम्पनी की फौज अवध के राज्य में रखी गई थी। इनका खर्च नवाब के जिम्मे था। इसके अलावा कम्पनी की कई पलटनों और एक अस्थायी ब्रिगेड नवाब की मेवा के लिए था। नवाब की अधिकांश देशी फौज अंग्रेज अफगरों की कमान में थी। उसी साल, १७७६ में, कम्पनी के अस्थाई ब्रिगेड का खर्च अनुमानित व्यय में

अग्नी हजार पाउंड में ऊपर बढ़ गया। उर्मी अवधि में अंग्रेजी कमान वाली देशी फौज का रांच चालीस हजार पाउंड में ऊपर बढ़ा। इम नवाही दाने दाने रांच के अलावा, कम्पनी के डायरेक्टरों को बताया बिना, गुप्त रूप में एक बड़ा दीवानी विभाग कायम किया गया। इसी तरह गुप्त रूप में कई पेन्शनों और भत्तों का इन्तजाम किया गया। यह सब रांच नवाब की मालगुजारी से वसूल किया जाता था। कम्पनी के नौकरों को यदा-कदा जो भेंट दी जाती थी, यह अलग। (उप. राड ४, पृष्ठ ४२४-२६)।

१७७६ में रेजिडेंट के माध्यम में नवाब ने यह दरखास्त दी कि उसके राज्य में कम्पनी की फौजों का होना उसकी परेशानी का मुख्य कारण है; सन्धि के अनुसार जितनी फौज वह रखने को बाध्य नहीं है, उतनी फौज हटा ली जाए, क्योंकि इस फौज के रहने से उसकी मालगुजारी में भारी कमी हुई है और देश मुक़ालिस हो गया है। (उप. खंड २, पृष्ठ १६७)। (अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और नतीजा यह हुआ कि अवध के लोग भाग-भागकर रूहेलखंड में शरण लेने लगे।) कम्पनी राज के वीराने में एक छोटा सा इलाका बचा हुआ था जो अभी फल-फूल रहा था। रूहेलखंड के सरदारों को कम्पनी ने खत्म कर दिया था। इस इलाके के राजा फ़ैजुल्ला खां ने अंग्रेजों ने सन्धि कर ली थी और वह बच गया था। उसके दुश्मन भी कहते थे कि पहले कभी जो सारे रूहेलखंड की हालत थी, वह अब फ़ैजुल्ला खां के इलाके की थी; वह एक हरे-भरे बाग की तरह था। उसकी अमलदारी में इलाके की आबादी और मालगुजारी दुगनी हो गई थी। उस पर यह दोष लगाया गया कि अवध के सताये हुए किसानों को वह अपने यहां शरण देता है। पुराने जमाने में लोग ऐसे राजा को देवता की तरह पूजते; कम्पनी सरकार ने कहा कि वह ठग है, डाकू है, दगाबाज है। उसे हुकुम दिया गया कि वह तुरत पांच हजार घुड़सवार हाज़िर करे। टालमटोल करने पर उसे सन्धि की शर्तें तोड़नेवाला कहा जायेगा और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जायेगी। कम्पनी ने उसमें तात्कालिक मांग के रूप में डेढ़ लाख पाउंड वसूल किये। उसमें इकरारनामा कराया कि अवध में अंग्रेजों की लगान वसूली से सताये जाकर जो किसान भागकर आयेगे, उन्हें वह शरण न देगा। यह सारा बन्दोबस्त हो जाने के बाद कम्पनी ने उसे बगावत के आरोप में बरी कर दिया। कोई आदमी बगावत करना चाहता है, ऐसा आरोप लगाना कम्पनी की आम नीति है। जहां भी कहीं धन-दौलत जमा हो, कम्पनी तुरत उसके मालिक पर बागी होने का आरोप लगाती है। जब यह दौलत कम्पनी के हाथ में आ जाती है, तब उसका मालिक बगावत के आरोप में बरी कर दिया जाता है। एक बार दौलत हाथ में आ जाए तो सारा अभियोग, मुकद्दमा, सजा सब कुछ खत्म हो जाता है। आमदनी का यह ऐसा पक्का जरिया है कि ताज्जुब है कि डायरेक्टरों के विवरण में उसका जिक्र नहीं है। यकीन है कि अगले मस्करण में यह कमी दूर कर दी जायेगी। (उप. खंड २, पृष्ठ २०१-०४)।

(अंग्रेजों ने अपना राज्य किस तरह कायम किया, इसका विस्तृत विवेचन बर्क के ग्रन्थों में है। अभिजात वर्ग के समर्थक बर्क की आलोचना का मूल तत्व

वही है जो उद्योगपति वर्ग के समर्थक ऐडम स्मिथ की आलोचना का है। ऐडम स्मिथ स्वच्छंद व्यापार के प्रबल समर्थक थे। बर्क ने एक जगह बताया है कि कम्पनी के इजारे में परेशान होकर बंगाल के तवाब कासिम अली खा ने स्वच्छंद व्यापार की घोषणा कर दी थी। उसकी प्रजा को अपने ही देश के व्यापार में अलग रखा जा रहा था। अपने राज्य में व्यापार के तवाह होने से उसकी आमदनी खत्म हो रही थी। बार-बार विरोध करने पर भी जब कोई फल न हुआ तब उसने व्यापार से हर तरह की चुंगी उठा लेने का ऐतान किया। देशी और विदेशी दोनों तरह के लोगों के लिए समान रूप से व्यापार स्वच्छंद हो गया।) स्वच्छंद व्यापार का समर्थन करते हुए बर्क ने लिखा: "इजारेदारी का अत्याचार खत्म करने के लिए इसमें जोरदार, सीधासादा या न्यायपूर्ण तरीका पहले कभी न अपनाया गया था। इसके खिलाफ कोई भी कहने सुनने लायक ऐतराज न किया जा सकता था। उसमें बच निकलने की बात सोचना बेकार था। इसलिए उसका मुकाबला डटकर और खुल्लमखुल्ला अन्याय द्वारा किया गया। कलकत्ते की प्रेसीडेंसी ने राजा को यह अधिकार न दिया कि अपनी ही लगाई चुंगी में प्रजा को मुक्त करके वह उसके व्यापार की रक्षा करे।" (उप. खंड ४, पृष्ठ ५६)। (नतीजा यह कि कासिम अली खां को हटाकर अंग्रेजों ने जाफर अली खां को फिर गद्दी पर बिठा दिया।)

कम से कम भारत के सदर्थ में इजारेदारी के खिलाफ एडमंड बर्क स्वच्छंद व्यापार के बैसे ही समर्थक थे जैसे अन्य सदर्थों में उसके समर्थक ऐडम स्मिथ थे। एक बात ध्यान देने की है कि भारत से जो अंग्रेज धन कमाकर इंग्लैंड लौटते थे, वे अपना पैसा उद्योग-धन्धों में न लगाते थे। वे वहाँ जाकर जमींदारिया खरीदते थे क्योंकि इजरातदार वही समझा जाता था जिसके पास जमींदारी होती थी। भारत से जो भी पैसा गया, उसका प्रभाव इंग्लैंड के हर वर्ग पर पड़ा। वास्तव में वहाँ भ्रष्टाचार फैलाने में भारत की लूट से प्रेरणा मिली। इस संदर्भ में बर्क ने लिखा है: जो लोग वहाँ पूरे राज्य के अभिजात वर्ग का नाश कर चुके हैं, वे यहाँ आकर अच्छे से अच्छे इजरातदार लोगों से सम्मान पाते हैं। जिस हाथ ने भारत में करघे से कपड़ा फाड़ लिया है या बंगाल के किसानों में मुट्ठीभर चावल और नमक छीना है, वह उद्योगपति और भूस्वामी में यहाँ आशीर्वाद पाता है। अभिजात वर्ग को लक्ष्य करके बर्क ने लिखा: वे तुम्हारे खानदान में शादिया करते हैं; वे तुम्हारी सीनेट में प्रवेश पाते हैं; रकभे उधार देकर तुम्हारी रियासतें हथियते हैं; इस राज्य में कोई भी ऐसा घर न होगा जो इस सबसे अछूता रहा हो। इस कारण पूरब में अपनी सरकार को सुधारने के काम से घृणा हो जाती है, ऐसे काम के लिए उत्साह नहीं होता। (उप. खण्ड २, पृ. १६६)

८. इजारेदार व्यापारी, अंग्रेजी राज और विलियम डिंगवी

बलाइव नाम का अंग्रेज १७५७ में बंगाल की पुरानी राजधानी मुजिदाबाद गया। शहर देखकर उसने लिखा, "यह शहर लन्दन के शहर समान धनी है, पनी आबादी वाला है और बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फर्क यह है कि लन्दन की तुलना में यहाँ ऐसे

लोग है जिनके पास कहीं ज्यादा सम्पत्ति है।" (विलियम डिग्वी निरचित प्रीसपेरस ब्रिटिश इंडिया, १९०१, में उद्धृत, पृष्ठ १०४)। एंग्रेजों की सम्पत्ति लूटनेवालों में क्लाइव का नाम सबसे ऊपर है। इंग्लैंड की सरकार ने उसकी लूटमार का सम्मान करने के लिए लार्ड की उपाधि देकर उसे अभिजान वर्ग में शामिल किया। १७५७ में पलासी का युद्ध हुआ। यह वर्ष भारत और इंग्लैंड दोनों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है; १७५७ से भारतीय विकास अवरुद्ध होता है, उसका अगला इतिहास पीछे लौटने का इतिहास है। इंग्लैंड का अगला इतिहास आगे बढ़ने का इतिहास है, इंग्लैंड का औद्योगिक इतिहास १७५७ के बाद शुरू होता है। जिस अंग्रेज ने ह्रास और विकास के भेद पर ध्यान दिया था, उसका नाम विलियम डिग्वी है। डिग्वी इंग्लैंड के मजदूर नेताओं की तरह क्रान्तिकारी नहीं थे। मजदूर नेता १८५७ के भारतीय विप्लव का समर्थन कर रहे थे, डिग्वी का मत था कि यह विप्लव कुछ सिपाहियों की बगावत थी और अंग्रेजों ने उनके साथ जो सलूक किया, वह उचित था। उनकी धारणा यह भी थी कि भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ जनता ने न तो विद्रोह किया है, न आगे कभी करेगी। वह भारत और इंग्लैंड का सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। वह उदारपंथी पूँजीवादी दृष्टिकोण से अंग्रेजी राज की आलोचना करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखने में बड़ी मेहनत की थी, पुस्तक में दिये हुए तथ्य और आंकड़े अधिकतर सरकारी प्रकाशनों से एकत्र किये थे। इसलिए उनकी पुस्तक पूँजीवादियों के लिए भी विश्वसनीय होनी चाहिए। उनका उद्देश्य भारत के प्रति जो अन्याय हो रहा था, उसका सही विवरण पेश करके मोती हुई ब्रिटिश जनता को जगाना था।

इंग्लैंड और भारत के आर्थिक विकास पर ब्रुक्स ऐडम्स नाम के विद्वान् ने एक पुस्तक लिखी थी। डिग्वी ने उसमें लम्बा उद्धरण दिया है जिसमें बताया गया है, "पलासी की लड़ाई १७५७ में हुई, और इसके बाद जिस तेजी से परिवर्तन हुआ, उस तेजी से परिवर्तन और जगह शायद कभी हुआ ही नहीं।" (पृष्ठ ३१)। पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल की लूट का धन लन्दन पहुँचने लगा और १७६० से वह औद्योगिक विकास शुरू हुआ जिसे औद्योगिक क्रान्ति की सजा दी जाती है। १७६० से पहले एक विशेषज्ञ के अनुसार लंकाशायर में सूत कातने के लिए जो यंत्र काम में लाये जाते थे, वे लगभग वैसे ही सादे थे जैसे भारत के। कारखानों में काम करने का चलन औद्योगिक क्रान्ति के साथ हुआ, इन कारखानों में बड़े-बड़े श्रमिक समुदायों ने काम करना शुरू किया किन्तु इससे पहले औद्योगिक काम बिखरे हुए व्यक्ति करते थे और ये लोग दस्तकारी और खेती, दोनों तरह का काम करते थे। (पृष्ठ ३२)।

दस्तकारी और खेती का यह गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी समाज में अभी श्रम-विभाजन इस सीमा तक न हुआ था कि कारीगर और किसान के पेशे अलग-अलग होते। जो आदमी किसान था, वही कारीगर भी था। जिस देश में वर्ष का अधिक भाग ठंड के कारण खेती करने लायक न हो, उसमें यह स्वाभाविक है कि फालतू समय में किसान कारीगर का काम भी करे। इसके विपरीत भारत के मैदानों में वर्ष का अधिक भाग खेतों में काम करने लायक होता था, इसलिए

यहां सेती और कारीगरी के वेने उत्तर वैदिक काल में अलग हो गये थे। पूजीवाद ने भारत में गैनी और कारीगरी का गठबंधन तोड़ा हो चाहे न तो खयें इंग्लैंड में यह गठबंधन तभी टूटा जब पलागी की लड़ाई के बाद यहां का धन लन्दन पहुँचने लगा।

बैंक आफ इंग्लैंड की स्थापना के साथ माल बाढ़ तक उनका मचने छोटा वींग पार्ल्ड का होता था। इसका अर्थ यह है कि इस छोटे मोट की भी धनक इननी बढ़ी थी कि द्रव्य का मंचरण बहुत ही मीमिन था। बमाल में भारी मा में चांदी पहुँचने पर धनराशि में ही बढ़ती न हुई बरन् उगका मंचरण भी तेजी बढ़ा। पलागी की लड़ाई के दो माल बाद इस बैंक ने दम और पन्द्रह पाउंड नये मोट जारी किये और इस तरह द्रव्य के मंचरणमें बड़ी मुविधा हुई। औद्योगिक पूजीवाद के युग में इंग्लैंड विश्वबाजार में अपना इजाग और भी मजबूत करने में सफल हुआ। इसमें अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में गहायता मिली। इटली के हाय में एनियामी देशों का व्यापार निकल गया था। अपनी मसूदों के युग में इटली का मंचरण मितने पर अन्य देश उगने आगे निकल गये थे। स्पेन का सासाउय पूरा के मॉरकुनिक नवजागरण का केंद्र रह चुका था। नये मसूदों मार्गों में व्यापार की मुविधा मिलने पर अन्य देश उगने आगे निकल गये थे। स्पेन का सासाउय अब हाय की दसा में था। अमरीका में बूना मा मोना-चाडी दो लाने के बाद भी स्पेन औद्योगिक प्रान्ति करने में सफल न हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि वहा का पुराना सामग्री ढांचा अब भी फापी मजबूत था। इंग्लैंड ने प्राय की लम्बी लड़ाई के बाद परागत किया। जर्मनी के प्राय मसूद-नटकी भीमा का अभाव था, जल-मार्गों याने व्यापार में बह प्रतिद्वंदी न बन सका। इंग्लैंड के प्राय मानित्र पराथ नहीं थे। इंग्लैंड के प्राय मोटे और बोरने की मालें थीं। इगके अलावा अमरीकी उपनिवेशों और भारत का बाजार उगते प्राय था। इस प्रकार इंग्लैंड को अपने उद्योग-धन्यों के विनाय और प्रसार की अभूतपूर्व मुविधा प्राप्त हुई।

१८०० तक भारत का मान इंग्लैंड में विनाय था, इगके बाद बूना मोटों म इंग्लैंड में ऐसे मान की विधी में बनी हुई। उगने बने इंग्लैंड का बना हुआ मान भारत में विजने लगा। भारत में अछेरी मान की विधी बगाबर की होइ जा एगलैंड बगाबर की परिस्थितियों में न हो रही थी। इंग्लैंड की मजबूत भार शिप मान पर भारी बूनी लगती थी, यहा का त्री मान भारत में विजने जाय था, उग करके, राजनीति उपारों द्वारा, मीर-भाषित तरीकों से, अछेरी ने भारत के उद्योग-धन्यों को लडात किया। भारत में हीउ इतिहा बरती का शरुत था और इंग्लैंड में शरुत-माला उद्योगधनियों के हाय में न थी। एत इंग्लैंड के अर्थ-धन म बहा के उद्योगधन अब प्रमुख शक्ति बन गये थे। मसमम १८१३ म अरु १८३३ तक पूजीवाद का इगका दौर भावू बनता है किमन एगलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले उद्योगधनिय दसाय हो सा है। पलागी के दो में उद्योगधनियों की भीइ बहा है, अरुत बबका मा न बह लाने दसा उद्योगधनियों के हाय बढ़े और इगके बगाबर का बना हुआ मान लडात भाव गरी है।

खरीदे।" (पृष्ठ ८६) । आगे चलकर इंग्लैंड में आने वाले भारतीय माल से भारी चुंगी हटा दी गयी किन्तु यह तब हुआ जब भारत के उद्योग-धन्धे तबाह हो चुके थे। अंग्रेजों की व्यापारनीति का लाजमी नतीजा यह हुआ कि व्यापार की बड़ी-बड़ी मंडियां उजड़ गयीं। उद्योग-धन्धों और व्यापार के विकास के साथ शहरों की आबादी बढ़ती है, देहात के लोग शहरों में आकर बस जाते हैं, नागरिक सम्मता का विकास होता है। अंग्रेजी राज में यहाँ शहरों का देहातीकरण आरम्भ हुआ। १८०० के आसपास ढाका से एक करोड़ रुपये का निर्यात-व्यापार होता था। १७८७ में यह घटकर तीस लाख का रह गया और १८१७ में वह पूरी तरह बन्द हो गया। १८०० के आस-पास ढाका की आबादी दो लाख थी, १८६० में उसकी आबादी ७६००० रह गयी थी। (पृष्ठ ६३४) । जो परिवार पहले समृद्ध थे, वे मुफलिस हो गये; जिन्हे अपनी जीविका के गाधन शहर में उपलब्ध थे, उन्हें रोटी-रोजी की तलाश में देहात जाना पडा।

अपना माल भारत में बेचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी जहाजरानी को प्रोत्साहन दिया, भारत की जहाजरानी उन्होंने तबाह की। भारत में बने हुए जहाज अंग्रेजी जहाजों के साथ-साथ इंग्लैंड तक पहुंचते थे। बम्बई के देशी जहाजों की लकड़ी अंग्रेजी जहाजों की लकड़ी से श्रेष्ठ मानी गयी थी। इंग्लैंड के जमी बेटे के हर जहाज का नवीकरण बारह साल में होता था। बम्बई में बने जहाज चौदह-पन्द्रह साल इस्तेमाल किये जाने के बाद भी पहले जैसे ही मजबूत समझे गये और इसलिए जंगी बेटे में शामिल किये गये। इंग्लैंड की तुलना में केरल और गुजरात के जंगलों में लकड़ी बहुत थी, खुद अंग्रेज अपनी पूजी लगाकर यहाँ जहाज बनाते तो खर्च कम पडता। किन्तु इंग्लैंड के जहाज बनाने वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इंग्लैंड के उद्योगपतियों का बस चलता तो वे हिन्दुस्तानी माल ढोने के लिए इंग्लैंड की रेलों का व्यवहार करते। पर यह सम्भव न था। मजबूरी में उन्हें यहाँ कुछ रेलगाड़ियाँ चलानी पड़ी। इनकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ जहाजों के सिल-सिले में यह बात याद कर लें कि ऐडम स्मिथ ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के लोग समुद्र यात्रा पसन्द नहीं करते। यह बात कुछ रुद्धिवादियों पर ही लागू होती थी। अंग्रेजों ने जहाज बनाने के भारतीय धन्धों का नाश तो किया ही, उनका यह प्रयत्न भी था कि हिन्दुस्तान के मल्लाह भी जहाजों में काम न करें। १८०१ में इसके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से जो कारण बताये गये थे, वे दिलचस्प हैं। हिन्दुस्तानी मल्लाह इंग्लैंड आते हैं तो यहाँ लोग उनका माल-मत्ता छीन लेते हैं। वे मड़कों पर मुफलिस बने हुए घूमते हैं। कम्पनी उन्हें कुछ घरों में रख देती है पर वे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ठंड या भूख के कारण उनमें बहुत से मर जाते हैं। लौटने पर यहाँ के बारे में वे नफरत के साथ लोगों से बातें करते हैं। हमारी एशियायी प्रजा पर ऐसी बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। हमारे चरित्र के लिए उसके मन में जो आदरभाव है, उसके बल पर हम पूरव में अभी तक अपना प्रभुत्व कायम किये हैं। एक हद तक इस आदरभाव का कारण यह है कि भारत में जो हमारा अपेक्षाकृत छोटा समाज है, और ज्यादातर भद्रजनों का है, उसे लोग दूर से देखते हैं। यह आदरभाव बदल जायेगा और

पराधीन देश में दयाकारी पाते उद्योग-धन्य भी उद्योगधन की नींव रखने के लिए काफी है। पारंगानों में मनीषों में मान बनाने वाला उद्योग अपने महा पराधीन देश में आनेवाली दयाकारी को संशय में ही डालने फिटाना अनुभव करता है, पराधीन देश में जाकर महा की दयाकारी में मुझे होट में डटे रहना उम्मे लिए सम्भव नहीं है। भाग्य के बाजार को कर्णें मान का सोन और कारखानों में बने मान की बिपी का श्रेण बनाने के लिए जरूरी था कि अंग्रेज महा के उद्योग-धन्य बरबाद करें। यदि महा कारखानों में मनीषें बसती होनी तो ये उन्हे भी बरबाद करने। परन्ते श्रेष्ठ कर्णें में काम होगा था; कमबोर ममदाकर ये उन्हे छोड न करने थे। उन्हे श्रेष्ठ देस भाहिते, मन्त्र ममदा वाला देस चाहिए, उद्योग-धन्य वाला देस न चाहिये। अंग्रेज परन्ते पुराने उद्योग-धन्य का नाश करने, फिर नये उद्योग-धन्य स्थापित करने, ऐसे मूर्ख ये नहीं थे। चरणे और करणें में होड न करने में मनीषों में ही डाल करने दोशने, ऐसे बौर ये न थे। राज्य-मत्ता का उपयोग करने उन्ोंने भारतीय उद्योग-धन्य का नाश ही टगलिए किया था कि महा उन्ते मान की बिपी में कोई बाधा न हो।

डिगवी ने निगा है कि जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के आजा-गन का नरीर रूप होना था, तब कम्पनी की ओर में एक प्रश्न भारत हो आने वाले अंग्रेजों में बराबर किया जाता था और वह यह था कि भारत के लोग इन्सेट में बना हुआ मान कहा तक मरीद करते हैं। टामस मनरो में १८१३ में ऐसा ही प्रश्न किया गया था: यदि स्वच्छन्द व्यापार हो तो क्या तुम ममदाने हो कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों मान की माग में कोई माग बढनी होगी? मनरो ने कहा, मैं नहीं ममदाना कि ऐसी माग में कोई राग बढनी होगी। मनरो ने इन्सेट कारण बताये। भारत के लोग का रहन-भाहन इगरे डग का है, हमारी नीजे महगी पढनी है। जनपायु, आचार-का विचार में भी बढकर, एक कारण यह है कि "उनका गूद का मान ऊंचे दर्जे का होना है।" मद्राग तथा कुछ अन्य जगहों में कुछ ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन से अपने कमरे राजते हैं पर ये ऐसा यूरोपियन महमानों के गलवार के लिए करते हैं। आमतौर में हिन्दू के घर में मेज नहीं होती, यह खमीन पर बँटार मा लेता है, चटाई या दरी बिछाकर आराम कर लेता है। उसका भोजन सादा होना है और वह उसे अपने देस में मिल जाना है। "उमके काडे उमके अपने देस के बने होते है। ये हम उमे दे नहीं सकते। जब तक उमे अपने देस में ये ज्यादा अच्छे ही नहीं वरन् ज्यादा सस्ते भी मिल जाते हैं, तब तक यह अगम्भव है कि हम बाजार में उसमे होड कर सकें।" (पृष्ठ २४५)

टामस मनरो आगे चलकर मद्राग के गवर्नर नियुक्त किये गये थे। अन्य अंग्रेज अफसरों की तुलना में उन्हें भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी ज्यादा थी। १८१३ में भारत में बना हुआ कपडा ज्यादा अच्छा ही नहीं था, अंग्रेजी लो के कपडे में ज्यादा सस्ता भी था, यह बात गूब ध्यान देने योग्य है। इसलिये रो ने विलकुल स्पष्ट कर दिया था कि सूती होड में अंग्रेज अपना मान भारत में बेच पायेंगे। डिगवी कहते हैं "हमने भारत को मजबूर किया कि वह हमारा कोई भी आयात कर लगाये बिना अथवा नामचार को ऐसा कर लगाकर भारत में अंग्रेजी राज और मावसंवाद

खरीदे।" (पृष्ठ ८६) । आगे चलकर इंग्लैंड में आने वाले भारतीय माल से भारी चुंभी हटा दी गयी किन्तु यह तब हुआ जब भारत के उद्योग-धन्धे तबाह हो चुके थे। अंग्रेजों की व्यापारनीति का लाजमी नतीजा यह हुआ कि व्यापार की बड़ी-बड़ी मंडियां उजड़ गयीं। उद्योग-धन्धों और व्यापार के विकास के साथ शहरों की आवादी बढ़ती है, देहात के लोग शहरों में आकर बस जाते हैं, नागरिक सम्यता का विकास होता है। अंग्रेजी राज में यहां शहरों का देहातीकरण आरम्भ हुआ। १८०० के आसपास ढाका से एक करोड़ रुपये का निर्यात-व्यापार होता था। १७८७ में यह घटकर तीस लाख का रह गया और १८१७ में वह पूरी तरह बन्द हो गया। १८०० के आस-पास ढाका की आवादी दो लाख थी, १८६० में उसकी आवादी ७६००० रह गयी थी। (पृष्ठ ६३४) । जो परिवार पहले समृद्ध थे, वे मुफ्तिस हो गये; जिन्हें अपनी जीविका के माधन शहर में उपलब्ध थे, उन्हें रोटी-रोजी की तलाश में देहात जाना पडा।

अपना माल भारत में बेचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी जहाजरानी को प्रोत्साहन दिया, भारत की जहाजरानी उन्होंने तबाह की। भारत में बने हुए जहाज अंग्रेजों जहाजों के साथ-साथ इंग्लैंड तक पहुंचते थे। बम्बई के देशी जहाजों की लकड़ी अंग्रेजों जहाजों की लकड़ी से थोछ मानी गयी थी। इंग्लैंड के जमी वेड़े के हर जहाज का नवीकरण वारह साल में होता था। बम्बई में बने जहाज चौदह-पन्द्रह साल इस्तेमाल किये जाने के बाद भी पहले जैसे ही मजबूत समझे गये और इसलिए जंगी वेड़े में शामिल किये गये। इंग्लैंड की तुलना में केरल और गुजरात के जंगलों में लकड़ी बहुत थी, सुद अंग्रेज अपनी पूजी लगाकर यहां जहाज बनाते तो खर्च कम पड़ता। किन्तु इंग्लैंड के जहाज बनाने वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इंग्लैंड के उद्योगपतियों का बम चलता तो वे हिन्दुस्तानी माल ढोने के लिए इंग्लैंड की रेलों का व्यवहार करते। पर यह सम्भव न था। मजबूरी में उन्हें यहां कुछ रेलगाड़ियां चलानी पड़ी। इनकी चर्चा आगे करेंगे। यहां जहाजों के सिल-सिले में यह बात याद कर लें कि ऐडम स्मिथ ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के लोग समुद्र यात्रा पसन्द नहीं करते। यह बात कुछ रूढ़िवादियों पर ही लागू होती थी। अंग्रेजों ने जहाज बनाने के भारतीय धन्धों का नाश तो किया ही, उनको यह प्रयत्न भी था कि हिन्दुस्तान के मल्लाह भी जहाजों में काम न करें। १८०१ में इसके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर में जो कारण बताये गये थे, वे दिलचस्प हैं। हिन्दुस्तानी मल्लाह इंग्लैंड आते हैं तो यहां लोग उनका माल-मत्ता छीन लेते हैं। वे सड़को पर मुफ्तिस बने हुए धूमते हैं। कम्पनी उन्हें कुछ घरों में रक देनी है पर वे वहां से भाग लड़े होते हैं। ठंड या भूख के कारण उनमें बहुत मर जाते हैं। लोटने पर यहां के वारे में वे नफरत के माय लोगों में बातें करते हैं। हमारी एगियायी प्रजा पर ऐसी बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। हमारे चरित्र के लिए उनके मन में जो आदरभाव है, उनके बल पर हम पूरब में अभी तक अपना प्रभुत्व कायम किये हैं। एक हद तक इस आदरभाव का कारण यह है कि भारत में जो हमारा अपेक्षाकृत छोटा समाज है, और क्यादागर भद्रजनों का है, उसे लोग दूर में देखते हैं। यह आदरभाव बढत जायेगा और

में है।

१८१५ में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई हुई और इसमें नैपोलियन पराजित हुआ। पलासी से वाटरलू तक भारत की लूट जारी रही और डिग्वी का अनुमान है कि इस बीच एक अरब पाउंड की रकम भारत से निकलकर अंग्रेजी बैंकों में पहुँची। इससे महाजनी कारोबार में जो अभूतपूर्व उन्नति हुई, उसकी कल्पना की जा सकती है। इंग्लैंड में उद्योग-धन्धों की उन्नति इस पर भी निर्भर थी कि भारत में लोगों के पास अंग्रेजी माल खरीदने लायक पैसा हो। पर अंग्रेज भारत को इस तरह लूट रहे थे कि लोगों के पास अन्न के लिए पैसा न था, विलायती माल खरीदना तो दूर की बात थी। १८१३ में रिकार्ड्स नाम के अंग्रेज ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत में यूरोपियन चीजों के प्रति शत्रुभाव नहीं है पर हमारी अर्थनीति के कारण लोग इतने गरीब हो गये हैं कि वे उन्हें खरीद नहीं सकते। १८५३ में सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने भारतीय व्यापार के सम्बन्ध में कहा था कि भारत से बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, शर्त यह है कि वहाँ के लोगों के पास हमारा माल खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हों, भले ही वे उतना माल न खरीद सकें जितना हमारे अधिकांश उपनिवेश खरीदते हैं। (पृष्ठ २६५)। आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि उपनिवेश थे, वहाँ अंग्रेज जाकर बस गये थे। इनकी हालत भारत जैसे पराधीन देश से भिन्न थी। दोनों ही तरह के देश विश्वबाजार के अन्तर्गत थे। किन्तु उपनिवेशों में अंग्रेजी माल की खपत ज्यादा थी। भारत में गरीबी और मुहमरी के कारण बहुत ज्यादा विलायती माल न बिक सकता था। भारत में अंग्रेजी भाषा और शिक्षा के समर्थक लार्ड मैकाले ने उद्योगपतियों के दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए लिखा था, "विशुद्ध स्वार्थ की दृष्टि में विचार करें तो पता चलेगा कि पराधीनता और कुशासन में रहने के बदले भारत के लोग स्वाधीन और सुशासित हों तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उनके ऊपर उनके ही राजाओं का शासन हो लेकिन वे हमारे बनाये हुए कपड़े पहनें, हमारे बनाये कांटे-चम्मच इस्तेमाल करें। वे अंग्रेज बलेबटरों और मेजिस्ट्रेटों को सलाम करते रहे लेकिन इतने मूढ़ हों कि अंग्रेजी माल की कद्र न जानें या इतने गरीब हों कि उसे खरीद न सकें, इस हालत से वह हालत अच्छी है। सम्य आदमियों से व्यापार करना असम्य लोगों पर शासन करने से कहीं ज्यादा लाभकारी है। यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि भारत को व्यर्थ ही पराधीन बनाये रहे; वहाँ के दस करोड़ आदमी हमारे ग्राहक बन सकते हैं। ग्राहक बनाने के बदले हम उन्हें अपना मुलाम बनाये रहें, यह महंगा सौदा है।" (पृष्ठ ६२)। पता नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वाधीनता का बिल पेश करने वाले लार्ड गेटली को लार्ड मैकाले की सलाह याद थी या नहीं, पर अंग्रेजों का आचरण उसी सलाह के अनुरूप था। फर्क इतना है कि अंग्रेजी माल बेचने के अलावा महाजनी पूँजीवाद के युग में अंग्रेजों ने यहाँ अपनी पूँजी भी लगाई।

जिस बाजार में गरीबों और मुफलिसों की भरमार हो, उसमें व्यवसायी अपना माल बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते। डिग्वी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि भारत में जो अंग्रेजी माल आता है, उसके ग्राहक या तो

उसकी जगह बहुत घटिया किस्म की भावना पैदा हो जायेगी यदि लोगों के मन में इस जानकारी में क्रोध पैदा हुआ कि वे अभी तक हमारी ज़रूरत से ज्यादा इच्छत करते आये थे या हमारा मूल्य उन्होंने बहुत बढ़ा-चढ़ाने आना था; इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी हो सकता है।" (पृष्ठ १०२-१०३)।

अंग्रेज जब भारत आते थे तब अपना असली चेहरा वहीं इंग्लैंड में रख आते थे। उन्हें इस बात की बड़ी फिक्र थी कि हिन्दुस्तान के लोग उनका असली चेहरा न देख लें। एशिया के काले-नीले लोग हर तरह में पिछड़े हुए हैं, यूरोप के गोरे उन पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। इन गोरों में भी सबसे ऊंची जगह अंग्रेज बहादुर की है। अपने नकली चेहरे केवल पर उन्होंने गोरी नस्ल की श्रेष्ठता की अफवाह फैला रखी थी। उनकी असलियत का पता चल जाता तो नकली चेहरे का रोव भी हवा हो जाता। फिर हुकूमत कायम रखने में उनके सामने मुश्किलें आ सकती थी। इंग्लैंड में रखा हुआ अगली चेहरा अंग्रेजी पढ़े भारतीय बुद्धिजीवी देख लें तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। उन्हें विश्वास था कि ऐसे लोगों का भविष्य अंग्रेजी राज के साथ जुड़ा हुआ है और वे उसका साथ न छोड़ेंगे। उन्हें सबसे ज्यादा डर रालागियो और मल्लाहां जैसे अपढ़ लोगों से था। इनका भविष्य अंग्रेजी राज के साथ जुड़ा हुआ न था। वे देश लौटकर अंग्रेज मालिकों का कच्चा निट्टा अपने भाइयों को सुना सकते थे। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर आम जनता से था, इमीलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी के मालिक यह न चाहते थे कि हिन्दुस्तानी मल्लाह उनके देश पहुँचें।

जिस समय भारत का माल लादे हुए भारत के बने जहाज लन्दन पहुँचे समय का वर्णन इतिहासकार टेलर ने इस प्रकार किया है, "लन्दन के बंदरग भारत के बने जहाज पहुँचे। उन पर भारत का माल लदा हुआ था। यदि नदी में दुश्मन का बेडा पहुँच जाता, तो उसमें भी ऐसी हलचल पैदा न होती कि इजारेदारों में इन जहाजों के पहुँचने से हुई। लन्दन के जहाज बनाने वाले सबसे पहले विरोध में हल्ला मचाया। उन्होंने ऐलान किया कि उनका घन्घा चौ ही होने वाला है और अंग्रेजी जहाज बनाने वाले मजदूरों के भूखे मरने की नीब आने वाली है"। (डिग्वी, पृष्ठ ७९)। जो उद्योगपति भारत में अपना माल बेचना चाहते थे, वे स्वच्छन्द व्यापार के हामी थे। इसी स्वच्छन्द व्यापार के नाम पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी की इजारेदारी का विरोध किया था। उनका चच्छन्दता-प्रेम केवल ईस्ट इंडिया कम्पनी के संदर्भ में उभरता था; जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, उन्हें न भारत का माल पसन्द था, न माल ढोने वाले भारत जहाज पसंद थे। डिग्वी ने इंग्लैंड को पार्श्वत्या संसार में समुद्र की साम्राज्ञी है और भारत को पूरब में समुद्र की साम्राज्ञी कहा है। आजकल बहुत से लोगों यह सब भारत के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा। किन्तु १८५७ तक भारतीय ज़रानी पूरी तरह खत्म न हुई थी। १८५७ में ३४,२८६ भारतीय जहाज ड पहुँचे; उसी साल ब्रिटिश और ब्रिटिश इंडियन जहाजों की संख्या ५९,४४१ (पृष्ठ ८८)। धीरे-धीरे यह अनुपात भी बदल गया। १८५७ से सौ साल पलासी के युद्ध के समय, जो स्थिति थी, उसी की झलक टेलर के विवरण भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

में है।

१८१५ में चाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई हुई और इसमें नैपोलियन पराजित हुआ। पनामी में चाटरलू तक भारत की लूट जारी रही और डिग्वी का अनुमान है कि इस बीच एक अरब पाउंड की रकम भारत से निकलकर अंग्रेजी बैंकों में पहुँची। इसमें महाजनी कारोबार में जो अभूतपूर्व उन्नति हुई, उसकी कल्पना की जा सकती है। इंग्लैंड में उद्योग-धन्धों की उन्नति इस पर भी निर्भर थी कि भारत में लोगों के पास अंग्रेजी माल खरीदने लायक पैसा हो। पर अंग्रेज भारत को इस तरह लूट रहे थे कि लोगों के पास अन्न के लिए पैसा न था, विलायती माल खरीदना तो दूर की बात थी। १८१३ में रिगाईंस नाम के अंग्रेज ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत में यूरोपियन चीजों के प्रति शत्रुभाव नहीं है पर हमारी अर्थनीति के कारण लोग इतने गरीब हो गये हैं कि वे उन्हें खरीद नहीं सकते। १८५३ में सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने भारतीय व्यापार के सम्बन्ध में कहा था कि भारत से बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, शर्त यह है कि वहाँ के लोगों के पास हमारा माल खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हों, भले ही वे उतना माल न खरीद सकें जितना हमारे अधिकांश उपनिवेश खरीदते हैं। (पृष्ठ २६५)। आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि उपनिवेश थे, वहाँ अंग्रेज जाकर बस गये थे। इनकी हालत भारत जैसे पराधीन देश में भिन्न थी। दोनों ही तरह के देश विश्वबाजार के अन्तर्गत थे। किन्तु उपनिवेशों में अंग्रेजी माल की खपत ज्यादा थी। भारत में गरीबी और भुखमरी के कारण बहुत ज्यादा विलायती माल न बिक सकता था। भारत में अंग्रेजी भाषा और शिक्षा के समर्थक लार्ड मैकाले ने उद्योगपतियों के दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए लिखा था, “विशुद्ध स्वार्थ की दृष्टि से विचार करें तो पता चलेगा कि पराधीनता और कुशासन में रहने के बदले भारत के लोग स्वाधीन और मुशासित हों तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उनके ऊपर उनके ही राजाओं का शासन हो लेकिन वे हमारे बनाये हुए कपड़े पहनें, हमारे बनाये काटे-चम्मच इस्तेमाल करें। वे अंग्रेज बलेकटरो और मेजिस्ट्रेटो को सलाम करते रहें लेकिन इतने भूढ़ हों कि अंग्रेजी माल की कद्र न जाने या इतने गरीब हों कि उसे खरीद न सकें, इस हालत से वह हालत अच्छी है। सम्य आदमियों से व्यापार करना असम्य लोगों पर शासन करने से कहीं ज्यादा लाभकारी है। यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि भारत को व्यर्थ ही पराधीन बनाये रहे; वहाँ के दस करोड़ आदमी हमारे ग्राहक बन सकते हैं। ग्राहक बनाने के बदले हम उन्हें अपना गुलाम बनाये रहे, यह महँगा सौदा है।” (पृष्ठ ६२)। पता नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वाधीनता का बिल पेश करने वाले लार्ड ऐटली को लार्ड मैकाले की सलाह याद थी या नहीं, पर अंग्रेजों का आचरण उसी सलाह के अनुरूप था। फर्क इतना है कि अंग्रेजी माल बेचने के अलावा महाजनी पूँजीवाद के युग में अंग्रेजों ने यहाँ अपनी पूँजी भी लगाई।

जिस बाजार में गरीबी और मुफलिसों की भरमार हो, उसमें व्यवसायी अपना माल बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते। डिग्वी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि भारत में जो अंग्रेजी माल आता है, उसके ग्राहक या तो

अंग्रेज है या वे हिन्दुस्तानी है जिनका रहन-सहन अंग्रेजों जैसा है। बहुत थोड़े ऐसे लोग थे जो भारतीय माल की तुलना में अंग्रेजों माल के रास्ता होने के कारण उन्हें खरीदते थे। अंग्रेजी राज एक बहुत बड़ी ज़मींदारी की तरह था। इस राज में जो लोग सम्बद्ध थे, उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत यहां की खेती थी। खेती भारत-वासी करते थे, उनकी मेहनत का फल अंग्रेजी राज के हाकिमों को मिलता था। १८२१ में जेम्स मिल के अनुसार हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की ६० फीसदी माल-गुजारी का स्रोत जमीन का लगान था, यह लगान व्यक्तियों को न मिलता था बल्कि "हमेशा सरकार की सम्पत्ति समझा जाता था।" (पृष्ठ २६२)। जेम्स मिल को इस स्थिति से बड़ा सन्तोष था; उनके विचार में राज्य-सत्ता की सारी ज़रूरतें टैक्स लगाये बिना इस मालगुजारी से पूरी हो जाती थी। जेम्स मिल के समय में अंग्रेजों ने अपना राज चलाने के लिए टैक्स न लगाया हो, ऐसा नहीं है। मिल की बात में सच्चाई यह है कि अंग्रेजी राज की आमदनी का मुख्य जरिया लगान था जो किसान में वसूल किया जाता था। कानून की निगाह में जमीन का बन्दोबस्त किसी भी तरह का हो, चाहे रयतवारी व्यवस्था हो चाहे किसी किस्म की जमींदारी हो, खेती की उपज का बड़ा हिस्सा अंग्रेज के पास पहुँच जाता था। इसी अर्थ में अंग्रेज भारत का सबसे बड़ा जमींदार था। जमीन के लगान को आय का मुख्य साधन बनाना उद्योगपतियों का काम नहीं है। औद्योगिक पूँजीवाद के युग में, और उसके बाद महाजनी पूँजीवाद के युग में, जब तक वन पड़ा, अंग्रेज ने अपनी जमींदार वाली भूमिका निवाही।

हेबर नाम के पादरी ने १८२६ में लिखा था कि कुल उपज का आधा हिस्सा सरकार ले लेती है। हेबर ने यह भी बताया कि अंग्रेज जितना ज्यादा लगान वसूल करता है, उतना देशी राजा नहीं वसूल करता। इसका नतीजा यह था कि देशी रियासतों में जितनी गरीबी थी, उससे कहीं ज्यादा गरीबी कम्पनी के सूबों में थी और यह गरीबी बराबर बढ़ रही थी। (पृष्ठ ५०)। रिकार्ड्स नामक जिन सज्जन का उल्लेख पहले ही चुका है, उन्हें भारत की स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी थी। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, "मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि कई जगह जो मालगुजारी तय की गई, वह हकीकत में कुल उपज से ज्यादा थी। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि भारत में कई जगह मालगुजारी तय करते समय यह भी बताया गया है कि यह मालगुजारी किस तरह की जमीन के लिए तय की जा रही है, बताया गया है कि यहाँ धान होता है, यहाँ फलों के बाग हैं, यहाँ काली-मिर्च, अगूर वगैरह की उपज होती है। जमीन के हर हिस्से की खासियत अलग-अलग बयान की गयी है। लेकिन जब मालगुजारी के तखमीने से उस जमीन का मिलान किया गया तब पता चला कि बाबा आदम के जमाने से वहाँ जंगल के अलावा कुछ रहा ही नहीं।" (पृष्ठ ५६)। अंग्रेज नये ढंग का जमींदार था। जंगल को धान का खेत कहकर वही लगान वसूल कर सकता था। लगान-वसूली के लिए सारा कानूनो तन्त्र, और उसके साथ पुलिस और फौजवाला दमन-तन्त्र, अंग्रेज के पास मौजूद था। नतीजा यह कि पलासी की लड़ाई के बाद से ग़दर तक लाखों गरीब हिन्दुस्तानी दुर्भिक्ष के शिकार हुए।

ऐडम स्मिथ, एडमंड बर्क और विलियम डिग्वी ने भिन्न-भिन्न समय पर भारत की स्थिति पर विचार करते हुए एक ही बात कही है : भारत आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर लौट रहा था। उसके उद्योग-धन्ये ही तबाह नहीं किये गये, उसके आर्थिक विकास की क्षमता भी नष्ट की गई। लूटखसोट के नये तरीके लागू करके अंग्रेजों ने भारत के कृषि-तंत्र को नष्ट किया। जब तक दिल्ली में केन्द्रीय राज्यसत्ता सुदृढ़ रही, अंग्रेजों को तब तक भारत का आर्थिक शोषण करने की सुविधा न मिली। यहां अपना राज्य कायम करके ही वे बड़े पैमाने पर जनता का शोषण कर सके। इसीलिए भारत को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए उसे सबसे पहले राजनीतिक रूप से स्वतंत्र करना आवश्यक था।

६. भारत में रेलमार्गों का निर्माण

भारत की उन्नति के लिए अंग्रेजों ने जो बड़े-बड़े काम किये थे, उनमें सबसे बड़ा काम यहां रेलगाड़ियां चलाना था और इस काम का डंका वे खूब जोर से पीटते थे। अभी इस काम की शुरुआत हुई ही थी कि सन् ५७ का गदर हो गया। गदर होने का एक कारण यह भी बताया गया कि रेलगाड़ियों के चलने से लोगों को अपनी जाति जाने का भय था; इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। इतिहासकार यह नहीं बताते कि यह विद्रोह कलकत्ते में क्यों नहीं हुआ क्योंकि रेलमार्गों का मुख्य केंद्र कलकत्ता था। इसके सिवा वे इस बात को भी कैफियत नहीं देते कि मुगलमानों को तो जाति जाने का डर था नहीं, फिर वे इस विद्रोह में इतनी बड़ी तादाद में क्यों शामिल हुए। देखना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत में रेलगाड़ियां किस उद्देश्य से चलायीं और भारत के आर्थिक विकास पर उनका क्या असर पड़ा।

'डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेल्वेज' (ले. नलिनाक्ष सान्याल; प्र. कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९३०) नाम की पुस्तक में सरकारी प्रकाशनो और विशेषज्ञों की पुस्तक के आधार पर आरम्भ से लेकर १९२९ तक की स्थिति का विवरण दिया हुआ है। पुस्तक इस दृष्टि से लिखी गयी है कि कुल मिलाकर रेलों के मामले में सरकारी नीति उचित जान पड़े। जहां यह नीति अनुपयोगी साबित हुई या उसके सही नतीजे नहीं निकले, वहां सरकारी विवरणों या विशेषज्ञों की पुस्तकों से तथ्य दिये गये हैं। तथ्यों की विश्वसनीयता में संदेह नहीं है।

इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति कई मजिलों पर कर चुकी थी; कारखानों में मशीनों से काम होने लगा था। इसी औद्योगिक क्रान्ति के अन्तर्गत यातायात के साधनों में जब मशीनों का व्यवहार होने लगा, तब इंग्लैंड में रेलमार्गों का निर्माण हुआ। इस समय इंग्लैंड के व्यापारियों को इस बात की जरूरत नहीं थी कि वे भारत का बना हुआ माल अपने देश में बेचें। अब जहरत यह थी कि इंग्लैंड का बना हुआ माल भारत में लाकर बेचा जाय। इसके अलावा कारखानों में बिकाऊ माल तैयार करने के लिए उन्हें कच्चा माल भी चाहिए था। इस कच्चे माल में सबसे महत्वपूर्ण चीज धातु कपास। भारत से कपास ले जाना, फिर विलायत में कपड़े बनाकर उन्हें यहाँ बेचने के लिए ले आना, अंग्रेजी उद्योग और व्यापार

का यह रूप था। भारत और इंग्लैंड के बीच माल ढोने का काम जहाज करते थे। इंग्लैंड में बन्दरगाह से कारखाने तक माल ढोने का काम रेलों से होता था। भारत में दो प्रमुख बन्दरगाह कलकत्ता और बम्बई थे। जिन प्रदेशों में कपास होती थी, वे इन बन्दरगाहों से दूर थे। इंग्लैंड को अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए भारत में कपास ढोने का काम जल्दी से निपटाना जरूरी हो गया। भारत में रेलमार्गों के निर्माण का यह मुख्य कारण था। उक्त पुस्तक में बताया गया है कि जून १८४७ में ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी का पंजीकरण हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो नाम के दो प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्रों के व्यवसायियों ने सरकार पर जोर डाला कि भारत में जल्दी ही रेलमार्ग बनाये जायें। यह काम बम्बई में होनेवाले कपास के निर्यात के लिए विशेष रूप में जरूरी था। अभी तक इंग्लैंड को अमरीका से कपास मिलती थी किन्तु अब उम देश से राजनीतिक सम्बन्ध बिगड़ गये थे। इसलिए भारत से कपास मँगाना जरूरी हो गया। उक्त नगरों के व्यवसायियों का कहना था कि रेलगाड़ियां चलाने में भारतीय कपास सफलतापूर्वक अमरीकी कपास से टक्कर ले सकेगी। (पृष्ठ १३)। डलहौजी का विचार था कि भारत काफी कपास पैदा करता है। इंग्लैंड जोरों में इस कपास की मांग कर रहा है। रेलगाड़ियां चलाने से भारत के दूर-दूर बाजारों में भी विलायती माल की मांग बढ़ेगी। (पृष्ठ २१)। १८४७ में बम्बई-बड़ौदा और मन्द्रल इंडियन रेलवे-लाइन बनाने की बात चली थी। उद्देश्य यह था कि गुजरात की कपास ढोकर बम्बई लायी जाये। रास्ते में चंडी-बड़ी नदियां पार करना था; इसलिए योजना बनाने वालों ने सोचा कि पहले सूरत और अहमदाबाद के बीच की लाइन बनायी जाये। (पृष्ठ २५)। कपास ढोने के लिए रेलमार्गों के निर्माण का फल यह हुआ कि १८४८ में १८५६ तक की अवधि में कपास का निर्यात दुगुना हो गया और विलायती माल का आयात ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। (पृष्ठ ५६)। (यहां उल्लेखनीय है कि गदर का जो मुरुष क्षेत्र था, उमने कपास ढोकर बम्बई न ले जायी जाती थी। गदर से पहले के दम वर्षों में जिस क्षेत्र में रेलमार्गों द्वारा बम्बई तक कपास पहुंचायी जाती थी, वह शाही, लगनऊ और दिल्ली में मकड़ों मीन दूर था।) १८६८ तक कपास पैदा करने वाले सारे महत्वपूर्ण रेलमार्गों में सम्बद्ध हो गये। रेलगाड़ियां चलाने के लिए मुख्य व्यावसायिक मांग पूरी हुई। १८५१-५२ से लेकर १८६८-६९ तक ब्रिटिश भारत के आयात-निर्यात व्यापार में तिगुनी बढ़ती हुई। किन्तु इस बीच व्यापार का रूप बदल गया था। पहले यहां में तैयार माल भेजा जाता था; अब उमकी जगह कपास भेजी जाती थी। कपास के अलावा तिलहन और गेहूं का निर्यात भी होता था। भारत में व्यापार की दृष्टि में फलनें उषायी जाने लगी। कपास की मफाई के लिए, उमके बंडल बनाकर बाहर भेजने के लिए कुछ कारखाने भी खोले गये, "किन्तु कुल मिलाकर भारत के पुराने धन्धे धीरे-धीरे गरम हो गये और दम कारण यह मुख्य रूप में गेहिर देन बन गया।" (पृष्ठ ६०)। भारत के आर्थिक जीवन में भारी उधन-मुषल हुई। फीमनें बड़ी ओर पगार भी बड़ी, "किन्तु कामनों को बढ़ाने के मुगारने पगार में बढ़ती न हुई।" (उप.) (यह

सिलसिला अब तक चला आ रहा है।) पहले जो अन्न सामग्री म
जाती थी, वह देन में बनी रहती थी और तगी के समय वह काम
इस सामग्री का निर्यात होने लगा था। अब देन में अन्न के ऐसे म
जो अकाल और दुर्भिक्ष के समय काम आते। इसका परिणाम यह
अकाल पड़ने पर लोगों की मुसीबतें पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा ब
प्रदेशों में अन्न हो, उनसे मुसभरी वाले दस्तावेजों में अन्न पहुचाया
किन्तु इसके लिए रेलों का भरोसा न किया जा सकता था। कठिनाई
लिए जो अन्न भंडार पहले सुरक्षित रहते थे, उनके अभाव में तब
गयी। (पृष्ठ ६०-६१)। (रेलो का भरोसा इसलिए न किया जा सक
वे भारत का अन्न भारत के लोगों तक पहुँचाने के लिए न चलायी
उनका उद्देश्य था भारत का अन्न उद्योग-प्रधान इंग्लैंड तक पहुँचाना।
पूजीपति कारखानों में तैयार किया हुआ माल बाहर भेजकर अपार धन
धे। गेती के विकास में इस तरह धन कमाना सम्भव न था। खेती की
अपनी पूंजी कारखानों में लगाते थे। भारत की गरीब प्रजा को भूखा
वे अपनी अन्न की आवश्यकता पूरी करते थे।) इंग्लैंड में जो माल भारत में
आया, उससे यहाँ के कारीगर तवाह हुए। रेलों के निर्माण से भारत की आम
का जो हित हो सकता था, वह नहीं हुआ। (पृष्ठ ६१)।

१८४० और ५० के दशकों में कपास की माग जोरो पर थी; १८७०
८० के दशकों में यूरुप के वाजारों के लिए भारतीय गेहूँ की माग जोरो से
(पृष्ठ १०३)। (गदर से पहले कपास की ज़रूरत मुख्य थी; गदर के ब
१९वीं सदी के अंतिम चरण में, जब महाजनी पूजी का युग शुरू हुआ, तब गेहूँ
मांग और बढ़ गयी। इस समय इंग्लैंड के अलावा यूरुप के देशों में भी कपा
औद्योगिक प्रगति हो चुकी थी। अंग्रेजों ने पराधीन भारत का अन्न इंग्लैंड
अलावा यूरुप में भी भेजना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में
मुबमरी और भी बढ़ी।) भारत में रेलमार्गों के निर्माण के लिए और रेलगाड़िया
चलाने के लिए पूजी इंग्लैंड से आती थी, सामान वही से आता था। भारत
सरकार इंग्लैंड को यह कच्चा माल भेजती थी जिसकी भारत को ज़रूरत थी।
(पृष्ठ १०४)। १८७१ में भारत में इंग्लैंड को दो लाख अड़तालीस हजार पांच
सौ वाइस हन्ड्रेडवेट गेहूँ भेजा गया था। केवल साल भर बाद निर्यात किये हुए
गेहूँ की तादाद तैंतालीस लाख सैंतीस हजार दो सौ आठ हन्ड्रेडवेट हो गयी।
(उप.)।

भारत से कच्चा माल भेजने और इंग्लैंड का तैयार माल यहाँ बेचने के लिए
इस देश को पराधीन बनाये रखना ज़रूरी था। देश को पराधीन बनाये रखने के
लिए यहाँ बहुत बड़ी फौज रखना ज़रूरी था। यदि रेलगाड़ियों के जरिये फौज
एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रतापूर्वक ले जायी जा सके तो सैनिकों की संख्या
कम होने पर भी फौज को ज्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था।
जब इस बात का हिसाब लगाया जा रहा था कि रेलें बनाने में कितना धन खर्च
होगा और उसे कौन देगा, तब गवर्नर जनरल ने हिसाब लगाया कि कलकत्ते से

दिल्ली तक लाइन चालू होने पर फौजी खर्च में कम से कम पचास हजार पाउंड सालाना की बचत होगी। (पृष्ठ ११)। इस एक बात से अनुमान किया जा सकता है कि ब्रिटिश फौज को प्रभावशाली बनाने के लिए रेलों की कितनी जरूरत थी। १८४४ में बंगाल सरकार ने भारत सरकार को बताया कि कलकत्ता दिल्ली लाइन चालू करने से व्यापारिक लाभ के अलावा राजनीतिक लाभ भी होगा। शासन-केंद्र अभी कलकत्ते में ही था। यह कलकत्ता जब पश्चिमोत्तर प्रदेश से जुड़ जायेगा, तब इस समस्या का समाधान हो जायेगा कि शासन केंद्र कहा पर हो। निस्सन्देह इससे फौजी खर्च में भी बहुत बड़ी बचत होगी। (पृष्ठ ७)।

अंग्रेज कुछ रेलमार्गों को रणनीतिक मार्ग (स्ट्रैटीजिक लाइन्स) कहते थे। पंजाब और उत्तरी सीमान्त प्रदेश के रेल मार्ग रणनीतिक मार्ग थे। वहाँ इस बात पर ही रहीं थी कि यहाँ बड़े गेजवाली लाइनें डाली जायें या छोटे गेजवाली। भारत सचिव ने सैनिक अधिकारियों की राय जानना चाही। मेनाचक्ष नेपियर ने कहा कि बड़े गेजवाली लाइनें ही डालनी चाहिए किन्तु इस काम में बहुत देर लगे तो छोटे गेजवाली लाइनें डाली जायें। (पृष्ठ १०-११)। बड़े गेज की लाइनें फौज के लिए अधिक सुविधाजनक थी। उन पर गाड़ियाँ तेजी से चल सकती थी और फौज को किसी जगह पहुँचाने में समय की बचत होती थी। खर्च ज्यादा पड़ता था पर सैनिक लाभ अधिक था। ई. आई. आर. जैसी लाइनें बड़े गेज की थी। इसका कारण यह था कि वे सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गयी थी। "यद्यपि पंजाब और सीमान्त की जरूरतों के लिए भीटर गेज लाइनें व्यापारिक दृष्टि से पूरी तरह पर्याप्त मानी जाती थी, फिर भी सैनिक आवश्यकताओं के विचार से उनकी क्षमता के बारे में सन्देह प्रकट किया जाता था। भारत सरकार के कुछ सदस्यों का विचार था कि भीटर गेज की लाइनें सैनिक आवश्यकताएँ बरूबी पूरा कर सकती है लेकिन गवर्नर जनरल लार्ड नॉर्थ-ब्रुक की राय थी कि पंजाब की लाइनें विद्युत् सैनिक और राजनीतिक कारणों से बनाई जा रही हैं; मेना की राय यह है कि बड़े गेज की लाइनें ही डाली जायें, इसलिए भारत सरकार पंजाब और सीमान्त प्रदेशों के लिए वैसी लाइनों के ही पक्ष में निर्णय करेगी। छोटे गेज की लाइनें सैनिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती है या नहीं, इस प्रश्न पर इंग्लैंड में जनरल स्ट्रैची और मेजर विलियम्स नाम के दो सैनिक विशेषज्ञों ने भी विचार किया। (पृष्ठ ६३)। भारत और इंग्लैंड में सैनिक विशेषज्ञ रेल की पटरियों के बीच की चौड़ाई को लेकर बहम कर रहे थे, यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि रेलों के निर्माण में फौजी आवश्यकताओं को बराबर ध्यान में रखा गया था।

रेलमार्गों से अपेक्षित मुनाफा न हुआ तो उसका एक कारण यह था कि रेल-मार्ग केवल व्यापार और मुनाफे के लिए नहीं, फौजी आवश्यकताओं के लिए बनाये गये थे। जिन कम्पनियों ने पैसा लगाया, उन्हें ही लगायी हुई पूंजी पर मुनाफे या ब्याज के रूप में अपना फी सँकड़ा हिस्सा पहने से तम कर लिया। कुछ रेलमार्ग भारत सरकार ने स्वयं बनवाये किन्तु उसने जिन लाभ की कल्पना की थी, वह उसे न हुआ। "समय की मांग ऐसी थी कि उसके दबाव में राज्य के पूंजी-साधनों का काफी बढ़ा

हिस्सा उत्तरपश्चिमी सीमान्त की सैनिक और रणनीतिक लाइनों के निर्माण में लगाया गया। ऐसा करते समय चर्च और व्यापारिक लाभ-हानि का विचार बिल्कुल न किया गया था। सरकार ने जो लाइनें बनाईं, उन पर काफी बड़े परिमाण में अनुत्पादक पूजी का बोझ लाद दिया गया।” (पृष्ठ १३४)। दरअसल लाइनें चाहे कम्पनियां बनाये चाहे सरकार बनाये, अधिकांश पूजी अनुत्पादक ही रहती थी, क्योंकि कुछ लाइनें सैनिक आवश्यकताओं के लिए ही बनायी गयी थीं। भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर रेलों का निर्माण किया जाता तो उनमें लगाई हुई पूजी के अनुत्पादक होने का सवाल ही न उठता। रेलों का उपयोग चाहे कच्चा माल ढोने के लिए किया गया हो और चाहे फौजियों को ढोने के लिए, उनमें लगायी हुई पूजी चाहे उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक, वह वसूल की गयी थी भारतीय जनता से।

अंग्रेज भारतीय रेलों का उपयोग यहाँ की जनता को दबाये रखने के लिए कर रहे थे; इसके अतिरिक्त वे इनका उपयोग पड़ोसी देशों को दबाने के लिए भी कर रहे थे। भारत सरकार का ध्यान “उत्तरपश्चिमी सीमान्त की सैनिक रेलों के बारे में निश्चित नीति निर्धारित करने की ओर आकर्षित किया गया था। १८७८-७९ में अफगानिस्तान वाले अभियानों के दौरान रेल-संचार-व्यवस्था का मूल्य बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका था। राजकीय निर्माण के लिए जितना पैसा उधार लिया गया था, उसका अधिकांश सीमान्त लाइनों में खपता चला जा रहा था और देश के केंद्रीय भाग में दुर्भिक्ष वाली लाइनों के लिए बहुत कम पैसा बचता था।” (पृष्ठ १४८)। प्रथम महायुद्ध के बाद यह हिसाब लगाया गया कि विशुद्ध रणनीतिक लाइनें कितनी हैं। १९२१-२२ में इन लाइनों की लम्बाई १७७५ मील थी। ये सब लाइनें उत्तरपश्चिमी सीमान्त में थीं। उत्तरपश्चिमी राजकीय रेल-व्यवस्था का तैंतालीस प्रतिशत भाग इन लाइनों ने घेरा था। “इन रणनीतिक लाइनों के कारण राजकीय रेल-व्यवस्था को भारी हानि सहनी पड़ी और सार्वजनिक रूप से इस बात की आलोचना होने लगी।” (पृष्ठ ३१९-२०)। यह कहना अनावश्यक है कि जो लाइनें व्यापारिक कही जाती थी, उनका उपयोग भी फौजी कार्यों के लिए होता था।

रेल-व्यवस्था फौजी आवश्यकताओं से घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई थी, इसलिए अंग्रेज रेल विभाग के महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतवासियों को नियुक्त न करते थे। जहाँ तक बन पड़ता था, वे ऐसे स्थानों पर अंग्रेजों को या एंग्लो इंडियनों को नियुक्त करते थे। सर टी. रियान (Ryan) ने आइलिंगटन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के सामने गवाही दी थी। वह रेलवे बोर्ड के सचिव थे। उन्होंने कहा था कि रेलों का व्यावसायिक महत्व है किन्तु “वे देश की सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक साधन हैं। यहाँ सैनिक दृष्टिकोण और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण, दोनों की ही बात है। रेल-कर्मचारियों की भरती के समय इस सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी था।” (पृष्ठ ३०८)। रेलों में काम करने के लिए कुलियों, मजदूरों और बलकों के रूप में हिन्दुस्तानियों की भरती होती थी। प्रमुख स्थानों पर अपवाद रूप में ही कुछ भारतवासी नियुक्त होते थे। हिन्दुस्तानियों को

इंजन ट्राइवरो और मिस्त्रियों का काम करने लायक न माना जाता था। रेल सेवाओं के कुछ विभाग भारतवासियों के लिए बन्द रखे गये। (पृष्ठ ५६)। इस बात को अस्वीकार करना कठिन है कि अंग्रेज गद्दों रंगभेद की नीति में काम ले रहे थे। १६०२ में रेलों में काम करने वाले गोरों की संख्या ५,८७५ थी। अधगोरे (यूरोपियन अथवा ऐंग्लो इंडियन) ८,२६६ थे। भारतवासियों की संख्या ३,७८,३७३ थी। इस प्रकार भारतवासी कुल योग का ६४.६ प्रतिशत थे, "किन्तु उनमें शायद ही किसी को कोई ऊंची जगह या दायित्व का स्थान दिया गया हो। जितने गोरे या अधगोरे काम करते थे, उनमें १२,०२२ को स्वयंसेवक बनाकर सहायक दल (Auxiliary Force) में भरती किया गया था और भारतीय कर्मचारियों को उसमें बाहर रखा गया था।" (पृष्ठ २१४)। उसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि अंग्रेजी राज में भारत की रेलव्यवस्था अंग्रेजों की गैरनिकलव्यवस्था का अभिन्न अंग थी। रेलों के निर्माण में ब्रिटिश फौज को विदेशी शासन कायम रखने का और भी कारगर माधन बनाया गया। इस सम्बन्ध में एक रोचक घटना का उल्लेख करना उचित होगा। बम्बई में स्टेशन कहां बने, इस बात को लेकर काफी बहस हुई। रेलवे कम्पनी चाहती थी कि किले के पास स्टेशन बनाया जाये जिसमें बन्दरगाह तक पहुँचने के लिए वह सुविधाजनक हो। सैनिक अधिकारियों ने इसका तीव्र विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्ब्याची रूप में पहले बोरीबन्दर में स्टेशन बना। वहाँ जगह कम थी, इसलिए फिर उसे हटाकर एलफिन्स्टन में बनाया गया। (पृष्ठ ३३)। स्पष्ट ही सैनिक अधिकारियों को भय था कि स्टेशन पर एकट्ठा होनेवाली भीड़ में किले के लिए खतरा पैदा हो सकता था। जब १८५७ में गदर हुआ, तब रेल निर्माण-कार्य में रुकित हुई। "ईस्ट इंडियन रेलवे पर जो निर्माण-कार्य हो रहा था, वह गदर के समय रुक गया और भारी हानि सहनी पड़ी।" (पृष्ठ ३२)। रेल व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों को गदर में भारी हानि सहनी पड़ी तो यह स्वाभाविक था। वे रेलमार्गों का निर्माण फौजी आवश्यकताओं के लिए कर रहे थे। इसलिए गदर करनेवालों ने उनका किया कराया काम बर्बाद किया। यह उचित था। ध्यान देने की बात है कि जिस लाइन पर काम ठप्प हुआ वह ई. आई. आर. थी। दूसरी ओर "१८५७ के गदर में साबित कर दिया कि और भी द्रुत विकास अत्यन्त आवश्यक है।" (पृष्ठ ३६)। क्यों आवश्यक है? गदर की सम्भावना को रोकने के लिए, गदर हो जाये तो उसे दबाने के लिए। भारत में रेलों का निर्माण हुआ, अंग्रेजी राज का शिक्का और मजबूत करने के लिए।

रेलें बनाने के लिए पूजी की जरूरत थी। अधिकारियों का कहना था कि भारत में पूजी नहीं है, इसलिए इंग्लैंड के पूजीपति उधार पूजी देंगे। किन्तु इंग्लैंड के पूजीपतियों के पास भी यह पूजी अभी थोड़े दिन पहले ही आयी थी और बहुत से लोगों को याद था कि यह पूजी वहाँ भारत में पहुँची है। अंग्रेज जो पूजी वहाँ रेलों में लगानेवाले थे, वह एक तरह से पूजी का निर्यात था। अभी महाजनी पूजी का युग शुरू नहीं हुआ किन्तु अंग्रेजों के पास इतनी पूजी एकत्र हो गयी है कि वे रेलों के निर्माण के लिए उसे उधार दे सकते हैं। इस समय, और बाद की भी.

अंग्रेजों ने जिस पूंजी का निर्यात किया, उसका आयात वह भारत जैंग देशों से पहले कर चुके थे। किसी देश को लूटकर पूंजी बटोरना, फिर व्याज पर उसी देश को पूंजी उठाना, महाजनी पूंजी की कारगुजारी का यही रहस्य है। जिस समय भारत में रेल-मार्ग बनाने की योजनाओं पर इन्जिनियर लोग विचार कर रहे थे, उस समय पूंजी की समस्या हल करने के लिए उनका कहना था, भारत ने वरसों तक इंग्लैंड को खिराज दिया है; उसे चाहिए कि वह उग खिराज का एक हिस्सा वापस मांग ले। (पृष्ठ १२)। जिन इन्जिनियरों ने यह सुझाव दिया था, वे भी अंग्रेज थे। किन्तु भारत की ब्रिटिश सरकार ने खिराज वापस न मांगा और न ब्रिटेन की सरकार ने उसे वापस किया।

अंग्रेज पूंजीपतियों की कम्पनियां बनीं। १७ अगस्त १८४६ को ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे-कम्पनी के साथ रेलें बनाने के लिए इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये। भारत पर कम्पनी का राज, इस कम्पनी के साथ ई. आई. आर. और जी. आई. पी. इन दो अन्य कम्पनियों की जागीरें कायम हुईं। इन सब कम्पनियों के माध्यम से जो लोग पैसा कमा रहे थे, वे ब्रिटिश पूंजीपतिवर्ग के सदस्य थे। इकरारनामों की विशेषता यह थी कि भारत सरकार ने पूंजी लगानेवालों को एक निश्चित दर पर व्याज देना स्वीकार किया था। पूंजी लगाने वाले के सामने जो एक शर्त बनी रही है कि धन्या चलेगा या नहीं, वही शर्त की यहा गुजाइश न थी। पूंजी लगाने वालों को निश्चित व्याज के अलावा रेलों में मुनाफा होने पर उममें भी हिस्सा मिलने का विधान था। कम्पनियों का काम केवल रेलें बनाना न था; उन्हें चलाना, उनका प्रवन्ध करना, यह भी उनके जिम्मे था। इसके साथ ही भारत सरकार ने कम्पनियों के ऊपर उपयुक्त नियंत्रण रखने का अधिकार और अन में इन कम्पनियों की रेल-सम्पत्ति को खरीद लेने का अधिकार अपने पास रखा। मुनाफे में भारत सरकार का हिस्सा होगा, इसका विधान न था। इकरारनामे ६६ साल के लिए थे। इस समूची अवधि तक पैसा लगाने वालों को व्याज मिलने की व्यवस्था थी। विनिमय की दर जो आरम्भ में थी, वह अन तक चलने वाली थी। एक रुपया एक शिलिंग दस पेंस के बराबर माना गया था। जो व्याज मिलने वाला था, वह पैसा जमा करने के दिन से दिया जाने को था। जब रेलें चालू होंगी, तब में व्याज का हिस्सा चलेगा, ऐसी बात नहीं थी। कम्पनियां किन्ती पूंजी लगाती हैं और उसका उपयोग किस तरह करती हैं, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण न था। जब सरकार कम्पनियों से रेलें खरीदेंगी, तब तक इस रेल-सम्पत्ति का मूल्य बहुत बढ़ जायेगा। इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ कम्पनियों को होगा। रेलमार्गों के लिए और उनमें सम्बन्धित कार्यों के लिए जो जमीन दरकार होगी, वह कम्पनियों को मुफ्त मिलेगी। (पृष्ठ १५-१६)। वैसे तो पूंजीवाद जमीन को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना देता है किन्तु यह नियम भारत में लागू न हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा जमींदार था अंग्रेज। इस जमींदार ने इंग्लैंड की कम्पनियों को भारत की जमीन मुफ्त दे दी। तब रेलवे कम्पनियों ने यहां अपनी जागीरें कायम की।

कम्पनियों से जो इकरारनामे किये गये थे, उनमें रेल-प्रवन्ध में तरह-तरह के

दोष आना स्वाभाविक था। ४३ से लेकर ५५ प्रतिशत तक ब्याज की गारंटी मिल जाने पर कम्पनियों ने किफायत करने पर ज़रा भी ध्यान न दिया, मनमाने ढंग से पैसा खर्च किया, "और देश पर ऐसा वीक्षण लाद दिया जिसे डोना लोगों के वश में न था और न समय की मांग को देखते उसे आवश्यक कहा जा सकता था। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि आंख मूदकर ब्याज की गारंटी देने के बदले यदि सरकार ने कम्पनियों के कुछ हिस्से खुद खरीद लिये होंते तो सरकार के लिए वह व्यवस्था ज्यादा लाभकारी होती। रेलों से जो आमदनी होती, उससे भागीदारों को अल्पतम लाभ प्राप्त दिया जा सकता था। उसके बाद जो मुनाफ़ा होता, उसमें राज्य भागीदार होता। इस तरह रेलों से जो भावी लाभ होने वाला था, वह बहुत कुछ सरकार के हिस्से में आता। (पृष्ठ १७)। यह सब नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि रेल कम्पनियों के माध्यम से भारत को लूटने के लिए ब्रिटिश पूंजीपतियों को पूरी छूट मिल गयी थी। "१८५८ में लांडे कौनिंग इस बात से बहुत क्लिप्त हुए कि पूंजी का संचालन करने में कम्पनियां बेहद लापरवाह हैं। उन्होंने गारंटी-पद्धति चलाने पर आपत्ति की।" (पृष्ठ ६४)। उनकी कौंसिल के सदस्य जे. पी. ग्राट का कहना था कि गारंटीवाली पद्धति में दोहरे संचालन (डबल मैनेजमेंट) का दोष पैदा होता है और इसे खत्म करना चाहिए। मद्रास के गवर्नर डेनिसन का कहना था कि गारंटी पद्धति से यह निश्चित था कि सरकार खर्चीली और अलाभकारी व्यवसाय में फँस जाएगी, उसे भारी खतरों का सामना करना पड़ेगा और लाभ में अल्पतम हिस्सा मिलेगा। (पृष्ठ ६५)। पूंजी पर सूद बढ़ता गया, ज़मीन की कीमत बढ़ी, निरीक्षण पर व्यय बढ़ा; विनिमय में जो घाटा होता था, उसमें यह दोष बराबर बढ़ता चला गया। (पृष्ठ ६५-६६)।

भारत में अंग्रेजों ने जो रेलें चलायीं, वे कई तरह की थीं। रेलों की पटरियों के बीच की चौड़ाई से लेकर प्रबन्ध और सरकारी सहायता तक अनेक भेद थे। १९०२ में रेलमार्गों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ था :

१. ऐसी लाइनें जिन्हें कम्पनियां चलाती हैं;
२. सरकारी लाइनें जिन्हें सरकार चलाती है;
३. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व कम्पनियों का है और पुराने इकरारनामों के अनुसार गारंटी की हुई है;
४. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व कम्पनियों का है और जिनकी गारंटी नये इकरारनामों से की हुई है;
५. जिला बोर्ड वाली लाइनें;
६. सहायता प्राप्त कम्पनियों की लाइनें;
७. देशी रियासतों की लाइनें जिन्हें कम्पनियां चलाती हैं;
८. देशी रियासतों की लाइनें जिन्हें रियासती रेलवे एजेंसी चलाती हैं;
९. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व देशी रियासतों का है और वही उन चलाती हैं;
१०. ऐसी लाइनें जो विदेशी भूमि पर हैं।

१९०२ में इन विभिन्न प्रकार की रेलों के लिए अलग-अलग ३५ विभिन्न

प्रबन्ध-व्यवस्थाएँ थीं। इनमें २४ कम्पनियाँ, ४ सरकारी एजेण्ट और ५ देशी रियासतें शामिल थी। (पृष्ठ १८६)। रेलों के लिए सबसे बड़ा गेज साढ़े पाँच फुट का था। इसके बाद दूसरे नम्बर पर तीन फुट तीन इंची वाला गेज था। इनके अलावा दो फुट और ढाई फुट वाले गेज भी काम में आते थे। (पृष्ठ २५२)। जैसे पूँजीवाद के अभ्युदय में पहले किसी देश में सामन्ती राज्य अपने अलग-अलग सिक्के चलाते हैं, वैसे ही ब्रिटिश पूँजीवाद ने भारत में सामन्ती ढंग से रेलें चलायी थी। इन रेलों के लिए भारत के कुछ मामन्ती ने भी पैसा दिया था तो यह उचित ही था। पूँजीवाद जिस चुस्ती, एकरूपता, कार्यक्षमता का दावा करता है, भारतीय रेल-व्यवस्था में उसका अभाव था। यद्यपि सभी कम्पनियाँ अंग्रेजों की थीं और उन सभी से एक ही वर्ग, ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग, को लाभ होता था, फिर भी ये कम्पनियाँ आपस में ऐसी होड़ करती थीं कि उसे व्यापारिक युद्ध कहना असंगत न होगा। कम्पनियों की स्पर्धा का एक परिणाम यह था कि भाड़े की दर सब जगह एक-सी न थी। १८८४ की जाच से पता चला कि सरकारी नियन्त्रण प्रभावहीन है। यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि सरकार भाड़े की अधिकतम दर निर्दिष्ट करे, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि पूँजी लगानेवालों के हितों की हानि न हो। कई लाइनों में भाड़े की दरों में कमी की। उद्देश्य यह था कि जितना धन्यता वे करती हैं, वह उनके हाथ में बना रहे, "अथवा पड़ोसी रेलमार्गों का धन्यता उनके हाथ में आ जाये। अलग-अलग प्रभाव क्षेत्र बन गये और इनकी बड़ी चौकसी की जाती थी। सरकार के पास अधिकाधिक आवेदन पहुँचने लगे कि वह हस्तक्षेप करे। इस बीच रेल-लाइनों एक-दूसरे से अगम्य और अलग-थलग न रह गयी थी। बहुत-से जंक्शन बन गये थे और होड़ करने वाले रेल-मार्गों का विस्तार हुआ था। इस प्रकार रेलों के हित पेचीदा हो गये थे। इस दशा में भारत-सचिव ने जिसे नीति पर जोर दिया था कि सरकारी हस्तक्षेप कम-से-कम हो, उस नीति को त्यागना पड़ा और कम्पनियों के अधिकारों को अधिक नियन्त्रित करना पड़ा।" (पृष्ठ १८०-८१)। महाजनी पूँजी का युग शुरू होने पर ही भारत की रेल व्यवस्था में किमी हद तक एकरूपता आयी। औद्योगिक पूँजीवाद के युग में भारतीय रेल व्यवस्था में यथेष्ट अराजकता थी। सामन्ती अलगाव की बात करते हुए पूँजीवादी व्यवस्था की अराजकता को भूल न जाना चाहिये। ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग में अनेक गुट थे, आपस में होड़ करते थे, उम होड़ में जो अव्यवस्था फैलनी थी, उमका परिणाम मुगलना पड़ता था भारतीय जनता को। व्यापारिक पूँजीवाद के युग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार का इजारा मिला हुआ था, कम्पनी में बाहर के दूसरे व्यापारी उमगे होड़ करते थे; उमके अलावा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के इंग्लैण्ड-स्थित स्वामी अलग लाभ कमाते थे और भारत-स्थित उनके चाकर अपना लूट का हिस्सा अलग रखते थे। उमो अव्यवस्था का प्रसार १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रेलों के निर्माण और प्रबन्ध में देखा जाता है। इस अव्यवस्था को महाजनी पूँजी के युग में भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। जैसे सारा देश ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में बँटा हुआ था, वैसे ही रेलों के प्रबन्ध में विभाजन था।

दोप आना स्वाभाविक था। ४३ से लेकर ५ प्रतिशत तक व्याज की गारंटी मिल जाने पर कम्पनियों ने किरायात करने पर ज़रा भी ध्यान न दिया, मनमाने ढंग से पैसा खर्च किया, "और देश पर ऐसा बोझ लाद दिया जिसे ढोना लोगों के बश में न था और न समय की मांग को देखते उसे आवश्यक कहा जा सकता था। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि आंख मूदकर व्याज की गारंटी देने के बदले यदि सरकार ने कम्पनियों के कुछ हिस्से खुद खरीद लिये होते तो सरकार के लिए वह व्यवस्था ज़्यादा लाभकारी होती। रेलों से जो आमदनी होती, उसमें भागीदारों को अल्पतम लाभ दिया जा सकता था। उसके बाद जो मुनाफ़ा होता, उसमें राज्य भागीदार होता। इस तरह रेलों से जो भावी लाभ होने वाला था, वह बहुत कुछ सरकार के हिस्से में आता। (पृष्ठ १७)। यह सब नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि रेल कम्पनियों के माध्यम से भारत को लूटने के लिए ब्रिटिश पूंजीपतियों को पूरी छूट मिल गयी थी। "१८५८ में लार्ड कैनिंग इस बात से बहुत चिंतित हुए कि पूंजी का संचालन करने में कम्पनियां बेहद लापरवाह हैं। उन्होंने गारंटी-पद्धति चलाने पर आपत्ति की।" (पृष्ठ ६४)। उनकी कौंसिल के सदस्य जे. पी. फ्रांट का कहना था कि गारंटीवाली पद्धति से दोहरे संचालन (डबल मॅनेजमेंट) का दोप पैदा होता है और इसे खत्म करना चाहिए। मद्रास के गवर्नर डेनिसन का कहना था कि गारंटी पद्धति से यह निश्चित था कि सरकार खर्चिले और अलाभकारी व्यवसाय में फँस जाएगी, उसे भारी खतरों का सामना करना पड़ेगा और लाभ में अल्पतम हिस्सा मिलेगा। (पृष्ठ ६५)। पूंजी पर सूद बढ़ता गया, जमीन की कीमत बढ़ी, निरीक्षण पर व्यय बढ़ा; विनियम में जो घाटा होता था, उससे यह दोप बराबर बढ़ता चला गया। (पृष्ठ ६५-६६)।

भारत में अंग्रेजों ने जो रेलें चलाई, वे कई तरह की थीं। रेलों की पटरियों के बीच की चौड़ाई से लेकर प्रबन्ध और सरकारी सहायता तक अनेक भेद थे। १९०२ में रेलमार्गों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ था :

१. ऐसी लाइनें जिन्हें कम्पनियां चलाती हैं;
२. सरकारी लाइनें जिन्हें सरकार चलाती हैं;
३. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व कम्पनियों का है और पुराने इकरारनामों के अनुसार गारंटी की हुई है;
४. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व कम्पनियों का है और जिनकी गारंटी नये इकरारनामों से की हुई है;
५. ज़िंता बोर्ड वाली लाइनें;
६. सहायता प्राप्त कम्पनियों की लाइनें;
७. देशी रियासतों की लाइनें जिन्हें कम्पनियां चलाती हैं;
८. देशी रियासतों की लाइनें जिन्हें रियासती रेलवे एजेंसी चलाती हैं;
९. ऐसी लाइनें जिन पर स्वामित्व देशी रियासतों का है और वही उन्हें चलाती हैं;
१०. ऐसी लाइनें जो विदेशी भूमि पर हैं।

१९०२ में इन विभिन्न प्रकार की रेलों के लिए अलग-अलग ३५ विभिन्न

मध्य-व्यवस्थाएं थी। इनमें २४ कम्पनियां, ४ सरकारी एजेण्ट और ५ देशी
 त्यागने शागिन थी। (पृष्ठ १८६)। रेलों के लिए सबसे बड़ा गेज साठे पांच
 फुट का था। इसके बाद दूसरे नम्बर पर तीन फुट तीन इंची वाला गेज था।
 उनके अलावा दो फुट और ढाई फुट वाले गेज भी काम में आते थे। (पृष्ठ
 २१२)। जैसे पूंजीवाद के अभ्युदय में पहले किमी देश में सामन्ती राज्य अपने
 अलग-अलग सिक्के चलाते हैं, वैसे ही ब्रिटिश पूंजीवाद ने भारत में सामन्ती
 ढंग से रेलें चलायी थी। इन रेलों के लिए भारत के कुछ सामन्तो ने भी पैसा
 दिया था तो यह उचित ही था। पूंजीवाद जिस चुस्ती, एकहपता, कार्यदक्षता का
 दावा करता है, भारतीय रेल-व्यवस्था में उमका अभाव था। यद्यपि सभी कम्प-
 नियां अंग्रेजों की थी और उन सभी में एक ही वर्ग, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग, को
 लाभ होता था, फिर भी ये कम्पनियां आपस में ऐसी होड़ करती थी कि उसे
 व्यापारिक युद्ध कहना अमंगल न होगा। कम्पनियों की स्पर्धा का एक परिणाम
 यह था कि भाड़े की दर सब जगह एक-सी न थी। १८८४ की जाच में पता चला
 कि सरकारी नियन्त्रण प्रभावहीन है। यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि
 सरकार भाड़े की अधिकतम दर निर्दिष्ट करे, साथ ही इस बात का भी ध्यान
 रखे कि पूंजी लगानेवालों के हितों की हानि न हो। कई लाइनों में भाड़े की दरों
 में कमी की। उद्देश्य यह था कि जितना घन्घा वे करती है, वह उनके हाथ में बना
 रहे, "अथवा पड़ोसी रेलमार्गों का घन्घा उनके हाथ में आ जाये। अलग-अलग
 प्रभाव क्षेत्र बन गये और इनकी बड़ी चौकमी की जाती थी। सरकार के पास अधिका-
 धिक आवेदन पहुँचने लगे कि वह हस्तक्षेप करे। इस बीच रेल-लाइनें एक-दूसरे से
 म्वद्ध और अलग-थलग न रह गयी थी। बहुत-से जंक्शन बन गये थे और होड़
 ने वाले रेल-मार्गों का विस्तार हुआ था। इस प्रकार रेलों के हित पेचीदा हो
 गये। इस दशा में भारत-सचिव ने जिग नीति पर जोर दिया था कि सर-
 कारी हस्तक्षेप कम-से-कम हो, उस नीति को त्यागना पड़ा और कम्पनियों के
 अधिकारों को अधिक नियन्त्रित करना पड़ा।" (पृष्ठ १८०-८१)। महाजनी
 पूंजी का युग शुरू होने पर ही भारत की रेल व्यवस्था में किसी हद तक एक-
 अराजकता थी। सामन्ती अलगाव की बात करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की
 आपस में होड़ करते थे, उस होड़ से जो अव्यवस्था फैलती थी, उसका परिणाम
 भुगतना पड़ता था भारतीय जनता को। व्यापारिक पूंजीवाद के युग में ईस्ट
 इण्डिया कम्पनी को व्यापार का इजारा मिला हुआ था, कम्पनी में बाहर के दूसरे
 व्यापारी उसमें होड़ करते थे; इसके अलावा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के इंग्लैंड-
 स्थित स्वामी अलग लाभ कमाते थे और भारत-स्थित उनके चाकर अपना सूट का
 हिमाव अलग रखते थे। उसी अव्यवस्था का प्रसार १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में
 रेलों के निर्माण और प्रबन्ध में देखा जाता है। इस अव्यवस्था को महाजनी पूंजी
 के युग में भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। जैसे सारा देश ब्रिटिश भारत
 और रियासती भारत में बँटा हुआ था, वैसे ही रेलों के प्रबन्ध में विभाजन था।

भारत के एकीकरण और उसकी आर्थिक प्रगति में रेलों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती थी किन्तु यह भूमिका पूरी नहीं हुई, इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारत में लूट और शोषण की जो व्यवस्था बनायी थी, उसका सम्बन्ध उद्योगीकरण से नहीं था। रेलों का निर्माण शोषण-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और उसके अन्तर्गत हुआ था। भारत सौतिहर देश बनना जाये और दुर्भिक्ष में तारों आदमी मरें, इस स्थिति से अलग रेलों का निर्माण कोई महान् आर्थिक प्राप्ति करता चला जाये, यह सम्भव न था।

कुछ मुख्य लाइनों पर माल ढोने की गति की घण्टा ३.७ से लेकर १२ मील थी। यह औसत रफ्तार मुख्य स्टेशनों के बीच की थी। जो छोटे स्टेशन थे, उनके बीच यह रफ्तार और भी कम थी। ई. आर्. आर. पर कलकत्ते तक कोयला ढोने के काम में इतना विलम्ब होता था कि १८० मील का फ़ागला तय करने में औसत रफ्तार २ से ५ मील तक की होती थी। (पृष्ठ २०८)। यदि घण्टे भर में दो मील का ही फासला तय करना हो तो बैनगात्री ही क्या बुरी थी? यह कहना अनावश्यक है कि रेलगाड़ियों में गवने ज्यादा यात्री तीगरे दर्जे के होने थे और यात्रा की व्यवस्था उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा तराब थी। जिस समय रेलों के निर्माण की योजना बनायी जा रही थी, उस समय अंग्रेजों को गुमान भी न था कि इतने लोग यात्रा करने निकल पड़ेंगे। “भय यह था कि भारत के लोग गरीब हैं और बहुत से प्रदेशों में वस्तियां दूर-दूर बिगरी हुई हैं, इसलिए यात्रियों की संख्या पर्याप्त न होगी।” (पृष्ठ ८)। जब रेलें चालू हो गयी, तब अंग्रेजों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोग काफी यात्रा करते हैं। “भारतवासी 'बेढव यात्री' सिद्ध हुआ। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने इसकी कल्पना न की थी। यदि यात्रा सस्ते में हो जाये तो वह ऐसी यात्राओं के लिए निकल पड़ता था जैसी यात्राएँ करने से बहुत से यूरोपवासी शिक्षकते।” (पृष्ठ ४३)। रेलों से यात्रा करने वालों की संख्या और भी बढ़ जाती यदि लोगों के पाम थोड़ा-बहुत पैसा होता। इंग्लैंड से तुलना करने पर पता चला कि वहाँ के मजदूर को एक दिन में जितनी पगार मिलती है, उससे वह अठारह मील की यात्रा कर सकता है। उसके मुकाबले भारतीय मजदूर को एक दिन में जितनी पगार मिलती है, उससे वह चार मील की यात्रा भी नहीं कर सकता। (पृष्ठ ५०)। अधिकांश गरीब किसानों की तुलना में वह मजदूर सुखी था जिसे दिन भर काम करने के बाद निश्चित पगार मिल जाती थी। यह भाग्यशाली मजदूर एक दिन की पूरी पगार खर्च करे, तब चार मील रेल से यात्रा करे। स्वाभाविक था कि वह एक दिन की पगार खर्च करके रेल-यात्रा करने के बदले पैदल चलना ज्यादा अच्छा समझता था। जब पगार पाने वाले मजदूर की यह हालत थी तब गरीब किसान कितनी यात्रा करते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। १९१३-१४ में प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या ८१३ थी। उसी वर्ष में तीसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या ४,१०,६६० थी। (पृष्ठ २८८)। इससे अनुमान हो जाएगा कि प्रथम और सुतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में किस तरह का अनुपात था। अंग्रेजों ने वर्ग-भेद का बहुत स्पष्ट रूप रेल व्यवस्था में दिखा दिया था। इस बात की स्वीकार किया गया है कि “भारत की

व्यवस्था ने तीसरे दर्जे के यात्रियों का मूल्य उचित रूप से न आंका था। होने और दूसरे दर्जे के यात्रियों में कम आय होती थी किन्तु उन्ही की सुविधा का ध्यान रखा जाता था। भारत में प्रत्येक रेल लाइन के यात्री-व्यवसाय की आधारशिला यह तीसरा दर्जा था। उसी की उपेक्षा की जाती थी। निम्नतम श्रेणी की गाड़ियों में बहुधा सफाई की व्यवस्था न होती थी और अक्सर उनमें भीड़ बहुत होती थी। कमी-कमी तीर्थयात्रियों को मालगाड़ियों में ले जाया जाता था। गाड़ियों की कमी के अलावा तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था, वह विशेष चिन्ताजनक था। यात्रा करते समय पीने के लिए यथेष्ट पानी और भोजन की व्यवस्था का अधिकतर अभाव होता था। सबसे बड़-का लोग अनधिकृत पैसा वसूलते थे। कहा जाता था कि स्टेशन मास्टर यात्रियों तथा व्यापारियों दोनों में अवैध पैसा वसूल करके अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर लेते थे।" (पृष्ठ २०६)। कोई आश्चर्य नहीं कि जो रेल की नौकरी पा गया, वह पडोसियों के बीच परम भाग्यशाली माना गया। स्टेशन मास्टर अधिकतर अंग्रेज ही होते थे। बड़ा हिस्सा वागू लोगों, पुलिस वगैरह का था।

रेलों की व्यवस्था से भारतीय जनता का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। इस अमंतीप में सबसे बड़ा योगदान तीसरे दर्जे का था। मुख्य शिकायतें ये थी : गाड़ियों की संख्या कम है, भीड़ बहुत होती है, तीर्थयात्रियों को मालगाड़ियों और पशुओं को ले जाने वाली ट्रकों में बैठने को मिलता है, गाड़ियों में शौचस्थान नहीं हैं, हैं तो एकदम अनुपयोगी हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, पीने को काफी पानी नहीं मिलता, यात्रियों के रुकने के लिए मुसाफिरखाने नहीं हैं, हैं तो सुविधाजनक नहीं हैं, गाड़ियों, शौचालयों, मुसाफिरखानों में सफाई नहीं की जाती, टिकट मिलने में कठिनाई होती है, टिकट जाचते समय यात्रियों को तग किया जाता है, रेल कर्मचारी यात्रियों में सभ्य व्यवहार नहीं करते और स्टेशन, प्लैटफार्म, गाड़ी के अंदर, हर जगह घूस चलती है और लोगों में अवैध पैसा वसूल किया जाता है। (पृष्ठ २६६-६७)। (अफ्रीका में गुलाम ढोकर ले जाने वाले जहाजों में जैसी व्यवस्था थी, वैसी ही सुव्यवस्था अंग्रेजी राज में रेलों की थी।) इंजन से लेकर पटरी तक सारा सामान इंग्लैंड से आता था। कम्पनियों तक को शिकायत थी कि माल आने में विलम्ब होता है और इसमें उनकी हानि होती है। सरकारी इन्जिनियर अनुभव न होने पर भी उनके काम में दखल देते थे। कम्पनियों की राय में प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी अडनन यह थी कि "इंग्लैंड से सारी मशीन ढोकर लानी पडती है, भारत पहुँचने पर उसे उपयुक्त स्थान तक पहुँचाने कठिनाई होती है। जो ठेकेदार ऐसे काम के आदी नहीं हैं, वे समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा लम्बे और चक्करदार पत्र-व्यवहार में बहुत समय जाता है। पत्र-व्यवहार करने वाले एक ओर लंदन स्थित रेल कम्पनियों के बोर्ड और उनके एजेण्ट हैं, दूसरी ओर भारत और इंग्लैंड दोनों जगह के विभिन्न सरकारी विभाग हैं।" (पृष्ठ ३६)। अंग्रेज जो व्यवस्था चला रहे थे,

वह न तो केन्द्रवद्ध राजकीय पूंजीवाद (स्टेट कैपिटलिज्म) वाली व्यवस्था थी और न वह पूंजीपतियों की स्वच्छन्द होडवाली व्यवस्था थी। इसलिए इंग्लैंड की सरकार और भारत सरकार, इनके विभिन्न विभाग, फिर अनेक रेल कम्पनियां, इंग्लैंड और भारत में इनके दफ्तर; रेल-व्यवस्था में कितने बड़े पैमाने पर कागजी घोड़े दौड़े होंगे, इसका अनुमान किया जा सकता है। रेलों का उपयोग फौज करती थी। रणनीतिक रेल-मार्गों के चलन में राजकीय रेलों को भारी हानि सहनी पडी। १९२२ में काउन्सिल आफ स्टेट ने प्रस्ताव किया कि रणनीतिक रेल-मार्गों का हिसाब-किताब अलग रखा जाये। जितनी पूंजी लगे और जितना घाटा हो, वह सब सैनिक विभाग में प्राप्त किया जाये। सरकार ने प्रस्ताव का पहला अंश स्वीकार किया। दूसरा अंश उसने स्वीकार नहीं किया। तर्क यह था कि इस तरह आंतरिक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए फौज भी नागरिक विभागों से पैसा माग सकती है। इसलिए जो लाइनें सैनिक दृष्टि में बनायी गयी थी, उनका षष्ठं रेल विभाग के हिस्से में आयेगा। १९२४-२५ में सामान्य वित्त-विभाग को रेलवे के वित्त-विभाग से अलग किया गया। निश्चय हुआ कि रणनीतिक रेलमार्गों से जो घाटा होता है, वह सामान्य वित्त विभाग के खाते में रखा जायेगा। (पृष्ठ ३२०)।

यदि प्रथम महायुद्ध के कारण इंग्लैंड से माल लाने में कठिनाई न होती, तो शायद भारत में रेल सामग्री के निर्माण की थोड़ी व्यवस्था भी न होती। १९१५ में इंग्लैंड में माल आना बंद हो गया। तब रेलवे बोर्ड ने यह आवश्यकता अनुभव की कि इस देश में रेल उद्योग विकसित किया जाये। कुछ ही समय पहले टाटा आइरन ऐण्ड स्टील वर्कर्स ने अपना काम शुरू किया था। उसने रेलों को, विलायती माल के अभाव में, मरने से बचा लिया। १९२० में सरकार ने टाटा उद्योग से इकरारनामा किया कि वह उसे रेल की पटरियाँ और फिश प्लेट देगा। "उस फर्म को जो प्रोत्साहन उस समय मिला, उससे यह संभव हुआ कि पिछले वर्षों में वह भारतीय लाइनों की आवश्यकताएँ स्थायी रूप से पूरी कर सके।" (पृष्ठ ३०१)। इस प्रकार एक प्रमुख भारतीय औद्योगिक संस्थान से ब्रिटिश सरकार का घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध कायम हुआ।

युद्धकाल में यहाँ के रेलवे वर्कशाप भी अपने काम में बढ़ती कर सके। बाहर से आये हुए माल को जोड़-बटोरकर ठीक करना, गाड़ियों की मरम्मत करना, यह सब पहले भी होता था। इसके अलावा अब माल ढोने की गाड़ियाँ और यात्रियों के डिब्बे भी बनने लगे। यह सब विलायती कम्पनियों के स्वामित्व की परिधि में था। रेलसम्बन्धी सामग्री बनाने के लिए निजी उद्योग भी कायम हुए। १९१८-१९ में भारत सरकार ने तय किया कि वह प्रतिवर्ष तीन हजार माल ढोने के डिब्बे खरीदेगी। ऐसा वह दस साल तक करेगी जिससे कि डिब्बे बनाने वाले धन्धे का विकास हो। १९२१ में अभी भारत में इजन न बनते थे। डिब्बे बनाने वाले जो निजी उद्योग कायम हुए थे, उनकी निर्माण-क्षमता बहुत सीमित थी। इसके अतिरिक्त पहिये, धुरी, ब्रेक सम्बन्धी सामग्री, यह सब बाहर से आता था। रेलवे वर्कशाप में यात्रियों के डिब्बे तैयार किये जाते थे लेकिन उनके सभी मुख्य

हिले इंग्लैंड में जाते हैं। मुझे के अलावा अमेरिकी नवदूतों की हड़तालों के कारण
 अब वहाँ में किनाहरी मामला न माना जा. एक विदेशी उद्योग के लिए वन
 विधिवत कर दिए गए थे। अलावा उद्योग की दूरा न हो पाया था। (पृष्ठ ३०२)

कौड़ी बनकर नहीं रहे। अमेरिका के निर्धन भारतीय जनता को वहाँ
 अमंगुल था। "मानवता के मानवीय अर्थों को छोड़, हमें अमेरिका और उद्योग
 है। तीनों दलों में अमेरिका में अर्थों को छोड़, हमें अमेरिका और उद्योग
 धर्मों को प्रोत्साहित करें जो अर्थों उद्योग, अर्थ मानवीय को विधिवत करें।
 और ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करें। बिना अर्थों का वहाँ विधिवत करें।
 जा रहा है। अमेरिकी दलों को अमेरिका अर्थों उद्योग को प्रोत्साहित करें।
 ऐसे प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने हैं। अर्थों उद्योग का अर्थों उद्योग को प्रोत्साहित करें।
 वाते हैं।" (पृष्ठ ३०३)

मानव जन अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 आवश्यक कच्चा माल अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 पहुँचाने के लिए, अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 देते के लिए अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 भारतीय जनता को अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 की तरह अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 रचनाओं अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 भारतीय अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 भारत के अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग अर्थों उद्योग
 एक उद्योग है।

गदर की परम्परा

१. लाला हरदयाल और गदर पार्टी

मई १९०८ में गदर का अद्वैततावदी समारोह लन्दन में मनाया गया। इण्डिया हाउस को फूलों और रोशनी से सजाया गया। परदे पर रानी लक्ष्मीबाई, नाना-साहब, बहादुरशाह, कुँवरसिंह, मौलवी अहमदशाह आदि के चित्र लगाए गए। यन्देमातरम् के गायन के बाद गुजरानी बैरिस्टर सरदारसिंह जो रेवाभाई राणा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रीमती कामा आदि क्रांतिकारियों के संदेश पढ़कर गुनाए गए। १८५७ के वीरों की स्मृति अमर बनाने के लिए लन्दन के भारतीय छात्रों ने चन्दा इकट्ठा किया। हरनामसिंह और रफी अहमद नाम के दो छात्रों ने अपने कोटों पर १८५७ की याद दिलाने वाले दो बिल्ले लगा रखे थे। (यह विवरण धर्मवीर ललित लाला हरदयाल पुस्तक में है; मूल पुस्तक संभवतः अंग्रेजी में है। इसका हिन्दी रूपान्तर १९७० में राजपाल एण्ड सस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ।) इस सभा में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, "१० मई १८५७ को जो लड़ाई शुरू हुई थी, वह १० मई १९०८ को अभी समाप्त नहीं हुई, और वह तब तक न समाप्त होगी जब तक ऐसी दस मई न आ जाए जब हमने भाग्य टोर अपने हाथ में ले ली हो और हमारी मातृभूमि स्वाधीन हो चुकी हो।" जब सावरकर पर मुकदमा चलाया गया, तब अभियोग के प्रमाणस्वरूप मई १९०८ का उनका यह वक्तव्य उद्धृत किया गया था। (यह वक्तव्य सावरकर ललित 'दि इण्डियन वार आफ इण्डियेन्स' की भूमिका में दिया हुआ है।) भारतीय क्रांतिकारी गदर को भूल नहीं। उसकी ५०वीं सालगिरह उन्होंने घूम-धाम में मनायी। उम संग्राम में प्रेरणा पाकर उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा की। उम सभा में लाला हरदयाल भी मौजूद थे। तीन साल बाद वह अमरीका पहुँचे और वहाँ उन्होंने गदर पार्टी संगठित की।

सोहनसिंह जोश ने बहुत-सी प्रवर्तित और अप्रकाशित सामग्री का अध्ययन करके गदर पार्टी का इतिहास लिखा है। उनकी पुस्तक 'हिन्दुस्तान गदर पार्टी, ए

नौट हिल्स्ट्री' दिल्ली से १९७७ में प्रकाशित हुई। कुछ समय बाद इसका दूसरा खण्ड प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के आधार पर गदर पार्टी से सम्बन्धित कुछ विशेष बातों की ओर मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना हूँ। गदर पार्टी के जन्म से पहले अंग्रेजी फौज के देशी सैनिकों में असंतोष फैल रहा था। फौज के बहुत से सेवानिवृत्त सैनिक कनाडा चले गये थे। कनाडा के नगर वैनकूवर के गुरुद्वारे में १९०६ में एक सभा हुई। इस सभा में निश्चय किया गया कि प्रबन्ध-समिति का कोई भी सदस्य तमगा या फौजी चिह्न धारण न करेगा जिससे पता चले कि वह अंग्रेजों का गुलाम है। गरीबसिंह नाम के सिपाही ने चीन का वावसर विद्रोह दवाने में अंग्रेजों में तमगा पाया था। उसने वह तमगा उतार दिया। सातसा दीवान के मंत्री भागसिंह ने प्रशंगनीय सेवा के प्रमाण-पत्र जला दिये। १९०८ में सावरकर ने सन्दन की सभा संबोधित की थी, १९०६ में वैनकूवर में भारतीय सैनिक अंग्रेजी गुलामी के चिह्न उतारकर फेंक रहे थे। इससे विदित होता है कि प्रथम महायुद्ध से पहलेही राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना भारतवासियों में फैल रही थी। वन्कू के एक सज्जन ने 'स्वदेश सेवक' नाम की मासिक पत्रिका पंजाबी में निकाली थी। तारकनाथ दास ने अंग्रेजी में न्यूयॉर्क में 'फ्री हिन्दुस्तान' नाम का पत्र निकाला था। इसमें १८५७-५८ के विद्रोह की असफलता के कारणों का विदलेपण किया गया था। (यह विदलेपण क्या था, दुर्भाग्य से यह मालूम नहीं हो सका।) इस पत्र द्वारा भारतवासियों में प्रचार किया जाता था कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति करें। आइरिश पत्रकार जार्ज फ्रीमैन इस पत्र की सहायता करते रहते थे। १९१० में अधिकारियों ने फ्रीमैन के कार्यों पर रोक लगाई; फिर यह पत्र बन्द हो गया।

पोर्टलैंड नामक स्थान के भारतीय श्रमिकों ने 'हिन्दी एसोसिएशन' नाम की सभा बनायी थी। सोहनसिंह भकना इसके सभापति थे। इस सभा ने १९१३ में लाला हरदयाल को भाषण करने के लिए बुलाया। लाला हरदयाल ने कहा : भारत में सारी मुसीबतों की जड़ अंग्रेजी राज है। अंग्रेजी स्कूल बंद करके पढ़ाने के लिए हैं। ऐसे लोग आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकते। देश के लिए क्या करना है, इसका ज्ञान किसानों और मजदूरों को ही तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। पंजाबी लोग बहादुर होते हैं। उन्हें एक राजनीतिक दल का संगठन करना चाहिए। इस दल को १८५७ की विद्रोही भावना से प्रेरित होना चाहिये। क्रांति के लिए यहाँ तैयारी करनी चाहिए, फिर भारत में जाकर अंग्रेज शासकों को निकालकर ऐसी जनवादी सरकार कायम करनी चाहिये जैसी अमरीका में है। उसमें धर्म, सम्प्रदाय, बिरादरी या रंग का भेद किये बिना सभी भारतीय समान रूप से स्वाधीन होंगे।

जिस सभा का नाम हिन्दी एसोसिएशन था, वह आगे चलकर हिन्दुस्तान गदर पार्टी बनी। १८५७ के गदर की यादगार के रूप में 'गदर' नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला गया। लाला हरदयाल ने प्रस्ताव किया : गदर पार्टी का उद्देश्य हथियारबंद लड़ाई के जरिये भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना होगा तथा समानता और न्याय के आधार पर राष्ट्रीय सरकार गठित की जाएगी।

पार्टी के दफ्तर में या पार्टी के पत्र में जो भाई काम करेंगे, वे तनस्वाह न पायेंगे। उनके ताने-पहनने का प्रबन्ध समानता के आधार पर पार्टी कोष से किया जाएगा। प्रत्येक कारखाने में श्रमिक अपनी एक समिति निर्वाचित करेंगे और यह पार्टी की कार्यकारिणी में सीधे सम्बद्ध होगी। कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से तीन आदमियों का एक कमिशन बनायेगी जो राजनीतिक तथा गुप्त कार्य करेगा। धर्म को हर व्यक्ति का निजी मामला माना जाएगा और धार्मिक विषयों पर कोई विवाद न किया जाएगा। पार्टी-समितियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होगा।

१८५७ के बाद गदर पार्टी ने जो नई बात की थी, वह एक राजनीतिक पार्टी का गठन था। यह पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी थी, उसका काम क्रांति के लिए तैयारी करना था। विदेश में जो भी श्रमिक उपलब्ध थे, उनमें इस पार्टी ने सीधा सम्बन्ध स्थापित किया था। उसने धर्मनिरपेक्षता को मगठन का आधार बनाया था। पार्टी समितियों का निर्माण जनतान्त्रिक निर्वाचन-व्यवस्था से ही, यह निर्दिष्ट करने के साथ उसने कार्यकारिणी तथा तीन आदमियों के कमिशन को सर्वोपरि रखा था। तीन आदमियों का यह कमिशन कम्युनिस्ट पार्टियों के पोलिट ब्यूरो से मिलता-जुलता था। इस पार्टी ने खुले और गुप्त दोनों तरह के कार्य करने का फैसला किया था। खुले कार्य के लिए उर्दू, पंजाबी, सिन्धी आदि में उसने 'गदर साप्ताहिक' के प्रकाशन की योजना बनाई थी। भारत को स्वाधीन करके जनवादी सरकार की स्थापना उसका कार्यक्रम था। भारत के राजनीतिक इतिहास में लाला हरदयाल द्वारा गठित इस पार्टी का महत्व असाधारण है। पहली बार किसी भारतीय ने इस तरह क्रांतिकारी पार्टी बनाने का विचार किया था। यह उन गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं से भिन्न थी जिनकी दृष्टि में उनके सदस्यों की भूमिका प्रधान थी, क्रांति में जनता की भूमिका गौण थी। इसका लक्ष्य खुला राजनीतिक प्रचार करना था, सैनिकों के अलावा आम जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। पार्टी ने जो कमिशन बनाया, उसके तीन सदस्य थे, सभापति सोहनसिंह भकना, सचिव लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष काशीराम। कुछ विलम्ब से पहली नवम्बर १९१३ को उर्दू में 'गदर' प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन के स्थान को पहले युगान्तर आश्रम का नाम दिया गया था। गदर नाम की प्रसिद्धि के साथ आगे चलकर वह भी गदर आश्रम कहलाया।

पार्टी और पत्र के मुख्य संचालक, संगठनकर्त्ता और प्रेरक लाला हरदयाल थे। वह जनवरी १९११ में अमरीका पहुँचे थे। वहाँ के एक विश्वविद्यालय में वह दर्शनशास्त्र एवं संस्कृत के अध्यापक हुए। सितम्बर १९१२ में उन्होंने वह पद छोड़ दिया और क्रांतिकारी काम में लग गए। इसी वर्ष उन्होंने 'कार्लमार्क्स ए भाडर्न रिशि' नाम की पुस्तक लिखी। सोहनसिंह जोश ने लाला हरदयाल के बारे में लिखा है कि वह अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में थे। वह अंग्रेजों का फरेब बहुत अच्छी तरह समझते थे; इस फरेब का पर्दाफाश कैसे करना चाहिए, यह भी वह जानते थे। गदर के पहले अंक में उन्होंने लिखा था कि आज पहली नवम्बर १९१३ को भारत के इतिहास में एक नया युग शुरू होता है। विदेश में

किन्तु अपने देश की भाषा में अंग्रेजी राज्य के गिलाफ आज में लड़ाई शुरू होनी है।

जो नये युग की धुन्ध्रात थी, वह एक तरह से पुराने युग की आवृत्ति भी थी। गदर पार्टी के नेताओं के सामने प्राति की रूपरेखा वही थी जो १८५७ में इतिहास की बात बन चुकी थी। गदर अखबार ने लिखा : हमारा नाम क्या है ? गदर। काम क्या करना है ? गदर। गदर कहा होगा ? हिन्दुस्तान में। कब होगा ? कुछ ही साल में। क्यों होगा ? इसलिए कि लोग अंग्रेजी राज के अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे आजादी के लिए नड़ने-मरने को तैयार हैं। हर हिन्दुस्तानी का फर्ज है कि वह गदर की तैयारी करे। वह वक्त जल्दी ही आएगा जब फलम और स्माही की जगह रामफन और रून ले लेंगे। (अखबार के शब्द ज्यों के त्यों यहाँ नहीं दिये गये। जोश की पुस्तक में अंग्रेजी के उद्धरण हैं, उनका यह अनुवाद है। अमरीका में मैन ब्रूनो के अभिनेतागार में जो गदर दस्तावेज मुजब थे, उनके आधार पर जोश ने अपनी सामग्री उद्धृत की है। अनुमान है कि ये दस्तावेज अंग्रेजी में थे और उर्दू सामग्री के अनुवाद थे।) ६ जनवरी १९१४ के 'गदर' ने लोगों को याद दिलाया कि १८५७ में गदर हुआ था। जब गिपाही बगावत करें, हर हिन्दुस्तानी को उनका साथ देना चाहिए। गदर अखबार की एक विशेषता यह थी कि उनमें मावरकर-निहित 'प्रथम स्वाधीनता संग्राम का इतिहास' धारावाहिक रूप में प्रकाशित होता था। इसमें अनेक कविताएँ प्रकाशित हुई थी जिनमें गदर के वीरों की याद दिलाते हुए मैनिकों में बहा गया था कि तुम गोरों के लिए नड़ते हो, दूरे देशों पर हमला करते हो, अपने देश के मालिक क्यों नहीं बन जाते ? गदर में लाला हरदयाल की एक लेखमाला 'गुलामी का जहर' प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश किया था। गदर पार्टी ने उनकी अनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं। इनमें भारत के साम्प्रदायिक संगठनों तथा अंग्रेजों में रियायतें माँगने वाले मुधारवादी नेताओं की आलोचना की गयी थी। लाला हरदयाल ने अपने लेखों में रुढ़िवादी सामन्ती व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में ऊँच-नीच का भेदभाव रहेगा, हम आधुनिक समाज का गठन नहीं कर सकते। मालिक और उनके चाकर में बराबरी नहीं हो सकती चाहे दोनों मुसलमान हों, चाहे सिक्ख या वैष्णव हों। जैसे वाला हमेशा गरीब पर हुकूमत करेगा। आर्थिक समानता के बिना भाईचारे की बातें सपना है।

'गदर' अखबार उर्दू और पंजाबी में निकलता था। संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के रघुवर दयाल गुप्त उर्दू किताबत में माहिर थे। उनके कहने पर 'गदर' के कुछ अंक हिन्दी में निकले थे। रघुवर दयाल गुप्त गदर-आश्रम में उसकी स्थापना के समय से रहे थे। 'गदर' के कई अंक गुजराती में भी प्रकाशित हुए। अंग्रेजी फौज में पंजाबियों के साथ बहुत से पठान शामिल थे। जोश के अनुसार 'गदर' का एक अंक सम्भवतः पश्तो में भी छपा था। १७ फरवरी १९१४ के 'गदर' में सिक्खों, मुसलमानों, राजपूतों के साथ पठानों से भी अपील की गयी थी कि वे अंग्रेजों के लिए न लड़कर अपनी आजादी के लिए लड़ें। 'गदर' अखबार

और गदर पार्टी की एक विशेषता यह थी कि अनेक मजदूरों ने गदर में अपनी रचनाएं दी और उन्होंने सभाओं में राजनीतिक भाषण करना सीखा।

विदेश में देश-भक्त भारतवासियों ने जो अनेक क्रांतिकारी पत्र निकाले थे उनमें 'गदर' का शानदार स्थान था। श्रीमती कामा का 'वन्देमातरम्', श्यामजी कृष्ण वर्मा का 'सोशियोलोजिस्ट', बर्लिन से प्रकाशित होने वाला 'तलवार', इनका जोड़ीदार था 'गदर'। शायद ही किसी अन्य क्रांतिकारी पत्र ने किमानों, मजदूरों, फौज के सिपाहियों से उन्हीं की भाषा में इस तरह राजनीतिक बातों की हो जिस तरह 'गदर' ने की। 'गदर' एक नई तरह का पत्र था। उसकी पत्रकारकला का सीधा सम्बन्ध साधारण जनता से था। पूर्ण स्वाधीनता, हिन्दु-मुस्लिम एकता, समानता का भाव आदि-आदि बातें आगे चलकर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से अटूट रूप में जुड़ गयीं। इनका प्रचार करने का श्रेय 'गदर' को भी है। राजनीतिक स्वाधीनता के अलावा सामाजिक समानता के पक्ष में बहुत-सी बातें 'गदर' में प्रकाशित हुईं। पत्र जिस जनवादी चेतना का प्रचार कर रहा था, उसके नेता पूजीपति या पूजीवादी राजनीतिज्ञ नहीं थे। उसमें या तो लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी थे या पंजाब के किमान और सैनिक थे। उल्लेखनीय है कि गदर आश्रम में सवर्ण हिन्दू, अछूत, मुगलमान और सिक्ख, सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। गदर पार्टी में पंजाब के लोग अधिक थे और पंजाबियों में मिस्र अधिक थे किन्तु इनके साथ अन्य प्रदेशों और धर्मों के लोग भी थे। बरफतुल्ला गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे और बाद में अन्य साथियों के साथ रुम पहुँचे थे। लाला हरदयाल दिल्ली में पैदा हुए थे और अनीश्वरवादी थे। दक्षिण भारत के चेन्नईया भी गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे। जोश ने इन्हे तमिल लिखा है; सम्भव है, वह आन्ध्र हों। भारत में 'गदर' की प्रतिष्ठा पहुँचाना आसान नहीं था। जो प्रतिष्ठा भेजी जाती थी, सरकार उन्हें जब्त कर लेती थी। फिर भी कुछ प्रतिष्ठा पहुँच जाती थी और पंजाब में कई जगह सभाओं में लोगों ने उन्हें पढ़कर सुनाया था।

सन् '१४ में जब लडाई छिड़ गयी, तब अंग्रेजों ने पूरा प्रयत्न किया कि विदेश में होने वाला सारा क्रांतिकारी काम बन्द कर दिया जाए। लाला हरदयाल के खिलाफ अभियोग लगाया गया कि वह आतंकवादी है। २७ मार्च १९१४ को, लडाई छिड़ने में कुछ महीने पहले, उन्हें अमरीकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाला हरदयाल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अमरीकी सरकार की आलोचना की कि वह अंग्रेजों के दबाव में आ गयी है। उन्होंने राष्ट्रपति विल्सन की विदेश नीति की आलोचना की कि वह अंग्रेजपरस्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि कई महीने से ब्रिटिश गुप्तचर मेरा पीछा करते रहे हैं लेकिन मैं अपना सारा काम खुलेपनाने करता रहा हूँ। इन गुप्तचरों के कारण मैंने अपने लेसन और भाषण में कोई नरमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय भारत में क्रांति करना है। उन्होंने घोषित किया कि वह कुछ व्यक्तियों की हत्या करने के पक्ष में नहीं है, वह अराजकतावादी सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते। इस संदर्भ में एक मजेदार बात यह है कि दो वर्ष पहले लाला हरदयाल ने जारगाही के

विरुद्ध व्याख्यान दिया था। उन्हें अराजकतावादी सिद्ध करने के लिए अमरीकी अधिकारियों ने प्रमाण के रूप में इस व्याख्यान का हवाला दिया। बाद को इन अधिकारियों ने माना कि ब्रिटिश दूतावास के कहने पर उन्होंने लाला हरदयाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। उनके साथियों ने सलाह दी कि वह जमानत जवन हो जाने दें और अमरीका से बाहर चले जायें। उन्होंने ऐसा ही किया। उनके बाद गदर पार्टी का काम सतोपसिंह ने संभाला।

ज़ारशाही के विरुद्ध लाला हरदयाल का भाषण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। गदर पार्टी के क्रांतिकारी जैसे विभिन्न सम्प्रदायों और प्रदेशों के लोगों को मिलाकर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चलाने में विश्वास करते थे, वैसे ही वे किसी भी देश में निरकुश राज्यमत्ता और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। विशेष रूप से जहाँ अंग्रेजों ने लोगों को गुलाम बनाया हो, वहाँ क्रांतिकारी भाईचारे का संदेश पहुँचाना वह अपना कर्तव्य समझते थे। जैसे इंग्लैण्ड और अमरीका की सरकारें मिलकर भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करना चाहती थी, वैसे ही आयरलैण्ड और भारत के क्रांतिकारी मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे। फ्रीमैन नामक आइरिश पत्रकार ने 'फ्री हिन्दुस्तान' पत्र में सहयोग करके क्रांतिकारी अन्तर्राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। एक अन्य आइरिश पत्रकार एडवर्ड गैमन्स ने सुरेन्द्रनाथ कर के मासिक पत्र 'इण्डिपेण्डेन्ट हिन्दुस्तान' में उपसपादक बनकर काम किया था। यह पत्र १९२० में निकला था। इससे पहले जुलाई १९१९ में प्रसिद्ध आइरिश देशभक्त और राजनीतिज्ञ डी वॉलेरा अमरीका गये। वहाँ गदर पार्टी ने उनका स्वागत किया। वहाँ उन्हें एक तलवार भेंट की गयी। दिसम्बर १९२४ में आइरिश प्रजातन्त्र के प्रतिनिधि ने न्यूयॉर्क में अपने सम्मान में आयोजित भोज में कहा, भारतवासी अत्याचार, धूर्तता और बेईमानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। भारत का लक्ष्य और आयरलैण्ड का लक्ष्य एक है। हम आइरिश प्रजातन्त्रवादी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे ही भाइयों ने अपने देश का नाम कलंकित करके हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने में मदद की है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के लिए काम करें, उसके लिए लड़ें और अत्याचारों के शिकंजे से मिस्र और भारत दोनों को हमेशा के लिए आजाद कर दें। आयरलैण्ड के लोगों की दिमागी शक्ति और शारीरिक बल के आधार पर इन दो प्राचीन देशों को गुलाम बनाया गया है। हिन्दुस्तान में इंग्लैण्ड के हित में सर ऐन्टनी मैकडानलड और सर थॉमस डेविस जैसे लोगों के कारनामों से हमारा सिर नीचा हुआ है। हमें इन कारनामों से निपटार करना है, जिससे हमारा देश यह कलंक धो डाले और अपनी खाँसी छुट्टी करके आजाद करे।

प्रथम महायुद्ध के दौरान और उसके बाद भारत के अन्दर अंग्रेजों का पकड़ मोजूद थी। जुलाई १९२० में सैन फ्रांसिस्को के अन्दर ही एक अंग्रेजी पत्रकार यह खबर छपी कि भारत में आइरिश गिरफ्तारियों से अंग्रेजों का सिर नीचा हुआ है। अंग्रेजों की एक पलटन के आइरिश सैनिकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध

खबरें सुनकर विद्रोह किया था। चौदह विद्रोहियों को गोली मारने की सजा दी गई और छियालीस को आजीवन कारावास का दण्ड मिला। गदर पार्टी के मुख पत्र 'इण्डिपेण्डेंट इण्डिया' ने लिखा कि आमरलैण्ड और हिन्दुस्तान दोनों मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जुआ उतार फेंकेंगे।

अप्रैल १९१४ में सिगापुर के भारतीय व्यापारी गुरुदत्तसिंह ने जापानी जहाज कोमागातामारू किराये पर लिया। उद्देश्य था उसमें पंजाबियों को लेकर कनाडा पहुँचाना। अंग्रेज अधिकारियों ने गुरुदत्तसिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पर हागकाग-स्थित पंजाबी पलटन ने विरोध किया और अंग्रेजों ने गुरुदत्त सिंह को छोड़ दिया। १८५७ में विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने सिक्ख सामन्तों की मदद से पंजाबी सैनिकों का विशेष उपयोग किया था। पचास साल बाद ये पंजाबी सैनिक भी अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। गदर पार्टी के इतिहास का गहरा सम्बन्ध भारतीय सेना के असंतोष से है। इसमें विदित होता है कि १९१४ में यदि और संगठित रूप से प्रयत्न किया जाता तो लाला हरदयाल की योजना सफल हो सकती थी। उसकी सफलता के लिए सेना के अलावा आम जनता में, विशेष रूप से किसानों में, राजनीतिक प्रचार और संगठन आवश्यक था। १८५७ में अवध के किसानों और देशी सेना के बीच जो सम्बन्ध था, वह प्रथम महायुद्ध के दौरान पंजाबी किसानों और पंजाबी पलटनों के बीच नहीं था। गदर पार्टी की योजना की असफलता का यह मुख्य कारण है। गदर पार्टी के नेता छापेमार लड़ाई का महत्व समझते थे किन्तु भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति से वे अपरिचित थे। बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब के सामन्त अंग्रेजों के साथ १९१४ में बँसे ही हैं जैसे वे १८५७ में थे। इससे निष्कर्ष यह निकलता था कि सामन्तविरोधी लड़ाई चलाये बिना अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। गदर पार्टी के नेता सामन्तों से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। स्पष्ट ही वे इन सामन्तों की देशभक्ति का मूल्यांकन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कर रहे थे।

कोमागातामारू की यात्रा के दौरान उसके यात्रियों के बीच गदर पार्टी के नेताओं ने अपना क्रांतिकारी साहित्य वितरित किया। यहाँ के यात्रियों में बहुत से अवकाश-प्राप्त सैनिक थे। इन सब लोगों को कनाडा में उतरने न दिया गया। अनेक प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया। इस घटना से अंग्रेजी राज्य के बारे में उनकी धारणा में परिवर्तन हुआ। यात्रियों ने तय किया कि वे स्वदेश लौट चलेँगे। जुलाई में जहाज वापस चला। जापान पहुँचने पर गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहनसिंह भकना ने यात्रियों को पिस्तौलें और कारतूस दिये। गुरुदत्तसिंह ने लोगों में कहा कि वे हथियार और क्रांतिकारी साहित्य फेंक दें। कुछ ने ऐसा ही किया किन्तु कुछ और लोगों ने साहित्य और हथियारों की रक्षा की। बलकत्ते में तलाशी के समय गोली चली। एक ब्रिटिश अफसर मारा गया। भारतीय पक्ष के कई लोग मारे गये जिनमें कुछ मुमलमान भी थे।

अगस्त १९१४ में प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ। गदर पार्टी ने जोरों से प्रचार किया कि आजादी की लड़ाई छेड़ देने का समय आ गया है। गरीबी की

हेन्दुस्तान छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ से जर्मनी हमला करेगा, दूसरी तरफ से तुम करो। खुलकर विद्रोह का प्रचार करो। देशी रियासतों की फौजों से हथियार ले लो, नेपाल और अफगानिस्तान से सहायता लो। इस प्रचार का कुछ विशेष परिणाम न हुआ किन्तु अंग्रेजों को पहले की तरह पंजाबी सैनिकों का भरोसा न रहा। आठ हजार सैनिकों को सेना से छुट्टी दे दी गयी, चार सौ जेल भेज दिये गये, ढाई हजार अपने गाँवों में नजरबन्द किये गये, पाँच हजार सेना से निकाल दिये गये। गदर पार्टी के नेता जहाजों में भारत पहुँचे। लाल हरदयाल ने क्रांति के लिए कार्यक्रम बनाया था - देशी सेना को अपने पक्ष में करना, सरकारी हाकिमों और उनके चमचों को समाप्त करना, जेलों से राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना, पुलिस चौकियों पर हमला करना, खजाने पर अधिकार करना, जरूरत हो तो डाका डालकर धन एकत्र करना, 'गदर' जैसा पत्र निकालना, तार और रेलवे लाइनों को नष्ट करना, बम बनाना और हथियार इकट्ठा करना, जनता को, विशेष रूप से नौजवानों को, क्रांति में शामिल करना। इस कार्यक्रम की कुछ बातें अगली पीढ़ी के उन क्रांतिकारियों की नीति से मिलती-जुलती थी जो काकोरी पड़्यन्त्र में पकड़े गये थे। धन एकत्र करने के लिए डाका डालना ऐसी ही नीति थी। खजाने आदि पर कब्जा करना १८५७ के अनुभव के अनुरूप था। अखबार निकालने और प्रेस कायम करने की बात गदर पार्टी के अपने अनुभव से पैदा होती थी और १८५७ के अनुभव में भी सीखी जा सकती थी। रेल तार नष्ट करने की योजना आगे चलकर १९४२ के आंदोलनों में संघर्ष का आवश्यक अंग बनी। अनेक देश-भक्तों ने क्रांतिकारी कामों के लिए स्वेच्छा से पैसा दिया और एकत्र कराया। ऐसे लोगों में भावी शहीद भगतसिंह के चाचा किशनसिंह भी थे। उन्होंने एक हजार रुपए दिये और लाहौर के एक साहूकार में इतनी ही रकम दिलवायी। किन्तु इस तरह बहुत थोड़ा धन इकट्ठा किया जा सका। अमृतसर जिले के एक गाँव में जब गदर पार्टी के सदस्य डाका डालने गए तो गाँव वालों ने उनका पीछा किया और दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। जोश ने लिखा है कि जनता सरकारी प्रचार से प्रभावित हुई। उसने उन्हें क्रांति करने वाले देशभक्तों के रूप में स्वीकार न किया और उन्हें साधारण डाकू समझा।

गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फीरोजपुर और लाहौर की छावनियों में सैनिकों से सम्पर्क स्थापित किया। पता चला कि सैनिकों में बड़ा असंतोष है और यदि विद्रोह शुरू हो जाए तो वे उसमें शामिल हो जायेंगे किन्तु अपनी ओर से विद्रोह न करेंगे। नवम्बर १९१४ में हथियार इकट्ठा करने के लिए और सैनिकों को क्रांति के पक्ष में उभारने के लिए कुछ छावनियों पर हमला करने की योजना बनायी गयी। अनेक कारणों में यह योजना सफल न हुई और कई लोग पकड़ लिए गए तथा कुछ को फाँसी की सजा हुई। जोश के अनुसार गदर पार्टी के नेताओं ने रास बिहारी बोग और शशीन्द्र नाथ मान्यवाल की गलत मलाह मान ली कि अबानक कुछ न किया जाए और अभी वे रुके रहे। अंग्रेजों को क्रांति की योजना की सूचना मिल गयी और उन्होंने पकड़-धकड़ शुरू कर दी। सैनिकों में सम्पर्क कायम करने में पंजाब के करतारसिंह के साथ पिगने नाम के महाराष्ट्र के

प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। इन दोनों को पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी दी गयी। पंजाब के अलावा इन लोगों ने दूसरी जगह के सैनिकों से भी सम्पर्क कायम किया था। मेरठ छावनी के सैनिकों से सम्पर्क कायम करते हुए पिंगले पकड़े गये थे। जून १९१५ में लाहौर पड्यन्त्र का मुकदमा चलाया गया। सरकारी वकील ने कहा कि पड्यन्त्र का उद्देश्य अंग्रेज बादशाह के खिलाफ लड़ाई शुरू करना और कानून से कायम की हुई सरकार को बलपूर्वक उलट देना है तथा अंग्रेजों को निकालकर स्वदेशी सरकार कायम करना है। जज के फैसले में कहा गया कि पड्यन्त्र की योजना अमरीका में बनायी गयी थी। छियालीस आदमियों को फांसी दी गयी, चौंसठ को काले पानी की सजा दी गयी, बहुत से लोग पुलिस द्वारा मारे गए। फौज के बहुत से लोगों को फौजी अदालत के फैसले के अनुसार गोली मार दी गयी। फांसी पाने वालों में करतारसिंह भी थे। इनके जीवन से भगतसिंह बहुत ही प्रभावित थे। इस प्रकार १८५७ के गदर की प्रेरणा में पहले गदर पार्टी बनी, फिर इस पार्टी के करतारसिंह के माध्यम से यह प्रेरणा भगतसिंह तक पहुँची।

इस समय भारत के सुधारवादी नेता इस आशा में थे कि युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करें तो युद्ध के बाद वे हमें कुछ रियायतें दे देंगे। इनके अतिरिक्त जमींदार वर्ग पूरी तरह अंग्रेजों का साथ दे रहा था। सिक्ख जमींदारों ने घोषणा की कि गदर पार्टी के क्रांतिकारी सच्चे सिक्ख नहीं हैं। १८५७ में अंग्रेजों ने सिक्ख सामन्तों को अपने हित में इस्तेमाल किया। उस समय इन सामन्तों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो विवेचक यह दलील देते हैं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों की मदद में पंजाब पर विजय पायी थी, इसलिए सिक्ख पुरानी बात याद करके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान क्या हो रहा था? जो सिक्ख अंग्रेजों में लड़ने को तैयार थे, उन्हें सिक्ख जमींदार सच्चा सिक्ख मानने को तैयार न थे। उनकी निगाह में सच्चा सिक्ख वही था जो अंग्रेजों की मदद करे। धर्म कोई भी हो, भारत में सामन्ती और प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ उसकी व्याख्या करके एक ही नतीजा निकालती हैं—अंग्रेजों की मदद करो। सोहनसिंह भक्ना के अनुसार अकाल तख्त ने क्रांतिकारियों को गद्दार घोषित किया। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए इनाम देने का एलान किया गया। अमरीका में काम करने वाले हिन्दुस्तानी समझते थे कि स्वदेश के तीस करोड़ लोग उनके साथ हैं, कुछ हजार गोरों से ही निपटना है किन्तु देश की परिस्थिति इससे उलटी थी। जनता का नेतृत्व राजाओं, जमींदारों और पूँजीपतियों के हाथ में था जो अंग्रेजों के इशारे पर नाच रहे थे। महात्मा गांधी जैसे सत्य के पुजारी भी अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहे थे। देश के जन धन की वलि अंग्रेजी स्वार्थ की वेदी पर दी जा रही थी।

१८५७ में बंगाल के बुद्धिजीवी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, यह अपराध क्षाम्य है। बीसवीं सदी में भारत के शिक्षित राजनीतिज्ञ प्रथम महायुद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, यह कार्य क्षाम्य नहीं है। ये राजनीतिज्ञ जानते थे कि युद्ध का उद्देश्य या तो दूसरों को गुलाम बनाना है या गुलाम बनाये हुए लोगों को अपने अधिकार में रतना है। इसके विपरीत गदर पार्टी के लोगों ने जहाँ भी बन पड़ा

सैनिकों को समझाया कि अंग्रेजी राज्य की रक्षा के लिए वे अपना और दूसरों का खून न बहाएँ। सुधारवादी नेताओं की तुलना में वे सही क्रांतिकारी मार्ग पर चल रहे थे।

१९२५ में पूरब के पीड़ित जनो का अन्तर्राष्ट्रीय संघ बना। इसका पहला सम्मेलन चीन के हाङ्काउ नगर में हुआ। इसमें गदर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के अलावा कोरिया और वियतनाम के लोगों ने भी भाग लिया। इसके प्रमुख संगठनकर्त्ता हो ची मिन्ह थे। उस समय अंग्रेज चीनी भूमि पर अपने अधिकार क्षेत्रों में हड़तालियाँ और प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ बरसा रहे थे। इसके विरोध में हांगकांग-स्थित ब्रिटिश इण्डियन पुलिस के सत्तर आदमियों ने नौकरी में इस्तीफा दिया। लाला हरदयाल के बाद सतोल्-सिंह गदर पार्टी के प्रमुख नेता रहे। उन्होंने दिसम्बर १९२५ में सत्यभक्त द्वारा आयोजित कानपुर के कम्युनिस्ट सम्मेलन में भाग लिया।

पंजाब के क्रांतिकारियों ने पंजाबी भाषा में 'किर्ती' नाम का पत्र निकाला। इसमें कहा गया कि यह पत्र सारी दुनिया के मजदूरों में सहानुभूति रखता है। अंग्रेज चीन में भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल कर रहे थे। इस पत्र ने इस नीति का विरोध किया। फरवरी १९२७ में वेल्जियम के ब्रुसेल्स नगर में साम्राज्य-विरोधी संघ का सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने, भारतीय क्रांतिकारियों की वॉलिन कमेटी की ओर से वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय और नम्बिआर ने तथा गदर पार्टी की ओर से बरकतुल्ला और रतनसिंह ने भाग लिया। चीन के अनेक नगरों में, विशेष रूप से शाघाई नगर में, भारतवासियों ने साम्राज्य-विरोधी प्रचार किया और अंग्रेजों से लड़ने वाले चीनी राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। बरकतुल्ला मई सन् '१९ में रूस पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वे सोवियत सत्ता का समर्थन करें। उनकी अपील फारसी में लिखी गयी थी और ताशकन्द से प्रकाशित हुई थी। चीन के शाघाई नगर, सिगापुर, मेक्सिको, अर्जेंटीना आदि अनेक देशों में गदर पार्टी की शाखाएँ कायम हुई थी। अर्जेंटीना के भारतीय श्रमिकों को जब मालूम हुआ कि भगतसिंह और उनके साथियों को फासी दी गयी है तो उन्होंने एक दिन की हड़ताल की। गदर पार्टी के अनेक नेता सोवियत संघ पहुँचे और वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट इण्टर-नेशनल के सदस्यों के रूप में काम किया। भारत में जैसे-जैसे साम्यवादी आंदोलन का प्रसार हुआ, वैसे-वैसे गदर पार्टी की उपयोगिता समाप्त होती गयी। 'किर्ती' पत्र से सम्बद्ध अनेक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। गदर पार्टी के जो कार्यकर्त्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, उनमें गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहनसिंह भकना भी थे।

संतोखसिंह ने पंजाबी मासिक पत्र 'किर्ती' की स्थापना की थी। इसमें अमरीकी महिला ऐग्नीस स्मैडले का लेख प्रकाशित हुआ था। पत्र के लिए उन्होंने यह लेख वॉलिन से भेजा था। इस लेख की एक विशेषता यह है कि स्मैडले ने भारतीय स्वाधीनता-आंदोलन के इतिहास की शुरुआत १८५७ में मानी थी। इस लेख की दूसरी किस्त अंग्रेजों ने रास्ते में ही रोक ली। १९२१ में होने वाले कम्युनिस्ट

इण्टरनेशनल के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ ऐंग्नीस स्मेटले भी थी। उन्होंने चीन जाकर वहाँ के क्रांतिकारियों के साथ काम किया था। लन्दन में हिन्दुस्तानियों की एक सभा में उन्होंने दूसरे देशों की जनता को दवाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय फौज के इस्तेमाल का विरोध किया। ऐंग्नीस स्मेटले के कहने पर गदर पार्टी के नेता गोपालसिंह ने इस आगम्य का प्रस्ताव पारित कराया और अहमदाबाद से निकलनेवाले गांधीजी के पत्र 'यंग इण्डिया' के नाम तार भेजा कि कैलीफोर्निया में हिन्दुस्तानियों की सभा असहयोग आंदोलन का समर्थन करती है और हिन्दुस्तानी सैनिकों से अपील करती है कि वह साम्राज्यवादी हमलावरों की मदद न करें। अंग्रेजों ने इस तार को रास्ते में ही दबा दिया। गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत से बाहर ईरान में अंग्रेजों से लड़े। इनमें गदर पार्टी के सैनिक विभाग के सचिव पाण्डुरंग खानखोजे भी थे। जोश ने लिखा है कि गदर पार्टी के लोग जहाँ भी अंग्रेजों से लड़ते थे, यह गीत गाते थे :

जय जय जय जय हिन्द
तोपों बन्दूक हथियारों से
आजाद करो जी हिन्द
हिन्द हमारी जान है
और हिन्द हमारा प्राण
भगत बने हम हिन्द के
और हिन्द के कुर्बान।

इस तरह के गीत १८५७ में भी प्रचलित थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता और एकता की वह परम्परा प्रथम महायुद्ध के दौरान और उसके बाद गदर पार्टी द्वारा पुष्ट हुई।

गदर पार्टी को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अनेक असफल क्रांतिकारी आंदोलनों के समान गदर पार्टी की कार्यवाही ने भी भावी इतिहास के निर्माण में सहायता की। १८५७ के बाद इतने बड़े पैमाने पर देशी सेना को क्रांति के पक्ष में करने का यह प्रयत्न प्रथम महायुद्ध के दौरान किया गया। गदर पार्टी के वीरों ने अपने साहित्य द्वारा सैनिकों और किसानों में साम्राज्य-विरोधी चेतना का प्रसार किया। उनका कार्य महायुद्ध के साथ समाप्त नहीं हो गया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी चेतना को और निखारा, और यह बात उनकी समझ में आयी कि क्रांति की सफलता के लिए जनता को और भी शिक्षित तथा संगठित करना जरूरी है। इस कार्य के लिए मावसंबाद से बड़ी सहायता मिल सकती है। यही कारण है कि संतोखसिंह और सोहनसिंह भकना जैसे लोग भारत में आकर किसान-मगठन के कार्य में लग गए। क्रांतिकारी आंदोलन की एक मंजिल खत्म हुई; दूसरी मंजिल शुरू हुई।

२. राधामोहन गोकुलजी और क्रांतिकारी दल

हिन्दी प्रदेश में राजनीतिक और सांस्कृतिक नवजागरण १८५७ के स्वाधीनता संग्राम से आरम्भ होता है। इस संग्राम का प्रभाव भारत के सभी प्रदेशों पर है,

हिन्दी प्रदेश में उसका विशेष सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। हिन्दी पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता नारायण प्रसाद अरोड़ा के अभिनन्दन में जो ग्रंथ मॉट किया गया, उगमें अरोड़ा जी ने कानपुर के 'राजनीतिक जीवन' पर अपने लेख में बताया कि "कानपुर में राजनीतिक जीवन की झलक पहले-पहल सन् १८५७ के विप्लव में दिखाई देती है" और "प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक जीवन का सूत्रपात सन् '५७ से होता है।" नौजवान क्रांतिकारी के रूप में नारायण प्रसाद अरोड़ा और उनके साथी जो पुस्तकें पढ़ते थे, उनमें सावरकर की प्रथम स्वाधीनता संग्राम वाली पुस्तक भी थी। अरोड़ा जी और लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी ने 'कानपुर के विद्रोही' (कानपुर, १९४८) सम्पादित की है। इसमें बताया है कि "कानपुर क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार का केन्द्र बनाया गया। यहाँ अमरीका से 'गदर' और 'तलवार' आते थे और उन्हें मुक्कण बड़े नाव में पढ़ते तथा मित्रों को पढ़ाते थे। सशस्त्र क्रांति, बम और पिस्तौलों द्वारा अंग्रेजों को मार भगाने की चर्चा अवसर गलियों में हुआ करती थी। सन् १९०८ में जब लाला हरदयाल कानपुर आये थे, तब अरोड़ाजी ने उनसे सलाह करके रुम और आयरलैण्ड के क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र और उनके आंदोलन के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य का एक छोटा-सा 'गुप्त पुस्तकालय' स्थापित कर लिया था। इस पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रचार गुप्त रूप में मित्रों में होता और वे उनका अध्ययन करके अपने साथियों को बताते और उन्हें अपने दल की ओर आकर्षित करते थे।" इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें हसी क्रांतिकारियों के बारे में थी, कुछ आयरलैण्ड के देशभक्तों के बारे में और इनके साथ सावरकर की उक्त पुस्तक थी।

जिस समय लाला हरदयाल कानपुर आये थे, उस समय तक गदर पार्टी का संगठन न हुआ था किन्तु १८५७ के संग्राम से प्रभावित लाला हरदयाल ने कानपुर के नौजवानों को क्रांति की ओर प्रेरित किया और बाहर अमरीका में गदर पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार गदर और लाला हरदयाल से नये क्रांतिकारियों का सम्बन्ध जुड़ जाता है। १८५७ की लड़ाई के समय ही अंग्रेजों के दासों, राजभक्तों और उनके विरोधियों, क्रांतिकारियों में भेद उत्पन्न हो गया था। नारायण प्रसाद अरोड़ा के अनुसार गदर ने क्रांतिकारी देशभक्तों का ऐसा दल बना दिया था जो अंग्रेजों से किसी तरह का समझौता करने को तैयार न था। इनसे भिन्न स्वार्थी लोगों का ऐसा दल था जो "हाकिमों की खुशामद करके अपना मतलब गाँठते थे और यदाकदा उसी खुशामदी प्रणाली से जनता के कुछ लोगों की थोड़ी बहुत तकलीफ दूर करा देते थे।" कुछ अन्य उदारपथी "अंग्रेजों और देशी हाकिमों के गुणगान भी करते थे और साथ ही राष्ट्रीय बातों को भी प्रोत्साहन देते थे।" अंग्रेजों ने भारत में अपना सामाजिक आधार मजबूत करने के लिए पुराने सामन्तों से समझौता किया और नये सामन्त भी पैदा किये। नाना साहब ने अंग्रेज भक्त नारायण राव को कैद किया था, उन्हें अंग्रेजों ने बिठूर की जागीर और विनोड की जमींदारी दी। नारायण प्रसाद अरोड़ा ने उपर्युक्त अभिनन्दन-ग्रंथ में बताया है कि गदर में वफादारी के लिए अंग्रेजों ने कानपुर के असिस्टेण्ट कमिश्नर किशन नारायण गुट्टू को पाँच हजार मालगुजारी वाली जमींदारी दी। ईश्वरीप्रसाद खत्री

को छह गाँव, महाजन रेवतीराम तिवारी को तीन गाँव जागीर में दिये। अंग्रेजों ने इस तरह अनेक लोगों को जागीरें देकर किसानों को दवाये रखने के लिए अपने दलालों का जाल बिछाया था। नारायण प्रसाद अरोड़ा और लक्ष्मीकांत त्रिपाठी द्वारा सम्पादित कानपुर का इतिहास (भाग-१; १९५०) में इस तरह के जमींदारों का विस्तार से परिचय दिया हुआ है।

नारायण प्रसाद अरोड़ा का जन्म १८८१ में हुआ था। उनकी युवावस्था में भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध लेखक प्रतापनारायण मिश्र कानपुर के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में अत्यन्त सक्रिय थे। उनके लिये उपर्युक्त अभिनन्दन ग्रंथ में अरोड़ा जी ने लिखा है, "अपने पत्र [ब्राह्मण] तथा अपने व्याख्यानों द्वारा पंडित प्रतापनारायण जी ने कानपुर के राजनीतिक जीवन को प्रोत्साहन देने में काफी मदद पहुँचाई। मिश्र जी उन थोड़े से आदमियों में से थे जिन्होंने शहर की पब्लिक में राजनीतिक भाव पैदा करने की कोशिश की थी। मिश्र जी अपने समय के समस्त देशहित के कामों में पूरा सहयोग दिया करते थे। उनका जीवन वास्तव में सार्वजनिक कार्यों के हेतु ही समर्पित था।" वकिमचन्द्र के 'आनन्दमठ', अरविन्द घोष के पत्रों, लाला लाजपतराय की पुस्तकों और प्रतापनारायण मिश्र के लेखों ने "क्रांति की भावना को उत्पन्न करने में अपना योगदान किया।" नारायण प्रसाद अरोड़ा के जीवनी लेखक नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने प्रतापनारायण मिश्र से अरोड़ा जी के सम्बन्ध के बारे में बताया है, "हिन्दी के आदिपुरुषों में पंडित प्रतापनारायण मिश्र को वे अपना गुरु मानते थे और मिश्रजी के जीवन तथा साहित्य ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। पंडित प्रतापनारायण जी मिश्र की स्मृति में ही 'प्रताप' साप्ताहिक पत्र की स्थापना अरोड़ा जी ने की थी। मिश्रजी की कविताओं का संग्रह करके 'प्रताप लहरी' के नाम से सन् १९४९ में छपाया और पंडित प्रतापनारायण मिश्र का शताब्दी समारोह भी अखिल भारतीय स्तर पर कानपुर में अरोड़ा जी ने आयोजित किया।" नरेशचन्द्र चतुर्वेदी के अनुसार "अरोड़ा जी ने पंडित शिवनारायण मिश्र वैद्य तथा यशोदानन्द शुक्ल को साथ लेकर सन् १९१३ में साप्ताहिक प्रताप की स्थापना की और गणेश जी को प्रताप में सहयोग देने के लिए कानपुर बुलाया, जो उन दिनों मालवीय जी के पत्र 'अभ्युदय' के सम्पादक थे।" चतुर्वेदी जी ने यह भी बताया है कि प्रताप के प्रथम अंक में प्रतापनारायण मिश्र पर अरोड़ा जी का लेख प्रकाशित हुआ था, राणा प्रताप पर गणेशशंकर विद्यार्थी का।

नारायण प्रसाद अरोड़ा के प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन के बारे में सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य ने उपर्युक्त अभिनन्दन ग्रंथ में लिखा है, "जिग समय कांग्रेस की राजनीति निद्रत और निष्प्रिय थी, अरोड़ा जी इस शहर में बाहर में आए हुए प्रांतिकारी युवकों में मिलकर देश को स्वतन्त्र बनाने का मार्ग ढूँढ रहे थे। उनके साथियों की गंभ्या अधिक नहीं थी परन्तु वे थे सभी आजादी का सपना देखने वाले आत्मोद्धार के लिए व्याकुल मर्त्यार्थी नवयुवक। श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा इन युवकों के नेता थे।" अभिनन्दन-ग्रंथ में प्रकाशित अपने निबन्ध में अरोड़ा जी ने लिखा है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलनों में पहले कानपुर के

“ममस्त्र नेता गरम नीति के समर्थक थे” और नौजवानों की एक टोली “तिलक महाराज की नीति को मानने वाली और ममस्त्र नीति की समर्थक थी।” इस टोली के बारे में लिखा है कि कानपुर के क्रांतिकारी विदेश में काम करनेवाले क्रांतिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए थे। इनके पाग इंग्लैंड में प्रकाशित श्यामजी कृष्ण वर्मा का ‘इण्डियन मोडियोनोजिस्ट’, बर्लिन में प्रकाशित ‘तलवार’, अमरीका में गदर पार्टी के पत्र आते थे। कानपुर के जो नेता अहिंसात्मक आंदोलन में मन्त्रिय भाग लेते थे पर क्रांतिकारियों की निरन्तर सहायता भी करते रहे, उनमें नारायण प्रसाद अरोड़ा और गणेशशंकर विद्यार्थी प्रमुख थे।

सन् १९२१ के असहयोग आंदोलन की अग्रगण्यता के बाद संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के क्रांतिकारियों ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू किया। ‘कानपुर के विद्रोही’ पुस्तक के अनुसार बनारस पड़्यन्त्र केस में शचीन्द्र नाथ सान्याल को काने पानी की सजा मिली थी। अण्डमान में लौटने के बाद वह शलाहाबाद में रहने लगे। कानपुर में गुरेश चन्द्र भट्टाचार्य से मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को व्यापक रूप देने का विचार किया। १९२२ में जब कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, तब उसमें शचीन्द्र नाथ सान्याल तथा कानपुर के कुछ अन्य व्यक्ति भी थे। गया कांग्रेस के बाद शाहजहाँपुर से रामप्रसाद बिस्मिल, मयूरा से शिवचरण लाल, काशी में राजेन्द्र लाहिड़ी, आगे चलकर झांसी में शचीन्द्र नाथ वल्शी कानपुर आकर दल की बैठकें करने लगे। जब मन्मथनाथ गुप्त, योगेशचन्द्र चटर्जी और सरदार भगतसिंह कानपुर आए, तब “यह नगर संयुक्त प्रान्तीय क्रांतिकारी दल का केन्द्र स्थान बन गया।” (पृष्ठ ११३)। क्रांतिकारी दल को फिर से संगठित करके हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। “इस संस्था की प्रथम कल्पना, विधान-निर्माण और सस्था की प्रथम प्रान्तीय बैठक कानपुर में ही हुई। इसका विधान पत्र एक पीले कागज में छपा था। इसलिये क्रांतिकारियों में यह ‘पेले पत्र’ के नाम से परिचित था। इसकी प्रान्तीय कमेटी की कई बैठकें इसी नगर में श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य के घर में हुईं, जिनमें श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल, श्री योगेशचन्द्र चटर्जी, श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री शचीन्द्र नाथ वल्शी, श्री शिवचरण लाल शर्मा, श्री वीरभद्र तिवारी और श्री राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी भी शामिल हुए थे।” (उप. पृष्ठ ११४)। रामदुलारे त्रिवेदी, राजकुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, वटुकेश्वर दत्त, अजय कुमार घोष, मुरेन्द्र पाण्डेय आदि अन्य युवक भी क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। काकोरी की डकैती के मिलसिले में जब अनेक क्रांतिकारी युवक पकड़ लिए गये तब गणेशशंकर विद्यार्थी ने उनकी पैरवी और सहायता के लिए बड़ा परिश्रम किया।

गणेशशंकर विद्यार्थी ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल की ‘आत्मकथा’ प्रकाशित की। फाँसी की सजा सुनने के बाद कुछ दिनों में बिस्मिल ने यह ‘आत्मकथा’ लिखी थी। ‘आत्मकथा’ की पाण्डुलिपि शिव वर्मा लाए थे और उन्होंने उसे विद्यार्थी जी को सौंप दिया था। अंग्रेजी राज में यह पुस्तक गुप्त रूप में वितरित की जाती थी। भारत के स्वाधीन होने पर १९५८ में

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी पीढ़ी के क्रांतिकारियों में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांति को सफल बनाने के लिए जन-आंदोलन और जनसंगठन का महत्व पहचाना था। उन्होंने अभूतपूर्व साहस से अपने क्रांतिकारी जीवन की समीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक क्रांतिकारी युवक जनता में जाकर काम न करेंगे, तब तक उन्हें अपने कार्य में सफलता न मिलेगी। जिस तरह के दल में वे काम करते रहे थे, उससे भिन्न प्रकार के संगठन की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की थी। उन्होंने लिखा था, "राजनैतिक क्रांति के लिए सर्वप्रथम क्रांतिकारियों का संगठन ऐसा होना चाहिए कि अनेक विघ्न तथा बाधाओं के उपस्थित होने पर भी संगठन में किसी प्रकार कृटि न आये। सब कार्य यथावत् चलते रहें। कार्यकर्ता इतने योग्य तथा पर्याप्त संख्या में होने चाहिये कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा स्थान पूर्ति के लिए सदा उद्यत रहे।" (पृष्ठ ११५)। क्रांतिकारी कार्य के लिए जनता का संगठन करना आवश्यक है, इस बारे में उन्होंने लिखा था, "अति उत्तम होगा यदि भारत की भावी सन्तान तथा नवयुवकवृन्द क्रांतिकारी संगठन करने की अपेक्षा जनता की प्रवृत्ति को देश-सेवा की ओर लगाने का प्रयत्न करें और श्रमजीवी तथा कृषकों का संगठन करके उनको जमींदारों तथा रईसों के अत्याचारों से बचायें। भारतवर्ष के रईस तथा जमींदार सरकार के पक्षपाती हैं।" (पृष्ठ १२३)। आगे लिखा था, "जिसके हृदय में भारतवर्ष की सेवा के भाव उपस्थित हों, या जो भारतभूमि को स्वतन्त्र देखने या स्वाधीन बनाने की इच्छा रखता हो, उसे उचित है कि ग्रामीण संगठन करके कृषकों की दशा सुधार कर, उनके हृदय से भाग्य-निर्भरता को हटाकर उद्योगी बनने की शिक्षा दे। कल, कारखाने, रेलवे, जहाज तथा खानों में जहाँ कहीं श्रम-जीवी हों, उनकी दशा को सुधारने के लिए श्रमजीवियों के संघ की स्थापना की जाए, ताकि उनको अपनी अवस्था का ज्ञान हो सके और कारखानों के मालिक मनमाने अत्याचार न कर सकें और अछूतों को, जिनकी संख्या इस देश में लगभग छँ करोड़ है, पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयत्न हो तथा उनको सामाजिक अधिकारों में समानता हो। जिन देश में छँ करोड़ मनुष्य अछूत समझे जाते हों उस देश [के] वाशियों को स्वाधीन बनने का अधिकार ही क्या है? इसी के साथ ही स्त्रियों की दशा भी इतनी सुधारी जाये कि वे अपने आपको मनुष्य जाति का अंग समझने लगे।" (पृष्ठ १२४-२५)।

रूसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के किमानों और मजदूरों में किस तरह काम किया था, उसका हवाला देते हुए रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, "रूस में जब तक किमान संगठन नहीं हुआ, रूस सरकार की ओर से देशमेंवकों पर मनमाने अत्याचार होते रहे। जिन समय में कैथेरान ने ग्रामीण संगठन का कार्य अपने हाथ में लिया, स्थान-स्थान पर कृषक-सुधारक संघों की स्थापना की, घूम-घूमकर रूस के युवक तथा युवतियों में जागरणही के विरुद्ध प्रचार जारी किया। फिर किमानों को अपनी सामाजिक अवस्था का ज्ञान होने लगा। वे अपने मित्र तथा शत्रु को समझने लगे, उगी समय में जागरणही की ... लगी। श्रमजीवियों के संघ भी स्थापित हुए। रूस ... उगी समय से जनता

की प्रवृत्ति को देखकर मदान्धों के नेत्र खुल गये।" (पृष्ठ १२५)।

रामप्रसाद बिस्मिल राजनीतिक स्वाधीनता के साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तनों की बात सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों के समान अधिकारों की चर्चा की है। इससे यह न समझना चाहिए कि वे क्रांति का रास्ता छोड़कर सुधारवाद की ओर झुक गये थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में जो पंक्तियाँ लिखी हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं: "असहयोग आंदोलन में कार्यकर्ताओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी सबके सब शहर के प्लेटफार्मों पर लेक्चर-बाजी करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे बहुत थोड़े कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ग्रामों में कुछ कार्य किया। उनमें भी अधिकतर ऐसे थे जो केवल हुल्लड़ कराने में ही देशोद्धार समझते थे! परिणाम यह हुआ कि आंदोलन में थोड़ी शिथिलता आते ही सब कार्य अस्त-व्यस्त हो गया।" (पृष्ठ १२६)। अपनी अंतिम विरासत के तौर पर उन्होंने लिखा, "नवयुवकों को मेरा अंतिम संदेश यही है कि वे रिवाल्वर या पिस्तौल को अपने पास रखने की इच्छा त्यागकर सच्चे देशसेवक बनें। पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो और वे वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रयत्न करते रहें।" (पृष्ठ १३०-१३१)।

'आत्मकथा' के अन्त में रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, "मेरी यह इच्छा हो रही है कि मैं उन कविताओं में से भी चन्द का यहाँ उल्लेख कर दूँ, जो कि मुझे प्रिय मालूम होती है और मैंने यथासमय कंठस्थ की थी।" इनमें एक कविता यों शुरू होती है: वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। श्रीनारायण चतुर्वेदी के अनुसार यह कविता जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी' की लिखी हुई थी। कानपुर के 'दैनिक जागरण' के रजत जयन्ती अंक (२० नवम्बर, १९७२) में चतुर्वेदी जी का लेख है: 'घनाक्षरी और सवैया के बादशाह हितैषी जी'। इसमें उन्होंने बताया है कि हितैषी जी के पूर्वज अवध के नवाब के यहाँ सेना तथा राज्य के उच्च पदों पर थे; "प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में उनके पूर्वजों ने भी खुलकर भाग लिया था।" सोलह साल की उम्र में वह मैनपुरी पड़्यन्त्र के गेंदालाल दीक्षित के दल में शामिल हो गये थे। जब वे असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार छोड़े न थे। चतुर्वेदी जी ने लिखा है: "उन्हे अहिंसा में विश्वास न था। वे खुलकर जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने को प्रेरित करते। इसके परिणामस्वरूप उनकी सारी चल-अचल सम्पत्ति और कानपुर का मकान जब्त करके नीलाम कर दिया गया।" उक्त कविता का परिचय देते हुए लिखा है: "सन् १९१६ में, अमरीका को स्वाधीनता कैसे मिली, नामक पुस्तक कानपुर से प्रकाशित हुई थी, उसके आवरण के अंतिम पृष्ठ पर एक गजल छपी थी:

वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है,
सुना है आज मकतल में हमारा इम्तहां होगा।
इलाही धर भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे,
जब अपनी ही ज़मी होगी, जब अपना आसमां होगा।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वरम मेले
वतन पर मरने वालों का यही वाकी निशा होगा।

यह गजल, विशेषकर इसकी अंतिम दो पंक्तियाँ, सारे देश में आग की तरह फैल गयी। इन पंक्तियों के लेखक थे कानपुर के प्रसिद्ध कवि श्री जगदम्बासहाय [प्रसाद] मिश्र 'हितैषी'।"

क्रांतिकारी आंदोलन से हिन्दी कविता का गहरा सम्बन्ध १९२० के असहयोग आंदोलन में पहले कायम हो चुका था, यह बात ध्यान देने की है। उक्त कविता के लेखक स्वयं क्रांतिकारी आंदोलन से सम्बद्ध थे, यह भी उल्लेखनीय है।

नारायणप्रसाद अरोड़ा के एक वरिष्ठ सहयोगी थे राधामोहन गोकुलजी। १९०८ में इनकी एक छोटी-सी पुस्तक 'देश का धन' प्रकाशित हुई थी। १८५७ के बाद तत्कालीन देश की दशा देखते हुए इसमें उन्होंने लिखा था, "१८५७ के पीछे झूठ चेड़मानी बहुत ही बढ़ गयी है [] यह अब कमी की ओर झुकेंगी क्योंकि चीन में देशाभिमान नष्ट हो गया था [,] अब पुनः जाग्रत हो गया है।" (पृष्ठ ३५-३६)। १९०८ में गदर का अर्द्धशताब्दी समारोह लन्दन में मनाया गया था। उसी वर्ष राधामोहन गोकुलजी भी उस संग्राम को याद कर रहे थे। उनके लिए देश की जनता ने १८५७ में अपना देशाभिमान व्यक्त किया था। अंग्रेजों ने उमंग दबा दिया था किन्तु बीसवीं सदी के प्रथम दशक में देश की जनता फिर आत्मविश्वास से अपना मिर उठाने लगी थी। प्रतापनारायण मिश्र से इनका सम्बन्ध वैसी ही था जैसे नारायणप्रसाद अरोड़ा का। 'क्रांति का आगमन' (आगरा, १९७४) के सम्पादक सत्यभक्त ने इसमें राधामोहन गोकुल के बारे में लिखा है, 'हमने मन् १८९० के आगमन के 'प्राज्ञ' के कई अकों में इनका नाम आनरेरी मैनजर के रूप में छपा देगा है। प्रतापनारायणजी के सम्पर्क में आकर इनका हिन्दी प्रेम और भी बढ़ा और ये चुटीली जोरदार भाषा लिखने लगे। इसके पहले उलाहावाद में भी कदाचित् 'हिन्दी प्रदीप' के सम्पादक पंडित बालकृष्णजी भट्ट के प्रभाव में लेख लिखने लग गये थे। उग प्रकार हिन्दी गद्य के दो आरम्भक निर्माताओं के निरुक्त सम्पर्क में आकर राधामोहनजी की लेखनशैली भी खूब भिन्न उठी।' प्रतापनारायण मिश्र की राजनीतिक चेतना के बारे में नारायण-प्रसाद अरोड़ा का कथन उद्धृत किया जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट नरमदली राजनीति के विरोधी और क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे। यह असम्भव है कि भट्टजी ने राधामोहनजी को गद्य लिखने की प्रेरणा दी हो और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा न दी हो। १८५७ का स्वाधीनता संग्राम, भारतेन्दु युग के दो लेखक प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, बीसवीं सदी का स्वाधीनता आंदोलन और उगमें सम्बद्ध लेखक और क्रांतिकारी नारायणप्रसाद अरोड़ा तथा राधामोहन गोकुलजी, ये कठिया आपस में जैसे जुड़ी हुई हैं, यही बहुत साफ देगा जा सकता है। 'विष्वक्' नाम के लेख संग्रह में आगरा के महादेवप्रसाद अग्रवाल ने राधामोहनजी के गद्यपरिचय में बताया है कि कानपुर में प्रतापनारायण मिश्र में उनकी घनिष्ठता थी। कुछ समय तक वह 'प्राज्ञ' के मैनजर रहे और उगमें लेख भी देने थे। १८८५ में उलाहावाद में एक स्वदेशी विचारक कम्पनी बनी थी। उगता एन डिम्बा राधामोहनजी में भी गरीदा था। उग समय उन्होंने गदा देशी रचने का निर्णय लिया था। उलाहावाद में एक अंग्रेज कर्मचारी

से झगड़ा हो गया था। “इन्होंने उसे दो धौल जमाकर घर का रास्ता लिया;” घर आकर अपने सर्टीफिकेट जलाये और “यावत्जीवन सरकारी नौकरी न करने की प्रतिज्ञा की।” यह घटना जुलाई १८८६ की है। उस समय कांग्रेस में किस तरह के लोग एकत्र हो रहे थे, पाठक स्मरण कर लें। १९२१ में वह नागपुर के सत्याग्रह आश्रम में थे। वहाँ उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और एक साल की सख्त कैद की सजा दी गयी। मुकदमे में इन्होंने जो सरकार-विरोधी वक्तव्य दिया, उसका उल्लेख गांधीजी ने अपने पत्र ‘यंग इण्डिया’ में किया था। नागपुर से निकलने वाले ‘प्रणवीर’ नामक पत्र में वह बराबर लिखते रहे थे। सक्षिप्त परिचय लिखने वाले ने बताया है कि राधामोहनजी के चुने लेख छापने का विचार उसने अनेक बार किया पर वह काम पूरा न हुआ। अब यह काम नारायणप्रसाद अरोड़ा ने हाथ में लिया है। (मैंने इस पुस्तक की जो प्रति देखी है, उसमें आवरण पृष्ठ नहीं है। सम्भव है, इसे कानपुर में नारायणप्रसाद अरोड़ा ने ही प्रकाशित किया हो।)

राधामोहन गोकुलजी का घनिष्ठ सम्पर्क कवि ‘निराला’ तथा मतवाला-मण्डल के सभी लोगों से था। शिवपूजन सहाय ने उन पर एक परिचयात्मक लेख लिखा था जो शिवपूजन-रचनावली के चौथे खण्ड में दिया हुआ है। इनका जन्म गोपाल गंज, जिला प्रतापगढ़ में १८६५ ईसवी में हुआ। प्रतापनारायण मिश्र की सगति का उल्लेख शिवपूजनजी ने भी किया है। आगरे में मिल मजदूरों के संगठन का काम राधामोहनजी ने किया, इसका उल्लेख भी है। शिवपूजनजी ने यह भी बताया है कि जब वह ‘मतवाला’ में थे, तब वहाँ राधामोहनजी प्रायः नित्य आते थे। निराला और शिवपूजन सहाय के सहयोगी नवजादिकलाल श्रीवास्तव से उनकी बहुत पुरानी जान-पहचान थी। नवजादिकलाल साप्ताहिक पत्र ‘वीर भारत’ (कलकत्ता) के सम्पादक थे, “तब आप उसमें बड़े जोशीले लेख लिखा करते थे।” बुढ़ापे में भी “आप सभा सम्मेलनों में अत्यंत निर्भीकता से उत्तेजनापूर्ण भाषण करते थे।” अंग्रेजी राज्य के प्रति उनके दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए शिवपूजनजी ने लिखा है, “गोरी नौकरीशाही के प्रति आपके उद्धत विचारों को सुनकर बार-बार यह आशंका होती थी कि आप कब कहीं गिरफ्तार हो जायेंगे, कुछ ठीक नहीं था। पुलिस और जेलखाने के अधिकारी आपको ‘बहुत खतरनाक’ समझते थे। जेल से छूटते समय आप स्पष्ट कह दिया करते थे कि हमारा स्थान सुरक्षित रचना, हम फिर शीघ्र ही आयेंगे।”

चन्द्रशेखर आजाद से शिव यर्मा की पहली भेंट कानपुर में राधामोहन गोकुलजी के घर पर हुई थी। “रात के लगभग नौ बजे थीं राधामोहन गोकुलजी के मकान पर जाकर दरवाजा रटगटाया। राधामोहनजी ने दरवाजा खोला और कुछ कहे बगैर ऊपर छत की ओर इशारा कर दिया। वहाँ खुली छत पर फैन चाँद के रूपहले प्रकाश में एक व्यक्ति चटाई पर उधारे बदन पत्थी लगाये अकेले बैठा हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था—भावना रग, गठा हुआ तगड़ा त्रिसम, औसत नम्ब्याई में कुछ नाटा कद, छोटी, तेज चुभनी हुई आँखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। यह काकोरी कैम के फरार अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद थे।” (निय

वर्मा, 'संस्मृतियाँ', लयनऊ, १९६९, पृष्ठ-५०) ।

क्रांतिकारियों को राधामोहनजी पर कितना भरोसा था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चन्द्रशेखर आज़ाद उनके घर पर अन्य क्रांतिकारियों में मिले थे । सत्यभक्त ने आगरे में उनकी क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में लिखा है, "आगरा में उन्होंने भगतसिंह आदि के लिए रातों रातों ठेके लगाए थे, क्योंकि वे आगरा के निवासी थे और उनके एक भाई के यहाँ लोहे की टलाई का काम भी होता था ।" (सत्यभक्त सम्पादित 'क्रातिपथ के पथिक', आगरा, १९७३, पृष्ठ २३०) । भगतसिंह के सहयोगी विजयकुमार सिन्हा ने बताया है कि "राधामोहनजी ने कलकत्ते से इकट्ठा करके इतना रुपया दिया जिससे हम हथियार खरीद सके और दल के कार्यों के लिए पूरा समय देने वालों के रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए उचित स्थान प्राप्त कर सके ।"

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के मंदिर में राधामोहन गोकुलजी की मुख्य भूमिका यह है कि वह क्रांतिकारियों को उस दिशा की ओर मोड़ने में सफल हुए जिसकी ओर सकेत रामप्रसाद बिस्मिल ने 'आत्मकथा' में किया था । कानपुर के क्रांतिकारियों में समाजवादी चेतना फैलाने का श्रेय राधामोहनजी और उनके सहयोगी हिन्दी-पत्रकार और लेखक सत्यभक्त को है । इन दोनों ने तथा गणेशशंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारियों को मजदूर सभा में काम करने की प्रेरणा दी । इस सदर्भ में शिव वर्मा ने लिखा है, "भगतसिंह जब भी कानपुर आता तो अन्य पुस्तकों के साथ नौजवान भारत सभा का कुछ न कुछ साहित्य अपने साथ अवश्य लाता था । राधामोहन गोकुलजी और सत्यभक्त के सम्पर्क ने कानपुर के हम सभी साथियों में समाजवाद की ओर रुझान पैदा कर दिया था । स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में हम लोगों ने कानपुर मजदूर सभा में दिनचर्या लेनी आरम्भ कर दी थी । भगतसिंह ने हमारे इस रुझान को बल दिया और समाजवाद का अध्ययन तथा उस पर बहस आदि करने की प्रेरणा प्रदान की ।" ('संस्मृतियाँ', पृष्ठ २२)

सत्यभक्त के अनुसार राधामोहनजी ने 'कम्यूनियज्म क्या है?' पुस्तक १९२४ में लिखी थी । इसे सत्यभक्त ने १९२७ में प्रकाशित किया था । इस पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है, "उन दिनों यह पुस्तक क्रांतिदल के सदस्यों में राधामोहनजी ने खूब बाँटी और पढाई थी ।" ('क्रातिपथ के पथिक', पृष्ठ १९६) । सत्यभक्त, नारायणप्रसाद अरोड़ा, राधामोहन गोकुलजी और नौजवान क्रांतिकारी, इन सबमें घनिष्ठ सम्पर्क था । विजयकुमार सिन्हा ने अपने दल के लोगों पर राधामोहन जी के प्रभाव के बारे में लिखा है, "मैं सत्यभक्तजी द्वारा शीघ्र ही राधामोहनजी से परिचित हो गया । वे भी उसी स्थान में पास ही रहते थे और उनसे हमें क्रांतिकारी साहित्य मिला करता था... राधामोहनजी, सत्यभक्तजी और श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा, जिनका मकान पास में ही था, प्रायः प्रतिदिन मिला करते थे और उग्र राजनीतिक विचारों तथा कार्य-सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत किया करते थे... यह वह जमाना था जब क्रांतिकारियों की विचारधारा तेज़ी से बदल रही थी और हमारे सदाशत्रु क्रांतिवाद में साम्यवाद के सिद्धान्त का समावेश

होता जाता था। रूस में अक्टूबर क्रांति की सफलता के समाचारों ने हमारे आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी। हम अनुभव करने लगे थे कि भारत-वर्ष से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना हमारे आन्दोलन का प्रथम उद्देश्य अवश्य है, पर उसके बाद हमको अपने देश में साम्यवादी सिद्धान्त के आधार पर एक सुखी समाज के निर्माण के लिए भी संघर्ष करना होगा। इसलिए हम राधामोहनजी के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होते थे क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके विचार पहले ही परिपक्व हो चुके थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 'कम्यूनिज्म क्या है?' जिसमें साम्यवाद के सिद्धान्तों का जोरों से समर्थन किया गया था। उस समय देश की जमी राजनीतिक परिस्थिति थी, उसे देखते हुए यह एक मार्गदर्शक का ही कार्य था। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उनमें प्रायः लम्बे समय तक विचार-विमर्श किया करते थे, क्योंकि उस समय इस विषय का साहित्य कम ही मिलता था। ऐसे अवसरों पर राधामोहनजी ऐसे आंतरिक भाव से वार्तालाप करते थे, मानो इस सिद्धान्त पर उनको अटल, अचल विश्वास है।" (उप. पृष्ठ २६८-६९)।

शिव वर्माजी से मुझे मालूम हुआ कि राधामोहन गोकुलजी के पास अच्छा पुस्तकालय था। इसमें मार्क्सवाद से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें थी। मार्क्स और एंगेल्स की प्रसिद्ध पुस्तिका 'कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र' उन्हीं से लेकर शिव वर्माने पढ़ी थी। दुबारा उन्होंने उसे फिर पढ़ा जब चन्द्रशेखर आजाद आगरे में थे। घोषणा-पत्र अंग्रेजी में था, शिव वर्मा उसका हिन्दी अनुवाद करके आजाद को सुनाते जाते थे। उनसे और उनके साथियों से राधामोहनजी कहते थे, अपना काम करते रहो पर यह साहित्य भी पढ़ो। अपनी बातचीत में वर्माजी ने एक दिलचस्प वाक्य कहा था, "हम लोग काम में टेररिस्ट विचारों में कम्युनिस्ट थे।" सक्रमण की हालत में ऐसा होना स्वाभाविक है। 'संस्मृतियाँ' में उन्होंने भगतसिंह के बारे में इससे मित्रती-जुलती बात लिखी है, "उसका कहना था कि अंग्रेजी दासता के विरुद्ध संघर्ष तो हमारे युद्ध का पहला मोर्चा है। अंतिम लड़ाई तो हमें शोषण के विरुद्ध ही लड़नी पड़ेगी। चाहे वह शोषण मनुष्य द्वारा मनुष्य का हो या एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का हो। यह लड़ाई जनता के सहयोग के बगैर नहीं लड़ी जा सकती।" ('संस्मृतियाँ,' पृष्ठ २२)

अपने जीवन के अंतिम चरण में राधामोहनजी किसानों का संगठन कर रहे थे। अशोककुमार बोस को एक सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर पर गोली चलाने के अपराध में पाँच साल की सजा हुई थी। छूटने पर वह हमीरपुर के खूही गाँव गये जहाँ राधामोहनजी एक स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ उनके काम के बारे में अशोक-कुमार ने लिखा है, "दूमरे दिन राधामोहनजी ने मुझे अपना प्लान समझाया कि पढ़ाना तो हमारे काम के लिए एक आड है। हमारा मुख्य ध्येय है गरीब, समाज के पीड़ित, अनपढ़ तथा अज्ञ किसानों को राजनैतिक दृष्टि से संगठित करना, गाँव-गाँव में सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए सैकड़ों और हजारों विप्लव केन्द्र बनाना।" (उप. पृष्ठ २६०)।

राधामोहन गोकुलजी नवयुवक साथियों में किम तरह की विचारधारा का प्रसार कर रहे थे, इसका स्पष्ट विवरण अशोककुमार ने दिया है: "उनका

कहना था कि हमारा देश कृषिप्रधान है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ है और राजनीतिक रूप में तो पूरा गुलाम है ही। अतः जब तक गोये और खोये सर्वहारा किसानों को चेतन्य और संगठित नहीं किया जाएगा, तब तक किसी प्रकार की आजादी की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब तक पैदावार के साधन सर्वहारा वर्ग के हाथ में नहीं आ जायेंगे, तब तक शोषण का अन्न और जनता की भलाई नहीं हो सकती।" (उप. पृष्ठ २८६-६०)।

आजादी पाने के बाद देश में समाजवादी व्यवस्था कायम की जायेगी, उसके लिए समाजवाद का ज्ञान आवश्यक होगा, यह दूरगामी लक्ष्य की बात हुई। किन्तु जब तक किसानों और मजदूरों का संगठन न किया जाएगा, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता भी नहीं मिल सकती। आजादी का लक्ष्य दूरगामी नहीं था, उनकी प्राप्ति के लिए भी समाजवादी विचारधारा का ज्ञान, उसके अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का संचालन आवश्यक था, यह बात राधामोहनजी जानते थे, यह तथ्य अशोककुमार के कथन में स्पष्ट हो जाता है।

१९३० में राधामोहनजी को दो माल की सजा हुई। जेल में रहते हुए वह बीमार पड़ गये, फिर भी काम करते रहे। जिले समय वह हमीरपुर के गांवों में किसानों का संगठन कर रहे थे, उस समय उन मत्तर वर्ग के बुद्ध क्रांतिकारी को मजिस्ट्रेट ने अपना वगम बन्द करने को कहा। मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते और सीटों में उन्हें जो सराव साना मिला, उसमें उनकी हालत और गराव हो गयी। उनके अंतिम समय का और अपने ऊपर उनके जीवन के प्रभाव का मार्मिक वर्णन अशोककुमार ने इन शब्दों में किया है, "उनको भयंकर पेनिश हो गयी थी। हम सभी साथियों ने हर तरह में सेवा-मुश्रूषा करके उनको रोगमुक्त करने की कोशिश की पर बीरान रथान में निफित्सा की उचित व्यवस्था न हो सकेने में हमें उनको छो देना पडा। देश की एक महान् हस्ती, एक चमकते हुए मितारे का अकस्मात् अन्त हो गया। उसी गाँव में हमने उनकी ममाधि बनायी और मैंने उसके सामने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा की कि अपना मारा जीवन गरीब किसान, मजदूर अर्थात् सर्वहारा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में लगाऊँगा और तब तक चैन नहीं लूँगा जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। (उप. पृष्ठ २६१-६२)।

३. क्रांतिकारी दल और जनआन्दोलन

सन् २० के बाद भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन पर रूस की समाजवादी क्रान्ति का प्रभाव क्रमशः बढ़ता गया। इस समय तक रूसी क्रान्ति और मार्क्सवाद से सम्बन्धित काफी सामग्री भारत में उपलब्ध होने लगी थी। १९२३ के बाद शचीन्द्र सान्याल ने विभिन्न दलों को मिलाकर क्रांतिकारियों का जो संगठन बनाया उसका नाम उन्होंने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। १९२८ में भगतसिंह और उनके साथियों ने अपने संगठन का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। इन नामों से ही समाजवाद के प्रति क्रांतिकारियों की धारणा का पता चल जाता है। हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का लक्ष्य

भारत को संयुक्त राज्यों का संघीय प्रजातंत्र (फेडरैटेड रिपब्लिक आफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ इंडिया) बनाना था। यूनाइटेड स्टेट्स वाली यह धारणा लाला हरदयाल और गदर पार्टी से चली आ रही थी। भारत में अनेक जातियां बसती हैं, ये जातियां अलग-अलग भाषाएँ बोलती हैं, भारत इन जातियों का संघ है; पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य के साथ यह जातीय संघ वाली धारणा राष्ट्रीय आंदोलन को क्रान्तिकारियों की महत्वपूर्ण देन है। भारतीय संघ प्रजातंत्र होगा, उसमें राजाओं के लिए कोई स्थान न होगा, यह धारणा भी मधोय प्रजातंत्र में निहित है। इंग्लैंड का राजा भारत का शाहंशाह न होगा, देशी रियासतों के राजा भी अपनी सामन्तशाही कायम न रख सकेंगे। अंग्रेजों ने भारत में कभी वालिग मताधिकार के आधार पर जनतंत्र नहीं कायम होने दिया। भारतीय जनतंत्र में हर वालिग को वोट देने का अधिकार होगा, क्रान्तिकारियों ने यह लक्ष्य अपने सामने रखा था। किन्तु इसमें आगे बढ़कर अर्थात् पूंजीवादी जनतंत्र से आगे बढ़कर ये क्रान्तिकारी मनुष्य को सामाजिक उत्पीड़न से भी मुक्त करना चाहते थे।

उन एसोसिएशन के (पीला पर्चा नाम से विख्यात) संविधान में, शिव वर्मा के अनुसार, "ऐसे समाज की स्थापना की भी बात कही गयी थी जिसमें मनुष्य का शोषण करने का अधिकार नहीं होगा। संविधान की यह एक महत्वपूर्ण घोषणा थी जिस पर अक्षुब्ध क्रान्ति की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।" (स्मारिका, आगरा, १९८१, पृष्ठ २३)।

वर्माजी ने आगे बताया है कि संविधान में प्रमुख उद्योग-धन्धों पर राज्य का अधिकार होगा, यह बात कही गयी थी। एसोसिएशन के काम को गुप्त और सार्वजनिक दो हिस्सों में बांटा गया था। यह रोचक तथ्य है कि सन् २० के बाद अनेक क्रान्तिकारी युवक सार्वजनिक आन्दोलन के महत्व पर जोर देने लगे थे। गदर पार्टी ने भी गुप्त और सार्वजनिक कामों में भेद किया था। किन्तु उसका कार्यक्षेत्र अधिकतर भारत में बाहर था। भारत में जो लोग सशस्त्र क्रान्ति का प्रयास कर रहे थे, वे गुप्त कार्रवाई पर ही अधिक जोर देते आये थे। रूसी क्रान्ति से थोड़ा परिचय होने पर भी उनसे यह छिपा न रह सकता था कि किसानों और मजदूरों के संगठन के बिना कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सार्वजनिक कामों में एक काम था मजदूरों और किसानों के संगठन बनाना। यह सब रूसी क्रान्ति के प्रभाव की सूचना देता है पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रान्तिकारियों ने मार्क्सवाद को स्वीकार कर लिया था। शिव वर्मा ने ठीक लिखा है, "यह सब होते हुए भी यह कहना गलत होगा कि संविधान तथा कार्यक्रम को बनानेवालों का उद्देश्य किसान और मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व या सोवियत रूस जैसा समाजवादी समाज स्थापित करना था।" (उप.)। यदि क्रान्तिकारियों ने मार्क्सवाद को स्वीकार किया होता तो उनके संगठन और काम करने के तरीके पूरी तरह बदल जाते, तब वे पुराने ढंग के क्रान्तिकारी न रहकर नये ढंग के क्रान्तिकारी, मार्क्सवादी क्रान्तिकारी हो जाते। किन्तु स्वयं मार्क्सवादियों के लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जो लोग गुप्त संगठन पर अधिक जोर देते थे और सशस्त्र क्रान्ति को संघर्ष का मुख्य रूप मानते थे, वे

जनआन्दोलन और जनमंगलन के विरोधी नहीं थे चरन् उनके मर्मक थे। हमने जनआन्दोलन के लिए धीर और त्यागी युवकों का एक समुदाय मावसवादियों को सुलभ होता था और सुलभ हुआ है। प्रश्न यह था कि स्वयं मावसवादियों ने मजदूरों और किसानों को, विशेष रूप से किसानों को, संगठित करने के लिए कितना प्रयास किया। इस प्रयास पर यह निर्भर था कि पुराने क्रान्तिकारियों में जो समाजवादी रहान है, मावसवादी उभे निगारकर भारतीय क्रान्ति के विकास में पुराने क्रान्तिकारियों से कितना सहयोग प्राप्त करते हैं।

१ जनवरी १९२५ को एक पर्चा बांटा गया जिसका शीर्षक था 'भारत की क्रान्तिकारी पार्टी का घोषणा-पत्र'। घोषणा-पत्र मूल रूप में अंग्रेजी में था। ऐसा लगता है कि क्रान्तिकारी दल ने नियमित रूप में एक पत्र निकालने की योजना बनाई थी। पत्र का नाम रखा था क्रान्तिकारी (दि रिवोल्यूशनरी)। इसे भारत की क्रान्तिकारी पार्टी का मुख-पत्र बताकर उमके पहले अंक में उक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया था। इसके लेखक पीले पर्चे से परिचित जान पड़ते हैं। इसमें भी भारत के संयुक्त राज्यों का संघीय प्रजातन्त्र क्रान्ति का लक्ष्य बताया गया है। प्रजातन्त्र में बालिग मताधिकार में चुनाव होगा, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की हर व्यवस्था समाप्त की जायेगी। रेलों, मानों, परिवहन और संचार साधनों का राष्ट्रीयकरण होगा। जिन भारी उद्योग-धन्धों में दुस्पात और जहाजों का निर्माण होता है, उनका भी राष्ट्रीयकरण होता। इस घोषणा-पत्र की विशेषता यह है कि संघीय प्रजातंत्र की स्थापना को तात्कालिक लक्ष्य बताया गया है। रेलों आदि का राष्ट्रीयकरण, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के अंत को प्रजातंत्र के बुनियादी सिद्धान्त कहा गया है। आशय यह है कि शोषण से मुक्ति दूर-गामी लक्ष्य है, तात्कालिक लक्ष्य है स्वाधीन प्रजातंत्र की स्थापना। प्रजातंत्र में जनता को अधिकार होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुला सके। यह सिद्धान्त सोवियत संविधान में विद्यमान है। पुराने क्रान्तिकारियों को राष्ट्रीय क्रान्तिकारी की संज्ञा दी गयी है किन्तु इस घोषणा-पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि "क्रान्तिकारी पार्टी राष्ट्रीय नहीं अन्तरराष्ट्रीय है" (The Revolutionary party is not National but International)। यह अन्तर्राष्ट्रीयता बँसी ही नहीं है जैसी वह मावसवादियों के निचे सुपरिचित है किन्तु उससे यह बहुत दूर भी नहीं है। घोषणा-पत्र में व्याख्या की गयी है कि संसार में विभिन्न जातियाँ रहती हैं, इन जातियों के हित अलग-अलग हैं, इन हितों का सम्मान करते हुए जातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्रान्तिकारी पार्टी का लक्ष्य है, इस अर्थ में वह अन्तर्राष्ट्रीय है। पार्टी का लक्ष्य विभिन्न राज्यों और जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म करके सहयोग कायम करना है, "और इस मामले में वह गौरव-मय अतीत के महान् भारतीय ऋषियों तथा आधुनिक युग में बोल्शेविक रूस के चरण-चिन्हों पर चलती है।" यहाँ बोल्शेविक रूस के साथ भारतीय ऋषियों का उल्लेख है, इससे चौंकने की जरूरत नहीं। लाला हरदयाल ने कार्ल मार्क्स को आधुनिक ऋषि कहा था। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, धर्मपूर्वक कष्ट सहता है, वह लाला हरदयाल के लिए ऋषि है। यदि

पात्र है। शान्तिपूर्ण और वैध उपायों से भारत को राजनीतिक स्वाधीनता मिलेगी, यह सोचना खुद को धोखा देना है। शत्रु अपनी सुविधा से शान्ति मंग करने पर तुला हुआ है, ऐसी स्थिति में वैध उपाय अर्थात् हीन शब्द हैं और हर हालत में हम शान्ति बनाये रहेंगे, यह सम्भव नहीं है। (यहाँ संवैधानिक तरीके से आशय है अंग्रेजों द्वारा दी हुई कुछ रियायतों से। कांग्रेस इन रियायतों को अस्वीकार करती थी, फिर उन्हें छोड़े हेर-फेर में स्वीकार करती थी। वैध उपाय ऐसे थे जो अंग्रेजी कानून को स्वीकार थे)। घोषणा-पत्र में इन बात पर जोर दिया गया है कि ब्रिटिश भारत के कानून भारतवासियों ने नहीं बनाये। अंग्रेजों का कानून और संविधान से आदर्श मानव-जाति की सेवा करना है। जब तक भारत अंग्रेजों का गुलाम है, तब तक इस आदर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो बुद्धिमान बनते हैं, वे कहते हैं कि हथियारों की लड़ाई से भारत को फिर जीत लेंगे, यह फिजूल की बात है। मानव-जाति के पाचवें हिस्से को मुद्दीभर अंग्रेज हथियारों के बल पर दबाये हुए है, क्या यह बेसिर-पैर की बात नहीं?

क्रान्तिकारियों को अराजकतावादी और आतंकवादी कहा जाता रहा है। इन शब्दों का प्रयोग बार-बार इसलिए होता है कि इन शब्दों के व्यवहार से क्रान्तिकारियों की निंदा करने में सुविधा होती है। "भारतीय क्रान्तिकारी न तो आतंकवादी है न अराजकतावादी। ("The Indian revolutionaries are neither terrorist nor anarchist.") उनका यह लक्ष्य कभी नहीं है कि देश में अराजकता फैलायें; इसलिए उन्हें अराजकतावादी कहना कभी उचित न होगा। उनका लक्ष्य आतंकवाद कभी नहीं है और उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। विदेशियों ने भारतीय जनता को आतंकित कर रखा है। भारतवासी नहीं चाहते कि अंग्रेज यहाँ रहें; वे उनसे डरे हुए हैं। इस सरकारी आतंक का मुकाबला करना जरूरी है। क्रान्तिकारी प्रदर्शनों और आतंक द्वारा उसका मुकाबला किया जा सकता है। क्रान्तिकारी पार्टी अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रही है, इसलिए जब रदस्त उकसावा होने पर भी उसने आतंकवादी कार्रवाई नहीं की, किन्तु जब जरूरत होगी तब वह करेगी और जो भी विदेशी शासकों की मदद करेगा, वह उसका जीना दूभर कर देगी। "लेकिन उस हालत में भी पार्टी यह कभी न भूलेगी कि आतंकवाद उसका उद्देश्य नहीं है, वह निःस्वार्थ और निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं का दल संगठित करने का निरन्तर प्रयत्न करेगी जो देश की राजनीतिक घोषणा-पत्र के प्रारम्भिक अंश में आन्दोलन (मूवमेंट) शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। एक नई शक्ति, एक नई भावना सारी दुनिया को हिला रही है, वह भारत के तरुणों में भी व्यक्त हो रही है और आन्दोलन का रूप ले रही है। यह आन्दोलन तरुण भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन है। (This remarkable movement is the revolutionary movement in young India)। जिस व्यक्ति ने यह लिखा था, वह पुराने ढंग की गुप्त क्रान्तिकारी कार्रवाई से अ

बढ़कर एक व्यापक आंदोलन की बात जरूर सोच रहा था। उसकी दृष्टि नौजवानों पर थी और स्वाधीनता प्राप्ति के लिये वह उनका आंदोलन आवश्यक समझता था। इससे एक पग आगे बढ़ें तो नौजवान भारत सभा जैसे संगठन की कल्पना अपने आप सामने आ जाती है। भारत की क्रांतिकारी पार्टी का घोषणा-पत्र मूल अंग्रेजी रूप में स्मारिका में दिया हुआ है। इसके बाद ही नौजवान भारत सभा लाहौर का घोषणा-पत्र है जो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवादित है। इस घोषणा-पत्र के लेखक भगवतीचरण बोहरा हैं और इसमें ६ अप्रैल १९२८ तारीख दी हुई है। क्रांतिकारी पार्टी के घोषणा-पत्र और नौजवान भारत सभा के घोषणा-पत्र में कई बातें सामान्य हैं। क्रांतिकारी पार्टी के घोषणा-पत्र में कहा गया है कि नये भारत के जन्म के लिए अराजकता अनिवार्य है (inevitable chaos)। नौजवान भारत सभा के घोषणा-पत्र में भी कहा गया है कि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अराजकता एक अनिवार्य तथा आवश्यक दौर है। संभव है लेखक का आशय यह हो कि क्रांति से पहले अव्यवस्था फैलती है और इस तरह की उथल-पुथल आवश्यक है।

इस घोषणा-पत्र की एक विशेषता यह है कि इसमें भारत के आर्थिक घोषण पर काफी जोर दिया गया है, यहाँ के उद्योग-धन्धों के विनाश के बारे में रमेशचन्द्र दत्त, विलियम डिग्वी और दादाभाई नौरोजी का स्मरण किया गया है। भारत सबसे गरीब देशों में एक है, बहुत थोड़े लोग साक्षर हैं, सभी देशों से यहाँ बच्चों की मौत ज्यादा होती है। राजनीतिक पराधीनता के अलावा जनता की आर्थिक और सांस्कृतिक दशा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद के प्रति लोगों को सचेत किया गया है, धार्मिक अन्धविश्वासों और कट्टरता को प्रगति में बाधक बताया गया है। जापान, पोलैण्ड, इटली आदि देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरणा ग्रहण करने के अलावा रूसी नौजवानों को भी याद किया गया है जिन्हें समाजवादी पक्ष वाटने के अपराध में साइबेरिया भेज दिया गया। लेखक के लिये भारत की राजनीतिक लड़ाई १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद आरम्भ हो गयी थी।

घोषणा-पत्र की अन्य विशेषता यह है कि क्रांति जनता के हित में होती है और वह जनता द्वारा होती है। भारतीय नवयुवकों को गांव में जाकर लोगों को समझाना होगा कि क्रांति वास्तव में क्या होती है। लेखक के अनुसार क्रांति का अर्थ होगा नई व्यवस्था का जन्म, एक नई राज्यसत्ता।

क्रांतिकारियों के घोषणा-पत्रों में गदर का हवाला रहा है, गदर पार्टी का हवाला रहा है। गदर पार्टी के नेता करनारसिंह की वीरता को यहाँ भी याद किया गया है। नई बात यह है कि यहाँ समाज का वर्ग-विश्लेषण भी किया गया है। २०वीं सदी के आरम्भ से अंग्रेज भारत के पूंजीपति तथा निम्न पूंजीपति वर्ग को सहूलियतें देकर अपनी तरफ मिला रहे हैं। भारत में ब्रिटिश पूंजी का प्रवेश बढ़ा, उसका यही नतीजा होना था। यह उच्च वर्ग अभी साम्राज्यवाद से मिल नहीं गया किन्तु दोनों के हित एक हो रहे हैं और निकट भविष्य में दोनों मिलकर एक हो जायेंगे। दोनों में समझौता हो जाएगा, समझौता न भी हो, तो भी दोनों के

की दूरी कम हो जाएगी।
 उस समय अधिकांश मार्क्सवादी भारत की स्थिति का विश्लेषण इसी तरह करते थे। यह असम्भव है कि भगवतीचरण बोहरा मार्क्सवादी साहित्य से, सामान्य रूप में ही नहीं बरन् भारत सम्बन्धी किन्हीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से, परिचित न रहे हों। आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिकों की तबदीली न होगा, उससे एक नई व्यवस्था का जन्म होगा।

६ जून १९२६ को भगतसिंह ने दिल्ली के सेवान्त जज की अदालत में जो बयान दिया, उसमें भी यह दृष्टिकोण मौजूद है। इसमें श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारियों की चर्चा है, भारत के करोड़ों मेहनतकश, अंग्रेजों की बनायी हुई केन्द्रीय सभा (ऐसेम्बली) से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात पर जोर दिया गया है। क्रांति की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। किसान, मजदूर, बुनकर देश की सम्पत्ति पैदा करते हैं किन्तु उन्हें अपने श्रम का फल नहीं मिलता। पूँजीपति करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं। जो लोग रामझते हैं, उनका कर्तव्य है कि समाज को इस तरह पुनर्गठित करें कि सर्वहारा वर्ग की प्रभुता की मान्यता मिले।

पंजाब सरकार के नाम भगतसिंह ने जो पत्र लिखा था, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मुद्दीभर शक्तिशाली लोगो ने मेहनत-मजदूरी करने वाले जनसाधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार जमा रखा है। अपना स्वार्थ साधने वाले चाहे अंग्रेज पूँजीपति हो चाहे हिन्दुस्तानी, वे मिलकर नूटते हों चाहे शुद्ध भारतीय पूँजी से गरीबों का खून चूसते हो, इससे व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आता। 'कौम के नाम सरदार भगतसिंह का मदेश' नाम के जो दस्तावेज स्मारिका

मे छपा है, उसमें कांग्रेस की समझौतावादी नीति की आलोचना है। साल भर की लड़ाई के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस के नेता आंदोलन को स्थगित कर देने के लिये तैयार दिखायी देते हैं, उनके आंदोलन का अन्त किसी न किसी प्रकार के समझौते में होगा। इस बयान में यह बात स्पष्ट की गयी है कि हर तरह का समझौता अनुचित नहीं होता। एक समझौता क्रांति की अगली तैयारी के लिये किया जाता है, दूसरा समझौता हथियार डालने और क्रांति को रोकने के लिए किया जाता है। भगतसिंह ने यहाँ १९०५ की रूसी क्रांति का हवाला दिया है जब लेनिन ने जार की बनाई हुई विधान सभा में जाने का समर्थन किया था। फिर १९१७ की क्रांति के बाद उस सधि का हवाला दिया है जो लेनिन के जोर देने पर जर्मनी से की गयी थी। इन उल्लेखों से यह पता चलता है कि भगतसिंह और उनके साथी रूसी क्रांति और उसके बाद के घटनाक्रम का अध्ययन गभीरतापूर्वक कर रहे थे और अध्ययन से लाभ उठाकर अपने देश के लिये नई रणनीति और कार्यनीति निर्धारित करने के लिये प्रयत्नशील थे। यदि उन्हें कुछ दिन और जीने का अवसर मिलता तो वे निस्संदेह एक नई क्रांतिकारी नीति निर्धारित करते और उसके अनुरूप अपने सगठन और आंदोलनों के तरीके बदलते। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा गया है कि वह मध्यवर्ग के सहारे अंग्रेजों पर दबाव डालकर कुछ अधिकार लेना चाहती है। इससे मजदूरों और किसानों का उद्धार

न होगा। यही नहीं, इस तरह आजादी भी प्राप्त न होगी। स्वाधीनता संग्राम में विजय पाने के लिए मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा। इन मजदूरों और किसानों की विदेशी हुकूमत के साथ-साथ देशी भूस्वामियों और पूंजीपतियों के शासन में भी मुक्ति पानी होगी।

क्रांतिकारी दल का नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है। यहां सेना (आर्मी) के बदले पार्टी शब्द का व्यवहार किया गया है। सेना का काम हथियारों से लड़ना है, पार्टी का मुख्य काम राजनीतिक संगठन और आंदोलन है। यह बात बदलते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण की सूचना देती है। पार्टी के नाम में सोशलिस्ट शब्द है। इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि पार्टी का लक्ष्य एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट समाज की स्थापना है। राजनीतिक क्रांति से जब शासन-शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकलकर हिन्दुस्तानियों के हाथ में आ जाएगी, तब कांग्रेस वहीं रुक जाएगी। भगतसिंह की पार्टी का लक्ष्य होगा कि शासन-शक्ति उन्हें सौंपी जाये जो कम्युनिस्ट समाज स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिये मजदूरों और किसानों को संगठित करना होगा। इन लोगों के लिये लाई रीडिंग या इरविन की जगह तेजबहादुर या पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के आ जाने से कोई भारी फर्क न पड़ेगा।

कांग्रेस एक मजिल तक पहुँचकर रुक जायेगी, क्रांतिकारी दल उसके बाद भी आगे बढ़ेगा, इस स्थापना से यह नतीजा भी निकाला जा सकता है कि क्रांति की दो मजिलें हैं, पहली मजिल राजनीतिक स्वाधीनता की है, दूसरी मजिल सामाजिक स्वाधीनता की। यदि कांग्रेस राजनीतिक स्वाधीनता की मजिल पर जाकर रुक जाती है तो क्या यह संभव नहीं कि क्रांतिकारी दल उस मजिल तक पहुँचने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े? अधिकतर क्रांतिकारी कांग्रेस के सुधारवादी रवैये से चिन्तित थे। कांग्रेसी नेता क्रांति से भय खाकर अंग्रेजों से मिल गये हैं या मिल जायेंगे, इस बात की ओर संकेत अवश्य है किन्तु यह उनके चिन्तन की बुनियादी स्थापना नहीं है। यह बात २६ जनवरी १९३० की वाटे हुए क्रांतिकारियों के पर्चे से स्पष्ट हो जाती है। गांधीजी ने क्रांतिकारियों की आलोचना की थी, उसके उत्तर में भगवतीचरण घोहरा ने ब्रम का दर्शन (द फिलासफी आफ द ब्रॉम) नाम का पर्चा लिखा था। विश्वनाथ वैशम्पायन लिखित भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद (भाग २-३, १९६७) में यह घोषणा-पत्र मूल अंग्रेजी में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि क्रांतिकारी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कांग्रेस ने जनसाधारण को जगाया, उनमें स्वाधीनता के लिये उत्कट कामना जगायी। वे उससे भविष्य में बड़े-बड़े कामों की आशा करते हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो सारी शक्ति क्रांतिकारियों के विरोध में ही लगा देते हैं। जब तक इनकी चलेगी तब तक देश कांग्रेस से बड़े कामों की आशा नहीं कर सकता। क्रांतिकारी लोग उस दिन की वाट जोह रहे हैं जिम दिन अहिंसा के लिए दुराग्रह कांग्रेस से दूर हो जाएगा और "वह क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण स्वाधीनता के सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।" यदि कांग्रेस, क्रांतिकारियों की निगाह में, साम्राज्यवादियों से मिल गयी होती तो उसके साथ आगे बढ़ने का प्रश्न ही न होता। कांग्रेस के साथ क्रांतिकारियों का संयुक्त मोर्चा बन

सकता है, इसके लिये सुधारवादी नेताओं को हटाना होगा, यह धारणा इस पर्व में विद्यमान है। पर्व २६ जनवरी १९३० को वाटा गया था किन्तु वह लिखा १९२९ में गया था। उसी वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य स्वीकार किया था। इसलिये पर्व में कांग्रेस के लिये कहा गया है, "इस वर्ष उसने वह लक्ष्य स्वीकार किया है जिसका प्रचार २५ साल से ऊपर हुए क्रांतिकारी करते आये हैं और जिसके लिये वे जी रहे हैं।" १९२९ में मेरठ पड़्यन्न का मुकदमा भी चल रहा था। भगवतीचरण बोहरा ने अंग्रेजों के अत्याचार के उदाहरण के रूप में बाहौर और मुसावल के मुकदमों के साथ मेरठ के मुकदमे का भी उल्लेख किया है।

क्रांतिकारी आंदोलन कांग्रेस को सुधारवादी नीति की प्रतिक्रिया था, यह बात यहाँ स्पष्ट की गयी है। ब्रिटिश सरकार समय-समय पर रियायतें देती रही है जिसमें कि आंदोलन करने वाले सही रास्ते से भटक जायें। होमरूल, डोमीनियन स्टेटस आदि गुलामी का ही दूसरा नाम है। इन रियायतों के बदले क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता का झण्डा उठाया था। कांग्रेसी नेता अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं, क्रांतिकारियों के मार्ग की हिंसा का मार्ग कहते हैं। क्रांतिकारियों की ओर से भगवतीचरण बोहरा जवाब देते हैं कि हिंसा वहाँ होती है जहाँ अन्याय के लिए बल प्रयोग होता है। जहाँ तक मानसिक शक्ति का सवाल है, क्रांतिकारी अदम्य साहस से अपने आदर्श के लिए कष्ट सहते हैं, आत्मबलिदान करते हैं। भारतीय स्वाधीनता क्रांति द्वारा प्राप्त होगी और यह क्रांति जनता करेगी, इस बारे में लिखा है, "क्रांतिकारी विश्वास करते हैं कि देश का उद्धार क्रांति से होगा। जिस क्रांति के लिए वे निरन्तर काम करते हैं, जिसकी वाट जोहते हैं, वह विदेशी सरकार और उसके समर्थकों तथा जनता के बीच हथियारबन्द संघर्ष का रूप लेगी। यही नहीं, वह एक नई समाज-व्यवस्था का भी जन्म देगी। क्रांति से पूँजीवाद, वर्गभेद और विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्र अपना स्वरूप पहचानेगा। क्रांति एक नई राज्यसत्ता, एक नये समाज को जन्म देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापित करेगी और राजनीतिक सत्ता के सिंहासन से समाज के उपजीवियों को सदा के लिए खदेड़ देगी।" ("It will establish the Dictatorship of the proletariat")।

कांग्रेस की सुधारवादी नीति के कारण भारतीय क्रांतिकारी उसके विरोधी थे। उनका यह विरोध अनेक दस्तावेजों में देखने को मिलता है। भगवतीचरण बोहरा के पर्व में जो नई बात है, वह यह है कि सुधारवाद की आलोचना करने हुए स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति के लिए माधोवाद के मुकाबले सीधे मार्क्सवाद को प्रस्तुत कर दिया गया है। मार्क्सवाद शब्द का व्यवहार नहीं किया गया किन्तु आगम्य उसी से है। देश में राजनीतिक जागृति अहिंसावादी उपदेशों का परिणाम है इस धारणा का खण्डन करते हुए कहा है कि जहाँ भी सीधी कार्रवाई का प्रोग्राम सामने रखा जाता है, वहाँ बड़े पैमाने पर जनसाधारण में जागृति फैलती है। फिर लिखा है, "उदाहरण के लिये रूस में जब कम्युनिस्टों ने जुआरू जन कार्यवाही का अपना महान् कार्यक्रम शुरू कर दिया, तब किनालों और मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर जागृति फैली यद्यपि किसी ने उन्हें अहिंसा का उपदेश न

दिया था। हम इसमें और आगे बढ़कर कहेंगे कि जन कार्यवाही का नारा देने पर जो दक्षिणतया एकत्र हुई थी, वे मुख्यतः अहिंसावाद और गांधी के समझौतावादी दृष्टिकोण के कारण विखर गई।" एक ओर जहाँ अहिंसावाद के नाम पर साम्राज्यवाद से समझौता करने की नीति है, वहाँ उसके मुकाबले कम्युनिस्टों का महान् कार्यक्रम है, जनता की जुझारू कार्रवाई का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम किसानों और मजदूरों के लिए है, इस कार्यक्रम के बल पर किसानों और मजदूरों में विद्याल जागृति फैली है। कम्युनिस्ट जो कार्यक्रम बनाएंगे, वह मार्क्सवाद के आधार पर बनेगा, इसीलिये यह कहना उचित है कि यहाँ स्वाधीनता आंदोलन को प्रगति के लिये भगवतीचरण वोहरा ने गांधीवाद के मुकाबले मार्क्सवाद को प्रस्तुत किया है। मार्क्सवादी दर्शन क्या है, मार्क्स के अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन-सी हैं, साम्राज्यविरोधी क्रांति और समाजवादी क्रांति एक साथ होगी या आगे-पीछे आदि बहुत-से प्रश्न हैं जिन पर लम्बी बहस हो सकती है और होती रही है किन्तु मुख्य बात किसानों और मजदूरों के संगठन की, क्रांति में उनकी भूमिका की, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनता को संगठित करने की है। तत्व की यह बात भगवतीचरण वोहरा को बहुत अच्छी तरह मालूम है। यदि वम के अचानक फट जाने से उनकी अकाल मृत्यु न होती तो इसमें सन्देह नहीं कि वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जिस रास्ते पर शिव यर्मा और उनके अनेक साथी बढ़े। गांधीवाद की परिणति साम्राज्यवाद से समझौता करने में होगी, जो आदमी यह जानता था, वह जन-आंदोलन में पूँजीवादी नेतृत्व की जगह मार्क्सवादी नेतृत्व की प्रतिष्ठा के लिए अवश्य प्रयत्न करता। १९३४ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की जो नीति अपनायी, वह सही थी। संयुक्त मोर्चे के नाम पर समझौता करने वाले नेताओं को आंदोलन की बागडोर संभाले रहने दिया, यह नीति सही नहीं थी। इस संदर्भ में भगवतीचरण वोहरा ने जो बात १९२९ में लिखी थी, वह १९४७ के पहले ही नहीं, उसके बाद भी मार्क्सवादियों के ध्यान देने योग्य है। उन्होंने लिखा था, "दरअसल गांधी जिस सत्याग्रह का प्रचार करते हैं, वह एक तरह का आंदोलन (ऐजीटेशन) है, विरोध है जो अनिवार्य रूप से समझौते में जाकर समाप्त होता है जैसा कि देखा जा चुका है। जो देश राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील है, उसके लिये वह (अर्थात् सत्याग्रह) किसी काम का नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्वाधीनता समझौते के फलस्वरूप कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आज़ादी और गुलामी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, यह बात जितना जल्दी हम समझ लें, उतना ही अच्छा है।"

भगवतीचरण मानते हैं कि कांग्रेस देशव्यापी जनआंदोलन छेड़ सकती है। वे कहते हैं कि सर्वमान्य क्रांतिकारी सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाये तो वह महान् दिवस होगा। किन्तु जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक आजादी का झण्डा फहराना महज एक मखौन है। क्रांतिकारी मुख्य रूप से तरुणों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इस पक्ष में तरुणों के अन्धावा मजदूरों, किसानों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों से अपील की गयी है कि वे क्रांतिकारियों का साथ दें और आजादी का झण्डा लेकर उनके साथ आगे बढ़ें। १९३० तक क्रांति-

कारियों को समाज में वर्गों के अस्तित्व, उनकी विभिन्न भूमिकाओं की पहचान हो गयी थी। यह पहचान वह मोड़ है जहाँ से तरंगों का गुप्त संगठन बनाने के बदले क्रांतिकारी नेता मजदूरों और किसानों की ओर बढ़ते हैं, क्रांतिकारी बुद्धि-जीवियों को साथ लेते हैं और जनआंदोलन में नई शक्ति संचारित करते हैं। ऐसे आंदोलन की अंतिम परिणति वही हो सकती है जो भगवतीचरण बोहराने बतायी है—“हम एक नई समाज व्यवस्था कायम करें जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शोषण असंभव हो जाए।”

‘बम का दर्शन’ स्मारिका में प्रकाशित है। उसके सम्बन्ध में ऊपर जो बातें कही गयी हैं, उनका आधार आज़ाद की जीवनी में वैशम्पायन का दिया हुआ दस्तावेज़ है। अप्रैल १९८१ में आगरा नगर में भगतसिंह के बलिदान दिवस की अर्द्धशताब्दी के अवसर पर क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस अवसर पर क्रांतिकारियों की स्मृति में स्मारिका नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें बनारसीदास चतुर्वेदीजी का संदेश प्रकाशित है। चतुर्वेदीजी ने क्रांतिकारियों की कीर्ति-रक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया है किन्तु स्मारिका में प्रकाशित संदेश में दो-एक बातें सही नहीं हैं। यहाँ उनकी चर्चा कर देना उचित है। चतुर्वेदी जी ने लिखा है, “सन् १९१८ में मैंने ७२८ पृष्ठों की जो प्रवासी भारतवासी नामक पुस्तक लिखी थी उसे मैंने दक्षिण अफ्रीका की शहीद कुमारी बेलि अम्मा को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक शहीदों के विषय में मेरी २२-२३ चीजें निकल चुकी हैं जिनमें १९ शशस्त्र क्रांतिकारियों के विषय में हैं और केवल ४ सत्याग्रहियों के।” चतुर्वेदी जी की पुस्तक बेलि अम्मा के ‘स्मरणार्थ’ लिखी गयी है किन्तु वह समर्पित है “सुप्रसिद्ध भारत हितैषी स्वर्गीय सर हैनरी काटन के. सी. ऐस्. आई. की पवित्र आत्मा की सेवा में।” पुस्तक में ऐसी अनेक पवित्र आत्माओं का उल्लेख है। इनमें लार्ड हार्डिंग भी है। इन्हीं पर दिल्ली में बम फेंका गया था। पुस्तक के दूसरे भाग के पृष्ठ ४० पर बम फेंकनेवाले का उल्लेख इस प्रकार है, “देहली में २३ दिसम्बर सन् १९१२ ई. को जब आपके ऊपर किसी राजद्रोही दुष्ट पापी ने बम फेंका था तब भी आप अपने पथ पर से नहीं डिगे थे।” अंग्रेज वाइसराय भारत हितैषी था, उस पर बम फेंकने वाला युवक दुष्ट और पापी था। स्मारिका के संदेश में प्रवासी भारतवासी के लेखन-काल से लेकर १९८१ तक शहीदों के विषय में जिस लिखाई की चर्चा है वह भ्रम पैदा करने वाली है। इस दीर्घ अवधि के दो भाग हैं। पहला भाग १९४७ से पहले का है, दूसरा भाग १९४७ के बाद का। १९४७ से पहले, विशेष रूप से प्रवासी भारतवासी पुस्तक के लेखनकाल में, चतुर्वेदी जी लिबरल नेताओं के साथ थे, शहीदों की श्राद्ध का काम उन्होंने भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद शुरू किया।

कानपुर से गणेशशंकर विशारथी ने ‘प्रभा’ नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका ने उस युग के प्रायः सभी जागरूक लेखकों को आकर्षित किया। बाद की बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके सम्पादक हुए। अक्टूबर १९२४ की ‘प्रभा’ के आवरण पृष्ठ पर लार्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले की तस्वीर छपी है और उसके नीचे लिखा है—“वीर श्रेष्ठ शीघ्रतः रासबिहारी बोस।” सन् २४ में किसी पत्रिका के

आवरणपृष्ठपर रासबिहारी बोस का चित्र छापना वीरता का काम था। उससे पहले सितम्बर के अंक में मैनपुरी के क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का चित्र छपा है। 'अज्ञातनाम' लेखक ने उनका परिचय लिखा है। आगरा जिले की बाह तहसील के एक गाव में उनका जन्म हुआ था और वह मैनपुरी पड़्यन्त्र में पकड़े गये। दिसम्बर १९२४ की 'प्रभा' में सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य का 'भारत में क्रांतिकारी आंदोलन' शीर्षक निबन्ध प्रकाशित हुआ था। इसमें रासबिहारी बोस के बारे में लिखा है कि वह देहरादून के वन विभाग के एक दफ्तर में हेड क्लर्क का काम करते थे। लाला हरदयाल अमरीका में थे, उनके शिष्य दिल्ली आये और वहाँ अनेक तरुणों से मिले। रासबिहारी बोस और दिल्ली के नौजवानों के सम्बन्ध के बारे में सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य ने लिखा है, "उत्तर भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री रासबिहारी वसु, जो इस समय जापान में है, इनके अगुआ बने।" रासबिहारी बोस का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर भारत था, यह बात ध्यान देने योग्य है। उन्होंने पंजाब में गदर पार्टी के नेताओं के साथ काम किया, यह भी उल्लेखनीय है। इस प्रकार उत्तर भारत का क्रांतिकारी आंदोलन लाला हरदयाल के अलावा अन्य नेताओं के माध्यम से भी सीधे गदर पार्टी से जुड़ जाता है। रासबिहारी बोस का एक गढ़ बनारस था। शचीन्द्रनाथ सान्याल उनके प्रमुख सहायक थे। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर आदि नगरों में क्रांतिकारियों का संगठन करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी।

कानपुर के दैनिक 'जागरण' का रजत जयन्ती अंक नवम्बर १९७२ में प्रकाशित हुआ था। इसमें लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी का एक निबन्ध 'कानपुर का नव-जागरण' है। इसमें बताया गया है, "सन् १९०५ में कानपुर में श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा के नेतृत्व में नवयुवकों के एक दल का गठन हुआ जो तिलक में आस्था रखता हुआ सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था।" कानपुर के एक पुस्तकालय में राजनीतिक जागरण सम्बन्धी पुस्तकें रखी गयी थीं। गणेशशंकर विद्यार्थी और नारायणप्रसाद अरोड़ा इसी पुस्तकालय में एक दूसरे से परिचित हुए। त्रिपाठीजी के अनुसार १९०८ में लाला हरदयाल कानपुर आये और "यहां बीस-बाईस दिन रहकर उन्होंने एक क्रांतिकारी दल का विधिवत् संस्थापन इसी पुस्तकालय में किया था।" उन्होंने क्रांतिकारियों के लिये एक पाठ्यक्रम भी निश्चित किया था। २३ दिसम्बर १९१२ को लाडं हाडिंग पर दिल्ली की चांदनी चौक में बम फेंका गया और एक पर्चा बाटा गया। वह पर्चा कानपुर में भी बांटा गया। सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था। बनारस में साठे तीन साल की नजरबन्दी से मुक्त होकर वे कानपुर आये और वहाँ क्रांतिकारियों का संगठन करने लगे। गणेशशंकर विद्यार्थी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, साथ ही वह क्रांतिकारियों के संरक्षक और मित्र भी थे। सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य 'प्रताप' साप्ताहिक में काम करते थे। 'दैनिक जागरण' के गणेशशंकर विद्यार्थी से सम्बन्धित लेख में भगर्तसिंह के लिये कहा गया है कि वह गणेशजी के साथ प्रताप में बहुत असें तक रहते रहे। शिव वर्माजी से मुझे माभूम हुआ कि पुलिस की नजरों से बचाने के लिए विद्यार्थी जी ने भगर्तसिंह को 'प्रताप' के सम्पादकीय विभाग में रखा था। गणेशशंकर विद्यार्थी महावीरपगार। द्वितीय के



और खुल्लमखुल्ला उसका खण्डन करना भी क्रांति ही है।" इंग्लैण्ड का राज-कुमार भारत में आता है, उसका सम्मान किया जाता है। प्रश्न यह है, "इंग्लैण्ड के राजकुमार को हमारे घर में जबरदस्ती हममें सम्मान पाने का क्या अधिकार था।" इस टिप्पणी में एक वाक्य दिलचस्प है, "साधारण हड़ताल के समय मालिक और मजदूरों में जो भाव देखने में आता है, क्रांति के समय वही भाव राजा और प्रजा, सेना और सेनापतियों में भी देख पड़ता है" अर्थात् वर्ग संघर्ष की परिणति है क्रांति।

सन् '५७ का गदर, गदर से मिली प्रेरणा से सशस्त्र क्रांति का प्रयास, फिर क्रांति की सफलता के लिए सही रणनीति और कार्यनीति का ज्ञान होने पर समाजवादी विचारधारा की स्वीकृति, यह रास्ता भारत के बहुत-से क्रांतिकारियों ने, और भारत के विभिन्न प्रदेशों में, तय किया। उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि क्रांति जनता करती है, उसे संगठित करने का काम क्रांतिकारियों का है, जन-संगठन के साथ क्रांतिकारी पार्टी का संगठन आवश्यक है। राधामोहन गोकुल जी ने अनेक नौजवानों को क्रांति के नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। शिव वर्मा भगतसिंह के साथियों में है। रामप्रसाद बिस्मिल ने जिस तरह के नये क्रांतिकारी संगठन बनाने का स्वप्न देखा था, उसके अनुरूप शिव वर्मा ने कार्य किया। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के अलावा वह हिन्दी के समर्थ पत्रकार और लेखक भी है। अनेक पुस्तिकाओं की रचना करने के अतिरिक्त वह अनेक वर्षों तक प्रगतिशील साहित्यिक पत्र 'नया पथ' के सम्पादक रहे हैं। उनके एक सहयोगी अजय घोष ने उनके बारे में लिखा है कि वह क्रांतिकारियों में सबसे अधिक अध्यवसायी थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल के मुख्य संगठनकर्त्ता थे। वह १९०६ में हरदोई जिले के एक गांव में पैदा हुए थे। सन् '२५ में वह कानपुर आ गए थे। जिस कालेज में पढ़ते थे, वह क्रांतिकारियों का अड्डा था। १९२९ में पकड़े जाने के बाद भारत के स्वाधीन होने तक उनका जीवन जेल में बीता था। अनेक बार भूख हड़ताल करने से स्वास्थ्य काफी खराब हुआ, फिर भी संघर्ष में बराबर भाग लेते रहे।

शिव वर्मा के साथी अजय घोष उनसे तीन साल छोटे थे। उनका जन्म कानपुर में हुआ था और वही उन्होंने मजदूरों के बीच राजनीतिक कार्य आरंभ किया था। वह कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। सन् '६२ में उनका देहान्त हुआ। क्रांतिकारियों के संस्मरण अजय घोष ने भी लिखे हैं। शिव वर्मा की अनेक बातों की पुष्टि अजय घोष के संस्मरणों में होती है। भगतसिंह के बारे में लिखा है, "शायद हम लोगों में सबसे पहले वे ही समाजवादी विचारों की ओर आकृष्ट हुए थे। वे एक कट्टर अनीश्वरवादी व्यक्ति थे और पहले के आतंकवादियों के धार्मिक विश्वासों का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं था।" (अजय घोष, 'चुने हुए लेख तथा भाषण', दिल्ली; १९७६, पृष्ठ १७; ये निबन्ध अंग्रेजी से अनुवादित हैं)।

नहीं था। इसलिए वे दूसरों को प्रेरित करते थे कि वे पढ़कर बातों को उन्हें समझा दें... आजाद के अपने विचार थे कि अधिक से अधिक साथी जनता के बीच में काम करने निकल जाएं और एक विशाल समाजवादी आंदोलन के विकास के लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करें तथा जब भी उस आंदोलन के लिए आवश्यक हो सशस्त्र संघर्ष की तैयारी करने और भावी क्रांतिकारी उभार के लिए स्वयंसेवकों की हथियार चलाने की शिक्षा देने का भार उन पर तथा कुछ अन्य साथियों पर सौंप दें। इसी आधार पर आजाद पार्टी का पुनर्गठन करना चाहते थे, लेकिन अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए वे जीवित नहीं रह सके।”

लाहौर की जेल में अंग्रेजों के व्यवहार के विरुद्ध भगतसिंह, शिव बर्मा तथा अन्य क्रांतिकारियों ने ६३ दिन तक भूख हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के दौरान यतीन्द्रनाथ दास शहीद हुए थे। हड़ताल में भाग लेने वाले एक क्रांतिकारी गदर

कारी इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़े।

फरवरी १९२६ में गदर पार्टी के संतोर्षिसिंह ने पंजाबी भाषा में 'किर्ती' मासिक पत्रिका निकाली। सोहनसिंह जोश के अनुसार गदर पार्टी के नेता इस समय मार्क्सवाद से अपना रास्ता पहचानने की कोशिश कर रहे थे और पंजाब के किसानों और मजदूरों का संगठन करना चाहते थे। (भगतसिंह और अन्य पुराने क्रांतिकारियों पर सोहनसिंह जोश ने माई मीटिंग्स विद भगतसिंह ऐण्ड आन गदर अलॉ रिवोल्यूशनरीज पुस्तिका लिखी है; कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिल्ली से १९७६ में प्रकाशित; पृष्ठ ११)। जनवरी १९२७ में सोहनसिंह जोश ने 'किर्ती' की बागडोर संभाली। 'किर्ती' के संचालक नौजवानों को संगठित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई थी कि अप्रैल १९२८ में वे जलियान वाला बाग में नौजवानों का सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन से कुछ दिन पहले अमृतसर में भगतसिंह किर्ती दफ्तर पहुँचे और सोहनसिंह जोश से मिले। उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा बनाई थी। उन्हें अमृतसर के नौजवान सम्मेलन से दिलचस्पी हो, यह स्वाभाविक था। पंजाब सरकार ने नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं पर पाबंदी लगा दी थी कि वे कालेजों में न आयें, खुफिया पुलिस उनका पीछा करती थी। इसलिए सभा का काम करना नौजवानों के लिए मुश्किल हो गया था। भगतसिंह की नौजवान भारत सभा के बारे में अंग्रेज सरकार की राय थी कि "साम्यवाद और हिंसा के उग्र राजनीतिक सिद्धान्तों के गुप्त प्रचार के लिए" उसका घोषित कार्यक्रम बहाना मात्र था। (उप, पृष्ठ. १३; जोश ने भारतीय अभिलेखागार में सुरक्षित तत्कालीन गृह विभाग की फाइल से यह राय उद्धृत की है।)

अमृतसर के नौजवान-सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए सोहनसिंह जोश और उनके साथियों ने केदारनाथ सहगल को चुना था क्योंकि "वह गदर पार्टी के नेताओं से

और प्रथम लाहौर पड़यंत्र केस (१९१५) में गदर देशभक्तों के साथ यह अभियुक्त थे। 'किर्ती' गदर आन्दोलन को नये ढंग से आगे बढ़ा रहा था।" (उप. पृ. १३)। केदारनाथ सहगल लाहौर की नौजवान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। भगतसिंह और उनके साथियों ने अमृतसर के नौजवान सम्मेलन में भाग लिया। इस समय पुरानी गदर पार्टी के नेता, नये क्रान्तिकारी दल के भगतसिंह जैसे सदस्य और सोहनसिंह जोश जैसे मानसंवादी नेता सामान्य रूप से नौजवानों के संगठन की जरूरत महसूस कर रहे थे। इसीलिए तीन क्रान्तिकारी धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा बनती हुई आगे बढ़ रही थी। नौजवानों का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता होगा, जलियान वाला बाग में एकत्र होने वाले नौजवानों में आम सहमति थी। कुछ नौजवानों का विचार था कि सिख और मुसलमान साम्प्रदायिक युवासंगठनों के सदस्यों को भी अपने दल में शामिल किया जाय किन्तु भगतसिंह के साथियों तथा 'किर्ती' पत्रिका के लोगों ने सफलतापूर्वक इनका विरोध किया।

अमृतसर के सम्मेलन ने १९२८ में नौजवान भारत सभा को नये सिरे से संगठित करने का फैसला किया। यह फैसला भगतसिंह की नौजवान भारत सभा के काम को आगे बढ़ाने वाला था। सम्मेलन के संगठन संबंधी प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब के जिलों और गांवों में सभा की शाखाएं संगठित की जायेंगी। सभा की केन्द्रीय समिति चुनी गई; उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग थे। केन्द्रीय समिति ने सभा का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति, जमदूरों और किसानों के राज्य की स्थापना स्वीकार किया। केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष सोहनसिंह जोश थे।

अप्रैल १९२८ में 'किर्ती' का पहला उर्दू अंक प्रकाशित हुआ। 'किर्ती' के संचालकों ने भगतसिंह को 'किर्ती' के उर्दू संपादन विभाग में काम करने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने उसमें लगभग तीन महीने तक काम किया। अपना घर छोड़ने के बाद भगतसिंह "पहले दिल्ली गये, उसके बाद कानपुर पहुँचे। वहाँ वह महान् देशभक्त गणेशशंकर विद्यार्थी के संपर्क में आये और कुछ समय तक उनके दैनिक 'प्रताप' में काम करते रहे।" (उप. पृ. १८)।

काकोरी के शहीदों के बारे में नौजवान भारत सभा ने प्रस्ताव पास करके अपनी शाखाओं से कहा कि वे १६ दिसम्बर १९२८ को काकोरी शहीद दिवस मनायें, भाएँ करें और लोगों को बतायें कि वे क्यों शहीद हुए थे। उस दिन जलियान वाला बाग में भी सभा हुई। मुख्य वक्ता थे सोहनसिंह जोश। जोश ने अपने भाषण में सभा के संगठन और लगानवदी जैसे आन्दोलन से व्यवस्था को बदलने पर जोर दिया। "जब तक जनता हमारे साथ नहीं आती और उसमें वर्ग-चेतना नहीं पैदा होती, तब तक हमें स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती।" (उप. पृ. २२)।

२० मार्च १९२९ को सरकार ने सोहनसिंह जोश को पकड़ लिया और अन्य निरुद्ध अभियुक्तों के साथ उन पर मेरठ पड़यंत्र का मुकदमा चलाया। ६ अप्रैल १९२९ को भगतसिंह और वटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका। १९२९ में भगतसिंह और वटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका। १९२९ में भगतसिंह और वटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका। १९२९ में भगतसिंह और वटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका।

१९२८) में प्रकाशित अपने एक लेख में मानो दे दी थी। भगतसिंह ने फ्रान्सीसी क्रांतिकारी वड्यां (Vaillant) के बारे में लिखा था कि उन्होंने फ्रान्स की विधान सभा में वम फेंका था और कहा था—वहरे सुनें, इसके लिए जबदस्त धमाका जरूरी है। भगतसिंह ने अपनी बात एक घमांके के साथ देश के वहरे राजनीतियों को सुना दी।

२३ मार्च १९३१ को भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अगले दिन मेरठ पड्यत्र के अभियुक्तों की ओर से सोहनसिंह जोश ने अदालत में खड़े होकर, जज की धमकियों की परवाह न करते हुए, अंग्रेजों के कुकृत्य की निन्दा की। अभियुक्तों ने आवेदन प्रस्तुत किया और उसमें कहा : कामरेड भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु की काली छाया इस अदालत पर है जहां हम आज उपस्थित हैं; उन्हें फांसी दी गई है, यह नीच कार्य विमृद्ध हत्या है, साम्राज्यवादी न्याय का दारुण उदाहरण है, गोरानाही आतंक का कायर कारनामा है। राष्ट्रीय क्रांति के लिए वे शहीद हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। (उप. पृ. २८)।

गदर पार्टी और क्रांतिकारी दल की परंपरा किसानों और मजदूरों के आन्दोलन में नये स्तर पर विकसित हुई।

४. गदर का इतिहास और सावरकर

१८५७ ई. की लड़ाई से जो क्रांतिकारी सबसे पहले प्रभावित हुए थे, वे गदर पार्टी के रूप में संगठित हुए थे। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। जैसा कि पार्टी के नाम से प्रकट है, गदर शब्द का व्यवहार क्रांति के अर्थ में होने लगा था। १८५७ की लड़ाई केवल स्वाधीनता संग्राम नहीं है, वह क्रांति भी है, यह धारणा सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक में व्यक्त हुई है। भारतीय क्रांतिकारियों ने सन् ५७ की लड़ाई को किस रूप में ग्रहण किया, यह समझने के लिए सावरकर की पुस्तक पर ध्यान देना आवश्यक है। इस पुस्तक ने लाला हरदयाल समेत गदर पार्टी के नेताओं को प्रभावित किया, आगे चलकर भगतसिंह की पीढ़ी के क्रांतिकारियों ने इस पुस्तक से प्रेरणा पायी। भारत में जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर लड़ना चाहते थे, वे स्वभावतः गदर को अपना आदर्श मानकर चलते थे। इनके अलावा गदर से वे क्रांतिकारी भी प्रभावित हुए जो अहिंसावादी न थे किन्तु तुरत हथियार उठाकर लड़ने की नीति सही न मानते थे, इसके बदले वे पहले किसानों और मजदूरों को संगठित करना चाहते थे।

सावरकर की पुस्तक मूलतः मराठी में लिखी गयी थी किन्तु उसका वह मूल मराठी रूप नष्ट हो गया है। १९१० में उसका अंग्रेजी रूपान्तर प्रकाशित हुआ। यह रूपान्तर भी स्वयं सावरकर का किया हुआ न था, उनके सहयोगियों ने उसे तैयार किया था। अनुवाद की भाषा ऐसी है कि उससे भावुकता की व्यंजना अधिक होती है, विवेकपूर्ण विवेचन की कम। यह कहना कठिन है कि इसका कारण मूल पाठ की शैली कहाँ तक है। वैसे तो नौजवान क्रांतिकारी उत्साही होते ही हैं और उनके विवेक पर उत्साह छा जाये तो कोई आश्चर्य नहीं। पर इस पुस्तक

को पढ़ते हुए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सावरकर ने गदर सम्बन्ध साहित्य यथेष्ट रूप से पढ़ा है, जहाँ-तहाँ से दो-चार बातें देखकर उन्होंने पुस्तक नहीं लिये डाली। इसके सिवा गदर के विवेचन में जो अनेक समस्याएँ इतिहासकारों के सामने आती हैं, उनसे वे परिचित हैं। अंग्रेजों ने कारतूसों की कहानों का बड़ा प्रचार किया था। सावरकर ने यह दिखाया कि यदि कारतूसों का व्यवहार गदर का मुख्य कारण होता, तो जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि कारतूसों का व्यवहार अब न होगा, तब लड़ाई बन्द हो जानी चाहिए थी। इस घोषणा के बाद भी लड़ाई होती रही और बहुत दिनों तक होती रही। सावरकर ने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि १८५७ में पनासी की लड़ाई के बाद के दो साल पूरे होते थे। इतिहासकारों ने इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया है कि सिपाहियों के मन में देश की गुलामी की घुर्रआत १७५७ से हुई थी, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने १८५७ का साल चुना था। इस लड़ाई से पहले फौज में अनेक बार विद्रोह हुए थे जिनके द्वारा सिपाही एक बड़े युद्ध के लिए अपने को तैयार कर रहे थे।

सावरकर ने १८५७ की लड़ाई को स्वाधीनता की लड़ाई कहा है। उनके लिए यह स्वधर्म और स्वराज्य की लड़ाई है। यूरोप के व्यापारी अफ्रीका और अमरीका गए, वहाँ उन्होंने आदिवासियों को गुलाम बनाया और ईसाई भी बनाया। भारत में भी उनका एक लक्ष्य ईसाई धर्म फैलाना था। इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यदि किसी देश के लोग बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन के विरुद्ध लड़ें, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। १८५७ की लड़ाई पर जो भी निवेद्या, वह यह बात देगे बिना नहीं रह सकता कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ें थे। १९१० में भारतीय क्रांतिकारी यह बात अच्छी तरह समझ गये थे कि अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलकर उनके विरुद्ध लड़ना चाहिए। सावरकर ने अपनी पुस्तक में इस बात पर काफी जोर दिया है। आगे चलकर उनकी विचारधारा ने जो रूप लिया, उससे लोगों को भ्रम हो सकता है कि उनका वही दृष्टिकोण इस पुस्तक में होगा। नानासाहब के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि उनके लिए हिन्दुस्तान का अर्थ इस्लाम और हिन्दू धर्म मानने वालों की मिनीजुली जाति था। उनका तर्क यह है कि जब तक मुसलमान भारत में विदेशी शासक बनकर रहे, तब तक उन्हें भाई मानना अपनी निर्बलता दिखाना था। विदेशी शासकों के विरुद्ध महाराष्ट्र समेत भारत के अनेक भागों में संघर्ष हुआ। अब समय आ गया था कि पुराना शत्रुभाव भुलाकर हिन्दू और मुसलमान मिलकर लड़ें। उन्होंने लिखा है, "वर्तमान काल में उनका सम्बन्ध शासक और दासित का नहीं था, विदेशी और देशी का नहीं था; उनका सम्बन्ध भाइयों का था जिनमें केवल धर्म का भेद था। कारण यह है कि दोनों ही हिन्दुस्तान की धरती के पुत्र थे। उनके नाम अलग-अलग थे लेकिन वे सब एक ही माँ के बेटे थे। दोनों की एक ही माँ थी, इसलिए वे सहोदर भाई थे। नानासाहब, दिल्ली के बहादुर शाह, मौलवी अहमदशाह, खानबहादुर खाँ और १८५७ के अन्य नेताओं ने एक

हृद तक इस सम्बन्ध का अनुभव किया था। उनकी शत्रुता अब एकदम विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण थी। उसे भुलाकर वे स्वदेशी के झण्डे के नीचे एकत्र हुए। संक्षेप में नानासाहब और अजीमुल्ला की नीति की सामान्य विशेषता यह थी कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर अपने देश की स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ें और जब स्वाधीनता प्राप्त हो जाए, तब भारतीय शासकों और राजाओं की देखरेख में भारत के संयुक्त राज्य की स्थापना हो।" (The Indian War of Independence, Bombay, १९४७, पृष्ठ ७५)

अंग्रेजी में the united states of India शब्दों का प्रयोग किया गया है। सम्भव है, अनेक देशी राजाओं और रियासतों का संघ बनेगा, यह सोचकर संयुक्त राज्य की कल्पना की गयी हो। यह भी सम्भव है कि भारत में अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं, यह उनके प्रदेशों के संघ की कल्पना हो। यह भी सम्भव है कि संयुक्त राज्य अमरीका का राजनीतिक ढाँचा देखकर भारत के लिए संघीय ढाँचे की कल्पना की गयी हो। भारत किसी न किसी प्रकार का संघ है, १८५७ में विजय मिलने पर वह अनेक राज्यों का संघ बनता, यह धारणा सावरकर की पुस्तक में विद्यमान है। यह धारणा एक धर्म, एक भाषा वाले एक राष्ट्र की भावना भिन्न है।

सेना के बाहर जिन दो आदमियों ने संगठन-कार्य सबसे अधिक किया था, वे नानासाहब और अजीमुल्ला थे। इन दोनों का सहयोग एक तरह से हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। १९२० में महात्मा गांधी और मौलाना शीकत अली, मुहम्मद अली के बीच जिस तरह की एकता स्थापित हुई थी, उसकी तुलना में नानासाहब और अजीमुल्ला की एकता बहुत मजबूत थी। उसकी तुलना काकोरी के शहीदों रामप्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक उल्लाह की दोस्ती से की जा सकती है। अजीमुल्ला के लिए सावरकर ने लिखा है, "जिन बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों ने सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम की बात सोची थी, उनमें अजीमुल्ला को ऊँचा स्थान देना होगा।" (पृष्ठ ३२)।

१८५७ में भारतीय सामन्त अपने राज्य बचाने के लिये या उन्हें वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, इसका बहुत प्रचार किया गया। कुल मिलाकर सामन्तवर्ग लड़ाई से अलग रहा या अंग्रेजों का साथ देता रहा, इस तथ्य के बारे में लोगों ने कम लिखा है। सावरकर ने लिखा है कि "अधिकांश रियासतें जानबूझकर दोरंगी नीति पर चली।" (पृष्ठ २६६)। दोरंगी नीति का कारण यह था कि अंग्रेजों का साथ दें तो सिपाहियों की लड़ाई में रुकावट होगी और क्रांतिकारियों की मदद करें तो अंग्रेजों को उनका राज्य छीनने का बहाना मिल जाएगा। सावरकर ने इन्हें मूर्ख कहा है जिन्हें यह न दिखाई देता था कि यदि वे सब क्रांतिकारियों का साथ देंगे तो अंग्रेजों के जीतने की सम्भावना ही न रहेगी। जो खुले गद्दार थे, उन्होंने तो अंग्रेजों की मदद की ही, किन्तु जो ढुलमुल या तटस्थ बने रहे, "उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से देशद्रोहियों की भूमिका निवाही" और "राजाओं के इस स्वार्थी व्यवहार से ही अंत में क्रांति का नाश हुआ।" (पृ. २६७)। क्रांति की असफलता के लिए यहाँ का सामन्त वर्ग जिम्मेदार है, यह बात बहुत कम इतिहासकारों ने

लिखी है। वास्तव में सामन्तों की कृपा से ही अंग्रेजों को भारत में अपना विस्तार करने का अवसर मिला। १८५७ में जो राजा और जमीदार उनसे उनकी सख्या बहुत धोड़ी थी, जो तटस्थ रहे या उनके सहायक थे, उनकी सख्या बहुत बड़ी थी। सेना के लोग और सेना के बाहर के लोग बहादुरशाह के झण्डे नीचे लड़े। सावरकर ने लिखा है कि बहादुरशाह को गद्दी पर विठाने का मतलब था कि हिन्दुओं और मुसलमानों की पुरानी लड़ाई खत्म हो गयी है और यहाँ लोग स्वयं अपने राजा का चुनाव कर सकते हैं। (पृ. २८५)।

१८५७ में जो सामन्त अंग्रेजों से लड़े, वे सब एक ही स्तर के योद्धा नहीं थे। जो भूमिका कुंवरसिंह की थी, वह बहादुरशाह की नहीं थी। कुंवरसिंह के सम्बन्ध में सावरकर ने जो कुछ लिखा है, वह एक व्यक्ति का मूल्यांकन मात्र नहीं है; उसमें उन्होंने यह दिखाया है कि प्रवल शत्रु के विरुद्ध छापेमार लड़ाई किस तरह चलानी चाहिए। भारतीय सेना की ओर से लड़ने वालों में तात्या टोपे का रणकौशल प्रसिद्ध है। वह अंग्रेजों द्वारा प्रशिक्षित सेनापति न थे; कुंवरसिंह को भी अंग्रेजों की देख-रेख में सैनिक शिक्षण न मिला था। इन दोनों के रणकौशल का तुलनात्मक विवेचन करते हुए सावरकर ने जो कुछ लिखा है, वह उनकी पुस्तक का श्रेष्ठ अंश है। उन्होंने लिखा है, "१८५७ में क्रांतिकारियों के जितने नेता थे, उनमें कोई ऐसा नहीं था जो सैनिक योग्यता में कुंवरसिंह से बढ़कर हो। स्वाधीनता-संग्राम में छापेमार लड़ाई की उपयोगिता क्या है, इस बात को तुरन्त उन्होंने ही भली प्रकार समझा था, और वही अकेले ऐसे नेता थे जो शिवाजी जैसे सिद्ध छापे-मार योद्धा की कुशल रणनीति का अनुसरण कर सके थे। १८५७ में तात्या टोपे और कुंवरसिंह, इन दो महान् सेनापतियों का रंगमंच पर आविर्भाव हुआ। छापेमार नेताओं के रूप में इनकी सैनिक उपलब्धियों की तुलना करें तो एक विशेष बात हमारा ध्यान आकर्षित करेगी। छापेमार लड़ाई का जो नकारात्मक को उतना ही ऊँचा स्थान उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में दिया जाएगा। तात्या टोपे शत्रु को यह अवसर न देते थे कि वह उनकी सेना को ध्वस्त कर दे या नया संन्य सगठन करने की उनकी क्षमता नष्ट कर दे। किन्तु कुंवरसिंह को यह सब करने में तो सफलता मिली ही, उन्हें शत्रु की सेना को ध्वस्त करने और उसे गहरी पराजय का सामना करने को विवश करने में भी सफलता मिली। छापेमार लड़ाई में निर्णायक सफलता पाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक कि मैदान से बार-बार भागकर या प्रवल शत्रु से युद्ध करने से बचकर जो मनो-का ह्रास अनिवार्यतः होता है, उससे बचा जाए। नेता जानबूझकर जहाँ ता है और आवश्यकतानुसार भागता है, वहाँ यह हालत न पैदा होने देनी चाहिए कि उसके अनुयायियों का मनोबल टूट जाए या वे लड़ाई से कतराने लगें। होना चाहिए कि लगातार लड़ाइयों से बचने का नतीजा यह हो कि सैनिक से ही डरने लगें। लड़ाई को कौशलपूर्वक बचा जाना एक बात है और लड़ाई में इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कायरतापूर्वक मैदान से

भी न भागे। जब भी लड़ने का फैसला किया जाए, तब इतनी मजबूती से और हम्मत से लड़ना चाहिए कि दुश्मन का दिल दहल जाये और अपने अनुयायियों में जब ईस्त आत्मविश्वास पैदा हो। कौशल की मुख्य बात यह है कि शत्रु को अपने ऊपर तब लड़ाई लड़ने न दे जब मुकाबला बराबरी का न हो। किन्तु एक बार छिड़ जाए तो मैदान में ऐसे साहस का परिचय देना चाहिए जैसा कि बाजीराव ने पवनखिड या कुंवरसिंह ने तनू नदी पर दिया था। संक्षेप में बात यह है कि यदि शत्रुदल प्रबल हो तो छापेमार नेता को चाहिए कि लड़ाई में न उलझे। दोनों की ताकत बराबर हो तो उसे लड़ जाना चाहिए। पर चाहे इच्छा से लड़े, चाहे मजबूरी में लड़ना पड़े, डर के मारे या अनुशासन की कमी के कारण लड़ाई के दौरान भागना न चाहिए। भले ही पराजय निश्चित हो, इतनी दिलेरी से लड़ना चाहिए कि विजय न मिलने पर भी वीरता की स्थापितवनी रहे। शत्रु पर इस तरह हमला होगा तो उसका दिन दहल जाएगा, अनुयायियों के हौसले पस्त न होंगे, अनुशासन में शिथिलता न आएगी, शहीदों की कथा मुनकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वीरता से वीरता उत्पन्न होती है और इस प्रकार विजय निश्चित हो जाएगी। छापेमार सेनापति और उसके दल को चाहिए कि यह कभी यह धारणा न बनने दे कि उनका शत्रु वीरता में बढ़चढ़कर है, इसलिए जीत गया। छापेमार लड़ाई की यह कुजी है।

किन्तु तात्याटोपे ने युद्ध के इस सकारात्मक पक्ष का अनुसरण नहीं किया। जब वह नर्मदा पार कर रहे थे, उस समय उनके अभियान की तुलना गंगा पार करते समय कुंवरसिंह के अभियान से की जाए तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाएगा। तात्या अनेक बार हारे। इसका कारण सिपाहियों में भगदड़ और उनकी कायरता ही थी। उन्हें ऐसे सिपाहियों का नेतृत्व करना था और इसका कारण उनकी अपनी अक्षमता नहीं थी। पीछे हटते हुए कुंवरसिंह ने ऐसी दिलेरी का परिचय दिया, जहाँ भी मीका मिला, पीछा करते हुए शत्रु पर ऐसे जोर से दूटे कि उनकी सेना में आत्मविश्वास बना रहा, पीछा करते हुए शत्रु के सामने पीछे हटने पर भी उनका हौसला बुलन्द रहा। यहाँ यह बात न भूलनी चाहिए कि तात्या टोपे को छापेमार नीति उस समय अपनानी पड़ी जब उनकी सेना हार पर हार खाकर एकदम पस्त हो चुकी थी और उनके पुराने योद्धा या तो पहले ही लड़ाई में मारे जा चुके थे या लड़ने के योग्य न रह गये थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि अपने रणकौशल और छापेमार युद्धकला की जानकारी के बावजूद उपयुक्त सेना न होने से वह अपनी नीति को अमल में न ला सके। कारण जो भी हो, एक चीज स्पष्ट है कि अपने सेनापति के भव्य जीवन में अनेक बार तात्या टोपे को इस कारण मैदान छोड़ना पड़ा कि उनके सैनिकों में पस्ती छा गयी थी। किन्तु कुंवरसिंह महाराष्ट्र के महान् गिवाजी के समान अपनी सेना को कभी पस्त न होने देते थे। उन्होंने उनके नेता स्वयं में तथा सैनिकों में पूर्ण विश्वास को जन्म दिया। उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत वीरता, अनुशासन और साहस द्वारा किया। उन्होंने लड़ने में और लड़ाई से बचने में छापेमार लड़ाई के सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्षों में अनुपम कौशल का परिचय दिया। और यही कारण है कि शत्रु को

चटाकर, अपनी गौरवपूर्ण विजय के बीच, स्वतन्त्रता की पताका के नीचे अस्वाधीन सिंहासन पर बैठने के बाद, इन वृद्ध, वीर, महान् भारतवासी को गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई।" (पृष्ठ ४३६-४३६)।

छापेमार लड़ाई पर सावरकर ने इतने विस्तार से लिखा है, इससे यह अप्रत्यक्ष संकेत मिलता है कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध अपने समय में भी इस तरह की लड़ाई की उपयोगिता स्वीकार करते थे। किन्तु अप्रत्यक्ष संकेत से अधिक इस सगन्ध में उनका चिन्तन और आगे न बढ़ा था। जहाँ भी छापेमार लड़ाई सफलतापूर्वक बलायी गयी है, वहाँ उसका मुख्य सामाजिक आधार किसानों का समर्थन रहा है। यह बात शिवाजी की छापेमार लड़ाई पर भी लागू होती है। अनेक युद्धों में राजपूत राजा के हाथी या घोड़े से गिरते ही सेना के भाग खड़े होने के वर्णन मिलते हैं। किन्तु शिवाजी और उनके सहयोगियों द्वारा जो युद्ध संचालित हुए, उनमें नेता के साथ और नेता के बिना भी सैनिक लड़ते रहे। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध १८५७-५८ में जहाँ भी सफलतापूर्वक छापेमारों ने लड़ाई की, वहाँ की किसान जनता की राजनीतिक चेतना दूसरे प्रदेशों को देखते ज्यादा निखरी हुई थी। तात्या टोपे और कुंवरसिंह के कार्यक्षेत्र दो भिन्न प्रदेशों में थे और दोनों की राजनीतिक चेतना में काफी अन्तर था। प्रश्न केवल सैनिक नीति निर्धारित करने का नहीं था, उससे पहले राजनीति निर्धारित करने का था।

अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने अवध में होनेवाली लड़ाई को ऐसा स्वाधीनता सग्राम बताया है जिसमें जनता के सभी स्तर भाग ले रहे थे और उसका समर्थन कर रहे थे। इस बात की ओर सावरकर ने भी ध्यान दिया है। अवध में स्वाधीनता सग्राम के ऊँचे स्तर का कारण वहाँ की जनता की राजनीतिक चेतना थी। १८५७-५८ की घटनाओं का विवेचन करते समय विभिन्न प्रदेशों की राजनीतिक चेतना में जो अन्तर था, उसे याद रखना चाहिए। अवध में संघर्ष की समाप्ति के प्रसंग में सावरकर ने लिखा है, "इस प्रकार १८५७ की राष्ट्रीय क्रांति अवध में समाप्त हुई। सप्ताह में कहीं भी कोई देश अपनी स्वाधीनता के लिए ऐसे जमकर वीरतापूर्वक नहीं लड़ा।" (पृष्ठ ५२१)। अपने कथन के समर्थन में वह इतिहासकार मैलीसन से निम्नलिखित उद्धरण देते हैं : "अवध के लोग उस विद्रोह में शामिल हुए जिसे उनके सिपाही भाइयों ने शुरू किया था। ये अधिकांश सिपाही अवध के थे। अवध के लोग स्वाधीनता के लिए लड़े। वे किस जीवट से लड़ते रहे, इसका वर्णन इन पृष्ठों में हो चुका है। भारत के किसी भी और दूसरे हिस्से में यों दृढ़तापूर्वक चलाए हुए और इतने दीर्घकाल तक चलाये हुए प्रतिरोध का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जैसा कि अवध में मिलता है। समूचे संघर्ष के दौरान वहाँ की जनता के हृदय को इस भावना ने फौलाद बना दिया था कि १८५६ में उनके साथ अन्याय हुआ है। इससे युद्ध के लिए उनका मनोबल मजबूत हुआ। यदि कभी-कभी वे भी बेतहाशा भागे, तो यह केवल इस आशा से उन्होंने किया कि फिर किसी दिन लड़ेंगे और तब शायद सफलता मिलेगी। और आखिर में जब अवध में लाइंडेनबर्ग के अभियान ने लड़ाकू वर्ग के वचेखुने लोगों को नेपाल के जंगलों में भागकर शरण लेने पर मजबूर किया, तो अक्सर इन वचेखुने लोगों ने आत्मसमर्पण

करने के बदले भूख से मर जाना ज्यादा अच्छा समझा। यहाँ की खेतिहर जनता ने, ताल्लुकेदारों, भूस्वामियों, व्यापारियों ने तब पराजय स्वीकार की जब लम्बे संघर्ष के बाद उन्होंने समझ लिया कि अब आगे लड़ाई सम्भव नहीं है।"

सावरकर की पुस्तक में अनेक समस्याएँ ऐसी हैं जिनका विस्तृत विवेचन शायद उस समय के क्रांतिकारियों के लिए सम्भव नहीं था। इनमें एक समस्या भारत और इंग्लैण्ड के सामाजिक विकास की है। इंग्लैण्ड में मशीनों से उत्पादन होने लगा था। भारत इस मामले में अभी पीछे था। क्या इस कारण भारत की पराजय अनिवार्य थी? दूसरी समस्या यह थी कि १८५७ में सेना के वाहर किसानों ने संघर्ष किया या नहीं और उनके इस संघर्ष की भूमिका राष्ट्रीय स्वाधीनता के संदर्भ में क्या थी। इन समस्याओं का विवेचन सावरकर की पुस्तक में नहीं है।

५. गदर और जयप्रकाश नारायण तथा जवाहरलाल नेहरू

१८८५ में कांग्रेस का जन्म हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के हर दौर में १८५७ के संग्राम का महत्व लोगों ने अपनी राजनीतिक चेतना के अनुसार समझा। १८५७ और १८८५ में जो मौलिक अंतर था, वह १९३६ में भारत के प्रगतिशील राजनीतिज्ञों को बहुत साफ दिखायी देता था। अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों (Why Socialism?) में जयप्रकाश नारायण ने दोनों के अंतर के बारे में लिखा है, "१८५७ में पूर्ण प्रभुसत्ता के लिए खुली हथियारबंद लड़ाई हुई; १८८५ में नस्लतापूर्वक फरियाद करने का काम हुआ। प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष करने के बाद रायल कमीशन की नियुक्ति के लिए फरियाद की जाए, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। फिर भी इस फरियाद के लिए कहा गया है कि 'भारत की माँगों को स्पष्ट रूप देने का काम यहाँ से शुरू होता है।' यदि १८५७ और १८८५ दोनों ही राष्ट्रीय आंदोलन की मिसालें हैं तो इससे जाहिर है कि राष्ट्रीयता का मतलब अलग-अलग समय पर अलग-अलग है। जो अन्तर है वह केवल उद्देश्यों में नहीं है वरन् उसकी मानवीय विषयवस्तु में भी है। १८५७ में सामन्त और उनके सैनिक 'राष्ट्रवादी' थे; १८८५ में मध्यवर्ग के बहतर सभ्य लोग 'राष्ट्रवादी' थे और इनमें अवकाशप्राप्त सरकारी नौकर भी थे।" (पृष्ठ १३०)। तमाम प्रचार के बावजूद जो भी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेता था, वह १८५७ के प्रति आकर्षित हुए बिना न रहता था। जयप्रकाश नारायण के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि १८८५ के फरियाद करनेवालों की तुलना में वह १८५७ के वीरों को आदर से याद करते थे। जहाँ तक उस स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व का प्रश्न है, वह भी समझते थे कि नेतृत्व सामन्तों के हाथ में था।

जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में वह अक्सर १८५७ के बारे में सोचते रहे थे। 'आत्मकथा' (आटोबायोग्राफी) में उन्होंने १८५७ के 'महान् विद्रोह' का उल्लेख किया है। (पृष्ठ २)। वह स्वयं नए स्वाधीनता-आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उनके मन में १८५७ का साल एक मार्गस्तम्भ के समान था जिससे वह वाद के आंदोलनों की

तुलना करते थे। प्रथम महायुद्ध से पहले भारत में जो विद्रोह-भावना फैली, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि "१८५७ के विद्रोह के बाद पहली बार भारत लड़ने पर आमादा दिखाई देता था और विदेशी शासन को झुककर स्वीकार करने की तैयार न था।" (पृष्ठ २१)। १८५७ में जनता लड़ी, उसी पैमाने पर वह प्रथम महायुद्ध के पहले न लड़ रही थी किन्तु उसमें तीव्र असंतोष फैला हुआ था। अंग्रेजों को जिस वान का डर सबसे ज्यादा था, वह यह थी कि भारत में १८५७ की पुनरावृत्ति न हो। ध्यान देने की बात है कि जिस व्यापक असंतोष की बात नेहरूजी ने लिखी है, वह गांधीजी द्वारा संचालित आंदोलनों ने एक दशक पहले का है। फिर प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने जनसघर्षों का दमन करने के लिए नए कानून बनाए। इस समय के लिए नेहरूजी ने लिखा है कि रोलट विलों के तीन साल शांति के वर्ष नहीं थे वरन् "१८५७ के विद्रोह के बाद भारत में ये सबसे ज्यादा असंतोष के मान थे।" (पृष्ठ ४१)। इन उल्लेखों से यह भी स्पष्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। क्रांतिकारी आंदोलन तभी व्यापक आंदोलन बनता है, जब उसमें जनता का काफी बड़ा हिस्सा शामिल होता है। सन् '२० और '३० में जो आंदोलन चलाए गए, उनमें इस बात का बराबर ध्यान रखा गया कि सामन्तविरोधी किसान आंदोलन पर अंकुश लगा रहे और वह क्रांतिकारी रूप न लेने पाए। १९४२ के आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' लिखी। इसमें कई जगह १८५७ के संघर्ष का उल्लेख है। मुख्य बात यह है कि कुल मिलाकर नेहरूजी का दृष्टिकोण सरकारी इतिहासकार सुरेन्द्रनाथ सेन के दृष्टिकोण में भिन्न है। पर नेहरूजी की पुस्तक तब लिखी गयी थी जब भारत में अंग्रेजों राज कायम था और सुरेन्द्रनाथ सेन की पुस्तक तब लिखी गयी थी जब उसे आजाद हुए दस साल बीत चुके थे। सेन के लिए १८५७ की लड़ाई अपने वर्ग-स्वार्थों के लिए सामन्तों की लड़ाई थी। ये सामन्त यहाँ पिछड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था कायम रखना चाहते थे। इनके विपरीत अंग्रेज शासक प्रगतिशील मन्थना के प्रतिनिधि थे। यदि १८५७-५८ में भारतीय पक्ष जीत जाता तो सेन के अनुसार इतिहास की गति उलट जाती और भारत पिछड़ा हुआ देश बना रहता। स्वभावतः ऐसी लड़ाई को स्वाधीनता-संग्राम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत नेहरूजी ने लिखा कि उत्तर भारत में अंग्रेज अभी पैर त्रमा ही रखे थे कि महान् 'सिपाही विद्रोह' (दि ग्रेट म्यूटिनी) फूट पड़ा और 'स्वाधीनता-संग्राम' (ए वार आफ इण्डिपेन्डेन्स) में विकसित हुआ और उगने अंग्रेजों राज को लगभग समाप्त कर दिया। (पृष्ठ १४७)। यहाँ वह लड़ाई को मुख्यतः सिपाहियों के विद्रोह से मानते हैं, किन्तु विद्रोह सेना तक सीमित नहीं रहता, वह स्वाधीनता-संग्राम के रूप में विकसित होता है। आगे उन्होंने '१८५७ के महान् विद्रोह' के प्रसंग में फिर लिखा है कि बंगाल में गोपाल के अंग्रेजों शासन में विद्रोह नूतनता से तबाह हुए, वहाँ एक नया बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ जो पश्चिम की ओर इन आशा से देखता था कि अंग्रेजों के उदारवाद के महान् देशवासी प्रकट कर

सकेंगे। मद्रास, बम्बई और पश्चिमी भारत में यही स्थिति थी। इससे उत्तर भारत की भिन्नता दिखाते हुए उन्होंने लिखा है, "किन्तु ऊपर वाले प्रदेशों में ऐसे आत्मसमर्पण की भावना या मिलजुलकर रहने की भावना नहीं थी। विद्रोह की भावना बढ़ रही थी, खास तौर से सामन्तों और उनके अनुयायियों में बढ़ रही थी। आम जनता में भी असतोष और अंग्रेजविरोधी तीव्र भावना बड़े पैमाने पर फैली हुयी थी।" (पृष्ठ ३४१)। विभिन्न प्रदेशों में राजनीतिक चेतना को लेकर जो भेद था, उस पर नेहरूजी ने ठीक ध्यान दिया है। ऊपर वाले प्रदेश (अपर प्रोविन्सेज) बगल से भिन्न हिन्दी प्रदेश हैं। सिपाही विद्रोह में जन संघर्षों का सम्बन्ध जोड़ते हुए उन्होंने आगे फिर लिखा, "यह फौजी बग़ावत से और बड़ी चीज थी। वह तेज़ी से फैली और उसने जनविद्रोह तथा स्वाधीनता-संग्राम का रूप ले लिया (ए पौपूलर रिवेलियन ऐण्ड चार आफ़ इन्डिपेन्डेन्स)। आम जनता के जनविद्रोह के रूप में वह दिल्ली, संयुक्त प्रान्त (जैसा कि अब वे कहलाते हैं), बिहार और मध्य भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा।" (पृष्ठ ३४२)। नेहरूजी ने १८५७ की लड़ाई को स्वाधीनता-संग्राम के अलावा जनविद्रोह भी कहा है। जिस आंदोलन में आम जनता सक्रिय भाग ले, उसी आंदोलन को जन-विद्रोह कहा जा सकेगा। इस जनविद्रोह का क्षेत्र उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली, बिहार और मध्यप्रदेश के विशाल त्रिकोण में यह संघर्ष हुआ था। उस लड़ाई को जन-विद्रोह मानते हुए भी उन्होंने उसे सामन्ती विस्फोट कहा है। उसका नेतृत्व सामन्त कर रहे थे और उन्हें अंग्रेज-विरोधी भावना में मदद मिल रही थी। पुरानी दासन-व्यवस्था में जो कमजोरियां थी, वे विद्रोही शासकों को निकालने के प्रयत्न में सामने आ गयी। भविष्य में सामन्तों के लिए कोई स्थान न था। किन्तु नेहरूजी ने सामन्तों के पूरे वर्ग को देखते हुए यह भी लिखा है, "कुल मिलाकर भारत के राजा लड़ाई से अलग रहे या फिर अंग्रेजों की मदद करते रहे। उन्हें भय था कि जो दौलत उन्होंने कमाई है या जो दौलत उनके पास बच गयी है, वह कहीं हाथ से निकल न जाए।" (पृष्ठ ३४२)। यह स्थापना मही है। और इसीलिए १८५७ के जनविद्रोह को सामन्तों का विस्फोट नहीं कहा जा सकता।

सामन्तों में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, यह कहने के बाद वह स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे। वह यह भी मानते हैं कि सामन्तों के तटस्थ रहने या अंग्रेजों की मदद करने के कारण ही विद्रोह असफल हुआ। वास्तव में सामन्त और अंग्रेज मिलकर लड़ रहे थे। जो थोड़े से सामन्त लड़ाई में शामिल हुए थे, वे अपवाद रूप से शामिल हुए थे और ज्यादातर नेतृत्व उनके हाथ में न था। यह लड़ाई सामन्तों का विस्फोट नहीं थी, इसी कारण नेहरूजी का यह कहना मही है कि इस विद्रोह से समूचा भारत हिल गया था। (पृष्ठ ३४६)।

भारत और इंग्लैण्ड के सामाजिक विकास की मजिलों पर ध्यान देने वाले भारतीय लेखकों में नेहरूजी भी हैं। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के आने में पहले तक भारत किसी भी देश से पिछड़ा हुआ नहीं था, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा है, "वास्तव में औद्योगिक और व्यापारिक और वित्तीय दृष्टि से

भारत उतना ही आगे बढ़ा हुआ देश था जितना कि औद्योगिक क्रांति से पहले का कोई अन्य देश।" (पृष्ठ ३००)। वह इस बात में परिचित हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए, वे औद्योगिक पूंजीवाद के प्रतिनिधि न थे। उन्होंने लिखा है, "इंग्लैंड से हिन्दुस्तान पर हुकूमन करने के लिए जो सामन्ती भूस्वामी (फूडल लैंडलॉर्ड्स) और उनके भाई-बन्धु आए, वे दुनिया को भूस्वामियों की निगाह से देखते थे। उनके लिए भारत एक बहुत बड़ी जमींदारी था जिसकी मालिक ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी।" (पृष्ठ ३०८)। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें बंगाल की लूट का योगदान महत्वपूर्ण था। (पृष्ठ ३१२)। अंग्रेजों ने क्रमशः यहाँ के उद्योग-धन्धों का नाश किया और अधिकाधिक जनता खेत-हरबन्तनी गयी। अंग्रेज भारत को खेत-हरबन्तनी कर उसकी सम्यता का नाश कर रहे थे, यह बात कुछ अंग्रेज विद्वानों से छिपी न थी। १८४० में पार्लियामेंट की जाँच समिति के सामने मान्टगोमरी मार्टिन ने कहा था, "हिन्दुस्तान जितना कृषिप्रधान है, उतना ही उद्योगप्रधान भी है; जो भी उसे खेत-हरदेश बना डालना चाहना है, वह उसे सम्यता के पैमाने में नीचे उतार लाना चाहता है।" नेहरूजी ने मान्टगोमरी मार्टिन का यह कथन उद्धृत किया है। (पृष्ठ ३१६)। उन्होंने इस ब्रिटिश नीति को उजागर किया है कि भारत का औद्योगिक विकास यथासम्भव रोका जाए। अंग्रेजों की न्यायव्यवस्था के लिए उन्होंने लिखा है कि उसने जनता में आलस फैला रखा था। (पृष्ठ ३४१)। भारत के ग्रामसमाज १९वीं सदी के पूर्वार्द्ध में विघटित हो रहे थे, इस तथ्य की चर्चा उन्होंने की है। मशीनों से चलने वाले उद्योग-धन्धों के मानिक होने के कारण अंग्रेज दुनिया की प्रमुख शक्ति बन गए, यह मानते हुए उन्होंने प्रतिक्रियावादी अंग्रेज शासकों और पश्चिम की प्रगतिशील संस्कृति में भेद किया है। (पृ. ३३१)। यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक लेखक शासकों की प्रतिक्रियावादी नीति और इंग्लैंड के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की संस्कृति में भेद नहीं कर पाते। कुल मिलाकर सुरेन्द्रनाथ सेन की तुलना में नेहरूजी का दृष्टिकोण सत्य के अधिक निकट है। यद्यपि उनकी पुस्तक उस समय प्रकाशित हुई थी जब भारत स्वाधीन होने वाला था, फिर भी १८५७ को लेकर १९४७ के वाद भी जो विवाद चलते रहे, उन्हें देखते हुए यह मानना होगा कि अनेक इतिहासकारों की तुलना में उनका इतिहास-सम्बन्धी विवेचन अधिक तर्कसंगत था और इस विवेचन का महत्व १९४७ के वाद समाप्त नहीं हो गया।

६. गदर और मार्क्सवादी विचारक—स्वाधीनताप्राप्ति से पहले

जहाँ तक मुझे मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में १८५७ पर चर्चा १९३६ में शुरू हुई। पहले मद्रास से 'न्यू एज' नाम की मासिक पत्रिका निकलती थी। इसके सम्पादक एस. वी. घाटे थे। इस पत्रिका के मई १९३६ के अंक में 'दि इण्डियन म्यूटिनी' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था। लेखक का पूरा नाम नहीं दिया गया, केवल वी. के. लिखा है। लेख के साथ जो सम्पादकीय टिप्पणी है, उसमें १८५७ की लोकवादी उथल-पुथल (मास अपहीवल) का उल्लेख है। कहा

गया है कि इस विषय पर समकालीन इतिहासकारों ने ध्यान दिया है और कोशिश की जा रही है कि संघर्ष के स्वरूप का विवेचन किया जाए और उसके मूल कारणों का पता लगाया जाए। सम्पादक ने इस विषय पर और लेख भी आमन्त्रित किये थे। इस टिप्पणी से विदित होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पत्रों में इस विषय पर यह पहला लेख है।

यद्यपि लेख पार्टी की पत्रिका में छपा है किन्तु वह किसी एक मार्क्सवादी का व्यक्तिगत प्रयत्न है। संगठित रूप से पार्टी की ओर में इस विषय के अध्ययन और विवेचन के लिए अभी कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इस लेख में जनता की कार्यवाही पर जोर दिया गया है। इसके साथ सामन्तों के नेतृत्व की प्रतिक्रियावादी बताया गया है। यह लड़ाई केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं थी वरन् राष्ट्रीय क्रांति थी, यह बात भी कही गयी है। लेखक ने इस बात को भी नोट किया है कि फौज के सिपाही अपने अधिकारों के लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे थे और उनका यह संघर्ष ट्रेड यूनियन संघर्ष के समान था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब तक जो कुछ १८५७ पर लिखा गया था, उसकी तुलना में यहां जनता की भूमिका को समझने के लिए विशेष प्रयास किया गया है।

वी. के. ने लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सिपाही युद्ध को उसका उचित स्थान नहीं दिया गया। (इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता-आंदोलन के मंदमं में १८५७ की लड़ाई का विशेष महत्व है।) उसके बाद धकान और अध्यात्मवाद का दौर शुरू हुआ; इस दौर में रामकृष्ण परमहंस के आंदोलन का पहला चरण आता है। (अध्यात्मवाद का प्रचार धकान के कारण हुआ, यह संकेत रोचक है।) उसके बाद जब राष्ट्रीयता फिर से आरम्भ हुई तब उसका स्तर भिन्न और अधिक सचेत था और उसका एक नया आर्थिक ढांचा था। (अर्थात् पूंजीवाद के नये विकास से इस नये आन्दोलन की शुरुआत जुड़ी हुई थी।) सिपाहियों ने वगावत की, इस प्रचार से हमारा मन पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ, हमने उस समय का काफी अध्ययन नहीं किया कि उसका पूर्ण महत्व समझ सकें। उस लड़ाई की सही व्याख्या करना और उससे निष्कर्ष निकालना बाकी है। यह कार्य केवल मार्क्सवादी विश्लेषण से पूरा हो सकता है।

मार्क्सवादी विश्लेषण का महत्व बताने के बाद वी. के. ने अंग्रेजी दमन के बारे में लिखा है और उससे निष्कर्ष यह निकाला है कि १८५७-५८ में अंग्रेजों ने जो अत्याचार किये, जिस भयंकर पैमाने पर आतंक फैलाया, वह केवल एक राष्ट्रीय क्रांति की ही प्रतिक्रिया हो सकता था। शासक वर्ग इस तरह प्रतिहिंसा का सहारा तब लेता है जब वह देखता है कि जनता की समूची शक्ति उसके विरुद्ध लगा दी गयी है। अंग्रेजों ने गाँव-गाँव में जाकर वहाँ के निवासियों की पेड़ों पर लटकाकर फाँसी दी। कर्नल निकलसन ने माँग की कि उन्हें जिन्दा जलाने और उनकी खाल खींचने की छूट दी जाए। फ्रांस में पेरिस कम्यून नाम की क्रांति के बाद वहाँ के पूंजीपतियों का व्यवहार ऐसा ही था, ऐसा ही व्यवहार स्पेन के फासिस्टों का है। (वी. के. ने स्पेन के फासिस्टों से तुलना उचित की है। जहाँ-जहाँ भी क्रांति की दवाने के प्रयास किये गये, वहाँ इसी तरह आतंक का सहारा लिया

गया। इस आतंक को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए अंग्रेजों ने अपनी मेंगों और वन्धों के मारे जाने की कहानियों का खूब प्रचार किया था।)

आगे लिखा है : गाय की चर्बों के इस्तेमाल से बगावत शुरू हुई, इसे केवल मजाक कहा जा सकता है हालांकि अंग्रेजी स्कूलों में भारत के बारे में यही सिखाया जाता है। इतिहासकार के (Kaye) का हवाला देते हुए बी. के. ने लिखा है कि लड़ाई का कारण गंभीर आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं और उसमें सारा राष्ट्र सिमट आया था। के की कमजोरी यह है कि उन्होंने प्रतिक्रियावादी नेताओं के सामन्ती इरादों और आम जनता के इरादों में भेद नहीं किया। बी. के. ने याद दिलाया है कि लड़ाई के दौरान नेताओं की अपेक्षा भारतीय जनता ने कहीं अधिक साहस और उत्साह का परिचय दिया। (बी. के. ने इतिहासकार के की पुस्तक अच्छी तरह पढ़ी है किन्तु वह पुस्तक नाकाफ़ी है। १९३९ तक और ऐसी सामग्री सुलभ थी जिससे १८५७ के बारे में और गहरी जानकारी हो सकती थी। किन्तु चर्बी वाले किस्से के बारे में बी. के. और सावरकर की राय एक है।)

लड़ाई की दृष्टभूमि का विवेचन करते हुए बी. के. ने जनअसंतोष के लिए अंग्रेजी राज्य के प्रसार और शासनपद्धति को दोषी ठहराया है। बीसियों साल में विद्रोह की शक्ति संगठित होती रही। इस तरह का राष्ट्रीय जनविद्रोह भारतीय इतिहास में पहले कभी हुआ ही न था। (१८५७ की लड़ाई पहले की लड़ाइयों से गुणात्मक रूप से भिन्न थी, इस तथ्य की ओर यहाँ महत्वपूर्ण संकेत है। बी. के. ने १८५७ की तुलना में कांग्रेस के जन्म का स्मरण भी उसी तरह से किया है, जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने किया था।)

बी. के. के अनुसार गुप्त प्रचार-केन्द्र अपना कार्य करते रहे थे और क्रांतिकारी साहित्य वितरित किया जाता रहा था। जो वगैरे पहले शक्तिशाली थे, वे तबाह हो गये थे। मुसलमान हाकिम और ब्राह्मण प्रशासक बेकार हो गए थे और इनके धार्मिक निहित स्वार्थों के लिए खतरा पैदा हो गया था। उनके प्रचार से उनके स्वरूप का पता चल जाता है। प्रचार मुख्यतः धार्मिक था और उसका लक्ष्य सिपाही थे। अंग्रेजी राज्य का जितना ही प्रसार हुआ, उतना ही इन असंतुष्ट लोगों की सख्या बढ़ती गयी। अंग्रेजों में दो प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। एक तो अंग्रेजों की हेकड़ी थी जिसके लिए हिन्दुस्तान का आदमी इन्सान नहीं था। जो प्रदेश अंग्रेजी राज्य में शामिल किये गये, वहाँ के देशी पदाधिकारी हटा दिये गये और देशी सेनाएँ मंग कर दी गयीं। दूसरी प्रवृत्ति वह थी जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद यूरोप में फैली थी। यह सामन्त-विरोधी प्रवृत्ति थी। कम्पनी के बहुत से नौजवान सेवक समझते थे कि देशी राजाओं के कुशासन में जनता को मुक्त करना उनका पुनीत कर्तव्य है। उनका उद्देश्य था कि पुरोहिताँ, राजाओं और भूस्वामियों का प्रभुत्व समाप्त कर दें और सबको एक निरंकुश राज्यसत्ता के अधीन बराबरी का दर्जा दें जो पिता के समान उनकी देखभाल करे। जो पुरानांपंथी कहते थे कि एक देशी अभिजात वर्ग निर्मित किया जाए और बनाए रखा जाए और वह सरकार तथा जनता के बीच ढाल का काम करे, उनमें इन लोगों का नफ़रत थी। उस नीति के फलस्वरूप मध्य भारत में वहाँ के राजा जमे हुए थे, बंगाल में पक्का बन्दो-

वस्तु हुआ जिससे वहाँ जमींदारों का वर्ग बना। अच्छे अफसर मानते थे कि लगान वसूलने वाले ये जमींदार अत्याचारी थे। नौजवानों को अपनी नीति मनवाने में वही तक सफलता मिली जहाँ तक उनके इरादों के नकारात्मक पक्ष का सम्बन्ध था। राजाओं को गद्दी से उतारने और जमींदारों को भिखारी बना देने की छूट उन्हें मिली किन्तु इससे लाभ किसानों को नहीं हुआ वरन् पहले से ज्यादा कठोर कर-व्यवस्था लागू की गयी। सरकार को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, सरकारी तंत्र अब ज्यादा चुस्ती से काम करता था, इसलिए कर-व्यवस्था अधिक कठोर थी। इससे भारत घाटे में रहा।

लेखक यह मानकर चला है कि कम्पनी राज्य की तुलना में यहाँ के सामन्ती शासक अधिक अयोग्य थे। कम्पनी के नौकरों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, अपने मालिकों को वे बराबर ठग रहे थे, व्यक्तिगत रूप से दौलत बटोरने में लगे हुए थे, सबसे पहले इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रगतिशील अंग्रेजों को प्रेरणा मिलनी चाहिए थी। फ्रांस और इंग्लैंड के जो बुद्धिजीवी फ्रांसीसी राज्यक्रांति से प्रभावित हुए थे, वे भारत और आयरलैंड जैसे देशों की स्वाधीनता के लिए निरन्तर प्रचार कर रहे थे, भारत में अंग्रेजी राज्य-विस्तार का विरोध उन्होंने बराबर किया था। यदि बी. के. की बात सही मानी जाए तो कहना होगा कि इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों पर उस क्रांति का प्रभाव एक ढंग का था। यहाँ कम्पनी के प्रगतिशील सेवकों पर उसका प्रभाव दूसरे ढंग का था। फ्रांसीसी राज्यक्रांति के तीन नारे प्रसिद्ध हैं—स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा। यदि यह माना जाए कि समानता स्थापित करने के लिए सामन्तों के अधिकार छीने जा रहे थे तो क्या कम्पनी के प्रगतिशील सेवकों को यह न दिखाई देता था कि इस देश की स्वाधीनता का अपहरण किया जा रहा है? सामन्त के हटने पर कम्पनी के नौकरों और किसानों के बीच कोई समानता का संवध कायम न होता था, यह स्पष्ट है। जहाँ कम्पनी का राज्य पहले से कायम था, वहाँ के जमींदारों को हटाने के लिए इन प्रगतिशीलों ने कोई प्रयत्न नहीं किया। बी. के. ने कम्पनी के कुछ नौकरों को फ्रांसीसी राज्यक्रांति से प्रभावित बताकर अंग्रेजी नीति की बर्बरता को ढाँकने का प्रयत्न किया है।

देशी रियासतों को हड़पने की नीति के बारे में आगे लिखा है कि १८४० से इस पर तेजी से अमल हुआ। गैर अंग्रेजों को लगता था कि यह नया हमलावर अभियान है। एशिया में साम्राज्यवाद फैल रहा था। चीन पर अपना अफीम का व्यापार लादने के लिए १८४० में उस देश से इंग्लैंड ने लड़ाई की; पीगू को अपने राज्य में मिलाने के लिए १८४६ में बर्मा में लड़ाई की; व्यापार के कारण १८५६ में ईरान में लड़ाई की। भारत के सिपाही देश से बाहर लड़ने भेजे गए; बाहर की घटनाओं की गूँज देश के भीतर सुनाई दी। ईरान और रूस अंग्रेज-विरोधी प्रचार करने में लगे हुए थे। अफगानिस्तान के युद्ध से जाहिर हो गया कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है। भारत के भीतर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। जहाँ राजा की सन्तान न हो, वहाँ राज्य हड़पने की नीति में अंग्रेजी राज्य का और प्रचार हुआ। अवध की भीतरी हालत सराब थी। इसके लिए कमजोर

शासन को फौजी मदद देने की अंग्रेजी नीति जिम्मेदार थी। प्रजा के उद्धार के नाम पर अंग्रेजों ने अवय पर अधिकार प्राप्त किया किन्तु सबसे पहले सरकार के अर्थ-विभाग को लाभ होता था। इन सभी घटनाओं में देश में ऐसे बेकार लोगों की बाढ़ आ गयी जो पहले प्रतिष्ठित जीवन बिताते रहे थे। सामान्यतः जिन लोगों की रियासतें छीनी गयी थी, वे देश की प्रगति में महापक न थे। इनका विनाश अपने आप में एक प्रगतिशील कदम था। लेकिन यह वैसे ही प्रगति थी जैसी ऐवीसीनिया में इतालवी गेनापतियों द्वारा पुराने राजघराने को हटा देने में प्राप्त हुई है। (कम्पनी द्वारा देशी रियासतों का हड़पना जाना और ऐवीसीनिया में इटली के फासिस्टों का अधिकार, ये दो भिन्न युगों की घटनाएँ हैं। वास्तव में अंग्रेज भारत में कहीं भी सामन्तवाद खत्म न कर रहे थे, वे कुछ सामन्तों को अपना दाँस्त बना रहे थे और कुछ की सम्पत्ति छीनते जा रहे थे। सामन्तों के विघटन से वे लाभ उठा रहे थे और जिन सामन्तों ने उनकी प्रभुमत्ता स्वीकार की, उनकी रक्षा वे अगले सौ वर्ष तक करते रहे।) अन्तुष्ट लोग आम जनता को केवल सामन्तों के प्रति बफादारी का हवाला देकर अपनी ओर न धींच सकते थे। बफादारी का भाव एक हद तक मौजूद था। जिन नये राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, वहाँ पुराने ताल्लुकदारों को हटाकर उन्होंने नए गैरहाजिर सट्टेबाजों को स्थापित किया। (दरअसल अंग्रेजों ने पुराने सामन्तों को हटाकर उनकी जगह अपने प्रति बफादार नए सामन्त स्थापित किये थे।) आज भी भारतीय किसान बहुत स्पष्ट या व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं समझ पाता। उन दिनों जनता का असतोप उच्च वर्गों द्वारा निर्धारित रूपों में ही व्यक्त हो सकता था। (यहाँ वी. के. ने भारतीय किसान के साथ अन्याय किया है, उसकी चेतना को बहुत कम करके आँका है, सन् ५७ की लडाईं में उसकी भूमिका की जानकारी न होने से उन्होंने अपने जमाने और अपने वर्ग की समझ उस पर आरोपित की है।) इसके सिवा बहुत जगह रेलों के चलने से, मती-प्रथा के बंद करने आदि से लोगों में बेचैनी थी। यह भावना अमतः प्रतिक्रियावादी थी और मजहबों नेता इससे लाभ उठा सकते थे। स्पेन के गृहयुद्ध में जहाँ किसानों पर पादरियों का प्रभाव ज्यादा था, किसान

प्रतिक्रियावादी वर्गों ने खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए जनता को बरगलाया और अंग्रेजों से लड़े।)

हमें जनता के तीन मुख्य स्तरों पर ध्यान देना चाहिए—किसान, कारीगर और सिपाही। किसान सतुष्ट थे या नहीं, यह पूछना बेकार है। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक बंगाल और बिहार में किसान पक्के बंदोबस्त का नतीजा काफी दिन से भुगत रहे थे। जमींदारों का गुण्डादल लगान वसूल करता था और वसूल न होने पर बेदखल करता था। मुनाफे की रकम सरकार को न मिलती थी लेकिन सरकार जमींदारों के हर काम का समर्थन करती थी। (वी. के. ने यह नहीं बताया कि बंगाल के किसान बहुत पहले से उत्पीड़ित थे, फिर वे अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़े।) नये सूबों में मालगुजारी की नयी व्यवस्थाएँ कायम की गयी थीं।

उनमें सबका भूल तब यह था कि किसान से आखिरी दमड़ी तक छीन ली जाए। इस प्रकार भारतीय इतिहास में भूसम्पत्ति को लेकर पहली बार क्रांति हुई थी। (यह क्रांति अंग्रेजों ने की थी और उसका सारतत्व यह था कि किसानों और सामन्तों सभी के अधिकार छीनकर अंग्रेज स्वयं जमीन के मालिक बन बैठे थे।) इस क्रांति का गहरा प्रभाव आम किसान जनता पर पड़ा। आवादी के बढ़ने से कुछ इलाकों में खेती पर निर्भर रहने वालों की सख्या बढ़ रही थी। कारीगरों पर जो बीती, उससे हालत और बिगड़ गयी। (अंग्रेजी राज्य में, और सबसे पहले बंगाल में, भुखमरी के कारण जो लाखों आदमी मरने लगे थे, उसका जिक्र बी. के. ने नहीं किया।) १८१४ तक हर तरह जोर-जबर्दस्ती करके कम्पनी युनकरों से ज्यादा से ज्यादा कपड़ा भारत आने लगा और वह नीति बदल गयी। हर तरह की चुगी और टैक्स लगाकर देशी उद्योग-धन्धों को निरस्तार्हित किया गया। शहर तबाह हो गए, ग्रामसमाज टूट गए और झुण्ड के झुण्ड कारीगर खेती करने चले या फिर भीख माँगने लगे। यही बात उस समय इंग्लैण्ड में हो रही थी। वहाँ भी मशीन कारीगरों को तबाह कर रही थी और असतोप इतना बढ़ा कि चार्टिस्ट आंदोलन देखकर १८४८ में अधिकारियों को लगा कि अब क्रांति हो जाएगी। भारत में १८५० के आसपास अन्न के दाम बहुत चढ़ गए, इससे हालत और खराब हुई। (इंग्लैण्ड में किसानों की भूमि छीनने का सिलसिला सोलहवीं सदी में शुरू हो चुका था। १८वीं सदी में वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास के कारण मुक़लिस कारीगर और किसान कारखानों में काम पा रहे थे। भारत में उन कारखानों का बना हुआ माल बेचा जा रहा था, यहाँ कारखाने न लगाए जा रहे थे, दोनों देशों की स्थिति में यह बुनियादी अंतर था।)

सिपाही जनता से ही आए थे, उसकी भावनाएँ समझते थे। उनमें बहुत से आर्थिक बदहाली के कारण फौज में भरती हुए होंगे जैसे कि इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड में आर्थिक बदहाली के कारण फौज में भरती होकर भारत आए थे। वे अनेक बार छोटे-मोटे विद्रोह कर चुके थे। ये लड़ाइयाँ ट्रेड यूनियन सघर्षों जैसी थीं। उनकी सख्या बढ़ी, साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें ज्यादा काम करना पड़ा पर उनके साथ और बुरा सलूक होने लगा।

बी. के. ने आगे लिखा है : भारतीय क्रांति में जो जनशक्ति का उभार आया, उसका कारण अधविश्वासी पर आधारित ब्राह्मणपंथी अपीलें नहीं थीं। लड़ाई के दौरान कहीं भी साम्प्रदायिक फूट नहीं देखी गयी। अधिकारियों को अनुभव हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से उन्होंने जो आशा की थी, वह पूरी होने वाली नहीं है। लड़ने वालों की पाति में जाति-बिरादरी को लेकर कहीं फूट नहीं दिखाई दी। फौज जनता को अपने साथ खींच रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। जनता का सबसे सुगठित और सचेत भाग फौज थी। (यह स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और बी. के. की अन्य मान्यताओं का सण्डन करती है। फौज जनता का सुगठित और सचेत अंश थी, इसीलिए वह सारे संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी, संघर्ष में भाग लेने वाले चाहे फौजी लोग हों चाहे गैर फौजी हों, चाहे किसान हों चाहे सामन्त हों।)

अनेक इलाकों में फौजी बग़ावत शुरू होने से हफ़्तों पहले आम जनता गुला विद्रोह कर रही थी और लगभग हर जगह फौजियों और गैरफौजियों के बीच पूरा सहयोग था। (जो आम जनता विद्रोह कर रही थी, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसानों की थी। ये किसान-विद्रोह फौजी बग़ावत से पहले फूट रहे थे, यह तथ्य अकेले ही सन् ५७ की लड़ाई के असली कारण स्पष्ट कर देता है।) देहात में गहरी उधल-पुधल शुरू हो गयी। यह केवल लूटमार नहीं थी यद्यपि उसमें उलझाव था और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कभी-कभी किसान नए जमींदारों के खिलाफ उठ सड़े हुए, कभी पुराने ताल्लुकदार लौटकर किसानों की अगुआई करने लगे। उन्होंने संगठित रूप में सिपाहियों की मदद की। आदोलन के ज्वार का सही पता किसानों के इस उभार से जाना जाता है, न कि नानासाहब जैसे दुरभिसंधि करने वालों के सपनों से। (बी. के. ने नानासाहब का सही मूल्यांकन नहीं किया। किन्तु उन्होंने किसानों के उभार और फौज की भूमिका के बारे में जो कुछ लिखा है, वह उनके लेख का सकारात्मक पक्ष है और महत्वपूर्ण है।)

क्रांति असफल क्यों हुई? राष्ट्रीय एकता अभी नयी थी और अपूर्ण थी। अंग्रेज गुल्खा लोगों, पठानों और सिक्खों को इस्तेमाल कर सके। सिक्ख और राजपूत सामन्तों को अपनी ही प्रजा के विरुद्ध अंग्रेजी मदद की जरूरत थी और उन्होंने सरकार का साथ दिया। (किसी भी राष्ट्रीय क्रांति में राष्ट्रीय एकता सौ फीसदी पूरी नहीं होती। वास्तव में उस क्रांति का एक लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण होता है। १९४७ में भारत का जो विभाजन हुआ, उसको तुलना में तो १८५७ की राष्ट्रीय एकता अधिक पूर्ण ही थी। अनेक भारतीय सामन्तों को अपनी प्रजा के ही विरुद्ध अंग्रेजी राज्य की मदद की जरूरत पड़ी, यह तथ्य सन् ५७ की लड़ाई में सामन्त-विरोधी क्रांति के बीजों की ओर संकेत करता है। जहाँ भी किसान और सिपाही अंग्रेजों के समर्थक सामन्तों से लड़े, वहाँ वे वस्तुगत रूप से सामन्त-विरोधी क्रांति में भाग ले रहे थे। सामन्त-विरोधी लड़ाई और साम्राज्य-विरोधी लड़ाई यहाँ मिल कर एक हो गयी थी। यह तथ्य दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने से कुछ महीने पहले भारतीय क्रांतिकारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इस ओर बी. के. ने ध्यान नहीं दिया।) भारतीय पूँजीपतियों ने सरकारी फण्ड में पैसा दिया था और अपनी लगाई पूँजी खोना न चाहते थे। अंग्रेजों के पास केन्द्रबद्ध संगठन था, सिपाहियों के पास नहीं था। सिपाहियों ने दिखा दिया कि वे अनुशासन कायम रख सकते हैं, शहरों की रक्षा कर सकते हैं, लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। उनकी पाँति से स्थानीय नेता निकले होंगे। कार्य-नीति की दृष्टि से वे योजना बना सकते थे, रणनीति के विचार से योजना न बना सकते थे। उनके पास कोई व्यापक योजना न थी, कोई यथार्थवादी कार्यक्रम न था। उनका सामन्ती नेतृत्व निकम्मा था। वह मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने के सपने देख रहा था और यह अशतः साम्प्रदायिक कार्यक्रम था। इतिहासकार के अनुसार यदि नेतृत्व में वैसी ही शक्ति होती जैसी अनुयायियों में थी, तो क्रांति सफल हो जाती। (जहाँ तक केन्द्रबद्ध संगठन का सवाल है, सन् ५७ की घटनाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक

दूसरे भाग में पाँच निबन्ध हैं जिनमें १८५७ से सम्बद्ध साहित्य और लोक-साहित्य का विवेचन गया है। पुस्तक का तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें विदेशी लेखकों ने इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, रूस और चीन में सन् '५७ की लड़ाई के प्रति वहाँ के लोगों की भावनाओं और उनके विचारों का विवरण दिया है।

पहला निबन्ध तल्मीज़ खल्दून नाम से किन्ही सज्जन ने लिखा है। इब्न खल्दून प्रसिद्ध अरब इतिहासकार हो गए हैं और सम्भवतः उन्हीं का स्मरण करके छय नाम से किसी ने यह लेख लिखा है। भूमिका में जोशी ने उन्हें पुराना शोधकर्ता बताया है और लिखा है कि वह इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में काम करते रहे हैं। खल्दून ने अपने लेख में दो भिन्न और विरोधी दृष्टिकोणों में हटकर मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया है। पहला दृष्टिकोण उन अंग्रेज इतिहासकारों का है जो सन् '५७ की लड़ाई को सिपाहियों की बगावत कहकर छुट्टी पा लेते हैं। दूसरा दृष्टिकोण उन भारतीय लेखकों का है जो इसे स्वाधीनता-संग्राम कहकर उसे गौरव प्रदान करते हैं। उनके विचार से इस तरह की व्याख्या विवेकशून्य राष्ट्रवाद की उपज है। पहले दृष्टिकोण का खण्डन करते हुए उन्होंने लड़ाई में जनसाधारण के भाग लेने पर जोर दिया है। अनेक अंग्रेज इतिहासकारों से ही उद्धरण देकर उन्होंने बताया है कि कई जगह सिपाहियों से पहले आम जनता ने विद्रोह किया। अंग्रेजों ने बहुत जगह सिपाहियों की अपेक्षा साधारण लोगों को ज्यादा सख्त सजा दी। अंग्रेज अपने विरोधियों को खदेड़ देते थे, उनके हथियार छीन लेते थे लेकिन एक बार हारने के बाद वे फिर इकट्ठा हो जाते थे। एक इलाके में अपनी फौज लाकर जब अंग्रेज शांति कायम करते थे, तभी दूसरे इलाके में उथल-पुथल शुरू हो जाती थी। दो बड़े शहरों के बीच अंग्रेज जब किसी राजमार्ग को भारतीय विद्रोहियों के प्रभाव से मुक्त करते थे, तभी अन्य दो शहरों के बीच वे विद्रोही किसी अन्य राजमार्ग पर हावी हो जाते थे। अवध में सिपाहियों की आसानी से अपना भोजन जनता से मिल जाता था। भोजन-सामग्री लादकर चलने की जरूरत उन्हें नहीं थी। और दूसरा सामान वे रक्षकों के बिना छोड़कर चल देते थे, जनता उसकी रक्षा करती थी। अंग्रेजों की गतिविधि के बारे में उन्हें जनता से बराबर जानकारी प्राप्त होती थी। अंग्रेज जो भी योजना बनाते थे, उसकी खबर सिपाहियों को मिल जाती थी। उनके हमदर्द अंग्रेजी छावनियों में भरे पड़े थे। खबरें इतनी तेजी से फैलती थी कि घुड़सवार भी उन्हें इतनी तेजी से न फँसा सकते थे। अवध, रुहेलखण्ड, युन्देलखण्ड और सागर तथा नर्मदा के बीच के प्रदेश की समग्र जनता विद्रोह कर उठी थी। सबसे गहराई से और व्यापक रूप में विद्रोह अवध में हुआ। पंजाव में लड़ाई नहीं हुई लेकिन आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ थी। दिल्ली पर अधिकार होने से पहले अंग्रेजों को रसद जुटाने में बड़ी कठिनाई हुई थी। विद्रोह के राजनीतिक कारण थे और वह राजनीतिक विद्रोह था।

सारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम नहीं थी, यह प्रतिपादित करते हुए लेखक ने तर्क दिया है कि किसी इलाके से बाग्यो सिपाहियों और विद्रोही राजाओं के हटते ही शांति कायम हो जाती थी। (लेखक ने अपने निबन्ध में जनता के भाग

लेने पर बहुत जोर दिया है, यह सही है। यहाँ दूसरा तर्क उस धारणा के विरोध में है।) राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इसी कारण विद्रोह का कोई केन्द्रीय संगठन नहीं था, कोई सामान्य योजना नहीं थी। बख्त ख़ाँ, नानासाहब, झांसी की रानी, कुँवरसिंह आदि अपने प्रदेशों की छोटी सीमाओं में बन्द रहे। (यहाँ तथ्यों की जानकारी का नितान्त अभाव स्पष्ट है।) विद्रोह के विभिन्न केन्द्रों और नेताओं के बीच सम्पर्क नहीं था। जैसे ही अंग्रेजी राज खत्म होता दिखाई देता था, वैसे ही विद्रोही नेताओं की आपसी फूट में अंग्रेज-विरोधी संयुक्त मोर्चा कमजोर पड़ जाता था। (लेखक ने भारतीय नेताओं के आपसी सम्पर्क को कम करके आंका है, उनके मतभेद को बढ़ा-बढ़ाकर दिखाया है। सारी लड़ाई में अनुशासनबद्ध फौज की भूमिका न समझने के कारण उसने इस तरह की बातें लिखी हैं।)

भौगोलिक दृष्टि से विद्रोह-क्षेत्र सारे देश का छोटा भाग ही था और आवादी के दसवें भाग से कम ने उसमें हिस्सा लिया। स्वयं भारतीयों की सहायता के बिना उसका दमन न किया जा सकता था। (ये सारे तथ्य वे हैं जो सुरेन्द्रनाथ सेन, रमेशचन्द्र मजूमदार आदि की पुस्तकों में मिलते हैं। जो स्वाधीनता-आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया, उसके संकुचित होने, पूरी तरह राष्ट्रीय न होने के बारे में अंग्रेज जो तर्क दिया करते थे, उन्हें याद कीजिए। वे कहते थे : मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बहुसंख्यक मुसलमान उक्त आंदोलन से अलग हैं, अम्बेदेकर के नेतृत्व में अछूत उससे अलग हैं, बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपने-अपने नेतृत्व में और सामूहिक रूप से भी उससे अलग हैं। बहुत-से क्षेत्रों में कांग्रेसी आंदोलन किसी रूप में नहीं था। राष्ट्रीय एकता के एकमात्र विधायक बचे अंग्रेज। कोई भी क्रांति पूरे देश को सौ फीसदी समेटकर नहीं होती, उसमें जनता के आगे बड़े हुए हिस्से भाग लेते हैं। जनता के अन्य स्तर क्रमशः उसमें खिचकर आते हैं।)

ब्रिटेन और भारत की समाज-व्यवस्था के बारे में खल्लून् की राय है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और भारत में वही पिछड़ा हुआ पुराना समाज था। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों को पूरी तरह बदल दिया। (आशय यह है कि औद्योगिक क्रांति ने कम्पनी राज्य के समय के सम्बन्ध बदल दिये। वास्तव में राजसक्ति के बिना केवल अर्थसक्ति के बल पर अंग्रेज इन सम्बन्धों को पूरी तरह न बदल सके थे।) ब्रिटिश उद्योग-धन्धों के प्रसार से भारत के पुरानेपंथी धन्धे नष्ट हो गए। अंग्रेजी माल की बिक्री के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन गया जो उसे कच्चा माल भेजता था। (यह मूलतः वहीं स्थापना है जो रजनी पाम दत्त की पुस्तक में विद्यमान है।) भारत में उत्पादन के साधनों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन न हुआ था। पुरानी समाज-व्यवस्था के मंग होने से विद्रोह फूट पड़ा था। (आशय यह है कि वास्तविक क्रांति तब होती है जब उत्पादन के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। पुरानी व्यवस्था टूटने से जो विद्रोह होगा, वह वास्तव में प्रतिक्रियावादी संघर्ष होगा।) इंग्लैण्ड भारतीय इतिहास को बदलने का उपकरण बना और उसने भारत में सामाजिक क्रांति की। (अपनी इमी समझ के अनुसार खल्लून् ने सामन्तों की भूमिका का मूल्यांकन किया है।)

अवध के नवाबी शासन में ताल्लुकदार निरंकुश शासकों के समान जनता को लूटते और मारते थे। अंग्रेजी राज्य में अवध के मिला लिये जाने से इन्हीं ताल्लुकदारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। सिपाहियों ने बहादुरशाह को मन्नाद मान लिया। इससे पंजाब के सिक्ख सरदारों और राजपूत राजाओं के मन में शंका उत्पन्न हुई। नानासाहब को महत्व का पद मिलने से हैदराबाद के निज़ाम को शंका हुई। राजपूत रियासतों की प्रजा और वहाँ के राजाओं, दोनों को डर था कि विद्रोही जीत गए तो मुगल और मराठे दोनों उन्हें लूटेंगे। (इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख राजा-प्रजा की शान्तिपूर्वक रहने की सुविधा केवल अंग्रेजी राज में थी।) पंजाब के सिक्ख सरदार डरते थे कि मुगल प्रमुखता कायम होने पर उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। जो सिक्ख राजा अंग्रेजों से हार चुके थे, उन्हें याद था कि पुरविया सिपाहियों ने उन्हें हराया था। अब वे उस हार का बदला लेने को तैयार थे। (पुरवियों ने हराया तो उनसे तो हार का बदला लेना था, अंग्रेजों ने हराया तो उनसे सहयोग करना था!) सिक्ख जनता को डर था कि विद्रोही जीत गए तो मुसलमान उनका धार्मिक उत्पीड़न शुरू कर देंगे; उन्हें गुरु तेगबहादुर की सहादत याद थी। जान लारेन्स ने उनकी भावनाओं का सही अनुमान करके यह अफवाह फैलायी कि जो भी किसी सरदार को मारेगा या उसका सिर लेकर दिल्ली जाएगा, बहादुरशाह उसे इनाम देगा। विद्रोह के दौरान कुल मिलाकर पंजाब ने अंग्रेजों की मदद की। पंजाब के मुसलमान भी सिपाहियों में डरते थे। अंग्रेजों ने सिक्खों के उत्पीड़न से उनकी रक्षा की थी। भारत के दूसरे हिस्सों में अंग्रेजों ने मुसलमानों को तबाह किया था किन्तु पंजाब में उन्होंने उनकी रक्षा की थी। (यह सब पढ़कर आँखों पर विश्वास नहीं होता कि पुस्तक में यह सब छपा है किन्तु कांग्रेस-लीग एकता के नाम पर जिस तरह का आंदोलन जाशी नेतृत्व ने चलाया था, इतिहास की यह व्याख्या उसी के अनुरूप थी।)

(खल्लू के लेख का सकारात्मक पक्ष यह है कि उन्होंने सन् '५७ की लड़ाई में जनता की भूमिका को उभारा है, सामन्तों की कमजोरी दिखालाई है और बहुत ज़्यादा जनता को ज़मींदारों और महाजनों के खिलाफ लड़ते हुए बताया है।) अंग्रेजों ने जो नई भूमि-व्यवस्था लागू की, उससे आम जनता अपने पुराने अधिकार खो बैठी। इसी कारण सिपाहियों की बगावत के साथ या उससे पहले शहर और देहात की जनता ने बगावत की। लोगों ने सरकारी रिकार्ड नष्ट कर दिये और बनियाँ के वहीखाते बर्बाद कर दिये। अंग्रेजों ने जो कर-व्यवस्था लागू की थी, उसी की यह प्रतिज्ञा थी। अंग्रेजी राज की कृपा से महाजनों ने जिन्हें तबाह कर दिया था, उन्होंने महाजनों से बदला लिया। सम्पत्तिशाली वर्गों ने विद्रोह के प्रति विश्वासघात किया। नये-पुराने ज़मींदार, महाजन, सरकारी चाकर या तो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे या तटस्थ बने हुए थे। "जिस समय विदेशी और सामन्ती दासता से मुक्त होने के लिए भारतीय किमान् जिन्दगी और मौन की लड़ाई लड़ रहे थे, उम समय वे सब लोग अंग्रेजों की रक्षक के रूप में देव्य रहे थे।" इस प्रकार लड़ाई शुरू में पुरानी अव्यवस्था को फिर से कायम करने के उद्देश्य में आरम्भ हुई थी किन्तु विद्रोह का सारमा विदेशी साम्राज्यवाद और देशी ज़मींदारी-

प्रथा के खिलाफ किसान-युद्ध के रूप में हुआ। (खल्दून ने किसानों की सामन्त-विरोधी लड़ाई को उभारा है, यह तो उन्होंने उचित किया है किन्तु उन्होंने उसे बहुत सीधा-सादा वर्ग-युद्ध बना दिया है। मुख्य बात यह है कि स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों में अनेक वर्गों के लोग थे और उसके नेताओं ने बराबर कोशिश की कि अंग्रेजों के विरुद्ध यह विशाल मोर्चा कायम हो। यह स्वाभाविक है कि इन विभिन्न वर्गों में सबसे ज्यादा जीवट से लड़ने वाले छोटे सामन्त और किसान थे। सामन्तों के एक अंश की भूमिका सकारात्मक थी, यह न भूलना चाहिए। इनमें जो ढुलमुल थे, सिपाहियों ने उनका ढुलमुलपन रोका। जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, उनका विरोध किया। खल्दून ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह लड़ाई केवल सिपाही-विद्रोह नहीं थी। इस प्रयत्न में उन्होंने फौज की भूमिका को कम करके आंका है और अपने निबन्ध में परस्पर विरोधी बातें कही हैं। विद्रोह के सगठन के बारे में उन्होंने लिखा हैः) महीने-दो-महीने के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर सिपाहियों ने विद्रोह किया। गंगा और जमुना के बीच की भूमि में विद्रोहियों ने संघर्ष का सगठन किया, इससे उनकी सगठन-क्षमता का पता चलता है। (फिर अपनी यह बात काटते हुए आगे लिखा है) अच्छा सगठन न होने के कारण ऐसा विद्रोह सफल न हो सकता था। विद्रोह के नेताओं में हर तरह के लोग थे, जायदाद खो चुकने वाले ज़मींदार, तवाह कारीगर, मुफलिस किसान, असंतुष्ट सिपाही, कट्टर मजहबी नेता; और स्वाधीन भारत के बारे में इन सबके अलग-अलग विचार थे। नेताओं ने दिल्ली में जो कोर्ट कायम किया, वह एक बड़ी ग्राम-पंचायत के समान था। उन्हें अपनी राजनीतिक विरामत से यही चीज सुलभ थी। यद्यपि इस कोर्ट के लोग चुने गए थे, फिर भी अगर विद्रोही जीत जाते तो नये राज्य में फिर वही बादशाही चलती।

(बादशाही परम्परा को इतना शक्तिशाली दिखाने के बाद आगे कहते हैं) जब सामन्तों ने देखा कि लड़ाई का नेतृत्व उनके हाथ से निकला जा रहा है तो वे उससे अलग होने लगे। वहादुरशाह को हिन्द का शहंशाह घोषित किया गया था किन्तु वास्तविक सत्ता कोर्ट के हाथ में थी। वही राज्य का शासन करता था, मालगुजारी वसूल करता था, महाजनों से कर्ज लेता था, युद्ध करने आदि की जिम्मेदारी उसी की थी। कोर्ट में छह आदमी फौज के थे और चार गैरफौजी विभागों के थे। फौजी प्रतिनिधि अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार बहुमत से चुने जाते थे। गैरफौजी सदस्य भी अपने विभागों से चुने जाते थे। बादशाह का सम्मान किया गया था लेकिन वह संवैधानिक बादशाह था। राज्यसत्ता सैनिकों की समिति के हाथ में थी। कोर्ट जो चाहता था, करता था और उसके फैसले पर बादशाह को मुहर लगानी होती थी।

(इस कोर्ट की कार्यवाही से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि फौज ने बादशाह को प्रतीक रूप में स्वीकार किया था, पुरानी बादशाही बहाल करने का प्रश्न न था। खल्दून ने भारतीय सैनिकों की जनतान्त्रिक चेतना को बहुत कम करके आंका है। जहां भी आम जनता क्रांति में भाग लेती है, वह सगठन के ऐसे तरीके निकामती है जो सम्पत्तिशाली वर्गों के जनतन्त्र से भिन्न होते हैं। अपनी पंचायत के बल पर

ही सिपाहियों ने बादशाह को संवैधानिक प्रतीक का दर्जा दिया था और वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखी थी। खल्दून के मन पर पार्लियामेन्ट वाले जनतन्त्र का रोव छाया हुआ है। उन्होंने कोर्ट की आलोचना करते हुए लिखा है : वाशियों ने जो कार्य-पद्धति बनायी थी, वह किसी भी आधुनिक राज्य की पार्लियामेन्ट के कायदों के अनुसार नहीं थी। विद्रोहियों को पार्लियामेन्टरी सरकार का कोई अनुभव न था, कायदे और नियम बनाने का अनुभव और भी नहीं था। ऐसा लगता है कि अपने वर्ग की जनवादी भावना को तुष्ट करने के लिए कोर्ट का निर्माण हुआ था। परम्परा से इस वर्ग का सामाजिक राजनीतिक संगठन पंचायत रही थी।

इस प्रकार खल्दून का चिन्तन रजनी पाम दत्त के बनाए हुए सांचे के भीतर घूमता है। भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है, उसकी तुलना में इंग्लैंड का समाज प्रगतिशील था, दोनों की टक्कर में भारतीय पक्ष की हार अनिवार्य थी, यह भावना लेख में विद्यमान है। अंग्रेजी राज्य की प्रगतिशील भूमिका से अभिभूत होने के कारण वह तथ्यों की सही व्याख्या नहीं कर पाते। वह किसानों की कार्यवाही देखते हैं, एक हद तक सिपाहियों की संगठन-क्षमता भी देखते हैं, किन्तु भारत के लोग अंग्रेजी राज खत्म करने के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ें थे, यह बात वह स्वीकार नहीं करते।

(ख) कुंवर मुहम्मद अशरफ

दूसरा लेख इतिहास के विद्वान् कुंवर मुहम्मद अशरफ का है। इसमें उन्होंने बताया है कि मुसलमानों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर पुनरुत्थानवाद का गहरा असर था। पुनरुत्थानवादियों में बहावी लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे और उन्होंने समूचे उत्तर भारत में अपने केन्द्र कायम कर रखे थे। बहावियों ने मुस्लिम जनता को अंग्रेजों के राजनीतिक अत्याचार से ही मुक्त होने की प्रेरणा नहीं दी बल्कि मुस्लिम उत्पीड़कों तथा भारतीय निहित स्वार्थों के आर्थिक शोषण से भी मुक्त होने की प्रेरणा दी। डा. अशरफ का कहना है कि बहावी नेता बहुत पहले समझ चुके थे कि सामन्ती राज्यसत्ता को बदलना जरूरी है। टीपू सुलतान ने बेकार लोगों की आजीविका की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। (यह स्पष्ट नहीं है कि यह बहावियों का प्रभाव था या फ्रांस की राज्यक्रांति का या टीपू के अपने मन की उपज थी।) बंगाल में एक दल ने जमींदारों की भूमि पर अधिकार करने का कार्यक्रम भी बनाया था। बहुत खून ने नमक और शक्कर पर से टैक्स हटा लिया था और दिल्ली में खलीरेवाजी को जुर्म करार दिया था। लखनऊ में ऐसी ही नीति मौलवी अहमदुल्ला की थी। दिल्ली में बागी सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हर सिपाही को पांच बीघा लगानमुक्त जमीन देने का वादा किया था। बहादुरशाह को गद्दी पर बैठाना मुस्लिम पुनरुत्थानवादियों को बहुत अच्छा लगा होगा। वे एक मजबूत केन्द्र-बद्ध राज्य का सपना देखते आए थे। इमाम और बादशाह की भूमिका तैमूर का वंशज निवाहे, इमाम अच्छा और क्या होगा? बहादुरशाह गाजी, इमाम, मुरसिद और फोर थे, शापर तो वह थे ही। हिन्दू राजाओं से उन्होंने कहा कि सन्तान न होने पर वह किसी को गोद ले सकेंगे,

जमींदारों से कहा कि फसल बन्दोबस्त खत्म किया जायेगा और मासगुजारी में काफी कमी की जाएगी, व्यापारियों से कहा कि अंग्रेजों का इजारा खत्म किया जाएगा, सरकारी नौकरों से कहा कि उनकी तनखाह बढ़ा दी जाएगी, सिपाहियों से कहा कि उनकी तनखाह द्रुगुनी कर दी जाएगी !

फौजाबाद के मौलवी के बारे में डाक्टर अशरफ ने लिखा है कि वह सही-सही वहाबी न थे पर टीपू सुल्तान की तरह यह पुनरुत्थानवादी थे और वहाबियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अथ में सुल्तानपुर के योद्धा बख्त खाँ दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के नेता थे और वह कट्टर वहाबी थे। वह अपने साथ वहाबी संगठनकर्ताओं का गिरोह दिल्ली लाए थे और उनकी कार्यवाही के कारण फौज का मनोबल ऊँचा रहा। बख्त खाँ के घेरे में हर सिपाही ने आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ने की प्रतिज्ञा की थी। बख्त खाँ और वहाबियों की देखरेख में दिल्ली सरकार ने जनतान्त्रिक नीति अपनायी। बख्त खाँ के आने में शाहजहाँ का रोबदाब कम हो गया; और उन्होंने ऐसी रणनीति अपनायी कि अंग्रेज उमका जवाब न दे सके।

डाक्टर अशरफ ने धार्मिक पक्ष पर बहुत जोर दिया है और इस पक्ष में वहाबियों की भूमिका बहुत बढ़ा-बढ़ाकर दिखायी है। सन् '५७ की लड़ाई में बहुत तरह के लोग शामिल थे, उनमें एक दल वहाबियों का भी था। मुसलमानों में अनेक तरह के लोग थे; उनमें अजोमुल्ला जैसे स्वाधीन विचारों के लोग भी थे। बख्त खाँ दिल्ली सरकार के नेता नहीं थे। उनको दिल्ली पहुँचने से पहले वहाँ जो सैनिक समिति बनी थी, वास्तविक सत्ता उसके हाथ में थी। इस समिति ने बख्त खाँ को बहुत बड़ा शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित करते देखकर उनकी आत्मीयता भी की थी। यह समिति पलटनों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी थी; चुनाव का आधार सैनिक अनुभव और राजनीतिक सूझबूझ थी, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं। डाक्टर अशरफ ने उन लोगों का उचित खण्डन किया है जो सामन्तों को लड़ाई का नेता कहते हैं। किन्तु सामन्तों की जगह उन्होंने पुनरुत्थानवादियों को बिठा दिया है और उन्हें इतना प्रगतिशील सिद्ध किया है कि उनमें और मावसंबादियों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता। मुस्लिम पुनरुत्थानवादी इस्लामी राज्य कायम करना चाहते थे। दिल्ली या लखनऊ की सरकारों को किसी भी अर्थ में इस्लामी या धार्मिक नहीं कहा जा सकता। डाक्टर अशरफ ने फौज की राजनीतिक भूमिका कम करके आँकी है। उन्होंने सिपाहियों की राजनीतिक कमेटियों की बात कही है। संघर्ष चलाने वाली वास्तविक संस्थाएँ यही थीं। बहादुरशाह की भूमिका नगण्य थी, यह बात वह स्वीकार करते हैं। जो लोग तैमूर के वंशज के दिल्ली की गद्दी पर बैठने में प्रसन्न थे, वे कभी न चाहते थे कि वह वंशज सिपाहियों के हाथ की कठपुतली बना रहे। डाक्टर अशरफ मानते हैं कि आम जनता ने विद्रोह में आगे बढ़कर भाग लिया पर उन्होंने यह नहीं बताया कि किसानों के संघर्ष में वहाबियों की भूमिका क्या थी। उनके विवरण से ऐसा लगता है कि वहाबियों की कार्यवाही कुछ बड़े शहरों तक सीमित थी; वे पुनरुत्थानवादी थे, इसलिए सम्प्रदाय विशेष के लोगों में ही काम करते थे। किसानों

के संघर्ष की विशेषता यह थी कि हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों ने मिलकर उसमें भाग लिया था। यह बात उन छोटे-बड़े सामन्तों के बारे में भी कही जा सकती है जो अंग्रेजों से लड़े थे। दरअसल हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता १८५७ की लड़ाई का सबसे शानदार पक्ष है। यह एकता मुस्लिम पुनरुत्थानवाद के आधार पर कायम न हुई थी। एक बात और। दिल्ली सरकार ने जो भी जनतांत्रिक कदम उठाये हों, वह सामन्तों के बटोरे हुए धन का उपयोग युद्ध के लिए करने में असफल रही। डाक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने 'स्वतन्त्र दिल्ली' (१९५७) पुस्तक में लिखा है: "सेना के लिए केवल जीवनयापन ही कठिन न था अपितु मोर्चा पर भी भोजन न मिलता था। पहली अगस्त को बरत खाँके कार्यालय से बादशाह को एक पत्र प्राप्त हुआ कि कल से २०,००० सेना बर्षा की अधिकता तथा भोजन के अभाव के कारण कष्ट उठा रही है। अतः कीतवाल शहर को आदेश दे दिया जाय कि बुझी पुल के दूसरी ओर के शिविर में १०० मन मुने हुए चने भेज दिये जाए, अन्यथा सेना के उपवास का यह दूसरा दिन है।" (पृ. ८६)

सामन्तों की धनदौलत अंग्रेजों ने लूटी पर सामन्तों ने उसका उपयोग सिपाहियों के लिए भोजन जुटाने के लिए न किया। सिपाही भूखे रहे, चने चबाकर लड़े, इसका कारण उनकी राजनीतिक चेतना थी। डा. अशरफ ने लिखा है कि आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ थी; केवल अंग्रेजों के बनाये हुए नये जमींदार उनके साथ थे और उनके साथ बड़े शहरों के बुद्धिजीवी थे जिनका भाग्य अंग्रेजों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ था। यह बात सही है। इसमें इतना जोड़ देना चाहिए कि काफ़ी बुद्धिजीवी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और उनमें ऐसे लोग थे जो आधुनिक शिक्षा पाये हुए थे। डाक्टर अशरफ के दृष्टिकोण पर उस समय की कम्युनिस्ट नीति का प्रभाव है जिस समय कांग्रेस-लीग एकता के नाम पर मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कही जाती थी। उस समय की राजनीति के अवरोध इतिहास के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करते रहे।

(ग) विनय घोष

एक लेख बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग पर विनय घोष का है। उनका कहना है कि १८५७ के विद्रोह के प्रति बंगाल का यह वर्ग उदासीन था। इसका कारण यह बताया है कि अंग्रेज शासक जब तक इस वर्ग के हित में काम करते रहे, तब तक यह वर्ग उनके प्रति वफादार रहा। उसका अपना दृष्टिकोण था और वह उसी के अनुरूप शासकों को परखता था। मध्यवर्ग के शिक्षित जनों में जो राजनीतिक चेतना विकसित हो रही थी, उससे वे अपनी भूमिका के प्रति सचेत थे। विनय घोष ने लिखा है, "मध्यवर्ग के युग का आविर्भाव यूरुप में हो रहा था, उनके शासकों के देश इंग्लैण्ड में भी हो रहा था, और उसकी पताका पर लिखा था: स्वाधीनता, समानता और भाईचारा। राममोहन के दिनों से बंगाल का शिक्षित मध्यवर्ग यूरुप और अमरीका में अपने सहचरों की हर जीत पर खुलेआम खुशी मना रहा था।"

यूरुप में जिन मध्यवर्ग का अभ्युदय हो रहा था, वह सामन्तों और श्रेष्ठ जनता के बीच का पूँजीपति वर्ग था। मार्क्स और एंगेल्स ने इसी अर्थ में मध्यवर्ग का

प्रयोग कम्युनिस्ट घोषणापत्र में किया था। भारत का मध्यवर्ग अंग्रेजी शासन द्वारा प्रशिक्षित जमींदारों और किसानों के बीच का वाबू वर्ग था। दोनों में गुणात्मक अन्तर था। विनय घोष का तात्पर्य यही है, यह बात ऊपर वाले अंश के बाद उनके एक वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। लिखा है, "पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में जब महान् रिफॉर्म बिल इंग्लैंड के हाउस आफ कॉमन्स में पेश किये गये और औद्योगिक क्रान्ति के बाद सामाजिक सुधारों की एक शृंखला के बाद अंग्रेजी मध्यवर्ग ने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, तब बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग ने 'जय स्वाधीनता जय' का नारा लगाकर उस समाचार का स्वागत किया।" रिफॉर्म बिलों ने जिम मध्यवर्ग को सत्ता में साझेदार बनने का अवसर मिला था, वह पूंजीपति वर्ग था। ये बिल इसीलिए महान् कहे जा सकते हैं कि उद्योगपति आंशिक रूप से राज्यसत्ता पर हावी होने में सफल हुए। स्पष्ट है कि औद्योगिक देश इंग्लैंड के पूंजीपति वर्ग और पराधीन भारत के वाबू वर्ग के बीच बहुत बड़ा फासला था। बंगाल में एक अन्य वर्ग भी था जो अंग्रेजी राज का प्रबल समर्थक था। यह वर्ग जमींदारों का था। अन्य प्रदेशों में भी जमींदार और सामन्त कुल मिलाकर अंग्रेजी राज के समर्थक थे। बंगाल की विशेषता यह थी कि नवशिक्षित मध्यवर्ग जमींदार वर्ग के दृष्टिकोण में प्रभावित था और सन् '५७ की लड़ाई के प्रति उसी की भावना का प्रतिनिधि बन गया था।

बंगाल के बुद्धिजीवियों में किम तरह की विचारधारा फैल रही थी, इसे बताने के लिए लेखक ने ४ जून १८५७ के 'हिन्दू पेट्रियट' पत्र का एक अंग उद्धृत किया है। उममें बताया गया है कि बंगाली लोग फौजों का नेतृत्व करके कीर्ति-लाभ करने का स्वप्न नहीं देखते। वे गैरफौजी काम करते हैं और उसी में सफल होते हैं। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वे दूरदर्शिता और गहराई से विचार करते हैं। "उन्हें आशा है कि वे अंग्रेज जनता की सद्बुद्धि और न्यायपरायणता को अपनी कानूनी और संवैधानिक अपीलों से आदोलित करेंगे। इस जनता के प्रतिनिधि प्रभूतासम्पन्न परिपक्व अथवा पालियामेण्ट में बैठे हैं। इस प्रकार बंगाली लोग अपने विदेशी शासकों के साथ समानता के स्तर तक पहुँचेंगे और उनके साथ एशिया के सबसे बड़े और सबसे दृढ़तापूर्वक स्थापित साम्राज्य का शासन करने के दायित्व और गौरव में सहभागी होंगे।"

में समझता हूँ कि समस्त बंगालियों की यह आकांक्षा नहीं थी, ममस्त बंगाली मध्यवर्ग या शिक्षितजनों की भी यह आकांक्षा नहीं थी। यह उन थोड़े से चाटुकारों की आकांक्षा थी जो अंग्रेजी राज में बंगाली जनता की तवाही भूल गये थे, जो सपना देख रहे थे कि भारत में शासक वर्ग के साथ वे भी उसका अंग बन जाएंगे। विनय घोष ने १८५३ का दुर्भिक्ष देखा था। उसकी स्मृति से बंगाल के पुराने दुर्भिक्ष उन्हें पुनः याद आने चाहिए थे। उनके मन में वह याद उभरती तो वे १८५७ में अंग्रेजों के सहायकों, जमींदारों और वाबुओं को दूसरी निगाह से देखते। पर उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी शासन में जो नया मध्यवर्ग निर्मित हुआ

वह इस मध्यवर्ग का प्रतिनिधि मानना था। इस कारण सामन्त पक्ष का समर्थन करना वह उचित न समझता था और उसने १८५७ के विद्रोहियों की स्पष्ट निंदा की।

उल्लेखनीय है कि जब कांग्रेस का जन्म हुआ, तब उसके सदस्य भी कानूनी अपीलें करके अंग्रेजों की सद्वृद्धि जगाना चाहते थे और उनके साथ देश के शासन में साझेदार बनना चाहते थे। उनके लिए भी सन् '५७ की लड़ाई प्रगतिशील अंग्रेजी राज के खिलाफ प्रतिक्रियावादी सामन्तों की लड़ाई थी। जैसे-जैसे कांग्रेस का रूप बदलता गया, जैसे-जैसे कानूनी अपीलों से सन्तुष्ट न होकर कांग्रेस कानून तोड़ने की ओर बढ़ी, वैसे-वैसे सन् '५७ की लड़ाई का महत्व भी उजागर होता गया। लेकिन १९५७ तक सुरेन्द्रनाथ सेन के लिए सन् '५७ की लड़ाई फिर वैसे ही अवांछित घटना बन गयी थी जैसी वह १८५७ में 'हिन्दू पेद्रियट' के लिए थी।

(घ) पूरनचन्द जोशी

जोशी द्वारा सम्पादित सकलन में सबसे बड़ा लेख उन्हीं का है। अन्य लेखकों के, विशेष रूप से इतिहासकारों के, उद्धरण उसमें काफी हैं। इस लेख की विशेषता यह है कि इसमें दो परस्पर विरोधी स्थापनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। एक स्थापना यह है कि सन् '५७ का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था; दूसरी स्थापना यह है कि अंग्रेज उद्योगपति प्रगतिशील थे, भारत की पुरानी समाज-व्यवस्था टूट रही थी और इसलिए विद्रोहियों की पराजय अनिवार्य थी। एक मान्यता यह है कि औद्योगिक पूंजीवाद के मुकाबले सामन्तवाद पराजित होगा ही; दूसरी स्थापना यह है कि रूसी सामन्तवाद ने नैपोलियन की सेना को परास्त कर दिया (अतः पूंजीवाद के सामने सामन्तवाद की पराजय अनिवार्य नहीं है।) एक स्थापना यह है कि भारतीय समाज गतिरुद्ध था, वह ग्रामसमाजों, सामन्ती राज्यों में विभाजित था; दूसरी स्थापना यह है कि यहाँ व्यापारिक पूंजीवाद का विकास हो रहा था और अंग्रेजों ने इसे नष्ट किया। जोशी ने यह लेख १९५७ में लिखा था जब १८५७ के गौरव गीत गाने में सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे से होंड़ कर रहे थे। मार्क्सवादियों की ओर से इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए कोई संगठित प्रयत्न न किया गया था। यह कमी पूरनचन्द जोशी ने पूरी की। इसके साथ ही दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके बाद कुल मिलाकर उनकी जो राजनीति रही थी, उससे वह पुरानी स्थापनाओं की सीमाएँ लाँघने में असमर्थ थे। कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में अनेक बार परस्पर भिन्न मत वाले गुटों की टक्कर हुई। इनमें एकता स्थापित करने का एक तरीका यह था कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाय कि उसमें दोनों गुटों को अपने मतलब की बात मिल जाए। इस कार्य में जोशी ने तथा कुछ अन्य नेताओं ने भी यथेष्ट कौशल का परिचय दिया था। वैसे ही कौशल १८५७ पर उनके इस निबन्ध में है।

निबन्ध-सकलन का नाम उन्होंने 'रिवेलियन १८५७' रखा है। अपने निबन्ध का शीर्षक '१८५७ इन अवर हिस्ट्री' रखा है। इन नामों के द्वारा वह इस संक्षेप से बचना चाहते हैं कि यह लड़ाई स्वाधीनता-संग्राम थी या नहीं। सुरेन्द्रनाथ सेन

ने भी अपनी पुस्तक का नाम 'एट्रीन फ़िफ़्टी मेविन' रखा था। इसके विपरीत तीन साल बाद मास्को में भारत-सम्बन्धी मार्क्स के लेखों का जो संकलन १९६० में प्रकाशित हुआ, उसका नाम अंग्रेजी अनुवाद में 'दि फ़र्स्ट वार ऑव इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स' रखा गया। जोशी के संकलन में भिन्न मतों का समर्थन करने वाले लेख हैं; इसलिए 'रिवेलियन' नाम का औचित्य हो सकता है। किन्तु जोशी के अपने लेख में विद्रोह या स्वाधीनता संग्राम का उल्लेख किये बिना केवल १८५७ का होना अकारण नहीं है।

निबन्ध के आरम्भ में उन्होंने बताया है कि हमारे राष्ट्रीय विकास में १८५७ का राष्ट्रीय विद्रोह ऐतिहासिक मार्गचिह्न है। भारतीय देशभक्त इसे आधुनिक स्वाधीनता-आन्दोलन की नींव मानते हैं। उन्होंने मार्क्स के एक लेख का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने लिखा था, "धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे तथ्य सामने आते जायेंगे जिनसे स्वयं जान बुल [अर्थात् इंग्लैण्ड] को विश्वास हो जाएगा कि जिसे वह फौजी बगावत समझे थे, वह दरअसल राष्ट्रीय विद्रोह था।" यह लेख उस समय भारत में सुलभ न था। मास्को में उसकी फोटोकॉपी मँगाकर उसका हवाला देना जोशी का थोड़ा शोधकार्य है। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय भावना के कारण हमारे पुरखों ने फिरंगी हुकूमत को गैर और बुरा समझकर उससे नफरत की। जान की बाजी लगाकर १८५७-५८ के क्रांतिकारी संघर्ष में वे फिरंगी सैतान से लड़े, यह राष्ट्रीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी। उस समय की राष्ट्रीय चेतना की यह सीमा थी कि हमारे विद्रोही पुरखों ने मुगल बादशाह, मराठा पेशवा और अवध के नवाब को नेता बनाया पर इससे यह समझना बिल्कुल गलत होगा कि वे पिछड़े हुए या प्रतिक्रियावादी थे। उस समय के विचार और धारणाएँ नहीं थी जिनका प्रसार बीसवीं सदी के स्वाधीनता-आंदोलन में हुआ। भारतीय फूट से अंग्रेज क्यों लाभ उठा सके, इस सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने लिखा है कि किसान अंग्रेज-विरोधी थे किन्तु उनकी निगाह अपने गांव तक सीमित थी; जिस राजा की रियासत में रहते थे, उसकी गतिविधि के अलावा उन्हें राजनीति का ज्ञान न था। "देश का राजनीतिक विचारधारात्मक नेतृत्व अभी सामन्ती शासकवर्ग के हाथ में था। इस वर्ग में अंग्रेज-विरोधी भावना थी पर एक सामन्त को अपने दूसरे प्रतिद्वन्दी सामन्त से और भी अधिक भय था। यह एक ह्रासमान वर्ग था। उसकी इतिहास-सम्बन्धी स्मृति में फूट और धरेलू लड़ाइयों का सामन्ती अतीत ही था। सयुक्त स्वाधीन भारत का स्वप्न उसे दिखाई न दे सकता था। उन दिनों देश-प्रेम का मतलब था परम्परागत शासक द्वारा शासित अपने प्रदेश का प्रेम। भारत हम सब लोगों का सामान्य देश है, यह धारणा अभी पैदा न हुई थी। न केवल सामन्ती ऐतिहासिक स्मृतियाँ आड़े आती थीं वरन् उसके लिए [अर्थात् देशप्रेम के लिए] रेल, तार, सामान्य शिक्षा-व्यवस्था आदि के रूप में अभी भौतिक आधार निर्मित न हुआ था; उसकी सुहृद्-आत्त भर हुई थी। भारतीय मातृभूमि की धारणा का विकास बाद में हुआ और १८५७ के महान् अनुभव में उसके विकास में सहायता मिली।" इस प्रकार राष्ट्रीय विद्रोह में राष्ट्र-प्रेम का अभाव था। इसमें भाग लेने वाले किसान थे

जिन्हे राजनीति की जानकारी न थी। अपने छोटे-छोटे देहाती दायरों के बाहर उनकी निगाह पहुँचती न थी। राजनीतिक मत्तत्व सामन्तों के हाथ में था जो फूट और आपसी लड़ाई के अलावा राष्ट्रीय एकता का स्वप्न भी न देख सकते थे। और भी गहराई से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए जोशी मानते हैं कि उसके भौतिक आधारों का निर्माण अभी शुरू ही हुआ था। भौतिक आधार थे रेल, तार और सामान्य शिक्षा-व्यवस्था। इन भौतिक आधारों का निर्माण कौन कर रहा था? अंग्रेज। वस्तुगत रूप से जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वे राष्ट्रीय एकता के भौतिक आधारों के निर्माताओं से लड़ रहे थे, फूट और अलग-अलग के पक्ष में लड़ रहे थे। इस पर भी जोशी सन् '५७ की लड़ाई को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, तो इसे उनकी अप्रत्याशित उदारता ही मानना चाहिए।

पहले की लड़ाइयाँ अलग-अलग प्रदेशों के लिए हुईं पर १८५७ में जनता की अभूतपूर्व एकता देखी गयी। जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, वह विशाल था और उसके प्रति सहानुभूति और भी व्यापक थी। जोशी आगे कहते हैं कि अनेक क्षेत्र इसमें शामिल न हुए और जनता के कुछ अंश अंग्रेजों का समर्थन भी करते रहे। नेपाल के युद्ध में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानी फौज से काम लिया था। राणा जंग बहादुर की गुरखा फौज ने अवध का दमन करने में अंग्रेजों की मदद की। सिक्खों को भी अपना मुगल-विरोधा इतिहास याद था। अंग्रेज उन्हें अपनी फौज में भरती करने में सफल हुए। मराठे राजा आपसी प्रतिद्वन्द्विता के अलावा उत्तर में मुगलों और दक्षिण में निजाम से अपनी लड़ाइयाँ भूले न थे। राजस्थान के राजा पहले मुगल, फिर मराठा प्रभुत्व के मातहत रह चुके थे, अब अंग्रेजी प्रभुत्व के मातहत थे। (इन राजाओं की इतिहास-सम्बन्धी स्मृति में केवल मुगल-मराठा-प्रभुत्व जागता रहा, ताजे ब्रिटिश प्रभुत्व की याद सो गयी।) पुरानी फूट के सामन्ती अतीत की ऐतिहासिक स्मृतियों ने देश के बड़े-बड़े भागों की जनता को पंगु बना दिया। अपने सामन्ती वर्ग-हित से प्रेरित होकर देशी राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की। भारतवासियों को भारतवासियों के विरुद्ध इस्तेमाल करके अंग्रेज विजय प्राप्त कर सके।

ये सब तर्क उन लोगों के हैं जो १८५७ को स्वाधीनता संग्राम कहना अनुचित मानते हैं। ऐसा लगता है कि भारत की पराजय का मुख्य कारण सामन्ती व्यवस्था थी। यूरप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और पुरानी समाज-व्यवस्था टूट रही थी। ऐतिहासिक विकास में उत्पादन के सम्बन्धों की भूमिका निर्णायक मानी जाए तो कहना होगा कि पिछड़े होने के कारण भारत की पराजय अनिवार्य थी। फ्रांसीसी पूँजीवाद के प्रतिनिधि नैपोलियन ने जब रुम पर हमला किया, तब वहाँ भी सामन्ती अवशेष कायम थे। जारशाही रुम को प्रतिक्रियावाद का गढ़ माना जाता था। उसकी तुलना में नैपोलियन का फ्रान प्रगतिशील देश था। किन्तु रुम में नैपोलियन की पराजय हुई। इस युद्ध पर तोल्स्तोय ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। गोबियत क्रांति में पहले और उसके बाद जनता इस स्वाधीनता-संग्राम पर गर्व करनी आयी है। गदम में पु... ने उगी निबन्ध में लिखा है, "यह वात नहीं न... ५ में... देशभक्ति

पूर्ण भूमिका नहीं रही। हम सोवियत राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों के रुढ़ि-मुक्त दृष्टिकोण को सराहते हैं, जो उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में नैपोलियन के खिलाफ प्रतिरोध का संगठन करनेवाले रूस के सामन्ती मेनापतियों और नेताओं की देश-भक्ति को गर्व की वस्तु मानते थे। हम पोलैण्ड की जनता के उस संघर्ष को प्रगंसा की दृष्टि से देखते हैं जो उनकी मातृभूमि की मुक्ति के लिए और उसके विभाजन के विरुद्ध सामन्तों के नेतृत्व में चलाया गया था। हम इटली की जनता के जीवट और वीरता वाले संघर्ष की प्रशंसा करते हैं जो मातृभूमि की एकता और स्वाधीनता के लिए चलाया गया था, जिसमें मार्सीनी और गारीवाल्दी जैसे क्रांतिकारी जनवादियों ने ही भाग नहीं लिया वरन् सामन्त फावूर और पिएद-मोन्त के राजा ने भी भाग लिया था। हम दूसरे देशों में सामन्तों की देशभक्ति-पूर्ण भूमिका सराहते हैं किन्तु अपने देश में नहीं !”

वास्तव में यह आश्चर्य की बात है। दूसरे देशों में सामन्त देशभक्त हो सकते हैं, भारत में नहीं। रूस, पोलैण्ड, इटली में सामन्तों ने देशभक्तिपूर्ण भूमिका निवाही, भारत में नहीं। प्रश्न यह है कि देशभक्ति का भौतिक आधार भारत में था या नहीं? नहीं था तो सामन्तों के देशभक्त होने का प्रश्न ही कैसे उठेगा? पर यह भी जानना उचित होगा कि रूस और पोलैण्ड में वहाँ के सामन्तों के लिए रेल, तार आदि के रूप में राष्ट्रीयता का भौतिक आधार था या नहीं। कम से कम रूस में नैपोलियन की पराजय के समय तो यह भौतिक आधार वहाँ नहीं था। तब भारत में ही इस भौतिक आधार का इतना महत्व कैसे बढ़ गया?

जोशी मानते हैं कि १८५७ का विद्रोह अनिवार्य था और उसकी पराजय भी अनिवार्य थी। विद्रोह अनिवार्य इसलिए था कि कम्पनी राज ने भारत की आर्थिक व्यवस्था उलट-मलट दी थी, व्यापार और उद्योग-धन्धे चौपट कर दिये थे। जमींदारों में उनकी जमीन छीन ली गयी, किसान मुफ्त हो गए, कारीगर बेकार हो गए और व्यापारी पूँजीपति बर्ग खत्म कर दिया गया। जिस आर्थिक व्यवस्था का प्रत्येक वर्ग इस तरह तबाह किया गया हो, उससे एक सामाजिक उथल-पुथल पैदा होनी ही थी; यह उथल-पुथल १८५७ का विद्रोह था। इस विद्रोह में एक बात की कैफियत नहीं है; जब आर्थिक व्यवस्था पूरे देश में ध्वस्त हुई, तब विद्रोह हिन्दी प्रदेश में ही सीमित होकर क्यों रह गया। जोशी का विचार है कि पराजय अनिवार्य थी और इतिहास के लिए आवश्यक भी। इसके बिना आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास सम्भव न था। लिखा है, “१८५७ का विद्रोह और उसकी असफलता दोनों बातें ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य थी। किन्तु वह [असफलता] ऐतिहासिक आवश्यकता भी थी क्योंकि उसके बाद वह आधुनिक विकास हुआ (जिसका विश्लेषण आगे करेंगे), जिसमें से भारतीय जनता का आधुनिक राष्ट्रीय स्वाधीनता-आन्दोलन पैदा हुआ और वे नई सामाजिक शक्तियाँ पैदा हुईं जो उस विजय तक ले गयीं।” देखा जाए तो मुरेन्द्रनाथ सेन की स्थापना और जोशी की इस स्थापना में बुनियादी अन्तर नहीं है। पुरानी व्यवस्था के नष्ट हुए बिना आधुनिक विकास सम्भव न था। पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि १८५७ में लड़े। जीत जाते तो पुरानी व्यवस्था कुछ दिन और

चलती, हार गए इसलिए जल्दी नष्ट हुई। सेन का भी कहना है कि विद्रोही जीत जाते तो इतिहास पीछे की ओर लौट चलता, प्रगति करने के बदले देश पुरानी रूढ़ियों की ओर मजबूत करता। जोशी विद्रोही पक्ष को प्रतिक्रियावादी नहीं कहते किन्तु जो पुरानी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी पराजय अनिवार्य है, उन्हें प्रतिक्रियावादी न कहकर क्रांतिकारी किस तरह कहा जाएगा? सन् '५७ की लड़ाई को राष्ट्रीय विद्रोह कहने, विद्रोहियों को क्रांतिकारी कहने, पुरखों पर गर्व करने से मूल बात पर परदा नहीं डाला जा सकता कि ये सब लड़ने वाले लोग पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे, उनकी पराजय अनिवार्य थी, इतिहास के लिए आवश्यक थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही उन सामाजिक शक्तियों का जन्म हो सकता था जिन्होंने भारत को स्वाधीनता की मंजिल तक पहुँचाया।

ये सामाजिक शक्तियाँ कौन-सी हैं, लेख से यह बहुत स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजी राज में आधुनिक उद्योग-धन्यो का विकास हुआ। जोशी कहते हैं कि यह विकास अंग्रेजों के विरोध के बावजूद हुआ। यदि अंग्रेजों के विरोध के बावजूद भारत का औद्योगिक विकास हुआ, तो १८५७-५८ के विद्रोह की असफलता ऐतिहासिक आवश्यकता कैसे हुई? यदि शक्तिशाली अंग्रेजों के विरोध के बावजूद भारत का औद्योगिक विकास सम्भव था तो कमजोर भारतीय सामन्तों के विरोध के बावजूद वह संभव क्यों न था? सामन्त तो अंग्रेजों से कहीं ज्यादा असंगठित और कमजोर थे। औद्योगिक पूँजीपतियों के साथ क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग का जन्म हुआ। जोशी के अनुसार इन दोनों वर्गों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नया जनतांत्रिक रूप दिया और वे ही अंग्रेजों की विरासत औपनिवेशिक पिछड़ापन दूर करेंगे। इस स्थापना में दिलचस्प बात यह है कि उद्योगपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण मानी गयी है। दूसरी बात यह कि स्वाधीनता आंदोलन को जनतांत्रिक रूप देने में किसानों की भूमिका का उल्लेख नहीं है। जोशी ने शिक्षित मध्यवर्ग का जिक्र किया है, जिसके क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निवाही। निबन्ध के अन्त में कहा है, राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करके हमने १८५७ के विद्रोही पुरखों के प्रेतों को शांत कर दिया है, अब भाग्य की बागडोर हमारे हाथ में है और हम उन जातियों को कृतज्ञता का ऋण चुकाने लगे हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हमारी मदद की थी। १९४७ में भारत ने जो स्वाधीनता प्राप्त की, वह एक राष्ट्र की नहीं दो राष्ट्रों की थी, जोशी ने इसका उल्लेख नहीं किया। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ भारत में ब्रिटिश पूँजी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया, इस दूसरी बात का उल्लेख जोशी ने नहीं किया। तब पुरखों के प्रेत कैसे शान्त होंगे?

बैने हं

लिख:

रहा था और विदेशी विजेता हमारी कमजोरियों से लाभ उठा रहे थे। सभी वर्गों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फिरियों के चौरफा हमलों से भारत की

रक्षा कैसे की जाए। इस ऐतिहासिक संदर्भ में परम्परागत धार्मिक-सांस्कृतिक धारणाएँ विदेशी सत्ता के विरोध में विचारधारात्मक संघर्ष का महत्वपूर्ण अंग बनी। अंग्रेज यहाँ के परम्परागत संस्कारों में दखल दे रहे थे और यह काम उन्होंने फौज में शुरू कर दिया था। उन्होंने सिपाहियों को समुद्र-यात्रा करने पर बाध्य किया और “सबसे गम्भीर बात यह कि उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का चलन किया।” चारों तरफ यह संदेह फैला हुआ था कि अंग्रेज सरकार लोगों को ईसाई बनाना चाहती है। जोशी के अनुसार यह संदेह पूरी तरह वाजिव था। १८५७ के पहले से अंग्रेज बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाकर सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का राष्ट्रत्व नष्ट कर रहे थे। भारतीय जनता के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। “इस प्रकार १८५७ के संघर्ष में धर्म की बात ने बड़ी भूमिका निवाही; वह राष्ट्रीय साधनों का हिस्सा थी। आम भारतीय जनता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और वह केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं बरन् अपनी जीवन-पद्धति और राष्ट्रत्व की रक्षा के लिए लड़ रही थी।” और भी—“हमारे विद्रोही पुरखों ने क्रांतिकारी संघर्ष को बढ़ाने के लिए धर्म का उपयोग किया। उन्होंने धर्म द्वारा अपनी बुद्धि को स्तम्भित न हो जाने दिया। इसके बदले उन्होंने धर्म का उपयोग किया कि उन्हें उससे फिरगी से लड़ने की शक्ति मिले।” धर्मसम्बन्धी अनुभाग के अन्त में जोशी ने लिखा है, “१८५७ की ऐतिहासिक परिस्थितियों में संघर्ष का वैचारिक रूप धार्मिक ही हो सकता था। इससे भिन्न किसी और चीज की आशा करना अवैज्ञानिक और अयथार्थ-वादी कार्य होगा।” पुनः इतिहास की भौतिकवादी अनिवार्यता! जोशी की ये बातें सैतालीस साल पहले लिखी सावरकर की पुस्तक में हैं किन्तु सावरकर ने भी चरबी लगे कारतूसों की कथा को महत्वपूर्ण न माना था। स्वधर्म और स्वराज्य की लड़ाई को जोशी ने भौतिकवादी अनिवार्यता का रूप दिया है। एक सवाल यह है कि अंग्रेज सारे भारत में राष्ट्रत्व का नाश कर रहे थे, ईसाई धर्म फैला रहे थे, तब उसकी प्रतिक्रिया बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में क्यों न हुई। दूसरा सवाल यह कि इंग्लैण्ड का उद्योगपति वर्ग सामाजिक विकास में प्रगतिशील भूमिका निवाहने के साथ ईसाई धर्म का प्रचारक कैसे बन गया।

सब कुछ सामन्तों के हाथ में न था, पुरोहितों और मुल्लाओं की शक्ति और भी क्षीण थी। लड़ाई में देशी फौज की भूमिका भी थी। जोशी इस फौज के बारे में कहते हैं कि उसने विद्रोह की शुरुआत की, उसके संचालन और नेतृत्व में उसने सकारात्मक और बड़ी भूमिका निवाही। जोशी मानते हैं कि देशी फौज भारतीय जनता की सबसे संगठित शक्ति थी। ये सिपाही किसान वर्ग के थे और बंगाल आर्मी में ज्यादातर लोग अवध के किसान थे। यह फौज अपने अनुभवसे उस नतीजे पर पहुँची थी कि उसने अब तक अंग्रेजों के लिए भारत जीता है, “अब उसे अंग्रेजी अमल से भारत को आजाद करने के लिए पहल करनी चाहिए। ऐसी फौज भारत के सामन्ती नेताओं का तावेदार पिछलगुजा बनने को तैयार न थी; उसने क्रांतिकारी संघर्ष की गति और विकास पर अपनी छाप लगा दी।” यदि यह बात सही है तो सामन्ती नेतृत्व की बात, धर्म की भूमिका की बात, विद्रोही सेना के नेतृत्व

के अनिवार्यतः हारने की बात कैसे युक्तिसंगत हो सकती है? अनेक सामंत फौज के साथ भिन्नकर लड़े, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे फौज का नेतृत्व कर रहे थे। भले ही सामन्तों की दृष्टि उनके छोटे-बड़े राज्यों तक सीमित रही हो पर फौज यह समझती थी कि उसने भारत नाम का देश अंग्रेजों के लिये जीता है और अब इस देश को अंग्रेजों से आजाद करना है। तब वह आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीय एकता की बात क्यों न सोच सकती थी? देशभक्ति की धारणा के लिये रेल-तार वाले भौतिक आधार का निर्माण ही क्यों जरूरी था? जोशी कहते हैं कि हिन्दुस्तानी फौज मुगल बादशाह को अपनी शर्तें मानने पर बाध्य कर रही थी, यह अकबर या औरंगजेब की फौज नहीं थी, वरन् क्रांतिकारी फौज थी जो सामन्ती शासक वर्ग के साथ नेतृत्व में साझेदार थी और सामन्ती नेतृत्व पर नियन्त्रण रखने के लिए उसे अपनी शर्तें मानने को कहती थी। दिल्ली में उसने जो कोर्ट कायम किया, वह क्रांतिकारी संघर्ष और नई सत्ता का सामूहिक साधन था। तल्मीज खलदून के लेख का हवाला देते हुए जोशी ने बताया है कि इस कोर्ट ने सैनिक कार्य के बारे में ही फ़ैसले नहीं किये वरन् देश की दीवानी हुकूमत के लिए भी कानून बनाए और फरमान जारी किये। १८५७ की विजय से सामन्ती व्यवस्था फिर से कायम न होती। "इसके विपरीत ऊपर वाले सामन्त इतने पस्त हो गए थे, मुगल बादशाह, उनकी प्यारी बेगम, सहजादों की जमात, सब इतने पस्त हो गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों से मुलह करने का फ़ैसला किया और बादशाह ने हज करने की इच्छा जाहिर करके इस बात पर परदा डाला। जहाँ भी विद्रोही सैनिक सक्रिय थे, वहाँ यही हास्य हुआ; सारे देश में देशी सामन्तों को अंग्रेजी छावनी में शरण मिलती दिखाई देती थी, वही उनकी धार्मिक यात्रा का लक्ष्य था।" विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलीजुती लड़ाई चलाने के लिए कुछ सामन्तों से समझौता किया किन्तु उन्होंने संघर्ष की नई और सर्वोच्च संस्था कोर्ट के निर्माण में बड़ी मेहनत की। सर्वधानिक बादशाही के ढाँचे के भीतर उस समय की परिस्थितियों में यह सैनिक-किसान-जनतन्त्र का रूप था। स्वाधीन भारत में देशी राज्यों का संघ बनाया जाएगा। विद्रोह की लपटों से निकला हुआ यह भी एक महत्वपूर्ण विचार था। रानी लक्ष्मीबाई ने शांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद अपने सिपाहियों को कसम खाई, जब तक जियेगे काल्पी हाथ से न जाने देंगे; अपने हाथों हम अपनी आजादी दफनाएंगे। जोशी कहते हैं कि जान की बाखी लगाएँ सिपाहियों को देते हुए रानी ने आजादशाही को नयी बादशाही की बात नहीं की। लखनऊ में सिपाहियों की बात कठपुतली था। दिल्ली की तरह लखनऊ में यह चल रही थी। जहाँ भी विद्रोह था, यह ही है। यह साबित न होता था कि चरेली ओर ने फरमा लड़ाई

दो, उनकी छावनियों के आसपास मँडराते रहो और फिरंगी को दम न लेने दो। जोशी कहते हैं कि लडाई की इस नीति को अमल में लाने का भार आम किसान जनता पर पड़ा। “जिन सभी समकालीन अंग्रेज इतिहासकारों ने रूहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध और बिहार में होने वाली इस लडाई का हाल लिखा है, उन्होंने ऐसे पचासों उदाहरण दिये हैं जिनसे मालूम होता है कि हिन्दुस्तानी किसानों ने बड़ी लगन और बफादारी से विद्रोही हाई कमान के फरमानों पर अमल किया।” जोशी की ये सब बातें सही हैं। इसीलिए सामन्तों के नेतृत्व के बारे में और विद्रोह की अनिवार्य असफलता के बारे में उनकी सारी बातें गलत हैं।

भारत की आर्थिक व्यवस्था के प्रसंग में जोशी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने यहाँ की परम्परागत समाज-व्यवस्था का नाश किया और नई व्यवस्था की ओर उसका जो सहज विकास था, उसे भंग किया। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। या तो परम्परागत व्यवस्था बदल न रही थी और इसलिए जैसी वह हजार साल पहले थी, वैसी अंग्रेजी राज्य कायम होने के समय भी थी। इसीलिए वह ‘परम्परागत’ कहलायी। अथवा यह व्यवस्था टूट रही थी और नई व्यवस्था की ओर सहज विकास होने लगा था। उस हालत में वह पुरानी व्यवस्था ज्यों की त्यों कायम न थी। जोशी के अनुसार पुरानी आर्थिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पहलू का सबंध कृषि से है। मार्क्स का हवाला देते हुए लिखा है कि अंग्रेजी सुधारों ने भारतीय कृषि का सारा परम्परागत आधार नष्ट कर दिया; इस कृषि का आधार ग्रामसमाज-व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने सामूहिक सम्पत्ति की जगह व्यक्तिगत भू-सम्पत्ति का चलन किया। जोशी की यह बात मानें तो सवाल उठता है कि सामूहिक भू-सम्पत्ति वाली ग्रामसमाज-व्यवस्था अंग्रेजी राज कायम होने के समय बड़े पैमाने पर विद्यमान थी तो नयी व्यवस्था की ओर वह सहज विकास किस आधार पर हो रहा था जिसे अंग्रेजों ने भंग किया। या तो अपरिवर्तित आधार में अंग्रेजों ने परिवर्तन किया या परिवर्तित होते हुए आधार में उन्होंने बाधा डाली। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सहज विकास की बात व्यापारिक पूँजीपति वर्ग के हवाले से स्पष्ट होती है। रामकृष्ण मुकर्जी का हवाला देते हुए जोशी ने लिखा है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से कारीगरों के साथ स्वाधीन व्यापारिक पूँजीपति वर्ग भी नष्ट हो गया। व्यापारिक पूँजीपति वर्ग का निर्माण हो, और पुराना समाज अचल बना रहे, यह सम्भव नहीं है। १८वीं सदी में यहाँ बड़े-बड़े नगर हैं, वे व्यापार की मण्डियाँ हैं। मुनाफे के लिए जो माल तैयार किया जाता है, वह इन्हीं शहरों में तैयार किया जाता है। वे दस्तकारी उद्योग के केन्द्र भी हैं। इन केन्द्रों में काम करने वाले कारीगर आसपास के गाँवों से ही आते हैं। ये नगर समुद्र में स्थित अलग-थलग द्वीपों की तरह नहीं हैं। देहात से उनका गहरा सम्बन्ध है। उत्पादन के तरीके में यहाँ जो परिवर्तन हो रहा था, उसे छोड़ भी दें, तो भी स्पष्ट है कि व्यापारिक पूँजीवाद की प्रगति उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा बाजार कायम कर रही थी। इस बाजार में जो माल बिकता था, वह मुनाफ़ा कमाने के लिए तैयार किया जाता था। इससे पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और चारों तरफ वर्णव्यवस्था के नाश होने की, कलियुग के आगमन की शिकायत

सुनने को मिलती थी।

स्वाधीन व्यापारिक पूंजीपति वर्ग के अलावा पणिक्कर का हवाला देते जोशी ने दलाल पूंजीपति वर्ग का उल्लेख भी किया है। पणिक्कर के अनुसार सतटवर्ती व्यापार-केन्द्रों में यूरुप के सौदागरों ने अड्डा जमाया, तब एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग का गहरा सम्बन्ध विदेशी सौदागरों था, उनके साथ व्यापार करके वह भारी मुनाफा कमाता था। आगे चलकर चर्च में जैसे दलाल पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ, वैसे ही बंगाल के मारवाड़ी सेठ दलाल थे। पणिक्कर यह कहना नहीं भूले कि यह वर्ग मुस्लिम शासन से घृणा करता और उसके आर्थिक हित विदेशी व्यापारियों के हितों से जुड़े हुए थे। जोशी पणिक्कर की यह स्थापना मान ली है और लिखा है कि कम्पनी के गुमास्तों और वनियों ने १८५७ में अंग्रेजों का साथ दिया।

अंग्रेजी राज कायम होने के समय भारत का बाजार धर्म के आधार पर विभाजित न था। हिन्दू और मुसलमान व्यापारी दोनों ही इस बाजार से सम्बन्धित थे। सेठ अमीचन्द ने नवाबों को कर्ज दिया; वहाँ हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव का सवाल न था। सबसे ज्यादा भेदभाव औरंगजेब के समय में दिखाई दिया कि उस समय भी अधिकांश हिन्दू सामन्त औरंगजेब के साथ थे। व्यापार की प्रवृत्ति में सामन्तवाद बाधक था; सामन्त हिन्दू है या मुसलमान, इससे कोई फर्क पड़ता था। चीन के दलाल पूंजीपतियों का हवाला देते समय वहाँ के स्वाधीन पूंजीपति वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। यह स्वाधीन पूंजीपति वर्ग न होता तो सुनयात सेन वहाँ की पूंजीवादी क्रांति के नेता न होते। कम्पनी के गुमास्तों को 'शक्तिशाली' पूंजीपति वर्ग वही कहेगा जो विदेशी सौदागरों से असम्बद्ध यहाँ व्यापारी वर्ग की भूमिका को अस्वीकार करता है।

एक बात दिलचस्प है कि १८५७ से पहले और बाद को यूरुप के अन्य देशों के बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजी राज्य पर जो कुछ लिखा, उसमें कहीं भी पुरानी व्यवस्था के टूटने, भारतीय पराजय के अनिवार्य होने आदि का उल्लेख नहीं है। उन बुद्धिजीवियों के लिए सीधी बात यह थी कि अंग्रेज भारत को गुलाम बना रहे हैं और भारत के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, तो यह सर्वथा उचित है। जोशी ने अपने निबन्ध-संकलन की भूमिका में चीन समेत अन्य देशों में १८५७ की प्रतिक्रिया पर लेखों के बारे में लिखा है कि परिश्रम से किए हुए शोधकार्य के परिणाम इन निबन्धों में हैं। उनसे पता चलता है कि इन सभी देशों में १८५७ के विद्रोह का स्वागत किया गया, उसे अंग्रेजी गुलामी खत्म करने के लिए भारतीय जनता का राष्ट्रीय विद्रोह माना गया और उसके प्रति जनवादी हलकों में गहरा सहानुभूति प्रकट की गयी। यह दृष्टिकोण उन्नीसवीं सदी में ही नहीं, बीसवीं सदी में भी विद्यमान है। जोशी का दृष्टिकोण उससे भिन्न है।

(३) मार्क्सवाद-लेनिनवाद-संस्थान मार्स्को

भारत में १८५७ के गदर का शताब्दी-समारोह मनाया गया। उसके दो वर्ष बाद मार्स्को से मार्क्स के भारत सम्बन्धी लेख प्रकाशित हुए। इनमें मार्क्स और एंगेल्स

के गदर-सम्बन्धी लेख भी हैं। यह संकलन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा संचालित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-संस्थान की ओर से प्रकाशित हुआ। संकलन का नाम है 'स्वाधीनता का प्रथम भारतीय संग्राम १८५७-१८५९'। सोवियत विद्वान् इस संग्राम की अवधि १८५६ तक मानते हैं, उस हिसाब से शताब्दी पूरी होने पर उन्होंने अपना संकलन प्रकाशित किया। इसमें उक्त संस्थान की ओर से भूमिका प्रकाशित है। उसका साराश नीचे दिया जाता है।

मार्क्स और एंगेल्स ने सर्वहारा वर्ग के मुक्ति-संघर्ष के दृष्टिकोण से भारत और चीन की स्थिति का अध्ययन किया। पूंजीवादी डाकू-नीति के शिकार भारत और चीन थे। दोनों देशों में पितृसत्ताक और सामन्ती सम्बन्ध टूट रहे थे और दोनों देश पूंजीवादी विकास की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। इन देशों में जो परिवर्तन होगा, वह अनिवार्य रूप से यूरोप की क्रांति को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि उन्होंने इतने ध्यान से १८५७ के विद्रोह की गतिविधि का अध्ययन किया। उनका विचार था कि समूचे एशिया में १८५० के दशक में जो पीड़ित जातियों का स्वाधीनता-संग्राम विकसित हो रहा था, यह विद्रोह उसी का अंग था। उन्होंने देखा कि वह यूरोप की क्रांति का सहयोगी है। उस समय संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप के देशों में जो पहला विश्वव्यापी आर्थिक संकट फैल रहा था, उनकी समझ में उसके फलस्वरूप यूरोप में क्रांति होने वाली थी। (सोवियत-विद्वानों ने १८५७ के विद्रोह को विश्वइतिहास से अलग करके उसे अलग-थलग घटना के रूप में न देखकर उसे एशियाव्यापी स्वाधीनता-संग्राम का अंग माना है। यह दृष्टिकोण मार्क्सवाद के अनुरूप है और केवल इस दृष्टिकोण से तत्कालीन भारतीय इतिहास का सही विवेचन सम्भव है। भारत में जिन मार्क्सवादियों ने १८५७ पर लिखा है, उन्होंने इस लड़ाई की व्यापक एशियायी पृष्ठभूमि की ओर ध्यान नहीं दिया। यह संग्राम कितना राष्ट्रीय, कितना प्रतिक्रियावादी है, इस ऊहापोह में फँसे हुए विवेचकों के लिए यह सम्भव ही न था कि वे यूरोप की सम्भावित क्रांति से भी उसका सम्बन्ध जोड़ें।)

मार्क्स के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना हथियार बनाकर अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों में धार्मिक आदि भेदभाव उभारकर और सामन्तों की आपसी लड़ाइयों से लाभ उठाकर यहाँ के प्रदेश हड़प लिये। मार्क्स ने दिखाया है कि भारत की लूट का ढग ब्रिटेन के लगभग तीसरी की आमदनी का मुख्य स्रोत था। इस रूप से उस विशाल, सम्पत्तिशाली और प्राचीन देश की जनता को भयानक निर्धनता का सामना करना पड़ा और भारतीय अर्थतन्त्र की पूरी की पूरी शाखाएं ध्वस्त हो गयीं। मार्क्स ने ध्यान दिया कि अंग्रेज हमलावरों ने भारत की सिचाई-व्यवस्था का नाश किया। दम्भधारी का नाश करके करोड़ों भारतवासियों को भुखमरी का शिकार बनाया। फ़ारस, इंग्लैण्ड में बने हुए कपड़े से होड़ में न ठहर सकते थे। यह कपड़ा भारत के बाजार पर थोपा जा रहा था। अंग्रेजों ने सामूहिक भूगर्भण का नाश किया, गाँव तोड़ा, साथ ही उन्होंने कर-व्यवस्था ऐसी बनाई और उद्योगों में श्रमिकों

दो तरह के बंदोबस्त ऐसे किए कि बहुत से सामन्ती अवगोप कायम रहे। इससे देश का प्रगतिशील विकास धीमा पड़ गया और भारतीय किसान बोज़ से दब गया। असहनीय टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने किसानों पर दोहरा बोज़ डाला, एक अपने राज्य का और दूसरा देशी सामन्तो का। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का अभिन्न अंग किसानों को मारना-पीटना और शारीरिक यन्त्रणा देना था। किन्तु जो भी कर वसूल किया गया, वह जनता के लिए आवश्यक सार्वजनिक कार्यों में नहीं लगाया गया। मार्क्स का निष्कर्ष यह था कि भारत में अंग्रेज हमलावरों की डाकू-नीति और शोषण के बर्बर तरीको ने भारतीय विद्रोह को जन्म दिया।

१९वीं सदी के मध्य में ईस्ट इण्डिया कम्पनी अनेक प्रदेश जीतने के बाद देशी फौज से पुलिस का काम लेना चाहती थी। जिन लोगों पर उसने विजय पाई थी, उन्हें दबाये रखने के लिए फौज की जरूरत थी। मार्क्स ने लिखा कि बीस करोड़ आबादी को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेज दो लाख देशी फौज से काम ले रहे थे। इस देशी फौज के अफसर अंग्रेज थे और उसे काबू रखने के लिए ४० हजार अंग्रेजी सैन्य था। किन्तु अंग्रेजी फौज का निर्माण करके अंग्रेजों ने प्रतिरोध का पहला सामान्य केन्द्र भी स्थापित कर लिया। अंग्रेजों को अपनी फौज का बहुत भरोसा था। एक दिन उन्हें पता चला कि यह फौज ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गयी है। मार्क्स ने बताया है कि विद्रोह की मुख्य प्रेरक शक्ति भारत की जनता थी, अंग्रेजों की असह्य गुलामी के खिलाफ वह लड़ने को तैयार हो गयी थी। अंग्रेजों ने कौशिश की थी कि विद्रोह में आम जनता ने जो भाग लिया था, उस पर परदा डाल दिया जाए। मार्क्स और एंगेल्स ने अंग्रेज शासक वर्ग के झूठे दावे का खण्डन किया; उन्होंने इस आन्दोलन को प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय विद्रोह कहा, उन्होंने इसे अंग्रेजी राज्य के खिलाफ भारतीय जनता की क्रांति कहा। ("The authors described the movement from the first as a national revolt, a revolution of the Indian people against British rule.") उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्रोह में विभिन्न धर्मों और विरादरियों के लोग शामिल हुए, हिन्दू-मुसलमान मिलकर लड़े, ब्राह्मण, राजपूत और कहीं-कहीं सिक्ख भी अंग्रेजों से लड़े। इसके सिवा विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोग विद्रोह में शामिल हुए। यद्यपि ब्रिटिश अखबारों ने विद्रोह में आम जनता के भाग लेने की बात को छिपाने का भरपूर प्रयत्न किया किन्तु मार्क्स ने अपने लेखों में बताया कि भारतीय जनता ने विद्रोह के प्रति सहानुभूति ही नहीं जाहिर की वरन् हर तरह से उसका समर्थन भी किया। मार्क्स ने असदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आम जनता ने, सबसे अधिक किसानों ने, विद्रोह में भाग लिया। मार्क्स ने लिखा कि विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर हुआ और अंग्रेजों को रसद पाने में और फौजों के लिए बाहुन प्राप्त करने में इतनी कठिनाई हुई, उससे साबित है कि भारतीय किसान उनके शत्रु थे। अंग्रेज जबदंस्ती अपने राज्य का प्रसार कर रहे थे; जो स्वाधीन प्रदेश बचे थे, उन्हें अपने राज्य में मिला रहे थे, देशी रियासतों की जमीन हड़प रहे थे; यह भी विद्रोह का तात्कालिक कारण था। जिन प्रदेशों को अंग्रेजी राज में मिलाया गया,

उनकी जनता ने भारी मुसीबतें सही। भारत के सम्पत्तिशाली वर्गों का एक भाग बहुत असंतुष्ट हुआ। अंग्रेजों ने राजाओं के साथ जो इकरारनामे किये थे, उन्होंने उनका पालन न किया। वारिस न हो तो गोद लेने का अधिकार खत्म कर दिया। इससे भारतीय भूस्वामी क्रुद्ध हुए। "विद्रोह के समय अंग्रेज-विरोधी भावना भारतीय पूंजीपति वर्ग में भी फैली हुई थी, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि कलकत्ते में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने युद्ध के लिए ऋण प्राप्त करने की जो योजना चलाई, वह असफल हुई। मार्क्स और एग्ल्स को भारतीय जनता के स्वाधीनता-संग्राम ने पूर्ण सहानुभूति थी। वे आशा करते थे कि विद्रोह में भारतीय जनता विजयी होगी। साथ ही वे जानते थे कि विद्रोह की सफलता इस बात पर निर्भर है कि भारतीय जनता के सभी स्तर, विशेष रूप से दक्षिण और मध्य भारत के लोग, उसकी बहुमुखी सहायता करते हैं या नहीं।" पर अनेक कारणों से ऐसा हुआ नहीं। सामन्ती, साम्प्रदायिक आदि अनेक प्रकार की फूट से और विद्रोह का नेतृत्व करने वाले स्थानीय मामन्तों की दगावजाजी से विद्रोह असफल हुआ। केन्द्रबद्ध नेतृत्व का अभाव भी एक कारण था। यही बात विद्रोही दल के भीतर आंतरिक संघर्ष के बारे में कही जा सकती है। लडाई का अनुभव न होने से, उपयुक्त सैन्य-शक्ति न होने से सफलता की सम्भावना कम हो गयी। फिर भी विद्रोहियों ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद वीरतापूर्वक संघर्ष किया, खास तौर से दिल्ली और लखनऊ में। "यद्यपि वे दिल्ली की रक्षा करने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की पूरी शक्ति प्रदर्शित कर दी और एग्ल्स ने नोट किया कि यह शक्ति नियमित युद्ध में उतना उभरकर सामने नहीं आयी, जितना छापेमार लडाई में सामने आयी।" अनेक लेखों में मार्क्स और एग्ल्स ने 'सम्य' अंग्रेजी फौज की धजियाँ उड़ा दी, पराजित विद्रोहियों से इस फौज ने कैसा पाशविक व्यवहार किया, शहरों और गाँवों को किस तरह लूटा, इसका वर्णन उन्होंने किया है। विद्रोह से औपनिवेशिक व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन न हुआ किन्तु उससे यह प्रकट हो गया कि भारतीय जनता गुलाम बनाने वालों से तीव्र घृणा करती है और उनसे मुक्त होने के लिए वह दृढप्रतिज्ञ है और मुक्त होने की क्षमता भी उसमें है। अंग्रेजों को मजबूरन अपने शासन के कुछ तरीके बदलने पड़े। जिस ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से लोग इतना नाराज थे, उसे उन्होंने खत्म कर दिया।

मार्क्स और एग्ल्स को विश्वास था कि भारतीय जनता औपनिवेशिक दासता से मुक्त होगी। मार्क्स ने लिखा था कि भारत के लोग जब तक विदेशी उत्पीड़न समाप्त न करेंगे और अपने देश के मालिक न बन जाएंगे, तब तक अंग्रेजी राज के फलस्वरूप उत्पादक शक्तियों का जो विकास हुआ है, उससे उनकी स्थिति न सुधरेगी। या तो ब्रिटेन में सर्वहारा क्रांति हो या फिर भारतीय जनता स्वाधीनता-संग्राम में विजय प्राप्त करे। भारतीय जनता ने १८५७-५९ के विद्रोह की शताब्दी का समारोह उस समय आयोजित किया जिस समय भारतीय स्वाधीनता के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी पूरी हुई और लम्बे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करके भारत स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास के मार्ग पर बढ

चला।

यहाँ तक भूमिका का सारांश हुआ। इस भूमिका के अलावा मार्क्स के निबन्धों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियाँ पुस्तक के अन्त में दी हुई हैं। इनमें एक टिप्पणी (संख्या २८) विशेष महत्वपूर्ण है। १८५७-५९ के विद्रोह को “अंग्रेजी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता वाला बड़ा विद्रोह” कहा गया है। आशय यह है कि इस विद्रोह का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना था। इसके बाद बताया गया है कि अंग्रेजों से सन् सत्तावन के पहले भी सशस्त्र संघर्ष हुआ था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण औपनिवेशिक शोषण के पाशविक तरीकों के खिलाफ भारतीय जनता के सभी स्तरों का आक्रोश था। इन तरीकों में वेहिसाव टैक्स का भार जो किसानों की लूट जैसा था, कुछ सामन्तों की रियासतों का अपहरण, कर वसूल करने के लिए शारीरिक यातना और आतंक, जनता की परम्परा और रीति-रिवाज की अवज्ञा शामिल है। इस टिप्पणी में खास बात यह कही गयी है कि विद्रोह की तैयारी १८५६ की गर्मियों में शुरू हुई थी। फिर बताया है कि विद्रोह बगाल सेना की पलटनों में शुरू हुआ जो उत्तरी भारत में स्थित थी। सिपाहियों के हाथ में उस क्षेत्र के सामरिक महत्व के केन्द्र थे, उनके हाथ में काफी तोपें भी थी। “इस कारण वे विद्रोह का सैनिक पक्ष बनी। सिपाही मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत आदि ऊँची हिन्दू बिरादरियों के थे और मुसलमान भी थे। देशी सेना मूलतः भारतीय किसानों का असतोप व्यक्त कर रही थी। साधारण सिपाही किसानों में से ही आए थे। इसके अतिरिक्त देशी सेना उत्तरी भारत, विशेषकर अवध के सामन्तों के एक भाग का असतोप व्यक्त करती थी। इस भाग से सिपाहियों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस लोकविद्रोह का लक्ष्य विदेशी शासन का तख्ता उलट देना था। यह विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों में फैल गया, मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रूहेलखण्ड, मध्य भारत और वृहदेलखण्ड में फैला। विद्रोह की मुख्य प्रेरक शक्ति किसान और गरीब शहरी कारीगर थे किन्तु नेतृत्व सामन्तों के हाथ में था। जब अंग्रेजों ने १८५८ में वादा किया कि सामन्तों की रियासतें बनी रहने दी जाएंगी, तब इनमें लगभग सभी ने विश्वासघात किया।”

मेरी समझ में यहाँ कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। १८५८ की घोषणा से कुछ सामन्त प्रभावित हुए थे किन्तु उससे पहले बहादुरशाह के दूल्हाभुलपन के कारण दिल्लीवाला सामन्त दल विद्रोह से अलग हो चुका था। बहादुरशाह की तुलना में अवध की बेगम ने बड़ी दृढ़ता का परिचय दिया। इसके अतिरिक्त झाँसी की रानी से लेकर अवध में चहलारी के राजा तक अनेक सामन्त अंग्रेजों से बड़ी वीरता से लड़े। आखिर तक नानासाहब अंग्रेजों के हाथ न आए। विद्रोह में अनेक सामन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका थी किन्तु कुल मिलाकर नेतृत्व उनके हाथ में नहीं था। उक्त टिप्पणी में पराजय के कारणों की छानबीन करते हुए सामन्ती फूट, धार्मिक, साम्प्रदायिक भेदभाव का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि विद्रोहियों के पास युद्ध चलाने की सामान्य योजना नहीं थी और केन्द्र-बद्ध नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों ने इस मजसे लाभ उठाया। ये बातें आशिक

रूप में सही हैं। भारत में दो मुख्य सम्प्रदाय हिन्दुओं और मुसलमानों के हैं और इनमें अभूतपूर्व एकता देखी गयी। इसी तरह जाति-विरादरी के विचार से इस लड़ाई में निम्न वर्ण के लोगो ने काफी बड़ी सख्या में भाग लिया। पराजय का वास्तविक कारण यह है कि जिस हिन्दी प्रदेश में लड़ाई हुई, उसे चारों ओर से घेर लेने में अंग्रेज सफल हुए और इस घिराव में उनका साथ भारतीय सामन्तों ने दिया। इन सामन्तों में हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख, तीनों सम्प्रदायों के लोग थे; इन सामन्तों में भारत की अनेक भाषाएँ बोलनेवाले अहिन्दी सामन्त भी थे। टिप्पणी में आगे ठीक कहा गया है कि "विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों को भारत के अधिकांश सामन्तों की सहायता प्राप्त हुई।" यह स्थापना महत्वपूर्ण है। जिस सामन्तीव्यवस्था की रक्षा करने के नाम पर सन् '५७ की लड़ाई का प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, उसके बहुसंख्यक प्रतिनिधि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। वे अंग्रेजों की मदद इसलिए न कर रहे थे कि वे अचानक औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक हो गए थे। सामन्त अंग्रेजों की सहायता इसलिए कर रहे थे कि वे उनको सामन्तीव्यवस्था का रक्षक मानते थे। अहिन्दी क्षेत्रों के बहुसंख्यक सामन्त १८५८ की घोषणा के बहुत पहले से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनमें कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े राज्यों के ही सामन्त नहीं थे, अंग्रेजों के कृपापात्र बंगाल के जमींदार भी थे।

टिप्पणी में कहा गया है कि फौजी दृष्टि से अंग्रेज विद्रोहियों से ज्यादा ताकत-वर थे। यह बात सही है। अंग्रेजों के पास तोपों के अलावा लम्बी मार करनेवाले एनफील्ड रायफल थे; विद्रोहियों के पास तोपें बहुत कम, ज्यादातर छोटी तोपें और पुराने ढंग की टोपीदार बन्दूकें थीं। जहाँ उन्हें एनफील्ड रायफल मिल गये, वहाँ उन्होंने उनका पूरा उपयोग किया। इन्हीं रायफलों के कारतूसों में चरबी लगाने की अफवाह फैली थी। इस अफवाह की परवाह न करके सिपाही बराबर एनफील्ड रायफल हथियाने के फिराक में रहते थे। टिप्पणी का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। समूचे भारत पर और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर इस विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा, उसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप में भारत के अनेक प्रदेश विद्रोह में शामिल न हुए, "पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत में विद्रोह के फैलने को रोकने में अंग्रेज सफल हुए"; फिर भी उसका प्रभाव सारे भारत पर पड़ा, उसने अंग्रेज अधिकारियों को बाध्य किया कि देश की शासनव्यवस्था में सुधार करें। "यह विद्रोह अन्य एशियायी देशों के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से धनिष्ठ रूप में सम्बद्ध था। उसने अंग्रेज उपनिवेशवादियों की स्थिति को कमजोर किया। खासतौर से अफगानिस्तान, ईरान और कुछ अन्य एशियायी देशों के लिए अंग्रेजों ने जो आक्रामक योजनाएं बनायी थी, वे दर्जनों साल के लिए विलम्बित हुईं।"

१९८०-८१ में भारत, ईरान और अफगानिस्तान में अंग्रेजों की वही दुरभिसंधि चल रही है जो १८५७-५८ में चल रही थी। अन्तर यह है कि विभाजित भारत का एक भाग अब अंग्रेजों के लिए सैनिक और राजनीतिक अड्डे का काम दे रहा है। इसके सिवा अंग्रेजों के साथ सहायता के लिए उनके भूतपूर्व उपनिवेशी

अमरीकी भाई भी है। इस प्रसंग में पुस्तक की एक अन्य टिप्पणी (संख्या २७) उल्लेखनीय है। मार्क्स ने एक निबन्ध में १८५६-५७ की अंग्रेज-ईरानी लड़ाई का जिक्र किया था। टिप्पणी में कहा गया था कि १९वीं सदी के मध्य में अंग्रेज जो आक्रामक उपनिवेशी नीति एशिया में चला रहे थे, उसी की एक कड़ी यह लड़ाई थी। ईरान के शासकों ने हेरात पर कब्जा करना चाहा। सामरिक दृष्टि से यह नगर महत्वपूर्ण था और व्यापारिक मार्गों से सम्बद्ध था। उस समय ईरान को रूस का समर्थन हासिल था और अंग्रेज अफगानिस्तान को प्रोत्साहन दे रहे थे। अक्टूबर १८५६ में ईरानी फौजों ने हेरात पर अधिकार किया। इसका बहाना लेकर अंग्रेजों ने हथियारबन्द दखलन्दाजी की। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान और ईरान दोनों पर अधिकार करना था। ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके उन्होंने अपनी फौज हेरात भेजी। “किन्तु इसी समय भारत में १८५७-५९ का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन वाला विद्रोह फूट पड़ा और इससे मजबूर होकर अंग्रेजों को जल्दी में सुलह करनी पड़ी।” मार्च १८५७ में ईरान ने हेरात पर अपना दावा छोड़ दिया और १८६३ में हेरात को अफगानिस्तान के अमीर के राज्य में शामिल कर लिया गया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी अंग्रेजी पूँजीवाद से अलग कोई संस्था नहीं थी, यह बात एक टिप्पणी (संख्या ३) में स्पष्ट की गयी है। १६०० में कायम की जाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी अंग्रेजों की उपनिवेशी नीति का हथियार बनी। अंग्रेज पूँजीपतियों ने कम्पनी के नाम पर भारत देश को जीता। उनका यह काम १९वीं सदी के मध्य में पूरा हुआ। १९वीं सदी में कम्पनी का व्यापार धीरे-धीरे अपना महत्व खोता गया। १८१३ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिससे भारतीय व्यापार पर उसका इजारा खत्म हुआ, केवल चाय और चीनी वाले व्यापार पर उसका इजारा बना रहा। १८३३ में व्यापार सम्बन्धी जो विशेषाधिकार बचे थे, वे भी उसके हाथ से निकल गए। भारत पर शासन करने का जो इजारा कम्पनी के हाथ में था, १८५३ में वह सीमित कर दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर इंग्लैंड की सरकार का नियन्त्रण बढ गया। उसके डायरेक्टरों को भारत में अफसर नियुक्त करने का अधिकार न रहा। १८५८ तक भारत के अंग्रेजी राज पर कम्पनी का नियन्त्रण बना रहा, फिर वह भी खत्म कर दिया गया और भारत सीधे इंग्लैंड की हुकूमत के अधीन हो गया।

एक टिप्पणी (संख्या ५३) स्पेन के सम्बन्ध में है। इसका सीधा सम्बन्ध भारत से नहीं है पर यह भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी विवेचकों के ध्यान देने योग्य है। नैपोलियन पूँजीवादी फ्रांस का प्रतिनिधि था। रूस में सामन्ती अवशेष मजबूत थे। यूरुप में जारशाही रूस को प्रतिक्रियावाद का गढ माना जाता था। नैपोलियन ने इस जारशाही रूस पर हमला किया। युद्ध में वह पराजित हुआ। सोवियत सघ के इतिहासकार जारशाही रूस की विजय को प्रतिक्रियावाद की विजय नहीं मानते। फ्रांसीसी पूँजीवाद की विजय अनिवार्य थी, सामन्ती रूस की पराजय अनिवार्य थी, यह भी वह नहीं मानते। रूस के अलावा नैपोलियन ने स्पेन पर भी हमला किया था। स्पेन में भी सामन्ती अवशेष मजबूत थे। टिप्पणी में

स्पेन के छापेमारो का उल्लेख है। ये छापेमार "१८०८-१४ में फ्रांसीसी हमला-वरो के खिलाफ स्पेन की जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अन्तर्गत गुरिल्ला युद्ध में भाग ले रहे थे। किसानों ने दृढ़ता से विजेताओं का मुकाबला किया; वही छापेमारों की मुख्य प्रेरक शक्ति थे।" जिस तरह सोवियत इतिहासकारों ने रूस के नैपोलियन-विरोधी संग्राम को राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम माना है, उसी तरह उन्होंने नैपोलियन के विरुद्ध स्पेन की जनता के संघर्ष को स्वाधीनता-संग्राम की सजा दी है। यही दृष्टिकोण हिन्दुस्तानी गदर के विश्लेषण में दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि नैपोलियन-विरोधी रूसी लड़ाई में, सामन्ती नेतृत्व के बावजूद, किसानों ने छापेमार लड़ाई चलायी। इसी तरह की लड़ाई स्पेन के किसानों ने चलाई। छापेमार युद्ध १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम का भी महत्वपूर्ण पक्ष है।

सन् सत्तावन सम्बन्धी विवेचन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-संस्थान द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक का महत्व अन्यतम है। पुस्तक की भूमिका और टिप्पणियों में मार्क्स एंगेल्स के लेखों का विवेचन रूढ़िवादी ढंग से नहीं किया गया; मार्क्सवाद का सारस्त्व ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों के सदर्भ में गदर का मूल्याङ्कन किया गया है। पुस्तक की भूमिका में कुछ स्थापनाएं ऐसी हैं जिन पर कुछ विस्तार से विचार करना आवश्यक है। यह कार्य अगले किसी अध्याय में पूरा होगा।

(घ) श्रीपाद अमृत डांगे

१९७५ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जीवन के पचास साल पूरे किये। इस अवसर पर २८ दिसम्बर १९७५ के न्यू ऐज साप्ताहिक में पार्टी के अध्यक्ष डांगे का लेख प्रकाशित हुआ—'भारत और उसकी ऐतिहासिक नियति पर मार्क्स' (Marx on India and her Historical Destiny)। इसमें उन्होंने अंग्रेजी राज कायम होने के बाद जो पुराना सामाजिक ढाँचा टूटा, उसका जिक्र करते हुए लिखा, "इस प्रक्रिया के खिलाफ जो प्रारम्भिक विद्रोह हुआ, उसने १८५७ की लड़ाई का रूप लिया। इसमें सदेह नहीं कि लोग बड़ी बहादुरी से लड़े और अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से बदला लिया। लेकिन इस युद्ध की असफलता अनिवार्य थी। नयी परिस्थिति के लिए कोई सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम न था। केवल बादशाह को फिर गद्दी पर बिठा देने से और पुरानी राज्यसत्ता फिर बहाल कर देने से पतनशील सामन्ती समाज की समस्या का हल होना सम्भव न था, न वे समस्याएँ हल हो सकती थीं जो नयी उत्पादक शक्तियों ने पेश कर दी थीं।"

१८५७ के बाद अर्थात्तन्त्र का विकास किस तरह हुआ, वर्ग-संघर्ष कैसे फूटे, राजनीतिक पार्टियाँ कैसे बनीं, इस सबका विश्लेषण करना डांगे का लक्ष्य नहीं है, यह बताने के बाद उन्होंने विशेष ध्यान दो बातों पर दिया है। पहली यह कि, "देशी रियासतों को खत्म करने की जिस नीति पर अंग्रेज १८५७ में पहले चल रहे थे, वह नीति उन्होंने त्याग दी। यह बात भारत में साम्राज्य-विरोधी, सामन्त-विरोधी, जनवादी क्रांति के विकास के लिए स्पष्ट रूप से हानिकार थी, उस

विकास में बाधक थी, यद्यपि कुछ देशी राजाओं ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलनों और अपनी रियासतों में सामाजिक और औद्योगिक सुधार करने में मदद दी।”

यदि यह बात सही है तो भारतवासियों को अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी शताब्दियों की तन्त्रा मंग की और प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने यहाँ चाहे जितनी लूटमार की हो, चाहे जितने लाख आदमी भूखों मारे हों, यदि जनवादी क्रांति की तैयारी के लिए यह सब अनिवार्य हो तो उसे सहना चाहिए। १८५७ में पहले जो लोग अंग्रेजों में लड़े, उन्होंने गलती की, जो १८५७ में लड़े, उन्होंने भी गलती की। डलहौजी की नीति अंग्रेजी राज का विस्तार करने की थी। यदि इस नीति के फलस्वरूप ही भारत के लोग अपनी राष्ट्रीय एकता पहचान सकते थे तो उसकी नुक्ता-चीनी व्यर्थ है। मार्क्स की रचनाओं के अध्ययन के स्पष्ट ही दो तरीके हैं। बहुत-सी बातों को लेकर लेनिन और त्रात्स्की में मतभेद था। दोनों ही अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए मार्क्स का हवाला देते थे। कुछ वैसा ही भेद मार्क्सवाद-लेनिनवाद संस्थान की ऊपर विवेचित भूमिका तथा डांगे के उक्त लेख में प्रतिपादित विचारों में दिखाई देता है। इस तरह का भेद क्यों उत्पन्न होता है, मार्क्सवादियों के लिए यह समस्या विचारणीय होनी चाहिए।

(छ) मोहित सेन

मोहित सेन की पुस्तक 'इण्डियन रिवोल्यूशन रिच्यू ऐण्ड पर्सपेक्टिव' १९७० में प्रकाशित हुई। इसमें १८५७ की लड़ाई पर क्या लिखा गया था, मुझे मालूम नहीं। मैंने इसका दूसरा संस्करण देखा है जो १९७७ में प्रकाशित हुआ। इसमें पुस्तक का नाम बदलकर 'रिवोल्यूशन इन इण्डिया : पाथ ऐण्ड प्रोब्लेम्स' रखा गया है। इसके चौथे अध्याय में भारतीय क्रांति से सम्बन्धित ऐतिहासिक अनुभव की चर्चा है। इस अध्याय में जोशी के संकलन का उल्लेख है किन्तु डांगे के लेख का हवाला नहीं है। यह शायद इसलिए हो कि मूल पुस्तक १९७० में प्रकाशित हुई थी। किन्तु इसमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद संस्थान की भूमिका का भी जिक्र नहीं है जो १९७० में और उससे पहले यहाँ सुलभ थी। इस अध्याय में मोहित सेन ने बताया है कि भारत में आधुनिक पूँजीवादी सभ्यता के प्रसार को आत्मसात् करने और उसका विरोध करने के साथ भारतीय क्रांति की शुरूआत होती है। पूँजीवादी सभ्यता का प्रसार उपनिवेशवाद के आगमन के साथ हुआ। मोहित सेन के अनुसार यह उपनिवेशवाद का अपेक्षाकृत अल्प अवधिवाला पुनर्जन्मकारी दौर था, यद्यपि यह भी रक्तपात से भरा हुआ था। आशय यह है कि अंग्रेजों का राज कायम होने पर भारत ने बड़ी मुसीबतें उठायीं पर इस समय अंग्रेजी पूँजीवाद पिछड़े हुए देशों में उथल-पुथल मचाकर उन्हें नई जिन्दगी की तरफ ठेल रहा था। बंगाल में जो पुनर्जागरण हुआ, उसके नेताओं के बारे में मोहित सेन ने लिखा है कि उन्होंने अपने धर्म-निरपेक्ष, बुद्धिवादी और मानवतावादी प्रचार से देश की बहुत बड़ी सेवा की पर वे उपनिवेशवाद के विरोधी न थे और आम जनता से उनका गहरा सम्पर्क न था। वे उनकी ऐतिहासिक सीमाएँ थीं।

मोहित सेन ने जिसे मानवतावाद, बुद्धिवाद आदि कहा है, वह एक तरह का मध्यवर्गीय सुधारवाद है जो अंग्रेजी राज का पोषक है। उसने सतीप्रथा का विरोध किया, अनेक विधवाओं को जल-मरने में बचाया, यह उसने अच्छा काम किया। किन्तु अंग्रेजी नीति के फलस्वरूप लाखों आदिमी बगाल में ही भूख से मरे, उनकी अकाल मृत्यु के बारे में यह मानवतावाद चुप रहा। जब मनुष्य जीवित न बचेंगे, तब समाजसुधार किसके लिए होगा? बीसवीं सदी में भी भारत के अनेक

ध्यान खींचते रहे हैं। यही काम बगाल के उक्त पुनर्जागरण ने किया था। मोहित सेन ने ठीक लिखा है कि जब भारतीय किमानों ने फौजी बर्दा पहने हुए १८५७ में स्वाधीनता का पहला संग्राम शुरू किया तब उस जागरण के प्रतिनिधियों ने अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। "फिर भी इससे पहले जो कुछ हुआ था और अग्रे १९१६-२० के उभार तक जो कुछ होने वाला था, उसकी तुलना में यह विद्रोह वास्तविक अर्थ में अधिक क्रांतिकारी था। उसे क्रांति-विरोधी या सामन्ती प्रतिगामिता कहना, जैसा कि ऐम. ऐन. राय और रजनी पाम दत्त से लेकर अब तक कुछ प्रसिद्ध मार्क्सवादियों ने किया है, नितान्त अर्न्ततिहासिक कार्य है। मार्क्स और एग्लस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे भारतीय स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के रूप में पहचाना था और यही उसका वास्तविक स्वरूप था।"

इस प्रसंग में ऐम. ऐन. राय का नाम लेकर मोहित सेन ने प्रशंसनीय कार्य किया है। राय ने त्रास्की का अनुमरण करते हुए मार्क्सवाद की जो व्याख्या की थी, उससे यही परिणाम निकल सकता था कि सन् '५७ की लड़ाई प्रतिक्रिया-वादियों का विद्रोह है। मोहित सेन ने तल्मीज खल्दून के लेख के आधार पर विद्रोहियों के कौट में शासन के आधुनिक सिद्धान्तों की झलक देखकर लिखा है कि जाग्रत और संगठित किसानों में आधुनिक चेतना की किरणें फूट रही थी। उन्होंने ठीक लिखा है कि शहरी बुद्धिजीवी एकमात्र बुद्धिजीवी नहीं थे, और न आधुनिक चेतना उन्हीं में केन्द्रित थी। इसके साथ ही मोहित सेन ने डा. अशरफ का अनुसरण करते हुए वहाबी आंदोलन को विद्रोहियों की विचारधारा का मुख्य स्रोत मान लिया है। तल्मीज खल्दून और जोशी की स्थापनाएँ दोहराते हुए उन्होंने व्यापक कार्यक्रम के अभाव की चर्चा की है और माना है कि सामन्ती नेतृत्व पर विद्रोही बहुत निर्भर थे। इसीलिए फूट, संगठन की कमी, स्थानीयता, छापेमार लड़ाई चलाने में असफलता और सामन्ती विश्वासघात की काट करने में असफलता, ये सब बातें पैदा हुईं। मोहित सेन ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि भारत के अधिकांश सामन्त अंग्रेजों के साथ थे और उनकी सहायता से विद्रोह के मुख्य क्षेत्र को घेर लेने में अंग्रेज सफल हुए। सारे देश में विद्रोह नहीं फैला, इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर न देखना चाहिए, यह मानते हुए मोहित सेन कहते हैं कि किसान अब पुरानपंथी वागी न रह गया था, फिर भी वह ऐसी स्वाधीन सत्ता स्थापित न कर सका और भावी वैकल्पिक व्यवस्था को ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत न कर सका जिससे "पश्चिम का औद्योगिक उपनिवेशवाद ध्वस्त हो

जाता। किसान के पास कोई आधुनिक नेता नहीं था, कोई आधुनिक सहयोगी नहीं था और इस अभाव की पूर्ति आज तक नहीं हुई।" (पृष्ठ ६७-६८)। तत्पर्य यह कि १८५७ में अंग्रेजी पूंजीवाद का मुकाबला करने की शक्ति भारतीय किसानों में नहीं थी और एक तरह से उनकी हार अनिवार्य थी। यहाँ अमरीकी उपनिवेशों के स्वाधीनता-संग्राम का स्मरण किया जा सकता है। अमरीकी उपनिवेशों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। फिर भी इन उपनिवेशों ने इंग्लैंड को हरा दिया। अमरीकी उपनिवेशों के गोरे निवासी दास-प्रथा के प्रबल समर्थक थे। अंग्रेजों ने दासों को आजाद कर देने की आकर्षक योजना का खूब प्रचार किया था। फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। रूस को जार-शाही ने नैपोलियन को हराया, और जारशाही रूस में अर्ध-दासप्रथा का बोल-वाला था। नैपोलियन अर्ध-दासों को मुक्त करने की बात कहता था, फिर भी रूस में हारा।

प्रश्न वैकल्पिक व्यवस्था को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का नहीं था। प्रश्न था अंग्रेजी राज में होनेवाली तबाही को रोकने का। यह तबाही अनिवार्य थी, यह कहना अंग्रेजी राज की प्रगतिशीलता को स्वीकार करना है। साथ ही गदर की स्वाधीनता संग्राम कहना विरोधी स्थापना को अंगीकार करना है। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती।

(ज) सोहनसिंह जोश

डॉ. के. के. उक्त लेख के लगभग दो वर्ष बाद कम्युनिस्ट नेता सोहनसिंह जोश की पुस्तक 'हिन्दुस्तान गदर पार्टी, ए शोर्ट हिस्ट्री' (पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली) १९७७ में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के आरम्भ में भारत के स्वाधीनता-आंदोलन पर गदर के प्रभाव का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा, "१८५७ का राष्ट्रीय विद्रोह, भारतीय जनता का विद्रोह (जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इण्डियन म्यूटिनी कहकर बदनाम किया, हमारे देश के स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में मार्गस्तम्भ था। उसे निर्दयता और बर्बरता से दबाया गया... लोग बहुत दिनों तक दबे रहे पर वे विद्रोह करने वाली फौजों के वीरतापूर्ण कार्य कभी नहीं भूले। हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता, विद्रोह आरम्भ होने से पहले किया गया संगठन, लड़ने वाले विद्रोहियों की दृढ़ता, विश्वासघात की बहुत थोड़ी घटनाएँ, इन सबसे विद्रोहियों की जीवत का पता चलता है, और ज्ञात होता है कि आंदोलन राष्ट्रीय और राजनीतिक था। झाँसी की रानी, कुंवरसिंह और तात्या टोपे जैसे विद्रोह के कुछ नेताओं के नामों से भारतीय जनता अच्छी तरह परिचित हो गयी। बेशक, भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेज शासकों के विरुद्ध इसने जो आक्रोश और पूना का जन्म हुआ, वह बाद की बराबर दहकता रहा।... १८५७ के विद्रोह की पराजय से दोनों पक्षों ने सबक सीखे। अंग्रेज शासक जीत गये थे पर जीत पर खुशी मनाते समय सावधान थे। विद्रोह से उनका राजसिंहासन बुरी तरह हिल उठा था और भारत में अपने भावी शासन के प्रति उन्हें चिन्ता हो गयी थी। यही कारण है कि १८५८ में

रानी ने जो धोपणा की, उसमें मेलमिलाप की बात थी। यही कारण है कि जब भी कोई राजनीतिक आंदोलन उभरता था, वे चौकन्ने हो जाते थे।” अंग्रेज शासकों की सतर्कता की चर्चा करने के बाद सोहनसिंह जोश ने सा, “सारे भारत में गदर विवाद और वार्तालाप का खास विषय बन गया। छड़े हुए इलाकों में भी उन दिनों की प्रचलित बहुत-सी कहानियाँ और अफवाहें गयीं। क्या बड़े क्या छोटे, सभी ने करारा झटका खाया था। गदर से तोहियों के प्रति सहानुभूति जागी और जब वे सफल न हुए तो लोगों को दुःख । स्वतन्त्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं का साकार रूप था गदर। द्दमान नौजवानों में उसने नई चेतना जगायी। राष्ट्रीय भावना की जड़ मजबूत और वह पनपने लगी...कुल मिलाकर १८५७ का विद्रोह भारतीय राजनीति इतिहास की सबसे बड़ी घटना था। उसमें लोगों ने जो वेदव साहस दिखाया, असीम था। हथियारबंद लडाई के जरिये उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़कर दिलेरी राज्यसत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की और जमकर अंग्रेजी फौज का ताबला किया। अंग्रेज शासक इस देश में लोगों पर आमतौर से जो रीब जमाए उसे करारा धक्का लगा। हिन्दुस्तानी फौज पर अंग्रेजों का विश्वास बुरी तरह मगाया। भावी सघर्षों में भारत के राष्ट्रीय जनवादी क्रांतिकारी, प्रेरणा के ए, १८५७ के विद्रोह की ओर देखते थे, वहाँ से साहस और स्फूर्ति पाते थे। स सघर्ष में विद्रोहियों ने जो आत्मवलिदान किया, भारत के नौजवानों के लिए इ ज्वलन्त आदर्श बन गया। भारत के स्वाधीनता-आंदोलन में उसकी भूमिका कम करके देखना अंग्रेजों के झूठे प्रचार का शिकार होना है।” सैनिकों और स्तानों के क्रांतिकारी आन्दोलनों का अध्ययन करने वाले सोहनसिंह जोश का दृष्टिकोण जोशी और डागे के दृष्टिकोण से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण मार्क्सवाद की समझ है जो दो तरह की है। इसकी चर्चा पुस्तक के दूसरे खंड में लगी।

लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू तथा मार्क्सवाद

१. लाला हरदयाल

गदर पार्टी के प्रमुख सिद्धान्तकार और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला हरदयाल ने मार्क्स पर अपना निबन्ध १९१२ में लिखा था। कार्ल मार्क्स : ए माडर्न रिशि नाम का यह निबन्ध कलकत्ते की माडर्न रिश्यू पत्रिका के मार्च १९१२ के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसे पूरनचन्द जोशी और के. दामोदरन् ने मार्क्स कम्स टु इण्डिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। प्रकाशक है मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली। जोशी और दामोदरन् द्वारा सम्पादित यह पुस्तक १९७५ में प्रकाशित हुई थी। इसका हिन्दी अनुवाद वृजमोहन वर्मा ने किया था और उसे राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली ने प्रकाशित किया था। अनुवाद में प्रकाशन का समय नहीं लिखा। अनुवादित पुस्तक का नाम 'क्रान्तिकारी ऋषि कार्ल मार्क्स' है। अनुवाद के साथ जो वक्तव्य प्रकाशित है, उसके साथ लेखक का नाम नहीं दिया गया। सम्भवतः यह बनारसीदास चतुर्वेदी का लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले ही वाक्य में भारत के महान् मेवक दीनबन्धु सी. एफ. ऐण्ड्रूज का उद्धरण है।

वक्तव्य में बताया गया है कि लाला हरदयाल की जीवनधारा को मार्क्स ने 'वेहद प्रभावित किया'। यह बात सही नहीं है। वेहद की जगह वह काफी प्रभावित भी होते तो वह दूसरे ढंग के क्रान्तिकारी होते। वक्तव्य में यह बात अंशतः सही लिखी गई है, "यद्यपि इस सक्षिप्त जीवनी में कार्ल मार्क्स के दर्शन का विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं हुआ है, लेखक का यह उद्देश्य भी न था, तथापि मार्क्स के दर्शन को समझने में इससे काफी हद तक सहायता मिलती है।" वक्तव्य में एक अन्य वाक्य दिलचस्प है। इसमें मार्क्स के लिए कहा गया है कि उन्होंने "एक ऐसी रक्तहीन क्रान्ति का सूत्रपात किया जिससे सत्कारके करोड़ों मनुष्यों की जीवनधारा का प्रवाह बदल गया।" स्वयं लाला हरदयाल रक्तहीन क्रान्ति के समर्थक न थे।

नहीं है जो संसार त्याग कर वन में निवास करते हैं। एक साधना वह भी है जिसमें मनुष्य संसार को सुखी बनाने के लिए जीवन भर परिश्रम करता है। इसीलिए उन्होंने मार्क्स को 'आधुनिक' ऋषि कहा है। इस भाग में उन्होंने भाववादी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की है। जो लोग दुख और गरीबी को मनुष्य की उन्नति का साधन मानते हैं, उनकी उन्होंने खोरदार शब्दों में निन्दा की है। जो दार्शनिक भौतिक संसार से अलग हटकर अपनी कल्पना में आध्यात्मिक संसार रच लेते हैं, उनकी उन्होंने भर्त्सना की है। उनके निबन्ध का यह अंश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहां वह वस्तुतः बुद्धिवाद और भौतिकवाद का पक्ष लेकर भाववाद और अध्यात्मवाद का खण्डन करते दिखाई देते हैं। यह अंश उस समय लिखा गया है जिस समय वेदान्त और अध्यात्मवाद भारत की श्रेष्ठ उपलब्धि माने जा रहे हैं। हरदयाल ने मार्क्स के जिन सिद्धान्तों को अस्वीकार किया है, उनका सम्बन्ध अर्थशास्त्र और इतिहास से है, भौतिकवाद और दर्शनशास्त्र से नहीं।

निबन्ध के दूसरे भाग में उन्होंने मार्क्स की जीवनकथा लिखी है। मार्क्स की इच्छाशक्ति, उनकी कष्टकथा, उनके विकट संघर्ष से वह अभिभूत है। उनके जीवन प्रसंग में उन्होंने उस अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की उपलब्धि की भी चर्चा की है जिसकी स्थापना मार्क्स ने की थी। यह चर्चा भी महत्वपूर्ण है। अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की सारी कार्यवाही मार्क्स के आर्थिक राजनीतिक चिन्तन से अभिन्न रूप में जुड़ी हुई थी। लाला हरदयाल उस चिन्तन का महत्व अस्वीकार करते हैं किन्तु उससे प्रेरित होकर श्रमिक आन्दोलन को जो सफलता मिली, उसे वह उत्साह से स्वीकार करते हैं।

निबन्ध के तीसरे भाग में वह मार्क्स के सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं। मार्क्स की जीवनी निबन्ध का एक तिहाई भाग है, उससे पहले का भाग भारतीय पाठकों के लिए लिखी हुई भूमिका के समान है। अन्तिम अंश में उन्होंने मार्क्स के सिद्धान्तों का विवरण दिया है। यह अंश भी महत्वपूर्ण है, मार्क्सवाद को समझने के लिए नहीं बल्कि लाला हरदयाल को समझने के लिए। वह अपने पुराने क्रान्तिकारी मार्ग से हटकर नये क्रान्तिकारी जनआन्दोलन के संगठनकर्त्ता क्यों नहीं बन पाये, इसकी जानकारी निबन्ध के तीसरे भाग से होगी।

अनेक क्रान्तिकारियों के समान लाला हरदयाल भी भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन से प्रेरित होकर मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए थे। १९१२ में स्वाधीनता आन्दोलन बहुत कुछ असंगठित था किन्तु उसका अभाव नहीं था। देश कैसे स्वाधीन हो, क्या इस काम में मार्क्स की विचारधारा सहायक हो सकती है, ये प्रश्न लाला हरदयाल को मार्क्स की ओर देखने की प्रेरणा देते हैं। निबन्ध के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि भारत का भाग्य मार्क्स के नाम से एक व्यक्तिगत कारण से जुड़ा हुआ है। वह कारण यह है कि फ्रांसीसी पत्रकार जाँ लोगुए भारतीय

अधिकारों और आशाओं के प्रबल समर्थक हैं। वह "पेरिस के अपने ल्यूमानिटे दैनिक पत्र में नये भारत की मांगों का सदा समर्थन करते हैं।" (पृष्ठ ४७)। लोण्गुए कार्ल मार्क्स की बड़ी लडकी के पुत्र थे। ल्यूमानिटे फ्रांस के क्रान्तिकारी श्रमिकों का पत्र रहा है। फ्रांस के क्रान्तिकारी श्रमिक, वहाँ के मार्क्सवादी विचारक भारतीय स्वाधीनता के लक्ष्य का समर्थन करते हैं, यह बात देशभक्त लाला हरदयाल के मर्म को छूती है। कहते हैं कि "तरुण भारत अपने उद्देश्य के प्रति की हुई श्री लोण्गुए की सेवाओं का पूर्ण मूल्य नहीं पहचानता किन्तु समय सबकुछ प्रकट कर देगा। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो जनता के सामने प्रकट न किया जायगा।" (पृष्ठ ४७-४८)। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि वह मार्क्स पर अपना निबन्ध किसी बौद्धिक कुतूहल के कारण लिखने नहीं चले। वह भारतीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष के दौरान उन्हें भाववादी चिन्तन में असन्तोष होता है, इसलिए वह मार्क्स की ओर बढ़ते हैं।

निबन्ध के आरम्भ में वह कहते हैं कि मार्क्स यूरोप के सन्त हैं, श्रद्धि हैं, पाश्चात्य देशों के लाखों स्त्री-पुरुष श्रद्धा में उनका नाम लेते हैं। अपने निबन्ध में वह बताना चाहते हैं कि सन्त होने का अर्थ धार्मिक मूत्र दोहराना और भजन गाना ही नहीं है। धूप में अपने चारों ओर आग जलाकर बैठने से ही तपस्या नहीं होती। उनके निबन्ध में मनुष्य जाति की खुशहाली के विवेचन की ओर हम बढ़ेंगे, हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह निबन्ध बतायेगा कि "ज्ञान की अपनी खोज में हम स्वयं को कणाद और कपिल, शंकराचार्य और रामानुज की रचनाओं तक सीमित न रखें वरन् अपनी सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और राजनीतिक कठिनाइयों में मार्ग-दर्शन के लिए महान् आधुनिक विचारकों की ओर ध्यान दें।" (पृष्ठ ४७)। जिन बौद्धिक और राजनीतिक कठिनाइयों की ओर उन्होंने संकेत किया है, उनमें सबसे पहले और सबसे विकट राजनीतिक पराधीनता की कठिनाई है। इस कठिनाई का समाधान यह है कि अंग्रेजी राज समाप्त किया जाय। इसके लिए राजनीतिक संघर्ष आवश्यक है। किन्तु कुछ ज्ञानी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार दुख का कारण है, यहाँ राजा भी दुखी है प्रजा भी दुखी है, मनुष्य जब तक जीता है तब तक वह पराधीन है, मुक्ति तो माया का फंदा कटने पर मिलेगी। लाला हरदयाल कहते हैं, यूनान, रोम, चीन, ईरान, चाहे जिस प्राचीन देश को लो, समाज के बहुसंख्यक लोग गरीबी में दिन बिताते रहे हैं। "भारत के दार्शनिकों ने इस समस्या पर विचार नहीं किया। वे किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाते रहे और फिर उसी को दोष देने लगे कि वह खेत की फसल और पशुओं जैसे स्थूल भौतिक पदार्थों के मोह में पड़ा है। उन्होंने यह नहीं देखा कि सभी दर्शन अन्ततः खुराक पर निर्भर हैं। हिन्दू दर्शन में जो तीव्र बौद्धिक दृष्टि मिलती है, उसे देखते ऐसी तर्कविरोधी बात हमें आश्चर्य में डालती है। जो दर्शन अर्थशास्त्र का विवेचन नहीं करता, वह उस मीनार की तरह है जिसकी नींव नहीं है। कारण स्पष्ट है कि पैदा होने के बाद आदमी खायेगा और बढ़ा होगा, तब वह मुक्ति, निर्वाण, उद्धार, पूर्णता आदि ऐसे किसी लक्ष्य की बात सोच सकता है जो धर्म में कही गई हो। आधुनिक यूरोप ने यह सत्य पहचाना है और सारा

संसार मावस के प्रति अत्यन्त ऋणी है कि मानव इतिहास में उन्होंने अर्थशास्त्र के दुनियावादी महत्व की ओर ध्यान दिलाया है।" (पृष्ठ ४६-५०)

चिन्तन की कौन सी भूमि से हटकर लाला हरदयाल किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, यह बात ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट हो जाती है। जिनके पास धन है उन्हें दयालु होना चाहिए, दान देना चाहिए, जो निर्धन है, उन्हें सन्न करना चाहिए, जो लोक में नहीं मिला उसे परलोक में मिलने की साधना करनी चाहिए, क्या इस पुरानी शिक्षा से काम न चलेगा ? हरदयाल कहते हैं, प्राचीन-काल में लोगों को गरीबी के गोरखधन्धे से बाहर निकलने का मार्ग न सूझता था। इसलिए वे धनीजनों से कहते थे दान करो, निर्धनों से कहते थे, सन्न करो; इस लोक में तुमने गरीबी का दुख देखा है तो इसका खामियाजा परलोक में पूरा हो जायेगा। ईसा मसीह ने धनी-निर्धन का भेद देखा, कहा कि धनी नरक भोगेगा, निर्धन को ईश्वर अपनायेगा। इससे अधिक वह कुछ न कर सके। "इसके साथ ही प्राचीन दार्शनिकों ने, निष्ठुरतापूर्वक, भूखे रहने और संसार त्यागने का उपदेश दिया। सम्पदा क्षणभंगुर है, उसका वितरण न्याय और समानता से नहीं हो सकता; राजाओं के लोभ और चोरों की चतुराई से उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने यह वीरतापूर्ण उपाय निकाला कि इसकी जड़ ही काट दी। किन्तु व्यवहार में वह अपने उपदेश के अनुसार आचरण न कर सके क्योंकि उनके सिद्धान्त का एक ही तर्कसंगत परिणाम था कि निरपवाद रूप से सभी लोग आत्महत्या कर लें। उन्होंने जोरो से सभी आर्थिक काम-काज की निंदा की किन्तु दूसरों के अर्थ-सम्बन्धी श्रम के सहारे जीते रहे। मैदान से मूर्खतापूर्वक भागने की असम्भव क्रिया को उन्होंने बहुत बड़ी विजय समझ लिया। जो तपस्वी थे, दिन में अन्न का एक दाना खाते थे, उनके लिए भी जरूरी था कि अन्न उपजाने वालों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए जीते रहे और जीते रहने के लिए थोड़ा बहुत अन्न खाते रहें। इस प्रकार प्राचीन संसार रोग का निदान न कर सका और मूर्खतापूर्ण उपाय बताता रहा। भौतिक परिस्थितियों की असमानता की समस्या ने उसे परेशानी में डाल दिया और वह जल्दी में भाग खड़ा हुआ। कुछ ने यह बताने का प्रयास किया कि ये सब बुराइयां पूर्वजन्म का फल हैं। किन्तु आधुनिक संसार इसकी अपेक्षा कुछ कम अस्पष्ट व्याख्या चाहता है। भागने के बदले वह समस्या का सीधा सामना करता है। कोई भी सन्त या दार्शनिक केवल विचारों के सहारे या दैवी कृपा के बल पर जीता नहीं रह सकता। आदमों को खाने को न मिले और वह कमजोर हो, तो वह चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, वह रोग और महामारी से न बचेगा। आध्यात्मिक दर्शन के पैर मिट्टी के बने हैं जैसे कि नेबुचद-नज्जर की स्वर्णमूर्ति के थे। शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताएँ पापी और धर्मात्मा दोनों को समान रूप से परेशान करती हैं। प्रोटीन, कारबोहाइड्रेट और पानी को एक निश्चित मात्रा चौबीस घण्टों में न मिले तो वेदान्त भी पुण्डित और पल्लवित नहीं हो सकता। किन्तु दाल-रोटी से मोक्ष और मुक्ति की बात जोड़ना कैसी घटिया दुनियादारी है ! बड़े शर्म की बात है। लेकिन क्या किया जाये ? जो हकीकत है वह है। मैंने किसी धर्मात्मा या दार्शनिक के बारे में नहीं पढ़ा कि वह

तर्कशास्त्र या हवा के सहारे जीता रहा ही। इस प्रकार गरीबी की चिरन्तन समस्या के पुराने समाधान एकदम नाकाफी और हास्यास्पद थे। अब देखें कि आधुनिक सत्कार इस समस्या से कैसे निपटता है। मानवजाति के ज्ञान-कोप ने इस क्षेत्र से सम्बन्धित कार्ल मार्क्स की जो देन है, हम उसका अध्ययन करें।” (पृष्ठ ५१-५२)

परलोकवाद, भाववाद, पूर्वजन्म और कर्मफल आदि की आलोचना लाला हरदयाल के लिए इसलिए आवश्यक हुई कि इस तरह के विचार भौतिक समस्याओं को भौतिक ढंग से सुलझाने में बाधक होते थे। मार्क्स के सिद्धान्तों का अध्ययन क्यों जरूरी है, यह बताने के लिए उन्होंने आवश्यक समझा कि यह स्पष्ट कर दें कि प्राचीन संसार के दार्शनिक जिस समस्या का समाधान न कर पाये, उसी का समाधान मार्क्स ने प्रस्तुत किया है। यह समस्या सामाजिक विपमता की है, गरीबी की है, पुरानी है और बनी हुई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मार्क्स और लाला हरदयाल के युग में पुराना संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधुनिक काल में औद्योगिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विपमता और भी बढ़ गयी है। उद्योग-धन्यों से सम्पत्ति अर्जित करने में बड़ी प्रगति हुई किन्तु मानवजाति के विशाल भाग को कोई लाभ नहीं हुआ। मार्क्स ने उद्योग-धन्यों से उत्पन्न अपने युग की विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत किया।

लाला हरदयाल कहते हैं कि “खेती की प्रगति से जब खतियों में अनाज भरा था, तब भी मानवजाति गरीबी की समस्या से विचलित थी। वैसे ही अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में जो बड़े मार्कों के आविष्कार हुए, उनसे मनुष्य की उत्पादक शक्ति सौ गुना बढ़ गयी है, प्रकृति अब उसकी दासी के समान है, फिर भी अधिकांश मानवता को खाने के लिए कुछ सूखे टुकड़े हैं और पहनने के लिए चीथड़े। दुनिया में अब इतनी अमीरी है तब जनता गरीब क्यों है? यह समस्या थी जिसे आधुनिक यूरुप के लिए मार्क्स ने हल करना चाहा था। पुराने जमाने के कल्पनालोकवादियों ने कभी सपने में भी न सोचा था कि खेती और उद्योग-धन्यों में ऐसी तरक्की होगी जैसी कि विज्ञान ने कर दिखाई है। फिर आधुनिक यूरुप में गरीबी क्यों रहे? किन्तु मार्क्स के समय में यूरुप की जनता घोर दरिद्रता के दल-दल में फँसी हुई थी और उसकी अब भी हालत वही है क्योंकि मार्क्स का समय हमारे समय से दूर नहीं है। १८१८ में उनका जन्म हुआ था और १८८३ में उनकी मृत्यु हुई थी।” (पृष्ठ ५०)।

पूँजीवाद ने मनुष्य की उत्पादक शक्ति को सौ गुना बढ़ा दिया है, वह अब इतनी सम्पदा अर्जित कर सका है जितनी कल्पनालोक रचनेवालों की सपने में भी दिखाई न दी थी। उत्पादन में पूँजीवादी क्रान्ति का यह सारतत्व है। किन्तु मुफ्त-मरी और मुफलिसी में कमी नहीं हुई, बहुत बड़े पैमाने पर इनमें बढ़ती हुई। एक ओर अथाह धन-सम्पदा, दूसरी ओर वैसी ही बेहिजाब गरीबी, पूँजीवाद ने जो सामाजिक विपमता पैदा की, उसका यह सारतत्व है। मार्क्स ने इस विपमता को दूर करने का उपाय बताया। लाला हरदयाल जिस समय अपना यह निबन्ध लिख रहे थे, उस समय मार्क्स का देहान्त हुए तीस वर्ष भी न हुए थे। स्वभावतः वह

अपने और मार्क्स के बीच बहुत बड़ा फासला नहीं देखते। एंगेल्स का देहान्त हुए और भी कम समय हुआ था, लगभग १७ साल। इसलिए मार्क्स और लाला हरदयाल का युग एक है, मार्क्स पुरानी पीढ़ी के हैं, हरदयाल नयी पीढ़ी के।

गरीबी की समस्या लाला हरदयाल के लिए अर्थशास्त्र की कोई अमूर्त समस्या नहीं है। वह एक जीवन्त समस्या है जिसे उन्होंने अपनी आँखों देखा है, भारत में देखा है, यूरोप में देखा है और अमरीका में देखा है। वह गरीबी का वर्णन करते हैं एक यथार्थवादी प्रत्यक्ष दर्शक के समान। उनके विचारों में चाहे जो उलझन हो, इस बारे में जरा भी सन्देह नहीं है कि उन्हें संसार के गरीबों से गहरी सहानुभूति है। यह सहानुभूति पूर्व और पश्चिम में भेद नहीं करती, उसका आधार अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे की भावना है। उन्होंने अपना निबन्ध भारत के नौजवानों को लक्ष्य करके लिखा है, उनमें क्रान्तिकारी भावना जगाने के उद्देश्य से लिखा है। भारतीय युवकों की अन्तरराष्ट्रीयता की शिक्षा देनेवाले वह प्रथम क्रान्तिकारी विचारक हैं।

भारत के शिक्षित जनो को यूरोप की आम जनता की मुफलिसी का हाल सुनाते हुए कहते हैं कि मुगल बादशाहों ने दिल्ली के महलों की दीवारों पर लिखा दिया था कि वहिश्त कही है तो यही है, और पेरिस और न्यूयार्क की मजदूर-वस्तियों के बीच चलते हुए लाला हरदयाल ने कहा, नरक कही है तो यही है। नौजवानों को लक्ष्य करके कहते हैं, “भारत के नौजवान इस बात का जवाब दें कि ऐंड्रू कारनेगी जैसा एक आदमी तीन करोड़ साठ लाख पाउंड दान कर सकता है किन्तु न्यूयार्क में जो ४४ आदमी अभी कल आकारा होने के अपराध में पकड़े गये थे, उनके पास केवल पांच रुपये की सारी दौलत थी। ऐसा क्यों है कि इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है लेकिन वहाँ की एकतिहाई जनता साल-दर-साल भुत्तमरी में जिन्दगी बिताती है? ऐसा क्यों है कि अंग्रेजी आयात और निर्यात व्यापार बराबर बढ़ता जाता है लेकिन हर साल जाड़े में बहुत से मजदूर अपने बच्चों का गला काट देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है? ऐसा क्यों है कि निठल्ले अमीर विस्का, अल्जीरिया और खारतूम जैसी दूर की जगहों में छुट्टियाँ बिताने जाते हैं किन्तु ठीक खुराक और साफ हवा न मिलने से हज़ारों गरीब तपेदिक से जान गँवाते हैं? ऐसा क्यों है कि इंग्लैंड के विशाल साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता और वह उसकी गन्दी मजदूर-वस्तियों पर भी नहीं डूबता? इन सब सवालियों ने नौजवान मार्क्स के दिमाग को दिन-रात परेशान किया था। उन्होंने तय किया था कि जो गरीबी तमाम रोगों का घर है, जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, उसे भागने वाले यूरोप के मजदूरों का उद्धार करेंगे और इसके लिए वह अपने उज्ज्वल भविष्य और जीवन का भी बलिदान करेंगे।” (पृष्ठ ५०-५१)।

पूँजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था है, इसलिए मार्क्स के सिद्धान्तों का महत्त्व किसी एक देश या महाद्वीप के लिए नहीं है, उनका महत्त्व सारे संसार के लिए है। मजदूरों की चर्चा करते हुए वह उन श्रमिकों को भी याद करते हैं जो “इंग्लैंड या भारत की खानों से तमाम कोयला बाहर निकालते हैं”, वह कहते हैं कि जो मेहनत

सबसे ज्यादा सख्त है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसी के लिए "दुनिया के सभी देशों में सबसे कम पगार दी जाती है।" (पृष्ठ ५१, 'सभी' पर जोर लाला हरदयाल का है)।

लाला हरदयाल ने मार्क्स के जीवन के बारे में जो कुछ लिखा है, वह इस विद्व-
ब्यापी दरिद्रता को ध्यान में रखकर लिखा है। मार्क्स ने अपने जीवन में दरिद्रता
के कष्ट भोगे, उन कष्टों का विचार करके लाला हरदयाल द्रवित होते हैं। मार्क्स
को देशनिकाला मिला। वह फ्रांस आये और उन लोगों से मिले जो कहते थे कि
यूरोप का मजदूर वर्ग साम्यवाद द्वारा गरीबी से मुक्ति पायेगा। राजनीतिक
उदारतावाद काफी नहीं है; उसके कार्यक्रम में किसानों और मजदूरों के धाग के
लिए आर्थिक उपाय भी होने चाहिए। मार्क्स ने तय किया कि वह अर्थशास्त्र और
फ्रांसीसी साम्यवादियों के सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे। (पृष्ठ ५४-५५)। उन्होंने
साम्यवादी संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया, स्वयं कम्युनिस्ट लीग की स्थापना
की और उसके लिए अपना प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र तैयार किया। कोलोन
के एक राजनीतिक सम्मेलन में अमरीकी सोशलिस्ट ऐल्वर्ट व्रिस्वेन ने मार्क्स को
देखा था। हरदयाल ने उसका लिखा वर्णन उद्धृत किया है। मार्क्स उस समय
लगभग ३० साल के थे, शरीर गठा हुआ और नाटा था, सुन्दर चेहरे पर घने काले
बाल थे। उनके हाव-भाव से एक दृढ़ चरित्र व्यक्ति की ऊर्जा और लगन का
आभास मिलता था। पूजा की शक्ति ने मजदूरों को गुलाम बना रखा है, उसके
शोषण और स्वार्थपरता से उन्हें तीव्र घृणा थी।

लंदन में रहते हुए मार्क्स और उनकी पत्नी जेनी को जो दारुण दुख सहने पड़े,
हरदयाल ने उनका वर्णन विस्तार से किया है। उनके मन में मार्क्स के प्रति जितनी
श्रद्धा है, उतनी ही उनकी वीर पत्नी जेनी के प्रति है। वह एग्लेस की मैत्री से
प्रभावित होते हैं। पूजा का पहला खण्ड मार्क्स के जीवनकाल में प्रकाशित हुआ,
उसका दूसरा और तीसरा खण्ड मार्क्स के बाद एग्लेस ने प्रकाशित किया। मार्क्स
के प्रति एग्लेस का लगाव "समाजवाद के इतिहास की एक उज्ज्वलतम घटना है"
(पृष्ठ ६४) और "एग्लेस का नाम उनके महान् मित्र के नाम के साथ अभिन्न रूप
में जुड़ा हुआ है।" (पृष्ठ ६५)।

१८६४ में मार्क्स ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की। इसकी कार्य-
वाही के बारे में लाला हरदयाल ने लिखा है, "इस उल्लेखनीय संघ को यह सौभाग्य
प्राप्त हुआ कि इतिहास में 'इन्टरनेशनल' कहने मात्र से उसका बांध होता था।
यह शब्द फ्रान्स, इटली और स्विट्जरलैंड के जोशीले लोगों के मन पर अब भी
जादू का सा असर करता है। विभिन्न नगरों में उसके वार्षिक सम्मेलन हुए, उसने
कार्यक्रम बनाये और प्रस्ताव पास किये। किन्तु उसका सर्वाधिक मूल्य उसके इस
प्रयत्न में था कि विभिन्न देशों के मजदूर वर्गों को एकजुट करे और उनकी एकता
मुदृढ़ करे। दुनिया के मजदूरों एक दूने, मार्क्स का यह युद्ध-घोष सारे यूरोप में गूँज
उठा था। टाइम्स पत्र ने लिखा था कि 'ईसाई धर्म की स्थापना और प्राचीन सभार
के ध्वंस के बाद से अब तक जैसी यह श्रमिकों की जागृति है, वैसी और कोई दूसरी
चीज दिखाई नहीं दी।' श्रमिक संघ के नेता अनेक सरकारों के उत्पीड़न के शिकार

रूप में प्रस्तुत किया था। 'अर्द्ध सत्य' की व्याख्या करते हुए लाला हरदयाल कहते हैं कि इस धारणा के अनुसार समाज पर विकास के कुछ नियम लागू होते हैं और ये नियम औद्योगिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। इस कारण सामाजिक विकास बहुत कुछ भौतिक विकास से मिलता-जुलता प्रतीत होता है। कुछ नियम उसमें अन्तर्निहित हैं जिनका पता लगाना होगा। समाज में जो प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं और अप्रतिहत रूप से उसे आगे बढ़ाती हैं, उनके अनुकूल हमें काम करना चाहिए। सामाजिक विकास की यह धारणा नियतिवादी है और उसका यह पक्ष हर्बर्ट स्पेन्सर की धारणा से मिलता-जुलता है। लाला हरदयाल स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने उक्त दृष्टिकोण का उल्लेख उससे असहमति जताने के लिए किया है। उस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि समाज परमाणुओं का समवाय नहीं है, मनुष्य यन्त्र नहीं है, सामाजिक विकास निरन्तर घटित होनेवाली प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक विकास का कहीं कोई नियम दिखाई नहीं देता।

तब इतिहास का निर्माण कैसे होता है? लाला हरदयाल कहते हैं कि इतिहास प्राकृतिक परिवेश तथा मनुष्य की इच्छाशक्ति द्वारा निर्मित होकर उनके विचार से मार्क्स और स्पेन्सर के 'यान्त्रिक वैज्ञानिक' विकास की अकार्लाइल का सिद्धान्त सत्य के अधिक निकट है कि सम्यता व्यक्तिगत प्रभावं परिणाम है। मार्क्स ने विकास में सामाजिक चयन की शक्ति स्वीकार की किन्तु उनकी दृष्टि में प्रगति के नियम प्रधान थे, मनुष्य की इच्छाशक्ति गौण। इतिहास की यह व्याख्या भ्रामक है। इतिहास में कोई ऐसा नियम नहीं है। कुछ है वह अनियमित है, महापुरुष उसे नियमित बनाने का प्रयत्न करते हैं।

लाला हरदयाल मार्क्स के उद्देश्य से असहमति प्रकट नहीं करते, असहमति उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मनुष्य की इच्छाशक्ति की भूमिका को लेकर मानव-समाज यन्त्र नहीं है, उसके विकास में मनुष्य के चिन्तन की प्रमुख भूमिका है, यह तर्क इस निबन्ध से सोलह साल पहले मार्क्सवाद के रूसी आलोचक प्रस्तुत कर चुके थे। उनके इस तर्क का खण्डन भी लेनिन ने अपनी प्राथमिक रचनाओं में किया था। लाला हरदयाल ने इच्छाशक्ति पर जो बल दिया है, वह भी मतभेद का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है क्रान्ति में थमिक जनता की भूमिका को लेकर। मार्क्स ने बताया था कि सामाजिक क्रान्ति समाज के वर्ग करते हैं, दो-चार महापुरुष नहीं। कार्लाइल का मत था कि आम जनता मूर्ख होती है, लाला हरदयाल सहमत हैं। यह सहमति उन्हें पुराने क्रान्तिवाद के दायरे में निकलकर जनता का क्रान्तिकारी संगठनकर्ता बनने में रोकती है। उनसे छिपा नहीं है कि यूरप में अभूतपूर्व जागृति हुई है, यह जागृति मजदूरों में हुई है, इन जागृति का एक कारण उनका मगटित होना है। लाला हरदयाल के विचार से मजदूर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मार्क्स के अर्द्ध सत्य सिद्धान्तों की उपयोगिता है। इसका अर्थ यह है कि अनिश्चित मजदूरों को अर्द्ध सत्य बता दो, वे पूर्ण सत्य मान लेंगे। वर्गचैतन्य मजदूर वैज्ञानिक समाजवाद ठीक-ठीक समझ रहे हैं, वे समाज की प्रमुख क्रान्तिकारी शक्ति हैं, अपने संपर्कों और अनुभवों में

वैज्ञानिक समाजवादको और समृद्ध कर सकते हैं, महापुरुष वह है जो पूंजीवाद की वस्तुगत परिस्थितियों में मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी भूमिका पहचानता है, यह सब लाला हरदयाल के लिए कल्पनातीत है।

सामाजिक विकास की कुछ खास मंजिलें हैं, वे सभी देशों में और सभी समाजों में मिलती हैं, वे मंजिलें महापुरुषों की बनायी हुई नहीं हैं, लाला हरदयाल अप्रत्यक्ष रूप से यह तथ्य स्वीकार करते हैं। डार्विन का हवाला देते हैं कि भोजन की कमी के कारण पशुओं में निरन्तर संघर्ष छिड़ा रहता है। इसके बाद कहते हैं, "अपने इतिहास के आदिम युगों में मनुष्य भी ऐसी ही स्थिति में था। उसके भोजन का एकमात्र साधन शिकार था और वह जितना शिकारी था, उतना ही दूसरे का शिकार भी बन जाता था। किन्तु पशुचारण की मंजिल आने पर परिस्थितियाँ बदल गयीं। और जब खेती का चमत्कार हुआ, मनुष्य को एक दाने के बदले हजार दाने मिलने लगे, तब ईसा मसीह के कथित चमत्कार से बहुत पहले मुट्ठीभर अनाज से सैकड़ों आदमियों को भोजन दिया गया। आदमी की गरीबी पुराने जमाने की बात हो गयी। चारों तरफ सुखसम्पदा का राज हो गया। किन्तु भाग्य मनुष्य की आशाओं पर हँस रहा था। क्योंकि हमें अब यह कठिन पहेली सुलझानी है कि खेती का आविष्कार हो जाने पर भी मनुष्य दरिद्रता का दुख क्यों भोगता रहा?" (पृष्ठ ४६)। एक मंजिल है आखेट की, दूसरी मंजिल है पशुचारण की, तीसरी मंजिल है खेती की। इन तीन मंजिलों का स्पष्ट उल्लेख इस बात की स्वीकृति है कि समाज का विकास मनुष्य की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, उसके अपने नियम हैं। खेती के आविष्कार के बाद यदि अधिकांश जनता गरीबी में दिन काटती रही तो यह भाग्य का खेल नहीं है, यह श्रमविभाजन का परिणाम है; इसका कारण सम्पत्ति के साधनों पर, मुख्यतः भूमि पर, वर्ग विशेष का अधिकार है। सामाजिक विकास के नियमों को अस्वीकार करने का अर्थ होगा इतिहास को भाग्य का खेल बना देना। यदि खेती से अन्न की बहुतायत हुई पर अधिकांश जनता उससे लाभ न उठा सकी तो यह भाग्य का खेल हुआ, पूर्व-जन्मों का फल हुआ, अथवा यह भी महापुरुषों का कार्य हुआ। थोड़े से आदमियों ने हजारों को गरीब बनाकर रखा, महापुरुषों के अलावा ऐसा चमत्कार और कौन कर सकता है? ईसाई धर्म में ईसा मसीह के चमत्कारों का वर्णन है, विज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसी तरह मानवइतिहास महापुरुषों की चमत्कार-कथा है, समाज विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता।

माक्स के जिस दूसरे विचार की आलोचना लाला हरदयाल ने की है, उसका सम्बन्ध वर्ग-संघर्ष से है। यहाँ उन्होंने फिर कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र से एक अंश उद्धृत किया है जहाँ माक्स ने प्राचीनकाल के वर्ग-संघर्ष की चर्चा करते हुए बताया है कि वर्तमानकाल में वर्ग-संघर्ष का रूप सरल हो गया है। समाज पूंजी-पतियों और सर्वहारा के दो विरोधी वर्गों में बँटता चला जाता है। लाला हरदयाल की आलोचना यह है कि वर्ग-संघर्ष ऐतिहासिक विकास का एक पक्ष है, माक्स ने उसे सर्वव्यापी नियम बना दिया है। इतिहास में वर्ग हुए हैं, वर्ग-युद्ध हुए हैं, किन्तु यह सब न तो इतिहास का सारतत्व है, न उसकी मूल प्रेरक शक्ति है।

वर्ग-संघर्ष समूचे नाटक का केवल एक भाग है। लाला हरदयाल यह नहीं मानते कि वर्गों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन-रेखा है। उनका कहना है, "सभी युगों में प्रगति की मुख्य प्रेरक शक्ति वर्ग-स्वार्थ नहीं रहा वरन् उच्च आदर्श भावना के आधार पर सामाजिक सहयोग रहा है। स्वयं मार्क्स का त्वर आगे चलकर बदल गया जब उन्होंने इन्टरनैशनल के लिए मध्यवर्ग का सहयोग पाने का प्रयास किया। वर्गों का सिद्धान्त उल्टी मार करने वाला खतरनाक हथियार था क्योंकि बहुत से मजदूर यह तर्क देने लगे कि मार्क्स उनके वर्ग के नहीं हैं, इसलिए उन्हें आन्दोलन से निकाल देना चाहिए। वह बुर्जुआ हैं (मध्यवर्ग के आदमी हैं) ! इस प्रकार गलत सिद्धान्तों का बुरा नतीजा सामने आ जाता है।" (पृष्ठ ६७)।

लाला हरदयाल ने 'मध्यवर्ग' शब्दों का प्रयोग पूंजीपति वर्ग के लिए किया है। मार्क्स ने भी कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में मध्यवर्ग शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ में

रखें तो नतीजा यह निकलेगा कि लाला हरदयाल के अनुसार मार्क्स ने पूंजीपतियों का विरोध छोड़कर उनसे सहयोग करने की नीति अपनाई। यह नीति उन्होंने कहाँ अपनाई? यह नीति उन्होंने इन्टरनैशनल में अपनाई। यह बात निराधार है। आगे चलकर समाजवादियों का जो संगठन दूसरे इन्टरनैशनल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी नीति पूंजीपतियों से सहयोग करने की थी, मार्क्स की यह नीति कभी नहीं रही। लाला हरदयाल समाज में वर्गों का स्पष्ट विभाजन अस्वीकार करते हैं, इतिहास में वर्गसंघर्षों की प्रमुख भूमिका अमान्य करते हैं। तब खेती का आविष्कार होने के बाद भी जो लाखों आदमी दरिद्रता का दुख भोगते रहे, आधुनिक काल में जो मजदूर मुफलिसी में जीवन बिताते रहे, वह क्या आत्म-त्याग की भावना से, सामाजिक विकास के लिए अपने उत्पीड़कों से सहयोग करने के उद्देश्य से? लाला हरदयाल ने पुराने और नये युगों में आम जनता की गरीबी के बारे में जो कुछ लिखा है, वह सब वर्गशोषण का परिणाम है। मार्क्स ने जिस अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की थी, उसके नेताओं को सरकारी उत्पीड़न इसीलिए सहना पड़ा था कि वे पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे। इसी विचार में आगे चलकर उन्होंने अनेक ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनकी वर्ग-सहयोग सम्बन्धी धारणा का खण्डन होता है।

मार्क्स के जिस तीसरे विचार की आलोचना उन्होंने की है, उसका सम्बन्ध अतिरिक्त मूल्य के विश्लेषण से है। उनके अनुसार मार्क्स ने देखा कि पूंजीपति अमीर होता चला जाता है क्योंकि वह मजदूरों को उनकी बनाई हुई वस्तु का पूरा मूल्य नहीं देता। उसे जो मुनाफा होता है, वह अतिरिक्त मूल्य है जो वह मजदूरों से छीनता है। आगे कहते हैं, "इस विचार को परिवर्द्धित करने में मार्क्स ने काफी कौशल का परिचय दिया है और विधुद्ध सिद्धान्त-चर्चा में यह उनके कार्य का सबसे समर्थ भाग प्रतीत होता है। किन्तु इस मूर्खतापूर्ण व्यवस्था के मूर्खतापूर्ण अर्थशास्त्र में मुझे विशेष दिलचस्पी नहीं है। परम्परागत अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मार्क्स के मूल्य-सम्बन्धी विवेचन पर गम्भीर आपत्ति की जा सकती है। इस

बेगिनी-पैर की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मूल्य का कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त ही नहीं सकता। इस विषय पर बहुत विश्वासपूर्वक में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वर्तमान लूट-पाट वाले अर्थतन्त्र के कीचड़ और उसकी गन्दगी में गोता लगाना मुझे पसन्द नहीं है। मैं जानता हूँ कि मजदूरों और किसानों को अपना पसोना वहाने पर मजबूर किया जाता है और इसके लिए उन्हें जो मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं दिया जाता। मैं जानता हूँ कि कारखानेदार और जमींदार इनकी मेहनत के बल पर मोटे होते जाते हैं। मैं जानता हूँ कि उत्पादन का काम स्वार्थी और लोभी पूँजीपतियों के हाथ में छोड़ देने से समाज को भारी हानि सहनी पड़ती है।" (पृष्ठ ६७)।

अर्थशास्त्र का ज्ञान इसीलिए जरूरी है कि कारखानेदारों और जमींदारों के मोटे होने की प्रक्रिया समझ में आ जाए। पूँजीपति लोभी और स्वार्थी हैं, यह बात परम्परागत अर्थशास्त्र भी बता देता है। मार्क्स के क्रान्तिकारी अर्थशास्त्र की विशेषता यह है कि वह पूँजीवादी तन्त्र की सारी प्रक्रिया उद्घाटित करके उसकी जगह साम्यवादी तन्त्र स्थापित करने की तरकीब भी बतलाता है। स्वभावतः रूढ़िवादी अर्थशास्त्र की मार्क्स के अर्थशास्त्र पर गम्भीर आपत्ति होगी। वर्गों का अस्तित्व, वर्गों के संघर्ष का अस्तित्व पुराने अर्थशास्त्र में स्वीकृत है। मार्क्स ने वर्गसंघर्ष समाप्त करने, वर्गहीन समाज रचने का रास्ता दिखाया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त मार्क्स का आविष्कार नहीं है, वह भी पुराने अर्थशास्त्र में है। मार्क्स ने दिखाया कि समस्त पूँजीवादी तन्त्र इस अतिरिक्त मूल्य को हड़पने की प्रक्रिया से परिचालित है। उन्होंने मजदूरों को इस शोषण से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया।

- क्या पूँजीवाद के बाद साम्यवाद आयेगा? साम्यवाद है क्या? लाला हरदयाल दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और उनके इस उत्तर में पहले प्रश्न का भी उत्तर निहित है। उनके अनुसार साम्यवाद का सिद्धान्त बहुत सीधा-सादा है। जमीन पर किसी व्यक्ति, परिवार या गिरोह का अधिकार न होना चाहिए, वरन् उस पर पूरे समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। धरती हमारी माता है। यदि थोड़े से आदमी उस पर अधिकार कर लें तो बाकी जनता रोटी के लिए उनकी गुलामी करेगी। व्यक्तिगत भू-सम्पत्ति से दासता, निर्धनता और सामाजिक संघर्ष का जन्म होता है। साम्यवाद का लक्ष्य है कि भूमि सारे समाज की सम्पत्ति हो, उससे सारे समाज का हित हो। साम्यवाद का दूसरा सिद्धान्त यह है कि व्यक्तिगत पूँजी का खात्मा कर दिया जाए, उसके साथ रुपये-पैसे की शक्ति भी खत्म कर दी जाए। कारखानेदार और सीदागर द्रव्य तन्त्र के कारण धनी होते हैं। लाला हरदयाल कहते हैं, "जितना ही सोचते हैं उतना ही यह विश्वास पक्का होता जाता है कि मानव मस्तिष्क का एक अत्यन्त घातक आविष्कार द्रव्य है। इस हथियार से मनुष्यजाति ने आत्महत्या कर ली है। जिस आदमी ने पहला सिक्का चलाया, उसने मानवजाति से विश्वासघात किया था।" (पृष्ठ ६९)।

लाला हरदयाल ने द्रव्य पर लगभग तीन पृष्ठ लिखे हैं। वह धर्मोपदेशकों का भी हवाला देते हैं। द्रव्य के बिना विनिमय सम्भव न था, विनिमय के आदिम

तरीके, वस्तुओं की अदला-बदली, की जगह सिक्का जरूरी हुआ। विनिमय के इस माध्यम के बिना सामाजिक प्रगति सम्भव न होती। लाला हरदयाल द्रव्य की इस ऐतिहासिक भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहते। किन्तु वह मानते हैं कि साम्यवाद आवश्यक है, प्रगति के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है और मार्क्स का अर्थशास्त्र मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने भूमि और पूँजी में व्यक्तिगत सम्पत्ति को बहुत बड़ा अवगुण कहा है। उत्पादन और वितरण प्रजातंत्र के हाथ में होना चाहिए; राज्यसत्ता उपज को न्याय और समानता के आधार पर बाँटेगी। पूँजीवाद की जगह साम्यवाद कायम होना चाहिए कि नहीं? लाला हरदयाल का उत्तर है, "साम्यवाद मानवजाति की नैतिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। जो धर्मोपदेशक अर्थशास्त्र की अनदेखी करते हैं, वे रेत पर इमारत खड़ी करते हैं। नैतिक जीवन पर आर्थिक व्यवस्था का गहरा असर होता है। और मार्क्स के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने अर्थशास्त्र के सम्बन्ध की व्याख्या की और उसका महत्व बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। फिर आदरोंवादीयों ने उनके सिद्धान्तों की छानबीन शुरू की और उन्हें पता चला कि उनमें सत्य का अंश विद्यमान है। इस प्रकार मार्क्स ने, अर्थशास्त्र के लिए अपने हठ द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप में नीतिशास्त्र की भी सहायता की।" (पृष्ठ ७०)।

इतना तो स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की अनदेखी करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। अर्थशास्त्र का ज्ञान धर्मोपदेशक के लिए जरूरी है, तो वह क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ के लिए और भी जरूरी है। पूँजीवादी व्यवस्था के कीचड़ से घृणा के कारण वह उस व्यवस्था की प्रक्रिया समझने का प्रयत्न नहीं करता तो वह उसे बदल भी नहीं सकता।

अपने निबन्ध के अंत में लाला हरदयाल मार्क्स का महत्व घोषित करते हुए कहते हैं कि बहुत कम महापुरुष स्वयं को जान पाते हैं। इसी प्रकार मार्क्स भी अपना वास्तविक महत्व न जानते थे। स्पष्ट है कि मार्क्स के अनुयायी भी उनका महत्व नहीं जानते। लाला हरदयाल के अनुसार मार्क्स का सबसे बड़ा काम न तो पूँजी ग्रन्थ का प्रकाशन था, न और बहुत सी पुस्तिकाओं की रचना थी, न वे संघ थे जिन्हें मार्क्स ने स्थापित किया और समाप्त किया। मार्क्स की महत्ता का रहस्य बतलाते हुए वह कहते हैं, "मार्क्स ने मानवजाति का उपकार किया क्योंकि आधुनिक यूरुप के वह पहले विचारक थे जिन्हें मजदूर वर्ग में आस्था थी। उनसे पहले समाजवादियों ने कल्पना की थी कि साम्यवाद ऐसा वरदान है जो गरीब अज्ञानी मजदूरों को शिक्षित उदार परोपकारी जनों से प्राप्त होगा। वे समझते थे कि वह कहीं ऊपर से अवतरित होगा। इंग्लैण्ड की फेबियन सोसायटी और क्रिश्चियन सोशलिस्ट संघों में यह धारणा अब भी फैली हुई है। मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सूत्र रना कि मजदूर वर्ग को अपनी मुक्ति अपने ही प्रयत्न से प्राप्त करनी होगी। जिसे आजाद होना है उसे जंजीर पर खुद चोट करनी होगी। उनका आह्वान मजदूरों के हृदय को छूने वाला था, उनमें सोम्ये हुए पुरुषत्व की जमानेवाला था जिसके प्रति वे स्वयं सचेत नहीं थे। 'दुनिया के मजदूरों एक हो।

सोने को तुम्हारे पास जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। पाने को सारी दुनिया है।' साल दर साल बीतते गये, आदमी आये और चले गये लेकिन अज्ञानी और गन्दे मजदूरों पर आस्था रखने वाले उस नेता की जोरदार आवाज़ उन्हें अब भी पुरुषत्व की पूरी ऊँचाई तक उठा ले जाती है। ऐसी अन्तर्दृष्टि केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने किमी उद्देश्य के लिए दुख झेला है। यह अन्तर्दृष्टि कुसियों पर जमे हुए सुधारको और विद्वान् प्रोफेसरों को नहीं मिलती जो अपने अध्ययनकक्ष में आराम से बैठे हुए उपदेश झाड़ा करते हैं।" (पृष्ठ ७१)।

माक्स की इन प्रशंसा में लाला हरदयाल का जोर माक्स के ज्ञान पर नहीं, उनकी भावना पर है। इसमें मन्वेह नहीं कि माक्स अत्यन्त महदय व्यक्ति थे, उन्हें मजदूर वर्ग में और ससार के सभी पीड़ितों से गहरी सहानुभूति थी। उतनी गहरी नहीं, तो उसमें कुछ हल्की सहानुभूति माक्स से पहले के समाजवादियों को भी मजदूरों में थी। वे समझते थे कि उदार और पढ़े-लिखे लोग सहानुभूति से द्रवित होकर मजदूरों को मुक्त करेंगे। माक्स में और इन समाजवादियों में बुनियादी अन्तर है। लाला हरदयाल ने इस अन्तर का उल्लेख किया है। अन्तर का कारण क्या है? अन्तर का कारण माक्स का ज्ञान है, पूजीवादी समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण है, उस प्रक्रिया का उद्घाटन है जिससे मजदूर समाज की क्रान्तिकारी शक्ति बनते हैं। पूजीवाद विश्वव्यापी वर्ग-व्यवस्था है, उससे मुक्ति पाने के लिए श्रमिकों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। माक्स का आह्वान 'दुनिया के मजदूरों एक हो' पूजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण की उपज है। माक्स ने न केवल श्रमिकों को आन्दोलित किया वरन् उनके सामने उस सारी प्रक्रिया की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी जिसके अनुसार वे पूजीवादी राजवसत्ता का ध्वंस करके नये साम्यवादी समाज की रचना करेंगे।

माक्स के नैतिक बड़प्पन के बारे में लाला हरदयाल ने आगे लिखा है, "अठारहवीं सदी में यूरुप की जनता के लिए रूसो ने जो कुछ किया, वही उन्नीसवीं सदी में माक्स और अन्य लोगों ने उसके लिए किया। उनकी अन्तर्दृष्टि से उनकी नैतिक महत्ता उद्घाटित होती है। वह बहुत बड़े विद्वान् थे, धनी लोगों में पैदा हुए और पाले-पोसे गए थे। वह पशुतुल्य मूर्ख श्रमिकों से घृणा कर सकते थे, कल्पना कर सकते थे कि सुसंस्कृत और बुद्धिमान लोग इतिहास और दर्शन की बातें समझते हैं, वे मजदूरों की दशा सुधारेंगे। किन्तु नैतिक दृष्टि से वह विराट पुरुष थे। उन्होंने देखा कि आरामतलव, सम्य शिक्षित वर्ग की तुलना में साधारण लोग हमेशा अच्छी तरह समझ लेते हैं कि प्रेम, समानता और वीरता किसे कहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का आधार प्रेम और लगन है, न कि प्रोफेसरी विद्वत्ता और भाषण कला। माक्स ने पहले दलित और त्याज्य श्रमिकों में महान् आशा का संचार किया, उन्हें एक समर्थ उद्देश्य में प्रेरित किया। इस प्रकार वास्तविक और आधुनिक सामाजिक जनतन्त्र का जन्म हुआ। इस प्रकार गरीबों को मुक्ति-सन्देश मिला।" (पृष्ठ ७२)।

यह सब १९१२ में लिखा गया था। अभी रूसी क्रान्ति न हुई थी। माक्स के विचारों के अनुसार कही क्रान्ति हो सकती है, यह अभी व्यवहार में सिद्ध न हुआ था।

लाला हरदयाल के पूरे लेख में कहीं अंग्रेजी राज्य का उल्लेख नहीं है। यदि होता तो वह निबन्ध मॉडर्न-रिव्यू में छपता भी नहीं। उन्होंने गदर पार्टी के नेता के रूप में अंग्रेजी राज्य की शोषण प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। किन्तु भारत के स्वाधीनता आन्दोलन को सफल बनाने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा आवश्यक है, यह बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। १९१७ में रूसी क्रान्ति हुई, उसने मार्क्स के सिद्धान्तों की व्यावहारिक उपयोगिता प्रमाणित की। उस क्रान्ति के बाद लाला हरदयाल मार्क्सवादी नहीं हो गये पर यह सत्य है कि १९१२ के निबन्ध की तुलना में वह मार्क्सवाद के अधिक निकट आये।

१९३४ में लाला हरदयाल की पुस्तक हिन्दुस फार सेल्फ कल्चर प्रकाशित हुई। इस समय तक जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय हो चुका है, एक महायुद्ध हो चुका है और रूस में संसार की पहली समाजवादी क्रान्ति सफल हो चुकी है। गदर पार्टी समाप्त हो चुकी है और तीसरे इण्टरनेशनल के नाम से साम्यवादी दलों का अन्तर्राष्ट्रीय

अध्याय है जिनमें चार तरह की संस्कृति का वर्णन है। पहली है बौद्धिक संस्कृति। इसमें प्रकृति और समाज से सम्बन्धित विज्ञान की चर्चा है। दूसरी शारीरिक संस्कृति है जिसमें खाने-पीने, व्यायाम आदि की चर्चा है। तीसरी है कलात्मक संस्कृति जिसमें काव्य तथा चित्र, संगीत आदि कलाओं का वर्णन है। चौथी नैतिक संस्कृति है जिसमें व्यक्तिगत नैतिकता, सेवाभाव आदि की चर्चा है। इन चारों अध्यायों में दूसरा अध्याय सबसे छोटा है, राजनीतिक दृष्टि से पहला और चौथा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण हैं। नौजवानों को जो समाज विज्ञान पढ़ने चाहिए, उनमें राजनीति और अर्थशास्त्र शामिल हैं।

मार्क्स वाले (सन् १२ के) निबन्ध में इतिहास के प्रति कार्लाइल का दृष्टिकोण लाला हरदयाल को ठीक लगा था किन्तु यहाँ वह कार्लाइल की धारणा स्वीकार नहीं करते। मानव-इतिहास महापुरुषों की जीवनकथा है, कार्लाइल की इस उक्ति के साथ वह अन्य विद्वानों की उक्तियाँ उद्धृत करके उनकी आलोचना करते हैं। इसमें "अतिशय वीरपूजा के कारण गुमराह हो गये थे।" (पृष्ठ ४८; यहाँ मैं जैको पब्लिशिंग हाउस, बम्बई द्वारा १९६१ में प्रकाशित संस्करण से उद्धरण दे रहा हूँ)। रेंगों का विचार था कि इतिहास का उद्देश्य ही है कि वह प्रतिभाशाली पुरुषों को जन्म दे। इसे वह जनतन्त्र-विरोधी वैहूदा दृष्टिकोण कहते हैं। उनका मत है कि "इतिहास का निर्माण अपने परिवेश में प्रयत्नशील और कार्यरत सभी साधारण स्त्री-पुरुष करते हैं"। ('सभी' पर जोर लाला हरदयाल का है; उप.)। महापुरुषों ने अपने बुद्धिबल से जनता को संगठित किया। संगठन के लिए नेतृत्व चाहिए और "सच्चा नेता उसे समझना चाहिए जो साधारण जनता का प्रतिनिधि हो।" (पृष्ठ ४९)। इस प्रकार इतिहास-निर्माण में साधारण जनता और असाधारण नेता का आपसी सम्बन्ध ज्यादा सही रूप में स्थापित हुआ।

इस साधारण जनता में मजदूर वर्ग की विशेष स्थिति है और मजदूर वर्ग

की लक्ष्य है समाजवाद। मजदूरों का अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। पूजीपति वर्ग राष्ट्रवादी प्रचार के द्वारा मजदूरों को गुमराह करता है। इस सन्दर्भ में तरुण क्रान्तिकारियों को सावधान करते हुए लाला हरदयाल कहते हैं, "समाजवाद की विजय में बहुत बड़ी बाधा राष्ट्रवाद हो सकता है, यह जान लेना चाहिए। राष्ट्रवाद मानव समाज को स्थायी रूप से युद्धरत राष्ट्रों में बाँट देता है और मजदूरों की वर्गचेतना को कमजोर और मुर्दा बना देना चाहता है। इसके विपरीत समाजवाद अस्थायी रूप से मानवता को दो युद्धरत वर्गों में बाँटता है और सर्वहारा की वर्गभावना को जगाना और उत्तेजित करना चाहता है। राष्ट्रवादी राज्यों के युद्ध समाजवादी पार्टियों और संगठनों को बार-बार वैसे ही ध्वस्त कर देगे जैसे कि समुद्र इंग्लैण्ड का तटबन्ध नष्ट कर देता है या भूचाल जापान में मकानों का नाश कर देता है। कामगारों का प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में भाग न लेंगे, भले ही उनसे 'सम्राट् और देश', अथवा 'स्वाधीनता', 'ध्याय', 'सम्मान', 'साम्राज्य', 'धर्म' या 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता' के लिए लड़ने को कहा जाय। ऐसे आह्वानों और तारों के जरिये पूजीपति उन्हें उनके सर्वनाश की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। यदि वे यह सीधी सी सच्चाई नहीं समझते तो वे फिर इसी याग्य है कि हमेशा गुलाम बने रहें। समाजवाद गधों और उल्लुओं के लिए नहीं है, वह बुद्धिमान पुरुषों और स्त्रियों के लिए है।" (पृष्ठ ३६०-३६१)।

मजदूरों में वर्गचेतना नाम की वस्तु है। राष्ट्रवादी प्रभाव से बचने के लिए यह वर्गचेतना आवश्यक है। वर्गचेतना केवल भावना की बात नहीं है, वह ज्ञान की बात भी है। इसीलिए समाजवाद बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। यदि मार्क्स ने मजदूरों के हृदय को छुआ और दिमाग को बँसा ही छोड़ दिया तो उनका सारा काम अकारण हुआ। किन्तु मजदूरों को राष्ट्रवाद से गुमराह नहंकर अपना अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा मजबूत करना चाहिए, यह शिक्षा मार्क्स की ही दी हुई है। जनसाधारण और मजदूर वर्ग की भूमिका पहचान लेने के बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अपनाने में लाला हरदयाल को कठिनाई न होनी चाहिए थी। किन्तु उनके लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद और यान्त्रिक भौतिकवाद में कोई फर्क नहीं है। वह समझते हैं कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में पैदा हुआ है, वह उस वर्ग से अलग हटकर दूसरे वर्ग से अपना लगाव नहीं कायम कर सकता, यही भौतिकवाद है। उनके लिए भौतिकवाद का अर्थ है नियतिवाद। ❖

लाला हरदयाल के विचार से मार्क्स का जीवन ही मार्क्सवाद का स्रष्टा करता है। मार्क्स के साथ यूरोप और इंग्लैण्ड के अनेक नेताओं के नाम गिनाकर वह कहते हैं कि यह सब लोग उच्च वर्गों में पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने समाजवाद की सेवा में सारा जीवन बिताया और इस प्रकार उन्होंने इस विचार का खोजलापन साबित कर दिया कि इतिहास की भौतिकवादी धारणा सदा और सर्वत्र सही है। फिर वह यान्त्रिक भौतिकवाद के कठमुल्लों का उल्लेख करते हैं जिनके अनुसार समाजवादी क्रांति सर्वत्र आगे बढ़े हुए देश में होनी चाहिए थी किन्तु विस्फोट हुआ रूस में जहाँ पूजीवाद सबसे कम विकसित था। (पृष्ठ ७४)।

इस सबसे विदित होता है कि लाला हरदयाल के लिए भौतिकवाद एक ही प्रकार का है, वह है यान्त्रिक भौतिकवाद। गैरयान्त्रिक भौतिकवाद जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व उनके लिए नहीं है। यदि होता तो वह उसके अनुसार रूसी क्रांति की व्याख्या करते। रूसी क्रांति ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार हुई या नहीं हुई, इस समस्या का विवेचन इस पुस्तक के दूसरे खंड में है। यहां इतना कहना काफी है कि यान्त्रिक और द्वन्दात्मक भौतिकवाद में जो भेद करना चाहिए, वह कुछ मार्क्सवादियों ने नहीं किया। जर्मन मार्क्सवादी कौट्स्की के बारे में हरदयाल ने लिखा है कि रूसी क्रान्ति से वह उलझन में पड़ गया और अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए वह उस क्रान्ति को ही नकारता रहा। कौट्स्की के मार्क्सवाद को अर्द्ध सत्य कहते हुए उन्होंने उसकी कमी यह बताई है कि उसने "यान्त्रिक परिवेश को ऊंचे उठा दिया और जीवित मानव व्यक्तित्व को छोटा करके दिखाया।" (पृष्ठ ७४)। कौट्स्की के मार्क्सवाद से अलग कोई और मार्क्सवाद है, लाला हरदयाल ने यह नहीं लिखा। यान्त्रिक भौतिकवाद का वह खण्डन करते हैं और द्वन्दात्मक भौतिकवाद का समर्थन करते हैं, ऐसा सोचना गलत होगा। वह द्वन्दात्मक भौतिकवाद से परिचित नहीं है। इससे यह निष्कर्ष भी निकालना सही न होगा कि वह पूर्णतः भौतिकवाद के विरोधी थे। जहां तक संसार रचनेवाले ईश्वर का सम्बन्ध है, वह पूरे नास्तिक थे; जहां तक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सम्बन्ध है, वह व्यक्तिवादी थे।

रूस में क्रान्ति क्यों हुई, जर्मनी में क्यों न हुई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह, दोनो देशों में वर्गों की स्थिति का विवेचन आवश्यक नहीं समझते। रूस में समर्थ व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे और जर्मनी में नहीं थे, प्रश्न का यही सीधा सा उत्तर है। इस प्रकार कार्लाइल की इतिहाससम्बन्धी धारणा का खण्डन करने पर भी वह उसके आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। यही कारण है कि व्यक्ति-केंद्रित क्रान्तिवाद के दायरे से बाहर निकलकर वह मजदूरों की वर्गचेतना का महत्व स्वीकार तो करते हैं किन्तु फिर उसी दायरे में लौट आते हैं।

पोलैण्ड में ईसाई धर्म के पुराने रोमन कैथलिक सम्प्रदाय का विरोध जर्मनी की तरह नहीं फैला क्योंकि "उस देश में व्यापारी और औद्योगिक मध्यवर्ग का अभाव था, जैन मत और प्यूरिटन मत मुख्यतः शहरों के व्यापारी वर्ग ने स्वीकार किये हैं।" (पृष्ठ ७४)। इस वाक्य से लगेगा कि लाला हरदयाल विचारधारा का सम्बन्ध वर्गों से जोड़ते हैं। किन्तु आगे ही वह स्काटलैण्ड का जिक्र करते हैं जहां मध्यवर्ग नहीं था किन्तु कैल्विन के प्यूरिटन सम्प्रदाय को सफलता मिली। फिर भारत के शहरी व्यापारियों के बारे में कहते हैं कि उनकी आस्था हिन्दू, जैन और बौद्ध धर्मों के बीच बँटी रही है। जावा के निवासियों के लिए कहते हैं कि वहां की आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु वहां के लोग हिन्दू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गये। यहां भी लाला हरदयाल धर्म, सम्प्रदाय आदि को यान्त्रिक ढंग से समाजव्यवस्था और वर्गों से जोड़ते हैं। प्राचीन वर्गहीन गणसमाजों में कहीं भी सगठित धर्म का अम्युदय और प्रसार नहीं हुआ। धर्म का अम्युदय और प्रसार सामन्ती व्यवस्था की ऐतिहासिक आवश्यकता है। पूजावादी व्यवस्था

कायम होने, औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति के साथ धार्मिक विश्वास क्षीण होते जाते हैं। साथ ही स्मरणीय है कि विचारधारा समाजव्यवस्था का यान्त्रिक प्रतिबिम्ब नहीं होती, सापेक्ष रूप में वह स्वतंत्र होती है।

फाल्गाफिल और नीत्से की महामानव सम्बन्धी धारणा फासिस्टों ने अपनाई। उन्होंने अपने नेता को सर्वगुणसम्पन्न, सबकुछ करने में समर्थ, उसे भाग्यविधाता के रूप में प्रतिष्ठित किया। जनता का कर्तव्य इतना ही था कि वह आंख मूंदकर पूरी निष्ठा से उसके पीछे चले। लाला हरदयाल ने फासिस्टों की विचारधारा का तीव्र खण्डन किया है। वह पूजावाद, हथियारबंदी में होड़, अंध-राष्ट्रवाद और युद्ध के कठोर आलोचक है, वह निरस्त्रीकरण और विश्वशान्ति के प्रबल समर्थक हैं। विश्वशान्ति के लिए वह चाहते हैं कि विश्व राज्यसत्ता कायम की जाये। उनकी आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु निरस्त्रीकरण के लिए वह वर्गों से अधिक व्यक्तियों का भरोसा करते हैं। इस कारण उनकी विश्व राज्यसत्ता एक कल्पनामय रह जाती है जो विश्व राजनीति को प्रभावित न कर सकती थी।

व्यक्तिकेन्द्रित क्रान्तिवाद और विश्वराजनीति की वास्तविकता से दूर विश्व राज्यसत्ता की कल्पना के बावजूद उन्होंने पूजावाद, युद्ध, हथियारबंदी के बारे में वही बातें कही हैं जो उस समय ससार के मार्क्सवादी कहते थे। वह भारत के उन थोड़े से क्रान्तिकारियों में थे जो हिटलर के अम्युदय काल से ही फासिस्ट विचारधारा के मानवद्रोही रूप से परिचित थे। उन्होंने विश्व पूजावाद की जो आलोचना की थी, वह आज भी महत्वपूर्ण है। उनकी इस आलोचना से पता चलता है कि परिस्थितियाँ किस तरह प्रथम महायुद्ध के समय के क्रान्तिकारियों को व्यक्तिकेन्द्रित क्रान्ति से ठेककर उन्हें वर्गकेन्द्रित क्रान्ति की ओर ले जा रही थी। पूजावादी व्यवस्था वास्तव में अव्यवस्था है। सट्टेवाजी और ठगविद्या पूजावादी व्यवस्था में आसानी से पनपती है। अनेक औद्योगिक संस्थान एक ही वस्तु बनायेंगे, आपस में होड़ करेंगे, झूठे विज्ञापन करेंगे, खूब मुनाफा कमायेंगे, फिर आर्थिक संकट आने पर बेकारी बढ़ायेंगे और लोग आत्महत्या करेंगे। जरूरत की चीजें न बनायेंगे पर मुनाफा मिलता हो तो लड़ाई का सामान तैयार करेंगे, नशीले पदार्थ बेचेंगे। (पृष्ठ ३७५)। पूजापतियों का वर्गशासन बलप्रयोग के भरोसे कायम रहता है। जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि निर्धन लोग विद्रोह कर देंगे। इस प्रकार सैन्यवाद अभिन्न रूप में पूजावाद से जुड़ा हुआ है। धनी वर्ग की सम्पत्ति को शोषित वर्ग से जो छतरा है, उससे फौज और पुलिस उसकी रक्षा करती है। (पृष्ठ ३८७)। आगे कहते हैं, "वर्गशासन धर्म, कला और साहित्य को अष्ट करता है। वर्ग-समाज में हर व्यक्ति और हर वस्तु बाध्य है कि सम्पत्तिशाली वर्ग की चाकरी करे और उसकी हिमायत करे, या फिर बरबाद हो जाये। जितनी संस्थाएँ हैं, उनका नियन्त्रण और संचालन इस उद्देश्य से होता है कि वर्गशासन कायम रहे। जैसे कि कहते हैं, रोम के साम्राज्य में सारी सड़के रोम तक पहुंचाती थी। सारे चर्च, स्कूल, स्टूडियो, यूनिवर्सिटी, अकादमी, सेमिनार, पब्लिशर और प्रिंटर बाध्य हैं कि वर्गशासन को न्यायपूर्ण बताये और उसकी तारीफ करें और जनता को सिखायें

कि यह उसका कर्तव्य है और सीभाग्य है कि वह पैसा दे और हुकुम माने। व्यक्तिगत, सभाओं और संस्थाओं की तथाकथित स्वाधीनता मृगमरीचिका है। अस्थायी तौर से पूंजीवाद की समृद्धि और बुद्धिमत्ता से यह मरीचिका पैदा होती है। लेकिन जहाँ संकट आया और वर्गशासन के लिए जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हुआ, वहाँ पूंजीपति हमेशा यही कहेंगे, जो हमारा साथ नहीं देता, वह हमारा शत्रु है। सभी सम्पत्तिशाली वर्गों को सर्वप्रथम और सर्वाधिक चिन्ता अपनी सम्पत्ति और विशेषाधिकार की होती है। पूंजीपति हर तरह की विचार-धारा को तरह दे सकते हैं, केवल समाजवाद उनके लिए बहुत बड़ा अपराध है। कारण यह है कि "समाजवाद एकमात्र ऐसा वाद है जिससे वर्गशासन खतरे में पड़ता है, इसलिए वर्गसमाज में उसे हमेशा के लिए वर्जित और गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है।" (पृष्ठ ३०६)।

गया

ध्वंस

का ड

भी जानवर वैसे खूखार और रक्त का प्यासा नहीं होता।" (पृष्ठ ३६०)। पूंजीवाद समाज की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकता। "जो भी व्यवस्था समाजविरोधी और अस्वाभाविक होगी, उसका विनाश निश्चित है।" (पृष्ठ ३६२)। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में तमाम अनधिकृत भूमि मुलभ थी। बेकारी और भुखमरी वहाँ भी फैली हुई है। इसी तरह अन्य देशों में पूंजीवाद लाखों नागरिकों को काम नहीं दे सकता। "कारण यह है कि सम्पत्ति पर निजी स्वामित्व होगा तो उत्पादन केवल मुनाफे के लिए होगा।" (पृष्ठ ३६२)। समाज जो सम्पत्ति पैदा करे, उसका बँटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि सबको एक सी आमदनी हो। "सामाजिक समानता का अर्थ है कि उच्चतम आदर्श के अनुसार सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर मिले, उनमें जितना भी सुखी और भरापूरा जीवन बिताने की क्षमता हो, उसके लिए उन्हें अवसर मिले।" (पृष्ठ ३६३)।

समाजवाद की स्थापना और प्रगति के लिए विश्वशान्ति आवश्यक है। हिटलर के अभ्युदय के बाद युद्ध का खतरा बराबर बढ़ता जाता था। इस संदर्भ में लाला हरदयाल ने लिखा है, "सैन्यवाद-विरोधी प्रचार और तेज करना चाहिए जिससे कि युद्ध में मजदूर वर्ग का नाश न हो जाये। शान्ति और प्रगति का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। शान्ति के वातावरण में ही समाजवाद का विकास सम्भव है।" (पृष्ठ ३६४-६५)। युद्ध रोकने के लिए मजदूरों का शिक्षण आवश्यक है। उन्हें "आधुनिक समाजवाद के गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक इतिहास की शिक्षा दी जानी चाहिए।" (पृष्ठ ३६५)। पहले समय के समाजवादियों ने अपने उद्देश्य के लिए जो काम किया है, जो शिक्षा दी है और जो कष्ट सहे हैं, उस सबका ज्ञान मजदूरों को होना चाहिए। समाजवाद की स्थापना किसी पिकनिक या काफ़टेल पार्टी के समान है, यह भ्रान्ति इतिहास के ज्ञान से दूर करनी चाहिए।

माक्सवाद के बारे में कहते हैं, "हमें अधिक माक्सवाद ही न चाहिए वरन् माक्स और उनकी पत्नी का त्याग, उनकी सादगी भी चाहिए। हमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों तरह का माक्सवाद सीखना चाहिए।" (पृष्ठ ३६५)। कहना न होगा कि उन्होंने माक्सवाद से ही सीखा है कि "बीमार पूजीवाद मौत की घड़िया गिन रहा है, लेकिन जब तक कि कोई योग्य डाक्टर उसे मौत का प्रमाण-पत्र नहीं दे देता और उसे दफनाने वाले कफन लेकर नहीं आ पहुंचते तब तक वह मरेगा नहीं।" (उप.)। पूजीवाद जनतन्त्र का द्रोह रचता है। उसके जनतन्त्र में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पूजीपति वर्ग के हाथों में केन्द्रित रहती है। लाला हरदयाल ने पूंजीवादी देशों की पार्लियामेन्टों की तीव्र आलोचना की है और उनके फरेब से समाजवादी नेताओं को सावधान किया है।

विशेष रूप में इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट को घ्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा है, "चोटी के समाजवादी नेताओं को पूजीवाद की कौसिलों और पार्लियामेन्टों में न उलझना चाहिए। वहाँ दूसरे दर्जे के नेता भेजे जा सकते हैं। मुख्य नेताओं को शत्रु के शिविर में पहुँचकर वहाँ के अनैतिक वातावरण में अपने उत्साह और बुद्धिमानी का नाश न कर देना चाहिए।" (उप.)। पूजीवाद और उसकी राजनीतिक सस्थाओं के बारे में उनका कहना है कि "पार्लियामेन्टें पतनशील पूजीवाद की ऐसी सस्थाएँ हैं जो अब गतिरुद्ध हैं।" (पृष्ठ ४०३)। वे भ्रष्टाचार, चापलूसी, बड़प्पन के झूठे प्रदर्शन का अखाड़ा है। इनमें परस्पर लड़नेवाले अनैतिक राजनीतिज्ञ और बदमाश भरे हुए हैं। इसके बदले प्रत्यक्ष जनतन्त्र (डायरेक्ट डेमोक्रेसी) की स्थापना होनी चाहिए। प्रत्यक्ष जनतन्त्र से उनका अशय यह है कि जनता शासन में स्वयं भाग ले।

जब पार्लियामेन्टों से काम नहीं चलता, तब पूजीवाद इन्हें भंग करके सीधे तानाशाही से काम लेता है। यह तानाशाही इटली और जर्मनी में स्थापित हो चुकी थी। अन्धराष्ट्रवाद, सैन्यवाद, नस्ल का सिद्धान्त इस तानाशाही के प्रमुख सहायक थे। फासिस्ट तानाशाही के अभ्युदयकाल में ही लाला हरदयाल ने पूर्ण आत्मविश्वास से उसके अनिवार्य विनाश की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, "विश्व मंच पर अबानक कलाबाजी दिखाने वाले फासिस्टवाद से डरने की जरूरत नहीं है। यह कलाबाजी अस्थायी है, बुझने से पहले पूजीवादी दीप की यह आखिरी लौ है। जनतन्त्र एक कदम पीछे हटा है, केवल इसलिए कि वह एक और ऊँची, एक और लम्बी छलाग लगा सके। निर्दय फासिस्टवाद भी श्रमिक सघों को, सर्वहारा की सुसज्जित पंक्तियों की जबरदस्त किलेबन्दी को तोड़ नहीं सका। जनवादी नेताओं को (जिनमें अनेक नेता कहलाने के योग्य नहीं हैं) वह जेल में डाल सकता है, देश से निकाल सकता है किन्तु वह विज्ञान को देशनिकाला नहीं दे सकता और न वह सभी कारखानों और मजदूर सभाओं को अपनी जेल-छावणियों (कन्सन्ट्रेशन कैम्पों) में बन्द करके रख सकता है। जब तक विज्ञान जीवित है, तब तक जनतन्त्र के लिए आशा है। चाहे जिस वर्ग का शासन हो, विज्ञान अब अमर है।" (पृष्ठ ४२२-२३)। तानाशाही केवल अन्धविश्वासियों के सहारे कायम रह सकती है। जर्मन जाति विशुद्ध आर्य रक्तवाली श्रेष्ठ जाति है

संसार पर शासन करने के लिए रची गई है, इस अन्धविश्वास का प्रचार और उसकी नात्सी-पार्टी ने किया। विज्ञान की भूमि से लाला हरदयाल डान्त का खण्डन करते हैं। जर्मन आर्यवाद को वह असीम अहंकार बता-मानसिक रोग को संज्ञा देते हैं। कहते हैं, "ये राष्ट्रपूजक और नस्लवादी एक दिमागी बीमारी के दयनीय शिकार हैं।" (पृष्ठ ६०-६१)। वे उन विद्वानों का मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने ईमा मसीह में भी जर्मन आर्यवत् निकाश था। इस संदर्भ में वह हिन्दू पुनरुत्थानवाद का इतिहासविरोधी कोण नहीं भूले। उन्होंने लिखा है, "एक हिन्दू ने अपनी पुस्तक हिन्दू श्रेष्ठता का सुपीरियार्टी) धरती के स्वर्ग भारत को समर्पित की है जो शाश्वत, सनातन और अमर है और जिसने संसार को सम्यता और धर्म का पाठ पढ़ाया है। ऐसे अत्यन्त उद्गार अन्ध देशभक्ति की देन है।" (पृष्ठ ६१)। लाला हरदयाल ने १३४ में हिन्दू पुनरुत्थानवाद की आलोचना की, यह ऐतिहासिक महत्त्व की घटना है। भारतीय क्रान्तिकारियों की विचारधारा समाजवाद की ओर प्रवाहित है, पुनरुत्थानवाद की ओर नहीं।

समाजवाद के विरोधियों का एक तर्क यह है कि भारत अध्यात्मवादी देश है, वह भौतिकवादी विचारधारा कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में नव-जागरण के दो रूप हैं। एक रूप वह है जो अध्यात्मवाद को श्रेष्ठ उपलब्धि मान-कर आधुनिक विज्ञान का विरोध करता है। दूसरा नवजागरण वह है जो रहस्यवाद और धार्मिक अन्धविश्वासों का विरोध करता है और आधुनिक विज्ञान को अपनाने पर जोर देता है। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लगभग बीस साल तक सरस्वती में जो काम किया, उसका सम्बन्ध इसी दूसरी तरह के नवजागरण से है। पूजोवादी लेखकों ने पूरी कोशिश की है कि इतिहास की पुस्तकों में इस नव-जागरण की चर्चा न हो। स्वाभाविक है कि लाला हरदयाल ने रहस्यवाद के विरोध में और बुद्धिवाद के पक्ष में जो कुछ लिखा है, उसका प्रभाव बुद्धिजीवियों पर नगण्य है। यहाँ उनकी जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है, उसकी भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनका उद्देश्य बुद्धिवाद का सन्देश पहुँचाना और उसकी व्याख्या करना है।

वह भौतिक विज्ञान के अध्ययन पर जोर देते हुए कहते हैं, "उससे तुम सीखोगे कि ऊर्जा (न कि ईश्वर) परम तत्व अथवा मयार्थ है। ऊर्जा ही भूत का रूप धारण करती है। इस भूत में अणु-परमाणु भी हैं। प्रकृति एक विराट यन्त्र है जो ऊर्जा को भूत में और भूत को ऊर्जा में बदलता है।" (पृष्ठ ६)। जीवविज्ञान के महत्व के बारे में कहते हैं कि इससे जीवन के उद्भव का वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होगा और इस सिद्धान्त में सृष्टि रचने वाले देवता को स्थान नहीं है। (पृष्ठ २३)। मानवइतिहास और भौतिक विज्ञान की जानकारी पर बार-बार जोर देते हुए लाला हरदयाल ने नौजवानों से ज्ञान की मशाल लेकर क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ने को कहा है। इस ज्ञान-विज्ञान में अर्थशास्त्र का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्तमान सम्यता का आधार अन्याय और लूट है, इस बात का ज्ञान अर्थशास्त्र में होगा। अर्थशास्त्र समाजवाद का मार्ग भी दिखायेगा। (पृष्ठ १०८)। अर्थशास्त्र क्यों से

परे नहीं है। पूजीवादी अर्थशास्त्र के बदले क्रान्तिकारी अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए।

इन सम्बन्ध में लाला हरदयाल ने लिखा है, “क्लासिकल और पूजीवादी अर्थशास्त्रियों से सावधान रहें। अर्थशास्त्र नाम की तटस्थ और निष्पक्ष विज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कोई प्रोफेसर भौतिकी और रसायनशास्त्र पढ़ाता है, वैसे ही कोई अर्थशास्त्र की शिक्षा नहीं दे सकता। बहुत होशियारी बरते और तटस्थ बने रहने की कोशिश करे, तो भी लगान, ब्याज और मुनाफे के बारे में उसे कहना पड़ेगा कि ये न्यायपूर्ण हैं या अन्यायपूर्ण। वह अपनी बात चाहे सीधे कहे चाहे घुमा-फिराकर कहे, छिपी हुई बात जाहिर हो जायेगी। प्रेम और राजनीतिक विचार गुप्त नहीं रगे जा सकते। इसलिए जब तुम पूजीवादी अर्थशास्त्रियों के ग्रन्थ पढ़ो या उनके व्याख्यान सुनो, तब याद रखो कि वे जान में या अनजान में पूजीवाद का पक्षपात करते हैं। वे भले ही व्यक्तिगत पूजी के सामाजिक कार्य, मुक्त प्रतिद्वन्द्विता, पगार का लोह नियम आदि को लेकर वाक्चातुर्य दिखायें, किन्तु जिनका दिमाग उनके पेट में है, उन्हें पैसा हमेशा खरीदेगा, अपना गुलाम बनायेगा। सबसे अधिक तुम्हें फूरियर और मार्क्स की रचनाएँ पढ़नी चाहिए जिन्होंने आदर्शजनक प्रतिभा की मार्मिक दृष्टि से पूजीवादी समाज का विश्लेषण किया है। वे समाजवादी अर्थशास्त्र के सस्थापकों में हैं।” (पृष्ठ १०६)। वह अन्य अर्थशास्त्रियों का भी उल्लेख करते हैं जिनमें मार्क्स को प्रेरणा मिली। फिर कहते हैं, “अपने मार्क्स को बार-बार दोहराते रहो, सच्चे मार्क्सवाद का मूल्य और महत्व समझो। यदि तुम मार्क्सवाद नहीं समझते तो तुम प्रगतिशील मानवता के अप्रदल में शामिल होकर आगे नहीं बढ़ सकते।” (“Revise your Marx frequently, and appreciate the value and significance of true Marxism. If you do not understand Marxism, you cannot march in the vanguard of progressive Humanity.”) (पृष्ठ १०६)।

क्रान्तिकारी विरासत के तौर पर भारत के नौजवानों के लिए लाला हरदयाल का यह सन्देश है। इसका जितना महत्व १९३४ में था, उतना ही और उससे कुछ अधिक महत्व १९८१ में है।

२. जयप्रकाश नारायण

१९२० में गांधीजी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो साम्राज्यविरोधी आन्दोलन चलाया गया, उससे बड़े पैमाने पर जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ, किन्तु आन्दोलन के नेताओं ने स्वराज्य के जिस लक्ष्य की घोषणा की थी, वह प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा किसान आन्दोलन के जोर पकड़ने पर जिस तरह आन्दोलन बन्द कर दिया गया, उससे बहुत से लोग क्षुब्ध हुए। ऐसे लोग कांग्रेस के भीतर थे और उसके बाहर भी थे। सन् २० के आन्दोलन के बाद से ही कांग्रेसी नेतृत्व की ऐसी आलोचना शुरू हो गई थी जो समाजवादी दृष्टिकोण से की गई थी। उसकी मांग थी कि स्वाधीनता-आन्दोलन को बिना समझौते की लड़ाई के रूप में पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए चलाया जाये। १९३० के आन्दोलन का लक्ष्य सन् २० की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वाधीनता था। किन्तु इस

लन में भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। आन्दोलन की परिणति लन्दन के
 मेज सम्मेलनों में हुई और फिर वह समाप्त हो गया। इन परिस्थितियों में
 ही नेतृत्व के प्रति असन्तोष और बढ़ा और अनेक क्रान्तिकारी नेता यह
 न्य करने लगे कि कांग्रेस का नेतृत्व सफलतापूर्वक स्वाधीनता-आन्दोलन नहीं
 सकता। उसकी जगह अधिक क्रान्तिकारी नेतृत्व कायम होना चाहिए। इस
 न्य मजदूरों के वर्ग-संगठन काफी सक्रिय थे, किसानों का संगठित करने के
 न्य हो रहे थे। कांग्रेस के भीतर किसानों और मजदूरों की नई चेतना के प्रति-
 षि के रूप में एक नया दल उभरने लगा जो कांग्रेस के भीतर रहकर काम कर रहे
 ल के अतिरिक्त कम्युनिस्ट भी इस समय कांग्रेस के भीतर रहकर काम कर रहे
 थे। इस समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेसी सोशलिस्ट
 दोनों मिलकर काम कर रहे थे, दोनों मार्क्सवाद को अपनी राजनीतिक कार्यवाही
 का आधार मानते थे और दोनों ही रूसी क्रान्ति और वहाँ के समाजवादी निर्माण
 के प्रबल समर्थक थे। उस समय के भारतीय इतिहास को समझने के लिए कांग्रेसी
 सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के आपसी सम्बन्धों को याद रखना बहुत जरूरी है।
 वाद और सोवियत संघ के प्रति उनके दृष्टिकोण को याद रखना बहुत जरूरी है।

समाजवादियों की ओर से कांग्रेसी नेतृत्व और गांधीवाद की जो आलोचना
 की जाती थी, वह काफी विस्तार में जयप्रकाश नारायण की पुस्तक समाजवाद ही
 क्यों? (व्हाई सोशलिज्म?) में सुलभ है। यह पुस्तक १९३६ में जयप्रकाश
 नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बनारस में प्रकाशित की गई
 थी। इसमें बताया गया है कि समाजवादी विचारधारा केवल एक है और वह
 मार्क्सवाद है। भारत में वर्ग-भेद और वर्ग-शोषण अंग्रेजी राज में है और उससे
 पहले भी था। उसे समाजवाद ही समाप्त कर सकता है। समाजवादी विचारधारा
 पहले तो इसलिए आवश्यक है कि स्वाधीनता-आन्दोलन समझौते की राह से हट-
 कर क्रान्तिकारी ढंग से चलाया जाये, दूसरे वह इसलिए जरूरी है कि स्वाधीनता-
 प्राप्ति के बाद आर्थिक और राजनीतिक शक्ति शोषकों के हाथ में न रहे, वरन्
 जनता के हाथ में हो, जिससे वह शोषण-मुक्त वर्गहीन समाज का निर्माण कर
 सके। समाजवाद के विरोधियों की ओर से जो तर्क पेश किये जाते थे, उनका उत्तर
 इस पुस्तक में है। वे तर्क पुष्पित और पल्लवित करके आज भी पेश किये जाते हैं,
 इसलिए इस पुस्तक की विस्तृत चर्चा यहाँ आवश्यक है।

पुस्तक के आरम्भ में जयप्रकाश नारायण ने बताया दिया है कि वह मुख्यतः
 कांग्रेसी कार्यकर्ता को ध्यान में रखकर समाजवाद के बारे में लिख रहे हैं और
 इसलिए बहुत सी बातें उन्होंने सरल करके लिखी हैं। जैसे आज बहुत से लोग
 समाजवाद की बातें करते हैं, वैसे ही १९३६ में अनेक प्रकार के समाजवादों की
 चर्चा हो रही थी। इससे लाभ उठाकर विरोधी कहते थे, क्या पता समाजवाद
 किस कहते हैं, जितने मुझे है, उतनी बातें हैं। जयप्रकाशजी कहते हैं कि समाजवाद
 के अनेक सम्प्रदाय हुए हैं और परस्पर-विरोधी सोशलिस्ट पार्टियाँ भी हुई हैं किन्तु
 फासिस्टवाद के अम्युदय और विश्व संकट के प्रभाव से "समाजवादी चिंतन में
 एकता बढ़ती गई है। पहले की अपेक्षा आज यह कहना अधिक सम्भव है कि

समाजवाद का एक ही प्रकार है, एक ही गिद्धान्त है, और वह मार्क्सवाद है।" (पृष्ठ १)। आगे उन्होंने बताया है कि समाजवाद जिस धरती में उगता और पनपता है, वह वर्ग-संघर्ष की धरती है और यह वर्ग-संघर्ष पूंजीवादी समाज में चलता है। पूंजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी है, उसी तरह समाजवादियों का संगठन विश्वव्यापी है। लिखा है, "समाजवादी शब्द का व्यवहार करते समय मैं कम्युनिस्टों को उससे बाहर नहीं करता हूँ। जो व्यवस्था कायम है, उसके विरोध में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादियों की है।" (पृष्ठ १२४)।

समाज में शोषण और निर्धनता का मुख्य कारण यह है कि जो लोग उत्पादन में लगे हैं, वे उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं हैं। पैदावार के उपकरण, आवश्यक सामग्री, भूमि आदि पर उनका अधिकार नहीं है। जिनका अधिकार है, वे उत्पादन मुनाफे के लिए करते हैं। (पृष्ठ १०)। जब में कारखानों में भाप से चलनेवाली मशीनों का आविष्कार हुआ, तब से मजदूरों का शोषण बड़े पैमाने पर होने लगा। जो अतिरिक्त सम्पदा मजदूर पैदा करते हैं, उस पर उनका अधिकार नहीं होता। पूंजीवाद के गारे दाब-पेंच दमनिए होते हैं कि अतिरिक्त सम्पदा का अधिक से अधिक भाग वे हड़प लें। जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, उनके पास सम्पदा एकत्र होती जाती है। इसी सम्पदा का एक भाग वकीलों, डाक्टरों आदि को मिलता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े-बड़े कारखानों में विशाल श्रमिक-समुदायों का काम करना सम्भव हुआ। यह ऐसे युग का आरम्भ था जिसमें होनेवाले शोषण की तुलना और किसी युग में होने वाले शोषण में नहीं की जा सकती। (पृष्ठ १४-१६)।

शोषण की समस्या से निपटने का समाजवादी उपाय यह है कि उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व कायम है, उसे समाप्त किया जाये और उसकी जगह समाज का स्वामित्व कायम किया जाये। (पृष्ठ १८)। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाजवादी कार्यकर्ता शोषित वर्गों की ओर देखता है, खास तौर से मजदूर वर्ग में सही दृष्टि और आवश्यक सामर्थ्य पाने की आशा करता है। दूसरे शब्दों में "वह समाज में वर्ग-संघर्ष की शक्तियों का भरोसा करता है और कोशिश करता है कि वह उत्पीड़ित और शोषित जनता का संगठन करे जिससे कि समाज के वर्तमान आधार का नाश हो और नये समाज की रचना के लिए नये आधार का निर्माण हो।" (पृष्ठ १२०-२१)।

पूंजीपति कहते हैं कि जनतन्त्र कायम है, इसलिए क्रांति अनावश्यक है। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि वर्गयुक्त समाज में राज्य-सत्ता पर वास्तविक अधिकार शोषक वर्ग का होता है। यूनानी जनतन्त्र में भी थोड़े से नागरिक गुलामों के बड़े समुदाय पर हुकूमत करते थे और उसे सताते थे। पूंजीवादी जनतन्त्र के बारे में उन्होंने लिखा है, "वोट डालने की पेट्टी का चलन होने पर और पार्टियों द्वारा सरकार चलाने की व्यवस्था होने पर जनतन्त्र की कहानी कही जाने लगी। यह माना गया कि इन दो सस्याओं से [यानी पेट्टी में वोट डालो और जिस पार्टी को वोट दोगे, वह शासन चलायेगी, इन दो बातों से] बड़े से लेकर छोटे तक सारी जनता को शक्ति मिल गयी। लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण तराजू की डांडी

शाली हितों की ओर जोरो से झुकी होती है, वह इस जनतन्त्र की एक
नाकर रख देती है। अमीरों के पास बड़े-बड़े साधन हैं, चुनाव लड़ने के
बूब पैसा है, बड़े-बड़े अखबार हैं, स्कूल और कालेज हैं। और गरीबों के
बहुत से बहुत उन्हें बेकारी का भत्ता मिल सकता है [यह इंग्लैण्ड जैसे देशों
त है] या फिर वे भूखों मरें। ऐसी हालत में वोट देने का अधिकार बेमानी है।
त्र का यह दिखावा, यह मखौल भी गरीब मजदूरों के खिलाफ हो जाता है
सामान्य असमानता के बावजूद ये गरीब मजदूर इतने मजबूत होते दिखाई देते
क अधिक व्यवस्था का पलड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ झुका लें। 'क्रान्ति' और
'युनिस्ट' का शोर होने लगता है। जो चीज जनतन्त्र जैसी दिवाई देती थी, वह
की तरह गायब हो जाती है। वोट डालने का डब्बा मजदूरों की पहुँच से
हर बीच लिया जाता है, पार्टी-व्यवस्था वाली सरकार उठाकर घूरे पर फेंक
जाती है। उसकी जगह फासिस्टवाद गद्दी पर आ बैठता है। अधिक व्यवस्था
की डाड़ी और भी मजबूती से मालिकों के हित की तरफ झुक जाती है। इस
परिस्थिति में हमारा नारा है, सत्ता आम जनता के हाथ में हो।" (पृष्ठ ३०-३१)।
मूल प्रश्न यह है कि सत्ता किस वर्ग के हाथ में है। जो लोग उत्पादन करते हैं,
उनके हाथ में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की शक्ति होनी चाहिए। जब
इनके हाथ में शक्ति होगी, तब जनतन्त्र का रूप बदल जायेगा। "जो काम करते
है, उनके हाथ में शक्ति होगी, इससे यह नतीजा निकलता है कि जो काम नहीं
करते, उनके हाथ में शक्ति भी न होगी।" (पृष्ठ ३०)। इसका मतलब यह है कि
मजदूरों के हाथ में राज्य-सत्ता होगी तो वे उसका उपयोग विरोधियों को दवाने
के लिए करेंगे।

सत्ता का प्रश्न सर्वोपरि है। उसके बिना मजदूर वर्ग समाजवाद नहीं कायम
कर सकता। "जब राज्य-सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी, तब तुम कानून बना सकते
हो, तुम प्रचार और शिक्षा का वह सारा विशाल तन्त्र काम में ला सकते हो जो
आधुनिक विज्ञान से सुलभ हुआ है, तुम अपनी इच्छाओं को जमल में ला सकते
हो। और यदि विरोध हो तो उसका दमन करने के लिए तुम राज्य-सत्ता के शस्त्र-
बल, पुलिस और फौज, का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी कानून बनाता है,
उसके पीछे राज्य-सत्ता की वह शक्ति होती है जिसका काम समझाना-बुझाना,
और ज़रूरत पड़े तो, दमन करना है।" (पृष्ठ ३)। आगे कहते हैं कि राज्य-सत्ता
हाथ में न हो तो कोई भी पार्टी समाजवाद का निर्माण नहीं कर सकती। राज्य-
सत्ता हाथ में होने पर समाजवाद की स्थापना के लिए पार्टी के पास "या तो विरोध
को दवाने के लिए यथेष्ट दमनकारी शक्ति होगी चाहिए या विरोध से निपटने के
लिए यथेष्ट जनसमर्थन होना चाहिए। आखिर में दोनों बातों का मतलब एक ही
है। समाजवादी राज्य-सत्ता के पास यदि कोई दमनकारी शक्ति होगी भी, तो वह
जनसमर्थन से प्राप्त होगी। जिस समर्थन का आधार जनसाधारण नहीं बल्कि
सम्पत्तिशाली वर्ग है, वह समर्थन विरोधियों की तरफ चला जायेगा।" (पृष्ठ ३-४)।
उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होने पर उनके भूतपूर्व स्वामियों,
पूजीपतियों का क्या होगा ? इसका उत्तर देते हैं कि श्रमिकों के समाज में इन

स्वामियों को भी श्रमिक बनना होगा। इनसे जो सम्पत्ति ले ली जायेगी, क्या उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जायेगा? उन्हें मुआवजा न दिया जायेगा, और इसका कारण यह है कि मुआवजा देने का मतलब यह होगा कि इन्होंने जो सम्पदा कमाई है, वह अतिरिक्त मूल्य हड़पकर, शोषण के द्वारा नहीं कमाई, वरन् उचित साधनों से कमाई है। यदि पूंजीपति अपनी हरकतों से वाज न आये तो क्या होगा? इसका उत्तर यह है, "यदि उन्होंने नये अध्यादेशों का विरोध किया, नये उद्योग-घन्धों में तोड़-फोड़ की, नये समाज के विरुद्ध पड्यन्त्र किया, तो उनकी खैर न होगी। कानून की निगाह में वे जनता के शत्रु होंगे और उनमें उसी तरह निपटा जायेगा। हो सकता है कि क्रान्तिकारी तनाव के कारण, नयी व्यवस्था के अभी जन्म न पाने के कारण, यात्रा शुरू करते ही तूफानों से जहाज को बचाने की आतुरता के कारण उनके खिलाफ जनता का क्रोध भड़क उठे। इसलिए स्वामियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, यह बहुत कुछ खुद उन्हीं के आचरण पर निर्भर है।" (पृष्ठ ४२-४३)। साम्यवादी लोग हिंसा द्वारा समाज बदलना चाहते हैं, इस प्रचार का युक्तिसंगत उत्तर यहां दे दिया गया है।

समाजवाद सत्कार के लिए और भारत के लिए आवश्यक है क्योंकि समाजवाद के बिना स्वाधीनता अधूरी है। राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वाधीनता आवश्यक है। जहां तक समाजवादियों का सम्बन्ध है, "भारत में जो लोग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, वे सब मानते हैं कि हमारे लिए आर्थिक स्वाधीनता का एक ही अर्थ है—समाजवाद। समाजवाद के बिना आर्थिक स्वाधीनता मिथ्या प्रपञ्च है, ठगविद्या है।" (पृष्ठ २७)। समाजवाद के लिए परिस्थितियां कैसे तैयार की जा सकती हैं, यह रूस के मार्क्सवादियों ने दिखा दिया है। समाजवाद के अन्तर्गत अनेक प्रकार की विचारधाराएँ हैं किन्तु "अभी तक केवल कम्युनिस्टों ने रूस में अपनी महान् और उल्लेखनीय सफलता के द्वारा अपना कार्यनीति-सम्बन्धी सिद्धान्त सही साबित किया है। जो लोग दूसरे तरीकों की बातें करते रहे हैं, वे हर जगह असफल सिद्ध होते हैं।" (पृष्ठ १-२)। पूंजीवादी समाज की अराजकता खत्म करके रूसी कम्युनिस्टों ने दिखा दिया है कि समाजवादी व्यवस्था में योजनावद्ध विकास कैसे किया जाता है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए प्रचार किया जाता है कि रूसी समाज-व्यवस्था में नौकरशाही का बोलबाला है, उसने लोगों की पहलकदमी खत्म कर दी है, वह व्यवस्था पूरी तरह असफल हो चुकी है। इस तरह क प्रचार के बारे में "इतना ही कहना काफी है कि पूंजीवाद का वर्तमान संकट हल करने के सारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न असफल हो चुके हैं, केवल रूस अपना सर ऊंचा किये हुए है, उत्पादन में और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने में बराबर प्रगति करता जाता है। जिस समय वेकारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है, अकेला रूस ऐसा देश है जहां काम करनेवालों की कमी है।" (पृष्ठ ३३)।

समाजवाद के निर्माण के लिए मूल बात यह है कि सामाजिक हित से अलग ऐसा कोई आर्थिक हित न होना चाहिए जिसमें लोगों में संघर्ष पैदा हो। पूंजीवादी व्यवस्था की जगह जब समाजवादी व्यवस्था कायम की जाती है, तब रचनात्मक

क्षमता के नये स्रोत फूट पड़ते हैं, लोगों को नये ढंग से पहल करने का मौका मिलता है। भौतिक दृष्टि में ही नहीं, नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी समाजवाद मानव प्रगति का नया अध्याय शुरू करता है। इस सबका आम आदमी के लिए क्या महत्व है, "यह रूस को देखने से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ एक नयी चेतना, एक नयी आस्था जाग चुकी है जिसके लिए धरती या आकाश, पानी या पवन कुछ भी अजेय नहीं है। और जरा सोचिये कि कुछ ही साल पहले इस देश में घोर निराशा फैली हुई थी, जिस आत्मसंकीर्णता के लिए पूरे देश के लोग बदनमा है, यह देश उसका घर था!" (पृष्ठ ३२)।

समाजवाद के लिए विकास की योजनाएँ बनाना ही काफी नहीं है। आर्थिक योजनाएँ बना रहे इसका कारण यह है कि समाज-हित में चलाने के लिए उसमें लक्ष्मी की जाये; उनका उद्देश्य यह है कि पूँजीपतियों को पहले की तरह बराबर मुनाफा मिलता रहे। मुनाफा खत्म करने का मतलब होगा पूँजीवाद को खत्म करना। राज्य-मत्ता आम जनता के हाथ में होगी तो "उसका आधार आर्थिक क्षेत्र में बगैँ के शासन का छात्रा होगा। आम जनता की आर्थिक आजादी का यही अर्थ होना चाहिए कि सम्पदा पैदा करने वाले साधनों पर निजी मिल्कियत से जो आर्थिक शोषण उत्पन्न होता है, उसे समाप्त कर दिया गया है। समाजवादी योजनाओं की शुरुआत होगी निहित स्वार्थों को खत्म कर देना से।" (पृष्ठ ३६)।

भारत में अभी समाजवाद की स्थापना का प्रश्न न था। पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता देश को अंग्रेजों की गुलामी में मुक्त करने की थी। फिर भी समाजवाद क्या है, भारतीय जलवायु उसके अनुकूल है या नहीं, रूस में समाजवादी प्रयोग सफल हुआ है या असफल, इन सब प्रश्नों को लेकर हमारे यहाँ राजनीति और साहित्य में जोरो से बहस हो रही थी। यह सब बहस अकारण नहीं थी। समकालीन राजनीतिक कार्रवाई से उसका गहरा सम्बन्ध था। इस सम्बन्ध का पहला कारण यह था कि भारत के बहुत से जागरूक लोग स्वाधीनता-आन्दोलन के कांग्रेसी संचालन से असन्तुष्ट थे। पुराना रास्ता छोड़कर वे नया क्यादा कारगर रास्ता खोज रहे थे। समाजवादी कहते थे कि उन्हें यह रास्ता मान्य है और उनकी कार्यनीति मानी जाये तो स्वाधीनता-आन्दोलन समझौतावाद के दलदल से निकलकर क्रान्ति के प्रशस्त जनपथ पर आगे बढ़ सकता है। जो लोग समझौतावादी मार्ग पर चलना चाहते थे, वे कहते थे, क्रान्ति का मार्ग हिंसा का मार्ग है, इतनी हिंसा होने के बाद भी रूस में समाजवादी प्रयोग सफल नहीं हुआ। इस प्रकार जो लोग पुराने रास्ते की वकालत करते थे, वे रूसी क्रान्ति, समाजवादी व्यवस्था, मार्क्सवाद की नुकताचीनी करते थे। दूसरी तरफ जो लोग

करना सीखेंगे, पूँजीपतियों से मुनाफे का हिस्सा माँगेंगे और इस सबका परिणाम यह हो सकता है कि वे राजनीतिक आन्दोलन में इतने सक्रिय हो जायें कि उसकी बागडोर पूँजीपतियों के हाथ से निकल जाये। समाजवाद की तात्कालिक रचना का प्रश्न उपस्थित न होने पर भी पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत सीमित अधिकारों के लिए मजदूरों के संघर्ष का प्रश्न सदा ही विद्यमान था। इस संघर्ष को समाजवादी विचारधारा से बल मिलता था। पूँजीपतियों का हित इस बात में था कि मजदूरों को समाजवाद की छूट से बचाया जाये। तीसरा कारण यह था कि दूर-देश पूँजीपति जानते थे कि आजादी की लड़ाई में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मजदूर अपने हितों के लिए लड़े तो इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा, वे जमींदारों से जमीन माँगेंगे, माँगने से न मिलेगी तो कानून तोड़ेंगे, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। यदि किसानों का सरकार-विरोधी, जमींदार-विरोधी आन्दोलन जोर पकड़ता गया, तो स्वाधीनता-आन्दोलन का रूप ही बदलता जायेगा, पुराना रास्ता छोड़कर नये रास्ते पर चलने से कोई भी न रोक सकेगा। चौथा कारण यह था कि स्वाधीनता-आन्दोलन चाहे जिस रास्ते पर चले, लाठी-गोली का सामना करना पडा, तो यह काम जनता करेगी। चाहे जिस रास्ते से आजादी मिले, चतुराई की बात यह है कि उसका लाभ सबसे पहले और सबसे अधिक पूँजीपतियों को हो। समाजवादी विचारधारा के फैलने का मतलब यह था कि मजदूरों में वर्गचेतना फैलेगी, किसान अपना हित पहचानेंगे, मध्यवर्ग के नौजवान किसानों और मजदूरों का साथ देगे, आजादी मिलने के बाद वास्तविक सत्ता पूँजीपतियों के हाथ में न रहेगी, अंग्रेजों के जाने के बाद राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त होगी। यह सब न होने पाये, इसलिए समाजवाद के विरोध में अभी से, भारत के स्वाधीन होने के बहुत पहले से, प्रचार शुरू हो गया था। इन विरोधियों को लक्ष्य करके जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "स्वराज्य पाने के बाद ये लोग चाहें जो बाद अपनायें, कम से कम समाजवाद का विरोध वे जरूर करेंगे।" (पृष्ठ ७४)।

समाजवाद के विरोधियों को उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने जो बातें कही हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि वे आजादी मिलने के ग्यारह साल पहले नहीं लिखी गईं, वरन् उनके पच्चीस साल बाद लिखी गयी हैं। समाज में वर्गों की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, का सही विश्लेषण किया जाय तो आगे चलकर उनकी कार्यनीति का नतीजा क्या होगा, इसका पता लगाना बहुत कठिन नहीं है। पहले एक तर्क दिया जाता था और अब भी दिया जाता है कि स्वराज्य मिलने के बाद आम जनता को वोट देने का अधिकार दे दिया जायेगा; राजनीतिक स्वाधीनता कायम हो जायेगी। उसके बाद जनता चाहेगी तो आर्थिक स्वाधीनता भी कायम कर लेगी। जयप्रकाश नारायण औपचारिक और वास्तविक जनतन्त्र में भेद करते हैं। आम जनता को वोट देने का अधिकार मिल जाये तो औपचारिक जनतन्त्र कायम हो जायेगा। वास्तविक जनतन्त्र के लिए अर्थतन्त्र में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। किसी समय इंग्लैंड में, वेन्थम और गौडविन के जमाने में, लोग सोचते थे कि बालिग मताधिकार मिलने से जनता दृढ़ता शक्तिशाली हो

जायगी कि वह समाज को नुकसान पहुँचाएगा... मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
सर्गे। यह सोचकर मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से... मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
दुःख। समाजवाद को स्वीकार करना ही एक ही रास्ता है। मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
रही है, इससे हमें बचाने के लिए हमें समाजवाद को स्वीकार करना ही है। और जो समाज-
वाद को स्वीकार करेगा उसे ही समाजवादी कहेंगे। यह ही रास्ता है। मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
रही है, यह समाजवाद को स्वीकार करना ही है। मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
(पृष्ठ 33-34) :

ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से... मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
विषय जो कि मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से... मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
यों न उभरें और समाजवादी प्रयोगों का विरोध करके हमें बचाने में रहे हैं। (पृष्ठ 31)।
मात्रक साम्य-मता प्रयोगों का विरोध करके हमें बचाने में रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने तो दूर से
पहले परिणाम होगा जो परिवर्तन के देशों में हो चुका है, उससे कुछ बदतर ही है
"परियों और घोषितों को पीस डालने के लिए भारत में इन वर्गों के बारे में जो भी बात
फागी है, उसके आधार पर किसी और सुखद परिणाम की कल्पना नहीं की जा
सकती। सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान के साहूकारों और जमींदारों के कारण हमें
अच्छा भाग्य होता है। हिन्दुस्तान के साहूकारों और जमींदारों के कारण हमें
आता है। अत्याचार और उत्पीड़न में राजे-
अन सारा इन वर्गों के हाथ में होगी तब जनत-
(35)। अथवा महा नारायण स्वाधीनता-प्रति-
जमींदारों की सामाजिक स्थिति देखकर कहते हैं,
राज में होगी तो अभ जनता का उत्पीड़न समाप्त-
परु तब यह था कि समाजवाद की ओर बढ़-
कर करना जरूरी होगा। भारत फिर
से होगी ? जबप्रब
रूप

आर्थिक विकास कर सकें। आम पूंजीवादी अराजकता और पंगुता के बीच समाजवादी रुस की निरन्तर बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति समाज की उत्पादक शक्तियों के निर्माण में समाजवादी शक्तियों की श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी है।" (पृष्ठ ७८)। स्वराज्य मिलने के बाद भारत का रास्ता पूंजीवादी होगा या गैरपूँजीवादी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले दिया जा चुका था। होना चाहिए गैरपूँजीवादी अर्थात् समाजवादी किन्तु यदि स्वाधीनता-आन्दोलन की बागडोर पूँजीपति वर्ग के हाथ में होगी, तो वह रास्ता पूँजीवादी ही होगा।

जयप्रकाश नारायण इस सम्भावना पर विचार करते हैं कि भारत का पूँजीपति वर्ग अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रान्ति पूरी कर लेता है, "तो इसमें सन्देह नहीं कि वह इस हालत में होगा कि देश पर (सामन्ती हितों के साथ मिलकर) अपना शासन कायम करे। ऐसा वह जनतन्त्र की आड़ में कर सकता है और खुली फ़ासिस्ट व्यवस्था के रूप में भी कर सकता है। उस हालत में जनता को अपनी मुक्ति के लिए दूसरी क्रान्ति करनी होगी।" (पृष्ठ ७९)। आजादी मिलने के साथ ही समाजवादी क्रान्ति होगी या इन दोनों के बीच में फासला होगा, यह प्रश्न भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने बहुत पहले पेश हो चुका था। दोनों के बीच में फासला होना तो अनिवार्य था क्योंकि उद्योगीकरण के बिना समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती, विशेषरूप से खेती में कोई युनियादी तब्दीली नहीं हो सकती। किन्तु यह फासला कितना होगा, यह इस पर निर्भर था कि स्वाधीनता-आन्दोलन में वर्गों का आपसी सन्तुलन किस तरह का है। यदि इस सन्तुलन में पूँजीवादियों का पलड़ा भारी है तो यह फासला लम्बा होगा। दूसरी ओर यदि समाजवादियों का पलड़ा भारी होगा, तो उद्योगीकरण उनकी देखरेख में होगा और यह फासला बहुत थोड़ा होगा। जयप्रकाश नारायण इस समस्या का सीधे सामना करते हुए कहते हैं कि "यदि, दूसरी ओर साम्राज्यवाद को परास्त करने का काम जनसाधारण, मजदूर, किसान और निर्धन शहरी मध्यवर्ग करते हैं, तो किसी का यह सुझाव रखना अपराध होगा कि सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद वे उसे पूँजीपतियों को सौंप दे। उस हालत में पूँजीवादी दौर को लाना जान-बूझकर आम जनता के हितों का वलिदान करना होगा। आम जनता के लिए एक ही तर्कसंगत रास्ता होगा कि वह सबसे क्रान्तिकारी और सचेत वर्ग, मजदूर वर्ग, के नेतृत्व में अपना शासन कायम करे और समाजवाद की ओर बढ़ चले।" (पृष्ठ ७९)। इस प्रकार स्वाधीनता-आन्दोलन की सफलता, और उसके साथ स्वाधीनताप्राप्ति के बाद विकास की मंजिल, इस पर निर्भर थी कि इस आन्दोलन में मजदूर वर्ग और समाजवादी शक्तियों की स्थिति क्या है।

भारत के स्वाधीन होने पर क्या समाजवादियों के पास इतनी शक्ति होगी कि वे पूँजीवाद की जगह नयी व्यवस्था कायम कर सकें? यदि उनमें स्वाधीनता-आन्दोलन का सफल नेतृत्व करने की ताकत होगी तो वे नयी व्यवस्था भी कायम कर सकेंगे। यदि स्वाधीनता-आन्दोलन में वे पूँजीपतियों के पिछलगुए वने रहे, तो आजादी मिलने पर यह पिछलगुआपन दूर करने में कुछ समय लगेगा। जयप्रकाश नारायण को १९३६ में आशा थी कि समाजवादी लोग इतनी शक्ति जुटा लेंगे कि

के वह समाज की सभी बुराइयों को, सभी तरह के अन्याय को दूर करे। यह अधिकार उसे मिल गया किन्तु न तो बुराइया दूर हुईं, न अन्याय खत्म समाजवादी कहते आये थे कि "आर्थिक शक्ति वोट डालने के अधिकार मे वर्न् देश के आर्थिक जीवन पर अधिकार पाने में है। फिर भी असमाज-लोग मतपेटी की शक्ति का भरोसा करते रहे। जब इस पेटी से समस्या हल हुई, तब चारों तरफ से यह शोर सुनाई देने लगा कि जनतन्त्र असफल हुआ है।" (पृष्ठ ७५-७६)।

पश्चिम के लोग मानने लगे कि समाज की समस्याएँ हल करने के लिए आर्थिक जनतन्त्र आवश्यक है किन्तु भारत में पुरानी पीढ़ी के कांग्रेसी जन और खबरल लोग अभी वेन्थम और गौडविन के जमाने में रह रहे हैं। (पृष्ठ ७६)। आधुनिक जनतन्त्र का विकास पूजीवाद के साथ हुआ है। अम्युदयशील पूजीपति वर्ग ने उसका उपयोग सामन्ती सत्ता से लड़ने के लिए किया। इस प्रकार "जन-तान्त्रिक राज्य-सत्ता पूजीपति वर्ग का अस्त्र बन गयी जिसके द्वारा उसने अपना शासन कायम किया और उसे बनाये रखा।" (पृष्ठ ७७)। भारत में इसी तरह राजनीतिक जनतन्त्र कायम किया जाये तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्तर है, "गरीबों और शोषितों को पीस डालने के लिए भारत की जनतान्त्रिक राज्य-सत्ता और भी भयानक अस्त्र बन सकती है। भारत में इन वर्गों के बारे में जो भी जान-कारी है, उसके आधार पर किसी और सुखद परिणाम क्या होगा? उत्तर है, अच्छा मालिक होता है। हिन्दुस्तान के साहूकारों और जमींदारों के कारणमे जम-जाहिर है। अत्याचार और उत्पीड़न में राजे-महाराजों का कोई सानो नहीं है। जब सत्ता इन वर्गों के हाथ में होगी तब जनता पर क्या बीतेगी?" (पृष्ठ ७७-७८)। जयप्रकाश नारायण स्वाधीनता-प्राप्ति से पहले यहाँ के पूजीपतियों और जमींदारों की सामाजिक स्थिति देखकर कहते हैं कि स्वराज्य मिलने पर सत्ता इनके हाथ में होगी तो आम जनता का उत्पीड़न समाप्त न होगा। एक तर्क यह था कि समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए भी पहले राजनीतिक जनतन्त्र कायम करना जरूरी होगा। भारत पिछड़ा हुआ देश है; उद्योगीकरण बिना समाजवाद की स्थापना कैसे होगी? जयप्रकाश नारायण इस सन्दर्भ में कहते हैं, "भारत जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश को पूरी तरह औद्योगिक बनने में स्वभावतः कुछ समय लगेगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु इसके साथ जो बात हमारे लिए उतनी ही स्पष्ट नहीं है, वह यह है कि सामान्य आर्थिक विकास और यह उद्योगीकरण पूजीवाद की ही देखरेख में क्यों हो? जब समाज-वाद की शक्तियों का अम्युदय हो चुका है, जब ठीक यही काम पूरा करने में शक्तियों दुनिया के छठे भाग में इतनी सफलता पा चुकी है, जब पूजीवाद का हार हो रहा है और उत्पादन की शक्ति बढ़ाने के बदले वह उस पर रोक लगा रहा है, तब किसी भी बुद्धिमान आदमी के लिए ऐसा कोई कारण न होना चाहिए कि आम जनता को शोषकों के हवाले कर दिया जाय, केवल इसलिए कि ये लोग राष्ट्र का

शक्तियों की श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी है।" (पृष्ठ ७८) ।
 बाद भारत का रास्ता पूँजीवादी होगा या गैरपूँजीवादी, इस
 पहले दिया जा चुका था । होना चाहिए गैरपूँजीवादी अर्थात्
 यदि स्वाधीनता-आन्दोलन की बागडोर पूँजीपति वर्ग के हाथ
 रास्ता पूँजीवादी ही होगा ।

नारायण इस सम्भावना पर विचार करते हैं कि भारत का पूँजी-
 त्व में राष्ट्रीय क्रान्ति पूरी कर लेता है, "तो इसमें सन्देह नहीं
 है कि देश पर (सामन्ती हिन्दों के साथ मिलकर) अपना
 होगा वह जनतन्त्र की आड़ में कर सकता है और खुली
 के रूप में भी कर सकता है । उस हालत में जनता को अपनी
 की क्रान्ति करना होगी ।" (पृष्ठ ७९) । आजादी मिलने के साथ
 न्ति होगी या इन दोनों के बीच में फासला होगा, यह प्रश्न भारतीय
 सामने बहुत पहले पेश ही चुका था । दोनों के बीच में फासला
 था क्योंकि उद्योगीकरण के बिना समाजवाद की स्थापना नहीं
 रूप से देखती में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हो सकती । किन्तु
 होगा, यह इस पर निर्भर था कि स्वाधीनता-आन्दोलन में वर्गों
 न किस तरह का है । यदि इस मन्तुलन में पूँजीवादियों का पलड़ा
 सला लम्बा होगा । दूसरी ओर यदि समाजवादियों का पलड़ा
 योमीकरण उनकी देखरेख में होगा और यह फासला बहुत थोड़ा
 नारायण इस समस्या का सीधे सामना करते हुए कहते हैं कि
 र साम्राज्यवाद को परास्त करने का काम जनसाधारण, मजदूर,
 न्त शहरी मध्यवर्ग करते हैं, तो किसी का यह मुझाव रखना
 सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद वे उसे पूँजीपतियों को
 तल में पूँजीवादी दौर को लाना जान-बूझकर आम जनता के
 करना होगा । आम जनता के लिए एक ही तर्कसंगत रास्ता
 से क्रान्तिकारी और सचेत वर्ग, मजदूर वर्ग, के नेतृत्व में अपना
 और समाजवाद की ओर बढ़ चले ।" (पृष्ठ ७९) । इस प्रकार
 लन की सफलता, और उसके साथ स्वाधीनताप्राप्ति के बाद
 ल, इस पर निर्भर थी कि इस आन्दोलन में मजदूर वर्ग और
 तियों की स्थिति क्या है ।

आधीन होने पर क्या समाजवादियों के पास इतनी शक्ति होगी कि
 जगह नयी व्यवस्था कायम कर सकें ? यदि उनमें स्वाधीनता-
 ल नेतृत्व करने की ताकत होगी तो वे नयी व्यवस्था भी कायम
 स्वाधीनता-आन्दोलन में वे पूँजीपतियों के पिछलगुए बने रहे, तो
 र यह पिछलगुआपन दूर करने में कुछ समय लगेगा । जयप्रकाश
 ३६ में आशा थी कि समाजवादी लोग इतनी शक्ति जुटा लेंगे कि

वे स्वाधीनता-आन्दोलन का नेतृत्व कर सकें। उन्होंने लिखा है, "यदि हम पूर्ण स्वाधीनता पाने के लिए आवश्यक शक्ति जुटा लेते हैं, और हमें आशा है कि हम जुटा लेंगे, तो हमारे पास इतनी शक्ति होगी कि हम इस देश में लगभग कुछ भी कर सकेंगे। भारत में साम्राज्यवाद से ज्यादा मजबूत कोई भी पार्टी या शक्ति नहीं है। यदि हमने साम्राज्यवाद को धूल चटा दी तो हमें चुनौती देने वाला कोई न होगा। राजा और जमींदार अंग्रेजी राज के सहारे आज जरा ताकतवर जान पड़ते हैं लेकिन हमारे हाथ लगाते ही इनका नाम-निशान न बचेगा। शायद पूँजीपति कुछ ज्यादा ताकतवर निकलें पर हमारा रास्ता रोकने की ताब इनमें भी न होगी।" (पृष्ठ ६७-६८)। इस बारे में सन्देह नहीं रह जाता कि सन् ३० और ४० के दशक में भारत के समाजवादी यह बहुत साफ देय रहे थे कि स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में बना रहा तां स्वाधीनताप्राप्ति का लाभ आम जनता को न होगा और समाजवाद की स्थापना के लिए फिर से संघर्ष करना जरूरी हो जायेगा।

समाजवाद के विरुद्ध एक सुपरिचित तर्क यह रहा है कि वह भारतीय परिस्थितियों, विशेषकर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी गयी कि विभिन्न वर्ग यहां सहयोग का जीवन बिताते रहे, यहां वर्गसंघर्ष नहीं था, वर्गभेद पैदा करके समाज में अशान्ति फैलाना साम्यवादियों का काम है और ये लोग विदेशी विचारधारा से प्रभावित हैं। इस तर्क का सारलत्व यह धारणा है कि भारत में वर्ग तो थे किन्तु शोषण नहीं था; वर्तमान समाज में वर्ग हैं और शोषण भी है, इस शोषण को सहयोग में बदल देना चाहिए। भारतीय जनता वर्गशोषण के विरुद्ध पहले कभी नहीं लड़ी; उसे आज भी न लड़ना चाहिए। पर अंग्रेजी राज से लड़ना अनिवार्य है। आजादी मिले बिना पूँजीवाद का पूरी तरह विकास नहीं हो सकता, पूँजीपतियों को शोषण का विस्तार करने का अवसर नहीं मिल सकता। यह लड़ाई ऐसी चलानी चाहिए कि वह क्रान्तिकारी रूप न ले। उसे हमेशा अहिंसात्मक बनाये रखना चाहिए अर्थात् साम्राज्यवाद से मुक्त-समझौते का रास्ता खुला रखना चाहिए।

इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि समाजवाद जैसे अन्य देशों के लिए आवश्यक है, वैसे ही भारत के लिए भी जरूरी है क्योंकि "भारत में भी एक ओर गरीबी है, गरीबी ही नहीं मुखमरी है, और दूसरी ओर धन-दौलत और ऐश का सामान है; भारत में भी शोषण है; यहां भी उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जो आर्थिक और सामाजिक असमानता आधुनिक समाज की बुराइयों की जड़ है, वह भारत में भी है और उसका कारण यहां भी वही है, थोड़े से लोगों द्वारा बहुसंख्यक जनता का शोषण। और यह अंग्रेजी राज का परिणाम नहीं है। वह उससे स्वतंत्र है और उसके बाद भी जारी रहेगा। विदेशी प्रभुत्व खत्म कर देने से भारतीय निर्धनता की समस्या अपने आप हल न हो जायेगी, थोड़े से लोगों द्वारा विशाल जनता का शोषण समाप्त न हो जायेगा।" (पृष्ठ २१-२२)। मार्क्सवादी दृष्टि से कभी-कभी भविष्य कितना साफ दिखाई देता है, इसका प्रमाण जयप्रकाश नारायण के ये वाक्य हैं।

उन्हें लिखते समय जो भविष्य था, वह अब अतीत और वर्तमान है। उससे हम अच्छी तरह परिचित हैं। भारत की वर्तमान निर्धनता अंग्रेजी राज का परिणाम है, साथ ही उसमें देशी पूँजीवाद के शोषण का बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजी राज से पहले यहाँ जो शोषण विद्यमान था, वह अंग्रेजी राज के कायम होने का एक कारण था। और अंग्रेजी राज से पहले यहाँ तुर्कों को अपने विजयअभियान में जो सफलता मिली, उसका कारण गरीब किसानों का भयानक शोषण था।

जयप्रकाश नारायण ने तर्क दिया है कि जिन नियमों के अनुसार दौलत एक जगह जमा होती है, वे नियम जैसे और जगह लागू होते हैं, वैसे ही भारत में लागू होते हैं। सम्पत्ति के इस केन्द्रीकरण को रोकने का जो उपाय कारगर है, वह दूसरी जगह के लिए सही है और भारत के लिए भी सही है। शोषण को रोकने और दौलत का असमान बँटवारा खत्म करने के लिए उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार जैसे और देशों के लिए जरूरी है, वैसे ही भारत के लिए जरूरी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब देशों में क्रान्ति एक ही ढंग से होती है। विकास की सामान्य रूपरेखा एक ही होती है, हर देश की अपनी विशेषताएँ इस रूपरेखा के अन्तर्गत होती हैं। भारत के लिए जयप्रकाश नारायण का कहना है कि "समाजवाद के सिद्धान्त यहाँ किस तरह और किन मजिलों में लागू किये जायेंगे, इस पर भारत की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है, वह तरीका और वे मजिलें इन परिस्थितियों से निर्धारित हो सकती हैं किन्तु परिस्थितियों की वह विशेषता इन सिद्धान्तों को कभी नहीं बदल सकती।" (पृष्ठ २२)।

भारत कृषि-प्रधान देश है, स्वाधीन होने से पहले कृषि की प्रधानता और भी अधिक थी। ऐसे देश में यदि ग्राम समाज को आर्थिक इकाई माना जाये और उसे स्वायत्त बना दिया जाय, तो क्या इसमें शोषण की समस्या हल न हो जायेगी? जयप्रकाश नारायण ने इस समाधान पर भी विचार किया है। समाज का पुनर्गठन इस तरह किया जाय कि आदमी के पास उतनी जमीन हो, जितनी में वह स्वयं खेती कर सके। इसी तरह कारीगर अपने कारखाने में अपने औजारों से काम करे। उत्पादन के जिन साधनों का उपयोग आदमी खुद अपने हाथों न कर सके, उन साधनों पर उसका अधिकार रहने ही न दिया जाये। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि तानशाही के बिना वर्तमान समाज को बदलकर इस तरह की समाज-व्यवस्था कायम करना सम्भव नहीं है। पहली कठिनाई तो उसे कायम करने की है। दूसरी कठिनाई का सम्बन्ध उसकी उपयोगिता से है। जयप्रकाशजी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कायम करना सम्भव हो, तो भी उसे कायम करना हितकर न होगा। संचार और यातायात के साधन ऐसे समाज में निहाम्यत पिछड़े हुए होंगे। यह समाज रेल-तार व्यवस्था से मुक्त होगा। सैनिक दृष्टि से "वह बहुत ही कमजोर होगा और औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए देश बड़ी आसानी से उसे दबोच लेंगे। जीवन-स्तर के विचार से भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को बहुत ही नीचे स्तर का जीवन बिताना पड़ेगा क्योंकि फी आदमी उत्पादकता बहुत ही कम होगी।" (पृष्ठ १७)।

भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद जो भूदान आन्दोलन चलाया गया,

उसका उद्देश्य ग्राम समाज को स्वायत्त आर्थिक इकाई बनाकर उसे पूंजीवादी शोषण से मुक्त करना था। यह आन्दोलन सफल न हो सकता था क्योंकि देश के पूंजीवादी (औद्योगिक) विकास को रोकने की शक्ति उसमें नहीं थी। इसके सिवा यदि वह सफल भी हो जाता तो देश वर्तमान संसार में जितना पिछड़ा हुआ आज है, उससे भी ज्यादा पिछड़ी हुई स्थिति में हो जाता। भूदानी विचार-धारा उन छोटे किसानों की आकांक्षा प्रतिबिम्बित करती है जिनके पास थोड़ी-सी जमीन है और जो चाहते हैं कि इसके सहारे वे आराम से जिन्दगी बसर करते रहें। समाजवादियों का लक्ष्य होता है कि ऐसे किसानों को सहकारिता के आधार पर संगठित करके उन्हें क्रमशः सामूहिक उत्पादन की ओर ले चलें। सहकारिता के बिना छोटा किसान खरीददार, विक्रेता, उत्पादक आदि के रूप में कमजोर पड़ता है। सहकारिता से उसे जो सुविधाएँ मिल सकती हैं, वे अलग-थलग पड़े रहने से नहीं मिल सकती। सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से इस छोटे किसान का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। जो आदमी अपने छोटे से दायरे के बाहर नहीं निकल पाता, एक बड़े समाज से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता, वह अपने व्यक्तित्व का विकास भी नहीं कर पाता। (पृष्ठ ५०)। सारी खेती छोटे-छोटे मालिकों में बँट जाये, तो योजना के अनुसार उत्पादन करना सम्भव ही न होगा। कारखानों के लिए कौन-सा कच्चा माल तैयार किया जाये, किस माल का निर्यात हो, किस माल का आयात हो, समाज के लिए कौन-सी चीजें आवश्यक हैं, उनका उत्पादन किन कारखानों में और कितनी मात्रा में हो, छोटी किसानों के चलते इन सब बातों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इसलिए छोटी इकाइयों के बदले खेती में बड़ी इकाइयाँ कायम करना जरूरी होता है। (पृष्ठ ५१)।

भारत में ऐसे ग्राम समाज रहे हैं जिनमें भूमि पर पंचायती अधिकार रहा है। जयप्रकाश नारायण का तर्क है कि पहले लोग मिलकर खेती कर सकते थे तो आगे क्यों नहीं कर सकते। यह तर्क रूस में भी दिया जाता था। वहाँ भी ऐसे ग्राम समाज थे जहाँ भूमि पर पंचायती अधिकार था। किन्तु समाजवादी व्यवस्था का कायम होना उद्योग-धन्धों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। ग्राम समाजों में भूमि पर पंचायती अधिकार गणव्यवस्था का अवशेष था जो सामन्ती व्यवस्था में बना हुआ था। सम्पत्ति का प्रधान रूप सामन्ती था, न कि पंचायती। सम्पत्ति का सामन्ती रूप किस तरह का होता है, इसकी चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र होगी। यहाँ इतना कहना काफी है कि उन्नीसवीं सदी में यह व्यवस्था रूस में टूट रही थी, भारत में उसके बहुत पहले से टूटने के अनेक प्रमाण हैं। जयप्रकाशजी मानते हैं कि "कृषि में यह व्यवस्था न तो भारत की सबसे प्राचीन व्यवस्था है और न यहाँ की सबसे व्यापक व्यवस्था है।" (पृष्ठ ५१)। बीसवीं सदी में समाजवाद की रचना से ग्राम समाजों को जोड़ने का प्रश्न ही न था। रूस में समाजवाद के अन्तर्गत खेती में कितनी उन्नति हुई है, अन्य क्षेत्रों की पुस्तकों से प्रमाण देते हुए इसकी विस्तार से चर्चा जयप्रकाश नारायण ने की है। समाजवाद के अन्तर्गत गाव दुनिया से अलग-थलग पड़ा हुआ समाज न रह जायेगा, यातायात और संचार के साधनों

वे वह बाकी दुनिया से जुड़ जायेगा, "शहर के समान गांव भी उत्पादन की औद्योगिक इकाई बन जायेगा।" (पृष्ठ ६०)।

समाज में वर्गसंघर्ष न होना चाहिए, विभिन्न वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए, मशीनों से उत्पादन बढ़ाने के बदले पुराने साधनों को आधार बनाकर समाज को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना चाहिए, यह विचारधारा गांधीजी की भी थी। जिनके पास पूँजी है, सम्पत्ति इकट्ठा हो गयी है, उन्हें चाहिए कि वे उमें जनता की धरोहर मान लें। जो सम्पत्ति धरोहर मान ली जायेगी, उसमें उद्योगपतियों की पूँजी ही नहीं है बरन् जमींदारों की जमीन भी है। इस तरह किसानों और मजदूरों, दोनों की समस्या हल हो जायेगी; पूँजीवादी और सामन्ती, दोनों तरह का शोषण समाप्त हो जायेगा। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक में समाजवादी दृष्टिकोण में इस गांधीवादी विचारधारा की आलोचना की है। १९२० के बाद कांग्रेसी नेतृत्व की जो आलोचना थोड़े से लोगो तक सीमित थी, वह अब व्यापक बन गई थी।

गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने उत्तर-प्रदेश के जमींदारों की गांधीजी से भेंटवाता का विवरण विस्तार से उद्धृत किया है। कांग्रेसी नीति से शक्ति होने पर ये जमींदार गांधीजी से कानपुर में मिले थे। जो बातचीत हुई, उसका पूरा वृत्तान्त महदेव देसाई ने प्रकाशित कराया था। बहुत से लोग कहते थे कि गांधीवाद ही सच्चा समाजवाद है और भारत के लिए वही उपयुक्त है। सारी बातचीत का सारतत्व यह है कि जमींदारों और पूँजीपतियों की सम्पत्ति उनसे छीनी न जायेगी, वह प्रजा की धरोहर के रूप में उनके पास रहेगी। गांधीजी ने कहा कि वर्ग-युद्ध भारतीय मानस के प्रतिकूल है। गांधीजी के राम-राज्य में राजकुमार और भिखारी दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पश्चिम का समाजवाद, और साम्यवाद, यह मानकर चलता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। हमारे यहाँ सन्त पैदा हुए जिन्होंने आध्यात्मिक मत्स्य की खोज में तपस्या करते हुए जीवन बिताया। पश्चिम में ऐसे सन्त नहीं हुए। हमारे समाजवाद या साम्यवाद का आधार अहिंसा होगी; उगमें मजदूर और पूँजीपति, जमींदार और किसान शान्तिपूर्वक सहयोग करेंगे। जमींदार जैसे ही अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, वे देखेंगे कि हम उनकी तरफ हैं और उनकी सम्पत्ति और निजी अधिकारों की पूरी चौकसी करते हैं। 'हम' में पंडित ब्रह्मसम्यक नेहरू भी शामिल है क्योंकि अहिंसा के प्रश्न पर उनसे कोई मतभेद नहीं है।

जमींदारों से बातचीत का विवरण ३ अगस्त १९३४ के 'लीडर' में छपा था। गांधीजी की धारणाओं की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि ये धारणाएँ न तो नयी हैं और न विशेषरूप में भारतीय हैं। किसी बात पर जोर कम या ज्यादा हो, इतना ही फर्क है; विचारों की मोटी कपड़ों में नहीं है, तर्क वही है जो पश्चिम के पूँजीवादी प्रोफेसर, विचारक और पाठ्य प्रामुख करने रहे हैं। वे कहते आये हैं कि वर्गसंघर्ष की बात नूतनतन्त्र है, प्राचीन में बड़ी बरवादी होती है, संघर्ष करने वाली शक्तियों में सामंजस्य कायम करने का आदर्श क्रांति के आदर्श से ऊँचा है, पूँजी और श्रम परस्पर निर्भर हैं, और मजदूरों के

लिए आवश्यक हैं। इसलिए मुनाफा, पगार और चीजों की कीमतें, इन पर बुद्धिमान्ती से नियन्त्रण रखना चाहिए। अंग्रेजी लेफ्टक ऐच. जी. वेल्स ने स्तालिन से मिलकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि वर्ग-युद्ध फ़िज़ूल की चीज़ है; पूँजीवाद में दोष है, उन्हें दूर करने का तरीका यह है कि आपस में टकराने वाले हितों के बीच सामंजस्य कायम किया जाये। इंग्लैण्ड के दक्षिणपंथी श्रमिक नेता रैमजे मैकडानल्ड भी वर्ग-युद्ध से चिंतित थे। उनका विचार था कि पूँजीपतियों और मजदूरों की टक्कर आर्थिक और नैतिक दृष्टि से हानिकर है। पूँजीपतियों और मजदूरों, दोनों को समाज की सेवा करनी है, समाजवादियों को कोशिश यह करनी है कि दोनों में सहयोग कायम हो।

जो लोग वर्ग-सहयोग की बात करते हैं, वे सुधारवादी हैं। सुधारवादियों और क्रांतिकारियों की पट्टी कभी नहीं बँटी। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, "क्रांति और सुधार का संघर्ष उतना ही पुराना है जितना मानव-इतिहास। गांधीजी की विचारधारा मूलतः वही है जो समाजवाद के इतिहास में सुधारवाद के नाम से जानी जाती है। उसकी भाषा हिन्दुस्तानी है लेकिन उसका सारतत्त्व अन्तरराष्ट्रीय है। सुधारवाद का मुख्य हित इस बात में है कि समाज में जो व्यवस्था पहले से कायम है, उसे कायम रखा जाये। जब उसे खतरा दिखाई देता है, भविष्य में केवल विध्वंस दिखाई देता है, तब वह व्यवस्था में मरहमपट्टी करके खतरे को टाल देना चाहता है। गांधीजी जमींदारों और पूँजीपतियों से इतना ही कहते हैं कि उन्हें आसामियों और मजदूरों से अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिए। ऐसा करने पर सबकुछ ठीक हो जायेगा, वर्गयुद्ध का भय दूर हो जायेगा, विद्रोह, असन्तोष, उपद्रव की नीबत न आयेगी। सुधारवाद को दिलचस्पी इस बात से नहीं है कि सामाजिक न्याय प्राप्त किया जाये वरन् इस बात से है कि समाज में जो घिनौनी दरारें पड़ गयी हैं, उन पर परदा डाल दिया जाये।" (पृष्ठ ८७)।

गांधीजी की विचारधारा एक पूरे वर्ग की विचारधारा है, यह बात स्वाधीन भारत के तीन दशकों के इतिहास को देखकर अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इन तीन दशकों की अवधि में सत्ताधारी वर्ग के नेता बराबर समाजवाद की बात करते रहे हैं, इसके साथ ही जहाँ भी किसानों और मजदूरों ने अपनी हालत सुधारने के लिए संघर्ष किया, वही इस वर्ग ने उनका दमन किया, भले ही इस संघर्ष का तात्कालिक उद्देश्य पूँजीवाद का नाश करना न रहा हो। कांग्रेसी सुधारवाद को आलोचना करना सन् ३० और ४० के दशक में क्यों जरूरी था, यह सन् ७० और ८० के दशक में भारतीय जनता की हालत देखकर आप समझ सकते हैं।

जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि गांधीजी जिस राम-राज्य का सपना देखते हैं, उसमें राजा के साथ भिखारी भी रहेगा, यह बात चौका देने वाली है। ठीक भी है। भिखारी न हंगें तो राजा को अपनी दानशीलता दिखाने का अवसर कैसे मिलेगा? गांधीवाद यह नहीं पूछता कि समाज में थोड़े से ही आदमी राजा, जमींदार और पूँजीपति क्यों हैं। वह उच्च और निम्न वर्गों वाली व्यवस्था स्वीकार कर लेता है। वह यह नहीं पूछता कि जमींदारों और पूँजीपतियों को

अपनी दौलत मिलनी कहां न है। दौलत के नालिकों से कहा जाये कि यह दौलत तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है, तो "एक समाजवादी के लिए इस विचारधारा का मतलब होगा बोन्ना देना, नुद को धोखा देना और शोषित जनता को धोखा देना। हमारे विचार से जमींदारों और किसानों की दौलत किसानों और मजदूरों की मेहनत के बल पर उन्हें मिलती है और इसलिए प्रुदों की प्रसिद्ध शब्दावली में वह चोरी का माल है। इस चोरी को चलने दिया जाये, उसके बारे में सवाल न किया जाये, उसे न्यायपूर्ण करार दिया जाये, यह सब धोखा देनेवाली विचारधारा है, भले ही वह अनजान में धोखा देती हो। उच्चवर्ग चोरी के ही अपराधी नहीं हैं, वे हिना के भी अपराधी हैं। वे हिना के अपराधी इसलिए हैं कि वे जनता के बनाये माल की चोरी हिना के द्वारा कायम रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अगर कानून न हो, और जान लेना चाहिए कि यह एक वर्ग का कानून है, और उसे लागू करने के लिए हिमा की संगठित शक्ति मौजूद न हो, तो किसान और मजदूर कल ही जमीन और कारखानों पर कब्जा कर लें।" (पृष्ठ ८८)।

मतलब यह है कि सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए दो बातें जरूरी है। पहली यह कि जो किसान जमीन जोतता है, वह उस पर कब्जा करे; दूसरी यह कि कारखानों में काम करने वाले मजदूर उन पर कब्जा करें। भारत के समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण यह बात १९३६ में अच्छी तरह जानते थे किन्तु चालीस साल बाद उन्होंने जो सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन चलाया, उसमें न तो जमीन पर जोतने वालों के अधिकार की बात थी, न कारखानों पर मजदूरों के कब्जा करने की।

पूजीपतियों के पास उनकी दौलत अमानत की तरह है, यह सिद्धान्त भी बहुत पुराना है। १८वीं सदी में ही अग्नेज लेखक गौडविन ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल जस्टिस (सामाजिक न्याय) में बताया था कि धर्मप्रचारक अमीरों को यह सिखाते रहे हैं कि उनकी दौलत उनके पास अमानत के रूप में है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि डेढ़ सौ साल पहले अमानत का यह सिद्धान्त इंग्लैण्ड में प्रचलित था; इसलिए कोई नहीं कह सकता कि यह सिद्धान्त भारत की देन है। यदि धनी लोगों ने अपनी दौलत न्यायपूर्ण ढंग से कमाई है तो किसी को यह कहने का क्या अधिकार है कि वह उसे दूसरों को दे दे; गरीब मरते हैं तो मरें, इसमें अमीरों का क्या दोष? यदि उन्होंने अपनी दौलत अन्याय से कमाई है, तो उसे उनसे छीन लेना उचित न होगा। जयप्रकाशजी कहते हैं कि यह नीति-शास्त्र की समस्या नहीं है, "समस्या है सम्पत्ति के वैज्ञानिक विश्लेषण की, उसके उत्पादन और वितरण की पद्धति के वैज्ञानिक विश्लेषण की। भावुकता के पुण्य में समस्या को छिपा देने के बदले साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने मानवजाति की बहुत बड़ी सेवा की थी जब उन्होंने पूजीवादो सम्पत्ति के विश्लेषण का काम उठाया था और फिर साबित कर दिया था कि उसका आधार मेहनत का शोषण है। पहले लोग नैतिक कारणों से आग्रह में आकर जो कहते थे, उसे मार्क्स ने वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया; इसके लिए पूजीवादी

प्रोफेसरों ने अभी तक उनको क्षमा नहीं किया। यही कारण है कि मूल्य सम्बन्ध उनके श्रमसिद्धान्त को इतनी बार लोग 'असिद्ध' कर चुके हैं।" (पृष्ठ ६२)।

समाजवाद के विरुद्ध एक तर्क यह है कि समाज व्यक्तियों से बना है और यदि व्यक्ति का सुधार हो जाये, तो सारा समाज सुधर जायेगा। इस तर्क के बाँ में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने वाला शक्ति सामाजिक परिवेश है। यदि कोई पूँजीपति मजदूरों का शोषण करता है तो आवश्यक नहीं कि इसलिए वह ऐसा करता हो कि वह दुष्ट है। वह जिस पूँजीवादी व्यवस्था में रहता है, उसमें वह मजदूरों का शोषण करने के बदले और कुछ कर ही नहीं सकता। यदि वह शोषण करना बन्द कर दे तो दूसरे लोग उसे ठेलकर एक तरफ कर देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। समाज में वर्गों का व्यवहार बदलना है, तो इसके लिए समाज के संगठन को ही बदलना होगा। (पृष्ठ ६७-६८)।

बहुत से लोग विश्वास करते थे और कुछ अब भी करते हैं कि उद्योग-धन्धे मशीनों से न चलाये जायें, इनकी जगह घरेलू उद्योग समाज की आवश्यकताएँ पूरी करें, तो इससे वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायेगी। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए मशीनों का उपयोग जरूरी है। वेकारी का कारण पूँजीवादी व्यवस्था है। जहाँ यह व्यवस्था नहीं है, जैसे रूस में, वहाँ मशीनों के व्यवहार से पैदावार में बढ़ती हुई है, वेकारी का नाम नहीं है और आम जनता के जीवनस्तर को ऊँचा किया गया है। चर्खा चलाने को रचनात्मक कार्यक्रम का नाम दिया गया था। हरिजन-उद्धार आदि कुछ और बातें चर्खा चलाने के साथ जोड़ दी गयी थी। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि आम जनता को राजनीतिक क्षेत्र में खींच लाने में यह रचनात्मक कार्यक्रम कारगर साबित नहीं हुआ। क्रान्ति के लिए आवश्यक है कि पूरे वर्ग के वर्ग, अपने वर्ग-हितों से प्रेरित होकर, राजनीति में भाग लें। पूँजीपतियों के पास ऐसा कार्यक्रम नहीं है। (पृष्ठ १३६)। सारांश यह कि "गांधीवादी सिद्धान्त के पीछे नीयत अच्छी हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि नीयत अच्छी है पर नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, मुझे मानना होगा कि यह सिद्धान्त खतरनाक है। ऐसा कहने से मुझे कोई खुशी नहीं होती। वह खतरनाक इसलिए है कि वह वास्तविक समस्याओं पर पर्दा डालता है और समाज की बुराइयों को सिर्फ नेक इरादों के सहारे दूर करने को आगे बढ़ता है। इस तरह वह आम जनता को धोखा देता है और उच्च वर्गों को प्रोत्साहन देता है कि वे अपना प्रभुत्व बनाये रहें।" (पृष्ठ १११)।

जयप्रकाश नारायण ने गांधीवाद के बारे में जो कुछ लिखा है, वह पूँजीपति वर्ग के बारे में उनकी मान्यताओं के अनुरूप है। इन मान्यताओं की चर्चा आगे करेंगे। यहाँ इतना कहना काफी है कि गांधीवाद लाखों आदिमियों को उनके जीवन में पहली बार राजनीति के मैदान में खींचकर लाया। इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों पर जन-आन्दोलन का दबाव डाला जाये। इसके साथ ही उसका उद्देश्य यह भी था कि इस दबाव को क्रान्तिकारी रूप न लेने दिया जाये। यदि मजदूर और किसान अपने वर्गहितों को ध्यान में रखते हुए इस आन्दोलन में भाग लें

तो वह क्रान्तिकारी रूप धारण करेगा और उसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग के हाथ से निकल जायेगा ।

समाजवाद के विरोधियों में कुछ प्राचीनतावादी लोग भी थे जो मानते थे कि मनुस्मृति में जो व्यवस्था है, वही समाज के लिए आदर्श व्यवस्था है। जयप्रकाश नारायण ने इन लोगों की मान्यताओं का भी खण्डन किया है। समाज में किस तरह का विभाजन हो, यह किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्स का हवाला देते हुए बताया है कि सामाजिक विभाजन का मूल स्रोत वह पद्वति है जिसके अनुसार मनुष्य अपनी जीविका के साधन जुटाते है। (पृष्ठ ११८)। समाज में जो विभाजन सहज रूप में पैदा हुआ था, सभ्यता की एक विशेष मज्जिल में मनु ने उसे व्यवस्थित किया। वह पुरानी व्यवस्था वर्तमान समाज पर लादने के पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वर्तमान समाज में इस तरह का विभाजन पैदा क्यों हुआ। भारत में तथा अन्य देशों में वर्तमान वर्ग-भेद सामाजिक विकास क्रम में पैदा हुआ है, उसे किसी ने बाहर से समाज पर लाद नहीं दिया। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए वर्गों की स्थिति समझनी चाहिए और उनमें जो क्रान्तिकारी हों, उन्हें संगठित करके आन्दोलन चलाना चाहिए।

आधुनिक भारत में स्वाधीनता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जयप्रकाशजी की पुस्तक में विभिन्न वर्गों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। भारत राष्ट्र के अन्तर्गत देशी रियासतों के राजा, उद्योगपति, साहूकार, सौदागर, किसान, मजदूर आदि है। इन सबके लिए राष्ट्रीयता और स्वाधीनता का एक ही अर्थ नहीं है, न उसके लिए लड़ने का तरीका ही सबके लिए एक है। राजाओं के लिए आजादी का मतलब है रियासत में उनकी पूर्ण प्रभुता हो। यह प्रभुता तो समर-भूमि में लड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। जयप्रकाशजी पूछते हैं, "किन्तु १८५७ के बाद राजाओं में ऐसा कौन है जो अपनी प्रभुता के लिए मुझ करने को तैयार है?" इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, "जाहिर है कि राजा लोग स्थाई रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन सामन्त बने रहेंगे। जिस हद तक 'राष्ट्रीय' आन्दोलन साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उस हद तक वे स्वभावतः इस आन्दोलन के खिलाफ होंगे।" (पृष्ठ १३१-३२)।

इनके साथी जमींदार हैं जो "अधिकतर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मूर्च्छित हैं।" (पृष्ठ १३२)। बड़े जमींदारों ने हमेशा अंग्रेजी राज का गाय दिया है और देश में उसके प्रमुख स्तम्भ रहे हैं। वे राजनीति में हिस्सा लेते हैं और राजनीति के हाथों में आ जाये तो उनके हितों पर ध्यान न आवे। अंग्रेजी राज में "त्रिनेत्रा भी राजनीतिक समझ होगी या राजनीति का अनुभव होगा, वह जमींदारों के साथ एकता कायम करने की बात न गोचरेगी।" (पृष्ठ १३३)। इस स्थापना में निष्कर्ष यह निकलता है कि साम्राज्यवाद को हटाने के लिए उसके स्तम्भों को गिराना जरूरी है। भारत की बृहत्संख्यक वर्गों का विघ्न है; किसानों के बीच जमींदारों के रूप में ये स्तम्भ खड़े हैं। साम्राज्यवाद को निचले के

लिए इन स्तम्भों को गिराना जरूरी है। भारत में साम्राज्यविरोधी क्रान्ति तभी सफल हो सकती है जब वह सामन्तविरोधी भी हो। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि राष्ट्रीयता तभी सार्थक हो सकती है जब उसका मतलब किसानों की आजादी भी हो। (पृष्ठ १३३)। इस आजादी का मतलब है किसानों की शोषण में मुक्ति। किसानों के लड़ने का तरीका क्या है? जयप्रकाशजी कहते हैं, “किसान सदा से एक ही तरीका जानते आये हैं—सीधी कार्यवाही (डायरेक्ट ऐक्शन)। किन्तु ऐसी कार्यवाही देशी शोषकों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है जितनी विदेशी के लिए। इस कारण देशी शोषकों का हित इस बात में है कि किसान अपने आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के प्रति सचेत न हो पायें।” (पृष्ठ १३४)। मार्क्सवादी साहित्य में किसानों की उदासीनता, निष्क्रियता, राजनीतिक पिछड़ेपन पर बहुत कुछ लिखा गया है। इसके विपरीत जयप्रकाशजी मानते हैं कि भारत के किसान सीधी कार्यवाही से परिचित हैं और बहुत समय से परिचित हैं। उनकी इन मान्यता के सही होने का एक प्रमाण यह यह है कि सुधारवादी नेतृत्व के लिए यह निरन्तर आवश्यक रहा है कि वह उनकी सीधी कार्यवाही पर अंकुश लगाये।

जहां तक पूँजीपति वर्ग का सम्बन्ध है, जयप्रकाशजी कहते हैं, “भारत का पूँजीपति वर्ग गैरक्रान्तिकारी साबित हुआ है, अर्थात् वह अपने नेतृत्व में एक ज़बर्दस्त साम्राज्यविरोधी आन्दोलन विकसित नहीं कर सका। और इसका कारण यही नहीं है कि उसने स्वयं संघर्ष में भाग नहीं लिया, एम आन्दोलन के विकास के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें आम जनता बड़ी तादाद में लिचकर आये, यानी उसे जन-आन्दोलन बनाना होगा। पूँजीपति वर्ग ऐसा करने में असफल रहा है।” (पृष्ठ १३८)।

पूँजीपतियों की वर्ग-स्थिति का विश्लेषण करते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वे क्रान्तिकारी भूमिका निवाहने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण यह है कि “भारत का उद्योगपति वर्ग साम्राज्यवाद की छत्रछाया में पला और बढ़ा है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक नकेल साम्राज्यवाद के हाथ में है। उसे कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त नहीं है जैसी आयरलैंड के पूँजीपतियों को संयुक्त-राष्ट्र अमरीका में मिला है। भारत में उसकी बढ़ती से ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ, न देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर उसका कोई ऐसा प्रभाव पड़ा है, कि लोगों में उसके लिए उत्साह पैदा हो और उनका समर्थन उसे मिले। इसका नतीजा यह है कि वह साम्राज्यवाद का विरोध नहीं कर पाता। अधिक से अधिक वह उस पर दबाव डाल सकता है। लेकिन यह दबाव भी वह खुद वर्गरूप में नहीं डाल पाता। साम्राज्यवाद पर दबाव डाल पाने का उसके पास एक ही तरीका है कि वह दूसरे वर्गों को ऐसा करने के लिए फुसलाये और चोरी-चोरी उनकी मदद करे। ये दूसरे वर्ग एम होंगे जिन्हें अपना माल-मत्ता खोने का डर न होगा। दबाव का लक्ष्य है उसके हाथों में सत्ता आना; इससे अलग हटकर जहाँ कोई उद्देश्य हुआ, वहाँ वह मदद से हाथ खींच लेगा। दूसरे शब्दों में उद्योगपति वही तक राष्ट्रवादी हैं जहाँ तक राष्ट्रवाद का लक्ष्य पूँजीवादी राज्यसत्ता की स्थापना है।” (पृष्ठ १३३)।

उद्योगपतियों के विपरीत मजदूरों के लिए आजादी का मतलब है उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, पगार लेकर गुलामी करनेवाले जीवन से मुक्ति। किसानों की तरह मजदूरों का भी तरीका है सीधी कार्यवाही। पूजीपति चाहते हैं कि इनमें वर्गचेतना न फैलने पाये। (पृष्ठ १३४)।

भारत का पूजीपति वर्ग साम्राज्यवाद के दलाल का काम करता है या उसके विरोध में है, यह वर्ग क्रान्तिविरोधी है या मुधारवादी है, यह प्रश्न १९४७-४८ में अनेक भावसंवादी विचारकों के गामने प्रश्न रूप में विद्यमान था। प्रश्न बहुत पुराना था और १९३६ में जयप्रकाश नारायण के सामने भी विद्यमान था। उससे एक दशक पहले मानवेन्द्रनाथ राय भी इस प्रश्न का विवेचन कर चुके थे। इन सभी के विवेचन में मुधारवादी और क्रान्तिविरोधी में स्पष्ट भेद नहीं किया गया। तर्क कुछ इस तरह चलता है कि जो साम्राज्यवाद में क्रान्तिकारी संघर्ष नहीं चलाता, वह मुधारवादी है और जो मुधारवादी है, वह क्रान्तिविरोधी है। यह बिल्कुल सम्भव है कि अंग्रेजी राज और भारत के अनेक उद्योगपतियों में आपसी विरोध हो किन्तु ये उद्योगपति क्रान्तिकारी ढंग में स्वाधीनता आन्दोलन न चला सकें, उनके प्रभाव से जो आन्दोलन चलाया जाये, उसका उद्देश्य अंग्रेजी राज पर दबाव डालकर अपने लिए सुविधाएँ प्राप्त करना हो। इसका यह अर्थ न होगा कि इन उद्योगपतियों के कल-कारखाने साम्राज्यवाद का आर्थिक आधार है। ऐसे उद्योगपति मुधारवादी कहलायेंगे, क्रान्ति-विरोधी नहीं। भारत में मुख्य क्रान्तिविरोधी वर्ग देशी रियासतों के राजाओं और जमींदारों का था। जयप्रकाश नारायण ने ठीक लिखा है कि भारत में अपनी जट जमाने के लिए अंग्रेजी राज के लिए जरूरी था कि वह अपने मातहत एक दूसरी शक्ती कायम करे जो उसके और जनता के बीच में हो और जनता से उसकी रक्षा करे। उसी लिए जरूरी था कि वह देहात में अपने लिए सामाजिक आधार बनाये। उसने यह काम इस तरह पूरा किया, "सामन्ती भारत के उच्च वर्गों में जिन्होंने अंग्रेजी राज कायम करने के दौरान लड़ाइयों में अपने पक्ष में विश्वासघात किया था, उन्हें उसने बटोरा और जमींदारों का एक वर्ग बनाया और उसे लाखों किसान सौंप दिये।" (पृष्ठ १४८-४९)। खासतौर से जिन्होंने १८५७ में अंग्रेजों का साथ दिया, स्वभावतः अंग्रेजों ने उनका भरोसा ज्यादा किया और इसके फलस्वरूप उनकी भूमिका भी उतनी ही अधिक क्रान्तिविरोधी थी। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेज भारत पर अपनी हुकूमत कायम करके सामन्तवाद खत्म रहे थे, वे इस बात की कैफियत नहीं देते कि १८५७ में बंगाल, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, राजस्थान, हैदराबाद आदि के सामन्तों ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। १८५७ के बाद जो सामन्त अंग्रेजी राज के सामाजिक आधार बने, वे अचानक न प्रकट हो गये थे। वे अंग्रेजी राज के सहायक १८५७ में भी थे। जो लोग १८५७ में अंग्रेजों और सामन्तों के गठबंधन का मतलब नहीं समझते, वे यह भी नहीं जानते कि साम्राज्यविरोधी क्रान्ति तभी सफल होगी, जब वह सामन्तविरोधी भी हो। इस प्रकार भारत में क्रान्ति का लक्ष्य क्या हो, उसकी मुख्य शक्ति कौन हो, इन प्रश्नों का उत्तर १८५७ के बारे में प्रश्नकर्ता की समझ से जुड़ा हुआ है।

जयप्रकाश नारायण ने ठीक लिया है कि जमींदारों के रूप में अंग्रेजों का प्रभावशाली और विश्वसनीय सहायक मिला। जमींदारों को विशेष अधिकार प्राप्त थे; इससे देहात में उनका खूब रोच-दाच था। किसान यदि अंग्रेजी राज से टकरायें, तो पहली टक्कर झेलने के लिए जमींदार मौजूद थे। जब भी किसानों का असन्तोष उफनाता, "वह उतना सरकार वहादुर के खिलाफ न होता जितना जमींदारों के। इस प्रकार जमींदारी प्रथा भारत में अंग्रेजी राज का पहला और सबसे प्रशस्त आधार थी।" (पृष्ठ १४६)। यह बात सही है, इसलिए अंग्रेजी राज को निर्मूल करने के लिए इस आधार को रत्म करना जरूरी था। मुख्य क्रान्ति-विरोधी शक्ति देश के राजाओं और जमींदारों की थी।

भारत के अनेक उद्योगपति क्रान्तिविरोधी नहीं थे, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे क्रान्तिकारी थे और किसानों का सामन्तविरोधी संघर्ष चलाने की क्षमता उनमें थी। भारत में जो मार्क्सवादी यह मानते रहे हैं कि भारतीय पूंजीवाद साम्राज्यवाद का दलाल नहीं है, वे अपनी मान्यता से अक्सर एक दूसरा निष्कर्ष निकालते रहे है कि यह वर्ग क्रान्तिकारी है। उनके लिए कोई वर्ग या तो क्रान्तिविरोधी होगा या फिर क्रान्तिकारी, दोनों के बीच में अन्य स्थिति उनके लिए कल्पनातीत है। जो लोग समझते है कि पूंजीपति वर्ग क्रान्तिविरोधी है, वे सामन्त-विरोधी क्रान्ति का लक्ष्य भूलकर सारी शक्ति पूंजीवाद विरोधी अर्थात् समाजवादी क्रान्ति करने में लगा देते हैं। समाजवादी क्रान्ति से दिलचस्पी सर्वहारा वर्ग को होगी; जो गैर-सर्वहारा हैं, वे अभी समाजवादी क्रान्ति के लिए तैयार नहीं हैं। साम्राज्यवादी शासन के कायम रहते जो लोग समाजवादी क्रान्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे, जो साम्राज्यविरोधी और पूंजीवादविरोधी दानों क्रान्तियां एक साथ सम्पन्न करना चाहते थे, वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में अलग-थलग पड़कर उस आन्दोलन का नेतृत्व पूंजीपतियों को सौंप देते थे। उनकी राजनीतिक कार्यवाही का और कोई दूसरा परिणाम न हो सकता था। इनके विपरीत जो लोग समझते थे कि पूंजीपति वर्ग क्रान्तिकारी है, वे भी उसके पिछलगुए बने रहने में अपनी कार्यनीति की सफलता देखते थे। सीधी सी बात है, यदि पूंजीपति वर्ग क्रान्तिकारी है, तो उसे स्वाधीनता आन्दोलन के नेतृत्व पद से हटाने का मतलब होगा क्रान्ति विरोध। इस तरह भारतीय पूंजीवाद की भूमिका को लेकर वामपंथी आन्दोलन में दो तरह का अवसरवाद पैदा होता है, एक उग्रपंथी जो समस्त देशी पूंजीवाद को क्रान्तिविरोधी मानता है, दूसरा दक्षिणपंथी जो उसे क्रान्तिकारी मानता है। दोनों तरह के अवसरवाद स्वाधीनता आन्दोलन में किसानों की भूमिका पहचानने में असमर्थ रहते हैं, दोनों का वस्तुगत परिणाम एक ही होता है, वह यह कि पूंजीपति वर्ग स्वाधीनता आन्दोलन की बागडोर मजबूती से अपने हाथ में रखे।

पूंजीवाद का लक्ष्य है, लड़ाई जनता करे लेकिन उस लड़ाई का फल उसे मिले। जयप्रकाश नारायण ने पूंजीपतियों के सुधारवाद के बारे में अनेक बातें कही है जो सही है। वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और आज की राजनीति के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। प्रसिद्ध समाचारपत्र हिन्दुस्तान टाइम्स भारतीय पूंजीवाद का मुख पत्र है (पृष्ठ १२८), यह बताने के बाद वह उस राष्ट्रीय एकता की छान-

बोन करते हैं, यह अद्ययार जिसकी वकालत करता है। हिन्दुस्तान टाइम्स के लिए राष्ट्रीय एकता का वास्तविक यह अर्थ है कि "निम्न वर्ग, आम जनता, साम्राज्यवाद में लड़े, स्वयं शोषण से मुक्त होने के लिए नहीं, वरन् साम्राज्यवाद की जगह पूँजीपतियों और बड़े भू-स्वामियों को गद्दी पर बिठाने के लिए; जबकि ये भू-स्वामी और पूँजीपति स्वयं उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते।" (पृष्ठ १३५)। मानी बात है कि स्वाधीनता-आन्दोलन की बागडोर पूँजीपति वर्ग के हाथ में होगी तो उस आन्दोलन के फलस्वरूप जो सत्ता प्राप्त होगी, उस पर अधिकार भी इसी वर्ग का होगा। यह वर्ग जिस तरह से आन्दोलन चला रहा है, उसमें साम्राज्यवाद की हार न होगी वरन् कुछ कमजोर से समझौते होंगे। (पृष्ठ १३६)। कांग्रेस के अभ्युदय से पहले आजादी की लड़ाई, जयप्रकाश नारायण के अनुसार, सामन्ती नेतृत्व में लड़ी गयी; "उसके बाद पूँजीवादी नेतृत्व में चलनेवाले राष्ट्रीय सुधारवादी आन्दोलन का दौर आया।" (पृष्ठ १५७)। यहाँ पूँजीवादी नेतृत्व को सुधारवादी आन्दोलन चलाने वाला ठीक कहा गया है। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया है कि भावी नेतृत्व किस तरह का होगा और उत्तर दिया है कि यह नेतृत्व केवल मजदूर वर्ग का हो सकता है। (पृष्ठ १५८)। सुधारवादी नेतृत्व की जगह मजदूर वर्ग का क्रान्तिकारी नेतृत्व कायम करने की बात सही है। ऐसा नेतृत्व कायम होने पर पूँजीपति वर्ग के कुछ अंग क्रान्तिकारी युद्ध में सहयोग कर सकते हैं, जो सहयोग न करें, वे तटस्थ किये जा सकते हैं, जो शत्रु से मिल जायें, वे स्वयं अलग-थलग पड़ जायेंगे और देश की बहुसंख्यक जनता शत्रु के माथ उन्हे भी नष्ट कर देगी। मजदूर वर्ग का नेतृत्व कितना क्रान्तिकारी है, इसकी कमीटी यह है कि वह कितने बड़े पैमाने पर स्वाधीनता आन्दोलन में क्रियाशील बनता है। किसानों को एकजुट किये बिना वह पूँजीपति वर्ग को अलगाव की हालत में नहीं कर सकता। स्वाधीनता आन्दोलन की बागडोर सुधारवादियों के हाथ में है या क्रान्तिकारियों के, यह इस पर निर्भर है कि किसानों पर पूँजीपति वर्ग का प्रभाव है या मजदूर वर्ग का।

जयप्रकाश नारायण भारतीय पूँजीवाद को सुधारवादी कहते हैं और क्रान्ति-विरोधी भी। उनका विश्लेषण यह है कि भारत का उद्योगपति वर्ग साम्राज्यवाद की छत्रछाया में पला है। उसके आर्थिक हित साम्राज्यवादी हितों से जुड़े हुए हैं। (पृष्ठ १३३)। साम्राज्यवाद के अलावा जमींदारों से भी उसका गहरा सम्बन्ध है। (पृष्ठ १४०)। इसलिए वह किसानों के लिए कोई सामन्त-विरोधी कार्यक्रम नहीं रख सकता, इस कारण उसके साथ किसी भी तरह की एकता कायम करना गलत होगा। वह जिस आन्दोलन में साथ रहेगा, उसका एक ही परिणाम होगा कि आम जनता के हितों की बलि देकर साम्राज्यवाद से समझौता किया जाये। (पृष्ठ १४१)। साम्राज्यवाद से वह समझौता करने योग्य इसी कारण हो पाता है कि आम जनता साम्राज्यवाद पर दबाव डालती है। इसी जनता से वह दशा करता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की बात करना बेकार है। ऐसी बातों का मतलब होता है, उच्च वर्गों को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति दिलाने के लिए साम्राज्यवाद से आम जनता लड़े। जयप्रकाशजी कहते हैं, "उच्चवर्गों के क्रान्तिविरोधी स्वरूप के कारण

यथार्थ व्यवहार में ऐसी नीति का परिणाम होता है आम जनता से विश्वासघात और स्वाधीनता आन्दोलन में निराशा का प्रसार।" (पृष्ठ १४२)। आजादी मिलने पर भारत के उद्योगपति साम्राज्यवाद के छुट्टेभूये भागीदार होंगे। १९४८ में जो मार्क्सवादी कहते थे कि भारतीय पूँजीपति अंग्रेजों के भागीदार हैं, उनकी यही बात बहुत पहले जयप्रकाश नारायण कह चुके थे। अंग्रेजी राज का शिकंजा जिन्हें अपनी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा जान पड़ता है "किन्तु जो उससे लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, जैसे कि भारत के उद्योगपति, वे साम्राज्यवाद के छोटे भागीदारों (जूनियर पार्टनर्स ऑफ़ इम्पीरियलिज्म) की हैसियत से आम जनता के शोषण की सुविधाएँ पाकर सन्तुष्ट हो जायेंगे, खासतौर से उस हालत में जब स्वाधीनता आन्दोलन से आम जनता में वर्गचेतना के जागने का खतरा पैदा हो गया हो।" (पृष्ठ १४४)।

१९४७ में भारत को जो आजादी मिली, उसके बारे में अनेक मार्क्सवादियों की मान्यता यह थी कि देश में क्रान्तिकारी उभार से घबड़ाकर पूँजीपति वर्ग साम्राज्यवाद से जा मिला है, साम्राज्यवादी शोषण में अब उसे भी हिस्सा मिल गया है। जयप्रकाश नारायण ने १९३६ में भारतीय पूँजीवाद के बारे में जो कुछ कहा था, यह मान्यता उसी को दोहरा रही थी। जयप्रकाशजी यह मानते थे कि भारत के उद्योगपतियों को अंग्रेजी राज का शिकंजा अपनी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा जान पड़ता था। यदि ये सभी उद्योगपति अंग्रेजी राज की छत्रछाया में बड़ रहे थे, तो वह छत्रछाया शिकंजा बनकर उनकी प्रगति में बाधक न हो सकती थी। भारत का पूँजीपति वर्ग ऐसा सुगठित वर्ग न था जिसमें अनेक स्तर न हों और जिसमें इन स्तरों के बीच आपसी विरोध न हो। जयप्रकाश नारायण ने माना है कि पूँजीपति वर्ग का एक भाग ऐसा है, "जो साम्राज्यवाद पर इतना निर्भर है कि उसका विरोध करना तो दूर, वह चाहता है कि साम्राज्यवाद यहां हमेशा बना रहे। यह वह भाग है जो साम्राज्यवाद के त्रिचवानी (मिडल मैन) का काम करता है। दूसरा भाग औद्योगिक पूँजीपतियों का है जो चाहता है कि साम्राज्यवाद से मुक्ति मिले किन्तु जो उसका सीधे विरोध करने से डरता है।" (पृष्ठ १३६)। मोटे तौर से पूँजीपतियों में ये दो भिन्न स्तर हैं। इनमें एक का हित साम्राज्यवाद के बने रहने में है और दूसरे का हित उसके चले जाने में है। यह भेद मजदूर वर्ग के लिए महत्त्वपूर्ण है। दोनों स्तरों को मिलाकर उन्हें समान रूप से क्रान्तिविरोधी कहना वास्तविक स्थिति का सही विवेचन नहीं है।

साम्राज्यवाद ने सामन्तों और जमींदारों को अपना मुख्य सामाजिक आधार बनाया। उनके अलावा उसने "दूसरे लघु-भगुएँ तैयार किये, वे त्रिचवानी थे जो उसका काम करते थे। इनके साथ उसके सेवक, नौकर-चाकर, राय साहब, खा साहब वगैरह थे। ये वर्ग और गुट समाज का उच्च स्तर बने और अपने-अपने दाँयरे में वे जनता पर काफी असर डालते रहे। इस प्रकार वे साम्राज्यवाद के लिए एक और रक्षा-पंक्ति बन गये।" (पृष्ठ १४९)। अनेक उद्योगपति इन लघु-भगुओं और सेवकों के वर्ग से भिन्न थे। साम्राज्यवाद का मुख्य आधार सामन्त थे। इसलिए साम्राज्यविरोधी क्रान्ति की मुख्य दिशा सामन्तविरोधी थी। जो

०१ साम्राज्यवाद के विचरवानी का काम करते थे, उसके सेवक थे, वे उसका
 ०२ सामाजिक आधार थे। इसलिए साम्राज्यविरोधी क्रान्ति की गौण दिशा इन
 ०३ लोगों की ओर भी थी। समस्त पूँजीपति वर्ग को क्रान्तिविरोधी मानने का परिणाम
 ०४ ही होता कि मार्क्सवादी विचारक साम्राज्यविरोधी और पूँजीवादविरोधी, दोनों
 ०५ क्रान्तियाँ एक साथ सम्पन्न करने का लक्ष्य अपने सामने रखते। १९४८ में अनेक
 ०६ मार्क्सवादियों के सामने यही स्थिति थी: भारत का पूँजीपति वर्ग साम्राज्यविरोधी
 ०७ क्रान्ति नहीं कर सका, वह साम्राज्यवाद से मिल गया है, इसलिए अब साम्राज्य-
 ०८ विरोधी क्रान्ति और पूँजीवादविरोधी क्रान्ति दोनों मिलकर एक हो गयी है, अब
 ०९ स्वाधीनता की लड़ाई और समाजवाद की लड़ाई, दोनों लड़ाइयाँ एक साथ चलायी
 १० जायेंगी। जयप्रकाश नारायण ने लिखा था कि "आम जनता के लिए साम्राज्य-
 ११ विरोधी क्रान्ति का आधार यह नारा होना चाहिए कि सभी शोषकों को समाप्त
 १२ कर दिया जाये।" (पृष्ठ १५१)। आम जनता के वर्गसंगठन बनाने का मतलब
 १३ उन्होंने यह लगाया कि पूँजीवादी नेतृत्व में चलनेवाले स्वाधीनता आन्दोलन से
 १४ नाता तोड़ लिया जाये। उन्होंने लिखा, "हमें राष्ट्रीय एकता के जादू का अन्त
 १५ करना चाहिए; और राष्ट्रीय स्वाधीनता के हित में दल सगठनों का निर्माण
 १६ करना चाहिए।" (पृष्ठ १५२)। राष्ट्रीय एकता को भंग करने की जिम्मेदारी
 १७ पूँजीपतिवर्ग पर डालने के बदले वह उसे अपने ही कर्णों पर उठा रहे थे। इस
 १८ तरह के विचार १९३४ से पहले कम्युनिस्ट पार्टी में भी फैले हुए थे और कम्युनिस्ट
 १९ इण्टरनेशनल से १९२९ में निकाले जाने से पहले मानवेंद्रनाथ राय ने ऐसे विचारों
 २० का यथेष्ट प्रचार और प्रसार किया था।

जयप्रकाश नारायण अनुभव करते थे कि कांग्रेस के साथ देश के अधिकांश
 स्वाधीनता-प्रेमी लोग हैं। उन्होंने माना कि आम जनता के वर्गसंगठनों के साथ
 उनका एक सामान्य राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो साम्राज्यविरोधी संघर्ष
 चलाये। कांग्रेस ऐसा संगठन बन सकती थी। इसलिए उग्र संघर्षों का काम करना हुआ,
 उसके सविधान में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि वह आम जनता का संगठन
 बन जाये।

प्रतिनिधि न

पति वर्ग का... कि वह भारतीय जनता की प्रतिनिधि है। वह पूँजीपतियों की प्रतिनिधि नहीं है,
 यह घोषित करने की उम्र जरूरत ही महसूस न हुई। जयप्रकाश नारायण ने कहा
 कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिए। इसकी घोषणा वह पहले कर
 ही चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने बड़े उद्योग-धन्यों के राष्ट्रीयकरण, कर्मियों
 प्रथा के खत्म और जमीन पर उमके जौनने वाले की अधिकार देने आदि की
 बातें कही। (पृष्ठ १५५)। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी बातें मानने से परहेज न था।
 क्रमशः उसकी घोषणाओं में स्वाधीनता के साथ समाजवाद का लक्ष्य जुड़ता चला
 गया। स्वाधीनताप्राप्ति के बाद समाजवाद की घोषणा और भी ज़रूरी हो
 लगी। किन्तु बड़े उद्योग-धन्यों का राष्ट्रीयकरण न हुआ, कर्मियों को न्याय
 देने पर भी जमीन पर जौनने वाले का अधिकार न हुआ, पूँजीवाद न समाप्त हुआ

योशो हरदयाल, जयप्रकाश नारायण

बदले और विकसित हुआ ।

कांग्रेसी नेताओं ने स्वाधीनता से समाजवाद को क्यों जोड़ा, स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद वे समाजवाद की इतनी चर्चा क्यों करते रहे, यह जानने के लिए, कांग्रेसी नेताओं के राजनीतिक दांव-पेंच समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि सन् ३०-४० के दशक में मार्क्सवादी विचारधारा का अभूतपूर्व प्रसार हुआ था । सन् २० और ३० के दशक में कांग्रेसी नेताओं के पुराने दांव-पेंच आजमाये जा चुके थे । भारत के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को, विशेष रूप से नौजवानों को, सुधारवादी राजनीति के दायरे में बन्द किये रहना सम्भव न था । सुधारवाद की जितनी ही आलोचना हो रही थी, उतनी ही समाजवादी विकल्प के प्रति लोगों की रुचि बढ़ गयी थी । यह विकल्प सबसे पहले स्वाधीनता आन्दोलन को फ्रान्ति-कारी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक था, उसके बाद स्वाधीन भारत में शोषण-मुक्त समाजव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक था । देश की आन्तरिक परि-स्थितियों के कारण लोग इस विकल्प की ओर बढ़ रहे थे । जयप्रकाश नारायण की पुस्तक इन आन्तरिक परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है । उसमें सुधार-वादी राजनीति की सही आलोचना की गयी है । मार्क्सवाद को समाजवादी विचारधारा का एकमात्र वैज्ञानिक रूप मानकर उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । लाला हरदयाल की पुस्तक हिंदू फॉर सेल्फ कल्चर १९३४ में प्रकाशित हुई थी । उससे १९३६ में प्रकाशित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का अन्तर यह है कि जयप्रकाशजी की पुस्तक मार्क्सवाद को सीधे साम्राज्यविरोधी संग्राम से जोड़ती थी । जयप्रकाश नारायण के साथ मार्क्सवाद का समर्थन करने वाले एक नेता और थे—जवाहरलाल नेहरू । १९२९ में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषण करने के बाद सन् ३० और ४० के दशक में वह लोकप्रिय वामपक्षी नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए । उस दशक में कोई उन्हें गांधीवादी न कहता था । वह गांधीवाद का विकल्प लेकर सामने आये थे और यही उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण था । उनके पास गांधीवाद का जो विकल्प था वह मार्क्सवाद ही था ।

लाला हरदयाल, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू तीनों भिन्न परिस्थितियों में पले और बढ़े थे, भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने काम किया था किन्तु तीनों ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे । इन तीनों का ३०-४० के दशक में मार्क्सवाद का समर्थन करना ऐतिहासिक महत्व की घटना है । उससे साबित होता है कि मार्क्सवादी विचारधारा स्वाधीनता आन्दोलन को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अनिवार्य थी । स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने वाले जितने भी जागरूक व्यक्ति थे, वे सब मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे ।

अपनी पुस्तक के आरम्भ में जयप्रकाश नारायण ने एक मजेदार संवाद किया है । यदि पंडित जवाहरलाल समाजवादी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जाते हैं, तब क्या वह यू. पी. के तालुकदारों को तोप से उड़ा देंगे, क्या वह राजाओं और महाजनों के खजाने छीनकर उन्हें जनता में बराबर-बराबर बाँट देंगे, क्या वह टाटा आयरन वर्क्स को वहाँ काम करने वाले मजदूरों के हाथ सौंप देंगे कि वे

उस धन्धे को चाहे विगाड़ें चाहे बनायें और क्या वह देश की आवादी के हिसाब से सारी जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर हर व्यक्ति को एक छोटा टुकड़ा दे देंगे ? क्या ऐसा करना समाजवाद होगा ? जयप्रकाशजी उत्तर देते हैं, "नहीं; समाजवाद इससे अधिक बुद्धिमानी और सम्यता की बात है, इससे अधिक वैज्ञानिक है। तब पंडित जवाहरलाल को क्या करना होगा ? यदि हम उस समाज की तरफ देखें जिसमें हम रहते हैं और दूसरे देशों के समाज की तरफ देखें तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जायेगा।" (पृष्ठ ४)। जयप्रकाश नारायण का सवाल मज्जेदार इसलिए है कि वह जवाहरलाल नेहरू को ही स्वाधीन भारत का प्रधान-मन्त्री या राष्ट्रपति कल्पित करते हैं। अन्य कोई नेता उस समय न जयप्रकाश के लिए और न अधिकांश भारतीय जनता के लिए इस पद के योग्य था। वह इसके योग्य इसलिए थे कि स्वाधीन भारत पूंजीवादी भारत न होकर समाजवादी भारत होगा और समाजवादी नेता के रूप में सबसे ज्यादा ख्याति जवाहरलाल नेहरू की थी। यह सवाल इसलिए भी मज्जेदार है कि उससे उन बातों की जानकारी होती है जो समाजवाद के विरोध में कही जाती थी। धनी आदमियों को गोली मार दी जायेगी, उनकी दौलत छीनकर जनता में बांट दी जायेगी, दौलत के साथ इसी तरह सारी जनता में जमीन बांट दी जायेगी, पूंजीपतियों के कारखाने उनमें काम करने वाले मजदूरों को सौंप दिये जायेंगे। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के बारे में जो कुछ लिखा, सम्पत्ति के साधनों पर पूरे समाज के अधिकार होने की बात कही, सामूहिक श्रम द्वारा कृषि और उद्योग-धन्धों में उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य स्पष्ट किया, उससे उक्त कोटि के प्रचार का खण्डन होता था।

अपनी पुस्तक के पहले अध्याय के अन्त में वह समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्त पर जोर देते हैं कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार खत्म करके ही समाज की नये ढंग से रचना हो सकती है। यह सम्भव है कि नयी राज्यसत्ता समाजवाद की ओर बढ़ते हुए यह सब तुरत न कर सके, "फिर भी यदि उसे अपने उद्देश्य में सफल होना है, तो बड़े पैमाने के उत्पादन के जो क्षेत्र देश के आर्थिक जीवन पर हावी हैं और इस आर्थिक जीवन के मर्मस्थल हैं, उनमें यह परिवर्तन तुरत करना होगा।" (पृष्ठ १६)। भारत के भावी प्रधानमन्त्री को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, "अब शायद हम यह बताने की स्थिति में हैं कि यदि पंडित जवाहरलाल के हाथ में सत्ता आई तो वह क्या करेंगे।" (उप.)।

गांधीजी ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण की बात जरूर करते हैं पर इससे जमींदारों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि अहिंसा के सिद्धान्त पर उनसे (जवाहरलाल से) कोई मतभेद नहीं है। अब इसमें मज्जेदार नहीं कि जयप्रकाशजी की तुलना में महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे। किन्तु उन दिनों जयप्रकाश नारायण ने समाजवादियों पर हिंसा का दोष लगाने वालों को उत्तर देते हुए जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया। उनकी पुस्तक रोसेन्ट एसेज ऐण्ड राईटिंग्स में उन्होंने उद्धरण दिया, "इस बात को समझ लेना अच्छा होगा कि जो लोग मुझ-मुझवादी या अहिंसा सम्पत्तिशाली वर्गों के सदस्य हैं, वे केवल दमन के उपाय अपनाएँ नहीं पायें।"

है।" (पृष्ठ ८६)। जमींदारों के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने लिखा, "गांधी जी मान लेते हैं कि उनमें और जवाहरलाल में अहिंसा को लेकर सहमति है, इसलिए जवाहरलाल जमींदारों की सम्पत्ति और निजी अधिकारों की बड़ी मुस्तंदाई से हिफाजत करेंगे।" (पृष्ठ १०२)। नेहरूजी की उसी पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में अहिंसा को केवल एक हथियार के रूप में स्वीकार किया है और वहाँ भी वह उसे अचूक नहीं मानते। नेहरूजी ने लिखा था कि "मेरे लिए हिंसा के मुकाबले में अहिंसा कहीं ज्यादा बेहतर है, फिर भी अहिंसा के साथ गुलाम बने रहने के बदले हिंसा के साथ आजाद होना मैं कहीं ज्यादा अच्छा समझता हूँ।" हिंसा-अहिंसा का प्रश्न साम्राज्यविरोधी लड़ाई के संदर्भ में ही न उठता था, आजादी मिलने के बाद समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के संदर्भ में भी यह प्रश्न मौजूद था। नेहरूजी ने लिखा था, "राज्यसत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद हिंसा-अहिंसा का प्रश्न दूसरे रूप में उठ सकता है, और दरअसल उसका उठना लाजमी है। मुमकिन है कि प्रतिक्रियावादी समुदाय नयी शासनव्यवस्था को उलट देने की कोशिश करे। तब 'जी.' (नेहरूजी की पुस्तक *विह्वर इण्डिया* के एक आलोचक—ज. प्र. ना.) नयी सरकार को सलाह देंगे कि ऐसे लोगों को राज्य-सत्ता की दमन-शक्ति के जरिये काबू में किया जाये अथवा क्या वह सोचते हैं कि धर्म और परोपकार की दलीलों से उनका हृदय परिवर्तन किया जायेगा? फिर नयी सरकार जनता के बहुसंख्यक भाग की इच्छा को पूरा करते हुए ऐसे कानून बना सकती है जिनका उद्देश्य हो कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से उनके ये अधिकार छीन लिये जायें। उस हालत में 'जी.' इन लोगों को क्या सलाह देंगे, बहुसंख्यक जनता के सामने झुक जायें या उसका मुकाबला करें? यदि मुकाबला करते हैं तो उनके विरोध से कैसे निपटा जायेगा?" इस पर जयप्रकाश नारायण की टिप्पणी है, "जी. का उत्तर चाहे जो हो, जवाहरलाल का उत्तर तो स्पष्ट मालूम होता है।" (पृष्ठ १०३)। इन उद्धरणों से यह भी समझ में आता है कि साम्राज्यवाद से लड़ते हुए अहिंसा से काम लिया जाय तो यह मजबूरी की बात होगी। किन्तु राज्य-सत्ता पर अधिकार हाँ जाने के बाद इस तरह की मजबूरी का नामनिशान न होगा। राज्य-सत्ता के पास हिंसात्मक दमन के साधन होंगे, सम्पत्तिशाली वर्गों के विरोध को दबाने के लिए इनका उपयोग अनिवार्य होगा और उचित होगा। इस बारे में जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू की एक ही राय थी। इसलिए नेहरूजी के लेखों का हवाला देते हुए जयप्रकाशजी ने लिखा कि नेहरूजी के ये सब वयान देखकर "समझ में नहीं आता कि किस आधार पर इस मामले में गांधीजी अपने साथ जवाहरलाल का नाम जोड़ लेते हैं।" (पृष्ठ १०३)।

३. जवाहरलाल नेहरू

१९२७ में जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार के साथ रूस की यात्रा की। समाजवादी क्रान्ति की १०वीं सालगिरह पर उन्होंने मास्को में जनसमारोह देखा। वह

घोड़े ही समय वहां रहे थे, वहां के जीवन की झलक ही देखने की मिनी थी किन्तु यह भी लाभकारी थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इससे अपने पढ़ने के लिए एक पृष्ठभूमि मिल गई। अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के लिए लिखा है कि उनकी सारी शिक्षा कानून और सविधान के दायरे की थी और उस दायरे से निकलना उनके लिए आसान न था। सोवियत संघ के समूहवादी विचार उनके लिए बिल्कुल नये थे, “फिर भी उन्होंने मास्को में जो कुछ देखा, उससे वह निश्चित रूप में प्रभावित हुए।” (पृष्ठ १६५; आत्मकथा से उद्धरण १९६२ के मूल अंग्रेजी भाषा वाले संस्करण से यहाँ दिये जा रहे हैं।)

१९३६ में जयप्रकाश नारायण की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसी वर्ष नेहरूजी की आत्मकथा भी प्रकाशित हुई थी। मार्क्सवाद के प्रति दोनों पुस्तकों में दृष्टिकोण लगभग एक-सा है। दोनों पुस्तकों के लेखकों ने स्वाधीनता आन्दोलन के सुधारवादी नेतृत्व की आलोचना की है। सन् २० के आन्दोलन के बाद अंग्रेजों ने जब साम्प्रदायिक उकसावा पैदा किया और आन्दोलन को कमजोर करने में सफल हुए तब वह सवाल पैदा हुआ कि अंग्रेजों की इस नीति से आन्दोलन का बचाव कैसे किया जाये। फूट डालो और राज करो, यह नीति नयी नहीं थी। साम्राज्यवादी हमेशा इस नीति से काम लेते रहे थे। तब उसकी शिकायत क्या करना। अपनी कमजोरी दूर करने के लिए स्वाधीनता आन्दोलन को साम्राज्यवादी कूटनीति से बचाना जरूरी था। नेहरूजी ने लिखा, “बचाव के लिए क्या किया जाये? अवश्य ही बाजार में मोलभाव करनेवाली नीति से यह न हो सकता था। हम चाहे जितने ऊँचे भाव की बात करें, एक तीसरी पार्टी हमेशा मौजूद रहती है जो और भी ऊँचे भाव की बात कर सकती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपना मोलभाव अमल में ला सकती है। यदि हमारे पास कोई सामान्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण न होगा, तो हम अपने सामान्य शत्रु के विरुद्ध कोई सामान्य कार्रवाई भी न कर सकेंगे। यदि हम मौजूदा राजनीति और आर्थिक ढांचे की सीमाओं के भीतर ही सोचते रहेंगे, चाहेगे कि जहाँ-तहाँ छिट-पुट जोड़-तोड़ कर दिया जाये, उसमें सुधार कर दिया जाये, उसे ‘हिन्दुस्तानी बना दिया जाये’, तो सामान्य कार्रवाई के लिए कोई भी वास्तविक प्रेरणा न रहेगी। तब उद्देश्य यह हो जाता है कि लूट में हमें भी हिस्सा मिल जाये, और जिस तीसरी पार्टी के हाथ में वास्तविक अधिकार है, ‘लाजमी तौर पर उसी की मुख्य भूमिका होती है और वह अपने चहेतों को इनाम बांटती है। केवल एक भिन्न राजनीतिक ढांचे के दायरे में, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि भिन्न सामाजिक ढांचे के दायरे में हम सामान्य कार्यवाही के लिए स्थाई आधार बना सकते हैं। स्वाधीनता की मांग के पीछे सारा चिन्तन यह था; हम लोगों को महसूस कराये कि हम ऐसे राजनीतिक ढांचे के लिए लड़ रहे हैं जो एकदम भिन्न हैं, जो वर्तमान व्यवस्था का हिन्दुस्तानी संस्करण मात्र नहीं है (जिसमें अंग्रेज पर्व के पीछे से सूत्रधार का काम करते रहते हैं)। औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमोनियन स्टेट्स) का यही मतलब है। इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता है; उसमें किसी तरह का सामाजिक परिवर्तन या आम जनता के लिए आर्थिक

स्वतन्त्रता शामिल नहीं है। किन्तु उसका यह अर्थ अवश्य था कि जो वित्तीय और आर्थिक जंजीरें हमें सिटी ऑफ लन्दन से बांधे हुए हैं, उन्हें हटा दिया जाये, और इससे सामाजिक ढांचे में तब्दीली करना आसान हो जायेगा। ऐसा मैं उस समय सोचता था। अब इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि अब मैं नहीं समझता कि सच्ची राजनीतिक आजादी अपने आप हमारे पास आ जायेगी। जब वह आयेगी तो अपने साथ सामाजिक आजादी भी काफी मात्रा में लायेगी।” (पृष्ठ १३६-३७)।

नेहरूजी ने साम्राज्यवाद को तीसरी पार्टी कहा है। पहली पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में चलनेवाला स्वाधीनता आन्दोलन है। इनके बीच दूसरी पार्टी सम्प्रदायवाद को उभारनेवाली मुस्लिम लीग थी। १९२० के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट होता जाता था कि साम्राज्यवाद पर जनआन्दोलन का दबाव डालने की जो नीति कांग्रेस ने अपनायी थी, उसका काट करने के लिए साम्राज्यवाद के पास जवाबी नीति थी—साम्प्रदायिक उभार के जरिये स्वाधीनता आन्दोलन पर दबाव डालना। कांग्रेसी नेतृत्व में चलने वाले हर आन्दोलन के बाद अंग्रेजों से मुलह-समझौते की बातचीत अनिवार्य थी। इस बातचीत में अंग्रेज जितनी रियायतें कांग्रेस को देते थे, उनके साथ वे इतनी रियायतें मुस्लिम लीग को भी देते थे कि कांग्रेसी नेताओं के पैरों में वेड़ियां पड़ी रहें। रियायतें देनेवाले अंग्रेज थे। मोल-भाव करनेवाली नीति में उनका पलड़ा भारी रहता था। राजाओं, अछूतों आदि के अलावा वे खासतौर से अल्पसंख्यक मुसलमानों के संरक्षक थे। जितना ही सम्प्रदायवाद बढ़ता था, उतना ही अंग्रेजों पर संरक्षण का भार बढ़ता जाता था, उतना ही मोल-भाव करने वाले कांग्रेसी नेताओं पर अंग्रेजों का दबाव बढ़ता था। सुधारवादी ढंग से स्वाधीनता आन्दोलन चलाने का और कोई नतीजा न हो सकता था। इस स्थिति से अनेक राजनीतिज्ञ परिचित थे। वे पुराना रास्ता छोड़कर नये रास्ते पर बढ़ना चाहते थे। नये रास्ते पर बढ़ने का मतलब था पुराने राजनीतिक ढांचे में जहां-तहां सुधार न करना वरन् उसे पूरी तरह बदल देना। अंग्रेजों से रियायतें पाने के उद्देश्य से जो आन्दोलन चलाया जा रहा था, वह इस ढांचे को न बदल सकता था, उसे बदलने के लिए सबसे पहले तो पूर्ण स्वाधीनता का स्पष्ट लक्ष्य सामने रखना जरूरी था। पूर्ण स्वाधीनता का मतलब था भारत को जो आर्थिक जंजीरें सिटी ऑफ लन्दन से बांधे हुए थी, उन्हें तोड़ दिया जाये। इसके बिना सामाजिक ढांचे में तब्दीली न हो सकती थी। यदि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक सम्बन्ध बरकरार रहते हैं, तो यह पूरी आजादी न होगी। इन सम्बन्धों के कायम रहते समाजव्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन न होगा। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू १९२४ के आसपास साम्प्रदायिकता के उभार के समय समझते थे। आत्मकथा लिखते समय उनके सामने जो नयी बात स्पष्ट हुई, वह यह थी कि राजनीतिक स्वाधीनता के साथ काफी मात्रा में सामाजिक स्वाधीनता भी आनी चाहिए। सामाजिक स्वाधीनता का मतलब यह था कि भारतीय समाज में जो प्रजा के देशी शोषक थे, उनके उत्पीड़न से प्रजा को अंशतः मुक्ति मिले।

सामाजिक स्वाधीनता दरकिनार, जिस तात्कालिक बिप से समाज को

बचाना जरूरी था, वह सम्प्रदायवाद था। इस विषय का एक ही कारगर उपचार था सुधारवादी नीति का त्याग, स्वाधीनता आन्दोलन का क्रान्तिकारी ढंग से संचालन। नेहरूजी ने लिखा है, "किन्तु लगभग हमारे सभी नेता मौजूदा राजनीतिक, और वैशक उसके साथ सामाजिक, ढाँचे के तंग फौलादी दायरे के भीतर अपना सोच-विचार जारी किये हुए थे। समस्या चाहे साम्प्रदायिक हो चाहे संवैधानिक हो, वे उसका सामना इसी पृष्ठभूमि के साथ करते थे। इसका लाजमी नतीजा यह था कि वे अंग्रेज सरकार के हाथों खेत जाते थे क्योंकि इस ढाँचे पर पूरा अधिकार इस सरकार का था। वे इसके अलावा और कुछ कर न सकते थे क्योंकि उनका सारा दृष्टिकोण जबतब सीधी कार्रवाई वाले प्रयोगों के बावजूद बुनियादी तौर पर सुधारवादी था, क्रान्तिकारी नहीं था। लेकिन वह जमाना गया जब भारत में कोई राजनीतिक, आर्थिक या साम्प्रदायिक समस्या का सन्तोषजनक समाधान सुधारवादी तरीकों से मिल जाता। परिस्थिति की मांग थी कि क्रान्तिकारी दृष्टिकोण, क्रान्तिकारी योजना और क्रान्तिकारी समाधानों से काम लिया जाये। लेकिन ऐसा करने वाला नेताओं में कोई न था।" (पृष्ठ १३७)।

राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन सुधारवादी ढंग से चलाया जाये या क्रान्तिकारी ढंग से, तीस-चालीस के दशक में भारतीय राजनीति की यह प्रमुख समस्या थी। सुधारवाद का एक ही विकल्प हो सकता था मार्क्सवाद। किन्तु कांग्रेसी नेताओं में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी न था। इसका अर्थ यह है कि साम्प्रदायिक उभार के रूप में अंग्रेजों ने जो जवाबी हमला किया, उसका मुकाबला करने की ताकत कांग्रेस में नहीं थी। मार्क्सवाद का अध्ययन करने से सुधारवाद और क्रान्तिकारी नीति का भेद नेहरूजी बहुत स्पष्ट समझ गये थे। सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण की चर्चा करते हुए नेहरूजी ने आत्मकथा में लिखा, "जिस समय बुनियादी ढाँचे को बदलने का सवाल पेश हो, उस माजुक घड़ी में सुधारवाद के जरिये किसी भी बुनियादी समस्या को हल करना असम्भव था। बाद की प्रगति चाहे जितनी धीमी हो, शुरू में तो उस मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह नाता तोड़ना ही होगा जो अपनी भूमिका पूरी कर चुकी थी और भावी प्रगति में सिर्फ रोड़े अटका रही थी।" (पृष्ठ ३६२)। रूस में अंग्रेजी राज से आजादी पाने का सवाल न था, फिर भी सुधारवाद और क्रान्तिकारी नीति का आमना-सामना वहाँ भी था। सुधारवाद से पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म न किया जा सकता था। उसे क्रान्तिकारी ढंग से खत्म किया गया, समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाये गये। इससे भारत के नेताओं ने सीखा कि भारत में सुधारवाद का जो रूप था, उसे खत्म कर देना जरूरी है, स्वाधीनता आन्दोलन को अंग्रेजों के जवाबी हमले में बचाना है तो उसे क्रान्तिकारी ढंग से चलाना चाहिए।

स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने वाले जितने जनसमुदाय थे, उनमें किसानों का समुदाय सबसे बड़ा था। साम्राज्यवाद के मातहत राजे-महाराजे और जमींदार इनके प्रत्यक्ष शोषक थे, खासतौर से जिन जनपद में नेहरू का अपना कार्यक्षेत्र था, उसमें सामन्तों का यह वर्ग अत्यन्त पतित था। इनके साथ ही किसानों में

अपने आप सामन्तविरोधी आन्दोलन फूट रहे थे। अवध की ये दोनों विशेषताएँ आत्मकथा में बहुत साफ शब्दों में बयान की गयी हैं। इसका मतलब यह है कि सुधारवाद को यत्न करने और क्रान्तिकारी नीति के अनुसार स्वाधीनता आन्दोलन चलाने के लिए जितनी अच्छी ज़मीन जवाहरलाल नेहरू के अपने कार्यक्षेत्र में थी, उतनी अच्छी ज़मीन देश में दूसरी जगह न थी। अवध के सामन्तों के बारे में नेहरूजी ने लिखा है, "ताल्लुकदार और बड़े ज़मींदार ज़मीन के मालिक हैं। ये घमण्ड से अपने को जनता का पैदायशी नेता कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार के बगल-बच्चे हैं। सरकार ने उन्हें दग तरह पाला-पोसा है और सिसाया-पढ़ाया है या उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया है कि वह एक वर्ग की हैसियत से उन्हें बौद्धिक रूप में नपुंसक बना डालने में कामयाब हुई है। दूसरे देशों में ज़मींदारों ने अपनी रियाया के लिए अबसर कुछ किया भी है लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये ज़मीन और किसानों का खून चूसने वाली जांको की तरह हैं। इनका रास काम यह रहता है कि अपने इलाके के हाकिमों को गुश करते रहें, अपने विशेष हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनका दरवाजा खटखटाते रहें क्योंकि हाकिमों की कृपा के बिना ये चार दिन भी सलामत नहीं रह सकते।" (पृष्ठ ५८)।

नेहरूजी ने छोटे और बड़े ज़मींदारों में भेद किया है और बताया है कि छोटे और मझोले ज़मींदारों में अनेक ने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया है। ताल्लुकदारों और बड़े ज़मींदारों की स्थिति भिन्न है, "अभिजात वर्ग में जो गुण होते हैं, वे भी इनमें नहीं हैं। वर्ग की हैसियत से इनका शारीरिक और मानसिक पतन हो चुका है। इनके दिन बीत चुके हैं। वे तभी तक बने हुए हैं जब तक ब्रिटिश सरकार जैसी विदेशी ताकत उन्हें बनाये हुए है।" (उप.)। साम्राज्यवाद ने अपने सामाजिक आधार के लिए अवध में जो आदमी चुने थे उनका हुलिया यही था। ये अंग्रेजों के सहारे जी रहे थे, प्रजा और धरती पर भार बने हुए थे। इस भार को हटा देने की ताकत यहाँ के किसानों में थी। पुस्तकों में किसानों की निष्क्रियता के बारे में चाहे जो कुछ लिखा जाये, किसान ज़मींदारों की अन्धेरागर्दी खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अन्य प्रदेशों से अवध के किसानों की तुलना करते हुए नेहरूजी ने लिखा कि यहाँ पर किसानों को थोड़े समय के लिए लगान पर ज़मीन जोतने को दी जाती थी। जब कोई दूसरा किसान ज़्यादा लगान देने को तैयार होता था तब पहले वाले किसान को वेदखल किया जाता था। लगान ले लिया और रसीद न दी। किसान के लिए बहुत मुश्किल था कि वह साबित करे कि उसने लगान चुका दिया था। ज़मींदार उसे आसानी से वेदखल कर सकता था। लगान के अलावा गैरकानूनी वसूली के बहुत से तरीके थे। परिवार में ब्याह है, लड़के को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, लाट साहब को दावत देनी है, हाथी या मोटरकार खरीदना है, तो इस सबके लिए अलग वसूली होगी। इस तरह की वसूली के अलग-अलग नाम हैं जैसे मोटर खरीदने के लिए मोटरना, हाथी खरीदने के लिए हथीना। (पृष्ठ ५४)। रामचन्द्र वर्मा ने अपनी साम्यवाद नाम की पुस्तक में बड़े ज़मींदारों के बारे में जो बातें १९१९ में लिखी थी, नेहरूजी का बयान उनसे बिल्कुल मिलता-जुलता है।

इस परिस्थिति में किसान आन्दोलन का अपने आप चल पड़ना स्वाभाविक था। नेहरूजी ने लिखा है, "इसलिए अवध में एक बड़ा किसान आन्दोलन फैल गया, इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी। मेरे लिए जो आश्चर्य की बात थी वह यह कि किसी शहरी मदद के बिना या राजनीतिज्ञों आदि के दखल दिये बिना बिल्कुल अपने आप फैल गया। किसान आन्दोलन कांग्रेस में बिल्कुल अलग था; जो असहयोग आन्दोलन चल रहा था, उसमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि इन दोनों शक्तिशाली आन्दोलनों के बड़े पैमाने पर फैलने के मूल कारण एक ही थे। १९१९ में गांधीजी ने जिन बड़ी हड़तालों की घोषणा की थी, उनमें किसानों ने देशक हिस्सा लिया था और आगे चलकर उनका नाम गांव वालों के लिए जादू का काम करता था।" (पृष्ठ ५४) यह विवरण प्रत्यक्ष जानकारी के बल पर लिखा गया है। इसमें ध्यान देने की पहली बात यह है कि यह आन्दोलन कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी राजनीतिज्ञों की सहायता के बिना गुद किसानों की पहल पर फैला था। इससे मालूम होगा कि पहले विश्वयुद्ध के बाद भारत में, विशेष रूप से अवध में सामन्तविरोधी क्रान्ति के लिए कौसी अनुकूल परिस्थिति थी। जो क्रान्तिकारी परिस्थिति की यह विशेषता न पहचान पाये, वे चाहे माक्सवादी हों चाहे गैर-माक्सवादी, लाजमी तौर से साम्राज्यविरोधी क्रान्ति करने में भी वे असफल रहे। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि यह किसान आन्दोलन असहयोग आन्दोलन के साथ चल रहा था, दोनों के मूल कारण एक ही थे और १९१९ में ही गांधीजी ने जिन बड़ी हड़तालों की घोषणा की थी, उनमें किसानों ने भाग लिया था। इसका अर्थ यह है कि वे राजनीतिक आन्दोलन के प्रति उदासीन नहीं थे और उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले चुके थे। किसान आन्दोलन से जोड़ दिये जाने पर राजनीतिक आन्दोलन अपरिमित रूप से शक्तिशाली बन सकता था। ध्यान देने की तीसरी बात यह है कि किसान आन्दोलन बड़े पैमाने पर फैला था, प्रसार और शक्ति में वह असहयोग आन्दोलन के समकक्ष था। नेहरूजी ने वाड्ड स्ट्रेड (बड़े पैमाने पर फैला हुआ) और पावरफुल (शक्तिशाली), इन विशेषणों का प्रयोग दोनों आन्दोलनों के लिए एकसाथ किया है। किन्तु अधिकतर राजनीतिक इतिहास की पुस्तकों में और पढ़े-लिखे लोगों की चेतना में असहयोग आन्दोलन की तस्वीर तो साफ बनी हुई है लेकिन किसान आन्दोलन की तस्वीर बहुत धुंधली है या फिर है ही नहीं।

इतिहासकार अपने वर्ग दृष्टिकोण में कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे महत्वपूर्ण घटनाओं की अनदेखी करते हैं, इनका उदाहरण किसान आन्दोलन का यह प्रमग है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बीत जाने के कारण लोग सन् १९२० के आन्दोलन की बातें भूल गये हैं। जिन समय यह आन्दोलन चल रहा था, उस समय भी ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग इसकी तरफ में देखते थे। इस स्थिति का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार किया है, "उन मजानू किसान आन्दोलन के बारे में शहर के लोगों का पूरी तरह अनजान होना मंत्रात्मक और भी आश्चर्य की बात थी। किर्वा श्रमदार में एक मन्दा इसकी बारे में नहीं थी। मुझे पहिले से और भी ज्यादा यह एहसास हुआ कि श्रम अपनी चेतना में कितना कटे हुए है और

उससे अलग-थलग एक छोटी-सी दुनिया में अपनी सरगमियाँ दिखा रहे हैं।" (पृष्ठ ५४-५५)।

यदि १९१९-२० का किसान आन्दोलन भारत के समकालीन बुद्धिजीवियों को न दिखाई देता था, तो १८५७-५८ में किसानों ने जो कुछ किया, उसकी जानकारी उन्हें कैसे हो सकती थी ?

किसानों और कम्युनिस्टों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "भारत में कम्युनिस्टों का सम्बन्ध बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों से रहा है। देहात से उनका सम्पर्क नहीं है, वहाँ की जानकारी नहीं है। औद्योगिक मजदूरों का महत्व अवश्य है और भविष्य में उसके बढ़ने की सम्भावना है, पर किसानों के बाद उनका दूसरा स्थान है क्योंकि आज के भारत की समस्या किसानों की समस्या है। इसके विपरीत कांग्रेसी कार्यकर्ता देहात में सब जगह फँसे हुए हैं और यह स्थिति बनी रही तो एक विशाल किसान संगठन के रूप में कांग्रेस का विकास अवश्य होगा। तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद किसान कम ही क्रान्तिकारी बने रहते हैं और यह मुमकिन है कि आगे कभी शहर बनाम देहात और औद्योगिक मजदूर बनाम किसान का आम मसला भारत में भी दरपेक्ष हो।" (पृष्ठ ३६८)। किसानों और मजदूरों में किमका स्थान पहले है और किसका बाद को, इस प्रश्न पर यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। तात्कालिक मांगों पूरी होने पर किसान क्रान्तिकारी रहेंगे या नहीं, मसला मजदूर बनाम किसान का है या किसान-मजदूर एकता का है, यह सवाल भी उठा रहने है। देहात से कम्युनिस्टों का सम्बन्ध बहुत कम था, यह आलोचना सही है। भारत की मुख्य समस्या किसानों की थी, यह बात भी सही है। मुख्य प्रश्न यह है कि कांग्रेस एक विशाल संगठन क्यों नहीं बन पायी, वह सामन्तविरोधी किसान आन्दोलन दृढ़तापूर्वक क्यों नहीं चला सकी। इस मुख्य प्रश्न का उत्तर नेहरूजी की आत्मकथा में है।

सन् २० के बाद दस साल बीत गये। नेहरूजी का मुख्य कार्यक्षेत्र भूतपूर्व संयुक्त-प्रान्त और वर्तमान उत्तर प्रदेश था। सूबे की कांग्रेस कमेटी किसानों की हालत पर ध्यान दे रही थी। इस कमेटी की कार्यकारिणी समिति किसान विभाग की देखरेख करती थी। १९३१ के उत्तरार्द्ध में इस समिति ने किसानों से सम्बन्धित एक अलग कमेटी बनाई। इन संगठनों के बारे में नेहरूजी ने लिखा है, "यह जानना दिलचस्प होगा कि समिति और इस कमेटी में कई जमींदार प्रमुखरूप में निरन्तर सम्बद्ध रहे और सभी कदम उनकी अनुमति से उठाये गये। दरअसल उस साल के लिए हमारी सूबा कमेटी के सभापति (और अपने इस पद के कारण कार्यकारिणी समिति के प्रधान) तसद्दुक खानदान के थे। सचिव श्रीयव जमींदार थे या जमींदार घराने हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी में एक भी आगामी या शरीय किमान प्रतिनिधि रूप में नहीं था। हमारी जिला कमेटियों में किमान दो लेकिन चुनाव-दर-चुनाव के बाद जो प्रान्तीय कार्यकारिणी बनती थी, उम्र तक वे बहुत कम पहुँच पाते थे। कार्यकारिणी पर मध्यम के बुद्धिजीवी पूरी तरह हावी थे और उसमें एक तगड़ा

जमींदारों का था। इस कारण उने किसी भी प्रकार का गरम-दली संगठन जा सकता था, किसानों के मामले में तो और भी नहीं।" (पृष्ठ २६७-

कांग्रेस जनतान्त्रिक संगठन है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान १९३१ में जनतंत्र का भीतरी वर्गरूप क्या था, यह नेहरूजी के विवरण से बहुत अच्छी मालूम हो जायेगा। स्वाधीनताप्राप्ति के बाद भारतीय जनतंत्र का रूप किस का होगा, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर था कि स्वाधीनता के लिए आन्दोलन वाली पार्टियों के अपने जनतंत्रों का वर्गरूप क्या था। कांग्रेस एक विशाल जन संगठन क्यों न बन पायी, सामन्तविरोधी क्रान्ति के लिए परिस्थिति ल होने पर भी उसका संचालन क्यों नहीं कर पायी, इसका जवाब उसकी संस्थाओं का वर्गरूप देखने से मिल जाता है।

आत्मकथा के अन्तिम अंश में सम्प्रदायवाद की चर्चा करते हुए नेहरूजी ने है, "कांग्रेस ने अपने को साम्प्रदायिक अधिकार से बहुत कुछ अलग रखा है उसका दृष्टिकोण निम्नपूजावादी (पेटी बुर्जुआ) है और वह इसका जो बूढ़ती है, वह दूसरे मसलों की तरह पेटी बुर्जुआ नुस्खों के मुताबिक है। समे उसके कामयाब होने की गुंजाइश बहुत कम है। वह अभी इस निम्न वर्ग का प्रतिनिधि बनी हुई है क्योंकि वह इस समय सबसे ज्यादा मुखर क्रान्तिकारी है। फिर भी वह उतनी जीवंत नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई दे। इस पर अगल-बगल दो ताकतों का दबाव है; इनमें एक मजदूरी से पैर है और दूसरी अभी कमजोर है पर तेजी से बढ़ रही है। इस समय निम्न वर्ग अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। भविष्य में उसका क्या होगा, कहना कठिन है।" (पृष्ठ ५६३)। जो दो ताकतें मध्यवर्ग पर दबाव डालती स्पष्ट ही पूजापति वर्ग और मजदूर वर्ग की हैं। इनमें पूजापति वर्ग की मजदूरी से पैर जमाये हैं, मजदूर वर्ग अभी कमजोर है पर उसकी ताकत से बढ़ रही है। जिस वर्ग के लिए अस्तित्व का संकट मौजूद हो, वह जमकर नकारी आन्दोलन नहीं चला सकता। कांग्रेस के साथ मध्यवर्ग का बहुत बड़ा था और उसमें क्रान्तिकारी क्षमता भी थी किन्तु इस क्षमता का विकास रों और किसानों के साथ काम करने से ही हो सकता था। कांग्रेस सदायिक समस्या हल करने में क्यों असफल रही? इसलिए असफल रही कि पास निम्न पूजावादी नुस्खों के अलावा इस समस्या का और कोई इलाज था। यह भी तब जब कांग्रेस अपना सबसे क्रान्तिकारी कदम उठाती थी। अन्य स्थिति में उस पर जमींदारों का प्रभाव भी था, जमींदारों के अलावा रतियों का प्रभाव भी था। अंग्रेजों से मुलह-समझौते की बात करने के लिए मुख्य प्रेरणा इन्हीं वर्गों से मिलती थी, निम्न मध्यवर्ग से नहीं।

आत्मकथा में नेहरूजी ने कई जगह कम्युनिस्टों के प्रति अपना असन्तोष प्रकट है। कांग्रेसी नेता कम्युनिस्टों से असन्तुष्ट हो, यह बात समझ में आती है, कांग्रेसी सोशलिस्टों से क्यों असन्तुष्ट थे, यह बात तुरत हर किसी की समझ आयेगी। कांग्रेसी सोशलिस्ट गुट अभी उभर ही रहा था कि नेतागण चौकने

हुए। अभी पूजीवाद को समाप्त करने और समाजवाद कायम करने का सवाल न था पर सोशलिस्ट नौजवान वर्गयुद्ध की बातें करने लगे थे। कांग्रेसी नेताओं को भय था कि ये नौजवान किसानों का संगठन बनाने लगे तो ज़मींदारों के खिलाफ लड़ाई छिड़ जायेगी। यदि इन्होंने मजदूरों का संगठन किया तो अपनी हालत सुधारने के लिए पूजीपतियों से ये मजदूर सघर्ष करेंगे। अपना जीवन-स्तर सुधारने के लिए मजदूरों का छोटा-मोटा आन्दोलन भी पूजीपतियों को रक्त-रंजित वर्ग-युद्ध जैसा दिखाई देता था। कांग्रेस के इतिहास में कराची अधिवेशन की चर्चा अक्सर होती है। यह माना जाता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी प्रगतिशील नीतियों की घोषणा की। किन्तु सन् ३०-३१ के आन्दोलन की असफलता के बाद कांग्रेसी नेताओं ने जब अंग्रेजों की बनाई हुई विधान समितियों में काम करने का निश्चय किया तब उनके लिए आवश्यक हो गया कि वे कराची में घोषित नीति का स्पष्टीकरण प्रकाशित करें।

कराची में जो नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया था, उसकी आलोचना करते हुए अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में जयप्रकाश नारायण ने लिखा था कि प्रस्ताव की भूमिका में यह स्पष्ट घोषणा है कि स्वराज्य आम जनता के लिए वास्तविक स्वराज्य तब होगा तब उमका अर्थ देश की राजनीतिक स्वाधीनता मात्र न हो वरन् आम जनता की आर्थिक स्वतन्त्रता भी हो। कांग्रेस समाजवाद का पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत न करे पर उसे एक अल्पतम आर्थिक कार्यक्रम तो प्रस्तुत करना ही चाहिए। क्रान्तिकारी परिवर्तन करना दूर, कांग्रेस का वर्तमान कार्यक्रम समाज के आर्थिक गठन को पहले जैसा ही रहने देता है। (पृष्ठ २५-२६)। यद्यपि कार्यक्रम में स्वाधीनताप्राप्ति के बाद किसी युनियनवादी परिवर्तन की बात न कही गयी थी, फिर भी उसमें मुख्य उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण की बात थी। एक ओर भविष्य में आम जनता के लिए आर्थिक स्वाधीनता की बात, दूसरी ओर प्रमुख उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण की बात, इन दोनों बातों का तात्कालिक साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध न था, पर दूरन्देश पूजीपति अभी से परेशान थे। उन्हें चिन्ता थी कि कांग्रेसी नेता उनके प्रभाव से बाहर तो नहीं निकले जा रहे हैं।

इन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत परेशान थे। रात को ठीक नींद न आती थी, भयानक सपने देखते थे और सपने देखते हुए वह चिल्लाने लगते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कोई उनका गला घोट रहा है और वह दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा जोर से चिल्लाये। वह जेल में थे। जब जाने तब अपने बिस्तर के पास जेल के दो बार्डरों को खड़े पाया। (पृष्ठ ५५६)। यह घटना उनके मानसिक द्वन्द का प्रतीक थी। इसका वर्णन करने के बाद उन्होंने आगे लिखा है "लगभग इसी समय कांग्रेस कार्यकारिणी के एक प्रस्ताव से मुझे फट्ट हुआ। इस प्रस्ताव के बारे में कहा गया था कि 'वर्गयुद्ध की आवश्यकता और व्यक्तिगत सम्पत्ति को छीनने के बारे में जो चर्चा चल रहा था, उसे ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव पास किया गया था। आगे प्रस्ताव में कांग्रेसियों को याद दिलाया गया है कि कराची प्रस्ताव में 'न तो वर्गयुद्ध की वकालत की गयी है, न उचित

कारण या मुजावजे के बिना व्यक्तिगत सम्पत्ति छीनने की बात कही गयी है। कार्यकारिणी का यह मत भी है कि वर्गयुद्ध और सम्पत्ति छीनना कांग्रेस के अहिंसा सम्बन्धी विदग्धता के विरुद्ध है।' इस प्रस्ताव की भाषा ढीली-ढाली थी और एक हद तक उगे लिखने वालों ने वर्गयुद्ध के बारे में अपना ज्ञान भी जाहिर कर दिया था। स्पष्ट ही प्रस्ताव का लक्ष्य नव-निर्मित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। हकीकत यह है कि इस गुट के किमी जिम्मेदार आदमी ने सम्पत्ति छीनने की बात न कही थी, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में वर्गयुद्ध का अस्तित्व है, इसका खिक अक्सर किया गया था। कार्यकारिणी के प्रस्ताव ने मानो इसारे में बतल दिया था कि जो भी इस वर्गसंघर्ष का अस्तित्व मानता है, वह कांग्रेस का साधारण सदस्य भी नहीं हो सकता। अभी तक किमी ने कांग्रेस पर यह आरोप न लगाया था कि वह सोशलिस्ट हो गयी है या कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति के खिलाफ है। इस तरह का मत उनके कुछ सदस्यों का था पर अब ऐसा लगता था कि इस व्यापक राष्ट्रीय संगठन में उनके लिए साधारण सदस्य की हैमियत वाली जगह भी नहीं थी।" (पृष्ठ ५५७)।

यह समझना कठिन नहीं है कि जिन प्रस्ताव से नेहरूजी को कष्ट हुआ था, उनमें किम वर्ग का हित होता था। मध्यवर्ग पर जो सम्पत्तिशाली वर्ग हावी हो जाता था, वह पूजीपतियों का था। मध्यवर्ग चाहता था कि आजाद होने के बाद समाजवाद की स्थापना हो। पूजीपति वर्ग को इस तरह की भावना से अपने लिए खतरा महसूस होता था। यह वर्ग इतना प्रभावशाली था कि वह कांग्रेसी नीति को एक विशेष दिशा में चलने के लिए बाध्य कर सकता था। कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए एक अलग गुट संगठित किया गया था। यह चुनाव अंग्रेजों द्वारा निर्मित विधान परिषद के लिए होनेवाले थे। प्रस्ताव का लक्ष्य था कि "विधान परिषद के अगले चुनाव में सम्पत्तिशाली लोगों का समर्थन हासिल किया जाये। उनके इसारे पर कांग्रेस दाहिने बाजू की तरफ झुकती जाती थी और देश के नरमदली और रूढ़िवादी लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। जो लोग पहले कांग्रेसी आन्दोलनों का विरोध कर चुके थे और सविनय अवज्ञा के दौरान सरकार का साथ दे चुके थे, उनसे भीठी-भीठी बातें की जा रही थी। समझौते और 'हृदय-परिवर्तन' की इस प्रक्रिया में शोर मचानेवाला और नुकताचीनी करनेवाला वाम-पक्ष रुकावट मालूम होता था। कार्यकारिणी के प्रस्ताव से और अनेक व्यक्तिगत बयानों से जाहिर हो गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी को बायें बाजू की नुकताचीनी उनके नये रास्ते से हटा नहीं सकती। बायें बाजू ने अपने को न सँभाला तो उसे दबा दिया जायेगा और कांग्रेस की सफाई से उसे निकाल बाहर किया जायेगा। कांग्रेस के पार्लेमेन्ट्री-बोर्ड ने जो घोषणा-पत्र निकाला, वह ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था जैसा नरम और फूंक-फूककर कदम रखने वाला कार्यक्रम कांग्रेस ने पिछले पन्द्रह साल में न पेश किया था।" (पृष्ठ ५५८)।

यह तब की बात है जब भारत में अंग्रेजी फौज मौजूद थी और दिल्ली शहर स्वाधीन भारत की राजधानी न बना था। होनहार विरवान के होत चीकने पात। कांग्रेसी नेता आर्थिक स्वाधीनता की बात करने के बाद किस तरह की सोईबाजी

करते हैं, यह राजनीतिक स्वाधीनताप्राप्ति से बहुत पहले स्पष्ट हो गया था। खुद कांग्रेस के भीतर जो बायाँ बाजू उनकी नुक़ताचीनी करता था, वह उनके लिए सिरदर्द था। यदि वह उनके पीछे-पीछे उनके सुधारवादी रास्ते पर न चले तो उसे संगठन से बाहर निकाल देने में उन्हें कोई संकोच न था। वह वाम-पक्ष क्रान्तिकारी बातें करता हो पर चले उनके पीछे तो इससे उन्हें कोई परेशानी न थी। परेशानी तो दूर की बात है, वे जानते थे कि ऐसा वाम-पक्ष उनके लिए बहुत उपयोगी है। पूजापतियों का हित करनेवाली नीति खुले रूप में दक्षिण-पंथी नेता जनता के सामने रखें तो वह स्वीकार न की जायेगी किन्तु यदि उसे गरम शब्दावली का व्यवहार करनेवाले उसके वाम-पक्षी अनुयायी पेश करें, तो वह स्वीकार कर ली जायेगी। कांग्रेस के द्वार अवसरवादियों के लिए पहले की अपेक्षा और भी चौड़े खुल गये। अंग्रेज सरकार इस स्थिति से खुश थी क्योंकि स्वाधीनता आन्दोलन को विरोध की राह पर चलने से उसने रोक लिया था। एक बार यह बात फिर स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेसी सुधारवाद का सम्बन्ध इस बात से इतना नहीं है कि भविष्य में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी या नहीं, जितना इस बात से कि भारत में जो साम्राज्यवाद वर्तमान था, उसका पूरी तरह खात्मा होगा कि नहीं।

इस सन्दर्भ में नेहरूजी ने जो कुछ लिखा है, वह बहुत ही शिक्षाप्रद है। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, "सरकारी हलकों में जो खुशी छापी हुई थी, उसे छिपाया न गया था। सविनय अवज्ञा और उसके परिणामों को दबा देने में सरकार ने जो सफलता प्राप्त की थी, उसी से यह सुधी पैदा हुई थी। मरीज का आपरेशन कामयाबी के साथ हो गया था, अगे वह मरेगा या जियेगा, यह बात महत्व की न थी। सरकार का विचार था कि यद्यपि एक हृद तक कांग्रेस को ठीक कर लिया गया है, फिर भी थोड़ी-बहुत तब्दीली करके वही नीति चालू रखी जायेगी। वह जानती थी कि जब तक युनियादी समस्या बनी हुई है तब तक राष्ट्रीय नीति में ऐसे परिवर्तन अस्थायी होंगे, और सरकार ने कही भी ढील दी, तो आन्दोलन और भी तेजी से बढ़ेगा। शायद वह यह भी सोचती थी कि वह कांग्रेस के अन्दर मौजूद प्रगतिशील लोगों को दबाती रहे या मजदूर-किसान समुदायों के आगे बढ़े हुए लोगों को दबाती रहे, तो इससे कांग्रेस के वे नेता कोई खास नाराज न होंगे जो औरों के मुकाबले ज्यादा फूक-फूककर कदम उठाते थे।" (पृष्ठ ५५६)।

नेहरूजी ने कम्युनिस्टों की आलोचना की है कि वे कांग्रेस का सम्बन्ध पूंजीवाद से जोड़ते हैं। उन्हें विशेष रूप से किसी भी प्रकार पूंजीवाद से गांधीजी का सम्बन्ध जोड़ना ही उचित नहीं मानते कि समाजवादी नीति को लागू कर सकता। समझते बहुत तरह के होते हैं। एक समझीना साम्राज्यवाद ने

लड़ने के लिए मजदूरों और पूंजीपतियों में हो सकता है; दूसरा समझौता आम जनता का आन्दोलन दबाने के लिए पूंजीपतियों और साम्राज्यवाद के बीच हो सकता है। दोनों समझौतों में बड़ा अन्तर है। एक समझौता पूंजीवाद से लड़ने के लिए सर्वहारा वर्ग निम्न पूंजीवादियों से कर सकता है, दूसरी तरह का समझौता मजदूर आन्दोलन के मध्यवर्गीय नेता इस आन्दोलन को दबाने के लिए पूंजीपतियों से कर सकते हैं। दोनों समझौतों में बड़ा अन्तर है। सन् ३० और ४० के दशक में भारत के वामपंथी नेता जिस समझौते का विरोध कर रहे थे वह जमींदारों, बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवाद के बीच था। उस तरह के समझौते से कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू भी परेशान हुए थे।

कम्युनिस्टों के लिए उन्होंने लिखा है कि इनके अनुसार “कांग्रेसी नेताओं का उद्देश्य है कि हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों और जमींदारों के हित में सरकार पर आम जनता का दबाव डालकर व्यापार और उद्योग-धन्धों में रियायतें हासिल करें। कांग्रेस का कार्य है कि 'वम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता के मिलमालिकों और महाजनों की गाड़ी चलाने के लिए किसानों, निम्न मध्यवर्ग और औद्योगिक मजदूर वर्ग के आर्थिक-राजनीतिक असन्तोष का उपयोग किया जाये।' यह कल्पना की जाती है कि पदों के पीछे भारतीय पूंजीपति बैठे हैं और कांग्रेस कार्यकारिणी के लिए फरमान जारी करते हैं कि पहले वह आम जनता का आन्दोलन चलाये, और जब वह बहुत बड़ा और खतरनाक हो जाये तो उसे रोक दे या दूसरी राह पर ले चले। इसके साथ यह भी कि कांग्रेसी नेता दरअसल चाहते नहीं हैं कि अंग्रेज चले जायें क्योंकि भूखी जनता का शोषण और नियन्त्रण करने के लिए उनकी जरूरत होगी, और हिन्दुस्तानी मध्यवर्ग महसूस करता है कि उसमें यह काम होगा नहीं।” (पृष्ठ ३६६)। इसमें मन्देह नहीं कि पूंजीपति वर्ग का विश्लेषण करने में कम्युनिस्टों ने गलतियाँ की थीं पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कांग्रेस पर पूंजीवादी प्रभाव मानने में उन्होंने गलती की थी। यह प्रभाव किस तरह का था, इसके विवेचन में गलती हुई। औद्योगिक पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच जो अन्तर्विरोध था, वह स्वाधीनता आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण था। इसी के अनुरूप कांग्रेसी नेताओं और अंग्रेज सरकार में जो अन्तर्विरोध था, वह स्वाधीनता आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण था। किन्तु भारतीय पूंजीवाद में, औद्योगिक और अनुद्योगिक दोनों तरह के पूंजीवाद में, ऐसे तत्व रहे हैं जो अपने विकास के लिए साम्राज्यवाद का मुँह जोड़ते रहे हैं। पूंजीवादी अस्तित्व की कमजोरी यह नहीं थी कि वह पूंजीवाद का विकास चाहता था, कमजोरी यह थी कि वह इस विकास के लिए पूरी तरह जन-आन्दोलन का भरोसा न करके साम्राज्यवाद के सहारे विकास की समस्या हल करना चाहता था। इसी कारण यह नेतृत्व क्रान्तिकारी ढंग में स्वाधीनता आन्दोलन चलाने में असमर्थ हो रहा था। पूंजीपतियों के लिए आवश्यक नहीं था कि वे पदों के पीछे बैठें। पनश्यामदास विड़ला से अनेक कांग्रेसी नेताओं का सम्बन्ध जग-जाहिर था। इसमें बुरा कुछ भी नहीं; शर्त यह थी कि ये नेता स्वयं भारतीय पूंजीवाद के विकास के लिए साम्राज्यवाद से जमहर मर्षण करते रहें।

नेहरूजी की आत्मकथा से बहुत स्पष्ट है कि पूंजीपति स्वाधीनता आन्दोलन

से लाभ उठाते थे और फिर उससे दगा भी करते थे। नेहरूजी ने कांग्रेसी नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए लिखा है, "जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यह पूंजीवादी आन्दोलन (युर्जुआ मूवमेंट) है और उसका उद्देश्य अभी तक राजनीतिक स्वाधीनता है, न कि समाजव्यवस्था में परिवर्तन। इस उद्देश्य की आलोचना की जा सकती है कि वह काफी दूरगामी नहीं है, और स्वयं राष्ट्रवाद के बारे में कहा जा सकता है कि उसके दिन लद गये। किन्तु आन्दोलन का युनियादी आधार मान लेने के बाद यह कहना कि नेता भूमि व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था को उलटने की कोशिश नहीं करते, इसलिए जनता से गद्दारी करते हैं, वेत्तिर-पैर की बात है। उन्होंने ऐसा करने का दावा कभी किया ही नहीं। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो भूमि व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था बदलना चाहते हैं और उनकी सख्या बढ़ती जाती है लेकिन वे कांग्रेस की ओर से नहीं बोल सकते।" (पृष्ठ ३६६-६७)। नेहरूजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को पूंजीवादी आन्दोलन की संज्ञा ठीक दी है। जिस आन्दोलन के नेतृत्व पर पूंजीवादी प्रभाव न हो, उसे इस तरह की संज्ञा देना निरर्थक होगा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का कांग्रेसी नेतृत्व पूंजीवादी था। पूंजीवाद के हित में था कि भारत में सामन्तवाद समाप्त हो। जितना ही सामन्ती अवशेष कायम रहेंगे, उतना ही पूंजीवादी विकास में रुकावट होगी। ये सामन्ती अवशेष साम्राज्यवाद का मुख्य सामाजिक आधार थे। इस आधार को खत्म करना पूंजीवाद के हित में था। पूंजीवादी व्यवस्था को उलटने का दावा न करें, कांग्रेसी नेताओं के लिए यह स्वाभाविक था; किन्तु वे जमींदारी प्रथा को खत्म करने का आन्दोलन न चलायें, यह उनके लिए स्वाभाविक न था। सुधारवाद की असली जड़ यह थी। कम्युनिस्टों ने भारतीय पूंजीवाद की साम्राज्यविरोधी भूमिका कम करके आकी, यह उनकी भूल थी पर यह उनकी मुख्य भूल न थी। मुख्य भूल यह थी कि उन्होंने किसान आन्दोलन की भूमिका कम करके आकी और इस भूल से स्वाधीनता आन्दोलन को भारी नुकसान पहुँचा। नुकसान यह पहुँचा कि सुधारवादी नेता आन्दोलन का नेतृत्व सँभाले रहे; सुधारवाद के क्रान्तिकारी विकल्प का जो प्रश्न भारतीय राजनीति में बहुत स्पष्ट रूप से सन् ३० और ४० के दशक में सामने आ चुका था, उसका समाधान वे न कर सके।

भारतीय पूंजीपतियों के लिए नेहरूजी ने लिखा है कि अंग्रेजी माल के बायकाट और स्वदेशी के प्रचार में उन्होंने बहुत लाभ उठाया। ऐसा होना लाजमी था क्योंकि हर राष्ट्रीय आन्दोलन स्वदेशी उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देता है और विदेशी माल के बायकाट पर जोर देता है। स्वाधीनता आन्दोलन से लाभ उठाने के साथ-साथ उन्होंने एक काम और किया, "सविनय अवज्ञा आन्दोलन जब चालू था और हम अंग्रेजी माल के बायकाट का प्रचार कर रहे थे, तब बम्बई के मिल-मालिकों की पूरी जमात ने लंकाशायर से समझौता करने की जुर्रत दिखायी।" (पृष्ठ ३६७)। यह स्वदेशी उद्योग-धन्धों के प्रमुख केन्द्र बम्बई के पूंजीपतियों का हाल था। कम्युनिस्ट यदि इन पूंजीपतियों की आलोचना करते थे तो क्या बुरा करते थे? कांग्रेसी नेता इस तरह के समझौते रोकने में नितान्त असमर्थ साबित

हुए। तब पूजीपतियों के साथ इन नेताओं की आलोचना भी कम्युनिस्ट करते थे तो इसमें वैजा क्या था ?

कांग्रेसी नेता भूमि व्यवस्था उलटने का दावा करते थे किन्तु साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन में इस भूमि व्यवस्था से लाभ उठानेवालों की स्थिति क्या थी ? इस प्रश्न का उत्तर नेहरूजी की आत्मकथा में इस प्रकार है, “जहा तक बड़े जमींदारों और ताल्लुकदारों का सम्बन्ध है, गोलमेज सम्मेलन में वे पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ़ थे; उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान खुले और आक्रामक ढंग से सरकार का साथ देने की घोषणा की। इन्हीं की मदद से विभिन्न प्रान्तों में सरकार ने आर्डिनेन्सों के जरिये दमनकारी कानून बनाये। संयुक्त-प्रान्त की कौंसिल में जमींदार सदस्यों के बहुमत ने सविनय अवज्ञा वाले कैदियों की रिहाई का विरोध किया।” (पृष्ठ ३६७)। सामन्ती अवशेष अंग्रेज़ी राज का मुख्य आधार थे और स्वाधीनता आन्दोलन की राह में बहुत बड़ी रुकावट थे, इसका प्रमाण उक्त विवरण से अच्छा और क्या होगा ? भारतीय पूजीवाद स्वयं अपने विकास के लिए न तो सामन्ती अवशेष खत्म करने की ओर बढ़ रहा था और न लंकाशायर से समझौता किये बिना उभे चैन था। इसीलिए पूजीवादी नेतृत्व का विकल्प अनिवार्य हो गया था। यह विकल्प मार्क्सवादी नेतृत्व ही हो सकता था।

राष्ट्रवाद, कांग्रेस और गांधीजी के सम्बन्धों के बारे में नेहरूजी ने लिखा है कि जब तक यथेष्ट मात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता नहीं मिल जाती, तब तक राष्ट्रवाद मुख्य प्रेरणा बना रहेगा। इसी कारण गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की थी और “अपनी अस्पष्ट पूजीवादी विचार-धारा के बावजूद उसने एक क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा किया था।” (पृष्ठ ३६५)। पूजीवादी विचारधारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के लिए अस्पष्ट नहीं थी। वे जानते थे कि उनके किस कदम से कब और कहा किस वर्ग का हित होगा। पूजीवाद की क्रान्तिकारी भूमिका सीमित थी; उसी के अनुरूप कांग्रेस ने जन-जागरण का जो काम किया, उसकी सीमाएँ थीं। कांग्रेस से अलग होने का मतलब था राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग होना। फिर भी यह सवाल लोगों के सामने आ रहा था कि क्या कभी कांग्रेस कोई क्रान्तिकारी सामाजिक समाधान प्रस्तुत कर सकती है। नेहरूजी के अनुसार कांग्रेस के सामने ऐसी समस्या आयी तो वह दो या अधिक गुटों में बँट जायेगी। यदि कांग्रेस के भीतर क्रान्तिकारी सामाजिक कार्यक्रम का समर्थन करनेवाला कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक गुट बन जाये तो इसमें बुराई न होगी, समस्याएँ और स्पष्ट रूप से सामने आ जायेंगी। सवाल यह था कि उस हालत में गांधीजी किस तरफ़ होंगे। नेहरूजी ने लिखा है, “विचार-धारा की दृष्टि से वह कभी-कभी इतने पिछड़े दिखाई देते थे कि आश्चर्य होता था। लेकिन जहा अमल का सवाल था, वह पिछले दिनों भारत के सबसे बड़े क्रान्तिकारी थे। उनका व्यक्तित्व अपूर्व था। सामान्य मापदण्ड से उनको आकना असम्भव था। उन पर तर्कशास्त्र के माधारण सिद्धान्त लागू ही न होते थे। लेकिन वह युनियादी तीर से क्रान्तिकारी थे और भारत को आजाद करने की प्रतिज्ञा कर

चुके थे, इसलिए जब तक आजादी न मिले, किसी समझौते के बिना अपनी भूमिका निवाहना उनके लिए लाजमी था। इस प्रक्रिया के दौरान वे जनता की ज़बर्दस्त शक्ति के स्रोत खोल देंगे और मुझे कुछ-कुछ आशा थी कि वह स्वयं क्रम-ब-क्रम सामाजिक लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे।" (पृष्ठ ३६५)।

कांग्रेस ने जो जन-जागरण पैदा किया, उसका श्रेय गांधीजी को है। उसने शत्रु-दल से जो भी समझौते किये, उनके लिए भी जिम्मेदारी गांधीजी की है। उनके व्यक्तित्व को चमत्कारो बनाकर प्रस्तुत करने से कांग्रेसी नेतृत्व की पूजीवादी विचारधारा छिपाई न जा सकती थी। जवाहरलाल नेहरू गांधीवाद को सीमाएँ बहुत अच्छी तरह जानते थे किन्तु वे इन सीमाओं को लागू करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मेरी जड़ें अशतः उन्नीसवीं सदी में हैं और मुझ पर मानवतावादी उदार परम्परा का बहुत असर है, "यह पूजीवादी पृष्ठभूमि (वुर्जुआ बैंकग्राउण्ड) मेरे साथ लगी चलती है और स्वभावतः बहुत से कम्युनिस्ट इससे नाराज़ होते हैं।" (पृष्ठ ५९१)। यहाँ नेहरूजी ने जिस उन्नीसवीं सदी का जिक्र किया है, वह इंग्लैंड की उन्नीसवीं सदी है, उन्होंने जिस मानवतावादी परम्परा का जिक्र किया है, वह इंग्लैंड के पूजीवादी उदारपंथ की परम्परा है। यह उदारपंथ भारत में लाखों आदमियों को भूल में मरने से न रोक सका था। इसका कारण यह था कि यह मानवतावाद एक वर्ग-विशेष से जुड़ा हुआ था और यह वर्ग पूजीपतियों का था। सामाजिक समस्याएँ हल करने के लिए, सबसे पहले साम्राज्यवादी दामता से मुक्त होने के लिए यह ज़रूरी था कि जागरूक बुद्धिजीवी अपनी पूजीवादी पृष्ठभूमि से पूरी तरह पीछा छुड़ा लें।

इस सन्दर्भ में नेहरूजी ने उदारपंथी परम्परा का समर्थन करते हुए लिखा है कि मुझे कठमुल्लापन पसन्द नहीं है, मार्क्स की रचनाओं को धर्मग्रन्थ बना देना ठीक नहीं है। रूस में बहुत-सी बातें हुई हैं जो मुझे पसन्द नहीं हैं, खासतौर से साधारण समय में हिंसा का अत्यधिक प्रयोग मुझे पसन्द नहीं है, "फिर भी मेरा झुकाव कम्युनिस्ट दर्शन की ओर ही होता जाता है।" (पृष्ठ ५५१)। मार्क्स के दर्शन को मनुष्य के कर्ममय जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यही इस दर्शन की विशेषता है। यह दर्शन पूजीवादी उदारपंथ से ठीक उलटा है। जो भी दोनों में सामंजस्य पैदा करना चाहेगा, वह असफल होगा। नेहरूजी के लेखन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसमें सुधारवाद की बहुत अच्छी आलोचना है, सुधारवाद के विकल्प के रूप में क्रान्तिकारी राजनीति की तलाश भी है। १९३१ के आन्दोलन के असफल होने के बाद सुधारवाद का सही रूप बहुत से लोगों के सामने स्पष्ट होने लगा। इस परिस्थिति में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार तेज़ी से होने लगा। नेहरूजी के अनुसार "अंग्रेज़ सरकार के ज़बर्दस्त दमन के बावजूद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचार" (पृष्ठ ५९१)। १९३१ के बाद नेहरूजी का ज़ तेज़ी से मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आ, इसका सबूत उनका एक पत्र है जो उन्होंने १९३६ को लिखा था। यह पत्र उनकी धियन के अफ पब्लिशिंग हाउस,

१९५२) में दिया हुआ है। नाल्सेगार्ड के योग मुझे दर बाम और दे बल्लन होतो
 रही है और बिनको लेकर नाल्सेगार्डियो दर हर मुद्रा होके लो बारीक लया-
 बादा है, उन नदके बारे में नेह रुको को रद रही है दो मरुतः रुको हो होतो
 है।

नवने पहने इतिहास को भीतिकरारो व्याख्या का मुद्रा है। होहको ने (सिखा
 है कि नमनव है कि नाल्से ने इतिहास को अधिक व्याख्या दर रूत रररर खोर
 दिया है, और भावद इनलिए दिम हो कि रद १८ औषो के रर १९७ मुद्रा कम
 प्याद दिया था, "लेकिन घटनाक्रम तिथीरार करके मे सुवरो र के को काम करतो
 है, नाल्से ने यह कभी जन्मीकार न किया। उन्हीो ररिो रर रात पर सको
 रमादा और दिया, वह थो अधिक कारण। यह खोर मुद्रा ररर रर हो जो भी
 उनने कुछ रमादा फरु नही पडा। मेरी समझ मे यह हकीकत यकी रहती है कि
 उन्होंने जो इतिहास की व्याख्या की है वह एकमात्र व्याख्या है जिसने ररिहास
 का कुछ अर्थ निकलता है और किसी हर तक इतिहास को जयता लो सकती है।
 उनने वर्तमान को समझने मे मदद मिल सकती है और शीघ्र के बारे मे जयको
 किनी ही बातें सही साबित हुई है, यह तथ्य जरे भाके का है।"

विश्व पैमाने पर खास मुद्रा पूजीवाद का है। इसके बारे में वेह रुकी ने बताया
 कि पूजीवादी व्यवस्था ने वर्गों को टाकर को लेज कर दिया है। यह टाकर घातकी
 तेज हो गयी है कि गृह-युद्ध का सतरा पैदा हो गया है। अराजकता पहली भी थी
 किन्तु अब वह अन्तर्राष्ट्रीय हो। मे और जरे पैमाने पर थी। यकी है। अभी भी
 स्थानीय लड़ाइयो के बदले उसने विशाल और भयानक समर्थ पैदा की है। गारर
 के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि "उसने आधुनिक साम्राज्यवाद को जन्म
 दिया है। ये साम्राज्यवाद विशाल भू-भागों और विशाल मानवसंख्याओं को
 दमन और क्षोपण ही नहीं करते वरन् एक दूसरे से विचलित करवाते रहते हैं।"
 आधुनिक साम्राज्यवाद पूजीवादी व्यवस्था की देन है, यह फलसूत्रीय पूजीवाद का
 ही दूसरा रूप है। युद्ध और साम्राज्यवाद का सामन्य अर्थ है।

लेकर अराजकता न फैल जाये, अराजकता से नई लड़ाइया न शुरू हो जायें या नये सिरे से साम्राज्यवाद न फैल जाये। इस तरह के तर्क लार्ड लोथियन ने दिये थे। नेहरूजी ने कहा, “मुझे तो पुराना साम्राज्यवाद कहीं सतम होते नहीं दिखाई देता, उलटा उसे कायम रखने के लिए बार-बार और जोरदार कोशिशों की जाती हैं, उसे और मजबूत करने की कोशिश की जाती है, यद्यपि कहीं-कहीं लोगों को दिखाने के लिए उसके नया मुसौटा लगा दिया जाता है।” इंग्लैण्ड का पेट भरा हुआ है। मौजूदा हालत सलामत रहे, उसे नयी लड़ाइयों की जरूरत नहीं। उसे नये साम्राज्यवाद पसन्द नहीं हैं, “क्योंकि वे उसके पुराने साम्राज्यवाद से टकराते हैं। उसे साम्राज्यवाद से ही नफरत हो गई हो, ऐसा नहीं है।”

अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो भी आन्दोलन चले, वह उनके बनाये हुए कानून के दायरे में चले। नेहरूजी ने कहा कि संवैधानिक तरीकों से भारत की दशा बदलना न पहले सम्भव था, न अब है। संविधान का ऐसा तन्त्र था ही नहीं। उसके सामने दो ही रास्ते थे, “वह या तो भीस मांगे या बग़ावत करे।” अंग्रेज यहाँ भारत का उद्धार करने के लिए जमे हैं, इस बात की घोषणा वे अक्सर करते थे। इस तरह की घोषणाओं से लोगों को हँसी आती थी। नेहरूजी ने लिखा, “भारत में जो कुछ हो चुका है और हो रहा है, उसे देखते जनतन्त्र और वैधानिकता की बात करना मेरी समझ में इन शब्दों के अर्थ को पूरी तरह तोड़ना-मरोड़ना है। हुकूमत करनेवाली ताकतों और शासक वर्गों ने खुशी से गद्दी छोड़ दी हो, इसका सचूत इतिहास में नहीं है। अगर इतिहास की सीप काफी न हो तो भारत में हमें ठोस हकीकत का अनुभव हो चुका है।” जो बात अंग्रेज शासकों के लिए कही गयी है, वह समाजवाद के मन्दर्भ में देशी शासकों पर भी लागू हो सकती है। अंग्रेज कहते थे कि ब्रिटिश सरकार के पास भारत की आजादी धरोहर की तरह है। जैसे ही जनता आजादी पाने के लायक हो जायेगी, वैसे ही उसकी धरोहर वे उसे लौटा देंगे। नेहरूजी ने अंग्रेजों के न्यासधारी (ट्रस्टी) बनने को ज़बर्दस्त मुग़लता कहा है। जब देशी पूँजीपति और ज़मींदार जनता की धरोहर के रखवाले बनते थे, तब उनका यह न्यासधारीपन भी बहुत बड़ा मुग़लता था।

समाजवाद शान्तिपूर्ण उपायों से कायम किया जाये या उसके लिए हिंसा का महारा भी लेना पड़ेगा, यह प्रश्न तब से विवाद का विषय बना हुआ है जब से समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। हमारे देश में भी समाजवाद का विरोध करने वाले हिंसा से उसका सम्बन्ध जोड़कर सामन्ती और पूँजीवादी हितों की रक्षा करते थे। यूरोप में लोग ईसा मसीह के अहिंसावाद की दुहाई देते थे, भारत में वे गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की दुहाई देते थे। अहिंसावाद का उपयोग साम्राज्यवाद से समझौते का रास्ता खुला रखने के लिए होता था। भविष्य में पूँजीवाद की रक्षा के लिए भी उसका उपयोग मज्जे में हो सकता था। राज्यसत्ता का आधार शासक-वर्ग की हिंसा है, यह बात जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने लार्ड लोथियन को उक्त बातें लिखी थीं। इस समस्या पर उन्होंने विस्तार से आत्मकथा में भी लिखा है। उनकी आलोचना का लक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से गांधीवादी विचारधारा है। राज्यसत्ता के लिए

Handwritten text in Devanagari script, consisting of approximately 30 lines of dense, cursive writing. The text is oriented vertically on the page.

विवेक की बात करने या न्यायभावना जमाने में संघर्ष समाप्त हो जायेगा, अपने आपको धोखा देना है। यह कल्पना मिथ्या है कि प्रभुत्वशाली साम्राज्यवादी ताकत किसी देश पर अपना अधिकार छोड़ देगी या कोई वर्ग अपने विशेष अधिकार और समाज में ऊँची स्थिति छोड़ देगा जब तक कि उस पर ऐसा कारगर दबाव न डाला जायेगा जो दमन के समान होगा।" (पृष्ठ ५४४)।

एक तरह से विरोधी पर दबाव गांधीजी भी डालते थे। यह दबाव आत्मपीड़न का था। यह उपाय बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। आत्मपीड़न करने वाले को महात्मा बनते देखकर विरोध-गर्ज और भी बौखला उठता है। उसका असर आम जनता पर ही ज्यादा होता है। जिस उद्देश्य के लिए आत्मपीड़न किया जा रहा है, उससे जनता पहले ही सहमत है। जिन्हें परिवर्तन से डर लगता है, उन पर उसका असर होता नहीं दिखाई देता। सन् २० और ३० के आन्दोलनों का सीधे जिक्र करते हुए नेहरूजी ने लिखा है, "भारत में असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन तेजी से फैल गये। इससे जाहिर होता है कि अहिंसात्मक आन्दोलन कैसे विशाल जनसमुदाय पर जबर्दस्त असर डालता है और बहुत से झुलमुल यत्कीनों का हृदयपरिवर्तन करता है। लेकिन जो शुरू से आन्दोलन के विरोधी थे, उनमें कोई खास हृदयपरिवर्तन होता दिखाई न देता था। दरअसल आन्दोलन की सफलता से उनका भय और भी बढ़ गया, वे उसके और भी विरोधी हो गये।" (पृष्ठ ५४६)। अहिंसात्मक आन्दोलन में जनता में जागृति पैदा की जा सकती है किन्तु यह आन्दोलन की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल संघर्ष की है, वहा आत्मपीड़न का सिद्धान्त काम नहीं देता।

नीति की बात यह है कि राज्यसत्ता हिंसा का उपयोग करती है अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए, तो इस स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए भी हिंसा का सहारा लेना उचित है। नेहरूजी के अनुसार यह सम्भव है कि किसी समय "हिंसा का तरीका अवाञ्छनीय और अनुपयोगी हो पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह नितान्त अनुचित भी होगा और कभी उसका उपयोग किया ही न जाये। सरकार का गुट प्रधान होने से फौज पर अधिकार किये हैं, इस तथ्य से उसे हिंसा इस्तेमाल करने का ज्यादा अधिकार नहीं मिल जाता। मान लीजिए अहिंसात्मक क्रान्ति सफल होती है और राज्यसत्ता पर अधिकार मिल जाता है, तब क्या उसे तुरत हिंसा के इस्तेमाल का अधिकार मिल जायेगा जो अभी तक उसे न मिला था? उसके अधिकार के खिलाफ कही बगावत होती है तो वह उसका सामना कैसे करेगी? त्वाभाविक है कि वह हिंसात्मक उपाय से काम लेना न चाहेगी, परिस्थिति से निपटने के लिए वह हर शान्तिपूर्ण तरीका अपनाने की कोशिश करेगी लेकिन वह हिंसा के व्यवहार का अधिकार छोड़ नहीं सकती। समाज में ऐसे असन्तुष्ट लोग जरूर होंगे जो परिवर्तन का विरोध करेंगे और वे पुरानी स्थिति की ओर लौट जाने का प्रयत्न करेंगे। यदि वे समझ लेंगे कि नयी राज्यसत्ता अपने दमनतन्त्र से उनकी हिंसा न रोकेगी तो सम्भावना यही है कि वे और भी हिंसा से काम लेंगे। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि हिंसा और अहिंसा, दमन और हृदयपरिवर्तन के बीच अबल सीमा-

"समाजवादी विचारों का प्रसारण यूरोप की तरह पूँजीवादी (बुर्जुआ) था।" (पृष्ठ ४६)।
 १८४८-४९ के क्रान्तिवादी विचारों ने हटने की प्रेरणा उन्हें सन् २० के आन्दोलन की
 प्रेरणा दी। समाजवाद ने साम्प्रदायिकता उभारकर जवाबी हमला
 किया। १८४८ के क्रान्तिवादी विचारों के पास न था, इसलिए क्रान्तिकारी
 विचारों को प्रसारित करने में। १८२० में जब नेहरूजी यूरोप से लौटे, तब उन्होंने
 समाजवादी विचारों को प्रसारित करने में अस्पष्ट से समाजवादी विचार केंते
 की प्रेरणा दी। नेहरूजी के समान समाजवाद के बारे में
 सोचने की प्रेरणा दी। अन्त में स्वधीनता आन्दोलन का प्रमुख केंद्र
 १८४८ के क्रान्तिवादी विचारों का प्रसारण काँग्रेस के भीतर
 हुआ। "सोसलिस्ट कार्यकर्ता के रूप में
 मैंने १८४८ के क्रान्तिवादी विचारों को प्रसारित करने में एक प्रमुख काँग्रेसी कार्यकर्ता था
 और भी बहुत से प्रसिद्ध काँग्रेसी थे
 और १८४८ के क्रान्तिवादी विचारों को प्रसारित करने में। यह बात सबसे ज्यादा संयुक्त-प्रान्त की सूबाई
 काँग्रेसी के लिए थी। इस कमेटी के भीतर १८२६ के दिनों में ही हमने
 एक तरह से समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। हमारा सूबा जर्मनी-
 सीरी और ताजुल्लाही का सूबा है। हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल दरपेश
 था, वह भूमि का था। हमने ऐतान किया कि भोजूदा भूमि व्यवस्था खत्म करनी
 होगी, राज्य और किसान के मध्य कोई विचलिया न होगी।" (पृष्ठ १८३)।

बहुत से भासंबादी यह समझते रहे है कि समाजवादी विचारधारा से किसान
 का कोई सम्बन्ध नहीं है। वे देखें कि परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि जो
 स्वधीनता आन्दोलन राष्ट्रीय है, यह भूमि समस्या न हल कर पाने पर किसानों
 को समाजवादी विचारों की ओर डेलता है। १८२६ के साल में काँग्रेस ने पूर्ण
 स्वधीनता के लक्ष्य की घोषणा की। इसी साल "संयुक्त-प्रान्त की सूबाई काँग्रेस
 कमेटी एक कदम आगे बढ़ी। उसने अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के लिए अपनी
 एक सिफारिश भेजी जो निश्चित रूप से समाजवादी नीति के अनुरूप थी।
 १८२६ की गर्मियों में अखिल भारतीय काँग्रेस का अधिवेशन हुआ।
 उसने यू. पी. के प्रस्ताव का भूमिका मंजूर व इस तरह
 समाजवाद का जो सिद्धान्त पूरे प्रस्त, उ कर
 लिया। यू. पी. के प्रस्ताव में जो विचारों काये
 विचार के लिए उठा रखा।" (पृष्ठ
 धारा संयुक्त-प्रान्त की काँग्रेस कमेटी से
 तक पहुँची। भारत में एक और भी संग-
 इसकी यू. पी. शाखा के कार्यकर्ता
 कार्यकर्ता थे। य
 जैसी मिली-जुली
 प्रिपेरेन्स लीग
 (७५.)।
 नेहरूजी और उने

सफलता नहीं मिली पर समाजवादी विचारधारा कांग्रेस के भीतर और बाहर बराबर फैलती रही। लन्दन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस चालू थी। सन् ३० का आन्दोलन ठण हो गया था। स्वाधीनता आन्दोलन के जिनने विरोधी थे, वे तटस्थ रहने के बदले मुलकर अंग्रेजों का साथ देने लगे। कांग्रेस ने जनता में जागृति फैलाई, थोड़ी सी जागृति कांग्रेस के भीतर जनता ने भी फैलाई। नेहरूजी ने लिखा है कि "लन्दन में जो आम कतार-बंदी तैयारी से हुई, उसका कारण यह एहसास था कि कांग्रेस अधिकाधिक वामपंथ की ओर बढ़ रही है और आम जनता का प्रभाव उस पर अधिकाधिक बढ़ रहा है। लोगों ने सहज बुद्धि से जाना कि भारत में यदि मौलिक राजनीतिक परिवर्तन होगा तो इससे आम जनता के अनेक तत्व अपना प्रभुत्व कायम करेंगे या कम-से-कम महत्व की जगहों में होंगे। ये तत्व लाजमी तौर से बुनियादी सामाजिक तब्दीलियों की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह वे निहित स्वार्थ खतरे में पड़ जायेंगे। भारत के निहित स्वार्थों के लिए यह सम्भावना संकट की सूचना जैसी थी और वे उसमें पीछे हटे। इन कारण उन्होंने किसी भी दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन का विरोध किया। वे चाहते थे कि एक निर्णायक तत्व की हैमियत में अंग्रेज भारत में बने रहें और समाज के मौजूदा ढाँचे और मौजूदा निहित स्वार्थों को बनाये रखें। वे जो डोमीनियन स्टेट्स (अपनिवेशिक स्वराज्य) पर जोर दे रहे थे, उसके पीछे असली भावना यही थी। भारत के एक प्रसिद्ध लिबरल नेता एक बार मुझमें इस बात पर नाराज़ हो गये कि मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अंग्रेजों से समझौता इसी आधार पर हो सकता है कि उनकी फौज यहाँ में तुरत खली जाये और भारतीय फौज भारत के जनतान्त्रिक नियंत्रण में रहे।" (पृष्ठ २४१-४२)। लिबरल नेता को यह डर हो सकता था कि अंग्रेजी फौज के बिना हम बाहरी हमले का मुकाबला न कर सकेंगे पर असली कारण यह था कि "अंग्रेज यहाँ रहें और स्वयं हिन्दुस्तानियों के खिलाफ यहाँ के निहित स्वार्थों की रक्षा करें, आम जनता के उभार और विशुद्ध जनतन्त्र में उनकी रक्षा करें।" (पृष्ठ २४२)।

अंग्रेज साम्राज्यवादियों का जनतन्त्र-प्रेम ऐसा ही था; उसका उद्देश्य देश की जनता में देश के निहित स्वार्थों को बचाना था। खुले प्रतिक्रियावादियों के अलावा उदारपंथी लोग उनके साथ थे। पर सवाल केवल लिबरल नेताओं का न था। नेहरूजी कहते हैं, "तो भारतीय गोल-मेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों में खुले प्रतिक्रियावादी और सम्प्रदायवादी ही न थे वरन् जो लोग अपने को प्रगतिशील और राष्ट्रवादी कहते थे, वे भी अंग्रेज सरकार की बहुत-सी बातों से सहमत हो गये। हम प्रतीत हुआ कि राष्ट्रवाद शब्द के अर्थ का दायरा लचीला और काफी बड़ा है; आजादी की लड़ाई को आगे चलाने के लिए जो लोग भारत में जेल गये थे, वे इस दायरे में थे और उसमें वे भी थे जो हमारे जेलरों से मिले हुए थे और सामान्य नीति निर्धारित करने के बारे में उनसे बातचीत कर रहे थे। हमारे देश में ऐसे भी बहादुर राष्ट्रवादी थे, फरटि से ब्याख्यायन देते थे, हर तरह से स्वदेशी आन्दोलन को प्रोत्साहन देते थे, और हमसे कहते थे स्वराज का असली तत्व स्वदेशी है, और देशवासियों का आह्वान करते थे कि इसके लिए बलिदान करना

“मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण पूरी तरह पूँजीवादी (वुर्जुआ) था।” (पृष्ठ ४६)। इस पूँजीवादी दृष्टिकोण से हटने की प्रेरणा उन्हें सन् २० के आन्दोलन की असफलता से मिली। साम्राज्यवाद ने साम्प्रदायिकता उभारकर जवाबी हमला किया। इस हमले का काट सुधारवाद के पास न था, इसलिए क्रान्तिकारी विकल्प की तलाश जरूरी हुई। १९२७ में जब नेहरूजी यूरोप से लौटे, तब उन्होंने देखा कि देश के राजनीतिक वातावरण में अस्पष्ट से समाजवादी विचार फैले हैं। कांग्रेस के भीतर ऐसे लोग थे जो नेहरूजी के समान समाजवाद के बारे में सोचते थे। नेहरूजी का अपना कार्यक्षेत्र स्वाधीनता आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि समाजवादी विचारधारा कांग्रेस के भीतर यही सबसे ज्यादा फैले। नेहरूजी ने लिखा है, “सोशलिस्ट कार्यकर्ता के रूप में मेरा जो भी महत्व था, वह इसलिए था कि मैं एक प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता था और कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर था। और भी बहुत से प्रसिद्ध कांग्रेसी थे जो इसी तरह सोचने लगे थे। यह बात सबसे ज्यादा संयुक्त-प्रान्त की सुपाई कांग्रेस-कमेटी में जाहिर थी। इस कमेटी के भीतर १९२६ के दिनों में ही हमने एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। हमारा सूबा जमींदारों और ताल्लुकदारों का सूबा है। हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल दरपेश था, वह जमीन का था। हमने ऐलान किया कि मौजूदा भूमि व्यवस्था खत्म करनी होगी; राज्य और किसान के मध्य कोई विचलिया न होगा।” (पृष्ठ १२३)।

बहुत से मार्क्सवादी यह समझते रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा से किसान का कोई सम्बन्ध नहीं है। वे देखे कि परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि जो स्वाधीनता आन्दोलन राष्ट्रीय है, वह भूमि समस्या न हल कर पाने पर किसानों को समाजवादी विचारों की ओर ठेलता है। १९२६ के साल में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा की। इसी साल “संयुक्त-प्रान्त की सुपाई कांग्रेस कमेटी एक कदम आगे बढ़ी। उसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए अपनी एक सिफारिश भेजी जो निश्चित रूप से समाजवादी नीति के अनुरूप थी। १९२६ की गमियों में अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसने यू. पी. के प्रस्ताव का भूमिका वाला हिस्सा मजूर कर लिया और इस तरह समाजवाद का जो सिद्धान्त पूरे प्रस्ताव का आधार था, उसे उसने स्वीकार कर लिया। यू. पी. के प्रस्ताव में जो विस्तृत कार्यक्रम दिया हुआ था, उसे आगे विचार के लिए उठा रखा।” (पृष्ठ १२३)। इस तरह समाजवादी विचारधारा संयुक्त-प्रान्त की कांग्रेस कमेटी से आगे बढ़ती हुई अखिल भारतीय कमेटी तक पहुँची। भारत में एक और भी संगठन था इंडिपेंडेंस फार इण्डिया लीग। इसकी यू. पी. शाखा के सभी कार्यकर्ता ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के भी प्रमुख कार्यकर्ता थे। यह शाखा “निश्चित रूप से समाजवादी थी और कांग्रेस कमेटी जैसी मिली-जुली जमात के मुकाबले में थोड़ा और आगे बढ़ी हुई थी। दरजसत इंडिपेंडेंस लीग का एक उद्देश्य सामाजिक स्वाधीनता प्राप्त करना था।” (उप.)।

नेहरूजी और उनके साथियों को लीग का भारतव्यापी संगठन बनाने में

सदनानहीं निनी दर ननात्रवादी विचारवाय कांश्रेन के नीतर और बहुरं
 वरावर ईननी रही । नन्दन में गोचनेत्र कान्द्रेन वानू धी । इन् ३० का बान्दोतन
 ठप हो गना था । स्वाधीनता आन्दोलन के वितने विरोधी थे, वे नदत्प्य रहने के
 वदने नूनकर अंग्रेजों का नाय देने नये। कांश्रेन ने जनता में जागृति फैलाई, थोड़ी
 सी जागृति कांश्रेन के नीतर जनता ने भी फैलाई । नेहरूजी ने लिखा है कि
 "लन्दन में जो आम जनार-वंशी तेजो से हुई, उनका कारण यह एहनात था कि
 कांश्रेन अधिकाधिक वानपंय की ओर बड़ रही है और आम जनता का प्रभाव उस
 पर अधिकाधिक बड़ रहा है । लोगों ने सहज बुद्धि ने जाना कि भारत में यदि
 मौलिक राजनीतिक परिवर्तन होगा तो इनने आम जनता के अनेक तत्व अपना
 प्रभुत्व कायन करेगे या कम-से-कम नहन्व की जगहो में होंगे । ये तत्व ताजमी
 तौर में बुनियादी नानाजिक तथ्योतियों की तरफ बड़ेंगे और इस तरह वे निहित
 स्वार्थ खतरे में पड़ जायेंगे । भारत के निहित स्वार्थों के लिए यह सम्भावना संकट
 की सूचना देती थी और ये उनने पीछे हटे। इन कारण उन्होंने किनी भी दूरपानी
 राजनीतिक परिवर्तन का विरोध किया । वे चाहते थे कि एक निर्णायक तत्व की
 हैनियत में अंग्रेज भारत में बने रहें और ननात्र के मौजूदा डीचे और मौजूदा
 निहित स्वार्थों को बनाये रखें । वे जो डोमोनियन स्टेटस (औरनिवेशिक स्वराज्य)
 पर जोर दे रहे थे, उसके पीछे असली भावना यही थी । भारत के एक प्रतिष्ठ
 निवगल नेता एक बार मुझने इस बात पर नाराज हो गये कि मैं इस बात पर जोर
 दे रहा था कि अंग्रेजों में समझौता इसी आधार पर हो सकता है कि उनकी फौज
 यहाँ में तुरन चली जाये और भारतीय फौज भारत के जनतान्त्रिक नियंत्रण में
 रहे ।" (पृष्ठ २४१-४२) । लिबरल नेता को यह डर हो सकता था कि अंग्रेजी फौज
 के बिना हम बाहरी हमले का मुकाबला न कर सकेंगे पर असली कारण यह था
 कि "अंग्रेज यहाँ रहें और स्वयं हिन्दुस्तानियों के खिलाफ यहाँ के निहित स्वार्थों की
 रक्षा करें, आम जनता के उभार और विशुद्ध जनतन्त्र में उनकी रक्षा करें ।"
 (पृष्ठ २४२) ।

अंग्रेज साम्राज्यवादियों का जनतन्त्र-प्रेम ऐसा ही था; उसका उद्देश्य देश की
 जनता में देश के निहित स्वार्थों को बचाना था । खुले प्रतिक्रियावादियों के अलावा
 उदारपंथी लोग उनके साथ थे । पर सवाल केवल लिबरल नेताओं का न था ।
 नेहरूजी कहते हैं, "तो भारतीय गोल-मेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों में खुले
 प्रतिक्रियावादी और सम्प्रदायवादी ही न थे वरन् जो लोग अपने को प्रगतिशील
 और राष्ट्रवादी कहते थे, वे भी अंग्रेज सरकार की बहुत-सी बातों से सहमत हो
 गये । हमें प्रतीत हुआ कि राष्ट्रवाद शब्द के अर्थ का दायरा लचीला और काफी
 बड़ा है; आजादी की लड़ाई को आगे चलाने के लिए जो लोग भारत में जेल गये
 थे, वे इस दायरे में थे और उसमें वे भी थे जो हमारे जेलरों से मिले हुए थे और
 सामान्य नीति निर्धारित करने के वारे में उनसे बातचीत कर रहे थे । हमारे देश
 में ऐसे भी वहादुर राष्ट्रवादी थे, फरॉटे से व्याख्यान देते थे, हर तरह से स्वदेशी
 आन्दोलन को प्रोत्साहन देते थे, और हमसे कहते थे स्वराज का असली ताथ
 स्वदेशी है, और देशवासियों का आह्वान करते थे कि इसके लिए प्रतिज्ञा करना

पड़े तो भी उसे बढ़ावा देना चाहिए। सौभाग्य से आन्दोलन के कारण तुम उन्हें कुछ भी बलिदान न करना पड़ा; उनका धन और चमका, लाभांश में बढ़ती हुई। आगे चलकर जब आक्रामक राष्ट्रवाद उनके लिए थोड़ा खतरनाक बन गया, तब उन्होंने अपने व्याख्यानों का स्वर मद्धिम कर दिया, 'अतिवादियों' की निन्दा की, और दूसरी पार्टी के साथ समझौते और गठबन्धन किये।" (पृष्ठ २४२)। यह स्थिति १९३० के बाद अचानक प्रैदा न हुई थी। भारतीय पूंजीपतियों में एक हिस्सा पहले भी ऐसा था जो अंग्रेजी राज से सहयोग करके धन बटोरता रहा था। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान भारत का आर्थिक संकट गहरा हुआ किन्तु इसके साथ ही "उद्योगीकरण का प्रसार हुआ और पूंजीपतिवर्ग की सम्पदा और शक्ति में बढ़ती हुई। ये ऊपर वाले मुट्ठीभर लोग मालामाल होते रहे, और भी शक्ति पाने के लिए वे ललचा रहे थे और चाहते थे कि बचत के धन को कहीं लगाने और दौलत में इजाफा करने का मौका मिले।" (पृष्ठ ४०)। नेहरूजी के इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि भारतीय पूंजीपतिवर्ग का एक अंश प्रथम महायुद्ध के दौरान अंग्रेजों से सहयोग करके धनी बना था और सन् २० में इस सहयोग को जारी रखना चाहता था। पूंजीपतिवर्ग का यह अंश सन् ३० में मौजूद था और वह उस समय भी अंग्रेजों से सहयोग करने के पक्ष में था। स्वाधीनता आन्दोलन के जोर पकड़ने पर वह अपने दाव-पेंच बदल देता था पर उसके धीमा पड़ने पर वह साम्राज्यवाद से सहयोग करने के लिए खुलकर सामने आ जाता था। भारतीय मार्क्सवादियों के सामने वहस का एक खास मुद्दा यह रहा है, १९४७ के पहले रहा है और १९४७ के बाद भी रहा है, कि भारत का पूंजीपतिवर्ग पूर्णतः प्रतित्रिया-वादी है या अंशतः ऐसा है, पूर्णतः प्रगतिशील है या अंशतः ऐसा है। इस मुद्दे की चर्चा आगे भी होगी। यहाँ इतना कह देना काफी है कि पूंजीपतिवर्ग के दाव-पेंच समझने के लिए जितनी भुविधा कांग्रेस के भीतर नेहरूजी की थी, उतनी कांग्रेस के बाहर किसी और को नहीं थी। सन् २० और ३० में इस वर्ग के जो दाव-पेंच थे, उनका विवरण आत्मकथा में है। उक्त समस्या पर विचार करते समय उस विवरण को नजरान्दाज न करना चाहिए। कांग्रेसी नेता स्वाधीनता आन्दोलन को उन पूंजीपतियों के प्रभाव से पूरी तरह कभी मुक्त नहीं कर पाये जो साम्राज्यवाद से सहयोग करने के पक्ष में थे। इसी कारण स्वाधीनता आन्दोलन की प्रगति के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि उसका नेतृत्व ऐसे लोग करें जो साम्राज्यवाद से समझौता करने के पक्ष में न थे, जो समझौता चाहने वाले पूंजीपतियों के प्रभाव से स्वाधीनता आन्दोलन को मुक्त कर सकते थे। साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि उससे सहयोग करने वालों के प्रभाव से मुक्ति पाई जाये। इससे समझौतावादियों और समझौताविरोधियों का संयुक्त मोर्चा टूटता था किन्तु इसमें दुखी होने की बात न थी। उसकी जगह ऐसा संयुक्त मोर्चा बनाना जरूरी था जिसमें ऊपर वाले मुट्ठीभर लाभांश-प्रेमियों के बदले हजारों मजदूरों और लाखों किसानों के जुझारू प्रतिनिधि शामिल हों। इसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थी।

कलकत्ता कांग्रेस से कुछ दिन पहले क्षरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन

यह सब सन् ३० का आन्दोलन शुरू होने में पहले हो रहा था। जो कम्पनी वर्मा आयल कम्पनी से जुड़ी हुई थी, वह ब्रिटिश पूंजी की प्रतिनिधि थी। उसके खिलाफ हड़ताल का मतलब था अंग्रेजी राज से लड़ाई। १९२८-२९ के दो वर्ष भारत के श्रमिक आन्दोलन के महत्वपूर्ण वर्ष थे। पहले विश्वयुद्ध के बाद से लेकर अब तक उद्योग-धन्धों की जो स्थिति रही थी, उसमें जिस तरह मजदूरों की हड़तालों अनिवार्य हो रही थी, इसका बहुत सजीव वर्णन नेहरूजी की आत्म-कथा में है। उसे पढ़ने से हर देशभक्त की समझ में आ जायेगा कि वर्गसंघर्ष को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ की-

क्यों भाग लेते हैं। उन्होंने लिखा है, "मुझे १९२८-२९ के दो वर्षों में... को कमाई करने का खूब मौका मिला और उन्होंने भारी-भरकम मुनाफा कमाया। पाँच-छह साल तक पटसन या सूती मिलों में औसत लाभांश की सालाना दर सौ फीसदी से ज्यादा थी और अक्सर डेढ़ सौ फीसदी रही। यह सब भारी मुनाफा मालिकों और भागीदारों के हिस्से में आया, और मजदूर जैसे पहले थे वैसे ही बने रहे। उनकी पगार में थोड़ी-बहुत बढ़ती हुई तो उसकी काट बढ़ती हुई कीमतों से हो जाती थी। जिन दिनों लोग लाखों कमाने में जी-जान से जुटे हुए थे, ज्यादातर मजदूर निहायत मनहूस खोलियों में रहते आये और उनकी स्त्रियों के पास तन ढकने को वस्त्र भी न थे। बम्बई के मजदूरों की हालत काफी खराब थी लेकिन शायद उन पटसन-मजदूरों की हालत बदतर थी जो कलकत्ते के महलों से इतनी दूर थे कि गाड़ी में बैठकर घण्टे भर में उन तक पहुँचा जा सके। रुखे-उलझे बालों वाली अधनगी औरतें दो-चार पैसों के लिए मेहनत करती जाती थी जिससे कि सम्पदा की विशाल नदी ग्लासगो और डण्डी की तरफ, तथा कुछ हिन्दुस्तानी जेबों की तरफ लगातार बहती रहे।" (पृष्ठ १८८)। ग्लासगो और डण्डी से आशय यह है कि भारतीय मजदूरों की मेहनत में लाभ उठाने वाले मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं। मुनाफे का छोटा हिस्सा पाने वाले भारत के कुछ पूंजीपति हैं। बम्बई के सूती मिल-मजदूरों की हालत काफी खराब थी; वहाँ मिलों में ज्यादातर पूंजी भारतीय उद्योगपतियों की थी। पटसन मजदूरों की हालत बदतर थी; पटसन मिलों में ज्यादातर पूंजी ब्रिटिश थी। अंग्रेज सरकार और भारतीय उद्योगपति दोनों चाहते थे कि अपनी दशा सुधारने के लिए वे किसी तरह का संघर्ष न करें।

जब तक मुनाफा कमाने के लिए उभार का समय था, तब तक उद्योगपति चैन की बसी बजाते रहे। जब मन्दी का जमाना आया तब भारी मुनाफा कमाना मुमकिन न रहा और मन्दी का बोझ मजदूरों पर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि "उद्योग-धन्धों में अशान्ति फैली, श्रम-सम्बन्धी झगड़े हुए, और बम्बई में जगो हड़ताल हुई। हर आंदमी के मन पर हड़तालों की छाप पड़ी, और मिल-मालिक तथा सरकार दोनों सहम गये। मजदूर आन्दोलन में वर्गचेतना फैल गयी थी। क्या विचारधारा और क्या संगठन, दोनों ही तरफ से यह जुझारू और खतरनाक बनता जाता था। राजनीतिक परिस्थित तैयारी से बदल रही थी। हालाँकि ये दोनों चीजें अलग थी और उनमें कोई सम्बन्ध न था, फिर भी वे एक हद तक

साथ-साथ चल रही थी, और सरकार भविष्य के बारे में निश्चिन्त होकर न बैठ सकती थी।" (उप.)। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि राजनीतिक परिस्थिति को बदलने में मजदूर वर्ग पहल कर रहा था। मजदूरों का वर्ग-सघर्ष स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण भाग था, दोनों में अटूट सम्बन्ध था। मजदूरों के एक मालिक विलायत में बैठे थे। उनसे मजदूर की लड़ाई सीधे अंग्रेजी राज से लड़ाई थी। दूसरे मालिक बम्बई के देशी पूंजीपति थे, ये विलायती मालिक के दबाव से मुक्ति पाना चाहते थे पर उससे सहयोग करने को भी उत्सुक थे। मजदूरों का संघर्ष इनके दुलमुलपन के खिलाफ था। कांग्रेसी नेतृत्व में चलने वाला स्वाधीनता आन्दोलन अभी आगे के दाँव-पेंच तय करने में लगा था। दाँव-पेंच तय करके वह मजदूर आन्दोलन के साथ आगे बढ़े, इससे पहले सरकार ने मजदूर आन्दोलन पर हमला किया, उसके नेताओं को जेल में डालकर उसने कांग्रेसी आन्दोलन से निपटने का काम अपने लिए आसान बना लिया। कांग्रेसी नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन और कम्युनिस्ट नेतृत्व में चलने वाले श्रमिक आन्दोलन में आपसी तालमेल न होने से अंग्रेजों को दोनों का दमन करने में सफलता मिली।

नेहरूजी ने सरकारी हमले का विवरण देते हुए लिखा है, "मार्च १९२६ में सरकार ने अचानक संगठित मजदूरों पर हमला किया; प्रगतिशील गुटों में उनके जो प्रमुख नेता थे, उनमें अधिकांश को उसने पकड़ लिया। बम्बई के गिरनी कामगार-यूनियन के नेता पकड़ लिये गये, बंगाल, संयुक्त प्रान्त और पंजाब के मजदूर नेता भी पकड़े गये। इनमें कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ उनके नजदीकी विचार वाले लोग थे, कुछ अन्य केवल मजदूरसभाई थे। यह मेरठ के उस प्रसिद्ध मुकद्दमे की शुरुआत थी जो साढ़े-चार साल तक चला।" (पृष्ठ १८८-८९)। अदालत में मेरठ-बन्धियों की पैरवी करने के लिए जो वचाव-कमेटी बनी उसके एक सदस्य नेहरूजी भी थे।

सन् ३० से पहले एक ओर मजदूर आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे, दूसरी ओर किसान अपनी लड़ाई तेज करने की तैयारी में थे। १९३० में इलाहाबाद की जिला कांग्रेस कमेटी ने सारे सूबे में लगानबन्दी आन्दोलन चलाने में पहल की। इसके बाद मार्च १९३१ में सरकार और कांग्रेस के बीच दिल्ली वाला समझौता हुआ। कांग्रेस ने देहात में अपने कार्यकर्त्ता भेजे और किसानों से कहा कि वे लगान अदा कर दें, कांग्रेसी नेता लगान में छूट के लिए कोशिश करेंगे। यदि यह मान लिया जाये कि मजदूर आन्दोलन को कम्युनिस्टों ने स्वाधीनता आन्दोलन से अलग रखा, तो सवाल यह है कि किसानों के लगान-बन्दी आन्दोलन को उस स्वाधीनता आन्दोलन से किमने अलग रखा? इस सवाल का जवाब जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इस प्रकार है: "हमने कोशिश की कि सविनय अवज्ञा के आम सवाल में किसानों के मामले को विल्कुल अलग रखें। कम-से-कम १९३१ में हम यही चाहते थे कि इन मामलों को राजनीति से अलग रखकर आर्थिक दृष्टि से ही उस पर विचार करें। यह काम मुश्किल था क्योंकि दोनों चीजें एक-दूसरे में घुलमिल गयी थी और इस तरह पहले भी घुलमिल चुकी थी।" (पृष्ठ २६८)। इस तरह की कई मुश्किलों के बावजूद

बम
खि
भा
लेक
की
कथ
जन्
क्यों
को
पाँच
फीर
मां
रहे।
जात
मजद
ढकने
शाय
दूर थे
वाली
सम्पद
जेबों व
आशय
ब्रिटिश
है। बम्
प्रदाता
थी; पट
उद्योगपति
न करें।

जब तब
चैन की बंसी
मुमकिन न रहा।
“उद्योग-धन्यो मे
हड़ताल हुई। हर
तया सरकार दोनों
क्या विचारधारा और
बनता जाता था। राजनीति
दोनों चीजें अलग थी और

जो भागने और मुहँ छिपाने की बात न सोचकर दमन के खिलाफ किसानों की रक्षा के कारगर तरीके अपनाये। इस तरह की पार्टी देश में थी पर वह थोड़े से औद्योगिक केन्द्रों में बन्द थी। इसीलिए उसके नेताओं को पकड़कर जेल में बन्द करना आसान था। नेताओं के अभाव में मजदूर आन्दोलन का ठप्प हो जाना भी अनिवार्य था। मजदूर आन्दोलन को चलाने के लिए जरूरी था कि उसके नेता देहात में अपना आधार मजबूत करें। केवल किसान आन्दोलन सरकारी दमन से इन नेताओं की रक्षा कर सकता था, वह मजदूर आन्दोलन को कुचले जाने से बचा सकता था, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को अजेय बना सकता था। पर उसकी शक्ति पहचानने वाली पार्टी देश में न थी। पर १९२८-३१ के बीच, जहाँ तक किसानों और मजदूरों का सम्बन्ध है, देश में क्रान्ति के लिए परिस्थिति परिपक्व हो चुकी थी।

सवाल शहर बनाम गाँव, मजदूर बनाम किसान का न था; सवाल था मजदूरों और किसानों की एकता का, मजदूर आन्दोलन से किसान आन्दोलन को जोड़ने का, दौनों के साथ स्वाधीनता आन्दोलन को चलाने का। इतिहास ने यह कार्य भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया था। उसे जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी पूरा न कर पाये तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के विशेषज्ञ थे, वे समकालीन इतिहास की गतिविधि समझ न पा रहे थे।

“हमारी यह बराबर कोशिश रही कि दिल्ली समझौते के बाद से किसान समस्या को राजनीतिक लड़ाई में अलग रखा जाये।” (पृष्ठ २६६)। सगटित रूप से किसान आन्दोलन केवल संयुक्त प्रान्त में चलाया गया था लेकिन “दर हकीकत सारे भारत के किसान उसी तरह प्रभावित हुए थे।” (उप.)। १९२६ की मन्दी के बाद सरकार की मालमुजारी में काफी बढ़ती हुई, ज़मींदार की आमदनी में भारी बढ़ती हुई, लेकिन किसान भुखमरी की जिन्दगी बिताता रहा। (पृष्ठ ३०१)। किसान कर्ज के बोझ से दबे जा रहे थे और अंग्रेजी कानून महाजनों की रक्षा करता था। (पृष्ठ ३०२)। सूबे की सरकार की आय का मुख्य स्रोत किसानों से मिलने वाला टैक्स था। वह इस टैक्स में छूट न देना चाहती थी, लेकिन “उसे यह डर भी था कि किसान कहीं उठ खड़े न हों। वह जहाँ तक बन सके, छूट देकर किसानों को तसल्ली दे।” (पृष्ठ ३०३-३०४)। सरकार ने छूट दी और इससे किसानों का कुछ भला न होने वाला था। नेहरूजी के शब्दों में “हमें यकीन था कि किसानों के साथ नाइन्साफी हुई है, फिर भी इस मामले में हम मजबूर थे। हम इस बात की जिम्मेदारी न लेना चाहते थे कि उन्हें सलाह दें कि वे लगान न दें। हम उन्हें यह सलाह देने की जिम्मेदारी न लेना चाहते थे कि वे लगान अदा न करे। हम बार-बार यही कहते रहे कि जितना बन पड़े उतना दें, उनकी मुसीबत में हम उनके आम हमदर्दी जाहिर करते रहे और उन्हें हिम्मत बँधाने की कोशिश करते रहे। हम उनके सहमत थे कि छूट के बाद भी उन्हें जो कुछ देना था, वह उनके लिए बहुत था। कानूनी और गैरकानूनी दमन-चक्र चलने लगा। हजारों के खिलाफ वेदखली के मुकद्दमे दायर किये गये, उनके बँल-बधिया, घर-दुआर कुर्क कर लिये गये, जमींदारों के कारिन्दों ने उन्हें मारा-पीटा।” (पृष्ठ ३०४)। उन्होंने जो भी लगान दिया, उसमें वे अपने को तबाही से न बचा सके। दरअसल वे कुछ न देते तो उनकी हालत थोड़ा अच्छी होती क्योंकि जो पैसा उन्होंने दिया, वह तो उनके पास बच ही जाता। (पृष्ठ ३०४-३०५)। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में किसानों की भीड़ लगी रहती। नेहरूजी के घर को झुड-के-झुड किसान आ घेरते थे। उस समय उनकी हालत यह थी : “मन करता था कि भाग जाऊँ और कहीं भी जाकर छिप जाऊँ जिससे कि इस भयानक संकट से छूटकारा मिल जाये। बहुत से किमानों के शरीर पर चोट के निशान थे। वे कहते थे कि जमींदारों के कारिन्दों ने उन्हें मारा है, उसके वे निशान हैं। हमने अस्पताल में उनका इलाज कराया। वे क्या कर सकते थे ? हम क्या कर सकते थे ? हमने यू. पी. सरकार को लम्बी-लम्बी चिट्ठियाँ लिखी।” (पृष्ठ ३०५)।

कांग्रेसी नेतृत्व में जो किमान आन्दोलन बहुत छोटे पैमाने पर चला, उसका नतीजा यह हुआ। कांग्रेस में जो सबसे प्रगतिशील नेता थे, वे सरकार और जमींदारों के दमन के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगे। मजदूरों के आन्दोलन और किसानों के आन्दोलन, दोनों से स्वाधीनता आन्दोलन को अलग करके उसे दबा लेना और समझौता करने के लिए कांग्रेसी नेताओं को विवश करना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। जरूरत एक क्रान्तिकारी पार्टी की थी

जो भागने और मुहँ छिपाने की बात न सोचकर दमन के खिलाफ किसानों की रक्षा के कारगर तरीके अपनाये। इस तरह की पार्टी देश में थी पर वह थोड़े से औद्योगिक केन्द्रों में बन्द थी। इसीलिए उसके नेताओं को पकड़कर जेल में बन्द करना आसान था। नेताओं के अभाव में मजदूर आन्दोलन का ठप्प हो जाना भी अनिवार्य था। मजदूर आन्दोलन को चलाने के लिए जरूरी था कि उसके नेता देहात में अपना आधार मजबूत करें। केवल किसान आन्दोलन सरकारी दमन से इन नेताओं की रक्षा कर सकता था, वह मजदूर आन्दोलन को कुचले जाने से बचा सकता था, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को अजेय बना सकता था। पर उसकी शक्ति पहचानने वाली पार्टी देश में न थी। पर १९२८-३१ के बीच, जहाँ तक किसानों और मजदूरों का सम्बन्ध है, देश में क्रान्ति के लिए परिस्थिति परिपक्व हो चुकी थी।

सवाल शहर बनाम गाँव, मजदूर बनाम किसान का न था; सवाल था मजदूरों और किसानों की एकता का, मजदूर आन्दोलन से किसान आन्दोलन को जोड़ने का, दोनों के साथ स्वाधीनता आन्दोलन को चलाने का। इतिहास ने यह कार्य भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया था। उसे जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी पूरा न कर पाये तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के विशेषज्ञ थे, वे समकालीन इतिहास की गतिविधि समझ न पा रहे थे।

4

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार

1. रूसी क्रान्ति से पहले

(क) ऐतिहासिक महत्त्व की दो मंजिलें

भारत में साम्राज्य-विरोधी चेतना के प्रसार की अगली कड़ी है समाजवादी चेतना का प्रसार। स्वाधीन होने के बाद किस तरह की समाज-व्यवस्था का निर्माण होगा, इस समस्या का हल करके दूरगामी राजनीतिक कार्यक्रम बनाना आवश्यक था। इससे भी अधिक आवश्यक कार्य यह जानना था कि स्वाधीनता-आन्दोलन का संचालन किस तरह किया जाय जिससे कि समीपवर्ती उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति हो। इसके लिए तात्कालिक राजनीतिक कार्यक्रम बनाना आवश्यक था। इसे बनाने के लिए भी समाजवादी विचारधारा का ज्ञान आवश्यक था। भारत में समाजवादी चेतना का अभ्युदय स्वाधीनता-आन्दोलन की देन है, समाजवादी चेतना अभिन्न रूप में साम्राज्य-विरोधी चेतना से जुड़ी हुई है। इस समस्त विकास में हिन्दी पत्रकारों और साहित्यकारों का योगदान महत्वपूर्ण है। जो लोग भारत में साम्यवादी आन्दोलन का इतिहास लिख रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री के अलावा वे भारतीय भाषाओं में प्राप्त सामग्री पर भी ध्यान दें। यह कार्य अंशतः उन्होंने किया है किन्तु संगठित और व्यापक रूप में नहीं। इस तौर से हिन्दी में जो कार्य हुआ है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विभिन्न भाषाओं में प्राप्त सामग्री के आधार पर ही भारत के समग्र राजनीतिक आन्दोलन का इतिहास लिखा जा सकता है। साम्यवादी पार्टी का इतिहास भी इसी आन्दोलन के इतिहास के अन्तर्गत है। अपनी इस पुस्तक में अपना ध्यान मैं हिन्दी प्रदेश पर केन्द्रित कर रहा हूँ। जो बृहत् इतिहास लिखा जायेगा, उसमें इस तरह के प्रदेशगत इतिहासों का योगदान होगा। यह बात बहुत स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा में जो कुछ लिखा गया, उसकी चर्चा करने का अर्थ यह

है कि अन्य भाषाओं की उपेक्षा की जाय, न कि सा प्रदेस
न्दोलन के विवेचन का यह अर्थ है कि राष्ट्र के शेष भागों के आन्दोलन का कोई
हत्व नहीं है। हिन्दी भाषा में प्राप्त साहित्य और हिन्दी प्रदेश के राजनीतिक
आन्दोलन के बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अखिल भारतीय आन्दोलन के
इतिहास का एक अंग है। मैं मानता हूँ कि अन्य भाषाओं पर इसी तरह काम
करना चाहिए और सारी सामग्री समेटकर विद्वानों को सम्मिलित प्रयास द्वारा
साम्यवादी आन्दोलन का इतिहास लिखना चाहिए।

हिन्दी में जो कुछ लिखा गया, उसका महत्व पहचानने के लिए मोटे तौर से
प्राप्त सामग्री को तीन हिस्सों में बाँट देना चाहिए। सामग्री का पहला हिस्सा
बीसवीं सदी के आरम्भ से लेकर नवम्बर १९१७ की समाजवादी क्रान्ति तक की
अवधि का होगा। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत समेत विभिन्न देशों
में—यूरोप में कम, एशिया में ज्यादा—समाजवादी विचारधारा का प्रसारनवम्बर
क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय क्रान्तिकारियों पर और
भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन पर रूसी क्रान्ति ने गहरा प्रभाव डाला। किन्तु यह
प्रभाव सभी देशों में एक-सा नहीं था, भारत के सभी प्रदेशों में एक-सी नहीं
इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में पूर्ववर्ती राजनीतिक चेतना एक-सी नहीं
थी, जहाँ जैसी राजनीतिक चेतना थी, उसी के अनुरूप जनता के आगे बढ़े हुए
लोगों ने रूसी क्रान्ति का प्रभाव ग्रहण किया। इसलिए हिन्दी में नवम्बर १९१७
से पहले के राजनीतिक साहित्य का अध्ययन और विवेचन करना आवश्यक है।
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म दिसम्बर १९२५ से माना जाता है; जो लोग
उसका जन्म इससे पहले मानते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भारत
से बाहर बनी थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी १९२५ के बाद ही प्रभावशाली
होती है। इसलिए दिसम्बर १९२५ एक उपयोगी विभाजन-रेखा है। नवम्बर
१९१७ से लेकर दिसम्बर १९२५ तक रूसी क्रान्ति, समाजवादी विचारधारा और
मार्क्सवाद के बारे में जो कुछ लिखा गया है, वह कम्युनिस्ट पार्टी के संगठित प्रयास
का फल नहीं है। इस कारण उसका ऐतिहासिक महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता
है। प्रगतिशील राजनीतिज्ञों की चेतना किस दिशा की ओर विकसित हो रही थी,
इसकी जानकारी इस अवधि के राजनीतिक साहित्य से होती है। यहाँ इन दोनों
दौरों में लिखे हुए साहित्य की सक्षिप्त चर्चा करनी है।
नवम्बर १९१७ से पहले हिन्दी में जो राजनीतिक साहित्य लिखा गया है,
उसका आंशिक विवरण भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा तथा
महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण में ही इन दो पुस्तकों में है। उस
नवको यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में महावीरप्रसाद द्विवेदी
और उनके सहयोगियों की कुछ स्थापनाओं का उल्लेख करना यथेष्ट होगा; इस
साथ राधामोहन गोकुलजी की पुस्तक देश का धन की चर्चा कुछ विस्तार
करना प्रासंगिक होगा।

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार /

(ख) देश का धन

महावीरप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक सम्पत्तिशास्त्र १९०८ में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष राधामोहन गोकुलजी ने अपना छोटी-सी पुस्तक देश का धन प्रकाशित की थी। यह रोचक तथ्य है कि बीसवीं सदी के प्रथम दशक में हिन्दी के ये दो गद्य लेखक स्वतन्त्र रूप से अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उस समय के हिन्दी गद्य लेखक विद्युद्ध साहित्य-मेची नहीं थे, भाषा और साहित्य की मेवा के लिए वे राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक समझते थे। इसी कारण "देश का धन अर्थात् अर्थशास्त्र सम्बन्धी एक शुद्ध प्रबन्ध जिसको मात्र हिन्दी भाषी भारत-वासियों के निमित्त राधामोहन गोकुलजी ने लिखकर नं. ४/१ जगमोहन मल्लिक लेन [कलकत्ता] में प्रकाशित किया।"

इस पुस्तक में पूर्जा, मूल्य, धन आदि के बारे में जो कुछ लिखा गया है, वह सब तत्कालीन अंग्रेजी पुस्तकों में आसानी से मिल जायेगा। पुस्तक का महत्व यह नहीं है कि वह अर्थशास्त्र की मौलिक पाठ्यपुस्तक है। उसका महत्व यह है कि राधामोहन गोकुलजी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि देश की प्रगति उसकी पराधीनता के कारण रुकी हुई है। महावीरप्रसाद द्विवेदी और राधामोहनजी, दोनों लेखक शास्त्र की उपयोगिता इसी से जाँचते हैं कि वह अपने देश की स्थिति को समझने में कहाँ तक सहायक होता है। भारत के लोग गरीब और अपढ़ हैं, दरिद्र भी है। राधामोहनजी कहते हैं, "मनुष्यजातियों के इतिहासों से विदित होता है कि कभी किसी जाति ने नितान्त दरिद्र्य परतन्त्र होते हुए उक्त गुणों को (बल, बुद्धि, विभव, वीरता, दया, धर्म) नहीं लाभ किया।" (पृष्ठ ४)। इससे स्वाभाविक निष्कर्ष निकलनेगा कि परतन्त्रता को दूर किये बिना आर्थिक या नैतिक किसी तरह का विकास न होगा। भारत के व्यापारी विदेशी माल के लिए आर्डर देते हैं। अंग्रेज जैसा भी माल भेज देते हैं, उन्हें लेना पड़ता है। "मन्दी और हानि की छुरी भारतीय व्यापारियों के वा सर्वसाधारण के गले पर है।" (पृष्ठ १३)। ये व्यापारी "आँख बन्द करके देश को लूटते हैं और दूसरों को खिलते हैं।" (पृष्ठ १४)। जब भारत का माल इंग्लैण्ड में विकता था, तब वहाँ के पूँजीपतियों ने अपने हित में जो कुछ किया, उसे पढ़कर "हमारे पाठकों को इतना ही बोध होगा कि किसी देश की परतन्त्रता उसकी उन्नति में कितनी बाधक हो सकती है।" (पृष्ठ १४)। भारत का माल रोकने को वहाँ की राज्यशक्ति ने आज्ञा दी। वहाँ के लोग किसी के शरीर पर विदेशी वस्त्र देखें तो फाड़ डालें। देश की आर्थिक दशा पर स्वतन्त्रता-परतन्त्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, पाठक जान सकते हैं। (पृष्ठ १५)। अंग्रेजी राज कायम होने के बाद पैदावार पर ध्यान दिये बिना टैक्स वसूल किया जाता है। "कहीं-कहीं भारत में सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले की अपेक्षा अब दस गुना, पन्द्रह व बीस गुना तक कर बढ़ गया है।" (पृष्ठ २४)। जितने भिखारी आज हैं, उतने मुगलों के राज्य में नहीं थे। पहले खेती की उपज का दसवाँ भाग राज-कर के रूप में लिया जाता था। यदि उपज न हो तो कुछ न लिया जाता था। यह कर फौज, शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता था, "इसी में उम समय प्रजा

खुशी, भूखी, रोगी, विद्या और कारीगरीविहीन न थी।" (पृष्ठ २५)। अंग्रेजी किस नीति से भारतीय वस्त्र-उद्योग का नाश किया है और उस उद्योग को फिर उभारने में जो हस्तक्षेप किया है, उस सबका विवरण देने से पुस्तक का आकार बढ़ेगा, "दूसरे कदाचित् राजा हमको कही दोपी ठहराकर देशनिकाला दे दे तो मुश्किल होगी। इतना अवश्य कहेंगे कि वर्तमान शासनशक्ति भारतवर्ष के अवनति, दुःख, दरिद्रता, निर्वलता आदि मूल कारणों में से एक बृहत् कारण है।" (पृष्ठ २६)।

रानी विक्टोरिया के राज में कुछ लोग यह समझने लगे थे कि इंग्लैण्ड और भारत के लोग समान रूप से रानी की प्रजा हैं। राधामोहनजी ने इस धारणा का खण्डन करते हुए बताया कि दो देशों में राजा समान हो तो अधिक उन्नति का समान होना आवश्यक नहीं है। "भारत व इंग्लैण्ड का मिलान करने से यह बात ठीक नहीं मिलती। राजा दोनों जगह एक ही कृपासागर बहुत दिन से है।" (पृष्ठ ५६)। दोनों देशों की भिन्नता का कारण यह है कि इंग्लैण्ड स्वाधीन है और भारत पराधीन है। अंग्रेजी राज में प्रजा पर इतना टैक्स लगाया गया है कि वह लगभग निर्जीव हो गयी है। लिखा है, "यदि राज-कर जोक की तरह सर्वथा प्रजा के अग में लगा रहे तो शरीर कैसे पुष्ट हो सकता है।" (पृष्ठ ५६)। पहले खेती करने वालों से पैदावार के एक अंश के रूप में टैक्स लिया जाता था। अंग्रेजी राज में टैक्स द्रव्य के रूप में वसूल किया जाने लगा। "कहीं-कहीं भारत में सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले की अपेक्षा अब दस गुना, पन्द्रह गुना व बीस गुना तक कर बढ़ गया है।" (पृष्ठ २४)। परिणाम यह कि अनेक जमींदार नष्ट हो गये हैं, असह्य किसान भिखारी हो गये हैं। भारत में पुराने उद्योग-धन्धे नष्ट कर दिये गये; जो नये उद्योग स्थापित हुए, उनसे लाभ विदेशियों का हो रहा था। भारत में रेल-मार्ग बने, माल ढोने के लिए जहाज काम में लाये गये किन्तु "पूँजी लगाकर असली काम दूसरों के पास है, भारतवासी मात्र दलाल है।" (पृष्ठ ६६)। जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर धन्धा करते थे, वे स्वभावतः अंग्रेजी राज के समर्थक थे। इनके लिए राधामोहनजी ने लिखा है, "हमारे देशी व्यवसायी (जो वास्तव में दलाल हैं, कितने ही तो मात्र जुआड़ी हैं, दलाल भी नहीं) अपने ही स्वार्थ को नहीं देख सकते।" (पृष्ठ १२)। आशय यह है कि स्वयं उद्योग स्थापित करें, देश में माल पैदा करके बेचें तो इससे उन्हें अधिक लाभ होगा। जैसे-जैसे स्वदेशी आन्दोलन का प्रसार हुआ, वैसे-वैसे यहाँ छोटे पैमाने पर कुछ उद्योग स्थापित हुए। राधामोहनजी ने स्वदेशी आन्दोलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने जनता और व्यवसायियों का आह्वान किया कि देश का अन्न बाहर न जाने दें, "बाहर के आने वाले अनावश्यक पदार्थों को जब तक देश-दशा न सुधर ले, विचार कर बलपूर्वक रोक दें। यह बात प्रजा समूह बिना राजा की सहायता के भी कर सकती है। राजा प्रजाकृत होता है, राजाकृत प्रजा कभी नहीं होती। प्रजा मूल है, राजा शाखा है।" (पृष्ठ ६६)। स्वदेशी आन्दोलन के साथ नयी जनतांत्रिक चेतना का प्रसार हो रहा था। राजा शासन करने के लिए है और प्रजा शासित होने के लिए, इस धारणा के विपरीत यहाँ कहा गया है कि प्रजा ही मूल है, वही राजा को

बनाती है। इसलिए बाहर से आने वाले अनावश्यक पदार्थों को बलपूर्वक रोकना प्रजा का कर्तव्य है।

बाहर से जो तैयार माल आता है, वह राधामोहनजी के लिए अनावश्यक है, आवश्यक माल वह है जिससे भारत में माल पैदा किया जा सके अर्थात् विदेश से मशीनों मँगाना उचित है। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में दलाल पूंजीपति का प्रतिद्वन्दी नया उद्योगपति उभरकर सामने आने लगा था। इस प्रसंग में राधामोहनजी ने लिखा है, “जो पिछले पाँच-छ वर्ष के सौदागरी (दलाली) के काम की ओर दृष्टिपात करते हैं तो इसने बड़ा ही पलटा खाया है। स्वदेश की वस्तुओं के व्यवहार का प्रेम जो थोड़े से आर्यसमाजियों पर ही परिमित था अब देश के समस्त विभागों पर प्रभाव डाल रहा है। इसी से देशीय कारखाने जो वास्तव में बहुत ही थोड़े सच्चे देशी हैं गिरी दशा से उठकर कुछ चगे देखे जाते हैं।” (पृष्ठ ३१)। स्वदेशी उद्योग-धन्धों की उन्नति से “अनेशियाई जुलाहों का कुछ नशा उतरा है।” (पृष्ठ ३२)। अनेशियाई अर्थात् एशिया से बाहर के, विलायती व्यापारियों का नशा कुछ उतरा है। बाहर का माल कुछ सस्ता हुआ है। दलाल व्यापारियों की हालत खराब हुई है। ऐसे व्यापारियों के लिए लिखा है, “भारत के कुपट व्यापारी (दलाल कहना ठीक होगा) जो पहले से देश का धन उड़ाते और विदेश भी भेजते रहे थे, इस वास्ते इनकी सख्या ऐसी बढ़ गयी थी जैसे बरसात में केचुए या मेंढक बढ़ जाते हैं। उन लोगों ने कुछ तो सस्ता देखकर, कुछ रगौन विदेशी रिपोर्ट पढ़कर, कुछ कमाई के नशे से खुशामद के मारे माल को खरीदकर घर में धर लिया।” (पृष्ठ ३३)। माल इतना इकट्ठा हो गया कि बिका नहीं। बहुत-सा माल रखे-रखे खराब हो गया। लोगों के पास माल खरीदने के लिए पैसे थे नहीं। बहुत से व्यापारी दिवालिये हो गये। “जिन बिचारों में कुछ दम बाकी है, वे बसी में फँसी मछली के समान तड़प रहे हैं। इनके जीवन की आशा हमारे निदान से तो कम ही है पर ईश्वर करे इनकी बुद्धि शुद्ध हो, पथ्य से रहे और चिरजीवी हों।” (उप.)।

किस तरह का माल बनाना चाहिए, इसके लिए सुझाव भी दिया है। ऊन, सूत, रेशम, लोहा, रबड़, चमड़ा, कागज आदि के उद्योग कायम करने चाहिए। स्वदेशी उद्योग-धन्धों और व्यापार की उन्नति के लिए संघर्ष करना आवश्यक होगा क्योंकि “व्यापार-क्षेत्र भी एक युद्ध-क्षेत्र है।” (पृष्ठ ६२)। इस युद्ध-क्षेत्र में टिके रहना आसान नहीं है क्योंकि “जहाँ प्राण-रक्षा और धन-रक्षा, खेत-बाग-रक्षा को लाठी तलवार बंदूक नहीं, वहाँ और क्या मिल सकता है।” (पृष्ठ ६६)। इसका अर्थ यह है कि देश के स्वाधीन हुए बिना उसके उद्योग-धन्धों की उन्नति नहीं हो सकती। भारतीय उद्योगपतियों को सीमित मुनाफा लेने की सलाह देते हुए राधामोहनजी कहते हैं, “यह बात ठीक नहीं है कि अधिक नफा लेने से ही धन बढ़ता है।” (पृष्ठ १७)।

, फिर भी
र विदेशी
जाते हैं,

देशी पूंजीपति अपने यहाँ का धन देश में ही रखेंगे, इसलिए वे उतने खराब नहीं है। पूंजीपतियों में किस तरह की नैतिकता होती है, या हो सकती है, उस पर विचार करते हुए राधामोहनजी ने सलाह दी है। कारीगरो के साथ उदारता बरतो, कम्पनियों बनाओ, जो अपना विश्वास न करे उसके बाप-दादो का न करो। व्यापार की लड़ाई बुद्धिमान ही जीतते है। बुद्धिमानो के साथ ईमानदारी भी जरूरी है। कहते है, "परस्पर का विश्वास, धर्म, सच्चाई कम-से-कम इतनी तो हो कि जितनी चोर-डाकुओ में भी होती है कि लूट के माल को ईमानदारी बांट लेते है।" (पृष्ठ ३४)। लुटेरे दोनो है पर देशी और विदेशी लुटेरो मे अन्तर यह है, "देश का चोर, डाकू, लुटेरा, घूस खाने वाला भी जो धन ले जाता है, वह फिर हमारे पास आ सकता है, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं। यदि उक्त जन शास्त्रानु-कूल दुष्ट और राक्षस है और हमारे घृणा के पात्र है, दया के नहीं, पर जर्मन, अमरीका आदि के लोगो की अपेक्षा तो अच्छे ही है।" (उप)। यहाँ बीजरूप मे समाजवादी चेतना देखी जा सकती है। पूंजीपतियो की तुलना लुटेरो और राक्षसो से की गयी है, साथ ही देशी-विदेशी लुटेरो मे भेद किया गया है। राधामोहनजी यह भी देख रहे थे कि भारतीय पूंजीपति स्वदेशी आन्दोलन से लाभ उठाते है, किन्तु जो लोग आन्दोलन चलाते है, वे उन्ही का शोषण करते है। लिखा है, "जिस आन्दोलन के बदौलत ये मरने से बचे, चगे हुए, उसी का रुधिर पान करने मे कभी-कभी कोई ऐसे चतुर देख पडते है कि कहना पडता है कि क्या तुम्हे वे महारिये पाराने वतन याद नहीं। यदि यह अवगुण इनमे न होता तो इनको जितना लाभ हुआ उससे बहुत अधिक लाभ दिनो-दिन होता जाता।" (पृष्ठ ३१)। इसलिए उन्हे सलाह देते है कि सूक्ष्मतम लाभ से सतोष करे।

भारत की औद्योगिक प्रगति पुरानी रूढ़ियों को तोडे बिना सम्भव नहीं थी। जो लोग कला-कौशल के कामो को नीच समझते है, उद्योग-धन्धो मे काम करने वाला से घृणा करते है, राधामोहनजी ने उनकी आलोचना की है। (वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा आदि के बन्धन तोडकर लोगो को औद्योगिक उन्नति मे शक्ति लगानी चाहिए। भारत मे सोना, चाँदी गाडकर रखने की परम्परा रही है। जिनके पास रुपया होता था, वे उसे ब्याज पर उठाते थे। इस वारे मे लिखा है, "धरती मे सोने-चाँदी का गाड़ना, गहना बनाना, पूंजी को ब्याज पर देना, आवश्यकता से अधिक घर बनाकर भाडे पर चलाना आदि काम अच्छे नहीं है। जो लोग धन को गाड़कर बैठ जाते है वडे ही मूर्ख है, जो ब्याज-भाडे पर उतर बैठते है वे आलसियो के दादा गुरु है।" (पृष्ठ ३४-३५)। रतनगढ (शेखावटी) मे लोगो ने धर्मशाला बनवायी। सब खाली पडी रहती है। जंगल मे मंदिर बनवाये, चोरों और जुआरियो को लाभ हुआ। पंडों-पुजारियो को भोजन कराने और दक्षिणा देने पूंजी नष्ट होती है, "आलसी, हरामखोर बढते है।" (पृष्ठ ५१)। भारत मे धर्म के ध्वजाधारियो की कमी नहीं; लाखों-करोडो आदमी भूल से प्रतिवर्ष मरते "कही भी इन धर्म के डीगियो का एक भी यथोचित औपधालय या विद्या-कला-कौशल सीखने का प्रबन्ध नहीं दीख पडता।" (उप.)। समाज मे जो प्रतिष्ठित है, वे सदा प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। धर्म-नेता "ठगी का जाल

हिन्दी प्रदेश मे समाजवादी चेतना का प्रसार /

को" ज्ञान वधारते है, ऐमा लगता है, "ईश्वर, वैकुण्ठ एवं धर्मग्रंथ मानो थोडे-लोगो के हाथ बिक चुके है;" राजनीति ऐसी है कि हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। नतीजा यह है, "वास्तविक ब्राह्मण, विद्वान सदा-चारी को शूद्र और ठग, बेईमान, हरामखोरो को द्विजदेव कहते हैं और भक्षक को रक्षक और रक्षक को भक्षक जानते हैं। फिर कल्याण कैसा और कहाँ।" (पृष्ठ ५६)।

मेहनत करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। जहाँ आरामपसन्द लोगो को बड़ा आदमी कहा जाता है, वहाँ समाज में आर्थिक दोष पैदा होते है। बड़े कारखानो के अलावा छोटे-छोटे कारखाने भी कायम किये जा सकते है। दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुल्तानशहर और आस-पास के जिलो मे दरी बनाने वाले, लोहे का सामान बनाने वाले कारीगर सुलभ है; उन्हें काम में लगाना चाहिए। स्त्रियाँ भी हाथ की छोटी मशीनो से काम कर सकती है। (पृष्ठ ३८)।

राधामोहन गोकुलजी की पुस्तक देश का धन अर्थशास्त्र का साधारण परिचय देनेवाली पुस्तिका है। इसमें अनेक पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या की गयी है। धन क्या है? "धन मेहनत के प्रतिफल को कहते हैं।" (भूमिका)। विद्या किसे कहते है? "विद्या पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को कहते है।" (उप.)। देश किसे कहते है? "देश धरती के उस भाग को कहते हैं कि जिसके किसी एक अंश के सुख-दुख, हानि-लाभ का प्रभाव सीधा और वस्तुतः उसके दूसरे अंश पर पड़ता है।" (उप.) जाति किसे कहते है? "एक देश के बसने वाले एक जनसमूह को एक जाति कहते है।" (उप.) उदाहरण के लिए भारतवर्ष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है। इसमें बगाली, गुजराती, पजाबी आदि रहते है, जैन, सिख, मुसलमान, ईसाई, शैव, शाक्त "जो हों सब मिलकर एक हिन्दुस्तानी जाति है।" (उप.)। देश और जाति की धर्म-निरपेक्ष व्याख्या ध्यान देने योग्य है। इस बारे मे विस्तार से और छान-बीन की जा सकती है। किन्तु सूत्ररूप मे कही हुई बात महत्वपूर्ण है। आधुनिक उद्योग-धन्धे बाजार में बिकनेवाली वस्तु पैदा करते है। इस वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? "वस्तु का मूल्य उस मेहनत पर निर्भर होता है जो उस वस्तु के पैदा करने मे लगती है।" वस्तु पैदा करने का काम मजदूर करते है। "अपने ही हाथों-पैरो और मस्तिष्क से काम करके वस्तु के निपजाने वालो को मजूर कहते है।" (पृष्ठ ६५)। पूँजीपति कहते है कि मजदूरों को ज्यादा पैसे दिये जायेंगे तो वस्तु महँगी हो जायेगी। राधामोहन जी कहते हैं, "यह बात विचारना कि मजूरों, कारीगरों की मजूरी बढ़ जाने से देश की हानि होती है, पदार्थ महँगे पड़ते हैं, सर्वथा भूल है।" (पृष्ठ १०४)।

आधुनिक उद्योग-धन्धो का आधार नयी तरह का श्रम-विभाजन है। मशीनो से काम करनेपर काम अधिक होता है और चीजें सस्ती पड़ती है। (पृष्ठ ४२-४३)। यदि समाज सुसंगठित हो तो मजदूरों को अधिक अवकाश मिले और वे उसका उपयोग अपनी उन्नति के लिए कर सकते है। जैसे कारीगरों का चतुर होना अच्छा है, वैसे ही "कलों द्वारा भी उत्तमतर अधिक माल बनाना, समय का बचाना लाभकारी मानना होगा।" (पृष्ठ ७३)। महावीरप्रसाद द्विवेदी की तरह राधा-

मोहन गोकुलजी श्रम की उत्पादकता का बढ़ना अच्छा मानते हैं। वह पुरानपंथियों का यह तर्क स्वीकार नहीं करते कि मशीनों के प्रयोग से बेकारी बढ़ेगी। ज्यादा माल पैदा करने से श्रमिक को लाभ होता है या नहीं, यह समाज-व्यवस्था पर निर्भर है। अभी स्थिति यह है कि “थोड़ा काम कारीगर मर-मर कर करता है, उसको अपने बाल-बच्चों सहित हरदम काम में लगा रहना पड़ता है।” (पृष्ठ ७३)। इससे भिन्न स्थिति यह हो सकती है, “मशीनो तथा अभ्यास से जब चौगुना, दस-गुना माल पैदा करने लगेगा तो यह आवश्यक नहीं होगा कि पहले की तरह वह रात-दिन घर वालों सहित हैरान हुआ करे। तब आराम करने, फिरने, देखने, सीखने को फुरसत मिलेगी।” (उप.) राधामोहनजी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पूंजीवादी व्यवस्था के चलते मजदूर अपने अवकाश का उपयोग इस तरह कर सकते हैं या नहीं पर ऐसा उपयोग सम्भव है, यह बात उनके मन में है। वर्तमान स्थिति यह है कि मजदूरों को जीविका के सामान्य साधन जुटाने के लिए भी आवश्यक पगार नहीं मिलती। न्यूनतम मजदूरी की दर वह है जिससे मजदूरों को जीवित रहने योग्य अन्न-वस्त्र मिलें। “इससे कम दर और क्या होगी सिवाय इसके कि जो वर्तमान में महात्मा मसीह के शासनकाल में भारत के मजदूरों की है कि भूखे-प्यासे धडाधड सीधे रास्ते ईश्वर के दरवार में दीड़े चले जाते हैं। सिवका कम मिले या अधिक पर उसके बदले में जीवनयात्रा का सम्बल कितना मिलता है, ध्यान में रखकर हिमाय करने से मुख्य मजदूरी का दर हर समय में निकल सकता है।” (पृष्ठ १०७-१०८)।

राधामोहनजी ने वर्ग-सघर्ष, राज्यसत्ता का स्वरूप, शोषण से मुक्त होने का उपाय आदि के बारे में स्पष्ट और अलग से नहीं लिखा पर वीजरूप में अनेक बातें उनकी पुस्तक में ऐसी हैं जिनकी व्याख्या करने पर क्रान्तिकारी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पूंजीवादी देशों में राज्य सरकारें जनता से कर्ज लेती हैं, यह धन पूंजीपतियों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए खर्च किया जाता है, विशेषरूप से फौज और युद्ध का खर्च चलाने के लिए सरकारें इस तरह का कर्ज लेती हैं। इसे जातीय ऋण (नैशनल डेट) का नाम दिया जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए राधामोहनजी ने लिखा है, “जो राजा अपने उचित अधिकार का अतिक्रमण करके नरहत्या के निमित्त भाड़े के हत्यारों को नौकर रखने और राजकीय पुरुषों को हराम के धन से पुतली की तरह मजाने और मोटा करने में खर्च करने को ऋण लेता है, फिर उसके मूल और ब्याज के देने को मेहनती प्रजा का रुधिर रात-दिन खटमल की तरह पान करता है, उमी को मूर्खों ने जातीय ऋण के नाम से नामित किया है।” (पृष्ठ १०७)। जातीय ऋण राजा लेता है अर्थात् सरकार लेती है। ऐसा करने का उसे अधिकार नहीं है। भाड़े के हत्यारे राज्यसत्ता के हथियार-बद दस्ते हैं। फौज का काम दूसरों को मारना है। चाहे अपने देश के लोग मारे जाएँ, चाहे दूसरे देश के मारे जाएँ, हिंसा के बिना पूंजीवादी राज्यसत्ता टिक नहीं सकती। इस सारे खर्च का भार जनता पर होता है। जो लोग राज्यसत्ता में चिपके हुए हैं, वे प्रजा से वमूल किये हुए धन में हिस्सा बँटाते हैं। यह राज्यसत्ता मेहनती प्रजा का खून चूसती है। स्पष्ट ही ऐसी राज्यसत्ता को बने रहने का

अधिकार नहीं है।

देश का धन का लेखक अभी समाजवादी नहीं है, भौतिकवादी और भी नहीं है। अभी वह परमात्मा के अटल न्याय में विश्वास करता है, जिसने मनुष्यों को वाध्य किया है कि वे समाजवद्ध होकर रहें। किन्तु उसे अपने अनुभव से इस बात का ज्ञान हो गया है कि समाज में धर्म के नाम पर ठगविद्या का प्रसार है और ऐसा लगता है कि ईश्वर और धर्मग्रंथ कुछ लोगों के बाप-दादो के हाथ विक चुके हैं। कुछ दिन में इससे एक कदम आगे बढ़कर राधामोहन गोकुलजी नास्तिक मत का प्रचार करेंगे। वह चाहते हैं कि बाहर के आने वाले पदार्थों को बलपूर्वक रोक दे, इससे एक कदम आगे बढ़कर वे बलप्रयोग द्वारा अंग्रेजी राज को समाप्त कर देने वालों का साथ देंगे। गांधीवाद से उनका मतभेद केवल बलप्रयोग के प्रश्न को लेकर न होगा, मतभेद उद्योगिकीकरण के प्रश्न को लेकर भी होगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और महावीरप्रसाद द्विवेदी की तरह वह आधुनिक उद्योग-धन्धों का विकास चाहते हैं। उद्योग-धन्धों पर कहाँ तक अंग्रेजों का नियन्त्रण है, इसके प्रति वह सतर्क है। वह अंग्रेजों की दलाली करने वाले व्यापारियों और नये उद्योग स्थापित करने वाले व्यवसायियों में भेद करते हैं। वह जानते हैं कि ये व्यवसायी जहाँ तक उद्योग-धन्धों का विकास कर सके हैं, वह अंग्रेजों की कृपा का फल नहीं है वरन् स्वदेशी आन्दोलन का परिणाम है। भारत के औद्योगिक विकास में स्वदेशी आन्दोलन की भूमिका—इस बात को लेकर पहले महायुद्ध के बाद बहुत दिनों तक अनेक मार्क्सवादी विचारक उलझे रहे। सूत्ररूप में उससे बहुत पहले राधामोहनजी ने बतला दिया था कि अनुसंधान की दिशा कौन-सी है। भारतीय पूँजीपतियों के प्रति कौन-सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस बारे में भी बरसों तक मार्क्सवादियों में बहस होती रही। राधामोहनजी का कहना है कि देशी और विदेशी पूँजीपति, डाकू दोनों हैं, लेकिन जो डाकू देश का धन बाहर भेजता है वह ब्यादा खराब है, जो देश का धन देश में ही रहने देता है वह उतना खराब नहीं है। जो देशी पूँजीपति विदेशी डाकू की दलाली करता है, वह अपना स्वतंत्र उद्योग चलाने वाले देशी पूँजीपति में खराब है। देश परतन्त्र है और जब तक परतन्त्रता दूर न होगी, तब तक पूरी तरह औद्योगिक विकास न होगा। मशीनों से श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। यदि सही ढंग में समाज-व्यवस्था का संचालन किया जाये तो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थोड़े से समय में आवश्यक माल बनाकर बाकी अवकाश का उपयोग अपने सांस्कृतिक विकास के लिए कर सकते हैं। चिन्तन की यह पृष्ठभूमि अनिवार्यतः लेखक को समाजवाद की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। समाजवादी विचारधारा की अनेक आधार-भूत बातें १९०८ में प्रकाशित देश का धन पुस्तिका में विद्यमान हैं। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये बातें भारत के तत्कालीन सन्दर्भ में सार्थक हैं।

(ग) 'सम्पत्तिशास्त्र' और 'सरस्वती'

राधामोहन गोकुलजी ने जिसे जातीय ऋण कहा था, भारत के सन्दर्भ में वही 'होम चार्ज' है। सम्पत्तिशास्त्र में इसकी व्याख्या करते हुए महावीरप्रसाद द्विवेदी

ने लिया था, "हिन्दुस्तान पराधीन देश है। वहाँ का राज्यनृप अंग्रेजों के हाथ में है। उसके प्रधान मंत्रधार इंग्लैण्ड में रहते हैं। उनके ओहदे का नाम है सेक्रेटरी आफ स्टेट। उनका शहर लन्दन में है और वही उनके सलाहकारों की एक सभ भी है। इन सबको तनखाह आदि हिन्दुस्तान के जिम्मे है। हिन्दुस्तान में जो हज़ारों अंग्रेज अफगार काम करते हैं, वे पेंशन लेकर जब इंग्लैण्ड जाते हैं, तब पेंशन भी उनको वहाँ से दी जाती है। वहाँ के लिए बहुत-सी फौज भी इंग्लैण्ड को भेजनी पड़ती है। हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जहाज भी रखने पड़ते हैं। सरकार को न मालूम कि कौन-कौन राजनीय कामों में सच करके के लिए विलायत से मँगानी पड़ती हैं। रेल आदि बनाने के लिए गवर्नमेण्ट ने बहुत-सा रुपया महाजनों से कर्ज लिया है; उसका मूद भी देना पड़ता है। इन सब सचों का सालाना टोटल कोई बीस करोड़ रुपया होता है। वह सब हिन्दुस्तान से लिया जाता है। इसे एक प्रकार का 'कर' समझना चाहिए। अंग्रेजों में इस कर का नाम है होम चार्ज।" (पृष्ठ २८६)।

जिस वर्ष देश का धन पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, उसी वर्ष सम्पत्तिशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। द्विवेदी जी सरत भाषा में भारत की ठोस परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए हर बात की व्याख्या विस्तार से करते हैं। उन्होंने 'होम चार्ज' के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे भारत में अंग्रेजों राज्य-सत्ता की शोषण-प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। भारत में उद्योग-धन्धे स्थापित हो रहे हैं, रेल मार्गों का निर्माण हुआ है, समाज में एक नये वर्ग, श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ है। यह वर्ग अपने संघ बनाता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है।

करना पड़ता है और उजरत कम मिलने के कारण उन्हें खाने-पीने और पहनने में भी काफी नहीं मिलता। इससे लाचार होकर उन्हें अपने दुख मालिक को गुनाहो पड़ते हैं, शिकायत करनी पड़ती है, अजियाँ देनी पड़ती है। अपनी तकलीफें पूर करने की वे भरसक सब तरह कोशिश करते हैं। इस पर भी यदि उगपी माफ-फरियाद काम न करे तो वे हड़ताल न करें तो करें क्या? ऐसे मौकों पर हड़ताल करना अनुचित नहीं। वह एक प्रकार का अस्व है। यदि वह उचित वीन पर, योग्य समय में, दृढ़तापूर्वक चलाया जाये तो चलाने वालों को सफलता होगी है।" (पृष्ठ २०३)।

मई १९०७ की सरस्वती में माधवराय सप्रे का लेख 'हड़ताल' प्रकाशित हुआ था। इसमें बताया गया है कि मजदूर किन परिस्थितियों में हड़ताल कर सकते हैं। लिखा है, "जब किसी देश की सम्पत्ति थोड़े से पूंजीवालों के हाथ में रहे जाती है और अन्य लोगों को मजदूरी से अपना निर्वाह करना पड़ता है, तब पूंजीवालों अपने व्यापार का सब नफा स्वयं आप ही ले लेते हैं, और मजदूरों को पैसे के लिए से यह सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है, उनको वे पेट भर पाने की इच्छा रखते हैं, तब मजदूरों को हड़ताल करनी पड़ती है।" मजदूरों की हड़ताल

परिस्थिति यह है कि यहाँ का सबसे बड़ा पूंजीपति अंग्रेज है। यूरुप और हिन्दुस्तान की औद्योगिक दशा का भेद बताते हुए कहते हैं, “वहाँ के सब कारखाने स्वतन्त्र हैं, किन्तु यहाँ एक भी ऐसा कारखाना नहीं है जो किसी-न-किसी तरह सरकार की कृपा पर अवलम्बित न हो। यथार्थ में इस देश के सब कारखाने या तो खुद सरकार के हाथ में हैं या सरकार के आश्रित हैं। जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट आफिस, आबपाशी, अकाल-रक्षण आदि सब सरकार के ही अधीन हैं। यदि यह कहा जाये कि देश की गवर्नमेण्ट एक बड़े भारी कारखाने की मालिक है तो अति-शयोक्ति न होगी।” इसका अर्थ यह है कि मजदूर अपनी दशा सुधारने के लिए जब हड़ताल करेंगे, तब वे सीधे सरकार से टकरायेंगे। मजदूरों का आर्थिक संघर्ष राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा।

जैसे भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति अंग्रेज है, वैसे ही भारत का सबसे बड़ा जमींदार भी अंग्रेज है। सम्पत्तिशास्त्र में द्विवेदीजी ने लिखा था, “यहाँ की गवर्नमेण्ट ने ज़मीन पर अपना दखल कर लिया है। वह कहती है यहाँ की ज़मीन उसी की है—वही उसकी मालिक है।” (पृष्ठ १०६) और “हिन्दुस्तान की ज़मीन की मालिक रियाया नहीं अंग्रेजी गवर्नमेण्ट है। वही रियाया से लगान वसूल करती है।” (पृष्ठ ११६)। जैसे मजदूर का अस्त्र हड़ताल है, वैसे ही किसान का अस्त्र लगानबंदी है। जुलाई १९१४ की ‘सरस्वती’ में ‘देश की बात’ शीर्षक टिप्पणी में द्विवेदीजी ने लिखा था, “यदि कृषकों से लगान मिलना बंद हो जाए तो बड़े-बड़े राजा-महाराजों और ताल्लुकदारों की दुर्गति का ठिकाना न रहे; सरकार के शासनचक्र का चलना बंद हो जाए, वकीलों और बैरिस्टरों के गाड़ी-घोड़े बिक जाएँ और व्यापारियों तथा महाजनो को शीघ्र ही टाट उलटना पड़े।” लगानबंदी और हड़ताल को मिला दें तो स्वाधीनता-आन्दोलन कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। उसे शक्तिशाली बनाने की यह विचारभूमि नवम्बर, १९१७ से पहले हिन्दी में विद्यमान है। जहाँ तक ज़मीन पर किसान के अधिकार की बात है, द्विवेदीजी सम्पत्तिशास्त्र में ही लिख चुके थे, “प्रजा के हितचिन्तकों की राय है कि इस देश की ज़मीन प्रजा की है। न राजा की है, न जमींदारों की। जो ज़मीन जिस कास्तकार के कब्जे में चली आती है, उसे उसकी मोरूसी जायदाद समझना चाहिये।” (पृष्ठ १३०)।

जून १९१४ की ‘सरस्वती’ में द्विवेदीजी ने जनार्दन भट्ट का लेख ‘हमारे गरीब किसान और मजदूर’ प्रकाशित किया था। इसमें बताया गया है कि जब तक किसान और मजदूर संगठित न होंगे तब तक उनकी दशा न सुधरेगी। संसार के प्रत्येक देश में गरीब-अमीर का भेद है। भट्टजी का कहना है, “विचारपूर्वक देखा जाये तो संसार के हरेक देश में, चाहे वह इंग्लैण्ड हो चाहे हिन्दुस्तान, दो जातियाँ दिखाई पड़ेंगी। एक ओर धनी हैं, जिनकी संख्या संसार में बहुत थोड़ी है और जो हर तरह के ऐशो-आराम में अपना जीवन बिताते हैं और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी संख्या उन अभागों की है जो किसी तरह बड़े परिश्रम और कष्ट से अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इन गरीबों की हालत प्राचीन रोम के गुलामों से भी बदतर है।” गुलामों और गरीब किसानों और मजदूरों में अन्तर यह है कि गुलामों

को भोजन-वस्त्र मिल जाते थे किन्तु इन्हें नहीं मिलते। कहने को गुलाम पराधीन थे और किसान-मजदूर स्वतन्त्र है। किसान और मजदूर अधिक स्वतन्त्र है, "तो वह स्वतन्त्रता इसलिए है कि वह स्वच्छन्दता के साथ बिना रोक-टोक भूखो मर सकें।" गरीब-अमीर के बीच मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग हैं। इनका कर्तव्य है कि अपने गरीब भाइयों को उनकी दुल और दरिद्रता का सच्चा कारण बतलायें; "जब वे उन्हें उनके अधिकारों का ज्ञान करावेंगे, जब वे उन्हें बतलावेंगे कि जो धन वे पैदा करते हैं रुह्रा जाता है और उन्हें क्यों नहीं मिलता, तभी देश का सच्चा सुधार होगा।" कहना अनावश्यक है कि जिस दिशा में कांग्रेस और उसकी विचारधारा का विकास हो रहा था, उसने यह दिशा पूरी तरह भिन्न है। आगे चलकर कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल हुए जो वर्गगत समस्याएँ समझते थे, किसानों और मजदूरों के सगठन की आवश्यकता समझते थे, स्वाधीनता-आंदोलन की सफलता के लिए किसानों और मजदूरों के संघर्ष को आवश्यक मानते थे। यह कांग्रेस का वामपक्ष बना किन्तु वह कभी इस स्थिति में नहीं हुआ कि अपनी विचारधारा के अनुसार स्पष्ट कार्यक्रम बनाकर उस सगठन की नीति निर्धारित कर सके।

विश्व-पूँजीवाद और महायुद्ध दोनों का गहरा सम्बन्ध है। 'सरस्वती' में इस सम्बन्ध की निरन्तर छानबीन की गयी है। जनवरी १९०८ की 'सरस्वती' में 'हेग की शांति सभा' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में पूँजीवादी राष्ट्रों द्वारा युद्ध की तैयारी के बारे में कहा गया है, "कुछ वर्षों में सभी शक्तिशाली देश अपनी-अपनी फौजें बढ़ाने, नई-नई तोपें बनाने, बड़े-बड़े भीषण लडाकू जहाज तैयार कराने की धुन में डूब-ने लगे। करोड़ों रुपये बरबाद होने लगे। कर के रूप में प्रजा ने प्राप्त किया गया धन, उसके लिए सुख-सामग्री प्रस्तुत करने के बदले, जन-संहार के कामों में बेतरह खर्च होने लगा। प्रत्येक देश—विशेष करके इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी—की यही आंतरिक इच्छा देख पड़ी कि बल में हम सबसे बड़ जाएँ। जहाजों, तोपों और फौजों की इस अकारण वृद्धि को रोकने की भी जरूरत समझ पड़ी। इन्ही अनेक कारणों से गत वर्ष १९०७ में फिर एक सभा हेग में हुई।" किन्तु यह सभा स्थायी शांति के लिए कुछ भी न कर सकी। उसी लेख में इस सभा के बारे में कहा गया है, "इस १९०७ की सभा को शांति-सभा कहना ही व्यर्थ है। क्योंकि जब तक प्रत्येक देश अपनी सेना बढ़ाता जाता है, नये-नये युद्ध-जहाज बनाता जाता है, महाप्रलयकारी तोपें तैयार करता जाता है, तब तक शांति की आशा नहीं। जिस देश को देखिए वह यही चाहता है कि सेना-सामग्री और बल-पराक्रम में मैं अपने पड़ोसी से बड़ जाऊँ।" पाँच साल बाद नवम्बर, १९१३ की 'सरस्वती' में इसी विषय पर फिर एक लेख प्रकाशित हुआ 'पश्चिम में शांति मंदिर की प्रतिष्ठा। हेग की शांति परिषद्।' लेखक ने बताया है कि शांति की पूजा करने और शांति-मंदिर को सजाने के लिए पश्चिमी देशों ने अच्छी-अच्छी चीजे दीं। मूर्तियाँ, चित्र, संगमरमर से लेकर लोहे का फाटक तक दिया। किन्तु यूरुप में चालीस लाख सैनिक हैं जिन पर हर साल पैंतालीस करोड़ पाउण्ड से अधिक धन व्यय होता है। "संसार का इतना धन और श्रम किसी भी अर्थोत्पादक

कार्य में नहीं लगाया जाता।" जब युद्ध होता है, तब प्रत्येक पूँजीवादी देश अपने को न्याय और जनतन्त्र का रक्षक बताता है। उक्त लेख में प्रश्न किया गया है, "हाल ही में जो बालकन युद्ध हुआ और गून की नदियाँ बहायी गयी, उनके लिए सचमुच अपराधी कौन है?"

हिन्दी के प्रगतिशील लेखक यह देख रहे थे कि यूरोप के पूँजीवादी देश ऊपर से शांति की बातें करते हैं, भीतर से एक-दूसरे पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। पूँजीवादी देशों के शांतिप्रेम पर व्यंग्य करते हुए अगस्त, १९१२ की 'सरस्वती' में 'शांति का सार्वभौमिक राज्य' शीर्षक लेख में गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखा, "आज सारे संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ शांति का मधुर राग अलाप रही हैं। जिधर देखो उधर शांति का साम्राज्य स्थापित करने की बड़ी-बड़ी कोशिशें हो रही हैं। सभी सभ्य देश पारस्परिक राष्ट्रीय नियमों के बन्धन में बँधे हुए यह कह रहे हैं—'मनुष्य मात्र बराबर हैं; सबको स्वाधीनता का रस चखने का एक-सा अधिकार है।' बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को सान्त्वना देते हुए कह रहे हैं—'डरो मत, अब कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। वह समय गया। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना नहीं।' आगे विद्यार्थीजी पूछते हैं, "परन्तु क्या सचमुच शांति का सार्वभौमिक राज्य संसार पर हो गया अथवा हो जाएगा? क्या अब हमें जंगी अस्त्र-शस्त्रों की शंका न मुनायी पड़ेगी? क्या अब भीमकाय तोपें मनुष्यों का सहार करती हुई कानों के परदे न फाड़ेंगी?" साम्राज्यवादी युद्ध बंद हो, नर-संहार बंद हो, यह माँग साधारण मानवतावाद की थी और समाजवाद की भी। रूस में समाजवादी क्रांति की सफलता का एक कारण युद्ध में न मरने की रूसी किसान की सहज मानवीय आकांक्षा थी। इसलिए 'सरस्वती' में युद्ध और शांति को लेकर जो कुछ लिखा गया है, वह समाजवाद से नितान्त असम्बद्ध नहीं है।

(घ) 'मर्यादा'

साम्राज्यविरोधी चेतना से किस तरह घनिष्ठरूप में समाजवादोन्मुख विचार-धारा जुड़ी हुई है, इसका बोध 'मर्यादा' की राजनीतिक टिप्पणियों से होता है। राजभक्ति की दुहाई देते हुए यह पत्रिका पाठकों को सावधान करती है कि युद्ध के बाद अंग्रेजों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है; वे युद्ध तुम्हारे बल पर चला रहे हैं, उनसे निपटने की तैयारी अभी से करो। 'मर्यादा' अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पर बराबर निगाह रखती हुई, भारत के स्वाधीनता आन्दोलन को इस परिस्थिति से जोड़ती है। स्वभावतः वह रूस की जारशाही-विरोधी फरवरी क्रांति का साम्राज्य-विरोधी महत्व पहचानने में सबसे आगे है। अनेक टिप्पणियों में वह मजदूरों के संगठन और संघर्ष का समर्थन भी करती है।

जनवरी १९१५ की 'मर्यादा' में 'वज्रवज्र के दंगे की रिपोर्ट' शीर्षक सम्पादकीय टिप्पणी छपी है। इसका सम्बन्ध कोमागातामारु जहाज की घटना से है। इसमें बताया गया है कि उक्त जहाज पर सवार होकर कई सौ भारतीय 'मई १९१४ में कनाडा गये थे। इनमें अधिकतर सिक्ख थे। नियमविरुद्ध यात्रा करने

के कारण उन्हें वहाँ की जमीन पर पैर रखने की आज्ञा न मिली। कनाडा से जहाज जापान आया। जापान सरकार से लिखा-पढ़ी करके भारत सरकार ने उसे अपने खर्च से भारत बुलवा लिया। २६ सितंबर १९१४ को कलकत्ते के पास वजवज में "पुलिस के साथ उसका जिस तरह बसेड़ा हो गया और जिसमें कई सिक्खों की जानें गयी उसका वृत्तान्त यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं।" सरकार ने इसकी जाँच करायी और जाँच-समिति की रिपोर्टें सरकारी मन्तव्य सहित प्रकाशित हुई। बहुत-से गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ को छोड़ने के बारे में आश्वासन दिया गया किन्तु कुछ लोगों को सरकार छोड़ना न चाहती थी। 'मर्यादा' की राय में सबको छोड़ देना चाहिए था, इसलिए उसने लिखा, "एक दगे के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों में से कुछ को छोड़ देने और कुछ को जेलखाने में बंद रखने की नीति में कौन-सा लाभ सरकार ने सोचा है, यह तो उसी को मालूम होगा। कम-से-कम यह स्पष्ट है कि पंजाब के देशी अखबार सरकार की इस नीति से सन्तुष्ट नहीं। जब सरकार ने उनके अधिकांश साथियों को छोड़ दिया है और उदारतापूर्वक उन पर मुकदमा चलाने का विचार भी त्याग दिया है तब साधारण बुद्धि के आदमी को तो यही उचित मालूम पड़ेगा कि शेष व्यक्ति भी तुरन्त मुक्त कर दिये जायें और यथासम्भव शीघ्र ही इस अप्रिय काण्ड की इतिथी हो।"

इसके बाद की टिप्पणी है 'जर्मन भूत'। यह बहुत दिवाचस्प है। भारत पर अपना निरकुश शासन बनाये रखने के लिए किसी भी विदेशी शक्ति के आक्रमण का भय दिखाना अग्रेजों की कूटनीति की विशेषता थी। उनकी इस कूटनीति की बखिया उधेड़ते हुए 'मर्यादा' ने लिखा, "लडाई तो यूरोप में हो रही है परन्तु जान पड़ता है कि जर्मनभूत कई हजार मील की छलांग मारकर हिन्दुस्थान के कुछ एंग्लो-इण्डियन पत्रों के सिरो पर नाचने लगे हैं। इनका यह मर्ज अगर बढ़ता गया तो हमें भय है कि भारत सरकार को इनके इलाज की फिक्र करनी पड़ेगी। जैसे सावन के अर्धे को सब चीजें हरी-भरी और सब्ज ही जान पड़ती हैं, वैसे ही कुछ एंग्लो-इण्डियन पत्रों को संसार के सब प्रकार के कुचक्रों की रचनाओं में जर्मनो ही का हाथ नजर आता है।" प्रमाणस्वरूप 'पाथनियर' अखबार के कार्यालय से प्रकाशित एक पुस्तिका का उल्लेख है। इसके अनुसार भारतवर्ष में असतोप, अराजकता आदि फैलाने में जर्मनो का हाथ है। दिल्ली में जो बम फेंका गया था, उसमें जर्मनी का हाथ था। भारतवासियों की राजभक्ति पर कौचड़ फेंकने वालों की निन्दा करते हुए 'मर्यादा' ने उनके इस प्रचार का उल्लेख किया कि "जर्मनी ने रुपये से भारतीय कांग्रेस कमेटी की सहायता की, उसे स्वराज्य के निमित्त खड़े होने के लिए उत्तेजित किया। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि बंगविच्छेद और स्वदेशी आंदोलन के लिए भी जर्मनी से सहायता मिली थी। साधु-माधु ! शायद इससे अधिक दूर जाने में कल्पनाशक्ति असमर्थ थी।"

'वंग-विच्छेद' का आशय है वंग-विच्छेद का विरोध जिससे स्वदेशी आन्दोलन सम्बद्ध हुआ। कोमागातामारु के लिए स्टेट्समैन ने यह प्रचार किया था कि जर्मनो की साजिश से सिक्खों ने इस जहाज पर बँठकर कनाडा जाने की ठानी हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार / २४५

थी। पर वज्रवज्र की घटना को लेकर जांच-समिति ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें जर्मनों को दोषी नहीं ठहराया गया।

युद्धकाल में भारत की देशी फौज पर किसी भी तरह राष्ट्रीय भावना का असर न पड़े, इसके बारे में अंग्रेज अधिकारी बहुत चौकन्ने रहते थे। इसका एक उदाहरण 'अभ्युदय' पत्र से सरकार द्वारा जमानत मांगे जाने का है। इस पत्र में एक लेख छपा था जो 'अभ्युदय' प्रेस के स्वामी मदनमोहन मालवीय के अनुसार "ब्रिटिश एफ्रीकन या हिन्दुस्थानी सिपाही की शिक्षा और उसके साथ होने वाले वर्तव्य को सुधारने की ओर ध्यान दिलाता है, जिससे कि वे साम्राज्य की सेवा करने के लिए उच्चतम वीरता, साहस और मूझ के गुणों का संग्रह कर सकें और जो ऐसी प्रणाली के अवलम्बन किये जाने की सलाह देता है जिससे नि.सन्देह सम्राट और साम्राज्य के प्रति उन सैनिकों की राजभक्ति बढे और गाढ़ी हो।" किन्तु सरकार के अनुसार वह लेख "हिन्दुस्थानी सिपाहियों को उनकी राजभक्ति से डिगाने और सम्राट या ब्रिटिश भारत में न्याय में स्थापित गवर्नमेन्ट के प्रति अप्रीति उत्पन्न करने की सम्भावना रख सकता है।" अभ्युदय प्रेस से 'अभ्युदय' के अलावा 'मर्यादा' का प्रकाशन होता था और एक अंग्रेजी पत्र 'क्रूसीबिल' निकलता था। मदनमोहन मालवीय ने अपना जो वक्तव्य प्रकाशित कराया, उसमें जमानत मांगने की सूचना के बारे में कहा कि "वह बिल्कुल अन्याययुक्त है और मैं अपने साथ न्याय करते हुए उसका पालन नहीं कर सकता।" विरोध रूप में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दी कि अभ्युदय प्रेस बन्द कर दिया जायेगा। संयुक्त प्रांत की सरकार ने मालवीयजी का यह आश्वासन स्वीकार किया कि 'अभ्युदय' का संचालन वह अपनी देख-रेख में होने देंगे और उसने जमानत की मांग वापस ले ली। 'मर्यादा' और 'अभ्युदय' दोनों के सम्पादक कृष्णकान्त मालवीय थे। 'मर्यादा' बिलम्ब से निकली, सम्पादकीय टिप्पणी में इसका कारण बताया कि "प्रेस ऐक्ट की चपेट में आकर वह मूच्छित हो गयी थी।" फिर 'मर्यादा'-सम्पादक इस बात का पता लगाने चलते हैं कि इसके लिए दोषी कौन है। सरकार ने 'अभ्युदय' से जमानत न मांगकर प्रेस से जमानत मांगी। प्रेस के स्वामी ने जमानत देने से प्रेस को बन्द कर देना अच्छा समझा। इस कारण 'मर्यादा' प्रकाशित न हो सकी। इसलिए पाठक 'मर्यादा' को दोषी नहीं कह सकते। कुछ लोग कहेंगे दोष प्रेस ऐक्ट का है "जिसके कारण एक निरपराधी भी अपराधी की भाँति सजा का अधिकारी हो सकता है।" सम्पादक संयुक्त प्रांत की सरकार को दोष नहीं दे सकता क्योंकि "हम जानते हैं कि शक्ति का हाथ में होना इस बात की अपेक्षा करता है कि वह काम में लाई जाए।" अंत में निष्कर्ष यह निकला कि अपराधी है "हम और आप जिन्होंने प्रेस ऐक्ट को जन्म देने दिया। यह सत्य है कि उसका जन्म हम लोग रोक नहीं सकते थे, यह भी सत्य है कि हमारे दो नेताओं ने उसका विरोध किया था किन्तु इसके साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि प्रेस ऐक्ट के पास हो जाने पर भी पत्र निकलते रहे। यदि उस समय समस्त पत्र एक साथ बन्द हो गये होते तो फिर अब एक-एक करके उनके बन्द होने की नौबत न आती।" यह कड़वी टिप्पणी अगस्त १९१५ की 'मर्यादा' में

छपी है। भारतीय पत्रकारों को अपने विचार प्रकाशित करने की कितनी स्वाधीनता थी, इसका अनुमान टिप्पणी के अन्तिम अंश से हो जायेगा। और इसमें भी आश्चर्य न होना चाहिए कि अंग्रेज 'अभ्युदय' सम्पादक के राजभक्ति-प्रदर्शन से प्रभावित न हो रहे थे। वे समझते थे कि राजभक्ति का दिखावा लिए है कि पत्रकार प्रेस ऐक्ट की चपेट में आने में बचे रहें। 'मर्यादा' के इसी अंक में सम्पादक ने अंग्रेजों को याद दिलाया कि युद्ध में अपनी स्थिति के लिए इंग्लैण्ड को भारत का कृतज्ञ होना चाहिए। कारण यह कि यदि भारत से सेना न भेजी जा सकती, "यदि भारत की स्थिति भयावह होती और यहाँ से सेना का हटाना युक्तिसंगत न होता", तो अंग्रेज जर्मनों का मुकाबला न कर पाते। यहाँ संकेत यह है कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, भारत की स्थिति भयावह हो सकती है, तब यहाँ से बाहर सेना भेजना युक्तिसंगत न होगा। फिर जर्मनों से लडेगा कौन ? सम्पादक ने देशवासियों से कहा कि अभी अंग्रेज हमारी खूब तारीफ कर रहे हैं किन्तु यह सम्भव है कि लडाई सतम होने पर वे कहने लगें कि इनमें शासन की योग्यता नहीं है, "ये पूर्व देश के वासी हैं जहाँ प्रजासत्ताक शासन की प्रणाली कभी फूली नहीं, फली नहीं और बहुत सोच-समझकर, जाँचकर इन्हे कोई अधिकार देना ही उचित होगा।" सम्पादक की आशंका निराधार नहीं थी। उसने जनता को सावधान किया : "इन चालों की काट के लिए हमें तैयारी पहिले से करनी चाहिए। अभी आन्दोलन का समय नहीं किन्तु साथ-ही-साथ इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम जनता को उस समय के आन्दोलन के लिए न तैयार करे।" जो व्यक्ति जनता को आन्दोलन के लिए तैयार होने की सीख दे रहा था, उसकी राजभक्ति अंग्रेजों की निगाह में संदिग्ध हो, तो आश्चर्य नहीं।

'मर्यादा' के राजनीतिक दृष्टिकोण की एक विशेषता यह है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान वह भारतीय जन-जागरण को एशिया के जन-जागरण का अंग मानती है। जुलाई १९१५ की 'मर्यादा' में 'एक विनीत देशभक्त' के नाम से किसी ने 'भारत की राष्ट्रीय उन्नति तथा स्त्रीजाति' शीर्षक लेख लिखा है। जन-जागरण में स्त्रियों को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इस स्थापना के अलावा इस लेख में कहा गया है, "वास्तव में यह भारतीय जागृति की लहर उस बृहत् एशियाई जागृति का एक अंग है जिसने सबसे पहिले आज लगभग ४५ वर्ष पूर्व जापान में अपना वेग दिखलाना आरम्भ किया था।" भारत के जन-जागरण पर अनेक प्रकार के प्रभाव थे। जापान निर्वल राष्ट्र था, वह उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। १९०४-५ के रूस-जापान युद्ध में "मदोद्धत यूरोपियन राष्ट्रों को पहिली बार इस आश्चर्यजनक एशियाई जागृति के चमत्कार का बोध हुआ।" यह स्वाभाविक था कि इस घटना का प्रभाव भारत पर पड़े। इसके साथ धीरे-धीरे "इस एशियाई उन्नति की तरंगों ने चीन के निश्चल जलाशयो को भी हिलाना आरम्भ किया।" वहाँ १९१२ में राज्य-क्रान्ति हुई। 'मर्यादा' ने उसके नेता सुन्यात-सेन के बारे में काफी सामग्री प्रकाशित की। रुढ़ियाद भारत तक सीमित नहीं है, एशिया में सर्वत्र पुरानी रुढ़ियाँ तोड़कर स्त्रियों को आगे बढ़ना है, यह भाव लेख में स्पष्ट व्यक्त हुआ है। लिखा है, "आजकल की राष्ट्रीय उन्नति के लिए और विवेकपूर्ण प्राचीनत्व की

मायारूपी वेदियों में जकडी हुई एशियाई जातियों के उद्धार के लिए जाति के प्रत्येक व्यक्ति में उसके व्यक्तित्व के विकास होने का अवसर देना सबसे बड़ी आवश्यकता है।”

(ड) 'विक्रम' और 'प्रताप'

'राष्ट्र की आशा' नाम का लेख गणेशशंकर विद्यार्थी ने १९१४ में लिखा था और वह 'विक्रम' में प्रकाशित हुआ था। इसे पढ़ने से पता चलता है कि वह भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को एशिया के स्वाधीनता आंदोलन का एक अंग समझते थे। सबसे पहले जापान में भवजागरण आरम्भ हुआ। उन्होंने लिखा कि पचास वर्ष का जापानी इतिहास हर देशभक्त एशिया-निवासी को पढ़ना चाहिये। उसके बाद चीन में आंदोलन आरम्भ हुआ। भारत में भी नये जीवन का संचार हुआ। "यद्यपि इस नयी लहर को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा, यद्यपि हमारे अनेक अदूरदर्शी शासकों ने भ्रम में पड़कर नयी लहर और राजद्रोह को एक तक समझ डाला, और इसी से सरकार ने उस दमननीति का प्रयोग किया जिसकी भयंकर लपेट में पड़कर अनेक ऐसे निर्दोष सज्जनों को बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़े जो निज मातृभूमि के सच्चे भक्त होने के साथ-साथ मनुष्य जाति के सच्चे प्रेमी थे, तथापि जिस किसी के नेत्र खुले हुए हैं, वह इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कर सकता कि इन सात वर्षों के भीतर ही राष्ट्रीयता ने भारतवासियों के हृदय पर अपना अखंड शासन जमा दिया है। आज प्रत्येक शिक्षित भारतवासी चाहे वह नैतिक निर्बलता के कारण अपने कर्तव्यपालन से विमुख हो, तथापि इस बात को भली प्रकार समझता है कि भारत में एक स्वतन्त्र, समृद्ध तथा सुसंगठित राष्ट्र की रचना करना उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।" (गणेशशंकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबन्ध, दिल्ली, पृष्ठ २२)। इस निबन्ध में उन्होंने विशेष रूप से नव-युवकों का ध्यान किसानों की निर्धनता की तरफ आकर्षित किया। पूछा, "तुम में से कितने हैं जिन्हें इस बात का पता हो कि आये दिन के दुष्कालों में इस उर्वरा भूमि के सहस्रो तथा लाखों निर्धन किसानों को प्रतिवर्ष अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने पशु तक अधिक के हाथ बेचने पड़ते हैं?" (उप. पृष्ठ २३)। इसी निबन्ध में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा पर भी ध्यान केन्द्रित किया। सात करोड़ से अधिक अछूत। "शताब्दियों के घोर अन्याय के कारण घृणित पशुओं के समान अपने दिन बिताकर तुम्हारे राष्ट्र-संगठन के कार्य को और भी दुष्कर बना रहे हैं।" (उप.)। जो लोग केवल प्राचीन भारत के गौरव-गीत गाकर संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, "हमारे अनेक युवकों को प्राचीन भारत के विषय में उचित से अधिक डींग मारने की भी आदत है। किन्तु यदि तुम्हारे पूर्वज महान् थे, और हम स्वीकार करते हैं कि वे अनेक अंशों में महान् थे, तो तुम्हारे लिए और भी अधिक सज्जा की बात है और तुम्हें और भी अधिक परिश्रम के साथ अपने देश की दशा को सुधारने पर तत्पर हो जाना चाहिए।" (उप. पृष्ठ २४)।

'२२ फरवरी १९१५ के 'प्रताप' में विद्यार्थीजी का एक लेख छपा 'चीन में

कदम पड़ते थे, पर देश के लाखों गाँवों में उन्हीं की तूती बोलती थी, जो उन्हीं के थे, और उन्हें पता ही न लगता था कि कौन आया और कौन गया। परन्तु अंग्रेजी राज्य के स्थापित होते ही गाँवों की स्वाधीनता लोप हो चली। उन्हें मालूम हुआ कि हमारे हल्के सिरों पर शासको का जवर्दस्त लोहा पड़ गया है। पंचायतें टूट चली, और गाँवों की कभी न टूटने वाली शान्ति ने अपना बोरिया-बँधना सँभाला। जहाँ प्रजा-सत्ता आनन्द से विचरती थी, वहाँ स्वेच्छाचारिता का राज्य हुआ। कोयल के घोसले में काक का निवास हुआ। चौकीदारों और पुलिसवालों ने सबको एक ही डण्डे से हाँकना आरम्भ कर दिया। जहाँ प्यार और आदर के सूत्र से सब बँधे हुए थे, वहाँ स्वेच्छाचारिता की छत्रछाया में विरोध और कलह, उत्पात और नालिशबाजी ने अपना रंग जमाया। वनावनाया खेल विगड़ गया और इस टूटी हुई अट्टालिका के सुधार या उसकी नीव पर दूसरी अट्टालिका का विचार भी उनके हृदयों में न पैदा हुआ जिनके हाथों में विगड़े हुआँ के भाग्य की डोरी थी।” (उप., पृष्ठ ३८-३९)। विद्यार्थीजी ने जिसे प्रजासत्ता कहा है वह वर्गभेद से मुक्त नहीं थी। गाँव में जो अटूट शान्ति दिखाई देती थी, वह भूस्वामी और भूमिहीन ग्रामवासी का भेद छिपाये हुए थी। पर यह बात सही है कि मुगल शासनकाल में राज्य-सत्ता इतना संगठित नहीं थी कि वह प्रत्येक गाँव के किसानों का आसानी से शोषण कर सके। सत्ता की रक्षा के लिए फौज की आवश्यकता बराबर रहती थी किन्तु उस समय सभी किसान निहत्थे नहीं थे और वे मुगल सेना का मुकाबला भी करते थे। मुगलों की अपेक्षा अंग्रेजों की राज्य-सत्ता अधिक संगठित थी। अब प्रत्येक गाँव शोषण के इस नए केन्द्र अंग्रेजी सरकार से जुड़ गया। ज़मींदारों और ताल्लुकदारों के कारण शोषण में और बढ़ती हुई। सचमुच किसान के सिर पर गाज गिरी। अंग्रेजों ने पुरानी इमारत का नाश कर दिया किन्तु उन्होंने नयी इमारत के लिए नीव रखने का विचार भी मन में न आने दिया। यह स्थिति का सही वर्णन है। गाँव तवाह होते गये। इस तवाही के बाद नया जीवन बिताने के लिए कहीं नये औद्योगिक केन्द्रों में किसानों को आश्रय मिले, इसकी व्यवस्था नहीं के बराबर थी।

विद्यार्थीजी ने अंग्रेजी राज के अतिरिक्त किसानों पर अत्याचार करनेवाले ज़मींदारों आदि पर भी ध्यान दिया। उन्होंने लिखा है, “स्वेच्छाचारी शक्तिमान लोग गाँववालों पर अत्याचार करने, उन्हें धूल के बराबर समझने, उन्हें लड़ा मारने, उनकी कलह और मुकदमेबाजी से लाभ उठाने के पूरे अम्यर्थी हो चुके हैं।” (उप., पृष्ठ ३९)। स्वेच्छाचारी शब्द के अन्तर्गत उन्होंने अधिकारियों को भी रखा है। इन्हें दबाना बहुत कठिन है क्योंकि सरकार इन अधिकारियों का पक्ष लेती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि “जब तक देश के शासन में देशवालों का हाथ बहुत कुछ नहीं होता” (उप.), तब तक गाँवों की दशा नहीं सुधर सकती।

१९ जून १९१६ के प्रताप में उन्होंने एक लेख लिखा ‘क्या लड़ाइयाँ बन्द हो जायेंगी?’ इसमें उन्होंने विस्तार में बताया कि विज्ञान का उपयोग युद्ध के लिए निरन्तर किया जाता रहा है। लड़ाई के हथियार पहले की अपेक्षा अधिक घातक हो गये हैं किन्तु ऐसे हथियारों के बनने पर भी लड़ाई रुकती नहीं है। दो

उद्देश्य से वह रही है, साथ ही साथ निरंकुश शासकों को यह सन्देश दे रहा है कि चेतो या न चेतो, समय तुम्हारे विरुद्ध है, विवेक, मानवी सभ्यता, मनुष्योचित अधिकार, स्वतन्त्रता और समता इन सब बातों के विचार के साथ-साथ तुम्हारी स्थिति असंगत है और विरोधाभास के अलंकार सदृश है। युद्ध के आरम्भ के समय हमने कहा था कि इस युद्ध का भौतिक फल चाहे जो हो किन्तु इसका नैतिक प्रभाव यह होगा कि मानव-स्वतन्त्रता का अधिक विस्तार होगा, राजाओं की कमी होगी, समस्त अधिकार धीरे-धीरे प्रजा के हाथ में होंगे।”

यहाँ जितनी बातें कही गयी हैं, लगभग सब-की-सब नवम्बर की समाजवादी क्रान्ति के बारे में भी कही जा सकती हैं। फरवरी क्रान्ति को संसार का अभूतपूर्व परिवर्तन कहा गया है, वह प्रजासत्तिय की महान् विजय है, निरंकुश शासन का अन्त होगा, क्रान्ति का यह सन्देश है। स्वतन्त्रता के साथ समता की भी विजय हुई है। ये सब बातें समाजवादी क्रान्ति के लिए और भी मार्गक हैं। फरवरी क्रान्ति के सन्दर्भ में वे कही गयी, इसमें समझना यह चाहिए कि लेखक ऐसी क्रान्ति की आशा कर रहा है जो संसार के लिए अभूतपूर्व हो, जो समय की गति ही बदल दे और स्वतन्त्रता के साथ समता का विस्तार करे। 'मर्यादा' के सम्पादकीय अनेक लोग लिखते थे और सम्पादकीय टिप्पणियों में कही-कही दृष्टिकोण की भिन्नता भी दिखायी देती है। यह सम्पादकीय टिप्पणी शायद कृष्णकान्त मालवीय की लिखी हुई है। युद्ध के प्रति यहाँ दृष्टिकोण यह है कि इसका संचालन न्याय और जनतन्त्र की स्थापना के लिए हो रहा था और इसीलिए रूस में विप्लव हुआ। लेखक का यह विचार भी है कि न्याय और प्रेम के आधार पर जब तक सारे संसार में एक ही सरकार का शासन नहीं होता, तब तक संसार में युद्ध होते रहेंगे। लेखक के लिए मुख्य समस्या यह है कि भारत स्वाधीन होगा या नहीं और उसके साथ अन्य समस्या यह है कि संसार में शान्ति कायम होगी या नहीं। राजनीतिक परिस्थितियों के विस्तरेण में अनेक भ्रान्तियाँ हैं पर इसमें सन्देह नहीं कि भारत स्वाधीन हो, युद्ध बन्द हो, विश्वशान्ति कायम हो, यह कामना लेखक को प्रेरित करती है कि वह रूसी क्रान्ति का स्वागत करे।

विश्व-सरकार कायम होने में कई शताब्दियाँ लग सकती हैं किन्तु लेखक को आशा है कि आगे चलकर संसार की समस्त जातियों की एक पार्लियामेण्ट होगी और स्थानीय शासन के लिए प्रत्येक देश की जातीय महासभा होगी। लेखक को आशा है कि जर्मनी रूस में पीछे न रहेगा, युद्धकाल में या युद्ध के बाद वहाँ भी परिवर्तन होगा। इसके बाद आस्ट्रिया-हंगरी और यूनान में प्रजातन्त्र की विजय होगी। उसका विचार है कि रूसी जाति युद्ध से घबराई नहीं है, उसने सन्धि करने के लिए विप्लव नहीं किया। विप्लव के बाद वह युद्ध में सारी शक्ति लगा देगी। विप्लव से युद्ध-संचालन में बाधा पड़ सकती थी किन्तु जब रूसी देशभक्त विप्लव की तैयारी कर रहे थे और उन्हें लगा कि युद्ध समाप्त होने के पहले ही कही उनकी सरकार सन्धि न कर ले, तब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इसके बाद विप्लव का कारण बताते हुए लिखा है, “विप्लव का असली कारण अत्याचार, अन्याय, निरंकुश शासन, प्रजा के हाथ में शक्ति का न होना, सब कानून अफसरो

की मुट्टी में होना, देशभक्तों का, प्रजा के वकीलों का जेलों में सड़ना और हर प्रकार से जकड़े रहना था।" ताल्कालिक कारणों में बताया है कि ज़ार ने जातीय महासभा को स्थगित रखने की अवधि बढ़ा दी और प्रजा भयानक अन्नकष्ट से पीड़ित थी। लेखक ने ध्यान दिलाया है कि विप्लव में जर्मनी के शासक कैसर का हाथ भी था। वह रूस से अकेले सन्धि करना चाहता था किन्तु कैसर अपनी नीति में सफल न हुआ क्योंकि रूस ने सन्धि न की। रासपुटीन और ज़ार की रानी के आपसी सम्बन्ध के कारण राज्य-संचालन में बड़ी अव्यवस्था पैदा हुई। अन्त में रासपुटीन की हत्या की गयी, फिर विप्लव हुआ।

आगे लिखा है, "अन्याय और अत्याचार बढ़ा। प्रजा के प्रतिनिधि दबाये गये और फलस्वरूप विप्लव हो गया। प्रजा, फौज और नौसेनावाले सब एक हो गये, मार-काट शुरू हो गयी, सरकारी महलों पर कब्जा किया गया, देशभक्त जो जेलों में सड़ रहे थे, इज्जत के साथ लाये गये। जेलखानों के द्वार खोल दिये गये। ज़ार सफ़ुट्म्व अलग किये गये, प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और इस तरह से अन्याय, अत्याचार और निरंकुश शासन के संसार से विदा होने की दुन्दुभी बजायी गयी। राष्ट्रीय सभा का शीघ्र ही संगठन होगा, प्रत्येक मनुष्य को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा।" लेखक ने भारत के लिए यह निष्कर्ष निकाला है, "जो लोग कहते हैं कि भारत में शिक्षा नहीं, यहाँ प्रत्येक मनुष्य इस योग्य नहीं कि उसे वोट देने का, शासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाये, ज़रा रूस की दशा देखें और आँख खोलें। हमारे जो अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ और यूरोपीय कूट-नीतिज्ञ यह कहा करते थे कि रूस अधिकतर पूर्वीय है, वहाँ के लिए स्वेच्छाचार और निरंकुश शासन ही उपयुक्त है, वहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य की स्थापना स्वप्न मात्र है, आज प्रजा की शक्ति के महत्व को भी देख लें।"

भारतीय जनता राजनीतिक स्वाधीनता चाहती थी, राजनीतिक स्वाधीनता के साथ वह यह भी चाहती थी कि शासन में जन-साधारण को भाग लेने का अवसर मिले। स्वाधीनता और जनतन्त्र के लिए उसकी यह उत्कट कामना 'मर्यादा' की टिप्पणी में व्यक्त हुई है। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने मुख्यतः, और यूरोप के अन्य शासकों ने अंशतः, यूरोप को एशिया से अलग करते हुए यह प्रचार जोरो से किया था कि सामाजिक विकास के नियम जिस तरह यूरोप पर लागू होते हैं, उस तरह एशिया पर नहीं। एशियाई समाज के विकास के नियम अलग हैं। इसी कारण जनतन्त्र का विकास यूरोप में हुआ और एशिया में निरंकुश सम्राटों का बोलबाला रहा। पश्चिमी यूरोप और इंग्लैण्ड के लोग, उनके शासक वर्ग और पिछलगुए बुद्धिजीवी रूस को एशियाई कहकर उससे घृणा करते थे। इस तरह के प्रचार को ध्यान में रखते हुए इस टिप्पणी में कहा गया है कि रूस में प्रजासत्ता स्थापित हुई, इसलिए एशिया के अन्य देशों में भी निरंकुश राज्यसत्ता खत्म होगी।

विप्लव के बाद जर्मनी ने यदि तुरत रूस पर चढ़ाई कर दी तो रूसी सेना के हाथ-पैर फूल जायेंगे और युद्ध का अन्त हो जायेगा। यदि रूस को संगठित होने का थोड़ा समय मिल गया तो रूसी सेना जर्मनी का अन्त कर देगी। दोनों ही स्थितियों में युद्ध का शीघ्र अन्त होना निश्चित है। विप्लव से संसार को जो शिक्षा

मिलेगी, उसका विवरण पढ़ने से विदित हो जाता है कि संसार का अर्थ साम्राज्यवाद है। लिखा है : "जो 'हम' के भक्त हैं, जो स्वार्थ के लिए, शक्ति के लिए, आत्मसम्मान के लिए, बलदर्शी हों, दूमरों के मत्वों को अपहरण करना, उनको पैरों तले रौंदना अपना सहज सत्व समझते हैं, जो अधिकारी होने से दूसरे के अधिकारों की तनिक भी परवाह नहीं करते, जो इस मसले :

बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो,

जुवाने सत्क को नक्कार-ए-खुदा समझो।

की सत्यता में विश्वास नहीं करते, प्रजा की आवाज को ईश्वरीय आज्ञा न समझकर उसको दबाना चाहते हैं, जबान बंद करने के लिए कानून बनाते हैं, प्रजा के प्रतिनिधियों को ज़ार के समान जेल में सड़ाते हैं, उनके लिए यह विप्लव विशेष प्रकार से उपदेशप्रद है।" इन शब्दों में पता चलता है कि संसार में जहाँ भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष होता था, वहाँ की जनता से भारतवासियों को गहरी सहानुभूति होती थी। इसी तरह फरवरी क्रान्ति से उन्हें अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। लम्पट महात्मा प्रजा के विरुद्ध होंगे तो वे कुत्ते की मौत मरेंगे, यह बताने के बाद 'मर्यादा'-संपादक जनता से कहते हैं, "प्रजा को इस अटल सिद्धान्त—अत्याचार स्थायी नहीं हो सकता, संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रजा के हाथ में है और अन्त में उसी की विजय होनी है—में सदा विश्वास होना चाहिए। देशभक्तों को इस विप्लव में यह शिक्षा मिलती है कि साइबेरिया की बर्फ में जिनके लिए वह दुख उठाता है वे उसे नहीं भूलते और अवसर आते ही वे उसका आदर करते हैं। राज्य के विभीषणों को यह शिक्षा मिलती है कि तुम कितने ही शक्तिशाली बयो न हो, तुम्हारे पापों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, देश और देशभाइयों का विरोध कर कोई सुखी नहीं रह सकता।" अन्त में क्रान्ति का स्वागत करते हुए लिखा है कि रूस में "सावर्जनिक प्रकाश और स्वतन्त्रता का बाल-सूर्य उदित हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि संसार के घोर अन्धकार को यह शीघ्र ही छिन्न-भिन्न करेगा।" इस वाक्य में यह निष्कर्ष निकालना असंगत न होगा कि लेखक के लिए विभिन्न देशों के स्वाधीनता-आन्दोलन परस्पर सम्बद्ध हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता।

जून, १९१७ की 'मर्यादा' में रूस पर फिर एक सम्पादकीय टिप्पणी है। लेखक का विचार है कि रूस सम्भवतः जर्मनी से अलग सन्धि न करेगा। पर इसमें उलट-फेर भी हो सकता है। जिस चीज में उलट-फेर न होगा वह राष्ट्रीय सिद्धान्त है। लेखक के लिए साम्राज्य-विरोधी नीति सही राष्ट्रीय सिद्धान्त है और उसे विश्वास है रूस इसी नीति का पालन करेगा। इसलिए लिखा है, "वह किसी अन्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता का अपहरण न करेगा, वह किसी की भूमि पर कब्जा न करेगा, साथ ही वह अन्य राष्ट्रों को अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उन्नति करने देगा। सारांश यह है कि सत्यमेव वह स्वतन्त्रता का पुजारी होगा। सभी स्वतन्त्रता के प्रेमियों की यही इच्छा है कि अपने उद्योग में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और स्वतन्त्रता और समता का नाम ले-लेकर अन्याय और अत्याचार का प्रचार करनेवाले उससे शिक्षा ग्रहण करें।"

लेखक के सामने अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जहाँ पूंजीवाद होगा, वहाँ स्वतन्त्रता और समता के नाम पर अन्याय और अत्याचार का प्रचार ही होगा। किन्तु यदि निरंकुश ज़ारशाही के साथ पूंजीवाद भी समाप्त किया जाये तो उसे आपत्ति क्यों होगी? राष्ट्रों के बीच जिस नीति का चलन होना चाहिए, वह यह है कि एक राष्ट्र दूसरे की स्वतन्त्रता का अपहरण न करे, अन्य राष्ट्रों को अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिले। यदि समाजवाद इस नीति पर चले तो स्पष्ट है कि 'मर्यादा' के सम्पादकीय-लेखक के समान सभी स्वाधीनता-प्रेमी उसका स्वागत करेंगे।

अगस्त, १९१७ की 'मर्यादा' के सम्पादकीय में यूरोप के अनेक देशों के राजनीतिक आन्दोलन का उल्लेख है। जर्मनी के लिए कहा गया है कि वहाँ प्रजातन्त्र की विजय हो रही है। यदि कैसर ने इसका विरोध किया तो उसका हाल वही होगा जो ज़ार का हुआ है। लेखक की कामना है: "संसार में कोई भी देश किसी गैर के अधीन नहीं रहेगा। मानव-समाज उस दिन को शीघ्र ही निकट लानेवाला है जिन दिन कोई मनुष्य किसी गैर के अधीन न होगा, सब राष्ट्रों पर उनके पुत्रों का ही अधिकार होगा और उन पुत्रों को अपने ही राष्ट्रों में इतना काम रहेगा कि वे दूसरे राष्ट्रों का हड़प करना उचित न समझेंगे।"

नवम्बर, १९१७ की 'मर्यादा' में युद्ध, भारत और ब्रिटिश साम्राज्य की चर्चा है। आगे चलकर जैसे कांग्रेसी नेता अंग्रेजों से कहने लगे कि भारत स्वाधीन होता तो अंग्रेजों को युद्ध के सकट से उबार लेता, वैसे ही तर्क का आभास देते हुए टिप्पणी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया होता तो जर्मनी को युद्ध करने का साहस न होता और यदि वह युद्ध छेड़ता तो वह जल्दी ही समाप्त हो जाता। किन्तु भारत पराधीन है। युद्ध समाप्त होने को है पर स्थायी शान्ति बहुत दूर है। दूसरा महायुद्ध इससे अधिक भयानक होगा, क्योंकि अनेक राष्ट्र पराधीन है। इस सन्दर्भ में लेखक का कहना है, "आठ ही दस वर्षों के बाद दूसरा महाभारत होगा। वह इस महाभारत से कहीं बड़ा होगा और उसमें वे जातियाँ या राष्ट्र भी जो आज नाम मात्र को सम्मिलित या तटस्थ है, सम्मिलित होंगे। यदि जैसा लोग समझ रहे हैं दूसरा महाभारत हुआ तो उस समय संसार की दशा आज से अधिक हीन होगी और उस युद्ध में सभी साम्राज्यों के साथ-ही-साथ ब्रिटिश साम्राज्य का प्रश्न और भी भीषणता से उठेगा। उस दिन के लिए भारत को आज से तैयार रखने का उद्योग करना चाहिए।" अतः इंग्लैंड का स्वार्थ इसमें है कि वह भारत को स्वाधीन करे। संसार में परिवर्तन हो रहे है। रूस में ज़ारशाही समाप्त हो गयी। "रूस ने राह दिखलायी, पुर्तगाल हाथ-पैर चला रहा है। देखें जर्मनी और आस्ट्रिया में क्या होता है।"

रूस में क्या होने जा रहा है, इसका आभास तो लेखक को नहीं है किन्तु उसे यह पता है कि वहाँ पर भीषण मतभेद फैल रहा है। वहाँ जो दल प्रधान हो रहा है और अधिकारीवर्ग बन रहा है, वह सन्धि के पक्ष में है। जनता सन्धि की दुहाई दे रही है और रूसी फौज पीछे हट रही है। जर्मनी के लिए लिखा है, "स्वतन्त्र विचार वहाँ पर फैल रहे है, साम्यवादी वहाँ धीरे-धीरे शक्ति-लाभ कर रहे हैं।"

ऐसा लगता है कि यह टिप्पणी नवम्बर क्रान्ति से पहले लिखी गयी है। साम्यवादी विचारधारा का उल्लेख सहानुभूति के साथ किया गया है। लेखक जारशाही के पतन को संसार के साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन की महत्वपूर्ण घटना मानता है। साधारण जनवादी और साम्यवादी दोनों तरह के लोग यह बात अच्छी तरह समझ रहे थे कि साम्राज्यवाद का अन्त किये बिना दूसरा विश्वयुद्ध अनिवार्य है। अंग्रेजों ने न्याय और जनतन्त्र के प्रेम का जो डका बरसो तक पीटा था, उसने भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवी प्रभावित नहीं हुए। 'मर्यादा' के सम्पादक ने सफ़्त किया है कि भावी महायुद्ध के समय भारत अपनी स्वाधीनता के लिए कारगर प्रयत्न करे, इसके लिए उसे अभी से तैयारी करनी चाहिए।

२. रूसी क्रान्ति के बाद—कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से पहले (क) 'मर्यादा' और 'सरस्वती'

जनवरी, १९१८ की 'मर्यादा' मार्च में प्रकाशित हुई। इस समय सम्पादकीय विभाग में लक्ष्मीशंकर अवस्थी काम कर रहे थे। जुलाई १९१८ की 'मर्यादा' में उनकी मृत्यु का समाचार छपा। सितम्बर १९१८ की 'मर्यादा' में कृष्णकान्त मालवीय ने अपनी बीमारी के बारे में सूचना प्रकाशित की और लिखा कि सम्भव है, कुछ अंकों में वह सम्पादकीय टिप्पणी न लिख सकें। इन बातों की चर्चा यहाँ इसलिए की गई है कि 'मर्यादा' की स्थिति के बारे में पाठकों को जानकारी हो जाये। जिस तत्परता से फरवरी क्रान्ति पर टिप्पणी छपी गयी है, उसी तत्परता से नवम्बर क्रान्ति पर टिप्पणी प्रकाशित नहीं की गयी। इसका कारण सम्पादकीय विभाग के लोगों का स्वास्थ्य हो सकता है। दूसरा कारण यह भी सम्भव है कि नवम्बर क्रान्ति के बारे में आवश्यक सूचना आसानी से न मिली हो। फरवरी क्रान्ति के बारे में जितनी आसानी से सामग्री मिल सकती थी, उतनी आसानी से नवम्बर क्रान्ति के बारे में न मिल सकती थी। जनवरी १९१८ की 'मर्यादा' में युद्ध पर टिप्पणी है। युद्ध से रूस प्रस्त हो गया है। वहाँ मतभेद और गड़बड़ है। रूस ने जर्मनी से युद्ध-विराम-सन्धि कर ली है। फ़िनलैण्ड स्वाधीन राज्य बन गया है। जापान ने साइबेरिया पर हमला किया है। उसका उद्देश्य रूस में जर्मनी के अभियान को रोकना है। स्पष्ट ही लेखक को तथ्यों की सही जानकारी नहीं है किन्तु उसका दृष्टिकोण सही है जो इस वाक्य से प्रकट होता है कि "संसार में इस समय रणक्षेत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।"

जुलाई, १९१८ की 'मर्यादा' में जारशाही पर टिप्पणी है। जारशाही के पतन के बाद रूस में एक और बड़ा परिवर्तन हो गया है, इसकी जानकारी इस टिप्पणी में नहीं है। जो लोग स्वाधीन हुए हैं, वे युद्ध के कारण स्वाधीन हुए हैं या युद्ध-विरोधी राजनीतिक आन्दोलनों के कारण, यह भी लेखक के लिए स्पष्ट नहीं है। फिर भी उसका साम्राज्य-विरोधी, सामन्त-विरोधी दृष्टिकोण साफ़ दिखायी देता है। जारशाही के खँडहरों में प्रजातन्त्र के महल की नींव पड़ चुकी है। यह बात राजनीतिक उन्नति का प्रमाण है। रूस सदा जार और बड़े-बड़े जमींदारों से शासित होता आया था। ये सब "प्रजा के सत्त्वों को कुचलते और उसके साथ भेड़-

वकरियों का-सा व्यवहार करते थे।" ज़ार बड़ी निर्दयता से प्रजा को सताता था। उसकी पाशाविक शक्ति से अन्य राष्ट्र त्रस्त रहते थे। "इस युद्ध ने निरंकुश शासन की जड़ खोद डाली है और साथ ही साथ रूसी प्रजा को मुशासन के पथ में ला बैठाता है। पोलैण्ड, फिनलैण्ड स्वतन्त्र होंगे और साइबीरिया में भी अब सभ्यता के सूर्य की किरणें पहुँच सकेंगी।"

नवम्बर, १९१८ की 'मर्यादा' में युद्ध के समाप्त होने पर टिप्पणी छपी है। इसमें कहा गया है कि मित्र दल की विजय हुई है और आशा है कि "अब संसार में गरीब को अमीर, निर्बल को बली न सता सकेंगे, समस्त राष्ट्रों को स्वभाग्य-निर्णय का अवसर प्राप्त होगा और अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार वे संसार में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे।" इस आशा के पूरा होने में अनेक बाधाएँ हैं। युद्ध के बाद सन्धि हो जायेगी किन्तु इससे संसार को लाभ होगा अथवा नहीं, लेखक के लिए यह विचारणीय है। "इतने धन और जन के नष्ट होने का मूल्य स्थायी शान्ति, संसार से युद्ध का नामोनिशान उठा देना है और जब तक यह नहीं होता हम इस युद्ध को व्यर्थ ही का समझेंगे। जिन लोगों ने अपना रक्त बहाया है, उनकी सन्तान इस बात की गारण्टी चाहती है कि भविष्य में फिर कभी उनसे यह काम न लिया जायेगा।"

स्थायी शान्ति की समस्या अब सामाजिक न्याय की समस्या से जुड़ गयी है। स्पष्ट ही इस टिप्पणी का लेखक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। उसने लिखा है, "गरीब कह रहे हैं कि राष्ट्रों की कूटनीति की सफलता के लिए या महाराजाओं और श्रीमानों की श्रीवृद्धि के लिए हम अपना खून न बहावेंगे। वे कह रहे हैं कि पेट की ज्वाला बुझाने की सेना में हम नौकरी करते थे, अपनी गरीबी के कारण अपने भाइयों की हम हत्या करते थे, पेट के कारण हम अपने दयालु पिता के पुत्रों का—अपने भाइयों का—हनन करते थे। भविष्य में हम ऐसा न करेंगे और न किसी को करने देंगे। ऐसा करना असम्भव हो जाये इसलिए वे चाहते हैं कि संसार से गरीबी उठ जाये, कोई इतना अमीर न हो कि अपने अमीरी के बोझ से वह किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चलने पर विवश कर सके, साथ ही कोई ऐसा शक्तिशाली न हो कि केवल पाशाविक शक्ति में वह किसी को दबा सके। वे कहते हैं कि भूमि सरकार की अर्थात् प्रजा-समुदाय की होनी चाहिए, अर्थात् कोई ज़मींदार न हो, गरीब से गरीब मनुष्य के रहने के लिए गृह स्वच्छ, सुयरा, हवादार और वाटिकायुक्त होना चाहिए। बीमारी तथा बुढ़ापे के लिए सरकार की ओर से प्रबन्ध होना चाहिए।" स्त्रियों के लिए कहा गया है कि युद्ध के कारण उन्हें अपने पतियों और पुत्रों का नाश देखना पड़ता है, गृहस्थी का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए उनकी मांग है कि युद्ध छेड़ने में उनका हाथ भी होना चाहिए।

'मर्यादा' की यह टिप्पणी उसकी युद्ध और शान्ति वाली अन्य टिप्पणियों से बिलकुल भिन्न है। इसमें गरीब-अमीर का सवाल उठाया गया है। धनी लोग अपने स्वार्थ के लिए युद्ध कराते हैं और उनकी स्वार्थसिद्धि के लिए मारे जाते हैं गरीब आदमी। इसीलिए अब ये सैनिक, किसान, निर्धन जन मांग कर रहे हैं कि

हम युद्धों में मरने को तैयार नहीं हैं। संग्रार के सम्पत्तिशाली वर्गों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है जिससे कि वे किसी को दवा न मर्कें। मुख्य समस्या किसानों की है। किसान चाहते हैं कि कोई जमींदार न हो, भूमि सरकार की हो अर्थात् प्रजा की हो। भूमि पर किसान का अधिकार होना चाहिए, यह वान तो और लोग भी कहते आये थे। नयी बात यह है कि भूमि “सरकार की अर्थात् प्रजा-समुदाय की होनी चाहिए।” यह अर्थात् बता रहा है कि लेखक की निगाह में ब्रिटिश सरकार नहीं बरन् एक नये ढंग की सरकार है जो प्रजा की सरकार है। इसीलिए जमीन पर सरकार के अधिकार का वही अर्थ है जो प्रजा-समुदाय के अधिकार का है। व्यक्तिगत अधिकार की जगह समुदाय के अधिकार की बात फिर इस बात का प्रमाण है कि लेखक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है।

जनवरी, १९१९ की ‘मर्यादा’ में ‘सत्येन्द्र’ (बेनीप्रसाद) ने ‘मजदूरों के आन्दोलन’ शीर्षक निबन्ध लिखा है। इस निबन्ध में औद्योगिक क्रान्ति, मजदूर आन्दोलन, समाजवादी विचारधारा के प्रसार का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। बताया है कि पहले इंग्लैण्ड में जमींदारी प्रथा (फ्यूडलिज्म) का चलन था। यह प्रथा वहाँ से उठ गयी। किसानों में सेत छीनकर भेड़ चराने के लिए चरागाह बना लिये गये। इसका परिणाम यह हुआ है कि इंग्लैण्ड में एक भूमिहीन और धनहीन वर्ग का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से १९वीं सदी के अन्त में धनिकों ने अपना मूल धन (कैपिटल) लगाकर जहाज और रेल बनाने और चलानेवाली कम्पनियाँ खोली, सूत और ऊन, लकड़ी और लोहा तथा शीशा आदि की चीजें बनाने के लिए कारखाने खोले। “उन्होंने हजारों, नहीं लाखों, मजदूर रखे। उन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों-अरबों रुपये का लाभ उठाया। यदि उनको मजदूर न मिलते तो वे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते, कुछ भी न कर सकते। अर्थ-शास्त्री रिकार्डो ने कहा है कि सम्पत्ति की उत्पत्ति का कारण मजदूरी है।” इस निबन्ध में सोशलिस्ट के लिए साम्यवादी और कम्युनिस्ट के लिए समष्टिवादी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी के साम्यवादियों का हवाला देते हुए मार्क्स और लासाल का भी उल्लेख है। इन सब लोगों ने “ऋषियों और कवियों के से आवेश और भावुकता के साथ घोषणा की है कि सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले मजदूर ही हैं और इसलिए सम्पत्ति पर उन्हीं का अधिकार है।” यहाँ कवियों के से आवेश और भावुकता के उल्लेख से प्रतीत होता है कि लेखक यूरुप के समाजवादियों की कुछ रचनाओं से परिचित था, उसने केवल समाजवाद का इतिहास पढकर यह लेख नहीं लिखा। इस निबन्ध में कही तटस्थता का अभिनय नहीं है। मजदूरों का पक्ष लेकर सारी बात जोरदार ढंग से कही गयी है।

आगे लिखा है: रिकार्डो के समालोचकों और साम्यवाद के विरोधियों का कहना था कि सम्पत्ति की उत्पत्ति में मजदूरी (अर्थात् श्रम) के अलावा मूलधन (अर्थात् पूँजी) और संगठन-शक्ति तथा प्रबन्ध-शक्ति का भी भाग है। समष्टिवादी और साम्यवादी इसका यह उत्तर देते हैं कि “बहुत ज्यादा मूलधन रखने का किसी को अधिकार नहीं है और यथोचित शिक्षा एवं अवसर प्राप्त होने पर मजदूर स्वयं संगठन और प्रबन्ध कर सकते हैं।” फिर लेखक ने अपनी राय दी है, “खैर, कोई

भी समझदार आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि सम्पत्ति की उत्पत्ति में—अथवा स्पष्टार्थ में कहिये कि कारखानों से जो आर्थिक लाभ होता है उसकी सम्पत्ति में—बहुत बड़ा भाग मजदूरों का है।" कल-कारखानों के स्वामियों ने मजदूरों की सहायता से अरबों रुपये कमाया पर लगभग सारे धन के स्वामी वे स्वयं ही बन बैठे। मजदूरों को जितना कम दे सकते थे, उतना ही दिया। "मजदूरों के स्वास्थ्य से उनको केवल इतना ही प्रयोजन था कि वे जैसे-तैसे उनकी मजदूरी करने योग्य बने रहें।" १८वीं सदी के अन्त में और १९वीं सदी के आरम्भ में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई। औद्योगिक क्रान्ति का अर्थ यह है कि "घर पर हाथ से चीजें तैयार करने की प्रथा के बदले बड़े-बड़े पुतलीघरों में मशीन से चीजें बनाने की प्रथा का प्रचार हुआ।" मजदूर गरीब और अशिक्षित थे। उनका कोई संगठन न था। कारखानों में मजदूरों की दुर्दशा का विवरण लेख में विस्तार से दिया गया है। काम के घण्टे बहुत ज्यादा थे। पुरुषों के अलावा स्त्रियों से भी बुरी तरह काम लिया जाता था। बच्चों को भी मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता था। कोढ़ों में उन्हें मारा भी जाता था। मशीन में कटने-मरने पर मजदूर के परिवार की देखभाल का कोई प्रबन्ध न था। लोग मजदूरी करने को इस कारण बाध्य थे कि पैसे के लिए उनके पास जमीन न थी। पुराने ढंग के छोटे कारखाने स्थापित करना व्यर्थ था क्योंकि सस्ता माल तैयार करने वाली मशीनों के सामने ये टूट न सकते थे। मजदूरों ने कई जगह पुतलीघर नष्ट-भ्रष्ट कर डाले पर इससे पुतलीघरों की स्थापना न सकी। पुतलीघरों ने सस्ता माल तैयार करके छोटे-छोटे कारखानों को धूल में मिला दिया। कुछ गरीब आदमी अमरीका गये किन्तु उद्योगपति वहाँ भी पहुँचे। गुरुप की तरह वहाँ उन्होंने पुतलीघर बनाये और उसी तरह मजदूर रमे। "निर्धनता—सम्पत्तिहीनता—का राज्य यहाँ भी था, वहाँ भी था। वहाँ बहुत ज्यादा था, यहाँ कुछ कम था।" औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि "गरीब आदमी तो और भी गरीब हो गये, उनके अंधकारमय जीवन और दुःखपूर्ण और अंधकारमय हो गये और धनी पुरुष और भी धनी हो गये। उनके विलासी जीवन और भी अधिक विलासी हो गये।"

इस स्थिति के परिणामस्वरूप दो तरह के आन्दोलन हुए। पहला आन्दोलन सहृदय विद्वानों का था जो मजदूरों की दशा सुधारना चाहते थे। दूसरा आन्दोलन स्वयं मजदूरों का था। इंग्लैण्ड के अनेक विचारकों में गौडविन का उल्लेख है। उनकी पुस्तक राजनैतिक न्याय ('पोलीटिकल जस्टिस') का मिद्धान्त यह था कि सम्पत्ति-विभाग की वर्तमान प्रणाली समाज के सब दुखों की जड़ है। १८२५ में ब्रे ने ओजस्वी भाषा में घोषणा की कि मारी सम्पत्ति का आधार मजदूरी है। उन्होंने प्रतिस्पर्धाभूलक पद्धति को निन्दनीय बताया। इसके स्थान पर "समष्टि-मूलक समाज (Communitistic Society) की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें सब लोग प्रेमपूर्वक रहें और अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार सम्पत्ति वा भोग करें।" १८३६ में जान फ्रांसिस ब्रे ने मजदूरों की शिक्षायत्त और मजदूरों के उपाय नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया कि "कारखानों के स्वामी जो ढेर के ढेर पण्य जमा कर लेते हैं, वह एक प्रकार से तूट का मात है—मजदूरों के हक

को लूटकर ही तो यह रूपया जमा किया गया है।”

अपनी दशा सुधारने के लिए मजदूरों ने अपनी समितियाँ बनायीं। उ

वहाँ मजदूरों के प्रतिनिधि न थे, मजदूरों को सम्मति देने का [वोट देने] अधिकार न था। “वहाँ तो धनिकों के ही अधिकार प्रतिनिधि बैठते थे।” १९०५ में पार्लियामेण्ट ने कम्बोनेशन ऐक्ट नाम का कानून बनाया और मजदूर संगठन पर रोक लगायी। “प्रकाश रूप से समितियाँ तोड़ दी गयीं पर स्थान पर वीसों गुप्त समितियाँ बन गयीं। मजदूरों के बहुत से नेताओं को बंदी दण्ड दिये गये, पर उनके स्थान पर अन्य बहुत से नेता प्रकट हो गये। औद्योगिक क्रान्ति के बाद नगरों की जनसंख्या बढ़ी, उद्योग के केन्द्रों नये नगर बने। “नगरों में रहने से मजदूरों की बुद्धि तीव्र हो रही थी, उद्योग मस्तिष्क में नये विचार प्रवेश कर रहे थे, उनके हृदय में नयी तरंगें उठ रही थी।” शिक्षा और क्रान्ति के सम्बन्ध में लेफक का मत है, “कोरी निर्धनता बढ़ी-२ हलचलें नहीं उठती; क्रान्तियाँ (Revolutions) नहीं होती। जब निर्धनता का संयोग शिक्षा और नये विचारों से—नयी उमर्गों और आदर्शों से—हो जाता है, तब बढ़ी-२ हलचलें, बड़े-२ आन्दोलन अनिवार्य होते हैं। यदि इनका संयोग दूसरी ओर से दमन नीति से हो जावे तो क्रान्ति अनिवार्य है।” पार्लियामेण्ट ने अपनी नीति बदली, मजदूरों के संगठन पाबन्दियाँ हटायी, उनकी दशा में कुछ सुधार हुआ। पर मजदूर इससे शान्त हुए। “उन्होंने अनुभव किया कि जब तक हमें राजनैतिक स्वत्व न मिलेगा, तब हमारे दुःख दूर न होंगे। राजनैतिक अधिकार मिलने पर तो हम स्वयं ही अत्याचार शिकायतें दूर कर लेंगे।” इस तरह के विचारों का प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। अब इस बात की आवश्यकता हुई कि इन विचारों के अनुसार एक कार्यवाही स्थिर करके सब लोग आन्दोलन करें और अधिकार प्राप्त करें। “यह महान् आन्दोलन फ्रांस में लूई ब्लोक [ब्लाक] ने, जर्मनी में कार्ल मार्क्स, लेसेल [लासाल] एजेन्स [एङ्गल्स] ने और इंग्लैण्ड में चाटिस्ट आन्दोलन के नेताओं तथा उत्तराधिकारियों ने किया। इन लोगों ने सिद्ध किया कि जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वर्ग विशेष का, जैसे ज़मींदार आदि का, कोई अधिकार नहीं है। सारी ज़मीन राज्य को—पूर्ण जनसत्तात्मक राज्य को (Completely Democratic State को)—अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और लोगों को बहुत सम भागों में जोतने-बोने और भोगने को दे देनी चाहिए। साम्यवादी (Socialists) यह नहीं कहते कि व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति (Private Property land) की प्रथा उठा दी जाये, वह तो कहते हैं कि इने-गिने लोगों के हाथों से लेकर सब लोगों के हाथ में देने से व्यक्ति-सम्पत्ति का आधार अधिक दृढ़ और न्यायसंगत ही जायेगा, वर्तमान प्रथा अधिकांश जनो को, मजदूर इत्यादि भूमि-सम्पत्ति के भोग से वास्तव में वंचित रखती है और एक निकम्मे, आल

जमींदार वर्ग को उनके वास्तव भोग का एकमात्र स्वत्व देतो है। यह अन्याय है, अत्याचार है।"

कुछ साम्यवादी कहते हैं कि जमींदारों की जायदाद जप्य कर लेनी चाहिए। अन्य साम्यवादी कहते हैं कि बदले में कुछ रकमा दे देंगे। सभी साम्यवादी चाहते हैं कि भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति बनाया जाये। इसी तरह वे जहाजों और रेलों को राष्ट्र की सम्पत्ति बनाना चाहते हैं। पुतलीपरो और महाजनी कोठियों के विषय में भी यही नीति है। इन्हें व्यक्तियों, कम्पनियों, वर्गों के हाथ से लेकर राष्ट्र की सम्पत्ति बना लेना चाहिए। साम्यवादी लोग सरकार को पूर्णतः जन-सत्तात्मक बनाना चाहते हैं। पाश्चात्य देशों में एक दल ऐसा भी है जो शासनप्रथा को ही उड़ा देना चाहता है। इस दल को अराजक (अनाकिस्ट) कहते हैं। पहले इस मत का मजदूरों में काफी जोर था, पर अब इस दल के अनुयायी बहुत कम हैं। एक अन्य आन्दोलन है जो केन्द्रीय शासन नहीं चाहता, वह बहुत-सी छोटी-बड़ी समितियाँ (कम्यून) बनाना चाहता है। इनका आधार स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्त हैं। तैसक के अनुसार इस आन्दोलन के पक्षपातियों को समष्टिवादी (कम्युनिस्ट) कहते हैं। विचारसौल पुरुष अराजकता के समान इस भी व्यवहार-विपरीत मानते हैं। यूरुप के अधिकांश मजदूर अब न तो अराजक हैं और न समष्टिवादी हैं किन्तु साम्यवादी हैं। १९वीं सदी के आरम्भ में और मध्यकाल में साम्यवादी कहते थे कि हम बलवा करके राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे और अपने सिद्धान्तों के अनुसार समाज का उद्धार करेंगे। इंग्लैण्ड में और विशेषकर फ्रांस और जर्मनी में इस तरह के प्रयत्न १८४८ में किये गये पर निष्फल हुए। तैसक का विचार है कि क्रान्ति से शासन का रूप बदला जा सकता है किन्तु परम्परागत सामाजिक संस्थाओं में स्थायी परिवर्तन लोकमत में शनैः-शनैः परिवर्तन और आदर्श की ओर धीरे-धीरे बढ़ाने से ही हो सकता है। यहाँ डार्विन का हवाला दिया है कि मारे जन्तु, यहाँ तक कि मनुष्य भी, हजारों वर्ष के क्रमिक विकास से वर्तमान अवस्था तक पहुँचे हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर आदि ने सिद्ध किया कि मनुष्य की वर्तमान सामाजिक संस्थाएँ धीरे-धीरे विकसित हुई हैं। इस चिन्तन का परिणाम यह हुआ कि क्रान्तिवादी साम्यवाद का प्रभाव कम हो गया और विकासवादी साम्यवाद का युग आरम्भ हुआ। इसके बाद ही लिखा है, "मार्क्स ने घोषणा की—समाज का विकास इस दग से स्वयं ही हो रहा है कि अब साम्यवाद का युग आने वाला है। मार्क्स की घोषणा सत्य न निश्चयी तथापि साम्यवाद की ओर धीरे-धीरे संसार अवश्य चलने लगा।" मजदूरों के संगठन मजबूत हुए। फ्रांस आदि अनेक देशों में हड़तालों की नीति बहुत प्रचलित है। मजदूरों में अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग हैं। इनमें एक समाजवादी (सिण्डिकैलिस्ट) दल है। इनके आदर्श-समाज में राष्ट्र की अंशता मनवायों का प्रभाव अधिक होगा।

यद्यपि मार्क्स के चिन्तन के बारे में, मार्क्सवाद और मुसॉविक के सिद्ध के बारे में, लेखक की भ्रांतियाँ हैं, फिर भी उमने रुगी अरान्त का इन्त्येथ म. श. नुनि से किया है और संसार-भर के मजदूरों का संगठन कम्प्रे डे प्रोलेरियेटा पर बल

देते हुए इस सदम में माक्स के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। लिखा है, "यो तो प्रत्येक देश की मजदूर संस्थाएँ स्वतन्त्र हैं, पर स्वभावतः सब ही देशों के समान दुःखभागी और समान आकांक्षापूर्ण मजदूरों में परस्पर घनिष्ठ सहानुभूति है। यदि सब देशों के मजदूर मिलकर आन्दोलन करें तो उनका मफलता अधिक शीघ्रता और अधिक सुगमतापूर्वक होगी। इसी से कोई १८६० से मजदूर-आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय रहा है। १८४७ में ही माक्स ने घोषणा की थी—'सब देशों के मजदूरों, एक हो जाओ।' १८६२ में मजदूरों की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (The International Workingmen's Association) की स्थापना हुई। १८६४ में माक्स ने इसकी नियमावली बना दी। १८७३ तक बराबर भिन्न देशों में समिति के अधिवेशन हुए। पर आन्तरिक फूट के कारण १८७३ से १८९१ तक कोई अधिवेशन न हो सका। १८९१ से १९१४ के युद्ध के समय तक बराबर अधिवेशन होते रहे।"

इसके बाद यूरुप में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। "१९१७ में रूस में मजदूरों, सिपाहियों और किसानों ने राज्य-क्रान्ति की। १९१८ में आस्ट्रिया-हंगरी और जर्मनी के बहुत से स्थानों में मजदूरों और किसानों ने अपनी सत्ता सी स्थापित की।" इन देशों के साम्यवादी आन्दोलन के क्या परिणाम होंगे, यह कोई नहीं कह सकता। "इस अत्यन्त रोचक विषय पर विचार करने के लिए इस लेख में स्थान नहीं है।" इसी तरह 'एक और अत्यन्त रोचक' विषय है; वह यह कि इन यूरोपियन और अमेरिकन आन्दोलनों का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। "क्या यहाँ भी मजदूरों के अथवा किसानों के आन्दोलन उत्पन्न होंगे? यदि उत्पन्न होंगे तो वह क्या रूप धारण करेंगे? उनका आदर्श क्या होगा? जमींदार, पुतलीघरों के स्वामी, बडे-२ व्यापारी, सरकार, शिक्षित भारत और अन्य लोग उन आन्दोलनों को कैसे भावी से देखेंगे? यह विषय अत्यन्त रोचक है। इस लेख में इन पर कुछ कहने के लिए स्थान नहीं है। पाठक स्वयं विचार कर लें।"

लेखक के लिए दो विषय अत्यन्त रोचक हैं, पहला यूरुप का क्रान्तिकारी आन्दोलन जिसमें रूस की राज्यक्रान्ति भी शामिल है, दूसरा भारत में मजदूरों और किसानों के आन्दोलन की सम्भावना। लिखने के डग से स्पष्ट है कि वह भारत में भी किसानों और मजदूरों के आन्दोलन के पक्ष में है और उसने यह भी संकेत कर दिया है कि जमींदार और पुतलीघरों के स्वामी ऐसे आन्दोलन के पक्ष में न होंगे। 'मर्यादा' में अन्य लेख भी प्रकाशित हुए जिनमें इस तरह के आन्दोलनों की आवश्यकता अधिक स्पष्ट रूप में बतायी गयी। इस लेख का महत्व यह है कि इसमें इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति, वहाँ के और यूरुप के मजदूर-आन्दोलनों, तथा विभिन्न समाजवादी विचारधाराओं का परिचय दिया गया है और सारी दुनिया के मजदूरों की एकता पर बल देने के साथ, रूसी-क्रान्ति का उल्लेख करने के बाद, भारतवासियों के सामने सीधा प्रश्न उपस्थित किया गया है कि यहाँ भी मजदूर और किसान सगठित होंगे या नहीं। देश में उस समय तक नरम-दली और गरम-दली जो भी राजनीति थी, उससे इस लेख का विचार-क्षितिज अधिक विस्तृत है।

'मर्यादा' के इसी अंक में एक लम्बी शीर्षकहीन टिप्पणी छपी है जिसका सम्बन्ध आधुनिक साम्राज्यवाद से है। लेखक ने इस युग को 'साम्राज्य-संगठन (इम्पिरियलिज्म)' का युग कहा है। बताया है कि वर्तमान यूरुप की स्थिति को समझने के लिए और यूरुप के भविष्य का अन्दाजा लगाने के लिए पिछले ३० वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालना आवश्यक है। "कारण यह है कि इन वर्षों में उन सब राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियों का विकास हुआ है जिनकी प्रेरणा से यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ और जिनका प्रभाव बहुत दिनों तक यूरुप तथा सत्सार पर रहने की सम्भावना है।" लेखक के अनुसार यूरुप के इस युग का आरम्भ १८८५ से होता है। इस वर्ष यूरुप के राष्ट्रों में साम्राज्य-स्थापना की उत्कट आकांक्षा उत्पन्न हुई। उत्तरी और दक्षिणी अमरीका "सुटेरो के हाथों के बाहर था।" 'सुटेरो' शब्द साम्राज्य स्थापित करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अमरीका उनके हाथों के बाहर इसलिए था कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति मनरो ने इसकी रक्षा का विज्ञापन बहुत पहले कर दिया था। यूरुप में किसी राष्ट्र का दूसरे के प्रान्तों पर कब्जा करना कठिन था। बल-साम्य (बैलेन्स आफ पावर) के घट-बढ़ जाने का भय सबको था। "आस्ट्रेलिया इंग्लैण्ड के अधीन हो ही चुका था, इस कारण पृथ्वी पर केवल एशिया और अफरीका के दो महाद्वीप और प्रशान्त महासागर ही बाँटवारे के लिए बाकी थे। इन्हीं के बाँट लेने के लिए ऐजातानी आरम्भ हुई।" मर्वो पहले अफरीका का विभाजन हुआ। वहाँ हब्शी जातियाँ रहती हैं और "वे यूरोपीय सभ्य जातियों के मुकाबले में अपनी रक्षा में असमर्थ हैं।" अंग्रेजों ने भिन्न पर अधिकार किया। फ्रांस ने मोरक्को, ट्यूनीशिया, पश्चिमोत्तरी अफरीका और मडागास्कर पर अधिकार किया। जर्मनी ने अफरीका के पूर्वी और पश्चिमी भाग और कैमरून पर, इटली ने पूर्वोत्तरी भाग पर और बेल्जियम ने कांगो पर अधिकार जमाया और "समस्त महाद्वीप यूरोपीय राष्ट्रों में बाँट गया। जो भाग बचे, उन पर इटली और रूस की आँख लगी रही। रूस को कुछ सफलता न प्राप्त हुई किन्तु इटली ने ट्रिपली को तुर्कों से छीन लिया।"

महाद्वीपों के इस विभाजन में अंग्रेजों की स्थिति यह थी : "एशिया में अंग्रेज हिन्दुस्तान के मालिक थे। इस घबराहट में कि कहीं रूस अथवा फ्रांस निकट के देशों पर अधिकारी न हो जायें, उन्होंने अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, अरब के तट और फ़ारस की खाड़ी को पश्चिम दिशा में और बर्मा को पूर्व में अपने अधीन किया।" उधर रूस की स्थिति यह थी कि वह "मध्य एशिया में बढ़ते-बढ़ते अफगानिस्तान की सरहद पर और पूर्व की ओर चीन और कोरिया तक आ पहुँचा।" फ्रांस ने अनाम और टोन्किन पर अधिकार किया। एशिया में बच रहे चीन, ईरान और तुर्की। "इन तीनों को बाँटने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में पिछले तीस वर्षों में बड़े प्रयत्न हो रहे हैं और महायुद्ध के अन्य कारणों में इन देशों के विभाग का झगड़ा भी एक महत्त्वशाली कारण है।" यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख है कि दुनिया का बाँटवारा करने के लिए महायुद्ध छेड़ा गया था।

लेख के अन्त में रौलट बिलों का उल्लेख करने के बाद भारत को लक्ष्य करके सम्पादक ने लिखा है, "भारतवासियों को कमर कसकर आन्दोलन के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, शहर-शहर में ग्राम-ग्राम में सभायें होनी चाहिए, मानवी स्वत्वों की पुकार झोंपड़ों से उठनी चाहिए। किसान सभाओं, तहसील सभाओं, होमरूल लीगों, कांग्रेस कमेटियों का यह काम है, और उन्होंने यदि अपना काम किया तो नेता लड़ते भी रहें तो हमारी जय होगी, विजय होगी और हमारे सामने संसार शिर झुकायेगा।"

अगस्त, १९१६ की 'मर्यादा' में बुखारिन के एक लेख का अनुवाद छपा है 'कम्यूनिज्म (समसत्त्वता) की स्थापना कैसे हो?' में नहीं कह सकता कि इससे पहले किसी रूसी मार्क्सवादी का लेख हिन्दी में छपा है या नहीं। जहाँ तक ज्ञात है, यह इन तरह का पहला लेख है जो हिन्दी में प्रकाशित हुआ है। बुखारिन रूसी क्रान्ति के प्रमुख नेता और लेनिन के सहयोगी थे। आगे चलकर उन्होंने गलत राजनीति अपनायी और उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया, इससे १९१७ में उनकी भूमिका का महत्व कम नहीं हो जाता। रूसी क्रान्ति को अभी दो वर्ष पूरे न हुए थे और उसके एक नेता का लेख हिन्दी में छपा, यह घटना असाधारण महत्व की है। इससे विदित होता है कि 'मर्यादा' के सम्पादक और लेखक रूसी क्रान्ति और समाजवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक थे। बुखारिन के लेख की मान्यताओं की आवृत्ति यहाँ अनावश्यक है। इतना कहना पर्याप्त है कि इनमें थमिक जनता को राज्य-सत्ता पर अधिकार करना चाहिए, उस पर बल है। इसके साथ ही क्रान्ति में बल-प्रयोग होता है, इसका यहाँ स्पष्ट प्रतिपादन है। अराजकवादियों, मेनशेविकों आदि से बोल्शेविक किस बात में भिन्न थे, इसके बारे में भी जानकारी दी गयी है।

अगस्त, १९१६ की 'मर्यादा' में 'बोल्शेविज्म का प्रचार' शीर्षक टिप्पणी छपी है। अब तक भारत में रूस-सम्बन्धी काफी सामग्री मिलने लगी थी। रूस में गृह-युद्ध छिड़ा हुआ था। हिन्दी लेखक भारत के अन्य प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के समान इस बात की ओर ध्यान दे रहे थे कि रूस को नये समाज के निर्माण के लिए अवसर मिलता है या नहीं। भारत में बोल्शेविक और बोल्शेविज्म शब्द काफी लोकप्रिय हो गये थे। लेखक ने बताया है कि बोल्शेविज्म का प्रचार बराबर बढ़ रहा है और रूप में इसकी जड़ भलीभाँति जम चुकी है। वहाँ का शासन और देश-प्रबन्ध बोल्शेविकों के हाथ में है। जनरल कोलचक और देनीकिन लगभग परास्त हो चुके हैं। ये लोग बोल्शेविकों से लड़ रहे थे और अंग्रेज उनकी मदद कर रहे थे। अंग्रेजों ने वहाँ से अपनी फौजें वापस बुलाने का निश्चय कर लिया है। यूरप के अन्य देशों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हंगरी में लेनिन के शिष्य बेला कुन ने बोल्शेविक शासन स्थापित कर लिया है। समाचार मिला है कि हंगरी से बोल्शेविक फौजें आस्ट्रिया भेजी गयी हैं और ये वहाँ पर बोल्शेविक शासन स्थापित करेंगी। रूमानिया आदि में बोल्शेविक शासन कायम हो रहा है, बालकन रियासतों में बोल्शेविज्म फैल रहा है। इटली में किसानों और मजदूरों को सर्व-प्रधान बनाने का आन्दोलन आरम्भ हो गया है। बोल्शेविज्म के विश्वव्यापी

प्रभाव और प्रसार के बारे में लिखा है, "संसार के प्रायः सभी देशों में बोल्शेविज्म के प्रेमियों और सहायकों की संख्या बढ़ती जाती है। और वे वर्तमान सरकारों को उलट बोल्शेविक शासन प्रचलित करना चाहते हैं। इस काम में सबसे आगे जर्मनी है। आश्चर्य नहीं जो कुछ ही मास में वहाँ बोल्शेविक शासन स्थापित हो जाये। फ्रांस और इंग्लैण्ड में भी इसी उद्देश्य से बड़ी-बड़ी हड़तानों की जा रही हैं। अमरीका, जापान आदि में भी यही हवा पहुँच गयी है।"

विभिन्न देशों में नये राजनीतिक आन्दोलनों का विहंगावलोकन करने के बाद लेखक ने बोल्शेविज्म की सफलता को सम्भव माना है और यह विश्वास प्रकट किया है कि "अब सर्वसाधारण अन्याय, अत्याचार, असमानता, पराधीनता, स्वार्थपूर्ण युद्धों, राजनीतिक कूट चालों आदि बातों में बहुत ऊब गये हैं, और उनकी इच्छा है कि उनके स्थान में अब संसार में न्याय, समानता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता आदि का प्रचार हो।" स्थायी शान्ति और स्वाधीनता के साथ सामाजिक न्याय की भाँस, जनशक्ति में विश्वास, उसकी विजय की सम्भावना की स्वीकृति, ये बातें इस टिप्पणी की विशेषता हैं।

सितम्बर, १९१६ की 'मर्यादा' में बोल्शेविज्म पर फिर एक टिप्पणी है। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी संसार बोल्शेविकों और उनके विरोधियों में बँट गया है। बोल्शेविक समाजवादी क्रान्तिकारी (रिवोल्यूशनरी सोशल डेमोक्रेट) हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्र की सम्पत्ति पर जनता का अधिकार हो। राज्यसत्ता के बारे में उनका विचार यह है: "सरकार का संगठन किसानों और मजदूरों द्वारा किया जाना चाहिए, और शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्ता सामान्य लोगों के हाथ में होनी चाहिए।" पुराने ढंग के समाजवादी यह नहीं चाहते, वे धनी लोगों और बादशाहों की मदद करते थे। बोल्शेविक लोग धनीवर्गों द्वारा छेड़े हुए युद्ध का विरोध करते हैं। इस कारण "कानून, शान्ति, सम्पत्ति, प्रचलित नीति और धर्म की शक्तियाँ उसका [बोल्शेविज्म का] विरोध कर रही हैं। इस समय मनुष्य जाति प्रसव-वस्था में है। एक बड़ा विचार उत्पन्न हुआ है और माँ को उसके फलस्वरूप अवश्य कष्ट उठाना पड़ेगा।" लेखक का कहना है कि किसी भी विचार को जड़ जमाने में समय लगता है। बोल्शेविज्म की जड़ जम चुकी है। उसके मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उनसे निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी उसका प्रसार केवल रूस में हुआ है, इसलिए उसकी रक्षा का भार भी रूस पर है। उसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि संसार सबके लिए है, जो उसके मालिक बने हुए हैं, उनके लिए नहीं है। थोड़े से आदमी अधिकांश जन-समुदाय पर शासन करें, यह अस्वाभाविक है। बोल्शेविज्म रंग, धर्म, जाति आदि के भेद नहीं मानता। उसके शत्रु "बड़ी-बड़ी जायदादों के मालिक, शक्तिशाली व्यक्ति, भिन्न-भिन्न धर्मों के प्रचारक, निरंकुश शासक, सेठ-साहूकार और बेतनभोगी पादरी लोग हैं; कहते हैं कि बोल्शेविज्म एक प्रकार का राक्षस है।" यदि गरीब आदमी बोल्शेविज्म का विरोध करते हैं तो या तो वे अज्ञानी हैं या अपने शासकों को खुश करना चाहते हैं या वे पैसा लेकर ऐसा काम करते हैं। सभी देशों में इस सिद्धान्त का प्रचार हो रहा है कि शासनशक्ति सर्वसाधारण के हाथ में रहनी चाहिए। यही बोल्शेविज्म का मूल

सिद्धान्त है। लेखक को विश्वास है कि "इसकी उत्पत्ति संसार में कायम रहने, जीवित रहने, फलने-फूलने और दीर्घकाल तक शासन करने के लिए हुई है।"

एशिया और अफ्रीका की पराधीन जनता से लेखक ने विशेष प्रकार से प्रार्थना की है कि वे बोल्शेविक-विरोधी प्रचार से सावधान रहें। टिप्पणी समाप्त करते हुए उसने लिखा है, "अन्त में अधिकाररहित, उत्तराधिकारशून्य, दीनहीन एशिया और अफ्रीका वालों से एक बात कहनी है। वह यह कि बोल्शेविज्म के अभ्युदय, उन्नति से उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती चाहे वे इसके अनुसार चल सकने में असमर्थ हो, चाहे अपनी राजनैतिक स्थिति के कारण वे इससे लाभ उठा सकने के आयोग्य हों, पर उन लोगों के बहकाने में आकर— जिन्होंने उनके समस्त मानवीय अधिकार छीन लिये हैं और जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए उनके अज्ञान और निर्वलता की वृद्धि करते रहे हैं—इसका विरोध करना कदापि समीचीन नहीं।" रोचक तथ्य यह है कि बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में सोवियत संघ के सन्दर्भ में मानवीय अधिकारों की चर्चा बहुत हुई है। यह चर्चा उतनी ही पुरानी है जितनी रूस की समाजवादी क्रान्ति। एशिया और अफ्रीका के लोग यह बात याद रखने कि उनके मानवीय अधिकार छीनने का काम यूरोप और इंग्लैण्ड के साम्राज्यवादियों ने किया था।

उसी अंक में रूसी किसानों पर रमाशकर अवस्थी की टिप्पणी है। रूस में सारी भूमि सरकार की है, इसके साथ ही खेतों पर किसानों का निजी अधिकार भी है। इन दोनों बातों का उल्लेख साथ-साथ इस प्रकार किया गया है, "रूस के किसानों को अब अपनी शक्ति भर जोत या बो सकने योग्य भूमि रख सकने की पूरी स्वाधीनता है। सारे देश की भूमि पर राष्ट्रीय सरकार का कब्जा है।" रूसी किसानों में जो नया जागरण हुआ है, उसका परिणाम यह है कि "रूसी किसान ससार की नयी रचना में अपनी शक्तियाँ खर्च कर रहा है।"

उक्त लेख में बताया गया है कि साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने वाले नेता का नाम लेनिन है। वह केवल मजदूरों के नेता नहीं, समस्त रूसी जनता के नेता हैं। लिखा है: "मोशिये लेनिन यद्यपि मजदूर दल का नेता था पर उसका प्रभाव समस्त रूसी जनता पर समान भाव से व्याप्त है। ससार के इतिहास में उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जायेगा। 'साम्यवाद' को उसने अत्यन्त व्यापक तथा व्यावहारिक रूप दिया। और यह व्यापक रूप इस समय सारे संसार में 'बोल्शेविज्म' के नाम से विख्यात है।" लेनिन के जीवन-काल में उनके बारे में इस तरह के उल्लेख यह सिद्ध करते हैं कि अंग्रेजों का सोवियत-विरोधी प्रचार लगभग व्यर्थ हो रहा था।

मिगम्बर, १९१६ की 'मर्यादा' में 'मजदूर ससार' शीर्षक लेख 'प्रताप' से उद्धृत किया गया है। अमरीका के वाशिंगटन नगर में श्रमजीवियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होनेवाला था। उसका उल्लेख करते हुए भारत के मजदूरों की दशा का वर्णन किया गया है। मजदूरों को बहुत ज्यादा समय काम करना पड़ता है, मजदूरी कम मिलती है। मजदूर गन्दे और तंग स्थानों में रहते हैं, बाल-बच्चों का पालन नहीं कर पाते, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, "पिम-पिसकर किसी प्रकार पेट पालते

है, और अन्त में अधिक परिश्रम से जर्जरित होकर विथाम और कमी से जल्दी कमजोर हो जाते, और वक्त के पहले ही मर जाते और सरकार की नीति यह है, "धनी कहते हैं कि मजदूरों के साथ हो तो काम न हो। सरकार उनकी हां में हां मिलाती है।" इस पद्यंग्य करते हुए लिखा, "हम भी कहते हैं कि हमारे मजदूर पशु हैं, वने हुए आते हैं, कारखानों में पिस-पिसकर वे पशु हो जाते हैं और की स्वार्थपरता और सरकार की लापरवाही से उन्हें मनुष्य बनने प्राप्त नहीं होता।" अन्त में 'प्रताप' ने लिखा कि भारतीय पूंजीपति कम करने का सवाल उठने पर चिन्तित हो जाते हैं किन्तु संसार जिस समय अपनी दशा सुधारने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, "उस समय वर्ष के मजदूरों के साथ इस प्रकार का असम्य व्यवहार बहुत दिनों तक रह सकता।"

इसी अंक में 'मर्यादा' ने अपनी ओर से टिप्पणी लिखी 'धनी और मभीपण संघर्षण'। इसमें धनी वर्ग और मजदूरों के विश्वव्यापी संघर्ष का किया गया है। सम्पादक के अनुसार "इस समय संसार के सामने एक बड़ा प्रश्न यह उपस्थित है कि सब तरहके कामों में प्रधानता धनियों की रहे या की, अथवा वर्तमान समय का धनी-निर्धन का भेद रहने दिया जाये या मजदूर, निर्धन लोग चाहते हैं कि, संसार में से धनी-निर्धन का भेद लोप हो सब लोग एक समान हो जाये, और सब प्रकार के अधिकार साधारण, मश्रेणीवालों के पास रहे।" धनी लोग चाहते हैं कि संसार की वर्तमान दशा ही बनी रहे, जैसे अभी सारी शक्ति उनके हाथ में है, वैसे ही बनी रहे। कु समय पूर्व तक मजदूर लोग कुछ कर सकने में असमर्थ थे, "पर रूस में बोलशेविक ने उत्पन्न होकर यह अवस्था एक प्रकार से बिल्कुल बदल दी।" अब वहाँ सेट साहूकारों से अधिकार छीनकर किसानों और मजदूरों को दिया गया। बड़े-बड़े कारखाने, कम्पनियाँ, बैंक राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिये गये। "यह सब देख अन्य देशों के श्रमजीवियों की आँखें भी खुली और वे भी अपने यहाँ इस प्रकार के सुधार करके खुली रहने का विचार करने लगे। देखते-देखते यह आन्दोलन समस्त यूरोप में फैल गया, और वर्तमान लक्षणों से जान पड़ता है कि कुछ समय में यह सारे संसार में फैल जायेगा।" यह दशा देखकर धनी वर्ग को चिन्ता हुई। शासन-शक्ति मजदूरों के हाथ में न जाये, इसके लिए उसने मजदूरों का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध का एक रूप यह है, "मित्र शक्तियों और उनके साथी रोमानिया ने हंगरी की बोलशेविक सरकार उलट दी।" ब्रिटिश सरकार का बोलशेविकों से विरोध है। ब्रिटिश सेना ने जल युद्ध किया। अफवाह है कि बोलशेविक सरकार परास्त कर दी गयी। पर दूसरा समाचार यह है कि बोलशेविक अभी सूय लड़ रहे हैं। इसलिए "रूस सम्बन्धी समाचार पूर्णरूप से सत्य नहीं हैं।" इंग्लैंड की सरकार ऊपर से कहती है कि रूस में हस्तक्षेप न करेगी, फिर भी वह बोलशेविकों ने युद्ध करती जा रही है। वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि धनियों के हाथ से मजदूर अधिकार न ले पायेंगे, "पर सूक्ष्म दृष्टि ने

हिन्दी प्रदेश में समाचार

देखने पर जान पड़ता है कि यह दशा सामयिक है। चाहे अभी कुछ समय तक धनी लोग ही प्रधान बने रहे, चाहे वे मजदूरों को, गवंसाधारण को दबा दें, पर अन्त में न्याय, सत्य ही की विजय होगी।”

‘मर्यादा’ के इसी अंक में ‘स्वदेश’ पत्र से एक टिप्पणी उद्धृत की गयी है। इसमें मार्क्स के ग्रन्थ ‘पूजी’ का परिचय देते हुए कहा गया है, “इतिहास के अध्ययन में कार्ल मार्क्स को यह दिसलाया है कि संसार में लुटेरों और लूटे जानेवालों का

पर साधारण लोग सबसे उच्च स्थान पर हैं और अमीर गुलाम बना दिये गये हैं।”

अप्रैल, १९१९ की ‘सरस्वती’ में ‘रूस का राष्ट्र विप्लव’ नाम में श्यामाचरण राय का लेख प्रकाशित हुआ। श्यामाचरण राय इतिहास और राजनीति के विद्वान्, वृन्दावनलाल वर्मा के निकट सम्बन्धी थे; संभव है झाँसी में द्विवेदीजी से कभी मिले हों। उनसे ऐसा लेख लिखा कर छापना द्विवेदीजी के सम्पादन-कौशल का नमूना है। इसमें सोवियतों का परिचय दिया गया है। मजदूरों और किसानों की सभाएँ सोवियत हैं। सैनिकों की सोवियतें भी हैं। इन सोवियत सभाओं ने सारा राज्य-कार्य अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, परन्तु “दूसरों की मेहनत पर लाभ उठानेवाले, ब्याज पर निर्वाह करनेवाले और राजघरानों के मनुष्य इस मत देने के अधिकार से वंचित किये गये हैं।” बोल्शेविकों का परिचय देते हुए लिखा है, “उनका कहना है कि सम्पत्ति किसी एक मनुष्य की नहीं है, किन्तु समाज की है। किसी भी मनुष्य को उसके उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य केवल इतना ही पाने का अधिकारी है जितना कि वह समाजोन्नति के लिए कार्य करता है। यदि कोई मनुष्य समाज के लिए कोई काम नहीं करता तो उसे सम्पत्ति का उपभोग करने का भी अधिकार नहीं है।” युद्ध और शान्ति के बारे में बोल्शेविक नीति का परिचय देते हुए लिखा है, “बोल्शेविक लोग शान्ति करके रूस की आन्तरिक दशा सुधारना चाहते हैं। इससे उन्होंने सब लड़नेवाले देशों को सन्धि कर लेने और पराजित राष्ट्रों से हर्जा न लेने और उनका देश वापस कर देने की सलाह की। प्रत्येक देश से जनता को स्वभाष्यनिर्णय का अधिकार देने की प्रार्थना की।” रूस की तत्कालीन कठिनाइयों और भविष्य में उसके विकास के बारे में लिखा है, “देश की आर्थिक दशा अभी नहीं सुधरी है, राज्य-प्रबन्ध सुधरने से आर्थिक दशा भी अवश्य सुधर जायेगी। इस नयी शासन प्रथा में रूस में स्वतन्त्रता का राज्य है। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाष्यनिर्णय का अधिकार है। आर्थिक दशा सुधर जाने पर विस्तीर्ण भूमि, बड़ी जनसंख्या और स्वाभाविक वैचित्र्यवाला रूस देश पृथ्वी के देशों में यदि सबसे अधिक बलवान और वैभवशाली हो जाये तो आश्चर्य नहीं।” उस समय जो लोग समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, रूस की समाजवादी क्रान्ति से जिन्हे गहरी सहानुभूति थी, वे भी रूस के भविष्य के बारे में इतने आश्चस्त न थे। १९१९ में श्यामाचरण राय ने जो भविष्यवाणी की थी, वह जनशक्ति में उनकी दृढ़ आस्था

दिसम्बर, १९१९ की 'मर्यादा' में रमाशंकर अवस्थी का लेख 'रूसी मजदूर आगामी आदर्श' प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया है कि रूसी क्रान्ति के तीन मुस्तम्भ थे : किसान, मजदूर और सैनिक। रूसी मजदूरों ने केवल अपनी तनख्त बढ़वाने के लिए क्रान्ति में भाग नहीं लिया। उनका लक्ष्य राजनीतिक था। इस प्रकार संसार के इतिहास में यह पहली घटना है जब मजदूरों ने "केवल राजनीतिक स्वत्व के लिए इस विकट क्रान्ति में भाग लिया।" अन्य देशों के मजदूर बेतन और घण्टों के ऊपर सिर खपाते रहे किन्तु रूसी मजदूरों ने "सच्ची स्वाधीनता, लोकसत्ता और व्यावहारिक साम्यवाद की उपासना की है।" रूसी मजदूर सदा से ऐसे नहीं रहे। उन्होंने पहले बेतन और घण्टों के लिए हड़ताले की। उन्हें दबाया गया किन्तु वे बराबर बढ़ते गये। वर्तमान संसार की स्थिति यह है कि संसार में दो दल बन गये हैं, एक तो पूँजीवाले और दूसरे मजदूर। "पूँजीवाले या कोठीवाले अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों से खूब कसकर काम कराना चाहते हैं। उधर मजदूर लोग मिलों के असीम मुनाफे से गुलछर उड़ानेवाले, मोटरों और गाड़ियों पर निश्चिन्त रूप से मीजें मारनेवाले धनिकों की कठोरता से अपनी मुक्ति चाह रहे हैं। इसी मुक्ति का नाम लोकसत्ता, फ़ैक्ट्री शासन, साम्यवाद, राष्ट्रीयकरण अथवा एक अंश में बोलशेविज्म है।" रूस में सैनिकों को यह अधिकार मिला कि वे पलटनों में स्वयं शासक-कमेटियाँ बना लें, किसानों में भूमि बाँट दी गयी, मिलों पर राष्ट्रीय सरकार का कब्जा हो गया। १९१८ के पहले साम्यवाद एक काल्पनिक सिद्धान्त था किन्तु लेनिन ने "साम्यवाद को बोलशेविज्म के रूप में व्यावहारिक क्रिया में परिणित कर दिया।" रूसी मजदूर अब निरंकुश और अत्याचारी मालिकों के लिए काम नहीं करते। सब लोग अपनी सरकार के आप नौकर हैं। "गाड़ी चल निकली है। गति में यथेष्ट सफलता दीख पड़ती है। जो लोग इस गति की खोज में थे, वे आगे बढ़ रहे हैं। अब दो-चार धुरंधर कूटनीतिज्ञों की शक्तियाँ इस गति को नहीं रोक सकती। रूसी मजदूरों ने संसार के सामने जीता-जागता आदर्श रख दिया है और भविष्य बड़ी विकट हँसी हँसता हुआ यूरोप की तरफ देख रहा है।"

(ख) 'विक्रम' और 'प्रताप'

२१ जनवरी, १९१८ के 'प्रताप' में 'गरीबों का कष्ट' शीर्षक लेख छपा। युद्ध के कारण दैनिक व्यवहार की चीजें महँगी होती जा रही हैं। महँगी सभी चीजें हुई हैं, पर अन्न, नमक, तेल और कपडा ऐसी चीजें हैं जिनके बिना किसी का गुजारा नहीं होता। बगाल में कुछ लोगों ने लूटमार शुरू कर दी। विद्यार्थीजी इन्हें लुटेरों से अलग करते हुए कहते हैं, "जिनके पेट क्षुधा से जल रहे हों, और जिनके शरीर नंगे होंगे, उनकी छीना-झपटी कर बैठने पर युद्ध मुझ से दिन बिनाते हुए ईमानदारी का उपदेश देना एक ऐसी जबर्दस्त ठगी और बदमाशी है जिमको कभी माफ नहीं किया जा सकता।" (श्रेष्ठ निबन्ध, पृष्ठ ७०)। जिन चीजों को ढोने के लिए वाहन नहीं मिलते, उनका महँगा होना समझ में आता है, पर घरों के किराये भी बढ़ाये जा रहे हैं? गरीब आदमी को मुसीबत बढ़ती जाती है। युद्ध के बाद भी

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार / २६६

इस कष्ट का अन्त न होगा। "यूरोप के देश गला काटने के मामान बनाने में भिड़े हुए हैं, शरीर के पोषण के सामान बनाने की ओर ये ध्यान ही नहीं दे सकते। युद्ध के पश्चात् ही कुछ समय तक जब तक कि वे अपने घर को ठीक-ठीक सम्हाल न लेंगे तब तक बाहर ही के अन्न और अन्य सामग्रियों पर अपने दिन गुजारेंगे। इधर जब तक युद्ध है, तब तक भारत में अधिकांश लोग युद्ध के सामान के बनाने और जुटाने में ही लगे रहेंगे और रेल और जहाज भी इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। और युद्ध के पश्चात् भी, उस समय तक, जब तक सेनायों और उनके लघु-भगुए अपने-अपने स्थान पर नहीं पहुँचा दिये जाते, तब तक रेल और जहाज देश में सामग्रियों को उचित रूप से पहुँचाने में सहायक नहीं हो सकेंगे।" (उप., पृष्ठ ७१)।

अंग्रेज शान्ति और जनतन्त्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों पर इस प्रचार का कोई असर न हो रहा था। वे अपने लेखों में बता रहे थे कि युद्ध के कारण निर्धन आदमियों का कष्ट बढ़ता जा रहा है। युद्ध का प्रभाव गरीबों पर ही सबसे ज्यादा पड़ता है, यूरोप के देश जो कष्ट उठा रहे हैं, उसकी तुलना में पराधीन देशों का कष्ट बहुत अधिक है। लिखा है, "यूरोपवाले कष्ट उठा रहे हैं परन्तु उनका कष्ट हमारे कष्ट के समान नहीं है। वे जानते थे कि यह कष्ट होगा। हम नहीं जानते थे कि हमारे सिर पर भी यह आफत आयेगी। वे अमीर हैं, बहुत कुछ सह सकते हैं। हम अत्यन्त गरीब हैं, तनिक-से-तनिक आर्थिक कष्ट से हमारे प्राणों पर आ वनती है।" (उप., पृष्ठ ७२)। युद्ध की यह आलोचना वास्तव में साम्राज्यवादी व्यवस्था की आलोचना है। भारतीय जनता की स्वाधीन होने की आकांक्षा उसकी शान्ति कामना से जुड़ी हुई थी।

इसी वर्ष 'विक्रम' में 'कर्मक्षेत्र' नाम से उनका लेख प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने सप्ताह में नयी चेतना की लहर का वर्णन किया है। "पुरानी जड़ें उखड़ गयीं, नयी नीबों को पानी मिला। महल ढह गये। झोपड़ियों पर कंगूरे लगे। सिरों पर चलनेवाले पैरों को पृथ्वी का परिचय प्राप्त करना पड़ा और धूल झाड़ने-वाली शिखाओं ने स्वाधीन वायु का अभिवादन किया। पराधीनो को स्वाधीनता का सन्देश मिला और निरकुशों को समय का। पददलित ऊपर उठे। स्वतन्त्र वायुमण्डल में वे भी श्वास ले सके। (उप., पृष्ठ ७६)। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन किस प्रकार विश्वव्यापी क्रान्ति की लहर से जुड़ा हुआ था, इसका बहुत अच्छा निदर्शन इन वाक्यों में है। राजनीतिक स्वाधीनता के अतिरिक्त यहाँ महलों के ढहने और झोपड़ियों पर कंगूरे लगने की बात कही गयी है। इससे सकेत मिलता है कि भारतीय लेखक स्वाधीनता के साथ सामाजिक न्याय की माँग भी कर रहे थे। विद्यार्थीजी ने लिखा था कि जनता चाहती है, व्यापारिक लूट बन्द हो, कोई किसी को पराधीन न बनाये, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर अत्याचार न करे। विशेष रूप से किसानों को लक्ष्य करके कहते हैं, "करोड़ों आदमियों का मनुष्यत्व थोड़े से आदमियों की विलासिता की वेदी पर बलि हो रहा है। शताब्दियों तक दीन-हीन किसान विलासिता के इस मच के सामने वेददीं से कुर्बान होता रहा। अब सप्ताह के अनेक अंचलों में किसान, और सभी अंचलों में मजदूर, इस क्रूर सिंहासन

जबर्दस्ती और लूटमार, यही बोल्शेविकों के अस्त्र हैं।

बोल्शेविकों का संमर्धन करनेवाला पक्ष दूसरी बातें कहता है। "विलायत के मजदूर पक्ष के पत्र बहुधा उस पक्ष की बातें प्रकाशित करते रहते हैं। बोल्शेविकों को धनवानों और ज़मींदारों के विरोधी होने से इंकार नहीं। वे कहते हैं कि समाज को इनकी आवश्यकता भी नहीं। जो लोग हाथ या दिमाग से मेहनत करके देश का उत्पादन नहीं बढ़ाते, उन्हें देश के शासन और सगठन के काम में कोई भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। संसार की वर्तमान शासन प्रणाली को वे अत्यन्त दूषित कहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अपने परिश्रम से देश को पालते-पोसते हैं, उनके पूरे विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश के प्रबन्ध में उनका पूरा हक हो और यह तभी हो सकता है जब कि सोवियत शासन-प्रणाली से काम लिया जाये, अर्थात् जबकि मजदूरों, किसानों आदि श्रमजीवी आदमियों की पंचायतें ही अपने-अपने स्थान का सब प्रकार का प्रबन्ध आप कर लें और देशभर का प्रबन्ध-सम्बन्धी काम इन पंचायतों के प्रतिनिधियों की सभा करे। वे कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के समान हक है, स्त्रियाँ वाँटी नहीं जातीं, विरोधियों ने इस प्रकार की बातें फैलायी है। वे कहते हैं, रूस में अशान्ति नहीं, अत्याचार नहीं, रक्तपात नहीं, ज़ार के समय की अपेक्षा इस समय कहीं अच्छा प्रबन्ध है, दरिद्रता और अकाल है, परन्तु वह बोल्शेविज्म के कारण नहीं, वह इस कारण है कि मित्र राष्ट्र रूस को घेरे पड़े हैं, उसे सामान नहीं मिलने देते; उसे भूखों मारना चाहते हैं।" (उप.)।

दोनों पक्षों की बातें प्रस्तुत करने के बाद विद्यार्थीजी कहते हैं कि उन जैसे लोग घटनास्थल में बहुत दूर हैं, इसलिए निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि किस पक्ष की कितनी बातें ठीक हैं। "परन्तु इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता कि बोल्शेविज्म साधारण भावोद्रेक नहीं है, संसार के इतिहास में उसका स्थान रहेगा और संसार के अनेक देश उसके भावी प्रभाव से किसी प्रकार भी न बच सकेंगे। जहाँ तक उसके सिद्धान्तों की बात है, वहाँ तक तो यह कहा जा सकता है कि वे बुरे नहीं हैं, और यद्यपि घटनाओं [धनवानों] और ज़मींदारों को विशेष स्थान नहीं देते, परन्तु अन्य आदमियों को, जिनकी सख्या प्रत्येक देश में बहुत अधिक होती है और जो दरिद्रता और कष्ट के शिकार हुआ करते हैं, कीड़े के स्थान से उठाकर वे मनुष्य का स्थान देते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति का रूप पाती है और परिश्रम को सम्मान का पद मिलता है।" (उप., पृष्ठ ६६-१००)। विद्यार्थीजी कहते हैं कि इस तरह की बातें एकदम नयी नहीं हैं किन्तु पहले उनसे लोग इतना विचलित न होते थे। इसका एक कारण यह है कि "जो बातें पहले दार्शनिक ढंग में बहुसो भे ही समाप्त हो जानेवाली समझी जाती थी, वे इन समय कार्य का रूप धारण कर रही हैं।" दूसरा कारण यह है कि ये बातें पूरी उग्रता से कार्यरूप धारण कर रही हैं; "यह वाड आगे आनेवाले वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकती जा रही है।" तीसरा कारण शासन-प्रणाली की विशेषता है और इस प्रणाली का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ रहा है। "वर्तमान संसार के बड़े-बड़े धनवानों और ज़मींदारों, व्यापारियों और कोठीवालों को उसमें कोई स्थान नहीं।

यदि रूस ही तक यह बात रहती तो भी यूरुप वाले शायद न विगड़ते। विगड़ा हुआ रूस तो अकेले यूरुप में ही नहीं, अमेरिका और एशिया तक में यह विप फैला रहा है। रूस के धनहीन लोग संसारभर के शक्तिशाली और धनवान आदमियों की श्री और सत्ता का अन्त कर देने के लिए कटिबद्ध है। संसार के शक्तिशाली समुदाय इस प्रकार अपना विनाश चुपचाप कैसे देखें? इसलिए बोल्शेविज्म रोकने की बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। हमारे खयाल से इन तैयारियों से कोई लाभ न होगा।" (उप.)।

विद्यार्थीजी बोल्शेविज्म के सिद्धान्तों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। रूस में हस्तक्षेप बन्द कर दिया जाये तो बोल्शेविक अपना घर सँभालने में लग जायेंगे। रूसी जनता सोवियत सरकार ही चाहती है तो भी हस्तक्षेप न करना चाहिए। अच्छी चीज है तो चल जायेगी, बुरी है तो टूट जायेगी। जो लोग बोल्शेविज्म का प्रसार रोकना चाहते हैं, उनके लिए उचित है कि संसार से गरीबी दूर करें; "एक ओर मुट्ठी भर आदमी बेतरह अमीर न हो और दूसरी ओर असंख्य आदमी खाने-पीने और ओढ़ने-पहनने के लिए न तरसें।" यदि ऐसा नहीं होता तो "संसार देखेगा कि मनुष्यों की रक्त की नदी में बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ उतराती और बहती जा रही हैं।" (उप. पृष्ठ १०१)। इससे पूर्ण शान्ति स्थापित न होगी। वह हिंसात्मक क्रान्ति के पक्षधर नहीं है किन्तु शान्तिपूर्वक संसार की गरीबी दूर हो जायेगी, यह विश्वास भी उन्हें नहीं है।

६ फरवरी १९२० के 'प्रताप' में उन्होंने फिर एक लेख लिखा 'बोल्शेविक खतरा'। जो लोग बोल्शेविकों का विरोध करते हैं, कहते हैं कि उनका कोई ठीक संगठन नहीं है, वे भी मानते हैं कि उनके सिद्धान्तों में आकर्षण का बड़ा भारी खतरा है, उनके मोहजाल में मध्य एशिया के पड़ जाने का भय है। सरकार कहती है कि वह भारतवर्ष में बोल्शेविज्म का प्रचार रोकने के लिए कुछ कर रही है। क्या कर रही है, उसने नहीं बताया। "हमारा अनुमान यह है कि इस विषय में सैनिक शक्ति दृढ़ की जा रही होगी और शायद उसे बढ़ाया भी जा रहा हो। विलायत के 'टाइम्स' पत्र ने कहा भी था कि भारतीय सीमा पर सैनिक बल बढ़ाया जा रहा है।" (उप. पृष्ठ १०३)। यह सम्भव है कि अंग्रेजों की सैनिक शक्ति बोल्शेविकों को रोक ले किन्तु बोल्शेविज्म के सिपाही भले कमजोर हों, उनका प्रचार बहुत आकर्षक है। "उसमें बल है और वह प्रत्येक देश के अगणित लोगों को अपनी ओर खींच लेने की प्रबल शक्ति रखता है। जो लोग जोश और पक्षपात छोड़कर संसार के इस उबाल पर विचार करेंगे, वे कदापि इस बात को स्वीकार न कर सकेंगे कि बोल्शेविज्म सत्वशून्य कालप्रवाह मात्र है। समाजों और देशों के बर्षों के संस्कारों और कुकृत्यों के कारण संसार की निम्न श्रेणियाँ अपने प्रति साधु और न्याययुक्त व्यवहार किये जाने की आशा से इतनी निराश हो गयी हैं कि उन्होंने जोर के साथ निमटकर ऊपरवालों के विरोध के लिए उन्हें कुचल डालने के लिए, कमर कस ली है। इस समय वे अपना भीषण कटुता से भरा हुआ खेल खेल रही हैं। वे बुरी हैं या भली, यथार्थ में संसार के सामने यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि जो उलट-मुलट हो रही है, उसके

कारण गहरे हैं या थोड़े ? यदि वे थोड़े हैं तो कुछ काल के बाद ही चलने वाली हवा का चलचलाव ही जायेगा। यदि वे गहरे हैं तो पक्षपात और उत्तेजना को विसर्जित करके, काम करने वाली शक्तियों को चाहिए कि वे अपना दिल और दिमाग वर्तमान बातों के समझने और आगामी पहलियों को शान्ति के साथ सुलझाने के लिए तैयार करें।" (उप. पृष्ठ १०३-०४)। वह चाहते हैं कि बोल्शेविज्म की छूत पवित्र भारत देश को न लगे किन्तु वह सावधान करते हैं कि सुन्दर अभिलाषाएँ केवल सुन्दर होने से सफल नहीं होती। "हमें सत्य बात से इकार न करना चाहिए कि हमारे देश में विपमता का राज्य जोरों पर है।" (उप. पृष्ठ १०४)। बोल्शेविज्म मिट जायेगा इसकी सम्भावना कम है, पर यह आवश्यक है कि "इस देश में गोरे और काले का भेद कम पड़ जाये, जमींदार किसानों को अपना भक्ष्य न समझें, और व्यापारी व्यापार को केवल मोटे होने और नफावाजी का साधन।" (उप.)। यदि यह सब हो जाये तो बोल्शेविज्म का प्रभाव भारत पर न पड़ेगा। किन्तु यदि न हुआ, तो लेख की ध्वनि यह है कि बोल्शेविज्म के प्रसार को कोई न रोक सकेगा।

स्वाधीनता आन्दोलन की प्रगति के साथ भारतीय समाज में अनेक प्रकार के अन्तर्विरोध उभरकर सामने आये। जो लोग स्वराज्य चाहते थे किन्तु इसके लिए अंग्रेजों का भरोसा करते थे, वे एक ओर हो गए। दूसरी ओर वे लोग थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करके अधिकार पाना चाहते थे। यद्यपि यह संघर्ष अहिंसात्मक था, फिर भी संघर्ष था। इन दोनों तरह के लोगों के बीच फासला बढ़ा। मुख्य बात यह थी कि देश की साधारण जनता के नजदीक कौन अधिक है। इस सदर्भ में गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखा, "आज वर्ष भर पहले स्वराज्यी लोग देश के साधारण आदमी के जितने पास थे, आज उससे कहीं अधिक दूर है। जो लक्षण है, उससे मालूम पड़ता है कि यह अन्तर बढ़ता ही जायेगा। वे जनता से दूर पड़ते जायेंगे। आज उनकी तादाद जितनी नज़र आती है, देश के शरीर से अलग कट जाने के कारण उनकी तादाद उतनी भी न रह जायेगी। अन्त में स्वराज्य दल शिक्षितों और धनवानों का एक साधारण दल रह जायेगा। उस ओर उसका झुकाव भी स्पष्ट रूप से है। इस प्रकार के आदमी किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। बड़ी उथल-पुथल से वे डरते हैं। वे चाहते हैं कि वर्तमान शासन में कोई गहरा धक्का न लगे क्योंकि उन्हें यह डर लगता है कि यदि ऐसा हुआ तो हमारी छोटी-सी नैया की खैरियत नहीं। स्वराज्यियों की यह अवस्था उनमें ब्रिटिश पालियामेण्ट और अंग्रेज जाति की ओर लौ लगाने की इच्छा को बढ़ायेगी और देश की अनन्त शक्तियों की ओर से उनका चित्त और भी हटायेगी।" (उप. पृष्ठ १२४)।

विद्यार्थीजी ने ये बातें 'स्वराज्य किसके लिए' शीर्षक निबन्ध में लिखी थी जो १४ जुलाई १९२४ के प्रताप में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने नरमदली नेताओं में उथल-पुथल के प्रति जो भय दिखाया है, वह कांग्रेस के भीतर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर व्याप्त था। वर्तमान शासन को कोई गहरा धक्का न लगे, यह बात उस समय अंग्रेजों शासन के लिए कही गयी थी। अब वही बात पूँजीवादी शासन के सन्दर्भ में फिर कही जा सकती है। विद्यार्थीजी ने स्वराज्य की जो व्याख्या की

है, वह पूंजीवादी जनतन्त्र की सीमाओं को लाँघ जाती है। वर्तमानकाल में उनका लेखन कितना प्रासंगिक है, यह इन वाक्यों से प्रकट होगा। “देश में जो स्वराज्य होगा, वह होगा किसी छोटे-मोटे समुदाय का नहीं, धनवानों और शिक्षितों का नहीं, वह होगा साधारण से साधारण आदमी तक का। संसारभर की शासनपद्धति इस समय उलट-पुलट रही है। व्यक्ति को समान अधिकार कागजों पर दिये गये हैं, परन्तु कुलीनो, धनवानों और शिक्षितों के गुट करोड़ों आदमियों को दावे बैठे हैं। साधारण व्यक्ति अपनी हीन अवस्था को अनुभव कर रहा है। वह कहता है कि कागज के इन अक्षरों का कोई मूल्य नहीं, समान अधिकार है तो आगे बढ़ने के लिए भी समान अवसर दो। इस युग में केवल भारतवर्ष के करोड़ों नर-नारियों के ललाट ही पर ये शब्द अंकित नहीं कि जब आजाद होंगे, तब तुम्हीं गुलाम बने रहोगे, तुम्हारे ही यहाँ मुट्टी भर आदमी कभी गोरे और कभी भूरे—तुम्हारे भाग्य-विधाता बने रहेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकayेंगे और तुम्हें अज्ञान और अंधकार में रखेंगे। यदि सचमुच इस देश के भाग्य में यही वदा है, तो हम यही कहेंगे, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, हमारे करोड़ों भाई यदि गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए हैं, यदि वे अज्ञान और अन्धकार में पड़े हैं, यदि उन्हें पेट भर खाने की नहीं मिलता और पहनने भर को कपड़ा, यदि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती और चलने के लिए राह, तो उस दिशा की ओर, जिधर हमारे इने-गिने आदमी सुख से समय बिताते हैं और प्रमुता के अधिकारी बने हुए हैं, उधर हम अपना नुँह भी नहीं करना चाहते।” (उप. पृष्ठ १२४-२५)।

विद्यार्थीजी ने यहाँ पूंजीवादी जनतन्त्र की तीखी आलोचना की है। हिन्दी लेखकों में पूंजीवादी जनतन्त्र की ऐसी ही आलोचना आगे चलकर प्रेमचन्द ने की थी। ये दोनों लेखक स्वाधीन भारत में साँस लेने के लिए जीवित नहीं रहे। शायद जीवित रहते तो उनका दम घुटने लगता। जहाँ हमारे इने-गिने आदमी सुख से समय बिताते हैं और प्रमुता के अधिकारी बने हुए हैं, उधर हम अपना मुँह भी नहीं करना चाहते, यह भविष्यद्रष्टा की उक्ति है। होनहार विरवान के होत चिकने पात। स्वाधीन भारत के चिकने पत्ते पराधीन भारत में दिखायी देने लगे थे। विद्यार्थीजी पर यह समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था कि वह स्वाधीनता आन्दोलन के दूरगामी लक्ष्य की ओर देख रहे थे। वह चाहते थे कि स्वाधीनता का अर्थ मुट्टीभर धनी आदमियों का करोड़ों गरीबों पर शासन न हो। अधिकार केवल कागजों पर लिखे न हों; वास्तविक जनतन्त्र वह है जहाँ निर्धन व्यक्तियों को भी विकास का अवसर मिलता है।

राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति में सम्प्रदायवाद जितनी बड़ी बाधा बन सकता था, उससे बड़ी बाधा वह सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बनता जा रहा है। विद्यार्थीजी ने स्वाधीनता आन्दोलन को इस साम्प्रदायिक विष से बचाने के लिए भरपूर प्रयत्न किये। धार्मिक अन्ध विश्वासों से जनसाधारण की चेतना को मुक्त करना असाधारण रूप से कठिन होता है। विद्यार्थीजी एक व्यापक सामाजिक क्रान्ति का स्वप्न देख रहे थे, यह उनके सम्प्रदायवाद-सम्बन्धी अनेक निबन्धों से प्रकट होता है। २७ अक्तूबर १९२४ के ‘प्रताप’ में प्रकाशित ‘धर्म की बाड़’

शीर्षक लेख में उन्होंने कहा था, "साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्त्वों को क्या जाने? लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग गरीब मजदूरों के परिश्रम से बेजा लाभ उठाते हैं। उसी परिश्रम की बदौलत गरीब मजदूर की शोषण का मज्जाक उड़ाती हुई उनकी अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती हैं! गरीबों की ही कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है! इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने-गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुर्ूपयोग किया करते हैं।" (उप. पृष्ठ १४०)। भारत में पूंजीवाद का विकास बहुत कम हुआ था। साम्राज्यवादी देशों की तुलना में यहाँ धनपतियों का जोर नहीं था। धन की कमी धर्मान्धता ने पूरी कर दी थी। इसलिए लिपा, "यहाँ है बुद्धि पर परदा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर स्वार्थसिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना-भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन-दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की वाजियाँ खेलते और थोड़े-से अनियन्त्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊँचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किये जानेवाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जानेवाले झगड़े कम न होंगे।" (उप. पृष्ठ १४१)।

स्वाधीनता-आन्दोलन में जो अवसरवादी प्रवृत्तियाँ थी, वे अप्रत्यक्ष रूप से और कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से भी साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देती थी। इस अवसरवाद की विशेषता यह थी कि जनसाधारण को संगठित करने के बदले वह साम्प्रदायिक नेताओं से सौदेबाजी करता था। ऊपर से देखने में १९२० का आन्दोलन हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता का भव्य उदाहरण था किन्तु इस भव्यता के नीचे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से समझौता करने की नीति छिपी हुई थी। इस सन्दर्भ में विद्यार्थियों की आलोचना उल्लेखनीय है, "देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्सन्देह अत्यन्त बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में

यो पागलपन, प्रपंच और उल्लास का राज्य स्थापित कर रही है।" (उप.) ।
 १९२४ में लेनिन की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु पर गणेशशंकर विद्यार्थी ने
 लिखा था, "अपने दायें और बायें, आगे और पीछे सब तरफ आग सुलगाकर, और
 लपट से प्राचीन संस्थाओं के अस्थिपंजर को भस्म करके लेनिन प्रगाढ़ नीद
 में रहा है। रूस के किसानों, मजदूरों, नीचे पड़े हुआं, बालकों और असहाय
 लोगों का परम सहायक, साम्यवाद का परम प्रचारक, विप्लव संगीत का गायक,
 क्रांति की मूर्ति, दयानिधि लेनिन की आत्मा आज रूस पर मंडरा रही है।"
 'मंवीर', गणेशशंकर विद्यार्थी के लघु निबन्धों का संग्रह, दिल्ली, १९६७,
 पृष्ठ ८८)। संगार के प्रतिश्रियावादिनों ने लेनिन को जितना ही बदनाम किया, रूस
 की जनता ने उन्हीं उतना ही अपनाया। "शायद ही कोई एक आदमी अपने समय
 में अपना निन्दाभाजन, घृणास्पद और भयावह समझा गया हो जितना कि लेनिन !
 ही शायद ही किसी महापुरुष के हाथों उसके देशवासियों ने अपना सर्वस्व इस
 निन्दिततापूर्वक छोड़ दिया हो जितना कि रूसवासियों ने लेनिन के हाथों।"
 (उप.) । लेनिन का कार्य रूस तक सीमित नहीं था। उन्होंने जो क्रान्तिकारी
 चेतना फैलायी थी, वह रूस से बाहर अनेक देशों में फैल रहा था। फेवी हस्ट
 की अमरीकी महिला ने लेनिन का शव देखकर लिखा था कि लगता है, लेनिन
 मर चुका है; उगे जगा दें तो वह विश्वक्रान्ति का अपना अधूरा ग्रन्थ फिर
 लेने लगेगा। फेवी हस्ट का हवाला देने के बाद विद्यार्थीजी ने लिखा, "लेनिन के
 ग्रन्थ के पन्ने रूस ही में नहीं, सर्वत्र लिसे जा रहे हैं। दुनिया का दुखी अंग
 स्मरण करता है। रूस का वह अंग जो मदियों से कुचला जा रहा था, आज
 मस्तक ऊँचा करके दुनिया को रहने लायक स्थान समझने लगा है। विप्लव
 की परिवर्तन की घटाएँ घूमेंगी। पुराने आततायीपन पर गाज भी गिरेगी।"
 (उप., पृष्ठ ९०)। गाज गिरने से कुछ लोग मरेंगे किन्तु बहुसंख्यक पीड़ित जनता
 जीवित मिले, तो यह हिंसा निन्दनीय नहीं। लेनिन ने जिस क्रान्ति का समर्थन
 किया, उसमें अनेक लोग मारे गये। लेनिन के समर्थन में विद्यार्थीजी ने लिखा,
 "लेनिन खड्गहस्त था। पर उसकी तलवार रक्षा के लिए चमकी, आततायीपन
 को तोड़ने के लिए नहीं।" (उप.)।

विद्यार्थीजी के राजनीतिक लेखन का महत्व असन्दिग्ध है। हिन्दी प्रदेश में
 लेनिन के माध्यम से वह समाजवादी विचारधारा के आदिप्रचारकों में हैं। वह
 लेनिन के नेता हैं, अहिंसा का सिद्धान्त मानते हैं। किन्तु भारत में जो नौजवान बम
 धिस्तूल के सहारे क्रान्ति के मार्ग पर बढ़े थे, उनसे जितनी गहरी सहानुभूति
 शंकर विद्यार्थी को थी, उतनी अन्य किसी कांग्रेसी नेता को नहीं। इसके साथ
 लेनिन के लिए अहिंसा राजनीतिक सौदेबाजी की नीति नहीं थी। उन्होंने अपना
 मत व्यक्त करके यह सिद्ध किया कि वह साहसी महापुरुष थे, और अन्य नेताओं के
 विपरीत उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं था। 'प्रताप' के प्रथम अंक में
 लेनिन के 'प्रताप' की सम्बोधित करते हुए उन्होंने लिखा था, "जो सिर स्वतन्त्रता देवी
 के चरणों में मने झुका, याद रखो, उसे अधिकार नहीं कि संसार की किसी भी शक्ति के
 विपरीत खड़े रहे।" वह उन लोगों में नहीं थे जो राणा प्रताप के नाम का उपयोग अंग्रेजी

मजदूर परन्तु सब नफ़ा ले जाते हैं कारखानों के मालिक। साम्यवादी कहते हैं कि "समस्त मूलधन समष्टि रूप से जनता की सम्पत्ति होनी चाहिए।" (पृष्ठ ७)। इसी प्रकार भूमि की स्वामी भी जनता होगी। जो पैदावार होगी, वह जनता में बाँट दी जायेगी। बँटवारे का आधार यह होगा कि जो जितना परिश्रम करेगा, उसको उतना मिलेगा। लेखक को थोड़ा भ्रम है कि साम्यवादी पहले कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार हिस्सा मिलेगा, फिर उन्होंने अपना यह विचार बदल दिया। "आजकल के साम्यवादी आवश्यकतानुसार बँटवारा नहीं चाहते किन्तु परिश्रम के अनुसार चाहते हैं।" (उप०)। वास्तव में साम्यवादियों ने विचार नहीं बदले; परिश्रम के अनुसार बँटवारा विकास की पहली मजिल है, आवश्यकता के अनुसार बँटवारा विकास की दूसरी मजिल है।

सामाजिक विपरीतता दूर करने की बातें सुधारवादी भी करते हैं किन्तु वे धीरे-धीरे सुधार करने के पक्ष में हैं; समाज से अन्याय दूर करने के लिए साम्यवादी "कोई उपाय बाकी नहीं छोड़ना चाहते।" (पृष्ठ ४)। उनके अनुसार उत्पत्ति के साधनों का प्रबन्ध समाज के हाथ में होना चाहिए। वे उस शासन-प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें "शासन की बागडोर बड़े-बड़े धनियों और महाजनों के हाथ में रहती है।" (पृष्ठ ६)। लेखक को पता है कि ऐसे शासन में अधिकारी वर्ग इन महाजनों के हाथ की कठपुतली हो जाता है। इसके बदले सार्वजनिक मामलों का प्रबन्ध जनता द्वारा किया जाना चाहिए। लेखक जोर देकर कहता है कि जनता शब्द में स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। साम्यवादी लोग सामाजिक संगठन तथा शासन-प्रणाली में 'क्रान्तिकारी परिवर्तन' चाहते हैं; सुधारवादियों के विपरीत वे चाहते हैं कि "आजकल के सामाजिक संगठन को बिल्कुल उलट दिया जाये।" (पृष्ठ १०)। धँपे खून-खच्चर या मारकाट करना उनका उद्देश्य नहीं है। अमरीका जैसे देशों के प्रजातन्त्र में व्यक्ति को जिस तरह की स्वाधीनता प्राप्त है, उस तरह की स्वाधीनता साम्यवादी शासन में नहीं है। किन्तु लेखक का विचार है कि "व्यक्तिगत स्वाधीनता की यह बलि एक परम पावन और आवश्यक उद्देश्य के लिए—समष्टि रूप से समाज के भले के लिए, जिसमें व्यक्तियों की भी वास्तविक भलाई सम्मिलित है—की जायेगी। इसलिये वह उतनी बुरी नहीं जितनी कि बतायी जाती है।" (पृष्ठ १२)।

समाज हमेशा एक-सी अवस्था में नहीं रहा। एक समय ऐसा था जब मनुष्य असभ्य अवस्था में रहते थे। लोग अपना जीवन-निर्वाह शिकार मारकर या मछली पकड़कर करते थे। तब धनी-निर्धन का भेद न था। जब लोगों ने पशुपालन सीख लिया और जब वे चरी की खोज में इधर-उधर घूमते थे, तब भी धनी और निर्धन में 'अनुचित भेद' न था। (पृष्ठ १३)। जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा और 'आपस में वस्तु-विनिमय करने लगे' तब यह अन्तर बढ़ने लगा। (पृष्ठ १३)। यूनानी दार्शनिक प्लैटो ने एक आदर्श समाज की कल्पना की किन्तु लेखक ने बड़े पते की बात लिखी है कि उसका आधार गुलामी थी। प्लैटो के समय में गुलामी की प्रथा प्रचलित थी, वह आवश्यक मानी जाती थी और निन्दनीय न समझी जाती थी। साम्यवादियों का समाज प्लैटो के समाज से भिन्न है। यूरुप में पाँचवी

सदी से लेकर पन्द्रहवीं सदी तक “जागीरदारी शासन प्रणाली (Feudalism) का दौर-दौरा था।” (पृष्ठ १४)। इस प्रथा के अन्तर्गत किसानों के हितों की हत्या की जाती थी, उनकी दशा गुलामों में कुछ ही अच्छी थी। अंग्रेज लेखक सर टामस मोर ने ‘युटोपिया’ में एक आदर्श समाज की कल्पना की। सामाजिक असन्तोष बढ़ने पर १७वीं सदी में इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध हुआ, १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस में विप्लव हुआ। १७६० से १८५० के बीच इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति के बाद मजदूरों का शोषण जोरों से हुआ। १९वीं सदी उन्नति का युग है, “और बातों के साथ-साथ वरिद्धता की भी उन्नति हुई।” (पृष्ठ २४)।

अर्थशास्त्र के विकास का संक्षेप में उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया है कि रिकार्डों ने यह स्थापना की कि “समस्त सम्पत्ति भ्रम में ही उत्पन्न होती है, परन्तु बेचारे भ्रमजीवियों को पेट भर अन्न के सिवाय और कुछ नहीं मिलता जबकि सारा नफा कारखानों के मालिक हड़प कर जाते हैं।” (पृष्ठ २५)। मार्क्स की पुस्तक ‘मूल धन पर’ (अर्थात् पूँजी) १८६७ में प्रकाशित हुई। मार्क्स ने बताया कि “समस्त मूल्य भ्रम से ही पैदा होता है परन्तु भ्रमजीवियों को दिया केवल उतना ही जाता है जितने में कि वे अपना गुजारा किसी तरह से कर सकें।” (उप०)। मार्क्स के ग्रन्थ ने साम्यवादियों पर गहरा प्रभाव डाला। ग्रन्थ लिखने के अलावा मार्क्स ने साम्यवाद के लिए आजन्म घोर आन्दोलन किया। (पृष्ठ ३६)। समाजवादी विचारधारा के विकास का उल्लेख करते हुए लेखक ने फ्रांस के विचारक सेण्ट साइमन, इंग्लैण्ड के विचारक रौबर्ट ओवेन आदि का परिचय दिया है। इनसे भिन्न मार्क्स ने काल्पनिक स्वर्गों की सृष्टि करने में शक्ति नष्ट न की वरन् “कार्यक्षेत्र में कूदकर कर्मवीर की भाँति दुःखों के मूल कारणों का उन्मूलन करने के लिए कर्मर कसी।” (पृष्ठ ३८)। मार्क्स का विचार था कि सस्थाएँ ऐतिहासिक विकास का फल हैं। उन्हें अपने चारों ओर जो दुख दिखाई देता था, वह उनके विचार से सामाजिक परिवर्तन से ही मिट सकता था। इंग्लैण्ड में मजदूरों का जो चाटिस्ट आन्दोलन चला, वह ओवेन के आन्दोलन से आगे बढ़ा हुआ था। मार्क्स ने १८६४ में सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमजीवियों का सम्मेलन स्थापित किया। जर्मनी और फ्रांस के अधिकारियों ने मार्क्स को अपने यहाँ रहने न दिया, “कोई चारा न देखकर यह महापुरुष लन्डन चला गया और वही जन्म भर रहा।” (पृष्ठ ३९)। वही मार्क्स ने “अतिरिक्त (मूल्य Surplus Value)” के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। लेखक ने मार्क्स के अलावा लासाल आदि अन्य समाजवादियों तथा समाजवाद-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का परिचय दिया है, १८६० से १९१३ तक के समाजवादी आन्दोलन के प्रसार का संक्षिप्त विवरण दिया है। महायुद्ध के बाद जर्मनी में साम्यवादियों की बढ़ती हुई शक्ति का उल्लेख है। फ्रांस के साम्यवादियों के बारे में कहा है कि उनका झुकाव क्रान्ति की ओर अधिक है। (पृष्ठ ७५)।

इसके बाद रूसी क्रान्ति का उल्लेख है। वहाँ शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में है। वे चाहते हैं कि “शासन बड़े-बड़े लोगों और धनवानों के हाथ में न

रहे, किन्तु उनसे छीनकर अधिकांश जनता—गरीब किसानों, मजदूरों और मध्य श्रेणी के लोगो को सौंप दी जाये। स्वामित्व और शासन का अधिकार वे समस्त जनता को देना ठीक समझते हैं, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय को देना ठीक नहीं समझते।” (पृष्ठ ८१)। इन बोल्शेविकों के नेता लेनिन हैं। वह जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान् है। “अब तक रूसी राज्यक्रान्ति में इतना विद्वान् पुष्प और कोई नहीं दीख पड़ा। उनके दुर्दमनीय साहस, दृढ़ निश्चय, और उनकी पूर्ण निस्पृहीयता के कारण उनके साथी उन्हें अत्यन्त पूज्य भाव से देखते हैं।” (पृष्ठ ८३)। उन्होंने संसार में क्रान्ति का प्रसार करने में तनिक भी आगा-पीछा नहीं किया। उनका व्यक्तिगत जीवन निर्दोष है, वैवाहिक जीवन सुखमय है, “और उनके चरित्र पर कोई सन्देह नहीं करता। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ तो बहुत ही परिमित हैं और वे अपने लिये जो खर्च करते हैं वह सब बोल्शेविकों से कम है।” (७५)। वे कठोर साधनों से भी काम लेते हैं पर किसी व्यक्तिगत बदले के भाव से प्रेरित होकर नहीं। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह हिंसा से काम लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। बोल्शेविकों की सफलता का बहुत बड़ा कारण यह है कि उनके नेता लेनिन हैं। “उन्होंने कई बार अपने दल को घनघोर आपत्तियों से बचाया है। वाद-विवाद में वे अद्वितीय हैं और अपने प्रतिपक्षी को, बिना उत्तेजित हुए, गम्भीर भाव से ऐसा उत्तर देते हैं जिससे उनके प्रतिपक्षी और भी अधिक चिढ़ते हैं। उद्दण्ड बोल्शेविकों की सभाओं को तो वे इस प्रकार खिल्लाते हैं जैसे स्कूल में मास्टर अपने लड़कों को। जनता के हृदय पर अधिकार कर लेना तो उनके वाएँ हाथ का खेल है। यही लेनिन आज के बोल्शेविक शासन के सूत्रधार हैं।” (पृष्ठ ८४)।

यद्यपि पुस्तक के आरम्भ में लेखक ने तटस्थ होने का दावा किया है किन्तु भारत में मजदूरों और किसानों की दशा उसे बराबर याद रहती है। क्रमशः वह तटस्थता का बाना उतार फेंकता है। उसने साम्यवाद का विवरण भारत की समस्याएँ हल करने के लिए प्रस्तुत किया है, इस बारे में सन्देह नहीं रह जाता। दूसरे अध्याय के अन्त में उसने लिखा है: “पूर्वी देशों में साम्यवाद का प्रत्यक्ष प्रचार और जोर नहीं दिखायी पड़ता। भारतवर्ष में गरीबों की दशा और अन्य देशों के गरीबों की दशा से कम बुरी नहीं है। यहाँ के मजदूरों और किसानों की दशा जिसमें कि सारे देश के अस्सी फीसदी के लगभग आदमी सम्मिलित हैं, और छः करोड़ अछूत कहलानेवाली जातियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। भिखारियों की संख्या यहाँ वावन लाख है और करोड़ों लोग ऐंम है जिन्हें भरपेट भोजन कभी नसीब नहीं होता है, इसलिए यहाँ साम्यवाद की भारी सामग्री उपस्थित है। परन्तु जनता को अपनी दशा का ज्ञान न होने से, उसमें कष्टों के अनुभव करने का भाव तोत्र न होने से तथा सबकुछ भाग्य के नाम पर सह लेने की आदत होने से यहाँ साम्यवाद का अभी तक प्रचार नहीं हुआ है।” (पृष्ठ ३५)। भारत में साम्यवाद की भारी सामग्री उपस्थित है, इस वाक्य का आशय यह है कि भारत की समस्या केवल राजनीतिक स्वाधीनता की समस्या नहीं है, वह सामाजिक न्याय की समस्या भी है। यह सामाजिक न्याय मजदूरों और किसानों को चाहिए और

छह करोड़ अछूत कहलानेवाली जातियों को चाहिए। लेखक का विचार है कि भारतीय जनता भाग्यवादी बन गयी है, निष्क्रिय होकर कष्ट सहती रहती है। उसे अपनी दशा का ज्ञान नहीं है। इस कारण यहाँ साम्यवाद का अभी तक प्रचार नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि उसे अपनी दशा का ज्ञान कराना चाहिए, साम्यवाद का प्रचार करना चाहिए, गरीबी की समस्या का अन्तिम और निर्णायक समाधान साम्यवाद के पास ही है।

(ड) साम्यवाद-२

रामचन्द्र वर्मा की पुस्तक 'साम्यवाद' सम्भवतः हिन्दी में समाजवाद पर पहली बड़ी पुस्तक है। यह दिसम्बर १९१९ में हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित की गयी थी। यह पुस्तक केवल मार्क्सवादी विचारधारा पर नहीं है; इसमें अनेक प्रकार के समाजवादों का विवेचन है। पुस्तक का नाम 'साम्यवाद' आज जितना भ्रामक लग सकता है, उतना सन् १९ में न लगता था। फिर भी लेखक ने अपनी भूमिका में सावधान कर दिया है कि "इस पुस्तक में जिस सिद्धान्त का वर्णन किया गया है उसका नाम यद्यपि साम्यवाद" की अपेक्षा समष्टिवाद "ही अधिक उपयुक्त तथा युक्तियुक्त है परन्तु आरम्भ में कुछ कारणों से इसका नाम साम्यवाद ही रखा गया था जिसका निर्वाह विवश होकर अन्त तक करना पड़ा है।" उस समय तक शायद समाजवाद शब्द का चलन न हुआ था।

साम्यवादी विचारधारा का विकास दिखाने के लिए लेखक ने भारत की प्राचीन सामाजिक विपमता का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में उसने गौतम बुद्ध की विचारधारा और भारत के बाहर ईसा मसीह की विचारधारा का उल्लेख किया है। अपेक्षाकृत आधुनिक काल में फ्रांस के अराजकतावादी लेखक रूसी की भी चर्चा की है। आगे चलकर फ्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि देशों में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का परिचय दिया है। समाजवादियों में यटोपियन कहलाने वाले कल्पनाशील समाजवादी भी हैं। मार्क्स और उनके सिद्धान्तों का परिचय विस्तार से दिया गया है, उनकी राजनीतिक कार्यवाही का भी वर्णन है। एक अध्याय में रूसी क्रान्ति और सोवियत राज्यसत्ता का विवरण है। यद्यपि पुस्तक का सीधा सम्बन्ध भारत से नहीं है, फिर भी अन्तिम अध्याय में लेखक ने अपने देश के किसानों और मजदूरों की दशा का वर्णन किया है। मार्क्स के सिद्धान्त, सोवियत राज्यसत्ता का स्वरूप, भारत के किसान और मजदूर, पुस्तक के ये तीन सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं की कुछ विस्तार में यहाँ चर्चा करेंगे।

रामचन्द्र वर्मा को मार्क्स और एंगेल्स की रचनाएँ सुलभ न थी, लेनिन या अन्य रूसी साम्यवादियों की पुस्तकें पाना और भी कठिन था। उनके ग्रन्थ का आधार अधिकतर ऐसी पुस्तकें हैं जिनके लेखकों का दृष्टिकोण मार्क्सवादी नहीं है। इस कारण पुस्तक में अनेक प्रकार के दोष आ गये हैं जिनमें कुछ का सम्बन्ध तथ्यों को गलत पेश करने से है और कुछ का विचारधारा सम्बन्धी भ्रान्तियों से। उल्लेखनीय है कि कलकत्ते के दैनिक 'भारत-मित्र' में लक्ष्मणनारायण गर्द के अनेक लेख रूसी क्रान्ति और सोवियत राज्यसत्ता पर निकले थे। रामचन्द्र वर्मा ने

अपनी पुस्तक की भूमिका में उन लेखों से 'अपूर्व सहायता' मिलने की बात कही है। कलकत्ते में उदीयमान कवि निराला के साहित्यिक अभिभावकों में राधामोहन गोकुलजी के अतिरिक्त लक्ष्मणनारायण गर्दें भी थे।

वर्तमान समाज में पूंजीवादी व्यवस्था का विवरण देते हुए रामचन्द्र वर्मा कहते हैं कि पुराने जमाने में हर एक आदमी (अर्थात् उत्पादक) अपना छोटा कारखाना अलग रखता था। उस कारखाने में वह अपनी सामग्री से, अपने औजारों से और अपने श्रम से चीजें तैयार करता था, उन पर उसका पूरा अधिकार होता था। अब पूंजीवादी प्रथा है। इस प्रथा का अन्तर्विरोध यह है कि "उत्पादन का काम तो ऐसे कारखानों में होता है जिनमें सब लोग मिलकर काम करते हैं; लेकिन उसमें जो कुछ उपज होती है वह व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाती है। कारखाने में पूंजी लगानेवाला उस उपज का मालिक बन बैठता है। उत्पादन तो समष्टि के द्वारा होता है पर उस पर अधिकार व्यष्टि का होता है।" (पृष्ठ ११७)। वर्माजी ने पूंजीवादी समाज के मुख्य अन्तर्विरोध का वर्णन विलकुल ठीक किया है। उन्होंने इसे आधुनिक काल के समस्त दुखों और कष्टों का मूल कारण माना है और सावधान किया है कि "ज्यों-ज्यों संसार में इस प्रथा का प्रसार होता जायेगा त्यों-त्यों यह विरोध और उसके साथ दुःख, कष्ट और दरिद्रता बढ़ती जायेगी।" (उप.)। मूल्य में पूंजीवाद के प्रसार का परिणाम यह हुआ है कि "धन का अपहरण करनेवाले पूंजीदार तो अमीर होते जाते हैं और श्रमजीवी दरिद्र होते जाते हैं।" (उप.)। पूंजीपतियों की प्रतियोगिता अराजकता का रूप ले लेती है। पूंजीदार समाज की आवश्यकता के अनुसार चीजें नहीं बनाता, जिन चीजों की विक्री से अधिक लाभ होता दिखायी देता है, उन्हीं को बनाता है। हर तरह के दूषित उपायों से एक पूंजीदार दूसरे व्यापारियों को दवाने की चेष्टा करता है। वर्माजी के शब्दों में "इस प्रकार सदा एक ऐसा आर्थिक और व्यापारिक समर छिड़ा रहता है जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता है।" (पृष्ठ ११८)। मशीनों में सुधार होता है, मजदूर बेकार होते जाते हैं, माल अधिक तैयार होता है और बाजार में उसकी खपत नहीं होती। जिसे आजकल आर्थिक संकट कहते हैं, उसे वर्माजी ने हाहाकार कहा है।

इस हाहाकार की विशेषता यह है कि व्यापारिक संसार में वह बीच-बीच में मन्दा करता है "और प्रत्येक बार का हाहाकार पहली बार के हाहाकार की अपेक्षा अधिक भीषण होता है। अब तो यह नीवत आ गयी है कि यह हाहाकार प्रायः स्थायी हो गया है।" (पृष्ठ १२०)। उत्पादन जनसमुदाय करता है, उसका लाभ एक विशिष्ट वर्ग उठाता है। ऐसी व्यवस्था में संसार सुखी नहीं हो सकता। इस विपमता से निकलने का उपाय यह है कि राजनीतिक सत्ता सर्वसाधारण के हाथ में आ जाये और समाज अपने हित में उत्पादन की व्यवस्था करे।

पूंजीवादी उत्पादन-पद्धति की विशेषता है मजदूर द्वारा अतिरिक्त मूल्य का उत्पन्न होना और पूंजीपति द्वारा उसका अपहरण। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की

न उनका निर्याह होता है; और तब किसी नाश का तयार करने में जितनी लागत लगती है उसमें कहीं अधिक उमका दाम रखा जाता है। लागत तो मजदूरों के हिस्से में पड़ती है और मूल्य का बाकी अंश मुनाफे के रूप में पूंजी लगानेवाले कारखानेदार स्वयं ले लेते हैं। इस प्रकार वे दूसरों के श्रम और दरिद्रता का अनुचित रूप से लाभ उठाते हैं।" (पृष्ठ ११८)।

१८४७ में मार्क्स और एंगेल्स ने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। इसमें जिन साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था, उनका विरोध पूंजीवादी व्यवस्था के ममपंकों ने किया। उनका एक आक्षेप यह था कि साम्यवादी लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति का नाश कर देना चाहते हैं। वर्माजी कहते हैं कि साम्यवादियों की ओर से इसका उत्तर यह है कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति का नाश नहीं करना चाहते बल्कि उस प्रथा का नाश करना चाहते हैं जिसके अनुसार आजकल के पूंजीदार श्रमजीवियों के श्रम का अपहरण करते हैं। दूसरा आक्षेप यह है कि साम्यवादी लोग पारिवारिक व्यवस्था का नाश करना चाहते हैं। इसका उत्तर यह है कि कारखानों में काम करने के लिए स्त्रियों और बच्चों तक को ले जाकर और बेव्यावृत्त तथा दुराचार आदि का प्रचार करके पूंजीपतियों ने पहले ही परिवार का अन्त कर दिया है। तीसरा आक्षेप यह है कि साम्यवादियों ने देश-हितैषिता के भाव नष्ट कर दिये हैं। इसका उत्तर यह है कि श्रमजीवियों का अब कोई अपना देश नहीं रह गया; अपनी जन्मभूमि में उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है और वे पेट पालने के लिए दूसरे देशों में मारे-मारे फिरते हैं।

क्रान्तिकारी परिवर्तनों का पूरी तरह समर्थन न करने पर भी रामचन्द्र वर्मा ने मार्क्स के सिद्धान्तों का वर्णन सहानुभूति से किया है। द्रव्य, पदार्थ या सामग्री क्या है, उपयोग मूल्य किसे कहते हैं, विनिमय मूल्य से वह किस प्रकार भिन्न है, इन प्रश्नों का उत्तर उनकी पुस्तक में है। मार्क्स ने मजदूरों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाया, उसका परिचय दिया है। संघ को अपने कार्यों में पूरी सफलता न मिली किन्तु उसने श्रमजीवियों में जागृति उत्पन्न की। उसकी आशिक सफलता के बारे में वर्माजी ने लिखा है, "उसने ससार के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य उपस्थित किया था। वह उद्देश्य था करोड़ों दरिद्र श्रमजीवियों का दुःख दूर करना। इस प्रकार उसने एक बहुत ही इतिहासप्रसिद्ध महत्व प्राप्त किया था और ऐसे कार्य किये थे कि जिनसे प्रत्येक राज्य और मनुष्य कुछ-न-कुछ शिक्षा ग्रहण कर सक्ता है। उसी के प्रयत्नों का यह फल था कि मार्क्स और उसके साथियों के विचार सारे ससार में फैल गये।" (पृष्ठ १५१)। मार्क्स द्वारा चलाये हुए श्रमिक-आन्दोलन के भविष्य के बारे में वर्माजी कहते हैं, "यह एक ऐसा आन्दोलन है जो बिना अपना उद्देश्य सिद्ध किये कभी ठण्डा नहीं पड़ेगा और बराबर मगाने का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता रहेगा।" (उप.)। वर्माजी ने जब यह लिखा था, तब श्रमिक-आन्दोलन काफी सीमित था। तब से अब तक उसका भागी प्रमाण हुआ है। यह प्रसार सिद्ध करता है कि वर्माजी ने उसके भविष्य के बारे में सही कहा था, वह सही था और वह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। मार्क्स के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ के उद्देश्यों से पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करने हुए

वर्माजी ने उन लोगों को सान्त्वना दी है जो संघ के टूटने से निराश हो गये थे। उन्होंने लिखा है, "यदि उसके आन्दोलन को, उसके महत्त्व का ध्यान रखते हुए, यथेष्ट सफलता प्राप्त न हुई हो तो हमें हतोत्साह न होना चाहिए", "एक पीढ़ी को जो विफलता होती है वही प्रायः दूसरी पीढ़ी को सफलता का मार्ग दिखलाती है", "हमें इस बात का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि उसने श्रमजीवियों को जो शिक्षाएं दी है वे आगे चलकर उनके बड़े काम आवेगी।" (पृष्ठ १५२)।

साम्यवाद का विरोध करने के लिए धर्म की बराबर दुहाई दी जाती रही है। इस प्रसंग में वर्माजी ने जो कुछ लिखा है, वह आज भी ध्यान देने योग्य है। मार्क्स ने धार्मिक संस्थाओं का विरोध इसलिए किया था कि इनके रक्षक "ऐसे उद्देश्यों का प्रचार करते हैं जिनसे अमीर-गरीब और सुखी-दुखी के भेद बने रहें।" (पृष्ठ ३५७)। दूसरी बात यह है कि "जब-जब क्रान्ति की कोई ष्टा की जाती है तब-तब वे अपना सारा बल और प्रभाव उसको विफल करने में खर्च करते हैं।" (उप.)। तीसरी बात यह कि उनके "विश्वास और शिक्षाएँ विज्ञान के विरुद्ध होती हैं, अतएव वैज्ञानिक आधार पर समाज के संगठन के लिए भारी विघ्नरूप हैं।" (उप.)।

यद्यपि रामचन्द्र वर्मा की पुस्तक में अनेक समाजवादों का विवरण है, फिर भी उनसे मार्क्स के सिद्धान्तों की तुलना की जाये तो विदित होगा कि उन सबमें मार्क्सवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने लिखा भी है कि मार्क्स और एंगेल्स का उद्देश्य 'साम्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप देना' था (पृष्ठ १०६)। इस प्रकार यह पुस्तक मार्क्सवाद का परिचय देनेवाली एक प्रारम्भिक महत्वपूर्ण कृति मानी जायेगी।

रूसी क्रान्ति के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह कि रूस एक पिछड़ा हुआ देश था और कुछ बातों में वहाँ की समाज-व्यवस्था भारत की समाज-व्यवस्था से मिलती-जुलती थी। क्रान्ति ऐसे पिछड़े हुए देश में हुई। दूसरी बात यह कि सोवियत राज्यसत्ता में किसानों और मजदूरों को जो अधिकार मिले, वे उन्हें पहले प्राप्त न थे। सोवियत राज्यसत्ता वास्तव में जनसत्ता थी। तीसरी बात यह कि सोवियत-सत्ता का विरोध करनेवाले निहित स्वार्थों के लोग थे। इनमें पहला नम्बर अंग्रेज साम्राज्यवादियों का था जिन्हें न केवल ब्रिटेन में क्रान्ति का भय था वरन् यह डर भी था कि भारत जैसे पराधीन देश में रूसी क्रान्तिके प्रभाव से लोग उनके शासन का तख्ता उलट देंगे।

पिछड़े हुए देश में क्रान्ति क्यों हुई, इस प्रश्न पर बहुत दिनों तक बहस होती रही और एक हद तक अब भी हो रही है। वर्माजी की पुस्तक में इस समस्या का निराकरण होगा, इसकी अपेक्षा न करनी चाहिए। किन्तु ऐसी एक समस्या है, इस बात का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, "यह एक बड़ी ही विलक्षण बात है कि जिस रूसी जाति का इस प्रकार का पुराने ढंग का संगठन था उसी रूसी जाति में पश्चिमी यूरोप के सबसे अधिक उन्नत क्रान्तिकारक विचारों का प्रचार हो गया।" (पृष्ठ १६८)।

रूसी समाज का पुरानापन जिस बात में था, वह उसकी ग्राम-व्यवस्था थी। वर्माजी ने लिखा है कि “रूस की अधिकांश प्रजा केवल खेतीवारी करके ही अपना पेट पालती और छोटे-छोटे गाँवों में ही रहकर अपने दिन बिताती थी।” (पृष्ठ १६६)। इसका अर्थ यह है कि क्रान्ति के समय रूस की बहुसंख्यक जनता किसान थी। भारत के ग्रामसमाजों का स्मरण करते हुए वर्माजी ने आगे लिखा है, “हमारे देश की पंचायतों से मिलती-जुलती एक संस्था रूस में भी है जिसे मीर कहते हैं। इसे हमारे हिन्दू सयुक्त परिवार का कुछ परिवर्तित और परिवर्धित रूप ही समझना चाहिए। रूसी गाँवों के समस्त निवासियों के हित और उत्तरदायित्व बिल्कुल एक होते थे। प्रत्येक गाँव में एक मुखिया होता था जो गाँव के आन्तरिक शासन का सारा काम करता था और उच्च कर्मचारियों आदि के सामने वही अपने गाँव के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तरदायी होता था। गाँवों के आसपास जोतने-बोने अथवा पशुओं के चरने के लिए जितनी भूमि होती थी उस पर कुछ अशों में गाँव के समस्त निवासियों का अधिकार होता था।” (उप.)। वर्माजी ने यह भी बताया है कि यह प्रथा बहुत प्राचीन है और जिस समय मनुष्य जाति केवल खेती-वारी करती थी, उस समय संसार के अधिकांश देशों में इस प्रथा का चलन था। भारत और रूस के सामाजिक विकास की अनेक समस्याएँ इस प्रथा के कायम रहने या टूटने से सम्बन्धित हैं। वर्माजी ने लिखा है कि रूस में मीरवाली प्रथा बड़े-बड़े ज़मींदारी और ज़ार के लिए लाभदायक थी। बाद में सरकार ने अपनी नीति बदल दी और “धनिक कृषकों का एक नया वर्ग खड़ा करने के उद्देश्य से उस संस्था को तोड़ने का बहुत कुछ प्रयत्न किया और व्यक्तिगत कृषकों को इस बात का अधिकार दे दिया कि वे गाँवों की पंचायती ज़मीनों में से अपनी अधिकृत भूमि अलग कर लें। लेकिन फिर भी इस नवीन अधिकार का बहुत प्रयोग न हो सका।” (पृष्ठ १६८)। यहाँ इस बात का बहुत हल्का-सा संकेत है कि रूसी क्रान्ति से पहले वहाँ की पुरानी ग्राम-व्यवस्था टूट रही थी।

इस पिछड़े हुए देश में क्रान्ति हुई। बोलशेविक-पार्टी के नेतृत्व में सोवियत राज्यसत्ता कायम हुई। बोलशेविक नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में लिखा है कि पुराने साम्यलोकमतवादी दल में जिस पक्ष का बहुमत था, वह बोलशेविक कहलाया। “रूसी भाषा में इस शब्द का अर्थ है—बहुमतवाला पक्ष या दल।” (पृष्ठ ३६२)। जो लोग दल में अल्पमत वाले थे, वे मेन्शेविक कहलाये। बोलशेविक पार्टी के लिए लिखा है कि “आरम्भ से ही यह दल क्रान्तिवादी रहा है।” बोलशेविक दल के नेता लेनिन के बारे में वर्माजी ने लिखा है, “बोलशेविकों के नेताओं में लेनिन ही सर्वप्रधान है। मास्को में बोलशेविकों की जो प्रधान कार्य-कारिणी सभा है, उसका वह सभापति है। वास्तव में बोलशेविक आन्दोलन की जान लेनिन ही है। उसका जन्म १० अप्रैल १८७० को एक बहुत ही उच्च तथा

के कारण वह कज़न नगर से निर्वासित कर दिया गया था। लेनिन के कुल के कई आदमी क्रान्तिवादी और क्रान्तिकारक हो गये हैं। इसी अपराध में उसके एक भाई

को १८८७ में रूसी सरकार ने फ्रांसी का दण्ड दिया था। उसका वास्तविक नाम ब्लैंडेमिर इलिच उलियानाफ है। उसकी स्त्री भी एक बार देश से राज्य द्वारा निर्वासित हो चुकी है। वह कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा भक्त है परन्तु उसके सिद्धान्तों का निष्कर्ष वह स्वयं अपने मनमाने ढंग से निकालता है। आर्थिक विषयों पर उसने अनेक ग्रन्थ और लेख आदि लिखे हैं। उसने 'राज्य और राज्यक्रान्ति' (THE STATE AND REVOLUTION) नाम की एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है जिसमें उसने बोल्शेविज्म के सिद्धान्तों का वर्णन करते हुए बतलाया है कि आदर्श साम्यवादी राज्य स्थापित करने के लिए नियमानुमोदित रीति से आन्दोलन करना विल्कुल निरर्थक है। रूस में इस समय उसका बड़ा आदर है और वर्तमान बोल्शेविक रूस का वही कर्ताधर्ता और विधाता है।" (पृष्ठ ४०१-४०२)।

नियमानुमोदित आन्दोलन का अर्थ है सन् १९ से पहले तक भारत के उदार-पन्थी पूंजीवादियों द्वारा अंग्रेजी राज्य से कुछ रियायतें माँगने का आन्दोलन। सरकारी नियमों के चौखटे को तोड़कर रूस का क्रान्तिकारी आन्दोलन सफल हुआ था। मार्क्स के सिद्धान्तों का निष्कर्ष लेनिन अपने मनमाने ढंग से निकालते हैं, यह प्रचार बोल्शेविकों के विरोधी मेन्शेविक करते थे। संसार के बहुत से क्रान्ति-विरोधी पूंजीवादी प्रचारक इस समय मार्क्सवाद के बड़े हमदर्द बन गये थे और इस बात पर अफसोस जाहिर कर रहे थे कि लेनिन मार्क्स के सिद्धान्तों की व्याख्या मनमाने ढंग से कर रहा था। उनके अनुसार मार्क्स के सिद्धान्तों की सही व्याख्या यह थी कि रूस जैसे पिछड़े देश में क्रान्ति न होनी चाहिए लेकिन वहाँ क्रान्ति हो गयी। यदि लेनिन मार्क्स के सिद्धान्तों की व्याख्या मनमाने ढंग से न करते तो क्रान्ति भी न होती। पूंजीवादी प्रचारकों के अफसोस का यही कारण था। उनके प्रचार की प्रतिध्वनि वर्माजी की टिप्पणी में भी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि बोल्शेविक आन्दोलन की जान लेनिन है और रूस में उनका बड़ा आदर है। वर्माजी की टिप्पणी में यह ध्वनि भी निकलती है कि लेनिन अपने युग के सबसे बड़े क्रान्तिकारी हैं। सोवियत राज्यसत्ता के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे बोल्शेविक पार्टी और उसके नेता लेनिन का महत्व अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

सोवियत राज्यसत्ता के बारे में लिखा है, "बोल्शेविक सरकार का सगठन किसानों, मजूरों और सिपाहियों की नित्यनैमित्तिक आवश्यकताओं के विचार से हुआ है। यह शासन-संगठन प्रजा की सत्ता की रक्षा करता है। देश के सर्व-साधारण प्रजाजनों के हाथ में रूस की शासनसत्ता रहे यही बोल्शेविक शासन-संगठन सिद्धान्त है। 'लिबरेटर' पत्र में प्रकाशित मि. जान रीड के लेख के अनुसार रूस का वर्तमान सगठन इस प्रकार का है कि रूस के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को १८ वर्ष की वयस होने पर शासन-प्रबन्ध में वोट देने का अधिकार मिलता है। परन्तु सबसे बड़े आश्चर्य की बात—ऐसी बात कि जिसका संसार में किसी ने स्वप्न में भी अनुभव न किया होगा—यह है कि जो लोग अपने फायदे के लिए मजूरों से काम कराते हैं, अर्थात् कारखानों के मालिक हैं, जो लोग बिना परिश्रम

किये धन भोग करते हैं और जो लोग व्यापारी हैं, उन्हें रूस के शासन-प्रबन्ध में मत देने का अधिकार नहीं है। इसका कारण यह मालूम होता है कि बोल्शेविक समार से अमीर-गरीब का भेद ही उठा देना चाहते हैं और धन की प्रतिष्ठा कम करके धन के असम वितरण की अवस्था को बदल देना चाहते हैं। मालूम होता है, बोल्शेविकों की दृष्टि में धन सम्यता का माप नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है कि विषयसुख के साधनों का ही विस्तार करने को सम्यता मानने वाले पाश्चात्य संसार में एक देश ऐसा भी है जहाँ धनी की कोई प्रतिष्ठा नहीं और गरीबों की सबकुछ है। संसार में इग तरह की अवस्था दीर्घ काल तक रह सकती है या नहीं यह स्वतन्त्र प्रश्न है पर यह भी एक सोचने की बात है कि जिन देशों में धन ही शासन-प्रबन्ध का अधिकार दिलाना है, धन ही वोट देने का अधिकार प्राप्त कराता है, क्या वहाँ गरीबों पर यह अन्याय नहीं हो रहा है कि विषयसुख भी धनी लूटें, अधिकार भी उन्हीं को हो, देश का शासन भी वे ही करें और गरीब किसी गिनती में न हों? रूस में देश शासन का अधिकार गरीबों के ही हाथ में है। कारखानों के मालिकों के अतिरिक्त पहले की पुलिस और राज-रक्षक फौज को भी वोट देने का अधिकार नहीं; गूंगे, बहरे और अपराधी भी इस अधिकार से वंचित हैं।" (पृष्ठ ४११-४१३)।

जो लोग यह प्रचार करते थे कि रूस में क्रान्ति के बाद जनतन्त्र समाप्त कर दिया गया है, उनको यहाँ बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है। जनतन्त्र नष्ट नहीं हुआ, उसका प्रसार हुआ है। पुराने जनतन्त्र की विशेषता यह है कि धन ही शासन-प्रबन्ध का अधिकार दिलाता है, धनी विषयसुख लूटते हैं और देश का शासन भी करते हैं। यह पूँजीवादी जनतन्त्र है जिसमें सत्ता पूँजीपति वर्ग के हाथ में रहती है। नये जनतन्त्र में शासन का अधिकार गरीबों के हाथ में है, पूँजी-पतियों के हाथ से राजनीतिक और आर्थिक अधिकार छीन लिये गये हैं, कारखानों के मालिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है, उनकी पुलिस और राज-रक्षक फौज को वोट देने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट है कि रामचन्द्र वर्मा को इस नये जनतन्त्र से गहरी सहानुभूति है।

सोवियतसत्ता के प्रति सहानुभूति के कारण रामचन्द्र वर्मा सोवियतविरोधी प्रचार से प्रायः मुक्त रहे। जो पक्ष सोवियत राज्यसत्ता की निन्दा करता था, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इसमें प्रायः ऐसे लोग हैं "जो स्वार्थ अथवा किसी और कारण से दूर से बैठे-बैठे उनकी [बोल्शेविकों की] निन्दा किया करते हैं और आजकल युरोप में प्रायः ऐसे ही लोगों की अधिकता है।" (पृष्ठ ४४८)। इनसे भिन्न जहाँ भी उन्हें बोल्शेविकों के समर्थन में कहीं हुई कोई बात मिलती है, उसे वह उद्धृत करते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर गाजियन नाम के अंग्रेजी पत्र के एक संवाददाता को हवाला देते हैं; "बोल्शेविकों के सम्बन्ध में इनकी राय सरकारी राय से बिल्कुल भिन्न थी।" (पृष्ठ ४३२)। इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में वहाँ की श्रमिक जनता ने जो आन्दोलन चलाया, उसका वह विवरण देते हैं। कहते हैं, "अभी हाल में इंग्लैण्ड के स्वतन्त्र धमजीवी दल की अनेक ऐसी सभाएँ हुई हैं जिनमें प्रधानमंत्री लायड जार्ज की रूस सम्बन्धी

नीति पर असन्तोष प्रकट किया गया है और बोल्शेविकों ने तुरन्त सन्धि करने की प्रार्थना की गई है।" (पृष्ठ ४१०) ।

वर्माजी के विचार से, आरम्भ में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, बोल्शेविकों ने रूसी प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जिनमें किमी समझदार को ज़रा भी सहानुभूति नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि राज्यक्रान्ति करने वाले नेताओं के विचार उत्तम हो सकते हैं किन्तु जो साधारण लोग उनके सहायक हो सकते हैं, वे उद्दण्ड होते हैं। आगे कहते हैं, "बोल्शेविकों ने केवल रूस की प्राचीन अत्याचारपूर्ण शासनप्रणाली पर ही विजय नहीं प्राप्त की थी बल्कि बहुत से अंशों में कुछ सावंभीम अनुचित नियमों और सिद्धान्तों पर भी विजय प्राप्त की थी। ऐसी दशा में यदि उनके शासन काल के आरम्भ में कुछ अनुचित कृत्य अथवा अत्याचार हुए हों तो उनके लिए वे बहुत अधिक दोषी नहीं ठहराये जा सकते।" (पृष्ठ ४४६) ।

पूँजीवादी देश राजनीतिक लाभ की दृष्टि से सोवियतविरोधी प्रचार करते हैं, यह बात वर्माजी से छिपी नहीं है। पूँजीवादी देशों की नीति के प्रसंग में कहते हैं, अब तक बोल्शेविक रूस के सम्बन्ध में जितने समाचार आये हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने और उन मित्र राष्ट्रों में से "केवल इंग्लैण्ड ने ही बोल्शेविकों के शत्रुओं की सबसे अधिक सहायता करके उन्हें परास्त करने का आयोजन किया है।" (पृष्ठ ४५०) । रूस के सनिज पदार्थों पर भी ब्रिटिश पूँजीपतियों की निगाह है। वर्माजी कहते हैं, "साईबेरिया में मूल्यवान घातुओं की कई खानें हैं जिन्हें कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने एडमिरल कोलचक की अस्थाई सरकार की सहायता से अपने हाथ में ले रखा है। यदि कोलचक की सरकार बनी रहे तो एक प्रभावशाली ब्रिटिश व्यापारी मण्डल का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।" (पृष्ठ ४५०-५१) । इस प्रकार ब्रिटिश पूँजीपतियों के आर्थिक और राजनीतिक हित मिले हुए थे। रूसी क्रान्ति के बाद बड़े-बड़े पूँजीवादी देशों की सरकारें इस भय से सहमी हुई थी कि अभी जो रूस में हुआ है, कल वह उनके देश में भी हो सकता है। इस भय से मुक्ति पाना रूसी क्रान्ति को दवाने के प्रयत्नों का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वर्माजी कहते हैं, "यह ठीक है कि यदि इंग्लैण्ड इस समय रूस में बोल्शेविकों को दवा लेगा तो भविष्य में उसे वहाँ अपना व्यापार बढ़ाने का भी अच्छा अवसर मिल जायेगा। परन्तु इसके साथ ही उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इंग्लैण्ड के मजदूरों आदि पर बोल्शेविक सत्ता की स्थापना का अब तक जो प्रभाव पड़ चुका है उसका नतीजा सुगतने से वह बच जायगा। इंग्लैण्ड के मजदूर भी अब यह सिद्धान्त उपस्थित करने लग गये हैं कि देश के समस्त उद्योग-धन्धों पर राष्ट्र का अधिकार हो जाय। वे पूँजीवालों का प्रभुत्व नष्ट करके सम्पत्ति का उचित विभाग कराना चाहते हैं और अपने अधिकार तथा सुभीते बढ़ाना चाहते हैं।" (पृष्ठ ४६१) । अपने देश में क्रान्ति की सम्भावना को खत्म करना, जहाँ क्रान्ति हो चुकी है वहाँ की राज्यसत्ता का नाश करना, ब्रिटिश पूँजीपतियों की नीति का यह सार-तत्व था।

ब्रिटिश राजनीति की चर्चा करते हुए रामचन्द्र वर्मा ब्रिटिश साम्राज्य पराधीन भारत को नहीं भूले। अंग्रेजों को केवल इंग्लैण्ड में समाजवादी होने का भय नहीं है, उन्हें भारत में साम्राज्य विरोधी क्रान्ति होने का भय भी इसलिए वर्माजी ने लिखा है, "एक राजनीतिक कारण ब्रिटिश साम्राज्य-सम भी है। अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात से डरते हैं कि कहीं इस नये आन्दोलन प्रभाव भारत, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया आदि पर न पड़े, नई ब्रिटिश साम्राज्य को भी धक्का पहुँच सकता है।" (पृष्ठ ४५२-५३)। ईरान-इराक युद्ध और अफगानिस्तान में सोवियत सेना की स्थिति को लेकर की (१९८१ की) ब्रिटिश नीति का अध्ययन करें तो विदित होगा कि १९ से लेकर १९८१ तक उस नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ।

भारत का स्वाधीनता आन्दोलन रूसी क्रान्ति से किस प्रकार प्रभावित रहा है या उसे किस प्रकार प्रभावित होना चाहिए, इसका विवेचन वर्माजी पुस्तक में नहीं है। किन्तु उन्होंने एक अध्याय भारत के किसानों और मजदूरों लिखा है। 'बोल्शेविज्म' नाम के अध्याय के बाद अगला अध्याय है, 'भारत कृषक और मजदूर'। यह अध्याय लिखने का अर्थ है, रूसी क्रान्ति को पृष्ठभूमि रखकर भारत के किसानों और मजदूरों की स्थिति पर विचार करना। भाषा खेतीहर देस है। पुराने उद्योग-धन्यों का नाश होने के बाद खेती पर निर्भर वालों की सख्या और बढ़ गयी है। इसलिए भारत का अर्थ हुआ खेतिहर भाषा किसानों का भारत।

वर्माजी ने किसानों को लक्ष्य करके लिखा है, "भारतीय कृषकों की कही मोटे हिसाब से सारे भारतवर्ष की कहानी है क्योंकि भारत की जनसंख्या का ४ अंश देहातों में ही बसता है। पर इस कहानी का आदि, मध्य और अन्त सब दुःखपूर्ण है।" (पृष्ठ ४५५)। संक्षेप में दुःखों की कहानी यह है: "जो सारे वर्ष एक दिन भी नहीं जानता कि भरपेट खाना किसे कहते हैं, जिसने एक बार अनुभव न किया हो कि शीत और लू से बचनेवालों को क्या गुण मिलता जिसने जन्मभर में एक बार भी न जाना हो कि निश्चिन्त और निरभय जीवन कैसा होता है; मानस हित जीवन का सुख जिसे कभी एक क्षण के लिए भी न मिल अपमान जिसका भोजन, उपवास जिसका वस्त्र, भय और चिन्ता त्रिगुणों का विछाने के सामान हो, उसके दुःखों की किसके दुःख से तुलना की जाय? गन्धु की भाँति खरीदे और बेचे जानेवाले दास भी कदाचित् उगके गमान दुःखी न होंगे।" (पृष्ठ ४५५-५६)।

खेती के उपकरण पुराने हैं, भूमि की उर्वराशक्ति घटती जाती है, (उत्पत्ति के) भारत के बाहर करोड़ आदमी चोरीग धर्यों में एक बार आधा पेट भोजन पाते हैं। जमींदारी और रेंपतपारी दोनों तरह की प्रथाओं में लगान और टैक्स देते उनका कच्मूर निकल जाता है। प्रथा में मरनेवालों की गिनती नहीं। भारतीय किसानों के शोषण की एक विशेषता इनका शोषण बढ़ाना है। वर्माजी कहते हैं कि "आजकल के जमींदारों की मर्यादा में अधिक किसी विशेष के पर एक कृषक का अधिकार रहने की शक्ति है।" (पृष्ठ ४६२)। पाँच अंश के

पहले ही बेदमल करके नहीं गेत दूगरे किमान को ख्यास मगान पर उठा देने है। जमींदारी प्रथा के मगये विरुद्ध रूप हिंसा-भागी प्रदेश में रहे है। बर्माजी के अनुगार भारत के असीमी फीगस किमान 'कच्ची रिआया' है। इगना अर्थ यह है कि ये भूमिहीन है। जमींदार उन्हें कुछ मगय के लिए गेत जीनने रहने की अनुमति देता है, वह अपनि मगान होने पर उन्हें "बेदमल कर देने अयवा नये रूप में तगान तगाने का पूरा अधिचार जमींदार को होता है।" (पृष्ठ ४६२)। जमींदार के साथ महाजनो की फीज है। महाजनो में सबे लिए बिना किमान एक दिन भी जी नहीं सकता।

जो लोग भूल गये हों कि प्रेमचन्द ने किम भाग्य का विषय किया था, ये महाजनो के बारे में रामचन्द्र बर्मा का यह विवरण प्यान में पढ़ें। निगा है, "गीर में ऐसे बहुतेरे किमान मिनते है जो अपनी प्रत्येक फगन की गारी उपत्र पहने महाजन को शोष देते है, फिर उगी में कपये और जन्न नेकर तगान देते और पेट पालते है, जिनका गारा टाट पनार ऋष पर है; महाजन की ख्या के बिना जो एक दिन भी जीने में अगमय है। अधिचार भारतीय कृषक उपार बीज साकर बोते, ऋष के खपये में रीज गरीये, ऋष में हर तगान देने और महाजन के ही भाण्डार के जन्न में पेट पालते है। इगना फन यह होता है कि महाजन की मता उम पर जमींदार में भी बड़-बड़कर होती है। जमींदार की अग्रगन्ता का जनर्थ गहने के लिए यह एक बार तैयार भी हो गाला है, पर महाजन ही देगी नबर देगने की उसमें शक्ति नहीं। जमींदार यदि उमके लिए देखा है तो महाजन माधात् स्थिति और नास का अधिकारी ईस्वर।" (पृष्ठ ४६५)।

जमींदारी-महाजनी शोषण का रक्षक है अंग्रेजी राज। जहाँ भी जमींदारों-महाजनो के हित का नास होता हो, जहाँ भी उनके शोषण के विरोध में किमान सिर उठाते हों, वहाँ इन महाजनो और जमींदारो की रक्षा के लिए पुलिस और फौज आ पहुँचती है। कानून और अदालत इगी शोषक वर्ग की रक्षा के लिए है। बर्माजी ने यह सब नहीं लिया किन्तु प्रेमचन्द ने यह सब लिखा है। इनीलिए महाजनो और जमींदारो के बंगज और उन बंगजों के चाकर आज भी प्रेमचन्द को शमा करने के लिए तैयार नहीं हैं।

तगान बढ़ाना जमींदारो शोषण का प्रमुग साधन है, एकमात्र साधन नहीं। रामचन्द्र बर्मा ने शोषण के जिन अन्य साधनो का वर्णन किया है, उनसे स्वाधीन भारत के बहुत से युवक अपरिचित होंगे। प्रेमचन्द ने प्रेमाधम में जिस ग्राम-ममाज का चित्रण किया है, उसी की सलक रामचन्द्र बर्मा के निम्नलिखित विवरण में है।

"केवल अपने और गेत के सामर्थ्य से भी अधिक तगान देकर ही भारतीय कृषक अपने पूर्वजन्म के महाजनो के ऋष से निपटति नहीं पाता। पट्टा लिखने के समय जमींदार और उसके कारिन्दे को नजराना, पटवारी को तहरीर और प्यादे को दस्तूरी देना उसका कर्तव्य होता है। बेवानी की रसीद प्राप्त करने के समय कारिन्दे की वार्षिक बलि चढ़ानी पडती है। तफाजे का डण्डा तनिक हल्के हाथ से लगाया करे, इस उद्देश्य से प्यादे की भी साल में दो-चार बार भेंट-पूजा करनी

पड़ती है। जमींदार के घर लड़के का व्याह हो तो 'नचोना' और लड़की ब्याही जाय तो 'दायज' देना उसका अनिवार्य कर्तव्य है। जमींदार को यदि घोड़ा रखने का शौक चरोया तो 'घोडोना' नामक टैक्स दे, उसके यहाँ ब्राह्मण-भोजन हो तो दवाई के लिए रसा हुआ घी समर्पित कर दे। किसी बड़े काम के लिए जब उसे धन की जरूरत हो तो उसके बँल या घोड़े की लाटरी का टिकट खरीदे। गाँव में किसी हाथी ऊँट वाले साधु-महन्त का अयाडा या किसी मुन्नी-मैनाजान का डेरा आ धमके और जमींदार महासय की भक्ति या रसिकता में उवाल आ जाय तो यथासाध्य अन्न, तरकारी, घी आदि भेंट कर उसका मान रखना भी कृपक के लिए आवश्यक है। होली में एक कटोरी भगमिश्रित शरबत (मंगरसा) के प्रसाद के लिए एक रुपया पूजा चढ़ाने की बसीयत उसके दड़दादा ही कर गये हैं।" (पृष्ठ ४६४)।

जो लोग प्रथम महायुद्ध के समय के भारत से परिचित नहीं हैं, उन्हें यह सब अतिरिजित प्रतीत होगा किन्तु वास्तविकता यही थी। अंग्रेजों ने पुराने सामन्तवाद में काफी परिवर्तन किया, उसके अवशेष बचे बनाये रहे, साथ ही उन्होंने नये तरह के सामन्तों को जन्म दिया जो पुराने सामन्तों के अवशेष नहीं है वरन् अंग्रेजी राज की नयी सृष्टि हैं। यह सारा सामन्त-समुदाय अंग्रेजी राज द्वारा रक्षित था, साथ ही वह स्वयं प्रजा से अंग्रेजी राज की रक्षा करता था। इसी कारण भारत में साम्राज्यविरोधी क्रान्ति तब तक सफल न हो सकती थी जब तक वह सामन्त-विरोधी भी न हो। रामचन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक में ऐसी किसी क्रान्ति की ओर संकेत नहीं किया पर वह जानते अवश्य थे कि अंग्रेजों को ऐसी क्रान्ति से भय है।

बोल्शेविज्म वाले अध्याय में जहाँ वर्माजी ने लिखा है कि रूसी क्रान्ति के प्रभाव से ब्रिटिश साम्राज्य को भी धक्का पहुँच सकता है, वहाँ धक्का पहुँचाने-वाली कौन-सी शक्ति हो सकती है? स्पष्ट ही यह भारतीय जनता के ४/५ भाग की शक्ति होगी अर्थात् सामन्तविरोधी साम्राज्यविरोधी किसान-आन्दोलन की शक्ति होगी। वर्माजी अंग्रेजों को समझाते हैं कि भारत में क्रान्ति होगी ही नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। उनका तर्क है कि यूरोप ने बहुत उन्नति कर ली, इसलिए वहाँ क्रान्ति हुई। भारत पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ क्रान्ति क्यों होगी? लिखा है, "रूस के ढंग की राज्य-क्रान्ति सबसे पहले उन्ही युरोपीय राष्ट्रों में हो सकती है जो सम्यता के शिखर तक पहुँच गये हैं क्योंकि यह राज्य-क्रान्ति आधुनिक युरोपीय सम्यता का ही फल है।" (पृष्ठ ४५३)। वैसे वर्माजी स्वयं कह चुके हैं कि रूस एक पिछड़ा हुआ देश था और वहाँ की क्रान्ति की विकाश-शक्ति थी कि वह ऐसे देश में हुई जो सम्यता के शिखर तक न पहुँचा था। उन्हीं देशों में अंग्रेजों का भय न दूर हो सकता था।

उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि और दूसरे देशों में चाहे ही कुछ हो, भारत में क्रान्ति नहीं हो सकती क्योंकि "बोल्शेविज्म हम भारतीय-राज्य की प्रकृति और प्रकृति के ही प्रतिकूल है।" (पृष्ठ ४५३)। यह तर्क आखिर अंग्रेजों को बचाने के लिए इसलिए यह प्रदन करना उचित होगा कि पूँजीवाद भारत की शक्ति के प्रतिकूल है या नहीं। वर्माजी से छिपा न था कि भारत में पूँजीवाद का प्रवेश हो चुका है।

यहाँ एक नये वर्ग, मजदूर वर्ग, का जन्म हो रहा है। उन्होंने लिखा है, “भारत में यद्यपि अभी बहुत ही थोड़े कारखाने स्थापित हुए हैं तथापि उनका दुष्परिणाम यहाँ के श्रमजीवियों को भोगना ही पड़ रहा है।” (पृष्ठ २६०)। दुष्परिणाम यह है कि “उन्हें बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता है और बहुत ही थोड़ा वेतन मिलता है जिससे उनका पेट भी नहीं भरता और वे सदा कर्जदार बने रहते हैं।” (उप.)। मजदूरों का इस तरह जीवन घिताना भारतीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इनकी दशा में सुधार कैसे हो? वर्माजी भारतीय पूँजीपतियों की ओर देखते हैं और कहते हैं, “भारतीय पूँजीदार अन्यान्य भारतीय धनवानों की तरह दानशील होते हैं। अतः हम आशा करते हैं कि वे अपने इस गुण का उपयोग मजदूरों की दशा सुधारने में भी करेंगे।” (पृष्ठ २६१)।

पूँजीपतियों का तर्क यह था कि मजदूरों के काम का समय कम किया जाये, उनका वेतन बढ़ाया जाये तो जापान जैसे देशों से होड़ करके अपना माल बेचना असम्भव हो जायेगा। वर्माजी पूँजीपतियों के इस तर्क से परिचित हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। श्रमिकों की दुर्दशा का वर्णन करने के बाद कहते हैं, “अभी हाल (दिसम्बर, १९१६) में भारत सरकार ने कपड़े के कारखानों में श्रमजीवियों के काम करने का समय घटाने के सम्बन्ध में कुछ सलाह माँगी थी। इसके उत्तर में कदाचित् बम्बई के कारखानेदारों ने कहा था कि जब तक हमें जापान के मिलों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है तब तक इस विषय पर विचार न करना ही ठीक है। हाँ जिस समय जापान आदि देशों में भी, जिनके साथ हमें भीषण प्रतियोगिता करनी पड़ती है, मजदूरों से थोड़े समय तक काम लेने की व्यवस्था न हो जाये तब तक भारत में इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत ही हानिकारक है।” (पृष्ठ ४७०)।

जब मैनचेस्टर के मजदूरों की दशा सुधारने का प्रश्न होता था, तब अंग्रेजों की सहानुभूति बम्बई के मजदूरों के प्रति जागृत होती थी। जब बम्बई के मजदूरों की दशा सुधारने का प्रश्न होता था तब भारतीय पूँजीपतियों की सहानुभूति मैनचेस्टर के मजदूरों के प्रति जागृत होती थी। प्रतियोगिता के बिना पूँजीवादी संसार का अस्तित्व सम्भव नहीं है। न जापानी प्रतियोगिता समाप्त होगी, न बम्बई के मजदूरों की दशा सुधरेगी; पूँजीपतियों को अपनी दानशीलता का परिचय देने का अवसर ही न मिलेगा। इसीलिए भारतीय श्रमिकों ने सगठित होना सीखा, अपनी दशा सुधारने के लिए संघर्ष करना सीखा, और वे क्रमशः उस विचारधारा से प्रभावित होते गये जो उन्हें पूँजीवादी शोषण से मुक्त होने का मार्ग दिखाती थी।

क्या लोग स्वेच्छा से अपनी पूँजी राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर देने? वर्माजी उत्तर देते हैं, “जो लोग अब तक अपनी पूँजियों ही की बंदीत दुग्धकुण्ड में स्नान करते और सैकड़ों सहस्रों को अपने से हीन देखकर अपने भाग्य या बुद्धिमत्ता पर गर्व करते रहे हैं, जिनमें से अधिकतर विलासिता ही में पले और विलासिता के लिए ही जीते हैं, उनके हृदयों में विश्व-मानव प्रेम का किसी दिन ऐसा ज्वार आ जायेगा कि अपने उसी गर्व, उसी विलासिता की सामग्री—अपनी पूँजी—को वे

राष्ट्र के चरणों में भेंट करके साधारण श्रमजीवी की श्रेणी में आ जायेंगे, यह आशा किसी आशावादी से आशावादी साम्यवादी के अन्तःकरण में भी उद्भूत नहीं हुई।" (पृष्ठ ३३१)। इसीलिए मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार अनिवार्य है। पूंजीपति स्वेच्छा से अपनी पूंजी राष्ट्र के चरणों में अर्पित न कर देगे। इसके लिए राष्ट्र जब उन्हें बाध्य करेगा, तभी वे अपना जीवन-क्रम बदलने को तैयार होंगे।

क्या यह सम्भव है कि राज्य अपने अधिकार का उपयोग करके पूंजीपतियों से जबरदस्ती उनकी पूंजी छीन ले या मूल्य देकर खरीद ले? इन दो तरीकों के बारे में वर्माजी कहते हैं, "इनमें से किसी की व्यवहार्यता असंदिग्ध नहीं है।" (उप.)। तब वर्ग-भेद और वर्ग-शोषण मिटाने का मार्ग कौन-सा है?

पुस्तक के उपसंहार में वर्माजी कहते हैं, "अब तक ससार में जितने अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सिद्धान्त प्रचलित हैं और जितनी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं उन सबका साम्यवाद के सिद्धान्तों से बराबर खण्डन होता है परन्तु साम्यवाद के सिद्धान्त बहुत-से अंशों में अकाट्य और अखण्डनीय ही बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि साम्यवाद के सिद्धान्त उक्त सिद्धान्तों की अपेक्षा बहुत उन्नत तथा आगे बढ़े हुए हैं। और यही कारण है कि इन सिद्धान्तों के माननेवालों की सख्या दिन दूनी और रात चौगुनी होती जाती है। जिस देश में दो-चार साम्यवादी खड़े हो जाते हैं उस देश की प्रायः सारी प्रजा के विचार और मत बदल जाते हैं; प्रायः सारा देश का देश साम्यवाद के सिद्धान्त मानने लग जाता है। इसके विरोधी प्रायः वे ही होते हैं जिनके स्वार्थ में वह बाधक होता है; परन्तु वे ही विरोधी प्रायः सब प्रकार का अधिकार अपने हाथ में रखते हैं इसलिए और लोगों का बस नहीं चलता।" (पृष्ठ ४८७-८८)। लोगों का बस कैसे चले, जिनके पास सब प्रकार का अधिकार है, उनसे यह अधिकार छीनकर कैसे राष्ट्र को सौंपा जाय, इन प्रश्नों का उत्तर मार्क्सवाद के पास है। जिस 'साम्यवाद' के सिद्धान्त अकाट्य और अखण्डनीय हैं, वह मार्क्सवाद है।

वर्माजी की पुस्तक में कुछ असंगतियाँ विचारधारा में उलझन के कारण हैं, कुछ गलत बातें उन्होंने उपयुक्त सामग्री न मिलने के कारण लिखी हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, "कालें मार्क्स की यह राय थी कि डाक्टर और भंगी को उजरत तो एक ही दीजिए, पर भंगी को तीन ही चार घण्टे झाड़ू फटकार देने के बाद सारे दिन और रात के लिए छुट्टी मिल जाए और डाक्टर को ड्यूटी चौबीसों घण्टे रहे और इसके लिए उसे केवल धन ही के रूप में नहीं बल्कि और भी किसी रूप में भंगी से कुछ भी अधिक न दिया जाए।" (पृष्ठ ३४७)। जारशाही का पतन होने के बाद रूस में जो पूंजीवादी सरकार बनी, उसके प्रमुख सदस्य करेन्स्की के लिए लिखा है कि वह 'पक्का साम्यवादी' था। (पृष्ठ ३६०)। रूसी गृहयुद्ध के दौरान धोल्शेविक चारों ओर शत्रुओं में घिर गये थे, "उस समय विवश होकर लेनिन को जर्मनों से धन तथा जन की सहायता लेनी पड़ी।" (पृष्ठ ४६०)।

असंगतियों और अनेक प्रकार के दोषों के बावजूद पुस्तक में विवेचन की मूल दिशा सही है। भूमिका में उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है, "साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल समाज में चलवानों ने जो सामाजिक विषमता उत्पन्न कर दी

है और जिसके कारण समाज के थोड़े से लोग बहुत अधिक सुखी तथा बहुत से लोग दुखी हो रहे हैं वह दूर कर दी जाए; समाज के हित अथवा इच्छा के सामने व्यक्तिगत हित अथवा इच्छा प्रबल न हो सके।” इस मुख्य उद्देश्य को लोकप्रिय बनाने में बर्माजी को सफलता मिली है। हिन्दी प्रदेश में समाजवादी विचारधारा का प्रसार करनेवाली पुस्तकों में उनकी पुस्तक का स्थान भी महत्त्वपूर्ण माना जायेगा।

(च) रूस की राज्यक्रान्ति

१९२० में रमाशंकर अवस्थी की लिखी रूस की राज्यक्रान्ति पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक में फरवरी क्रान्ति की चर्चा अधिक है; अन्त में समाजवादी क्रान्ति की चर्चा संक्षेप में की गयी है। लेखक ने समाजवादी क्रान्ति के सन्दर्भ में स्वयं को तटस्थ रखने का भाव दिखाया है। उसका तर्क है कि क्रान्ति के बाद रूस में शान्ति, सुख और समता की स्थापना के लिए जिन उपायों से काम लिया है, वे भले हैं या बुरे, यह हम नहीं कह सकते। “बिना परिणाम देखे, कैसे कहें। हाँ, यदि उसका इसमें कल्याण होता है, तो वह ऐसा ही करे।” आगे चलकर लेखक तटस्थ नहीं रह जाता। समाजवादी क्रान्ति के बारे में संक्षेप में ही लिखा है पर जो लिखा है, वह महत्त्वपूर्ण है। कई जगह उसे तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। ‘नई दलबन्धियाँ’ नाम के अध्याय में दलों का परिचय देते हुए कहा है कि रूस में एक दल बोलशेविकों का है और एक दल लेनिनिस्टों का है। इसी तरह करेन्स्की को रूसी क्रान्तिकारी नेताओं में सबसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व बताया है। करेन्स्की युद्ध को उचित ढंग से समाप्त करना चाहते थे पर, “लेनिन के पट्टाग में पड़कर मजदूर सैनिक दल ने करेन्स्की को प्रधानमन्त्री के पद से उतार दिया।” आगे लेखक ने स्वयं इस बात का खण्डन किया है और उन कारणों की चर्चा की है जिनसे करेन्स्की को हटाना आवश्यक हुआ।

रमाशंकर अवस्थी इस बात को ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि जो अंग्रेज भारत को पराधीन बनाये हैं, वही रूसी क्रान्ति का दमन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैण्ड अमरीका आदि ने बोलशेविक विरोधी सेनापति देनिकिन की धन और गोला-बारूद से बहुत बड़ी सहायता की पर नवम्बर-दिसम्बर १९१९ तथा जनवरी १९२० में बोलशेविकों ने कियेव और ओदेसा पर अधिकार कर लिया और देनिकिन की सेनाएँ चकनाचूर होकर क्रीमिया की तरफ भाग गयीं। (पृष्ठ २११)। रूस में बोलशेविक-विरोधी सेनापति कोल्चक की सहायता करके चर्चित इंग्लैण्ड को बोलशेविज्म के खतरे से बचाए रखना चाहते थे। रायटर ने इस सिलसिले में जो खबरें सुनायीं उन्हें पढ़ने से सच्चाई और घनाबट की खिचड़ी बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। पहला समाचार—एंडमिरल कोल्चक जीत रहे हैं। दूसरा समाचार—बोलशेविकों ने पेत्रोग्राद खाती कर दिया। तीसरा समाचार—कोल्चक घोघ्र ही मास्को लेनेवाले है। चौथा समाचार—दक्षिण रूस में जनरल देनिकिन ने अस्थायतन ले लिया। सप्ताह को पता नहीं कि ये समाचार कहाँ तक सत्य हैं किन्तु बाद की इतनी खबर खरूर मिली कि बोलशेविकों ने शत्रु को एक

सौ बीस मील पीछे हटा दिया। साम्राज्यवादी समाचार-एजेन्सियाँ अपने प्र-
में असफल हो रही थी। उनकी मनगढ़न्त खबरों पर भारत के प्रबुद्ध लेखक
रहे थे।

गरीब और अमीर का भेद बहुत पुराना है पर वर्तमान सामाजिक विपमत
औद्योगिक पूँजीवाद की देन है। "जब से कल-कारखानों ने जन्म लिया, पूँजीवालों
ने बहुत बड़ी संख्या में आदमियों को नौकर रखकर अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए
संगठित उद्योग और व्यापार आरम्भ किया, तभी से विपमता में कटुता का अंश
बढ़ने लगा।" (पृष्ठ २१६)। पुराने कारीगर तवाह हो गये। पूँजीपतियों की
शर्तों पर उन्हें पुतलीघरों में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। इसका फल यह
हुआ कि समाज में कुछ लोग अमीर होते गये, शेष जनता दरिद्र बन गयी। पूँजी-
पतियों और मजदूरों की लड़ाई में बहुत दिन तक पूँजीवालों की विजय होती रही। पूँजी-
गारण यह था कि "सरकारें उनके हाथों की कठपुतलियाँ थी।" (पृष्ठ २१७)।
स में ज़ारशाही समाप्त की गयी। करेन्स्की की सरकार बनी पर वह जनता
समस्या न हल कर पायी। अवस्थोजी कहते हैं, करेन्स्की की सरकार धनी लोगों
समर्थक हो गयी थी। उसने सैनिकों को सीमान्त पर युद्ध लड़ते रहने और न
लड़ने पर प्राणदण्ड देने के नियम घोषित किये। हज़ारों मजदूरों को कैद में डाल
दिया।" (पृष्ठ २०४)। इस कारण पूँजीपतियों की समर्थक इस सरकार को
हटाना आवश्यक हुआ।

नवम्बर १९१७ में समाजवादी क्रान्ति हुई। विभिन्न दलों की चालें पहचानने
के बाद "जनता ने बड़े विकट साहस के साथ नवम्बर की क्रान्ति की रचना
रची।" (पृष्ठ २०५)। इस क्रान्ति की विशेषता यह थी कि राज्यसत्ता पर श्रमिक
जनता का अधिकार हुआ। "इस क्रान्ति ने ही जनता के हाथों में शक्ति और
संगठन को सौंप दिया। इस अन्तर-क्रान्ति ने रूस में श्रमजीवियों और किसानों
को उनकी असली सत्ता दी, और उन्होंने पंचायत शासन की रचना करके अपनी
भूमि पर अपना कब्जा कर लिया और सच्ची स्वाधीनता प्राप्त कर ली।" (उप.)।
पूँजीवादी देशों में जो जनतन्त्र कायम है, वह पालियामेण्टो में मजदूरों के प्रति-
निधियों को भी बैठने देता है पर वहाँ "पूँजीवालों की अभी वैसी ही चलती है
जैसी कि पहले थी, अब भी वे अपने वाज़ार बनाने और कच्चा माल लाने के
लिये भीषण संग्राम छेड़ देते हैं। उनका हाथ पकड़नेवाला कोई नहीं, उनका मुँह
थामनेवाला कोई नहीं। वे स्वयं सरकार हैं और सरकारें उन्हीं से बनी हैं। फिर
मला गरीबों की सुनें तो कौन?" (पृष्ठ २१६)। करेन्स्की की सरकार इसी तरह
की सरकार थी। इस सरकार का वर्ग-आधार स्पष्ट करते हुए लिखा है: "प्रजा-
तन्त्र अस्थायी सरकार (Provisional Government) के शुभ राज्य में भी
अमीर गरीबों के परिश्रम से अनुचित लाभ उठाते थे, और जमींदार किसानों का
कुटिल नीति को ठुकराकर लेनिन को अपना नेता बनाया। उसने सोचा कि
यह जनता पर अमीरों और जमींदारों का क्रूर शासन बना ही रहा तो क्रान्ति
कल ही क्या निकला? लेनिन ने शासन की वागडोर हाथ में लेते ही यह

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार / २६७

घोषणा कर दी कि किसान ज़मीदारों से भूमि छीन लें और मजदूर मितों के मालिक बन जाएँ।" (पृष्ठ २२३)।

यह स्वाभाविक था कि युद्ध और शान्ति के मामले में बोल्शेविक सरकार की नीति करेन्स्की की सरकार की नीति से पूरी तरह अलग हो। रमाशंकर अवस्थी ने समाजवादी रूस की शान्ति-नीति का विवेचन इस प्रकार किया था : "युद्ध के सम्बन्ध में बोल्शेविकों की यह निश्चित सम्मति है कि युद्ध केवल धनी समुदाय के लाभ के लिए लड़े जा रहे हैं। समस्त सम्पत्तिवादी देश नये बाजारों, कच्चे माल की प्राप्ति और नये लाभ के लिए यह युद्ध छेड़े हुए हैं। श्रमजीवियों के लिए युद्ध लाभप्रद तो हो ही नहीं सकता, उल्टा नाशकारक है। इसीलिए बोल्शेविकों ने युद्ध बन्द कर देने के लिए एक स्वर से घोर विरोध आरम्भ किया। संसार भर से युद्ध उठा देने के लिए बोल्शेविकों ने प्रयत्न किये। इसीलिए बोल्शेविकों ने गुप्त सन्धियों को प्रकट करके संसार के धनी समुदाय के स्वार्थों को प्रकट कर दिया। बोल्शेविकों का कहना यह था कि संसार भर के पूंजीवाले झूठमूठ ही संसार की स्थायी शान्ति का ढकोसला रच रहे हैं, और संसार की जनता को धोखा दे रहे हैं। करेन्स्की की सरकार भी इसीलिए उन गुप्त व्यापारिक और भौमिक शर्तों को प्रकट करना नहीं चाहती थी। ज़ार ने इंग्लैण्ड और फ्रांस के साथ कुस्तुनतुनिया, आर्मीनिया और गलीशिया हड़प कर लेने के लिए ये गुप्त सन्धियाँ की थीं। करेन्स्की की सरकार ने भी इन सन्धियों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया था। अब चूँकि शासन की सत्ता श्रमजीवियों के हाथ में आ गयी, इसलिए उन्होंने उन गुप्त सन्धियों को संसार पर प्रकट कर दिया।" (पृष्ठ २०६-२०७)।

अंग्रेज़ बराबर प्रचार कर रहे थे कि रूस भारत पर हमला करनेवाला है। इस बात से भारतवासियों को वैसे भी डर न था क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पहले ही अधिकार किये बैठे थे। किन्तु अंग्रेज़ों ने युद्ध क्यों किया था, कच्चे माल के बाजारों में युद्ध का सम्बन्ध किस तरह का है, साम्राज्यवाद युद्ध के बिना रह नहीं सकता, साम्राज्यवाद के रहते स्थायी शान्ति की बातें करना व्यर्थ है, ये सारी बातें समाजवादी क्रान्ति के बाद अनेक भारतीय लेखकों के सामने बहुत स्पष्ट हो गयी थी। विश्व साम्राज्यवाद में भारत की स्थिति क्या है और यह साम्राज्यवाद समाजवादी रूस में कहाँ टकराता है, यह बात भी उनके सामने स्पष्ट थी।

भारत की मुख्य सामाजिक समस्या किसानों की थी। किसानों को संगठित किये बिना स्वाधीनता आन्दोलन को शक्तिशाली न बनाया जा सकता था। इसलिए कह सकते हैं कि किसानों के संगठन की समस्या भारत की मुख्य राजनीतिक समस्या भी थी। समाजवादी क्रान्ति से रूसी किसान किस तरह प्रभावित हुए, इस बात की ओर ध्यान देना भारतीय लेखकों के लिए बहुत ही स्वाभाविक था। किसानों में बोल्शेविकों ने जो काम किया था, उसके बारे में रमाशंकर अवस्थी ने लिखा, "बोल्शेविक लोग आरम्भ से ही भूमि-वितरण के लिए आन्दोलन उठाये हुए थे। इस 'नवम्बर क्रान्ति' के पूर्व ही बोल्शेविकों ने किसानों से सोवियट अर्थात् अपनी पंचायतें स्थापित करने तथा भूमि पर अधिकार कर लेने के लिए कह दिया था। वंसा ही हुआ भी। किसानों ने अपनी भूमि पर कब्जा जमाकर देश

की उपज को उन्नत किया।" (पृष्ठ २०५)। किसानों ने लेनिन का स
 किया। ज़ारशाही के पतन से किसानों की समस्या हल न हुई, इसलिए वे करे
 सरकार के विरुद्ध हो गये। "रूस में पहुँचकर लेनिन ने किसान-समुदाय
 बिल्कुल अपनी तरफ कर लिया और धीरे-धीरे सैनिक दल भी उनसे जा मिल
 इसका एक मुख्य कारण यह था कि लेनिन ज़मींदारों के हाथों से भूमि छीनव
 किसानों के बीच में बाँट देने का सिद्धान्त रखते थे। ज्यादा सख्या किसानों व
 थी, अतः लेनिन की शक्तियाँ बराबर बढ़ती गयी।" (पृष्ठ १७७)। किसानों
 अपनी पचायतो के माध्यम से धरती का बँटवारा किया। इन्हीं के माध्यम से
 उन्होंने देशद्रोहियों और शत्रुओं के प्रभाव से सर्वसाधारण की रक्षा की। उन्होंने
 ज़मींदारों से अन्न छीनकर जनता का पालन-पोषण किया। रूस में किसानों की
 स्थिति यह है: "किसानों को भूमि बाँट दी गयी, एक किसान जिनकी भूमि जोत-
 वो सकता है उतनी भूमि का वह स्वामी बना दिया गया। अब न तो ज़मींदार
 रहे और न अनाज के व्यापारी। किसान अपनी ज़मीन जोत-वो लेता है। उसकी
 पैदावार राष्ट्र की सम्पत्ति है। उसी में से राष्ट्रीय सरकार किसानों का भी पालन-
 पोषण करती है, और उसी से अन्य प्रकार के काम करनेवाले लोगों का भी पैत
 पलता है।" (पृष्ठ २२०)। इसी प्रकार नगरों के श्रमिक अपने श्रमफल का एक
 भाग किसान को देते हैं। सामन्ती शोषण से मुक्त होकर किसान अपने श्रम से
 देश की जनता को लाभ पहुँचाता है और स्वयं भी उससे लाभ उठाता है। रूसी
 क्रान्ति का यह सामन्त-विरोधी पक्ष भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए
 विशेष रूप से प्रेरणादायक था।

(छ) राष्ट्रीय मन्त्र

त्रिशूल का राष्ट्रीय मन्त्र कविता-संग्रह जनवरी १९२१ में रमाशकर अवस्थी ने
 प्रकाशित किया। इसमें 'सत्याग्रह' और 'असहयोग' कविताएँ गांधीजी के नेतृत्व
 में चलनेवाले आन्दोलन के समर्थन में लिखी गयी हैं; त्रिशूल इस आन्दोलन का
 समर्थन करते हुए किस दिशा में उसका प्रसार चाहते हैं, इसका ज्ञान उनकी
 'जातीयता (राष्ट्रीयता)' कविता से होता है। जातीय एकता को सुदृढ़ करने के
 लिए वह वेदान्त का सहारा बँसे ही लेते हैं जैसे कुछ दिन बाद निराला लेनेवाले
 थे। कविता यों शुरू होती है:

प्राणिमात्र में प्रेम ब्रह्म की तरह समाया;
 घट-घट में है देख पड़ रही इसकी माया।

वेदान्त की भूमि पर मनुष्य जब यह एकता पहचानता है, तब वह धर्म के बन्धन
 तोड़ डालता है:

बड़ी एकता, तोड़ धर्म बन्धन को डाला;
 उर में है स्वातन्त्र्य भाव धर लिया निराला।

रूस की समाजवादी क्रान्ति के बाद साम्यवाद से सम्बन्धित जनता में जो प्रवल
 आकर्षण बढ़ा, उसका उपयोग त्रिशूल राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने के लिए करते
 हैं:

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार / २०५

साम्यभाव बन्धुत्व एकता के साधन हैं ।

इसका यह अर्थ नहीं है कि गरीब-अमीर सब बराबर हैं; इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता-संग्राम के साथ अब सामाजिक न्याय के लिए गरीब जनता की लड़ाई जुड़ गयी है । इसलिए :

राष्ट्र-पताका पर लिखा रहे 'न्याय स्वाधीनता' ।

पराधीनता से नहीं बढ़कर कोई हीनता ॥

यह न्याय सामाजिक न्याय है, इस न्याय का सम्बन्ध साम्यवाद से है, साम्यवाद गरीब अमीर का भेद मिटानेवाला है, ये सारी बातें त्रिशूल की 'साम्यवाद' कविता से स्पष्ट हो जाती है । सामाजिक विपत्तियों और अन्याय के बारे में त्रिशूल कहते हैं :

श्रम किसका है मगर मोज हैं कौन उड़ाते ।

है खाने को कौन, कौन उपजाकर लाते ॥

किसका बहता घघिर पेट हैं कौन बढ़ाते ।

किसकी सेवा और कौन है भेवा लाते ॥

क्या से क्या यह देखिए रङ्ग हुआ संसार का ।

युग विकास या ह्रास का सिरजन या संहार का ॥

हिन्दी के लिए वर्गशोषण से सम्बन्धित ये विचार नये नहीं थे । ऐसे विचार जनार्दन भट्ट के लेख 'हमारे गरीब किसान और मजदूर' द्वारा जून १९१४ को 'सरस्वती' में प्रकाशित हो चुके थे । त्रिशूल की कविता में जो नई बात है, वह यह है कि संसार में साम्यवाद ने कही यह गरीब-अमीर का भेद मिटा दिया है :

समदर्शी फिर 'साम्य' रूप घर जग में आया ।

समता का सन्देश गया घर घर पहुँचाया ॥

धनद रङ्ग का ऊँच नीच का भेद मिटाया ।

विचलित हो वैपम्य बहुत रोया चिल्लाया ॥

काँटे बोये राह में फूल वही बनते गये ।

साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी बनते गये ॥

त्रिशूल के चिन्तन में साम्यवाद, वेदान्त और क्रान्ति परस्पर सामंजस्य की स्थिति में है । कविता के आरम्भ में जिस—

समदर्शी ने सकल मनुज सम उपजाये थे,

वही समदर्शी फिर साम्यरूप घर कर जग में आता है । अपने इस वेदान्त के कारण त्रिशूल आदिम साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में भेद नहीं कर पाते । उनके लिए आदिम साम्यवाद भारतीय सतयुग का दूसरा रूप है, जब—

पृथ्वी, पानी, पवन पर सबका सम अधिकार था ।

उस समय न कोई प्रभु था, न कोई दास था । यह स्थिति फिर आने को है, यह बोध तो है किन्तु आदिम साम्यवाद में मानव समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, वर्गभेद के बिना सामाजिक प्रगति असम्भव थी, सामन्ती उत्पादन पद्धति ने वह पिछड़ापन दूर किया, सामन्ती उत्पादन पद्धति के मुकाबले पूँजीवादी उत्पादन पद्धति ने उत्पादक शक्तियों का, समाज की उत्पादन क्षमता का विराट प्रसार किया, इस प्रसार से मुट्ठी भर पूँजीपति लाभ उठाते हैं, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादनक्षमता का और भी

प्रसार होता है और तब जो साम्यवाद आता है (वास्तव में वह कही जाया नहीं है, समाजवाद के बाद वाली वह मंजिल अभी काफी दूर है), वह गुणात्मक रूप से आदिम साम्यवाद से भिन्न होता है, यह बोध मार्क्सवाद के अनेक विशेषज्ञों को दूसरे महायुद्ध के बाद भी नहीं हुआ, इसलिए आदिम साम्यवाद के प्रति त्रिशूल का दृष्टिकोण क्षम्य है। त्रिशूल समझते हैं कि सतयुग फिर आवेगा, किन्तु क्रान्ति के बाद आवेगा :

फैले हैं ये भाव नया युग लाने वाले;
घोर क्रान्ति कर उलट फेर करवाने वाले।

साम्यवाद का नाम लेकर उस पर लिखी हुई कविता सम्भवतः यह हिन्दी में पहली है। अन्य भारतीय भाषाओं को देखते हुए यह निश्चय साम्यवाद पर लिखी प्राथमिक कविताओं में ठहरेगी। त्रिशूल के चिन्तन का मूल्यवान पक्ष यह है कि उसमें वर्गभेद और सामाजिक असमानता पर बल है और सामाजिक न्याय पाने की आकांक्षा को वह सीधे स्वाधीनता आन्दोलन से जोड़ते हैं। उनके चिन्तन में यह भी स्पष्ट है कि मानवसमाज में शोषण और अन्याय क्रान्ति द्वारा मिटाया गया है।

नज़रूल इस्लाम की कविता 'साम्यवादी' 'लाङ्गल' पत्र के १६ दिसम्बर १९२५ के अंक में छपी थी। इस कविता में वर्गभेद और सामाजिक विषमता का उल्लेख नहीं है, उन्हें मिटाने की आकांक्षा की अभिव्यक्ति नहीं है। इसमें हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब धर्मों की एकता पर बल है। इस एकता का आधार यह है कि सभी धर्म सत्य हैं और उनके सस्थापकों ने सत्य का साक्षात्कार अपने मन के भीतर किया था। इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि सत्य को धर्मग्रन्थों में खोजना बेकार है; उसका निवासस्थान मनुष्य का मन है :

एइ हृदयेर ध्यान-गुहा-भाझे बसिया शाक्य मुनि
त्यजिल राज्य मानवेर महा-वेदनार डाक शुनि।
एइ कन्देरे आरव-दुलाल शुनितेन आह्वान
एइ खाने बसि गाहिलेन तिति कोरानेर साम-गान !
मिथ्या शुनिति भाइ,

एइ हृदयेर चेये बड कोनी मन्दिर कावा नाइ।

इस तरह के भाव रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी अनेक कविताओं में व्यक्त कर चुके थे। जिस समाज में प्रत्येक धर्म के नेता अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म-वालों से लड़ने को तैयार हों, उसमें मनुष्य के मन को सत्य का एकमात्र स्रोत कहना ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य है किन्तु १९२५ में इतना कहना काफी नहीं था। त्रिशूल के 'साम्यवाद' से यह कविता भिन्न स्तर की है; इसमें साम्यवाद का सम्बन्ध सामाजिक न्याय की प्राप्ति से नहीं जोड़ा गया।

(ज) संजीवनी

राष्ट्रीय मन्त्र के प्रकाशन के कुछ समय बाद संजीवनी कविता-संग्रह प्रकाशित आ। इसमें प्रकाशन संवत् १९७८ दिया हुआ है। इसके प्रकाशक 'गयाप्रसाद

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार / ३०१

गुल (सनेही)" है; वह सस्ती-हिन्दी-पुस्तकमाला के व्यवस्थापक है। इस सनेहीजी ने 'त्रिशूल' के अलावा अन्य कवियों की रचनाएँ भी छापी हैं। क्रमशः सनेही उपनाम ने 'त्रिशूल' को पीछे ठेल दिया और गयाप्रसाद गुल सनेही नाम से विख्यात हुए। कविताएँ राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से लिखी गयी हैं, इसलिए प्रकाशक के 'निवेदन' में पाठक को बता दिया गया है: "कविताओं में कवित्व की पूरी छटा हो या न हो, वे जिस विषय पर लिखी गयी हैं उसका ज्ञान पाठकों को अवश्य करा दें इसमें सन्देह नहीं। यही नहीं इस तुलबन्दी के युग में भी वे दर्शकों के मनोभावों को उत्तेजित करेंगी।"

इस संग्रह में 'स्वदेशीव्रत', 'अहिंसा सन्ध्या' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत अनेक कविताएँ दी गयी हैं। इनके साथ एक शीर्षक 'साम्यवाद' है। त्रिशूल की 'साम्यवाद' रचना के साथ यहाँ बागीश्वर और शिवदास गुप्त 'कुमुम' की कविताएँ भी दी गयी हैं। 'कुमुम' की कविता में कुछ बातें समाज-व्यवस्था का विदलेपण करते हुए बहुत स्पष्ट रूप में कही गयी हैं। पूंजीवाद बढ़ रहा है, छोटे धनिकों का दिवाला निकल रहा है। व्यापारिक संसार पूंजीपतियों के हाथ में है; जैसा चाहते हैं, उसे वैसा मोड़ देते हैं।

प्रजा का रक्त चूसकर राज्य बढे हैं। "रक्तपात पर राज्यवाद की नींव पड़ी है।" इसी कारण बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ी गयी हैं। "सत्तावाद" ही अज्ञानता का हेतु है। पूंजीवादी शोषण के साथ यहाँ सामन्ती शोषण भी चालू है:

जोतें खेत किसान अन्न हो ज़मींदार का।

काम करें श्रम-शील माल हो साहुकार का ॥

यही ढङ्ग है आज सम्यता के बजार का।

खूब [खून] हो रहा न्याय धर्म का, सदाचार का ॥

साम्यवाद के मूल पर होता बच प्रहार है।

इसीलिए तो सब तरफ़ हाहाकार प्रचार है ॥

(क) भारतीय श्रमजीवियों को सन्देश

सत्यभक्त की पुस्तिका भारतीय श्रमजीवियों को सन्देश श्रमजीवी लेखमाला सं. १ (Proletariat Series No. 1) है। भारतीय श्रमजीवियों को सन्देश के नीचे छपा है:

(A message to the Indian Proletariat) 'Workers of all lands unite, you have nothing to loose [lose] but your chains, you have a world to win.'—Karl Marx)

'संसार भर के श्रमजीवियों, मिलकर उठ खड़े हो। तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय अपने बंधनों के कुछ नहीं है, और जीतने के लिए सारा संसार तुम्हारे सामने पड़ा है।' 'निवेदन' का स्थान नागपुर, ता. २१/५/२३ है।

लेखक ने श्रमजीवी पत्र का विज्ञापन किया, पर २०-२५ ग्राहक ही बने। अतः पत्र न निकाला। यहाँ श्रमजीवी सम्बन्धी विचार दे रहे हैं। मूल्य है २ पैसे, पृष्ठ संख्या है १४। लोग इसे कुछ भी अच्छा समझेंगे तो हर १५वें दिन या प्रति-

मात्र ऐसे ट्रैक्ट प्रकाशित करेंगे।

पूछा है : श्रमजीवी कौन है ? उत्तर है : जो हाथ पैर से, दिमाग से मेहनत करके खाता है। मेहनत वह जिससे "कोई उपयोगी चीज पैदा हो या बने।" सेठ-साहूकार, जमींदार दूसरों की मेहनत की कमाई छीनते हैं।

श्रमजीवियों के अधिकार और वर्तमान दशा के बारे में कहते हैं : "संसार में सब चीजों पर वास्तव [में] श्रमजीवियों का अधिकार होता चाहिए। क्योंकि सब चीजें उनकी मिहनत में ही पैदा होती हैं या बनती हैं।"

मेहनत करनेवाले गरीब हैं। इसका कारण भाग्य का लेख नहीं है—“यह ईश्वर और भाग्य की बात इन मालदार और दूसरों को मिहनत पर बैठे-बैठे खानेवाले लोगों ने फैलाई है।” असली कारण यह है कि राज्य का कारवार मालदार लोगों के हाथ में है। गरीबों की मेहनत से बनी चीजें मालदारों के पास पहुँच जाती हैं। “इसका कारण सिवाय चालबाजी के, ठगी के और कुछ नहीं है।”

जमींदारों और किसानों के बारे में कहते हैं : जमींदार अपने गाँवों के लिए जितना रुपया सरकार को देता है, उससे चौगुना, अठगुना, दसगुना किसानों से वसूल करता है। जमीन उसकी नहीं। “हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कि जमीन उमी की है जो उसे जोतता-बोता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि जमीन न तो जमींदार की है, न उसके बाप की।”

कारखानेवानों और मजदूरों के बारे में यह विचार है : “कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को प्रायः उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे वे किसी प्रकार अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट भर सकें।” मालिक ऐश करते हैं, मजदूर गरीबी में दिन काटते हैं। “इसका सबब बहुत छुपा हुआ नहीं है। कारखाने में मजदूर जब चार रुपये का काम कर देता है तो उसको एक रुपया मजदूरी दी जाती है, बाकी तीन रुपये कारखानेवाले की जेब में जाते हैं।” कारखाना खोलने में जो रुपया लगाया जाता है, वह “उन्हीं गरीब मजदूरों की मजदूरी से बचाया जाता है। ऐसी दशा में यदि यह कहा जाय कि मजदूर ही कारखाने के असली मालिक हैं तो उसमें क्या झूठ है ?” कारखाने अपने आप माल पैदा नहीं करते। “रुपया आदमी की मिहनत से पैदा होता है [,] न कि मशीन और इजिनो से। इसलिए जो कारखानेवाले मिलों के मालिक बैठे-बैठे लाखों रुपये पाते रहते हैं, उसको सिवाय लूटने या ठगने के और कुछ नहीं कहा जा सकता।” चोर-डाकू खुल्लमखुल्ला मार-पीटकर धन छीनते हैं। “पर ये मालदार लोग—सफेदपोश, सभ्य डाकू चालबाजी से, एक रुपये की चीज के चार रुपये लेकर, एक रुपये के काम के चार आने देकर, दूसरे का धन लूटते हैं।” मालवीयजी भारवाड़ी सेठों की प्रशंसा करेंगे, विद्यालय के लिए दस पाँच लाख रुपये मित्त जायें। गांधीजी तिलक स्वराज्य फण्ड के लिए “बम्बई के मालदार लोगों के सामने झुक जाते हैं।”

कानून और न्यायव्यवस्था का उपयोग पूँजीपतियों की लूटखसोट को कायम रखने के लिए होता है। पूँजीपतियों के शोषण को चाहे जिन शब्दों में घुमा-फिराकर जनता के सामने पेश किया जाय, उसका वास्तविक अन्यायपूर्ण रूप छिपाया नहीं जा सकता। सत्यभक्त इस प्रयोग में मजदूरों से कहते हैं : “धनवानों

के लूटने को कोई चुरा नहीं कहता और उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े कायदे कानून बनाये जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे सब्द ढूँढ़-ढूँढ़कर उन लोगों के ऐव-दोष को छुपाया जाता है। पर ये सब बातें धनवानों की असली भयंकरता को नहीं छुपा सकती। हम पूछते हैं कि यदि चार रुपये की कीमत के मुलम्मे के गहने को असली सोने का बतलाकर बीस रुपये में बेचनेवाला राजा पाने का हकदार है तो एक रुपये में तैयार किये गये धोती-जोड़े को चार रुपये में बेचनेवाले मिल-मालिक को राजा क्यों न मिलनी चाहिए? अथवा यदि किसी के घर में से चोरी करनेवाला व्यक्ति जेलखाने भेजा जाता है, तो दस सेंटर का अनाज खरीदकर उसे ५ सेंटर के भाव से बेचनेवाले दुकानदार पर मुकद्दमा क्यों न चलाया जाय? यद्यपि ये बातें हज़ारों साज से होती चली आती हैं और इसलिए ये हमारे स्वभाव में इतनी मिल गई हैं कि हम सहज में उनकी चुराई नहीं समझ सकते, तो भी यदि विचार करके देखा जाय तो एक डाकू एक चोर और एक कारखाने के मालिक या दुकानदार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। भेद केवल लूटने के ढंग का है।"

सारी दुनिया में पूँजीपतियों की लूट का ढंग मूलतः एक है, इसलिए उस लूट को रोकने के लिए दुनिया के मजदूरों का ढंग भी एक है। दुःख और गरीबी को जिन्दगी से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि "गरीब लोग—श्रमजीवी आपस में मिलकर, एक होकर मालदार लोगों के अन्याय का विरोध करें।" अन्य देशों के मजदूरों ने संगठित होकर अपनी दशा कैसे सुधारी है, इसका वर्णन करते हुए सत्यभक्त ने आगे लिखा है: "यूरोप व अमरीका में श्रमजीवियों ने यह उपाय काम में लाना शुरू कर दिया है। और इसी को सोशलिज्म (साम्यवाद), कम्यूनिज्म, बोल्शेविज्म आदि नामों से पुकारा जाता है। रूस के श्रमजीवियों को अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने यहाँ से बादशाह और मालदार लोगों की हुकूमत को उखाड़कर फेंक दिया है। अब वहाँ ज़मींदार नहीं हैं और किसान ही अपने खेतों के सोलह आने मालिक हैं। अब वहाँ कारखानों के मालिक मजदूर ही माने जाते हैं और कारखाने का तमाम मुनाफा उन्हीं को मिलता है। अब वहाँ ऐसी हालत नहीं है कि अमीरों के सामने तो बढ़िया बढ़िया भोजनों की बीसियों थाली रखी जाय, उनके कुत्ते बिल्ली भी दूध-मलाई खाँय और गरीब लोग रोटी के टुकड़े को भी तरसे। अब वहाँ सबको प्रायः एक-सा और बराबर भोजन मिलता है।"

अन्त में भारत के श्रमजीवियों के बारे में कहते हैं: "अभी उनको अपनी दुर्दशा का भी पूरा ज्ञान नहीं है। वे दुःख अवश्य सहते हैं। पर उसका कारण उनको ज्ञात नहीं। इसलिए उनका कर्तव्य यही है कि वे अपने ऊपर होनेवाले मालदार और ज़मींदार लोगों के अन्यायों को समझें और उनसे बचने के लिए अपना संगठन करें। यह संगठन कैसे करना चाहिए और किस तरह से अन्याय का विरोध करना चाहिए, इसे अगले लेख में बतलायेंगे।"

यह अगला लेख नागपुर से प्रकाशित नहीं हुआ किन्तु सत्यभक्त उसमें क्या लिखते, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। वह नागपुर से कानपुर मजदूरों का संगठन करने के लिए आये, वहाँ उन्होंने मजदूर-सभा में काम किया और भारत

तमाम दौलत गिनती के धोड़े-ने आदमियों के पाग दकट्टी हो जाती है और बाकी सब लोग धन की कमी के कारण तकलीफ पाने लगते हैं। अन्त में यह भगड़ा युद्ध के रूप में बदल जाता है और तमाम संसार में मारकाट और रुपये-मैते की गड़बड़ी फैल जाती है। इस तरह धनवान लोग अपने दीप में ही बर्बादी का सामान पैदा कर लेते हैं और संसार की बागडोर उनके हाथ में निकलकर मिहनतपेशा लोगों के हाथ में चली जाती है।”

धनवानों के हाथ से बागडोर अपने-आप निकलकर मिहनती लोगों के हाथ में नहीं पहुँच जाती। इसके लिए मजदूरों को अपना संगठन बनाना होता है, अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी होती है, फ्रान्ति करनी होती है। फ्रान्ति पुरानी राज्य-सत्ता के पूरे तंत्र का ध्वंस करके सम्पन्न होनी है, पुराने तन्त्र को कायम रखते हुए मजदूर नयी तरह की समाज-व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। साम्यवादी विचारधारा के इस पक्ष पर, ‘मिहनतपेशा लोगों को फतह कैसे हासिल हो सकती है’ यह सिरनामा देकर, सत्यभक्त ने आगे लिखा है : “यूरोप के इतिहास और मिहनत-पेशा लोगों के आन्दोलन पर बहुत विचार करने के बाद मार्क्स ने यह नतीजा निकाला था कि जब तक मौजूदा हकूमत को बिल्कुल खतम नहीं कर दिया जायेगा तब तक मिहनतपेशा लोगों को कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अगर मिहनत-पेशा लोग फतह पाने के बाद पुरानी हकूमत (शासन-प्रणाली) को ज्यों-का-त्यों रहने दें तो उनको धोखा खाना पड़ेगा। सन् १८७१ में पेरिस में मजदूरों का जो राज्य कायम हुआ था, वह इसी कारण से सिर्फ दो महीने के भीतर नष्ट हो गया। इसलिए यह जरूरी है कि मिहनतपेशावाले वर्तमान हकूमत पर फतह पाते ही उगे एकदम नष्ट कर दें और अपनी नये ढंग की हकूमत कायम करें। इस हकूमत में तमाम ताकत मजदूरों, किसानों और दूसरे नौकरीपेशावालों की कमेटियो या पंचायतों के हाथ में रहनी चाहिए।

“कम्यूनिस्ट यह भी समझते हैं कि धनवान सहज में या राजी से अपनी हकूमत को नहीं छोड़ेंगे। पहिले जमाने में भी जब एक दल (class) ने दूसरे दल के हाथ से हकूमत ली थी तो दुनिया में घोर युद्ध और बलबे हुए थे। इसलिए अब अगर मिहनतपेशा दल (Proletariat Class) धनवानों के दल (Capitalist Class) के हाथ से दुनिया की बागडोर लेना चाहता है तो इसके लिए आजकल की हकूमत को जबरदस्ती लौट देना पड़ेगा।”

मार्क्स ने १८६४ में मजदूरों का पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। १८७२ में इसके टूटने के बाद १८८६ में दूसरी इण्टरनेशनल बनी। रूसी फ्रान्ति के बाद १९१६ में तीसरी इण्टरनेशनल का जन्म हुआ। इस इण्टरनेशनल की कांग्रेस १९२० में हुई। सत्यभक्त ने इसका घोषणापत्र विस्तार से उद्धृत किया है। इस घोषणापत्र में कहा गया है कि पहला महायुद्ध समाप्त हो गया है पर सच्ची शान्ति अभी कोसों दूर है। यूरोप और अमरीका के देशों में लागडाट पहले से ज्यादा बढ़ती जाती है, दूसरे महायुद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। “अगर संसार इस नाशकारी महायुद्ध से बचना चाहता है तो इसका एकमात्र रास्ता यही है कि दुनिया में से धन की प्रधानता—पूंजीवाद को खतम कर दिया जाय और गरीब लोगों को

उनका पूरा हक मिलने लगे।" पूंजीवाद की घुरादयों को पहले थोड़े-से साम्यवादी ही समझते थे, अब संसार के करोड़ों आदमी उन्हें देखने और समझने लगे हैं। मजदूरों का सगठन ही संसार को विनाश से बचा सकता है।

संसार के कम्युनिस्ट पूंजीवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चला रहे हैं, वह स्वयं सत्ताधारी बनने, सत्ता में लाभ उठाने के लिए नहीं। सत्यभक्त कहते हैं : "कम्युनिस्ट पार्टी तो आजकल संसार में मची हुई मारकाट को जल्दी से खत्म करने के लिए यह सब कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर जल्दी ही मिहनतपेशावालों की हकूमत कायम नहीं की गयी और धनवान दलवानों (पूंजीवादियों) को नहीं दबाया गया तो यह लड़ाई-झगड़े सैकड़ों वर्षों में भी खत्म नहीं होंगे। इसका फल यह होगा कि बार बार महायुद्ध होंगे; घेरा डालकर लोगों को भूखा मारा जायगा; अकाल और रोग फैलेंगे; आपस में वैर-भाव बढ़ेगा और अन्त में तमाम सभ्यता का नाश हो जायेगा।"

हम में कम्युनिस्ट पार्टी ने पूंजीवाद-विरोधी क्रान्ति की। यह एक नयी तरह की पार्टी थी। मजदूरों से उसका अभिन्न सम्बन्ध, कड़ा अनुशासन, दाँवपेंच में लचीलापन, हर हालत में किताबी सिद्धान्तों से चिपके रहने की नीति का त्याग—इस पार्टी की ये विशेषताएँ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सगठन और उसकी भूमिका के बारे में सत्यभक्त ने लिखा है : "कम्युनिस्ट पार्टी को अपने लिए हमेशा मिहनत-पेशावानों का एक हिस्सा समझना चाहिए, सदा उनके सगठन की कोशिश करते रहना चाहिए, और मजदूर तथा किसानों की जो कमेटियाँ पहिले से बनी हों उनका काम चलाते जाना चाहिए। पर साथ ही इस बात का भी खयाल रखना चाहिए कि मिहनतपेशावालों को आगे बढ़ाया जाय और उनको लक्ष्य (निशाने) तक पहुँचाने का रास्ता बतलाया जाय। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि वे खुद इन सिद्धान्तों की पूरी पाबन्दी करें, और अपनी पार्टी के नियमों को खूब कड़ा बनावें। अपनी भीतरी मजबूती के साथ मौके से लाभ उठाना भी बोल्शेविकों का सिद्धान्त है, क्योंकि इसके बिना क्रान्ति में सफलता नहीं हो सकती। जो लोग इस प्रकार की क्रान्ति (बलबे) में पुस्तकों में लिखे हुए सिद्धान्तों से किसी भी दशा में इधर उधर हटना नहीं चाहते और सदा दिखावटी सचाई तथा ईमानदारी का ढोल पीटते रहते हैं, उनसे कम्युनिस्टों की राय नहीं मिलती।"

कम्युनिस्ट पार्टी की ये विशेषताएँ बताने के बाद विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के आपसी सम्बन्धों के बारे में सत्यभक्त ने लिखा है : "हर एक कम्युनिस्ट पार्टी को अपना काम करने के साथ साथ दूसरे देशों की पार्टियों तथा सबकी प्रतिनिधि इण्टरनेशनल कांग्रेस की तरफ भी खयाल रखना चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्ट एक अन्तर्राष्ट्रीय (तमाम संसार में सबन्ध रखनेवाला) आन्दोलन है और उसका उद्देश्य संसार के हर एक देश में मिहनतपेशावालों का शासन कायम करना है। बिना इसके संसार का उद्धार कभी नहीं हो सकता।"

कम्युनिस्ट पार्टी जो शासनतन्त्र कायम करती है, वह जनतन्त्र-विरोधी होता है, इस आरोप का उत्तर देते हुए सत्यभक्त ने पूंजीवादी जनतन्त्र और समाजवादी

जनतन्त्र का भेद बताया है। उन्होंने लिखा है कि "आजकल प्रजातन्त्र के नाम से जो हकूमत की जाती है, वह कोरा ढोंग है और प्रजातन्त्र के असली सिद्धान्तों के खिलाफ है। आजकल के प्रजातन्त्र राज्य असल में ग़ुदमुख्तार हकूमत है। यद्यपि दिखाने के लिए इनमें सर्वसाधारण को 'वोट' या राय देने का अधिकार दे रखा है, पर सच पूछा जाय तो वह धनवानों की निरकुश हकूमत को ढकने का एक परदा है। गरीब लोग अपनी कगाली और अशिक्षा के कारण वोट का अधिकार पाने पर भी उससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते। इसके सिवाय जब मौका आता है तब मालदार लोग इस परदे को भी उतारकर फेंक देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर्वसाधारण में शिक्षा फैलाई जाय, जिससे वे अपने हकों को जान सकें और 'वोट' के अधिकार का ठीक तरह से उपयोग कर सकें। पर वे यह बात भूल जाते हैं कि शिक्षा और आन्दोलन के साधन, जैसे स्कूल, प्रेस, अखबार, खबरों की एजेन्सियाँ आदि भी इस समय मालदारों के हाथ में हैं।"

शासन की बागडोर फौज के हाथ में सौंप दी जाय तो इसमें समस्या हल न होगी। सत्यभक्त के अनुसार "बोल्शेविक यह भी समझते हैं कि मालदार लोग अपनी हकूमत और विशेष अधिकारों को कायम रखने के लिए सब तरह के राज-नैतिक, आर्थिक और फौजी उपायों से काम लेंगे। इसलिए मालदारों और गरीबों का झगड़ा तब तक कभी खतम नहीं हो सकता जब तक कि दोनों दलों में एक बार खुल्लमखुल्ला खूब लड़ाई न हो लेगी।"

यहाँ तक की सारी बातें पुस्तिका के ग्यारह पृष्ठों में समझायी गयी हैं, शेष साठे पाँच पृष्ठों में सवाल जवाब हैं। सवाल इस तरह के हैं: कम्युनिज्म में सब बराबर है तो आप धनवानों को क्यों दवायेंगे, उन्हें नागरिक के हक क्यों न देंगे? इसका उत्तर है: "हम धनवानों को केवल उस समय तक दवायेंगे जब तक वे अपने हाथ से काम न करने लग जायें। दुनिया में किसी को बैठे बैठे पाने या हरामखोरी करने का हक नहीं।" सवाल है: सम्पत्ति पर आम लोगों का कब्जा होगा, हर आदमी को जितनी चीज़ वह चाहे, लेने की इजाजत होगी तो ज्यादातर काम करना छोड़ न देंगे, बैठे बैठे न खायेंगे? जवाब है: "आजकल आदमियों की जैसी आदत पड़ गई है, उससे यह शंका बहुत कुछ सच है। इसलिए शुरू में हर एक आदमी को काम करने पर ही खाने को मिलेगा, और बिना सबब बेकार रहने-वालों से जबरदस्ती काम कराया जायगा।"

आखिरी सवाल यह है: "क्या आप हिन्दुस्तान में बोलशेविज्म की सब बातों को चलाना चाहते हैं। वे लोग तो धर्म कर्म कुछ नहीं मानते। इसके सिवाय उनकी हमारी मौजूदा हालत और रीति रवाजों, रहन सहन में भी बहुत फर्क है?"

जवाब: "नहीं, हिन्दुस्तान में बोलशेविज्म की तमाम बातों को चलाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिज्म के माननेवाले पुराने खयाल के लोगों की तरह अन्ध-विश्वासी या लकीर के फकीर नहीं होते। हमारा मुख्य उद्देश्य तो गरीबों पर होने-वाले अन्यायों को दूर करना और सब लोगों को उनके असली हक दिलाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश हम जरूर करेंगे, पर हिन्दुस्तान की हालत जैसी है उसके मुताबिक रास्ते से ही चलेगे। अगर रूस के बोलशेविक नंगे होकर

घूमने लगे तो हम थोड़े ही नकल करेंगे।”

नीचे लेखनकाल दिया है : अक्टूबर, १९२४।

इस पुस्तिका के अन्तिम आवरण पृष्ठ पर कम्युनिस्ट पार्टी के नियम और उद्देश्य छपे हैं। इस प्रकार :

“इण्डियन कम्युनिस्ट पार्टी

इण्डियन कम्युनिस्ट पार्टी के कायम करने का उद्देश्य है :

(१) हर एक आदमी को भरपेट खाना कपडा मिले, किसी को भूखा नंगा न रहना पड़े।

(२) हर एक आदमी मिहनत करके रोटी पैदा करे, बैठा रहकर कोई न खा सके।

(३) हर एक आदमी की इच्छा और योग्यता के अनुसार काम करने का मौका दिया जाय। हर एक आदमी को तालीम हासिल करने का हर तरह का सुभीता मिले।

(४) कोई आदमी नीच या अछूत न समझा जाय। समाज में और राजकाज में सबको बराबर अधिकार हो।

(५) देश का शासन सर्वसाधारण के चुने हुए पक्षी के हाथ में रहे; किसी निरंकुश शासक का उसमें दखल न हो।

अगर आप चाहते हैं कि देश में सब तरह का अन्याय, अत्याचार, फूट, वैर और तरह तरह के पाप मिट जाय; और सिर्फ थोड़े से लोग नहीं, बरन् हर एक आदमी सुख और शान्ति के साथ रह सकें, तो आप इस पार्टी में शामिल होकर ऊपर लिखे उद्देश्यों के सफल बनाने में सहायता कीजिये।

अधिक जानने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार करना चाहिए।

सत्यभक्त

सेक्रेटरी, इण्डियन कम्युनिस्ट पार्टी

कानपुर”

तीसरे आवरण पृष्ठ पर “साम्यवादी लेखमाला” का विज्ञापन है। इसका उद्देश्य “सर्वसाधारण में साम्यवाद और वोलशेविज्म—कम्युनिज्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना है। इसके सिवाय किसान और मजदूरों की दुर्दशा, अछूतों का उद्धार, स्त्रियों को समान अधिकार [.] संसार में होनेवाले नये नये परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में भी ट्रैक्ट प्रकाशित किये जायगे।” हर ट्रैक्ट का मूल्य एक आना होगा। आवरण के दूसरे पृष्ठ पर इस लेखमाला में आगे प्रकाशित होनेवाले ११ ट्रैक्टों की सूची दी हुई है : (१) स्वराज्य का गन्ना रास्ता; (२) मजदूर राज; (३) संसार में वसुधा [अर्थात् विश्वत्रान्ति]; (४) पृथ्वी पर स्वर्ग; (५) धनवानों के पाप; (६) हिन्दुस्थानी मजदूरों की दुर्दशा; (७) वोलशेविज्म की विजय; (८) मत्थाग्रह या हडताल; (९) स्थी जाति की दुर्दशा; (१०) नये जमाने की स्त्रियाँ; (११) हमारा प्रोग्राम।

इस लेखमाला में विदेशी विद्वानों के लेखों के अनुवाद छापने की योजना

भी थी ।

सन् २० के आन्दोलन की समाप्ति के बाद एक ओर जहाँ ब्रिटिश रिआयतों को स्वीकार करने की आतुरता थी और इन रिआयतों को देनेवाले अंग्रेज शासक साम्प्रदायिक विघटन को बढ़ावा दे रहे थे, वहाँ दूसरी ओर एक नया आशावाद लेकर मजदूर वर्ग में नयी चेतना फैलानेवाले समाजवादी प्रचारक राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। मजदूरों के लिए किस तरह की भाषा में पुस्तिका लिखनी चाहिए, विषय का विवेचन किस तरह करना चाहिए, गद्य सरल हो, साथ ही सारगर्भित भी हो, इन सब बातों में सत्यभक्त की दोनों पुस्तिकाएँ—श्रमजीवियों को सन्देश और बोल्शेविज्म क्या है ?—क्रान्तिकारी पत्रकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारतेन्दुयुग की गद्यशैली में राजनीति और अर्थशास्त्र की समस्याओं पर यदि कोई लिखे तो उसका गद्य सत्यभक्त के गद्य जैसा होगा। हिन्दी में समाजवादी चेतना का प्रसार भारतेन्दुयुग की गद्य शैली से जुड़ा हो, यह बात सिद्ध करती है कि वह प्रसार कितना स्वाभाविक और सहज था।

(ट) कम्युनिज्म क्या है ?

कम्युनिज्म क्या है ? राधामोहन गोकुलजी की १९२५ में लिखी हुई १५६ पृष्ठों की पुस्तक फरवरी सन् १९२७ में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक स्वयं राधामोहन गोकुलजी थे, पुस्तक मिलने का पता था सोशललिस्ट बुकशॉप, पटकापुर कानपुर। आवरण पृष्ठ पर हँसिया हथौड़े का चिह्न बना हुआ है। पुस्तक के मुखबन्ध में लेखक ने बताया है कि देशवासियों ने या तो कम्युनिज्म का नाम भर सुना है या उसके बारे में कुछ जाना है तो उसका आधार कम्युनिज्म के विरोधियों द्वारा फैलाई हुई बातें हैं। इसलिए लेखक ने अपना कर्तव्य समझा कि “कम्युनिज्म का असली रूप बिना अपनी ओर से नमक मिर्च लगाये विस्तृत विज्ञान इतिहास और वास्तविक घटनाओं के आधार पर” दिखला दे। इसके लिए उन्होंने मार्क्स, एङ्गल्स, प्रूदों, लेनिन और जिन्विएव के “लेखों और छोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ा है”; इस पुस्तक में अधिकांश सहायता बुखारिन और दो एक अंग्रेज कम्युनिस्टों के लेखों से ली है।

पहले अध्याय में पूंजीवादी व्यवस्था का परिचय देते हुए कहते हैं: “कौन नहीं जानता कि भूमण्डल के निवासी जनसमुदाय में सम्पत्तियों की एक मुट्ठी सख्या है शेष पृथ्वी विपत्तियों के आर्तनाद से गूँज रही है।” यह आर्तनाद मार्क्स ने सुना और दुनिया को बदलने का क्रान्तिकारी मार्ग दिखाया। दीन-दुखियों को देखकर “भगवान बुद्ध का हृदय पसीजा था” किन्तु “उन्होंने अपना जीवन शाब्दिक अध्यात्मवाद में बिताया।” इसके विपरीत मार्क्स ने “प्रत्यक्ष जगत में जान डाली। दोनों के कारनामों और दिये [किये] हुए कामों के नमूने संसारके सामने हैं, विवेक दृष्टि से जो चाहे देख सकता है।”

यदि किसी देश के मुट्ठीभर लोगों के पास बहुत-सा धन इकट्ठा हो जाय तो इसका यह अर्थ नहीं है कि देश का धन बढ़ गया। देश में गरीबों की सख्या बढ़

रही हो तो देश के धनवान होने की बात कैम सही मानी जायगी ? मावसं ने कहा था कि “पूँजीपतित्व [अर्थात् पूँजीवाद] अपनी समाधि आप खोदता है, इसके कल-पुर्जे विसरने ही वाले हैं और इनको श्रमजीवियों की वगावत विखेरेगी और संसार को अभिनव साँचे में ढालेगी।”

मावसं के बताये मार्ग से हटकर भारत का उद्धार करने के लिए किस तरह के प्रयत्न हो रहे हैं ?

“हमारे वयोवृद्ध पूज्य नेता सर सुरेन्द्रनाथ महोदय तक को भारत का उद्धार वर्तमान कौंसलो [कौंसिलों] द्वारा दीखता था। भारत के प्रिय पूज्य नेता भगवान गांधी को भारत के कोटि २ भूखों का पेट एक मात्र चर्खे से ही भरता नजर आता है।”

पूँजीवादी व्यवस्था का आधार है मुनाफे के लिए माल बनाना और बेचना। कारखानों के मालिक बड़े पैमाने पर माल बनाकर कम माल बनानेवालों को तबाह कर देते हैं। ये तबाह लोग मजदूर होकर पूँजीपतियों के कारखाने में मजदूरी करते हैं। इनसे मेहनत इस तरह करायी जाती है : “जिस तरह लोग पशुओं को दाना चारा देकर उनसे मनमाना काम लेते हैं, उसी तरह इन बेचारे मजदूरों को भी जीवित रखने के लायक कुछ थोड़ा सा देकर रात दिन काम में जोते रहते हैं। यह सच है कि अब पहले की तरह दास विकते नहीं, पर मजदूरों की दशा क्रीतदासों की सी ही है और कहीं २ रूपान्तर और नामान्तर से अब तक दास खरीदे और बेचे जाते हैं।” यहाँ राधामोहन गोकुलजी भारत की कुली प्रथा याद करते हैं। यहाँ के गरीब आदमियों को फुमलाकर दूर दूर के देशों में ले जाते थे और अंग्रेज पूँजीपति उनमें गुलामों की तरह मेहनत कराते थे। मजदूर खरीदे नहीं जाते पर उनकी श्रमशक्ति तो खरीदी जाती है। दो तरह की खरीद में क्या बहुत बड़ा अन्तर है ?

राधामोहन गोकुलजी तर्क करते हैं : “अब अगर मान लें कि मजदूर खरीदे बेचे नहीं जाते तो उनकी काम करने की शक्ति खरीदी जाती है। एक आदमी को प्रभात से सायकाल तक काम कराकर (=) ॥ या ॥ =) देने का यही तो अर्थ है।”

आठ दस आने में दिन भर के लिए मजदूर की श्रमशक्ति खरीदकर पूँजीपति उससे जो काम कराता है, उसमें वह आठ दस रुपये का मुनाफा कमाता है। गुलाम को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, वह मेहनत करता है अपने मालिक के लिए। उसे खाने-पहनने को उतना ही दिया जाता है जितना उसे ज़िन्दा रखने और उसके मेहनत करते रहने के लिए जरूरी होता है। मूलतः यही स्थिति मजदूर की है। अन्तर यह है कि बाज़ार में जहाँ गुलाम स्वयं विकता है, वहाँ मजदूर की श्रमशक्ति विकती है। राधामोहनजी कहते हैं : पूँजीवादी व्यवस्था में धन सिमटकर थोड़े से आदमियों के हाथ में इकट्ठा होता है; बाकी जनता गरीबी में दिन काटती है। इस व्यवस्था को रूस में बदल दिया गया है।

दूसरे अध्याय में साम्यवादी व्यवस्था की परिचय देते हुए बताया है कि इसका आधार होता है “सामाजिक प्रभुत्व।” पैदावार के माधनों पर सामाजिक प्रभुत्व

कायम करने के लिए यह आवश्यक होता है कि पुरानी राज्यसत्ता के तन्त्र को ध्वस्त किया जाय। इसका कारण यह है: "राज्य शासक वर्ग का एक वर्गीय समूह हुआ करता है। राज्य में हमेशा एक वर्ग दूसरे के विरुद्ध चलता है। सम्पन्नों का शासन होगा तो वह श्रमिकों (Proletariat) के विरुद्ध चलेगा और श्रमिकों का होगा तो वह सम्पन्नों के विरुद्ध [चलेगा]।"

समाजव्यवस्था पूरी तरह तभी बदल सकती है "जब प्रोलीटेरियट की पूर्ण विजय हो और पार्टी पूरी विकाशावस्था को पहुँच जाय। आरम्भ में तो प्रोलीटेरियट की विजय होने पर कुछ समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। श्रमिकों को अपने शत्रुओं से लोहा लेना होगा और बहुत दिन की प्रचलित अशिष्ट [अवशिष्ट] रूढ़ियों के साथ भी युद्ध करना अनिवार्य होगा" इसलिए श्रमिक शासन में भी राज्याधिकार की छाया कुछ काल तक रहेगी फिर इसका भी अन्त हो जायगा।"

श्रमिक शासन में पैदावार की शक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। जो शक्ति वर्ग-संघर्ष में खर्च होती है, वह पैदावार में लगेगी। पूँजीपतियों की होड़ और युद्धों में जो धन बल नष्ट होता है, वह समाज के हित में काम आयेगा। शिक्षा और विज्ञान का उपयोग जनता के लिए होगा, इसलिए नई-नई मशीनों के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जायगा। श्रमिकों को काम कम करना पड़ेगा, मनोविनोद के अलावा उन्हें बौद्धिक विकास के लिए अधिक समय मिलेगा। परिणाम यह होगा कि "पिछले समय से कहीं ज्यादा बुद्धि, कारीगरी, अन्वेषण और आविष्कार की वृद्धि होगी।"

शोषक वर्ग धर्म का उपयोग जनता को दबाये रखने, उसके श्रम से लाभ उठाने के लिए करते हैं। इस सन्दर्भ में राधामोहन गोकुलजी कहते हैं: "यदि आज धर्म (religion) संसार में न होता तो धर्म के नाम पर लोग क्यों आपस में लड़ते। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आपस में केवल धर्म की कल्पना ही के कारण तो लड़ते हैं। इसलिए धन व धर्म के भेद से जो वर्ग स्थापित हुए हैं उनके हटा देने में ही मनुष्यों का कल्याण है।" समाजवादी व्यवस्था में धर्म को लेकर लड़ाई न होगी, इसलिए भी पैदावार में बढ़ती होगी। और झगड़ों की तरह "जो तमाम धार्मिक झगड़े मिट जाय, बनावटी धर्म का ढकोसला शेष न रहे तो और भी बँर विरोध का अन्त हो जाय और दूसरे कामों में तन, मन लग सकें।"

साम्यवाद का लक्ष्य है कि सब लोग एक "कम्यून अर्थात् कुटुम्ब" में मिल-जुलकर रहें, वे जो चीजें पैदा करेंगे, उन्हें एक भण्डार में इकट्ठा करेंगे और कम्यून "अपने हरेक सदस्य को उसके [उसकी] जरूरत की सारी चीजें जितनी वह चाहेगा देगा।"

तीसरे अध्याय में राधामोहन गोकुलजी ने पूँजी के केन्द्रीकरण की कैफियत समझायी है। पुरानी कम्पनियों की जगह सिण्डीकेट और ट्रस्ट कायम होते हैं। ये माल की पैदावार और वित्तीय पर अपना इजारा कायम करते हैं। इसके साथ बैंक पूँजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती जाती है। "सारे देश के ट्रस्टों, सिण्डीकेटों और सम्मिलित उद्योगों का धन्धा संयुक्त होता है, यह सब बैंको से सम्मिलित रहते

हैं। प्रधान शासक और संचालक-मंडल एक छोटा सा दल महत्तम पूंजीपति का होता है। राजशक्ति इन्हीं के अभीष्टों की पूर्ति में लगी रहती है। इस देश के प्रधान शासक और स्वामी एक मुट्टी पूंजीपति होते हैं, रोप जनता इनके लिए रात दिन कोल्हू के बल की तरह पिसा करती है।" फिर कच्चा माल ले और तैयार माल बेचने के लिए वाजारों पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से युद्ध होते हैं।

चौथे अध्याय में बताया है कि पूंजीपतियों के बड़े-बड़े सघ बनने से उनकी आपसी होड़ घट्म नहीं हो जाती। कच्चे माल के स्रोतों को हथियाने के लिए जो होड़ होनी है, उसमें भारत जैसे देशों की भूमिका इस प्रकार है: "किसी ने रूई के लिए भारत और मिश्र पर दान लगाया, तो दूसरे ने इसी अभिप्राय से तुकिस्तान को जा दवाया। सभी चाहते हैं कि कच्चे मान के दाता देश मेरे राज्य में मिल जायें, इसीलिए बड़े-बड़े युद्ध होते हैं। पूंजीपति धन कुबेरों के लाभ के लिए उनकी प्रतिपानित सरकार मारकाट करनी है और गरीब बेचारों को पुचकारकर देश-प्रेम के नाम पर बलि चढ़ाया जाना है। यही असिनीति Imperialism का सारा दास्तान या कच्चा चिट्ठा है।"

महाजनी पूंजीवाद के प्रसारकाल में यूरोप के पूंजीपतियों ने बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे कमजोर देशों और जातियों की जमीन हड़प ली। इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए राधामोहन गोकुलजी कहते हैं "१८७६ से १९१४ तक में महाशक्तियों ने एक करोड़ वर्गमील से अधिक धरती छोटे राज्यों या जातियों की छीनकर अपने राज्य में मिलाई। यह धरती समस्त यूरोप के क्षेत्रफल में दूनी होती है जिसे बड़े-बड़े राज्यों ने लूटकर आपस में बाँट लिया। अब इस धरती पर छीननेवालों का उपनिवेश है, या यह करद राज्य अथवा गुलाम है।"

अपने उपनिवेशों में अंग्रेज मजदूरों से काम कराने के पूंजीवादी तरीके ही नहीं, जोर जबर्दस्ती के सामन्ती तरीके भी अपनाते हैं। भारतीय समाचारपत्र 'फारवर्ड' के १० मई सन् २५ के अंक से एक उद्धरण देकर बतलाते हैं कि उपनिवेशों में किस तरह वेगार कराई जाती है। उपनिवेश मन्त्री एमेरी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मजूर किया कि उगान्डा रेलवे बनाने के लिए कौन्या के चार हजार मजदूरों की जबरिया भर्ती की गयी। मजदूरों को जितनी पगार सरकार दे, उतनी उन्हें लेनी पड़ेगी; उतनी पगार पर काम न करें तो उन्हें जेल में बन्द कर दिया जायगा। इस समाचार पर टिप्पणी करते हुए राधामोहनजी कहते हैं: "पार्लियामेंट के मेम्बर आश्चर्य स्तम्भित तो हो गये पर उन्होंने इस अमानुषी अत्याचार को हटाने का व्रत नहीं लिया। इस बात को जानकर भी अंग्रेज जाति सुख में सोती है और मजे उड़ाती है। यदि धर्म सभ्यता कही होती तो लोग इस अत्याचार के मिटाने के लिए धरती आकाश हिला छोड़ते।" इससे उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला है कि "कानून सिवा स्वार्थपूर्ण घडन्त के और कोई अर्थ नहीं रखते। कानून के साथ पूंजीपति धर्म का उपयोग भी श्रमिक जनता को ठगने के लिए करते हैं। यह स्थिति सभी पूंजीवादी लोगों में है। "राज्य और सम्पन्न लोगों की मिली भगत है। धर्मयाजक अपने हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार

दाताओं की जय मनाते हैं और धर्म की आड में ईश्वर की कल्पना को दृढ़ करते हुए जनता को लुटवाते हैं। यह पुरोहिती कैतव राज कैतव से कहीं अधिक घातक है। दोनों कैतव प्रायः हाथ में हाथ मिलाकर काम करते रहते हैं।”

पूँजीवादी देशों के बैंक पूँजीपतियों की सहायता के लिए हैं, गरीबों की सहायता के लिए नहीं। पूँजीपति धर्म की रक्षा के लिए लाखों खर्च कर देंगे, दरिद्र और दुखी जनो के उद्धार के लिए कुछ न करेंगे। कलकत्ते में मुफलिसों और अपाहिजों की भीड़ को लक्ष्य करके कहते हैं: “आज कलकत्ते आदि बड़े २ नगरों में जाकर देखें तो सहस्र दीन-दुखी, दरिद्र, अन्धे, लूते, लगड़े, बीमार, कोढ़ी, भूख से मरे जाते हैं, रातों सड़को के किनारे पड़े सर्दी गर्मी सहन करते हैं। परन्तु इनको कोई भी न मकान बनाकर देता है, न इनका इलाज करता है। लेकिन ‘राज्य और पुरोहितों’ की जड़ को मजबूत करने के लिए सम्पन्न लोग क्षण में लाख २ दो दो लाख रुपया एकत्र करके दे देते हैं। प्रत्युत राज को तो करोड़ों रुपया कई बार देते हैं। इससे हम गरीब मजूर समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है।” यहाँ अन्तिम वाक्य में “हम गरीब मजदूर” लिखकर राधामोहन गोकुलजी ने मजदूरों से अपना पूरा एकात्मभाव दिखाया है।

अध्याय के अन्त में पूँजीवादी देशों की उक्त स्थिति से उन्होंने सोवियत समाज का भेद दिखाया है। वहाँ मुफलिसी खत्म कर दी गयी है; “वहाँ कोई भी भीख माँगता, अन्न-वस्त्र के लिए तरसता, दवा बिना दुःख भोगता, मकान बिना सड़क पर पड़ा तड़फता नहीं मिलेगा।”

पाँचवें अध्याय में बताते हैं कि पूँजीपतियों के महासघों का गहरा सम्बन्ध युद्धनीति से है। हथियार बनानेवाले ट्रस्ट लड़ाई में भारी मुनाफा कमाते हैं। पहला विश्वयुद्ध इन पूँजीपति-संघों की होड़ का परिणाम था। रूसी क्रान्ति के बाद जो गुप्त सन्धियाँ प्रकाशित की गयीं, उनसे साम्राज्यवादियों के असली उद्देश्यों का पता चल गया। इन्होंने अपने देशों की प्रजा को युद्ध में झोंकने के अलावा पराधीन देशों को भी अपनी युद्धनीति का अस्त्र बनाया। “बहुत से उपनिवेशों, और भारत सदृश देशों को भी अपना धन जन गुलाम बनकर गर्वाना पड़ा।”

यह सब हुआ देशप्रेम, स्वाधीनता, जनतन्त्र और शान्ति के नाम पर। साम्राज्यवादी प्रचार का पर्दाफाश करते हुए राधामोहन गोकुलजी कहते हैं: “लड़ाई के समय लड़के राज्यों ने अपनी प्रजा को जैसा सब्ज बाग दिखलाया” उससे अब “पैदायशी गंधों” को छोड़कर शायद ही कोई शासक वर्ग का विश्वास करे। “सभ्य बननेवालों ने देशप्रेम और बहादुरी के पवित्र नाम पर दूसरों की धरा धाम धन हरने के लिए मनुष्य का मास खानेवालों तक को जहाँ मिल सके अपनी सेना मुक्त करने में झूक नहीं की।”

पहले विश्वयुद्ध को समाप्त होते देर नहीं हुई, दूसरे विश्वयुद्ध की तैयारी शुरू हो गयी। भावी युद्ध और साम्राज्यवादियों की लूट-खसोट को श्रमिक जनता का एका, उनका सगठन, उनका सघर्ष रोक सकता है।

“इसीलिए बहुत काल पहले महात्मा मार्क्स ने घोषणा की थी और अब भी

उनके अनुयायी पुकार-पुकारकर यह रहे हैं कि 'भूमण्डल के श्रमजीवियों ! मिलकर एक झंडे नीचे आ जाओ । भूमिपुत्र में गमराग्नि में जलनेवाली करोड़ों जानों को बचा लो, अपने दुःखों में छुट्टाकारा पाकर मुग में रहो और जोरों को भी सुख में रहने दो । मनुष्य मनुष्य भाई भाई की तरह रहे, यह कुत्तों की तरह लड़ने और एक दूसरे के मूँह का टुकड़ा छीनने के लिए नहीं बने ।'

छठे अध्याय में यह विनिमय के विकार और मुद्रा के चलन की व्याख्या करते हैं । मुद्रा के चलन के माध्यमों के धन्ये का प्रसार हुआ । इस प्रसंग में राधामोहन गोकुलश्री ने भारत के बारे में जो कुछ लिखा है, वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर लिखा है । वह मंच उन्हें साम्यवाद या अर्थशास्त्र पर लिखी हुई किन्हीं विदेशी विद्वान् की पुस्तक में न मिला था । सामन्ती अलगाव में व्यापार और उद्योगधन्यो की प्रगति में कौन बाधा पड़ती है, इसकी जानकारी इन विवरण में होती है ।

"पहले उमाने में बहुत बगैर के भित्तों चयते थे । अभी कुछ दिन पहले रजवाड़ों के जुड़े जुड़े निररुं थे । हर एक के यहाँ अपनी अपनी टकसाले थी । जुदा २ गिनकों का मोल तोल धातु का सरापन अलग २ होता था । इससे बड़ी कठिनाई पड़ती थी । बिना सराफों के काम नहीं चलता था । जगह जगह परखने वालों और भाज देनेवालों की दुकानें होती थी । बड़तेरे फेरोवाले भी होते थे जो यह काम करते थे । लोग सराफों के यहाँ, बंको में अपना धन जमा कर देते थे, वह गिनका चलन बाजार के हिमाय से जमा करके राता खोन लेता था, उसी में लिखकर जमा करनेवाले में लेना देता रहता था, जमा करनेवाले के पास एक सराफ होता था जिनमें जमा की हुई और ली हुई रकमे यथासमय लिख दी जाया करती थी ।

"कभी २ जमा करनेवाला सराफ में रोकड़ी रूपया न लेकर उसके बदले में एक पुर्जा लिखा जाता [१] यह पुर्जा सराफ की मातबरी पर, या लेन देन होने के कारण दूसरे सराफ लेकर रूपया दे देते थे और लिखनेवाले सराफ के खाते में नाम लिख देते । इसी का एक रूपान्तर नोट है जो आजकल चलता है ।"

सातवें अध्याय में वह जातीय उत्पीड़न का वर्णन करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि मजदूरों की अन्तर्राष्ट्रीय एकता इस उत्पीड़न को समाप्त करके समस्त जातियों के लोगों को एक विशाल मानवजाति में संगठित कर सकती है ।

सबसे पहले वह जाति की व्याख्या करते हैं : "राष्ट्रीय जाति जनपद के उस समूह का नाम होता है जो एक निश्चित भूभाग में रहने और एक भाषा के बोलने के कारण एक होकर रहते हैं । और भी राष्ट्रीयता के बोध करानेवाले लक्षण होते हैं परन्तु इन सबमें ये दो प्रधान हैं ।"

जातीय उत्पीड़न से पूँजीपति लाभ उठाते हैं, दो जातियों के श्रमिकों में वैर-भाव पैदा करके दोनों का शोषण करते हैं । इस उत्पीड़न की मिसालें देते हुए बताते हैं कि जार सरकार यहूदियों को सताती थी [यह वास्तव में धर्म के नाम पर होनेवाला उत्पीड़न था], उन्नैन के लोगों को न अपनी भाषा पढ़ने देती थी, न उसमें उन्हें अखबार निकालने देती थी । जर्मन सरकार ने पोलिश लोगों के

स्कूल बन्द करा दिये थे, हंगरी के लोगों को अपनी मग्यार भाषा का व्यवहार करने की आज्ञा दी न थी। इसी तरह "ब्रिटिश सत्ताधारियों का जो घृणित व्यवहार अफ्रीका के असली वाशिनदों और हिन्दुस्तानियों के साथ है, जो बर्ताव एशियावालों के साथ अमरीका आदि में है वह सब संसार भर जानता है। आसाम के चाय के बगीचों में और उपनिवेशों में भारतीय कुलियों की दशा कौन नहीं जानता।"

जातीय अत्याचार का रूप यह है कि "बलवान जाति दुर्बल जाति के गले विदेशी भाषा, विदेशी रीति रिवाज, चालढाल उसकी इच्छा के विरुद्ध बांध देती है।" "इसी का नाम गुलामी है। भारत भी आज इंग्लैण्ड का गुलाम है।" एशिया और अफ्रीका की जातियों पर यूरोप के साम्राज्यवादियों के जित दमन और अत्याचार की तस्वीर राधामोहन गोकुलजी ने खींची है, उममें यह सहज नतीजा निकलता है कि इन महाद्वीपों के निवासियों को मिलकर साम्राज्यवादियों का मुकाबला करना चाहिए। भारतीय जनता पड़ोसी चीन के साम्राज्य-विरोधी संघर्ष को सहानुभूति से और ध्यानपूर्वक देख रही थी। एनियार्ई जनता के साम्राज्य-विरोधी भाईचारे की झलक राधामोहन गोकुलजी की इस पुस्तक में भी है। चीन के बारे में उन्होंने लिखा है :

"इस समय चीन पर फ्रांस, इंग्लैण्ड, अमरीका और जापान मिलकर जो अत्याचार कर रहे हैं यह कहाँ का न्याय है ? इसके पहिले इन शक्तियों के साथ जर्मनी भी शामिल थी और पाँचों ने मिलकर इसे लूटा-खसोटा था। हागकांग, शंघाई और काण्टन प्रभृति सब चीन के अंग हैं, इनमें चीन के श्रमिकों और किसानों को सुख से रहने और अपना प्रबन्ध आप करने का पूरा नैसर्गिक अधिकार है। इस उचित हक को छीनने के लिए बड़े बड़े बलशाली राज्यों ने बहुत काल से ढोंग रच रक्खा है और अब अपने विचारों को कार्यरूप में लाना चाहते हैं।"

एशिया की पीड़ित जातियों के संघर्ष में साम्राज्यवादी देशों के मजदूरों को इन जातियों की सहायता करना चाहिए। दुनिया के मजदूरों, एक हो, मार्क्स का यह आह्वान तभी सार्थक होता है जब उत्पीड़क जातियों के मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए उपनिवेशों और पराधीन देशों की स्वाधीनता के लिए भी लड़ें। चीन के सन्दर्भ में राधामोहन गोकुलजी आगे लिखते हैं :

"इस समय जापान, फ्रांस, अमरीका और इंग्लैण्ड के श्रमिकों, किसानों, कारीगरों का धर्म है कि चीन के श्रमिकों के साथ मिलकर, सम्पन्नता, सत्ताधारियों और अभिजातों के इस अत्याचार को अपने अपने देश में बलपूर्वक रोकें और चीनियों का साथ दें। जिस तरह भारत के लुट जाने से उपर्युक्त देशों के गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ केवल सम्पन्नता का ही जेब भरा है, वैसे ही चीन के लुटने से होगा।"

साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका की जनता का अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब इस जनता को पूर्ण स्वाधीनता मिले। किन्तु एशिया और अफ्रीका के पूँजीवादी नेता पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य स्पष्ट न करके,

राधामोहन गोकुलजी कहते हैं : "लाल सेना की पद्धति का सञ्चार पहिले पहल १८७१ में पेरिस (फ्रांस) के श्रमिकों के बनाये हुए कम्यून ने किया था।" उसके बाद रूस में लाल सेना का गठन हुआ। सिद्धान्त यह था : "लाल सेना में वही अफसर और सिपाही होंगे जो श्रमिकों (कारीगरों, मजदूरों, किसानों) का माल मारनेवाले न होंगे। इसलिए सेना की जड़ दरिद्र ग्रामीण किसानों और नगरों के उद्योग के केन्द्रों, बड़े-बड़े कल-कारखानों में काम करनेवालों को लेकर बनाई जायगी, दूसरे लोगों को प्रधान समराङ्गन में दूर रहकर सहायता करनी होगी।"

समाजवादी क्रान्ति के सफल होने के बाद भी सेना की आवश्यकता बनी रहती है क्योंकि यह क्रान्ति किसी एक देश में अथवा कुछ देशों में होती है, सभी देशों में एक साथ नहीं होती। कहते हैं : "यह तो सम्भव नहीं कि सारे भू-मण्डल के देशों में एक साथ साम्यवाद फैल जाय, कुछ स्थान इस बीड़ में पीछे रहेंगे। इनके साथ श्रमिकों को लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो एक देश के श्रमिक दूसरे देश के श्रमिकों की सहायता, बिना सेना कैसे कर सकेंगे; सुतराम जब तक सारे सत्तार में साम्यवाद सुख शान्ति न स्थापित कर ले उमें सेना की जरूरत रहेगी।" अध्याय के अन्त में फिर कहते हैं : "जब तक संसार में कहीं भी धनिक सरकार का अस्तित्व रहेगा, तब तक लाल सेना की भी रहना होगा। धनिक प्रधान शासन चाहे एकमुखी राजसत्ता (Monarchy) हो, चाहे प्रजातन्त्र (Republic) हो, सबमें ही धनिकों का प्राधान्य होना है, सभी जगह श्रमिक दल पर धनिकों के खातिर अत्याचार होता है।"

नवें अध्याय में पूँजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में कानून और कचहरी-अदालत का भेद बताते हुए कहते हैं : "श्रमिक समूहों को सताने, धोका देने के लिए जो धनिक-प्रधान समाज की अनेक संस्थाएँ हैं, उनमें एक न्याय विभाग भी है। यह उन कानून [कानूनों] के अधीन वर्तता है जो स्वार्थपरायण वर्ग की दृष्टि से बनाये जाते हैं। न्यायालयों (कोर्टों) की बनावट कभी भी क्यों न हो, कानूनों के संग्रह में पूँजीपतियों का प्राधान्य, पूँजी का सम्मान और अधिकार सर्वत्र रहता है, श्रमिकों के अधिकारों की सर्वत्र अवहेला पाई जाती है।" इसके विपरीत "सोवियट शक्ति ने न्यायकार्य की पहली मशीनरी को विनष्ट करके नये न्यायालय खोले हैं जिनमें वर्गीय पक्षपात का रंग छल से नहीं छिपाया गया जैसे सम्पन्नो के अधिकारकाल में होता था कि काम तो हो पूँजीपतियों के हित का और घोषणा की जाय कि सारी प्रजा के मत से यह किया गया है। पहले सम्पन्न समुदाय श्रमिकों पर अपने बहुमत से फैसला देता था, अपने स्वार्थ से प्रचलित होकर आज्ञाएँ निकालता था, अब श्रमिक समुदाय अपने बहुमत से फैसला देता है, अपने हितों को नज़र में रखकर आज्ञाएँ निकालता है।"

दसवें अध्याय में पूँजीवादी शिक्षापद्धति और समाजवादी शिक्षापद्धति का भेद बताते हैं। पूँजीवादी समाज में जो शिक्षक पूँजीपतियों के गुलाम बनकर उनकी विचारधारा का प्रचार करते हैं, उनकी तीखी आलोचना करते हुए राधामोहन गोकुलजी कहते हैं :

“जितनी पाठ्यपुस्तकें शिक्षा विभाग से छापाई या नियत की जाती हैं, उन सबका आन्तरिक अभिप्राय साधारण प्रजा को मदा के लिए गुलाम बनाये रखने का होता है। लेखक भी टकापन्थी, खुशामदी, सांचे के ढले गुलाम, स्वार्थान्ध, हृदयहीन और अभद्र चित्त होते हैं। यह समझते हैं, धनिकों का दौर-दौरा अभेद्य और अमिट है, सदा ही बना रहेगा। इनके हृदयों में धन की प्रतिष्ठा, नामवरी का मान, थोड़ी उपाधियों की अर्चना और अभ्यर्थना की इच्छा भरी पडी रहती है। संसार मर जाय परवाह नहीं, इनको धनिकों के साथ मिलने से आराम मिलना चाहिए। जिस तरह धर्मयाजक धन के साथ बिके गुलाम होते हैं, वैसे ही यह बेचारे शिक्षा विभाग के महन्त भी होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा और धर्म श्रमिकों को लूटने के लिए धनिक साम्राज्य के दो बलिष्ठ हाथ हैं।”

यह स्वाभाविक है कि राज्यसत्ता पर अधिकार करने के बाद श्रमिक वर्ग शिक्षापद्धति को बदले, “जो धनिकों ने स्कूलों को मजूरों को गुलाम बनाने का कारखाना बनाया तो अब श्रमिक लोग स्कूलों को अपनी स्वतन्त्रता का साधन बनावें और अपने बच्चों के मनों में गुलामी के भावों का नामोनिशान बाकी न रहने दें। जहाँ सम्पन्नो ने श्रमिकों के बच्चों में अपने भाव भरे थे, वहाँ अब श्रमिक लोग सम्पन्नो में मेहनत करके खाने का पवित्र भाव भर दें। जनता के दिलों को नये सामाजिक सम्बन्धों के लिए पुष्ट और नीरोग बनाकर तय्यार करें।”

भारत में अंग्रेज सरकार शिक्षित जनो के दिमाग को अपने काबू में रखने के लिए कैसे प्रयत्न करती थी, इसकी एक मिसाल यह है: “रूस की अभिनव फ्रान्सि के सम्बन्ध में अनेकों पुस्तकें तो भारत में आ ही नहीं सकती।”

ग्यारहवें अध्याय में बताते हैं कि धर्मसम्बन्धी कल्पनाओं का जन्म कैसे हुआ। सामाजिक विकासक्रम में इनका जन्म होता है और उसी क्रम में इनका अन्त होता है: “ईश्वर और अलौकिक शक्ति का भाव मनुष्य जाति के प्रारम्भिक अज्ञानावस्था में पैदा होता है और प्रौढ़ता आने पर विलीन हो जाता है। बचपन के विचारों को जवानी के [की] व्यवहारिक अवस्था में स्थान नहीं मिलता, न उस कदमकदम में ही इनका पता लगता है जो मनुष्य और प्रकृति में चलती है।”

सम्प्रदायवाद और अन्धविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष के बारे में कहते हैं: “धर्म के साथ हमारे झगड़े के दो पहलू हैं, हरेक कम्प्यूनिस्ट को चाहिए कि इन दोनों के भेद को सूब समझ ले। एक ओर तो हमें सम्प्रदायों के साथ झगड़ना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा खासतौर पर सगठन करके धर्म का प्रचार होता है, और इनके प्रचार की असली गरज होती है जनता को अज्ञानान्धकार में डाल रचना और धर्म का गुलाम बनाये रहना। दूसरी ओर हमें अधिकांश जनता के उन अन्ध-विश्वासों और पूर्व-भुसस्कारों से लड़ना है जो उममें (जनता में) गहरा पर कर गये हैं या उसके हृदय पर अंकित हो रहे हैं।”

धर्म-सम्बन्धी सगठनों और सम्पत्ति के गामन्ती रूपों, मामन्ती-पूजोपासी शासनतन्त्रों में गहरा नाता है। इसके बारे में कहते हैं: “धर्मयाजक ममूह जमींदारों व पूजोपतियों के ही समान हैं जो शासनतन्त्र (State or Government) से मिले रहकर श्रमिकों को दुहा करते हैं। यह तीनों ही प्रचार के तंत्र

शासनतन्त्र के श्रमिकों के सताने में मदद देते हैं और शासनतन्त्र काम पड़ने पर, इनको मदद देता रहता है। धर्म और शासनतन्त्र की मिली भगत बहुत दिनों से है। मन्दिर, मठ, महन्तों की गद्दियाँ सभी के साथ जमीन, जागीर लगे हैं। तब यह स्वयं जमींदारों की गद्दी नहीं तो और क्या है। कई कई महन्त तो खासे महाराजाधिराज हैं।"

पूँजीवाद अपने विकासक्रम में सम्पत्ति के सामन्ती रूपों को बदलता है, तब वह मठों के साथ लगी हुई जमींदारियाँ समाप्त करता है, इसके साथ विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करते हुए वह पुराने अन्धविश्वासों को निर्मूल करता है। किन्तु पूँजीवाद सगत रूप से अपनी यह क्रान्तिकारी भूमिका पूरी नहीं करता, वह आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवाद से समझौता करता है, वैसे ही सांस्कृतिक क्षेत्र में अन्धविश्वासों से समझौता करता है। इसी कारण उसका अधूरा काम मजदूर वर्ग पूरा करता है।

बारहवें अध्याय में बताते हैं कि समाजवादी क्रान्ति होने पर मजदूरों के संगठन पूँजीपतियों को बेदखल कर देते हैं। बेदखल करने का कारण यह होता है: "हरामखोर चाहते हैं कि हम गरीबों मजूरों को मारकर खा जायें, गरीब मजूर यह चाहते हैं कि हम हरामखोरों को अपना सा श्रमिक बनाकर हरामखोरी उनसे छुटा दें।" इसलिए समाजवादी क्रान्ति में पहला काम होता है पूँजीपतियों को बेदखली।

बेदखली की प्रक्रिया समझाते हुए राधामोहन गोकुलजी कहते हैं: "श्रमिक समुदाय का पहला काम होता है भोग्य पदार्थों की पैदावार का साधन अपने हाथ में लेना। इसके लिए उन्हें जमींदारों को जमीन से, कोठीवालों और सौदागरों को कोठियों और बड़ी बड़ी सौदागरी की दुकानों से बेदखल करना पड़ता है। इस बेदखल करने का यह अर्थ नहीं है कि श्रमिक धनिकों को लूटकर सारी स्थावर जंगम सम्पत्ति आपस में बाँट ले और धनिकों की तरह रहने लग जायें। इस तरह पर पहले मालिकों को बेदखल करके जमीन घन सम्पत्ति सब श्रमिक प्रधान प्रजातन्त्र के पास खालसे में रहती है। अर्थात् राष्ट्रीय सम्पत्ति बन जाती है।"

राधामोहन गोकुलजी ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीयकरण में मजदूर वर्ग को लाभ तभी होता है जब राज्यसत्ता पर उसका अधिकार होता है। दो तरह के राष्ट्रीयकरण का भेद बताते हुए कहते हैं: "राज्य या शासकवर्ग के हाथ में सम्पत्ति का सौंप देना एक बात है और देश के श्रमिक शासित प्रजातन्त्र के हाथ में सौंपना दूसरी बात है। ई. आर. रेलवे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई लेकिन आज तक उससे प्रजा को कोई भी लाभ नहीं पहुँचा, जो हाल पहले या वही अब भी है।"

राज्यसत्ता पर जब श्रमिक वर्ग का अधिकार होता है, तब पैदावार में पहले से चली आती पूँजीवादी अराजकता खत्म कर दी जाती है और पैदावार के साधनों का भरपूर उपयोग श्रमिक जनता के हित में होता है।

तेरहवें अध्याय में बताते हैं कि पूँजीपतियों के हाथ से राज्यसत्ता छीनने के बाद रूस के साम्यवादियों ने जमीन गरीब किसानों में बाँट दी। जमीन के मामले

में बेइखती से लाभ इन किमानों को हुआ; "इन परीब किमानों की खातिर बड़े जर्नादारीयों की जमीन ले ली गई, इसी तरह बड़े बड़े चौदागरोँ धनशाह किमानों और कम्पनियों की जमीन भी बेइखती में आई।" धरती से "रवानगी अधिकार" हटा दिये गये और जाति या ऊँचनीच का भेदभाव किये बिना बह "काम करने वाले किमानों" में बाँट दी गई। राधामोहन गोकुलजी अपनी यह पुस्तक अक्टूबर १९२५ में लिख रहे थे। उस समय तक वहाँ सामूहिक खेती का चलन न हुआ था। इसलिए उन्होंने लिखा है - "जमींदारी के अधिकार उठाकर छोटे बड़े धनी और निर्धन किमान एक धेनी नुक्त होकर खुश से काम करते और रहते हैं।" सामूहिक खेती का चलन न हुआ था पर जिन बड़े फार्मों पर मशीनों ने खेती होती थी, उन्हें "मोविण्ट नरकार" ने लेकर सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयत्न किया और कृषि शिक्षा के लिए वहाँ उपयुक्त स्कूल और कालेज बना दिये। किमानों को प्रोत्साहित और जानकार करने के लिए मोविण्ट सरकार ने कृषि कार्यान्वयन (फार्मिंग) भी बड़े विस्तृत रूप में बनाकर तोषा राज की ओर से कुत-कार्यता के साथ चलाये हैं।" इनसे आगे का कदम सामूहिक खेती की ओर ही हो सकता है। इसलिए राधामोहन गोकुलजी कहते हैं: "कम्युनिस्ट दल का काम है कि बड़े २ कृषिकार्यों का विस्तार करें, छोटे कार्यालयों को समुन्नत करके बड़ा बनावें लेकिन इस बात का ख्याल रखकर कि पड़ोस के छोटे किमानों की किसी प्रकार की हानि या असुविधा न हो बल्कि उनको मदद मिले।"

खेती में जमींदारी प्रथा के खत्म का नतीजा यह हुआ कि सोवियत सघ पड़ोसी देशों को अन्न भेजकर भुखमरी के समय उनकी सहायता करने में सफल हुआ। पूँजीवादी देशों की सहायता और सोवियत सघ की सहायता में मौलिक भेद है, इस बात पर जोर देते हुए लिखा है: "अभी (अक्टूबर १९२५) पारस (Persia) में अन्न यथेष्ट न पैदा होने के कारण भयानक दुर्भिक्ष हो रहा है, रूस की सोवियट सरकार ने पारस को अन्न देने का वचन देकर प्रबन्ध आरम्भ कर दिया है। यदि कोई दूसरी सरकार ऐसे महत् कार्य का सविधान हाथ में लेती तो केवल यही सोचती कि पारस निगलकर कैसे पेट में धर सकूँगी या कम से कम उसका सारा सोना-चाँदी लूटकर कैसे धनवान बन सकूँगी। पर रूस ने जो काम हाथ में लिया है, [वह] केवल मनुष्य भक्ति से प्रेरित होकर, छल से नहीं, दगा के लिए नहीं, ठगी की नियत से नहीं, चालबाजी से नहीं, किन्तु मानवप्रेम से। क्या अच्छा होता जो योरोप अपने कपट को छोड़कर रूस का अनुकरण करता और सारे संसार को कराता।"

चौदहवें और अन्तिम अध्याय में राधामोहन गोकुलजी ने बताया है कि सोवियत सघ में श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए किस तरह काम करने के घण्टे निर्दिष्ट किये गये हैं, छुट्टी की व्यवस्था की गयी है, स्त्रियों और लड़कों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अलग नियम बनाये गये हैं। इन नियमों में कुछ परिवर्तन कुछ समय के लिए किये गये थे जब रूस पर विदेशी ताकतों हमला कर रही थी। "ज्यों ज्यों बाहिरी साम्राज्यवादियों के आक्रमण और धीगाधीगी का भय जाता रहेगा, रूस में श्रमिकों को अत्यन्त मुक्त मिलेगा और अस्थिर परिवर्तन जो नियमों

में हुए है, उन्हें रद्द करके भौतिक कानून के ही अनुसार सारे काम होंगे बल्कि और अधिक सुविधा की जायगी।”

राधामोहन गोकुलजी की यह पुस्तक साम्यवाद के सिद्धान्तों का परिचय देनेवाली सामान्य कृति नहीं है। इसके हर पृष्ठ पर अन्याय के प्रति लेखक की तीव्र घृणा, धार्मिक जनता के प्रति गहरा प्रेम, क्रान्ति के प्रति अडिग निष्ठा अंकित है। साम्यवाद के मूल सिद्धान्तों का परिचय देते हुए वह समकालीन विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था और उसमें भारत जैसे पराधीन राष्ट्रों का चित्र खींच देते हैं। साम्राज्यवादी प्रचार को छिन्न-भिन्न करते हुए वह जोरदार शब्दों में सोवियत संघ की नयी समाजव्यवस्था का समर्थन करते हैं। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने के साथ वह निरन्तर अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं और अपनी बात इस ढंग से समझाते हैं कि भारतीय पाठक उसे आसानी से ग्रहण कर सकता है।

यह एक प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तक है और इससे यह आशा नहीं की जा सकती कि भारतीय क्रान्ति की अनेक पेचीदा समस्याओं का वह निराकरण करे। इनमें एक समस्या यह है कि साम्राज्यवाद और भारतीय पूंजीवाद के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या किस तरह की जाय और इन सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए मजदूर वर्ग स्वाधीनता आन्दोलन में किस तरह की नीति अपनाये। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में इस समस्या को लेकर जैसी समझ थी, उन्हीं की झलक राधामोहन गोकुलजी के विवेचन में है। चौथे अध्याय में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीय पूंजीपतियों को रियायतें देने के सन्दर्भ में लिखा है :

“हिन्दुस्तान के मिलों को जब विलायती धोती ३) जोड़े विकती थी, अपनी धोती भी ३) २।।।) में वेचनी पड़ती थी, क्योंकि ग्राहक तो अच्छा और सस्ता माल लेता है। अब जब विलायत का माल बहुत ज्यादा कर लगाने के कारण आना बन्द हो गया तो हिन्दुस्तानी मिलों को विलायती माल के मुकाबले का डर बाकी न रह गया, इसलिए इन्होंने वही २।।।) की धोती ४) को वेचना शुरू कर दिया, देश को हारकर लेना ही पड़ेगा। इसलिए टेरिफ का अर्थ है गरीबों को लूटकर धनवानों का जेब भरना। भारत में स्वदेशी आन्दोलन का भी यही फल हुआ, गरीब लुट गये और बम्बई आदि स्थानों के मिल वाले धन-कुवेर बन गये। जिस गरीब के मुँह का टुकड़ा छिन गया वह तो भूका मरा, टुकड़ा छीनने वाला चाहे काला कीड़ा हो या सफेद चील। हमारे लिए लकाशायर का मिलमालिक वैसे ही सबसे दिखलाई देता है जैसा बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, देहली, आगरा इत्यादि स्थानों का मिलमालिक। जिस देशप्रेम के नाम पर गरीबों का बलिदान होता है, उस देशप्रेम के लिए किसी भी मिलमालिक ने १९०५ से आज १९२५ तक में कभी अपने नफे में एक कौड़ी की कमी नहीं की, अवसर पाने पर अपनी नफा चौगुनी दसगुनी जरूर की है। १९१४ में १९१९ तक का कपड़े का व्यापार का इतिहास देखो, १९०६ में १० तक के स्वदेशी आन्दोलन की कथा पढ़ो।”

स्वदेशी आन्दोलन भारतीय जनता का साम्राज्यविरोधी आन्दोलन था। उसने विदेशी माल का बहिष्कार करके भारत का औद्योगिक विकास सम्भव बनाया। यह विकास अंग्रेजों की कृपा का फल नहीं है, वह भारतीय जनता के

संघर्ष का फल है। सर्वहारा वर्ग के उद्भव, उसके संगठन के लिए उद्योग-धर्म निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार स्वदेशी आन्दोलन औद्योगिक पूंजीवाद के औद्योगिक सर्वहारा वर्ग का भी जनक है। देशी पूंजीपति और विदेशी पूंजी दोनों शोषक हैं। देश का धन में राधामोहनजी ने बड़ी पते की बात लिखी देश का चोर लुटेरा जो भी धन ले जाता है वह फिर हमारे पाम आ जाता है, हमारी घृणा का पात्र है पर जर्मनी अमरीका आदि के लुटेरों की अपेक्षा तो अच्छी है !

औसत कम्युनिस्ट समाजवाद के बारे में जितनी बातें आजकल जानता है य जितनी बातें उसे जाननी ही चाहिए, वे सब यहाँ मौजूद हैं। संसार के मनुष्य पूंजीवादी शोषण के कारण घोर कष्ट में हैं और वे अपने कष्ट का अन्त कर सकते हैं, पुस्तक का यह मूल मूय है। केवल सर्वहारा वर्ग, उसके द्वारा चलाया जाने वाला संघर्ष वर्गशोषण को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। समाजव्यवस्था की मूल विरोधताएँ, सोवियत समाज की रूपरेखा सरल भाषा में उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। मजदूर अपनी श्रमशक्ति बेचता है, दास की श्रमशक्ति विकती है और वह स्वयं भी विकता है। दोनों में थोड़ा ही अन्तर है। मजदूर के श्रम से पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य कमाता है; श्रमशक्ति के लिए जितने पैसे देता है, उतने से ज्यादा का काम करा लेता है। उसकी मुक्ति के लिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी का निर्माण और विकास आवश्यक है। साम्राज्यवाद मजदूरों के सामान्य शोषण के अलावा बंधुआ मजदूरों का शोषण करता है। भारत जैसे देशों के सन्दर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है। अनेक विचारक साम्राज्यवाद के प्रसंग में इसे भूल जाते हैं। पूंजी के केन्द्रीकरण से बड़े बड़े पूंजीपति सघ बनते हैं। साम्राज्यवाद और युद्ध से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। समाजवादी क्रान्ति का अर्थ है केन्द्रीभूत सम्पत्ति से इनकी 'वेदखली'। किसानों के सन्दर्भ में खालसा (सामूहिक सम्पत्ति) और पूंजीपतियों के सन्दर्भ में वेदखली (सम्पत्ति का अधिग्रहण) शब्दों का प्रयोग राधामोहनजी की भाषा सम्बन्धी सूक्ष्मज्ञ का प्रमाण है। राज्यसत्ता, सेना, न्यायव्यवस्था, शिक्षा-पद्धति आदि का वर्गआधार स्पष्ट करते हुए राधामोहनजी ने धार्मिक अन्ध-विश्वासों, मठाधीशों और महन्तों पर करारी चोट की है। साम्यवाद का परिचय देने के लिए यह पुस्तक आज भी उपयोगी है। यह पता लगाना दिलचस्प होगा कि अंग्रेजी में उस समय तक किसी भारतीय लेखक ने ऐसी पुस्तक लिखी थी या नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसी पुस्तकें हो तो उनका भी पता लगाना चाहिए।

(ठ) 'मतवाला'

हिन्दी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'मतवाला' से राधामोहन गोकुलजी का घनिष्ठ सम्बन्ध था। जिन दिनों निराला और शिवपूजन सहाय 'मतवाला' का पूरा भार संभाले हुए थे, राधामोहनजी लगभग नित्य ही उस पत्र के कार्यालय पहुँचते थे। वही निरालाजी से उनकी घनिष्ठता हुई। मैंने उनके दर्शन लखनऊ में निरालाजी के ही यहाँ किये थे। आर्थिक राजनीतिक विषयों में निराला की गति और रुचि का

हिन्दी प्रदेश में समाजवादी चेतना का प्रसार

कारण राधामोहनजी का प्रभाव था। सामाजिक विषयों में निराला का क्रान्तिकारक दृष्टिकोण राधामोहन गोकुलजी के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। 'माधुरी' नास्तिक मत का समर्थन करते हुए राधामोहनजी ने 'प्रत्यक्षदर्शी' के नाम से लेख लिखे थे। इसी नाम से उन्होंने 'मतवाला' में रूसी क्रान्ति पर कई लेख लिखे थे। इन लेखों की एक विशेषता यह है कि राधामोहन गोकुलजी निरन्तर भारत के इतिहास और उसकी स्थिति पर ध्यान देते चलते हैं। १३ गितम्बर १९२४ 'मतवाला' से उनकी 'रूस की अतिक्रान्ति' शीर्षक लेखमाला आरम्भ हुई। पहले लेख उन्होंने इस तरह शुरू किया था, "रूस को संकड़ों घातों में हम भारत में पटतर दे सकते हैं, इसलिए रूस की अतिक्रान्ति का इतिहास पढ़नेवाले यदि ध्यान से पढ़कर विचारेंगे तो उन्हें भावी भारत के इतिहास का धुंधला मानचित्र दिखाई पड़ेगा। रूस भी भारत की तरह अपनी रास परिस्थितियों के कारण सोवियत सरकार की स्थापना के पहले और अनेक घातों में अब भी एक विचित्र देश है। गवर्नमेंट के अत्याचारों से पीड़ित रूस की प्रजा योरोप की अन्य जातियों की अपेक्षा सब प्रकार की उन्नति में सौ वर्ष में अधिक पीछे है, यद्यपि सोवियत सरकार के प्रसाद से वह अनुदिन उन्नत होती जा रही है। सन् १८५५ के पहले का रूसी इतिहास तो और भी कहीं अधिक राजकीय क्रूरता का अनुपम चित्र दिखलाता है—पर अनुपम वही तक जहाँ तक उसका सम्बन्ध योरोप से है, जब हम भारत की दुर्दशा को देखते हैं तो कहना पड़ता है कि कैथरीन, अलक्षेन्द्र प्रथम और निकोलाम का शासन अभागे भारत के वर्तमान शासन में लाग वार अच्छा था।" (रूस जैसे पिछड़े हुए देश में क्रान्ति हुई, यह बात भारतीय जनता के हृदय में आशा का संचार करनेवाली थी। जारशाही रूस की तुलना में भारत की दशा कहीं ज्यादा खराब है, यह बात अंग्रेजी राज के समर्थकों के प्रचार का उत्तर थी।) रूस की जारशाही राजशक्ति थी, "एक प्रधान बलप्रद केन्द्रिक शक्ति जिसके आश्रय से रूसी लोग तुर्कों, तातारों और पोलों से कृतकार्यता के साथ लोहा ले सकते थे। यह न होता तो सम्भव था कि योरोपवाले रूस देश को आपस में बाँट साते या उसके रईस ही आपस में लड़कर उसे नष्ट कर डालते जैसा कि भारत में हुआ।" (भारतीय इतिहास से प्रमाणित है कि जब तक दिल्ली में शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यसत्ता रही, तब तक अंग्रेज भारत को गुलाम नहीं बना सके। सामन्ती विघटन भारत की पराधीनता का मुख्य कारण था, इस सत्य की ओर राधामोहन गोकुलजी ने सकेत किया है।) नौकरशाही 'एकमुखी शासको' (बादशाहों) की आँखों में धूल डालती थी। "आज भारत में भी यही हाल हम सगठनशील शासन में देख रहे हैं।"

अगले लेखों में राधामोहन गोकुलजी ने समाजवादी क्रान्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया है। रूस के अराजकतावादी क्रान्तिकारियों को सहानुभूति से याद करते हुए लिखा है कि जैसे भारत में असहयोगियों को राजविद्रोही कहकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने २५,००० देशभक्तों को जेल में डाल दिया था, निहिलिस्टों के साथ भी ऐसा व्यवहार रूस में हुआ। वे शान्तिपूर्ण और अशान्तिपूर्ण उद्योग के झगड़े में पड़कर देश को कायर बनाने की चेष्टा को पाप समझते थे।

वे पृथ्वी पर अब मनुष्यों के समान जड़िकाएँ बनने लगने लगे हैं। इन्होंने
 ही वह उनमें मनुष्यी कान्ठकान्ठियों की है। मनुष्यों के अनुसार इन
 भूमि पर जाने चन्द्र महान्ना के लिए का बीच मनुष्यत्व। वेलेत और वेलेत
 तिलों के संघर्ष में राधानोहनवीं बसते हैं। उन्होंने अरबकाएकी ब.बुलेत
 के बारे में लिखा है; बाकूनिन और मन्सू के लड़ने में भी वह बसते हैं।
 मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार औद्योगिक संस्कृति में हुआ यह इनके
 वाद निम्ना है कि ज्ञान मानस के सिद्धान्तों पर विचार करने का एक
 नया मार्गवादी जननीय दल उपलब्ध हो गया; अन्ततः वेलेतों का उल्लेख
 करते हुए कहा है कि वह महान्ना बसों को तरह मानसिक मानस के प्रसार देते
 इसके अन्तर्गत वे एक बड़े माहित्य भी है।

इन लेखनात्मा में मनुष्यवादी कल्पि में अधिक राधानोहनवीं ने उनके
 ऐतिहासिक दृष्टान्तों को समझने का प्रयत्न किया है। मन्सू इन्हें के कल्पिकारों
 के प्रति उनकी महानुभूति है; कल्पि मार्क्सवादियों और वेलेत के संघर्ष में मनुष्य
 हुई, यह वान भी वह जानते हैं। इन लेखनात्मा में कम्प्यूनिस्म क्या है? की तुलना
 की जाय तो पता चलना कि वह राधानोदिक कान्ठकान्ठों के साथ-साथ अपना
 अध्ययन का काम भी बराबर करने जाते हैं और उनकी विचारधारा लगातार
 परिपक्व होती गयी थी।

'मनवाना' में राधानोहन नोटुनवीं का सम्बन्ध किम तरह का है, जो कल्पि
 यह जानना होगा, वह इन वान पर आश्रय न करेना कि कम्प्यूनिस्म पार्टी को
 स्थापना के प्रयत्न की सूचना 'मनवाना' में प्रकाशित हुई। ६ नवम्बर १९५४ के
 'मनवाना' में यह वित्ति छपी थी :

भारतीय साम्यवादी दल

जिन वान की गह्र हम बहुत दिनों में देख रहे थे वह अब पूरी होयी शिलतार
 देनी है। मार्क्सवाद के प्रेमी कुछ मजदूरों ने मिलकर निरवय किया है कि हिन्दुस्थान
 में मार्क्सवाद के प्रचार के लिए 'इण्डियन कम्प्यूनिस्ट पार्टी' या 'भारतीय साम्यवादी
 दल' की स्थापना की जाय। अब इस दल के आरम्भिक (प्रबोधनेरी) नियम और
 उद्देश्य आदि तैयार हो गये हैं और देश के बड़े-बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
 इस काम में महानुभूति प्रकट की है और सहायता का वचन दिया है।

वोलनेचिस्म या कम्प्यूनिस्म का नाम हम पाँच छँ वर्षों में बराबर सुन रहे हैं।
 शुरू में लोगों का खयाल था कि वोलनेचिस्म कोई बड़ी बला है जिसका उद्देश्य
 तमाम मंमार को बर्बाद और सराब करना है। जब इस सम्बन्ध की सन्धी बातें
 मालूम होने लगीं तब हमने समझा कि वोलनेचिस्म या कम्प्यूनिस्म तो संसार के
 उद्धार का एकमात्र मार्ग है। केवल इसी के द्वारा ममार में वर्तमान दोष,
 बुराईयाँ दूर हो सकती हैं और भूख, भयं गरीब लोगों की दुर्दशा का अन्त हो सकता
 है।

कम्प्यूनिस्म की मचाई और लाभों को जान लेने पर भी इस समय तक
 हिन्दुस्थान में इसके प्रचार का कोई विशेष उद्योग नहीं हुआ है। इसके एक कारण

तो यह था कि यहाँ कम्प्यूनिज्म के सिद्धान्तों को अच्छी तरह जाननेवाले और मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और दूसरी बात यह थी कि यहाँ की सरकार समय समय पर ऐसी पेचीली बातें कह दिया करती थी जिससे लोग समझते थे कि यह काम कानून के खिलाफ है और इसके करने से सरकार नाराज होगी।

पर अभी तीन चार महीने पहिले कानपुर में जो बोलशेविक कंसपिरेसी केस चला था, उससे यह बात साफ हो गयी कि कम्प्यूनिज्म के सिद्धान्तों को मानना और उनका प्रचार करना कोई जुर्म नहीं है। गत १४ अप्रैल को इंग्लैण्ड की पारलीमेण्ट में मि. लैंसबरी के सवाल करने पर होमसेक्रेटरी मि. हैंडरसन ने जवाब दिया था कि कम्प्यूनिज्म का प्रचार करना या इसके लिए किसी संस्था का सगठन करना जुर्म नहीं है। भारतमन्त्री ने भी मजदूर नेताओं के एक डिपुटेशन को जवाब देते हुए कहा था कि कानपुर में चार शरुतों पर जो मुकद्दमा चलाया गया था, उसका कारण यह नहीं था कि वे लोग कम्प्यूनिज्म का प्रचार करते थे। वरन् उसका कारण यह था कि उन्होंने सम्राट् के विरुद्ध पड्यन्त्र किया था।

इस तरह कम्प्यूनिज्म के सम्बन्ध में जो एक कानूनी भय था, वह दूर हो गया पर जिन लोगों ने कम्प्यूनिज्म का अध्ययन किया है, उनको सदा से अच्छी तरह मालूम है कि उसमें कानून के विरुद्ध कोई बात नहीं है। यह समाजसंगठन का एक स्वरूप है जिसमें समस्त सम्पत्ति का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रहकर तमाम समाज के अधिकार में रहे। इसलिए जिस समय पुराने जमाने में (जमीन, कारखाने आदि) सम्पत्ति का अधिकार और शासन की सत्ता जमींदारों, सरदारों के हाथ में थी, बाद में राजा के हाथ में आगयी और अब राजा से हटकर पारलीमेण्ट आदि प्रतिनिधि संस्थाओं के हाथ में है। अगर इन परिवर्तनों को गैर कानूनी काम नहीं समझा गया तो तमाम सम्पत्ति को समस्त समाज के अधिकार में करने का आन्दोलन भी गैरकानूनी नहीं है।

इन्ही सब बातों को लक्ष्य में रखकर इण्डियन कम्प्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की गयी। सम्भव है कि दस बीस धनकुबेर व्यक्ति इसके विरुद्ध हों, पर गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति, केवल जिनसे ही तमाम समाज बनी हुई है, कभी इस आन्दोलन के विरुद्ध नहीं हो सकते। हमारे गरीब भाइयों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी मुक्ति का—दुखों से छूटने का एकमात्र मार्ग साम्यवाद या कम्प्यूनिज्म ही है। इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे इस विषय को समझें और इसमें यथाशक्ति सहायता और सहयोग करें। इस सम्बन्ध में जिन सज्जनों को जो कुछ जानना या पूछना हो वे मुझसे पूछ सकते हैं।

निवेदक

सत्यभक्त

सोशललिस्ट बुकशॉप कानपुर

साम्यवाद गरीबों के लिए आवश्यक है, धनकुबेरों के लिए नहीं। ऊपर से देखने में लगेगा कि यह विज्ञप्ति कानून के दायरे के भीतर रहते हुए किसी सिद्धान्त के प्रचार मात्र से सम्बन्धित है, तत्कालीन राजनीति से इसका कोई सम्बन्ध न

था। पेट के दुःख का तो पता ही न था।

इसी प्रकार अगर हम रेल को देखें, तो उसने सरायवालों, गाड़ीवालों, मजदूरों और दूसरी सभी देशी सवारियों का नाश कर दिया। देश के कोने कोने से मारा धन समेट-समेट कर रेलवे कम्पनियों के हिस्सेदार करोड़पति बन गये— और बनते ही चले जाते हैं।

इस तरह की फैलती हुई अनुचित दरिद्रता को रोकने के लिए सभी कल-कारखाने और रेलवे लाइनें राष्ट्रीय सम्पत्ति बना ली जायें। किसी एक आदमी या कुछ आदमियों की कम्पनी को देश के सूटने का अधिकार नहीं है।

(३) स्वामी और सेवक तथा मालिक और मजदूर के झूठे बनावटी भावों को एकदम मिटा दिया जाय। मनुष्य मात्र में बराबरी का प्रेमभाव स्थापित हो। मनुष्य, सम्यता, चातुरी या धन का बहाना करके पशुओं की तरह एक दूसरे का रक्त पीना छोड़ दें।

(४) प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम में अपनी जीविका प्राप्त करे। स्वावलम्बी बनकर जिन्दगी बिताये। प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव से हरामखोरी न करके ईमानदारी के साथ समाज की भलाई करे।

यह उचित नहीं है कि जिस मजूर को दिनभर की मजूरी से हम ३) पैदा करें, उसे 11) या १) देकर टरका दें, और हराम के दो रुपये अपने जेब में डाल दें, बड़े-बड़े मकानों में रहें—मोटर्न खरीदें—शराब पीयें, अपने उन्हीं अन्नदाता श्रमजीवियों की बहू-बहन-बेटियों की ओर कुदृष्टि से देखें—उनका सतीत्व नष्ट करें! अमीरों की वदमाशी और अनुचित स्वायं परता का अन्त हो। जो हाथ पैर चलाकर मेहनत से पदार्थ नहीं पैदा करता, वह हरामखोर है—उसको अन्न वस्त्र पाने का कोई अधिकार नहीं।

(५) हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है कि जिस देश में वह पैदा हुआ है, वहाँ उसे पेटभर—तन्दुरुस्त रखनेवाला—भोजन, रहने के लिए एक नीरोग घर, पीने को अच्छा जल और पहनने के लिए काफी कपड़े मिलें। एक आदमी सड़क की पटरी पर पड़ा हुआ सर्दी से सिकुड़कर प्राण दे और दूसरा कई शाल-दुशाले ओढ़कर महलनुमा कोठियों में मौज उड़ावे! यह मनुष्यता नहीं। यह तो पशुता है। नीचता की पराकृष्टा।

(६) इस बात का ऐसा कोई भी धर्मानुमोदित कारण नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के लड़के तो सुखपूर्वक विद्याभ्यास करें, बड़े-बड़े पण्डित और वैज्ञानिक तथा दार्शनिक बने, नये-नये आविष्कार करें, पर अन्य असह्य लोगों के बालक होश सँभालने के पहले ही से पेट की चिन्ता में लग जायें—कुछ सीखने या लिखने-पढ़ने का सुयोग ही न पा सकें। देश के हर एक बच्चे की शिक्षा का भार सरकार पर होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति करने के लिए एक-सा सुअवसर मिलना चाहिए।

(७) जरूरत से ज्यादा जमीन, मकान, कपड़े और रुपये-पैसे आदि दबाकर बैठ जाना, तथा गृह-अन्न-वस्त्र-विहीनों को बेमौत मरने देना, मनुष्यता नहीं, शैतानी है। इसलिए इस प्रकार के अनुचित धरा-धाम-धन के मालिक बनाने के

सारे रास्त्रों को बन्द करना और सार्वजनिक सरकार को ही मालिक बनाना ।

(८) कुटुम्बवत् एक सार्वजनिक सरकार कायम करना । इसी प्रकार की अनेक सरकारों का एक केन्द्र स्थापित करना और मनुष्यमात्र में प्रेम यथा भ्रातृ-भाव का संचार करना ।

(९) जाति, वंश, वर्ण, धन और रूपरंगादि के कारण किसी का पक्षपात न करना । सबमें समता, दया, प्रेम और सद्भाव फैलाना । राजनीतिक और मामाजिक तथा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक भेदभावों को एकदम मिटा देना । किसी आदमी को अछूत, नीच, अधर्मी, घृणित, गुलाम और काफिर समझना जडता और पशुता है ।

(१०) सब प्रकार की कारीगरी, वैज्ञानिक उन्नति, कल कारखाने और कलाएँ रहे, पर उनसे जो द्रव्य और सुख-सुविधा प्राप्त हो, उसमें सबका समान अधिकार हो । किसी तरह का आविष्कार करनेवाला कोई भी विद्वान हाथ-पैरो से काम करनेवालों की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता । हाथ और दिमाग का समान मूल्य है । कोई कसौटी या प्रमाण नहीं जो यह तय करे कि हाथ, पैर, फान, नाक, आँख, दिल और दिमाग में से किसके काम का मूल्य कितना कम और ज्यादा है और अगर है, तो क्यों ? इसलिए कोई भी मनुष्य बल, बुद्धि, प्रतिष्ठा और धन के सबब कभी बड़ा नहीं माना जा सकता । धरती माता के सभी पुत्र उसके दिये हुए सुखों के समान अधिकारी है ।

(११) ऐसे मार्गों का अवलम्बन करना जिनमें बड़े-बड़े धनी, जमींदार और राजा हो ही न सकें, क्योंकि ये लोग बेचारे गरीबों का धन लूटकर अपनी पाश-विक इच्छाओं की तृप्ति में स्वाहा करते हैं, और ससार के सामने राक्षसी आदर्श उपस्थित करते हैं । इसलिए धनी, जमींदार और राजा-रईस बनने का साधन ही निर्मूल कर देना ।

(१२) सूद, भाड़ा, नजर, सट्टा, फाटका और धुडदौड़ आदि सब प्रकार के अधर्म कार्यों को निरुत्साह तथा निर्जीव कर देना—इनकी स्थिरता के मार्गों को बन्द कर देना ।

(१३) स्त्री और पुरुषों के अधिकारों को एक समान रखना । दोनों में किसी एक को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे ।

बस, यही इतना साम्यवाद के सदुद्देश्यों का दिग्दर्शन है । कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि तथा प्रचार चाहती है । इसके बिना कदापि ससार में स्थायी शान्ति न होगी— न होगी— न होगी ।

—“एक प्रत्यक्षवादी”

यह जानना दिलचस्प होगा कि आज के कम्युनिस्ट इनमें कौन-गो बातें नहीं चाहते । संसार ने साम्यवाद के भाव भारत में पाये हैं, जमीन ईश्वर की दी हुई है, धरती हमारी माता है, ऐसी उक्तियों पर उन्हें आपत्ति ही मक्नी है । पर ये धारणाएँ कार्यक्रम का अभिन्न अंग नहीं है । आधुनिक साम्यवाद को जो नांग

प्राचीन मानवतावाद का नवीन विकास मानते हैं, वे भारत के प्राचीन सामन्त-विरोधी मानवतावाद से नये सर्वहारा मानवतावाद का सम्बन्ध जोड़ना अनुचित समझेंगे। जमीन ईश्वर की दी हुई है, इसकी जगह कहा जाय कि जमीन प्रकृति की दी हुई है तो इससे कार्यक्रम में अन्तर न पड़ेगा। इस विज्ञप्ति का महत्व यह है कि उसमें जनवादी क्रान्ति के मुख्य उद्देश्य समेट लिये गये हैं।

यह कार्यक्रम सामन्तविरोधी है और इस रूप में साम्राज्यवाद का नाम लिखे बिना भी उसकी जड़ काटनेवाला है। साम्राज्यवाद का सामाजिक आधार जमींदार, राजा, सामन्ती अवशेष। हर एक खेतिहर अपनी भूमि का मालिक होने सबसे पहले यह माँग पेश करके राधामोहन गोकुलजी ने सामन्तविरोधी क्रान्ति का महत्व घोषित किया है। साम्यवादी आन्दोलन को अजेय बनाने का अचूक उपाय यह था कि वह किसानों की विराट शक्ति को अपने भीतर समेट ले और साम्राज्यवाद के सामन्ती आधार पर जमकर प्रहार करे। स्वाधीनता आन्दोलन में फूट डालने का मुख्य साम्राज्यवादी अस्त्र था सम्प्रदायवाद। राधामोहनजी ने उसको ध्वस्त करने का आह्वान किया है। सामन्ती व्यवस्था की विशेषता है जाति-विरादरीवाला अलगाव, ब्रह्म और कुलीनता का मिथ्या गर्व, ऊँचनीच का भेदभाव। वह इस सारे असंस्कृत प्रपच का नाश करना चाहते हैं। साम्राज्यवाद ने करोड़ों मनुष्यों को शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, मानवसंस्कृति की मूल्यवान उपलब्धियों के परिचय से वंचित कर रखा है। राधामोहनजी निर्धन और अधिकारहीनों को नये प्रकाशपूर्ण संसार में आने का मार्ग दिखाते हैं। वह अछूतों और स्त्रियों के प्रति घृणा और उपेक्षा के भाव को पशुता का चिह्न मानते हैं।

पूँजीवादी विकास से वह पुराने कारीगरों को तबाह होते देखते हैं किन्तु कारखानों को खरम करके चरखे-करघे के पुराने युग में लौट चलने का स्वप्न नहीं देखते। वह कल-कारखानों के राष्ट्रीयकरण की माँग करते हैं जिससे उत्पादन के साधनों का उपयोग पूरे समाज के हित में हो सके। वह श्रम का महत्व घोषित करते हैं; जो मनुष्य श्रम न करे, वह अवकाशभोगी है और सामाजिक अनाचारों का स्रोत है। श्रम का महत्व समाज में प्रतिष्ठित होगा, कर्मों को कमीन न कहा जायगा, तभी मनुष्यों में वास्तविक भाईचारा पनपेगा, उनमें वास्तविक प्रेम का विकास होगा। राधामोहन गोकुलजी ने त्रिशूल की तरह सामाजिक न्याय की माँग को स्वाधीनता आन्दोलन से जोड़ दिया; इस सामाजिक न्याय का व्यावहारिक रूप क्या होगा, यह भी समझा दिया। उन्होंने सार्वजनिक सरकार की बात कही है। जिसे अब जनता की सरकार कहेंगे, वही उनकी सार्वजनिक सरकार है। इस जनसत्ता के अनेक केन्द्र होंगे क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियों के अपने क्षेत्र हैं, इस जनसत्ता का एक सर्वोपरि प्रधान केन्द्र होगा क्योंकि ये सारी जातियाँ एक ही राष्ट्र में निवास करती हैं। क्रान्ति के बाद राज्यसत्ता, जनसत्ता के रूप में, रहेगी, यह धारणा राधामोहनजी को अराजकतावादियों से अलग करती है।

१९२५ में हिन्दी के प्रसिद्ध पत्र 'मतवाला' में इस तरह की विज्ञप्ति छपी, यह तथ्य सिद्ध करता है, किस प्रकार १८५७ से आरम्भ होनेवाला सारा घटनाक्रम,

रतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय का सारा चिन्तन, हिन्दी
सा के प्रान्तिकारी विचारको, पत्रकारो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सारा श्रम
पर कम स्वतः स्फूर्त ढंग से एक ही दिशा की ओर प्रवाहित था। यह दिशा
साम्यवाद की थी।

हिन्दी जनता की महान् सांस्कृतिक विरासत में राधामोहन गोकुलजी का
योगदान अत्यन्त मूल्यवान है।

साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय मोर्चा और मजदूर वर्ग

१. कांग्रेस में दक्षिणवाम संघर्ष

१९३६ में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। कांग्रेस ने गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध सुभाषचन्द्र बोस को राष्ट्रपति चुना। कांग्रेस के इतिहास में अभी तक गांधीजी और गांधीवादियों ने ऐसी पराजय का मुँह न देखा था। इस पराजय के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाकर अयेजों के १९३५ के काले कानून को तोड़ने के बजाय उसे अमल में लाना शुरू किया था। इसे अमल में लाने का परिणाम यह हुआ कि जहाँ भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, वहाँ शासन की शक्ति उभरते हुए किसान-मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध इस्तेमाल की गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के दक्षिणपन्थी नेतृत्व की लोकप्रियता में भारी कटौती हुई। दूसरा कारण यह था कि इसी दौरान वामपक्षी दल अधिक समृद्ध हुए। इनमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख थे। ये दोनों पार्टियाँ कांग्रेस में शामिल थी। इनके साथ कांग्रेस के अन्दर एक वामपक्ष उभर रहा था। इनमें कुछ जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी थे और कुछ सुभाषचन्द्र बोस के। यदि नेहरूजी से गांधीजी की राय के विरुद्ध राष्ट्रपति बनने को कहा जाता तो वह कभी न बनते किन्तु सुभाषचन्द्र बोस ने यह चुनीती स्वीकार की। उनकी विजय कांग्रेस के संयुक्त वामपक्ष की विजय थी, कांग्रेस के दक्षिणपन्थ की पराजय थी। यह दक्षिणपन्थ १९३५ के कानून को अमल में ला रहा था, वह क्रान्तिकारी संघर्ष चलाये बिना मीदेबाजी के द्वारा स्वराज्य अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमीनियन का दर्जा पाने के लिए प्रयत्नशील था, वह मजदूरों की हड़तालों और किसानों के लगानबन्दी आन्दोलन का विरोधी था। यही नहीं, वह देशी रियासतों में प्रजामण्डलों के सामन्तविरोधी आन्दोलन का विरोधी भी था। कांग्रेस के भीतर उसने कभी जन-

तान्त्रिक तरीकों में काम न लिया था, त्रिपुरी कांग्रेस से यह और भी स्पष्ट हो गया। जोते मुभापचन्द्र बोग किन्तु कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य नामजद करने का अधिकार दक्षिणपन्थ ने अपने हाथ में रखा। स्पष्ट ही वह कांग्रेस में अपनी तानाशाही के जरिये फूट डाल रहा था। इस परिस्थिति में दो बातें हो सकती थीं। या तो कांग्रेस का वामपक्ष मुभापचन्द्र का साथ देकर दक्षिणपन्थियों को बाध्य करता कि वे बहुमत का आदर करें, या फिर दक्षिणपन्थियों द्वारा तानाशाही और फूट की नीति का समर्थन किये जाने पर उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल देता। वामपक्ष द्वारा फ्रान्किकारी नीति का पालन इस समय अत्यन्त आवश्यक इसलिए था कि दूसरा महायुद्ध छेड़ने की ज़ोरों में तैयारियाँ हो रही थीं। इस बात को दक्षिणपन्थी और वामपन्थी दोनों जानते थे। दक्षिणपन्थी सोचते थे कि युद्धकाल में आन्दोलन का भय दिखाकर और रियायते ले लेंगे। वामपन्थी सोचते थे कि युद्धकाल में साम्राज्यवाद कमजोर होगा और उस पर नान्तिकारी प्रहार करने के लिए यह अवसर अच्छा है। इसलिए त्रिपुरी कांग्रेस के समय और उसके बाद कांग्रेस का और भारत का वामपक्ष कौन-सी नीति अपनाता है, इस पर भारत के भावी विकास की दिशा निर्भर थी।

कम्युनिस्ट पार्टी इस समय 'नैशनल फ्रंट' नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक निकाल

होने में रोकने के लिए गांधीजी के नेतृत्व का समर्थन करके सही काम किया या नहीं। कम्युनिस्ट तर्क यह था कि अविभाजित कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व कर सकती है, इसलिए दक्षिणपन्थ की दुलमुल नीति का विरोध करते हुए दक्षिण और वाम दोनों को मिलाकर चलना आवश्यक है। इस समय देश में मानवेन्द्रनाथ राय और उनका दल भी सक्रिय थे। वह बहुत दिनों से पूरी कांग्रेस को प्रतिक्रियावादी कहते आये थे और त्रिपुरी के अवसर पर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनकी स्थापना सही उतरी है। 'नैशनल फ्रंट' में अनेक लेख प्रकाशित हुए जिनमें रायवादी कार्यनीति की आलोचना की गयी। उससे आभास यह दिया गया कि रायवादी अनि वामपन्थी नीति का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पूंजीपतियों की सस्था है, साम्राज्यवाद से उसका अन्तर्विरोध है, इसलिए उसके साथ संयुक्त मोर्चा बनाना आवश्यक है।

जहाँ तक राय का सम्बन्ध है, वह आरम्भ से भारतीय पूंजीपतियों को प्रतिक्रियावादी मानते आये थे अर्थात् उन्हें साम्राज्यवाद से अभिन्न मानते आये थे। फिर उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि भारत में साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, मुख्य शत्रु पूंजीपति वर्ग है। इस स्थापना के अनुसार १९३६ में राय के लिए साम्राज्य में लड़ने का प्रश्न ही नहीं था, उनके लिए प्रश्न था पूंजीवाद को समाप्त करने का अर्थात् पूंजीवाद से लड़ने के वहाने साम्राज्यवाद से लड़ाई रोक देने का। इंग्लैण्ड और जर्मनी की लड़ाई में वह इंग्लैण्ड का साथ देने के पक्ष में थे, तो यह कोई नयी बात न थी। ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन के लिए उन्होंने बहुत

से तरीके और बहुत मे तकें डूँड निकाले थे। या तो कांग्रेस के दक्षिणपन्थियों का समर्थन करो या फिर रायवाद के रास्ते पर चलो, ऐसे दो विकल्प १९३६ में वामपक्ष के सामने न थे। विकल्प ये थे : सर्वथानिक तरीके से आन्दोलन चलाया जाये यानी आन्दोलन के नाम पर जहाँ-तहाँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये जायें, अंग्रेजों से सोदेवाजी का रास्ता खुला रखा जाये या अंग्रेजी राज्य के सामन्ती आधार को ध्वस्त किया जाये, देशी रियासतों में प्रजामण्डलों का आन्दोलन तेज किया जाये, किसानों के लगानबन्दी आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाये, मजदूरों के आन्दोलन को इस सामन्तविरोधी आन्दोलन से जोड़ा जाये। भारत में बहुत जगह ब्रिटिश पूँजी लगी हुई थी, इसलिए मजदूर जहाँ भी अपनी दशा सुधारने के लिए आन्दोलन करते थे वहाँ वे सीधे अंग्रेजी राज से टकराते थे। इसी कारण बहुत जगह मजदूर आन्दोलन सीधे साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन का हिस्सा बन गया था। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का भारत, दोनों में मुक्ति आन्दोलन को चलाने में जो भी बाधक हो, उसे हटाना जरूरी था। मुख्य बात व्यक्तियों की नहीं वर्गों की थी। कांग्रेस के प्रमुख नेतृत्व में पूँजीपति वर्ग और एक हद तक जमींदारों तथा मध्यवर्ग के प्रतिनिधि थे। मजदूर वर्ग के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वह राष्ट्रीय पूँजीपतियों की साम्राज्यविरोधी भूमिका पहचानता है या नहीं। किन्तु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह स्वाधीनता संग्राम के लिए किसानों के सामन्तविरोधी आन्दोलन की भूमिका पहचानता है या नहीं। यदि वह देश की जनता के बहुसंख्यक भाग अर्थात् किसानों की भूमिका के प्रति उदासीन रहता है, शब्दों में नहीं तो अमल में, पूरी तरह नहीं तो अंशतः उदासीन रहता है, तो पूँजीपति वर्ग की भूमिका को लेकर वह सही नीति अपनाये भी तो उससे कोई क्रान्तिकारी परिणाम न निकलेगा। इसके विपरीत यदि वह पूँजीपति वर्ग की भूमिका के बारे में गलती करता है, तो भी देश की बहुसंख्यक जनता को गोलबन्द करके वह अपनी गलती सुधार सकता है और एक क्रान्तिकारी परिणाम तक पहुँच सकता है। कांग्रेस सही या गलत, कितना सही कितना गलत, कौन दक्षिणपन्थी कौन वामपन्थी, कब किसके हाथ मजबूत करना उचित, कब अनुचित, इन बातों पर हजारों पृष्ठ लिखे गये हैं। अधिकांश बहस निरर्थक है। सयुक्त मोर्चे का प्रश्न सही तरीके से नहीं हल किया जा सकता है जब व्यक्तियों और दलों के बदले वर्गों पर दृष्टि जमायी जाये, जब व्यक्तियों और पार्टियों की भूमिका वर्ग-सम्बन्धों के सन्दर्भ में परखी जाये। १९३६ में कम्युनिस्ट पार्टी चाहे गांधीजी का साथ देती चाहे सुभाषचन्द्र बोस का, वह दोनों को मिलाती चाहे अलग करती, असली सवाल यह था कि वह किस हद तक किसानों के सामन्तविरोधी आन्दोलन का संचालन कर सकती है। यहाँ उसकी स्वतन्त्र भूमिका दरकार थी। स्वतन्त्र भूमिका होने पर ही वह पूँजीपति वर्ग को आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती थी, न बढ़ने पर उसे रास्ते में हटा सकती थी। रियासतों का आन्दोलन मूलतः किसानों का सामन्त-विरोधी आन्दोलन ही था। ब्रिटिश भारत के किसान-आन्दोलन से मिलकर वह बहुत बड़ी शक्ति बन सकता था। तेलंगाना का किसान-आन्दोलन एक देशी रियासत में चलाया गया था, यह स्मरणीय है।

मिलता। "एक ओर बड़े पैमाने पर सदस्य बनाये जायें, दूसरी ओर जनतान्त्रिक तरीके से काम न हो, तो इसमें किसी भी सगठन में अन्तर्विरोध पैदा होगा। पिछले दो वर्षों के जन-आन्दोलन के उभार से कांग्रेस के भीतर का यह बुनियादी अन्तर्विरोध सतह पर आ गया है और वर्तमान सगठनात्मक संकट उसका अनिवार्य परिणाम है।" जोशी ने सगठनात्मक संकट को वाम-दक्षिणपन्थों के विचार-धारात्मक संघर्ष से अलग करके देखा है। केवल सगठनात्मक संकट ही लिया जाये और जोशी की ध्याख्या स्वीकार की जाये, तो भी उसमें परिणाम यह निकलता है कि एक ओर कांग्रेस के चालीस लाख सदस्य हैं और दूसरी ओर उन्हें हाँकनेवाले मुट्ठी-भर दक्षिणपन्थी नेता हैं। कांग्रेस को जनतान्त्रिक सरथा बनाने का अनिवार्य परिणाम होगा इस दक्षिणपन्थ की शक्ति को कम करना। जोशी मुझाव देते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी और सयमें छोटी, सभी कमेटियों को क्रियाशील बनाया जाये, कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, मजदूर-सभाओं और किसान-सभाओं में कांग्रेस की एकता कायम की जाये। जोशी निष्कर्ष यह निकालते हैं कि आगे बढ़ने की नीति लागू करने के लिए हमें बहुमुखी एकता कायम रखनी चाहिए। अमल में इस एकता की नीति का परिणाम यह होता है कि चालीस लाख सदस्यों पर मुट्ठी-भर दक्षिणपन्थी नेता जनतन्त्रविरोधी तरीके से अपना प्रभुत्व बनाये रहते हैं। भविष्य दाँव पर था, इसमें सन्देह नहीं। एकता के नाम पर दक्षिणपन्थियों के पीछे चलने की जिस नीति का प्रतिपादन यहाँ किया गया है, वही नीति १९४७ में फूली-फली और उसका एक फल यह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी की क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाने की नीति कुन्द हो गयी।

'नैशनल फ्रंट' के उसी अंक में त्रिपुरी कांग्रेस के लिए कम्युनिस्ट प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। यह प्रस्ताव रुद्रदत्त भारद्वाज, बकिम मुकर्जी आदि ए. आई. सी. सी. के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ दस्तावेज बताया गया है। इसमें सविधान सभा की बात कही गयी है। राष्ट्र उसी सविधान को स्वीकार करेगा जिसे स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित सविधान सभा ने बनाया होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीय जनमत की निरन्तर उपेक्षा करता रहा है। जनता की शक्ति पहले से बहुत बढ़ गयी है। साम्राज्यवाद पर हमला करने का समय आ गया है। इसके लिए राष्ट्र की सभी शक्तियों को, मजदूरों, किसानों, रियासतों की जनता और सभी स्वाधीनताप्रेमी लोगों को एकजुट करना जरूरी है। इसलिए (प्रस्ताव के अनुसार) कांग्रेस माँग करती है कि अंग्रेजी फौज हटायी जाये; सुरक्षा, विदेश विभाग और वित्त विभाग भारतीय जनता को सौंपे जायें। अंग्रेज सरकार छह महीने में यह माँग स्वीकार न करेगी तो कांग्रेस परिस्थिति पर विचार करके उचित कदम उठायेगी। संघर्ष की तैयारी करने के लिए कांग्रेस के कार्यक्रम में मेहनतकश जनता की बुनियादी माँगें शामिल करना जरूरी है। कांग्रेस के भीतर से भ्रष्टाचार दूर करना और कांग्रेस कमेटियों को क्रियाशील बनाना जरूरी है। (यह मजबूत बात है कि स्वाधीनताप्राप्ति से पहले ही अनेक कम्युनिस्ट यह अनुभव करने लगे थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और उसे दूर करना जरूरी है।)



नेतृत्व को चुनौती देने के लिए है; कार्यसमिति जिम नीति पर चलती आयी थी, उसे अब अचानक उलट दिया जायेगा। इसीलिए त्रिपुरी में उन्होंने ए. आई. सी. सी. के सामने एक प्रस्ताव लाकर गवको अचम्भे में डाल दिया। इसमें सीधे माँग की गयी थी कि कार्यसमिति और उसके काम में, गांधीजी की बुनियादी नीति में और स्वयं नेता गांधीजी में विश्वास प्रकट करने के लिए वोट दो। इन प्रस्ताव में सुभाषचन्द्र बोस को हल्की झिड़की दी गयी थी कि उन्होंने दूसरों पर 'दोष' लगाया है और 'उनते कहा गया कि वे गांधीजी की इच्छा के अनुरूप कार्यसमिति का गठन करें।' प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह था कि दक्षिणपन्थ की इच्छा के विरुद्ध, और जिस कार्यक्रम से वह असहमत था, उसके आधार पर, सुभाषचन्द्र बोस के चुने जाने से दक्षिणपन्थ ने जो गौरव खो दिया था, उसे वह फिर पा जाये। बोस के विरुद्ध सीधे अविश्वास के लिए मतदान की माँग करके यह लक्ष्य सिद्ध करने का साहस उसमें नहीं था। इसीलिए दक्षिणपन्थ ने गांधीजी और उनके बुनियादी सिद्धान्तों पर मतदान करने के लिए माँग की।

त्रिपुरी में जो कुछ हुआ, उसका प्रभाव महायुद्ध के दौरान देश की सारी राजनीति पर पड़ा और परोक्ष रूप से महायुद्ध के बाद की राजनीति पर पड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन में वामपक्ष इससे पहले कभी इतना शक्तिशाली न हुआ था जितना इस समय था। महायुद्ध छिड़नेवाला है, सब लोग अच्छी तरह जानते थे। महायुद्ध के दौरान साम्राज्यवाद कमजोर पड़ेगा, इसलिए उस पर आक्रमण करने के लिए यह उपयुक्त अवसर रहेगा, यह बात वे लोग जानते थे। इस स्थिति में यदि सुभाषचन्द्र बोस और वामपन्थी कांग्रेसजन, सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट एकजुट होकर संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते तो कोई भी उनकी प्रगति को रोकने में सफल न हो सकता था। गांधीजी सन् ३० के आन्दोलन की असफलता के बाद अपना प्रभाव बहुत कुछ खो चुके थे। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का समर्थन करने और साम्राज्य-विरोधी संघर्ष छोड़ने में सकोच के कारण उनकी लोकप्रियता में भारी कमी हुई थी। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विकल्प के रूप में उभरकर सामने आये थे किन्तु अमल में वह गांधीजी के अनुयायी सिद्ध हुए। सुभाषचन्द्र बोस दूसरे ढंग के विकल्प थे, वह गांधीजी का अनुसरण करने को तैयार न थे। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कांग्रेस की एकता पर बल वास्तव में सगठन की एकता नहीं, नेताओं की एकता पर बल था, और इस एकता का अर्थ था सुभाषचन्द्र बोस को बाध्य किया जाये कि वह गांधीजी का अनुसरण करें। स्थिति की विडम्बना यह है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता बनाये रखने पर इतना जोर दे रही थी, वह युद्ध के दौरान उससे विलकुल अलग जा पड़ी। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी नेतृत्व से ही नहीं, वह सुभाषचन्द्र बोस और उनके अनुयायियों से भी दूर हो गयी, कांग्रेसी सोशलिस्ट उसके शत्रु हो गये। युद्धकाल में वामपक्ष का जो विस्फारण हुआ, वह कांग्रेसी दक्षिणपन्थ के लिए बरदान सिद्ध हुआ और युद्ध के बाद साम्राज्यवाद से सौदेवाजी का मार्ग उनके लिए लगभग निष्कण्ठक हो गया। लगभग; पूरी तरह नहीं।

'नैशनल फ्रंट' के उक्त सम्पादकीय लेख के अन्त में कहा गया है कि राष्ट्रपति-

1000

1000

१९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में पूरनचन्द जोशी ने अपने माधियों को गावधान किया कि सोशलिस्ट पार्टी की आलोचना करके सोशलिस्ट एकता ब्रंग न करें। मतभेद हैं लेकिन उन्हें बातचीत के द्वारा श्म नरह दूर करना चाहिए मातां हम दोनों एक ही पार्टी में हैं।

६ अप्रैल १९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में पूरनचन्द जोशी की एक टिप्पणी छपी है। कुछ साधियों ने उन्हें लिखा था कि त्रिपुरी-गम्पन्धी विवरण में वह यह लिखता भूल गये कि बकिम मुकर्जी का भाषण संगत रूप में 'वामपन्थी' नहीं था। उन्होंने कहा था कि गांधीजी के नेतृत्व को लेकर मतदान न करायेँ और उन्हें साठ फीसदी का ही नेता न बन जाने दें। आशय यह है कि जोशी ने वामपन्थी भटकाव की आलोचना की थी, कुछ साधियों ने उन्हें लिखा था कि यह भटकाव बकिम मुकर्जी के भाषण में नहीं था। जोशी ने इसे स्वीकार किया। आगे लिखा, "मैं सब साधियों से निवेदन करता हूँ कि वे याद रखें कि नैशनल फ्रंट में जो आलोचना छपती है, वह किसी साधी को धूल चटाने के लिए नहीं। उमका उद्देश्य ईमानदारी में आत्मालोचना करना है। हममें आत्मविश्वास है और इसीलिए हम अपनी गलतियों की खुली आलोचना कर सकते हैं जिनमें कि फिर बंसी गलतियाँ न दोहरायेँ, आत्मालोचना का परिणाम पार्टी सदस्य आत्मगत् कर लें और आन्दोलन अधिक शक्तिशाली बने।" यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व सुधारवादी रश्शन प्रकट कर रहा था, वह भिन्न मत रखनेवालों पर वामपन्थी भटकाव अर्थात् सकीर्णतावाद का आरोप लगा रहा था।

१६ अप्रैल १९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में त्रिपुरी पर अजय घोष का एक और लेख प्रकाशित हुआ। पार्टी ने आत्मसमर्पण किया, इस आलोचना का उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय शक्तियाँ पहले से बहुत ताकतवर हो चुकी थी और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि यदि सारा राष्ट्र मिलकर आगे बढ़े तो यह बिलकुल सम्भव था कि हम निकट भविष्य में स्वाधीनता प्राप्त कर लें। लेख में एक दिलचस्प बात यह बतायी गयी है, "सोशलिस्ट साथी राष्ट्रपति वाले संपर्क के प्रति पहले बहुत उस्तहित नहीं थे। बाद को उन्होंने सुभाष बोस का हार्दिक समर्थन किया। रायवादियों और समूने वामपक्ष ने भी यही किया।" इस समय रायवादी वामपक्ष का अंग माने जा रहे थे। अजय ने लिखा कि सुभाषचन्द्र बोस के दुवारा चुने जाने के बाद वामपक्ष के आपसी मतभेद उभरकर ऊपर आये। वामपक्ष के कुछ लोग यह समझे कि वैकल्पिक नेतृत्व का समय आ गया है, कम-से-कम कांग्रेस की कार्य-समिति में वामपन्थियों के बहुमत की माँग की जा सकती है। "उन्होंने बोस की जीत का यह मतलब निकाला कि गांधीवाद, गांधीवादी नेतृत्व और गांधीवादी कार्यनीति की हार हुई है। उन्होंने नये कार्यक्रम, नये नेतृत्व, नयी विचारधारा की आवाज लगायी।" इनके विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का मत था कि सुभाषचन्द्र बोस के लिए वोट देकर प्रतिनिधियों ने आगे बढ़ने की नीति का समर्थन किया। (यहाँ बड़ा सूक्ष्म भेद किया गया है। आगे बढ़ने का जो विरोध कर रहे थे, उनकी हार नहीं हुई, किन्तु जो आगे बढ़ने की बात कह रहे थे, उनका समर्थन ही गया।) इसमें सुभाषचन्द्र बोस का यह दोष

बताया गया है कि उन्होंने पन्त प्रस्ताव आने से पहले अपना वक्तव्य न दिया। उसने दक्षिणपन्थियों को अपना प्रस्ताव लाने का अवसर मिला। बीसके पक्ष में यह बात कही गयी है कि वह गम्भीर रूप में बीमार थे और इसलिए शायद उन्हें पता न था कि वक्तव्य न देने का परिणाम क्या होगा। "किन्तु यह बात रहस्य नहीं रह गयी कि 'वैकल्पिक नेतृत्व' वाले सिद्धान्त के समर्थक और थोड़े-से तथाकथित वामपन्थी नेता सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों द्वारा ब्रोम को दी हुई सलाह का जोरो से विरोध कर रहे थे। ये नेता निजी स्वार्थमिद्धि के लिए पुनः एकता स्थापित करने का विरोध कर रहे थे। अजय घोष ने वामपन्थियों में भेद करते हुए बताया कि इनमें कुछ तो ईमानदार हैं और कुछ फूट डालनेवाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति थी कि कांग्रेस अंग्रेजों को छह महीने का अल्टीमेटम दे। इस अवधि में आजादी न देंगे तो आन्दोलन फ़िडा जायेगा। किन्तु यह अल्टीमेटम वाली बात कांग्रेसी नेतृत्व मानने को तैयार न था। यही नहीं, जो वामपन्थी कहलाते थे, वे भी उसे मानने को तैयार न थे। "त्रिपुरी में हमने देखा कि हम अल्टीमेटम का नारा लोकप्रिय नहीं बना पाये, उसके आधार पर समूचे वामपक्ष को भी एकजुट न किया जा सकता था।" इसलिए सोशलिस्टों के साथ मिलकर कम्युनिस्टों ने प्रस्ताव का जो मसौदा बनाया, उसमें अल्टीमेटम वाली बात हटा ली गयी किन्तु सुभाषचन्द्र बोस की बीमारी के कारण उस प्रस्ताव के बारे में उनसे चान न की जा सकी और अन्य प्रस्तावों के पहले उसे पेश न किया जा सका। विषय-समिति में जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया, उसमें कम्युनिस्ट प्रस्ताव के भूमिका भाग को बाँटें आ गयी "किन्तु उसमें काम करने की कोई योजना नहीं थी, न उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि दुर्लुपन की नीति छोड़ी जाये और चौमुखी धावा बोला जाये।" अजय घोष की दृष्टि में जाहिर है कि साम्राज्य-विरोधी सचपं के प्रश्न पर जवाहरलाल नेहरू गांधीजी और दक्षिणपन्थियों के साथ थे, वामपन्थियों के साथ नहीं थे। सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने जो संशोधन पेश किये, उन्होंने उनका एक अंश स्वीकार किया। इसके बाद संशोधन पेश करनेवाले साथी मेहर अली ने, अन्य साथियों से सलाह किये बिना, वह संशोधन वापस ले लिया जिसे वह पेश कर रहे थे। अधिवेशन समाप्त हो रहा था, प्रतिनिधि थके हुए थे। ऐसे वातावरण में पूरा संशोधन स्वीकार किया जाता, इसकी सम्भावना न थी। "फिर भी यह हमारा कर्तव्य था कि संशोधन को लेकर अड जाते और खुले अधिवेशन में उसे पेश करते। उसने प्रस्ताव न बदल जाता किन्तु कम से कम हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेते, कांग्रेस के मंच में अपने काम करने की योजना का प्रचार करते और लोगों को समझाते कि अल्टीमेटम वाली बात हमने क्यों छोड़ दी थी।" डूबते को तिनके का सहारा। सही समय पर सही प्रस्ताव सही आदमी सही ढंग से पेश कर देते तो सबकुछ बदल जाता। कांग्रेस के भीतर और बाहर वर्ग-शक्तियों का जो अनुपात था, वह ऐसी नाजुक बातों से न बदल सकता था। यदि वामपक्ष किसानों को संगठित करने में सफल होता, सफल न होने पर भी यदि इस दिशा में वह दृढ़तापूर्वक बढ़ना, तो यह दयनीय स्थिति न होती। "कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में वामपक्ष ऐसा एकतावद्ध न हुआ था जैसा त्रिपुरी में हुआ

किन्तु त्रिपुरी में ही वामपक्ष के भीतर दरारें उभर आयीं और त्रिपुरी के बाद वामपक्ष का आन्तरिक संघर्ष और तेज हो गया है। उसका एक भाग अगफलता के लिए दूसरे को दोषी कहता है। और आज वामपक्ष बिसराव और विघटन की हालत में दिखायी देता है।" स्थिति का यह मूल्यांकन बहुत कुछ सही था। कारण जो भी रहे हों, युद्ध छिड़ने के पहले, कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस की भारी विजय के बाद, जो वामपक्ष एकजुट होने के बाद बिसराव की हालत में आ गया, वह युद्धकाल में कारगर भूमिका निवाहने के योग्य न था, युद्ध चाहे साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच हो और चाहे फासिस्टो और सोवियत संघ के बीच हो।

२३ अप्रैल १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में जयप्रकाश नारायण और पूरनचन्द्र जोशी का संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ। ए. आई. सी. नी. की बैठक होने वाली थी और कांग्रेस की कार्यसमिति अभी तक गठित न की गयी थी। सुभाषचन्द्र बोस और गांधीजी के बीच उसे गठित करने के बारे में बातचीत चलती रही थी। ऐसी बातचीत पत्र-व्यवहार से पूरी न हो सकती थी। वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रपति बोस और गांधीजी शीघ्र मिलें और ऐसी कार्यसमिति बनायें जिसमें दोनों तरह के लोग हों और वह संयुक्त नेतृत्व की प्रतीक हो। युद्ध का संकट यूरुप और एशिया पर तेजी से फैल रहा है। सारे देश को साम्राज्यवाद पर आक्रमण करने के लिए तैयार करने का प्रश्न सामने है। ए. आई. सी. नी. की बैठक को इस मामले में मार्गदर्शन करना होगा।

२. वामपक्ष का आन्तरिक संघर्ष

२३ अप्रैल १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में रायवाद की आलोचना करते हुए गंगाधर अधिकारी का महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा कि राय ने कम्युनिस्टो और सोशलिस्टो के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी है। राय के अनुसार इन लोगों ने क्रान्ति का झण्डा झुका दिया है और प्रतिक्रियावाद के सामने घुटने टेक दिये हैं। अधिकारी ने लिखा कि कम्युनिस्टो ने संयुक्त नेतृत्व का समर्थन किया, साम्राज्यवाद के विरुद्ध तुरत देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया। पन्त-प्रस्ताव को लेकर उन्होंने गांधीवाद और गांधीवादी नेतृत्व पर हमला करना उचित न समझा। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दायें-बायें भटकावों से बचकर अपनी नीति पर चलते और राष्ट्रपति बोस सारी परिस्थिति को व्यक्तिगत मामला न बनाकर राजनीतिक दृष्टि से उस पर विचार करते तो दक्षिणपन्थ की ऐसी विजय न होती। दायें भटकाव यह था कि सोशलिस्ट पार्टी तटस्थ रही; बायें भटकाव कुछ कम्युनिस्टो के रख भे था। अधिकारी ने बताया कि राय से मुख्य मतभेद बैकल्पिक नेतृत्व की बात को लेकर था। राय की बात मानने का अर्थ था कि हम संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की उस नीति को छोड़ दें जिसे तीन साल से सारा वामपक्ष मानता आया था। प्रतिनिधियों ने सुभाषचन्द्र बोस के पक्ष में जो मत दिया, वह अंग्रेजों के प्रस्तावित संघ के बारे में दुलमुल कांग्रेसी नीति के विरुद्ध मत था। नागरिक अधिकारों का विस्तार करने में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने जो कार्य किया था, वह सन्तोषजनक नहीं था। यह मत उस कार्य के विरुद्ध था। रियासतों के बारे में जो

नरम नीति थी, उनके विरुद्ध मत था, यह नेतृत्व को हटाने के लिए नहीं था। "नेतृत्व जिस नीति पर चल रहा था, उससे असन्तोष इस हद तक न बढ़ गया था कि नेतृत्व अलगवाव की हालत में पड़ गया हो और उसे बदलने की मांग की गयी हो। परिस्थिति की इस विशेषता के प्रति दक्षिणपन्थी नेतृत्व चौकन्ना था। इसी-लिए उसने समान विचारवालों की कैबिनेट बनाने का नारा दिया था।" यह परिस्थिति का सही विश्लेषण है। गांधीवादी नेतृत्व से असन्तोष बढ़ा था, इतना बढ़ा था कि कांग्रेस में यह नेतृत्व पराजित हुआ था किन्तु इतना न बढ़ा था कि वह कांग्रेस के भीतर या बाहर अलग-थलग पड़ गया हो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए था? यदि वह अलग-थलग पड़ गया होता तो अच्छा होता या नहीं? स्पष्ट ही साम्राज्यविरोधी संघर्ष चलाने के लिए वह स्थिति अच्छी होती। वह स्थिति नहीं थी, इस कारण उनके लिए काम करना चाहिए था। दक्षिणपन्थी नेतृत्व भारतीय पूँजीवाद का प्रगतिनिधित्व कर रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि था। यदि किसान कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देने, तो पूँजीवादी नेतृत्व अलगवाव की हालत में पड़ सकता था। ऐसा न होने पर यदि थोड़े किसान भी पूँजीवादी नेतृत्व का साथ दे, अधिकांश किसान तटस्थ रहे, तो पूँजीवादी नेतृत्व बहुत दक्षिणात्मी प्रतीत हो सकता था। किसानों के समर्थित आन्दोलन के बिना कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी दक्षिणपन्थी नेतृत्व को परास्त न कर सकती थी। यह स्थिति १९३६ में ही नहीं थी, १९८१ में भी है। कम्युनिस्ट पार्टी जोरों से वामपक्षी विकल्प की बात कहती है किन्तु किसान-सक्ति को अपने साथ ले चलने की समस्या उसके लिए अब भी बनी हुई है। वह इस समस्या के प्रति ग्राफिल नहीं है लेकिन जो काम बरसों में छूटा हुआ हो, वह जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी के अनुसार महात्मा गांधी जानते थे कि जिस बहुमत ने सुभाष-चन्द्र बोस को चुना है, वह कमजोर है। "जब साफ-साफ नेतृत्व बदलने का सवाल पेश किया जायेगा, तब यह बहुमत ध्वस्त हो जायेगा।" अधिकारी के इस तर्क का अर्थ यह है कि लोगों ने सुभाषचन्द्र बोस के लिए मतदान करके गांधीवादियों के नेतृत्व का विरोध नहीं किया, उनकी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और नीति इन दोनों चीजों को अलग करना जरूरा मुश्किल था। नेतृत्व गांधीजी का रहे और नीति सुभाषचन्द्र बोस की चले, यह परिस्थिति कुछ विचित्र थी। अधिकारी के अनुसार राजनीतिक मतले पेश किये जाते तो सुभाष-समर्थक बहुमत अडिग बना रहता और वह दक्षिणपन्थी नेताओं को आगे बढ़ने के लिए धक्का दे सकता था। इन नेताओं ने गांधीजी के नेतृत्व का सवाल उठाकर मुख्य समस्या से ध्यान हटा दिया। कांग्रेस के बहुमंरूपक प्रतिनिधि मौजूदा नेतृत्व के प्रति वफादार थे। सुभाषचन्द्र बोस के चुनाव में पुरानी स्थिति उभरकर आती थी। अधिकारी के अनुसार रायवादियों के दायपेच ऐसे थे जिनसे दक्षिणपन्थियों को ही लाभ होता। "यदि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट राय के साथ मिलकर वामपन्थी नेतृत्व के नारे का समर्थन करते तो उसके फलस्वरूप दक्षिणपन्थ की विजय और भी तगड़ी होती और वामपक्ष धकिया दिया जाता। आम जनता की राजनीतिक

चेतना अभी इस स्तर तक न पहुँची थी कि 'मौजूदा नेतृत्व को हटाओ' यह नारा दिया जा सकता।"

अधिकारी के तर्क का सारतत्व यह है कि "वैकल्पिक नेतृत्व के सिद्धान्त को मान लेने का मतलब यह था कि संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की नीति हम त्याग देते हैं।" तब तो राष्ट्रीय मोर्चा तभी कायम रह सकता है जब उसका नेतृत्व दक्षिणपन्थियों के हाथ में बना रहे। वास्तव में संयुक्त मोर्चा जिस सामाजिक आधार पर बनता है, उसमें वर्गों की स्थिति पर यह निर्भर है कि नेतृत्व किसका होता है। यदि पूँजीपति और उनके सहायक अधिक शक्तिशाली हैं तो नेतृत्व उनका होगा, यदि मजदूर वर्ग और उसके सहायक शक्तिशाली हैं तो नेतृत्व इनका होगा। विभिन्न वर्गों के मिलने से संयुक्त मोर्चा बनता है। पूँजीपतिवर्ग का नेतृत्व माना जायेगा तभी संयुक्त मोर्चा बनेगा, यह शर्त मिथ्या है। समस्या यह थी कि इस संयुक्त मोर्चे में मजदूरवर्ग और उसके साथियों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाये जिससे देश की अधिकांश जनता साम्राज्य-विरोधी संघर्ष में भाग ले सके। इसके लिए आवश्यक था कि पूँजीवादी नेतृत्व ने संघर्ष के जो तरीके देश के सामने रखे थे, उनसे उबरकर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी संघर्ष के नये तरीके जनता के सामने रखें। जब तक संघर्ष पूँजीवादियों के निश्चित किये हुए मार्ग पर चल रहा था, तब तक उनका नेतृत्व भी अनिवार्य मालूम होता था। किसानों को अपना आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी स्थिति पैदा कर सकती थी जिसमें पूँजीपति वर्ग बाध्य होकर किसानों का साथ देता, संयुक्त मोर्चे में शामिल होता, या फिर संघर्ष के रास्ते से अलग हट जाता।

अधिकारी ने दक्षिणपन्थी नेतृत्व को समूचे पूँजीपति वर्ग से जोड़ते हुए लिखा, "मौजूदा (गांधीवादी) नेतृत्व को हटाने की माँग का मतलब है राष्ट्रीय मोर्चे से एक पूरे वर्ग को निकालने की माँग करना। वह वर्ग राष्ट्रवादी पूँजीपतियों और उनके अनुयायियों का है। यह वर्ग आज उस मोर्चे का अंग है जो साम्राज्यवाद का सामना कर रहा है, स्वाधीनता और जनतन्त्र की माँग कर रहा है और जो इन माँगों को पूरा करने के लिए जन-आन्दोलन छेड़ने की नीति से प्रतिबद्ध है। इसके हित साम्राज्यवाद के हितों से टकराते हैं, साथ ही वे आम जनता—किसानों, मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों—के हितों से भी टकराते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय संग्राम में उसकी स्थिति दुर्लभ और दुतरफा होती है। लेकिन साम्राज्यवाद अभी परास्त नहीं हुआ। पूँजीपतियों और व्यापारियों का वर्ग, भारत की और सब जनता के साथ, एक पीड़ित वर्ग है। इसका राष्ट्रवादी भाग कांग्रेस का समर्थन करता है। हम यह आशा नहीं करते कि वह क्रान्तिकारी भूमिका निवाहेगा अर्थात् साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष को सुसंगत क्रान्तिकारी नेतृत्व प्रदान करेगा। किन्तु वह क्रान्तिविरोध के शिविर में भी नहीं पहुँच गया, वह साम्राज्यवादी दूकान में छोटा भागीदार नहीं बन गया।"

यह विद्वेषण बहुत अच्छा है। पूँजीपतियों और व्यापारियों का वर्ग एक पीड़ित वर्ग है। उसे पीड़ा देनेवाली शक्ति साम्राज्यवाद की है। किन्तु उसके हित

आयेगी, यह निश्चित था। साम्राज्यवाद पर हमला करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा आवश्यक था। पर इस राष्ट्रीय मोर्चे पर जिस दुलमुल नेतृत्व का आधिपत्य था, वह आक्रमण की बात नहीं सोच रहा था, सौदेबाजी की बात सोच रहा था।

अधिकारी ने राष्ट्रीय पूँजीपतिवर्ग के बारे में प्रश्न किया है, क्या यह वर्ग क्रान्तिकारी हो गया है? जनता के हितों की बलि देकर, स्वाधीनता, जनतन्त्र और सामन्ती शोषण को खत्म करने के लक्ष्य की बलि देकर अपने संकुचित वर्गहितों के लिए उसकी आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति खत्म हो गयी है? उत्तर में कहते हैं, यह सब नहीं हुआ। उनके अनुसार महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके दुलमुलपन को खत्म करना सम्भव है, नेतृत्व को सघर्ष की ओर ढकेलना सम्भव है। वह मानते हैं कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने में सर्वैधानिक प्रवृत्ति बढ़ी है (अर्थात् अंग्रेजों के बनाये संविधान पर अमल करके कुछ और रियायतें पाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।) इसी तरह वह मानते हैं कि रियासतों की जनता के सघर्ष को सुलह-समझौते की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है। "लेकिन इसके साथ-साथ किसानों और औद्योगिक मजदूरों के गैरपालियामेण्टरी सघर्ष की शक्तियाँ बढ़ी हैं, रियासतों में राजनीतिक और आर्थिक शोषण के पुरानपन्थी रूपों के विरुद्ध जनता के विद्रोह बढ़े हैं।" यह बात भी सही है। कांग्रेस का एक भाग सर्वैधानिक ढाँचे के भीतर काम कर रहा था, उस ढाँचे को थोड़ा और चौड़ा करने की नीति पर चल रहा था। इस ढाँचे के बाहर किसानों और मजदूरों के सघर्ष चल रहे थे, रियासती जनता के सामन्त-विरोधी आन्दोलन आगे बढ़ रहे थे। इसलिए समझौतावादी नीति के रास्ते में भारी रुकावट पैदा हो गयी थी। यह रुकावट अमर्चैधानिक जनसघर्षों के रूप में थी। अधिकारी ने बिल्कुल ठीक लिखा था, "जिस हद तक रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों में किसानों और मजदूरों के आर्थिक सघर्ष आगे बढ़ते हैं, जिस हद तक इन विकसित होते हुए सघर्षों से कांग्रेस की इकाइयाँ सम्बद्ध होती हैं, जिस हद तक मजदूर वर्ग राजनीतिक रूप में सक्रिय होता है, उस हद तक राष्ट्रीय मोर्चे के संयुक्त नेतृत्व में सन्तुलन बदलेगा और एक सुसंगत क्रान्तिकारी जनवादी नेतृत्व का पलड़ा भारी होगा।" बात बहुत साफ कही गयी है। रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों के आन्दोलनों को मिलाना जरूरी था, मजदूर वर्ग के लिए अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक भूमिका निवाहना जरूरी था। कांग्रेस कमेटियों का जनसघर्षों से सम्बद्ध होना जरूरी था, तभी राष्ट्रीय मोर्चे के भीतर नेतृत्व-सम्बन्धी सन्तुलन बदल सकता था। सारांश यह कि जनसघर्षों द्वारा ही सन्तुलन बदला जा सकता था और इन जनसघर्षों को वामपक्षी नेतृत्व ही सुसंगत रूप से आगे बढ़ा सकता था। यदि यह बात एक बार मान ली जाये कि राष्ट्रीय मोर्चे में नेतृत्व-सम्बन्धी सन्तुलन बदलना है, तो इससे आवश्यक कार्यनीति स्वयं निर्धारित हो जाती है।

राय के बारे में लिखा है कि वह व्यापक राष्ट्रीय एकता का मञ्चाक उड़ाते हैं। वह क्रान्ति की शक्तियों की एकता की बात करते हैं। इसके लिए वह पहले वर्तमान नेतृत्व को परास्त करना जरूरी समझते हैं। ऐसा करने का साधन उनकी ममझ में गांधीवाद की आलोचना है। "राष्ट्रीय संशाम के विकास में किसानों और मजदूरों के स्वतन्त्र वर्ग-संगठनों की भूमिका का बह मर्यादित करते हैं। किसान-

को भी कम करके आँकते हैं, उसके हटाने के काम को बहुत सरल करके पेश कर है। "गांधीवादी नेतृत्व कुछ पुरानपन्थी सामन्ती प्रतिक्रियावादियों के गुट का है। नेतृत्व नहीं है। यह एक ऐसा नेतृत्व है जिसका आधार पूँजीवादी वर्ग है। आम जनता पर उसका असर इसलिए है कि सरकार के, साम्राज्यवाद के, विरोधी के रूप में उसकी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई। वर्तमान परिस्थिति में, जैसा कि हम पहले कह आये है, इसमें पहले कि वह कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन को विभाजित करने की हिम्मत करे, उसे काफी दूर तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मुख्य कार्य यह नहीं है कि सारी लड़ाई इस नेतृत्व के खिलाफ चलायी जाये, मुख्य कार्य यह है कि आशिक संघर्षों को फैलाने में जनता को पहल को बढ़ाया जाये और उनके द्वारा कांग्रेस कमेटियों को प्रियाशील बनाया जाये। मुख्य शत्रु साम्राज्यवाद है। राय की नीति के अनुसार दक्षिणपन्थ के खिलाफ लड़ाई पहले है, उसके बाद ही साम्राज्यवाद से संघर्ष किया जा सकता है। यह फूट की नीति है।" राय मौजूदा वामपन्थी शक्तियों को एक करने की बात नहीं कहते जिराम कि किसानों और मजदूरों और रियासती जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाया जाये और सब मिलकर कांग्रेस के भीतर की जनतन्त्रविरोधी प्रवृत्तियों से लड़ सकें।

लेख के अन्त में कहा है कि युद्ध छिड़नेवाला है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। भारत में संघर्ष की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। किन्तु इस संघर्ष में केवल किसानों और मजदूरों की शक्तियाँ देश की समस्त जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती। समूची कांग्रेस की एकता आवश्यक है जिसमें राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग भी शामिल है। इस कांग्रेस को वामपक्ष अन्तिम युद्ध के लिए नहीं तो आक्रमण के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ अधिकारी ने किसानों और मजदूरों की शक्ति की बात कही है। उनका आसय संगठित वामपक्ष से है। यह वामपक्ष अभी समस्त जनता का नेतृत्व नहीं कर सकता। इस समस्त जनता का सबसे बड़ा भाग किसान है। संगठित वामपक्ष अभी इन किसानों का नेतृत्व नहीं कर सकता। दरअसल वह समूचे मजदूरवर्ग को भी अभी संगठित नहीं कर पाया। यदि मजदूर और किसान संगठित होते, सभी किसानों और मजदूरों पर नहीं, उनके काफी बड़े हिस्से पर वामपक्ष का प्रभाव होता, तो पूँजीवादी नेतृत्व कोई भी अड़चन पैदा न कर सकता था। किसानों और मजदूरों की शक्ति अजेय थी, उन्हीं से जनता का बहुसंख्यक भाग बनता था। यह शक्ति मध्यवर्ग और प्रगतिशील पूँजीपतियों को अपने साथ संघर्ष में खींच सकती थी। अधिकारी के लेख का महत्व यह है कि इसमें उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का सम्बन्ध स्पष्ट किया है, पूँजीपति वर्ग को क्रान्तिविरोधी नहीं कहा और उसे क्रान्तिकारी भी नहीं माना। संयुक्त राष्ट्रीय नेतृत्व में वर्ग-सन्तुलन के सवाल को उन्होंने जनसंघर्षों से जोड़ा। इसलिए लेख से नतीजा यह निकलता था कि वामपक्ष को, वामपक्ष में सर्वाधिक कम्युनिस्ट पार्टी को अपना संगठन भजवूत करना चाहिए, जनसंघर्षों का नेतृत्व करना चाहिए, और इन संघर्षों के प्रभाव में राष्ट्रीय मोर्चे में सन्तुलन इस तरह बदलना चाहिए कि दलमुल दक्षिणपन्थी नेता प्रभावशाली न

रहें और वामपक्ष मुसंगत साम्राज्य-विरोधी, सामन्त-विरोधी संघर्षों का संचालन कर सके।

३० अप्रैल १९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में एम. एन. राय पर एक और महत्वपूर्ण लेख छपा। 'मावसवादी या मदारो?' ('माक्सिस्ट और माउण्टीबैंक?') शीर्षक लेख बी. टी. रणदिवे ने लिखा था। 'नैशनल फ्रंट' में अब तक राय पर जो लेख निकले थे, उनमें यह आभाम हो सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में राय वामपक्षी नीति पेश कर रहे थे। किन्तु रणदिवे ने इस लेख में दिखाया कि राय वास्तव में दक्षिणपन्थियों के मामले घुटने टेकने की नीति पर चलते रहे थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब उन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति से वामपन्थी विचार के लोगो में असंतोष है, तब उन्होंने क्रान्तिकारी नीति अपनाते का अभिनय शुरू किया। राय के अनुसार कांग्रेस क्रान्ति-विरोधी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने सयुक्त नेतृत्व की धारणा का समर्थन करके माक्सवाद से दगा की थी। राय ने अपनी और अपने अनुयायियों की पीठ ठोकते हुए लिखा था कि वे लोग ही क्रान्तिकारी थे और दक्षिणपन्थी हमले के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा ऊँचा किये रहे, उन्होंने बुनिर्यादी राजनीतिक और सगठनात्मक समस्याएँ पेश की। रणदिवे ने लिखा : यदि माक्सवादी अपना कर्तव्य पालन न कर सके तो कम-से-कम राय अवसरवाद के निकार न हुए होंगे और उन्होंने गांधीवादियों का मुकाबला जमकर किया होगा। किन्तु त्रिपुरी में राय इस तरह के संघर्ष से बिल्कुल दूर रहे। राय चाहते हैं कि दक्षिणपन्थी नेतृत्व खत्म किया जाये। क्या राय ने इसके लिए प्रयत्न किया? रणदिवे कहते हैं, "नहीं, हजार बार नहीं। क्या उन्होंने एक शब्द भी यह संकेत करने के लिए कहा कि मीजूदा नेतृत्व लोगो का विद्वास खो चुका है, वह बेकार हो गया है? जी नहीं। इसके विपरीत राष्ट्रीय मोर्चे वाले 'अवसरवादी' गुट की तरह, और उसमें भी अधिक 'अवसरवादी' सोशलिस्टो की तरह, उन्होंने भी दक्षिणपन्थियों से सहयोग की अपील की। अपने संशोधन में उन्होंने महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभी नेताओं से मासिक प्रार्थना की कि वे सुभाष बोस को पूर्ण सहयोग दें। यह प्रार्थना अधिकारवादी सरदार पटेल के प्रति भी थी।" अपने संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, "सुभाषचन्द्र बोस के चुनाव से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को बदलने का सवाल पैदा नहीं हुआ।" इस सुन्दर वाक्य के लिए राय को शाबासी देने के बाद रणदिवे ने पूछा, फिर वैकल्पिक नेतृत्व का क्या हुआ? और वे सच्चे क्रान्तिकारी क्या हुए जो क्रान्ति-विरोधी हमले का सामना कर रहे थे? सुभाषचन्द्र बोस की तारीफ करते हुए राय ने यह भी कहा था, "सुभाष बाबू ने चुने जाने के बाद कोई बात ऐसी नहीं कही जिसका यह अर्थ लगाया जाये कि वह महात्मा गांधी का नेतृत्व अस्वीकार करते हैं।" राष्ट्रपति सभी नेताओं का अर्थात् दक्षिणपन्थियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

रणदिवे ने बताया कि त्रिपुरी के बाद राय ने देखा कि वामपक्ष के भीतर भारी उलझन पैदा हो गयी है। उन्होंने तय किया कि वामपन्थियों को गुमराह करने के लिए इस स्थिति से फायदा उठाना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य कम्यु-

निस्टो और सोशलिस्टों की एकता को तोड़ना था। कम्युनिस्टों का बढ़ता हुआ प्रभाव राय के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा था। दस साल तक कम्युनिस्टों ने राय के खिलाफ जो विचारधारात्मक सघर्ष चलाया था, उससे उनकी असलियत धूल गयी थी। उन्होंने सोचा, बदला लेने का मौका आ गया है। वह चाहते हैं कि लोग यह विश्वास करें कि वह त्रिपुरी में अपनी स्थापनाओं के लिए संपर्क करते रहे थे। किन्तु उनके मुख-पत्र 'इण्डिपेण्डेन्ट इण्डिया' में उनके लेख और भाषण छपे थे। उनसे जाहिर हो जाता है कि राय जो कुछ आज कह रहे हैं, वह सब त्रिपुरी अधिवेशन के समय न कह रहे थे। १२ फरवरी को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की कार्यसमिति में पुराने नेता रहने चाहिए, उनके साथ नये विचारों और नयी नीति के प्रतिनिधि भी रहने चाहिए। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि जिस समय देश को अधिक-से-अधिक व्यापक आधार पर एकता की जरूरत है, उस समय यह दुःख की बात है कि गांधीजी कांग्रेस में अलग हटने की बात कह रहे हैं। देश में जो प्रगतिशील लोग हैं, वे प्रसन्न होंगे यदि सघर्ष में पुराने नेताओं के नेतृत्व का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके बाद २६ फरवरी को राय ने पंतरे बदला और उन्होंने माँग की कि कांग्रेस की कार्यसमिति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए और उसे पुनर्गठित करना चाहिए। १६ अप्रैल के 'इण्डिपेण्डेन्ट इण्डिया' में उन्होंने लिखा था कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि मन्थेत कान्तिकारियों को वैकल्पिक नेतृत्व की नींव डालने के लिए पहल करनी चाहिए। रणदिवे ने बताया कि राय के नारे सट्टावाजार की अफवाहों की तरह हर हफ्ते बदलते रहते हैं। ऐसे 'मानसंवादी' की राजनीति का मूल्य ही क्या है? जो आदमी इस तरह वेगर्भी से पंतरे बदलता है, वह ऐसा मदारी है जो उपद्रव करने पर तुला हुआ है और जिसका लक्ष्य अपने बड़प्पन की धाक जमाना है।

डा. अधिकारी ने यह दिखाया था कि रायवाद वास्तव में दक्षिणपन्थियों की मदद करता था। रणदिवे ने यह दिखाया कि राय अवसरवादी ढंग से, किसी

में यह बात प्रकट हो गयी कि राय का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन में फूट डालकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मदद करना था।

३. राष्ट्रीय एकता और वामपक्ष

घटनाक्रम इस तरह चला कि कलकत्ते की ए. आई. सी. सी. से, सुभाषचन्द्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। १५ मई १९३९ के 'नैशनल फ्रंट' के सम्पादकीय लेख में सुभाषचन्द्र बोस के त्यागपत्र और दक्षिणपन्थ की विजय पर कम्युनिस्ट पार्टी के विचार प्रकट किये गये हैं। अद्वैतधर्मी राजनीतिज्ञ यह समझ बैठे हैं कि दक्षिणपन्थ की यह विजय वामपक्ष पर आक्रमण है। "किन्तु दक्षिणपन्थ की विजय वामपक्ष की बलि देकर ही नहीं बरन् राष्ट्रीय एकता की बलि देकर प्राप्त की गयी है।" इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय एकता का मुख्य आधार अब वामपक्ष था। वामपक्ष को अलग रखने का मतलब था राष्ट्रीय एकता को भंग करना। इस एकता को

मंग करने का उद्देश्य था साम्राज्यविरोधी लड़ाई को रोकना और मुलह-समझौते का रास्ता साफ करना। सम्पादकीय लेख में कहा गया है, "इस अस्थायी विजय का जो खतरनाक मतलब निकलता है, वह गांधी सेवासंघके सामने सरदार वल्लभ भाई के भाषण से स्पष्ट हो जाता है। 'यदि हम उचित अनुशासन कायम कर ले तो हम संघर्ष किये बिना सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के बदले हम संघर्ष चला रहे हैं जैसे कि बकास्त ज़मीन के लिए संघर्ष; इनसे मन्त्रिमण्डलों के लिए अड़चने पैदा होती हैं।' सरदार के भाषण का यह साराश है। इसका अर्थ स्पष्ट है। कलकत्ते में उस समझौतावादी प्रवृत्ति की विजय हुई है जो राष्ट्रीय संघर्ष में विद्यमान है।" यदि तुरत एकता कायम करके संघर्ष नहीं चलाया जाता तो आन्दोलन में फूट पड़ेगी और उसका अन्त समझौते में होगा। यदि वामपक्ष अपनी एकता मजबूत करे और फूट और समझौते का विरोध करे तो यह परिस्थिति बदल सकती है। बिना समझौते के संघर्ष चलाने की व्यापक इच्छा पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुरूप वामपक्षी एकता को व्यापक बनाना चाहिए। कांग्रेस से त्यागपत्र देकर सुभाषचन्द्र बोस ने फारवाड़ ब्लाक की स्थापना की थी। इस संगठन की ओर कम्युनिस्ट पार्टी का रुख क्या हो, इस बारे में सम्पादकीय लेखक ने बताया कि फारवाड़ ब्लाक की नीति जमकर संघर्ष करने की है। वह किसान सभा और मजदूर सभाओं में नज़दीकी सम्बन्ध कायम करना चाहता है। "गांधीवाद और अहिंसा के प्रति अपनी आस्था घोषित करके वह अपने को सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों से अलग रखता है, फिर भी हर महत्वपूर्ण मसले पर वह समय की पुकार सुनता है और सही जवाब देता है। उसका दृष्टिकोण वामपन्थी राष्ट्रवादी है; उसका उद्देश्य समझौताबिहीन संघर्ष की राह पर कांग्रेस को ले चलना है। दक्षिणपन्थ की हठधर्मिता का प्रत्यक्ष फल है फारवाड़ ब्लाक। वह उन लोगों की भावना व्यक्त करता है जिनका मोह भग हुआ है और जो संगठित और एकतावद्ध होकर काम करना चाहते हैं।" वामपक्ष को सावधान करते हुए सम्पादकीय लेख में कहा गया कि इस नये वामपन्थी गुट की ओर सही दृष्टिकोण न अपनाना, उसकी निराधार नुकताबीनी करना आत्महत्या के समान होगा, उससे फूटवादी शक्तियों के सामने पूरी तरह घुटने टेकने पड़ेंगे। "यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'कांग्रेस सोशलिस्ट' ने इस गुट के संगठन में केवल 'सत्ता की राजनीति' (पावर पालिटिक्स) देखी है। यदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस महत्वपूर्ण सवाल पर अपने मुखपत्र की नीति पर चलती है तो वामपन्थ की फूट और निराशा के अलावा उसके हाथ कुछ न लगेगा।" सम्पादकीय लेख में इस बात पर जोर दिया गया कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट तुरत फारवाड़ ब्लाक से सम्बन्ध कायम करें, वामपक्षी एकता को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करें। पिछले सप्ताह के सम्पादकीय में यह मुझाय रखा गया था कि कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों, वामपन्थी कांग्रेसजनों और क्रियानसभाओं के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाना चाहिए जो राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए फारवाड़ ब्लाक को बुलाना चाहिए। "त्रिपुरी और कलकत्ते के बाद वामपक्षी असन्तोष बेहद बढ़ा है। उन्ने तुरत किंगी एक ही पार्टी के भीतर

मेटा नहीं जा सकता। कोई भी पार्टी या गुट यह दावा नहीं कर सकता कि वाम-पंथी शक्तियों के नेतृत्व का इजारा उसके पास है। फिर भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि विभिन्न गुटों के बीच सहयोग को और घनिष्ठ करके वामपंथी एकता कायम की जाये। इससे कम कुछ भी किया गया तो एम. एन. राय जैसे लोगों के लिए फूट डालने का रास्ता साफ हो जायेगा। बदली हुई परिस्थिति में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट यदि वामपंथी एकता के सूत्रधार नहीं बनते, वामपंथी एकता के बारे में अपनी पुरानी धारणाएँ छोड़कर फूट के विरुद्ध संघर्ष में फारवांड ब्लाक को अपना सहयोगी मानकर उसका स्वागत नहीं करते, तो समूची कांग्रेस को संघर्ष की ओर ले चलने की बात बिलकुल बेकार होगी। राष्ट्रीय एकता का आधार है वामपंथी एकता। आत्मसमर्पणवाली प्रवृत्ति को रत्म करने के लिए, आत्मघाती समझौते की राह रोकने के लिए अनिवार्य घात है वामपंथी एकता।"

१४ मई के इस सम्पादकीय लेख का महत्व यह है कि इसमें वामपंथी एकता को राष्ट्रीय एकता की आधारशिला माना गया है। यह स्वीकार किया गया है कि इस आधारशिला के बिना आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। एक अन्तर्विरोध था समस्त भारतीय जनता और साम्राज्यवाद में। यह मुख्य अन्तर्विरोध था। दूसरा अन्तर्विरोध था राष्ट्रीय आन्दोलन के भीतर संघर्ष की शक्तियों और ममझौतावादियों के बीच। यह गौण अन्तर्विरोध था। उसके गौण होने का यह मतलब न था कि उसकी अनदेखी की जाये, उसे हल करने का प्रयत्न न किया जाये। दोनों अन्तर्विरोध एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। मुख्य अन्तर्विरोध का समाधान किस तरह होता है, वह इस पर निर्भर था कि गौण अन्तर्विरोध का समाधान किस तरह होता है। समझौतावादियों से संघर्ष करने का यह अर्थ नहीं था कि वे मुख्य शत्रु हैं। उनसे संघर्ष करने के लिए वे तरीके न अपनाये जा सकते थे जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनाये जा सकते थे। गौण अन्तर्विरोध को हल करना सकीर्णतावाद तब होता जब समझौतावादियों को मुख्य शत्रु माना जाता और उनके विरुद्ध संघर्ष के वे तरीके अपनाये जाते जो अंग्रेजी राज के विरुद्ध अपनाये जाते थे या अपनाये जा सकते थे। इस गौण अन्तर्विरोध की अनदेखी करने का मतलब था मुधारवादी रास्ते पर चलना और साम्राज्यविरोधी संघर्ष को कमजोर करना। वास्तव में साम्राज्यविरोधी संघर्ष को तेज करके ही समझौता-वादियों की शक्ति कम की जा सकती थी अर्थात् मुख्य अन्तर्विरोध को हल करने के प्रयत्नों को तेज करते हुए ही गौण अन्तर्विरोध को हल समाधान प्राप्त हो सकता था।

१४ मई १९३६ के 'नेशनल फ्रण्ट' में कलकत्ते के ए. आई. सी. सी. अधि-वेदान पर अजय घोष का लेख प्रकाशित हुआ। इसके आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की गम्भीरता का उल्लेख किया गया है। यूरुप में घटनाचक्र तेजी से चला है और लगता है विश्वयुद्ध छिड़ने ही वाला है। गवरमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट में इस तरह सशोधन किया गया है कि भारत में पक्की तानाशाही कायम की जा सके और जनता के विरोध के बावजूद भारत को युद्ध में घसीट लिया जाये। सयुक्त प्रान्त और बिहार में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं; इनका आयोजन इसलिए

किया गया था कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के मुहँ पर कालिख पोत दी जाये। कांग्रेस बाहरी संकट का सामना तब तक न कर सकती थी जब तक अपने नेतृत्व का भीतरी संकट हल न कर ले। मुनने में आया कि जवाहरलाल नेहरू समझौता कराने की कोशिश करा रहे है। वह पहले से ही दोनों गुटों की मिली-जुली कार्य-समिति बनाने के पक्ष में रहे है। जब अधिवेशन आरम्भ हुआ, तब राष्ट्रपति बोस ने अपने नाम लिखा हुआ गांधीजी का पत्र पढ़कर सुनाया। गांधीजी ने कहा था कि सदस्यों में घुनिघादी बातों पर मतभेद है; इसलिए कार्यसमिति के सदस्यों के नाम देने का मतलब होगा तुम्हारे ऊपर उन्हें थोपना। इसलिए तुम अपनी कार्य-समिति अपनी इच्छा में बना सकते हो। अजय घोष ने लिखा कि घुनिघादी मत-भेद के नाम पर गांधीजी ने राष्ट्रपति बोस को नामों के बारे में सलाह देने से इन्कार कर दिया था, त्रिपुरीवाले प्रस्ताव के अनुसार उन्हें जो काम करना था, उसे करने से उन्होंने इन्कार किया था।

सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि वे अपनी इच्छा से कार्यसमिति न बनायेंगे। पहले तो ऐसा करना पन्त-प्रस्ताव के विरुद्ध होगा, दूसरे मौजूदा नाजुक स्थिति में ऐसी मिली-जुली कार्यसमिति आवश्यक थी जिस पर ज्यादा-से-ज्यादा कांग्रेसजनों को भरोसा हो। उन्होंने गांधीजी ने कहा था कि यद्यपि वह स्वयं (अर्थात् बोस) मिली-जुली कार्यसमिति चाहते है, फिर भी गांधीजी जैसी भी समिति बना देंगे, वह उसे स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह पन्त-प्रस्ताव पर अमल करेंगे। आखिरकार उन्होंने यह कोशिश भी की कि कार्य-समिति के पुराने सदस्यों से मिलकर समझौता कर लें पर यह भी मुमकिन न हुआ। इस स्थिति में सुभाषचन्द्र बोस ने निर्णय किया कि ए. आई. सी. सी. यदि नया राष्ट्रपति चुन ले तो मामला शान्त हो जायेगा। इसलिए उन्होंने त्याग-पत्र देने का फैसला किया। अजय के अनुसार सभी पर उनके वक्तव्य का गहरा प्रभाव पड़ा। किसी की समझ में न आया कि क्या करें। तब जवाहरलाल नेहरू बोसने के लिए खड़े हुए। उन्होंने एकता के लिए जोरदार अपील करते हुए कहा, हमें पुरानी बातें भुलाकर आगे की तरफ देखना चाहिए। लड़ाई किसी भी दिन छिड़ सकती है। हो सकता है कि ए. आई. सी. सी. की बैठक फिर न हो। दुश्मन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। अपने मतभेद भुलाकर इस संकट की घड़ी में हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। जहाँ तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, सुभाष बोस और महात्मा गांधी में कोई मत-भेद नहीं। कार्यसमिति में नये खून का आना जरूरी है। पुरानी कार्यसमिति के दो सदस्य अब काम नहीं कर पा रहे है। बोस पुरानी समिति फिर से नियुक्त कर दें; दो खाली जगहों में दो नये आदमी रख दिये जायेंगे। अन्त में उन्होंने बोस से अपना त्यागपत्र वापस लेने को कहा। लोगों ने इस पर खूब जोर से तालियाँ बजायीं। इसके बाद सुभाषचन्द्र बोस ने सरोजिनी नायडू में सभापति का आसन ग्रहण करने को कहा।

अजय ने लिखा कि जवाहरलाल का मुझाव समझौते के लिए कतई नाकाफी था। "लोगों को यह बात मालूम थी कि पुराने नेताओं ने यही मुझाव बोस के सामने रखा था और स्वयं जवाहरलाल ने यह कहकर उसका तीव्र विरोध किया

था कि वह परिस्थिति की गाँग के अनुरूप नहीं है। ऐसी कार्यसमिति पूरी कांग्रेस की आस्था न जगा सकती थी, बुनियादी स्तर पर जो सम्बन्ध थे, उन्हें प्रतिबिम्बित न कर सकती थी और गतिशील नेतृत्व न प्रदान कर सकती थी।" बुनियादी स्तर के सम्बन्धों का अर्थ यह था कि आम कांग्रेसजन संघर्ष की राह पर बढ़ना चाहते थे, इस स्थिति को पुराना नेतृत्व प्रतिबिम्बित न करता था। इसी कारण वह नेतृत्व समूची कांग्रेस की आस्था न जगा सकता था। अजय का विचार था कि यदि दक्षिणपन्थी नेता इस समय बोंस से कहते कि वह त्यागपत्र न दें और उन्हें आश्वासन देते कि बोंस यदि जवाहरलाल का सुझाव मान लेंगे, तो वे उनसे सहयोग करेंगे, तो वातावरण बदल जाता और एकता कायम करने में सहायता मिलती। "ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि वैंसा सुझाव पुराने नेताओं की तरफ से ही आया था और यद्यपि वामपक्ष उसे विल्कुल नाकाफी समझता था, फिर भी पुराने नेताओं में एक भी उसके समर्थन के लिए आगे न आया।" रफ़ी अहमद किदवई ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय सुभाषचन्द्र बोंस का समर्थन किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बोंस अपना त्यागपत्र वापस ले लें और अपनी नयी कार्यसमिति में पुरानी कार्यसमिति के सदस्यों को नियुक्त कर दें। इस पर अजय की टिप्पणी है, "नेहरू का सुझाव निराशाजनक था किन्तु यह प्रस्ताव उससे भी खराब था। इसमें इस बात का संकेत भी न था कि निकट भविष्य में कार्यसमिति के सदस्यों में कोई तब्दीली होगी। राष्ट्रपति का मत था कि सयुक्त नेतृत्व ही, मिलीजुली कार्यसमिति ही, उसमें नया खून आये, इस बारे में कोई भी रियायत प्रस्ताव में न की गई थी।" अजय घोष ने बताया कि सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने नेहरू का भाषण ध्यान से सुना था। वे यह मानते थे कि उनका सुझाव नाकाफी है किन्तु उन्होंने तय किया कि नाजुक स्थिति को देखते हुए एकता के हित में वे उसका समर्थन करेंगे। वे पुराने नेताओं की हठधर्मिता के लिए, ढुलमुल नीति के कारण आम कांग्रेसजनों के असन्तोष को न समझ पाने के लिए उनकी आलोचना करेंगे, इसके साथ ही बोंस से त्यागपत्र वापस लेने और जवाहरलाल का सुझाव मान लेने को कहेंगे। किन्तु जो प्रस्तावपेश किया गया था, उसमें कम-से-कम उतना संशोधन जरूरी था जितने से वह जवाहरलाल के सुझाव के अनुरूप हो जाता। कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों के नेता रुद्रदत्त भारद्वाज थे। उन्होंने प्रस्ताव सुने बिना ही जयप्रकाश से उसका समर्थन करने को कहा। "वह समझ रहे थे कि कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया और नेहरू ने जो अपील की थी, जयप्रकाश को उसका समर्थन करना था। कामरेड भारद्वाज से गम्भीर गलती हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता को उन्होंने अनजान में यह सुझाया था कि वह ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करें जिसका निश्चित रूप से विरोध हम तथा सोशलिस्टों का बहुमत करता था। इससे सोशलिस्टों के मन में कड़वाहट भर गयी और कुछ को यह कहने का अवसर मिला, 'कम्युनिस्टों का यही तरीका है। हर समझौता तोड़ते हैं। उन्होंने हमसे ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करा लिया जिसका विरोध आगे वे स्वयं करेंगे जिससे कि वे हमारे मुकाबले ज्यादा वामपंथी जाने जायें।' किन्तु कामरेड जयप्रकाश नारायण के भाषण का आधार जवाहरलाल का वक्तव्य था, न कि

[किदवाई का] प्रस्ताव। उन्होंने उस मुझाव की नीची आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा नेतृत्व चाहिए जो वास्तव में संयुक्त हो। उन्होंने बताया कि ऐसा नेतृत्व ही कांग्रेस को विघटन से बचा सकता है और आगामी संघर्ष के लिए राष्ट्र को तैयार कर सकता है। फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति में अपील की कि वह अपना त्यागपत्र वापस ले लें और जवाहरलाल के मुझाव पर अमल करें।”

रायवादी भूपेन्द्र मान्याल ने त्यागपत्र देने पर सुभाष बोस को बधाई दी और राय जाहिर की कि ए. आई. सी. सी. में नई क्रान्तिकारी कार्यसमिति चुनी जाये। अजय ने इस पर टिप्पणी की कि यह भाषण लोगों की बाह-बाही लूटने के लिए किया गया था, परिस्थिति में उसका कोई सम्बन्ध न था।

जब दूसरे दिन अधिवेशन शुरू हुआ तो पता चला कि पुराने नेता रत्ती-भर परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि किसी शर्त के बिना पुरानी कार्यसमिति सब की सब फिर से नियुक्त की जाये। “पूर्ण आत्मसमर्पण करो, यह उनकी मांग थी।” दूसरे दिन का अधिवेशन शुरू होने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वह राष्ट्रपति पर कोई बात धोपना नहीं चाहते। प्रस्ताव में कही हुई बातों के अनुसार वह त्यागपत्र वापस नहीं लेते तो उस प्रस्ताव को ही वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ नेहरूजी की भूमिका पर अजय घोष की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। “जवाहरलाल ने जो बात नहीं कही और ए. आई. सी. सी. के अनेक सदस्य जिसे जानते थे, वह यह थी कि दक्षिणपंथी नेताओं ने ही अडियल रवैया अपनाया था। वामपक्ष आशा करता था कि जवाहरलाल सदन को बतायेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है और समझौता नहीं हुआ तो वास्तव में इसके लिए दोषी कौन है। यह आशा पूरी नहीं हुई। जवाहरलाल के वक्तव्य का यह प्रभाव पड़ा कि [लोग समझे,] समझौते की बालचीन तोड़ने के लिए वोट जिम्मेदार है।” आगे भी नेहरूजी ने जो कुछ किया, वह भूमिका उसके अनुरूप थी। (ए. आई. सी. सी. में बहस, प्रस्तावों से संबंधित कानूनी मुद्दों, संवैधानिक दाँव-पेंच यह सब स्वाधीन भारत की संसदीय कार्यवाही का पूर्वाभास था।)

अजय ने सुभाषचन्द्र बोस के बारे में लिखा कि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कार्यसमिति में विभिन्न विचारवाले लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। बहुमत उनका होगा जिससे पुरानी नीति टूटे नहीं। कांग्रेस सगठन में काफी तब्दीली हुई है। वह तब्दीली कार्यसमिति में भी झलकनी चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि वह राष्ट्रपति बने रहें तो थोड़ा ध्यान उनके विचारों पर भी देना होगा। संकट सामने है। उससे उबरने के लिए सारी शक्ति समेटना जरूरी है।

इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एकता के लिए जोरदार अपील की, जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य का समर्थन करते हुए बोस से त्यागपत्र वापस लेने को कहा। बोस ने कहा कि ए. आई. सी. सी. किस तरह का प्रस्ताव स्वीकार करती है, इस पर उनका उत्तर निर्भर होगा। अजय घोष ने लिखा कि राष्ट्रपति बोस यही कर सकते थे; और कोई विकल्प उनके सामने न था। किसी भी दक्षिण-पंथी नेता ने जवाहरलाल के मुझाव का समर्थन नहीं किया। नेहरूजी के वक्तव्य

के अनुसार भी प्रस्ताव पेश किया जाता तो उसमें कहा जाता कि वह राष्ट्रपति पर विश्वास प्रकट करता है, और ऐसा विश्वास-प्रस्ताव जरूरी था। बोस के बयान के बाद नेहरूजी ने प्रस्ताव वापस ले लिया। श्रीमती नायडू ने घोषणा की कि प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, इसलिए नया राष्ट्रपति चुना जायेगा। कम्युनिस्टों ने प्रयत्न किया कि अब भी समझौता हो जाये। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया: जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और सुभाषचन्द्र बोस ने जो बयान दिये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ए. आई. सी. सुभाष बोस से प्रार्थना करती है कि वह अपना त्यागपत्र वापस ले ले।

अजय के अनुसार कम्युनिस्ट प्रस्ताव का आशय यह था: पुरानी कार्यसमिति ने बोस की यह बात न मानी थी कि मिलीजुली कार्यसमिति बननी चाहिए, इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के वक्तव्य, बोस की बात अशत: मानने-वाले कहे जा सकते थे। अतः एकता के हित में बोस को अपना प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए था। इस प्रस्ताव को दत्त मजूमदार ने पेश किया और उसकी व्याख्या उन्होंने दूसरे ढंग से की। उन्होंने कहा, पत-प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया, इसलिए राष्ट्रपति बोस को अपना अधिकार वापस मिल गया है और वह कांग्रेस संविधान के अनुसार अपनी इच्छा से मिलीजुली कार्यसमिति बना सकते हैं। प्रस्ताव की भाषा ऐसी थी कि उसकी व्याख्या दोनों तरह से हो सकती थी। (स्पष्ट ही कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों में तीव्र मतभेद रहा होगा।) अजय ने दत्त-मजूमदार की व्याख्या को एकदम गलत और प्राणघाती बताया। उनका कहना था कि प्रस्ताव पेश करने का काम सरदेसाई का था किन्तु उनके बदले "कामरेड दत्त मजूमदार प्रस्ताव पेश करने दौड़ पड़े।" (यदि दौड़ पड़ने की बात सही है, तो मानना होगा कि दत्त मजूमदार समझ गये थे कि सरदेसाई किस तरह की व्याख्या पेश करेंगे। उनकी चाल नाकाम करने के लिए वह प्रस्ताव पेश करने पहले ही पहुँच गये। इस तरह का व्यवहार और, कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में उसकी खुली आलोचना, दोनों बातें पार्टी के आन्तरिक सघर्ष की ओर संकेत करती हैं।) अजय ने लिखा कि प्रस्ताव के पीछे जो भावना थी, दत्त मजूमदार की व्याख्या से उसका पूर्ण निपेध हुआ; कम्युनिस्टों ने जो दृष्टिकोण अपनाया था, यह व्याख्या उसके विपरीत थी। "अंतिम क्षणों में ज्वार को उलटा मोड़ देने की जो भी सम्भावना थी वह दत्त मजूमदार के भाषण खत्म होने पर समाप्त हो गयी।" (यह सब पढ़कर ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के बनाये संविधान के बदले कांग्रेस के बनाये संविधान के भीतर ज्वरदस्त लड़ाई चल रही थी। सारा घटनाक्रम एक निश्चित मजिल की तरफ बढ़ रहा था। वह मजिल थी कांग्रेस में वामपन्थी प्रभाव को खत्म करने की, सुभाषचन्द्र बोस के चुनाव को रद्द करने की, दक्षिणपन्थी प्रभुत्व को पहले से भी ज्यादा दृढ़ता के साथ स्थापित करने की। यह दाँव न लगाकर वह दाँव लगाते तो शायद पूरी तरह धूल चाटने से बच जाते! दत्त-मजूमदार के बदले सरदेसाई प्रस्ताव पेश करते तो दक्षिणपन्थियों को उसका विरोध करने में कठिनाई होती! मानो इस तरह की कठिनाई से उन्हें कोई डर हो। पत-प्रस्ताव पास करने के बाद उस पर अमल करने से वे साफ मुक्त गये।

जो प्रस्ताव उन्होंने खुद पास किया था, उसे नकारने में उन्हें कठिनाई न हुई, तब कम्युनिस्टों का प्रस्ताव नकारने में उन्हें क्या कठिनाई होती ?) यदि सर-देसाई प्रस्ताव पेश करते तो कांग्रेस सोशलिस्टों का यह सन्देह दूर हो जाता कि कम्युनिस्ट अपने को अधिक वामपन्थी सिद्ध करना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने जो कुछ कहा था, अजय के अनुसार उसका सारतत्व कम्युनिस्ट प्रस्ताव में था। इस प्रस्ताव के बारे में कम्युनिस्टों को समय न मिला था कि वे सोशलिस्टों से सलाह कर लेते। किन्तु जब सोशलिस्टों ने उसे सुना तो वे उससे सहमत हुए। तब तक पहुँच गये प्रस्ताव पेश करने दत्त मजूमदार। “इसलिए कामरेड दत्त मजूमदार के भाषण से राष्ट्रीय और समाजवादी एकता के हित की अकथनीय क्षति हुई। कम्युनिस्टों ने पहले जो फैसला किया था, उससे ठीक उल्टी बात कहकर वह सीधे फूटपरस्तों के हाथ में खेल गये।”

दत्त मजूमदार के बाद सरदेसाई ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल और सरोजिनी देवी ने जो आश्वासन दिया है, उसके आधार पर सुभाष बोस को त्यागपत्र वापस ले लेना चाहिए। यदि ए. आई. सी. सी. यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तो इसका यह अर्थ होगा कि वे जवाहरलाल और सरोजिनी नायडू के दयानों का समर्थन नहीं करते और चाहते हैं कि बोस त्यागपत्र दे दें। “किन्तु दत्त मजूमदार पहले ही वातावरण बिगाड़ चुके थे। लोगों की सहानुभूति उनके साथ न थी। प्रस्ताव पहले ही गिर चुका था।” इसके बाद सुभाष वन्दर बोस ने दत्त मजूमदार से कहा कि अपना प्रस्ताव वापस ले ले। प्रस्ताव वापस ले लिया गया और राजेन्द्रप्रसाद नये राष्ट्रपति चुने गये। “कलकत्ते में गांधीजी के आने के बाद घटनाक्रम जिस तरह चला, उससे किमी के मन में सदेह न रह गया कि दक्षिणपन्थी नेताओं का बहुमत यह दृढ़ निर्णय करके कलकत्ता पहुँचा था कि राष्ट्रपति बोस से सहयोग न करेंगे और त्यागपत्र देने के अलावा उनके सामने अन्य विकल्प न रहने दिया जायेगा।” यह बात बिलकुल सही है। इसीलिए कांग्रेसी संविधान के दायरे के भीतर रहकर दाँव लगाने से दक्षिणपन्थियों को सघर्ष की राह पर चलने के लिए मजबूर न किया जा सकता था। उस संविधान के दायरे में बाहर निकलकर अपनी पहलकदमी के भरोसे जनसघर्ष चलाकर ही उसे मजबूर किया जा सकता था।

दक्षिणपन्थियों ने अपनी कार्यसमिति बनायी। उसमें एक भी वामपन्थी नेता न रखा गया। १९३६ के बाद से कांग्रेस सोशलिस्ट कार्यसमिति में रहते आये थे। इस बार उनसे बात भी न पूछी गयी। “और सबसे महत्वपूर्ण यह बात कि जवाहरलाल ने कार्यसमिति में शामिल होने से इंकार किया।” जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। अजय ने लिखा कि इसमें सघर्ष का कोई कार्यक्रम न था। इसका अर्थ यह है कि कार्यसमिति में शामिल न होने पर भी नेहरूजी वंशा ही प्रस्ताव पेश कर रहे थे जैसा कार्यसमिति चाहती थी। नेहरूजी के प्रस्ताव पर एक संशोधन रुद्रदत्त भारद्वाज ने पेश किया। संशोधन का आशय यह था कि सारा देश युद्ध में खींचे जाने का विरोध करे। “कामरेड भारद्वाज ने जिस बात पर जोर नहीं दिया, वह यह थी कि युद्ध छिड़ने ही वाला है और संकट का सामना करने

के लिए लोगों को अभी से तैयार करना है। संशोधन का पूरा आशय स्पष्ट नहीं किया गया। संशोधन में कहा गया था कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल विधान सभाओं में इस आशय का प्रस्ताव पास करे कि ब्रिटिश सरकार गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट में जो संशोधन करनेवाली है, वे निन्दनीय है और कांग्रेसी सगठन उनका प्रति-क्रियावादी रूप जनता के सामने स्पष्ट करें। जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि वह चाहते हैं कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ऐसे प्रस्ताव पास करें और शायद वे करेंगे भी किन्तु प्रस्ताव में यह सब शामिल करना जरूरी नहीं है; वह फालतू बात है। संशोधन वापस ले लिया गया।”

कलकत्ते के ए. आई. सी. सी. अधिवेशन के बाद कांग्रेस का भीतरी संघर्ष बढ़ा। अजय ने लिखा कि वीस का राष्ट्रपति चुना जाना अतिशय महत्व की घटना थी। इसका मतलब था, समझौते की नीति के विरुद्ध, और संघर्ष की नीति के पक्ष में, आम कांग्रेस-सदस्यों ने वोट दिया है। कांग्रेस संविधानवाद की तरफ बढ़ रही थी, किसान सभाओं और मजदूर सभाओं के प्रति दानुभाव दिखा रहा था, देशी रियासतों के आन्दोलन में भाग लेने का विरोध करती थी, अहिंसा के नाम पर नागरिक अधिकारों का दमन कर रही थी, वामपन्थ के खिलाफ अभियान चला रही थी। वीस का निर्वाचन इस नीति को बदलने के लिए था। कलकत्ते के अधिवेशन ने परिवर्तन के पक्ष में दिये हुए मतदान को उलट दिया। दक्षिणपन्थी नेताओं ने अपने ही आदमियों को कार्यसमिति में रखा। अजय ने इसका ठीक अर्थ लगाया कि कांग्रेस समझौते की नीति पर चली। “संघर्ष की शक्तियों का उपयोग साम्राज्यवाद से भोलभाव करने के लिए होगा, न कि उस पर, आक्रमण करने के लिए।” अजय ने बिल्कुल सही अर्थ लगाया और यह चेतावनी दी कि अब वामपन्थ के विरुद्ध साम्राज्य-विरोधी संघर्ष का समर्थन करनेवालों के विरुद्ध तेज अभियान चालू किया जायेगा। किन्तु उन्हें आशा थी कि ज्वार को अब भी उलटी दिशा में बहाया जा सकता है। वीस और नेहरू कार्यसमिति में नहीं हैं। कांग्रेस के आम सदस्यों से यह समिति दूर जा पड़ी है। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वीस, नेहरू और अन्य वामपन्थी मिलकर एक हो जायें, दक्षिणपन्थ से लड़ने के लिए नहीं वरन् समझौते की नीति से लड़ने के लिए, कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक जनतान्त्रिक बनाने के लिए, तो कांग्रेस को विघटन से बचाया जा सकता है, संयुक्त राष्ट्रीय नेतृत्व की देखरेख में देशव्यापी संघर्ष चलाने का आधार कायम हो सकता है, और कलकत्ते की पराजय को विजय में बदला जा सकता है।

अजय घोष का विचार अब भी यह था कि समझौते की नीति से लड़ने के लिए दक्षिणपन्थ से लड़ना जरूरी न होगा।

अजय घोष के लेख में कांग्रेसी नेतृत्व की विशेषताएँ बताने के लिए ‘अयोरिटेरियनिज्म’ शब्द का व्यवहार हुआ है। हिन्दी में इसे अधिकारवाद कह सकते हैं। तानाशाही शब्द का भाव कुछ अधिक कठोर है; इस शब्द का भाव कुछ कम कठोर है। बात एक ही है। अजय के अनुसार कांग्रेस के दक्षिणपन्थी नेतृत्व में अधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इस लेख से पहले इस शब्द का प्रयोग एम. एन. राय ने किया था। ३० अप्रैल १९३६ वाले अंक में राय की आलोचना

करते हुए रणदिवे ने जो लेख लिखा था, उसमें राय का एक लेख उद्धृत है, जिसमें कांग्रेस की अथोरिटेरियन लीडरशिप की बात कही गयी है। रणदिवे ने राय के मत का इस तरह उल्लेख किया है मानो वे उससे सहमत नहीं है। राय ने कांग्रेसी नेताओं को अधिकारवादी बताया और अजय ने वही बात दोहरायी, इसी कारण अजय की बात गलत नहीं हो जाती। यह बात मैंने यहाँ इसलिए कही कि कभी-कभी मार्क्सवादी इस तरह का तर्क पेश करते हैं : तुमने जो बात कही उसे अमुक व्यक्ति भी कहता है या अमुक सगठन भी कहता है। वह व्यक्ति और सगठन बदनाम है, इसलिए तुम्हारी बात भी गलत होगी। वास्तव में राय का उद्देश्य दूसरा था। वह देशी पूंजीवाद को प्रतिक्रियावादी मानते थे, उसकी साम्राज्य-विरोधी भूमिका अस्वीकार करते थे। इसके विपरीत कम्युनिस्ट उसे अधिकारवादी कहते हुए भी उसके साथ मयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। इस शब्द का उल्लेख मैंने अन्य कारणसे भी किया है। आपातकालीन स्थिति के पोषित किये जाने के बाद, और उसकी समाप्ति के बाद भी, कुछ कम्युनिस्ट नेता इस शब्द का प्रयोग इन्दिरा कांग्रेस और इन्दिरा गांधी के लिए करते रहे हैं। कांग्रेस में यह कोई नयी प्रवृत्ति न थी, १९३६ में जब केन्द्रीय सत्ता कांग्रेस के हाथ में न थी, तब भी यह प्रवृत्ति उसमें थी। वास्तव में पूंजीवाद या पूंजीवादो जनतन्त्र के विकास की कोई ऐसी मजिल नहीं रही जिसमें यह तानाशाही ख़्तान न रहा हो। किन्तु ख़्तान होना एक बात है, फासिस्ट तानाशाही का कायम हो जाना दूसरी बात है। दोनों में भेद करना जरूरी है।

११ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में रायवाद का खण्डन करते हुए रणदिवे ने दूसरा लेख लिखा। 'मार्क्सवाद से खुला विलगाव' शीर्षक लेख में ठोस उदाहरण देते हुए रणदिवे ने बताया कि अपने उग्रपन्थी वानूनीपन के बावजूद खास मुद्दों पर एम. एन. राय दक्षिणपन्थियों के सामने आत्ममर्पण कर सकते हैं। रणदिवे का मत था कि पिछले वर्षों में दक्षिणपन्थी नेतृत्व ने कांग्रेस के झण्डे के नीचे व्यापक राष्ट्रीय एकता कायम करने और मजदूर वर्ग को अपनी ओर करने में बराबर बाधा डाली है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में मजदूर वर्ग की आर्थिक माँगें दर्ज कर ली किन्तु इसमें दक्षिणपन्थी की नीति नहीं बदल गयी। "मजदूरों के बढ़ते हुए संघर्षों की ओर उसने टेढ़ी निगाह से देखा और अक्सर शत्रुभाव अपनाया। इस ख़्त का तर्कसंगत नतीजा ७ नवम्बर को बम्बई के मजदूरों पर गोलियों चलाया जाना था। चिराला और अन्य कई स्थानों में गोलीबार, कारखाने के भीतर मजदूरों के काम रोकने पर पावन्दी लगाना, फ्रिग्मिनल ला जमेन्डेमेंट को अहमदाबाद के हड़तालियों पर लागू करना, शोलापुर के नेताओं को जेल भेजना और हड़तालें रोकने के लिए बार-बार दफा-१४४ लागू करना" इस बात के उदाहरण हैं। रणदिवे ने जो भिमानें दी हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह जाहिर हो जाता है कि पूंजीपति-मजदूर-संघर्ष में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल किस तरह पूंजीपतियों का साथ दे रहे थे। यह सारी मजदूर-विरोधी नीति गांधीवादी नीति में जुड़ी हुई थी। हड़तालें न करो, लगानबन्दी का आन्दोलन न चलाओ, रियासतों में राजाओं से न लड़ो, अंग्रेजों के बनाये कानून के अनुसार मविधानवादी तरीके

आवश्यक था। ऐसे स्वतन्त्र संगठनों के जरिये ही कांग्रेस के पूंजीवादी नेतृत्व को सघर्ष की राह पर चलने के लिए विवश किया जा सकता था। स्वाधीनता-संग्राम में किसानों की भूमिका को लेकर रणदिवे ने ये महत्वपूर्ण बातें कही: “राष्ट्रीय सघर्ष ने देशव्यापी आन्दोलन का रूप लिया; इससे पहले ही किसानों का असन्तोष राष्ट्रीय राजनीति के ढाँचे से बाहर व्यक्त हुआ। असहयोग आन्दोलन में ऐसा लगा कि दोनों मिलकर एक हो गये हैं। किसान कांग्रेस के झण्डे के नीचे आगे बढ़े। फिर भी राष्ट्रीय सघर्ष ने किसानों की भाषा का व्यवहार करना नहीं सीखा [अर्थात् किसानों की माँगें राष्ट्रीय आन्दोलन की माँगें नहीं बनी, किसान-सघर्ष के तरीके राष्ट्रीय आन्दोलन के तरीके नहीं बने।] १९३० का सघर्ष भी किसान-समुदाय से घुलमिल न पाया; राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसानों की थोड़ी-सी माँगें शामिल की गयी। कुछ दिन तक आत्मसमर्पणवादी नेताओं के पीछे किसान चलते रहे किन्तु जब लगानबन्दी आन्दोलन ने गांधी-इरविन समझौते को उलट दिया, तब किसान इस नेतृत्व को प्रायः छोड़कर अलग हो गये। यद्यपि उनके नेता कुछ कांग्रेसजन थे, फिर भी किसानों का असन्तोष समझौतावादी नीति का तंग चौखटा तोड़कर उसके बाहर फूट पडा। आगे जो कुछ हुआ, उसकी तैयारी इन घटनाओं से हुई। कुछ कांग्रेसजन किसानों की ओर मुड़े और राष्ट्रीय संग्राम को समृद्ध करने के लिए उनका संगठन करने लगे। वे जानते थे कि भविष्य में कांग्रेस को, और राष्ट्रीय संग्राम को, ध्वस्त होने से शक्तिशाली किसान आन्दोलन ही बचा सकता है। किसानों के असन्तोष को आत्मसमर्पणवादी नेता दिशा-निर्देशन दे पाये। इसी के फलस्वरूप किसान सभाओं का अम्युदय ऐतिहासिक रूप से निर्धारित हुआ। इस समय किसान सभाओं का अस्तित्व इस बात की सबसे बड़ी गारण्टी है, कि राष्ट्रीय संग्राम पर किसानों के असन्तोष की छाप रहेगी।”

यहाँ जो बातें किसानों के अपने-आप फूट पड़नेवाले आन्दोलन और कांग्रेस से उसके सम्बन्ध के बारे में कही गयी हैं, वे राजनीति के अलावा साहित्य के विचारधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। किसान आन्दोलन का एक प्रमुख क्षेत्र हिन्दी-भाषी प्रदेश था। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखने से ही प्रेमचन्द के कथा-साहित्य को समझने में सुविधा हो सकती है। कांग्रेस-संचालित आन्दोलन बाद का है, किसानों का स्वतः फूट पड़नेवाला आन्दोलन पहले का है; इसलिए किसानों की निष्क्रियता के बारे में जो धारणा कुछ मानसवादियों में प्रचलित रही है, वह मिथ्या सिद्ध होती है। किसान आन्दोलन की नयी गति देना तो दूर, पूंजीवादी नेता भरसक प्रयत्न करते रहे कि स्वाधीनता आन्दोलन को उससे दूर रखें। जो पूंजीवादी नेता समझौते की राह पर चल रहे थे, उनको बाध करने का, क्रान्ति-कारी नीति की ओर उन्हें टेलने का मुख्य साधन किसान सभाएँ थीं। ऐम. एन. राय ने किमान सभाओं का विरोध करके सिद्ध कर दिया कि वह भारतीय क्रान्ति का विकसमान रूप गमराने में असमर्थ हैं। यह बात आकस्मिक नहीं थी कि दक्षिणपन्थी नेता निरन्तर किमान सभाओं की आलोचना कर रहे थे। रणदिवे ने लिखा, “राष्ट्रीय नेताओं की गुधारवादी प्रवृत्तियों के कारण किसान सभाओं का जन्म हुआ। दक्षिणपन्थ उन पर लगातार प्रहार करना रहा है। यह इस बात में

क्षुब्ध है कि उसका मुख्य जन-आधार उसके पैरो तले में निकलना जा रहा है। वामपन्थियों के नेतृत्व में किसान सभाएँ राष्ट्रीय सुधारवाद की जड़ पर प्रहार कर रही हैं। किन्तु इस प्रश्न पर भी 'माक्सवादी' राय दक्षिणपन्थियों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं और किसान सभाओं पर धावा बोलने की नीति का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर रायवाद व्यवहार में गांधीवाद के सामने घुटने टेकता है। गांधीवाद के विरुद्ध लड़ने की घोषणा करने पर भी मजदूर-किसान मोर्चों पर राय की स्थिति वही है जो गांधीवाद की है।" गांधीवाद के विरुद्ध जेहाद छेड़ने पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राय की नीति गांधीवाद के अनुरूप सिद्ध होती है। क्रान्तिकारी सघर्षों के समर्थन की बात कहने पर भी अनुशासन मानने के नाम पर रायवादी लोग मैदान से भाग खड़े होते हैं। किसान सभाओं का विरोध करके वे निकट भविष्य में किसानों का संगठन असम्भव बना देते हैं जबकि "किसान सभाएँ प्रभावशाली ढंग में राष्ट्रीय सुधारवाद के मुख्य आधार को समाप्त कर रही हैं।"

इस लेख में रणदिवे ने कई जगह 'सुधारवाद' शब्द का प्रयोग किया है। जिस सुधारवाद की ओर वह संकेत कर रहे हैं, वह पूंजीवादी नेताओं का है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो वामपन्थी कार्यकर्ता इन नेताओं का अनुसरण करेगा, उनसे समझौता करने के लिए किसानों और मजदूरों के संघर्ष को कमजोर करेगा, वह भी सुधारवादी होगा। आगे चलकर सुधारवाद को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में जो सघर्ष हुआ, उसका पूर्वाभास इस लेख में है।

सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने के बाद जब फारवर्ड ब्लाक संगठित किया तो यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के भीतर वामपन्थी विचारधारा के लोगों का काफी बड़ा समुदाय इसमें शामिल हुआ है। यह रोचक तथ्य है कि फारवर्ड ब्लाक की आलोचना एक ओर नये राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने की और दूसरी ओर एम. एन. राय ने। वामपन्थी एकता के प्रश्न को लेकर सोमनाथ लाहिड़ी ने २१ मई १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में फारवर्ड ब्लाक पर एक लेख लिखा। कलकत्ते से 'फारवर्ड' नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। इसके सम्पादक एम. एन. राय ने उसी पत्र में लिखा कि फारवर्ड ब्लाक स्वाधीनता के क्रान्तिकारी मार्ग में रुकावट बनेगा। फारवर्ड ब्लाक के प्रति कांग्रेस सोशलिस्टों का रवैया भी विरोध का था। उनके मुखपत्र 'कांग्रेस सोशलिस्ट' ने ७ मई के अंक में लिखा था कि विचारधारा के आधार के बिना कोई भी ब्लाक बनाया जायेगा तो उसमें विचारों में उलझाव और कार्यवाही में अराजकता फैलेगी। विचारधारावाले आधार के बिना केवल राजनीतिक दुस्ताहसिकता का जन्म होगा। लाहिड़ी ने आश्चर्य प्रकट किया कि कांग्रेस की कार्यसमिति में बोस को अलग रखते हुए दो-तीन वामपन्थी शामिल किये गये, इसे 'कांग्रेस सोशलिस्ट' ने समुक्त नेतृत्ववादी नीति की विजय माना। कलकत्ते के बाद यह आवश्यक हो गया था कि केवल एक पार्टी के भीतर नहीं, अनेक पार्टियों को मिलाकर वामपन्थी एकता दृढ़ की जाये। कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों और गैरपार्टी वामपन्थियों के बीच सहयोग-नम्यर्क कायम था। लाहिड़ी ने बताया कि ये गैरपार्टी वामपन्थी लोग ही फारवर्ड ब्लाक में

सिमटंकर आये है। जयप्रकाश नारायण ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह फारवर्ड ब्लाक में शामिल न होंगे किन्तु उससे सहयोग करेंगे। लाहिड़ी ने इस पर टिप्पणी की कि वामपन्थी गुट के रूप में फारवर्ड ब्लाक को मान्यता देनी चाहिये और उससे ऐसा संगठनात्मक सम्पर्क कायम करना चाहिये जिससे कि सोशलिस्ट उसे प्रभावित कर सकें और स्वयं भी उससे प्रभावित हों। लाहिड़ी ने इस बात पर भी जोर दिया कि फारवर्ड ब्लाक को अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए किसान-मजदूर सभाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए सभी वामपन्थी एक सम्मेलन में अपनी नीति निर्धारित करें तो वामपन्थी एकता दृढ़ करने में सहायता मिलेगी। सोमनाथ लाहिड़ी के लेख से जिस बात का संकेत मिलता है, वह यह है कि वामपन्थी एकता अब राष्ट्रीय आन्दोलन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गयी है। इसके बिना साम्राज्यविरोधी मोर्चे में एकता कायम नहीं की जा सकती।

११ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में अजयकुमार घोष ने रियासती जनता के संघर्ष का विवेचन करते हुए दक्षिणपन्थी नेताओं की तीखी आलोचना की। इन नेताओं ने रियासतों में सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया था। गांधीजी ने सलाह दी थी कि रियासतों की प्रजा राजाओं से सम्मानपूर्ण समझौते का प्रयत्न करे। अजय घोष ने संकेत किया कि साम्राज्यवाद का मुख्य आधार देशी रियासतें हैं, वे प्रतिक्रियावाद का गढ़ हैं। वहाँ जन-आन्दोलन कमजोर होता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि युद्ध के हित में साम्राज्यवाद इन रियासतों का उपयोग करेगा। कुछ कांग्रेस-समितियाँ ऐसी थीं जो इस समझौतावादी नीति पर चलने को तैयार नहीं थीं। अजय ने मैसूर की कांग्रेस समिति की प्रशंसा की जिसने संघर्ष चलाने की बात कही थी। अजय ने आह्वान किया कि सारे देश को मैसूर की समिति का समर्थन करना चाहिये।

१८ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में रणदिवे ने दक्षिणपन्थी नेताओं की आलोचना की। कांग्रेस के संविधान में सुधार करने के लिए इन लोगों ने एक उपसमिति बनायी थी। उसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर में वामपन्थियों को निकालना। रणदिवे ने लिखा कि दक्षिणपन्थी चाहता है कि एक ही बार में वह कांग्रेस को आम जनता से बाँधनेवाली कड़ियों से अलग कर दे। इन कड़ियों से उसे असुविधा होती है क्योंकि वे गैर-संवैधानिक संघर्ष की आग जलाये रहती हैं और मन्त्रियों को कांग्रेस के नाम पर किये हुए वादे भूलने नहीं देती। रणदिवे ने ए. आई. सी. सी. के सदस्यों से अपील की, वे इस नये प्रयत्न का विरोध करें और राष्ट्रीय संघर्ष को ध्वस्त होने से बचायें। इसी अंक में वामपन्थी एकता पर पूरनचन्द जोशी का लेख प्रकाशित हुआ है। जोशी ने दक्षिणपन्थी के विरुद्ध तेजी से बढ़ते हुए असन्तोष की चर्चा की। केवल वामपन्थी नहीं बरन् वे लोग भी जो कल तक दक्षिणपन्थी के प्रभाव में थे, अब वामपन्थी बन रहे थे। इन लोगों की धारणा यह बनती जा रही थी कि साम्राज्यवाद से लड़ने के बदले दक्षिणपन्थी हमसे लड़ रहा है। इसलिए साम्राज्यविरोधी लड़ाई का रास्ता माफ करने के लिए पहले इनमें निपट किया जाये। जोशी के अनुसार राष्ट्रीय मोर्चे के भीतर अपनी लड़ाई का बातावरण तैयार हो गया था। "वामपन्थी दल और गुट विभाजित हैं और

कहना था कि ऐसे बयानों में वर्तमान नेताओं के प्रति अमनोपक्षकता है पर इतना ही काफी नहीं है। गतिरोध को दूर करने का तरीका यह नहीं है कि दक्षिण-पन्थ पर जवाबी हमला किया जाये। तरीका यह है कि वामपन्थ स्वयं एकजुट हो और फिर अपने साथ बहुसंख्यक कांग्रेसजनों को साथ लेकर चले और विघटन तथा आत्मसमर्पण की नीति को परास्त करे। जोशी के लिए सारा संघर्ष कांग्रेस के भीतर है, रणदिवे के लिए संघर्ष का मुख्य मैदान कांग्रेस के बाहर है। कार्य-नीति को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तीव्र मतभेद था, यह 'नैशनल फ्रंट' में छपे हुए लेखों से ही प्रकट हो जाता है।

जोशी ने बताया कि परिस्थिति की मांग है कि वैकल्पिक नेतृत्व की बात करने के बदले सयुक्त नेतृत्व पर बल दिया जाये। जोशी ने यह भी कहा, "जिन लोगों के विचार से कांग्रेस की एकता बनाये रखने के लिए संघर्ष करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, उनके साथ हम एकता कायम नहीं कर सकते। कांग्रेस की एकता का मतलब है संयुक्त नेतृत्व का सिद्धान्त मानना और उसके लिए काम करना। इस समय एकपक्षी नेतृत्व है। न इसकी जरूरत है और न वैकल्पिक नेतृत्व की।" कांग्रेस की एकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना इस समय सही नहीं था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण था साम्राज्यविरोधी संग्राम। इस संग्राम को चलाने के लिए कांग्रेस एक साधन थी, वह स्वयं कोई साध्य नहीं थी। दक्षिणपन्थी नेतृत्व को निष्क्रिय बनाने का परिणाम कांग्रेस का विघटन हो, यह अनिवार्य नहीं था। किन्हीं परिस्थितियों में यह विघटन आवश्यक भी हो सकता था।

जोशी ने आगे बताया, "अभी तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण अंश फारवर्ड ब्लाक का कटु विरोध करता आया था। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस बात पर सहमत हो गयी है कि वामपन्थी एकता को सुदृढ़ करने की नीति निर्धारित करने के लिए एक वामपन्थी सम्मेलन बुलाया जाये और एक सम्पर्क-समिति बनायी जाये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कामरेड जयप्रकाश के और मेरे सयुक्त वक्त्रव्य द्वारा वामपन्थी एकता की ओर बड़ा कदम उठाया है। हम कम्युनिस्टों ने फारवर्ड ब्लाक के नेताओं से कहा था कि वे इस सयुक्त सोशलिस्ट पहल पर वातचीत करें किन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने स्वीकार नहीं किया।" (जहाँ तक नेताओं का सम्बन्ध है, वामपन्थी एकता के मार्ग में रुकावटें साफ दिखायी दे रही थी। ऐसी स्थिति में जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष ही वामपन्थी एकता को सुदृढ़ करने में सहायता दे सकते थे।)

२५ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रंट' में वामपन्थी नेताओं के एकता-प्रयासों का विवरण छपा। बम्बई में फारवर्ड ब्लाक का सम्मेलन होने जा रहा था। उस समय वामपन्थी नेताओं ने आपस में एकता के बारे में वातचीत चलायी। एक समस्या यह थी कि वामपन्थी संगठन का रूप क्या हो। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट यह प्रस्ताव कर रहे थे कि एक अखिल भारतीय सम्पर्क समिति बनायी जाये और ऐसी ही समितियाँ प्रान्तों और जिलों में बनायी जायें। फारवर्ड ब्लाक के नेताओं का कहना था कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फारवर्ड ब्लाक में शामिल हो जायें, वे आपस में सहमति से एक सामान्य कार्यक्रम बनायें, काम करते समय बहुमत का

निर्णय माना जाये। इस पर सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का कहना यह था कि इस प्रकार फारवर्ड ब्लाक एक नयी वामपन्थी पार्टी बन जायेगा जिसका आधार होगा वामपन्थी राष्ट्रवाद। उनकी पार्टियों का आधार है समाजवाद और वे अपनी पार्टियाँ खत्म करने को तैयार नहीं हैं।

लेख मेवताया गया है कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने कुछ अन्य प्रस्ताव रखे। एक प्रस्ताव यह भी था कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और रायवादी लोग पार्टियों की हैसियत से शामिल होंगे। कांग्रेस समितियों के निर्वाचित सदस्य निजी हैसियत से शामिल होंगे।

४. राष्ट्रीय आन्दोलन और श्रमिक वर्ग

कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध किस तरह के थे और किस तरह के होने चाहिए, इसका अच्छा उदाहरण कानपुर के मजदूर-आन्दोलन से मिलता है। उत्तरप्रदेश में (उस समय के संयुक्त प्रान्त में) कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने के बाद मजदूरों की लम्बी हड़ताल चली। इसमें कांग्रेस जनता, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मिलकर काम किया। यदि मजदूर-आन्दोलन में ऐसा व्यापक संयुक्त मोर्चा बन सकता था तो स्पष्ट ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी ऐसा ही मोर्चा बन सकता था। कानपुर की हड़ताल में कम्युनिस्ट पार्टी में पूरनचन्द जोशी का नेतृत्व दृढ़ हुआ। सितम्बर १९३८ के 'न्यू एज' (मासिक) में कानपुर पर पूरनचन्द जोशी का लेख प्रकाशित हुआ जिसमें सारे देश के श्रमिक आन्दोलन के लिए कानपुर के मजदूर आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया गया।

१९३४ से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कानपुर के मजदूरों में साथ-साथ काम करते रहे थे। इससे मजदूर-सभा मजबूत हुई। मजदूर कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने की ओर कम्युनिस्टों ने विशेष ध्यान दिया। अंग्रेज सरकार ही ने नहीं, वरन् मिलमालिकों ने भी मजदूर-सभा की प्रगति को रोकने की भरपूर कोशिश की। इस समय खासतौर से मुस्लिम लीग मजदूरों में फूट डालने की कोशिश कर रही थी। लीग का प्रचार यह था कि मजदूर-सभा हिन्दू संगठन है और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की नठपुतली है। मजदूरों ने अपना स्वयंसेवक दल बनवाया। जोशी के अनुसार दो हजार स्वयंसेवकों में नाठ फीसदी मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के प्रचार का यह अच्छा जवाब था। इससे यह सबक सीखा जा सकता था कि मुस्लिम लीग के प्रचार के बावजूद जैसे मजदूरों की हड़ताल चलायी जा सकती है, वैसे ही लीग के विरोध के बावजूद आजादी की लड़ाई चलाई जा सकती है। यह के लिए सबसे आसान न भारतीय नेता बनाने में कानपुर का बहुत बड़ा हाथ था।

मजदूरों की पहली हड़ताल १९३७ में हुई और एक हफ्ता चली। दूसरी हड़ताल १९३८ में हुई और १० दिन चली। कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा ने ऐलान किया था कि भ्रममरी के कारण कोई भी मजदूर काम पर वापस न जायेगा। सन् ३८ वाली आम हड़ताल शुरू होने के दो हफ्ते बाद मजदूरों ने

भोजन-सामग्री बांटी जाने लगी। जोशी ने लिखा है कि दो हफ्ते तो मजदूर अप ही साधनों से काट लेते हैं लेकिन मुस्लिम लीग पिछड़े हुए मजदूरों को भड़का रही थी कि जल्दी मदद माँगे जिससे मजदूर-सभा बदनाम हो। शहर कांग्रेस कमेटी अपनी हर शाखा के लिए तय कर दिया कि वह कितना अन्न इकट्ठा करेगी। छोटे छोटे जत्ते बनाकर कांग्रेसी लोगों ने घर-घर जाकर सहायता-सामग्री एकत्रित की। जोशी ने लिखा है, "उन्होंने सहायता सामग्री (रिलीफ फण्ड) ही इकट्ठा नहीं किया वरन् फेरी लगाते समय लोगों को हड़ताल का राजनीतिक महत्व भी समझाया। केवल हड़तालियों की फौलादी एकता से नहीं वरन् इन कांग्रेसियों ने जत्तों द्वारा मेहनत से किये हुए प्रचार के कारण भी हड़ताल के प्रति सारे शहर की सहानुभूति हो गयी।"

प्रान्तीय कांग्रेस ने सभी कांग्रेस समितियों से हड़ताल का समर्थन करने को कहा। हड़तालियों की सहायता के लिए उसने खुद दो हजार रुपये दिये। कानपुर में सहायता का काम कांग्रेसजनों के हाथ में था। १२ महीने के भीतर कानपुर में दो सफल आम हड़तालें हुईं। जोशी ने लिखा कि लोग अब कानपुर को प्रभावशाली मजदूर-सभाई केन्द्र, सयुक्त आन्दोलन के मोर्चे की अगली चौकी, काम करने के लिए अपना आदर्श (माडल) मानने लगे। इसके साथ जोशी ने यह भी लिखा कि बालकृष्ण शर्मा जैसे लोग कम्युनिस्टों का सम्मान करते हैं, फिर भी कांग्रेस के प्रति कम्युनिस्टों की बफादारी को वे शक की निगाह से देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त मोर्चा मजबूत करने के लिए कम्युनिस्टों को मुख्यतः अपनी स्वतन्त्र कार्यवाही का भरोसा करना था।

जोशी के लेख के साथ एक सम्पादकीय टिप्पणी भी छपी थी। उसमें बताया गया था, "साम्राज्यवाद और निहित स्वार्थ सबसे ज्यादा जिस बात से डरते हैं, वह कांग्रेस और मजदूर वर्ग की एकता है, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल और मजदूर-सभा की एकता है।" यहाँ जिस संयुक्त मोर्चे की कल्पना की गयी है, उसमें वामपन्थी कांग्रेसजन ही नहीं, दक्षिणपन्थी कांग्रेसजन और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी शामिल हैं। जो लोग मन्त्रिमण्डलों में थे, वे संघर्ष की राह छोड़कर मुल्ह-समझौते के द्वारा आजादी पाने का सपना देख रहे थे। उक्त टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्टों ने कम्युनिस्टों पर यह लांछन लगाया है कि वे मुस्लिम लीग से मिले हुए हैं। इसमें साबित हुआ कि संयुक्त-मोर्चे में सन्देह की कई दरारें थीं। मजदूरों में धैर्यपूर्वक काम करके ही कम्युनिस्ट एक लड़ाकू और प्रभावशाली मोर्चा बना सकते थे।

कानपुर की कांग्रेस पर गणेशानन्द विद्यार्थी की छाप थी। उन्होंने मजदूर-सभा के निर्माण में पहल की थी। राजनीति और साहित्य में बालकृष्ण शर्मा उनके सहयोगी थे। १९२४ में 'प्रभा' पत्रिका के जनक जहाँ में रामबिहारी योग आदि व्रान्तिकारियों के चित्र छापकर, व्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्बन्धित गामपी प्रकाशित करके उन्होंने अपने वामपन्थी रतान का परिचय दिया था। गणेश-प्रान्त के सबसे प्रभावशाली नेता जवाहरलाल नेहरू ने १९३६ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाने का विरोध किया था। जिस कानून के मातहत मन्त्रिमण्डल बने,

उमे काता कानून कहा जाता था। कांग्रेस में जो प्रमुख मुधारवादी थे, वे मन्त्रिमण्डल बनाने के प्रबल समर्थक थे। जिस संयुक्त मोर्चे में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डली को शामिल किया गया था, उसका टूटना लाजमी था। उसे अटूट रखने का मतलब था मुधारवादियों का पिछलमुआ बनकर स्वाधीनता की लड़ाई को कमजोर करना।

दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले तक कानपुर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध अच्छे थे। ११ जून १९३९ के 'नैशनल फ्रण्ट' में कम्युनिस्ट पार्टी ने कानपुर के सूती मिल मजदूरों पर बालकृष्ण शर्मा का लेख छपा। इस लेख के साथ एक सम्पादकीय टिप्पणी भी प्रकाशित है। उगमें कहा गया है कि कांग्रेस और मजदूरवर्ग की एकता के विचार से लोग उचित ही कानपुर को आदर्श मानते हैं। इसका काफी श्रेय शर्माजी को और उनके साथी कार्यकर्ताओं को है। टिप्पणी में यह बात सही कही गयी है। किन्तु शर्माजी के इस लेख से ही यह बात स्पष्ट होती है कि सघर्ष के आगे बढ़ने पर या तो वह अपनी नीति बदलेंगे, या न बदलेंगे तो मन्त्रिमण्डल से टक्कर होंगी। बालकृष्ण शर्मा के पक्ष में यह उल्लेखनीय है कि वह कभी किसी मन्त्रिमण्डल में नहीं लिये गये, न सन् ४७ से पहले लखनऊ के मन्त्रिमण्डल में और न सन् ४७ के बाद दिल्ली के मन्त्रिमण्डल में।

अपने लेख में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा ने बताया है कि वह मई १९३९ में अन्य मजदूर नेताओं के साथ प्रान्त के मुख्यमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री से मिले। उन्होंने विस्तार से मन्त्रियों को अपनी बात समझायी और मन्त्रियों ने धैर्य से उनकी बातें सुनी। बातचीत की पृष्ठभूमि 'नैशनल फ्रंट' के पाठकों के लिए स्पष्ट करते हुए शर्माजी ने बताया कि मई १९३९ की ५० दिन वाली हड़ताल के दौरान समझौते की बातचीत बराबर चलती रही थी। ५०वें दिन लगा कि यह बातचीत टूट जायेगी और सघर्ष को नेज करने के लिए तैयारी होने लगी थी। मुख्यमन्त्री ने कानपुर जाकर बातचीत में स्वयं भाग लिया। इसके फलस्वरूप मिल-मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता हुआ और हड़ताल समाप्त हुई। उसके बाद ग्यारह महीने धीत गये। जिन शर्तों पर समझौता हुआ था, मिल-मालिकों ने उनमें एक का भी पालन नहीं किया। एक शर्त यह थी कि मजदूरों को पगार माहवारी हिसाब से दी जायेगी और इसके लिए मजदूरों के २६ दिन पूरे महीने के बराबर माने जायेंगे। मिल-मालिकों ने इस शर्त का उल्लंघन किया। मजदूरों को कितनी पगार मिले, यह तय करने के लिए एक बोर्ड बनेगा जिसमें सरकार, मिलमालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। ग्यारह महीने धीतने पर भी उस बोर्ड के बनने की नीबत न आयी थी। काम की पारी के बारे में नियम बनने थे, वे नहीं बने। मजदूरों की भरती के लिए एक सरकारी लेबर एक्सचेंज नाम की संस्था बननेवाली थी। ऐसी संस्था बने, यह सिद्धान्त सरकार ने माना था पर वह न बनी। लेबर-एक्सचेंज के बनने या न बनने से प्रान्तीय सरकार का सीधा सम्बन्ध था क्योंकि मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार किया था कि सरकारी लेबर एक्सचेंज बनेगा। उसके बनानेवाले मिलमालिक नहीं थे, उन्हें उससे केवल सहयोग करना था। मिलमालिकों ने मजदूरों के संगठन को मान्यता नहीं दी यद्यपि सरकार से उसे ऐसी मान्यता प्राप्त हो चुकी थी।

वालकृष्ण शर्माने बताया कि पिछली आम हड़ताल के बाद मिलमालिकों ने पूरी कोशिश की कि उनका एका पत्रम कर दें। छंटनी या किसी अन्य बहाने से नौ महीने के भीतर उन्होंने एक हज़ार मजदूरों को बरखास्त कर दिया। ऐसी स्थिति में मजदूरों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था और शर्माजी के अनुसार सभा के कार्यकर्त्ता मजदूरों को काबू रखने में बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। मिलमालिकों ने नये मजदूरों की भर्ती के बारे में जो नीति अपनायी थी, उससे तनाव और बढ़ा था। वे मिस्त्रियों के चमचों को या हड़ताल तोड़नेवाले गुण्डों को भर्ती करते थे। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भी काम लेते थे। इस नीति से घूसखोरी, चापलूसी और मजदूरसभाविरोधी रवैये का प्रसार हुआ। मजदूरों की वस्तियों में जाकर मालिकों की तरफ से गुण्डे मजदूरों को डराते-धमकाते थे। मालिकों ने कम्पनी यूनिशन बनाने की भी कोशिश की जो उनकी इच्छानुसार काम करे। पहले उन्होंने सोचा कि मुस्लिम मजदूरसभा बनाई जाये पर इस प्रयत्न में वे सफल न हुए। इसके बाद मजदूरसभा के समानान्तर एक मजदूर यूनिशन बनाने का विचार किया पर इसमें भी कामयाब न हुए। तब उन्होंने अपने दलाल अह्लूत मजदूरों के बीच भेजे और एक दलितवर्ग की मजदूरसभा कायम हुई। इस सारी पंत्तरेबाजी से मिलमालिकों का रोब बढ़ा नहीं, उनका मजदूरों में और भी बेचैनी बढ़ गयी "और मुल्ह-समझौते की सारी कोशिशें मज्जाक की चीज बन गयी है।"

कानपुर में जो कुछ हुआ, वह बहुत बड़े पैमाने पर सारे भारत में हो रहा था। अंग्रेज स्वाधीनता आन्दोलन में फूट डालने के लिए मुसलमानों और अछूतों के संगठनों को बढ़ावा दे रहे थे। कानपुर के मिलमालिकों ने मजदूर आन्दोलन में फूट डालने के लिए यही नीति अपनायी थी। यदि कानपुर का मजदूर आन्दोलन इस नीति को विफल कर सकता था तो भारत का स्वाधीनता आन्दोलन भी उसे अवश्य विफल कर सकता था, पर यह तभी सम्भव था जब किसानों और मजदूरों के वर्गसंगठन मजबूत हों, वे स्वाधीनता आन्दोलन के आधार बनें और हर तरह के अलगाववादी रवैयों का काट करें। इसके विपरीत स्वाधीन भारत में पूँजीपतियों ने वे सब हथकण्डे अपनाये जिन्हें वे मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिए १९३६ में आजमा चुके थे। इन हथकण्डों में गुण्डों के जरिये मजदूरों को आतंकित करने का स्थान जैसा था।

मिलमालिकों ने यह दाँत मानी थी कि मजदूरों के कार्य में कोई तब्दीली होगी तो १५ दिन का नोटिंग दिया जायेगा। किन्तु नोटिंग दिये बिना ऐसी तब्दीली की गयी। मजदूर पहले जितनी मशीनों पर काम करते थे, उतनी में ज्यादा मशीनों पर उन्हें काम करने को कहा गया। मिलमालिक पगार में कटौती की तैयारी कर रहे थे। न्यू-विक्टोरिया मिनो और जे. के. जूट मिनो ने सेबर कमिश्नर को सूचना दे दी थी कि पगार में कटौती होगी। एफ़-आय मिल ने सूचना के बिना ही कटौती कर दी थी। मजदूर सभा इसकी ख़बर कर रही थी।

आने वाले के अन्न में वालकृष्ण शर्माने 'नैशनल फ़ूट' के सम्पादन को सम्बोधित करते हुए कहा : आपने हमारे आन्दोलन में बड़ी दिन-राती दिया है। मैं आशा करता हूँ कि वर्गमानव समाज-संरचना को ज्यादा हितकर-

डुलाये बिना हम इस गोरख-धन्धे से बाहर कैसे निकले? आप जानते हैं कि मजदूरों में काम करनेवाले हम लोग उद्योग-धन्धों को तबाह नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे आदमी भुखमरी और मुसीबतों के शिकार हो। हम अपना सीमाएँ पहचानते हैं। पूंजीवादी समाज हमारे सामने है। उससे सम्बन्धित सारी सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। किन्तु यदि मिलमालिक इसी तरह बदहवास का सवूत देते रहे तो हम बगावत के देव को कब तक काबू में रख सकेंगे? (मूल शब्दावली है फ्रैंकिंस्टाइन मान्सटर; आशय वही है जो यहाँ दिया गया है।)

भारत अभी स्वाधीन नहीं हुआ था किन्तु कुछ कांग्रेसी नेता भी, दूसरे महायुद्ध आरम्भ होने से पहले, यह अनुभव करने लगे थे कि मिलमालिक और मजदूरों की समस्या पूंजीवादी व्यवस्था के रहते हल नहीं हो सकती। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद यह समस्या निरन्तर विकट रूप धारण करती गयी तो इससे आश्चर्य की बात नहीं है। शर्माजी के प्रश्न का आशय यह है कि वर्तमान व्यवस्था में मजदूरों को शान्त रखना सम्भव नहीं है। यह व्यवस्था अभी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि मुख्य लड़ाई साम्राज्यवाद से है। किन्तु साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्ति के बाद? मुक्ति के बाद कांग्रेसी नेताओं ने यह नीति अपनायी कि पूंजीवादी व्यवस्था भी खत्म न हो और समाजवाद का निर्माण भी होता जाये! नतीजा यह कि जब इस गोरख-धन्धे में फँसा, वह और भी उलझता चला गया। 'नैशनल फ्रण्ट' के सम्पादक ने बालकृष्ण शर्मा को उत्तर देते हुए कहा: कानपुर की परम्परा कायम रखो। कांग्रेस-मजदूर एकता मजबूत करो। मिल-मालिक अपने उद्देश्य में सफल न होंगे। सधर्प कड़ा होगा, पर हमें विश्वास है, कानपुर अपनी ख्याति के अनुसार उभरेगा। जनता की संयुक्त शक्ति के आगे मालिकों को झुकना पड़ेगा कांग्रेस विजयी होगी।

'नैशनल फ्रण्ट' के सम्पादक का विश्वास अनुचित नहीं था। जनता की संयुक्त शक्ति के आगे मालिकों को अवश्य झुकना पड़ेगा। किन्तु कांग्रेस विजयी होगी यह आशा तभी प्रकट की जा सकती थी जब कांग्रेसी नेतृत्व पर इन मालिकों का प्रभाव समाप्त हो गया हो। पर ऐसी स्थिति थी नहीं।

२५ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में शर्माजी का एक और लेख छपा इसका सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार और हड़तालों से था। कानपुर की मजदूर-सभा के मन्त्री को प्रान्तीय सरकार के उद्योग-विभाग के सचिव का एक पत्र मिला था। इसमें कहा गया था कि कानपुर का औद्योगिक विकास सारे प्रान्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विकास-वरावर होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उद्योग-धन्धों में सामान्य स्थिति सुदृढ़ रहे और समय-समय पर यों ही हलचल न पैदा की जाये। शर्माजी ने इस सूचना के सिलसिले में कहा कि शहर के सभी उत्तरदायी श्रमिक नेता अनुभव करते हैं कि किसी भी विवाद का समाधान पूरी तरह खोज लेने से पहले हड़ताल न करनी चाहिए। कानपुर के मजदूर नेताओं ने पूरी कोशिश की है कि मजदूर अचानक हड़ताल न करें। मजदूर सभा के प्रयत्नों से पिछले दो वर्षों में कम-से-कम बीस हड़तालें टाली गयी हैं। फिर भी मिलमालिक मजदूर नेताओं को उग्रपन्थी और गैरजिम्मेदार ठहराते हैं। किन्तु असली सवाल यह है

कि मजदूर अचानक हड़तालें करते क्यों हैं। वे अचानक हड़तालें इसलिए करते हैं कि मिलमालिक अचानक उनकी पगार में कटौती करते हैं, उनके काम करने की परिस्थितियों में अकस्मात् परिवर्तन करते हैं, मजदूरमार्ग कामंकरताओं को दूधे आरोप लगाकर बरखास्त करते हैं, मजदूरों की भर्ती साम्प्रदायिकता के आधार पर करते हैं, मिस्त्री और डिपार्टमेंट इन्चार्ज मजदूर सभा को गन्दी-गन्दी मतियाँ देते हैं, मिलमालिक गुण्डों को मह देकर साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयत्न करते

भर से समस्या हल न होगी।

सरकार का कहना था कि लेबर जॉब समिति की जो सिफारिशें अभी तक अमान्य रही हैं, वे लागू की जाएँगी। शर्माजी ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों की भर्ती के बारे में मिलमालिक किंगी तरह का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते। लेबर एक्सचेंज के मामले में वे सरकार से सहयोग नहीं करना चाहते।

का मामला हो, वहाँ निजी अधिकारों पर कुछ निश्चित पाबन्दी लगानी ही होगी। अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए मालिक अवश्य मजदूर भर्ती करें, लेकिन शरारत करने के लिए यह भर्ती करें, यह अधिकार किनी मनुष्यवर्षित समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी था कि सरकार मजदूरों का भर्ती-वेन्ड (लेबर एक्सचेंज) स्थापित करे और मिलमालिक इसी के माध्यम से मजदूर भर्ती करें। उस समय धर्मसम्बन्धी विवाद निपटाने के बारे में एक कानून बनने वाला था। शर्माजी ने मुझसे कहा कि इस कानून में लेबर एक्सचेंज कायम करने की बात भी हो। लेबर एक्सचेंज को कानूनी हैसियत प्राप्त होगी तो मिलमालिकों को खुश करने के लिए अभी जो नाक रगड़नी पड़ती है "और तरह-तरह के काम करने पड़ते हैं जिनसे मनुष्यता का नाश करनेवाले साम्प्रदायिक दंगे होते हैं", वे सब काम मजदूरों को न करने पड़ेंगे। यहाँ साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिए, अपने मुनाफे में बढ़ती और मजदूरों की पगार में कटौती करने के लिए, मिलमालिक हिन्दू-मुस्लिम दंगों का सहारा ले रहे थे। कानपुर उत्तर भारत में मजदूर आन्दोलन का सबसे बड़ा केन्द्र था। उस केन्द्र को ध्वस्त करने के लिए पूँजीपतियों के पास सबसे बड़ा हथियार था दंगे।

बालकृष्ण शर्मा ने श्रमविवाद-सम्बन्धी कानून के बारे में यह मुझसे भी कहा कि जब मजदूर आवश्यक समझें, तब उन्हें हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए। मजदूरों के लिए अवश्य विधान बनना चाहिए जो न करती चाहिए जो बम्बई सरकार ने की है। उसने मुझ-समझौते की प्रक्रिया को इतना लम्बा बना दिया था कि मजदूर ठीक ही समझने लगे कि उनके हाथ से उनका आखिरी हथियार छीना जा रहा है।" यहाँ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में

एक अन्य प्रान्त की कांग्रेसी सरकार की आलोचना की थी। इस आलोचना का नारतत्व यह था कि बम्बई सरकार ने पूंजीपतियों का पक्ष लिया है और मजदूर-विरोधी दृष्टि अपनाया है। बम्बई और संयुक्त प्रान्त की सरकारों में बहुत ज्यादा अन्तर न था।

श्रमविवाद-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून के बारे में शर्माजी ने चेतावनी दी कि उनमें ऐसी धाराएँ न होंगी चाहिए जिनमें कम्पनी युतिपन सर्वोपरि हो जायँ और वास्तविक मजदूर नभाओं को मिलमालिकों से मान्यता ही न मिले। मजदूरों की जिस सभा में भी मजदूरों की कुल संख्या के २० प्रतिशत सदस्य हों, उसे मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने आभा प्रकट की कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ऐसी कोई कर्तव्य न रखेगी कि कुल मजदूरों में ५० या ५१ फीसदी किसी सभा के सदस्य बन जायँ, तभी उसे मान्यता मिलेगी।

सरकार हड़तालों में कौन निपटनेवाली थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उस सरकारी पत्र में था जो कानपुर की मजदूर सभा के सचिव को मिला था। शर्माजी ने उनका आवश्यक अंग उद्धृत किया और फिर उस पर अपनी राय जाहिर की जो मजदूर आन्दोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी पत्र में कहा गया था कि हड़ताल से मजदूरों को जो मुसीबत उठानी पड़ती है, उसके अलावा उनमें बहुत नें झंसे उठ सके होते हैं। उससे शहर में हलचल पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि वह सार्वजनिक शान्ति भंग न होने दे, कानून और व्यवस्था बनाये रखे और हड़ताली तथा गैर-हड़ताली, सभी लोग अपने नागरिक अधिकारों (सिविल लिबर्टीज) का उपयोग कर सकें। ऐसे अधिकारों में सार्वजनिक मार्गों पर किसी बाधा के बिना आना-जाना और व्यक्तिगत इमारतों में जिन्हें जाने-जाने का हक है, उनका आना-जाना शामिल है।

नागरिक अधिकारों की दुहाई का मतलब यह था कि हड़ताल तोड़नेवाले लोग मिलों के भीतर जायँ तो हड़ताली मजदूर किसी भी तरह उन्हें रोकें नहीं। शर्माजी ने हड़ताल-सम्बन्धी सरकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा, "यह विचित्र बात है कि सरकार ने अपनी नीति का यह ऐलान ऐसे समय किया जब मालिकों के कुछ चमचे नागरिक अधिकारों के नाम पर गुण्डागर्दी करते देखे गये हैं। हड़तालें तोड़ने में मालिकों ने जो भूमिका निवाही है, उसे हम भूले नहीं हैं। कुछ मिसालें देता हूँ। कुछ ही दिन पहले तक यह आम बात थी कि मिलमालिक अपने मास्टर्स और मिस्त्रियों के साथ लारियों में छूटे हुए गुण्डे भरकर उन्हें मजदूर वस्तियों में भेजते थे। ये इशितहारी गुण्डे (गजेटेड गुण्डाज) मजदूरों को धमकाते थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें हड़ताल तोड़ने को मजबूर करते थे। कुछ मिलमालिक जिनका पुलिस से याराना था, ऐसे मौकों पर लारियों में पुलिस के सिपाहियों को भी भर ले जाते थे। एक तरफ पुलिस और गुण्डे, उनके साथ पैसा और पूंजीपति का प्रभाव, दूसरी तरफ खाली पेट, अध-भंगे, गरीब मजदूर, यह कोई बराबरी का मुकाबला नहीं है। बहुत गम्भीर प्रश्न यह है: हम यह सबल और निर्वल की लड़ाई कैसे लड़ें जब लोकप्रिय सरकार न्याय, औचित्य और नागरिक स्वाधीनता के भव्य सिद्धान्तों को आधार बनाती है? वास्तविक हड़ताल

तोड़ने के लिए पूरी छूट मिले, इसके अलावा इन सिद्धान्तों का अर्थ और क्या है ? सार्वजनिक मार्गों पर किराी याधा के बिना आना-जाना और व्यक्तिगत इमारतों में आने-जाने का हक, यह सब विशुद्ध बकवास है। मजदूर काम पर जाना चाहते हैं, यह दलील थोथी है क्योंकि यदि वे ऐसा चाहते तो हड़ताल होती ही नहीं। गुप्त मतदान आदि के सारे उपचार निवाहने के बाद जब हड़ताल का ऐलान किया जाता है, तब राज्य-सत्ता का यह स्पष्ट कर्तव्य हो जाता है कि गुण्डों और हड़ताल तोड़नेवालों की सहायता से मालिक हड़ताल छत्म करना चाहें तो वह उनसे हड़तालियों की रक्षा करे।”

एक ओर पूंजीपति और राज्य-सत्ता, दूसरी ओर जीवन की सामान्य सुविधाओं के लिए लड़नेवाला सर्वहारा वर्ग, इन दोनों का अन्तर्विरोध १९३६ में साफ उभरकर सामने आ रहा था। बालकृष्ण शर्मा कांग्रेसी नेता होने के अतिरिक्त स्वच्छन्दतावादी हिन्दी कवि भी थे। उन्होंने यह अन्तर्विरोध देखा ही नहीं, मजदूर वर्ग का पक्ष लेकर उन्होंने राज्य-सत्ता की नुकताचीनी भी की। पूंजीवादी समाज में यदि कोई वास्तविक लोकप्रिय सरकार होगी तो वह मालिकों के विरुद्ध मजदूरों का पक्ष ही लेगी। नागरिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर वह हड़ताल तोड़ने में मालिकों की सहायता न करेगी। शर्माजी ने जो मत प्रकट किया, उसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसमें न्याय, कानून, व्यवस्था, नागरिक अधिकार आदि के प्रपञ्च की वास्तविकता प्रकट की गयी है। राज्य-सत्ता किस तरह के बहाने करके पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है, यह समझा दिया गया है। १९३६ में कांग्रेस के भीतर ऐसे काफी लोग थे जो साहसपूर्वक कहते थे कि प्रान्तीय सरकार ने जो नागरिक अधिकारों की बात कही है, वह विशुद्ध बकवास है। मजदूरों में काम करनेवाले समाजवादी नेता ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही शक्तिशाली साम्राज्यविरोधी मोर्चा बना सकते थे। अब कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है। १९३६ में पूरी कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का संयुक्त मोर्चा बनाना यदि कठिन था, तो १९८१ में वैसे ही मोर्चा बनाना असम्भव है।

अपने लेख के अन्त में शर्माजी ने प्रान्तीय सरकार से कहा कि वह इस बात को समझे कि श्रमसम्बन्धी विवाद उठने पर नागरिक अधिकारों का मन्त्र अपने से अन्याय ही हाथ लगेगा। सारे देश के मजदूर आन्दोलन को लक्ष्य करके उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कहा कि वह उनके लेख की बातों पर ध्यान दे। मजदूर कार्यकर्त्ताओं को सारे भारत में ऐसी परिस्थितियों और तर्कों का सामना करना पड़ता है। जिन सिद्धान्तों के अनियन्त्रित प्रयोग से देश के ट्रेड-यूनियन आन्दोलन में रुकावट पैदा होती है, उनकी तर्कसंगत व्याख्या करना जरूरी है। “जब सार्वजनिक मार्गों को डाकू इस्तेमाल करते हैं, तब राज्य-सत्ता नागरिक अधिकारों की माला जपते हुए चुपचाप नहीं बैठी रहती। उसी तरह जब श्रम-सम्बन्धी विवाद उठ खड़ा हो, तब राज्यसत्ता का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों को राज-मार्गों का व्यवहार न करने दे जो फ़साद या साम्प्रदायिक दंगे कराना चाहते हों।”

लेख के अन्त में शर्माजी ने संयुक्त-प्रान्त की सरकार को सुझाव दिया कि

जैसे उसने मजदूर सभा को पत्र भेजा है, वैसे ही वह एक चिट्ठी मिलमालिकों के नाम भेजे और उन्हें बताये कि उन्होंने जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उससे नगर में औद्योगिक अशान्ति किस तरह फैली है। "कम्युनिस्ट प्रोपैगंडा और उसी तरह की अन्य बेहूदा बातों की रट लगाने से काम बननेवाला नहीं है। अशान्ति एकपक्षी नहीं है। हिन्दी कहावत यहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है : ताली दोनों हाथ से बजती है।"

कम्युनिस्ट प्रोपैगंडा का उल्लेख इसलिए है कि राज्य के अधिकारी और मिल-मालिक मजदूरों की माँगों को कम्युनिस्ट प्रचार मात्र कहकर छुट्टी पा लेना चाहते थे। मजदूरों की पगार में कटौती करने के लिए, अपने मुनाफे की ऊँची दर बनाये रखने के लिए, मिलमालिक एक ओर कम्युनिस्ट-विरोधी अभियान चला रहे थे, दूसरी ओर साम्प्रदायिक प्रचार के वाद दंगों की तैयारी कर रहे थे। कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार और हिन्दू-मुस्लिम दंगे, इनमें जो गहरा सम्बन्ध है, वह १९३६ में उजागर हो रहा था।

२ जुलाई १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में कानपुर की स्थिति पर पत्र के विशेष संवाददाता का लेख छपा। मिलमालिकों के आक्रमण और मजदूर सभा की कार्रवाई का विवरण देने के बाद संवाददाता ने लिखा, "जब हम अपने कार्यक्रम को अमल में लाते हुए पूरे वेग से आगे बढ़ रहे थे, तभी २० जून की शाम को साम्प्रदायिक दंगों के फिर फूट पड़ने से भारी धक्का लगा। भूलगंज में रथयात्रा के अवसर पर मस्जिद के आगे बाजा बजने के सवाल पर झगड़ा हुआ। कहते हैं कि पहले कुछ मुसलमानों ने ईंटे फेंकी, फिर दोनों तरफ से गुलकर ईंट और पत्थर-बाजी हुई। पुलिस ने गोली चलाई। चालीस आदमी घायल हुए। इनमें चार की मृत्यु हो गयी। गोली लगने से या छुरेबाजी से अब तक छह आश्रमियों की जानें जा चुकी है।" मजदूर सभा ने स्वयंसेवकों की लाल फौज बनायी। वह मजदूर बस्तियों में गश्त लगाती थी जिससे गुण्डे उपद्रव न कर सकें। मजदूर सभा ने मुहल्ला कमेटियाँ बनायी जो शान्ति रक्षा का काम करें। हिन्दू और मुसलमान मजदूर मिलों में काम करने साथ-साथ जाते रहे। प्रान्तीय सरकार ने गोना कि दंगा करनेवालों को दवाने के साथ-साथ कम्युनिस्टों का दमन भी कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा। इसकी तैयारी उसने पहले में कर रक्की थी। संयुक्त प्रान्त की सरकार के मुख्य सचिव ने प्रान्त के सभी जिल्लाधीनों के नाम २ मई १९३६ को एक पत्र भेजा था। प्रान्त में जो साम्प्रदायिक तनाव है, उसे दूर करने के लिए कानून तोड़नेवालों से कैसे निपटना चाहिए, यह बनाने के बाद मुख्य सचिव ने लिखा था, "मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वे अन्दर बहरी भी लागू होंगे उन्हें साम्प्रदायिक द्वेष के अलावा वर्ग-द्वेष का प्रचार करना चाहिए, ध्यान-हीन ने वर्ग-वर्ग-द्वेष का प्रचार कम्युनिस्ट करते हैं जिसमें उद्योग-कर्तों में छुड़ाने हैं।" २५ जून १९३६ के अंक में छपा था। 'नैशनल फ्रण्ट' ने एक मान्य पत्र समाचार प्रकाशित किया जब मिलमालिकों के बीच ने सरकार ने आश्रम-कर्म था कि वह मजदूरों में कम्युनिस्ट प्रचार गेहने के लिए करने उद्योग

सरकार ने जवाब दिया था कि राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में कम्युनिज्म को कोई कितना ही नापसन्द करे, केवल बलप्रयोग द्वारा उसका दमन नहीं किया जा सकता। सम्य राज्यों में इस पर पाबन्दी नहीं है। ब्रिटेन में कम्युनिस्ट गुलेआम अपना प्रचार करते रहे हैं और कम्युनिस्ट टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। उद्योग (अर्थात् उद्योगपतियों) को चाहिए कि समझौते की शर्तों का ठीक-ठीक पालन करें और तालाबन्दी न होने दें। 'नैशनल फ्रण्ट' ने ध्यान दिलाया कि मिलमालिकों ने समझौते की सारी शर्तें तोड़ी। फिर भी संयुक्त प्रान्त की सरकार ने साम्प्रदायिक प्रचार और कम्युनिस्ट प्रचार को एक जैसा मान लिया। कम्युनिस्ट पार्टी गैर-कानूनी थी। संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस ने अपने हरदुआगज सम्मेलन में कम्युनिस्ट पार्टी को कानूनी करार देने की माँग की। यह माँग प्रान्तीय विधान सभा में भी की गयी थी। १६ मई को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने कानपुर के मिलमालिकों द्वारा पगार में कटौती, मजदूरों की छटनी आदि पर चिन्ता प्रकट की थी। इस सबके विपरीत संयुक्त प्रान्त की सरकार अब मजदूरों के प्रति नयी नीति अपना रही थी "जो कानपुर के यूरोपियन और राष्ट्रविरोधी निहित स्वार्थों के सामने घुटने टेकने के अलावा और कुछ नहीं है।" 'नैशनल फ्रण्ट' ने अपनी टिप्पणी से

बया वे जनता के मन्त्रियों (पीपुल्स मिनिस्टर्स) को निहित स्वार्थों के सामने घुटने टेकने देंगे और उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के सबसे शक्तिशाली अंग का दमन करने देंगे ?

कांग्रेसजन इस प्रश्न का चाहे जो उत्तर देते, कांग्रेसी मन्त्री जनता के मन्त्री नहीं थे। वे १९३५ के उस काले कानून के मातहत मन्त्री बने थे जिसका विरोध समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन ने, स्वयं कांग्रेसी नेताओं ने किया था। जो लोग मन्त्री बने, वे भी उस कानून का समर्थन न करते थे। उनका तर्क था कि विधान परिषदों में जाकर, मन्त्रिमण्डल बनाकर वे उस काले कानून का विरोध करेंगे। हुआ इससे ठीक उल्टा। मन्त्रिमण्डल बना लेने के बाद वे आराम से उसी कानून के अनुसार शासनतन्त्र चलाने लगे। इसी का परिणाम थी उनकी मजदूर-विरोधी नीति। वे जनता के मन्त्री कैसे हो सकते थे ?

अप्रैल १९३६ में एक हड़ताल असम प्रान्त में हुई। असम तेल कम्पनी के १० हजार मजदूरों ने हड़ताल की। उनके साथ साधियों की झूठे दोष लगाकर निकाल दिया गया था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल से पहले असम में सादुल्ला मन्त्रिमण्डल था। उसने एक जाँच कमेटी बनायी थी। सादुल्ला मन्त्रिमण्डल काफी प्रतिक्रियावादी माना जाता था। उसने जो जाँच कमेटी बनायी थी, उसकी सिफारिशें बहुत प्रगतिशील न रही होगी पर कम्पनी के मालिकों ने उनकी भी अनदेखी की। इस कारण मजदूरों ने हड़ताल की। तेल कम्पनी यूरोपियन पूँजीपतियों की इजारेदार संस्था थी। यहाँ भारतीय मजदूरों की सीधी टक्कर विदेशी पूँजीपतियों से थी।

कम्पनी के मलका, सफाई कर्मचारी, कम्पनी के अफसरों के नौकर-चाकर तक इस हड़ताल में शामिल हुए। दूकानदारों ने कहा कि वे मालिकों को खाने-पीने का सामान तब तक न देंगे जब तक वे मजदूरों की माँगें न मान लेंगे। स्थानीय कांग्रेस-जनों ने हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। ४ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में हड़ताल का विवरण देते हुए अजय घोष ने लिखा कि आम जनता के इस तरह एकजुट होने की ओर कम्पनी मालिकों के जो अलग-थलग पड़ जाने की मिसाल असम में अब तक न देखी गयी थी। "मजदूर संघ जनआन्दोलन का अगला दस्ता बन गया है।"

हड़ताल के समय असम में कांग्रेसी मन्दिमण्डल था। कांग्रेसी सरकार ने डिगबोई नगर में धारा १४४ लागू कर दी। उपद्रव की आशंका से पुलिस बुला ली गयी और पुलिस की मदद के लिए एक गुरखा पलटन भी तैनात की गयी। एक भी हिंसात्मक वारदात न हुई थी, न किसी ने किसी को डराया-धमकाया था। यह बल-प्रदर्शन किया गया था सत्ता की ओर से मजदूरों को डराने-धमकाने के लिए। कम्पनी मालिकों ने हड़ताल तोड़नेवालों को बटोरने की कोशिश की किन्तु हड़ताली मजदूरों ने यह दाँव बेकार कर दिया। सोलह दिन तक हड़ताल चली। तेल कम्पनी के मालिक असम के राजा बने हुए थे। ऐसा विरोध उन्होंने पहले कभी देखा न था। १८ अप्रैल की रात को मजदूरों पर गोली चलायी गयी। कम्पनी के अफसर तेल कारखाने में दूर बस्तियों में मजदूर ढूँढने गये थे जो हड़ताल तोड़ने का काम करें। किन्तु वहाँ हड़ताली मजदूर पहले से जमे हुए थे। इसलिए कम्पनी के अफसर हड़ताल तोड़नेवाले रंगरूट लाने में असफल हुए। तब सैनिकों ने मजदूरों पर गोली चलायी। तीन मजदूर वहीं मारे गये और एक की मृत्यु बाद को हुई। लोगों ने दूकानें बन्द कर दी। हज़ारों आदमी शव-यात्रा में शामिल हुए। रेल कर्मचारियों ने तेल मजदूरों के समर्थन में एक दिन की हड़ताल की। कांग्रेसी सरकार ने माना था कि १८ अप्रैल की रात शुरू होने तक हड़ताल आमतौर से शान्तिपूर्ण थी। लेकिन उसका कहना था कि चोरी छिपे लोगों को डराया-धमकाया जा रहा था।

कम्पनी को डिगबोई शहर में हड़ताल-विरोधी मजदूर न मिले, तब उसने बाहर से मजदूर लाने का विचार किया। असम सरकार ने कहा कि बाहर से मजदूर लाने पर शांति भंग होने का खतरा है और यदि कम्पनी ने बाहर से मजदूर लाना शुरू किया तो इस तरह रंगरूट भरती करने पर पाबन्दी लगा दी जाएगी। इस पर गोरे मालिकों ने, स्टेट्समैन आदि अखबारों ने खूब हल्ला मचाया। कांग्रेसी सरकार झुक गयी। बाहर से रंगरूट भर्ती करने पर पाबन्दी लगाने की बात अंशतः वापस ले ली गयी। सरकार ने बाहर से घरेलू नौकर भर्ती करने पर पाबन्दी हटा ली जिसका मतलब था कि कम्पनी बाहर से मजदूर लायेगी और उन्हे कम्पनी के अफसरों का घरेलू नौकर बतायेगी। सरकार ने मजदूर संघ से अपील की कि वह कम्पनी अफसरों के घरेलू नौकरों को काम करने की अनुमति दे। कांग्रेसी सरकार तेल मजदूरों और विदेशी कम्पनी के मालिकों के बीच तटस्थ बने रहने का अभिनय कर रही थी। गुरखा पलटन को शहर से हटाया न गया।

न्यायिक जांच के नाम पर एक मजिस्ट्रेट ने जांच का नाटक किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि सैनिकों ने हमलावर भीड़ से अपनी रक्षा करने के लिए गोली चलायी थी और तेल कम्पनी के अफसर सैनिकों के साथ नहीं थे।

अजय घोष ने लिखा कि हड़ताल को साठ दिन हो गये हैं। सरकार की तरफ से समझौते के लिए जो कोशिश हुई, वह तेल मालिकों के रवैये के कारण बेकार हुई। सरकारी आदेश की चिन्ता न करके स्थानीय नौकरशाही नये रंगरूट भर्ती करने में तेल मालिकों की मदद कर रही है। ये रंगरूट पलटन की निगरानी में रखे जाते हैं जिससे मजदूर सघ के लोग उनमें सम्पर्क कायम न कर सकें। अजय घोष के अनुसार यह राष्ट्रीय महत्व की समस्या थी। "सारे देश में जो कुछ हो रहा है, डिगवोई की घटनाएँ उसी का ज्वलन्त उदाहरण हैं। जनता और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध प्रतिश्रियावाद ने जमकर धावा किया है। दस आक्रमण को विफल करना होगा। जनता का जवाबी हमला असम प्रान्त से शुरू होना चाहिए।"

जवाबी हमला आवश्यक था किन्तु कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ऊपर से तटस्थ होने का अभिनय कर रहा था, पलटन, पुलिस और सरकारी अफसरों की सारी कार्रवाई उसकी इच्छा के विरुद्ध न हुई थी। जवाबी हमले की शुरुआत होनी चाहिए थी कांग्रेसी मन्त्रियों के त्यागपत्र में।

'नैशनल फ्रण्ट' के इसी अंक में बंगाल के मन्त्रिमण्डल पर सोमनाथ ताहिड़ी का लेख प्रकाशित हुआ। लेख का सारास यह था कि मन्त्रिमण्डल नागरिक अधिकारों का दमन करना है और सुधार करने में क्षमकता है। किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। मजदूर भी इस बोझ से राहत चाहते हैं। लगान और कर्ज की अदायगी को लेकर जो भी आन्दोलन चला, उसे मन्त्रिमण्डल ने दबाया। सैकड़ों किसानों को बेदखल किया और जेल भेजा। बंगाल में फ़ज़लुल हक का मन्त्रिमण्डल था। वह "यूरोपियन मिल्मालिकों, ज़मींदारों और महाजनों का एजेण्ट था।" इस मन्त्रिमण्डल के अन्य कारनामों में एक यह भी था कि डाकखाने को आदेश दिये गये थे कि जिस पते पर भी 'नैशनल फ्रण्ट' भेजा गया हो, उस तक उसे पहुँचने न दिया जाये।

६ अगस्त १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में बंगाल के किसान-आन्दोलन पर एक लेख छपा। मन्त्रिमण्डल कहता था कि किसान सभा का आन्दोलन मुट्ठी-भर प्रचारकों का खेल है जो बड़ी-बड़ी बातें करके किसानों को फँसा लेते हैं। कर्ज के भयानक बोझ का अनुमान इससे होगा कि किसानों को लगभग २० करोड़ रुपया महाजनों को देना था। इस पर जो ब्याज देना था और जो लगान बाकी था, उस सबको जोड़ देने से ऋण का परिमाण २०० करोड़ तक पहुँचता था। इसके विरुद्ध किसानों ने संघर्ष किया। इस समय बंगाल में लोकप्रिय सरकार थी। किसान सभा के कार्यकर्त्ताओं को जेल में मच्छरो से अपनी रक्षा करने के लिए मसहरी लगाने की अनुमति नहीं थी। इसके विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल की थी। बंगाल की प्रान्तीय किसान सभा के महासचिव अब्दुल्ला रसूल का कहना था कि कोई भी आन्दोलन हो, भले ही वह सरकार के विरुद्ध न हो, सरकार उसे दबाने

के लिए दमन का सहारा लेती है। "सूबे में सरकार-समर्थक प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा किसान-आन्दोलन के विरुद्ध जो प्रचार किया जाता है, उसके बावजूद हिन्दू और मुसलमान किसानों का असन्तोष स्पष्ट रूप से बढ़ता जा रहा है। सरकार इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पसन्द करती है। इस मन्त्रिमण्डल में जिन अधिकांश पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने आसामी के हक और कर्ज सम्बन्धी कानून बनाने के बारे में चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किये थे। उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए असन्तोष बढ़ रहा है।"

मद्रास में कांग्रेसी सरकार थी। आन्ध्र प्रदेश में ज़मींदारों के विरुद्ध किसान आन्दोलन चल रहा था। मुनगल रियासत में पुलिस ने किसानों पर भारी अत्याचार किया। २५ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में इसका विवरण छपा। पुलिस ने किसान स्त्रियों को लाठी से मारा। जो लोग जेल भेजे गये, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष एन. जी. रंगा ने पुलिस-जुल्म की निन्दा की। कांग्रेसी मन्त्री प्रकाशम् ने रंगा तथा मुनगल के ज़मींदार से बातचीत करने के वाद सलाह दी कि किसान अपना संघर्ष बन्द कर दें। ६ जुलाई १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में मुनगल रियासत के किसानों के संघर्ष के बारे में एक और विवरण छपा। इसमें कहा गया था, "कांग्रेसी या गैरकांग्रेसी कोई भी प्रगतिशील संगठन ऐसा नहीं था जिसने किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पास न किये हों, पुलिस और ज़मींदार की निन्दा न की हो और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल से अपील न की हो कि वह सत्याग्रहियों की सहायता करे और पीड़ित जनता का पक्ष ले। फिर भी चुनाव-घोषणा पत्र में जनता से जो प्रतिज्ञा की गयी थी, उसके अनुसार मद्रास मन्त्रिमण्डल ने अपने कर्तव्य का पालन न किया, हज़ारों नागरिकों की आवाज़ उसने सुनी नहीं। ज़मींदार के शासन का उत्पीड़क रूप जानते हुए और किसानों के कष्टों को पूरी तरह समझते हुए भी वह टस से मस न हुआ यद्यपि वह यह भी पूरी तरह जानता था कि संघर्ष दरअसल शुरू कैंते हुआ है और उसका स्वरूप क्या है। मुख्यमन्त्री और मालमन्त्री दोनों ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों से कहा है कि वे कानून अपने हाथ में न लें, अपनी माँगें मनवाने के लिए कचहरी जायें। ये वही कचहरियाँ हैं जिन तक जानेवाले किसानों को ज़मींदार ३० साल से आतंकित किये हैं।" वेंकटसुब्बैया नाम के कांग्रेसी नेता ने कहा कि किसानों की माँगें तो ठीक हैं लेकिन सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा है कि मन्त्रिमण्डल असमंजस में पड़ जाये।

१८ जून १९३६ को राहुलजी ने छपरा में किसानों की विराट सभा को सम्बोधित किया। ये किसान बाढ़-पीड़ित इलाकों से एकत्र हुए थे। राहुलजी ने किसानों से कहा कि वे मन्त्रियों पर भरपूर दबाव डालें जिससे उन्हें आवश्यक सहायता मिले। २० जून को वह एक गाँव में थे जब ज़मींदार के लठैतों ने दो किसान कार्यकर्त्ताओं को उनके सामने मारा। २४ जून को राहुलजी को ६ महीने की सख्त कैद की सज़ा दी गयी। ३० रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न दें तो ३ महीने की कैद और। बिहार मन्त्रिमण्डल किसान कैदियों को राजनीतिक कैदी न मानता था। इसके विरोध में राहुलजी ने भूख-हड़ताल की। बिहार के प्रगति

किसान नेता कार्यानन्द शर्मा को इसी महीने किसान-सत्याग्रह के सिलसिले में एक साल की सजा हुई। बिहार में लोकप्रिय कांग्रेसी सरकार थी।

संयुक्त प्रान्त की सरकार कम लोकप्रिय नहीं थी। मजदूर-आन्दोलन को दबाने के लिए उसके अधिकारी अन्य सरकारों के समान आगे बढ़ रहे थे। बनारस के जिलाधीश ने २४ जुलाई १९३६ को एक आदेशपत्र निकाला। इसमें दो कम्प्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं एस. पी. त्रिपाठी और सत्यव्रत दासगुप्त को पेशेवर आन्दोलनकारी बताया गया। जिलाधीश के अनुसार बनारस और मुगलसराय में ये दोनों आदमी कई हफ्तों से मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे थे। जिले के अधिकारी मजदूरों की उचित माँगों पर विचार करने के लिए सदा तैयार थे लेकिन वे मजदूरों में पेशेवर आन्दोलनकारियों के कामों को शक की निगाह में देखते थे। जिलाधीश ने अपने मातहत अधिकारियों को आगाह किया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि पेशेवर आन्दोलनकारी मजदूरों से यूनियन के नाम पर चन्दा इकट्ठा न करें जब तक कि इस पैसों के हिसाब की जाँच न हो, चन्दा देनेवालों को हिसाब समझाया न जायें और जिस उद्देश्य से चन्दा दिया गया था, उसके अनुरूप वह खर्च न किया गया हो। जिलाधीश ने त्रिपाठी और दासगुप्त को चेतावनी दी कि वे सार्वजनिक सेवाओं में अड़चनें डालनेवाला कोई काम न करें। जिलाधीश ने कहा कि इन लोगों ने खुलेआम घोषणा की है कि वे ऐसी चेतावनी की परवाह नहीं करते, और वे चेतावनी के विरुद्ध जुलूस निकालने और सभा करने जा रहे हैं। वे मजदूरों की निगाह में जिले के अधिकारियों को क्षुद्र और अपने को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे जुलूसों और सभाओं से शान्ति भंग होने का खतरा है। सार्वजनिक मार्गों पर जो लोग कानून के अनुसार आते-जाते हैं, उनके इस काम में जुलूसों से बाधा पड़ती है। जिलाधीश ने बनारस और मुगलसराय में मजदूरों के जुलूस पर पाबन्दी लगायी। उन्होंने त्रिपाठी और दासगुप्त को मजदूरों की सभाओं में भाषण करने, पर्चे आदि निकालने से मना किया।

उक्त आदेश दो महीने के लिए था। वह ६ अगस्त १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में उद्धृत हुआ। उसके साथ पूरनचन्द्र जोशी का लेख प्रकाशित हुआ "क्या गांधीजी यह जानते हैं?" जोशी ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बारे में पूछा, इसे पढ़ने पर कौन कह सकता है कि फ़ज़लुल हक का बगाल या सिकन्दर हयात का पंजाब कारगुजारी में आगे है? "लेकिन बनारस संयुक्त प्रान्त में है जो कांग्रेसी प्रान्त है।" जोशी ने कहा कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने जो कम्प्युनिस्टविरोधी गश्ती चिट्ठी भेजी थी, बनारस के मजिस्ट्रेट का कारनामा उसी का नतीजा था। जिन यूनियनों से त्रिपाठी और दासगुप्त का सम्बन्ध था, वे रजिस्टर्ड यूनियन थे। इनके फण्ड की जाँच कानून के अनुसार की जाती है और सालाना हिसाब ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा की बात करता है। श्रम-सम्बन्धी विवादवाले, कानून के अनुसार भी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल करना गैरकानूनी काम नहीं था। [यह बात १९३६ के लिए सही थी किन्तु १९८१ में स्वाधीन भारत की सरकार ने ऐसी हड़तालों को गैर-

कानूनी करार दे दिया है।] जोशी ने लिखा कि कांग्रेस जिन् आदेशों के लिए संघर्ष करती रही है, उक्त आदेश उन सबको चुनौती देता है।

वनारस में त्रिपाठी और दासगुप्त के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी जुलूस निकालने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आम जनता के समर्थन और सहानुभूति के बल पर हम मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारा मार्ग स्पष्ट है।

२५ जून १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में मजदूरों के सम्बन्ध में वी. टी. रणदिवे का लेख प्रकाशित हुआ। मिल-मालिकों के आक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि यह किसी एक प्रान्त का मामला नहीं है वरन् अखिल भारतीय है और इसमें सन्देह नहीं है कि दम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से यह आक्रमण किया जा रहा है। मिल-मालिकों ने धन कैसे कमाया, यह बतलाते हुए, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के औद्योगिक विकास का रहस्य भी उद्घाटित किया। इस लेख में उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया, "सारे राष्ट्र ने स्वदेशी का जो व्रत लिया, उससे इन लोगों की जमात ने करोड़ों रुपये कमाये। अब ये लोग अपने हज़ारों देशवासियों और उनके परिवारों को भूखों मरने और तबाह होने की मजदूर कर रहे हैं। यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार से किसी वर्ग को यदि वास्तविक लाभ हुआ है, तो वह केवल भारत के सूती मिल-मालिकों को हुआ है। कौन नहीं जानता कि युद्धकाल में उन्होंने बेहिसाब मुनाफा कमाया? दो सविनय अवज्ञा आन्दोलनों के दौरान जब राष्ट्र जेल-जीवन और गिरफ्तारी का सामना कर रहा था, तब ये लोग करोड़ों वोटों में लगे थे। जिन्होंने इन्हे खिलाया-पिलाया और पाला-पोसा, उन्हीं पर अपने अतिरिक्त मुनाफे की रक्षा करने के लिए अब ये झपट रहे हैं। सभी निहित स्वार्थों का यही तरीका है। जब बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, तब उन्होंने ज़रा भी विचार न किया कि अपने कारखानों में पिसनेवाले मजदूरों को भी अपनी खुदा-हाली में शामिल करे। युद्धकाल में जब मुनाफे की दर ३०० फीसदी तक पहुँच गयी थी, उस समय भी लगातार संघर्ष किये बिना मजदूर अपनी पगार में बढ़ती न करा सके। दूसरी ओर जो भी अस्थायी सकट आता है, उसका भार वे मजदूरों पर डालने को आतुर रहते हैं, और इसके लिए ज़रा भी असमजस के बिना वे राज्यसत्ता के दमनतन्त्र को इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय असन्तोष के बल पर उनकी काया मोटी होती जाती है किन्तु राष्ट्र की प्रगति के भार को उठाने में वे भागीदार होना नहीं चाहते। यह है उनकी राजनीति और नैतिकता।" यहाँ रणदिवे ने इस मत का खण्डन किया है कि भारत का औद्योगिक विकास अंग्रेजों की कृपा का फल है। १९वीं सदी से ही स्वदेशी आन्दोलन जोर पकड़ने लगा था और जैसे-जैसे अंग्रेजों ने अपना तैयार माल भारत पर थोपना शुरू किया, वैसे-वैसे स्वदेशी आन्दोलन ही व्यापक तथा शक्तिशाली बना। सन् '२० और '३० में कांग्रेस ने जो आन्दोलन चलाये, वे देश के हित में थे, और वे भारतीय पूँजीपतियों के हित में भी थे। प्रथम महायुद्ध के बाद सूती उद्योग तेज़ी से विकसित हुआ और उसमें

शीय पूंजी का अनुपात बढ़ता गया, इसका कारण स्वदेशी आन्दोलन था।
 शी आन्दोलन के लिए त्याग और बलिदान का काम अन्य वर्गों ने किया, उससे
 उठाने का काम देशी पूंजीपति वर्ग ने किया। रणदिवे का यह तर्क बिल्कुल
 था कि सारे देश के प्रयत्न से कपड़ा-उद्योग के सूत्रधार करोड़पति बने हैं,
 लिए उन्हें अपनी खुशहाली में मजदूरों को भी शामिल करना चाहिए।
 मिल-मालिकों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए मजदूर पूरी तैयारी
 कर रहे थे। बम्बई के गिरनी कामगार यूनियन ने १४ मई को सभा की और यह
 प्रस्ताव पास किया कि अखिल भारतीय सूती मजदूरों का सम्मेलन हो और वह
 मिल-मालिकों के हमले का जवाब देने के लिए एक साथ कदम उठाये। कानपुर
 की मजदूर सभा ने इस सम्मेलन के प्रस्ताव का स्वागत किया और आम हड़ताल
 की तैयारी का फैसला भी किया। नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद आदि नगरों के
 मजदूरों ने इसी तरह संघर्ष करने की इच्छा का परिचय दिया। अहमदाबाद के
 मजदूरों की घोषणा के बारे में रणदिवे ने ट्रिप्ली की कि वर्ग सहयोग का सारा
 नगर है अहमदाबाद; अब पता लग गया है कि मजदूर अपना जवाबी हमला यहाँ
 भी करेंगे। मजदूरों में काम करनेवाले नरम और गरम सभी तरह के कार्यकर्ताओं
 ने मालिकों के हमले का मुकाबला करने का फैसला किया। कांग्रेस कमेटीयाँ
 सहानुभूतिपूर्वक मजदूरों की माँगों का समर्थन कर रही हैं, इसके उदाहरणस्वरूप
 रणदिवे ने संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का उल्लेख किया। २० मई
 को अपने प्रस्ताव में इस कमेटी ने चिन्ता प्रकट की कि कई जगह छटनी और
 कटौती के जरिये मिल-मालिकों ने हमला शुरू कर दिया है। २० जून को बम्बई
 की कुछ बड़े कांग्रेस कमेटीयाँ ने प्रस्ताव पास करके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों से कहा
 कि बड़ा संघर्ष अनिवार्य हो जाये, इससे पहले उन्हें दखल देना चाहिए। मजदूर
 केवल अपने वर्ग की लड़ाई न लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई सारी जनता के हितों की
 लड़ाई थी। रणदिवे ने सावधान किया कि सभी कांग्रेस कमेटीयाँ और कांग्रेसजनों
 में एक-ही भावना नहीं थी। वे सकट की गम्भीरता न समझ रहे थे। "मूली
 उद्योग के सकट में बात केवल मजदूरों के जीवन-स्तर की न थी बल्कि कांग्रेसी
 मन्त्रिमण्डलों के राजनीतिक भविष्य की थी। मजदूरों की पगार पर हमला
 कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पूरे कार्यक्रम पर हमला था; जगजादी कार्यक्रम के
 विषय निहित स्वार्थों की आम बगावत का एक हिस्सा यह हमला था। उमका
 उद्देश्य यह है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को पूंजीपतियाँ और जमींदारों की जन-
 विरोधी नीति लागू करने का साधन बना दिया जाये।" कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के
 प्रति यह दृष्टिकोण कम्युनिस्ट पार्टी की घोषित नीति के अनुरूप था। रणदिवे ने
 तर्क दिया कि मूली उद्योग की जीव कमेटीयाँ ने बड़ी जीव-मरण के बाद पगार
 में बढ़ती करने का प्रस्ताव किया था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इन प्रस्तावों को
 अमनी रूप दिया। इसलिए मिल-मालिकों का हमला जनवादी मन्त्रिमण्डलों के
 फौजों के विरुद्ध था। उन्होंने यह फैसला करी मोन-विचार के बाद किया था।
 कपड़ा-उद्योग के सकट का कारण पगार में बढ़ती नहीं है। १९३८ और ३९
 जितने समय तक यह बढ़ती मजदूरों को गुलाम हुई, उतने समय तक कपड़ा

उद्योग ऐसा समृद्ध रहा जैसा पहले वह कभी न रहा था। वम्बई मिल-मालिक संघ के अध्यक्ष ने ही यह सत्य स्वीकार किया था। मिल-मालिक मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जो भी कदम उठाया जाये, उसका वे विरोध करते हैं। केन्द्र की निरंकुश सरकार यह पड़्यन्त्र करती रहती है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को साम्राज्यवादी कानून और व्यवस्था का रक्षक बना दिया जाये। भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ है और कपास पर जो चुगी लगायी गयी है, उससे भारतीय उद्योग को धमका लगा है। मिल-मालिक चाहते हैं कि यह धमका मजदूर सहें और कांग्रेस का मजदूरों से सम्बन्धित कार्यक्रम खटाई में पड़ जाये। ऐसा होने से साम्राज्यवाद प्रसन्न होगा क्योंकि तब ये मन्त्रिमण्डल अपने लिए मजदूरों के समर्थन की माँग न कर सकेंगे। केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ब्रिटिश उद्योग को प्रोत्साहन मिले और इसका भार मजदूर उठायें। “यह हमला साम्राज्यवाद तथा निहित स्वार्थों, दोनों की ओर से है।” [देशी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद मिलकर मजदूरों पर हमला कर सकते हैं, यह स्थापना यहाँ विद्यमान है। १९४७ के बाद इसी स्थापना के विकसित रूप पर काफी बहस हुई थी।]

बहुत कम कांग्रेसजन और कांग्रेस-संगठन यह सब अनुभव करते हैं। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल आँख मूंदकर साम्राज्यवादी जाल में फँसते जा रहे हैं। “एक भी मन्त्रिमण्डल ने मिलमालिकों या केन्द्रीय सरकार को गम्भीर चेतावनी नहीं दी। वे उन्हें इस बात की छूट दे रहे हैं कि वे उनके [अर्थात् कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के] कार्यक्रम को धीरे-धीरे समाप्त करते जाये; इसके साथ पस्ती और फूट के बीज बोते जायें, वह अलग से।” रणदिवे ने संयुक्त प्रान्त की सरकार के आदेशों का उल्लेख किया है जिनमें मजदूरों के सघर्ष में काम करनेवाले कम्युनिस्टों के विरुद्ध कदम उठाने की बात कही गयी थी। कानपुर की मजदूर सभा के नाम पत्र में अशान्ति के लिए मजदूरों को दोषी ठहराया गया था। मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिए वम्बई में एक कानून बना हुआ था। उसी तरह का एक कानून श्रम-सम्बन्धी विवाद के बारे में संयुक्त प्रान्त की सरकार बनाना चाहती थी। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं, उन पर रोक लगायी जाये। मद्रास में [भावी राष्ट्रपति] गिरि महोदय ने मिलमालिकों की चेतावनी देने के बदले मजदूरों को फटकारा है कि वे लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वम्बई की फ्रिन्क्म मिल में मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद हुआ। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने मिलमालिकों पर दबाव न डाला कि वे गिरनी कामगार यूनियन से समझौते की वार्ता चलायें। इसके बदले उसने अश्रुगैस और हथियारबन्द पुलिस के जरिये मजदूरों को धमकाया। रणदिवे ने असम के मन्त्रिमण्डल का भी उल्लेख किया जिसने एक विदेशी तेल-कम्पनी को हड़ताली मजदूरों पर हमला करने का अवसर दिया। इस मन्त्रिमण्डल ने मजदूरों की माँगें पूरी करने के लिए न तो कारगर कदम उठाए और न मजदूरों को सघर्ष करने की आज्ञा दी। “इस तरह मन्त्रिमण्डल साम्राज्यवाद और निहित स्वार्थों के दोहरे आक्रमण के सामने घुटने टेकते जा रहे हैं। घुटने टेकते समय उन्होंने

मजदूरों को निःशस्त्र कर दिया है; चैतावनी मजदूरों को दी है और उनके नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है। सूती उद्योग के मसले पर यदि उन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिये तो उसका अर्थ होगा कांग्रेस के कार्यक्रम का पूरी तरह चौपट हो जाना। इसका अर्थ होगा कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल जन-विरोधी कार्यक्रम से बँध गये है; यही नहीं, इसका अर्थ होगा कि वे ऐसी नीति से बँध गये है जो भारतीय उद्योग और श्रमिक हितों की बलि देकर ब्रिटिश उद्योग-धन्यों को प्रोत्साहन देना चाहती है। निहित स्वार्थ और साम्राज्यवाद कदम-ब-कदम चलते हुए आसिर उस मंजिल तक पहुँच गये हैं जहाँ वे अपनी बात खुले खजाने और ढिठाई से भारतीय जनता पर लादना चाहते हैं।" यहाँ निहित स्वार्थ भारतीय पूंजीपति है जो साम्राज्यवाद के साथ कदम मिलाकर चलते हुए बताया गये है। सूती उद्योग के सकट को रणदिवे ने इनकी सयुक्त चुनौती माना है। मजदूर अपना दायित्व निवाहने की तैयारी कर रहे है। ए. आई. सी. सी. को देचना है कि मुट्ठीभर निहित स्वार्थ कांग्रेस के कार्यक्रम को हवा में न उड़ा दें। लकाशायर के हित में भारतीय उद्योग और श्रमिक वर्ग का बलिदान नहीं किया जा सकता। ए. आई. सी. सी. को मजदूरों से कहना चाहिए कि उनकी पगार में जो बढ़ती हुई है, वह कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कायम रहते बनी रहेगी।

किन्तु बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन ने ऐसा कुछ न किया। इसके विपरीत उसने दो प्रस्ताव पास किये। एक प्रस्ताव से उसने कांग्रेस-जनों पर पाबन्दी लगायी कि वे किसी भी तरह के सत्याग्रह में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी से अनुमति लिये बिना भाग न लेंगे। दूसरे प्रस्ताव के अनुसार मन्त्रिमण्डलों को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के नियन्त्रण से मुक्त करके एक संसदीय उपसमिति के नियन्त्रण में रखा गया।

ये दोनों प्रस्ताव कांग्रेसी सुधारवाद के अच्छे नमूने थे। भारतीय पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्तर्विरोध बना हुआ था। इस अन्तर्विरोध को कांग्रेस सुधारवादी तरीके से हल करना चाहती थी। वह आशा लगाये थी कि युद्ध छिड़ने पर अंग्रेजों को भारतीय सहायता और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी, तब वह मोल-भाव करके नयी रियायतें प्राप्त कर सकेगी। अनेक छोटे-बड़े वामपन्थी गुट इस समय कांग्रेस के भीतर थे। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह में वे अन्य कांग्रेसजनों का अपने साथ खींच सकते थे। इससे यह सम्भावना पैदा होती थी कि साम्राज्यविरोधी लड़ाई का प्रसार होगा और वह दक्षिणपन्थी नेताओं के काबू में न रहेगी। इसलिए प्रान्तीय कमेटियों की अनुमति के बिना कांग्रेसजनों के सत्याग्रह पर पाबन्दी लगायी गयी थी। जैसे-जैसे युद्ध की तैयारियाँ होती थी, वैसे-वैसे जनता का असन्तोष बढ़ता जाता था। इस असन्तोष को दबा रखने के लिए साम्राज्यवाद के पास मुख्य साधन था कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि भारतीय जनता का असन्तोष कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की ओर प्रेरित हो। ये मन्त्रिमण्डल लोकप्रिय सरकारें है, ये सरकारें किसानों और मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कार्यक्रम लागू करनेवाली है, यह सब कहने से इस बात पर पर्दा न डाला जा सकता था कि मन्त्रिमण्डलों

का कायम रहना स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में था। उसे यह अवसर मिलता था कि अपनी ओर बढ़नेवाले जनता के असन्तोष को वह कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की ओर मोड़ दे। क्रान्तिकारी उभार का मुकाबला करने में उसे झिझक होती थी; इसके लिए वह लोकप्रिय सरकारों को अपना साधन बनाता था। कांग्रेस में जो चरम दक्षिणपन्थी लोग थे, वे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों में शामिल थे। कांग्रेस में ऐसे काफ़ी आदमी थे जो संघर्ष के पक्ष में थे और अपनी ही सरकारों द्वारा जनता का दमन होते देखकर क्षुब्ध होते थे। ऐसे लोगों की आलोचना से मन्त्रिमण्डलों को बचाना जरूरी हो गया। कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व को प्रान्तीय कमेटियों पर इतना विश्वास तो था कि सत्याग्रह की अनुमति का अधिकार उनके हाथ में रहने दे पर इतना विश्वास न था कि मन्त्रिमण्डलों के कामकाज को जाँचने-परखने का अधिकार भी उनके हाथ में बना रहने दे।

कांग्रेस के भीतर जो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, फारवर्ड ब्लाक और रायवादी गुट थे, उन सभी ने एक संयुक्त वक्तव्य द्वारा इन प्रस्तावों की आलोचना की। पहले प्रस्ताव के बारे में कहा कि वह कांग्रेस के बुनियादी सिद्धान्तों और उसकी परम्परा के विरुद्ध है। कांग्रेस ने गरीबों और पीड़ित लोगों का पक्ष लिया, इसीलिए वह छोटी-सी जमात से बढ़कर एक शक्तिशाली संगठन बनी। अब इस प्रस्ताव से कांग्रेसजनों के इस बुनियादी अधिकार को नकारा गया है कि वे जन-संघर्षों में भाग लें। इसके साथ ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को उत्साहित किया गया है कि वे जन-संघर्षों को संगठित न करें और उनका नेतृत्व करने के अपने दायित्व का निर्वाह न करें।

मन्त्रिमण्डल बनने से इस नीति का क्या सम्बन्ध है, यह स्पष्ट करते हुए उस वयान में कहा गया था, "प्रान्तों में जब से कांग्रेस-जनो ने मन्त्रि-पद स्वीकार किये, तब से, और विशेष रूप में पिछले साल से, हमारे मन्त्रिमण्डल और उनके साथ कुछ कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी उस जन-असन्तोष का विरोध करने की दिशा में निरन्तर बढ़ते गये हैं जो सारे देश में फैल रहा है। इसके साथ-साथ देश में विद्यमान सामाजिक प्रतिक्रियावाद की शक्तियों से अक्सर समझौता करने में उन्होंने संकोच नहीं किया।" इस सुधारवादी दृष्टान्त का सही विवरण देते हुए वयान में कांग्रेस के संसदीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भी माना गया। इस कार्यक्रम के प्रति जनता में जागृति फैल रही थी। उसे खत्म करने के लिए कार्यसमिति ने यह प्रस्ताव पास कराया है। किन्तु कांग्रेस का संसदीय कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं हो सकता "जब तक उसका उपयोग आम जनता के संघर्षों को विकसित करने के लिए न हो, जब तक इन संघर्षों से वह शक्ति प्राप्त न करे।" वयान में जन-संघर्षों और संसदीय कार्यक्रम का यह आपसी सम्बन्ध ठीक बताया गया था किन्तु वह ठीक था स्वतन्त्र पूँजीवादी देश के लिए। पराधीन देश में संसदीय कार्यक्रम अत्यन्त संकुचित आधारवाली संसदीय प्रक्रिया पर निर्भर था। दूसरे महायुद्ध की पूर्ववेली में वह क्रान्तिकारी आन्दोलन को पथभ्रष्ट करने का साधन था। वयान में वामपन्थी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को असमंजस में नहीं डालना चाहते किन्तु देश में जो जन-संघर्ष चल रहे हैं, उन्हें

स्वायं देना या नये मसपरं मसटिन न करणा उनके लिए प्रमथ्य है ।

दूगरे प्रस्ताव के बारे में क्या न में ध्यान दिनाया गया कि काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल प्रान्तीय कमेटियों के नियन्त्रण में तो मुक्त होंगे ही, ये राष्ट्रीय कार्यमिति के नियन्त्रण में भी मुक्त होंगे । उन पर केवल एक मसदीय उपमिति का नियन्त्रण होगा । प्रस्ताव में कहा गया था कि काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कार्य पर मासंत्रिक बहस न होगी । क्या न के अनुसार प्रस्ताव का मसय आसितजनक भाग नहीं था । मन्त्रिमण्डलों की आसोधना कसमें का अधिकार राष्ट्रीय मसयंत्रनों को है और ऐसी आसोधना में लाभ देना है, यह बल अभी तक निसिस्ट भी । उम निसिस्ट बने रहना चाहिए । संभानना आसोधना में मरदार और जनता के बीच यह स्पष्ट मसकं बना रहना है जो किमी भी मोकप्रिय मरदार को निसिजानी बनाता है ।

१९३९ में तपाकमिा लीकप्रिय मरकारों को निसिजानी बनाने का प्रस न था । ऐसी या न उन्हें नहीं चाहिए जिनके अनुसार १९३९ के काने-कानून में भारत को लगभग स्वाधीन राष्ट्र बना दिया हो । भारत स्वाधीन नहीं था, इसलिए मरकार और जनता के बीच का मसकं मसथ न हो सकना था । यामपक्षी गुटों ने फैमला किया कि ये मभासों और प्रदर्शनों द्वारा मारे देन में देन प्रस्तावों का विरोध करेंगे । यह क्या न २ जुलाई १९३९ के 'नैशनल फसट' में प्रकाशित हुआ था । विरोध प्रदर्शन के लिए ९ जुलाई का दिन निसिवा किया गया । ९ जुलाई में दो दिन पहले काँग्रेस के अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद ने एक क्या न जारी किया कि काँग्रेस कमेटियाँ और काँग्रेस के पदाधिकारी ९ जुलाई के प्रदर्शनों में भाग न लेंगे । १६ जुलाई के 'नैशनल फसट' ने अपने मस्यारसीय में कहा, ऐसा लगता है कि यह पापन्धों काँग्रेस के चयनी मसबनों पर भी मागू नो गयी है । राजेन्द्रप्रसाद तो दक्षिणपन्धों नेता माने जाते थे । 'नैशनल फसट' को आदययं हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने विरोध-प्रदर्शन को काँग्रेस के गिलाफ बनायत कहा । माग ममार संकट के कमार पर है । ऐसे मसय में विरोध-दिवग का आयोजन, नेहरूजी के अनुसार, भारी अदूरदर्शिता का परिचय देनेवाला था; यह न राष्ट्रीयता है न ममात्रवाद है । 'नैशनल फसट' ने पूछा—मर-संगदीय सपरं मसदीय कानेवार्द के मातहत हो, यह काँग्रेस का सिदान्त कय में बना ? नेहरूजी के मसद दोहराते हुए पत्र ने सिमा कि मंसार संकट के कमार पर है, इसलिए मत्याग्रह-विरोधी प्रस्ताव पाग करना भारी अदूरदर्शिता ही नहीं है वरन् राष्ट्रीय मसगम के प्रति घोर अपराध है । औपचारिक अनुशासन के फेर में सतरनाक प्रस्तावों के विरुद्ध आन्दोलन करने के अधिकार से काँग्रेस-जननों को वचित नहीं किया जा सकता । "अपने क्या न में नेहरू उन दक्षिणपन्धियों के हाथ में मेल गये हैं जो यामपक्ष को फूटपरस्त कहकर उसकी निन्दा करने पर तुले हुए थे और जिन्हें देग बाल में गहरी दिलचस्पी है कि यामपक्ष को एकजुट करनेवाली जो ममिति बनी है, वह टूट जाये ।" जुलाई १९३९ के घटनाक्रम में काँग्रेस के भीतर यामपन्ध और दक्षिणपन्ध का भेद उभरकर सामने आया । साम्राज्यवाद के विरुद्ध मुसंगत रूप में लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे में काँग्रेस के समूचे नेतृस्य को रखना ही होगा, ऐसे हठ का कोई आधार न रह गया । जवाहरलाल नेहरू दक्षिणपन्धी नेताओं में कितनी दूर है और कितना उनके

पास, यह भी स्पष्ट हो गया।

१६ जुलाई १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' ने राजेन्द्र वावू के आह्वान की तुलना बिन बादल के आकाश से गिरनेवाली बिजली से की। उसके बाद नेहरूजी ने जो बयान दिया, उसकी तुलना उसने पीठ में छुरा भोकने से की। क्रान्तिकारी राष्ट्रीय मोर्चा बनाना कितना कठिन था, उसका आधार नेताओं और राजनीतिक गुटों की जोड़-तोड़ नहीं बरन् किसानों और मजदूरों के सुदृढ़ संगठन और उनकी एकता ही हो सकती है, यह स्पष्ट होता गया। ६ जुलाई के समाचारपत्रों में एम. ऐन. राय की अपील भी छपी। अपील नेहरू से की गयी थी कि वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को उस दिन के प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकें। 'नैशनल फ्रण्ट' ने इस अपील को विश्वासघाती कहा। राय अपने को सुसंगत वामपंथी कहते थे किन्तु "राष्ट्रीय पैमाने पर एकताबद्ध होकर जब पहली बार वामपक्ष क्रियाशील हुआ तब वह उसे तोड़ रहे थे। तथाकथित वामपंथी राय राष्ट्रीय एकता के विध्वंसक पहले ही थे, अब वह वामपक्ष की एकता के विध्वंसक भी बने। वैकल्पिक नेतृत्व की वकालत करनेवाले राय अमल में यह सलाह दे रहे थे कि दक्षिणपंथी विघटनकारी नीति के सामने घुटने टेक दो। जो विघटनकारी नीति शब्दाडम्बर द्वारा राजनीति में अपने को सबसे ज्यादा वाम दिखलाती थी, वह परीक्षा की घड़ी आने पर बेनकाब हो गयी, और सिद्धान्तहीन अवसरवाद तथा खालिस फूटपरस्ती के रूप में सामने आ गयी।" इस टिप्पणी से दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली यह कि राष्ट्रीय मोर्चे की एकता के लिए वामपक्षी एकता जरूरी है; जो वामपक्षी एकता में फूट डालता है, वह राष्ट्रीय एकता में भी फूट डालता है। दूसरी यह कि वामपक्ष में अवसरवादियों से संघर्ष किये बिना स्वयं वामपक्ष मजबूत नहीं हो सकता और वह राष्ट्रीय मोर्चे को भी मजबूत नहीं कर सकता। 'नैशनल फ्रण्ट' के अनुसार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने दक्षिणपंथी आक्रमण के प्रति तटस्थ रहने की नीति अपनायी थी। फिर भी सोशलिस्ट पार्टी की कार्यसमिति ने तै किया था कि लोग ६ जुलाई के प्रदर्शन

१६ जुलाई के उसी अंक में सज्जाद जहूर ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर अपने लेख में मसानी आदि के लेख की चर्चा की। उक्त चारों व्यक्तियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपने बयान में कहा था कि त्रिपुरी कांग्रेस के बाद से कार्यसमिति में मतभेद बढ़ता गया था। जब पार्टी ने वामपक्ष को एकजुट करनेवाली समिति में भाग लेने का फैसला किया, तब कार्यसमिति के बहुमत और इस गुट के बीच का फासला बढ़ गया। बयान में यह भी कहा गया था कि सोशलिस्टों के सहयोग के कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट प्रभावशाली हो गये हैं। "बयान में आगे कहा गया है कि यह बात अवाञ्छनीय है क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट सोवियत सरकार के ऐजेण्ट हैं और कांग्रेस, अहिंसा, जनतन्त्र, सोवियत संघ, उपनिवेशों की जनता और युद्ध को लेकर उनसे कांग्रेस सोशलिस्टों का मतभेद है।"

युद्ध में सोवियत संघ के शामिल होने से पहले, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लोक

युद्ध का नारा दिये जाने के पहले, दरअसल दूसरा महायुद्ध छिड़ने से पहले ही, कम्युनिस्ट-विरोध का झण्डा उठाकर सोशलिस्ट पार्टी का एक अंग सामने आ गया था। इस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट शामिल थे। मज्जाद जहीर उसकी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य थे। आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि अन्य सोशलिस्ट नेता अभी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने तीन साल पहले सभी समाजवादियों के लिए मार्क्सवाद को मार्गदर्शक माना था। उस पुस्तिका में गांधीवाद की पूरी आलोचना की गयी थी। मज्जाद जहीर ने उस पुस्तिका का हवाला देते हुए बताया कि पटवर्धन जैसे लोग मार्क्सवादी रास्ते से हटकर गांधीवाद का समर्थन कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले ६ जुलाई के 'नैशनल फ्रण्ट' में इसी विषय पर सोमनाथ लाहिड़ी का लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में उन्होंने मसानो, पटवर्धन, लोहिया और अशोक मेहता के बयान के उस पक्ष पर खासतौर से ध्यान दिया था जिसमें वामपक्षी एकता को सुदृढ़ करने की नीति की नुकताचीनी की गई थी। लाहिड़ी ने लिखा था कि ये लोग वामपक्ष को सुदृढ़ करने के विरुद्ध इसलिए हैं कि इससे कांग्रेस दो अलग-थलग गुटों में बँट जायेगी। इसके बदले सारी कांग्रेस को प्रभावित करके उसे गर्मदली बनाना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास में अनेक बार जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा ही तर्क दिया था और वह कांग्रेस के भीतर ही नहीं मारे देश के भीतर दक्षिणपन्थ और वामपन्थ का भेद मिटा देने की बात कहते थे। लाहिड़ी ने बड़ी पक्के की बात कही थी, "इन लोगों के लिए समूची कांग्रेस की एकता अपने आपमें एक हवाई लक्ष्य बनकर रह जाती है। किन्तु कांग्रेस की एकता जब तक साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए एकता न हो, तब तक वह एकदम निरर्थक हो जाती है।" यह बात पक्के की इसलिए थी कि आगे चलकर मज्जाद जहीर ने जोशी, अधिकारी आदि नेताओं के साथ जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता का नारा दिया, तब यह नारा भी एकदम निरर्थक था क्योंकि साम्राज्य-विरोधी लड़ाई से उसका कोई सम्बन्ध न था। लाहिड़ी ने लिखा कि दक्षिणपन्थ समझौते की राह पर चल रहा है और इस कारण जो लोग किसी समझौते को बिना लड़ाई चलाना चाहते हैं, उनसे उसका विरोध बढ़ता जाता है। जो लोग सारी कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, उनकी एकता जरूरी है। इन्हें मिलकर संघर्ष-विरोधी प्रवृत्ति से नड़ना चाहिए और जो लोग संघर्ष के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनका एका मजबूत करना चाहिए।

लाहिड़ी ने आगे लिखा, "समाजवादी आन्दोलन का आधार है मार्क्सवाद-लेनिनवाद। उससे हम क्या सीखते हैं? हम यह सीखते हैं कि किसी उपनिवेश में, पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति में भी, सर्वहारा को राष्ट्रीय संग्राम में पहल करनेवाला और उस संग्राम का सगठनकर्ता होना चाहिए; जो भी शक्तियाँ राष्ट्रीय संग्राम का समर्थन करती हों, उसे उनका नेता होना चाहिए। आज स्थिति क्या है? सारा संगठित किसान-आन्दोलन सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधियों, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों, के एकमात्र निर्देशन और नेतृत्व में बढ़ा है और अब भी बढ़ता जा रहा है। इसमें हमें अपनी ऐतिहासिक भूमिका पूरी करने के लिए ज़बर्दस्त साधन

कजुट करे जो साम्राज्यवाद को एकजुट करें अर्थात् उन तमाम शक्तियों को जो वृत्तियों को खत्म करने में सफल हो सकते हैं और सारी कांग्रेस को संघर्षपथ

साहिदी ने कहा कि अभी तक वामपक्ष फूट और दुलमुलपन के विरुद्ध संघर्ष
कर रहा है। इस समय दक्षिणपन्थ ने और भी जोर से आक्रमण किया है। इस
वामपक्ष की एकता पहले से भी अधिक आवश्यक है। इस एकता के अभाव
कांग्रेस की एकता भी कायम न रह सकेगी। मसानी आदि के रूढ़ान को मार्क्स-
राह से अलग हटाने का नतीजा बल्ललाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग राष्ट्रीय
एकता आन्दोलन में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका स्वीकार नहीं
करते। सघर्ष के लिए एकता को आधार बनाये बिना समूची कांग्रेस को प्रेरित
नी नीति का अर्थ होता है सघर्ष-विरोधी पूँजीपतिवर्ग के नेतृत्व के आगे
संघर्ष। उसका तर्कसंगत परिणाम है शान्तिपूर्ण और वैध उपायों पर
आधार। गांधीजी की तरह इनके लिए भी साधन का महत्व साध्य से बढ़कर
करते हुए साहिदी ने लिखा, "सघर्ष की मजिदों के अनुसार संघर्ष
होते हैं। किन्हीं मजिदों में शान्तिपूर्ण और वैध उपाय संघर्ष
जीवन देते हैं। इस कारण उत्पीड़ित वर्ग इनका उपयोग करते हैं जैसा
तः अभी वे भारत में कर रहे हैं। किन्तु आधुनिक राज्यसत्ता का
गठित हिस्सा। शान्तिपूर्ण और वैध उपायोंवाला संघर्ष जितना ही तीव्र
हो सत्ताधारियों द्वारा उत्पीड़ित जनो की आकांक्षाओं के विरुद्ध
हजार अनिवार्य होता जाता है। ऐसी स्थिति में हिस्सा ने पूरी तरह
मतलब होता है जालियों की हिस्सा को मजूर करना। वर्गयुक्त
शब्द के इतिहासके विवेचन से यह साबित हो चुका है कि उत्पीड़ित
ताओं को ध्वस्त करने के लिए साम्राज्यवाद और पूँजीवाद अपनी
उपयोग करते रहे हैं और वे ऐसा करने को बाध्य हुए थे।
को बलपूर्वक रोकने की बात न मानने का अर्थ है आम जनता
की शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण के लिए कहना। यह समाज-
समाजवाद का निहायत घटिया विरोध है।" जो भी २०वीं
शताब्दी में भारत की परिस्थितियों पर ध्यान देगा, वह मानेगा कि
जिन्हें वह चात्तीस साल पहले कहता था। मार्क्सवादियों ने
उत्तर दिया था, उसका युक्तिपूर्ण सण्डन न तब किया गया था
जब की एकता कायम करना राष्ट्रीय एकता के लिए बयो
वर्गसंवादी लेखों से समझ में आती हैं।

साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय मोर्चा और मजदूर वर्ग / ३८६

तमाम पाबन्दियाँ लगाने के वायजूद ६ जुलाई को जगह-जगह सभाएँ और प्रदर्शन हुए। बम्बई की एक गभा का विवरण इस प्रकार है: "कम्युनिस्टों की ओर से रणदिवे में भाषण किया। बार-बार उनके भाषण का स्वागत ज्वरदस्त करतल-ध्वनि से हुआ। उन्होंने मुख्य शत्रु ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर ध्यान केन्द्रित किया। इससे लड़ने के लिए कांग्रेस की एकता और जनता की जुझारू शक्ति को और मजबूत करना जरूरी था, न कि इन्हें विपटित करना जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाह रहा था। क्या होना चाहिए? कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल जनता के आन्दोलन का समर्थन करें या मन्त्रिमण्डलों की बनाये रखने के लिए जनता अपना आन्दोलन बन्द कर दें? हमारे पास कांग्रेस एक बहुत बड़ा हथियार है। सपर्ये के लिए और सपर्ये के द्वारा उसे लगातार पैनाये रखना जरूरी है। यदि नेतृत्व को उसकी मौजूदा राह पर चलने दिया गया तो कांग्रेस महिलाओं की छतरी बनकर रह जायेगी।" ६ जुलाई की सभाओं और प्रदर्शनों के विवरण १६ जुलाई के 'नैशनल फ्रण्ट' में छपे। कानपुर में कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों और रायदादियों ने मिलकर प्रदर्शन किये। उन्नाव की तहसीलों में तीन सभाएँ कांग्रेसी एम. एल. ए. लोये ने सम्बोधित कीं। "शथुत वामपक्ष ने एक ही दल के समान आगरे में कार्य किया। कांग्रेस और छात्रों के झण्डे तथा लाल झण्डे जुलूस के ऊपर फहराते रहे और जोरदार नारे सुनायो दिये: एक ही जंग का ऐलान करो! पालियामेण्टरी जहनियत का सात्मा हो! रियासती आन्दोलन शुरू करो! ए. आर्द. सी. सी. रिजोलूशन वापस लो!" (ये नारे इमी स्थ में 'नैशनल फ्रण्ट' में छपे हैं।)

३० जुलाई १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में ६ जुलाई के प्रदर्शनों पर सोमनाथ लाहिड़ी का महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विवेचन प्रकाशित हुआ। उनका कहना था कि ६ जुलाई में भारतीय जनता के स्वाधीनता मग्नम में एक नया युग शुरू हुआ है। सामूहिकपैमानेपर वामपक्षी राष्ट्रवाद और सर्वहारा तथा किसानों की शक्तियों की एकता अमल में कायम होना शुरू हुई है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि की सभाओं और प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वामपक्ष को एकजुट करनेवाली कमेटी अर्थात् समाजवादियों और वामपक्षी राष्ट्रवादियों को एकजुट करनेवाली कमेटी ने पहली बार यह राजनीतिक कदम उठाया था। पण्डित नेहरू के लिए और दक्षिणपन्थ के लिए यह सब कांग्रेस में फूट डालने की शुरुआत थी। वामपक्ष में भी कुछ अति उत्साही लोग हैं जिनकी समझ में अब दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं। ए. आर्द. सी. सी. ने सत्याग्रहपर जो पाबन्दी लगायी, उससे कांग्रेस को आगे बढ़ानेवाली प्रेरक शक्ति ही खत्म होती है, जनता की निगाह में कांग्रेस का गौरव समाप्त होता है। "कांग्रेसजनों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तक को कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के मातहत बना देने से ऐसा ही नुकसान होता है। कांग्रेस की पहलकदमी समाप्त होती है, जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की पहलकदमी समाप्त होती है। वे मन्त्रिमण्डलों के हाथ में खिलौने बनकर रह जाते हैं। सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिबन्ध लगाने से उन सुधारवादी और नीकरशाही प्रवृत्तियों की बल मिलता है जो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों में पनप रही हैं।"

अनुशासन तभी तक मान्य है जब तक वह किसी सस्था के उ
 में सहायक हो, यह बताने के बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में लि
 स्थिति दक्षिणपन्थ से भिन्न है। "उनमें निम्न पूंजीवादी दुलमुलपन
 और गरमदली प्रवृत्तियों के अंतर से वह जनता की मांगे स्वीकार
 और एकता के लिए सकारात्मक नारे देते हैं। किन्तु जहाँ इनके
 सघर्ष करने की नीवत आती है, यहाँ पुराने अटकाव उन्हें धाम लेते
 पथी आक्रमण के मामले वह पस्त हो जाते हैं और अनुशासन की रक्षा के
 उनके साथ सड्डे हो जाते हैं।" युद्ध के दौरान और बाद को नेहरूजी की
 मार्क्सवादियों ने जो कुछ लिखा, उसको तुलना में यह विद्वलेपण अधिक
 किन्तु सन् '४७ से पहले, और उसके बाद विशेष रूप से, स्वयं नेहरू ने ऐस
 निर्धारित की जिसका परिणाम वही होता था जो दक्षिणपन्थी नीति का
 किमी समय उन्हें निम्न पूंजीवादी कहना सार्थक रहा होगा; कुल मिलाव
 भारतीय उद्योगपतियों के प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका निवाह
 है। उनका दुलमुलपन, प्रगतिशील कदम अथवा प्रतिक्रियावादी रक्षान, इन स
 व्याख्या वर्गआधार पर सम्भव है और यह वर्ग निम्न पूंजीवादी नहीं बडे
 छोटे उद्योगपतियों का है।

लेख के अन्त में सोमनाथ लाहिडी ने ठीक लिखा है कि कांग्रेस में दक्षिण अ
 वाम टूटकर अलग-अलग न हो जायें, यह इस पर निर्भर है कि हम स्वयं सा
 राष्ट्र को अपने साथ कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। लाहिडी के इस लेख में वाम
 पक्षी एकता के ऐतिहासिक महत्त्व का जोरदार समर्थन है। यह एकता कुछ नेताओं
 और गुटों की एकता नहीं है, यह मूलतः किसानों और मजदूरों की एकता है। यदि
 किसानों और मजदूरों की एकता उनके जनसंगठनों द्वारा सुदृढ नहीं होती, तो
 वामपक्षी मोर्चा एक कागजी मोर्चा बनकर रह जायेगा, उसे किसी भी नाम से
 पुकारा जाये। लाहिडी का कहना कि हम सारे देश को अपने साथ कहाँ तक आगे
 ले जा सकते हैं, एक नयी रणनीति की सूचना देता है। यह रणनीति कांग्रेस के
 प्रभावशाली नेतृत्व में अभीले करने के बदले उसे जनता की कार्रवाई द्वारा झुकाने
 पर जोर देती है, उसके दुलमुलपन को खत्म करने का सही रास्ता बतलाती है।
 इस रणनीति को लागू करने के लिए धैर्य और लगन के साथ किसानों और
 मजदूरों में काम करना जरूरी था। मार्क्सवादी नेता सुसगत रूप से सघर्ष चलाने
 की बात करते थे किन्तु उनमें काफी लोग ऐसे थे जो धैर्य खोकर राष्ट्रीय एकता के
 नाम पर दक्षिणपन्थी नेताओं के पीछे चलने को तैयार हो जाते थे। भारत आज
 जिस स्थिति में है, उसका मूल कारण यही है।

६ अगस्त १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' ने कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के बारे में
 सम्पादकीय रूप से लिखा कि साम्राज्यवाद ने उनका उपयोग हमारी एकता को
 तोड़ने के लिए किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने वामपक्षी आन्दोलन को दमन के
 द्वारा समाप्त करने की बराबर कोशिश की पर वह सफल न हुआ। "साम्राज्य-
 वाद ने हमारी एकता को तोड़ने और शक्ति को ध्वस्त करने के लिए नयी रणनीति
 निकाली। उनमें नया सविधान लागू किया जिसमें कि ये झूठे सुधार उसके विरुद्ध

बढ़नेवाली कोटि-कोटि जनता का अभियान रोक दें और वह शत्रु को अपने बाहर देखने के बदले उसे अपने मोर्चे के भीतर ही खोजना शुरू कर दें। क्या हम इस जाल में फँस जायेंगे? पदग्रहण के बाद गांधीजी निरन्तर यह उपदेश देते रहे हैं कि संघर्ष के वारे में चिल्लाने के बदले यदि हम शत्रु के हृदय-परिवर्तन की कोशिश करें तो हमें स्वराज मिल जायेगा और यह स्वराज जनता नहीं, मन्त्रिमण्डल हमें देगा। जनता के लिए प्रायश्चित्त, शत्रु के लिए शान्ति। यही गांधीजी की नीति है।" गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम पर, साम्प्रदायिक एकता, अछूतोंद्वारा और नशाबन्दी पर जोर देते रहे हैं। कांग्रेस इस रचनात्मक कार्यक्रम की मजिल से आगे बढ़ चुकी है। लखनऊ कांग्रेस के बाद से वह अधिक यथार्थवादी कार्यक्रम बनाने में लगी रही है। उसने कांग्रेस को राष्ट्र की जुझारू शक्तियों का मोर्चा बनाने की बात कही है, मजदूरों और किसानों के आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को एकताबद्ध करने की बात कही है। यह बात उसके चुनाव घोषणा-पत्र में है, उसके प्रस्तावों में है, उसके अध्यक्ष नेहरू और बोस के भाषणों में है। साम्राज्यवाद किसानों और मजदूरों के जवर्दस्त उभार से आतंकित है। वह कांग्रेस से मीठी-मीठी बातें करता है; कहता है तुम अहिंसावादी हो, ये किसानों और मजदूरों के आन्दोलन हिंसावादी है, इन्हें अलग हो जाओ। गांधीजी इससे सहमत हो जाते हैं। "राष्ट्रीय नेतृत्व कभी भी मन से कांग्रेस के नये कार्यक्रम पर विश्वास न करता था। वह समझौते की अपनी नीति पर अडिग रहा और कांग्रेस के प्रस्तावों को शब्दजाल मात्र समझता रहा। किन्तु जब जनआन्दोलन उस नीति को लेकर आगे बढ़ चुका है, जब उसके आधार पर राष्ट्रीय संग्राम की मांग हो रही है, जब संघ [फेडरेशन] को लादने का दिन नजदीक आ रहा है, तब राष्ट्रीय नेतृत्व अपना कदम उठाने का फैसला करता है, लेकिन उल्टा कदम उठाने का : कांग्रेस अपनी नीति को लागू करने में थमी रहे और कांग्रेसजन चुप रहें, नहीं तो बाहर जायें।" विश्व-परिस्थितियों की ओर संकेत करते हुए सम्पादकीय टिप्पणी के लेखक ने कहा, "कांग्रेस ने जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की नीति अपनायी, वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन पर विश्व समाजवादी आन्दोलन के प्रभाव का नतीजा थी और भारतीय समाजवादियों के प्रयत्न का फल थी। अब तक की सारी कमाई सफल है। उसे बचाने के लिए आगे आना है किन्तु राष्ट्रीय एकता की रक्षा कैसे हो सकती है जब तक समाजवादी एकता कायम नहीं होती? हर गम्भीर समाजवादी को इसी बात की ओर तुरत ध्यान देना है।"

५. साम्प्रदायिक समस्या और सुधारवादी रुझान

३१ दिसम्बर १९३६ के 'नैशनल फ्रण्ट' में संविधान सभा पर एक लेख छपा है। इसमें साम्प्रदायिक समस्या के वारे में एक नये दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। समस्या की पृष्ठभूमि यह है कि युद्ध छिड़ने से राष्ट्रीय नेताओं के मन में नयी आशा का संचार हुआ। उन्होंने सोचा कि युद्ध की कठिनाइयों से साम्राज्यवाद का दिमाग ठीक हुआ होगा और वह उनकी मांग कम-से-कम आंशिक रूप में मान लेगा। "वह आशा फलवती न हुई। कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दी गयी।

कांग्रेस को ब्लैक-मेल करने के लिए साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादियों को इस्तेमाल किया गया, यह धमकी दी गयी कि यदि कांग्रेस अपनी माँग पर अड़ी रही तो दंगे होंगे। साम्प्रदायिक समस्या के समाधान का एक क्रान्तिकारी तरीका था। कांग्रेस साहसपूर्वक घोषणा करे कि वह मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक माँगें स्वीकार करती है, मुस्लिम लीग और मुस्लिम जनता का आह्वान करे कि वे राष्ट्रीय माँग को मनवाने के लिए कांग्रेस का साथ दें, युद्ध के जिन परिणामों से जनता के सभी स्तर पीड़ित हैं, हिन्दू और मुसलमान दोनों पीड़ित हैं, उनके विरुद्ध हकीकत में संघर्ष छेड़ दिया जाये, आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक दमन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा जाये। इससे साम्प्रदायिकता का खतरा जल्दी ही खत्म कर दिया जाता या कम से कम बहुत कमजोर बना दिया जाना। सामान्य संघर्ष में हिन्दू-मुस्लिम जनता की जुझारू एकता सुदृढ़ होती। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जानबूझकर यह तरीका ठुकरा दिया।”

१९२० से १९४० तक की अवधि में मुस्लिम लीग को भारत के राष्ट्रवादी आमतौर से साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी संगठन मानते थे, उनकी दृष्टि में वह राष्ट्रीय आन्दोलन में फूट डालने के लिए साम्राज्यवाद का साधन थी। यह दृष्टि केवल कांग्रेसजनों की ही नहीं थी, कम्युनिस्टों की भी थी। १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने के बाद जनता में जो असन्तोष बढ़ा, उससे लाभ उठाकर मुस्लिम लीग ने पिछड़े हुए मुसलमानों में अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रभाव-विस्तार का सीधा कारण कांग्रेसी नेताओं का सुधारवाद था। इसी सुधारवादी राजनीति के कारण कांग्रेस ने साम्राज्यवाद द्वारा दी हुई रियायतें स्वीकार करके मन्त्रिमण्डल बनाये। जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने, उन्हीं में मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा। इस तथ्य से यह घात साबित होती है कि मुस्लिम लीग के प्रभाव के बढ़ने का सीधा सम्बन्ध अंग्रेजों के बनाये हुए १९३५ के कानून के अन्तर्गत पदग्रहण से था। इससे यह नतीजा निकलता है कि मुस्लिम लीग का प्रभाव खत्म करने के लिए ब्रिटिश सविधानवाद के चौखटे से बाहर निकलना जरूरी था, उन रियायतों को ठुकराना जरूरी था जिनके जरिये अंग्रेज साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आन्दोलन में फूट डाल रहे थे। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से १९३५ के कानून का समर्थन था। दो बातें एक साथ न हो सकती थी, मन्त्रिमण्डलों का समर्थन करना और मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करना। यह अनिवार्य था कि जो लोग अंग्रेजों के बनाये हुए सविधानवाद के मार्ग पर चल रहे थे, वे मुस्लिम लीग का प्रभाव खत्म करने में असफल हों और आगे चलकर उससे समझौता करें।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में राष्ट्रीय-संयुक्त मोर्चे को लेकर तगड़ा सुधारवादी हकान था। वे कांग्रेसी मन्त्रियों को जनता के मन्त्री कहने लगे थे, मन्त्रिमण्डल बनाने को साम्राज्यविरोधी रणनीति का कौशल समझने लगे थे। मन्त्रिमण्डलों का निर्माण कांग्रेसी सुधारवाद का फल था। इस सुधारवाद को जो लोग साम्राज्यविरोधी कौशल बता रहे थे, वे सुधारवाद का समर्थन करने के बदले और क्या कर रहे थे? कांग्रेसी नेता चतुर थे। उन्होंने ब्रिटिश सुधारों को ठुकराने

के बहाने उन्हें स्वीकार किया; उन्होंने कहा, हम मन्त्रिमण्डल बनाकर सन् ३५ का काला कानून विधान सभाओं के भीतर धुसकर तोड़ेंगे। इस कानून में साम्प्रदायिक आधार पर मुसलमानों को विशेष रियायतें दी गयी थी। उसमें राष्ट्रीय विघटन के बीज विद्यमान थे। इन बीजों को अंकुरित करने का काम मन्त्रिमण्डल ने किया। मुस्लिम लीग ने कहा, अभी इनके हाथ में पूरी सत्ता नहीं है, तब ये मुसलमानों को इतना सत्ता रहे है; जब इनके हाथ में पूरी सत्ता आ जायेगी, तब ये मुसलमानों को नेस्तानाबूद करके ही दम लेंगे। इसलिए मुसलमानों का अलग राज्य बनना चाहिए, वे हिन्दुओं के अधीन होकर एक ही राज्य में कभी न रहेगे। १९३५ के कानून में मुस्लिम सम्प्रदायवाद को जो विशेष रियायतें दी गयी थीं, उन्ही का तर्कसंगत विस्तार और प्रसार था १९४० का पाकिस्तान प्रस्ताव।

कांग्रेस का प्रमुख गढ़ था सयुक्त प्रान्त। सिन्ध, बंगाल, पंजाब और सीमान्त प्रदेश में मुसलमानों का अनुपात बहुत अधिक था, सयुक्त प्रान्त में यह अनुपात बहुत कम था, किन्तु मुस्लिम लीग के आन्दोलन की मुख्य भूमि इसी सयुक्त प्रान्त की भूमि थी। कम्युनिस्ट नेता यह देख रहे थे कि उत्तर भारत में लीग का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने परिस्थिति को छानबीन शुरू की और इस नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जनसमर्थन को समझने में गलती की है। कांग्रेसी नेता बराबर यह दिखाते रहे कि वे साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग के विरोधी हैं, कांग्रेस ही मुसलमानों की प्रतिनिधि है, मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक माँगें वे कभी स्वीकार न करेंगे। इसके साथ ही वे अंग्रेजों के बनाये सविधानवादी रास्ते पर आगे बढ़ते गये, सन् ३० या ४२ के से आन्दोलनों में वे इस रास्ते से थोड़ा-ना हटते थे, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए हटते थे, लौटकर फिर उसी पर आ जाते थे। पाकिस्तान बनने तक वे बराबर साम्प्रदायिकता और मुस्लिम लीग के विरोध का डका पीटते रहे लेकिन चलते रहे उस दूसरी सड़क पर जिसके अन्त में अंग्रेजों से, और मुस्लिम लीग से, समझौता करना अनिवार्य था। यही उनकी चतुराई थी। कम्युनिस्ट नेता मुस्लिम लीग का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर सोचने लगे कि कहीं न कहीं मुस्लिम लीग की माँगों में सच्चाई है। लीग को जनसमर्थन मिल रहा है, इसलिए उतकी उचित माँगें स्वीकार करनी चाहिए। इस मुकाम से आगे बढ़ते हुए वे मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार और पाकिस्तान के समर्थन तक पहुँचे। कांग्रेसी नेताओं ने उनकी मूर्खता से लाभ उठाया, उन्हें मुस्लिम लीग का समर्थक कहकर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। किन्तु कम्युनिस्ट नेताओं की यह नीति कांग्रेसी सुधारवाद के समर्थन का ही परिणाम थी; कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को समर्थन करके उन्होंने १९३५ के ब्रिटिश कानून का जो समर्थन किया, यह उसी का नतीजा था। बहुत से लोग समझते हैं कि सन् ४२ में लोक-युद्ध का नारा देने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम लीग का समर्थन करना शुरू किया। यह बात गलत है। सन् ४२ में और उसके बाद कम्युनिस्ट नेताओं ने लीग का समर्थन करके जिस सुधारवादी हस्तान का परिचय दिया, उसकी शुरूआत युद्ध छिड़ने से पहले ही हो चुकी

थी। उसका कारण कांग्रेसी सुधारवाद का समर्थन था, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का समर्थन था। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के बारे में कम्युनिस्ट नेताओं ने जिस गहन समझ का परिचय दिया था, वही जड़ है उनमें गहरे पंठे हुए सुधारवाद की। कांग्रेसी सुधारवाद के समर्थन का ही एक पहलू था मुस्लिम लीग का समर्थन। इसी का तर्कसंगत परिणाम था, युद्धकाल में पूरनचन्द जोशी का नारा—कांग्रेस-लीग एक हो !

कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थे महमूदुज्जफर। 'नैशनल फ्रण्ट' के सम्पादक-मण्डल में पाँच नेता थे—जोशी, रणदिवे, डागे, अजय घोष और महमूदुज्जफर। इनमें रणदिवे और डागे अखिल भारतीय नेता होने के अलावा प्रादेशिक स्तर पर महाराष्ट्र के नेता थे, बाकी तीन प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रान्त के नेता थे। महमूदुज्जफर का कार्य-क्षेत्र जोशी और अजय की अपेक्षा संयुक्त-प्रान्त ही अधिक रहा था। उन्होंने मुस्लिम लीग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का सवाल उठाया था। उनका लेख 'साम्प्रदायिक अटकाव' ('द कम्यूनल बोल्टर') 'न्यू एज' मासिक (जून १९३६) में प्रकाशित हुआ था। जिस अनुभव के आधार पर वह परिस्थिति का विवेचन कर रहे थे, वह संयुक्त प्रान्त की परिस्थिति थी और दो वर्षों तक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने जो कुछ किया था, उसका परिणाम यह परिस्थिति थी। अपने लेख में उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में आम जनता के भीतर संगठन और राजनीतिक चेतना की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय संगठन (कांग्रेस) की शक्ति और प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कांग्रेसी सरकारों ने जनता को एक हृद तक नागरिक अधिकार दिये, आर्थिक राहत दी। आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया से उसकी विरोधी प्रतिगामी शक्तियों को भी मैदान में आने का मौका मिला है। इनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण वह अलगाववादी आन्दोलन है जो इस देश के मुसलमानों में इतनी तेजी से इस समय बढ़ रहा है।

मुस्लिम लीग इन अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देनेवाला मुख्य संगठन है। पिछले वर्ष (अर्थात् १९३८ में, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने के एक वर्ष बाद) कांग्रेस ने लीग से मतभेद दूर करने की कोशिश की किन्तु लीग चाहती है कि उसे मुसलमानों के एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में स्वीकार किया जाये। जब तक कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल नहीं बनाये, तब तक मुस्लिम लीग के नेताओं में राष्ट्रीय आन्दोलन में कोई खास वैचनी पैदा नहीं की। उनके जीवन और अधिकारों में अभी तक सीधा हस्तक्षेप न हुआ था। अब उनमें हृत्पथ शुरू हुई। वे नेता ससदीय गुटबन्दी और ससदीय राजनीति के दायरे में गान्धिविचार कल्पे हैं। "नई सरकारों में उनके ओहदे और उनकी जगहें अब उनके पास नहीं हैं। नये कांग्रेसी कानून से उन्हें अपनी जमीदारियों और सम्पत्तियों के लिए मन्त्र पंदा होता दिखायी देने लगा है। वे डर रहे हैं कि इन नया के विधि और संगठित होने से उनके आसामी उनके गिनाने उठ सके होंगे। परमाणु में नये निम्न मध्यवर्ग पर उनका जो अगर बना हुआ है, वह सभ्यता का भय है। इसलिए अब अपना जनमत पर कल्पे हैं कि वे मन्त्रियों के

अपना आधार बना रहे हैं।" आम मुसलमान जनता राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, गरीब है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उसे मुह्त से दबा रखा है। इस-सर्वसंवे फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है, कांग्रेस हिन्दू पूंजीपतियों का संगठन है जो साम्राज्यवाद से अपने लिए ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें पाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मिलकर काम कर रहा है। कांग्रेस जनतान्त्रिक सरकार के लिए जोर लगाती है तो इसका असली उद्देश्य बहुसंख्यक हिन्दुओं के हाथ में हमेशा के लिए सत्ता बनाने रखना है। कांग्रेस राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जोर लगाती है। उसका असली उद्देश्य यह है कि वह मुसलमानों की अलग पहचान पूरी तरह मिटा दे और उन्हें अपने हिन्दू दायरे में घसीट ले। हिन्दू और मुसलमान, मजहब के विचार से ही नहीं, नस्ल के विचार से भी बिल्कुल अलग हैं। अग्रेज मुसलमानों से दगा कर रहे हैं जैसे कि फिलिस्तीन में दगा की है। उन्हें उनके कोई सरोकार न रखना चाहिए। कांग्रेस हिन्दुओं का संगठन है; मुसलमानों का एकमात्र संगठन मुस्लिम लीग है।

लीगी नेताओं की इन बातों का हवाला देने के बाद महमूदुज्जफर ने लिखा, "इन सभी में सत्य का अंश है पर उसके साथ असत्य का अंश भी है।" (इस स्थापना से सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि जो सत्य का अंश है, उसे मान लेना चाहिए, जो असत्य का अंश है, उसे छोड़ देना चाहिए अर्थात् आशिक रूप से कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग का समर्थन करना चाहिए।) गोरखपुर में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, वह आखिरी खोल देनेवाला था। हिन्दुओं की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना, सभी का जोरों से तालियाँ बजाकर स्वागत किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति मुस्लिम-लीग में कोई सुसंगत विरोधभाव नहीं है। अग्रेजों से रियायतें पाने के लिए जन-सघर्ष चलाने का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। मुस्लिम लीग उन वर्गों के हाथ में है जो लोकतन्त्र से डरते हैं। मुस्लिम लीग के प्रति अपने रवैये में (अर्थात् राष्ट्रीय आन्दोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के रवैये में) सशोधन करना चाहिए। लीग के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है, उसका प्रभाव बढ़ा है। अलगाववादी प्रवृत्तियाँ किसान और मजदूरों में भी पनप रही हैं। लीग को प्रतिक्रियावादी कहना गलत है। इससे मुस्लिम जनता साम्राज्यविरोधी सघर्ष से दूर ठेल दी जायेगी। "मुस्लिम लीग आज एक वास्तविक जन-संगठन है। आम मुसलमान जनता यह विश्वास करती है कि उसे अपनी आजादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद और हिन्दू पूंजी-वाद से प्राप्त करनी है। हमारा काम यह है कि हम उन्हें अपने सघर्ष में खींच लायें और उनकी राजनीतिक स्थापनाओं को स्पष्ट करें। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम मुसलमान जनता को प्रतिक्रियावादी और क्रान्तिविरोधी कहकर उसे अपमानित करते रहेगे, उसका संगठित होने का अधिकार अस्वीकार करते रहेगे, उसकी रोटी-रोझी, उसकी जबानो, उसकी शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा करते रहेगे।" (महमूदुज्जफर ने यह सब दूसरा महायुद्ध शुरू होने से पहले, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किये जाने से पहले, लिखा था। मुस्लिम लीग के नेता जमीदारियों और तालुकदारियों के लिए चिन्तित थे, यह

बात वह मानते हैं। ये सामन्ती तत्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुख्य सहायक थे, यह बात वह जानते थे यद्यपि यहाँ लिखी नहीं है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने से पहले तक मुस्लिम लीग के नेता राष्ट्रीय आन्दोलन से बिल्कुल परेशान न रहे हो, ऐसा तो न था। हर आन्दोलन के बाद साम्प्रदायिक दगो की सख्या और परिमाण में बढ़ती हुई। किन्तु सन् '३७ के बाद साम्प्रदायिकता में विशेष बढ़ती हुई। इसका सम्बन्ध कहीं कांग्रेसी सुधारवाद से है, कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों के बनाये हुए काले कानून को मान लेने से है, इसकी ओर कोई हल्का-सा इशारा भी इस लेख में नहीं है। कांग्रेस में और उसके चलाये हुए स्वाधीनता-आन्दोलन में कोई कमी है तो यह कि वह मुसलमानों की उपेक्षा करती है किन्तु वह साम्राज्यवाद से जो रियायतें लेती है, वह मुस्लिम लीग से समझौता करके ही ले पाती है, यह बात महमूदुज्जफर ने नहीं कही। कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता कांग्रेसी सुधारवाद से बँधा हुआ है, वह बहुत जल्दी वर्ग-दृष्टिकोण खोकर, वर्ग संगठन बनाने और वर्ग-संघर्ष चलाने की मूल आवश्यकता भूलकर, प्रतिक्रियावादी नेताओं के पीछे छोटा-मोटा जनसमूह भी बढते हुए देखकर आतंकित हो उठता है। जिन्हे उस समय लोग क्रान्ति-विरोधी और प्रतिक्रियावादी कहते थे, उन्हें वह मुसलमान जनता से अभिन्न मान लेता है। मुस्लिम लीग को प्रतिक्रियावादी कहना उसे मुसलमानों का अपमान प्रतीत होने लगता है। वह उनकी राजनीतिक स्थापनाओं को स्पष्ट करने का मुझाव देता है जिसका मतलब है साम्राज्यवाद के सहायक संगठनों की भाँगी का ऐसा भाष्य करना कि वे, कम-से-कम आशिक रूप में, प्रगतिशील जान पड़ने लगें। महमूदुज्जफर का सारा चिन्तन सयुक्त प्रान्त की स्थिति से प्रभावित है, यह उनका लेख पढ़ने से बराबर स्पष्ट होता जाता है। लीग के जिस सम्मेलन ने उनकी आँखें खोल दी थी, वह सयुक्त प्रान्त के नगर गोरखपुर में ही हुआ था।)

अलगाववादी प्रवृत्तियों में जो बढ़ती हुई है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम कांग्रेस में एक वास्तविक राष्ट्रीय, असाम्प्रदायिक भावना और विचारधारा का विकास नहीं कर सके, कांग्रेस में मुस्लिम जनता को खींच लाने में असफल रहे, उसमें (कांग्रेस के प्रति) विश्वास की भावना पैदा करने में असफल रहे। कांग्रेस अपना मुस्लिम जनसम्पर्क का कार्यक्रम अमल में नहीं ला सकी।

यदि महमूदुज्जफर की ये सारी बातें मान भी ली जायें, तो उनसे यह नतीजा निकलेगा कि जो साम्प्रदायिकता कांग्रेस के भीतर है, उसे निकालना चाहिए, न कि यह कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता से समझौता करना चाहिए। और मूल प्रश्न यह है कि कांग्रेसी सुधारवाद के मुकाबले कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्वतन्त्र क्रान्ति-कारी भूमिका कहाँ तक निवाहती है। लेख में यह प्रश्न प्रस्तुत ही नहीं किया गया। लीगी नेताओं की स्थापना के बारे में आगे महमूदुज्जफर ने लिखा कि कांग्रेस हिन्दू पूंजीपतियों का संगठन है और अंग्रेजों से मिलकर अपने लिए रियायतें चाहती है, यह बात तब खत्म हो जायेगी जब कांग्रेस मुसलमानों को पूंजीपतियों, जमींदारों, महाजनो, राजाओं और साम्राज्यवाद के खिलाफ आंग्र दिन की लड़ाइयों में खींच लायेगी। (यदि कांग्रेस ऐसा करने की स्थिति में होती तो मुस्लिम लीग का जन्म ही न होता। अपने जन-आन्दोलन चलाने के बावजूद कांग्रेस कभी

भी पूरी तरह ब्रिटिश संविधानवाद के चौखटे से बाहर नहीं निकली। भारतीय राजनीति में गांधीजी के आविर्भाव से पहले और उनके आविर्भाव के बाद भी कांग्रेस पर यह बात लागू होती है। अपने जन्म से लेकर अब तक, लगभग एक शताब्दी के जीवन में, कांग्रेस की अटूट संविधानवादी परम्परा रही है। यह परम्परा पहले बहुत मजबूत थी और अनेक बार बहुत कमजोर दिसायी दी पर वह टूटी कभी नहीं। इसीलिए उसे अटूट कहा।) लीगी नेता कहते थे कि लोकतन्त्र के लिए जोर लगाकर कांग्रेस हमेशा के लिए हिन्दुओं के ह.थ में सत्ता बनाये रखना चाहती है। यह बात तब स्वप्न हो जायेगी जब कांग्रेस न्यायपूर्ण ढंग से इस बात का ध्यान रखेगी कि "उसके नियन्त्रण में जो भी जनतान्त्रिक सगठन हैं, उनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बना हुआ है, जब वह सभी मंचाओं, सरकारी जगहों वगैरह में उनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करेगी।" (यहाँ वर्ग-संगठन बनाकर वर्ग-हितों के लिए लड़ने की बात छोड़ दी गयी है। उसके बदले मुसलमानों को साम्प्रदायिक आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है और यह प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में भी होगा। वर्ग-संगठनों और वर्ग-संघर्ष के अभाव में साम्प्रदायिकता कैसे बढ़ती है, इसका उदाहरण यहाँ मौजूद है। मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो मानी बात है, हिन्दू भी अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। यदि महमूदुज्जर में कहा जाता कि आपकी नीति से मुस्लिम साम्प्रदायिकता ही नहीं, हिन्दू साम्प्रदायिकता भी उभरेगी तो वे जरूर नाराज़ होंगे। पर एक सम्प्रदाय को वर्गआधार से हटकर साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने का मतलब ही होता है दूसरे सम्प्रदाय के प्रतिश्रियावादी नेताओं को आगे बढ़ने का अवसर देना। जब किसी जाति के लोग सम्प्रदायों के आधार पर सगठित होंगे, तो उनमें जातीयता का भाव क्षीण होगा, यह अनिवार्य है। वर्ग-संगठन और वर्ग-संघर्ष के बिना जातीयता सुदृढ़ नहीं होती वरन् भीतर से टूटती है। केवल पूंजीवादी विचारक कहते हैं कि वर्ग-संघर्ष चलाने से जातीय एकता खण्डित हो जायेगी। वास्तव में जातीय एकता को खण्डित करनेवाले वे पूंजीवादी विचारक हैं जो साम्प्रदायिकता से समझौता करते हैं। और वे ऐसा समझौता करने को बाध्य हैं क्योंकि उनकी रणनीति साम्राज्यवाद पर दबाव डालने के बावजूद उससे समझौता करने की ही है। और साम्राज्यवाद कहता है, हमसे समझौता करना है तो अमुक सगठन के नेताओं से समझौता करो; तुम्हारे राष्ट्रीय नेता होने का दावा हम नहीं मानते; तुम एक सम्प्रदाय के नेता हो, तुम्हारे विरोधी दूसरे सम्प्रदाय के नेता हैं। अकेले तुमको कैसे सत्ता सौंप दें? साम्राज्यवाद की इस नीति को विफल करने की शक्ति केवल जनता के क्रान्तिकारी वर्ग-संगठनों में है, साम्प्रदायिक सगठनों में नहीं, ये सगठन चाहे छोटे सम्प्रदाय के हो चाहे बड़े सम्प्रदाय के।)

लीगी नेता कहते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्कृति आदि की जो चर्चा करती है, उसका उद्देश्य मुसलमानों की अलग पहचान मिटाना है। यह बात तब स्वप्न हो जायेगी, "जब कांग्रेस हकीकत में मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर उर्दू के प्रसार और उसकी सुरक्षा का समर्थन करेगी और जनता के इस पिछड़े हुए भाग की

शिक्षा को प्रोत्साहन देनी। यदि मुसलमान जनता अपनी भाषा बनाये रखना चाहती है और उसका विकास सबसे अच्छी तरह उस भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, तो इस पर हमारी ओर से कोई आपत्ति न होनी चाहिए।”

(यहाँ महमूदुज्जफर ने उर्दू के साथ हिन्दुस्तान के सारे मुसलमानों का सम्बन्ध जोड़ा है। कश्मीर, सिन्ध और बंगाल जैसे प्रदेशों में मुसलमानों की भारी संख्या है और उनकी भाषा उर्दू नहीं है, यह बात उनके दिमाग में आती ही नहीं है। इसका कारण यह है कि वह सारे देश के मुसलमानों की समस्या को संयुक्त प्रान्त की सीमाओं के भीतर में देख रहे हैं। यदि यह मान लिया जाये कि संयुक्त प्रान्त के मुसलमानों की भाषा उर्दू ही है अथवा समूचे हिन्दी प्रदेश के मुसलमानों की भाषा उर्दू है, तो भी वह सारे देश के मुसलमानों की भाषा कैसे होगी? यदि कोई आदमी, वह मार्क्सवादी ही क्यों न हो, अपने ऊपर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को हावी होने देगा तो वह विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाली जातियों के अस्तित्व को अवश्य दरकिनारा करेगा। यदि वह मान ले कि कश्मीरी, सिन्धी, बलूची, पठान, बंगाली मुसलमानों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं तो सारे देश के मुसलमानों के साथ किसी एक भाषा को जोड़नेवाला खेल ही खत्म हो जाये। यह स्वाभाविक है कि उर्दू को मुसलमानों की अपनी भाषा कहा जायेगा तो दूसरे सम्प्रदाय के नेता हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहेंगे। हिन्दी हिन्दुओं की और उर्दू मुसलमानों की, ये दो अलग-अलग भाषाएँ हैं, इस स्थापना को निखार-सँवारकर आगे सज्जद जहाँ ने प्रस्तुत किया किन्तु सबसे पहले, कम-से-कम बीज-रूप में, उसे प्रस्तुत करने का श्रेय महमूदुज्जफर को है।)

लीगी नेता चौथी बात यह कहते थे, हिन्दू और मुसलमान धर्म से ही नहीं नस्ल से भी अलग-अलग हैं। महमूदुज्जफर के अनुसार इससे देश दो साम्प्रदायिक भागों में बँट जायेगा। यह बात तब खत्म हो जायेगी जब दोनों सम्प्रदायों के बीच व्यवहार बढेगा, एक-दूसरे के रीति-रिवाज के प्रति सहनशीलता होगी और ऐसी सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार होगा जिसमें विभिन्न जातीय गुटों के सामान्य उद्गम पर जोर दिया जायेगा, इस देश के विभिन्न साम्राज्यविरोधी वर्गों के सामान्य उद्देश्यों पर जोर दिया जायेगा जिससे अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम बढेगा और उसके हर अंग को सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने की इच्छा पैदा होगी। हमें आम जनता को बताना चाहिए कि विभिन्न भागों में बाँटे जाने से उसके सिर पर आर्थिक बोझ और बढ़ जायेगा, पहले से भी ज्यादा शोषण होगा, “इसके अलावा साम्राज्यवादी प्रभुत्व पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो जायेगा।” (इसमें सन्देह नहीं कि देश का विभाजन होने से आम जनता का शोषण बढ़ गया है, उसके सिर पर जो आर्थिक बोझ पहले था, वह और भारी हो गया है। यद्यपि मुस्लिम लीग ने अभी पाकिस्तान का प्रस्ताव पास न किया था किन्तु उसकी चर्चा होने लगी थी। इसीलिए महमूदुज्जफर ने विभाजन के परिणामों की बात लिखी थी। शोषण के बढ़ने का एक कारण यह था कि विभाजन से साम्राज्यवाद ने जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन में ज्वरदस्त विघटन पैदा किया। देश के विभाजन को तीस साल से ऊपर हुए, पाकिस्तानी क्षेत्रों में जन-

वादी आन्दोलन अभी भी बहुत कमजोर है। इन क्षेत्रों पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व और सुदृढ़ हुआ है। महमूदुज्जफ़र ने नस्लभेदवाली बात की सीधी आलोचना नहीं की। उन्होंने विभिन्न जातीय गुटों (एथ्नोलोजिकल ग्रुप्स) के सामान्य उद्गम (कॉमन पैरेंटहुड) की बात कही है। यदि यहाँ विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, तो एक ही नस्ल उनका उद्गम नहीं हो सकती। सबसे पहले मुसलमानों को, और हिन्दुओं को भी, यह समझाने की जरूरत थी कि अरब, ईरानी और तुर्क, भाषा और संस्कृति के विचार से, तीन अलग समुदायों के लोग हैं। विभिन्न जातियों का धर्म एक होने से उनकी जातीय विभिन्नता घटम नहीं हो जाती, वे एक कौम नहीं हो जाते। इसी तरह हिन्दुस्तान के सारे मुसलमान एक कौम नहीं हैं। महमूदुज्जफ़र ने, और उनके बाद अधिकांश मार्क्सवादियों ने, जातीयता की दृष्टि से मुसलमानों की समस्या पर विचार नहीं किया। जहाँ इस दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जायेगा, वहाँ जातीयता के स्तर पर अलगाव का विरोध करना जरूरी हो जायेगा। जातीय एकता का अर्थ दो धर्मों के भेद को मिटा देना नहीं है। विभिन्न जातियों का एक ही धर्म हो सकता है जैसे अधिकांश ज़रेजों और जर्मनों का धर्म ईसाई है, वैसे ही एक ही जाति में अनेक धर्मों को माननेवाले रह सकते हैं जैसे कि अमरीकी जाति में ईसाइयों के अलावा यहूदियों का एक प्रभावशाली समुदाय है। महमूदुज्जफ़र ने देश के हर अंग को उन्नत करने की बात कही है। यहाँ उनका ध्यान भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहनेवाली, विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाली जातियों की ओर नहीं है। उनका ध्यान सम्प्रदायों की ओर है। एक अंग है हिन्दू सम्प्रदाय, दूसरा अंग है मुस्लिम सम्प्रदाय, इसी तरह ईसाई, सिक्ख आदि अन्य अंग हैं। इन सबकी उन्नति होनी चाहिए। किन्तु ऐसे प्रत्येक अंग में, प्रत्येक सम्प्रदाय में, एक ओर राजा, ज़मींदार, महाजन और पूंजीपति हैं, दूसरी ओर शोष जनता है। पूरे सम्प्रदाय की उन्नति का अर्थ सम्पत्तिशाली वर्गों की उन्नति ही होगा, क्योंकि आम जनता की उन्नति उन शोषकों के विरुद्ध सघर्ष के बिना हो नहीं सकती जो उसके भीतर विद्यमान हैं। हिन्दू पूंजीपतियों में लड़ो, यह नारा इस बात को छिपाने के लिए था कि गरीब मुसलमानों पर नवाबों का प्रभुत्व बना रहे। ये नवाब साम्राज्यवाद के चमचे थे। उनका प्रभुत्व हिन्दू पूंजीपतियों के प्रभुत्व से भी ज्यादा खतरनाक था। और पूंजीपति मुसलमानों में भी थे। हिन्दू राजा और ज़मींदार मुसलमान नवाबों और ज़मींदारों के साथ, अपने वर्ग-संगठनों में एक-दूसरे का साथ देते हुए, 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' का उदाहरण पेश कर रहे थे, किन्तु वे साधारण जनता से अलग-अलग साम्प्रदायिक संगठनों में शामिल होने को कहते थे। उनकी हिन्दू-मुस्लिम एकता अंग्रेज़ी राज्य के समर्थक सामन्तवर्ग की एकता थी। वह एकता अंग्रेज़ों के हित में थी, इसलिए उसे तोड़ने के बदले वे उसे कायम रखने में सहायता करते थे।)

मुस्लिम लीग के नेता पाँचवीं बात यह कहते थे कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से दगा की है जैसे कि फिलिस्तीन में और मुसलमान उनसे कोई सरोकार न रखेंगे। यदि इस बात को तर्कसंगत परिणाम तक पहुँचाया जाये तो कार्यक्रम यह बनेगा कि सबसे पहले मुस्लिम लीग को खत्म करना चाहिए क्योंकि उसके अधिकांश नेता

समर्थन कर रहे थे। उनकी धारणा यह थी कि कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन जरूर है किन्तु उसमें साम्प्रदायिक समस्या को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस कारण मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता करना और राष्ट्रीय मोर्चे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यदि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती तो निस्सन्देह वह मुख्यतः हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था मानी जायेगी। मुस्लिम लीग विशुद्ध मुस्लिम संगठन थी, कांग्रेस उसी तरह 'विशुद्ध' हिन्दू संगठन नहीं थी पर 'अशुद्ध' हिन्दू संगठन तो थी ही, इसलिए राष्ट्रीय मोर्चा बनेगा कांग्रेस और लीग को मिलाने से। इसके लिए लीगी नेताओं पर दबाव डालनेवाला एक प्रगतिशील गुट मुस्लिम लीग में होगा और इसी तरह मुस्लिम लीग के पक्ष में कांग्रेस को प्रेरित करने के लिए दबाव डालनेवाला एक प्रगतिशील गुट कांग्रेस में होगा। इस योजना के अनुसार युद्धकाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने काम किया पर यह नीति युद्धकालीन परिस्थितियों द्वारा निर्धारित न हुई थी, वह निर्धारित हुई थी युद्ध से पहले की परिस्थितियों द्वारा, १९३५ के काले कानून को मानने और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाने से जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, उनके द्वारा निर्धारित हुई थी। यह नीति उस समय से पैदा हुई थी जो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का अर्थ यह लगाती थी कि उसकी समझौतावादी नीति का समर्थन किया जाये। कांग्रेसी नेताओं के सुधारवाद से संघर्ष करने में जो अवसरवादी झिझक थी, वह क्रमशः पुष्ट होती हुई उस सुधारवाद का समर्थन करनेवाली नीति बन गयी। इस अवसरवादी प्रवृत्ति का परिणाम था मुस्लिम लीग और साम्प्रदायिक समस्या का वह विदलेपण जो महमूदुज्जफर के लेख में प्रस्तुत किया गया था। भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास को समझने का मतलब है उस अवसरवादी रुझान को समझना जो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के दौरान पनपा था और युद्धकाल में जो एक विशाल वृक्ष बन गया था। इस वृक्ष की जड़ काटे बिना कम्युनिस्ट आन्दोलन सही दिशा में प्रगति नहीं कर सकता।

'न्यू एज' के जिस अंक में महमूदुज्जफर का उक्त लेख प्रकाशित हुआ था, उसी में अजय घोष का 'एम. ऐन. राय और वर्ग-संगठन' लेख छपा था। इसमें भी साम्प्रदायिक समस्या की चर्चा है। अजय ने यह दिखलाया है कि साम्प्रदायिकता को दूर करने का तरीका वर्ग-संगठनों के आधार पर जनता के संघर्ष चलाना है। ऐसा लगता है कि अजय महमूदुज्जफर के दृष्टिकोण से परिचित थे और यह दृष्टिकोण केवल महमूदुज्जफर का नहीं था, कुछ अन्य नेता भी उसी तरह के रुझान का परिचय दे रहे थे। जो भी हो, अजय और महमूदुज्जफर के लेख कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दो भिन्न और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के सूचक थे। महमूदुज्जफर का लेख सीधे मुस्लिम लीग पर है, अजय का लेख वर्ग-संगठनों और किसानों पर है। साम्प्रदायिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे कैसे निपटा जाये, यह समस्या दोनों लेखों में है। इसलिए अजय के लेख की चर्चा करना यहाँ युक्तिसंगत है।

अजय ने अपने लेख में बताया कि एम. ऐन. राय के लिए स्वतन्त्र किसान

सभाओं का अस्तित्व हानिकारक है, कांग्रेस को ही किसान-संस्था बना देना चाहिए, मजदूर सभाओं को केवल आर्थिक मांगों के लिए आन्दोलन करना चाहिए। राय की इन बातों का खण्डन करते हुए अजय ने लिखा कि कांग्रेस में किसानों की बहुतायत है, फिर भी उस पर आधिपत्य है पूँजीपति वर्ग का। “किसान आन्दोलन के द्वारा ग्रामीण कांग्रेस-संगठन परिवर्तित होकर किसान-विद्रोह के साम्राज्य-विरोधी माधन बन जायेंगे। इस आन्दोलन को विकसित करने के लिए किसान सभाओं को जरूरत है।” राय की नीति यह है कि कांग्रेस कमेटियों को समझाओ कि वे किसानों की लड़ाई में भाग लें। जब तुम्हारे समझाने से वे मान जायें कि ऐसी लड़ाई जरूरी है, तब उन कांग्रेस कमेटियों के द्वारा किसान-आन्दोलन शुरू करो। अजय ने बगाल का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ किसानों में कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम है। किसानों में असन्तोष बढ रहा है। “अपने वर्गस्वरूप के कारण कांग्रेस इस असन्तोष का उपयोग करने और साम्राज्यविरोधी दिशा में उसे ले चलने में असमर्थ है। सगठित किसान सभा के अभाव में यह असन्तोष या तो छुटपुट हिंसात्मक वारदातों में खत्म हो जायेगा या फिर राष्ट्रविरोधी उद्देश्य के लिए साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी उसका उपयोग करेंगे। पिछले समय में ठीक यही हुआ है। केवल पिछले दो वर्षों में गरमदली कांग्रेस जनो ने जोरदार किसानसभाई काम करके एक हद तक किसानों को साम्प्रदायिक प्रभाव से मुक्त किया है और उन्हें राष्ट्रीय प्रभाव में ले आये है।” अजय ने दूरन्देशी की यह बात १९३६ में कही थी। उसकी सच्चाई १९८१ में और भी निखरी हुई दिखायी देती है। देश के विभिन्न भागों में क्रान्तिकारी किसान-आन्दोलन के नाम पर छुटपुट हिंसात्मक वारदातें हुई हैं और उनके साथ ही प्रतिक्रियावादियों की शक्ति बढी है। सम्प्रदायवाद और अति उग्रवाद दोनों तरह के रूझान साथ-साथ बढे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि किसानों में, और उनके साथ जनता के अन्य स्तरों में भी, असन्तोष भयानक रूप से बढा है। कांग्रेस अपने वर्गस्वरूप के कारण इस असन्तोष को सही दिशा में प्रेरित नहीं कर पाती। उसे सही दिशा में प्रेरित करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी किसान सभाओं की है, वामपन्थी आन्दोलन की है, कम्युनिस्ट पार्टी (पार्टियों) की है। वामपन्थी आन्दोलन बढा है, कम्युनिस्ट आन्दोलन बढा है और वह विघटित भी हुआ है। अखिल भारतीय पैमाने पर वह परिस्थिति में कारगर ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाया। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वह महामूदुरजकर वाली नीति के प्रभाव से अपने को अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं कर सका। यह प्रभाव उन लोगों पर भी है जो कम्युनिस्ट आन्दोलन के भीतर सुधारवाद के विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं।

महामूदुरजकर के लेख से कुछ महीने पहले १२ मार्च १९३६ के ‘नैशनल फ्रण्ट’ में साम्प्रदायिक समस्या पर बी. टी. रणदिवे का लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख से पता चलता है कि साम्प्रदायिकता के बढते हुए प्रभाव से अनेक कम्युनिस्ट नेता चिन्तित थे और वे इस समस्या पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक समझते थे। रणदिवे के अनुसार राष्ट्रीय आन्दोलन प्रगति करता गया है और उसके सामने साम्प्रदायिक समस्या की चुनौती भी रही है। “पिछले कुछ

दी गयी। उसका बढ़ना हुआ असन्तोष साम्प्रदायवाद की ओर मोड़ दिया गया।

जनता के मिले-जुले संघर्ष न चलाना एक कारण है। किन्तु “केवल आधिक्य मामलों के समर्थन से साम्प्रदायिक दृष्टिकोण गायब न हो जाएगा। दाताब्दियों से जनता के विभिन्न भाग हिन्दुओं या मुसलमानों के रूप में रहते आये हैं। उन्हें समझाया गया है कि भारत का इतिहास लगातार होनेवाले दंगों का इतिहास है। अल्पसंख्यक मुसलमानों के मन में बहुसंख्यक समुदायों के प्रति सन्देह बना हुआ है। जनवादी परम्परा के अभाव में मुस्लिम धर्म को लेकर विचित्र सन्देह उत्पन्न हो जाते हैं। साम्प्रदायवाद को अपनी खुराक इन्हीं सन्देहों और परम्पराओं में मिलती है। यदि ये परम्परागत प्रभाव न होते तो साम्राज्यवाद को सफलता न मिलती। इन्हीं प्रभावों के कारण मुस्लिम जनता साम्प्रदायिक फूटपरस्तों को अकसर अपने हितों का वास्तविक रक्षक मान बैठती है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की माँग, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग, सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी की माँग, इन माँगों को बल मिला है उस भय और सन्देह से जो उस जनता में ही हैं। इस सन्देह से ही समय-समय पर साम्प्रदायिक नेताओं से रामझीने की बात करना जरूरी हो जाता है।” कांग्रेस ने इस सन्देह को मिटाने की भरसक कोशिश की है। नौकरियों और विधान-सभाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व मान लेने को वह तैयार है, वह मुस्लिम सस्कृति और धर्म की सुरक्षा के लिए गारण्टी देती है। “उसने बदनाम साम्प्रदायिक फैसला (कम्यूनल अवार्ड) भी गले में नीचे उतार लिया है। फिर भी मुस्लिम जनता से वह और अच्छे सम्बन्ध न कायम कर सकी। साम्प्रदायिक तुष्टीकरण की वर्तमान नीति से विघटनकारी प्रवृत्तियों को केवल बढ़ावा मिलता है और अल्पसंख्यक जनता से सम्बन्ध जोड़ने का काम पहले की तरह दूर बना रहता है। इसका कारण यह है कि जनता में सीधा सम्पर्क कायम न करके साम्प्रदायिक नेताओं को बहुत महत्व दिया गया। ये नेता चाहते हैं कि संघर्ष किए बिना ही माल हाथ आ जाये और वे राजनीतिक सुरक्षा के भूँछे हैं।” कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की माँगें मानी हैं। इससे साम्प्रदायिक समस्या हल न होगी। इससे शुरुआत भर होगी, अच्छा वातावरण बनेगा। जनता की असली माँग उसकी गरीबी से पैदा होती है। कांग्रेस यह नहीं समझ पायी कि जनता को जोड़नेवाली धर्म से भी बढकर एक और कड़ी है भूख।

लेख के अन्त में रणदिवे ने कांग्रेस के तौर-तरीके बदलने की बात कही है। “बरसों तक मुस्लिम जनता से अलग रहने के कारण कांग्रेस में एक विचित्र हिन्दू वातावरण बन गया है। कांग्रेस के समारोह हिन्दू उत्सव जैसे हो जाते हैं। राज-

हुए—अल्पसंख्यक जनता पर उनका प्रभाव है—कांग्रेस को चाहिए कि वह उन्हें नागरिक मानकर, पददलित भाग मानकर, उनसे सीधा सम्पर्क कायम करे। नौकरियों को लेकर, प्रतिनिधित्व और सस्कृति-सम्बन्धी गारण्टी को लेकर जो भी उचित माँगें हैं, उन्हें मजूर करना चाहिए।” किन्तु इन शुरुआत भर मानना

चाहिए। समस्या का पूरा समाधान तब होगा जब आर्थिक माँगों का समर्थन किया जायेगा और इन माँगों के जरिये मुस्लिम जनता से सम्पर्क कायम किया जायेगा।

रणदिवे के इस लेख में परिस्थिति का जो विश्लेषण किया गया है, वह महामुदुराज्य के विश्लेषण से मूलतः भिन्न नहीं है। कांग्रेस हिन्दू संगठन बनकर रह गयी, उसे राष्ट्रीय संगठन बनना है। मुसलमानों के असन्तोष को उसने समझा नहीं है। साम्प्रदायिक नेता फूट डालते हैं पर उनका प्रभाव इसलिए है कि भय और सन्देह आम मुस्लिम जनता में है। इस भय और सन्देह को दूर करने के लिए साम्प्रदायिक संगठनों से समझौते की बातचीत करना जरूरी होगा, वाजिब साम्प्रदायिक माँगें मान लेना जरूरी होगा। इससे शुरुआत अच्छी होगी, वातावरण सुधरेगा और मिले-जुले आर्थिक सघर्ष चलाने में सुविधा होगी। युद्धकाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने कांग्रेस लीग एकता का जो नारा दिया, वह क्यों दिया, इस सवाल का जवाब रणदिवे के इस लेख में है। क्या सारे भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या का रूप एक-सा था? स्पष्ट है कि नहीं था। समस्या का एक रूप कश्मीर और हैदराबाद जैसी देशी रियासतों में था। एक में हिन्दू राजा और मुस्लिम प्रजा, दूसरे में मुस्लिम राजा और हिन्दू प्रजा। और इन दोनों रियासतों में १९३९ तक (और बाद को भी बहुत समय तक) हिन्दू-मुस्लिम दंगे न हुए थे, यहाँ साम्प्रदायिक समस्या निर्जीव थी। यह समस्या ब्रिटिश-भारत की खास समस्या थी। ब्रिटिश-भारत में भी वह दक्षिण-भारत की नहीं उत्तर-भारत की समस्या थी, और उत्तर-भारत में भी यह उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में निर्जीव थी, सिन्ध, पंजाब और बंगाल में वह साँस ले रही थी और वह पूरी ताकत से जीवित थी सयुक्त प्रान्त में। भारत के जातीय प्रदेशों की स्थिति पर अलग-अलग विचार किये बिना साम्प्रदायिक समस्या का विवेचन हो ही नहीं सकता। बगालियों, पंजाबियों, सिन्धियों, पठानों, कश्मीरियों की जातीयता को अस्वीकार करके सारे देश के हिन्दुओं को एक जाति मानकर, सारे मुसलमानों को दूसरी जाति मानना अप्रेजों की नीति थी। इस नीति पर चले बिना और दूसरों को चलाये बिना वे मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का एकमात्र सगठन घोषित न कर सकते थे। ऐसे सगठन के बिना वे कांग्रेस को अपनी बनायी हुई सविधानवादी सड़क पर चलने को मजबूर न कर सकते थे। और इस सड़क पर चलने से ही कांग्रेस ने अपनी प्रान्तीय सरकारें बनायी थी। ऐसी एक सरकार कांग्रेस के गढ़ सयुक्त-प्रान्त में थी। यही सयुक्त-प्रान्त मुस्लिम लीग के विपक्ष प्रचार का मुख्य क्षेत्र था। सविधानवाद और साम्प्रदायवाद इन दोनों का आपसी सम्बन्ध ऐसा ही है।

इस लेख में यह विचित्र बात कही गयी है कि मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक माँगें स्वीकार करने की घोषणा के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय माँग स्वीकार कराने के लिए लीग और मुस्लिम जनता से सहयोग करे। यदि मुस्लिम लीग की माँगें साम्प्रदायिक हैं, इस अर्थ में साम्प्रदायिक हैं कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों में भेदभाव बढ़ानेवाली हैं तो उन्हें स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठना। मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक माँगें पेश करती ही इसलिए थी कि राष्ट्रीय माँग को लेकर

आम जनता की एकता स्थापित न हो सके। साम्प्रदायिकता से समझौता करने पर राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूत किया जा सकता है, इस नीति पर कांग्रेस ने अनेक बार अमल किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व उगी नीति को क्रान्तिकारी कहकर पेश कर रहा था, यह सुधारवादी कांग्रेस के पीछे चलने का परिणाम था। लेख में आगे कांग्रेसी नेतृत्व के बारे में ठीक कहा गया है कि वह ऐसा रास्ता ढूँढ़ता रहा है जिससे संघर्ष के बिना ही वह साम्राज्यवादियों पर ज्यादा-से-ज्यादा दबाव डाल सके। उसे साम्प्रदायिक एकता कायम करनी थी, मोल-भाव के लिए, न कि संघर्ष के लिए। यह बात सही है। मोलभाव के लिए जो एकता कायम की जायेगी, वह साम्प्रदायिकता से समझौता करेगी। जो एकता संघर्ष के लिए होगी, वह आर्थिक और राजनीतिक माँगों के लिए होगी। राजनीतिक माँगें पूरे राष्ट्र के हित में होगी, विभिन्न प्रदेशों में रहनेवाली जातियों के हित में होगी। साम्प्रदायिकता का वर्गआधार क्या था? इसका वर्गआधार वे सामन्ती अवशेष थे जिन्हें १८५७ के बाद अंग्रेज बड़े जतन से पालते-पोसते आये थे। साम्प्रदायिक माँगें मानने का मतलब साम्राज्यवाद के इस वर्गआधार से समझौता करना था।

कांग्रेस ने इस समय संविधान सभा बुलाने का नारा दिया था। लेख में बताया गया है कि यह नारा इस रूप में दिया गया है कि साम्राज्यवाद, राजा और सभी तरह के प्रतिक्रियावादी (इनमें सम्प्रदायवादी अवश्य होंगे) उसे स्वीकार कर लें। लेख में कनैयालाल माणकलाल मुशी के बयान का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार ब्रिटिश कामनवेल्थ में भी संविधान सभाएँ बनायी गयी हैं यद्यपि अनेक बार इनके सदस्य तत्कालीन औपनिवेशिक विधान सभाओं से चुने गये थे। लेख में मुशी के सकेत की सही आलोचना की गयी है कि वह चाहते हैं कि मौजूदा मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलायी जाये और कांग्रेस ब्रिटिश कामनवेल्थ की सदस्यता से सन्तुष्ट हो जायेगी। आगे चलकर यही हुआ। मताधिकार को व्यापक बनाने का सवाल जब भी अंग्रेजों के सामने आया, उन्होंने कहा कि इससे आजादी देने में बहुत देर हो जायेगी। मताधिकार को व्यापक बनाने का मतलब था अंग्रेजी राज के सहायक सामन्ती अवशेषों के प्रभाव पर हमला करना। अंग्रेज अपने बनाये हुए संविधानवाद के मार्ग पर कांग्रेस को ठेल रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेसी नेतृत्व की बहुत कुछ सही आलोचना कर रही थी। फिर भी वह राष्ट्रीय आन्दोलन को इस मार्ग से हटाने में असफल रही। इसका मुख्य कारण यह है कि आलोचना के बावजूद वह स्वयं कांग्रेस के साथ घिसटती हुई इसी मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। उक्त लेख में कहा गया है, "संविधानसभा प्रभुता-सम्पन्न संस्था होनी चाहिए। लोकप्रिय जनतन्त्र का उच्चतम रूप होगी यह संस्था। उसका निर्माण तभी हो सकता है और वह संविधान तभी बना सकती है जब साम्राज्यवादी निरकुशता निर्मूल कर दी गयी हो, साम्राज्यवाद की शक्ति घबस्त कर दी गयी हो, जब जनता पहले ही साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त कर चुकी हो और सत्ता पर अधिकार कर चुकी हो।" किन्तु यह सब नहीं हुआ। कांग्रेस संविधानवादी मार्ग पर चली और इसलिए साम्प्रदायिक शक्तियाँ कमजोर होने के बदले बराबर सुदृढ़ होती चली गयी।

‘नैशनल फ्रण्ट’ के इसी अंक में जनता के क्रान्तिकारी उभार पर एक लेख छपा है। इसमें उभार का सही मूल्य आंकते हुए बताया गया है कि युद्ध छिड़े कुछ ही महीने हुए हैं किन्तु इसी अवधि में एक विराट आन्दोलन अप्रतिहत वेग से बढ़ता गया है और उसमें जनता के बड़े-बड़े भाग खिचकर आते गये हैं। इस बात का राजनीतिक महत्व बहुत है। जो स्तर पिछड़े हुए थे, राजनीतिक आन्दोलन से प्रभावित न थे, अपने पिछड़ेपन के सबब से राजनीति के मैदान से बाहर थे, वे इस आन्दोलन की धारा के बीच में आ गये हैं। उसमें भाग लेने से उनमें नई चेतना पैदा हो रही है। “जाति-विरादरी और साम्प्रदायिकता की दीवारें लगातार ढह रही हैं।” साम्प्रदायिकता का नाश कैसे होगा, यह जानने के लिए भविष्य की छानबीन करना जरूरी न था। वर्तमान में जो कुछ हो रहा था, वह आँखें खोल देनेवाला था। युद्ध से पैदा होनेवाली परिस्थिति में आर्थिक-राजनीतिक माँगों को लेकर जो विशाल जनआन्दोलन फैल रहा था, वह जाति-विरादरी और साम्प्रदायिक भेदभाव की दीवारें गिरा रहा था। साम्प्रदायिकता के नाश का यही तरीका था। इन आन्दोलन के फैलने से पहले ऐसा न हुआ था कि साम्प्रदायिक माँगें स्वीकार कर ली गयीं हों और मुस्लिम लीग के सहयोग के कारण यह जन-उभार शक्तिशाली बना हो। इस उभार से त्रस्त होकर अंग्रेज न केवल मुस्लिम-लीग को अपना जहरीला प्रचार करने की प्रेरणा दे रहे थे वरन् वे कांग्रेस पर निरन्तर दबाव डाल रहे थे कि वह मुस्लिम लीग से समझौता करे, उसके साथ मिलकर संविधान बनाये और अंग्रेजों से शान्तिपूर्वक आजादी प्राप्त करे।

‘नैशनल फ्रण्ट’ के उक्त लेख में कांग्रेस कमेटियो, किसान सभाओं और मजदूर सभाओं को लक्ष्य करके कहा गया है कि इस आन्दोलन को विखरने से बचाना, उसे संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग बना देना उनका काम है। यह तभी हो सकता है जब कांग्रेस कमेटियाँ मजदूरों और किसानों के सगठनों से घनिष्ठ सहयोग करें। संघर्ष में अगुवाई करने से कांग्रेस कमेटियाँ मध्यवर्ग को भी आन्दोलन में खींच लायेंगी। “उनमें मुसलमानों और अछूतों से जो अलगाव बना हुआ है, वह दूर हो जायेगा। महँगाई से सभी लोग परेशान हैं। थोड़े से मुनाफाखोरों को ही उससे लाभ होता है। महँगाई के विरुद्ध संघर्ष चलाने से हिन्दू और मुस्लिम जनता को साथ बढ़ने का मौका मिलेगा, आपस में जो अलगाव है वह दूर होगा। इस एकता से काफी हद तक सयुक्त राजनीतिक संघर्ष के लिए आधार निर्मित होगा।” यहाँ बिल्कुल सही कार्यनीति प्रस्तुत की गयी है। साम्प्रदायिक माँगें मानने से महँगाई के विरुद्ध संघर्ष तेज नहीं होता, साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता मजबूत नहीं होती। संघर्ष को रोकने और साम्राज्यविरोधी एकता को तोड़ने के लिए ही साम्प्रदायिक माँगें पेश की जाती हैं। संविधानवाद से इन माँगों को जोड़ दिया जाये तो साफ दिखायी देगा कि साम्प्रदायिकता खत्म करने के लिए संविधानवाद को छोड़ना ही होगा। संघर्ष के भय से, अर्थात् साम्राज्यविरोधी संघर्ष के भय से, जो व्यक्ति भी और जितना भी संविधानवाद की ओर झुकेगा, वह उतना ही साम्प्रदायिकता के सामने असहाय मिट्ट होगा, चित्लायेगा, छाती पीटेगा, कर कुछ भी न सकेगा।

क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबी हमला

१. नयी परिस्थिति और क्रिम्स-प्रस्ताव

दूसरा महायुद्ध समाप्त होने के बाद एशिया में साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन तेजी से बढ़ा। भारत में राजनीतिक परिस्थिति बदल रही थी और अंग्रेज जिन शक्तियों के सहारे भारत पर अब तक शासन करते आये थे, उनका भरोसा करना उनके लिए दिन-भर-दिन कठिन होता जा रहा था। इस परिस्थिति में उनकी नीति यह थी कि सन् ४२ में उन्होंने क्रिम्स के माध्यम से जो प्रस्ताव पेश किये थे, उनके अनुसार कार्य करें। आवश्यकता हो तो इनमें जहाँ-तहाँ थोड़ा-बहुत फेरबदल करें। इस नीति को अमल में लाने के लिए वे कांग्रेस के नरमदली नेताओं से सहयोग की आशा कर रहे थे। नरमदली नेताओं को काबू में रखने के लिए मुख्य हथियार के रूप में उनके पास मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस की ओर से जैसे-जैसे पूर्ण स्वाधीनता की माँग में जोर पकड़ा, वैसे-वैसे विशेष संरक्षण की माँग से आगे बढ़कर मुस्लिम लीग ने अलग राज्य बनाने का दावा पेश किया। इसके अलावा देशी रियासतों से पुरानी सन्धियों के नाम पर अंग्रेज इनकी स्वाधीन सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इस तरह एक राज्य के स्थान पर तीन राज्य, हिन्दू भारत, मुस्लिम भारत (पाकिस्तान) और रियासती भारत स्थापित करने की योजना क्रमशः परिवर्धित होती रही। ऐसी परिस्थिति में जनता का क्रान्तिकारी आन्दोलन ही अंग्रेजों की योजनाओं को छिन्न-भिन्न कर सकता था। अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने को तैयार न थे। वह अधिक-से-अधिक भारत को कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे उपनिवेशों का दर्जा देने को तैयार थे। जब तक भारत को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में बनाये रखने की सम्भावना रही, तब तक वे पाकिस्तान को अब्यावहारिक बताते रहे। किन्तु जब क्रान्तिकारी उभार नियन्त्रण से बाहर जाता दिखायी दिया, तब अपने हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता की

बात मान ली किन्तु इसके साथ ही पाकिस्तान की जो योजना पहले उनके लिए अव्यावहारिक थी, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसे उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से भी स्वीकार करा लिया क्योंकि ये नेता क्रान्तिकारी सघर्ष चलाने के लिए तैयार न थे। अनेक स्थानों पर कम्युनिस्ट पार्टी ने तथा अन्य वामपक्षी और जनवादी दलों ने संघर्षों का नेतृत्व किया। इन संघर्षों के फलस्वरूप अंग्रेजों को डोमिनियन स्टेटस से कुछ आगे बढ़कर राजनीतिक स्वाधीनता की माँग स्वीकार करनी पड़ी। किन्तु ये सब दल सगठित और सुसंगत रूप से क्रान्तिकारी सघर्ष नहीं चला पाये, इसलिए अंग्रेजों को कांग्रेस और लीग के नेताओं से समझौता करके भारत का विभाजन करने में सफलता प्राप्त हुई। १८५७ में क्रान्तिकारी शक्तियों के सामने मुख्य समस्या यह थी कि जो सामन्त ढुलमुल है या अंग्रेजों से मिले हुए है, उन्हें निष्क्रिय बनाकर अंग्रेज-विरोधी लड़ाई कैसे चलायी जाये। १९४६ में मुख्य समस्या यह थी कि जो साम्प्रदायिक नेता साम्राज्यवादी योजनाएँ पूरी करने में अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, उन्हें कैसे ध्वस्त किया जाये। और जो पूँजीवादी नेता क्रान्ति से डरकर अंग्रेजों से समझौता करने को उत्सुक हैं, उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जाये। १८५७ में भारतीय क्रान्तिकारी अभी मार्क्सवाद से अपरिचित थे; १९४६ में भारतीय क्रान्तिकारी मार्क्सवाद से सुपरिचित थे। इन सुपरिचित जनों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही नहीं, कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू भी थे। इसलिए जो काम १८५७ में मुश्किल था, वह १९४६ में आसान था। पर वह काम हुआ नहीं।

१९७६ में भारत और ब्रिटेन के सर्वैधानिक सम्बन्धों का विवरण देनेवाले ग्रन्थ 'सत्ता का हस्तान्तरण' ('दि ट्रांसफर आफ पावर' १९४२-७) का प्रकाशन हुआ। इसका सम्पादन निकोलस मैन्सेर्ग और पेडरल गून ने किया है। इस पर कापीराइट इंग्लैण्ड की सरकार का है। भारत में यू. वी. एम. पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे दिल्ली तथा अन्य चारनगरों से प्रकाशित किया है। अंग्रेजों की नीति क्या थी, उनकी दृष्टि में भारतीय परिस्थिति किस तरह की थी, इस परिस्थिति में वे अपनी कार्य-नीति कैसे निर्धारित कर रहे थे, यह सब जानने के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है। ग्रन्थ कई खण्डों में है। छठे खण्ड में पहली अगस्त १९४५ में लेकर २२ मार्च १९४६ तक के दस्तावेज हैं। सबसे पहले इस खण्ड के आधार पर कुछ बातें नीचे दी जाती हैं।

अगस्त १९४५ में भारतीय समाचारपत्रों के कुछ प्रतिनिधि इंग्लैण्ड की सरकार के भारत सचिव पेथिक लारेंस से लन्दन में मिले। उनसे भारत सचिव ने कहा कि हमारा लक्ष्य ब्रिटेन के साथ भारत और वर्मा दोनों की बराबर की साझेदारी (ईक्वल पार्टनरशिप) है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और यहाँ-वहाँ की सारी जनता भी यही चाहती है। (पृष्ठ ४२)। बराबर की साझेदारी का मतलब था सन् ४२ में क्रिप्स प्रस्ताव के आधार पर समझौते की बात चलाना। क्रिप्स प्रस्ताव का एक अश तात्कालिक परिवर्तन से गम्बन्धित था, दूसरे अंश का सम्बन्ध द्रव्यामी परिवर्तनों से था। इस दूसरे अंश के अनुसार पहले मूर्खों में, युद्ध समाप्त होने के बाद, चुनाव कराये जायेंगे। प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्य

सानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन) के अनुसार कुल सदस्यों की संख्या का दस फीसदी अंश चुनेंगे। यह दस फीसदी अंग सविधान सभा का काम करेगा। देशी रियासतों अपनी कुल आवादी के अनुरूप, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की तरह, अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। सविधान-सभा जो सविधान बनायेगी, उसे इंग्लैण्ड की सरकार स्वीकार करेगी और अमल में लायेगी, शर्त यह है कि ब्रिटिश भारत का कोई सूबा नया संविधान न स्वीकार करे तो उसकी वर्तमान संवैधानिक स्थिति कायम रहेगी; यदि अंग चलकर वह संविधान स्वीकार करना चाहे तो वह कर सकेगा। ऐसे सूबे चाहेंगे तो इंग्लैण्ड की सरकार उनके साथ, नये संविधान के आधार पर, समझौता कर सकती है और उन्हें वही दर्जा प्राप्त होगा जो भारतीय सभ का होगा। संविधान-सभा इंग्लैण्ड की सरकार से बातचीत करके सन्धि करेगी। अंग्रेजों के हाथ से भारतवासियों के हाथ में उत्तरदायित्व का पूर्ण हस्तान्तरण करने से सम्बन्धित जितने मामले होंगे, वे सब सन्धि में बता दिये जायेंगे। इंग्लैण्ड की सरकार ने नस्ल और धर्मवाले अल्पसंख्यकों को संरक्षण का आश्वासन दिया है, सन्धि में उसका ध्यान रखा जायेगा। ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्य राज्यों के साथ भारतीय सभ का सम्बन्ध किस तरह का होगा, इसे तय करने के उसके अधिकार पर कोई नियन्त्रण न होगा।

कांग्रेस ने आपत्ति की थी कि इस प्रस्ताव को मानने से भारतीय एकता की धारणा को गहरा धक्का लगेगा; इसके सिवा देशी रियासतों की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न दिया गया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि उसे सविधान-सभा के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। कौन संविधान को स्वीकार करे और कौन न करे, यह अधिकार वर्तमान सूबों को दिया गया है। ये सूबे शासन की सुविधा के लिए बनाये गये हैं, किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं। क्रिप्स-प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रान्तीय विधान परिषद् में साठ प्रतिशत बहुमत आवश्यक होगा। अल्पमत को अधिकार होगा कि वह बालिग पुरुषों के जनमत-संग्रह की माँग करे। मुस्लिम लीग का कहना था कि जिन सूबों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह नहीं होता। जनमत-संग्रह में मुसलमानों के अलावा गैरमुसलमान भी होंगे, इसलिए मुसलमानों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

क्रिप्स-प्रस्ताव और उस पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की आपत्ति का सारांश देने के बाद अपनी सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज में भारत-सचिव पेथिक वारेन्स ने बताया कि प्रस्ताव पर बातचीत टूटी थी केन्द्रीय कार्यकारिणी (अर्थात् दिल्ली की शासन-समिति) के तत्काल पुनर्गठन को लेकर; इसलिए प्रस्ताव के दूरगामी अंश पर कांग्रेस और लीग की आपत्ति क्या होती, यह बताना असम्भव है। भारत के वाइसराय ने प्रस्ताव का दूरगामी अंश उठा रखा है। वह प्रयत्न कर रहा है कि नेताओं को केन्द्रीय सत्ता में शामिल कर लिया जाये, इससे शायद दूरगामी समस्याएँ हल करने में आसानी हो। "वाइसराय का यह प्रयत्न असफल हो गया है, अतः मेरा प्रस्ताव है कि कैबिनेट [अर्थात् इंग्लैण्ड

की सरकार] क्रिप्स-घोषणा के दूरगामी मुझावों को अमल में लाना शुरू करे। वाइसराय और सभी गवर्नर (पंजाब के गवर्नर को छोड़कर) चाहते हैं कि सूबाई चुनाव जल्दी से जल्दी करा लिये जायें। ये चुनाव अगले साल के प्रारम्भ में पूरे कराये जा सकते हैं। उसके बाद संविधान-सभा का गठन १९४२ की घोषणा के पैराग्राफ (ए) के अनुरूप होगा।" (पृष्ठ ८५-८७)।

इस मसौदे से स्पष्ट है कि १९४५ के उत्तरार्द्ध में अंग्रेज अभी १९४२ की क्रिप्स-घोषणा से आगे बढ़ने को तैयार न थे।

२. साम्राज्यवाद का अभूतपूर्व संकट

दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेज भारत में जिस संकट का सामना कर रहे थे, वह साधारण आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं था। आर्थिक संकट तो युद्धकाल से चला आ रहा था, बंगाल के दुर्भिक्ष में लाखों आदमियों की मृत्यु इस आर्थिक संकट का एक लक्षण थी। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने उन कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला जिनसे वह समझौता करना चाहते थे, यह भी राजनीतिक संकट का लक्षण था। सीमान्त प्रदेश, पंजाब आदि मुस्लिमबहुल प्रान्तों में मुस्लिम लीग का एक-छत्र प्रभाव न था। युद्ध के बाद प्रबल फासिस्ट शक्तियों की पराजय और सोवियत संघ की विजय के साथ एशिया में स्वाधीनता-आन्दोलन ने अभूतपूर्व प्रगति की। भारत में जनता का क्रान्तिकारी उभार इतने बड़े पैमाने पर आया कि अंग्रेजी राज का सामाजिक आधार नितान्त संकुचित हो गया। यह उभार राज्य-सत्ता के उन अंगों को प्रभावित करने लगा जिनके भरोसे अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। फौज में गोरो का अनुपात बहुत कम था; भारत में अंग्रेज देशी सेना के सहारे ही शासन करते आये थे। दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेजी राज के संकट की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्हें अब देशी सेना का भरोसा न रह गया था। सुभाषचन्द्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों पर अंग्रेज मुकद्दमा चलाना चाहते थे और अधिकांश को मृत्यु-दण्ड देना चाहते थे किन्तु भारत में इसकी जो प्रतिक्रिया होती, उससे वह भयभीत थे। आज़ाद हिन्द फौज के वीर अत्यन्त लोकप्रिय थे। उन्हें छुड़ाने के लिए देश में एक व्यापक राजनीतिक आन्दोलन चल पड़ा था। इनके प्रति सेना में गहरी सहानुभूति थी। फ्रांस और हालैण्ड की सहायता के लिए ब्रिटिश सेनापति माउण्टबेटन हिन्द-चीन और इण्डोनेशिया में भारतीय फौजें इस्तेमाल कर रहा था। इससे भारतीय जनता में भारी रोष था। इस परिस्थिति का प्रभाव सेना पर पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि सेना और जनता के बीच अब पहले जैसा फासला न रह गया था। जनता में जो क्रान्तिकारी चेतना फैल रही थी, उससे सेना को बचाकर रखना अंग्रेजों के लिए अमम्भव हो गया था। इस स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि समझदार अंग्रेजों को १९५७ की याद सताने लगी थी।

इन समझदार अंग्रेजों में मध्यप्रदेश का गवर्नर ट्वाइनेम था। उसने नवम्बर १९४५ में वाइसराय वेवल को लिखा था, "भीड़ पर गोली चनाने को कहा जाये तो हिन्दुस्तानी फौज का रख बया होगा, इसके बारे में अपनी चिन्ता प्रकट किये

बिना मैं नहीं रह सकता। राजनीतिक वातावरण में तनाव होने पर अचानक रुख बदलने की प्रवृत्ति मेरी समझ में वैसी ही है जैसी कि गदर के दिनों में थी। पिछले दिनों चुने हुए राजकीय दस्तावेजों में जो मूल रिपोर्टें छपी हैं, उन्हें मैं पढ़ता रहा हूँ। वे बहुत ही दिलचस्प हैं। बड़ी अजीब बात है कि जिन पलटनों को निहायत वफादार माना जाता था, उन्होंने अचानक फैसला किया कि गदरवालों का साथ देना चाहिए। मेरा मतलब यह जरा भी नहीं है कि ऐसा कोई व्यापक रुझान मौजूद है लेकिन जब मैं इस सम्भावना पर विचार करता हूँ कि सूबे में ब्रिटिश फौज बिल्कुल न रह जायेगी तो मेरे मन में थोड़ी बेचैनी होती है।" (पृष्ठ ५४२-४३)। जिस दिन (२६ नवम्बर १९४५) को मध्यप्रदेश के गवर्नर ने वेवल को यह चिट्ठी लिखी थी, उसी दिन सेनाध्यक्ष और किनलेक ने इतिहास का स्मरण करते हुए वेवल को यह लिखा था, "हिन्दुस्तानी फौजों के साथ अपने लम्बे तजर्बे के आधार पर मैं जानता हूँ कि अच्छे से अच्छे और खूब हमदर्दी रखनेवाले ब्रिटिश अफसर के लिए भी हिन्दुस्तानी सिपाही के मन की बात जानना कितना मुश्किल है और मेरी इस राय का समर्थन इतिहास करता है। [यहाँ इतिहास का मतलब है १८५७ का इतिहास]। मैं नहीं समझता कि कोई भी बरिष्ठ ब्रिटिश अफसर आजाद हिन्द फौज के बारे में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की सच्ची भावना जानता है। मैं बहुत कुछ अपने सहज बोध से, साथ ही अनेक सूत्रों से मिलनेवाली सूचना के आधार पर महसूस करता हूँ कि आजाद हिन्द फौज के लिए हमदर्दी बढ़ रही है। उसके कुछ सदस्यों ने जो बहरीपन किया है और अपनी मूल वफादारी से जो दगा की है, उसे अनदेखा करने का रुझान बढ़ रहा है। इस समस्या को लेकर हमारी अपनी नैतिकता के मानदण्डों के अनुसार काम करना कठिन है। आजाद हिन्द फौज के लोग हमारी ही नस्ल के होते तो हम अपनी नीति जैसे निर्धारित करते, वैसे यहाँ निर्धारित करना असम्भव है।" (पृष्ठ ५४४-४५)। जब तक भारतीय फौजें साम्राज्यवाद के हित में लड़ती हैं, तब तक उनके कार्य अंग्रेजों की नैतिकता के मानदण्ड के अनुरूप होते हैं। जैसे ही वे अपने देश के लिए, अंग्रेजी राज से मुक्ति पाने के लिए, सघर्ष करती हैं, वैसे ही नस्ल का सवाल उठ खड़ा होता है। गौरी नस्ल की नैतिकता का मानदण्ड ऊँचा हो जाता है, एशिया के लोग, वेवला और दशावाज दिखाई देने लगते हैं।

वेवल को भय था कि कांग्रेस के नेता आजाद हिन्द फौज के सहारे विद्रोह फैलाने की कोशिश करेंगे और उनसे बन पड़ेगा तो हिन्दुस्तानी फौज को तोड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति थी, उससे वेवल को भय था कि कांग्रेसी नेताओं के चाहने से पहले ही सरकारविरोधी उपद्रव शुरू हो जायेंगे। नेता सार्वजनिक रूप से चाहे जो कहें, रेलवे और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर संगठित हमले होंगे, खजाने लूटे जायेंगे और सरकारी दस्तावेज बरबाद किये जायेंगे। कांग्रेसी लोग १९४२ की तरह शासन का काम ठप्प कर देंगे। वे अंग्रेज और देशी हाकिमों पर हमला करेंगे। वेवल की राय थी कि कांग्रेस बलपूर्वक मौजूदा शासन व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करेगी, इसलिए आन्दोलन को दवाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भारतीय परिस्थिति पर अपने इस दस्तावेज में वेवल ने

सतरे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था क्योंकि इंग्लैण्ड की लेबर सरकार सीधे बल-प्रयोग का परिणाम जानती थी। किन्तु भारत को क्या देना है, और क्या नहीं देना, इस बारे में वेबल और लेबर सरकार दोनों की राय एक थी। नवम्बर १९४५ के इस दस्तावेज में वेबल ने लिखा था, "मेरी समझ में कांग्रेस की मुख्य माँग यह होगी कि भारत को कांग्रेस हाई कमान द्वारा चुनी हुई सरकार के मात-हत तुरत आजादी दी जाये। वरतों से कांग्रेस की यही नीति रही है और जाहिर है कि नेहरू और पटेल को इससे कम से सन्तोष न होगा। मैं नहीं समझता कि बादशाह सलामत की सरकार बल-प्रयोग या उसकी धमकी के आगे झुक जायेगी; न अल्पसंख्यकों के प्रति हम आसानी से अपना उत्तरदायित्व छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेसी अल्टिमेटम को स्वीकार करने का प्रश्न न होगा।" (पृष्ठ ४५१-५३)।

भारत-सचिव पेथिक लारेन्स ने वेबल को सलाह दी कि वातावरण में जो गरमी आ गयी है, उसे कम करने की कोशिश करो और चुनाव तथा संविधान-सभा बुलाने की कार्रवाई आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही भारत-सचिव ने एक दस्तावेज में सरकार की ओर से बल-प्रयोग की सम्भावना भी स्वीकार की। अपने इस दस्तावेज में पेथिक लारेन्स ने लिखा कि इंग्लैण्ड में पार्लियामेण्ट के सदस्यों का एक दल भारत जायेगा और वहाँ के लोगों को बतायेगा कि यहाँ की जनता चाहती है कि "ब्रिटिश कामनवेल्थ में आजाद सश्लेदार राज्य के रूप में शीघ्र ही भारत अपना पूर्ण और उचित स्थान ग्रहण कर ले।" (पृष्ठ ५३७)। इंग्लैण्ड में एक एम्पायर पार्लियामेण्ट्री एसोसिएशन था। इसी की ओर में पार्लियामेण्ट के सदस्यों का दल भारत आनेवाला था। इस दस्तावेज में पेथिक लारेन्स ने लिखा था कि स्वशासित भारत के लिए सबसे पहली आवश्यकता योग्य और वफादार शासन चलानेवाले कार्यकर्त्ताओं की होगी जो नयी भारत सरकार की नीति अमल में लायेंगे। भावी स्वशासित भारत के लिए अहितकर होगा यदि नयी सरकार बनने से पहले राज्यसत्ता की नींव कमजोर होने दी जायेगी और अधिकारियों के प्रति उनके सेवकों की वफादारी खत्म कर दी जायेगी। "कानून और व्यवस्था बनाये रखने की और संवैधानिक समस्या को बलपूर्वक हल करने के प्रयत्न को रोकने की जो जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और सभी प्रान्तीय सरकारों पर है, उससे वह अपने को बरी नहीं कर सकती। पूर्ण स्वायत्त प्रशासन (सेल्फ गवर्नमेण्ट) तभी प्राप्त हो सकता है जब राज्यसत्ता की मशीनरी विशुद्ध भारतीय अधिकारियों के हाथ में व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण ढंग से पहुँच जाये। बादशाह सलामत की सरकार भारतीय सेना या प्रशासनिक सेवाओं की वफादारी खत्म करने की इजाजत न देगी। वह भारत में सरकारों [प्रान्तीय सरकारों] को पूरा समर्थन देगी जिससे कि उनके सेवक अपने कर्त्तव्य-पालन के समय सुरक्षित रहें और भारत का भावी संविधान बल-प्रयोग द्वारा या उसकी धमकी के जरिये नहीं, बरन् संवैधानिक तरीके से ही निर्मित किया जाये।" (पृष्ठ ५३७-३८)।

इंग्लैण्ड की सरकार चाहती थी कि शासन की जो मशीनरी उसने यहाँ बनायी

थी, उसमें कोई परिवर्तन न हो। कानून और व्यवस्था बनाये रखने का मतलब यह था कि राज्यसत्ता के ढाँचे में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन न हो। यद्यपि कांग्रेसी नेता विद्रोह और क्रान्ति की बातें करते थे किन्तु वे भी पुराने ढाँचे में मौलिक परिवर्तन न चाहते थे। अंग्रेज यह बात जानते थे। भारत में अंग्रेजी राज और उसके प्रभाव को जड़ से खत्म करने के लिए अंग्रेजों की बनायी हुई राज्यसत्ता का नाश करके नया जनवादी शासनतन्त्र, नयी जनवादी राज्यसत्ता कायम करना आवश्यक था।

नवम्बर १९४५ के अन्त में भारत सचिव ने वाइसराय को लिखा, “यह जानकर खुशी हुई कि विड़ला ने ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ से कह दिया है कि अपने स्वर की तेजी ज़रा कम कर दे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अमीर हिमायती सोचने लग गये हैं कि काफ़िला जा किधर रहा है।” (पृष्ठ ५७४)। उसी महीने के अन्त में भारत के सेनाध्यक्ष ने राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन इस प्रकार किया, “बड़े पैमाने पर सरकारविरोधी उपद्रव चुनाव खत्म होने से पहले, यानी अप्रैल से पहले, शायद शुरू न होंगे क्योंकि ऐसे उपद्रव कांग्रेस के हित में न होंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ज्यादातर राजनीतिक नेता और बड़े व्यवसायी इस समय हिंसात्मक तरीके के खिलाफ हैं।” (पृष्ठ ५७७)। इसी समय वित्त विभाग के अधिकारी सूस्टर के नाम विदेश विभाग के अधिकारी विन्ट ने यह सूचना भेजी, “मैं नहीं समझता कि चुनाव खत्म होने से पहले कोई गड़बड़ होगी क्योंकि ऐसी गड़बड़ कांग्रेस-हितो के विरुद्ध होगी। पिछले कुछ दिनों में तनाव कम हुआ है। अतिवाद को ठण्डा करने के लिए विड़ला अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं।” (पृष्ठ ५९५)। दिसम्बर के आरम्भ में वाइसराय ने भारत-सचिव को बताया, पिछले दिनों ऐसे सकेत मिले हैं कि कांग्रेसी नेता, चुनाव खत्म होने से पहले कोई जनआन्दोलन न होगा, यह स्पष्ट करके तनाव कम करना चाहते हैं। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के अनुसार नेहरू ने कहा है कि चुनाव खत्म होने में पहले राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं होने जा रही। गांधी ने कहा है कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखकर भावी अहिंसात्मक आजादी की लड़ाई के लिए अपनी शक्ति बचाये रखो। अबुलकलाम आजाद ने कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा नीति देश में शान्ति बनाये रखना है और अपने घोषणा-पत्र के अनुसार चुनाव लड़ना है। कलकत्ते में जो उपद्रव [सरकारविरोधी प्रदर्शन] हुए, उनके लिए शरत्चन्द्र बोस ने अपने बयान में कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया है। ऐसा लगता है कि कलकत्ते के उपद्रवों से कांग्रेसी नेता समझ गये हैं कि चुनाव जीतने के लिए वे जिस गरम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे बक्त से पहले ही बलवा हो सकता है। सही मौके पर, अपनी योजना के अनुसार, जा-आन्दोलन का हथियार इस्तेमाल करने के बदले वे ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि किसी भी जगह और किसी भी समय उपद्रव शुरू हो सकता है। “कांग्रेस के साथ जो तगड़े पूंजीपति लोग हैं, वे चिन्तित हो उठे हैं कि उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी या नहीं।” (पृष्ठ ६०२-०३)। ६ दिसम्बर १९४५ को स्वयं धनदयामदास विड़ला ने भारत से सम्बद्ध इंग्लैंड की सरकार के एक अधिकारी हेन्डरसन के नाम पत्र लिखा। इसमें उन्होंने आजाद

हिन्द फौज के मुकद्दमे, इण्डोनीशिया में भारतीय फौजों, मुकद्दमा जेल में डाले हुए सैकड़ों कैदियों आदि की तरफ ध्यान आकर्षित वि अनुसार इंग्लैण्ड का वातावरण भिन्न था; लेबर पार्टी जो कह रही थी मन से कह रही थी। किन्तु भारत में अंग्रेजों का रवैया ऐसा था कि दूषित था। देश के नेता अपने चारों तरफ पुरानी हवा चलते देखते हैं अपनी भाषा में नर्मी लाना-उनके लिए मुश्किल है। यह दुख की बात अपने लक्ष्य के इतने नज़दीक पहुँच गये हैं, फिर भी आपसी विश्वास की इतनी कमी है।" भारत सचिव ने देश को ब्रिटिश कामनवेल्थ में का दर्जा देने की बात कही थी, उसके बारे में विडला के एक मित्र की वही पुराना किस्सा है, उसमें नया कुछ नहीं है। विडला ने सुझाया कि व्यवस्था पर इतना जोर न दिया जाता तो अच्छा था। बंगाल के और गांधीजी में भेंट हुई है। इससे भी वातावरण सुधरेगा। "मेरा विचार है कि गरम भाषणों का दौर अब समाप्त होगा।" पत्र के अन्त में लिखा कि धीरज और होशियारी से काम करना होगा। उन्होंने दिलाया, "जवाहरलाल समेत कोई भी ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है जो कि हिमा हो या संकट पैदा हो जाये। वे कहते कुछ भी रहें, हर को के लिए उत्सुक है, और उनसे असहमत होने पर भी इन गरम भाषणों समझना चाहिए। चारों तरफ जो वातावरण है और जनता में जो उसके फलस्वरूप भाषण गरम होते हैं। कभी-कभी नेता भी दूसरों के हैं। लेकिन मेरा विचार है कि अनियन्त्रित भाषा भविष्य में कम सुनी मुझे विश्वास है कि आप इसे भारत-सचिव को दिखा देंगे। सर स्टैफोर्ड भारत की बात सुनने और मदद करने को तैयार रहते हैं; चाहे तो उन्हें दे।" (पृष्ठ ६१२-१५)।

इस प्रकार अंग्रेज आश्वस्त थे कि उनका बनाया हुआ राज्य-सत्ता बरकरार रहेगा। एक स्तर पर यह समझौते की बात चल रही थी, दूसरे राजनीतिक परिस्थिति क्रान्तिकारी रूप लेती जा रही थी। अंग्रेजों ने को अपना राज कायम करने का हथियार बना रखा था किन्तु देश की परिस्थिति इस फौज को प्रभावित कर रही थी और अंग्रेज जानते थे कि बनाया हुआ हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। औकिनलेक ने वाइसराय वेबल को बड़ी पते की बात लिखी थी, "मौजूदा में भारत के सभी हिस्सों से और सभी वर्गों से लोग भरती किये गये हैं। जो आधुनिक साधन हैं उनके कारण और देश में जो राष्ट्रवादी भावना हुई है, उसके कारण फौज को बाकी देश में अलग करके रखना बिल्कुल ना है।" (पृष्ठ ५३२)।

जबलपुर से आज़ाद हिन्द फौज के कुछ क़ैदी छूटकर इलाहाबाद पहुँचे बमरोली, कानपुर और इलाहाबाद के हवाई फौज के कुछ लोगों ने उनका किया और बाकी क़ैदियों को छुड़ाने के लिए चन्दा दिया। (पृष्ठ ५०७) केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर-विभाग ने अखबारों में छपी खबरों का उल्लेख

कि फौज के क्लर्क और हवाई वेड़े के लोग कैदियों के बचाव फण्ड में पैसा दे रहे हैं। अंग्रेजों को अपनी योजनाएँ अमल में लाने के लिए मुस्लिम लोग का बड़ा भरोसा था लेकिन आजाद हिन्द फौज में मुगलमान काफी थे। गुप्तचर विभाग ने सूचित किया कि आजाद हिन्द फौज के मुसलमानों पर मुकद्दमा चलाया गया तो इसका असर मुसलमान जनता और मुस्लिम लोग दोनों पर पड़ेगा। (पृष्ठ ५१३-१५)। अंग्रेज इस बात से चिन्तित थे कि जो लोग अंग्रेजों के समर्थक थे, खिताब पाये हुए लोग, हाई कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज, वे भी आजाद हिन्द फौज के कैदियों के बचाव में सुलकर हाथ बँटाने लगे हैं। (पृष्ठ ५१४)। सन् ४२ के आन्दोलन में कांग्रेस ने किसान-आन्दोलन की ओर ध्यान न दिया था। अब उन्हें डर था कि देहात में भी उपद्रव फैल सकता है। सेनाध्यक्ष का विचार था कि बिना लाइसेंसवाले हथियार काफी संख्या में फैले हुए हैं। लड़ाई के बाद फौज से छूटे हुए सिपाही और आजाद हिन्द फौज के सैनिक इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। सेनाध्यक्ष के अनुसार “खतरे के मुख्य इलाके संयुक्त प्रान्त, बिहार और बंगाल हो सकते हैं लेकिन पंजाब, मध्यप्रदेश और बम्बई के सूबों में भी गड़बड़ हो सकती है। मद्रास में इसकी सम्भावना कम है।” (पृष्ठ ५७८)। यह १८५७ का युद्धक्षेत्र है जो अब विस्तृत होता जा रहा है।

२० नवम्बर १९४५ को सुधारवादी श्रमिक नेता वी. शिवराव ने अंग्रेजों को सावधान करते हुए इंग्लैण्ड-स्थित बोर्ड आफ ट्रेड के प्रेसिडेंट को लिखा था कि आजाद हिन्द फौज के मुकद्दमों का असर भारतीय सेना पर पड़ रहा है। “भारत में यात्रा करते समय मैंने उन लोगों से बात की है जो फौजी वर्दी में थे। उन्होंने इस बात के महत्व की ओर ध्यान दिलाया कि बर्मा और मलय में इतने हिन्दुस्तानी सिपाही दूसरे पक्ष से मिल गये थे। अंग्रेज अफसरों और सैनिकों के साथ व्यवहार और भत्ते में जो भेद किया जाता है, उसकी वे ज़ोरों से शिकायत कर रहे थे। यह बात फौज और हवाई वेड़ा, दोनों के लिए सही है। जिन पर मुकद्दमा चल रहा है या चलनेवाला है, उन्हें अपने भाग्य के बारे में ज़रा भी चिन्ता नहीं है। इनमें हिन्दू और मुसलमान का भेदभाव ज़रा भी नहीं है। उन्होंने कल हमें बताया कि उन्होंने अपनी फौज में इस तरह का सारा भेदभाव खत्म कर दिया था। जो लोग मुसलमानों के लिए खाना बनाते थे, वही हिन्दुओं के लिए खाना बनाते थे, जो खाना हिन्दू खाते थे, वही मुसलमान खाते थे। इस बारे में कोई पूछताछ न होती थी। इस बात का खूब प्रचार हुआ है। लाल किले में जिन पर मुकद्दमा चलनेवाला है, उनमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। इनमें से कुछ को जिन्ना से सख्त शिकायत है कि वह पाकिस्तान का बख्तेड़ा खड़ा किये हैं।” और अन्त में “भारत के सार्वजनिक जीवन में अब ऐसा एक भी तत्व नहीं रह गया अंग्रेज सरकार जिसका भरोसा कर सके।” (पृष्ठ ५६४-६५)।

१५ दिसम्बर १९४५ के पत्र में इन्हीं शिवराव ने क्रिप्स को लिखा कि भारत में चारों तरफ आक्रोश फैला हुआ है, यह आक्रोश फौज और हवाई वेड़े में भी है। अभी भी गोरे-काले का भेद बरता जाता है। आप जितनी कल्पना करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा सहानुभूति आजाद हिन्द फौज के प्रति है। (पृष्ठ ७०७)।

अगले साल जनवरी में आजाद हिन्द फौज के तीन वीरों का स्वागत लाहौर में हुआ। इस तरह के समारोहों में ब्रिटिश फौज के भारतीय सिपाही अपनी वर्दी पहने हुए मौजूद रहते थे। इसने पंजाब के गवर्नर को चिन्ता होना स्वाभाविक था। (पृष्ठ ८०७)। अंग्रेज जानते थे कि भारत में उनका सामाजिक आधार लगभग नष्ट हो चुका है। यदि देशी फौज उनका साथ न देगी तो भारत पर अधिकार बनाये रखना असम्भव होगा। अंग्रेज फौजें थोड़ी थी, उनकी आवश्यकता अन्य क्षेत्रों में थी। भारत में विद्रोह होने पर अंग्रेजों के लिए एक ही चारा रहेगा कि नयी गोरी फौज ताकर इस देश को फिर से जीते। नवम्बर १९४५ में सेनाध्यक्ष ने अपना यह मत प्रकट किया, "यदि कुल मिलाकर देशी फौज भरोसा करने लायक न रह जाये, तो यहाँ जितनी ब्रिटिश फौज है, वह शायद आन्तरिक परिस्थिति पर काबू न पा सकेगी और न आवश्यक संचार-साधनों की रक्षा कर सकेगी। थोड़ी-थोड़ी ब्रिटिश फौज मदद के लिए भेजी जाये तो उससे भी काम न चलेगा। परिस्थिति पर फिर से काबू पाने के लिए और देश में आवश्यक संचार-साधनों को बहाल करने के लिए एक संगठित मुहीम भारत को फिर से जीतने के लिए चलानी पड़ेगी। इससे कम से काम न चलेगा। ऐसी मुहीम के लिए कितनी स्थलसेना और वायुसेना दरकार होगी, इसका हिसाब लगाना अभी मुमकिन नहीं है पर लाजमी तौर से बहुत बड़ी सैनिक-शक्ति दरकार होगी। यदि भारतीय फौज सरकार का समर्थन करने को तैयार न होगी तो लाजमी तौर से वह सक्रिय होकर उसका विरोध करेगी। इसके अलावा ऐसा सक्रिय विरोध भारत तक सीमित न रहेगा। समुद्रपार के क्षेत्रों में, जैसे कि बर्मा, मलाया, जावा और मध्यपूर्व में, जहाँ वादशाह सलामत की सरकार भारतीय फौजों को इस्तेमाल कर रही है, असन्तोष फैलेगा और इसका गहरा असर उन देशों की जनता के रूप पर पड़ेगा। ही सकता है कि अफगानिस्तान भी सीमान्त प्रदेश के कबीलों और उत्तर-पश्चिमी भारत के मुसलमानों का साथ देने की ठान ले।" (पृष्ठ ५८२-८३)।

भारतीय सेना अंग्रेज सरकार का समर्थन न करेगी तो उसका विरोध करेगी, यह सम्भावना १९४५ के अन्त में बहुत स्पष्ट हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि भारतीय इतिहास में १८५७ की आवृत्ति हो सकती थी और यह आवृत्ति पहले की अपेक्षा और बड़े पैमाने पर होती। दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर पड़ चुका था। उसकी काफी सैनिक शक्ति नष्ट हो चुकी थी। भारतीय फौज भारत के अलावा एशिया के अन्य देशों में साम्राज्यवादी हितों की रक्षा कर रही थी। भारत में विद्रोह का अर्थ होता एशिया के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह। क्रान्तिकारी उभार ऐसा व्यापक रूप ले सकता था कि भारतीय सेना का सहयोग मिलने पर वह एशिया में सारी साम्राज्यवादी व्यवस्था को नष्ट कर दे। इसीलिए भारत-स्थित अंग्रेज सेनाध्यक्ष चिन्तित था।

उसी दस्तावेज में सेनाध्यक्ष ने लिखा, "भारत में परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। यदि सरकार के खिलाफ व्यापक रूप से विद्रोह हो तो सारा दारोमदार भारतीय फौज की वफादारी पर होगा। यह सब फौजी ने अधिक राजनीतिक तौर पर निर्भर है। यह जरूरी है कि भारत में, और जहाँ भारतीय फौज हैं, ऐन

पड़ोसी देशों में, हम कोई ऐसा राजनीतिक काम न करें जिससे कि सरकार के प्रति भारतीय फौज की वफादारी खत्म करने के लिए लोगों को राजनीतिक आन्दोलन करने का अवसर मिले।" (पृष्ठ ५८३)। सेना घनिष्ठ रूप में राजनीतिक परिस्थिति से जुड़ी हुई थी, यह तथ्य यहाँ स्वीकार किया गया है। भारतीय जनता के साथ भारतीय सैनिक भी अपने देश की स्वाधीनता के प्रति सजग थे; यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना से प्रेरित होकर वे पड़ोसी देशों की स्वाधीनता के प्रति भी सजग थे। १९१४-१५ में गदर पार्टी के वीरों ने जो प्रयत्न किया था कि भारतीय फौज दूसरे देशों को दवाने के लिए इस्तेमाल न की जाये, वह प्रयत्न अब नयी राजनीतिक चेतना के प्रसार से सफल होता दिखायी दे रहा था। सेनाध्यक्ष ने लिखा, "अभी भी जावा, फ्रांसीसी हिन्द-चीन में हमारी कार्रवाई के लिए कहा जाता है कि पूरब के लोगों के राष्ट्रीय विद्रोह को यूरुपवाले दबा रहे हैं। यदि यह मुख्य राजनीतिक समस्या बन गयी, जैसी कि सम्भावना है, तो भारतीय फौज की वफादारी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अवश्य ही इन देशों या ऐसे अन्य देशों को भारतीय फौज भेजना बहुत ही अवाछनीय है।" (पृष्ठ ५८३)।

किन्तु खतरे की सम्भावनामात्र से अंग्रेज भाग खड़े होनेवाले न थे। वे इसकी तैयारी भी कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर विद्रोह हो तो उसके दमन के लिए यहाँ काफी गोरी फौजें मौजूद हों। आम जनता बगावत शुरू कर दे, उसके बाद ब्रिटिश कुमक का आना लाभकारी न होगा क्योंकि देशी फौज समझ जायेगी कि उसका भरोसा नहीं किया जा रहा। इसलिए ब्रिटिश फौज पहले से ही बुला लेनी चाहिए और उसे यहाँ किसी वहाँ से भेजना चाहिए। वहाना यह ही सकता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो हिन्दुस्तानी फौज है, उसकी जगह अंग्रेजी फौज रखी जायेगी। वहाँ पहुँचने के पहले उस ब्रिटिश फौज का पहला पड़ाव भारत में होगा। भारतीय फौज में ब्रिटिश अफसर कम रह गये थे। देशी अफसरों का भरोसा न किया जा सकता था, इसलिए सेनाध्यक्ष की निगाह में उस समय सबसे जरूरी काम यह था कि काफी संख्या में अनुभवी ब्रिटिश अफसर देशी सेना में रखे जायें।

२२ दिसम्बर १९४५ को सेनाध्यक्ष औकिनलेक ने उच्च सेनाधिकारियों को सूचित किया कि आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को काग्रम सच्चे दंगलभक्त कहती है और खूब बढ़ा-बढ़ाकर सरकारविरोधी प्रचार करती है। इसका असर फौजियों पर पड़ता है। वे गैरफौजियों से मिलते हैं, तब उन पर यह प्रभाव पड़ता है। उन पर यह प्रभाव सीधे-सीधे भी पड़ता है। भारत में जहाँ भी पल्टनें हैं, वहाँ से खबर यह मिलती है कि लोगों को इस प्रचार की जानकारी है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि सैनिक अपने अफसरों का हुक्म न मानेंगे या सरकार के प्रति

करें।" (पृष्ठ ६७४)। हो सकता है, कुछ पल्टनें सरकार के लिए अपनी ही जनता के खिलाफ तड़ पर यह बताना असम्भव है कि ऐसी पल्टनें कौन-सी हैं और

वहाँ-कहाँ हैं। गुरखा पल्टनों के अफसर अंग्रेज हैं और मम्मव है उन पर इस सब-का असर कम हो पर वे भी हिन्दू हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर कांग्रेसी प्रचार का असर न होगा। (पृष्ठ ६७४)। १८५७ में अंग्रेजों ने नेपाल के राणा की सहायता से अवध में अपनी मुहीम चलाने के लिए गुरखा सैनिकों का उपयोग किया था। तब ने अब तक परिस्थिति बहुत बदल गयी थी। कुछ गुरखा सैनिक आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे, यह उल्लेखनीय है। (पृष्ठ ५७६)। इन स्थिति में गुरा फौजों के अलावा अंग्रेज और किसी फौज का भरोसा न कर सकते थे। किन्तु वे जानते थे कि कांग्रेसी नेता स्वयं देशी फौजों की बनावत पसन्द न करेंगे। २२ दिसम्बर १९४५ के उन्नी दस्तावेज में नेताध्वज ने लिखा, "इस बात के संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस महसूस करने लगी है कि भारतीय फौज में अनुशासन ढीला होगा और अधिकारियों की आज्ञा न मानी जायेगी तो कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पर यह नव स्वयं उनके हित में न होगा, उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि विद्रोह के बढ़ने वह पहले संवैधानिक तरीके से उन नेता को प्राप्त कर लेने की कोशिश करे।" (पृष्ठ ६७४-७५)।

औकिनलेक ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के प्रति जो नीति अपनायी थी, वह बहुत से अंग्रेज फौजी अफसरों की निगाह में बेहद नरम थी और उसने अनुशासन बिगड़ता था। इस नीति को लेकर उन्होंने जो बातें कही थीं, उनका उत्तर देते हुए औकिनलेक ने नेता-नायकों के लिए एक दस्तावेज तैयार किया। अंग्रेजों की तात्कालिक और पूर्वकालिक नीति समझने के लिए यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय भावना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए औकिनलेक ने लिखा कि जो भी आदमी भारतीय कहलाने के योग्य है, वह राष्ट्रवादी है, यद्यपि इनका अर्थ यह नहीं है कि वह अंग्रेजविरोधी भी है। वहाँ तक भारत और उसकी स्वाधीनता का प्रश्न है, अब कोई अंग्रेजों का पक्ष लेनेवाला भारतीय नहीं है। हर हिन्दुस्तानी कमीशन्ड अफसर राष्ट्रवादी है और उसका ऐसा होना उचित है, "शर्त यह है कि वह भारत की आजादी संवैधानिक तरीके से प्राप्त करना चाहता हो।" (पृष्ठ ६४०)। जब अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि भारत छोड़ना है, तब संवैधानिक तरीके पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? क्या मम्मनपूर्वक विदा होने के लिए? अंग्रेज जानते थे कि उनके हितों की रक्षा उसी तरीके से हो सकती है, जिसे वे संवैधानिक कहते हैं। इसलिए वे संवैधानिकता की सीमाओं में बन्द रहने-वाले राष्ट्रवाद को ही उचित मानते थे।

भारतीय फौज के अंग्रेज अफसरों को लक्ष्य करके नेताध्वज ने लिखा कि देशी अफसरों के प्रति इनका व्यवहार भेदभाव बरतनेवाला होता था और अपमानजनक होता था। इसमें अनेक भारतीय अफसरों के मन में आक्रोश भर गया था। (पृष्ठ ६४१)। हिन्दुस्तानी अफसरों की तनखाह को लेकर, नेता-सम्बन्धी शर्तों को लेकर भेदभाव बरना गया था। हिन्दुस्तानी अफसरों को अलग टुकड़ियों में रखने की नीति अपनायी गयी थी। इनमें जो सबसे बुद्धिमान और प्रगतिशील थे, उनके मन में काले-गोरे के भेदभाववाली कटु भावना बहुत गहरे पैठ गयी थी। ये लोग स्वभावतः राष्ट्रवादी थे। वे चाहते थे कि भारत अपने पैरों खड़ा हो। "किसी भी

भारतीय अफसर को शक की निगाह से न देखना चाहिए, उसकी वफादारी पर सन्देह न करना चाहिए, केवल इसलिए कि वह राष्ट्रवादी है, इसलिए कि, हमारे शब्दों में, वह अच्छा भारतीय है।" (पृष्ठ ६४३) ।

औकिनलेक की नीति के कुछ आलोचकों का कहना था कि आजाद हिन्द फौज के सैनिक भारत से बाहर जहाँ पकड़े गये थे, वही उनका मामला निपटा देना चाहिए था यानी उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए था । इस बारे में औकिनलेक का कहना था कि बात दो-चार आदमियों की नहीं, पैंतालीस हजार आदमियों की थी और इतने आदमियों को मोर्चे पर सजा देना व्यावहारिक नहीं था । औकिनलेक ने अंग्रेजी पक्ष छोड़नेवाले सैनिकों की जो संख्या बतायी है, वह ध्यान देने योग्य है । विदेशियों से लड़ते हुए हजारों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया था । यदि भारतीय फौज से अपने देशवासियों में लड़ने को कहा जाता तो उनमें कितने अंग्रेजों का साथ देते, इसकी कल्पना की जा सकती है । १८५७ अंग्रेजों को याद था और भारतवासियों को भी । दिसम्बर १९४५ में बंगाल के गवर्नर से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने बंगाल ध्वज के सेनापति जनरल आर्थर-स्मिथ से बातें करते हुए "अंग्रेजों और उनके कारनामों के खिलाफ लम्बा व्याख्यान दिया; गदर और उसमें पहले की घटनाओं से शुरुआत की और शिमला-सम्मेलन पर बात खत्म की ।" (पृष्ठ ६५६) ।

१८५७ की तुलना में १९४५-४६ की स्थिति अंग्रेजों के लिए अधिक पेचीदा इसलिए थी कि वे भारत के अलावा भारत से बाहर अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय फौज पर निर्भर थे और भारत से बाहर पराधीन देशों की जनता विद्रोह करने पर तुल गयी थी । जनवरी १९४६ में वाइसराय ने भारत-सचिव को सावधान किया, "जिसे राष्ट्रीय स्वाधीनता-आन्दोलन कहा जा सकता है, उसे दबाने के लिए यदि भारतीय फौज को इस्तेमाल किया गया तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं । बादशाह सलामत की सरकार को यह बात महसूस करनी चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है । औकिनलेक की राय है कि ऐसी कार्रवाई का गहरा असर सारी हिन्दुस्तानी फौज के मनोबल पर पड़ सकता है और भारत में राजनीतिक समझौते पर भी पड़ सकता है । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बादशाह सलामत की सरकार वर्मा में इस तरह अपनी नीति चलाये कि वहाँ विद्रोह की सम्भावना न रहे ।" (पृष्ठ ८०८) । जो परिस्थिति भारत की थी, उससे मिलती-जुलती परिस्थिति वर्मा की थी । दोनों जगह विद्रोह का खतरा था और इस विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय फौज का भरोसा न किया जा सकता था ।

अपने साम्राज्य के अलावा अंग्रेजों ने दूसरे साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा का भार उठा रखा था । इनमें जावा द्वीप समूह पर शासन करनेवाले हालैंड के साम्राज्यवादी भी थे । इस कारण भारत के अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड की सरकार पर बराबर जोर डाल रहे थे कि इंडोनीशिया से भारतीय फौज तुरत वापस बुलायी जाये । दिसम्बर १९४५ में इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री ने सहयोगी मन्त्रियों की बैठक में कहा कि हालैंड और इंडोनीशियन लोगों के बीच समझौता कराने के लिए

कोशिश हो रही है। ऐसी हालत में भारतीय फौज की वापसी के बारे में वाइसराय कोई निश्चित बयान नहीं दे सकते। विदेश सचिव ने बताया कि मास्को-स्थित अंग्रेज राजदूत को समझौते की बातचीत में मदद लेने के लिए जावा भेजा जा रहा है। समझौते की बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, इसकी जानकारी हफ्ते भर में हो जायेगी। तब तक वाइसराय को कोई घोषणा न करनी चाहिए। (पृष्ठ ७६४)। समझौते की बातचीत भारत में चल रही थी, अंग्रेजों की प्रेरणा से ऐसी ही बातचीत जावा में चल रही थी। यदि जावा, वर्मा और भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन मुलह-समझौते का रास्ता छोड़कर क्रान्तिकारी ढंग से साम्राज्यवाद का मुकाबला करते तो इसमें सन्देह नहीं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति बिल्कुल बदल जाती।

३. नाविक-विद्रोह

१८ फरवरी १९४६ को जल-सेनापति रैटरे ने बम्बई के गवर्नर को सूचित किया कि 'तलवार' नाम के जहाज में नाविकों ने हड़ताल कर दी है। इन्हें अपने नायक के व्यवहार से गिकायत थी। विरोधस्वरूप उन्होंने खाना न खाया। रात में 'तलवार' के नाविक अपनी बारिकों से निकलकर कैंसल और फोर्ट बारिकों में पहुँचे। वे चाहते थे कि वहाँ के नाविक सहानुभूति में निकल आयें। इन सब स्थानों से नाविक निकल आये और बम्बई के फोर्ट इलाके में फैल गये। इनमें कुछ के हाथ में हाकियाँ थी। कई जगह उपद्रव हुए लेकिन दो घण्टे में पुलिस ने शान्ति-व्यवस्था कायम कर ली। नाविकों ने कई फौजी ट्रकों पर सवार होकर नारे लगाते हुए शहर का चक्कर लगाया। दो ट्रकों गवर्नर ने खुद देखी। इनमें बैठे हुए नाविक हँस रहे थे और लोगों की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। १९ तारीख को जल-सेनापति रैटरे ने गवर्नर से कहा कि नाविकों ने अपने अफसरों के प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं किया लेकिन वे उनकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं हैं। उनके साथ बहुत से छोटे अफसर और कुछ बड़े अफसर भी थे। जल-सेनापति के पास परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त साधन न थे। गवर्नर ने वाइसराय को सूचित किया, "स्पष्ट था कि काफी बड़े पैमाने पर बगावत (म्युटिनी) हुई है। शहर में जो नाविक-संस्थान हैं, उनके अलावा बन्दरगाह में जो बाईस जहाज हैं, वे भी शामिल हैं और बम्बई के बाहर समुद्रतटवर्ती संस्थान शामिल हैं। हम लोगों ने परिस्थिति पर विचार किया और तय किया कि इस मामले को फौज अपने हाथ में ले और जरूरत हो तो हथियारबन्द पुलिस की मदद ले।" (पृष्ठ १०८०)।

२० तारीख को एक मराठा बटालियन और हथियारबन्द पुलिस की मदद से विद्रोही नागरिकों को घेर लिया गया और उन्हें बारिकों में वापस भेजा गया। जल-सेनापति ने शहर में घोषणा की कि जो भी नाविक बाहर हों, अपनी बारिकों में वापस चले जायें। अधिकांश चले गये; लगभग सौ नाविक शहर में गिरफ्तार किये गये। कैंसल बारिक से विद्रोही नाविकों ने रात में बाहर निकलने का प्रयत्न किया और अगले दिन सुबेरे उन्होंने फिर यही कोशिश की। जहाज के आदमियों ने उन्हें हथियार भेज दिये थे। इस बार नाविकों और फौजी पहरेदारों के बीच

गोली चली। जो लोग जहाजों पर थे, वे भाग कर रहे थे कि फौजी पहरेदार हटाये जायें, वरना वे जहाजों की तोपों से गोलाबारी शुरू कर देंगे। अंग्रेजों ने तय किया कि पहरेदार न हटायेगें। उन्होंने सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर बमबर्षक हवाई जहाज बुला लिए, ब्रिटिश पैदल सैनिकों की दो बटालियन, एक तोपखाना, एक हथियारबन्द गाड़ी वगैरह की भी व्यवस्था की। कुछ जंगी जहाजों के भी दो-तीन दिन में आने की व्यवस्था की।

बम्बई के गवर्नर को वल्लभभाई पटेल का संदेश मिला कि विद्रोह से कांग्रेसी नेताओं का कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्होंने जनता में शान्ति बनाये रखने को कहा है। रक्तपात रोकने के लिए वे जो भी बन पड़े, करने को तैयार हैं। गवर्नर के अनुसार अरुणा आसफ अली लोगों को भड़काना चाहती थी किन्तु वल्लभभाई पटेल से उन्हें कोई प्रोत्साहन न मिला। सावंजनिक सभाओं में उनके व्याख्यानों पर सरकार ने पाबन्दी लगा दी थी। “लेकिन पुलिस ने सूचना दी कि कांग्रेस सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आग भड़काने में लगे हुए हैं और स्पष्ट ही विद्रोहियों से उन्हें हमदर्दी है। सप्ताह का अन्त होते-होते हड़तालें और उपद्रव होने की सम्भावना है। बृहस्पतिवार २१ तारीख को काफी रात गये उपद्रव शुरू हुआ और हूल्लडबाज हमदर्दों ने खड़कियाँ तोड़ दी और गाड़ियाँ जला दी। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। शुक्रवार २२ तारीख के सबेरे बड़े पैमाने पर उपद्रव फैल गया। ऊपर से लगता था कि यह सब नाविकों से सहानुभूति जताने के लिए हो रहा है, हालाँकि वह कांग्रेस और लीग दोनों के ही नेताओं की सलाह के खिलाफ हो रहा था। कम्युनिस्टों और विद्यार्थियों ने हड़ताल कराई। हर उपद्रव से लाभ उठानेवाले बलवाई शामिल हो गये और इससे एक ही समय पर शहर के कई भागों में स्थिति को संभालना पुलिस के लिए बहुत कठिन हो गया। लगभग सभी मिलों के मजदूर निकल आये। आगजनी और लूटपाट सब तरफ होने लगी। पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसने सहायता के लिए फौज को बुलाया। दिन के साढ़े ग्यारह बजे एक बटालियन उनकी मदद के लिए आई और शाम तक दो बटालियनें मदद करती रही। कई स्थानों पर भीड़ ने जमकर मुकाबला किया। उसने सड़क पर अवरोध खड़े कर दिये और पड़ोस की इमारतों से वह उनकी निगरानी करती रही। जो भी अवरोध हटाने की कोशिश करता था, उसे वह पत्थर मारती थी। शहर के यूरोपियन भाग में काम-काज ठप्प हो गया। दोपहर तक बैक बन्द हो गया। द्वीप के [अर्थात् बम्बई के] घनी आबादी वाले केन्द्रीय भाग में उपद्रव फैल गया और, उससे थोड़ा कम, उत्तर के मिल वाले इलाके में फैला। काफ़ी बड़े क्षेत्र पर कर्फ्यू लागू किया गया किन्तु रात में एक से अधिक भागों में उपद्रव हुआ।” (पृष्ठ १०८-१०९)।

उस दिन मुस्लिम लीग के सूबाई नेता चन्द्रीगर और बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सादोबा पाटिल ने गवर्नर को आश्वासन दिया कि वे उपद्रव शान्त करने को उत्सुक हैं और “पुलिस की सहायता करने के लिए स्वयंसेवक भेजने को तैयार हैं। अगले दिनों इनमें से कई स्वयंसेवक मैन देते। उनका काम

उपयोगी था, यद्यपि सीमित था। वीखलाई भीड़ से निपटना उनके लिए सम्भव न था। उससे केवल बल-प्रयोग द्वारा निपटा जा सकता है। लेकिन जब उपद्रव की तेजी धीमी हो जाये तो वे लोगों को शान्त कर सकते हैं।” (पृष्ठ १०८२)

२२ तारीख को विद्रोही नाविक घिरे हुए थे पर उन्होंने आत्मसमर्पण न किया था। २३ तारीख शनिवार को काफी बलवा हुआ, “खासतौर से शहर के उत्तरी भाग में, मिलों वाले इलाके में।” तीन बटालियनों शासन की मदद कर रही थी और उन्होंने कई जगह गोली चलायी। एक हजार आदमी गिरफ्तार किये गये। २२८ नागरिक मारे गये और १०४६ घायल हुए। २४ पुलिस अफसरों और ६६ सिपाहियों को चोटें आयी। ३ कानिस्टेबल मारे गये। २३ तारीख को विद्रोही नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

२६ तारीख को चौपाटी की सभा में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल ने व्याख्यान दिये। “ऐसा करने से पहले उन्होंने अनुमति मांगी क्योंकि हमने सभाओं पर पाबन्दी लगा रखी थी। उन्होंने संकेत किया था कि उनका मुख्य उद्देश्य हिंसा की निन्दा करना है और जिन लोगों ने उपद्रव किया है, उन्हें फटकारना है।” (पृष्ठ १०८३)। गवर्नर ने वाइसराय को सूचित किया कि कुछ बातें ऐसी कही गयीं जिनसे हमारा काम आसान न होगा पर कुल मिलाकर दोनों वक्ताओं ने, विशेष रूप से पटेल ने, उपद्रव और हिंसा की व्यर्थता पर जोर दिया। सभा में काफी लोग आये थे और पाबन्दी लगाना उचित न होता। गवर्नर ने वाइसराय को यह भी सूचना दी कि वल्लभभाई पटेल का सन्देश लेकर मादोबा पाटिल मिलने आये। उन्होंने आगा व्यक्त की कि विद्रोही नाविकों में नर्मी का व्यवहार किया जायेगा। “उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के गरम सदस्यों के बुलावें पर, और वल्लभभाई पटेल की सलाह के विताफ, नेहरू बम्बई आये थे। लेकिन उन्हें आग भड़काने से रोक दिया गया था। यहाँ पहुँचने पर उन्हें समझा दिया गया था कि हिंसा का जो भयानक विस्फोट हुआ है, उस पर काबू पाना जरूरी है।” (पृष्ठ १०८४)। निष्कर्ष रूप में गवर्नर ने लिखा, “मेरे लिए यह बात साफ है कि स्थानीय कांग्रेसी नेता स्पष्ट ही परिस्थिति के बारे में चिन्तित हैं, और उन्हें विश्वास है कि कम्युनिस्ट अराजकता फैलाने पर तुले हुए हैं। भविष्य में जमकर आन्दोलन चलाने की कांग्रेसी योजना जो भी हो, मुझे विश्वास है कि वे इस समय गड़बड़ नहीं चाहते। मुझे सतत इस बात का दिसायी देना है कि उनका वामपक्ष उनके काबू से बाहर हो सकता है।” (उप.)।

अगले महीने झाँसी की एक सभा में जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई के नाविक-विद्रोह के बारे में कहा, “इस हड़ताल का बड़ा राजनीतिक महत्व है। हमारे जवानों ने जोस में कुछ ऐसे काम किये जो जिन में हम महमत न हों, यह सम्भव है, किन्तु इससे उसका महत्व कम नहीं होता; देश में इस घटना की जो जबर-दस्त प्रतिक्रिया हुई है, उस पर पानी नहीं फेरा जा सकता। इनने दिग्ग दिसा हे कि हिन्दुस्तानी फौज का दिमाग किस तरह काम कर रहा है। उनमें यह भी दिग्ग दिसा हे कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानी फौज और भारतीय जनता के बीच जो मोहों की दीवार राड़ी की थी, यह दह गयी है। भारतीय सैनिक अधिकतर हिन्दुस्तानी में न

आये है। राजनीतिक और आर्थिक शोषण के बारे में वे उतने ही सचेत हैं जितने खेतों और कारखानों में काम करनेवाले उनके भाई हैं।" (पृष्ठ १११७)।

बम्बई के अलावा नाविक-विद्रोह कराची में भी हुआ। अंग्रेजों के लिए बम्बई के विद्रोह से कराची का विद्रोह और भी खतरनाक था। बम्बई में नगर की जनता ने नागरिकों का साथ दिया और सैकड़ों आदमी मारे गये; यदि कराची की जनता भी नाविकों का साथ देती तो पाकिस्तान की सारी योजना खटाई में पड़ जाती। पाकिस्तान में जो एक प्रदेश निर्दिष्ट रूप से शामिल किया जानेवाला था, वह सिन्ध था। यहाँ नाविकों और फौजियों के बीच गोली चली। इसमें गवर्नर मूडी के अनुसार चार नाविक मारे गये। जनता के प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलायी जिसमें आठ आदमी मारे गये। नाविकों के पास छोटी तोपें थी जिनसे विशेष क्षति नहीं हुई लेकिन कुछ गोले बलूची पल्टनों की वारिकों के पास गिरे। रात में कई सरकारी इमारतों पर और दो पुलिस-थानों पर भीड़ ने हमला किया। पुलिस और ब्रिटिश फौज की गाड़ियों पर हमले हुए। कुछ गाड़ियाँ अमरीकी फौज की थी। उन पर भी पत्थर फेंके गये। सड़क पर जो अंग्रेजी पोशाक पहने निकलता था, लोग उसका हैट और टाई छीनकर जला देते थे। अधिकारियों के अनुसार बलवा करनेवाले ज्यादातर हिन्दू छात्र थे लेकिन उनके साथ कुछ मुसलमान भी थे। कांग्रेस के बड़े नेता किसी सम्मेलन में भाग लेने कराची गये हुए थे। बलवा किसने कराया, इस बारे में मूडी ने राय जाहिर की, "व्यक्तिगत रूप से मुझे सन्देह नहीं है कि सारे फसाद की जड़ कम्युनिस्ट थे। 'हिन्दुस्तान' जहाज की चार इंची वाली तोपों ने शायद दूसरी पार्टियों के नेताओं को विश्वास करा दिया कि यहाँ मामला गरम है।" (पृष्ठ १०७२)।

उपद्रव के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई जिम्मेदार हो, मूडी ने वाइसराय को लिखा कि अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली आदि की है जो आजाद हिन्द फौज का यश गाकर हिंसा को बढ़ावा देते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव सिन्ध की जनता पर भी था; वहाँ की जनता भी अंग्रेजी राज को खत्म करके स्वाधीन होना चाहती थी। यह तथ्य मूडी के इस वयान से स्पष्ट होता है, "वातावरण ऐसा है कि सरकार के ऊपर कोई भी हमला हो, लोग समझते हैं, यह देशभक्ति का काम है, भले ही उसका उद्देश्य केवल बरवादी हो। नेहरू को पश्चिम से नफरत का रोग लगा है; वह सब जनता के मन में उन्होंने सफलतापूर्वक भर दिया है, अपने काम के नतीजे की विल्कुल चिन्ता नहीं है। २५ फरवरी १९४६ के 'स्टेट्समैन' में उनका ताजा बयान छपा है। उनका कहना है कि दूसरे मसले हल करने से पहले, और इनमें शायद पाकिस्तान का मसला भी है, केन्द्र में एक कार्यकारिणी स्थापित कर दी जाये जिसके हाथ में पूरी ताकत हो और उसके प्रधानमंत्री शायद वह खुद होंगे। और उनका सुझाव है कि सत्त खत्म होने से पहले एक नया संविधान बना दिया जायेगा और लागू कर दिया जायेगा। इससे मेरी शका पुष्ट होती है। ऐसा कार्यक्रम चुरी तरह असफल होगा और तब परिस्थिति बहुत ही गम्भीर होगी। शहर की भीड़ों को सिखा दिया गया है कि वे हमें साल के भीतर निकाल बाहर करें। जहाँ तक मुझे मालूम है,

अन्तर्राष्ट्रीय पंच फौसले की व्यवस्था हो सकती है। वाइसराय ने पूछा कि इस फौसले को लागू कौन करेगा; क्या वह चाहते हैं कि इस मामले में रूस टांग अड़ाये? "उन्होंने [देवदास गांधीने] कहा कि उन्हें आशा है कि ब्रिटिश सम्बन्ध बना रहेगा; अन्तर्राष्ट्रीय फौसले से इतना ही मतलब था कि उसमें शायद हमें [अर्थात् अंग्रेजों को] 'नैतिक समर्थन' मिल जायेगा। मैंने कहा, इधर कई अन्तर्राष्ट्रीय बच्चे हमें संभालने पड़े हैं और मैं समझता हूँ, अब एक और बच्चे की जरूरत नहीं है। परिवार के झगड़े परिवार में ही तै कर लेने चाहिए।" (पृष्ठ १११२)। वाइसराय के लिए सारा झगड़ा परिवार के दो सदस्यों के बीच था। झगड़ा इस तरह हल करना था कि परिवार टूटने से बचा रहे। देवदास गांधी इस दृष्टिकोण से सहमत जान पड़ते थे। किन्तु बात केवल देवदास को न थी। भारत-सचिव को अपना उक्त पत्र भेजते हुए वाइसराय ने ३ मार्च १९४६ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की कतरन भेजी। इसमें कांग्रेस के सभापति अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, "सत्ता और प्रभुत्व का वास्तविक आधार जनता है। विदेशी हाथों से भारतीय हाथों में सत्ता पहुँचने ही वाली है। यह सत्ता जनता को प्राप्त होनेवाली सत्ता होगी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सब लोग बड़ी सावधानी से कदम उठावें, ऐसी परिस्थिति पैदा करने में बचें जिसमें वे लोग फायदा उठा सकते हैं जो भारत की आकांक्षा के शीघ्र पूरा होने में बाधा डालेंगे। वर्तमान परिस्थिति की यह अनिवार्य माँग है कि हम बड़े आत्मसंयम से काम लें। देश के अस्थायी शासन का विरोध करना, हड़तालें करना, यह सब वर्तमान परिस्थिति में अनावश्यक है। विदेशी शासक इस समय अस्थायी रखवाले (केयरटेकर) की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा कोई मसला पैदा नहीं हुआ कि उनसे भिड़ने की जरूरत हो। जब वे सत्ता सौंपने से इन्कार करेंगे, और इसका फैसला थोड़े ही दिनों में हो जायेगा, तब हम देखेंगे, क्या करना चाहिए। जब वक्त आयेगा, तब कांग्रेस विभुल बजाने से चूकेगी नहीं। तब तक अपनी सारी शक्ति सँजोकर रखनी चाहिए और पूरी सावधानी से हर तरह की टक्कर से बचना चाहिए।" (पृष्ठ १११६)।

अंग्रेज आज़ादी देने ही वाले हैं और हर तरह की टक्कर से बचना चाहिए, यह नीति केवल अबुल कलाम आज़ाद की न थी। वाइसराय ने एक कतरन ४ मार्च १९४६ के 'स्टेट्समैन' की भी भेजी थी। झाँसी की जिस सभा में जवाहर लाल नेहरू ने बम्बई के नाविक-विद्रोह के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला था, उसी में उन्होंने, 'स्टेट्समैन' की रिपोर्ट के अनुसार, कहा था, "कांग्रेस कोशिश करेगी कि जरूरी और बुनियादी मसले वह बातचीत और समझौते के जरिये हल करे क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश को बार-बार अभि-परीक्षा तब देनी पड़े जब उससे बचना सम्भव हो। लेकिन जो बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, वह यह है कि पूर्ण स्वाधीनता की अपनी माँग से एक इंच भी पीछे हटने को कांग्रेस तैयार नहीं है।" (पृष्ठ १११७)।

४. जातीय और राष्ट्रीय एकता तथा साम्राज्यवाद

अंग्रेजों का विचार था कि भारत की सुरक्षा-व्यवस्था और विदेश-नीति उनके हाथ

में रहे तो इस देश की एकता कायम रखी जा सकती है। संयुक्त भारत की केन्द्रीय शासन कमजोर होगा क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमानों के प्रान्त बहुसंख्यक हिन्दुओं के प्रान्तों से खींचतान करते रहेंगे। इन दो हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के अलावा तीसरा समुदाय देशी रियासतों का होगा जो स्वाधीन भारत में ब्रिटिश शक्ति का समर्थक बना रहेगा। यदि सुरक्षा और विदेश-नीति उनके हाथ में न रहें तो वे भारत का विभाजन पसन्द करेंगे जिससे कि एक राज्य में उनका प्रभाव बना रहे। बुड्डो वायट ब्रिटिश पार्लिमेण्ट के सदस्य थे और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के सहायक थे। ८ जनवरी १९४६ को उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना से बातचीत की। कैबिनेट मिशन भारत में आया था; ब्रिटिश पार्लिमेण्ट के कुछ सदस्य आये थे। उन्हीं में वायट थे। जिन्ना से उनकी मुलाकात का हाल मेजर रैन्किन ने लिखा। उसके अनुसार जिन्ना ने यह आश्वासन दिया, “पाकिस्तान साम्राज्य में रहेगा और उसका गवर्नर जनरल ब्रिटिश होगा। पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के बहुत पीछे होगा; इस कारण उसके विकास के लिए ब्रिटिश उद्योग-धन्धों और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जायेगा।” (पृष्ठ ७९९)।

जब से मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, तब से निरन्तर धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित गति से, अंग्रेज इसी विकल्प की ओर बढ़ रहे थे। वे कांग्रेस से इसी आधार पर बातें कर रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है और हिन्दुओं का कांग्रेस। कांग्रेस के नेता यह स्थिति स्वीकार न करते थे किन्तु अंग्रेजों से मुलह-समझौते की बात इसी आधार पर होती थी। कांग्रेस के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता यह कि समझौते की बातचीत छोड़कर राष्ट्रीय एकता की समस्या का क्रान्तिकारी समाधान अंग्रेजों पर लाद दें, उन्हें उस समाधान को मानने के लिए बाध्य करें। इसके लिए सन् ४२ की अपेक्षा ४५-४६ में परिस्थिति कहीं अधिक अनुकूल थी। राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी क्रान्ति के लिए अनुकूल थी। किन्तु कांग्रेस के सुधारवादी नेता क्रान्ति के पक्ष में न थे। वे अंग्रेजों पर उतनाही दबाव डालना चाहते थे जितना मुलह-समझौते के लिए जरूरी हो। क्रान्तिकारी आन्दोलन चले और उसकी बागडोर उनके हाथ से निकल जाये, यह वे कभी न चाहते थे। दूसरा रास्ता यह था कि अंग्रेजों के बनाये हुए चौखटे के भीतर वे समझौते की बात करें, ऊपर से कहते रहे कि वे सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं लेकिन व्यवहार में स्वीकार करें कि वे हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं, और मुसलमानों के प्रतिनिधियों, मुस्लिम लीग के नेताओं, से बातचीत करने को तैयार हैं। अंग्रेज जिस भूमि पर समझौते की बातचीत चला रहे थे, वह एकतावाद राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमि थी ही नहीं। अंग्रेजों की बनायी हुई समझौते की राह छोड़े बिना राष्ट्रीय एकता की भूमि पर शासकों को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य करना असम्भव था।

उल्लेखनीय है कि १९३७ में जब कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने, तब मुस्लिम लीग उन प्रान्तों में तेजी से शक्तिशाली बनी जिनमें मुसलमान अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक मुसलमानों के आन्दोलन को अंग्रेजों ने बहुसंख्यक मुसलमानों का आन्दोलन बना दिया। पाकिस्तान के लिए सबसे जोरदार आन्दोलन कर रहे थे संयुक्त प्रान्त

के मुसलमान, न कि सीमा प्रान्त या सिन्ध के मुसलमान। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल १९३५ के जिस ब्रिटिश कानून के आधार पर बने थे, उसमें विभाजन के बीज मौजूद थे। कांग्रेसी नेता स्वीकार करते थे कि सन् ३५ के कानून से वास्तविक अधिकार उन्हें न मिलेगे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सम्पूर्णानन्द आदि ने उस कानून के मातहत मन्त्रिमण्डल बनाने का विरोध किया था किन्तु सुधारवादियों का कहना था कि वे विधानसभाओं में घुसकर भीतर से कानून तोड़ेंगे। कुछ समय बाद स्वयं सम्पूर्णानन्द संयुक्त प्रान्त के मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। जो लोग मन्त्रिमण्डल बनाने के विरोधी थे, उनके पास क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाने का कोई वैकल्पिक कार्यक्रम न था। इसलिए उनका विरोध निर्जीव था, कांग्रेसी नीति पर उसका कुछ भी असर न हुआ। सन् ४२ में जब क्रिप्स आये, तब कांग्रेस ने यह सिद्धान्त मान लिया था कि भारतीय संघ में जो प्रान्त शामिल न होना चाहें, उन्हें अलग रहने का अधिकार होगा। इसलिए १९४६ में जो समझौते की बातचीत चल रही थी, उसकी आधारभूमि अंग्रेजों ने पहले से ही काफी मजबूत कर रखी थी। दूसरा महायुद्ध छिड़ने से पहले कांग्रेस-शासित प्रान्तों में जहाँ भी किसान और मजदूर संगठित हुए और अपने अधिकारों के लिए लड़े, वहाँ कांग्रेसी सरकारों ने उनका दमन किया। इस प्रकार कांग्रेसी सरकारें जन-साधारण में बदनाम हुईं। इससे लाभ उठाकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने पिछड़े हुए मुसलमानों को उभारा, अंग्रेजी राज को दोष न देकर उन्होंने कांग्रेस को दोष देना शुरू किया और साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने से पहले मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की माँग न की थी। सर मुहम्मद इक़्बाल पाकिस्तान की चर्चा शुरू कर चुके थे किन्तु मुस्लिम लीग भी उस समय उनका प्रस्ताव मानने को तैयार न थी। कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल स्वीकार करके साबित कर दिया कि अंग्रेजों के बनाये कानून को मान लेने का मतलब है सम्प्रदायवाद का प्रसार। सन् ४० में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ और सन् ४७ में पाकिस्तान नाम का राज्य बन गया।

भारत में ऐसे अंग्रेज थे जो यह जानते थे कि आत्मनिर्णय के अधिकार से पाकिस्तान की माँग का कोई सम्बन्ध नहीं है, पाकिस्तान बनने से मुसलमानों का अहित सबसे पहले होगा, और पाकिस्तान की माँग को उभारने में स्वयं अंग्रेजों का हाथ है। सर एन्ड्रू क्लॉउ, आई. सी. एस., असम प्रान्त के गवर्नर थे। उन्होंने सर डेविड कोलविल को पाकिस्तान-सम्बन्धी अपना दस्तावेज भेजा था। कोलविल यम्बई प्रान्त के गवर्नर थे; १९४५ में जब-जब वेवेल इंग्लैण्ड जाते थे, तब वह गवर्नर जनरल का काम संभालते थे। असम के गवर्नर ने अपना दस्तावेज वेवेल के लिए तैयार किया था, उनकी अनुपस्थिति में उसे कोलविल के पास भेजा था। इस दस्तावेज में उन्होंने कहा था : जैसे लड़के पटाका दागते हैं, वैसे पाकिस्तान की शुरुआत हुई। अब उसने जोर पकड़ लिया है और वह संगठित मुस्लिम समुदाय को घोषित नीति बन गया है। १९३७-३९ में अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस-शासन कायम हुआ, इसी से पाकिस्तान की माँग ने जोर पकड़ा। उस समय मुसलमानों के प्रतिनिधि मिले-जुले मन्त्रिमण्डलों में शामिल होने को तैयार थे लेकिन कांग्रेस

ने मुस्लिम लीगियों को लिया नहीं, उनकी जगह कांग्रेसी मुसलमानों को लिया जिनका मुसलमानों पर असर न था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल का स्वरूप या दृष्टिकोण मूलतः सवर्ण हिन्दुओं का था। मुस्लिम लीग ने जो अत्याचार की बातें कही, वैसे कहीं कुछ न था, लेकिन बहुत तरह से मुसलमानों को महनूस कराया गया कि वे अल्पसंख्यक हैं और उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। “यह ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान की मांग सबसे जोरदार उन प्रान्तों में रही है जिनमें मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, न कि उन प्रान्तों में जिनमें पाकिस्तान बनेगा। हालांकि मजहबी प्रचार से दूसरे प्रान्तों के मुसलमान पाकिस्तान की मांग का साथ देने को मजबूर हुए हैं, फिर भी उनमें बहुत से (शायद अधिकांश) इस मांग के बहुत नरम समर्थक रहे हैं।”

इसके आगे क्लाइ ने लिखा, “पर इस बात से इन्कार करना मुश्किल जान पड़ता है कि पाकिस्तान की मांग को जीवन्त समस्या बना देने में एक हद तक हमारा योगदान भी रहा है। मेरी समझ में यह सच है कि दो भारत-सचियों ने इसे निरास मन की पुकार कहा है और वाइसराय ने ऐसे शब्दों में उसका उल्लेख किया है कि उनसे अंग-विच्छेद की ध्वनि निकलती है और उसके विरुद्ध अन्य सकेत भी किये हैं। किन्तु क्रिप्स-प्रस्ताव में उसे इस तरह माना गया था कि कुछ लोगों को लगता था कि अंग्रेज अपनी ईमानदारी जताना चाहते थे, न कि वे भारत की वास्तविक स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। इसमें भी अधिक गम्भीर बात यह है कि जनता को, खासतौर से मुसलमानों को यह समझाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया गया कि पाकिस्तान से कौन-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा होंगी।”

क्लाउ ने आगे जिन्ना के बारे में लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान की व्याख्या नहीं की। अपनी धान अस्पष्ट रखने से वह पाकिस्तान के लिए समर्थन प्राप्त कर सके। संवैधानिक स्थिति क्या होगी, उसमें कौन-सा इलाका होगा, पहले इसकी व्याख्या करने को वह तैयार ही न होते थे लेकिन धीरे-धीरे उन्हें मजबूर होकर स्पष्ट करना पड़ा कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो स्वतन्त्र राज्य बनेंगे, पश्चिमोत्तर प्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, बंगाल और अमम प्रनुतासम्पन्न मुस्लिम इलाके होंगे। यह सब पाकिस्तान की मूल धारणा में बुनियादी तब्दीली करना था। मूल धारणा यह थी कि मुसलमान जहाँ दरजसल बहुसंख्यक हैं, वहाँ अलग राज्य बनेगा। यह राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत तक सीमित होगा। अब इस राज्य में ऐसे इलाके मिलाने की बात है जिनमें बहुसंख्यक जनता गैरमुसलमान है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया कि केवल बहुसंख्यक मुसलमानोंवाले इलाके में जो पाकिस्तान बनेगा, वह अपने पैरों खड़ा न हो पायेगा। उसमें पश्चिमोत्तर भारत के कम उपजाऊ प्रदेश और पूर्वी बंगाल के दलदल रह जायेंगे। साधनों की कमी होगी और मुरदा की समस्या हल करना असम्भव हो जायेगा।

क्लाउ ने अन्य समस्याओं के बारे में लिखा कि उन पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं है पर एक समस्या को दरकिनार किया गया है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। वह कश्मीर की समस्या है। यदि मुसलमान कहें कि वहाँ ज्यादा

आवादी मुसलमानों की है, इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहिए तो हिन्दू कहेंगे, हैदराबाद हमारा है। बंगाल भारत का सबसे धनी प्रान्त है। अभी वहाँ अधिकांश सत्ता मुसलमानों के हाथों में है। लेकिन बंटवारा होने पर मुसलमानों को बंगाल का सबसे घटिया इलाका मिलेगा और कलकत्ता उसमें न होगा।

(मुस्लिम लीग के नेता आत्म-निर्णय के अधिकार की दुहाई देकर पाकिस्तान की मांग कर रहे थे किन्तु आत्म-निर्णय जातियों का होता है, सम्प्रदायो का नहीं। जिन्ना मुसलमानों की कौम की बात करते थे लेकिन यह कौम बंगाल में बंगला, सिन्ध में सिन्धी, कश्मीर में कश्मीरी भाषाएँ बोलती थी। अनेक प्रदेशों में अनेक भाषाएँ बोलनेवाले लोग एक जाति के नहीं हो सकते। जर्मनी और अमरीका के ईसाई एक कौम नहीं है।) क्लॉउ ने जातीय आत्म-निर्णय की बात चलाकर साम्प्रदायिक विभाजन की अवैज्ञानिकता स्पष्ट की। उन्होंने लिखा, “यह बात काफी साफ है कि सम्बद्ध प्रदेशों की बहुसंख्यक जनता शुरू में पाकिस्तान के लिए मत देगी, यह विश्वास जिन्ना तक को नहीं है। इसलिए उनकी मांग है, केवल मुसलमान मतदान करेंगे। यह आत्म-निर्णय के अधिकार को पूरी तरह अस्वीकार करना है। पाकिस्तान के प्रस्ताव का आधार यही आत्म-निर्णय का अधिकार है। लेकिन बादशाह सलामत की सरकार में किसी ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी नहीं की।” (पृष्ठ १५०)। क्लॉउ जानते थे कि भारत अपनी एकता के बल पर ही वास्तविक प्रगति कर सकता है और राष्ट्रों में ऊँची जगह पा सकता है। “धार्मिक आधार पर उसका विभाजन पाकिस्तान तक सीमित न रहेगा। उससे विचारों में प्रतिक्रियावाद का जन्म होगा और हर क्षेत्र में कमजोरी आयेगी।” (पृष्ठ १५१)। अगस्त १९४५ में कही हुई यह बात पिछले समूचे अनुभव से सही साबित हुई है। विभाजन का परिणाम क्या होगा, इसे कांग्रेसी नेता बहुत अच्छी तरह जानते थे। हम ब्रिटिश गवर्नर से आशा नहीं करते कि वह इंग्लैण्ड की सरकार को अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य करेगा किन्तु राष्ट्रीय नेताओं से यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वे इस जाल से बाहर निकलेंगे। भारत की एकता बनाये रखने में भारतीय पूँजीपतियों का हित था। वे पश्चिमी उद्योगपतियों से सफलतापूर्वक होड़ कर सकते थे। किन्तु जैसे उद्योगपति, वैसे ही उनके प्रतिनिधि; क्रान्ति के भय से दोनों ही पीड़ित थे। शायद अंग्रेजों को भी क्रान्ति से इतना भय न था जितना भारतीय पूँजीपतियों और पूँजीवादी नेताओं को था।

पंजाब के गवर्नर सर बर्ट्रेंड ग्लान्सी, आई. सी. ऐम., क्लॉउ की तरह आत्म-निर्णय और जातीयता के आपसी सम्बन्ध से परिचित थे। उन्होंने १६ अगस्त १९४५ के दस्तावेज में वेबल को मावधान किया था कि मुस्लिम लीग के प्रचार का परिणाम भयानक हो सकता है। मोटे तौर से जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, वह तर्क-बुद्धि से एकदम उल्टा हो सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और यह “भारत के लिए, घासतौर से मुसलमानों के लिए, विनाशकारी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक नारे के रूप में इस कारण यह कम प्रभावशाली नहीं हो जाता। जिन मुसलमानों को जानकारी नहीं है, उनमें कहा जायेगा कि योठ देते समय तुम्हें एक ही सचान का जवाब देना है—तुम सच्चे मुसलमान हो या काफिर

और गद्दार हो ?" (पृष्ठ ७१)। ग्लान्सी ने वाइमराय को सूचित किया कि यह सरकारी और गैरसरकारी, देशी और विलायती, हर तरह के लोगों से मिल चुके हैं। आम राय यह है कि पाकिस्तान के बनने की नीवत आयेगी तो बड़े पैमाने पर रक्तपात का सामना करना पड़ेगा। गैरमुस्लिम, खासतौर से सिख, कोरी धड़की नहीं दे रहे। जिस सरकार को मुसलमानों का राज कहा जाता है, उसे वे चुपचाप स्वीकार न कर लेंगे। "इसलिए बहुत विलम्ब हो जाने से पहले ही मेरी समझ में ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी है जिममे पाकिस्तान के मिद्धान्त की हवा निकाल दी जाये।" दस्तावेज के अन्त में पंजाबी जातीयता की पहचान ग्लान्सी के इन शब्दों में है, "पंजाब—इस शब्द का सम्मान लोग पिछले दो हजार वर्ष से करते आये हैं। कोई भी पंजाबी कितना भी अनजान क्यों न हो, शान्त चित्त से पंजाब के भयकर विघटन की बात नहीं सोच सकता जिससे कि वास्तव में पंजाब शब्द का ही लोप हो जायेगा।" (पृष्ठ ७२)।

ब्रिटिश कूटनीति यह थी कि भारत की बड़ी-बड़ी जातियों को साम्प्रदायिक आधार पर विघटित किया जाये। साम्प्रदायिक एकता दृढ़ होने पर जातियाँ वास्तविक आत्मनिर्णय के लिए, अंग्रेजों राज से मुक्ति पाने के लिए, सघर्ष करनी। साम्प्रदायिक आत्मनिर्णय के आधार पर प्रत्येक जाति विभाजित होती है तो उसके सम्प्रदाय आपस में लड़ते हैं, अंग्रेजों के विश्द जातियों का मुक्ति-सघर्ष पथभ्रष्ट होता है और सारा देश विभाजित होता है। यह बात अंग्रेज जानते थे और हिन्दुओं तथा मुसलमानों को दो कौम कहनेवाले सम्प्रदायवादी जानते थे। ये सम्प्रदायवादी तब तक आपस में लड़ते हैं, जब तक अंग्रेजों का हित होता है, किन्तु जब वे देखते हैं कि जनता के क्रान्तिकारी उभार से अंग्रेजों का अहित होने-वाला है, तब वे साम्प्रदायिक सद्भाव का झण्डा उठा लेते हैं, दोनों मिलकर जनता के क्रान्तिकारी उभार का सामना करते हैं। अंग्रेज और अन्य साम्राज्यवादी तथा उनके पिछलगुएँ कश्मीर के आत्मनिर्णय की बात बहुत कहते रहे हैं। उन्हें आत्मनिर्णय से ऐसा प्रेम था तो उन्हें हैदरावाद में इस अधिकार को अमल में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। किन्तु उन्होंने साम्प्रदायिक आधार पर देश के बँट-वारे की योजना बनायी, दूसरी ओर उन्होंने देशी रियासतों का अलग गुट बनाने की योजना भी तैयार की। इस रियासती गुट में हिन्दू और मुसलमान दोनों तरह की कठपुतलियाँ थीं; यहाँ आत्मनिर्णय के अधिकार की चर्चा ही न थी; यहाँ आत्मनिर्णय के साम्प्रदायिक आधार की बात भी अंग्रेज न करते थे। इससे उनकी छल-कपट की नीति स्पष्ट हो जाती है। इस कूटनीति में ऐसी चतुराई भी न थी कि राष्ट्रीय नेता उसे समझ न पाते। समझते सबकुछ थे किन्तु परिस्थिति के बेकाबू हो जाने का भय जो सता रहा था। करते क्या ?

आत्मनिर्णय के अधिकार को लागू ही करना था तो इसके लिए दो बातें जरूरी थीं। पहली यह कि जातीय इलाके, भाषा के आधार पर, पुनर्गठित किये जाते। अंग्रेज इसके लिए तैयार न थे क्योंकि उन्होंने भारत का मानचित्र बनाया ही इस ढंग से था कि यहाँ की प्रत्येक बड़ी जाति एक से अधिक प्रान्तों में विभाजित हो, इसके साथ ही उसका कुछ इलाका देशी रियासतों में बँटा हुआ हो। अंग्रेज

भारतीय नरेशों के संरक्षक बने हुए थे; वे आत्मनिर्णय के लिए अपना राजनीतिक नवशा बिगाड़ने को तैयार न थे। दूसरी बात यह थी कि वालिग मताधिकार के आधार पर आत्मनिर्णय का सिद्धान्त अमल में लाया जाता। जनतन्त्र के प्रेमी अंग्रेज जब तक भारत में रहे, तब तक वालिग मताधिकार से बचते रहे। चाहे आत्मनिर्णय का प्रदन हो, चाहे प्रान्तीय विधान-सभाएँ बनाने का प्रदन हो, चाहे अखिल भारतीय सविधान-सभा बनाने का प्रश्न हो, अंग्रेजों ने आम जनता को मतदान के अधिकार से हमेशा दूर रखा। जिन इलाकों से पाकिस्तान बना, उनमें भी सभी वालिग मुसलमानों को वोट देने का अधिकार न मिला था। मुस्लिम लीग के नेता भारत के सभी मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, यह दावा परखने की नौबत ही न आयी; अंग्रेजों के रहते आ ही न सकती थी!

भारत की समस्या हल करने के लिए १९३१ में कुछ अंग्रेजों ने इण्डिया कन्सिलिएशन ग्रुप बनाया था। इसके सभापति कार्ल हीथ ने जनवरी १९४६ में भारत-सचिव को पाकिस्तान के बारे में अपने विचारों से परिचित कराते हुए लिखा था कि मुसलमानों में यह भय फैला हुआ है कि हिन्दुओं की प्रधानतावाले एकताबद्ध राज्य में वे दब जायेंगे। हीथ ने यहाँ आयरलैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों का भय स्वीकार करना चाहिए लेकिन इसके साथ भारत की एकता बनाये रखने के लिए जो गैरमुसलमानों की माँग है, उसमें वट्टा न लगना चाहिए। १५ साल पहले इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री बाल्डविन ने यूनाइटेड स्टेट्स आफ इण्डिया की बात कही थी। [इसमें और पहले यह बात लाला हरदयाल ने कही थी।] इसके लिए जरूरी है कि उसके सदस्य (अर्थात् भारतीय-संघ के सदस्य-राज्य) पहले स्वायत्त राज्य बनें। मूल अधिकार इन राज्यों के होंगे, केन्द्रीय सरकार के नहीं। भारत में जो सूबे हैं, उनकी सीमाओं में थोड़ी-बहुत तब्दीली करके स्वायत्त राज्य बनाये जा सकते हैं। इससे मुसलमानों का भय दूर हो जायेगा कि केन्द्र में हिन्दुओं की प्रधानता होने में उनके अधिकार मारे जायेंगे। अपने पत्र में ये बातें लिखने के अलावा हीथ ने पत्र के साथ एक दस्तावेज भेजा। इसमें उन्होंने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स आफ इण्डिया बने, इसके लिए जरूरी है कि पहले अलग-अलग स्वतन्त्र राज्य हों जो सघबद्ध होना चाहें।" (पृष्ठ ७६१)।

हीथ का विचार था कि राज्यों को स्वायत्त इकाई मानकर उन्हें सत्ता सौंप देनी चाहिए, इसके बाद वे सघबद्ध हो जायेंगे। वे राज्य अपने प्रादेशिक संघ भी बना सकेंगे। पाकिस्तान योजना में इसी की माँग है। किन्तु ये प्रादेशिक संघ यूनाइटेड स्टेट्स आफ इण्डिया के विरोधी न होंगे। हीथ का विचार था कि राज्यों को अधिकार देने से राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। जो प्रादेशिक संघ बनेंगे, वे केन्द्र के मातहत होंगे। हीथ की योजना में एक और जातीय राज्यों की कल्पना है, दूसरी ओर साम्प्रदायिक आधार पर राज्य बनाने की बात भी है। उन्होंने एक ओर कहा है कि भारत के प्रान्त (राज्य) बहुत कुछ जातियाँ (नेशन) हैं, दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिम राज्यों और हिन्दू राज्यों के साथ सम्भवतः एक मिश्रण राज्य भी होगा।

मुस्लिम-हिन्दू या सिक्ख राज्य बनने से पंजाब की जातीय एकता टूटेगी। इसी प्रकार साम्प्रदायिक राज्य बनने से बंगाल की जातीय एकता टूटनी थी। जातियों का आत्मनिर्णय और सम्प्रदायों का आत्मनिर्णय, ये दो परस्पर विरोधी कल्पनाएँ थीं और दोनों में सन्तुलन स्थापित करना असम्भव था। वास्तव में साम्प्रदायिकता को उभारा ही इसलिए गया था कि बंगाल और पंजाब जैसे प्रदेशों में रहनेवाली जातियों की एकता टूट जाये और उसके साथ सारे राष्ट्र की एकता टूटे। केवल किसानों और मजदूरों का क्रान्तिकारी आन्दोलन संवैधानिक नागपाश तोटकर जातियों की एकता के साथ राष्ट्रीय एकता की रक्षा कर सकता था। जैसे यहाँ हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख राज्यों की बात कही गयी है, वैसे ही एक समय जातीय आत्मनिर्णय के नाम पर कम्युनिस्ट नेता गंगाधर अधिकारी ने मुस्लिम और सिक्ख राज्यों की बात कही थी। किन्तु अप्रैल १९४६ में जय कम्युनिस्ट नेता पूरनचन्द जोशी कैबिनेट मिशन के दो सदस्यों स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जान्डर से मिले तो उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम लीग द्वारा आत्मनिर्णय की माँग में विश्वास करते हैं किन्तु इसके लिए विभाजन करना उचित न होगा। भारत के स्वाधीन होते ही यहाँ की मुख्य राजनीतिक पार्टियों को अस्थायी सरकार बनानी होगी। यह सरकार एक आयोग गठित करेगी जिसका काम होगा प्राचीन प्रदेशों के आधार पर नये सिरे से सीमाएँ निर्धारित करना। इसका परिणाम होगा १७ जातीय इकाइयों का निर्माण। इनमें प्रत्येक इकाई की जनता को आत्मनिर्णय का पूर्ण अधिकार होगा; वह चाहेगी तो भारतीय संघ में शामिल होगी, न चाहेगी तो स्वतन्त्र राज्य या अन्य संघ बनाने का अधिकार उसे होगा। इस पर क्रिप्स ने कहा कि प्रान्तों की सीमाएँ निर्धारित करने का काम पेचीदा और लम्बा है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि सविधान सभा वालिग मताधिकार से चुनी जाये। इसमें और भी देर लगेगी और दो साल से पहले सविधान सभा न चुनी जा सकेगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने जातीय प्रदेशों की सीमाएँ निर्धारित करने की माँग अस्वीकार की और उसके साथ वालिग मताधिकार की माँग भी अस्वीकार कर दी। क्रिप्स का एक दिल-चस्प तर्क यह था कि ज्यादा लोग मत देगे, तो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आदमी ही तो चुने जायेंगे, और इनका जो अनुपात सीमित मताधिकार से निश्चित होगा, वही विस्तृत मताधिकार से प्राप्त होगा। इसलिए विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं। यह तर्क दिलचस्प इसलिए था कि अंग्रेज जानते थे कि सुलह-समझौता करनेवाली मुख्य पार्टियाँ दो हैं। इनके अनुयाइयों का अनुपात बदलनेवाला नहीं है। जब तक संवैधानिक तरीके से आजादी मिलने की बात होगी, तब तक कोई भी तीसरी पार्टी इनकी जगह न ले सकेगी।

५. साम्राज्यवाद का मुख्य अस्त्र—मुस्लिम सम्प्रदायवाद

(क) अंग्रेजों की तटस्थता

२६ अक्टूबर १९४५ को भारत-सचिव पेथिक लारेन्स ने वाइसराय वेवल को लिखा कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग चुनाव की सरगर्मी ठीक से बरदाश्त नहीं कर पा रही है। "यदि वे [लीगी नेता]-स्थानीय झगड़ों में फँस गये तो मेरी

समझ में यह सम्भव है कि मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों से यह स्पष्ट प्रमाण न मिले कि मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करनेवाला संगठन मुस्लिम लीग का है। यदि ऐसा होता है तो इससे हमारे लिए और कठिनाइयाँ पैदा होंगी क्योंकि स्थानीय समस्याओं को लेकर मुसलमानों में मतभेद हो सकता है। किन्तु मेरा विचार है कि बड़ी अखिल भारतीय समस्याओं पर उनमें ज्यादा एका है। यह दुर्भाग्य की बात होगी यदि चुनाव के परिणाम इन समस्याओं के बारे में मुसलमानों के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित न करेंगे।" (पृष्ठ ४११)। अंग्रेज तटस्थ होने का जो अभिनय करते थे, वह अभिनय वे आपसी बातचीत में त्याग देते थे। वे चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों के एकमात्र संगठन के रूप में मान्यता मिले। चुनाव परिणामों से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अखिल भारतीय समस्याओं को लेकर, अर्थात् पाकिस्तान के प्रश्न को लेकर, मुसलमानों का वही मत होना चाहिए जो मुस्लिम लीग का है। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत-सचिव और इंग्लैण्ड की सरकार के लिए नयी कठिनाइयाँ पैदा हो जायेगी।

२३ नवम्बर १९४५ को भारत-सचिव ने वाइसराय को फिर लिखा कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम नेता वर्तमान परिस्थिति में प्रभावशाली रूप नहीं धारण कर रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन प्रान्तों में उनका बहुमत है, वहाँ उनके अनुयायी बुरी तरह विभाजित हो जायेंगे। "यदि ऐसा होता है तो मेरी समझ में चुनाव के बाद वार्तालाप में जिन्ना के हाथ बहुत कमजोर हो जायेंगे। कारण यह कि इससे किसी भी ऐसे मत संग्रह की सम्भावना सन्दिग्ध हो जायेगी जो अलगाव के लिए मत देनेवाले मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित न हो।" (पृष्ठ ५२६)। अंग्रेजों को आशंका है कि चुनाव के परिणामों से जिन्ना के हाथ मजबूत न होंगे। तब कुछ प्रदेशों को भारत से अलग करने का, अर्थात् पाकिस्तान बनाने का, मामला भी खटाई में पड़ जायेगा।

उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में बहुसंख्यक जनता मुसलमान थी। यहाँ के गवर्नर ने ९ अक्टूबर १९४५ को वाइसराय को सूचित किया कि शिक्षित मुसलमान अफसर कट्टर हिन्दू-विरोधी होते जा रहे हैं; इस कारण वे मुस्लिम लीग के समर्थक हैं। "इसके साथ ही मुझे सन्देह है कि चुनाव के मामले में मुस्लिम लीग को उतनी सफलता मिली है जितनी की वह कल्पना करती है। साधारण लोगों में लीग की अपेक्षा कांग्रेस का चुनाव-आन्दोलन अभी तक ज्यादा प्रभावशाली हुआ है। कांग्रेस का संगठन ज्यादा अच्छा है, उसके पास ज्यादा पैसा है। इसके अलावा नेतागिरी के सवाल पर, उम्मीदवारों की नामजदगी के सवाल पर, लीग विभाजित है। जब औरगजेव सत्ता सँभाले था, तब अपना समर्थन बनाये रखने के लिए उसने घटिया तरीके अपनाये। इसमें उसकी साख गिर गयी है। उसकी पार्टी का एक तगड़ा हिस्सा उसे नेतागिरी से हटाना चाहता है। स्थानीय संगठन को मुधारने के लिए लीग का केन्द्रीय नेतृत्व जो प्रयत्न कर रहा है, उस पर चुनाव में लीग की सफलता निर्भर है।" (पृष्ठ ३१९)। पश्चिमोत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन चुकी थी। मुसलमानों के इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार का बनना मुस्लिम लीग के इस दावे

का खण्डन करता था कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। इसलिए इस प्रदेश के गवर्नर को चिन्ना हो रही थी कि नये चुनाव में मुस्लिम लीग को मनचाही सफलता न मिली, तो इससे अंग्रेजों को भारत में अपनी नीति लागू करने में कठिनाई पैदा होगी।

२७ फरवरी १९४६ को, चुनाव हो जाने के बाद, इसी गवर्नर ने वाइसराय को सूचित किया कि पचास सदस्यों के सदन में कांग्रेस के तीस सदस्य चुने गये हैं। एक-दो स्वतन्त्र मुस्लिम सदस्य भी उनका साथ देंगे। उनका बहुमत निश्चित है। दरअसल मुसलमान सीटों में कांग्रेस को पचास फीसदी से ज्यादा सीटें मिली हैं; कांग्रेस टिकट पर उन्नीस सीटें मिली, दो स्वतन्त्र सदस्य हैं जो सम्भवतः कांग्रेस का साथ देंगे। इसके मुकाबले मुस्लिम लीग को सत्रह सीटें ही मिली। मुस्लिम लीग क्यों असफल हुई? कुछ लोगों का कहना था कि सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। उसने कपडा, शक्कर वगैरह बाँटकर लोगों को खुश कर दिया। गवर्नर का कहना था कि यह सिर्फ एक बहाना है। बात सही हो तो भी इसके साथ यह देखना चाहिए कि ज्यादातर ऊँचे दर्जे के अफसर मुस्लिम लीग के समर्थक थे। डाक्टर खान साहब का कहना था कि इन अफसरों ने चुनाव पर अनुचित प्रभाव डाला। गवर्नर ने यह आरोप स्वीकार न किया किन्तु उसने यह माना कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कांग्रेस ने जो प्रचार किया, वह लीग के प्रचार से अधिक लोकप्रिय था। गवर्नर की राय में मुस्लिम लीग की असफलता का कारण गुटबन्दी के अलावा घटिया संगठन था। कांग्रेस ने यह प्रचार भी किया कि लीग की पीठ पर ब्रिटिश सरकार का हाथ है। “इसके अलावा कांग्रेस ने ऐंम लॉगों से अपील की जिनकी आर्थिक हालत अच्छी न थी। इन लोगों पर बड़े-बड़े खान [जमींदार] अधिकांश इलाकों में अपना प्रभाव रखते जा रहे हैं। (इनमें अधिकांश मुस्लिम लीग के समर्थक हैं।) केवल हजारा जिले में आसामियों पर बड़े जमींदारों का प्रभाव अभी बना हुआ है। वहाँ मुस्लिम लीग ने नौ में से आठ सीटें जीती।” (पृष्ठ १०८५)।

पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर ने बड़े जमींदारों के बारे में जो कुछ लिखा, उससे मुस्लिम लीग के सम्प्रदायवाद का वर्ग-आधार स्पष्ट हो गया। अंग्रेजों ने सामन्ती अवशेष इसीलिए कायम रखे थे, और नये सामन्त इसीलिए तैयार किये थे कि वे उनके राज को सहारा देते रहे। सहारा देने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन में फूट डालते रहे। फूट डालने का उपाय था सम्प्रदायवाद। यदि सम्प्रदायवाद को खत्म करना था तो उनके आधार सामन्तवाद से लड़ना चाहिए था। किन्तु कांग्रेस सामन्तविरोधी आन्दोलन चलाने के लिए तैयार न थी। इसलिए पश्चिमोत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त करने के बाद भी वह ब्रिटिश कूटनीति से परास्त होकर बाध्य हुई कि बादशाह खान का प्रदेश मुहम्मद अली जिन्ना को सौंप दे। उसी पत्र में गवर्नर ने वाइसराय को लिखा था, “दूगरी तरफ मुस्लिम लीग सिर्फ पाकिस्तान की रट लगाये रही। लड़ाई का यह नारा दरअसल यहाँ के नब्बे फीसदी लोगों की समझ में नहीं आता। यहाँ के जीवत देहाती पठान के लिए हिन्दू राज की बात सिर्फ हँसी की बात हो सकती है।” (पृष्ठ १०८५-८६)।

मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है, यह दावा सरासर झूठा है, यह बात अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी तरह और कोई न जानता था। बहुसंख्यक मुसलमानों के प्रदेशों से जो पाकिस्तान बनेगा, वह अर्थात् नव की दृष्टि से बहुत ही कमजोर होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान दोनों राज्य कमजोर होंगे और दोनों को, विशेषरूप से पाकिस्तान को, अंग्रेजों पर निर्भर रहना होगा, यह बात भी वे जानते थे। भारत में यदि क्रान्तिकारी आन्दोलन शुरू हुआ तो वे उसे दबा न पायेंगे, भारतीय फौज क्रान्ति का साथ देगी और उसकी जगह लेने लायक गोरी फौज उनके पास है नहीं। इस पर भी वे अपना कूटनीतिक समाधान भारत पर लादने में सफल हुए। कारण यह कि क्रान्ति से उन्हें ही नहीं कांग्रेस को भी भय था। मुस्लिम लीग को तो था ही।

(ख) नेहरू द्वारा मुस्लिम लीग की आलोचना

२७ जनवरी १९४६ को जवाहरलाल नेहरू ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक बहुत जोरदार पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति का विश्लेषण किया था और इस कूटनीति में मुस्लिम लीग की भूमिका का विवेचन किया था। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश नीति इस देश में अंग्रेजी राज कायम रखने के लिए प्रतिक्रियावादी तत्वों को संरक्षण देती रही है और उन्हें सुदृढ़ करती रही है। [अंग्रेजों की 'प्रगतिशील' भूमिका का सारतत्व यही है।] अंग्रेजों का पुराना तरीका यह रहा है कि देश में जो कुछ जीवन्त और प्रगतिशील है, उसका विरोध करें, जो कुछ प्रतिक्रियावादी और पुरानपन्थी है, उसे प्रोत्साहन दें। भारत की ज्वलन्त समस्याएँ हल करने में असमर्थ होकर वे अधिकाधिक ऐसे व्यक्तियों और गुटों पर निर्भर रहने लगे जो प्रायः भ्रष्ट थे और जिन्हें इस बात से विशेष दिलचस्पी थी कि परिवर्तन न होने पाये। "इस नीति का अनुसरण करते हुए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की शुरुआत की गयी। इस वीज से वह विष-वृक्ष पतला जो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने हमारे सारे राष्ट्रीय जीवन में विष घोल दिया है और प्रगति की राह रोक दी है। राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के साथ अंग्रेज सरकार और उसके कारिन्दों ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को और भी शह देना आरम्भ किया। सास-तौर से मुस्लिम लीग की बढ़ती को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और दूसरे संगठनों को कांग्रेस ने बहुत कुछ हटा दिया; सिर्फ लीग रह गयी। इसलिए उन्होंने तरह-तरह से लीग की मदद की। आज भी चुनावों में बहुत से सरकारी अफसर सक्रिय रूप से लीगो उम्मीदवारों की सहायता कर रहे हैं। मतदाताओं की सूधियाँ इस तरह कतरब्यौत करके तैयार की कि लीग को फायदा हो। बड़ी तादाद में फ़र्जी नाम जोड़ दिये गये। बनारस में यह करिश्मा हुआ कि शहर में जितने मुसलमान हैं, उनसे ज्यादा के नाम मुस्लिम सूची में हैं।" (पृष्ठ ८५२)।

जो बात डाक्टर राम साहब ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों के लिए कही थी, वही बात नेहरूजी ने उत्तर प्रदेश के लिए कही। अंग्रेज यह मानने को तैयार न थे कि सरकारी अफसर चुनावों में मुस्लिम लीग की सहायता करते थे किन्तु वे मुस्लिम लीग की जीत चाहते थे, उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, यह उनके दस्तावेजों से

साबित होता है।

दूसरे महायुद्ध के दौरान लिनलिथगो और उनके साथियों ने लीग की मदद की। क्रिप्स पर सीधे प्रहार करते हुए नेहरूजी ने लिखा, “युद्धकालीन कैबिनेट की ओर से अलगाव का अधिकार मानते हुए आपने १९४२ में जो प्रस्ताव पेश किये, उनसे लीग की पाकिस्तानवाली माँग को भारी ताकत पहुँची और उसका मर्तवा बढ़ गया। पिछले साल शिमला-सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि वाइसराय ने जिन्ना का वीटो मान लिया; इसमें भी मुसलमान सोचने लगे कि अंग्रेज सरकार लीग की सरपरस्त है, इसलिए वह इतनी ताकतवर है कि वे उसका विरोध नहीं कर सकते।” (पृष्ठ ८५३)।

मुस्लिम लीग के काम करने के तरीके वैसे ही थे जैसे फासिस्टो के होते हैं। नेहरूजी ने कहा कि मुस्लिम लीग के नेता सुल्लम-खुल्ला नफरत फैलाते हैं, राजनीतिक विरोधियों को दवाने के लिए गुण्डागर्दी और हिंसा में काम लेते हैं। नेहरूजी का विश्वास था कि मुस्लिम लीग के विरुद्ध नयी चेतना फैल रही है। उन्होंने जुलाहों का उदाहरण दिया। ये जुलाहे “अब निश्चित रूप से वर्ग-आधार पर सोचने लगे हैं और वे मुस्लिम लीग का उच्चवर्गीय नेतृत्व नापसन्द करते हैं।” (उप.)। आवश्यकता इस बात की थी कि इस वर्ग-चेतना को और विकसित किया जाये, ऐसा संघर्ष चलाया जाये कि उच्चवर्गीय नेतृत्व का प्रतिक्रियावादी स्वरूप श्रमिक जनता के सामने स्पष्ट हो जाये। कांग्रेस यह न कर सकती थी किन्तु मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी नेताओं ने आशा की जा सकती थी कि वे ऐसा करेंगे।

नेहरूजी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि युद्ध के दौरान कांग्रेसी नेता जेल में थे। मुसलमान जनता में उनका सम्पर्क टूटा हुआ था। लीग और सरकारी प्रचारकों ने मुसलमानों के बीच जमकर झूठी बातें फैलायी। चुनाव हो रहे थे, किस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनायेगी और किसमें मुस्लिम लीग के साथ मिली-जुली सरकार बनेगी, इसकी चर्चा करने के बाद नेहरूजी ने इस देश में फँसे हुए तनाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चुनाव और उनका नतीजा दर-किनारा, देश में बेहद तनाव है, केन्द्र और सूबों में मौजूदा सरकार बदलने के लिए लोगों में जबरदस्त आकांक्षा है। “चुनाव में किसी हद तक लोग रुके हुए हैं लेकिन जैसे ही ये खत्म होंगे, घटनाक्रम अपनी ही गति से तेजी से बढ़ चलेगा। इस घटनाक्रम को ऐसी निश्चित नीति से काबू में रखा जा सकता है जिसका उद्देश्य शीघ्र परिवर्तन करना हो और जिस पर अमल किया जाये। विलम्ब के फलस्वरूप परिणाम हो सकते हैं। कल्पिते में दो महीने पहले जो कुछ हुआ और दम्बई में जो कुछ इस समय हो रहा है, उसमें पता चल जाता है कि मतह के नीचे किस तरह की आग छिपी हुई है। एक चिन्तनारी में यह आग भभक उठेगी। एक तरह से कांग्रेस इस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है पर यह शक्ति किसी भी मगठन में अधिक शक्तिशाली है; उसे एक सीमा तक ही नियन्त्रित किया जा सकता है और यह भी तब जब परिस्थिति अनुमति हो।” (पृष्ठ ८५४)। जिस आग और शक्ति की बात नेहरूजी ने की है, वह कोई रहस्यमय जन्म नहीं है, प्रकृति में व्याप्त

आदिशक्ति नहीं है। यह क्रान्ति की आग है, क्रान्ति की शक्ति है जो चुनाव से रुकी हुई है। देश में जो तनाव है, क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लिए जनता में जो उत्साह है, उससे एक चिन्तगारी छिपी हुई आग को ज्वालामुखी बना सकती है। कांग्रेस इस आग के साथ वही तक है जहाँ तक वह ज्वालामुखी नहीं बनती। अनुकूल परिस्थिति में कांग्रेस उसे नियन्त्रित रख सकती है किन्तु वह शक्ति कांग्रेस से बड़ी है। नेहरूजी क्रिप्स को समझा रहे हैं कि समय रहते अधिकार न दिये तो चाहते हुए भी कांग्रेस देशव्यापी क्रान्ति को रोक न पायेगी।

तब पाकिस्तान का क्या होगा ? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की धमकी दी थी। नेहरूजी ने कहा कि सम्भव है, दंगे हों, लेकिन इस कारण प्रगति को रोक रखना ठीक नहीं है। जिस रूप में जिन्ना पाकिस्तान माँग रहे हैं, उससे गृहयुद्ध छिड़ जायेगा। जिन्ना ने अपने पाकिस्तान में असम, दिल्ली, पूरा पंजाब और बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध और बलूचिस्तान शामिल किये हैं।

मुस्लिम लीग के वर्ग आधार, अंग्रेज सरकार से साँठ-गाँठ और भारत की क्रान्तिकारी परिस्थिति का सही विश्लेषण करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने स्टैफर्ड क्रिप्स को सूचित कर दिया कि कांग्रेस भारत का विभाजन स्वीकार कर लेगी। तर्क यह था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम इलाके शामिल करना चाहती है, यह माँग बेजा है। यदि पाकिस्तान में केवल मुस्लिम इलाके शामिल किये जायें तो इसमें कुछ भी बेजा न होगा। उन्होंने क्रिप्स को लिखा, जिस रूप में जिन्ना पाकिस्तान माँग रहे हैं, उस रूप में ब्रिटिश सरकार उसे भारत पर थोप नहीं सकती। उससे अवश्य ही गृह-युद्ध छिड़ जायेगा। जिन्ना की माँग में असम, दिल्ली, पूरे के पूरे पंजाब और बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश, सिन्ध, बलूचिस्तान शामिल है। किसी भी तर्क से असम, दिल्ली और पंजाब तथा बंगाल के विशाल भाग जहाँ गैरमुसलमानों की बहुतायत है, पाकिस्तान में शामिल नहीं किये जा सकते। शायद इन चुनावों में भी पश्चिमोत्तर प्रदेश लीग को अस्वीकार करेगा। यदि सारे मुसलमान लीग और पाकिस्तान का समर्थन करें, तो भी उसका अर्थ होगा पंजाब और बंगाल, दोनों का बँटवारा। जिन्ना ने नाराज होकर इसे मानने से इन्कार किया है। तब क्या होगा ? दूसरे इलाकों को मजबूर किया जाये कि पाकिस्तान में शामिल हों ? यह असम्भव है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार पाकिस्तान समस्या का खास मुद्दा यह है : या तो ऐसा पाकिस्तान हो कि उसमें केवल पंजाब और बंगाल के हिस्से हों, या फिर अलग-अलग हो ही नहीं।

जवाहरलाल नेहरू ने आगे बताया कि सुरक्षा-व्यवस्था तथा सम्बन्धित विषयों को अलग रखकर पाकिस्तान के सवाल पर विचार नहीं किया जा सकता। मध्य-पूर्व में उथल-पुथल के आसार हैं। दो अलग राज्य बन जायें तो भी सुरक्षा के लिए उन्हें संयुक्त योजना बनानी होगी। सुरक्षा में विदेश नीति, संचार-व्यवस्था आदि भी सिमट आती हैं। सुरक्षा के विचार से कोई वास्तविक पाकिस्तान नहीं हो सकता अर्थात् स्वतन्त्र राज्य नहीं हो सकता। अलग होने पर भी वह स्वतन्त्र बना नहीं रह सकता। उसके पक्ष में व्यापक भावना है और भावनाओं की हमेशा अनदेखी नहीं की जा

मरती। भावना गहरी नहीं है और उनके परिणाम क्या होंगे, लोग जानते नहीं हैं। जो प्रान्त पाकिस्तान में कभी शामिल नहीं किये जायेंगे, उन्हीं में पाकिस्तानवाली भावना सबसे अधिक है। गीमान्त प्रदेशों के निकट वह भावना निर्बल है, पंजाब और बंगाल में भी निर्बल है। कांग्रेस ने कई बार यह प्रस्ताव किया है कि स्वायत्तशासी दकाइयों का संघ बने और इन सब दकाइयों के लिए कुछ सामान्य अनिवार्य विषयों की अल्पतम सूची बने। इन अनिवार्य विषयों में सुरक्षा, विदेश नीति आदि विषय शामिल किये जा सकते हैं। अल्पमंश्यों की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाये जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया जा सकता है कि वह अल्पमंश्यों के अधिकारों की रक्षा करे। "अन्त में यह कि यदि कोई निश्चित क्षेत्र स्पष्ट रूप में अलगवाव के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट करता है और ऐसा अलगवाव अमल में लाया जा सकता है तो संघ या यूनियन में रहने के लिए उसे बलपूर्वक बाध्य न किया जायेगा। किन्तु वह अन्य क्षेत्रों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने गाय नहीं ले जा सकता। उस क्षेत्र के सभी वालिग मतदाताओं के मत-संग्रह द्वारा स्पष्ट निर्णय दरकार होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इससे अधिक उदार और दूरगामी कोई दूसरा प्रस्ताव हो सकता है। फिर भी जिन्ना न तो जनमत संग्रह की बात मानते हैं और न क्षेत्र के निवासियों की इच्छाओं के अनुसार सीमा-निर्धारण की बात मानते हैं।" (पृष्ठ २५५)।

मुस्लिम लीग का समर्थन करनेवाले बड़े-बड़े जमींदार हैं। अंग्रेजों के बढ़ावा देने से वह मजबूत हुई है। वह प्रतिक्रियावादी संगठन है जिसका उद्देश्य देश की प्रगति में बाधा डालना है। नेहरू के पत्र का यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जिन प्रदेशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वे यदि वहाँ अलग राज्य बनाने की इच्छा प्रकट करें, तो कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी। इस दूसरे पक्ष से पहला पक्ष कट जाता है। जो संगठन प्रतिक्रियावादी है और देश की प्रगति में बाधक है, जिसे सामन्तों और अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त है, उससे लड़ने का कोई तरीका निकालना चाहिए था। नेहरूजी के पास यह तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने लीग की जो भी उग्र आलोचना की थी, वह व्यर्थ थी। लोगों में यह भ्रम फैलाया गया था कि लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था है, इसलिए लीग से लड़ने का मतलब होगा मुसलमानों से लड़ना। वास्तव में असली लड़ाई न मुसलमानों से थी, न मुस्लिम लीग से; असली लड़ाई थी अंग्रेजों से और उनके समर्थक जमींदारों और राजाओं से। यदि स्वाधीनता-आन्दोलन को साम्राज्य-विरोधी सामन्त-विरोधी आन्दोलन के रूप में चलाया जाता तो मुस्लिम लीग और उसके अलगवाववादी समर्थक ध्वस्त हो जाते। किन्तु दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने के पहले से कांग्रेसी नेता आशा लगाए थे कि क्रान्तिकारी सघर्ष के बिना अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त हो जायेगी। युद्ध के बाद अंग्रेज सत्ता सौंपने को तैयार थे और इसके लिए वे कांग्रेस को बाध्य कर रहे थे कि वह मुस्लिम लीग से समझौता करे। जिन्ना का दाँव यह था कि एक बार कांग्रेस और अंग्रेज अलग राज्य बनाने की बात मान लें, उसके बाद सीमा-निर्धारण का काम पूरा कर दिया जायेगा। पाकिस्तान में पूरा पंजाब, पूरा बंगाल और असम प्रान्त रहे, यह माँग केवल मोल-भाव के लिए थी।

यह बात अंग्रेज जानते थे और जिन्ना जानते थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे बुद्धिमान राजनीतिज्ञ से भी यह बात छिपी न रही होगी।

क्रिप्स को लिखे हुए उस पत्र में नेहरूजी ने सुझाया कि ब्रिटिश सरकार स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दे कि वह भारत की स्वाधीनता स्वीकार करती है और स्वाधीन भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि बनायेंगे। संविधान बनाने का काम व्यापक मताधिकार द्वारा चुनी हुई संस्था करेगी और उसका अधिकार सर्वोपरि होगा। भविष्य में भारत और इंग्लैंड के सम्बन्ध निर्धारित करने का काम यही संस्था करेगी। सत्ता के हस्तान्तरण से जो समस्याएँ पैदा होंगी, उन्हें हल करने के लिए इस संस्था के तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि मिलकर बातचीत करेंगे। यदि किसी बात पर समझौता न हुआ तो वह किसी निष्पक्ष पंचायत के सामने रखी जा सकती है। “इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को यह भी घोषित करना चाहिये कि वह भारत के विभाजन को देश के लिए, और किसी भी पार्टी या धार्मिक गुट के लिए, अहितकर मानती है। और यह भी कि उससे भारत की सुरक्षा ऐसे समय कमजोर हो जायगी जब सुरक्षा की आवश्यकता सर्वोपरि है।” अंग्रेजों के समर्थन से ही लीग एक अलगाववादी सगठन के रूप में पनप सकी थी। अंग्रेजों से अपील करना कि वे भारत के विभाजन को हानिकर बताएँ और स्वयं नेहरूजी अलगाव का सिद्धान्त मानते जाएँ, यह लचर नीति क्रान्ति से मुझे मोड़ने का परिणाम थी। नेहरूजी ने भारतीय संघ की इकाइयों को पूर्ण स्वायत्तता दिये जाने के साथ, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हर तरह के सुझाव के साथ, फिर कहा कि “यदि किसी क्षेत्र के निवासी अलग होना चाहें और किसी निश्चित समस्या पर मत-संग्रह द्वारा उनकी राय जान ली जाये, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार होगा, शर्त केवल यह होगी कि अलगाव को अमल में लाना सम्भव हो, और किसी निश्चित क्षेत्र में यदि कोई समुदाय अलग न होना चाहे, तो उसे अलग होने को बाध्य न किया जाए।” (पृष्ठ २५६-५७)। सीमा-निर्धारण इस तरह किया जायेगा कि यथा-सम्भव अलगाववादी और उनके विरोधी, एक-दूसरे से अलग रहेगे। यह बात विशेष रूप से बंगाल और पंजाब पर लागू होगी। यदि उत्तरी पंजाब अलग होना चाहता है और पश्चिमोत्तर प्रदेश अलग नहीं होना चाहता, तो कठिनाई पैदा होगी। पाकिस्तान का निर्माण असम्भव हो जायेगा। नेहरूजी ने फिर विद्रोह प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान को प्रोत्साहन न देगी तो यह आन्दोलन बहुत जल्दी अशक्त हो जायेगा। उनके ऐसा कहने से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार से लड़े बिना पाकिस्तान का आन्दोलन समाप्त न किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए भारतीय जनता तैयार थी, यह बात भी नेहरूजी ने उस पत्र में स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने लिखा था, “मेरे सभी साथी ठीक इसी तरह नहीं सोचते जिस तरह मैं सोचता हूँ लेकिन मेरा विचार है कि हमारे मुख्य निष्कर्ष एक-से हैं। दरअसल मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक रूप से चिन्तनशील भारत, कांग्रेसी या गैरकांग्रेसी (मुस्लिम लीग को छोड़कर), बहुत कुछ इसी ढंग से सोचता है। इसमें एक बड़ा अपवाद है। वह अपवाद नौजवानों

का है, उन स्त्रियों और पुरुषों का है जिन्हें दृढ़ विश्वास है कि बड़ी लड़ाई के परिणाम ही कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ऐसे लोगों की सख्या काफी है। ये लोग मजबूत हो गये हैं और भारतीय जनता में जो भावना फैली हुई है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो तुरत आग भड़क सकती है। यदि स्वाधीनता की बात मान ली जाती है, निकट भविष्य में उस तक पहुँचने का मार्ग खुल जाता है, और इस समय उस दिशा में बढ़ने का काम शुरू हो जाता है, तो यह संभव है कि भारत में परिस्थिति को काबू में रखा जाये, और शान्तिपूर्वक, सहयोगपूर्वक, आगे बढ़ा जाये। वरना घटनाएँ बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी और वे किस दिशा में ले जाएँगी, मैं कह नहीं सकता।” (पृष्ठ ८५८)।

भारत के नौजवान अपाहिज नहीं थे। उनकी क्रान्तिकारी साम्राज्यविरोधी चेतना सो न गयी थी। तरुणों के हृदय-साम्राट् जवाहरलाल नेहरू इन नौजवानों के हृदय की धड़कन बहुत साफ सुन रहे थे। वह जानते थे कि भारतीय जनता में जो भावना व्यापक रूप में फैली हुई है, उसके प्रतिनिधि ये नौजवान हैं। ये लोग समझते हैं कि बड़ी लड़ाई के बिना कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। यदि अनहोनी हो गयी, यानी कांग्रेस, लीग और अंग्रेजों में समझौता न हुआ, तो आग भड़क उठेगी। विस्फोटक परिस्थिति से खेलना और उसे नियन्त्रण में रखना, अर्थात् जनता के आन्दोलन को क्रान्तिकारी रूप धारण करने से बचाये रहना, इस कौशल के विशेषज्ञ थे पण्डित जवाहरलाल नेहरू। वह क्रिप्स को समझा रहे थे कि क्रान्ति शुरू हो सकती है। शुरू हो गयी तो मैं भी जनता के साथ रहूँगा, इसलिए रहूँगा कि वह न्याय के लिए लड़ती होगी और कठिनाइयों में मैं उसे छोड़ नहीं सकता, “लेकिन मैं संघर्ष बचाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें राष्ट्रीय शक्ति भयानक रूप में नष्ट होती है और विरासत में उसके बुरे नतीजे हाथ लगते हैं। मेरा काफी जीवन संघर्ष में बीता है और जो समय बचा है, उसमें मैं नाश नहीं, निर्माण करना चाहता हूँ। भारत रचनात्मक प्रयत्न के लिए पुकार रहा है किन्तु उसका मार्ग बन्द है। एक बार वह खुल गया, और वह स्वाधीनता से ही खुल सकता है, तो हम छलांग मारकर आगे बढ़ेंगे।” (पृष्ठ ८५८-५९)। नेहरूजी क्रिप्स को सम्भावित क्रान्ति के प्रति सचेत कर रहे थे। क्रिप्स पहले से ही सचेत थे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि भारत में ऐसे नेता हैं जो यह मानते हैं कि क्रान्ति से राष्ट्रीय शक्ति भयानक रूप में नष्ट होती है और विरासत में उसके बुरे नतीजे हाथ लगते हैं। रचनात्मक प्रयत्न के लिए ही वह भारत आये थे। रचनात्मक प्रयत्न का अर्थ था क्रान्तिकारी संघर्ष का त्याग, अंग्रेजों के बनाये हुए दायरे में मुस्लिम लीग के साथ समझौता। स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर जानेवाला मार्ग बेशक बन्द था। उसे क्रान्ति का धक्का देकर खोला जा सकता था। दूसरा तरीका था समझौते का जिसके बाद छलांग मारकर आगे बढ़ने का अवसर कांग्रेसी नेताओं को मिलता। यह विकल्प अंग्रेजों को भी पसन्द था।

“भारत में जो कुछ हो रहा है, उसके जलावा इण्डोनीसिया और इण्डोचाइना में वैद्द कटुता पैदा कर दी है। लोगों में यह विश्वास जम गया है कि ब्रिटिश

सरकार से किसी चीज की आशा न करनी चाहिए। हमारे बीच की खाई कभी इतनी चौड़ी न थी जितनी अब है और उसे पाटना आसान न होगा। लेकिन शायद अब भी बहुत कोशिश करने पर वह पाट दी जाये।" (पृष्ठ ८५८)। बिलकुल सही बात कही है कि भारत और अंग्रेजों के बीच की खाई जितनी चौड़ी सन् '४५ के अन्त और सन् '४६ के आरम्भ में थी, उतनी चौड़ी वह पहले कभी नहीं थी। यह खाई इतनी चौड़ी सन् '४२ में नहीं थी। भारत में जो कुछ हुआ, उसके अलावा इण्डोनीशिया और हिन्द-चीन की घटनाओं ने जनता के मन में वेहद कड़वाहट भर दी थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया की परिस्थिति भारत को जितना १९४५-४६ में प्रभावित कर रही थी, उतना वह १९४२ में न कर सकी थी। किन्तु जो लोग सन् '४२ की क्रान्ति का श्रेय लेते थे, वे सन् '४६ में क्रान्ति को अनावश्यक मानते थे। वे खाई को पाटने की बात सोच रहे थे। मानना होगा कि खाई को पाटने की बात उनके मन में १९४२ में भी रही होगी; जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने की बात अलग है। निष्कर्ष यह है कि १९४५-४६ में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भारतीय क्रान्ति के अनुकूल थी और यह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति सुदूर मूल्य की नहीं, एशिया के पड़ोसी देशों की थी। भारतीय जनता अंग्रेजों पर बिलकुल विश्वास न करती थी और देश के नौजवान लड़ने-मरने को तैयार थे। फिर भी क्रान्ति न हुई। इसका कारण यह है कि भारत में ऐसी क्रान्तिकारी पार्टी का अभाव था जो अंग्रेजी राज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सर्वैधानिक वार्ताओं का जाल तोड़कर जनता का सही नेतृत्व करते हुए उसे सघर्ष के मार्ग पर आगे ले जा सके। भारत के भावी इतिहास के लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है।

(ग) मिसेज विन्ट, एडवर्ड मून और ब्रिटिश नीति

१९४५ में मिसेज गाई विन्ट नाम की महिला ने क्रिप्स के सुझाव पर अपनी भारत यात्रा के सम्बन्ध में एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज की विशेषता यह है कि भारत की क्रान्तिकारी परिस्थिति का जैसा मूल्यांकन अन्य बुद्धिमान कर रहे थे, वैसा ही मूल्यांकन इन्होंने किया है। मुस्लिम लीग से ब्रिटिश कूटनीति का सम्बन्ध इन्होंने भी जोड़ा है। उनका सुझाव यह है कि परिस्थिति काबू से बाहर न हो जाये, इसके लिए अंग्रेजों को खुद पहलकदमी करनी चाहिए यानी भारतीय नेताओं से सुरत समझौता करना चाहिए और पाकिस्तान बनेगा, यह मानकर अपने दौड़-पैच तय करने चाहिए।

जिन्ना के बारे में उनका विचार था कि उन्हें अपने वरिष्ठ सहयोगियों पर विश्वास नहीं रह गया। जहाँ-जहाँ मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल बने, वहाँ उसके नेता ऊँची तनख्वाहों और पदों के लालच में पड़ गये। मुस्लिम लीग में जो नौजवान शामिल हुए हैं, वे पाकिस्तान के प्रबल समर्थक हैं। कांग्रेस ने प्रयत्न किया है कि मुस्लिम लीग से उनका मतभेद दूर हो जाये। किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। कांग्रेस किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान स्वीकार करेगी, इसकी सम्भावना है। "किन्तु इस बीच भारत का राजनीतिक वातावरण बराबर गर्म होता गया है। १९४२ की गिरफ्तारियों के बाद जो निराशा और राजनीतिक गतिरोध का दौर

१९४६ के वसन्त तक वातावरण की यह गर्मी भयानक रूप धारण कर लेगी।" (पृष्ठ ७६६)। भारतवासियों के बारे में उनका विचार था कि ये लोग वादशाहलामत की सरकार को शक की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि वह गति-विधि दूर करने के लिए कुछ न करेगी। वाइसरॉय ने रेडियो पर कहा कि क्रिप्स-योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे या फिर भारत खुद इससे और अच्छी योजना बनाये। इसका अर्थ लोगों ने यह लगाया कि अंग्रेज टालमटूली कर रहे हैं। कांग्रेस को अब सत्ता चाहिए। १९४२ में क्रिप्स मिशन के प्रति उसने जो रुख अपनाया था, उसके आधार पर कोई सन्देह पैदा होता हो तो उसे अब दूर करना चाहिए। उसे सत्ता चाहिए, वह सत्ता पाने के योग्य है (कुछ बातों में वह चीन की संस्था कुओमिन्तांग से अधिक योग्य है) और उसे पाने की अधिकारी। बहुत देर तक इन्तज़ार करना उसके हित में न होगा।" (उप.)। अंग्रेजों के बारे में श्रीमती विन्ट का कहना था कि वे देर लगा रहे हैं किन्तु "उनकी स्थिति पराजयेय नहीं है। यदि दृढ़तापूर्वक सत्ता-परिवर्तन का प्रयत्न हो, तो अंग्रेज शायद से न तो बलपूर्वक दबाना चाहेंगे और न दबा सकेंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि चुनाव लड़ना है। जब तक नतीजा नहीं निकलता, तब तक परिस्थिति काबू रहेगी। उसके तुरंत बाद क्रान्ति का अवसर पैदा होगा।" (पृष्ठ ७७०)। अंग्रेज जिस सत्ता-परिवर्तन को दबा न सकेंगे, उसके लिए श्रीमती विन्ट ने 'कूदेता' शब्दों का प्रयोग किया है। 'कूदेता' क्रान्ति से भिन्न कोटि के सत्ता ग्रहण के लिए युक्त होनेवाले शब्द है। श्रीमती विन्ट का आशय क्रान्ति से है, यह बात अन्तिम वाक्य से स्पष्ट हो जाती है जहाँ उन्होंने 'रेवोल्यूशन' शब्द का प्रयोग किया है। वह मानती है कि क्रान्ति को बलपूर्वक दबाया जा सकता है किन्तु उनके विचार से भारत में दमन नीति लागू करना अधिकाधिक कठिन होता जायेगा। इस परिस्थिति में बहुत से भारतवासी और अंग्रेज दोनों यह चाहते हैं कि "भारत में अन्तर्गतता न हो और दोनों देश एक सुदृढ़ गठबन्धन में आगे के लिए बंधे रहें, और अन्तर्गतता इस ढंग से चले कि समाधान मिल जाये; इसके लिए न तो ज़रूरत से ज्यादा देर हुई है, न यह काम ज़रूरत से ज्यादा कठिन है।" (उप.)।

परिस्थिति से निपटने के लिए श्रीमती विन्ट ने तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया। पहली यह कि "अगले साल के सम्भावित गम्भीर विद्रोह को रोकने के लिए हमें बड़ी शीघ्रता से काम करना होगा।" (उप.)। दूसरी यह कि अन्तरिम सरकार में सभी पार्टियों का सहयोग न मिला तो यह सरकार सन्तोषजनक न होगी; सबका सहयोग मिलने की सम्भावना कम है। तीसरी यह कि "पाकिस्तान के बिना अन्तिम समझौता असम्भव है।" (उप.)। इन तीनों बातों को एक साथ रखने से यह समझ में आ जाता है कि अंग्रेज अन्तरिम सरकार बनाने को ऐसे मातुर क्यों हो रहे थे। क्रान्तिकारी परिस्थिति को विस्फोटक बनने से रोकने के लिए उनकी कूटनीति के जाल का पहला फन्दा यह अन्तरिम सरकार थी। एक बार नेता लोग दिल्ली की सरकार में शामिल हो गये, तो जनता का क्रान्तिकारी उत्साह धीमा हो जायेगा। वह समझने लगेगी कि अब थोड़े ही समय में उसे पूर्ण

क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबो हमला / ४४५

स्वाधीनता मिल जायेगी। अन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद पाकिस्तान का निर्माण आसान होगा। अंग्रेजों की कूटनीति का यह दूसरा फन्दा था। यदि वे निद्रचय कर लेंगे कि पाकिस्तान के बिना अन्तिम गमगौता न हो, तो जो भी समझौता करना चाहेगा, वह पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार करेगा ही।

श्रीमती विन्ट का मत था कि मुस्लिम लीग त्रिप्स-प्रस्ताव से सन्तुष्ट नहीं है। लीग का कहना है कि त्रिप्स-प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं होती। इसके बाद श्रीमती विन्ट कहती है, "यदि वादसाह मलामत की सरकार यह तय कर ले कि किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान बनेगा ही, तो वह पंजाब और बंगाल की सीमाएँ बदलने की जिम्मेदारी, जिससे कि दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के हिन्दू इलाके अलग कर दिये जायेंगे, अपने ऊपर ले सकती है। तब पाकिस्तान की समस्या लोगों के वोट लेकर हल की जा सकेगी और कांग्रेस के पान अमहमत होने के लिए कोई बहाना न रह जायेगा। पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का विरोध अडिग बना रहेगा, इसकी सम्भावना कम है (वसतों कि अंग्रेज होशियारी और दृढ़ता से काम लें)। कांग्रेस हमेशा के लिए मुस्लिम समस्या से उलझी रहना नहीं चाहती, इसके काफी प्रमाण हैं। उधर मुसलमान (जो अंग्रेजों द्वारा नियन्त्रित हैं और समर्थित भी हैं) भारत में पूरी तरह नाता न तोड़ना चाहेंगे।" (उप.)। श्रीमती विन्ट यह जानती थी कि अंग्रेज मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजों का हित इस बात में था कि संयुक्त भारत पर उनका नियन्त्रण न हो, तो पाकिस्तान भारत से अलग हो जाये।

पाकिस्तान के बारे में एडवर्ड पेन्डरेल मून आई. सी. ऐम. की राय श्रीमती विन्ट के मत से मिलती-जुलती थी। १९४५ के उत्तरार्द्ध पर ध्यान देने के बाद उन्होंने अगले साल के लिए कल्पना की कि चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की ताकत और उसके रुतवे में भारी बढ़ती होगी। थोड़े से तुच्छ अपवाद छोड़कर सारे मुसलमान एक होकर पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। "इन पूर्वानुमानों को हमें अपने चिन्तन और नीति का आधार इस समय बनाना चाहिए।" (पृष्ठ ७७१)। यद्यपि अभी चुनाव न हुए थे किन्तु अनेक अंग्रेज अधिकारी यह मानकर चल रहे थे कि बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त भारत की बात अब छोड़ देनी चाहिए। आदर्श रूप में एकता की बात अच्छी है किन्तु वह अमल में नहीं लायी जा सकती। कुछ लोग कह सकते थे कि पाकिस्तान के बारे में अंग्रेजों को तटस्थ रहना चाहिए, हिन्दू और मुसलमान यह समस्या खुद हल करें। किन्तु श्रीमती विन्ट के समान मून का भी मत था कि अंग्रेजों को ही पहल करना चाहिए। इस पहल के बिना हिन्दू और मुसलमान खुद समस्या को हल न कर सकेंगे। "यदि हम पक्ष या विपक्ष में मत दिये बिना तटस्थ बने रहे तो वर्तमान हिन्दू-मुस्लिम गतिरोध, बहुत सम्भव है, अनिश्चित काल तक रहे। इसका अर्थ यह होगा कि हमने जिस देश को स्वतन्त्रता देने का वादा किया है, उस पर शासन करने का भार अनिश्चित काल तक हमारे ऊपर बना रहेगा और हमें अधिकाधिक दमन के सहारे शासन चलाना पड़ेगा। तटस्थता के रुत का परिणाम होगा सुनिश्चित सर्वनाश।" (पृष्ठ ७७२)।

उन परिस्थिति में मून के अनुसार पाकिस्तान के पक्ष में अपनी नीति घोषित करना अंग्रेजों के लिए गही निर्णय होगा। अपनी नीति घोषित करने के बाद उन्हें यह देना चाहिए कि मयंग ज्यादा विरोध किन तरफ में होता है। यह सब देख और परतकर यदि इन बात को पुष्टि हो कि निर्णय सही है तो जरूरत पड़ने पर "हमें अपनी सारी शक्ति, मारा प्रभाव पाकिस्तान के पक्ष में लगा देना चाहिए।" (उप.)। मून का विचार था कि मद्रास, बम्बई, समुक्त प्रान्त और मध्यप्रदेश के हिन्दू हाय-हाय करेंगे कि बगाल और पजाब में उनके भाई भारतमाता की गोद से अलग कर दिये गये किन्तु उन क्षेत्रों के लिए धर्मयुद्ध करने की शक्ति या साहस उनमें न होगा। पाकिस्तान का सिद्धान्त मान लिया जाये तो जिन्ना हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच सहयोग का समर्थन करेंगे। पाकिस्तान बन जाने में दर-जमल हम संयुक्त भारत के और अधिक नजदीक पहुँचेंगे। देश के विभाजन का विरोध हिन्दू-महासभा, कांग्रेस और सिक्खों की ओर में हो सकता है। हिन्दू-महासभा का विरोध नगण्य है। कांग्रेस और सिक्खों का सम्मिलित विरोध बहुत शक्तिशाली हो सकता है किन्तु इसकी सम्भावना है कि ये दोनों सहमत हो जायेंगे। "जहाँ तक सिक्खों का सम्बन्ध है, इतना कहना काफी है कि उनके नेताओं ने १९४३ के आरम्भ में पाकिस्तान को लेकर जिन्ना के साथ सचमुच ही समझौता करने की कोशिश की थी। उसका नतीजा कुछ न निकला—व्योंकि उनकी माँगें हास्यास्पद रूप से ऊँची थीं। लेकिन इनमें यह पता चलता है कि उनकी सहमति खरीदी जा सकती है। सवाल भाव तय करने का है।" (पृष्ठ ७७३-७४)।

कांग्रेसी नेताओं के बारे में मून का मत था कि सिद्धान्त रूप से वे पाकिस्तान का विरोध कर सकते हैं लेकिन उनमें से कुछ अपना हल बदल भी सकते हैं। आगे ब्रिटिश हितों की चर्चा करते हुए मून ने लिखा कि पाकिस्तान के पक्ष में जो तर्क यहाँ दिये गये हैं, वे पाकिस्तान की स्वीकृति के लिए काफी हैं और इन तर्कों का ब्रिटिश हितों में कोई सम्बन्ध नहीं है। "फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीधे ब्रिटिश हितों का ही विचार किया जाये तो नतीजा वही निकलेगा। कारण यह हमने पाकिस्तान न म किस्तान की माँग माना है, वह मजबूत होगा और शायद हिन्दू भी यह मान जायेंगे कि पाकिस्तान के रूप में उन्हें स्वाधीनता का आवश्यक मूल्य चुकाना है।" (पृष्ठ ७७४)। मून ने सुझाव दिया कि सिक्ख और कांग्रेसी नेताओं से बात चलायी जाये और उनके सम्भावित विरोध को कम किया जाये। व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत चलाने के बाद एक मुकाम ऐसा आयेगा जब ब्रिटिश सरकार को पाकिस्तान के पक्ष या विपक्ष में अपना सारा जोर लगा देना होगा। (पृष्ठ ७७५)।

(घ) सीमा-निर्धारण और जातीय प्रदेशों का विभाजन

१२ दिसम्बर १९४५ के 'स्टेट्समैन' में जिन्ना का एक वक्तव्य छपा। इसमें उन्होंने कहा कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स साथ-साथ रहते हैं। हिन्दू और

मुगलमान साध-साध क्यों नहीं रह सकते ? "हो सकता है कि आवादी की अदला-बदली करनी पड़े वरतों कि यह बिल्कुल ख़ामन्दी से हो। बेशक मरहदों को लेकर कुछ तब्दीली जरूरी होंगी। यह तब्दीली वहाँ होगी जहाँ हिन्दू और मुसलमान ज़मीन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के पट्टों में होगी। यह सब आगे होता रहेगा। अभी जरूरत इस बात की है कि मौजूदा सूबाई सरहदें भावी पाकिस्तान की सरहदें मान ली जायें।" (पृष्ठ ६५६)। यहाँ मोल-भाव की बात स्पष्ट है। वर्तमान प्रान्तों के आधार पर विभाजन की बात मान लो, काट-छाँट का काम बाद में होता रहेगा। अंग्रेजों ने इन वक्तव्य को इसी रूप में ग्रहण किया था। वेवल ने भारत-सचिव को जिन्ना का वक्तव्य भेजते हुए लिखा था कि उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही है कि पाकिस्तान की बात मान लेने के बाद मरहदों को लेकर तब्दीली होती रहेगी। जिन्ना वैसी तब्दीली की बात नहीं सोच रहे जैसी कांग्रेस चाहेगी। कांग्रेस के लिए तब्दीली का मतलब होगा आधे-आधे सूबे। "लेकिन जिन्ना के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वह बातचीत में इन्कार न करेंगे। कम से कम इतना तो सन्तोषजनक है।" (पृष्ठ ६५५)।

जिन्ना के वक्तव्य देने के बाद एक सप्ताह में वाइसराय के निजी सचिव एवेल ने वेवल को पाकिस्तान-समस्या के बारे में लिखा कि दो सिद्धान्तिक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली यह कि यदि वास्तविक मुस्लिम इलाकों में मुसलमान आत्मनिर्णय चाहते हैं तो उनकी यह माँग मान लेनी चाहिए। दूसरी यह कि भारी सख्यावाली गैरमुस्लिम आवादी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता। (पृष्ठ ६५०)। अंग्रेज विभाजन की माँग स्वीकार कर रहे थे। जिन्ना मोल-भाव कर रहे थे और अंग्रेज यह दिखा रहे थे कि वे जिन्ना की अनुचित माँग स्वीकार न करेंगे। पर उचित माँग तो माननी ही होगी। जिन्ना ने अपना बयान १० दिसम्बर १९४५ को दिया। एवेल ने अपना दस्तावेज १७ दिसम्बर १९४५ को भेजा था। इन दोनों से पहले उचित माँगें मानने की बात विड़साजी ६ दिसम्बर १९४५ को लिख चुके थे। इससे प्रतीत होता है कि चुनाव का नाटक करने में बहुत पहले मुख्य अभिनेता विभाजन की योजना स्वीकार कर चुके थे। २७ दिसम्बर १९४५ को वाइसराय ने भारत-सचिव को अपनी योजना भेजी। इस योजना में उन्होंने बताया कि कांग्रेस और लीग में समझौता नहीं होता तो भारत सरकार क्या करेगी। उन्होंने एवेल को दोनों बातें दोहरायी कि मुसलमानों की बहुसख्या के इलाकों में आत्मनिर्णय का अधिकार माना जायेगा और बड़ी सख्यावाली गैर-मुस्लिम आवादी को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य न किया जायेगा। इन सिद्धान्तों को मानने का नतीजा यह होगा कि पंजाब के लगभग दो डिवीजन और कलकत्ता समेत प्रायः समूचे पश्चिमी बंगाल को भारतीय सभ में शामिल होने की अनुमति देनी होगी। सम्भव है जिन्ना कहे कि वास्तविक मुस्लिम इलाके कौन से हैं, सरकार यह बताये। "भेरी समझ में ऐसी माँग का जवाब देने के लिए विस्तृत निर्धारण (डिटेल्ड डिमार्केशन) के साथ हम तैयार रहना चाहिए।" (पृष्ठ ७०१)। यह मानकर कि जिन्ना मुस्लिम इलाकों वाला पाकिस्तान स्वीकार करेंगे और उनकी

यह 'वाचिव' मांग कांग्रेसी नेता भी मान जायेंगे, अग्रेज दिसम्बर १९४५ में विभाजन का व्योरा तैयार करने लगे थे।

इंग्लैंड की सरकार ने वाइसराय की योजना पर विचार किया। उसने एवेल वालो सिद्धान्त की दोनों बातें मान ली। सीमा-निर्धारण के बारे में ब्रिटिश सरकार की भारत-वर्मा समिति की राय थी कि संविधान-सभा बनने से पहले लोगों को यह बताना ठीक न होगा कि हम किस तरह के सीमा-निर्धारण का प्रस्ताव कर रहे हैं। संविधान-सभा में पहले भारत के लोगों को आपस में समझौता करने का मौका मिलना चाहिए। 'संविधान-सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हम यह आभास नहीं देना चाहते कि हम पाकिस्तान की सीमाएँ निर्धारित करना चाहते हैं। इनमें संविधान-सभा केवल हिन्दुस्तान के लिए संविधान बनानेवाली सभा रह जायेंगी।' (पृष्ठ ७=७)। अग्रेजों की नीति यह थी कि हिन्दू और मुसलमान, अर्थात् कांग्रेस और मुस्लिम लीग, पहले समझौते की कोशिश करें। जब सीमा-निर्धारण की बात आये, तब दोनों ही अग्रेजों से कहें, आप ही यह काम कर दें, जो सीमाएँ निर्धारित कर देंगे, उन्हें हम मान लेंगे।

(ड) समझौते की राह और दंगे

दिसम्बर १९४५ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसके बाद बम्बई शहर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। स्थानापन्न वाइसराय कोलविल ने इसका विवरण १९ अक्टूबर १९४५ के दस्तावेज में दिया है। दंगे में ३९ आदमी मारे गये, १७७ घायल हुए, १०७२ पकड़े गये। ऊपर से देखने में कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से दंगों का कोई सम्बन्ध नहीं था। कोलविल ने अपने दस्तावेज में लिखा था, "अपनी पिछली रिपोर्ट में मैं बहुत जल्दी यह कह गया था कि किसी की खोपड़ी टूटे बिना ए. आई. सी. सी. का अधिवेशन समाप्त हो गया। बम्बई में अब फिर शान्ति है यद्यपि परिस्थिति पर बराबर निगाह रखना जरूरी है।" (पृष्ठ ३६१)। यहाँ ए. आई. सी. सी. और दंगों का एक साथ उल्लेख आकस्मिक-सा प्रतीत होगा। किन्तु नवम्बर में वाइसराय वेवल ने जयाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। इस मुलाकात में दंगों का जिस तरह हवाला दिया गया, उससे यह निश्चित परिणाम निकलता है कि अग्रेज दंगों का उपयोग कांग्रेसी नेताओं पर दबाव डालने के लिए कर रहे थे। वाइसराय ने मुलाकात का जो हाल लिखा, उसके अनुसार नेहरू ने मुस्लिम लीग को प्रतिक्रियावादी सगठन बताया, कहा कि उसका नेतृत्व और नीति हिटलरी है, उसके नेता हर किसी को धमकाना चाहते हैं। इस नीति और नेतृत्व के रहते मुस्लिम लीग से कांग्रेस कोई भी समझौता नहीं कर सकती। "उन्होंने [नेहरू ने] कुछ आश्चर्यजनक-सा दावा किया कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच आम सम्बन्ध इस समय जितने अच्छे हैं, उतने अच्छे वे बहुत दिनों से नहीं थे। दोनों सम्प्रदाय समझ गये हैं कि भीड़ हिंसात्मक काम करती है तो इससे लाभ नहीं होता। मैंने बम्बई के दंगों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये दंगे बाकी बम्बई में नहीं फैले, इससे उनकी बात सही साबित होती है। मैंने सुझाया कि हताहतों की सख्या में जो ४० आदमी मारे गये और अन्य बहुत से

घायल हुए थे, वह सब साम्प्रदायिक उपद्रव का प्रमाण है। किन्तु उनका कहना था यह सब सिर्फ कुछ बदमाशों का काम है। याद को जय मीने तक किया कि अगर राजनीतिक समझौता करना है तो मुख्य सम्प्रदायों के बीच कुछ समझौता होना ही चाहिए, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के प्रति जिन्ना का व्यवहार अभद्र है, इसलिए वे फिर कभी मुस्लिम लीग से बातें करने न पहुँचेंगे किन्तु यदि मुस्लिम लीग उनके पास आये तो वे बातचीत करने को तैयार हो जायेंगे।" (पृष्ठ ४४०)।

हो सकता है कि बम्बई के दगे अंग्रेजों ने न कराये हों पर वे कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए इन दगों का राजनीतिक उपयोग कर रहे थे, इसमें सन्देह की गुजाश्व नहीं है। वाइसराय मानते हैं कि नेहरू के बातचीत करने का ढग मंत्रीपूर्ण था और वे उन्हें अच्छे भी लगे। "किन्तु मुझे लगता है कि उनका मन कट्टरपन्थी का मन हो गया है; जिसकी राय उनकी राय से न मिले, उसके विचारों के बारे में कुछ सोचने में वह असमर्थ हो गये हैं। मुझे आशंका है कि उनकी यह मनोदशा शान्ति के लिए खतरनाक है और मेरी समझ में वे स्वयं भी यह अनुभव करते हैं कि संघर्ष अब बहुत कुछ अनिवार्य हो गया है।" (पृष्ठ ४४१)। वाइसराय ने जिस संघर्ष की बात कही है, वह भारतीय जनता और अंग्रेजी राज के बीच का संघर्ष है। नेहरूजी की बातचीत मंत्रीपूर्ण है, फिर भी वह कट्टरपन्थी है क्योंकि वह बम्बई के दगों को थोड़े से बदमाशों का काम मानते हैं। वेबल इन दगों की याद दिलाकर जोर लगाते हैं कि राजनीतिक समझौते के लिए कांग्रेस आगे बढ़कर मुस्लिम लीग से बातचीत करे। एक तरफ दगे और समझौता, दूसरी तरफ अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष, यह स्थिति १९४५ के अन्त में थी। नेहरूजी ने अपनी ओर से मुस्लिम लीग से वार्ता करना अस्वीकार किया था किन्तु बातचीत का दरवाजा खुला रखा था, यह स्पष्ट है।

नेहरूजी से वाइसराय की मेट ३ नवम्बर १९४५ को हुई थी। इसके तीन दिन बाद ६ नवम्बर को वाइसराय ने भारत-सचिव को एक दस्तावेज भेजा। इसमें संयुक्त प्रान्त और बिहार की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख है और उसी के सन्दर्भ में साम्प्रदायिक दगों की सम्भावना का भी जिक्र है। "यह सम्भव है कि प्रान्तीय चुनाव होने से पहले ही बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक उपद्रव हो। यह भी हो सकता है कि संयुक्त प्रान्त और बिहार जैसे प्रान्तों में कांग्रेसी नेताओं के चाहने से पहले ही सरकार-विरोधी उपद्रव शुरू हो जायें।" (पृष्ठ ४५२)। दो तरह के उपद्रव हैं, साम्प्रदायिक और सरकार-विरोधी। अंग्रेजों को वास्तविक भय है सरकार-विरोधी उपद्रवों से। ऐसे उपद्रवों का काट हैं साम्प्रदायिक उपद्रव।

अंग्रेज कांग्रेस और लीग की मिली-जुली सरकार बनाने पर इस तरह जोर दे रहे थे मानो हिन्दू-मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक वही थे। जहाँ भी हिन्दू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे, वहाँ वे इस साम्राज्यविरोधी एकता से घबरा उठते थे। कांग्रेस-लीग एकता का वास्तविक उद्देश्य हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। मार्च १९४६ में बंगाल के गवर्नर बरोज ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर एक दस्तावेज तैयार किया था। उसमें

हिन्दुओं और मुसलमानों का एकता से पैदा होनेवाला भय बहुत सीफ डेग से व्यक्त हुआ है; इसके साथ ही अंग्रेजों को बराबर कोशिश करनी चाहिए कि हिन्दुओं के विरुद्ध वे मुसलमानों को मिलाये रहें, यह नीति भी स्पष्ट कर दी गयी है। सत्ता-परिवर्तन के लिए अंग्रेज जो बातचीत चलानेवाले हैं, वह टूट जाती है तो क्या होगा? बरोज़ कहते हैं कि भारत पर से अंग्रेजों का नियन्त्रण हटाने के लिए हिन्दू कोई भी समाधान स्वीकार कर लेंगे, पाकिस्तान का कोई रूप भी मान लेंगे। इसके साथ ही बातचीत टूट जाये तो मुसलमानों पर कोई 'हिन्दू' समाधान, जैसे कि भारत का एकताबद्ध सभ, लादना और इसके लिए हिन्दुओं के समर्थन का भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। "यदि हम गम्भीर रूप से मुसलमानों में शत्रुभाव पैदा कर देते हैं (इस हद तक कि वे बगावत कर बैठें), तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बगावत को दवाने में हिन्दू सहायता न करेगे। बहुत हुआ तो कहेंगे, हम अहिंसावादी हैं। इससे उल्टी और सबसे खराब हालत यह हो सकती है कि उनमें जो हिंसावादी है (और हो सकता है कि उनमें अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की हो), तो वे 'अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए' मुसलमानों का साथ देंगे (जैसा कि आज़ाद हिन्द फौज के शाहनवाज़ और मिसेज़ आसफ अली खुलेआम प्रचार कर रहे हैं)।" (खण्ड ७, पृष्ठ ६७)।

बरोज़ आगे कहते हैं, अभी तक जब-जब ऐसे उपद्रव हुए, तब-तब हम मुसलमानों की सक्रिय सहायता नहीं तो उनकी तटस्थता पर निर्भर होते आये हैं। एक बार यदि हमारे हाथ से वह निकल गयी तो हिन्दू समझेगे कि हमला करने का यह मुनहला अवसर है, इनका साथ देनेवाला कोई दोस्त नहीं रह गया। "दूसरी ओर मुसलमान जानते हैं कि किसी भी तरह के पाकिस्तान के लिए उन्हें सहायता की ज़रूरत होगी और मुझे विश्वास है कि हिन्दुओं के अड़ियलपन से बातचीत टूट जाती है तो वे हमारा साथ देंगे।" (उप.)।

(ब) अंग्रेजों और मुसलमानों द्वारा अलगाववादी प्रवृत्ति की आलोचना

भारत के अंग्रेज शासक वर्ग में ऐसे लोग भी थे जो यह साफ-साफ देख रहे थे कि अंग्रेजी राज का आधार बहुत ही सकुचित है। जिस समय बरोज़ ने अपना दस्तावेज़ तैयार किया था, उसी समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर वाइली ने परिस्थिति का जायजा लेते हुए अपने दस्तावेज़ में कहा था कि पिछले सौ साल में भारत में अंग्रेजी राज का आधार जनता की जन्मजात निष्क्रियता है, भूस्वामी वर्गों और सम्पत्तिशालियों का समर्थन है, मुसलमानों का भय और पिछले दिनों उनकी

... का समर्थन बदलती

... राजाओं से समझौता

करना जरूरी है। "अलाड़े में अंग्रेज तीसरे दल के रूप में मौजूद है। उनकी

... सैधानिक समस्या के

... भारतीय राजनीति की

यह बात सभी लोग जानते हैं।" (उप., पृष्ठ ६६)। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि इंग्लैंड की सरकार पाकिस्तान के बारे में अपनी राय सुनकर जाहिर करे। "मेरी

समझ में यदि ब्रिटिश सरकार देश के विभाजन की मुस्लिम लीगी माँग का समर्थन करती है तो यह राजनीतिक ईमानदारी को छोड़ देना होगा।" (उप.) । अमरीकी प्रेसिडेंट विल्सन का हवाला देते हुए गवर्नर ने लिखा कि आत्मनिर्णय का अधिकार कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे किसी भी शर्त के बिना लागू किया जाये। "भारत भौगोलिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से एक ही देश है। दूसरी ओर आधुनिक संसार की यह प्रवृत्ति भी है कि छोटे बालकन राज्यों के समान विघटित होने के बदले और भी बड़ी-बड़ी राजनीतिक इकाइयाँ निर्मित हों। राजनीतिक मानचित्र में अब छोटे राज्यों के लिए जगह नहीं है। यन्त्रीकरण आदि से ऐसा हो रहा है और शायद यह अच्छा ही है। इसलिए यदि ब्रिटेन ने सिद्धान्ततः भारत के विभाजन में हाथ बँटाया तो यह अव्वल दर्जे का प्रतिगामी कदम होगा।" (उप., पृष्ठ ६६-७०) । लेकिन वादली ने यह भी कहा कि विभाजन के आधार पर भारतवासी आपस में समझौता कर लें तो ब्रिटिश सरकार उसे मंजूर कर लेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले अंग्रेज मुस्लिम लीग को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि-संगठन के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, फिर शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता देने के नाम पर कांग्रेस पर दबाव डालेंगे कि वह मुस्लिम लीग से समझौता करे और देश का विभाजन स्वीकार करे। जो मुसलमान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थन न करते थे, उनसे अंग्रेजों के व्यवहार का एक नमूना आगे है।

अप्रैल १९४६ में राष्ट्रवादी मुसलमानों के कुछ प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन से मिलने गये। मिशन की ओर से क्रिप्स ने उनसे पूछा कि वे किसके प्रतिनिधि हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि वह आल इण्डिया मुस्लिम पार्लियामेण्ट्री बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। इसमें जो संगठन शामिल हैं, उनकी सदस्य संख्या कई लाख है। जहीरुद्दीन ने कहा कि वे आल इण्डिया मोमिन कान्फ़ेस के प्रेसिडेंट हैं और मोमिनों की संख्या चार करोड़ है जो कुल मुस्लिम आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। उनके संगठन में चार लाख बाकायदा सदस्य हैं। हिसामुद्दीन आल इण्डिया अहरार सभा के प्रेसिडेंट थे; उनके संगठन की सदस्यता एक लाख से ऊपर थी। अब्दुल मजीद ख्वाजा आल इण्डिया मुस्लिम मजलिस के प्रेसिडेंट थे; इसके सदस्य राष्ट्रवादी मुसलमान थे; उनकी संख्या का उन्हें पता न था। शिया मुसलमानों के संगठन आल पार्टीज शिया कान्फ़ेस के प्रेसिडेंट हुसेनी भाई लाल-जी थे। ब्रिटिश भारत में ढाई करोड़ और देशी रियासतों में पचास लाख शिया थे।

हुसेनी भाई का कहना था कि पिछले अक्तूबर में आल पार्टी शिया कान्फ़ेस हुई; उसने पाकिस्तान की मुस्लिम लीगी माँग का अनुमोदन नहीं किया। दो कोमो का सिद्धान्त अव्यावहारिक है। छोटे राज्यों की रक्षा-व्यवस्था में कठिनाई होगी, उनकी अपनी कोई प्राकृतिक सीमाएँ न होंगी। वह प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थे। मोमिन नेता जहीरुद्दीन ने कहा कि असली लड़ाई तो आर्थिक है, राजनीति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। लीग कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और धर्म का देजा उपयोग करती है। उच्चवर्गों ने मोमिन समाज का शोषण किया है। अलेक्जण्डर ने पूछा कि मुस्लिम लीग को

आम जनता में इतना कम समर्थन प्राप्त है तो चुनाव में उसे उतनी सफलता कैसे मिलती। जहीरुद्दीन ने कहा कि अधिकांश मोमिनों को वोट देने का अधिकार नहीं है; वे बहुत ही गरीब और पंडित हैं। लोग धार्मिक वृत्ति के हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को उभारा गया है। मुस्लिम अजाम पाकिस्तान के खिलाफ है; देश का वेंटरा होने पर उनकी हालत और भी खराब हो जायेगी।

क्रिप्स ने कहा कि मिशन का काम यह है कि लोगों में समझौता कराये। सत्ता देने के लिए जो सबसे कारगर तरीका है, उसका पता लगाये। मौलाना मदनी ने कहा कि ब्रिटिश शासन का यहाँ से हटना जरूरी है। प्रान्तों को अलगाव का अधिकार होना चाहिए लेकिन मान साल तक उसे लागू न करना चाहिए। उसके बाद जनमत संग्रह में अलगाव का फैसला हो तो उसे लागू किया जाये। हिंसामुद्दीन ने कहा कि यह बालिग मताधिकार के पक्ष में है। मुस्लिम लीग ने अवैध उपायों में गीटें जीती है। आर्थिक दृष्टि ने पाकिस्तान अव्यावहारिक है। अब्दुल मजीद ख्वाजा ने कहा कि वह क्रिप्स के इस फार्मूले का समर्थन करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों में चुनाव होगा और एक ही विधानसभा चुनी जायेगी। क्रिप्स ने कहा कि यह सब अन्तरिम सरकार तय करेगी। जहीरुद्दीन इस बात से सहमत थे कि केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं और मुसलमानों का अनुपात बराबर होना चाहिए।

पाकिस्तान के विरोध में यहाँ जो बातें कही गयी हैं, वे बातें कभी-कभी अंग्रेज भी कहते थे। धार्मिक भावों को उभारना, छोटे राज्यों की सुरक्षा-व्यवस्था का कमजोर होना आदि बातें अनेक अंग्रेज मानते थे। मुस्लिम लीग नहीं मानती तो क्या करें, इसका जवाब था बालिग मताधिकार में चुनाव कराइये। अंग्रेज यह जनतान्त्रिक माँग पूरी करने को तैयार न थे। साथ ही मुस्लिम लीग का वर्ग-आधार सकुचित और प्रतिक्रियावादी है, यह बात भी वे जानते थे। संयुक्त प्रान्त में वहाँ के गवर्नर के अनुसार मुस्लिम लीग की स्थिति यह थी, "यहाँ मुस्लिम लीग का नेतृत्व ताल्लुकदारों और जमींदारों के हाथ में है। वे कुछ काम करने चलेगे तो बहुत अनमन्ये ढंग से, होशियारी से। कठिनाई यह है कि नेतृत्व प्रभावशाली नहीं है। अधिकांश मुस्लिम जनता शहरों में रहती है और जमींदार गाँवों में जमे हुए हैं जहाँ उनका प्रभाव है। यह बात दरकिनार कि वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है और हिंसा में विदकता है। यदि मुसलमानों की सीधी कार्रवाई ने हिंसात्मक रूप लिया, मैं आशा कर रहा हूँ कि ऐसा न होगा, तो मेरा अनुमान है कि मुस्लिम नेतृत्व बहुत जल्दी दूसरों के हाथ में पहुँच जायेगा और ये मौजूदा जमींदारी नेतृत्व आँखों में ओझल हो जायेगा।" (खण्ड आठ, पृष्ठ २४७)। इसी तरह पश्चिमोत्तर प्रदेश में लीग का प्रभाव वही था जहाँ बड़े-बड़े जमींदार थे। बहुसंख्यक मुसलमानों के उस प्रदेश में लीग के हारने का यही कारण था जिसे वहाँ के गवर्नर ने स्वीकार किया था।

ब्रिटिश कैबिनेट की भारत-वर्मा समिति की बैठक १४ जनवरी १९४६ को हुई थी। उसमें भारत-सचिव के अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी थे। इस समिति के सामने यह स्पष्ट था कि बहुसंख्यक मुसलमानोंवाले इलाकों में आत्मनिर्णय का

सिद्धान्त लागू किया गया तो एक की जगह दो पाकिस्तान बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से इसके परिणाम क्या होंगे, ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी तरह जानती थी। "आर्थिक दृष्टि से दोनों पाकिस्तान घाटेवाले क्षेत्र होंगे और इस कारण कठिनाई में पड़ सकते हैं। उनके और हिन्दुस्तान के बीच जो सरहदें बनेंगी, वे सम्भवतः दो ऐसे क्षेत्रों को अलग करेंगी जो आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए वे एक ही सिंचाई-व्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं। चुंगी, डाक, तार, रेल तथा अन्य सेवाओं में बँटवारा आर्थिक रूप से हानिकारक होगा।" (खण्ड ६, पृष्ठ ७८८)।

आर्थिक कठिनाइयों के अलावा सुरक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी थी। इनके बारे में समिति की राय यह थी : "सुरक्षा के विचार से हिन्दुस्तान और [दोनों] पाकिस्तानों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है। जिन सीमान्त क्षेत्रों से हमले की सम्भावना है, वे सभी पाकिस्तान में होंगे। उनकी उचित सुरक्षा तभी हो सकती है जब सीमा पार भीतर तक (इन डेपथ) इस सुरक्षा की व्यवस्था हो। और यह व्यवस्था कारगर तभी हो सकती है जब उसमें हिन्दुस्तान भी सिमट आये। इसलिए पाकिस्तानी क्षेत्रों का हित इसमें है कि हिन्दुस्तान के साथ मिलजुलकर काम करें। ठीक ऐसे ही हिन्दुस्तान को सरहदों की उचित सुरक्षा से काफी दिलचस्पी होगी। अहिंसात्मक आन्दोलन की बड़ी शक्ति के बावजूद उसे इस बात से सन्तोष न होगा कि सुरक्षा का काम पूरी तरह मुसलमानों के हाथ में रहे जो भविष्य में किसी समय अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग उत्तरी सीमान्तों की रक्षा के बदले स्वयं हिन्दुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कर सकते हैं।" (उप., पृष्ठ ७८८)। अंग्रेजों के सामने यह स्पष्ट था कि देश का बँटवारा होने पर दोनों राज्य सैनिक दृष्टि से कमजोर होंगे। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए भीतर दूर तक व्यवस्था नहीं कर सकता। दूसरी ओर भारत का उत्तर-पश्चिमी सीमान्त सदा असुरक्षित रहेगा क्योंकि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से कमजोर था, मजबूत होगा तो दूसरों की सहायता से, और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के बदले वह उस पर आक्रमण भी कर सकता था। कांग्रेस और लीग में जैसे सम्बन्ध थे, और पाकिस्तान जिन परिस्थितियों में बननेवाला था, उनसे इस तरह के आक्रमण की सम्भावना काफी बढ़ जाती थी। किन्तु अंग्रेज दृढ़तापूर्वक अपनी नीति पर चल रहे थे और इस देश को ऐसी स्थिति की ओर टेल रहे थे जिसमें आर्थिक और सैनिक, दोनों तरह से यहाँ की जनता को भारी हानि सहनी पड़े। इस हानि का प्रभाव मुसलमानों पर ही सबसे ज्यादा पड़नेवाला था।

(छ) व्यवसायी दृष्टिकोण और विभाजन

कांग्रेस का पूँजीवादी नेतृत्व दुर्लभ और कमजोर था। वह साम्राज्यविरोधी था लेकिन क्रान्तिकारी ढंग में नहीं। उसकी निगाह समझौते पर लगी थी। वह अंग्रेजों पर जन-आन्दोलन का दबाव डालता था। इसके जवाब में अंग्रेज जन-आन्दोलन पर साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा का दबाव डालते थे। पहले महायुद्ध के बाद, फिर दूसरे महायुद्ध के बाद से अगस्त १९४७ तक यदि हम भारत में जनआन्दोलन

और क्रान्तिकारी उभार का अध्ययन करें तो देखेंगे कि जिस दौर में यह आन्दोलन, यह उभार शक्तिसाली होता है, उस दौर में साम्प्रदायिक हिंसा और तनाव में भी बढ़ती होती है। क्रान्तिकारी आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए साम्राज्यवाद के पास यह साम्प्रदायिकतावाला मुख्य अस्त्र काफी कारगर साबित हुआ। इस अस्त्र के द्वारा अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेतृत्व को ही नहीं झुकाया, जनआन्दोलन में जो गैरकांग्रेसी नेतृत्व उभर रहा था, उसे भी कमजोर बनाने के लिए उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग किया। कांग्रेस और अंग्रेजी राज में युनियादी विरोध था; मुस्लिम लीग और अंग्रेजी राज में युनियादी मेल था। इस मेल के सहारे अंग्रेजों ने कांग्रेस को झुकाया।

६ दिसम्बर १९४५ को घनश्यामदास बिड़ला ने हेण्डरसन को लिखा कि जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें बंगाल, पंजाब और असम हो। असम में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। बंगाल और पंजाब में मुसलमान बहुसंख्यक हैं लेकिन सभी जिलों में नहीं हैं। “हिन्दुओं को चाहिए कि [मुसलमानों के] आत्मनिर्णय की बात मान लें। किन्तु जिन इलाकों में वे [हिन्दु] बहुसंख्यक हैं, उनमें वे भी आत्मनिर्णय की मांग करेंगे। उन्हें इससे बचाना नहीं किया जा सकता। और आत्मनिर्णय की व्याख्या भी करनी होगी।” (खण्ड ६, पृष्ठ ६१४)। बिड़लाजी ने जो सुझाव दिये थे, उनसे आत्मनिर्णय के अधिकार की आवश्यक व्याख्या हो जाती है।

युद्धकाल में लड़ाई का सामान तैयार करने के लिए कई कारखाने चालू किये गये। अगस्त १९४५ में वेवल के सामने समस्या थी कि युद्ध समाप्त होने पर ये कारखाने बन्द हो जायेंगे और मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या बेकार हो जायेगी। कुछ निजी उद्योग भी लड़ाई के लिए काम कर रहे थे। इनमें कपड़ा मिलें भी थी। वेवल का विचार था कि इनमें काम करनेवाले मजदूर भी बेकार हो जायेंगे लेकिन सूती मिलें नागरिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए काम की पाली बढा सकती हैं। (उप., पृष्ठ १८)। यहाँ ध्यान देने की एक बात तो यह है कि अंग्रेज मजदूरों की ओर से आक्रामक थे। कारखाने बन्द होंगे, मजदूरों में बेकारी बढेगी, मजदूर आन्दोलन तेज होगा। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि निजी उद्योग-धन्धे भी अंग्रेजों से सहयोग कर रहे थे, लड़ाई के लिए सामान तैयार कर रहे थे, और इनमें कपड़ा मिलें भी थी। वेवल ने आगे यह भी लिखा है कि कच्चा माल और अध-कच्चा माल सप्लाय करने के लिए ठेके दिये गये थे। ऐसे ठेके समाप्त करने में कठिनाई हो सकती थी। मतलब यह कि कच्चा माल सप्लाय करनेवाले व्यापारियों के अलावा यहाँ ऐसे व्यवसायी भी थे जो अधकच्चा माल सप्लाय करते थे। अध-कच्चे माल का अर्थ यह है कि वे कच्चे माल को पूरी तरह तैयार माल न बनाते थे, उसे आधा तैयार करते थे। बाकी काम अंग्रेज अपने कारखानों में करते थे। इस तरह देश के व्यवसायियों से अनेक स्तरों पर अंग्रेजों ने आर्थिक सम्बन्ध कायम कर रखे थे। स्वयं अंग्रेज व्यवसायी सस्ती मजदूरी और कच्चे माल की बहुतायतसे लाभ उठाकर यहाँ पर अपना धन्धा चला रहे थे। भारत स्वाधीन होगा तो भारत के इन अंग्रेज व्यवसायियों का क्या होगा, यह भी एक समस्या थी।

जिन क्षेत्रों से पाकिस्तान बननेवाला था, उनमें दोष भारत की अपेक्षा गामन्तों का प्रभाव अधिक था। यह सम्भव है कि उनमें औद्योगिक विकास हुआ होता तो मुसलमान उद्योगपति अपने वर्ग-हित में विभाजन का विरोध करते। मिर्जा अबुल-हसन इस्पहानी एक प्रसिद्ध व्यवसायी घराने के थे और वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी के सदस्य थे। २ जनवरी १९४६ को उन्होंने बंगाल के गवर्नर केसी से मुलाकात की। इसका हाल केमो ने अपनी डायरी में लिखा। "मैंने इस्पहानी से पूछा, क्या मुस्लिम लीग अभी पाकिस्तान पर अड़ी हुई है, पाकिस्तान के अलावा और कुछ न लेगी? उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनका [इस्पहानी का] सम्बन्ध है, वह पाकिस्तान पर अड़े हुए नहीं हैं। उनकी समझ में समस्या आर्थिक है; मुसलमानों के लिए जरूरी है कि प्रशासन में और अलग से भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझे यह निश्चित आभास हुआ कि पाकिस्तान के बदले आरक्षण के पर्याप्त अधिकार (ऐंडिक्वेट सेफगार्ड्स) मुसलमानों को स्वीकार होंगे।" (उप., पृष्ठ ७३२)। इस्पहानी को कांग्रेस से कोई प्रेम न था। उनकी समझ में कांग्रेसी नेता बनिये हैं; वे बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कांग्रेस का दबाव सहने के बदले मुसलमान लड़ना पसन्द करेंगे। अभी लड़ेंगे तो मैदान में डटे रहेंगे; १०-१५ साल में हिन्दुओं ने युद्ध-सम्बन्धी उद्योग विकसित कर लिया, तब डटे रहना सम्भव न होगा। "वह (इस्पहानी) बहुत अच्छी तरह महसूस करते थे कि अब छोटे राज्यों का जमाना नहीं रहा। उन्होंने विद्वान दिलाया कि मुसलमान अंग्रेजों से सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने लिए पर्याप्त अधिकार कांग्रेस से नहीं पा सकते लेकिन अंग्रेजों से पा सकते हैं। उनकी राय थी कि भारत पर अन्तरिम सरकार घोष दी जाये, और मुसलमानों के लिए पर्याप्त आरक्षण हो, तो वह सरकार स्वीकार कर ली जायेगी [अर्थात् मुस्लिम लीग उसे स्वीकार कर लेगी]। जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ब्रिटेन के साथ उचित समझौता करना चाहती है। जिसमें दोनों का भला हों, भविष्य के लिए ऐसी कोई 'वास्तविक साझेदारी' होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का आर्थिक उद्धार हिन्दुओं के हाथों हो, यह असम्भव है।" (उप.)।

इस्पहानी का दृष्टिकोण उस व्यवसायी का दृष्टिकोण है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर धन्य करता है और भविष्य में वास्तविक साझेदार बनकर उनके साथ धन्य करते रहना चाहता है। उसके आगे हिन्दुओं और मुसलमानों का सम्मिलित पूंजीपति वर्ग नहीं है, वह केवल हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय देखता है। पर वह पाकिस्तान का कट्टर समर्थक नहीं है। वह ज़िद नहीं करता कि पाकिस्तान से कम कुछ न लेगे। वह जानता है कि छोटे राज्यों का जमाना नहीं है। अंग्रेज यहाँ से जाने के पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर जायें तो वह सन्तुष्ट हो जायेगा। वह मुसलमानों के आर्थिक उद्धार की बात करता है। यह आर्थिक उद्धार तभी सम्भव होगा जब मुसलमान जनता राजाओं और जमींदारों के प्रभुत्व से मुक्त होगी। आर्थिक उद्धार के लिए पूंजीपतियों के प्रभुत्व से मुक्त होना भी जरूरी है, यह बात उसके दिमाग में नहीं है। मुसलमानों को सबसे पहले अंग्रेजों की गुलामी

में छुटकारा पाना है, यह बात यह जानना है पर यह इन्हीं अंग्रेजों के साथ साझे-दारी में धन्य करना चाहता है। उनके लिए मुगलमानों के आर्थिक उद्धार का मतलब है, बिडला जैंग पूंजीपतियों के मुकाबले मुगलमान व्यवसायों का प्रगति करना। इस प्रगति के लिए पाकिस्तान का बनना, एक बड़े बाजार की जगह छोटे बाजार में बन्द हो जाना हानिकर था। बहुसंख्यक मुगलमानों वाले प्रदेशों को औद्योगिक दृष्टि में गिछडा हुआ रखना अंग्रेजों की मुनिर्धारित नीति का अंग था।

६. पूर्ण स्वाधीनता और साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा

(क) पूर्ण स्वाधीनता और डोमोनियन स्टेट्स

१४ जनवरी १९४६ को भारत की ब्रिटिश सरकार ने 'मुद्रूर पूर्व में ब्रिटिश विदेश नीति' शीर्षक एक दस्तावेज तैयार कराया। यह दस्तावेज ब्रिटेन की सरकार के विचारार्थ भेजा गया। इसमें बताया गया कि मुद्रूर पूर्व में भारत की भूमिका यह होगी कि या तो वह स्वयं हिन्दमहासागर पर नियन्त्रण रखे या किसी गठबन्धन में शामिल हो जिसमें कि गंगा नियन्त्रण रखना सम्भव हो। हिन्दमहासागर पर नियन्त्रण रखने के लिए भारत के पास इतनी जनसेना और वायुसेना होनी चाहिए जितनी किसी हमलावर की हो सकती हो। भारत के लिए इतनी सेना रखना सम्भव नहीं है। तब उम्मे किसी ऐसी गठबन्धन या अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था में जोड़ना होगा कि उसमें सम्बद्ध जलसेना और वायुसेना भारत की सुरक्षा-व्यवस्था भी कमजोरियाँ दूर कर दें। रणनीति का यह दायित्व अभी ब्रिटेन का है। अपनी नीति की रूपरेखा बनाते समय भारत की ब्रिटिश सरकार यह मानकर चली है कि "अपनी सुरक्षा के लिए भारत युनाइटेड किंगडम पर निर्भर रहेगा।" (पृष्ठ ६; पृष्ठ ७८०)।

इसके साथ ही भारत की ब्रिटिश सरकार मानती थी कि ब्रिटेन से भारत का सम्बन्ध बदलेगा। बदलने के बारे में उसका विचार यह था कि वह ब्रिटिश कामन-वेल्थ के भीतर स्वायत्तशासी राज्य बनेगा। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप भारत की ब्रिटिश सरकार ने विदेशनीति के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये थे, उनमें पहला और मुख्य यह था : "भारत अपनी सुरक्षा के लिए युनाइटेड किंगडम पर निर्भर बना रहेगा और विदेशनीति की सभी प्रमुख समस्याओं पर युनाइटेड किंगडम के दिशा-निर्देश का अनुसरण करेगा।" (उप., पृष्ठ ७८१)। ब्रिटिश कैबिनेट के लिए दस्तावेज तैयार करनेवालों ने इस पर यह टिप्पणी की : "रणनीति की आधारभूमि सही जान पड़ती है। अपनी सुरक्षानेता में बढ़ोतरी करने के लिए भारत या तो किसी विदेशी स्रोत की ओर देखेगा या फिर असुरक्षा की स्थिति में हो जायेगा। निकट भविष्य में भारत के संरक्षक (गार्जियन आफ इंडिया) का स्थान युनाइटेड किंगडम के अलावा कोई अन्य शक्ति या शक्तियाँ ले सकेंगी या लेना चाहेगी, इसकी सम्भावना प्रतीत नहीं होती, भले ही हम यह कल्पना कर लें कि युनाइटेड किंगडम अपना वह स्थान छोड़ने को तैयार है। इसलिए सुरक्षा की बात निर्णायक हो, तो अगले कुछ वर्षों तक भारत को युनाइटेड किंगडम के साथ किसी-न-किसी तरह सम्बद्ध रहना होगा।" (उप.)। दस्तावेज में आगे

कहा गया है कि भारत ब्रिटिश कागनवेलथ में रहेगा तो उसकी स्वाधीनता की आकांक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता, दोनों की पूर्ति हो जायेगी। भारत की ब्रिटिश सरकार यह मानकर चलती है कि बुद्धिमानी के दसो मार्ग का अनुसरण किया जायेगा। किन्तु यह सम्भव है कि भारत को स्वेच्छा से काम करने दिया जाये तो वह वास्तविकता की अनदेखी करके, सुरक्षा को खतरे में डालकर, स्वाधीन बनना चाहे। जापान का धतरा भारत को सुरक्षा की भ्रान्ति से शायद जगा नही सका। शायद वहाँ के राजनीतिज्ञ समझते है कि ब्रिटिश सहायता हटा ली जायेगी, तब भी ब्रिटेन भारत की रक्षा करेगा मानो 'पैक्स ब्रिटानिका' प्रकृति का नियम हो (अर्थात् ब्रिटेन अपने प्रभावक्षेत्र का रक्षक बना रहेगा)। भारत चाहे कामन-वेलथ के भीतर रहे चाहे बाहर, उसकी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करेगी कि विदेशी मामलो मे उसकी भूमिका क्या होती है। "भारतीय जनमत इसे स्वीकार करे चाहे न करे, सुरक्षा के लिए बाहरी सहायना पर भारत की निर्भरता ऐसा तथ्य है, जो विदेशनीति की विशद समस्याओं पर उसके निर्णय की स्वाधीनता को सीमित करता है। भारत की सुरक्षा-स्थिति जितना ही कमजोर होगी, उतना ही संसार में उसकी आवाज के सुने जाने की सम्भावना कम होगी। ब्रिटिश कामन-वेलथ के स्वायत्त सदस्य के रूप मे भारत को अपनी नीति विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलेगा और तब वह जिन मामलों से दिलचस्पी रखता है, उन पर अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने में वह समर्थ होगा।" (उप., पृष्ठ ७८२)।

अंग्रेज भारतीय राजनीतिज्ञों को यह समझाना चाहते थे कि उन्हें देश की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना होगा। वे कामनवेलथ में रहे चाहे बाहर, यदि सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहेगे, तो उनकी विदेशनीति भी बँसी होगी जैसी ब्रिटेन चाहेगा। यदि एक राज्य की जगह दो राज्य बनते हैं तो वे और भी कमजोर होंगे। कोई विदेशी शक्ति जब हमला करेगी, तब की तब देखी जायेगी, पहले तो वे आपस में लड़ेंगे और दोनो ही अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से सहायता चाहेंगे।

दस्तावेज के अन्त में कहा गया है कि भारत की राजनीतिक स्थिति में चाहे जो तब्दीली हो, उसकी भौगोलिक स्थिति तो बदल नही सकती। इसलिए सम्भावना यह है कि भारत की ब्रिटिश सरकार ने विदेशनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्थिर किये है, अगले कई साल तक उन्ही का अनुसरण किया जायेगा। सुदूर पूर्व में ब्रिटेन, अमरीका, चीन और रूस की जो नीति होगी, उससे भारत को अवश्य दिलचस्पी होगी किन्तु उगका ध्यान मुख्यतः अपने नजदीकी पड़ोसियों की ओर होगा। उसका हित इस बात में होगा कि ये पड़ोसी किसी ऐसी शक्ति के हाथ में न आ जायें जो शत्रु हो या आगे जिसके शत्रु बन जाने की सम्भावना हो।

(ख) सुरक्षा-व्यवस्था और विदेशनीति

भारत जब स्वाधीन होगा, तब ब्रिटेन की सरकार से सन्धि करेगा। भारत-सचिव ने ब्रिटेन की कैबिनेट के लिए एक दस्तावेज तैयार कराया जिसमें सन्धि के मसौदे

की मुख्य बातों का समावेश था। विदेशनीति के बारे में बताया गया कि दोनों देशों में सदा शान्ति और मैत्री का सम्बन्ध रहेगा। विदेशनीति की जिन बातों से दोनों के हितों का सम्बन्ध हो, उनके बारे में दोनों देश सुलकर परामर्श करेंगे। अन्य देशों में वे ऐसा रुख न अपनायेंगे जिससे उनकी मैत्री पर आंच आये और दोनों में किसी के लिए कठिनाई पैदा हो। दोनों के हाई-कमिश्नर एक-दूसरे की राजधानी में रहेंगे। "कूटनीति-सम्बन्धी कार्यवाही अथवा वार्ता के सिलसिले में ब्रिटिश हाईकमिश्नर भारत सरकार को हरसम्भव सहायता देगा। भारत के विदेश विभाग और ब्रिटिश हाईकमिश्नर के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेगा।" (उप.; १०५१)। भारत की विदेशनीति निर्धारित करने में ब्रिटिश हाईकमिश्नर की भूमिका निर्णायक होगी, यह आकाशा प्रस्तावित सन्धि की इस शर्त द्वारा व्यक्त हुई है, "भारत सरकार विदेशी शक्तियों से कोई ऐसी राजनीतिक सन्धि न करेगी जो उस मौजूदा सन्धि की शर्तों के विपरीत हो; ब्रिटिश हाईकमिश्नर के माध्यम से बादशाह सलामत की सरकार से सलाह किये बिना भारत सरकार किसी राजनीतिक समझौते के लिए बातचीत न चलायेगी।" (उप.)। सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि बादशाह सलामत की सरकार किसी बड़ी शक्ति के हमला करने पर भारत की सुरक्षा का अपना दायित्व निवाहती रहेगी। दोनों देश किसी अन्य शक्ति से युद्ध में संलग्न होने पर एक-दूसरे की सहायता करेंगे। भारत सरकार ब्रिटेन की सहायता किस प्रकार करेगी, वह भी स्पष्ट कर दिया गया है: "युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में भारत सरकार की सहायता इस रूप में होगी कि वह भारतीय धरती पर, गुनाउटेड किंगडम के लिए शक्तिभर, हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगी; इसमें बन्दरगाहों, हवाई अड्डों और संचार-साधनों का उपयोग शामिल है।" (उप.; पृष्ठ १०१२)। अमेरिका के मनसूखे बया थे, वे किस तरह की स्वाधीनता देना चाहते थे, यह सन्धि के उभर मसौदे से समझ में आ जाता है।

भारतीय राजनीतिज्ञों से बातचीत करने के लिए जब ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य भारत आनेवाले थे, तब उनके लिए भारत-सचिव ने निर्देश-पत्र तैयार किया था। उसमें कहा गया था कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य स्वाधीनता-सम्बन्धी किसी भी संवैधानिक बन्दोबस्त की सिफारिश कर सकते हैं कि पार्लियामेण्ट उसे स्वीकार करे बशर्ते कि "भारत और हिन्दमहासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उसमें सन्तोषजनक प्रावधान हो।" (उप.; पृष्ठ ११२६)। भारत को स्वाधीनता देने के लिए जो शर्तें रखी जाने की थी, उनमें यह शर्त सबसे महत्वपूर्ण थी। मेजर जनरल लेस्ली चेज़मोर होलिस ब्रिटेन की वार-कैबिनेट (ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की युद्ध-समिति) के वरिष्ठ सहायक सचिव थे। उन्होंने भारत और बर्मा से सम्बन्धित स्थाई उपसचिव डेविड टेलर मोन्टीथ के नाम १३ मार्च १९४६ को एक दस्तावेज भेजा था जिसमें जल-थल-वायु-सेनाध्यक्षों के विचार दिये गये थे। इस दस्तावेज में भारत के सैनिक महत्व के बारे में कहा गया है कि भारत चात्वीस करोड़ की आबादीवाला देश है और यह आबादी अब भी बढ़ रही है। अधिकांश लोग जुझारू वंश के नहीं हैं, फिर भी "साम्राज्य की सैन्यशक्ति में भारत का

योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछले युद्ध में भारत ने बीस लाख आदमी दिए थे। स्पष्ट है कि भारत जैसा उन स्रोतों पर हमें और भी अधिक निर्भर होना पड़ेगा जिनसे सैनिक बल (मैनपावर) प्राप्त हो सके।" (उप.; पृष्ठ ११६८) यह तो हुई आवादी की बात। भौगोलिक दृष्टि से भारत का महत्व यह है "अरब सागर और फारस की खाड़ी पर कारगर नियन्त्रण रखने के लिए भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर बन्दरगाह और हवाई अड्डे अत्यन्त आवश्यक हैं।" (उप.) उल्लेखनीय है कि अभी सोवियत फौजें अफगानिस्तान में न थी पर अंग्रेज फारस की खाड़ी और अरब सागर पर कारगर नियन्त्रण बनाये रखने की बात सोच रहे थे। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि भारत से बाहर हमारे पास ऐसे अड्डे हैं जहाँ से बगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर पर नियन्त्रण रखा जा सकता है किन्तु समुद्र तटवर्ती हवाई वेड़े का उपयोग भली प्रकार तब होगा जब भारत के अन्दर हवाई अड्डे काम में लाये जायेंगे। "फारस की खाड़ी या दक्षिण पूर्वी एशिया (बर्मा, थाईदेश, फ्रेंच इंडोचाइना [अर्थात् वियतनाम, कम्बूचिया और लाओस] और मलाया) में कार्यशील ब्रिटिश सेनाओं के लिए भारत स्वाभाविक सहायक आधार है। इसके अलावा वह सुदूर पूर्व में हमारी वायु संचार-व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अतिरिक्त यूराल पर्वत और पश्चिमी साइबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों के सबसे नजदीक हमारे पास पश्चिमोत्तर भारत के हवाई अड्डे हैं।" (उप.) अंग्रेजों की दूरदर्शिता का जवाब नहीं। उन्हें ऐसे हवाई अड्डे चाहिए जहाँ से यूराल और साइबेरिया के औद्योगिक इलाकों पर आसानी से हमला किया जा सके। ऐसे हवाई अड्डे पश्चिमोत्तर भारत में हैं। यदि संयुक्त भारत में ये अड्डे उन्हें सुलभ होते हैं तो संयुक्त भारत ठीक है। यदि नहीं होते तो विभाजित भारत ठीक है वरतों कि विभाजन के बाद ये अड्डे सुलभ होते रहें। इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में फारस की खाड़ी के अलावा बर्मा, थाईदेश, वियतनाम और मलाया तक ब्रिटिश सेनाओं का कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। इस सारे प्रपञ्च में भारत को अपनी सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों का साथ देना है। मनसूबा यही था, पूरा न हुआ हो, वह बात अलग है।

कांग्रेस की ओर से पूर्ण स्वाधीनता की माँग हो रही थी। अंग्रेज इससे जरा भी विचलित न थे। उन्होंने तय कर लिया था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में रखना है, तो न साम्राज्य की बात करनी चाहिए न कामनवेल्थ की। जिस बात से वे चिन्तित थे, वह था जन-आन्दोलन। जब तक मुल्ह-समझौते की बात चलती रहती है, तब तक वे समझते थे कि साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत-सचिव ने बादशाह सलामत के सचिव ऐलेन लसेलेस को ७ मार्च १९४६ के पत्र में लिखा था, "हम समझते हैं कि साम्राज्य में भारत के रहने की अधिक सम्भावना तब होगी जब इसके बारे में पूछे जाने पर हम कहें कि यदि वे आरम्भ से ही स्वाधीन होना चाहते हैं तो वे हो सकते हैं।" (उप., पृष्ठ ११२३)। भारत-सचिव बादशाह सलामत को उनके निजी सचिव के माध्यम से बता रहे थे कि कैबिनेट मिशन भारत पहुँचेगा तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पहली समस्या स्वाधीनता की है और भारतीय नेता इसे अतिशय महत्वपूर्ण मानते हैं। सन् ४२

जिसमें साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत को नया संविधान बनाना था, साथ ही यह भी कहा गया था कि भारत साम्राज्य से अलग होना चाहे तो नया संविधान लागू करने के तुरत बाद वह ऐसा कर सकता है। यह सवाल फिर सामने आयेगा, इसलिए यदि इस बातसे बाधा पड़ती हो तो कामनवेल्थ के भीतर रहने पर जोर देना गलत होगा। इस सन्दर्भ में भारत-सचिव ने उक्त वाक्य लिखा था। उससे स्पष्ट है कि पूर्ण स्वाधीनता की बात स्वीकार करते हुए भी इंग्लैण्ड-सरकार की नीति यह थी कि भारत को साम्राज्य से अलग न होने दिया जाये।

१५ मार्च १९४६ को कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि डोमिनियनो के प्रधान मन्त्रियों तथा वहाँ के ब्रिटिश हाईकमिश्नरों को इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री ऐटली ने भारत में समझौते की बातचीत के बारे में सूचना देते हुए लिखा, "भारत में यह व्यापक किन्तु निराधार विचार फैला हुआ है कि डोमिनियन स्टेट्स कोई ऐसी चीज है जो स्वतन्त्र जातीय सम्मिलन के अन्तर्गत मिलनेवाली प्रभुत्वसम्पन्न स्वाधीनता से घटकर है। भारत के राजनीतिक नेताओं ने आमतौर से इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समझौते के लिए यह घोषणा करना जरूरी होगा कि उन्हें स्वाधीनता मिलेगी। १९४२ में हम जो कुछ देने को तैयार थे, स्पष्ट ही उससे कुछ कम देने की बात अब ही न सकती थी। उस समय भी पूरी तरह स्वशासित हो जाने के तुरत बाद भारत दरअसल कामनवेल्थ से अलग हो सकता था। इसलिए हमारी समझ में इस बात पर जोर देना गलत होगा कि जिस भारत का नया संविधान बने, उसे ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहना ही होगा। इसलिए हमने शुरू में ही भारतीय नेताओं के सामने यह बात साफ कर देने का फैसला किया है कि भारत का नया संविधान कामनवेल्थ के अन्तर्गत होगा या नहीं, यह तय करने का अधिकार भारत को होगा।" (उप., पृष्ठ १२०१)। इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री की इस व्याख्या के अनुसार डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वाधीनता में कोई अन्तर न था। कांग्रेसी नेता चाहते थे कि अंग्रेज कहें कि वे पूर्ण स्वतन्त्रता देगे। अंग्रेजों ने कहा, हम तैयार हैं। असली समस्या यह थी कि भारत की रक्षा-व्यवस्था भारत के हाथ में होगी या अंग्रेजों के हाथ में, और भारतीय फौज केवल भारत की रक्षा करेगी या अंग्रेजों के साथ मिलकर समूचे ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र की रक्षा करेगी। स्पष्ट था कि भारत में अंग्रेजों की जो भी नीति होगी, उसे निर्धारित करने में उनकी सुरक्षा-सम्बन्धी सैनिक नीति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

(ग) व्यावसायिक हित

जैसे ब्रिटेन के कूटनीतिज्ञों ने भारत के अंग्रेज अधिकारियों को सलाह दी थी कि इस देश को ब्रिटिश साम्राज्य में रखना हो तो पूर्ण स्वाधीनता की बात मान लो, वैसे ही उन्होंने भारत के अंग्रेज व्यवसायियों को सलाह दी कि यहाँ धन्धा करना है तो कानूनी अधिकार पाने के लिए जिद न करो। वाइसराय ने २४ अक्टूबर, १९४५ के पत्र में भारत-सचिव को बताया कि कानून के अनुसार ब्रिटिश व्यवसायी भारतीय सहयोग के बिना अपने धन्धे का प्रसार कर सकते हैं और नये धन्धे कायम

कर सकते हैं। किन्तु ब्रिटिश व्यवसायी जानबूझकर भारतीय भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें यह बता देना होगा कि ऐंगी उपेक्षा के जो परिणाम होंगे, उनके लिए वादशाह सलामत की सरकार जिम्मेदार न होगी। "हमारी समझ में यदि महत्वपूर्ण ब्रिटिश फर्म अभी अपने पूरे कानूनी अधिकारों के लिए ज़िद करेंगी, तो वह व्यवसाय-सम्बन्धी समझौता (ट्रीटी) सटार्ई में पड़ सकता है जो वादशाह सलामत की सरकार और भारत की भावी सरकार के बीच होगा। अभी ज़वादा वाजिव नीति अपनाने में भारत की भावी सरकार के मातहत उन्हें जो धन्य की सुविधाएँ मिल सकती हैं, उन्हें ये भँवा सकते हैं। कार्यकारिणी समिति [अर्थात् वादसराय की समिति] ने जो नीति स्वीकार की है वह केन्द्रीय सभा (मेन्ट्रल असेम्बली) के लिए शायद काफी नहीं है। उसके अनुसार जहाँ तक वन पड़े, सत्रह बुनियादी उद्योगों में वित्तीय और प्रशासनिक नियन्त्रण हिन्दुस्तानियों के हाथ में होगा। इन्हीं उद्योगों के दायरे में दस समय भेदभाव बरतने का सवाल उठता है। कानून की स्थिति इस समय यह है कि भारत सरकार वित्तीय और प्रशासनिक नियन्त्रण के बारे में अपनी राय के अनुसार उन ब्रिटिश फर्मों को सलाह भर दे सकती है जिन्हें इन बुनियादी उद्योगों से दित्तचस्पी है। जो ब्रिटिश फर्म यह सलाह न मानें, उनके रास्ते में भारत सरकार कोई रुकावट नहीं डाल सकती; वह केवल उन सम्भावित परिणामों की ओर ध्यान दिला सकती है जो मलाह न मानने से निकलेंगे।" (उप.; पृष्ठ ३६०)।

भारत-सचिव का मत था कि ब्रिटिश व्यवसाय को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उससे भारत की औद्योगिक प्रगति में बाधा नहीं पड़ती। उद्योगीकरण के बारे में उनकी धारणा यह थी कि ब्रिटिश पूंजी को छूट मिले तो यह काम तेजी से होगा। "दरअसल यदि भारत के उद्योगीकरण की बात है, और इसके अलावा दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देना तो नि.सदेह इस विकास में ब्रिटिश हितों को भाग लेने के लिए भरपूर अवसर देने पर यह कार्य और काफी तेजी से होगा।" (उप., पृष्ठ ४०६; वादसराय के नाम २५ अक्टूबर १९४५ का पत्र)। भारत की औद्योगिक प्रगति में जो विलम्ब हो रहा था, वह भारत-सचिव के अनुसार इसलिए हो रहा था कि उद्योगपति मशीनों मँगाने में ढील डालते हुए थे। वे सोच रहे थे कि कुछ दिन में सस्ती दर पर और अच्छा माल मिल जायेगा। ब्रिटेन और अमरीका के उद्योगपतियों की आर्डर बुकें भरती जा रही हैं और इनमें भारत के आर्डर बहुत ही कम हैं। भारत सरकार औद्योगिक विकास की योजनाओं पर तगड़ा नियन्त्रण रखती है। उद्योगपति जो योजनाएँ पेश करते हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिलने में काफी समय लग जाता है। भारत सरकार को ६१ करोड़ रुपये की मशीनों मँगाने के लिए आवेदन-पत्र मिले हैं किन्तु अभी ३५ करोड़ रुपये के सामान की ही स्वीकृति दी गयी है। भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में सन्देह होने से ब्रिटेन और अमरीका के उद्योगपति वहाँ अकेले, या भारतीय व्यवसायियों के साथ मिलकर, नया धन्धा शुरू करने से पहले दस बार सोचते हैं। भारत सरकार के सदस्य, दलाल, ने व्यावसायिक आरक्षण के विरुद्ध जो आन्दोलन छेड़ा है, उससे ब्रिटेन के उद्योगपति चौकन्ने हो गये हैं। उन्हें भय है

गया है कि स्वाधीन भारत की सरकार उनके साथ उचित व्यवहार न करेगी। (उप.; पृष्ठ-४१०)।

सर आर्देशिर रस्तमजी दलाल आई. सी. ऐम. वाइसराय की कार्यकारिणी में योजना और विकास की देखभाल करनेवाले सदस्य थे। वह उन व्यवसायियों के प्रतिनिधि थे जिनका धनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिश पूंजीपतियों से था। अंग्रेजों को अपने व्यवसाय के आरक्षण को लेकर जो सुविधाएँ मिली हुई थी, वे अब दलाल जैसे लोगों को भी द्युव्य कर रही थी। दूसरे उद्योगपति तो उनसे असन्तुष्ट थे ही। एक तरफ ब्रिटिश पूंजीपति अनेक भारतीय व्यवसायियों को अपने साथ बाँधे हुए थे, दूसरी ओर उनके अन्तर्विरोध भी बढ़ रहे थे। दलाल के आन्दोलन से वेबल और भारत-सचिव दोनों चिन्तित थे। अंग्रेजों के लिए जैसे पूर्ण स्वाधीनता का अर्थ था भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में बने रहना, वैसे ही भारत के उद्योगीकरण का अर्थ उनके लिए था यहाँ ब्रिटिश पूंजी का और भी अधिक निवेश; हो सके तो केवल ब्रिटिश पूंजी में व्यवसाय शुरू किया जाये, और न हो सके तो भारतीय पूंजीपतियों के साथ मिलकर धन्धा शुरू करें। मशीनें बनानेवाले बड़े उद्योग उन्होंने ब्रिटिश पूंजी लगाकर भी भारत में कायम न किये थे। उत्पादन के साधनों को पैदा करनेवाली मशीनें, अंग्रेज चाहते थे, सबसे पहले इंग्लैण्ड से मँगायी जाये, उसके बाद अमरीका में।

१४ मार्च, १९४६ को भारतस्थित ब्रिटिश व्यवसायियों का प्रतिनिधि-मण्डल यहाँ भारत-सचिव पेथिक लारेन्स से मिला। इनके नेता का कहना था कि वे जिन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, उनका सम्बन्ध समूचे ब्रिटेन से है। मण्डल के सदस्य हेनरी रिचार्डसन ने भारत-सचिव से कहा कि स्वाधीन भारत से जो सन्धि की जाएगी, उसमें ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। भारत-सचिव इन बातों की चर्चा भारतीय नेताओं से कर सकते हैं। ब्रिटिश व्यवसायियों की यह समिति चाहती थी कि ब्रिटेन की फर्मों और वहाँ के निवासी भारत में अपना धन्धा उन्हीं शर्तों पर कर सके जिन शर्तों पर भारत की फर्मों और यहाँ के निवासी धन्धा करते हैं; भारत में ब्रिटिश हितों को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जायें (मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेन्ट); भारत से अपना पैसा बाहर भेजने की सुविधा हो; भारत और ब्रिटेन के व्यवसायियों और उनकी फर्मों पर एक ही ढंग से टैक्स लगाये जाएँ; उन्हें भारत और ब्रिटेन में दो बार टैक्स न देना पड़े; फौज या अन्य किसी सेवा के लिए ब्रिटिश नागरिकों को बाध्य न किया जाये; ब्रिटिश नागरिकों को तकनीकी और पेशेवर काम करने का, विशेष रूप से वकालत करने का, अधिकार हो। (उप., पृष्ठ १२०२)।

अंग्रेजों ने १८वीं सदी में जब भारतीय उद्योग-धन्धों को तबाह करना शुरू किया था, ब्रिटेन में भारतीय माल के आयात पर उन्होंने जो भारी चुगी लगायी थी और इस तरह इंग्लैण्ड के उद्योग-धन्धों को तेजी से विकसित किया था, उस नीति से बिलकुल उलटी नीति अब वे भारत के लिए निर्धारित करना चाहते थे। वे ब्रिटिश नागरिक बने रहकर भारतीय नागरिकों के सारे अधिकार अपने लिये चाहते थे। जहाँ तक व्यवसाय का सम्बन्ध है, वे भारतीय पूंजीपतियों के बराबर अपने

धन्य के लिए अधिकार चाहते थे, और फौजी सेवा जादि नागरिकों के कर्तव्य अपने को अलग भी रखना चाहते थे। ब्रिटेन औद्योगिक प्रगति की जिम मजिल था, भारतीय उद्योगपति उमसे बहुत पीछे थे। जब एक बलवान और दूसरा निर्बल अखाड़े में बराबरीका दावा करें, तब यह अनिवार्य है कि बलवान निर्बल को दबोच लेगा। भारतीय व्यवसायी बलवान के साथ गह्योग तो करना चाहते पर दबोचे जाने में डरते भी थे। यह बात रिचार्डसनके वयान में ही प्रकट हो जात है। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यवसायी यह मुशाय पेग करते रहे हैं कि भारत जो ब्रिटिश व्यवसाय है, उसे भारत ले ले। इस तरह भारत का जो पैसा इंग्लैंड में जमा है, वह स्टर्लिंग वैलेन्स अशतः काम में आ जाएगा। "किन्तु उनकी वास्तविक इच्छा ब्रिटिश हितों पर अधिकार करने की है, न कि स्टर्लिंग वैलेन्स को काम में लाने की। ब्रिटेन भारत से जो व्यापार करता है, उस पर हमसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारण यह है कि भारत में जो ब्रिटिश फर्मों है, और जो अन्य फर्मों ऐसी है कि उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था ब्रिटिश है, इनका ख्यान यह है कि वे माल मँगाने के लिए ब्रिटेन को अपना आर्डर भेजती हैं। सम्भवतः ब्रिटिश हितों को अपने हाथ में लेते समय बदले में पैसा दिया जायेगा किन्तु उनका मूल्य आँकने में कठिनाई पैदा होगी। भारत के पास जितने साधन हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए उनमें भारी खीच पड़ेगी और ब्रिटिश फर्मों की सहायता दरकार होगी। (उप., पृष्ठ १२०३)। अंग्रेज व्यवसायी यह चाहते थे कि पैसा देकर भी उनके व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण न हो। उन्होंने भारत को जिस तरह लूटा था, उसे देवते हुए उचित तो यह था कि इनके सारे व्यवसाय जब्त कर लिए जायें और इन्हें एक पैसा भी न दिया जाये किन्तु उनका हौसला यह था कि पैसा देने पर भी राष्ट्रीयकरण न होने पाये, भारत के पूँजीवादी शोषण में अपना बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को बराबर मिलता रहे।

इस वार्ता के दौरान भारत-सचिव ने कहा कि जब तक नया सविधान लागू नहीं होता और भारत से सन्धि नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा कानून लागू होगा। इसकी धारा १११-१२१ में व्यवसाय-सम्बन्धी आरक्षण का विधान है। "किन्तु यदि भारत सरकार चाहे तो वह तरकीब से कन्नी काट सकती है और शाब्दिक रूप में धाराएँ न तोड़ते हुए भी उनसे बच सकती है, यद्यपि निस्सन्देह वह ऐसा भारत-सचिव की सहमति से न करेगी। इसलिए हिन्दुस्तानियों की सद्भावना प्राप्त करने के भरोसे हमारा काम ज्यादा अच्छी तरह चलेगा वजाय इसके कि हम कानूनी धाराओं का सहारा लें और शाब्दिक रूप से इन धाराओं का पालन किया जाये लेकिन साररूप में उन्हें धता वतायी जाये।" (उप.; पृष्ठ १२८१)। भारत-सचिव जिस सरकार की बात कर रहे है, वह अभी स्वाधीन भारत की सरकार नहीं है, किन्तु वह चाहते है कि स्वाधीनताप्राप्ति से पहले ही अंग्रेज व्यवसायी अपने दाय-पैच बदल दें। कानून का सहारा लेने के बदले उन्हें हिन्दुस्तानियों की सद्भावना अर्थात् भारतीय पूँजीपतियों की सद्भावनाओं का सहारा लेना चाहिए। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ जिस तरह भारत से राजनीतिक सम्बन्ध कायम रखना चाहते थे, उसी तरह वे भारत से अपने आर्थिक सम्बन्ध बनाये रखना

चाहते थे। आर्थिक और राजनीतिक, दोनों क्षेत्रों में वे अपने मनुष्ये काफी हद तक पूरे कर सके, इसका श्रेय उनकी कूटनीति के अलावा भारतीय पूंजीवाद की समझौतावादी नीति को है।

(घ) भारत छोड़ने से हानि-लाभ

अंग्रेजों के भारत छोड़ने के वाद अनेक राजनीति-विशारदों ने लिखा है कि भारत को पराधीन बनाये रखने से अंग्रेजों को कोई लाभ न हो रहा था। भारत जैसा देश छोड़ने के वाद इंग्लैण्ड को हानि के बदले लाभ हुआ, उसकी आर्थिक प्रगति में तेजी आयी। पुराना साम्राज्यवाद तो कभी का मर चुका था। भारत छोड़कर अंग्रेजों ने औपचारिकता ही निवाही। भारत और इंग्लैण्ड के आपसी सम्बन्धों से इंग्लैण्ड की अपेक्षा अधिक लाभ भारत को ही था। इस तरह के प्रचार का उत्तर स्वयं अंग्रेज दे गये हैं। भारत के वाइसराय ने एक दस्तावेज तैयार कराया था जिसमें इस बात का अध्ययन किया गया था कि भारत में सत्ता सौंपने के वाद ब्रिटिश कामनवेल्थ के लिए उसके परिणाम क्या होंगे। यह दस्तावेज भारत-सचिव के पास १३ जुलाई १९४६ को भेजा गया। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारत को पराधीन बनाये रखने से ब्रिटिश साम्राज्य की कितना लाभ हो रहा था।

ब्रिटेन और कामनवेल्थ को सबसे बड़ा लाभ भारत को नियन्त्रण में रखने से सामरिक महत्व का है। भारत के पास भारी जनशक्ति है। "१९३९-४५ के युद्ध में विजय पाना कठिन होता यदि भारत ने २० लाख सैनिकों का योगदान न किया होता। इससे ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ मजबूत हुआ जहाँ वह सबसे कमजोर था।" (खण्ड ८, पृष्ठ ५०)। युद्धकाल में भारत महत्वपूर्ण सामरिक आधार था। युद्ध-सामग्री जुटाने में उसने काफी सहायता की; औद्योगिक विकास होने पर उसकी यह क्षमता और भी बढ़ेगी। भारत और श्रीलंका में जलसेना के अड्डे होने से ब्रिटिश जलसेना को सारे हिन्द महासागर पर अपनी प्रभुता बनाये रखने में सहायता मिली। "यह अड्डे ईरान तथा ईरान की खाड़ी से तेल की आपूर्ति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।" (उप.)। कामनवेल्थ की हवाई यातायात-व्यवस्था के लिए भारत अपरिहार्य कड़ी है। युद्ध से पहले ६० हजार अंग्रेज सैनिक भारत में प्रशिक्षित हुए थे और उनका खर्च भारत सरकार ने दिया था। ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए भारत का यह महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान था। ब्रिटेन में जनशक्ति की कमी है और नौजवान विदेश में सेवा के लिए नहीं जाना चाहते, इसलिए भारत में उन्हें प्रशिक्षित करने से जो लाभ होता था, वह कम हो जायेगा और उसके बदले ब्रिटेन को अपनी जनशक्ति सुलभ होगी।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार-सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन से जो देश आयात-निर्यात व्यापार सबसे अधिक करते हैं, १९४४ में भारत उनमें एक था। पिछले समय में भारतीय उद्योग में ब्रिटिश व्यवसाय का काफी हिस्सा रहा है, विशेष रूप से पटसन और चाय के उद्योग में। पिछले दिनों भारी कीमत लेकर ब्रिटिश व्यवसाय को भारतीय पूंजीपतियों के हाथ बेचने का रुझान रहा है किन्तु भारतीय उद्योग में अंग्रेजों का हिस्सा अब भी बढ़ा है। जैसे-जैसे भारत का उद्योग

और व्यापार विकसित होंगे, वैसे-वैसे भारत और ब्रिटेन दोनों जगह के ब्रिटिश व्यवसाय को अधिकाधिक लाभ होगा, इसकी पूर्ण सम्भावना है। भारतीय आपात-कर्ताओं के लिए अपनी जरूरत की चीजें सरीदने को सबसे स्वाभाविक बाजार ब्रिटेन में सुलभ है। भारत का जो स्टैलिग पावना जमा है, उससे यह सम्बन्ध बहुत मजबूत होगा। भारत में ब्रिटिश तकनीकी कौशल को बहुत मूल्यवान माना जाता है। जैसे-जैसे भारत समृद्ध होगा, वैसे-वैसे उपभोक्ता-सामग्री के लिए वह बहुत अच्छा बाजार बनेगा और इन व्यवसाय में ब्रिटेन को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। ब्रिटेन और भारत के जलमार्गों पर अभी ब्रिटेन की जहाजरानी की स्थिति सर्वोपरि है। आगे चलकर यह स्थिति बदल सकती है किन्तु अपना जहाजरानी का उद्योग निर्मित करने में भारत को काफी समय लगेगा।

भारत में राजनीतिक शक्ति त्यागने से वहाँ के प्रशासन और तकनीकी सेवाओं में पेशेवर वर्गों को जो काम मिलता था, वह काम न मिलेगा। उनके लिए भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अनुमान है कि इन सेवाओं में ब्रिटिश कर्मचारी प्रतिवर्ष २० लाख पौण्ड कमाते थे; ब्रिटेन में रहनेवाले अवकाशप्राप्त नागरिक अधिकारियों को जो पेंशन भारत से मिलती है, वह प्रतिवर्ष ३० लाख पौण्ड है। सम्भावना यह है कि ब्रिटेन यह सारी धनराशि न खो देगा क्योंकि तकनीकी तथा अन्य प्रकार के ब्रिटिश विशेषज्ञों की माँग भारत में सम्भवतः बनी रहेगी।

यदि सत्ता का हस्तान्तरण इस तरह होता है कि भारत एक सुव्यवस्थित मित्र देश बना रहता है, तो कुल मिलाकर ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। मित्र और संयुक्त भारत को सुव्यवस्थित ढंग से सत्ता सौंप दी जाये और सुरक्षा-सम्बन्धी सहयोग के लिए सन्तोषजनक सन्धि हो जाये तो ब्रिटेन के गौरव में ही नहीं, उसकी शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है। यदि भारत में अराजकता फैलती है, तो ब्रिटेन व्यापार, सामरिक लाभ और गौरव खो देगा और विश्वशान्ति के लिए खतरा पैदा हो जायेगा। "ब्रिटेन के दृष्टिकोण से भारत में जो सबसे बुरा नतीजा हो सकता है, वह यह कि उत्तरदायी सरकार के अभाव में, या कम्युनिस्ट क्रान्ति द्वारा, या जानबूझकर, भारत रूस के नियन्त्रण में आ जाये। उस हालत में ब्रिटेन अपनी स्थिति का बलिदान कर चुका होगा और भारत को उसने कुछ न दिया होगा।" (उप., पृष्ठ ५१)।

भारत की स्वाधीनता का सामरिक परिणाम महत्वपूर्ण होगा। भारत से सुरक्षा सहयोग की सन्धि का महत्व ब्रिटेन के लिए बहुत है। ऐसी सहयोग-सन्धि स्वाधीन भारत पर थोपी नहीं जा सकती लेकिन होशियारी से काम लिया जाय तो सम्भावना यह है कि भारत स्वयं ऐसी सन्धि करना चाहेगा। "इससे हिन्द महासागर और ईरान की खाड़ी में हमारे समुद्री बेड़े की स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी, हवाई यातायात-व्यवस्था में भारत एक कड़ी बना रहेगा और जहाँ तक सम्भव होगा, हम भारत की जनशक्ति का भी उपयोग कर सकेंगे। ऐसी सहयोग-सन्धि के बिना भारत छोड़ने पर ब्रिटेन को भारी क्षति उठानी पड़ेगी।" (उप., पृष्ठ ५२)।

भारत पर रूस का आधिपत्य हो सकता है, इसकी चर्चा फिर की गयी है।

यह आधिपत्य किस तरह कायम होगा, इसका अनुमान करना, दस्तावेज-लेखकों के अनुसार, कठिन है। स्वाधीन भारत-सरकार अपने समुद्र-तट की लम्बाई के प्रति बेखबर नहीं हो सकती, न यह भूल सकती है कि उसका नब्बे फीसदी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की सुरक्षा समुद्र की अपेक्षा स्थल पर अधिक सुदृढ़ है। इसलिए स्वभावतः भारत समुद्री वेड़े को लेकर सहयोग-सन्धि करना चाहेगा, विशेष रूप से ऐसे समय जब आयात होनेवाले माल का निश्चित गति से प्राप्त होना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। "और निस्सन्देह रूस हिन्द महासागर में जवर्दस्त जलशक्ति बने, इसमें अभी बहुत साल लगेंगे। इसके अतिरिक्त रूस से स्थलवाली संचार-व्यवस्था इतनी खराब है कि देश के विकास में ब्रिटिश या अमरीकी सहायताकी जगह रूसी सहायता न ली जा सकेगी। इससे प्रतीत होता है कि भारत की भावी सरकार स्वेच्छा से रूसी सुरक्षण प्राप्त करना न चाहेगी।" (उप.; पृष्ठ ५२)।

किन्तु यदि भारत में क्रान्ति होती है तो रूसी प्रभाव बढ़ सकता है। इस सम्भावना के बारे में लिखा है, "किन्तु किसी क्रान्तिकारी दल को समर्थन देने की अपनी आम कार्यनीति रूस यहाँ काम में ला सकता है। भारत की परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है। थोड़े से पूंजीपति और राजा हैं जिनके पास अपार सम्पत्ति है। मजदूर अभी शोषित हैं, उनकी शिकायतें वाजिब हैं, वे अपनी शक्ति पहचानने लगे हैं। घुरे शासन-प्रबन्ध से कुछ स्थानों में खाद्य-सामग्री की कमी और भुखमरी की गीबत आ सकती है। कम्युनिस्ट-संगठन का केन्द्र मौजूद है और वह अपने अस्तित्व को महसूस करा रहा है। यदि सरकार कमजोर हुई और अफगानिस्तान का दरवाजा मजबूती से बन्द न किया गया, तो रूस के लिए यह कठिन न होगा कि अपने आम तरीके काम में लाकर वह देश में पैर जमा ले।" (उप.)।

भारतीय सरकार कमजोर हो सकती है, इस सम्भावना पर विचार करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश का शासन सँभाल लेना बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए आवश्यक राजनीतिक या प्रशासनिक क्षमता विद्यमान है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भारत सरकार कमजोर हुई तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। "वैसी हालत में सामरिक स्थिति, जनशक्ति के स्रोतों, संचार-व्यवस्था और व्यापार की दृष्टि से ब्रिटेन की गम्भीर क्षति सहनी होगी, भले ही रूस हस्तक्षेप न करे।" (उप.)।

इस दस्तावेज में जो कम्युनिस्ट क्रान्ति की बात कही गयी है, उसका अर्थ है साम्राज्यविरोधी, सामन्तविरोधी क्रान्ति। व्यापार से लेकर जनशक्ति के स्रोतों तक ब्रिटेन का हित भारत को अपने प्रभाव में रखने से सिद्ध होता है। इस हित का विनाश अंग्रेजों के लिए कम्युनिस्ट क्रान्ति है। वे मानते हैं कि मजदूरों का शोषण होता है और उनकी शिकायतें सही हैं। मजदूर वर्ग शक्तिशाली हो रहा है, यह भी वे जानते हैं। किन्तु मजदूर वर्ग साम्राज्यविरोधी क्रान्ति में अगुआई करे, तो उनके लिए यह देश में अराजकता फैलाना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए वे भारत को अपने साथ सैनिक गठबन्धन में शामिल करना चाहते हैं किन्तु यदि भारत सोवियत संघ से सुरक्षा सन्धि कर ले, तो यह भारत पर रूस की

प्रनुता स्थापित करना होगा। स्वभावतः अंग्रेज बन्दूक उल्लुङ्घित कि अफगानिस्तान उनके प्रभाव में रहे, तभी वे यहाँ का दरवाजा बन्द रग सकते थे। तब की आपूर्ति के लिए हिन्द महासागर और ईरान की खाड़ी पर उनका प्रभुत्व कायम रहना जरूरी था। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भारत का ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में रहना जरूरी था। यदि भारत सरकार दम ब्रिटिश प्रभाव को पूरी तरह कायम नहीं रहने देती, यह सोवियन मण से मैत्री-सम्बन्ध कायम करती है, तो इससे ब्रिटेन को भारी क्षति होगी, भले ही रूम में हस्तक्षेप न किया हो। इस विवेचन से एक अनिवार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत को अपने प्रभाव-क्षेत्र में बनाये रखने के लिए, ब्रिटेन स्थायीन भारत की सरकार पर हर तरह से दबाव डालता रहेगा।

भारत में अन्तरिम सरकार बननेवाली थी। ब्रिटेन के विदेश-नियंत्रण और भारत-सचिव ने वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित दम सरकार की नीति पर ३० अगस्त को एक स्मरण-पत्र तैयार किया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी, दमका अनुमान उक्त स्मरणपत्र से हो जायेगा। भारत में जो भी सरकार हो, यह ब्रिटेन का विरोध करनेवाली न हो अर्थात् सुसंगत रूप से साम्राज्यविरोधी न हो, यह प्रबल आकांक्षा यहाँ व्यक्त हुई है। लिखा है, "ईरान की खाड़ी के अरब तट पर बादशाह सत्तामत् की सरकार के हित इतने विशाल हैं और उनका स्वरूप ऐसा है कि यह आवश्यक हो जाता है कि उन हितोंकी रक्षा का भार विश्वसनीय हाथों में हो और बादशाह सत्तामत् की सरकार के सीधे नियन्त्रण में हो (इन हितों का सम्बन्ध मुख्यतः तेल की आपूर्ति में है; जैसे-जैसे ईरान पर रूसी दबाव बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे वायु और जल संचार-व्यवस्था का महत्व बढ़ता है। उन हितों का सम्बन्ध दम संचार-व्यवस्था के तथा तेल स्रोतों के विकास से है)। इस क्षेत्र में हमारे बुनियादी हितों में भारत किसी तरह हस्तक्षेप करे, यह सत्तरा मोल न लेना चाहिए। देशों की रियासतों के शासकों से जो सन्धियाँ की गयी हैं, वे बादशाह सत्तामत् की सरकार की ओर में की गयी हैं। इन सन्धियों के अनुसार उनकी भूमि पर ममुद्री हमला हो तो उनकी रक्षा की जायेगी और विदेश-सम्बन्ध ब्रिटिश नियन्त्रण में रहेंगे।" (उप.; पृष्ठ ३६४)। स्पष्ट है कि अंग्रेजों को बहुत भरोसा नहीं था कि ईरान की खाड़ी में स्थायीन भारत की सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। इसीलिए वे वहाँ अपना सीधा नियन्त्रण बनाये रखना चाहते थे। इस नियन्त्रण को बनाये रखने में अब तक भारतीय सेना का उपयोग होता आया था।

५ सितम्बर १९४६ के एक नोट में भारत के ब्रिटिश सेनाध्यक्ष औकिन्लेक ने भारतीय सेना के बारे में आँकड़े दिये हैं जिनसे पता चलता है कि दक्षिण एशिया और मध्यपूर्व पर अपना नियन्त्रण बनाये रखने के लिए अंग्रेज भारतीय सेना पर कितना निर्भर रहते आये थे। युद्ध समाप्त होने के साल-भर बाद दक्षिण एशिया और मध्यपूर्व में २,३४,५०० भारतीय सैनिक बिलखे हुए थे। इनमें सबसे अधिक वर्मा में ७८,५००; उसके बाद मलय में ५९,०००; इण्डोनेशिया में ४४,५००; इराक में १६,०००; मिस्र, फिलिस्तीन आदि में १२,३००; जापान में ११,४००;

घाईलैण्ड में ४,०००; हांगकांग में ५,८००; श्रीलंका में १,५०० और बोर्नियो में १,००० थे। सेनापति का अनुमान था कि बहुत-सी फौज वापस बुला लेने पर भी १ जनवरी १९५७ को लगभग डेढ़ लाख भारतीय फौज देश के बाहर होगी। (उप.; पृष्ठ ४६५)।

भारतीय नेता अंग्रेजों पर बराबर दवाब डाल रहे थे कि अन्य देशों से हिन्दुस्तानी फौज वापस बुलाई जाये। ब्रिटिश कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने भारत-सचिव के माध्यम से गुप्तार्थी कि भारतीय नेताओं को समझाने-बुझाने के लिए इस तरह के तर्क पेश किये जायें। ईरान और इराक भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त की महत्वपूर्ण चौकियाँ हैं। भारत के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी ऐसी शक्ति इस क्षेत्र में अपनी प्रधानता कायम न कर पाये जिसके भविष्य में शत्रु बनने की सम्भावना हो। इस क्षेत्र में मुख्य जल और वायु सेना का प्रबन्ध ब्रिटेन कर रहा है। भारतीय अर्थतन्त्र के लिए दक्षिणी ईरान और इराक का तेल अत्यन्त आवश्यक है। दक्षिणी ईरान में इस समय अव्यवस्था है। इसलिए बसरा में फौज रहने में ही यह बात गनिमिचित होती है कि तेल की आपूर्ति अबाध रूप से होती रहेगी। वहाँ के तेलक्षेत्रों में लगभग साढ़े तीन हजार भारतवासी हैं; वहाँ गम्भीर उपद्रव होता है तो इनका जीवन सकट में पड़ जायेगा। (भारतीय हितों के नाम पर दूररे देशों के जन-आन्दोलन को दबाने के लिए भारतीय सेना का उपयोग, यह थी ब्रिटेन की कूटनीति।) बर्मा और मलय से जल्दी फौजें बुला ली गयी तो इन देशों में अराजकता फैल जायेगी। भारत इन देशों से खड और चावल का आयात करना है। वर्तमान परिस्थिति में भारत के लिए इस क्षेत्र से निरन्तर चावल प्राप्त करते रहना बहुत जरूरी है। बर्मा और मलय में भारतीयों की काफी बड़ी संख्या है। वहाँ अव्यवस्था फैलने में वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। "यदि इनदलीलो ने भारत सरकार जाइबस्त नहीं होती कि विदेश में उसकी फौज का रहना जरूरी है तो हम उम वता सकते हैं कि अभी भारत में जो अंग्रेजी फौज है, उसे वहाँ से विदेश भेजे बिना, भारतीय सेना के अभाव में, हम अन्यत्र अपने आवश्यक वादे पूरे नहीं कर सकते। यह विश्वास किया जाता है कि भारतीय मन्त्रिमण इस बात का महत्व समझते हैं कि फिलहाल उनके देश में अंग्रेजी फौज बनी रहे। यह न भूलना चाहिए कि वहाँ अंग्रेजी फौज का रहना हमारे हित में भी है। इसलिए इस दलील को बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए वरना वह खतरनाक साबित हो सकती है।" (उप.; पृ. ६०१)।

यह सब स्वाधीन भारत के तीन दशक बीत जाने के बाद भी अत्यन्त शिक्षा-प्रद है। साम्राज्यवादियों को जहाँ भी अपने हितों की रक्षा करनी होती है, वे दिखाते यह है कि वे भारत-जैसे देशों की हित-रक्षा में तल्लीन हैं। उन्हें तेल की आपूर्ति की रक्षा करनी है, दिखायेंगे कि वह भारतीय अर्थतन्त्र की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय फौज के द्वारा अन्य देशों के स्वाधीनता-आन्दोलन को दबायेंगे, अपने साम्राज्य की रक्षा करेंगे, और कहेंगे, साम्राज्यवाद तो जाने कब का समाप्त हो गया, भारत के पड़ोसी देशों में कानून और व्यवस्था कायम रहे, इसमें भारत का हित है। उनका विचार था कि कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी फौज

कुछ समय तक बनी रहे। यदि भारत के लिए अंग्रेजी फौज जरूरी है तो वह दूसरे देशों के लिए भी जरूरी हो सकती है।

७. क्रान्तिकारी उभार और क्रान्तिविरोधी अभियान

(क) भारत में क्रान्ति हो तो पाकिस्तान में जर्म

भारत सरकार के गृह विभाग के लिए थॉर्न ने एक दस्तावेज तैयार करके ५ अप्रैल १९४६ को एबेल के पास भेजा। इसमें उन्होंने यह मत प्रकट किया था कि कांग्रेस ने यदि उपद्रव शुरू किया और सरकारी कामकाज ठण्ठ करने की कोशिश की तो स्थिति १९४२ की अपेक्षा बहुत अधिक गम्भीर हो जायेगी। "साम्प्रदायिक उपद्रव गम्भीर रूप धारण कर सकते हैं किन्तु सरकार के लिए मुसलमानों की सहायता बेकार होगी।" (खण्ड ७, पृष्ठ १५०)। यहाँ भारत सरकार के गृह विभाग की निगाह सरकार-विरोधी उपद्रवों के साथ साम्प्रदायिक उपद्रवों पर भी है। थॉर्न ने आगे कहा कि जो लोग भी उपद्रव से लाभ उठाना चाहते हैं, वे कांग्रेस की सहायता करेंगे। यह मान भी लें कि पुलिस, फौज, डाक-तार-रेल विभाग और मैजिस्ट्रेट सरकार के प्रति वफादार बने रहेगे, तो भी सरकारी कामकाज और संचार-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जिन प्रान्तों में अपेक्षाकृत शान्ति रहती है, उनमें भी लगानबन्दी का आन्दोलन बहुत हद तक सफल होगा। १९४२ के उपद्रव में पुलिस, फौज आदि पूरी तरह वफादार बने रहे थे। भविष्य में ऐसा न होगा। फौज के सभी दस्तों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। हवाई सेना और जलसेना तथा सिग्नल टुकड़ियों में बहुत असन्तोष बढ़ेगा और सीधे विद्रोह की नीव तैयार आयेगी। फौज की अपेक्षा पुलिस में असन्तोष कम होगा किन्तु कुछ असन्तोष तो होगा और विद्रोह हो सकता है। कई प्रान्तों में साधारण सिपाहियों के बीच असन्तोष फैला हुआ है। कहा जाता है कि यह असन्तोष आर्थिक कारणों से है "किन्तु कम्युनिस्ट और कांग्रेस आसानी से इसका लाभ उठायेगे। यदि विद्रोह फैलता गया तो बहुत बड़े क्षेत्र में पुलिस के टूट जाने की सम्भावना है।" (उप.)। थॉर्न ने डाक-तार-रेल विभागों के कर्मचारियों में असन्तोष का उल्लेख किया और कहा कि इसका भी फायदा उठाया जायेगा। बहुत बड़े क्षेत्र में हड़तालें हो सकती हैं। शान्ति-व्यवस्था के भंग होने पर ये सेवाएँ अपना काम चालू नहीं रख सकती। ब्रिटिश अफसर उदास और थके हुए हैं। बहुत से भारतीय अफसर आगा-पीछा सोच रहे हैं; उनमें साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ रहा है। अधिकांश जिले भारतीय अफसरों के अधीन हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में जिलों के ये अफसर कसौटी पर खरे उतरेंगे। "मजदूर अधिकतर कम्युनिस्ट और कांग्रेसी नेताओं के कहने में हैं। आम हड़ताल का आह्वान किया गया तो उसे भारी समर्थन मिलेगा।" (उप.; पृष्ठ १५१)। कांग्रेस को आज्ञाद हिन्द फौज के आर्दीमियों से बड़ी मदद मिल सकती है। इनके पास कुछ आधुनिक हथियार भी हो सकते हैं। "कुल मिलाकर मुझे इसमें सन्देह है कि कांग्रेस-प्रेरित विद्रोह को दबाया जा सकेगा। उपद्रव का दमन हो सकता है जैसे कि दक्षिण में; दूसरे प्रदेशों में, जैसे कि बिहार और संयुक्त प्रान्त में, वह काबू से

बाहर ही जायेगा। जहाँ भारी उपद्रव न भी होगा, वहाँ 'अहिंसात्मक' कार्रवाई से प्रशासन ठण्ठ हो जायेगा। बहुत खराब हालत हुई तो अधिकांश ब्रिटिश भारत में विद्रोह फैलेगा जिस पर हम काबू न पा सकेंगे। बहुत अच्छी हालत हुई, तो भी मुझे सन्देह है कि व्यवस्थित शासन का काम आमतौर से फिर चालू किया जा सकेगा।" (उप.)। थॉर्न ने इस सम्भावना पर भी विचार किया कि विद्रोह का दमन कर देने के बाद अंग्रेज भारत को काबू में रखेंगे। बादशाह सत्तामत् की सरकार कांग्रेस के आगे घुटने नहीं टेकती तो भारत पर अधिकार बनाये रखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेजी फौज आवश्यक होगी। नागरिक प्रशासन के लिए सभी जिम्मेदार पदों पर ब्रिटिश अफसर रखने होंगे। इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश अफसरों की भर्ती करनी होगी जितने बड़े पैमाने पर पहले कभी की न गयी थी। (उप.)।

भारत सरकार के गृह सदस्य थॉर्न के दस्तावेज से नीति-सम्बन्धी जो निष्कर्ष निकलते थे, उनसे वाइसराय के सचिव एवेल सहमत न थे। उन्होंने अपने ७ अप्रैल के दस्तावेज में प्रश्न किया कि मान लीजिए कि कांग्रेस-प्रेरित जनआन्दोलन को दबाया न जा सका, तो क्या इसका यह अर्थ है कि कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण किया जाये? उनका उत्तर था, नहीं। एवेल के इस दस्तावेज का महत्व यह है कि क्रान्तिकारी परिस्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज किस तरह क्रान्तिविरोधी शक्तियों का उपयोग करनेवाले थे, इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख यहाँ किया गया है। पहले उन्होंने कांग्रेस की रणनीति का विश्लेषण किया। कांग्रेस तुरत स्वाधीनता चाहती है और अन्तरिम अवधि में बहुमत का शासन चाहती है। यह उसका एक बाजू से आक्रमण हुआ। दूसरे बाजू से उसकी यह माँग है कि भारत में सर्वोपरि स्थान भारत सरकार को मिले (अर्थात् देशी रियासतों जैसे अंग्रेज सरकार को सर्वोपरि सत्ता मानती थी, वैसे ही वे नई भारत सरकार को सर्वोपरि सत्ता मानें।) कैबिनेट मिशन पर इस बात के लिए भी जोर डाला जा रहा है कि वह अन्तरिम अवधि के लिए सत्ता पर अधिकार करने की माँग स्वीकार कर ले। जोर डालने के तरीके में ये माँगें हैं: गांधी द्वारा नमक-कर को हटाने की माँग, डा. अम्बेदकर को बरखास्त करने की माँग और राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की माँग, भले ही ये कैदी प्रान्तीय सरकारों के अधीन हों। अन्तरिम अवधि में कांग्रेस को सत्ता सौंपने से काम न बनेगा। "यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से इस बात से बंध जाते हैं कि गैरजिम्मेदार हिन्दू सरकार मुसलमानों के दमन के लिए ब्रिटिश सेना का उपयोग करे।" (उप.; पृष्ठ १६०)। (यहाँ मजेदार बात यह है कि भारतीय जनमत अंग्रेजी फौज को यहाँ से तुरत हटाने की माँग कर रहा था। स्वाधीनता की घोषणा करने तक अंग्रेज यहाँ अपनी फौज बनाये रखना चाहते थे तो यह उनकी अपनी नीति थी, स्वाधीनता आन्दोलन की माँग नहीं थी। किन्तु एक अंग्रेज कूटनीतिज्ञ अपनी विरादरी के दूसरे कूटनीतिज्ञ से कह रहा था कि हिन्दू सरकार गौरी फौज का उपयोग मुसलमानों को दवाने के लिए करेगी। यह तर्क कितना लचर था, इसका अनुमान इस बात से होगा कि कज़रवेदिव सरकार के भूतपूर्व भारत-सचिव एम्बेरी ने खुलेआम यह मत प्रकट किया था कि अन्तरिम

सरकार को पूर्ण सत्ता सौंपी जा सकती है। इसकी चर्चा आगे करेंगे।)

एवेल ने आगे विचार किया कि कांग्रेस ने यदि जन-आन्दोलन शुरू किया तो स्थिति क्या होगी। उनका मुझाव था कि कांग्रेस ने हिन्दू-प्रान्तों में ऐसा आन्दोलन शुरू किया तो इसका नतीजा होगा पूरी तरह अराजकता का प्रसार। कांग्रेस को समझा देना चाहिए कि अंग्रेज इस स्थिति में कुछ न करेंगे, इन प्रान्तों से अपनी फौज और ब्रिटिश नागरिक हटा लेंगे। यह बड़ा विकट निर्णय होगा लेकिन ऐसा निर्णय करने पर सारी जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यसमिति की हो जायेगी और जिम्मेदारी से ही उसकी बुद्धि ठिकाने आयेगी। "मुझाव यह है कि कांग्रेस जन-आन्दोलन शुरू करे तो बादशाह सलामत की सरकार का जवाब यह होना चाहिए कि पाकिस्तान में उठ चलें (ऐसे पाकिस्तान में जो जिन्ना की मांगी हुई सीमाओं के अनुरूप हो) (ए विदद्वावल टु पाकिस्तान विद दि फुल जिन्ना बाउन्ड्रीज)।" (उप.; पृष्ठ १६१)। स्वयं एवेल ने यह सिद्धान्त बनाया था कि मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जायेगा तो उन्ही क्षेत्रों में दिया जायेगा जिनमें वे बहुसंख्यक हैं किन्तु यहाँ बड़ी उदारता से वह जिन्ना को वे क्षेत्र देने को तैयार थे जिनमें हिन्दू बहुसंख्यक थे। कांग्रेस विद्रोह शुरू करे तो उसका जवाब यह होगा कि अंग्रेज जिन्ना की पूरी मांग स्वीकार कर लें और भारत छोड़कर पाकिस्तान में अड्डा बनायें। यदि कांग्रेस विद्रोह नहीं करती तो सिद्धान्त की बात मानी जायेगी; जिन्ना को केवल वे क्षेत्र दिये जायेगे जिनमें मुसलमान बहुसंख्यक हों। एवेल ने माना कि उनकी योजना के विरोध में कई तरह की बातें कही जा सकती हैं पर उनके विचार से उसको अंमल में लाना असम्भव नहीं था।

भारत में क्रान्तिकारी परिस्थिति और उससे निपटने के लिए क्रान्ति-विरोधी दाँव-पेच एवेल के अगले वाक्य में बहुत साफ दिखायी देते हैं। "अन्तरिम अवधि के लिए पूरी सत्ता पाने पर, कांग्रेस जो बराबर जोर दे रही है, उसका परिणाम अभूतपूर्व पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। हिन्दुस्तान के शहरों में ऐसी फिज्जा है कि इस तरह के दंगे हों। गुण्डा-तत्व बेकाबू हैं। कम्युनिस्टों का खूँया जैसा इस समय है, उससे लगता है कि उपद्रव करने का अवसर मिलने पर वे प्रसन्न होंगे। यदि ऐसे दंगे शुरू होते हैं तो बेशक हमें उनसे निपटना होगा किन्तु हिन्दुस्तानी फौज और पुलिस पर इसका प्रभाव सर्वनाशी हो सकता है। हो सकता है कि परिस्थिति काबू से बाहर हो जाये। इस खतरे से बचने का और कोई उपाय मेरी समझ में नहीं है सिवा इसके कि अन्तरिम अवधि के मामले में कांग्रेस से दृढ़तापूर्वक पेश आया जाये। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक कांग्रेस और लीग के बीच दीर्घ अवधि वाली समस्या [अर्थात् पाकिस्तान की समस्या] हल न हो जाये, तब तक अन्तरिम अवधि के धारे में बातचीत करने से बचना चाहिए।" (उप. पृष्ठ १६१)। इस प्रकार एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी ने सम्भावित क्रान्तिकारी आन्दोलन को दवाने के लिए साम्प्रदायिक दंगों के रूप में अपनी जवाबी आक्रमणी वाली नीति निर्धारित कर ली थी।

(ख) क्रान्तिकारी उभार और दमननीति के खतरे

३० अप्रैल १९४६ को मयुक्त प्रान्त के गवर्नर वाइली ने वाइसराय को प्रान्त की स्थिति के बारे में लिखा कि आजमगढ़ में जलियानवालाबाग दिवस पर एक वक्ता ने स्टैफोर्ड स्प्रिन्ग की घुआंधार आलोचना की और कहा कि १९४२ के अत्याचारों के लिए दरअसल वही जिम्मेदार है। नलनऊ में एक महिला ने अपने भाषण में कहा कि वह चाहती है कि वाइसराय पर मुकदमा चले और उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर हिन्दुस्तानी जूरी के सामने खड़ा किया जाये। बलिया जिले में एक बच्चा ने कहा कि घाने पर हथियारबन्द मन्त्री देखकर मन में आता है कि बन्दूक छीनकर उसका काम तमाम कर दें। "उन तरह की ब्यान्धानवाजी पर जल्दी ही रोक लगानी होगी, वरना आगे चलकर हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा।" (उप., पृष्ठ ३६२)। उनी रिपोर्ट में गवर्नर ने लिखा कि साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। तनाव बढ़ रहा है और शहरों में लोग लाशियाँ और छुरे बना कर रहे हैं। "अगर कैबिनेट मिशन को लेकर मामला गड़बड़ हुआ तो बहुत गम्भीर साम्प्रदायिक उपद्रव अनिवार्य सा हो जायेगा।" (उप.)। यहाँ भी एक ओर अंग्रेजों को खुलेआम फटकारा जा रहा है, दूसरी ओर दंगों की तैयारियाँ हो रही हैं। जो लोग दंगों की तैयारियाँ कर रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज जरा भी प्रयत्न न कर रहे थे। इसके विपरीत कहीं कहीं क्रान्तिकारियों के पान बम या पिस्तौल होने की खबर मिल जाये, तो उन्हें पकड़ने के लिए वे एंडी-चोटो का पपीना एक कर देते थे।

२ मई १९४६ को पंजाब के गवर्नर जेन्किन्स ने वाइसराय को खबर भेजी कि मजदूरों में अमनोप है और कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसी सोशलिस्ट इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लायलपुर और मोटनुमरी जिले की मिलों में हड़तालें हुई हैं। पहली मई को रेलवे हड़ताल हुई। मुल्तान और कराची की लाइनों पर चार घण्टे तक गाड़ियों का चलना बन्द रहा। कुछ उपद्रव भी हुआ। हड़तानी जिन गाड़ियों को रोकना चाहते थे, उनकी वैकुअम ब्रेक-ब्यवस्था में तोड़-फोड़ की। अखबारों का रवैया भी अच्छा नहीं है। इसके साथ ही अमृतसर, मुल्तान और जलन्धर जिले में छोटे-मोटे साम्प्रदायिक दंगे हुए। सभी सम्प्रदायों के बारे में खबर है कि वे अपनी-अपनी सेनाएँ संगठित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर दंगे करने की तैयारी में हैं। "यदि नयी शिमला कांग्रेस से शोध ही तनाव में कमी नहीं आती तो मुझे भय है कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे और श्रमिक उपद्रव होने की भारी सम्भावना है। रेल और फौज के अधिकारियों के साथ पुलिस के इन्स्पेक्टर जतरत इन बारे में बात कर रहे हैं कि आम रेलवे हड़ताल हुई तो कौन से कदम उठाने होंगे।" (उप., पृष्ठ ४०१)। श्रमिक-उपद्रव और साम्प्रदायिक दंगों का एक साथ उल्लेख ध्यान देने योग्य है।

२१ मई १९४६ को वाइसराय ने ब्रिटिश अधिकारी हेन्डरसन को लिखा कि रेलवे हड़तालों का खतरा है। खाद्यसामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजना जरूरी है। रेलों का ठप होना हानिकर होगा। बहुत ज्यादा रियायतें दें तो नयी सरकार

[अर्थान् जन्तरिम सरकार] भारी जगमंजम में पड़ जायेगी। यदि मजदूरों की माँगें मान ली जायें तो रेल भाड़े में ४० प्रतिशत तक वृद्धि करनी पड़ सकती है। बहुत जगह साम्प्रदायिक तनाव गूँब बढ़ा हुआ है। "यदि मुस्लिमलीग ने बयान में [कैबिनेट मिशन के बयान में] प्रस्तावित योजना अस्वीकार कर दी तो निम्नलिखित बड़े पैमाने पर दंगे होंगे।" (एण्ड ७., पृष्ठ ६५५)।

भारत में विद्रोह होने पर अंग्रेज हिन्दू प्रान्तों से उठकर पाकिस्तान चले जायें, एंग्लैंड के दम प्रस्ताव पर कैबिनेट मिशन और वादगराय ने १६ मई १९४६ को विचार किया। मेनाध्यक्ष की राय यह थी कि ब्रिटेन के लिए यह नीति फायदा होगी। पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उतनी बड़ी सेना आवश्यक होगी जितनी पूरे भारत के लिए जरूरी होगी है। पाकिस्तान के दोनों भागों के बीच समुक्त प्रान्त होगा। बगान और जगम की सुरक्षा बहुत कठिन होगी। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र सैनिक दृष्टि में कमजोर होंगा "और सुरक्षा का अधिकतम ध्येय बादशाह गनामत की सरकार को वहन करना पड़ेगा। दंगे के बिना यदि पाकिस्तान ब्रिटिश संरक्षण में रहना है तो हिन्दुस्तान कम से महयोग-गम्बन्ध कायम कर सकता है। पाकिस्तान में अन्त्यमरक बड़ी मात्रा में होंगे। ये कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आगामी में पवित्र दस्तावेज जायेंगे।" (उप., पृष्ठ ५६६)। मेनाध्यक्ष के दम मन के बादरूद पाकिस्तान को ब्रिटिश संरक्षण मिला और कम तथा भारत में महयोग-गम्बन्ध भी कायम हुआ।

२२ मई १९४६ को कैबिनेट मिशन के साथ वादगराय की बातचीत हुई। रात्रिनीति परिस्थिति के बारे में वादगराय ने कहा कि कांग्रेसी मन्त्री प्रान्तों में अपने पदों पर अभी बने रहना चाहते हैं किन्तु गम्भिर है मिस्टर गांधी अपने प्रभाव का उपयोग गमावों के गिनना करे। रियासतों में शानति बिगड़ती आ रही है। प्रशासनिक क्षेत्रों में जगदकोट में आगों लन के लिए बाहर के आरमी भेजे जा रहे हैं। दंग गमय करमीर में भी उपद्रव की आशंका है। अन्त्यमरक नागरिक और उनके अनुयायी किंगों भी गमय उपद्रव गढ़ा कर सकते हैं। आबाद हिन्दू क्षेत्रों में भी गहरा सा नेकिन कांग्रेस के नरम-सी भोग अब दंगे गिनना ही गहर है। अब तक बने तक तक सामान्य-स्वभाव कायम रखना चाहिए, अब न अब तक हट जाना चाहिए। दंग पर भारत-गणित न कहा कि यह चाहते हैं कि स्वतन्त्रता के बारे में गो-सविचार... कि... गतिविधि की तरफ न बढ़ें जो... दंग... वादगराय न कहा कि... दंग... गतिविधि की होना... (उप., पृष्ठ ६५५)।

यूके बिना ही दंगे का प्रान्त कायम गतिविधि में बिना ही कठिन होना कि... भारत की... गतिविधि... दंग... दंग... दंग... दंग...

जब तक शान्ति कायम न हो जाये और कामचलाऊ व्यवस्था अमल में न आ जाये, तब तक उन क्षेत्रों में हम, रा बने रहना अव्यावहारिक होगा।" (उप.)।

वाइसरायने आगे कहा कि सम्भव है कुछ रियासतें हमसे सहायता माँगें और अपने यहाँ बने रहने को कहे। यह भी सम्भव है कि दक्षिण भारत—मद्रास, मैसूर कोचीन—अपना एक संघ बना लें, हमसे व्यवस्थित रूप में हटने को कहे और हमारे खिलाफ विद्रोह की स्थिति में न हो। बम्बई की सरकार से शायद कोई उचित समझौता किया जा सके। "गम्भीर उपद्रव होगा उत्तर भारत में, विशेष-रूप से संयुक्त प्रान्त और बिहार में। पंजाब और बंगाल अपेक्षाकृत शान्त रह सकते हैं।" (उप., पृष्ठ ६५८)। यहाँ वाइसराय ने अपने निजी सचिव का यह सुझाव अशतः मान लिया कि उत्तर भारत में विद्रोह हो तो कम से कम कुछ समय के लिए पाकिस्तान में अड्डा बनाया जा सकता है। बीज रूप में यह विचार भी अंग्रेजों के सामने विद्यमान है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग किया जाये।

३१ जुलाई १९४६ को वाइसराय ने भारत-सचिव को डाक-तार व्यवस्था के बारे में सूचना दी कि डाकखानों में तो हालत सुधर गयी है लेकिन तारघरों में हालत विगड़ गयी है। आशंका है कि इनमें तीसरी अगस्त को काम-काज पूरी तरह बन्द हो जाये। "यूनियनों के जो नेता अधिक जिम्मेदार हैं, वे महसूस करते हैं कि कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्रों में वागडोर उनके हाथ से निकलकर कम्युनिस्टों के हाथ में पहुँच गयी है और ये लोग जब तक परिस्थिति अनुकूल रहे, तब तक उससे भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं।" (खण्ड ८, पृष्ठ १५६)। वाइसराय ने हड़ताल समाप्त करने की सम्भावना पर विचार किया। उनकी राय थी कि "हड़ताल वापस लेना अब शायद नेताओं के भी वश में नहीं है। कलकत्ते की ट्रेड यूनियन कौंसिल में कम्युनिस्ट छाये हुए हैं। इस हफ्ते उन्होंने डाकियों की हड़ताल के समर्थन में सभी मजदूरों से एक दिन की हड़ताल करने का आह्वान किया। इन मजदूरों में परिवहन-व्यवस्था के मजदूर भी हैं। यह हड़ताल रागभंग पूरी तरह शान्त रही। यह बात स्थानीय प्रशासन के लिए गौरव की है।" (उप., पृष्ठ १६०)।

(ग) अंग्रेजों का जवाबी हमला

इसके बाद कलकत्ते में दंगे हुए। मजदूर वर्ग अपनी क्रान्तिकारी भूमिका निभा रहा था, इसका प्रमाण कलकत्ते की शान्तिपूर्ण आम हड़ताल थी। डाक-तार विभाग के कर्मचारी अपनी लड़ाई अलग-थलग नहों, यह स्थिति बदल रही थी। उनके समर्थन में और सभी मजदूर एकजुट हो रहे थे। १६ अगस्त को बंगाल के गवर्नर ने भारत-सचिव को सूचित किया कि कलकत्ता और उपनगरों में लगभग पूरी तरह हड़ताल है। एक दिन के लिए सड़क पर परिवहन सेवार्हे बन्द हैं। प्रमुख हिन्दू इलाकों की कुछ दुकानें छोड़कर सभी फर्मों और दफ्तर बन्द हैं। रेलों के आने-जाने में कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई। पानी और बिजली की सेवाओं में किसी ने दरतल नहीं दिया। उत्तर-पूर्वी कलकत्ते में सबेरे दंगे शुरू हुए और गाम

तक पूरे शहर में फैलते गये। फौज से कहा गया कि पुलिस से जहाँ न बन पड़े, वहाँ कुछ रास्ते चालू रखने के लिए गश्त लगाये। “अभी तक जो उपद्रव हुए हैं वे स्पष्टतः साम्प्रदायिक हैं और वे सरकार-विरोधी या ब्रिटिश-विरोधी नहीं हैं, मैं दोहराता हूँ कि वे सरकार-विरोधी या ब्रिटिश-विरोधी नहीं हैं।” (उप., पृष्ठ २४०)।

इन्ही घटनाओं का अधिक विस्तृत विवरण बंगाल के गवर्नर ने २३ अगस्त १९४६ को वाइसराय के पास भेजा। इस विवरण में गवर्नर बरोज ने दो तरह की हड़तालों की भिन्नता दिखायी है। २६ जुलाई की हड़ताल मजदूरों ने की थी; १६ अगस्त की हड़ताल मुस्लिम लीग और उसकी सरकार ने करायी थी। दोनों में बड़ा अन्तर था। बरोज ने लिखा, “२६ जुलाई को जो आम हड़ताल सफल हुई थी, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। श्रम-सम्बन्धी विवाद में वह हड़ताल एक पक्ष के समर्थन में की गयी थी। मजदूर होने के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों को उससे दिलचस्पी थी। खूब जोरदार पिकेटिंग के द्वारा हड़ताल करायी गयी लेकिन एक सामान्य उद्देश्य के लिए [औद्योगिक, न कि साम्प्रदायिक उद्देश्य के लिए] दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने पिकेटिंग में भाग लिया था। उस दिन कहीं भी उपद्रव न हुआ क्योंकि कोई भी पिकेटिंग करनेवालों का विरोध न करता था। जब एक सम्प्रदाय दूसरे के खिलाफ पिकेटिंग करता है, तब सघर्ष होना अनिवार्य है।” (उप.; पृष्ठ २६४)। बंगाल के गवर्नर के अनुसार ही कलकत्ते के मजदूरों ने दिखा दिया था कि शान्तिपूर्ण हड़ताल कैसे की जाती है। बरोज ने हड़ताल के शान्तिपूर्ण होने का श्रेय अधिकारियों को दिया था किन्तु यहाँ उन्होंने स्वीकार किया है कि पिकेटिंग करनेवालों का विरोध करनेवाला कोई था ही नहीं। कलकत्ते में हिन्दू-मुस्लिम एकता का दृढ़ आधार मौजूद था। जिस दिन कलकत्ते में यह शान्तिपूर्ण हड़ताल हुई, उसी दिन २६ जुलाई को आल इण्डिया मुस्लिम लीग ने बम्बई में प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुसलमान कौम सीधी कार्रवाई करे। इसके लिए उसने १६ अगस्त का दिन निश्चित किया। उस दिन बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ने, गवर्नर की जानकारी में और उनकी सहमति से, छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। १६ अगस्त को यूरोपियन लोगों की जितनी दूकानें थी, वे बन्द रही और उनमें से कोई भी लूटी न गयी। कलकत्ते के मैदान में मुस्लिम लीग की सभा हुई। इसमें मुख्यमन्त्री ने कहा कि उन्होंने बन्दोबस्त कर लिया है कि पुलिस और फौज दखल न देगी। (उप.; पृष्ठ २६७)। (He had seen to police and military arrangements who would not interfere. यह वाक्य केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के अफसर की रिपोर्ट में था; कलकत्ते की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह वाक्य न लिखा था!) गवर्नर के विवरण के अनुसार सभा के समाप्त होते ही वहाँ आये हुए बहुत से लोगों ने हिन्दू दूकानों को लूटना और हिन्दुओं पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। लाल बाजार में पुलिस का वह घाना था जहाँ में सारे शहर की व्यवस्था पर नियन्त्रण रखा जाता था। लाल बाजार के कन्ट्रोल-रूम में मुख्यमन्त्री अधिक समय तक बने रहे। उनकी उपस्थिति का परिणाम यह था कि मैदान की सभा में वह जो आश्वासन दे

आये थे कि पुलिस दखल न देगी, वह अंमल में लाया गया। सभा में बहुत से लोग लाठियाँ और लोहे की छड़ें लेकर पहुँचे थे। तीसरे पहर स्थिति इतनी खराब हो गयी कि अधिकारियों ने सेना बुलाने का निश्चय किया। पुलिस कमिश्नर ने गवर्नर को सूचित किया कि सेना की सहायता लेने के बारे में मुख्यमंत्री सहमत हो गये हैं। इसके बाद कुछ पुलिस और सैनिक अधिकारियों के साथ गवर्नर शहर की हालत देखने निकले। उस समय उन्होंने लूटपाट का चिह्न नहीं देखा और उन्होंने फ़ैसला किया कि परिस्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी उन्होने समझी थी। सेना की सहायता लेने के बारे में प्रस्ताव यह था कि दो-दो तीन-तीन सैनिक गलियों और सड़को के मुहाने पर खड़े होकर राहें रोक लें। सैनिक अधिकारी इससे सहमत न थे। तै हुआ कि सैनिक दस्ते तैयार रखे जायें और जरूरत हो तब गश्त लगाने के लिए बुला लिए जायें। “वे शाम के पाँच बजे सियालदा पहुँच गये लेकिन करपयू लागू होने के बाद परिस्थिति में शायद सुधार होने के कारण उन्हें लगभग आधी रात तक गश्त लगाने के लिए नहीं बुलाया गया।” (उप.; पृष्ठ २६६)।

इस विवरण से स्पष्ट है कि पुलिस को मुख्यमंत्री ने सँभाला और फौज को गवर्नर ने, और दोनों ने इस बात का ध्यान रखा कि १६ अगस्त की आधी रात तक इनमें कोई भी दगाइयों से निपटने का प्रयत्न न करे। मुख्यमंत्री ने पुलिस के बारे में अपनी ओर से बात कही होगी किन्तु फौज दखल न देगी, यह आश्वासन वह गवर्नर की तरफ से कोई इशारा मिले बिना न दे सकते थे। करपयू लगा देने के बाद भी लूटपाट, आगजनी और छुरेबाजी की घटनाएँ होती रही। कुछ क्षेत्रों में १६ अगस्त की रात को, आधी रात के बाद अर्थात् १७ अगस्त के सबेरे, फौज की टुकड़ियों ने गश्त लगायी। उस दिन गवर्नर फिर शहर देखने निकले। “इस बार शहर को देखने से मुझे विश्वास हो गया कि परिस्थिति की गम्भीरता के बारे में जो रिपोर्ट पहले मिली थी, उनमें गम्भीरता को कम करके आँकने की गलती की गयी थी। मैंने देखा कि सम्पत्ति का भारी नारा हुआ है और सड़कें मुर्दा से पटी पड़ी हैं।” (पृष्ठ २६८)। गवर्नर को फ्रांस का युद्ध-क्षेत्र याद आ गया। उन्होंने नोट किया कि दगा करनेवाले सरकार-विरोधी नहीं हैं, पुलिस-विरोधी नहीं हैं। पुलिस को गाड़ी पहुँचने पर लोग गलियों में गायब हो जाते थे। गाड़ी के जाते ही फिर आ जाते थे। तीन आदमी कुछ दूरी पर गवर्नर की आँखों के सामने मारे गये। बहुत-सी लाशों के कपड़े उतार लिये गये थे और उन्हें क्षत-विक्षत किया गया था। इसके बाद गवर्नर ने लिखा है, “जो पुलिस दल मेरे साथ चल रहा था, किले का सैनिक कमाण्डर, और मुख्य सचिव (चीफ सिक्रेटरी), इन सबका खँसा अमन्तोप-जनक था। उससे इन आरोपों की पुष्टि होती है कि उपद्रव के प्रारम्भिक दौर में सारे का सारा पुलिस-दल गोली चलाने में आनाकानी करता था।” (उप.; पृष्ठ २६८)। दूसरों की हत्या करनेवालों पर पुलिस गोली चलाने में क्यों आनाकानी करती थी, इसके लिए गवर्नर ने राजनीतिज्ञों को दोष दिया है जो पुलिस को निरन्तर गाली देते रहे थे। कारण कुछ भी रहा हो, पुलिस ने दगा रोकने का प्रयत्न नहीं किया। किले के सैनिक कमाण्डर का खँसा भी असन्तोपजनक था।

उसके लिए तो राजनीतिज्ञों को दोष नहीं दिया जा सकता। सड़क पर इतनी लाशें थी कि अन्तिम थ्रिया के लिए फौज की सहायता लेनी पड़ी; प्रति रात के लिए सैनिक स्वयंसेवकों को पाँच रुपये दिये गये। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार ने दो हजार व्यक्तियों को गुण्डा होने के अपराध में बन्दी बना रखा था। जुलाई से दिसम्बर १९४५ तक ये लोग छोड़ दिये गये थे। गवर्नर के शब्दों में इनका छोड़ा जाना "बहुत महत्त्वपूर्ण था।" गवर्नर ने नोट किया कि सीधी कार्रवाई कहने को अंग्रेजों के खिलाफ थी किन्तु "जहाँ तक मुझे मालूम है, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई जिसमें किसी यूरोपियन या एंग्लोइण्डियन पर हमला किया गया हो। फरवरी में यूरोपियन दूकानों तबाह की गयी थी (और जो भीड़ औक्टर लोनी मौनूमेण्टवाली सभा में मौजूद थी, उसके लिए ये दूकानें बहुत अच्छा निशाना थी), उन्हें एकदम छोड़ दिया गया था। काफी अचरज की बात है कि यूरोपियन दूकानों के बाजारों में केवल हिन्दुस्तानी दूकानों तबाही के लिए चुनी गयी थी।" (उप. ३०२)।

१६ अगस्त के दंगे ने सिद्ध कर दिया कि क्रान्तिविरोधी शक्तियाँ प्रबल हैं। सरकार को पता न था कि इस परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी। "आखिरी समय तक यह पता न था कि कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर सभाओं का रुख क्या होगा। ट्रामवे-मजदूर-सभा पर कम्युनिस्टों का नियन्त्रण था। यह पता न था कि ऐसे उपद्रवकारियों का रुख क्या होगा। आखिरी क्षण में ट्रामवे मजदूरों और वसों के मालिकों ने तय किया कि वे अपने वाहन न चलायेंगे। इससे मुझे थोड़ी शान्ति मिली। वाहन चलाने का परिणाम यह होता कि इससे तुरत ही हर तरह के वाहनों पर हमले शुरू हो जाते। अनुभव ने सिखा दिया था कि आज के कलकत्ते में एक बार हिंसा शुरू हो जाये तो वह बहुत जल्दी फैलती है।" (उप.; पृष्ठ २६५)। क्रान्तिकारी शक्तियाँ परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार न थी। दंगा रोकने में उनकी भूमिका कारगर न हुई। साम्प्रदायिक दंगे साम्राज्यवाद का अस्त्र हैं, वे सीधी क्रान्ति-विरोधी कार्यवाही है, यह कलकत्ते के दंगे से सिद्ध हो गया।

कलकत्ते में जब दंगे हुए तब फ्रेण्ड्स ऐम्बुलेन्स यूनिट के कार्यकर्ता हॉरेस अलेग्जाण्डर कलकत्ते में थे। उन्होंने २२ अगस्त १९४६ को भारत-सचिव के नाम एक पत्र में अपनी आँखोदेखी और कानोंसुनी बातें लिखी। रेडक्रास की एक गाड़ी में बैठकर वह अपने साथ कुछ आदमी लेकर १७ अगस्त के सबेरे कई क्षेत्रों में गये जहाँ दंगों से स्थिति सबसे खराब थी। रेडक्रास में हिन्दू और मुसलमान दोनों तरह के कर्मचारी थे और खूब मिल-जुलकर काम कर रहे थे। अलेग्जाण्डर ने पुलिस के लिए लिखा कि पिछले जाड़े में उसकी आलोचना इसलिए की गयी कि उसने जल्दबाजी की थी और इस बार आलोचना इसलिए हो रही थी कि उसने बहुत देर लगा दी। "लेकिन मैं यह बात नोट कर देना चाहता हूँ कि पूरे शुक्रवार और शनिवार के दो दिनों में पुलिस ने कहीं भी कारगर दंग से दखल दिया हो, इसका एक उदाहरण भी सुनने में नहीं आया। पुलिस खड़ी देखती रही या उसने दखल देने से इन्कार किया, इसके कई उदाहरण सुनने में आये। शनिवार के सबेरे (यानी १७ अगस्त

को) जब हम एक दंगा से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में थे और एक परिवार को खतरे से बचा रहे थे, तब एक पुलिस-दस्ता आया, उसके पीछे एक लारी थी। कभी-कभी वे हवा में फायर कर देते थे। फायरिंग की आवाज से हथियारबन्द गुण्डों और लुटेरों को कुछ क्षण पहले से चेतावनी मिल जाती थी और वे जल्दी से भाग जाते थे या गलियों में गायब हो जाते थे। कुछ मिनटों में पुलिस चली जाती थी और गुण्डे फिर आ जाते थे। उस समय सड़कों में खतरनाक हथियार लिए हुए नौजवानों का हजूम था। स्पष्ट ही किसी को गिरफ्तार न किया जा रहा था। शनिवार के तीसरे पहर तक सहायता के लिए फौज को नहीं बुलाया गया, मेरी समझ में इसकी सख्त आलोचना होनी चाहिए। फौज के आने से स्थिति में तुरत सुधार हुआ।" (उप.; पृष्ठ २८८)।

फौज बुलाने के बारे में जो कठिनाई होती है, अलेग्जाण्डर ने उसका भी उल्लेख किया। जल्दी बुलायी जाये तो सरकार की आलोचना होगी। सरकार की तरफ से कुछ लोग अवश्य कहेंगे कि पिछले जाड़े में जो लोग फौजी कार्यवाही की आलोचना कर रहे थे, वही अब उसकी मांग कर रहे थे। "लेकिन स्पष्ट ही मुख्य बात यह नहीं है कि कोई पार्टी-लीडर क्या कह रहा है। साधारण नागरिक की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, मुख्य बात यह है। और मुझे अभी तक कलकत्ते का कोई ऐसा नागरिक नहीं मिला जो यह समझता हो कि पुलिस का खुला निकम्मापन देखते हुए फौज को बुलाने में इतनी देर क्यों की गयी।" (उप.)। अंग्रेजों को इस बात से सन्तोष हुआ कि दोनों सम्प्रदाय के लोग उन्हें अपना मित्र और संरक्षक मानते हैं। एक हिन्दू परिवार को एक मुसलमान ने बचाया। उस मुसलमान की गाड़ी मुसलमान गुण्डों ने जला दी। इस तरह की घटनाएँ दोनों ओर काफी हुईं जो दोनों सम्प्रदायों के लिए गौरवपूर्ण हैं। उस हिन्दू परिवार के लोगों ने कहा कि हथियारबन्द दस्ते के बिना वे सड़क पर न जा सकेंगे। "लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा गोरा चेहरा देखा, तो स्पष्ट ही उन्होंने तय कर लिया कि उनकी रक्षा के लिए मैं काफी हूँ। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मेरे पास कौन-से हथियार हैं। शायद वे समझे हो कि हर अंग्रेज हथियार लेकर चलता है! लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि अंग्रेजों के प्रति यह दोस्ती का भाव बना रहेगा। जाहिर है, कुछ और सोच-विचार के बाद कुछ लोग आपस में कहने लगे हैं: 'हो सकता है कि इस सबकी योजना मुस्लिम लीग या उसके कुछ आन्दोलनकारियों ने बनायी हो, लेकिन देखो तो ज़रा, यह सब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की योजना में कितनी खूबसूरती से फिट हो जाता है। आखिर यहाँ एक ब्रिटिश गवर्नर है, उसके ब्रिटिश सलाहकार हैं। वह सारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, सासतौर से कानून और व्यवस्था के बुनियादी मामलों में। उन्होंने पहले दखल क्यों नहीं दिया? शायद इसलिए कि वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम अपना शासन चलाने के कितने अयोग्य हैं।' (उप.; पृष्ठ २८९)।

अलेग्जाण्डर ने भारत-सचिव को स्पष्ट लिखा कि उक्त दृष्टिकोण से वह सहमत नहीं है किन्तु पिछले दिनों उस तरह की बातें उन्होंने कई जगह सुनी। अंग्रेज गवर्नर वैसे हालत में संविधान के अनुसार काम करे, यह स्थिति असह्य

थी। जब तक वह कानून नहीं बन जाता जिससे भारत स्वाधीन होगा और वह अमल में नहीं आ जाता, तब तक भारत की आम जनता के प्रति ब्रिटिश अधिकारी अपने नैतिक दायित्व से पूरी तरह वच नहीं सकते। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी हिन्दुस्तानी मन्त्रियों की है, यह कहने में काम न चलेगा। इस अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति में नैतिक समस्याओं का सीधे सामना करना होगा। जो कुछ हुआ है, उसके लिए भारत-सचिव और पार्लियामेण्ट जिम्मेदार नहीं है, यह कहने से भी काम न चलेगा। (उप.)।

बरोख के विवरण से जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं, उनकी पुष्टि अलेग्ज़ाण्डर के विवरण से होती है। पुलिस और फौज, विरोध रूप से पुलिस, समय से दंगा रोकने में असफल रही, यह तथ्य स्पष्ट होता है। फौज को देर से बुलाने के लिए सीधी जिम्मेदारी गवर्नर की थी और अलेग्ज़ाण्डर ने इसकी सख्त नुक़्ताचीनी की है। दंगा संगठित ढंग से कराया गया था और उसमें पुलिस का हाथ था, यह भी अलेग्ज़ाण्डर के पत्र से स्पष्ट हो जाता है। दंगे की भीषण परिस्थिति में भी कलकत्ते के साधारण लोग यह बात समझ रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग ने जो कुछ किया, वह सब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की योजना के अनुकूल था। आम जनता की साम्राज्यविरोधी चेतना निर्जीव न हुई थी। इस चेतना को आधार बनाकर साम्राज्यवादी योजना विफल करने के लिए कार्य-नीति निश्चित की जा सकती थी। जनता के नेता, क्रान्तिकारी और गैरक्रान्तिकारी, इस तरह की कार्य-नीति निश्चित नहीं कर पाये, तो इसका कारण यह नहीं था कि जनता में साम्राज्यविरोधी चेतना का अभाव था। कारण यह था कि साम्राज्यवादियों ने समझौते के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने का जो जाल फैलाया था, ये नेता उसमें फँस गये थे, निकलने की कोशिश की तो निकल न पाये।

दंगे क्यों हुए, इसकी जाँच के लिए एक कमीशन वैठाया गया। जाँच होने से मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल बदनाम न हो जाये, वाइसराय की यह चिन्ता देखने योग्य है। २८ अगस्त १९४६ को वेवल ने भारत-सचिव को लिखा कि सभी लोग सहमत हैं कि जाँच कमीशन में हाईकोर्ट के जज होंगे और उसका अध्यक्ष अंग्रेज होगा। "मुझे इसमें शक है कि मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध कमीशन को कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, सिवा इसके कि शुक्रवार, १६ अगस्त की सीधी कारंवाई दिवस-वाली मैदान की सभा में सुहरावर्दी (मुख्यमन्त्री) ने एक मूर्खतापूर्ण भाषण किया था। उन्होंने वहाँ दरअसल क्या कहा था, इसके बारे में काफी बहस होगी।" (उप.; पृष्ठ ३१३-१४)। पुलिस की आलोचना होगी, वाइसराय वेवल जानते थे। उसके बचाव के लिए उन्होंने कहा कि पहले जब उसने काम लिया, तब उसे गालियाँ दी गयीं। इससे उसने वि... या। लेकिन वाइसराय ने यह माना कि... और... वतः बहुत छूट दी गयी थी।

अंग्रेज अधिकारी दंगों को कर रहे थे, इसके एक उदाहरण सीधी कारं... या।

द्रवाद

१६

तरह

मुलाकात हुई। वाइसराय के अनुसार “मुलाकात के अधिक भाग में टम सम्भावना पर बातें हुईं कि जिन्ना से एक बार फिर बातचीत शुरू की जाए। मैंने यह तर्क दिया कि इधर जो घटनाएँ हुई हैं, शायद उनकी वजह से जिन्ना बात मान जायें। उनका महयोग पाने के लिए हमने हर सम्भव प्रयत्न न किया तो हमारे ऊपर अत्यन्त गम्भीर जिम्मेदारी आ पड़ेगी। नेहरू ने स्वयं ही कहा था कि जिन्ना सोच रहे हैं कि [समझौते का] कोई रास्ता निकल आये। नेहरू ने कहा कि पिछले ४८ घण्टों में जो कुछ हुआ है, उसमें जिन्ना से बात चलाना और भी कठिन हो गया है। वह उनके [अर्थात् जिन्ना के] सहमत होने की सम्भावना नहीं देखते; कांग्रेस [अन्तरिम सरकार के लिए] गैर-लीगी मुसलमान को नामजद करना न छोड़ेगी। इसका अर्थ होगा और भी अधिक विलम्ब। हमने कुछ देर और इस बारे में बातचीत की। आखिर तय पाया कि नेहरू दिल्ली में स्थित [वकिंग] कमेटी के अन्य सदस्यों से सलाह करेंगे और कल मुझे पत्र लिखेंगे। मैंने भरसक उन पर दबाव डाला लेकिन लगता है कि कोई असर न हुआ। (I pressed him as strongly as possible but do not think I made much impression)। मैंने विशेष रूप में टम स्वतरे की ओर ध्यान दिलाया कि फौज टूट सकती है [अर्थात् साम्प्रदायिक रूप से विभाजित हो सकती है]।” (उप., पृष्ठ २५३)।

यहाँ वाइसराय बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू पर दबाव डाला कि वे मुस्लिम लीग से समझौता करें। समझौते में पहली अड़चन यह थी कि मुस्लिम लीग स्वयं को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानती थी। कांग्रेस में जो मुसलमान थे, उन्हें वह हिन्दुओं का दलाल कहती थी। अंग्रेजों को जल्दी थी कि केन्द्र में अन्तरिम सरकार बने। क्रान्तिकारी परिस्थिति को ठण्डा करना उसका काम होगा। अन्तरिम सरकार बनने में जितनी ही देर होगी, वातावरण उतना ही गरम होगा। कांग्रेस भी अन्तरिम सरकार बनाने को उत्सुक थी। राष्ट्रीय

के वाद सविधान-सभा में काम करने की वारी आयेगी। यदि एक बार खुद को सभी मुसलमानों का नेता मनवा लिया, तो पाकिस्तान की माँग स्वीकार कराने में आसानी होगी, वरना दिक्कत पेश आयेगी। मुस्लिम लीग की ओर से अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस पर हर तरह का दबाव डाल रहे थे। वे जानते थे कि प्रश्न अन्तरिम सरकार का नहीं, मूल प्रश्न पाकिस्तान का है। जिन्ना भी जानते थे कि मूल प्रश्न अन्तरिम सरकार में कांग्रेस से सहयोग करने का नहीं है, मूल प्रश्न देश के विभाजन का है।

वाइसराय ने जो फौज के टूटने की बात कही थी, उसकी ध्वनि यह थी कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों से बचाव के लिए केवल फौज का भरोसा है। यदि वह टूट गयी तो सहायता के लिए किसे बुलाओगे ?

१६ अगस्त को वाइसराय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की। वाइसराय के विवरण के अनुसार आज़ाद ने कहा कि सुहरावर्दी ने कलकत्ते के गुण्डों

को अपने समर्थन में संगठित किया था। १६ अगस्त की सार्वजनिक छुट्टी कर देने से गुण्डे समझे कि सरकार ने उन्हें मनमानी करने की छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि शुकुवार के हताहतों में हिन्दू ज्यादा थे, वाद को मुसलमानों की सख्या अधिक थी। उन्हें भय था, संयुक्त प्रान्त और विहार में मुसलमान अल्पसंख्यक है; उन पर क्या बीतेगी? "उन्होंने बंगाल के मन्त्रिमण्डल की सख्त आलोचना की। यह जानते हुए कि उपद्रव होगा, उसने पहले से बचाव की यथेष्ट कार्यवाही नहीं की। दफ्ता १४४ और पूरी तरह करपयू लागू करने में बहुत देर की गयी। उन्होंने कहा कि फौज काफी जल्दी नहीं बुलायी गयी।" (उप., पृष्ठ २६१)। कांग्रेस यह मांग करती रही थी कि ब्रिटिश फौजें भारत से हटायी जायें। वेवल ने व्यग्य किया कि सभी ब्रिटिश फौजें हटाने की कांग्रेसी मांग मान ली गयी होती, तो परिस्थिति और भी अधिक खराब होती। इसके बाद अन्तरिम सरकार में मुसलमानों के प्रति-निधित्व का सवाल उठाया। वाइसराय ने सुझाया कि गैरवाजिव स्तर के मुसलमानों के नाम देने के बदले कुछ स्थान खाली रखना अच्छा होगा। आज्ञाद ने कहा कि कांग्रेस नामों की सूची अगले दिन भेजेगी। अन्तरिम सरकार के सदस्यों की कोई बात वाइसराय को ठीक न लगे तो वह उसे निरस्त कर सकता था, यह बात वेवल ने आज्ञाद के सामने स्पष्ट कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने अन्तरिम सरकार के सदस्यों की जे. सूची बनायी, उसमें आसफअली, फ़ज़लुलहक, शफ़ात अहमद ख़ाँ, सैयद अली ज़हीर के नाम थे और एक मुस्लिम सदस्य के लिए जगह खाली छोड़ दी गयी थी। इनमें वेवल के कहने से फ़ज़लुलहक को शामिल न किया गया। अली ज़हीर के बारे में वेवल की धारणा थी कि वह कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी है यद्यपि कांग्रेस के सदस्य हैं। (उप., पृष्ठ २७२)। आसफअली और शफ़ात अहमद ख़ाँ के बारे में वेवल की राय थी कि इनमें न योग्यता है और न चरित्र की दृढ़ता। फ़ज़लुलहक उनकी समझ में अत्यन्त भ्रष्ट था लेकिन मुख्य कारण यह था कि "और किसी नाम से लीग इतना न चिढ़ेगी जितना इस नाम से।" (उप.)। २१ अगस्त को वाइसराय ने भारत-सचिव को बताया, "मैंने नेहरू पर ख़ोर डाला कि जिन्ना को शामिल करने के लिए एक बार फिर कोशिश करें लेकिन कांग्रेस की पार्लियामेन्ट्री कमेटी बहुत अनिच्छुक है।" जिन्ना ने अखबारों में एक बहुत ही अड़ियल बयान जारी किया है। उससे लगता है कि सफलता की सम्भावना शून्य के बराबर है।

२२ अगस्त १९४६ को घनश्यामदास बिड़ला ने दंगों का मूल्यांकन करते हुए क्रिप्स को लिखा कि परिस्थिति सुधर रही है और इस दंगे के बाद किसी बड़े उपद्रव की आशंका नहीं है। "मुसलमान समझ गये हैं कि इस तरह की चीजों से किसी को लाभ न होगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में दूसरी बार कदम उठाने के पहले वे बहुत सावधानी बरतेंगे।" (उप., पृष्ठ २७६)। शरत्चन्द्रबोस ने गवर्नर की आलोचना की थी। बिड़लाजी गवर्नर से दो बार मिले थे। उसकी बुद्धिमानी और चुस्ती की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पद-ग्रहण के बाद हालत पहले से अच्छी है। उन्होंने मन्त्रिमण्डल की आलोचना की और कहा कि हर आदमी चाहता है कि इसे बर्खास्त किया जाये।

विड़लाजी गवर्नर की प्रशंसा इसलिए कर रहे थे कि वह किसी भी कांग्रेसी नेता की अपेक्षा कांग्रेसों में समझौता करने को अधिक लालायित थे। गवर्नर और मन्त्रिमण्डल की मिली भगत थी, यह अनेक वयानों से स्पष्ट है। उसी दिन विड़लाजी ने हेण्डरसन को एक पत्र लिखा जिसमें दंगों की चर्चा अधिक विस्तार से की। यह पत्र भी क्रिप्स के देखने के लिए भेज दिया। कितने मारे गये? कुछ लोगो का कहना था ६०००, दूसरों का कहना था १५०००। “बहुत-सी लाशें सड़कों के मैतहोलों में और नदी में फेंक दी गयी थी, इसलिए सही हिसाब लगाना कठिन था। सड़कें लाशों से प्रायः पटी हुई थी। ६ दिन तक लाशें उठायी न जा सकी।” (उप., पृष्ठ २७६)। विड़लाजी ने १९२६ के दंगे देखे थे किन्तु ये दंगे उनके विचार में भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व थे। जो अभी तक अभूतपूर्व था, वह निकट भविष्य में सामान्य बनने जा रहा था। कारण यह था कि १८५७ के बाद से अब तक ऐसी प्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा न हुई थी। १८५७ में अंग्रेज दंगे कराने में असफल हुए थे, इस बार उन्हें आशातीत सफलता मिल रही थी।

विड़लाजी ने अपने पत्र में इस समाचार का उल्लेख किया कि दंगा शुरू होने के पहले मुस्लिम लीग कर्मचारी वगाल सरकार की मोटरकारियों में सड़को पर गस्त लगाते और भीड़ की अगुवाई करते दंगे गये। जब कैबिनेट-मिशन भारत आया था, तब विड़लाजी के अनुसार इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई थी कि यदि मुस्लिम लीग निराश हुई तो गृहयुद्ध छिड़ेगा या नहीं। यह सवाल क्रिप्स ने किया था और विड़लाजी ने उत्तर दिया था कि गृहयुद्ध की कोई सम्भावना नहीं है, जहाँ-तहाँ दंगे हो सकते हैं। उनके विचार से पंजाब में खतरा नहीं था। केवल बंगाल में, खासतौर से कलकत्ते में दंगे हो सकते थे, और बंगाल में भी, उन्हें आशा थी, जब तक लीग मन्त्रिमण्डल न चाहेगा, तब तक दंगे न होंगे। क्रिप्स ने आश्वासन दिया था कि यदि मन्त्रिमण्डल कानून और व्यवस्था कायम न रख सका तो धारा ९३ लागू कर दी जायेगी। विड़लाजी ने हेण्डरसन को याद दिलाया कि मन्त्रिमण्डल की अक्षमता पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है। पुलिस पूरी तरह असफल हुई है। आम धारणा यह है कि मन्त्रिमण्डल न चाहता तो दंगे न होते। अन्तरिम सरकार बननेवाली थी। विड़लाजी को आशा थी कि अन्तरिम सरकार बनने पर कोई फ़साद न होगा। विड़लाजी ने यह पत्र भारत-सचिव को भी दिखा देने के लिए कहा।

प्रश्न यह था कि दंगों के बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता करेगी या नहीं। नेहरूजी ने २२ अगस्त १९४६ को अन्य समस्याओं के साथ साम्प्रदायिक समस्या हल करने के लिए केन्द्र में मजबूत अस्थायी सरकार बनाने पर जोर देते हुए वेवल को पत्र लिखा। कलकत्ते की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ की घटनाओं का जो महत्व हमारे लिए है, वह वाइसराय के लिए नहीं हो सकता। हमारे सगे-सम्बन्धी इस हत्याकाण्ड की लपेट में आ गये हैं, हमारे बच्चों और प्रिय-जनों को किसी भी समय हत्यारे के छुरों का सामना करना पड़ सकता है। “हमारे सामने यह भयानक यथार्थ है। हल्ला मचाये बिना हम उसका सामना करेंगे लेकिन हम हत्याकाण्ड से हाथ न मिलायेंगे, हम उसे देश का भविष्य निर्धा-

रित न करने देंगे। हम हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों और दूसरे लोगों को समझाते-बुझाते रहेंगे और कौशिल्य करेंगे कि वे दोस्ताना सहयोग की राह पर चलें। भारत की प्रगति के लिए और दूसरी राह नहीं है। लेकिन हम नहीं समझते कि गलत काम करनेवालों के तुष्टीकरण से सहयोग प्राप्त हो जायेगा।” (उप., पृष्ठ २८६)। दूसरे दिन वाइसराय से नेहरूजी की मुलाकात हुई। नेहरू के पत्र की चर्चा करते हुए वाइसराय ने कहा कि मजबूत सरकार जरूरी है, कानून और व्यवस्था बनाये रखना जरूरी है, “लेकिन मुसलमानों के प्रति ऐसी नीति न होनी चाहिए जिससे वे भड़क उठें। मैं हरगिज ऐसे किसी काम में साथ न दूंगा जिसका उद्देश्य मुस्लिम लीग को तोड़ देना हो।” (उप., पृष्ठ २९०)। वाइसराय नेहरूजी को समझा रहे थे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र संस्था न मानोगे तो इसका मतलब होगा कि अन्तरिम सरकार बनाकर मुस्लिम लीग को बलपूर्वक तोड़ना चाहते हो।

वाइसराय ने कहा कि “उन्हें दृढ़ विश्वास है कि मुस्लिम लीग के सहयोग के बिना भारत के सयुक्त बने रहने की, अथवा सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण की, कोई सम्भावना नहीं है। एक पार्टी की सरकार से देशी रियासतों भी शायद स्वतन्त्रतापूर्वक सन्धिवात्ता न कर सकेंगी। नेहरू ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और लगता था कि वे यह बात स्वीकार कर रहे हैं।” (उप., पृष्ठ २९०-९१)। वाइसराय ने सारा मामला बहुत साफ शब्दों में पेश कर दिया था। मुख्य बात थी सत्ता पर अधिकार करने की। शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता हथियाना है तो मुस्लिम लीग से समझौता करो। इस समय क्रान्ति का प्रश्न राष्ट्रीय एकता के प्रश्न से जुड़ गया था। भारत-विभाजन की मांग मुस्लिम लीग की बुनियादी मांग थी। वाइसराय कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के सहयोग से ही भारत सयुक्त बना रह सकता है। अब मुस्लिम लीग अपनी बुनियादी मांग मनवाये बिना सहयोग न दे, तो वाइसराय बेचारा क्या करे? उसने यह भी चेता दिया कि देशी रियासतों के विलयन की समस्या कांग्रेस-लीग समझौते पर निर्भर है। अन्तरिम सरकार में किस कौन-सा विभाग दिया जायेगा, सविधान-सभा की बैठक कब होगी, आदि अन्य बातों पर बातचीत हुई। मुलाकात में वाइसराय ने नेहरू की मनीदशा पर ध्यान दिया। “उनका हृदय दोस्ताना था लेकिन कुछ गुमसुम और उदास से लगते थे।” (उप., पृष्ठ २९२)।

८. अन्तरिम सरकार—ब्रिटिश कूटनीति का मजबूत फन्दा

(क) स्वाधीनताप्राप्ति का संघर्षविहीन मार्ग

अंग्रेज एक ओर मुस्लिम लीग से समझौता करने पर जोर दे रहे थे, दूसरी ओर वह कांग्रेस की अकेले ही अन्तरिम सरकार बनाने का अवसर दे रहे थे। उनकी कार्यनीति के इन दोनों पक्षों में कोई आन्तरिक विरोध न था। अन्तरिम सरकार का बनना क्रान्तिकारी उभार को ठण्डा करने के लिए तुरत जरूरी था। आखिरी फैसला आगे चलकर चाहे जब हो, एक बार केन्द्र में ऐसी सरकार बनने पर, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू हों, जनता मान लेगी कि अब शान्तिपूर्ण ढंग से

पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जायेगी। मुस्लिम लीग अभी बाहर थी। एक-आध जगह और दगे हुए तो कांग्रेस और धुक जायेगी। आगे-पीछे जब भी मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल होगी, बहुत जल्दी सभी को पता लग जायेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी दो विरोधी पार्टियों का मिलकर काम करना असम्भव है। पाकिस्तान बनने का मार्ग और सुगम हो जायेगा, यह स्पष्ट हो जायेगा कि अन्तरिम सरकार के बाद दो स्वतन्त्र राज्यों की सरकारें ही यहाँ काम कर सकती हैं।

२४ अगस्त १९४६ को वेवल ने रेडियो से अपना भाषण प्रसारित किया। अन्तरिम सरकार में ६ सदस्य कांग्रेस द्वारा नामजद किये जायेंगे, तीन प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों के होंगे। मुस्लिम लीग अपनी ओर से पाँच नाम प्रस्तावित कर सकती है। किमी भी महत्वपूर्ण समस्या पर बहुमत का फैसला मुस्लिम लीग पर लादा न जायेगा। दो दलों की सरकार तभी चल सकती है जब दोनों दलों को सन्तोष हो। कलकत्ते की घटनाओं पर नियन्त्रण कायम करने में फौज की भूमिका की चर्चा करते हुए वेवल ने कहा कि नागरिक उपद्रव का दमन फौज का सामान्य कर्तव्य नहीं है। अन्तरिम सरकार में कोई भारतीय रक्षामन्त्री होगा। किन्तु फौज वादग्राह्य सलामत के प्रति चफादार रहेगी। जिस दिन लीग तय करेगी कि उसे शामिल होना है, अन्तरिम सरकार का गठन नये तारे से कर दिया जायेगा। (खण्ड ८, पृष्ठ ३०६-७)।

२७ अगस्त के दस्तावेज में वाइसराय ने भारत-सचिव को बताया कि केन्द्र में यदि समझौता नहीं होना तो कलकत्ते में तथा भारत में अन्यत्र और भी गम्भीर दंगों में बचना असम्भव होगा। (उप., पृष्ठ ३११)। २७ अगस्त को नेहरूजी और गांधीजी से वाइसराय की मेट हुई। "मैंने कहा कि मैं अभी कलकत्ते में लौटा हूँ, इसलिए उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मैंने कलकत्ते में जो कुछ देखा था, उसका हाल उन्हें सुना दिया। मैंने कहा कि इससे भी बड़े पैमाने पर सारे भारत में ऐसा उपद्रव हो सकता है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में समझौता हो और साम्प्रदायिक तनाव में कुछ कमी आये। मैंने बंगाल में और केन्द्र में दोनों जगह मिली-जुली सरकारें बनाने के महत्व पर जोर दिया।" (उप., पृष्ठ ३१२)। वाइसराय ने माना कि मुस्लिम लीग से फिर बातचीत करने में कठिनाई है लेकिन कलकत्ते में जो कुछ हुआ था, उसे देखते देश यही चाहता था कि बातचीत फिर से शुरू हो। झगड़े की जड़ यह थी कि सविधान सभा में सूबों के जो गुट बनें, उनके बारे में कांग्रेस की व्याख्या एक थी और वाइसराय की दूसरी। कांग्रेस यदि मान ले और यह बात साफ-साफ कह दे कि सूबे अपने निर्धारित विभागों में रहेगे तो सत्ता का शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सम्भव होगा। वाइसराय ने गांधीजी और नेहरूजी को वयान देने के लिए एक मसौदा भी पेश कर दिया। काफी देर बहस हुई और कोई प्रगति न हुई। "एक बार नेहरू बहुत ही गरम हो उठे और बोले कि यह मुस्लिम लीग की धमकी और धुड़की-वाली नीति है। गांधी ने कहा कि रक्तपात होना होगा तो अहिंसा के बावजूद होगा। मैंने कहा कि उनसे ऐसे शब्द सुनकर मुझे भारी धक्का लगा है। अन्त में वे

मेरा फारमूला [अर्थात् वयान का मसौदा] लेकर चले गये लेकिन मैं नहीं समझत कि वे उसे मान लेंगे, इसकी विशेष आशा है।" (उप., पृष्ठ ३१३)। जैसी कि वेवल को आशंका थी, कांग्रेस ने उनका मसौदा अस्वीकार कर दिया। नेहरू वेवल को लिखा कि हम सब लोग साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, "पर आप जो रास्ता मुझा रहे हैं, उससे हमारी समझ में उल्ट नतीजा निकलेगा। हमारी घोषित नीति आमतौर से सही मानी जाती है। उसे डराने-धमकाने से हम बदल दें तो इससे किसी तरह शान्ति कायम न होगी, उल्ट और भी अधिक डराने-धमकाने और हिंसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं।" (उप., पृष्ठ ३२७)

२ सितम्बर १९४६ को अन्तरिम सरकार बनी। उस दिन नयी दिल्ली की प्रार्थना सभा में गांधीजी ने कहा, पूर्ण स्वराज का द्वार आखिर खुल गया है। सार भारत इसी दिन के लिए मुसीबतों सहता आया था, बरसों तक इसी दिन की राह देखता आया था। ब्रिटिश सरकार से जो भी पुरानी लड़ाई रही हो, अब तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने खुशी से भारतीय नेताओं के साथ समझौता किया है। अभी पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई। यह तब प्राप्त होगी जब अन्तरिम सरकार का भार सँभालनेवाले विन ताज के बादशाह जवाहरलाल और उनके सहयोगी जनता की वास्तविक सेवा करेंगे। मुस्लिम लीग अभी अन्तरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि अन्तरिम सरकार में शामिल होने पर सारे भारत के लिए स्वाधीनता प्राप्त करे; इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है। (उप., पृष्ठ ३८६)। अंग्रेज चाहते थे कि अन्तरिम सरकार में कांग्रेस शामिल हो तो क्रान्तिकारी उभार ठण्डा हो जाये। भारत-सचिव ने वाइसराय को सावधान किया कि वह अन्तरिम सरकार बनने से पहले कोई ऐसा काम न करे जिससे कांग्रेस से वातचीत टूट जाये। कांग्रेस यदि लीग से समझौता नहीं करती तो यह खतरा है कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक उपद्रव होगा। "इसके साथ ही हमें आपसे यह कहना है कि कोई ऐसा कदम न उठाये जिससे कांग्रेस से बिगाड़ हो जाये। हमसे पहले पूछें बिना ऐसा कोई कदम न उठाये क्योंकि इस बिगाड़ के बड़े गम्भीर परिणाम होंगे।" (उप., पृष्ठ ३३२) भारत-सचिव का यह दस्तावेज २८ अगस्त का है। उसी दिन के अन्य दस्तावेज में भारत-सचिव ने प्रसन्नता प्रकट की कि वाइसराय की अन्तरिम सरकार के निर्माण में सफलता मिली है। उसमें खामियाँ हैं और आगे चलकर उनका नतीजा सामने आयेगा [मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, यह खामी है। और दमे होंगे, यह नतीजा सामने आयेगा] लेकिन उसका चमकीला पक्ष भी है। "आखिर ऐसी कार्यपरिपद बन गयी जो पूरी तरह भारतीय है। इसके मुख्य सदस्य ऐसे लोग हैं जिन्हें न केवल भारत का बहुत बड़ा भाग, बरन् संसार का बहुत बड़ा भाग सम्मान की दृष्टि से देखेगा। यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपने चोटी के आदमी कैबिनेट में रखे हैं। एक समय लगता था कि वे उन्हें कैबिनेट से बाहर रखेंगे, बँसा नहीं हुआ।" (उप., पृष्ठ ३३३)।

नेहरूजी अन्तरिम सरकार में शामिल हुए। उन्होंने वाइसराय को लिखा कि

राजनीतिक विभाग और रियासतों के बीच जो भी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार हो, उसकी जानकारी उनको मिलती रहनी चाहिए। २५ सितम्बर को वेवल ने इस सन्दर्भ में पेथिक लारेन्स को लिखा, "जो सयुक्त प्रशासनिक हितवाले मामले हैं, उनकी जानकारी हम उन्हें अवश्य दे सकते हैं। बातचीत के लिए जो प्रस्तावित समिति (कन्सल्टेटिव कमिटी) है, वहाँ उनको ऐसी जानकारी मिलेगी। किन्तु राजनीतिक विभाग और रियासतों के बीच हर महत्वपूर्ण पत्राचार की जानकारी में उन्हें देने नहीं जा रहा हूँ। वैसे करने से नरेशों के साथ बड़ी कठिनाई पैदा होगी और यह माँग बिल्कुल गैरवाजिब इसलिये भी है कि केन्द्रीय सरकार सर्वोपरि सत्ता का स्थान उत्तराधिकार में न पायेगी।" (उप., पृष्ठ ५८६)। ब्रिटिश सत्ता रियासतों के सन्दर्भ में सर्वोपरि थी; वह नेहरू-पटेल की अन्तरिम सरकार के सन्दर्भ में भी सर्वोपरि थी। रियासतों से अंग्रेज सरकार मिलकर कब कौन-सी कार्रवाई करेगी, इसकी सूचना वाइसराय नेहरू को न देना चाहते थे। रियासतों में किस तरह के परिवर्तन होंगे और कब होंगे, इस बारे में अंग्रेज पहल करने का अवसर अपने हाथ से न जाने देना चाहते थे।

(ख) अन्तरिम सरकार के अधिकारों की सीमाएँ

अन्तरिम सरकार को कितना अधिकार हो, उसके कार्य में वाइसराय किस हद तक दखल दे, इस बारे में संविधान विशेषज्ञ तरह-तरह के मत प्रकट करते थे। १८ मई १९४६ के 'टाइम्स' समाचार पत्र में भूतपूर्व भारत-सचिव एमेरी का एक पत्र छपा। इसमें उन्होंने कैबिनेट मिशन के १६ मई वाले बयान की प्रशंसा की और कहा कि इस समय महत्व की बात अस्थायी भारतीय सरकार का बनना है। "ऐसी सरकार को अवश्य भारत के मौजूदा कानूनी विधान के अन्तर्गत काम करना होगा। लेकिन उस विधान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वाइसराय, अपने निजी विवेक के आधार पर, अपनी शक्ति का उपयोग करने को बाध्य हो (पिछले वर्षों में दर हकीकत इस शक्ति का उपयोग किया ही नहीं गया), और अपनी कार्यकारिणी के बहुमत के फैसले को अस्वीकार कर दे, जब तक कि वास्तविक भारतीय हितों की रक्षा के लिए अथवा मिशन के प्रस्तावों में बतायी हुई संवैधानिक स्थिति की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी न हो। इस देश [ब्रिटेन] की सरकार या पार्लियामेंट के लिए यह बाध्यता और भी कम है कि वह उस विवेक के उपयोग में हस्तक्षेप करे। अन्तरिम सरकार के निर्माण में और उस सरकार को अपने महान् दायित्व के निर्वाह में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी यदि ब्रिटिश सरकार यह बात बिल्कुल साफ कर दे। मेरी समझ में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ और अभी यह घोषित न कर दें कि कामनवेल्थ के अन्य किसी सदस्य देश की सरकार से, या कहिये कामनवेल्थ के बाहर भी किसी राष्ट्र की सरकार से, हमारे जैसे सम्बन्ध है, उनसे इस सरकार से [भारत की अन्तरिम सरकार से] हमारे सम्बन्ध जरा भी भिन्न न होंगे।" (खण्ड ७, पृष्ठ ६३२)।

जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी नेता यही माँग कर रहे थे कि अन्तरिम सरकार बने, तो उसे स्वाधीन देश की अस्थायी सरकार माना जाये। एमेरी

कन्सर्वेटिव मन्त्रिमण्डल में भारत-सचिव रह चुके थे। इस समय वह अत्यन्त उदार हो रहे थे। उदारता का कारण यह था कि ब्रिटेन में विरोधी लेबर पार्टी की सरकार थी। एमेरी ने विरोधी दल को असमजस में डालने के लिए लन्दन के 'टाइम्स' में यह पत्र छपाया होगा। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में कन्सर्वेटिव पार्टी ने इस पत्र में बतायी नीति को अमल में लाने के लिए लेबर पार्टी पर जोर डाला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ किन्तु ब्रिटिश अधिकारी परेशान अवश्य हुए। नयी दिल्ली से १६ मई को भारत-सचिव को सन्देशा भेजा गया कि वह अपनी ओर से एमेरी को पत्र लिखकर समझाएँ (और पत्र डाक से नहीं किसी आदमी के हाथ भेजा जाय) कि इस समय वाइसराय वार्तालाप के बड़े नाजुक दौर में है; अन्तरिम सरकार किस आधार पर बने, यह मुख्य समस्या है। "यदि आप मामले के इस पहलू पर टिप्पणी करने से फिलहाल बाज आयेंगे तो हमें बड़ी सहायता मिलेगी। दरपेश मसलों की गम्भीरता को देखते हुए मुझे आशा है कि इस मामले में मेरे अपील करने का आप बुरा न मानेंगे।" (उप.)। वाइसराय की तरफ से सन्देशा भेजा गया कि भारत-सचिव, मजदूर दल के नेता, लांड पैथिक लारेन्स टोरी दल के नेता एमेरी से प्रार्थना करे कि ज्यादा असमजस में न डालिए, आविर हमारी आपकी नीति एक ही है। एमेरी ने फिर वैसे कोई टिप्पणी नहीं की। बालमुकुन्द गुप्त की बात सही थी : जैसे लिबरल जैसे टोरी, जैसे नाली जैसे मोरी। लिबरल की जगह लेबर पढ़ा जाये तो भी मात्राएँ बराबर रहेगी।

असमजस की बात दरकिनार, लेबर पार्टी की सरकार की वास्तव में चिन्ता यह थी कि वाइसराय कही इस तरह हस्तक्षेप न करें कि अन्तरिम सरकार का खेल ही विगड़ जाये। ६ सितम्बर को, अन्तरिम सरकार बन जाने के बाद, भारत-सचिव ने वाइसराय को लिखा कि कैबिनेट मिशन जब भारत में था, तब कांग्रेस से जो बातचीत हुई और अन्तरिम सरकार के स्वरूप के बारे में मेहरू ने जो बयान दिये हैं, उनसे स्पष्ट है कि कांग्रेस आशा करती है कि मौजूदा सविधान को बहुत उदारतापूर्वक लागू किया जाये। वाइसराय ने ३० मई को जो पत्र मोलाना आजाद को लिखा था, उसमें व्यवहारतः बहुत बड़ी स्वच्छन्दता का वादा किया गया था। "इस समय हम यथासम्भव शीघ्र पूर्ण स्वाधीनता स्थापित करने की नीति पर चल रहे हैं और इस बीच स्वायत्त सरकार का प्रसार होने देना चाहते हैं। यदि ऐसा न भी होता तो भी भारत में इस समय हमारी स्थिति और शक्ति के साधन ऐसे नहीं रह गये कि अत्यन्त अनिवायं कारण छोड़कर आप अपनी परिपक्व के बहुमत के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग दरअसल कर सकें।" (खण्ड ८, पृष्ठ ४३४-३५)। भारत में क्रान्तिकारी परिस्थिति थी, इसका प्रमाण यह स्वीकृति है कि अंग्रेजों की शक्ति के साधन अब समाप्त हो गये हैं। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि अन्तरिम सरकार के बहुमत के निर्णय का उल्लंघन करें। इस स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि अंग्रेज मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में शामिल करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे थे। मुस्लिम लीग के शामिल हो जाने पर ऐसा फ़ैसला करना असम्भव था जिसे दोनों दलों का संयुक्त फ़ैसला कहा जा सके। भारत के अंग्रेज अधिकारी विदा होने की घड़ियाँ गिन रहे थे। एक-एक दिन भारत

कन्सर्वेटिव मन्त्रिमण्डल में भारत-सचिव रह चुके थे। इस समय वह अत्यन्त उदार हो रहे थे। उदारता का कारण यह था कि ब्रिटेन में विरोधी लेबर पार्टी की सरकार थी। एमेरी ने विरोधी दल को असमंजस में डालने के लिए लन्दन के 'टाइम्स' में यह पत्र छपाया होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्सर्वेटिव पार्टी ने इस पत्र में बतायी नीति को अमल में लाने के लिए लेबर पार्टी पर जोर डाला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ किन्तु ब्रिटिश अधिकारी परेशान अवश्य हुए। नयी दिल्ली से १६ मई को भारत-सचिव को सन्देशा भेजा गया कि वह अपनी ओर से एमेरी को पत्र लिखकर समझाएँ (और पत्र डाक से नहीं किसी आदमी के हाथ भेजा जाय) कि इस समय वाइसराय वार्तालाप के बड़े नाजुक दौर में है; अन्तरिम सरकार किस आधार पर बने, यह मुख्य समस्या है। "यदि आप मामले के इस पहलू पर टिप्पणी करने से फिलहाल बाज आर्येंगे तो हमें बड़ी राहायता मिलेगी। दरपेश मसलों की गम्भीरता को देखते हुए मुझे आशा है कि इस मामले में मेरे अपील करने का आप बुरा न मानेंगे।" (उप)। वाइसराय की तरफ से सन्देशा भेजा गया कि भारत-सचिव, मजदूर दल के नेता, लाइंड पेथिक लारेन्स टोरी दल के नेता एमेरी से प्रार्थना करें कि ज्यादा असमंजस में न डालिए, आखिर हमारी आपकी नीति एक ही है। एमेरी ने फिर वैसे कोई टिप्पणी नहीं की। बालमुकुन्द गुप्त की बात सही थी : जैसे लिबरल वैसे टोरी, जैसे नाली वैसे मोरी। लिबरल की जगह लेबर पढ़ा जाये तो भी मात्राएँ बराबर रहेंगी।

असमंजस की बात दरकिनार, लेबर पार्टी की सरकार को वास्तव में चिन्ता यह थी कि वाइसराय कहीं इस तरह हस्तक्षेप न करें कि अन्तरिम सरकार का रोल ही बिगड़ जायें। ६ सितम्बर को, अन्तरिम सरकार बन जाने के बाद, भारत सचिव ने वाइसराय को लिखा कि कैबिनेट मिशन जब भारत में था, तब कांग्रेस से जो बातचीत हुई और अन्तरिम सरकार के स्वरूप के बारे में नेहरू ने जो बयान दिये हैं, उनसे स्पष्ट है कि कांग्रेस आशा करती है कि मौजूदा संविधान को उदारतापूर्वक लागू किया जाये। वाइसराय ने ३० मई को जो पत्र मौआजाद को लिखा था, उसमें व्यवहारतः बहुत बड़ी स्वच्छन्दता का वादा गया था। "इस समय हम यथासम्भव शीघ्र पूर्ण स्वाधीनता स्थापित करने की नीति पर चल रहे हैं और इस बीच स्वायत्त सरकार का प्रसार होने देना यदि ऐसा न भी होता तो भी भारत में इस समय हमारी स्थिति और उन्नत साधन ऐसे नहीं रह गये कि अत्यन्त अनिवार्य कारण छोड़कर आप अपनी के बहुमत के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग दरअसल कर सकें।" (पृष्ठ ४३४-३५)। भारत में क्रान्तिकारी परिस्थिति थी, इसका प्रमाण यह है कि अंग्रेजों की शक्ति के साधन अब समाप्त हो गये हैं। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि अन्तरिम सरकार के बहुमत के निर्णय का उत्तरदायित्व करें। इससे यह भी स्पष्ट है कि अंग्रेज मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में शामिल के लिए इतना जोर क्यों दे रहे थे। मुस्लिम लीग के शामिल हो जाने पर फैसला करना असम्भव था जिसे दोनों दलों का संयुक्त फैसला कहा जा सके। भारत के अंग्रेज अधिकारी विदा होने की पड़ियाँ गिन रहे थे। एक-एक दिन भ

भारत से सम्मानपूर्वक निकल न पायेंगे।" (उप., पृष्ठ ७९६)। वेवल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार बनाने का अवसर दिया। उसके बाद भयानक दंगे हुए, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, क्रान्ति का उभार अपेक्षाकृत ठण्डा हुआ, फिर मुस्लिमलीग में शामिल हुई। ये सब जवाबी हमले की कार्यवाही थी। सेनापति वेवल में अपने रणकौशल का परिचय दिया। भारत में रहनेवाले अंग्रेज अवक्षित महमूस न करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए भारतवासी उनका

• ठण्डा करने का साधन

वेवल कौन-सा लक्ष्य सिद्ध करना चाहते थे, इसकी सूचना भारत-सचिव को दे दी थी। "निस्सन्देह यह सम्भव है कि कारगर ढंग से मजदूरों को काबू में रख सकती है, लेकिन कम्युनिस्टों और कांग्रेसी वामपक्ष के आन्दोलन के प्रति (उप., पृष्ठ २२८)। कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वामपक्ष, शामिल थे, ऐसा विकल्प बन रहा था जो वाइसराय को अलग-थलग करके स्वाधीनता आन्दोलन को क्रान्ति-सक्ता था। किन्तु जिस तरह सेनापति वेवल ने अपनी ली थी और एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य सुनिश्चित रणनीति और योजना कम्युनिस्टों समेत २७ जुलाई १९४६ को सयुक्त प्रान्त के गवर्नर इस नस्ट पुलिस को फोड़ रहे हैं। "चारों तरफ हड़तालों में यह आशा करना कि पुलिस पर इसका कोई बात है। अभी तक पुलिस का रिकार्ड फर्स्टक्लास है दरअसल हमें बहुत गम्भीरता से सोच-विचार करना। हड़तालों की सरगर्मी दूर करना अंग्रेजों के वश में ही से अन्तरिम सरकार द्वारा करा सकते थे। ६ अगस्त को लिखा कि यह ऐसा देश नहीं है— यदि कोई ऐसा काफी दिन तक हिंसात्मक क्रान्ति के प्रचार की छूट हो। "यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकार में शामिल हो कर कांग्रेसी नेता समझें कि वे अब इतने शक्तिशाली नपट सकते हैं। दूसरी तरफ यह सम्भावना भी है कि न अपनी नीति बदल दे, लेकिन मुझे इस बारे में यह बहुत सम्भव है कि कांग्रेस बहुत जल्दी ही का फैसला करेगी, वरना मजदूरों से सम्बन्धित (उप., पृष्ठ १९४)।

तिक परिस्थिति से परेशानी थी तो पडोसी मिल रही थी। २० सितम्बर के पत्र में

है। मिली-जुली सरकार और संविधान सभा को लेकर समझौता नहीं होता तो सेना के विघटन को रोकना जा सकेगा। इन सब बातों में स्पष्ट है कि यदि बादशाह सलामत की सरकार अपनी नीति नहीं बदलती, भारत पर दस-पन्द्रह साल तक शासन करते रहने का निश्चय नहीं करती, तो "राजनीतिक परिस्थिति जैसी भी हो, भारत में हमारे दिन इने-गिने रह गये हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिकतम समय मेरे हिसाब से डेढ़ साल है या १९४८ के वसन्त तक है। मेरी समझ में बादशाह सलामत की सरकार अधिकार और जिम्मेदारी की छाया बनाये रखना न चाहेगी जब इन्हें लागू न किया जा सके। वैसा करने से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को धक्का ही लगेगा और कांग्रेस के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की रक्षा न कर पाने पर हम उनकी सहायता न कर सकेंगे।" (उप., पृष्ठ ४५७)। इसीलिए भारत से हटने के लिए अंग्रेजों को पहले से एक निश्चिन्त योजना बना लेनी चाहिए। इसके बाद योजना की मुख्य बातें बतायी गयी हैं जो राजनीतिक परिस्थिति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और विस्तार से उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है।

(ग) विवाई की बेला—भगदड़ या जवाबी हमला ?

२३ अक्टूबर को फील्ड मार्शल वेवल ने भारत-सचिव लार्ड पेथिक नारेन्स को पत्र लिखा और उसमें इस स्थिति पर प्रकाश डाला कि जब किसी देश से हटना ही पड़े, तो यह काम किम तरह पूरा करना चाहिए। सेनानायक वेवल ने लिखा, "मैं फौजी कमाण्डर रह चुका हूँ। स्वभावतः पीछे हटने की क्रिया पूरी करने का कुछ ज्ञान मुझे है; दुर्भाग्य से पीछे हटने की ऐसी क्रियाएँ पूरी कराने का कुछ अनुभव भी मुझे है। मेरा निवेदन है कि भारत में हमारी स्थिति ऐसे सैनिक दल की-सी है जिसे बहुत बड़ी संख्यावाले शत्रु के सामने में पीछे हटने की बाध्य होना पड़ता है। स्वभावतः वह सैनिक दल यथासम्भव व्यवस्थित और कम से कम हानि उठाते हुए पीछे हटना चाहता है। पीछे हटने की क्रिया को पूरा करने का स्वीकृत फौजी तरीका यह है कि एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक क्रमशः हटा जाये; ऐसा कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारी करने के बाद, अपना दायित्व क्रमशः घटाते हुए करना चाहिए। यदि कोई योजना न हो, एक बड़े मोर्चे पर, असम्भव स्थानों में, सैनिक दल तब तक डटा रहे जब तक उसे यथाशीघ्र निकलने की बाध्य न किया जाये, तो इस तरीके पर काम करने से विनाश अनिवार्य हो जाता है।" (खण्ड ८, पृष्ठ ७९६)। वेवल ने बहुत स्पष्ट रूप में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसमें योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने की अनिवार्यता का विवरण प्रस्तुत कर दिया था। राजनीतिक रूप से अंग्रेज पीछे हटते हुए भी सम्भावित आक्रमण से अपने को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाते जा रहे थे। अन्तरिम सरकार का निर्माण, पहले कांग्रेस का ही उसमें शामिल होना, फिर मुस्लिम लीग का आना, ये सब पीछे हटने की क्रिया के अभिन्न अंग थे। वेवल ने उचित गर्व से उस पत्र में लिखा था, "यदि मैं एक पार्टी की सरकार बनने न देता तो मिलीजुली सरकार कभी बनती ही नहीं। इसी तरह यदि पहलकदमी हमारे पास न होगी, दोनो पार्टियों और राजाओं को हम यह विश्वास नहीं दिला पाते कि हम जो कहते

भारत से सम्मानपूर्वक निकाले न जायेंगे। (उप., पृष्ठ ७६६)। वेवल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार बनाने का अवसर दिया। उसके बाद भयानक दंगे हुए, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, क्रान्ति का उभार अपेक्षाकृत ठण्डा हुआ, फिर मुस्लिमलीग सरकार में शामिल हुई। ये सब जवाबी हमले की कार्यवाही थी। सेनापति वेवल ने राजनीति में अपने रणकौशल का परिचय दिया। भारत में रहनेवाले अंग्रेज अब अपने को असुरक्षित महसूस न करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए भारतवासी उनका मुंह देख रहे थे।

(घ) क्रान्ति को ठण्डा करने का साधन

अन्तरिम सरकार से वेवल कौन-सा लक्ष्य सिद्ध करना चाहते थे, इसकी सूचना उन्होंने १३ अगस्त को भारत-सचिव को दे दी थी। “निस्सन्देह यह सम्भव है कि अन्तरिम सरकार ज्यादा कारगर ढंग से मजदूरों को काबू में रख सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब वह कम्युनिस्टों और कांग्रेसी वामपक्ष के आन्दोलन के प्रति दृढ़ नीति अपनाये।” (उप., पृष्ठ २२८)। कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वामपक्ष, जिसमें कांग्रेसी सोशलिस्ट शामिल थे, ऐसा विकल्प बन रहा था जो वाइसराय से समझौता करनेवालों को अलग-थलग करके स्वाधीनता आन्दोलन को क्रान्ति-कारी मार्ग पर आगे बढ़ा सकता था। किन्तु जिस तरह सेनापति वेवल ने अपनी एक रणनीति निर्धारित कर ली थी और एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे, उस तरह कोई सुनिश्चित रणनीति और योजना कम्युनिस्टों समेत वामपक्ष के पास नहीं थी। २७ जुलाई १९४६ को सयुक्त प्रान्त के गवर्नर इस बात से चिन्तित थे कि कम्युनिस्ट पुलिस को फोड़ रहे हैं। “चारों तरफ हड़तालों की सरगमी है। ऐसी हालत में यह आशा करना कि पुलिस पर इसका कोई प्रभाव न होगा, निराधार बात है। अभी तक पुलिस का रिकार्ड फर्स्टक्लास है किन्तु वह विगड जाये तो दरअसल हमें बहुत गम्भीरता से सोच-विचार करना होगा।” (उप., पृष्ठ १६१)। हड़तालों की सरगमी दूर करना अंग्रेजों के बस में नहीं था। यह काम वे आसानी से अन्तरिम सरकार द्वारा करा सकते थे। ६ अगस्त को वेवल ने पेथिक लारेन्स को लिखा कि यह ऐसा देश नहीं है—यदि कोई ऐसा देश हो—जहाँ खुलेआम और काफी दिन तक हिंसात्मक क्रान्ति के प्रचार की छूट दी जाये और उससे हानि न हो। “यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकार में शामिल हो जाती है तो यह सम्भव है कि कांग्रेसी नेता समझें कि वे अब इतने शक्तिशाली हैं कि जयप्रकाश नारायण से निपट सकते हैं। दूसरी तरफ यह सम्भावना भी है कि वैसा होने पर जयप्रकाश नारायण अपनी नीति बदल दें, लेकिन मुझे इस बारे में निश्चय नहीं है। मेरे विचार से यह बहुत सम्भव है कि कांग्रेस बहुत जल्दी ही कम्युनिस्टों के विरुद्ध कदम उठाने का फैसला करेगी, वरना मजदूरों से सम्बन्धित स्थिति और भी खराब हो जायेगी।” (उप., पृष्ठ १६४)।

अंग्रेजों को यदि भारत की राजनीतिक परिस्थिति से परेशानी थी तो पड़ोसी देशों की स्थिति से उन्हें कोई सान्त्वना न मिल रही थी। २० गिनम्बर के पत्र में

क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबी हमला / ४६१

है। मिली-जुली सरकार और संविधान सभा को लेकर समझौता नहीं होता तो सेना के विघटन को रोकना जा सकेगा। इन सब बातों से स्पष्ट है कि यदि बादशाह सलामत की सरकार अपनी नीति नहीं बदलती, भारत पर दस-भन्द्रह साल तक शासन करते रहने का निश्चय नहीं करती, तो "राजनीतिक परिस्थिति जैसी भी हो, भारत में हमारे दिन इने-गिने रह गये हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिकतम समय मेरे हिसाब से डेढ़ साल है या १९४८ के वसन्त तक है। मेरी समझ में बादशाह सलामत की सरकार अधिकार और जिम्मेदारी की छाया बनाये रखना न चाहेगी जब इन्हें लागू न किया जा सके। वैसा करने से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को धक्का ही लगेगा और कांग्रेस के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की रक्षा न कर पाने पर हम उनकी सहायता न कर सकेंगे।" (उप., पृष्ठ ४५७)। इसीलिए भारत से हटने के लिए अंग्रेजों को पहले से एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। इसके बाद योजना की मुख्य बातें बतायी गयी हैं जो राजनीतिक परिस्थिति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और विस्तार से उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है।

(ग) बिवाई की बेला—भगदड़ या जवाबी हमला ?

२३ अक्टूबर को फील्ड मार्शल वेवल ने भारत-सचिव लार्ड पेथिक मारेन्स को पत्र लिखा और उसमें इस स्थिति पर प्रकाश डाला कि जब किसी देश से हटना ही पड़े, तो यह काम किम तरह पूरा करना चाहिए। सेनानायक वेवल ने लिखा, "मैं फौजी कमाण्डर रह चुका हूँ। स्वभावतः पीछे हटने की क्रिया पूरी करने का कुछ ज्ञान मुझे है; दुर्भाग्य से पीछे हटने की ऐसी क्रियाएँ पूरी कराने का कुछ अनुभव भी मुझे है। मेरा निवेदन है कि भारत में हमारी स्थिति ऐसे सैनिक दल की-सी है जिसे बहुत बड़ी संख्यावाले शत्रु के सामने से पीछे हटने को बाध्य होना पड़ता है। स्वभावतः वह सैनिक दल यथासम्भव व्यवस्थित और कम से कम हानि उठाते हुए पीछे हटना चाहता है। पीछे हटने की क्रिया को पूरा करने का स्वीकृत फौजी तरीका यह है कि एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक क्रमशः हटा जाये; ऐसा कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारी करने के बाद, अपना दायित्व क्रमशः घटाते हुए करना चाहिए। यदि कोई योजना न हो, एक बड़े मोर्चे पर, असम्भव स्थानों में, सैनिक दल तब तक डटा रहे जब तक उसे यथाशीघ्र निकलने को बाध्य न किया जाये, तो इस तरीके पर काम करने से विनाश अनिवार्य हो जाता है।" (खण्ड ८, पृष्ठ ७९६)। वेवल ने बहुत स्पष्ट रूप से भारत की राजनीतिक स्थिति और उसमें योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने की अनिवार्यता का विवरण प्रस्तुत कर दिया था। राजनीतिक रूप से अंग्रेज पीछे हटते हुए भी सम्भावित आक्रमण से अपने को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाते जा रहे थे। अन्तरिम सरकार का निर्माण, पहले कांग्रेस का ही उसमें शामिल होना, फिर मुस्लिम लीग का आना, ये सब पीछे हटने की क्रिया के अभिन्न अंग थे। वेवल ने उचित गर्व से उस पत्र में लिखा था, "यदि मैं एक पार्टी की सरकार बनने न देता तो मिली-जुली सरकार कभी बनती ही नहीं। इसी तरह यदि पहलकदमी हमारे पास न होगी, दोनों पार्टियों और राजाओं को हम यह विश्वास नहीं दिला पाते कि हम जो कहते

भारत से सम्मानपूर्वक निकल न पायेंगे।" (उप., पृष्ठ ७६६)। वेवल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार बनाने का अवसर दिया। उसके बाद भयानक दंगे हुए, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, क्रान्ति का उभार अपेक्षाकृत ठण्डा हुआ, फिर मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। ये सब जवाबी हमले की कार्यवाही थी। सेनापति वेवल ने राजनीति में अपने रणकौशल का परिचय दिया। भारत में रहनेवाले अंग्रेज अब अपने को असुरक्षित महसूस न करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए भारतवासी उनका मुंह देख रहे थे।

(घ) क्रान्ति को ठण्डा करने का साधन

अन्तरिम सरकार से वेवल कौन-सा लक्ष्य सिद्ध करना चाहते थे, इसकी सूचना उन्होंने १३ अगस्त को भारत-सचिव को दे दी थी। "निस्सन्देह यह सम्भव है कि अन्तरिम सरकार ज्यादा कारगर ढंग से मजदूरों को काबू में रख सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब वह कम्युनिस्टों और कांग्रेसी वामपक्ष के आन्दोलन के प्रति दृढ़ नीति अपनाये।" (उप., पृष्ठ २२८)। कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वामपक्ष, जिसमें कांग्रेसी सोशलिस्ट शामिल थे, ऐसा विकल्प बन रहा था जो बाइसराय से समझौता करनेवालों को अलग-थलग करके स्वाधीनता आन्दोलन को क्रान्तिकारी मार्ग पर आगे बढ़ा सकता था। किन्तु जिस तरह सेनापति वेवल ने अपनी एक रणनीति निर्धारित कर ली थी और एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे, उस तरह कोई सुनिश्चित रणनीति और योजना कम्युनिस्टों समेत वामपक्ष के पास नहीं थी। २७ जुलाई १९४६ को सयुक्त प्रान्त के गवर्नर इस बात से चिन्तित थे कि कम्युनिस्ट पुलिस को फोड़ रहे हैं। "चारों तरफ हड़तालों की सरगमी है। ऐसी हालत में यह आशा करना कि पुलिस पर इसका कोई प्रभाव न होगा, निराधार बात है। अभी तक पुलिस का रिकार्ड फस्टक्लास है किन्तु वह विगड़ जाये तो दरअसल हमें बहुत गम्भीरता से सोच-विचार करना होगा।" (उप., पृष्ठ १६१)। हड़तालों की सरगमी दूर करना अंग्रेजों के बस में नहीं था। यह काम वे आसानी से अन्तरिम सरकार द्वारा करा सकते थे। ६ अगस्त को वेवल ने पेथिक लारेन्स को लिखा कि यह ऐसा देश नहीं है—यदि कोई ऐसा देश हो—जहाँ खुलेआम और काफ़ी दिन तक हिंसात्मक क्रान्ति के प्रचार की छूट दी जाये और उससे हानि न हो। "यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकार में शामिल हो जाती है तो यह सम्भव है कि कांग्रेसी नेता समझें कि वे अब इतने शक्तिशाली हैं कि जयप्रकाश नारायण से निपट सकते हैं। दूसरी तरफ यह सम्भावना भी है कि वैसा होने पर जयप्रकाश नारायण अपनी नीति बदल दें, लेकिन मुझे इस बारे में निश्चय नहीं है। मेरे विचार से यह बहुत सम्भव है कि कांग्रेस बहुत जल्दी ही कम्युनिस्टों के विरुद्ध कदम उठाने का फैसला करेगी, बरना मजदूरों से सम्बन्धित स्थिति और भी खराब हो जायेगी।" (उप., पृष्ठ १६४)।

अंग्रेजों को यदि भारत की राजनीतिक परिस्थिति से परेशानी थी तो पड़ोसी देशों की स्थिति से उन्हें कोई सान्त्वना न मिल रही थी। २० मिनम्बर के पत्र में

भारत-सचिव ने वाइसराय को बताया कि बर्मा में फासिस्टविरोधी संध सरकार शासनतन्त्र पर अधिकार करने के उद्देश्य में आम हड़ताल की तैयारी कर रहा है। महँगाई वहाँ बहुत बढ़ गयी है। फासिस्टविरोधी संध को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती क्योंकि चुनाव से उसे सत्ता पाने का कोई अधिकार नहीं मिला है लेकिन गवर्नर से कहा गया है कि वह उसे सरकार में लाने की कोशिश करे। "किन्तु परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। आम हड़ताल की धमकी हमारे सामने है और यदि यह हड़ताल हो जायेगी तो घुले विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी हालत में निपटने के लिए और कितनी फौज दरकार होगी, इस पर वहाँ सेना-नायक विचार कर रहे हैं, किन्तु जैसा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सत्तार के आप वाले हिस्से में जमीन पर सेनाएँ बहुत कम है। बर्मा में भारतीय फौजों इस्तेमाल करने के बारे में आपको तार भेज रहा हूँ। यदि नागरिक संपर्क गुरु हो गया [अर्थात् फौजी टक्कर में भिन्न राजनीतिक संग्राम गुरु हो गया] तो बर्मा से भारत को भेजा जानेवाला चावल घपले में पड़ जायेगा।" (उप., पृष्ठ ५५८)। भारत-सचिव के अनुसार हिन्दुस्तानी फौजों को इस्तेमाल करने की समस्या मध्य पूर्व से हिन्दुस्तानी फौजें बुलाने की समस्या से भी अधिक कठिन थी। उनकी समझ में यह दुर्भाग्य की बात थी कि अन्तरिम सरकार के बनते ही बर्मा में यह नाजुक स्थिति पैदा हो गयी।

२५ सितम्बर के दस्तावेज में वाइसराय ने भारतीय फौजों के सम्बन्ध में अपनी कैबिनेट के भीतर होनेवाली चर्चा की जानकारी भारत-सचिव को दी। सरदार बलदेवसिंह का क्लृप्त सम्भवतः नरम होगा किन्तु नेहरू ने विदेश में भारतीय फौजों के इस्तेमाल पर सहित आपत्ति की। बर्मा के गवर्नर को वाइसराय ने सूचित कर दिया था कि हड़ताल तोड़ने के लिए भारतीय फौजों से काम न लिया जाये। (उप., पृष्ठ ५६६)।

६ अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने बर्मा के नेता आँगसान को तार दिया : हमारी सरकार बर्मा से और भारत के बाहर अन्य देशों से हिन्दुस्तानी फौजें हटाने के लिए उत्सुक है। हमारा प्रस्ताव है कि आपसे और बर्मा के सेनाध्यक्ष से बात-चीत की जाये जिससे कि जो भी कदम उठाया जाये, उससे आपकी सरकार अस-मंजूस में न पड़े। हमारी नीति क्रमशः फौजें वापस बुलाने की रही है। अगली अप्रैल तक बर्मा में अब से आधी फौज रह जायेगी। इस विषय पर आपकी सरकार की राय जानने से आभारी होंगे। अच्छा हो कि इन बातों के बारे में सलाह और फँसले के लिए आप सेनाध्यक्ष के साथ यहाँ आ जायें। आपके आने से बर्मा-भारत-सम्बन्धी दूसरे मामलों पर विचार करने में सुविधा होगी, दोनों सरकारों के बीच मैत्री और सहयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिसे हम मूल्यवान समझते हैं। तार के अन्त में नेहरूजी ने आँगसान से फिर मिलने की सम्भावना पर अपनी व्यक्ति-गत प्रसन्नता व्यक्त की। (उप., पृष्ठ ६८२)। तार की प्रति वेबल ने भारत-सचिव के पास भेज दी। भारत-सचिव ने एक ओर बर्मा के गवर्नर को बताया कि नेहरू के सन्देश से कैसे निपटा जाये, दूसरी ओर वाइसरायसे कहा कि जैसे ही अवसर मिले, नेहरू को समझा दें कि आपसे पूछे बिना ऐसे सन्देश भेजना अनुचित है। बादशाह

Handwritten text in Devanagari script, appearing to be a list or a series of entries on lined paper. The text is dense and somewhat illegible due to the handwriting and the angle of the page. It seems to contain various names and possibly dates or descriptions.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.

हानि आया है : लड़ती है जनता, उससे लाभ उठाते हैं पूंजीपति । यूही भारत हुआ ।

(ड) पाकिस्तान में बरार पड़ने का भय

अंग्रेजों को एक परेशानी यह थी कि पाकिस्तान बनने पर उसमें सिन्ध और पश्चिमोत्तर प्रदेश शामिल न हुए तो क्या होगा । पश्चिमोत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । जिस प्रदेश में मुसलमान बहुसंख्यक थे, उगमें मुस्लिम लीग के अनुयायी अल्पसंख्यक थे । इन अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक बनाना बहुत जरूरी था । यदि एक ओर पूर्वो-पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में कांग्रेसी सरकारें हो और दूसरी ओर सीमान्त प्रदेश में भी वैसी ही सरकार हो, तो भारत छोड़ने के बाद पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाने की जो बात अंग्रेज सोच रहे थे, वह बात कभी अमल में आ न सकती थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से जो सामरिक महत्व के कार्य वे सिद्ध करना चाहते थे, उनकी सिद्धि की सम्भावना ही न रह जाती । इसीलिए पश्चिमोत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू के एक छोटा-सा दौरा करने से ही गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों सफा हो गये थे । नेहरूजी ने सरकारी अधिकारियों की आलोचना की तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है । वेगाल और सिन्ध में ये अधिकारी इसी तरह मुस्लिम लीग की सहायता कर रहे थे । असम के गवर्नर क्लाउ ने अप्रैल १९४६ में परिस्थिति का जायजा लेते हुए जो दस्तावेज तैयार किया था, उसमें लिखा था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उन्हें जबरदस्ती सभ में शामिल नहीं किया जा सकता । पश्चिमो-पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर प्रदेश शायद सभ से अलग होना चाहेंगे । "एक कठिनाई यह है कि जो इलाके अलग-थलग बने नहीं रह सकते, जैसे कि पश्चिमोत्तर प्रदेश या सिन्ध भी, वे सभ में शामिल होने के खिलाफ वोट दे सकते हैं । उस हालत में परिस्थिति पर फिर से विचार करना जरूरी होगा ।" (खण्ड ७, पृष्ठ १०७) । पश्चिमोत्तर प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनी हुई थी; सिन्ध में ऐसी स्थिति थी कि लीगी मन्त्रिमण्डल टूट रहा था और वहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने की सम्भावना थी । ६ सितम्बर १९४६ को भारत-सचिव पेथिक लारेन्स ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऐटली को सिन्ध की स्थिति से अवगत कराया । सिन्ध में चुनाव होनेवाले थे । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की राय थी कि सिन्ध में इस समय चुनाव कराना पागलपन है । (खण्ड ८, पृष्ठ ४५४) । भारत-सचिव ने बताया कि सिन्ध की विधान सभा में लीग के २७ सदस्य हैं, कांग्रेस के २२ हैं, कांग्रेस-समर्थक राष्ट्रवादी मुसलमान ४ हैं, सध्यद गुट के स्वतन्त्र मुसलमान ४ हैं, ३ यूरोपियन हैं । ६० सदस्यों के मदन में मुस्लिम लीग के सदस्य केवल २७ हैं । सध्यद गुट ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया । भारत-सचिव ने कहा, "सिन्ध में चुनाव न कराये जायें तो एक ही विकल्प रहता है, राष्ट्रवादी मुसलमानों, यूरोपियनों और सध्यद गुट के सहयोग से कांग्रेस सरकार बनाये या फिर प्रान्त पर धारा ६३ लागू करके वहाँ का शासन चलाया जाये । वास्तविक समाधान तो यह है कि वहाँ कांग्रेस-लीग सरकार

१६४ / भारत में अंग्रेजी राज

रीति का नतीजा यह होगा कि केन्द्रीय सरकार से टक्कर होगी। "मैं समझता हूँ कि गवर्नर जिम्मेदार है गवर्नर जनरल के प्रति और उनके माध्यम से अखिल भारत सरकार के प्रति। यदि ऐसा है तो उन्होंने [गवर्नर ने] दायित्ववोध का बहुत परिचय दिया है और अपने पूर्वाग्रह के कारण ऐसा लगता है कि अपने-अपने उन्होंने दुरुपयोग किया है।" (उप., पृष्ठ ४२२)।

वास्तविक स्थिति यह थी कि अन्तरिम सरकार जिम्मेदार थी गवर्नर के प्रति; अन्तरिम सरकार के प्रति गवर्नर जनरल जिम्मेदार नहीं थे। अखिल भारत सरकार कितनी राष्ट्रीय थी और कितनी लोकप्रिय थी, यह उस सरकार पर गवर्नर जनरल पर निर्भर था। इसलिए अन्तरिम सरकार सिन्ध के गवर्नर से जितना नाराज होती, वह उसका कुछ भी विगाड़ न सकती थी। ५ सितम्बर १९४६ का वाद = सितम्बर को नेहरूजी ने वाइसराय से फिर शिकायत की, "सिन्ध की स्थिति कुछ समय में विगड़ती जा रही है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, गवर्नर इस काम में मदद की है। इससे सिन्ध सरकार की ही नहीं, गवर्नर की भी बचत होती है। इन सब घटनाओं का गहरा सम्बन्ध कैबिनेट से है और वह उनकी देखी नहीं कर सकती।" (उप., पृष्ठ ४४६)। कैबिनेट अर्थात् गवर्नर जनरल की एक्जिक्यूटिव कोसिल। इस कार्यपरिपद् के किसी भी फैसले को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था। अग्रेज अधिकारी नेहरूजी द्वारा 'कैबिनेट' शब्द का प्रयोग पर हँसते थे, इसके साथ ही वे स्वयं भी इस शब्द का प्रयोग करते थे। किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता शत्रु को परास्त करके जब अपनी अखिल भारतीय सरकार बनाते हैं, तो उसकी अवज्ञा करना किसी गवर्नर जनरल के सम्भव नहीं होता। अन्तरिम सरकार दोनों पक्षों के समझौते से बनी थी, पक्ष एक-दूसरे पर अपने-अपने ढंग से प्रभाव डालते थे और इसके साथ समझौते की राह पर भी बढ़ते थे, इसीलिए नेहरूजी बंगाल और सिन्ध के मन्त्रियों के बचत की आलोचना करते थे कि उनके बयान और भाषण मारकाट के लिए निमन्त्रण है (उप.), पर शिकायत करने के अलावा और कुछ न कर सकते थे।

भारत-सचिव के एक निजी सचिव थे जिनका नाम था टर्नबुल। उन्होंने (भारत) और बर्मा के उपसचिव मोन्टीय के नाम) ७ गितम्बर १९४६ के दरतावेज में सिन्ध की स्थिति का मूल्यांकन इस प्रकार किया था, "संवैधानिक रूप से सही तरीके से मालूम होगा कि कांग्रेस के नेता को बुलाया जाये और कहा जाये कि मन्त्रिमण्डल बनाइये। यदि यूरोपियन फैसला करे कि वे ऐसी सरकार को समर्थन देंगे और = गैरलीगी मुसलमान उसका समर्थन करे तो एक सदस्य को अध्यक्ष बनाने के उसके पास दो का बहुमत होगा। सय्यद-गुट अखिल भारतीय मामलों में मुस्लिम के समर्थन की बात करता है; सिन्ध में मुस्लिम लीग से उसका झगड़ा स्थानीय मात्र है। ऐसी सरकार को समर्थन देना वह अस्वीकार कर सकता है या समर्थन के लिए कीमत मांग सकता है। ऐसी सरकार स्थायी न होगी पर उतनी स्थायी हो सकती जितनी मौजूदा सरकार है। इस नीति पर चलें तो आपत्ति यह है कि सिन्ध प्रांत है जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ४५ लाख की आबादी में मुसलमान २५ लाख हैं। कराची में गवर्नर ने मुझसे कहा था कि पुलिस तथा अन्य सेवाओं

अधिकतर मुसलमान है। यदि उनकी वफादारी खत्म हुई तो शासन पूरी तरह पंगु हो जायेगा। मौजूदा अखिल भारतीय परिस्थिति में यदि कांग्रेस की मिली-जुली सरकार सिन्ध में बनती है तो यह काफ़ी भड़कानेवाला काम होगा। सम्भव है कि इससे सहयोग की राह पर लौट आना और भी कठिन हो जाये।" (उप., पृष्ठ ४४६)।

टर्नबुल ने स्वीकार किया है कि समस्या का सीधा समाधान यह है कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाये। यदि कांग्रेस का बहुमत न होगा तो सरकार चलेगी ही नहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुस्लिम लीग की सरकार में जितना स्थायित्व है, उतना स्थायित्व कांग्रेसी सरकार में भी हो सकता है। किन्तु जिन्ना के भड़क जाने का बहाना करके टर्नबुल भी सीधे सवैधानिक समाधान को लागू करने के पक्ष में नहीं थे।

२५ सितम्बर को वाइसराय ने भारत-सचिव को बताया कि सिन्ध के मामले में कई बार नेहरू से झड़प हो चुकी है। "कांग्रेस को वेशक आशा है कि वह मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल के निर्माण को फिर रोक सकती है और यदि वह ऐसा कर सकी, तो इसका अर्थ होगा कि उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में दरार सी पड़ जायेगी (it means something of a breach in North-Western Pakistan.)" (उप., पृष्ठ ५५६)।

वाइसराय के दस्तावेज में असली कारण जाहिर हो गया है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में दरार पड़े। इसलिए भीधा सवैधानिक हल स्वीकार करना उनके लिए सम्भव न था। वह तरह-तरह के बहाने बताते थे जिससे कि लीग सत्ता में बनी रहे या चुनाव का नाटक कराने के बाद उसे फिर सत्ता प्राप्त हो जाये। वे जिन्ना के भड़कने की बातें करते थे पर वे जानते थे कि जिन्ना उतना ही भड़केंगे जितना अंग्रेज उन्हें भड़कने देंगे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तब क्रिप्स के निजी सहायक वायट (Wyatt) भी साथ आये थे। २४ मई १९४६ को जिन्ना से उनकी मुलाकात हुई। जिन्ना के सामने समस्या यह थी कि मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी में किस तरह ऐसा प्रस्ताव पास कराया जाये कि उसमें कैबिनेट मिशन के बयान को स्वीकार किया गया हो। वायट ने कहा कि "बया वह यह समझते हैं कि मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी निम्न प्रकार की बातों के आधार पर प्रस्ताव पास कर सकेगी।" इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव की मुख्य बातें बतायीं जिनमें अपनी ताकत से पाकिस्तान लेने की बात शामिल थी। "किन्तु मुसलमान यह आशा कभी नहीं करते थे कि अंग्रेज उन्हें पाकिस्तान देंगे। कोई उन्हें पाकिस्तान दे देगा, यह आशा उन्होंने नहीं की। वे जानते थे कि उन्हें अपनी ही ताकत से उसे लेना है। कैबिनेट मिशन के बयान में जो योजना दिखायी गयी थी, वह अब्यावहारिक थी और अमल में न लायी जा सकती थी। फिर भी यह दिखाने के लिए कि वे उसे आजमाने को तैयार हैं, वे बयान को स्वीकार कर लेंगे हालाँकि वे जानते हैं कि यह सारा तन्त्र (मशीनरी) काम न करेगा। वे अपनी तरफ से सारी कार्यप्रणाली को ठप न करेंगे। पाकिस्तान तक पहुँचने के लिए [कैबिनेट मिशन का] बयान पहली मजिल है, इस रूप में वह उसे

स्वीकार कर लेंगे।" कैबिनेट मिशन से सम्बद्ध एक व्यक्ति जिन्ना को सुझा रहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कितनी बातें और किस ढंग से कहनी चाहिए और उतनी बातें कह लेने के बाद अंग्रेजों का बयान किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस समय अंग्रेज भारतीय एकता के बड़े पक्षपाती बन रहे थे, कांग्रेस और लीग को इस एकता की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए, इस बात का जोरों से प्रचार कर रहे थे, इसके साथ ही वे जिन्ना को बता रहे थे कि पाकिस्तान तक पहुँचने के लिए कैबिनेट मिशन का बयान पहला कदम है। वायट ने जो सुझाव दिया, उस पर जिन्ना की प्रतिक्रिया वायट के अनुसार यह थी, "इस मुझाव पर वह खुश हो गये और बोले, 'बिल्कुल ठीक, आपने पते की बात कही है।' ('That's it, you've got it'.) मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग यही करेगी।" (खण्ड ७, पृष्ठ ६८६-८७)। मुस्लिम लीग के नेता और अंग्रेज किस तरह मिलकर काम कर रहे थे, वायट का यह दस्तावेज उसका प्रमाण है।

अंग्रेज यह प्रयत्न कर रहे थे कि मुसलमानों में केवल धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया जाये। उनमें सिन्धी, बंगाली, पठान या पंजाबी होने का जो जातीय भाव है, उसे नष्ट कर दिया जाये। उनके प्रयत्नों के बावजूद यह असाम्प्रदायिक जातीय चेतना मुसलमानों में विद्यमान थी, यह उनके अनेक दस्तावेजों से प्रकट होता है। सिन्ध के गवर्नर मूडी के अनुसार सम्यद गुट ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया कि सिन्ध को पंजाव के साथ जबरदस्ती बाँध न देना चाहिए। उसे स्वतन्त्र राज्य बनने का अधिकार होना चाहिए। "इस प्रान्त में जो पंजाबी-विरोधी भावना है, सम्यद उससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।" (उप., पृष्ठ ६७८)। मिल्लत के नाम पर मुस्लिम लीग और अंग्रेजों ने सिन्धीपन, पंजाबीपन मिटाने की बड़ी कोशिश की। पूर्वी बंगाल ने दिखा दिया कि कुछ समय के लिए धर्मान्धता जातीय चेतना को दबा सकती है, अन्त में जातीय चेतना ही अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगी। पंजाव का नाम सभी पंजावियों के लिए कितना पवित्र था, यह बात पंजाव के गवर्नर को मालूम थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। पठानों के देश में हिन्दू राज का भय दिखाने से काम न चलता था, यह बात पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर को मालूम थी, इसका उल्लेख भी पहले हो चुका है। बंगाल के लोगों को जब मालूम हुआ कि कैबिनेट मिशन के बयान में उनके प्रान्त के विभाजन की योजना नहीं है तब वे बहुत प्रसन्न हुए, गवर्नर बरोज के अनुसार हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रसन्न हुए। "उनका [गवर्नर बरोज का] विचार था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों को इस बात से राहत मिली कि बंगाल का विभाजन न होगा। (Both Hindus and Muslims were, he thought, relieved that Bengal would not be partitioned.)" (उप., पृष्ठ ६७५)।

(घ) बम्बई में क्रान्तिविरोधी प्रयास

जिस दिन अन्तरिम सरकार कार्यभार संभालेगी, उस दिन फिर दंगे हो सकते हैं, अंग्रेज यह जानते थे। अन्तरिम सरकार के कार्यभार संभालने में दो दिन पहले

वाइसराय ने भारत-सचिव को सूचित किया कि कलकत्ते की तरह प्रदर्शन और दंगे होंगे कि नहीं, कहना कठिन है। "मेरी समझ में कुल मिलाकर एक साथ बड़े पैमाने पर तुरत उपद्रव न होगा लेकिन मैं नहीं समझता कि एक पार्टी की सरकार बहुत थोड़े समय के लिए भारत पर नियन्त्रण रख सकती है। फिर गम्भीर उपद्रव हुए बिना न रहेगा।" (खण्ड ८; पृष्ठ ३६७)।

२ सितम्बर को बम्बई में दंगे हुए। इनके बारे में वेवल ने भारत-सचिव को लिखा कि कलकत्ते के दुखद घटनाक्रम के बाद बम्बई में होता-होती की भारी संख्या और दूसरी जगहों में बहुत से उपद्रव यह सूचित करते हैं कि मुख्य दलों के बीच समझौता कराने और मिली-जुली सरकार बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। (उप., पृष्ठ ४१७)। कुछ दिन बाद वेवल ने भारत-सचिव को फिर लिखा कि अन्य किसी समय बम्बई के दंगे लोगों का ध्यान जोरों से अपनी ओर खींचते क्योंकि २०० आदमी मारे जा चुके हैं और सारा शहर नौ दिन से भारी तनाव की हालत में है। स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन दंगा फिर भड़क सकता है। बंगाल के गवर्नर बरोज़ ने ६ सितम्बर के पत्र में बताया था कि बंगाल के अन्य शहरों में जो दंगे हुए, उनमें ३०० से ऊपर आदमी मारे गये हैं। बंगाल के इन दंगों की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम गया है। वेवल ने लिखा, "मेरी समझ में खतरे का वास्तविक क्षेत्र पूर्वी-बंगाल है। यदि वहाँ मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई शुरू की तो भारी संख्या में हिन्दू मारे जायेंगे। भारत में हर जगह साम्प्रदायिक कटुता और तनाव बढ़ा हुआ है, लीग से समझौता न हुआ तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।" (उप., पृष्ठ ४८२)।

१३ सितम्बर को राजगोपालाचारी से वेवल की मुलाकात हुई। राजाजी ने कहा कि कलकत्ते में जो दंगे हुए हैं, उन्हें देखते हुए लीग से बात करने का मतलब होगा हिंसा के सामने झुक जाना। वेवल ने कहा, "कलकत्ते में दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता न्यायिक जाँच से लगेगा। मैं यह हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ कि दंगे मुस्लिम लीग ने कराये थे।" (उप., पृष्ठ ४९४)। वैसे वाइसराय वेवल ने यह तय कर लिया था कि जाँच समिति किस नतीजे पर पहुँचेगी। "दोनों ओर से लोग जोरदार कसमें खायेंगे लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है कि दृढ़तापूर्वक किसी की जिम्मेदारी निश्चित की जायगी। वह [पटेल] मुस्कराये और सहमत प्रतीत हुए।" (उप., पृष्ठ ४९६)।

वाइसराय के सचिव वेवल से मुस्लिम लीग के नेता ख्वाजा नज़ीमुद्दीन की भेंट हुई। नज़ीमुद्दीन ने वेवल से कहा कि जो बातचीत शुरू होने वाली है, उसमें समझौता नहीं होता तो मुसलमान तुरत सीधी कार्रवाई करेंगे। (उप., पृष्ठ ५१६)। वाइसराय को आश्चर्य हो रहा था कि कलकत्ते और बम्बई की घटनाओं से कांग्रेसी नेताओं के होश दुरुस्त हो जाने चाहिए थे पर बँसा नहीं हुआ। "यदि समझौते की बातचीत टूट जाती है तो साम्प्रदायिक परिस्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जायेगी। नज़ीमुद्दीन ने एबेल से कहा है कि बँसा होने पर मुस्लिम लीग तुरत सीधी कार्रवाई किये बिना न रहेगी। बरना नेता अपना नियन्त्रण खो देंगे [अर्थात् जनता पर उनका नियन्त्रण न रह जायेगा]।" (उप., पृष्ठ ५२२)।

दंगों की एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। कुछ स्थानों में लीगी मुसलमानों ने गैर-लीगी मुसलमानों पर हमले किये। १६ अगस्त के दिन जब कलकत्ते में भारी मारकाट हुई, तब असम के सिलहट नगर में जमिअतुल-उलेमा और मुस्लिम लीग के बीच एक छोटे पैमाने पर दंगा हुआ। गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार "आमतौर से जिस मस्जिद पर जमीअत का दखल रहता था, उस पर कुछ पत्थरबाजी हुई और जमीअत का एक मुस्लिम होटल क्षतिग्रस्त हुआ।" (उप., पृष्ठ ३०५)। सर शफात अहमद खाँ अन्तरिम सरकार में शामिल होने के लिए नेहरूजी द्वारा चुने गये थे। २४ अगस्त की रात को, अन्तरिम सरकार बनने से काफी पहले, शिमला में दो आदमियों ने उनके सात वार छुरा मारा। (उप., पृष्ठ ३१५)। नेहरूजी ने प्रस्तावित सदस्य सूची २० अगस्त को वेवल के पास भेजी थी। छुरा मारने की घटना चार दिन बाद हुई। सदस्य सूची किसी न किसी तरह ऐसे लोगों तक पहुँच गयी थी जो हत्या के द्वारा मुस्लिम लीग के किसी भी मुसलमान प्रतिद्वन्दी को अपने रास्ते से हटा देने पर तुले हुए थे।

कलकत्ते में जो दंगे हुए, उनसे बम्बई के दंगे गुणात्मक रूप से भिन्न थे। कलकत्ते में अधिकारी दंगे करा रहे थे; बम्बई में अधिकारी दंगे रोक रहे थे। बम्बई के गवर्नर के अनुसार दंगे के पहले दो-तीन दिन मुसलमानों ने हमले किये; उसके बाद दो दिन मुख्यतः मुसलमानों पर हमले हुए। पुलिस के गोली चलाने से १७ आदमी मारे गये। ज्यादातर लोग छुरेबाजी की घटनाओं में मारे गये। इसके बाद छोटी-मोटी भीड़ों ने हमले किये, सोडावाटर की बोतलें फेंकी गयी, कुछ दुकानें लूटने और जहाँ-तहाँ आग लगाने की कोशिश की गयी। "अभी तक [१७ सितम्बर १९४६ तक] बड़े पैमाने पर दंगा नहीं हुआ।" (उप., पृष्ठ ५३२)। नेताओं ने दबाव में आकर शान्ति कायम रखने की अपीलें जारी की हैं, किन्तु मिलकर नहीं, अलग-अलग। ये लोग झगड़ा करा रहे हैं, इसका प्रमाण नहीं है, किन्तु जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि वे चाहें तो झगड़ा बन्द करा सकते हैं। कई रेलवे-स्टेशनों पर पंजाब से भेजी हुई पासलें पकड़ी गयी हैं जिनमें ऐसे छुरे मिले जो हत्या के काम में लाये जाते हैं।

इसके आगे गवर्नर ने लिखा, "मुसलमानों की तरफ से यह भावना साफ जाहिर होती है कि वे इस फसाद से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इसे कलकत्ते के जोड़ का दंगा समझा जाये [अर्थात् यह समझा जाये कि मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डलवाले सूबे में बड़ा दंगा हुआ, तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वाले सूबे में भी वैसा दंगा हुआ], किन्तु मुझे भय है कि उनमें से कुछ निराश हुए हैं क्योंकि उस दंगे के मुकाबले जैसी चीज यहाँ कुछ नहीं है, और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल यह दावा कर सकता है कि मारे उपद्रव से दृढतापूर्वक निपट लिया गया है। नेता लोग (दिल्ली वाले नेताओं समेत) अधिकारियों पर पक्षपात का दोष लगाते रहे हैं। कई मुसलमान मुझसे मिलने आये; उन्होंने भी वही बात दोहरायी। जब उनसे सबूत माँगा तो वे प्रायः कुछ भी निश्चित बात न कह सके। दो प्रमुख मुसलमान एम. एल. ए. देर तक मुझसे बातें करते रहे। मुझे यह आभास हुआ कि वे सिखायी-पढ़ायी बातें दोहरा रहे हैं। वे मेरे पास एक ही निश्चित शिकायत

छोड़ गये कि एक दूधवाले को अपनी भैंसें दुहने से रोका गया या उसे भय था कि रोका जायेगा। प्रान्तीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुन्दरीगर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह पुलिस पक्षपात की एक दर्जन मिसालें दे सकते हैं। मैंने कहा कि वह उन्हें मन्त्रिमण्डल के पास भेज सकते हैं पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैंने ५ सितम्बर में अपने पत्र में लिखा था, यह असम्भव नहीं है कि कुछ नीचे के अधिकारियों ने किसी एक पक्ष के वुलावे पर अधिक ध्यान दिया हो। यह भी कल्पना की जा सकती है कि पिछले उपद्रवों में, जहाँ सामान्यतः शुरूआत हिन्दुओं ने की थी, मुसलमान यह महसूस करते हों कि अधिकारी वर्ग उनकी ओर [हिन्दुओं की ओर] अधिक था। किन्तु मुझे पक्षपात का कोई प्रमाण नहीं मिला। उधर पुलिस के विरुद्ध हिन्दुओं की शिकायतें भी मिली। मेरी समझ में पुलिस ने मुसीबत में फँसे सभी लोगों की भरसक मदद करने की कोशिश की है। यह बात उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं पर हमले ज्यादा हुए हैं और मुसलमानों की अपेक्षा ज्यादा मारे गये हैं, फिर भी मुसलमानों की तुलना में ज्यादा हिन्दू पकड़े गये हैं। खेर [मुख्यमन्त्री] ने कहा कि वह किस सम्प्रदाय के कितने लोग मारे गये, इसके आँकड़े छापने को तैयार है लेकिन मुस्लिम लीग के एक नेता ने उनसे कहा कि वह नहीं चाहते कि खेर ऐसा करें।" (उप., पृष्ठ ५३२-३३)। गवर्नर ने इस धारणा का खण्डन किया कि मन्त्रिमण्डल आरम्भ में मारे जानेवाले हिन्दुओं का बदला लेना चाहता है। मन्त्रिमण्डल यह दिखाने को उत्सुक था कि सभी सम्प्रदाय काग्रेसी शासन में सुरक्षित रह सकते हैं।

(छ) पूर्वी बंगाल में जनसंहार

अन्तरिम सरकार बन गयी और पहले मुस्लिम लीग उसमें शामिल न हुई। शामिल होने से पहले उसने और दगे कराये। इस बार कलकत्ते से दूर पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर दगे हुए। १४ अक्टूबर १९४६ को जवाहरलाल नेहरू ने वाइसराय को लिखा कि पूर्वी बंगाल से रोज़ तार आ रहे हैं जिनमें वहाँ की हालत का दुखद वर्णन होता है। लोग भी आकर मुझसे मिले हैं और वहाँ की घटनाओं का जो हाल सुनाते हैं, वह दिल दहलानेवाला होता है। उनके बयान हितलरी अत्याचार से पीड़ित लोगों के उन बयानों की याद दिलाते हैं जो वे १९३०-४० के दशक में देते थे। "इन सब रिपोर्टों से आपको परेशान करने से मैंने सोचा, कोई लाभ न होगा, क्योंकि बंगाल के बारे में पहले जो कहा, उसका कोई फल न निकला।" (खण्ड ८.; पृष्ठ ७२४-२५)। अब हत्या और लूट की घटनाएँ नोआखाली जिले में फैल गयी हैं। सूचना मिली है कि कई कस्बे और गाँव उपद्रव की चपेट में आ गये हैं। मध्य-वर्ग के परिवार मारे गये हैं, वकीलों की सभा का स्थानोप्य अध्यक्ष मारा गया है। "मैं नहीं जानता कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि हम सबके लिए यह कितना ज्यादा दर्दनाक है।" (उप., पृष्ठ ७२५)। वाइसराय ने हमदर्दी जाहिर की, कहा कि वह गवर्नर का ध्यान रिपोर्टों की ओर आकर्षित कर रहे हैं और अब परिस्थिति कैसी है, यह बताने को उनमें कह रहे हैं।

अन्तरिम सरकार भारत की प्रभुता-सम्पन्न अस्थायी सरकार नहीं थी। वह वाइसराय की कार्यपरिपद थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी न कर सकती थी। इलाहवाद के किसानों पर जब अत्याचार हुए और वे अपने दुख की कहानी नेहरूजी को सुनाने आये, तब भी वह किकर्तव्यविमूढ़ हो गये थे। अंग्रेजी राज ने क्रान्तिकारी उभार को दबाने के लिए जवाबी हमला किया था। अन्तरिम सरकार में शामिल होकर नेहरूजी ने पहलकदमी का अवसर खो दिया था। परिस्थिति से निपटने के लिए पैतरा बदलने, दाँव लगाने का अवसर अब अंग्रेजों के हाथ में था। १५ अक्टूबर को नेहरूजी ने वाइसराय को लिखा, दरअसल मैं गम्भीरतापूर्वक सोचने लगा हूँ कि अन्तरिम सरकार में मेरे रहने से कोई लाभ भी होता है जब भारत का एक महत्वपूर्ण भाग बर्बरता या उससे भी बदतर किसी भीज में डूब गया है। वहाँ से जो समाचार मिले हैं और थोड़ी-थोड़ी देर में मिल रहे हैं, वे विश्वास करने योग्य नहीं हैं। फिर भी वे अधिकतर सही हैं, इसमें सन्देह नहीं है। बंगाल के एक बड़े भाग में कोई सरकार नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, समाज के सबसे घटिया लोगो को मनमानी करने की पूरी छूट मिल गयी है। जनसंहार, आगजनी, जीवित मनुष्यों को जलाना, बलात्कार, बड़े पैमाने पर अपहरण, बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन और तरह-तरह के भयानक काण्ड हो रहे हैं।" (उप., पृष्ठ ७३२)। नेहरूजी ने ठीक सोचा था। अपने देशवासियों की रक्षा करने में, रक्षा करना दूर, उनकी थोड़ी-सी सहायता करने में भी, वह असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। अन्तरिम सरकार में उनके शामिल होने से कोई लाभ होता दिखायी न देता था। उचित यह था कि एक बार गन्ती करने पर वह अन्तरिम सरकार से अलग हो जाते। लेकिन अलग होकर करते क्या? क्रान्ति का मार्ग उन्होंने अपने लिए बन्द कर दिया था। इसलिए अन्तरिम सरकार के पिंजड़े में बन्द रहने को वह मजबूर थे।

यह सारी स्थिति दर्दनाक ही नहीं शर्मनाक भी थी क्योंकि कोई भयानक काण्ड होने जा रहा है, इसका आभास बहुतों को पहले से ही था। वेवल के नाम उस पत्र में नेहरूजी ने आगे लिखा था, "पिछले कम से कम दो-तीन हफ्तों से हमें चेतावनी मिलती रही है कि पूर्वी बंगाल में यह सब होने जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ढाका में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। समय पर उसे रोकने के बदले उसे बढ़ने दिया गया और अब वह दूसरे जिलों में फैल रहा है। बंगाल बहुत दिनों से और बहुत तरह से भारत की अगुवाई करता रहा है, अब वह तेजी से तबाह हो रहा है, बूखड़खाना बन रहा है। जब जनता ऐसे भयानक सर्वनाश की लपेट में आ गयी हो, तब कानूनी जिम्मेदारियों की चर्चा करना छोटी बात है। जाहिर है कि बंगाल सरकार परिस्थिति पर काबू पाने में बिल्कुल असमर्थ है। बहुत ने लोग तो यह भी कहते हैं कि वह काबू पाना ही नहीं चाहती। आप हमें वना चुके हैं कि यह सब प्रान्तीय स्वायत्तता के क्षेत्र में है; उसके बाद गवर्नर और वाइसराय की विशेष जिम्मेदारी है। सम्भव है ऐसा हो, पर मैं जानना चाहूँगा कि जब बड़े इनाकों में और अनिश्चित काल तक ऐसी हालत बनी रहने दी गयी हो जो युद्ध की हालत से बदतर है, तब उन जिम्मेदारी को प्रान्तीय सरकार या

गवर्नर किस तरह निभा रहा है। ऐसा लगता है कि न केवल शासन, बल्कि सामान्य और विशेष जिम्मेदारियाँ, बंगाल के इन हिस्सों में ठप हो गयी है। वहाँ केवल गुण्डों के सरदार, दगाई और दूसरे समाज-विरोधी तत्व ही क्रियाशील रह गये हैं।" (उप.)।

बंगाल के अकाल के बाद वहाँ हत्याकाण्ड हुआ, इस स्थिति पर दुःख प्रकट करते हुए नेहरूजी ने लिखा, कानून और अन्य विशेष जिम्मेदारियाँ तब निरर्थक हो जाती है जब वे परिस्थिति पर नियन्त्रण रखने में पूरी तरह असमर्थ होती हैं। "जिन पर जिम्मेदारी है, उन पर यह जिम्मेदारी भयानक रूप से है। पर यह भयानक जिम्मेदारी हमारे लिए भी है और हमें भी भारत की जनता को उत्तर देना है। जब हजारों आदमियों की हत्या की जा रही हो और उनके साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया जा रहा हो, और हम असहाय होकर देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तब हमारा भारत की अन्तरिम सरकार बनाना कहाँ तक लाभकारी है? मैं बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी तरह इस समस्या का सीधे सामना करना चाहिए वरना सार्वजनिक मंच से विदा लेनी चाहिए।" (उप., पृष्ठ ७३३)। नेहरूजी का क्षोभ सही था। अन्तरिम सरकार बनाने से कोई लाभ न हो रहा था। सार्वजनिक मंच से विदा लेने का समय आ गया था पर विदा देनेवाला कोई था नहीं।

१६ अक्तूबर को वाइसराय की भेंट सरदार बल्लभभाई पटेल से हुई। उसमें वाइसराय ने नेहरू के पत्र की चर्चा की। सरदार पटेल ने पूछा कि उपद्रव ग्यारह को शुरू हुए लेकिन कलकत्ते में किसी को चौदह तक खबर न हुई; ऐसा क्यों हुआ? उन्हें सूचना मिली थी कि सभी पुल तोड़ डाले गये थे और मड़को पर अवरोध खड़े किये गये थे जिससे कि लोग वहाँ न जा सकें जहाँ हिन्दू मारे जा रहे थे। वेवल ने कहा कि सभी पुल तोड़ न जा सकते थे क्योंकि फौज और पुलिस वहाँ पहुँच गयी थी और स्वच्छन्दता से घूम रही थी। "पटेल ने तब कहा कि उनका प्रस्ताव है कि वह स्वयं बंगाल जायें। मैंने पूरी दृढ़ता से कहा, नहीं; वह नहीं जायेंगे। यह प्रान्त का मामला है और केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप नितान्त अनुचित होगा।" (उप., पृष्ठ ७४२)। जिसे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहकर पेश किया जा रहा था, उसके गृहमन्त्री को बंगाल की स्थिति देखने जाने की भी अनुमति न थी। वहाँ जाना ही प्रान्त की स्वायत्तता में हस्तक्षेप था। अन्तरिम सरकार से इसी बात पर त्यागपत्र दिया जा सकता था। वास्तविक सत्ता वाइसराय के हाथ में थी। वह बंगाल जा सकते थे। पटेल ने कहा कि वाइसराय बम्बई जानेवाले हैं; नहीं तो वह करते कि बंगाल जायें। "मैंने कहा कि मेरे जाने में काम बने तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक परिस्थिति से दरअसल ऐसा आवश्यक न हो जाये, तब तक वह गवर्नर के कार्यों में दखल देना नहीं चाहते।" (उप.)। यानी न पटेल को जाने देंगे, न खुद जायेंगे। दंगों का जो राजनीतिक उद्देश्य था, वह वाइसराय की बातचीत से प्रकट हो गया। "तब मैंने कहा कि सही भावना से केन्द्र में मिली-जुली सरकार चलाकर हम साम्प्रदायिक तनाव को रत्म करने का हमें अब सबसे अच्छा अवसर मिला है।" (उप.)। उधर गवर्नर और लीगी

मन्त्रिमण्डल हत्याकाण्ड करा रहे थे, इधर गवर्नर जनरल उनके कार्य में हस्तक्षेप न करके, उसी कार्य के द्वारा कांग्रेस पर जोर डाल रहे थे कि वह सही भावना से मिली-जुली सरकार चलायें, ऐसी सरकार चलाये जिसमें एक ओर अंग्रेजी राज्य के विरोधियों का गुट हो और दूसरी ओर उसके समर्थकों का।

सरदार पटेल ने कहा कि मुस्लिम लीग ने जो नाम चुने हैं, उनसे पता चलता है कि वह सहयोग की भावना से काम नहीं करना चाहती। इस पर वाइसराय ने कहा यदि वह सारे मामले को इस दृष्टिकोण से परखेंगे तो सहयोग न होगा; मिली-जुली सरकार काम करे, यह दायित्व हमारा है। दोनों दलों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना है, नेता जब तक इस अविश्वास को भड़काते रहेंगे तब तक स्थिति में सुधार न होगा।

१९ अक्टूबर को सरदार पटेल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को लिखा और उन्हें याद दिलाया कि जब वह भारत में थे तब उनसे बात हुई थी कि मुस्लिम लीग से समझौता न होने पर साम्प्रदायिक उपद्रव की सम्भावना होगी। “मैंने आपसे कहा था कि बंगाल और सिन्ध को छोड़कर और कहीं उपद्रव सम्भव नहीं है, और आपने कहा था, 'आपको बंगाल के बारे में उरने की जरूरत नहीं है। वहाँ ऐसा गवर्नर है जो गम्भीर उपद्रव होते ही तुरत धारा २३ लागू कर देगा।'” (उप., पृष्ठ ७५०)। इस अपील का कोई असर न हुआ। अपनी स्थिति के बारे में सरदार पटेल ने लिखा, “उस अभाग्य क्षेत्र से भयभीत लोगों के बहुत से पत्र और तार मुझे मिले हैं। वैसी ही चेतावनी वाइसराय और गवर्नर को भेजी गयी है लेकिन यदि सरकार कोई काम करे, तो उसे रोकने के लिए प्रान्तीय स्वयत्तता की आड़ ली जाती है। आप महसूस करेंगे कि किसी भारतीय गृहमन्त्री के लिए दिन पर दिन अपने दफ्तर में चुपचाप बैठे रहना कितना कठिन होगा जब इन अभाग्य और असहाय पीड़ित जनों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की सहायता हेतु उसे सैकड़ों कठण अपीलें और शिकायतें मिलती रहती हैं।” (उप.)। जैसे नेहरूजी असहाय थे, वैसे ही सरदार पटेल असहाय थे। इसका कारण यह था कि अन्तरिम सरकार के कठघरे में दोनों बन्द थे, क्रान्ति के मार्ग से दोनों दूर थे।

२० अक्टूबर को सरदार पटेल ने वाइसराय का ध्यान राजा गजनफर अली के व्याख्यान की ओर आकर्षित किया। जिन्ना ने अन्तरिम सरकार के लिए जिन पाँच आर्दमियों को नामजद किया था, उनमें यह गजनफर अली खाँ भी थे। मुस्लिम लीग किस तरह का आन्दोलन चला रही थी, उसका दूरगामी लक्ष्य क्या था और तात्कालिक लक्ष्य क्या था, यह सब इस भाषण में बहुत स्पष्ट हो गया था। लाहौर के इस्लामिया कालेज के विद्यार्थियों की सभा में राजा गजनफर अली ने कहा, “हम अन्तरिम सरकार में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रिय उद्देश्य के लिए लड़ने को पैर जमाने की जगह मिल जाये। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। खालिस कांग्रेसी सरकार के केन्द्र में कायम होने के बाद देश के बहुत से हिस्सों में जो उपद्रव हुए हैं, उनसे यह तथ्य सन्देह से परे निश्चित हो गया है कि जिस सरकार में दस करोड़ हिन्दुस्तानी मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि शामिल न होंगे, उसकी अधीनता वे

स्वीकार न करेंगे। कांग्रेस जिनना ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है कि मुस्लिम लीग में जो आजादी के लिए उभार आया है, उसे कोई ताकत दबा नहीं सकती। पाकिस्तान की मांग अटल है, वही हमारा आखिरी मकसद है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कायदे आजम जिन्ना के नेतृत्व में हम अपना मकसद हासिल करेंगे। अन्तरिम सरकार में हमारी सारी कार्रवाई कांग्रेस को यह समझा देने-को होगी कि मुस्लिम लीग के सहयोग के बिना हिन्दुस्तान में कोई सरकार चल नहीं सकती और हिन्दुस्तानी मुसलमानों की एकमात्र सस्था लीग है। सीधी कार्रवाई आन्दोलन का एक मोर्चा अन्तरिम सरकार है। मिस्टर जिन्ना जिस मोर्चे पर भी कहेंगे, हम उनके हुक्म पर पूरी मुस्तैदी से वहाँ काम करेंगे।" (उप., पृष्ठ ७५६)। कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध जनआन्दोलन को अहिंसात्मक बनाये रखने पर बहुत जोर देनी आयी थी। लीग का आन्दोलन अहिंसात्मक न था। अंग्रेज सरकार सर्वैधानिक तरीके से सत्ता के हस्तान्तरण पर जोर देती आयी थी। लीग का आन्दोलन सर्वैधानिक नहीं था। अंग्रेजों की सहायता के बिना लीग कोई भी असर्वैधानिक आन्दोलन न चला सकती थी। संविधानवादी अंग्रेज इस असर्वैधानिक आन्दोलन का पूरा जोर अहिंसावादी कांग्रेस पर डाल रहे थे और कांग्रेस के पास उसका जवाब न था।

गजनफर अली के भाषण का उल्लेख करने के बाद सरदार पटेल ने पूछा, "क्या अन्तरिम सरकार दलगत राजनीति और पंतरेवाजी का अखाड़ा बनेगी जिसमें कि वह वॉटवारे की बात फिर चलाये जिसे दूरगामी योजना ने हमेशा के लिए उठा दिया है और जिसकी जगह उन सूबाई गुटों की बात कही है जो स्वेच्छा से बनेंगे?" (उप., पृष्ठ ७५५)।

२२ अक्टूबर को नेहरूजी से वाइसराय की भेंट फिर हुई। वाइसराय ने पूर्वी बंगाल और साम्प्रदायिक तनाव की बात कही। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए आशा का एक ही मार्ग सुझाया कि मिली-जुली सरकार केन्द्र में सफलता से चलायी जाये, नेता अपने अनुयायियों में कहें कि वे दगे न करें। नेहरूजी ने कहा कि मिली-जुली सरकार ठीक से चले तो अच्छा है लेकिन इसके लक्षण नहीं दिखायी देते; उन्होंने इस सन्दर्भ में गजनफर अली के अलावा लियाकत अली के भाषण का भी हवाला दिया। (उप., पृष्ठ ७६४)। लियाकत अली ने २० अक्टूबर को कराची में कहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि लीग अन्तरिम सरकार में शामिल हो, इसीलिए लीग शामिल हो गयी है। लीग का ऐसा करना सीधी कार्रवाई वाले प्रस्ताव के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों का उद्देश्य पाकिस्तान है और उसके लिए आखिरी लड़ाई की तैयारी करने में मुसलमानों को थोड़ी भी गफलत न करनी चाहिए। (उप., पृष्ठ ७७९)। नेहरूजी ने २३ अक्टूबर को वाइसराय को लिखा कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल होती है तो उसका अर्थ यह है कि कैबिनेट मिशन ने १६ मई के बयान में जो दूरगामी योजना बनायी थी, उसे वह मानती है। यह बात वाइसराय को और जिन्ना को लिखे हुए पत्रों में स्पष्ट बर दी गयी थी। जिन्ना और उनकी कार्यकारिणी ने वह बयान स्वीकार नहीं किया और वे कुछ और आदवासन चाहते हैं। आदवासन तो मुस्लिम

लीग हमें दे कि उसके आदमी अन्तरिम सरकार में सहयोग की भावना से काम करेंगे। ग़ज़नफ़र अली ख़ाँ और लियाक़त अली ख़ाँ के भाषण जिस कार्यक्रम की तरफ संकेत करते हैं, वह अन्तरिम सरकार में सहयोग और सामंजस्य से उलटों दिशा में हैं। नेहरूजी ने दो बातों पर स्पष्टता चाही। पहली यह कि मुस्लिम लीग १९ मई के बयान में बतायी हुई योजना मानती है या नहीं, दूसरी यह कि ग़ज़नफ़र अली और लियाक़त अली का अन्तरिम सरकार के प्रति दृष्टिकोण लीग का दृष्टिकोण है या नहीं।

इसके बाद बंगाल का हवाला देते हुए लिखा, "आप जानते हैं, पूर्वी बंगाल की दुःखद घटनाओं से हम लीग कितना ज्यादा पीड़ित और व्यथित हुए हैं। कल यहाँ [सीमान्त क्षेत्र से] लौटने पर पूर्वी बंगाल से मिलने वाली दुःख भरी सूचनाओं से त्रस्त हो गया हूँ। सभी बयानों को तसदीक करना मुमकिन नहीं है। बहुत सम्भव है कि अतिरंजित बातें कही गयी हो। इतना मान लेने के बाद भी जो कुछ बच रहता है, वह भयानक है और उसकी भयानकता बहुत बड़े पैमाने की है। सारा भारत हिल उठा है। हमें असम से सूचनाएँ मिल रही हैं कि नोआखली जिले से हजारों शरणार्थी प्रतिदिन वहाँ पहुँच रहे हैं।" (उप., पृष्ठ ७७९)।

२३ अक्टूबर को नेहरूजी ने वाइसराय को फिर लिखा, "राजा ग़ज़नफ़र अली ख़ाँ ने १९ अक्टूबर को लाहौर से एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वी बंगाल में जो कुछ हुआ, वह पाकिस्तान के लिए लड़ी जानेवाली अखिल भारतीय लड़ाई का हिस्सा है। पूर्वी बंगाल में जो कुछ हुआ है और हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी है या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया है, इनका वास्तविकता से कोई विशेष सम्बन्ध है, इसमें मुझे बहुत सन्देह है। मिस्टर के.सी. नियोगी पूर्वी बंगाल के रहनेवाले हैं, घटनाओं को देखने और उनके बारे में लिखने की योग्यता उनमें है। उनकी तैयार की हुई रिपोर्ट मैंने अर्धा देखी है। इसमें उनका कहना है कि 'जिस अव्यवस्था को विशुद्ध गुण्डागर्दी का नाम दिया गया है, वैसे वह है नहीं। यह संगठित आक्रमण है जिसे मुस्लिम लीग ने आयोजित किया है और सरकारी हाकिमों के सक्रिय सहयोग से वह अमल में लाया गया है।' उन्होंने आगे यह भी कहा है, हमला ऐसे लोगों ने किया है जो फौजी ढंग से दल बनाये हुए थे और बन्दूकों तथा दूसरे घातक हथियारों से लैस थे। सड़कें खोद डाली गयी हैं और आवाजाही के दूसरे मार्ग काट दिये गये हैं जिससे कि न कोई भीतर जाए न बाहर आये। नहरों पर नाकेबन्दी की गयी है, महत्व की जगहों पर हथियारबन्द बलवायी पहरा देते हैं। सन्दीप के बारे में स्टेट्समैन की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके (मदान्ध भीड़ के) एक हिस्से को नोआखली जिले के 'अधिकृत' इलाके की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया है, कानूनी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करके और भी गैरकानूनी कार्यवाही से वहाँ की 'प्रजा' को त्रस्त करने के लिए छोड़ दिया गया है।" (पृष्ठ ७८२)।

नेहरूजी ने आगे कहा कि सरकारी हाकिम खुद ही गैर-कानूनी कामों में

गामिन है, इसलिए उनही रिपोर्टों में उपद्रव को कम करके दिखाया गया है और नूठा विवरण भेजा गया है, इसमें आदमों नहीं। नेहरूजी ने राष्ट्र मंच की बैठक में भाग लेने के लिए नियोगों को प्रतिनिधि बनाया था और वह जाने को तैयार थे। बाद को उन्होंने विचार बदल दिया और कारण बताया कि पूर्वी बंगाल में हालत बिगड़ती जा रही है और निकट भविष्य में मुस्लिम लीग हमला करनेवाली है। हर आदमी इस हमले में जागीरदार था; नियोगी भी अपना परिवार छोड़कर न जाना चाहते थे। "हम मंत्रों को इस तरह की पत्राचारों के माध्यमों मिली और बंगाल की सरकार यह जानती रही होगी, इसमें गन्देह नहीं। किन्तु उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया।" (उप., पृष्ठ ७८३)।

नेहरूजी केवल वाइसराय से अपील कर सकते थे कि पूर्वी बंगाल को विभाषिका की समाप्त किया जाये, वह स्वयं अपने को असहाय अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा था, "वहाँ के लोग अन्तरिम सरकार की ओर निरुपय होकर देख रहे हैं और हमने आशा करते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि आपमें मालूम हुआ है कि यह सब आपकी विशेष जिम्मेदारी है। वही चीज पढ़ें गयी है और निस्सन्देह कुछ अच्छा काम करेगी। यदि स्थानीय नागरिक प्रशासन बाधा डालेगा तो यह कितना सही ढंग से काम कर सकेगी, मैं नहीं जानता। बार-बार बंगाल में अभूतपूर्व भयानक परिस्थिति आ जाती है। फिर भी वही प्रशासन की मशीन और विशेष जिम्मेदारियाँ कार्य-शील बनी रहती हैं। जिस चीज ने पहले इतनी बार जनता से दया की है और जिसमें उमका रती भर विश्वास नहीं रह गया, उमका भरोगा यह कैसे कर सकती है?" (उप.; पृष्ठ ७८३)।

पूर्वी बंगाल की घटनाओं के कारण अन्तरिम सरकार में किस तरह की खोबतान चल रही थी, इसकी झलक भारत-सचिव को भेजे हुए ३० अक्टूबर के वाइसराय के विवरण में मिलती है। जिस दिन लीग के नये सदस्यों को शपथ दिलायी गयी, उसी दिन सरदार पटेल ने प्रस्ताव किया कि केन्द्र, सविधान के बावजूद, बंगाल का प्रायः सारा भार सम्भाल ले और कम-से-कम बंगाल के सार्वभूमण्डल को तो बर्खास्त कर ही दे। "ऐसे प्रस्ताव पर बहस होती तो विभाषिका सरकार की धुर्रुआत को ही इगगे ज्यादा तगडा झटका देनेवाली पूरारी बात हो सकती थी। स्वभावतः मैंने निश्चित रूप से मना कर दिया कि कोरिसिल के सामने यह मामला न रखा जायेगा। फिर भी इससे जातीय विवाद की बहुत कुछ जो कभी-कभी कड़वी भी हो गयी। यह बहम नेहरू, पटेल और राजगोपालाचारी से हुई। राजगोपालाचारी ने कानूनी ढंग से यह सारित करने की कोशिश की कि कैबिनेट को इस मामले पर विचार करने का अधिकार है। यह जायजना विचार-सिला चलता रहेगा। सामने ही कोई दिन जाता तो जब मन्त्रिमण्डल का कोई न कोई अधिकार कालेस अपने लिए हथियाने की कोशिश में पकड़ी तो। किसी न किसी दिन टपकर ही रह रहेगी।" (उप., पृष्ठ ७८४)।

यदि सामने पर जायजतावादी दृष्टि से विचार किया जाय तो जहाँ इतना बड़ा जनसहार थागाया गया हो, वहाँ जायजतावादी सरकार में बसती बर्खास्त

अन्वय की बात न हो सकती थी। यदि कानून की बात थी तो राजगोपालाचारी ने जो कानूनी नुक्ता उठाया था, उसका जवाब देना चाहिए था। वाइसराय इस बात पर बहुत जोर देते थे कि सत्ता का हस्तान्तरण संवैधानिक तरीके से हो। लेकिन कांग्रेसी नेता जब कानूनी दावपेंच लगाते थे तब फ्रीड मार्शल वेबल नाराज हो जाते थे। उनके विवरण से उनकी सारी कार्यनीति का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्य यह था कि मिलीजुली सरकार कायम रहे और कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता करके उसकी माँगें स्वीकार करती जाये। इसी दस्तावेज में वेबल ने कैबिनेट के भीतर दो गुटों (ब्लॉक) का उल्लेख किया है। जहाँ दो परस्पर-विरोधी गुट हों, वहाँ कैबिनेट मिलकर कैसे काम कर सकती है, सोचने की बात है। मिलकर काम करने का अर्थ था कांग्रेस को यथासम्भव झुकाओ; जब मिलकर काम करना सम्भव न रहेगा तब शान्तिपूर्वक सत्ता पाने के उम्मीदवार विभाजन की माँग स्वीकार करेंगे ही।

पूर्वी बंगाल में जो कुछ हुआ, उसका विवरण बंगाल के गवर्नर ने भी प्रस्तुत किया था। १६ अक्टूबर के विवरण में कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं। नोआखली में साम्प्रदायिक स्थिति पिछले एक पखवारे से बिगड़ रही थी। मुसलमानों की आम सभाएँ हो रही थी जिनमें उनमें कौमी-दस्तो (नैशनल गार्ड) में भर्ती होने को कहा जाता था। कुछ भाषण बहुत ही उत्तेजक थे। हिन्दुओं के आर्थिक बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया। जो मुसलमान हिन्दुओं से सामान खरीदते देखे गये, उन्हें पीटा गया। दस अक्टूबर को रामगंज थाने में गड़बड़ शुरू हुई। यह स्थान नोआखली के उत्तर-पश्चिम में है। वहाँ से उपद्रव फैला और इस समय स्थिति यह है : मुसलमान गुण्डों के बड़े-बड़े दल इधर-उधर घूम रहे हैं, हिन्दुओं को आतंकित करते हैं, लूटमार, आगजनी और हत्याएँ करते हैं, अपहरण करते हैं और बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन करते हैं। गाँवों को घेर लिया गया है और डरा-धमकाकर पैसा और लूट का माल बसूल किया गया है। ये दल संगठित जान पड़ते हैं। कई जगह सड़कें काट दी गयी हैं। वर्ष में इस समय आयाजाही के साधनों में कठिनाई पैदा हो जाती है। यह कठिनाई और भी बढ़ गयी है। ज्यादातर नाव से आने-जाने का काम होता है। इस काम में बाधा पड़ने से कार्यवाही [यानी परिस्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए आवश्यक कार्यवाही] में अड़चन होती है। दक्षिणी भाग में भी बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी सख्या में शरणार्थी चल पड़े हैं। (उप., पृष्ठ ७४३)।

पाठक देखें कि नेहरूजी ने और सरदार पटेल ने स्थिति का जो विवरण वाइसराय के सामने पेश किया था, उससे इस विवरण में मौलिक अन्तर नहीं है। सत्कार-साधन अस्त-व्यस्त है और बड़े पैमाने पर हत्या और लूटपाट की घटनाएँ हो रही हैं, यह मुख्य बात है। स्वभावतः मुस्लिम लीग ने इस सबके लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। बंगाल के गवर्नर ने १७ अक्टूबर को भारत-सचिव के नाम तार भेजा कि मुस्लिम लीग यह नहीं मानती कि उसने दंगों की शुरुआत की और उन्हें जारी रखा। (उप., पृष्ठ ७४५)। किन्तु बंगाल से बाहर मुस्लिम लीग के नेता गर्व में इस नरसंहार की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे थे और कह रहे

थे कि कांग्रेस ने उनकी बात न मानी तो इस तरह के काण्ड और होंगे। बंगाल मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल था। काफी दिन से तैयारी हो रही थी, यह गवर्नर के विवरण से भी स्पष्ट है। किन्तु यदि मुस्लिम लीग इस हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार नहीं थी तो उससे यही सिद्ध होता है कि परिस्थिति पर उसका नियन्त्रण नहीं था और उसे बर्खास्त करने की मांग उचित थी। २० अक्टूबर के दस्तावेज में गवर्नर ने भारत-सचिव को बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल में जो कुछ हुआ है, वह हिन्दुओं के विरुद्ध व्यापक अभियान नहीं है। यह काम गुण्डादलों का है जो वर्तमान साम्प्रदायिक तनाव से लाभ उठा रहे हैं। ये जब देहात में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, तब स्थानीय गुण्डे उनके साथ हो जाते हैं। फौज की पाँच टुकड़ियाँ और ३०० हथियारबन्द पुलिसकार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उपद्रव को और अधिक फैलने से रोका जाये। आवाजाही के साधनों में कठिनाई होने से कार्यवाही धीमी है। दगाड़ों के मुख्य दल से सम्पर्क कायम करना मुश्किल है। (उप., पृष्ठ ७१३)। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गुण्डा-दलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो उनका दमन करने की बात कहते हैं, कठिनाई उन्हीं के लिए है। नतीजा यह निकलता है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों की साँठगाँठ के बिना इतने बड़े पैमाने पर ऐसा भयानक काण्ड हो ही न सकता था। जो कुछ हुआ, उसे दगे कहना गलत है। कलकत्ते में दगे हुए; दोनों तरफ के लोग मारे गये। यहाँ की स्थिति भिन्न थी, यह मगडित लूटपाट और जनसहार का अभियान था जिसमें एक पक्ष प्रचल था और दूसरा पूरी तरह असहाय था।

(ज) बिहार और पंजाब में बंगाल की प्रतिक्रिया

यह स्वाभाविक था कि बंगाल की प्रतिक्रिया भारत के अन्य प्रदेशों में हो। सबसे निकट बिहार प्रान्त था। २० सितम्बर १९४६ को भारत-सचिव ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ऐटली को वाइसराय की उस योजना के बारे में लिखा था जो भारत में शासन-कार्य ठप्प होने पर काम में लायी जाती। शासनकार्य राजनीतिक कारणों से ठप्प हो सकता था अथवा शासनतन्त्र का ह्रास हो जाने पर ठप्प हो सकता था। (खण्ड ८; पृष्ठ ५५०)। वाइसराय ने प्रस्ताव किया था कि सबसे कठिन समस्या सम्भवतः बिहार और सयुक्त प्रान्त की होगी। "यही पर हमारे नियन्त्रण के खत्म होने का सबसे ज्यादा तात्कालिक खतरा है। पहले जो योजनाएँ बनायी गयी हैं, उनमें इसी कारण इन प्रान्तों से हट जाने की बात कही गयी है।" (उप., पृष्ठ ५५३)। भारत-सचिव की राय थी कि जब तक इन प्रान्तों पर नियन्त्रण बना रहेगा, तब तक उत्तर भारत की सचार-व्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण बना रहेगा। इस नियन्त्रण के अभाव में उत्तर भारत पर अंग्रेजी प्रभुता न रह जायेगी।

यदि बिहार में साम्प्रदायिक तनाव बढ जाये तो मानी बात है, उत्तर भारत पर आवश्यक समय तक अंग्रेजों को नियन्त्रण कायम रखने में मुविधा होगी। नोआखली के वाद बिहार में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा। २६ अक्टूबर को बिहार

क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबी हमला / ५

के गवर्नर ने वाइसराय को समाचार भेजा कि मुस्लिम लोग के अन्तरिम सरकार में शामिल होने से हिन्दू नाराज हो गये हैं। लोग कहते हैं कि यह सब जाल वाइसराय और ब्रिटिश अधिकारी वर्ग ने विछाया है; कार्यपरिपद् में झगड़े पैदा किये जायें; जो अधिकार छिन गये हैं, वे कुछ न कुछ फिर वापस मिल जाएंगे। साम्प्रदायिक स्थिति पहले ही खराब थी। इस तरह की दुष्ट आलोचना से हालत और खराब हो गयी है और दुर्भाग्य से बगाल की घटनाओं से इसमें सहायता मिली है। “कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट तथा दूसरे अतिवादी सगठन इस सबसे लाभ उठाने को कसर कसे बैठे हैं। मेरे मन्त्रीगण खतरा जरूर देखते होंगे लेकिन उनमें कारगर कदम उठाने का साहस नहीं है। जयप्रकाश नारायण फिर देहात के दौरे पर हैं और पुलिस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि पुलिस के जवान भले आदमी हैं। ‘आनेवाली लड़ाई’ में देश उनका भरोसा कर सकता है लेकिन इन्स्पेक्टर जनरल से लेकर असिस्टेंट सव-इन्स्पेक्टर तक सारे अफसर बेईमान हैं और उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। रामानन्द तिवारी खुलेआम पुलिस के सिपाहियों को भड़का रहे हैं कि वे हड़ताल करें और अपने अफसरों का हुकुम न मानें। पुलिस का हर ऊँचा अफसर खतरे की ओर संकेत कर रहा है और आदेश की राह देख रहा है। महीने भर से मन्त्रिमण्डल को मालूम है कि उसे कार्यवाही करनी है लेकिन जब भी आदेश के लिए फाइल पहुँचती है तो उस पर केवल यह लिखा जाता है, ‘इस पर हम लोग आपस में बात कर लें’, और बातचीत अगली बैठक के लिए टाल दी जाती है। मेरे मुख्यमन्त्री ने मुझे बताया है कि वह इस समस्या पर दिल्ली में पटेल से और अन्य मुख्यमन्त्रियों से बातचीत करेंगे पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। वह शिमला में महीने भर की छुट्टी बिताकर अभी लौटे हैं। मौका मिलते ही इस बारे में उनसे फिर बात करूँगा। किन्तु मुझे भय है कि वह टालमटूल करेंगे जिससे कि कुछ समय और भी गुजर जाये और कार्यवाही की जरूरत न रहे।” (उप., पृष्ठ ८१२-१३)।

गवर्नर ने साम्प्रदायिक तनाव को साम्राज्यविरोधी लड़ाई से मिलाकर किस तरह एक कर दिया है, ऊपर के बयान में यह देखते ही बनता है। उनके अनुसार सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट साम्प्रदायिक तनाव से लाभ उठा रहे हैं मानो दंगा करनेवालों का लक्ष्य अंग्रेजी राज्य को घात करना हो। गवर्नर की असली परेशानी का कारण यह है कि जयप्रकाश नारायण आनेवाली लड़ाई की बात कर रहे हैं। यह लड़ाई हिन्दुओं और मुसलमानों की नहीं है; यह लड़ाई अंग्रेजों से है और उसकी तैयारी करने के लिए वह पुलिस के जवानों से अपीलें कर रहे हैं। रामानन्द तिवारी पुलिसमैनो से हड़ताल करने को कह रहे हैं। यह हड़ताल एक सम्प्रदाय द्वारा दूसरे के खिलाफ नहीं है, इसी से गवर्नर को परेशानी है। बिहार में क्रान्तिकारी उभार इतना शक्तिशाली है कि वहाँ के समझौतावादी मुख्यमन्त्री कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। सरदार पटेल केन्द्र में हैं, मुख्यमन्त्री उनसे बिहार की परिस्थिति के बारे में बात करें तो प्रान्तीय स्वायत्तता में बट्टा न लगेगा !

गवर्नर ने आगे बहुत स्पष्ट रूप से किसानों के जमींदार-विरोधी अभियान

को भूमि-गुधार की बातें कर रहे थे और निर्धन किसान ज़मींदारों को भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गवर्नर फौजी अफसरों से सम्पर्क बनाये हुए थे। पूर्वी बंगाल के गवर्नर को पता न था कि कब कहाँ उपद्रव होगा, कौन फौज भेजी जाएगी, पर यहाँ, बिहार में, वर्ग-सर्पण की बात थी; एक बार किसान लड़ाई में शामिल हो गये तो अंग्रेजों की मारी साम्प्रदायिक कूटनीति हवा हो जाएगी। जनवरी १९४६ में जनता का प्रान्तिकारी उभार और साम्राज्यवाद का साम्प्रदायिक प्रान्तियिरोध आमने-सामने थे। गवर्नर ने लिखा, "मन्त्री ने प्रस्ताव किया है कि ज़मींदारी रद्द की जाये। हमें किसानों और ज़मींदारों के बीच दगड़े पैदा हो रहे हैं। साम्प्रदायिक समस्या में भी अधिक ये दगड़े कई इलाकों में परेशानी का कारण बन रहे हैं। अगले कुछ महीने गम्भीर दगों और रक्तपात के बिना बीत जायें तो हम सचमुच भाग्यशाली होंगे। मुजफ्फरपुर डिवीजन के मन्त्र की यही राय है जोर में महमत है। यहाँ तनाय सबसे ज्यादा है। जनरल फ्रिंकिन बिहार-उड़ीसा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं। सम्भावित घटनाओं के प्रति मैं उन्हें सूचित करना रहता हूँ। मैं नियमित रूप से हर हफ्ते उनसे मिलता हूँ; वह सूत्रबद्ध का परिचय देते हैं और अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आशा की किरण यही है कि मेरे मालगुजारी के मन्त्री कृष्ण बल्लभ सहाय अब खुद यह समझने लगे हैं कि जल्दबाजी से और ऊलजलूल प्रचार में कौंग सतरा पैदा हो सकता है। अब वह रफतार थोड़ा धीमी कर रहे हैं। पता चला है कि अब इस बारे में अगले साल काफी समय बीतने पर ही कानून बनाने का प्रस्ताव लायेंगे। जो उन्होंने आग मुलगायी है, कम-से-कम अब उसे भडका नहीं रहे हैं। उन्होंने एक गर्ती पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अफसरों ने कहा है कि वे धारा १०७ ताजीरात हिन्दू के अनुसार निवारक कार्योंवाही करें। वह कहते हैं कि इससे उपद्रव शुरू होने से पन्ने ही दवा दिया जाएगा और हिंसा को भड़कने न दिया जाएगा।" (उप., ५ = १४)। कांग्रेसी मन्त्री जो कानून बनाना चाहते थे, उसका सम्बन्ध ज़मींदारी हटने से था। मन्त्री ने जो ऊलजलूल प्रचार किया था, उसका सम्बन्ध किसानों किये हुए वादों से था कि सत्ता हाथ में आते ही ज़मींदारी प्रथा खत्म कर दें जाएगी। अंग्रेजों के दबाव से कांग्रेसी मन्त्री अपनी रफतार धीमी करने को तैयार हो गये थे। जिस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने गर्ती पत्र जारी किया था, वह साम्प्रदायिक दगोंवाली हिंसा नहीं थी, वह वर्गसर्पण की हिंसा थी जिसके लिए ज़मींदारों और अंग्रेजी राज्य की कानूनी व्यवस्था जिम्मेदार थी।

पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया मुद्दर पंजाब में हुई। उससे पहले अन्तरिम सरकार बनने पर पंजाब के गवर्नर ने वाइसराय को बताया कि मुसलमान समझते हैं कि अन्तरिम सरकार बनने से सत्ता हिन्दुओं के हाथ में आ गयी है; हिन्दू इसका उपयोग सारे भारत में मुसलमानों को दवाने के लिए करेंगे और गवर्नर जनरल उन्हें रोक न पायेगा। मुसलमानों के अखबार जहर उगल रहे हैं, मस्जिदों में नमाज के समय कट्ट भाषण दिये जाते हैं। "२४ अगस्त को सर शफात अहमद खॉं के अपर जो कातिलाना हमला हुआ, वह बेशक एक बहुत व्यापक भावना जाहिर करता

है।" (उप., पृष्ठ ३७१)। गवर्नर का विचार था कि लोग और कांग्रेस दोनों ही
 नली-जुली और
 भास नारायण)
 हिंसात्मक क्रान्ति का प्रचार करते रहे हैं। इसमें सार्वजनिक इमारतों और पुलिस
 थानों पर कब्जा और अफसरो को हत्या शामिल है। कांग्रेसी सोशलिस्टों का
 निकट सम्बन्ध कांग्रेस के हाईकमान से है। इनसे और वायें हटकर कम्युनिस्ट हैं।
 इस समय मजदूरों और किसानों में जो बेचैनी है, उसकी तह में कांग्रेसी सोशलिस्टों
 की तरह वे कम्युनिस्ट हैं और वे किसी भी उपद्रव से लाभ उठावेंगे। मन्त्रिमण्डल
 कम्युनिस्टों और कांग्रेसी सोशलिस्टों दोनों से डरता है और उसका सारा ध्यान
 उन्हें किसी तरह सन्तुष्ट किये रहने पर है। मजबूत सरकार होती तो महीनों पहले
 उनसे निपट सकती थी।" (उप., पृष्ठ ३७४)।

पंजाब की सरकार कांग्रेसी न थी, मुस्लिम लीग भी न थी। वह यूनियनिस्ट
 पार्टी की सरकार थी। मुख्यमन्त्री खिज़र हयात खाँ थे। वह अंग्रेजों के भक्त थे
 क्योंकि वह युद्धकाल में मुख्यमन्त्री बने थे। अंग्रेजों के भक्त का मन्त्रिमण्डल
 कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के आन्दोलन से भयभीत था। बिहार में कांग्रेसी
 मन्त्रिमण्डल था, वह भी वामपक्षी आन्दोलन से भयभीत था। व्यवहार में वाम-
 पक्षी एकता मजबूत हो रही थी। अंग्रेजों को सबसे बड़ा भय इस एकता से था।
 बिहार से लेकर पंजाब तक वामपक्षी नेता क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाने के लिए
 जनता को एकजुट कर रहे थे। स्वभावतः अंग्रेज जयप्रकाश नारायण की भूमिका
 से चिन्तित थे।

पहली सितम्बर को जब वाइसराय से नेहरूजी की मुलाकात हुई, तब
 वाइसराय ने पूछा, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हो गये हैं;
 इसका अर्थ क्या है? जयप्रकाश संविधानवादी हो गये हैं या कार्यकारिणी
 क्रान्तिकारी होने जा रही है? "नेहरू हँसे और बोले, 'आशा है कि दोनों'। फिर
 उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण बड़े भले आदमी हैं और दरअसल हिंसा के
 प्रति उनका रुझान बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि इधर जो पंजाब में भाषण दिये
 हैं, उन्हें हिंसा और क्रान्ति के लिए उकसानेवाले के अलावा और कुछ नहीं कहा
 जा सकता। जिन्होंने उन भाषणों को सुना, उन्होंने निस्सन्देह इसी रूप में ग्रहण
 किया। उन्होंने [नेहरू ने] कहा कि वह समझते हैं कि भाषणों की रिपोर्ट ठीक
 नहीं छपी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मेरी उनसे [जयप्रकाश से] मेंट हो।"
 (उप., पृष्ठ ३८३)।

५ सितम्बर को वाइसराय की मेंट वल्लभभाई पटेल से हुई। उस मेंट में
 वाइसराय ने फिर जयप्रकाश की चर्चा की और कहा कि वह कांग्रेस की कार्य-
 कारिणी में ले लिये गये हैं। पंजाब में उनके भाषणों के लिए कहा कि वे स्पष्ट रूप
 से क्रान्ति और हिंसा के लिए उकसावा पैदा करते हैं। "वह [पटेल] सहमत थे।
 उनके मुखे यह आभास मिला कि उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को कार्य-
 कारिणी में इसलिए लिया है कि उनका मुंह बन्द रखने की कोशिश करें। उन्होंने
 कहा कि जब तक वे कार्यकारिणी में हैं, तब तक वे शान्त रहेंगे।" (उप., पृष्ठ

४१६) । अंग्रेज जयप्रकाश नारायण से परेशान थे। बिहार के अलावा पंजाब में उनके बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान थे। वाइसराय काग्रेसी नेताओं पर जोर डाल रहे थे कि वे जयप्रकाश को निष्क्रिय कर दें। काग्रेसी नेता शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण के पक्ष में थे। उन्हें विद्वत्ता या कि काग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद जयप्रकाश काग्रेसी नीति के विरोध में कोई कार्य न करेंगे। बिहार के गवर्नर भी इस बात से प्रसन्न थे कि जयप्रकाश नारायण काग्रेस की कार्यकारिणी में फँस लिये गये हैं (has been roped) क्योंकि उसमें शामिल होने के बाद वह काग्रेस पर तुला आक्रमण नहीं कर सकते, हिंसा बढ़काने का काम नहीं कर सकते। किन्तु बिहार के मुख्यमंत्री का विचार था कि वह अब भी ऐसा करते रहेंगे।

२६ अक्टूबर को लाहौर के छात्रों ने नोआखली दिवस मनाया, 'मून का बदला मून से लेंगे' आदि नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। पंजाब के गवर्नर के अनुसार सर गोकुलचन्द नारंग जैसे लोग मुस्लिमविरोधी भावना बढ़ा रहे थे। (उप., पृष्ठ ८४६)। २६ अक्टूबर को बिहार के गवर्नर ने भारत-सचिव को तार दिया कि नोआखली के हताहतों से सहानुभूति दिखाने के लिए २५ अक्टूबर को छपरा में साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया। छपरा में शान्ति है लेकिन आसपास के गाँवों में दंगा फैल गया है। २८ अक्टूबर को भागलपुर में दंगा हुआ। मुंगेर में भी टक्कर हुई। (उप., पृष्ठ ८२१)। बिहार और पंजाब दोनों जगह शान्तिकारी आन्दोलन को दबाने में अंग्रेज सफल हुए। एक जगह दंगा हुआ या अधिकारियों ने जनसंहार कराया, उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई, दूसरी की प्रतिक्रिया तीसरी जगह हुई, सिलसिला चालू हो गया और अंग्रेजों ने पैन की माँग ली।

(क) नेहरू और सीमान्त प्रदेश

अन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद जवाहरलाल नेहरू सीमान्त प्रदेश और पठान कबीलों के क्षेत्र की यात्रा करना चाहते थे। वाइसराय न चाहते थे, पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर न चाहते थे कि वह यात्रा करें। वाइसराय के अनुसार काग्रेस हाई कमान के जो नेता ज्यादा ममत्तदार थे, उन्होंने भी उन्हें जाने में रोक ली। (खण्ड ८; पृष्ठ ७६६)। पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर के अनुसार मुस्लिम लीग के नेता पठान कबीलों में प्रचार-कार्य के लिए जाने को उरमुक्त थे। गिगतम्बर के अन्त तक गवर्नर उन्हें रोक रहे। कबीलों ने उदात्त कहा था कि वह न काग्रेस के चक्कर में पड़ें न लीग के; जब दोनों पार्टियाँ संविधान मन्त्रालय में आ जायें, तब उनसे बातें करें। जब नेहरू विदेश विभाग की दायरे में आये तो उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता चौकन्ने हुए और उन्होंने अपने प्रचारक भ्रमण का निन्दक किया। इनमें मेंकी का मुल्ला भी था। गवर्नर ने सोचा कि उंग रोकने के लिए पकड़ना होगा; दमंग टक्कर के लिए कबीलों से जायगी। जब यह निश्चित हो गया कि नेहरू वहाँ बहुत गुस्से में आये थे, तब मुस्लिम लीग ने अपना प्रचार अभियान तब किया और नेहरू के आने में टीका पढ़ने लगे। नेहरू ने कवायली इलाकों का दौरा किया। "इसमें गन्दे नहीं कि इन कवायली धर्मान्वय भावना को काटो उनाया गया। जो पॉलिटिशन एग्जम्पल के लिए उनाया गया।"

शान्ति का उभार और अंग्रेजों का प्रभाव

काम कर रहे थे और कबीरों के जो आदमी त्याग समझदार थे, उन्होंने मुल्ता को बहुत समझाया कि कयायती इलाकों में न जायें पर वे सफल न हुए। मेरी समझ में जैगी परिस्थिति थी, और चूंकि नेहरू का दौरा तय था और उमरा उद्देश्य काप्रेसी लक्ष्य को जागे बढ़ाना था, उममें लीग के प्रचारकों को कयायती इलाकों में जाने से सश्रित रूप से रोकना मजबूत होता और ऐसा करने में अवश्य ही उपद्रव होता।" (उप., पृष्ठ ७८७)।

गवर्नर के विवरण से स्पष्ट है कि नेहरू के अंश में पहले मुस्लिम लीग ने धर्मान्य भावनाएँ उभारी। गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध लीग के प्रचारक कयायती इलाकों में न जा सकते थे। गवर्नर की भय था कि लीग के प्रचारकों को रोकने में उपद्रव होगा। वाइसराय सरदार पटेल को बगान जाने में रोक मजबूत था, सीमान्त प्रदेश का गवर्नर मही के मुल्ता को कयायती इलाकों में जाने में रोकना उचित न समझता था। इसमें एक ही परिणाम निकलता है कि मुस्लिम लीग के नेता और गवर्नर मिलकर काप्रेस-विरोधी अभियान चला रहे थे। यदि पश्चिमोत्तर प्रदेश सान अब्दुल गफ्फार साँ के प्रभाव में बना रहे और पाकिस्तान में शामिल न हो, तो ब्रिटिश कूटनीति का सारा मूल विगड़ जायेगा। दो जगह गवर्नर के अनुसार पत्थर फेंके गये। दूसरी जगह नेहरू, श्री साहब और अब्दुल गफ्फार साँ सभी के चाटें आयी और उपद्रव में बचने के लिए गोली चलाना पड़ी। "इसमें सन्देह नहीं है कि लीग ने इन सारे प्रदर्शनों का आयोजन किया था। लीग हथियार-बन्द न थे; वे काले झण्डे लेकर आये थे। लेकिन जहाँ प्रदर्शन पहाड़ियों पर हुए, वहाँ पत्थर फेंकने का आरुपण उन पर हावी हो गया और कान के टूटने में वे सतरनाक हो गये।" (उप., पृष्ठ ७८६)।

अब्दुल गफ्फार साँ के आश्रम में सारे प्रदेश के लालकुर्तीवाले स्वयमेवक एकत्र हुए थे। लीग चाहती थी कि विरोधी प्रदर्शन आयोजित करे और सम्भवतः दोनों दलों में जमकर लड़ाई होती। "शोभाग्रयवश किमी अज्ञात कारण से लीग ने यह योजना आखिरी क्षणों में रद्द कर दी। या तो उन्होंने अनुभव किया कि वे सत्या में कमजोर पड़ेंगे और लालकुर्तीवाले प्रदर्शनों में यहाँ निपट न पायेंगे या शायद आपके माध्यम से जो मैंने अपील की थी, उनसे दिल्ली में बैठे-बैठे जिन्ना ने प्रदर्शन की योजना रद्द कर दी थी।" (उप., पृष्ठ ७९०)।

गवर्नर से नेहरू की मुलाकात हुई। गवर्नर ने कहा कि एक पार्टी की ओर से कबीली से बात चलाना सही न था (अर्थात् हर अग्रज अधिकारी की तरह यह गवर्नर भी नेहरू पर जोर डाल रहा था कि वह मुस्लिम लीग से समझौता करें।) गवर्नर की राय में नेहरू एक पार्टी के नेता अब्दुल गफ्फार साँ के साथ गये, यह कार्य घातक सिद्ध हुआ। पार्टी के नेता को ले जाना था तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी ले जाना चाहिए था। नेहरू ने लीग की सख्त आलोचना की और कहा कि वह अपने पुराने दोस्तों को छोड़ नहीं सकते और अब्दुल गफ्फार साँ इनमें मुख्य है। (पाकिस्तान बनने पर नेहरू ने अब्दुल गफ्फार साँ को छोड़ा, यह सभी लोग जानते हैं।) नेहरू ने कहा कि आई. सी. एस. अफसरों में हुक्म चलाने की आदत (अथोरीटेरियन हैबिट) है। गवर्नर ने कहा कि किसी भी

आर्. सी. ऐन. की तुलना में हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में हुक्मगारी नहीं ज्यादा है। मसूत यह दिया कि वे एक पार्टी का शासन चाहते हैं और सत्ता हाथ में जाने पर कानून का उल्लंघन करते हैं। (उप., पृष्ठ १६१)। यहाँ गवर्नर का उद्देश्य फिर स्पष्ट हो जाता है। तुम कांग्रेस के लिए सत्ता चाहते हो, सत्ता अपने काब्रम को न मिलेगी। उनके लिए मुस्लिम लीग ने समझौता करना पड़ेगा।

त्रिन अधिकारियों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर प्रदर्शन आयोजित कराये थे। उनका विभाग यही था जिमानी देगरेस के लिए नेहरूजी अन्तरिम सरकार में थे। अधिकारी उन्ही के विभाग के हो और उनकी बात न मानें, यह उनके लिए काफी दुःखदायक स्थिति थी। नेहरूजी ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर के लिए अपनी यात्रा पर २६ अक्टूबर को एक सम्भा नोट लिखा। इसमें और बहुत-सी बातों के अलावा उन्होंने इन बात का उल्लेख किया कि जँचे मरकारी अफसरों में जन्दुल गणफार सों के प्रति अत्यन्त कटुता और सप्रुता का भाव है। सीमान्त प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, अन्दुल गणफार सों कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता थे। उनमें मतजोत बढ़ाने के बदले अफसर उनमें दूर रहते थे और उनके व्यवहार से स्पष्ट हो गया था कि यह उन्हें बिलकुल पगन्द नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि नेहरू के साथ जन्दुल गणफार सों भी दूरे पर जायें। नेहरूजी ने यहाँ जनतान्त्रिक राजनीति की बात चलायी। लोकप्रिय मरकारों के जनवादी नेताओं को स्वीकार या अस्वीकार करना अफसरों का काम नहीं है। जनवादी सरकार में नेता चाहे मरकार में हों चाहें न हो, उनका ब्यक्तित्व अपरिवर्तित रहता है। वे सरकार के नेता होते हैं, पार्टियों और जनता के नेता भी होते हैं। जो आदमी आज पद पर नहीं है, वह कल हो जायेगा, यह स्वयं पद पर नहीं है तो उसके साथी उस पर हो सकते हैं। अपने नोट की एक प्रति नेहरूजी ने वाइसराय को भी भेजी और परिणाम कुछ न निकला।

६. गैरमुस्लिम अल्पसंख्यक

(क) सिक्ख

राष्ट्रीय आन्दोलन में फूट डालने के लिए मुस्लिम लीग अंग्रेजों के हाथ में एक अस्त्र थी किन्तु वह एकमात्र अस्त्र नहीं थी। अल्पसंख्यकों के रूप में सिक्ख सम्प्रदाय भी था। अंग्रेजों ने इनमें भी सामन्ती आधारवाले तत्वों को बढ़ावा दिया और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में साम्राज्यविरोधी सप्राम को कमजोर बनाने के लिए उनका उपयोग किया। सिक्खों के सम्प्रदायवादी नेताओं में अंग्रेजों ने अलगाववादी भावनाएँ उभारी, उनके द्वारा यह प्रचार कराया कि अंग्रेजों के जाने पर सिक्खों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। अलगाववाद की तर्कसंगत परिणति है अन्य सम्प्रदायों से अलग एक राज्य का निर्माण। यदि अंग्रेज सिक्खों का अलग राज्य नहीं बना सके, तो इसका कारण यह नहीं था कि वे ऐसा करना न चाहते थे। सिक्ख राज्य बनाने में पाकिस्तान की अपेक्षा ब्यावहारिक कठिनाइयाँ अधिक थी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि किसी भी क्षेत्र में सिक्ख बहुसंख्यक न थे।

५ अप्रैल १९४६ को कैबिनेट मिशन से सिक्ख नेताओं की बातचीत हुई

क्रान्ति का उभार और अंग्रेजों का जवाबी हमला / ५१

मिशन की ओर से भारत-सचिव पेथिक लारेन्स ने पूछा कि सत्ता का हस्तान्तरण एक संस्था को किया जाये या एक से अधिक को; यदि दो को किया जाये तो सिक्ख किसमें शामिल होंगे; "और यदि व्यावहारिक हो और उसका प्रबन्ध किया जा सके तो क्या सिक्ख अपना अलग स्वायत्त राज्य बनाना पसन्द करेंगे? भारत-सचिव ने स्वयं इस बारे में कोई मत स्थिर नहीं किया है।" (पृष्ठ ७; पृष्ठ १३८)। मास्टर तारासिंह ने कहा कि वह संयुक्त भारत के पक्ष में हैं, सभी सम्प्रदायों की मिली-जुली सरकार बननी चाहिये, वरना परेशानी हो सकती है। भारत का बँटवारा बहुत ही खतरनाक खेल होगा। "यदि बँटवारा होता है तो उनकी समझ में सिक्ख न हिन्दुस्तान में रहेंगे न पाकिस्तान में।" (उप.)। भारत-सचिव ने कहा कि सिक्ख इन दोनों में से किसी एक के साथ सम्बद्ध होंगे, उनके मातहत न होंगे। मास्टर तारासिंह ने कहा कि भारत में जो साम्प्रदायिक स्थिति है, उसे देखते हुए यह अनिवार्य है कि यदि दो राज्य बने तो सिक्ख या तो मुसलमानों के मातहत होंगे या हिन्दुओं के। मुसलमानों और हिन्दुओं में एका नहीं है और कुछ समय तक वे परस्पर-विरोधी बने रहेंगे, उस हालत में संयुक्त भारत में सिक्खों को मोलभाव करने की सुविधा रहेगी, किन्तु यदि विभाजन हो गया, तो वे किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत के अधीन रहेंगे। अतः उस स्थिति में वह एक अलग स्वतन्त्र राज्य चाहेंगे जिसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान किसी एक के साथ संघबद्ध होने का अधिकार हो।" (उप.)

भारत-सचिव ने पूछा कि सिक्ख राज्य में कौन-से जिले होंगे। वे किसी भी जिले में बहुसंख्यक नहीं हैं। मास्टर तारासिंह ने कहा कि सिक्ख बहुसंख्यक नहीं है पर उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। १९३५ के कानून से जो प्रान्तीय स्वायत्तता दी गयी, उससे सिक्खों के मन में सन्देह बढ़ गया है। प्रान्तीय अधिकारियों ने उनके साथ बुरा सलूक किया है। लड़ाई छिड़ने से पहले ही परेशानी पैदा हो रही थी। लड़ाई छिड़ने के बाद सिक्खों ने पंजाब की बहुमतवाली पार्टी से मेल-मिलाप कर लिया था और तब से शान्ति बनी हुई है। मेल-मिलाप होने पर भी वर्तमान स्थिति में बने रहना सिक्खों के लिए बहुत मुश्किल है। वे हर तरह से सताये जाते हैं और उनकी रक्षा तभी हो सकती है जब किसी न किसी रूप में स्वायत्त सिक्ख राज्य बने। (उप., पृष्ठ १३९)

अन्य सिक्ख नेता सरदार हरनामसिंह ने कहा कि सिक्ख राज्य में कितना इलाका होगा, इसका फैसला सिर्फ आदमी गिनकर न किया जायेगा। मुसलमानों को पंजाब से अम्बाला और जलन्धर डिवीजन अलग करने पर आपत्ति नहीं है। लाहौर जिले की कुल मालगुजारी १४ लाख थी। बहुसंख्यक मुसलमान इसमें से केवल ४ लाख देते थे, सिक्ख ८ लाख देते थे। लगभग ६० फीसदी जमीन सिक्खों के अधिकार में थी। मुसलमान आबादी का साठ फीसदी थे लेकिन उनके पास ३० फीसदी जमीन ही थी। बहुत से मुसलमान वहाँ मजदूरी करने आते थे और काम करने के बाद वापस चले जाते थे। वहाँ इनका अधिकार न माना जा सकता था। अमृतसर जिले की कुल मालगुजारी पौने सोलह लाख थी। इसमें से सिक्ख लगभग १२ लाख और मुसलमान केवल ३ लाख देते थे। सिक्खों ने सुझाया है कि आबादी

और सम्पत्ति दोनों का स्थानान्तरण होना चाहिए। पंजाब के दूसरे जिलों से सिक्ख स्थानान्तरण के लिए तैयार हो जायेंगे। भारत का वेंटवारा हुआ तो वह सिक्खों की इच्छा के विरुद्ध होगा। विभाजित भारत विदेशी आक्रमण का शिकार होगा। विभाजन दोनों सम्प्रदायों के समझौते से ही सकता है अथवा अंग्रेज सरकार उसे थोप सकती है। यदि विभाजन थोपा जाता है तो सिक्ख अंग्रेज सरकार से पूछते हैं कि क्या वे उन्हें विदेशी शासन में रहने को बाध्य करेंगे? सिक्ख राज्य से ही उनकी रक्षा हो सकती है और उस राज्य को स्वेच्छा से किसी के साथ संघबद्ध होने का अधिकार होगा। “यदि मिस्टर जिन्ना के मुसलमान बहुमत का शासन कबूलने को तैयार नहीं है तो सिक्ख ही उसे क्यों कबूल करें?” (उप.)।

सरदार ज्ञानी करतारसिंह ने कहा कि चाहे संयुक्त भारत हो चाहे पाकिस्तान, सिक्ख दोनों में असुरक्षित महसूस करेंगे। दोनों ही स्थितियों में वे चाहेंगे कि एक ऐसा प्रान्त हो जिसमें उनकी प्रधानता हो या लगभग प्रधानता हो। मुसलमान पंजाब में ५७ फीसदी है। मुस्लिम इलाकों में सिंचाई के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मुसलमानों से कहना चाहिए कि वे वहाँ जायें। पंजाब का ५७ फीसदी भाग मुसलमानों को दे दिया जाये, शेष प्रदेश में सिक्खों की प्रधानता-वाली स्थिति होनी चाहिए और सरकार को स्थानान्तरण की व्यवस्था करनी चाहिए। क्रिप्स के एक प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी करतारसिंह ने कहा कि सिक्ख राज्य में जलन्धर और लाहौर डिवीजन होने चाहिए, इनके साथ अम्बाला डिवीजन के हिसार, करनाल, अम्बाला और शिमला जिले होने चाहिए तथा मोण्टगुमरी और लायलपुर जिले होने चाहिये।

वाइसराय ने पूछा, क्या उनकी समझ में आवादी का स्थानान्तरण सचमुच व्यावहारिक है? सिक्ख प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी सहायता से सिक्ख आवादी दस पाँच साल में समेटकर इन इलाकों में लायी जा सकती है। (उप., पृष्ठ १४०)।

उसी दिन कैबिनेट मिशन से सरदार बलदेवसिंह की भेंट हुई। उनका कहना था कि १९१४ के पहले सिक्खों की स्थिति ठीक थी। फौज में १६ फीसदी सिक्ख थे और नागरिक सेवाओं में परम्परा के अनुसार उन्हें ३३ फीसदी स्थान दिये जाते थे। लड़ाई के बाद फौज में सिक्ख १४ फीसदी रह गये। दूसरे सम्प्रदायों ने गुरुद्वारा आन्दोलन को इस रूप में पेश किया कि वह सिक्खों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष था। इसका नतीजा यह हुआ कि सिक्खों के हाथ से उनकी पुरानी स्थिति निकलने लगी। यह सिलसिला १९३७ के चुनावों तक चला। तब सिक्खों ने अनुभव किया कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। पहले मन्त्रिमण्डल के छह सदस्यों में केवल एक सिक्ख था। फौज और सेवाओं में सिक्खों का अनुपात गिरने लगा। १९३६ में कोशिश की गयी कि सिक्खों को फौज से बाहर रखा जाये। १९४२ में उन्होंने प्रयत्न किया कि पंजाब सरकार और सिक्खों में समझौता हो जाये और वह मन्त्री बने। उन्होंने सर सिकन्दर हयात खाँ से समझौता किया लेकिन समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया। जब छोटी-छोटी बातों में शर्तों का पालन नहीं किया गया तब बड़ी बातों में शर्तों का पालन क्या होगा? ऐसी स्थिति में

सिक्खों को जीवित रहने के लिए विद्येय संरक्षण की जरूरत है ।

बाइसराय ने कहा कि पंजाब की कुल दो करोड़ अस्सी लाख आवादी में सिक्ख चालीस लाख है; इसलिए छह सदस्यों के मन्त्रिमण्डल में एक सिक्ख का होना सही अनुपात है । बाइसराय ने यह भी पूछा कि पंजाब के विभाजन के बारे में जिन्ना के विचार को अमल में लाया गया तो सिक्खों की क्या स्थिति होगी ? सरदार बलदेवसिंह ने कहा, तब सिक्ख जीवित न रह सकेंगे । जिन्ना ने कहा था कि संख्या ही सबकुछ नहीं है । सरदार बलदेवसिंह की राय थी कि किसी सम्प्रदाय का राजनीतिक महत्व मुख्य बात है । उस दृष्टि से सिक्खों की स्थिति में गिरावट आ रही थी । क्रिप्स ने पूछा कि खालिस्तान की व्याख्या किस तरह होगी । सरदार बलदेवसिंह ने कहा कि पंजाब से मुलतान और रावलपिण्डी डिघीजन निकाल दिये जायेंगे और सरहद मोटे तौर पर चिनाव नदी के किनारे-किनारे होगी । लाहौर को सिक्ख राज्य में होना चाहिए । किन्तु सिक्ख संयुक्त भारत के पक्ष में बहुत है । विभाजन बुद्धिमानी की बात नहीं है । सरहद पर छोटे राज्य होंगे तो बड़ी शक्तियाँ उन पर हावी हो जायेंगी और भारत के लिए खतरा पैदा होगा । सबसे अच्छा समाधान संयुक्त भारत है जिसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाये और विधानसभाओं में उनकी प्रतिशत आवादी से अधिक स्थान दिये जायें । वर्तमान व्यवस्था सिक्खों के अनुकूल नहीं है । प्रान्तीय सीमाएँ फिर से निर्धारित की जायें तो सिक्ख-हिंदों की काफी रक्षा हो सकती है । पंजाब का विभाजन होने पर पठानिस्तान और सिखिस्तान वनें तो इस उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है । क्रिप्स ने पूछा कि इस प्रस्ताव के बारे में मुसलमान क्या कहेंगे । “सरदार बलदेवसिंह ने कहा यदि मुस्लिम लीग पंजाब के बँटवारे के लिए राजी हुई तो मुसलमान लीग को समर्थन देना बन्द कर देंगे । वे विभाजन को स्वीकार न करेंगे और जब तक सिक्खों को पर्याप्त संरक्षण न मिले, सिक्ख भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार न करेंगे । उनका विचार था कि प्रान्त के विभाजनसे समाधान निकले तो आवादी का स्थानान्तरण इस तरह करना चाहिए कि सिक्खोंके अनुपात में वृद्धि हो और ऐसा करना सम्भव होगा ।” (उप., पृष्ठ १४२) ।

सरदार बलदेवसिंह ने कहा कि खालिस्तान में अम्बाला, जलन्धर और लाहौर, कम से कम ये तीन डिघीजन होंगे । छह जिलों में उपयुक्त राज्य नहीं बन सकता । आदर्श राज्य तो वह होगा जिसमें कोई सम्प्रदाय बहुसंख्यक न हो । वह इस बात से सहमत थे कि प्रस्तावित सिक्ख राज्य में सिक्ख कुल आवादी का केवल बीस फीसदी होंगे । सरदार बलदेवसिंह ने कहा, अल्पसंख्यक हिंदों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में पार्टियों में समझौता होना चाहिए किन्तु उन्हें विश्वास था कि सत्ता के हस्तांतरण के बाद उन्हें कुछ न मिलेगा । यदि दो या अधिक स्वतन्त्र राज्य बनें तो नये सिरे से सीमा-निर्धारण जरूरी होगा । यदि संयुक्त भारत बना रहता है, और सिक्ख इसके पक्ष में है, तो विधान सभाओं में उनके प्रतिनिधित्व में बढ़ती होनी चाहिए । “सिक्ख यह समझते हैं कि अंग्रेजों पर उनका हक है क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले वही पंजाब के शासक थे । मुस्लिम लीग के हाथ में सत्ता आने पर उसकी बात का भरोसा नहीं किया

जा सकता। पाकिस्तान को लेने के लिए जिन्ना कुछ भी वादा करने को तैयार है लेकिन पंजाब में पिछला अनुभव यह है कि सत्ता मिलने पर वह वादा पूरा करेंगे, इसमें सन्देह है।" (उप., पृष्ठ १४३)।

सरदार वल्लेवसिंह उद्योगपति थे, उनके व्यवसाय का मुख्य क्षेत्र बिहार था। वह उन व्यवसायियों के प्रतिनिधि थे जो साम्राज्यवाद से मिलकर घन्टा चलाते थे। उनके और अन्य सामन्ती साम्प्रदायिक सिक्ख नेताओं के दृष्टिकोण में मौलिक भेद न था। वह अंग्रेजों पर अपना विशेष अधिकार समझते थे, इसलिए कि अंग्रेजों ने पंजाब का राज्य सिक्खों से पाया था। बहुत से मुसलमान इसी तरह समझते थे कि अंग्रेजों पर उनका विशेष अधिकार है क्योंकि सारे उत्तर भारत का राज्य अंग्रेजों ने मुसलमानों से पाया था। सरदार वल्लेवसिंह मानते थे कि मुसलमान पंजाब का बँटवारा नहीं चाहते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि बँटवारा होने पर पाकिस्तान छोटा रह जायेगा, दूसरा यह कि वे मुसलमान होने के अलावा पंजाबी भी हैं और अपने प्रदेश का बँटवारा नहीं चाहते। जो भी कारण हो, अंग्रेज और जिन्ना दोनों ही इस बारे में बहुत सावधानी से आगे बढ़े कि पंजाब का बँटवारा होगा, तब पाकिस्तान बनेगा। नीति यह थी कि लोगों को समझाया जाये कि पाकिस्तान बन जायेगा या उसका सारतत्व मिल जायेगा और पंजाब का बँटवारा न होगा। सरदार हरनामसिंह ने मालगुजारी के बारे में जो आँकड़े दिये, वे महत्वपूर्ण हैं। सिक्खों की आबादी कम लेकिन ज़मीन उन्हीं के पास ज्यादा। इस स्थिति में कोई भी सामन्तविरोधी आन्दोलन चलाने से सिक्ख-जमींदारों और मुसलमान किसानों में टक्कर होती। इससे मिलती-जुलती स्थिति पूर्वी बंगाल और सिन्ध में थी। कांग्रेस सामन्तविरोधी किसान-आन्दोलन से डरती थी। ऐसी हालत में सामन्ती और साम्प्रदायिक नेताओं से समझौता करने के अलावा उसके लिए अन्य मार्ग न था। जवाहरलाल नेहरू जिस अन्तरिम सरकार में शामिल हुए थे, उसके एक सदस्य सरदार वल्लेवसिंह थे जो फौज में सिक्खों का अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहे थे। ऐसी सरकार कितनी क्रान्तिकारी हो सकती थी, इसकी कल्पना की जा सकती है। १९४७ में पाकिस्तान नहीं बना, यह बात सही है किन्तु साम्प्रदायिकता के जिस आधार पर पाकिस्तान बना था, उसी आधार पर यदि सिक्ख नेता अपना अलग सिक्ख राज्य चाहते थे तो इसमें वेजा क्या था? १९४७ में साम्राज्यविरोधी संघर्ष के फलस्वरूप सम्प्रदायवाद को खत्म नहीं किया गया, उससे समझौता किया गया। एक समझौते से दूसरे समझौते के लिए रास्ता खुलता है। इसलिए १९८२ में खालिस्तान की माँग फिर सामने आयी, तो इसमें किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। यदि सिक्ख राज्य की माँग वेजा नहीं थी तो हिन्दू राष्ट्र की माँग ही वेजा क्यों ही? पिछले तीन दशकों में हिन्दू सम्प्रदायवाद निरन्तर शक्तिशाली होता गया है, इससे भी किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम सम्प्रदायवाद खत्म नहीं हो गया। पिछले दशक में उसने अपने सफर की नयी मंजिलें तै की हैं। साम्राज्यवाद साम्प्रदायिक और असाम्प्रदायिक दोनों तरह की अलगाववादी प्रवृत्तियों का उपयोग भारत की राष्ट्रीय और जनवादी शक्तियों के विनाश के

लिए आज भी करता है, इसमें भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

(ख) अछूत

सिक्खों के अलावा अल्पसंख्यकों का एक और महत्वपूर्ण समुदाय अछूतों का था। सिक्खों के नेता कहते थे कि अंग्रेजों ने पंजाब का राज्य सिक्खों से पाया है और फौज में सिक्ख काफी संख्या में हैं। अछूत ऐसा दावा न कर सकते थे पर उनके नेता डाक्टर अम्बेदकर का कहना था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की फौज को आवश्यक आदमी सबसे पहले अनुसूचित जातियों से मिले "और उन्हीं की मदद से अंग्रेजों ने भारत जीता। तब से वे अंग्रेजों के दोस्त बने रहे हैं। किन्तु अंग्रेजों ने कभी भी जानकर और सचेत रूप से उनकी सहायता नहीं की यद्यपि १८६२ से वे मुसलमानों की भारी सहायता करते आये हैं।" (खण्ड ७, पृष्ठ १४६)। ५ अप्रैल १९४६ को डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की मुलाकात कैबिनेट मिशन और वाइसराय से हुई थी। यदि अछूतों ने अंग्रेजों की वैसी ही मदद की जैसी कि डाक्टर अम्बेदकरने बताया थी, तो सिक्खों की अपेक्षा अंग्रेजों पर उनका हक और भी ज्यादा था। अंग्रेज यदि अछूतों से उस तरह का लाभ नहीं उठा पाये जिस तरह का लाभ उन्होंने मुसलमानों और सिक्खों से उठाया, तो इसका कारण यह था कि अछूतों में वैसे सामन्ती नेता थे नहीं जैसे सिक्खों और मुसलमानों में थे। किन्तु जिन्ना सामन्त नहीं थे, उन्हीं की तरह ब्रिटिश व्यवस्था में शिक्षा पाये हुए डाक्टर अम्बेदकर भी सामन्त नहीं थे। उनका उपयोग ठीक उसी तरह अंग्रेज न कर पाये जिस तरह उन्होंने जिन्ना का उपयोग किया था; इसका मुख्य कारण यह था कि सिक्ख और मुसलमान सामन्तों द्वारा जिस तरह वे उन सम्प्रदायों के लोगों को प्रभावित कर सकते थे, उस तरह सामन्तों द्वारा अछूतों को प्रभावित करने की गुंजाइश न थी।

समस्या यह थी कि भारत से अंग्रेज चले गये तो अछूतों की रक्षा कौन करेगा। "उनका विचार था कि यदि भारत स्वाधीन हुआ तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी (He thought that if India became independent, it would be one of the greatest disasters that could happen.)। जाने से पहले अंग्रेजों को यह बात पक्की कर जानी चाहिए कि नये संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए सुख, स्वाधीनता और जीवन विताने के सामान्य मानव अधिकारों की गारण्टी दी गयी हो, उनके अलग निर्वाचन-क्षेत्र फिर कायम किये जायें और अपने हित-रक्षण के लिए उनकी जो दूसरी मांगें हैं, उन्हें पूरा किया जाये। इस समय मोहम्मद होने से उनके अनुयायी आतंकवाद और कम्युनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक तरीके कायम होते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके साथ वह भी दे रहे हैं।" (उप.)। अंग्रेजी राज बना रहे तो दरिद्र अछूतों के लिए संकट पैदा न होगा; अंग्रेजों के जाने से संकट पैदा हो जायेगा। डाक्टर अम्बेदकर ने अंग्रेजों को समझाया कि यह संकट जितना अछूतों के लिए है, उससे ज्यादा अंग्रेजों के लिए है, क्योंकि अन्य पीड़ित जनों के साथ अछूत भी कम्युनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। अंग्रेज डाक्टर अम्बेदकर का यह आशय जरूर समझ गये होंगे, तभी भारत-सचिव पैथिक लारेन्स

ने कहा कि जनी तक वा मुख्य मन्त्र्याएँ थी—अंग्रेजी राज में स्वाधीन होने की मन्त्र्या और हिन्दू-मुस्लिम मन्त्र्या। "एक बार ये मन्त्र्याएँ रातने में हट गयीं तो मन्त्रवदः क्रांतिपों के बीच भेद आधिक्य मन्त्र्याओं को लेकर होना। अवश्य ही अनुभूति क्रांतियों को वानरध के साथ सहयोग करने में अपने अधिकारों की शान्ति के लिए स्वाश अक्या अवसर मिलेना वनम्बिन इसके कि वे अंग्रेजों का भरोना करें जो नता नौने वा रहे थे।" (उप., पृष्ठ १४७)। अंग्रेज डाक्टर अम्बेदकर को मनजा रहे थे कि हने कम्युनिज्म का डर दिव्याना बेकार है; भारत में जाने कना होने वा रहा है, हने इनका अन्दाजा है; हने तुनने ओ काम लेना था ने चुके; अब तुन जानी और नया नभायारी वने जाने।

डाक्टर अम्बेदकर जानते थे कि अछूतों की मुख्य मन्त्र्या आधिक्य है। उन्होंने कैंब्रिज निम्न को बताया कि भारत में लगभग छह करोड अछूत हैं। गाँव में उनका पान जनीन नहीं है और वे मजदूरी हिन्दुओं के दान-जैने हैं। कुछ अछूत शीव में अक्या कान पाकर अपने गाँव में वने गये; इन पर मजदूरी हिन्दु उन्हें पुराने नाम पर ब्रह्मन्ती नौश नाये। पुनिम और मानमुबारो विभागों में सर्वन हिन्दुओं की प्रजानता है, उन कारण अछूतों के हिनाव में यह मरकार अंग्रेज नहीं, हिन्दु है। "इसका एक उदाहरण निछने दिनों बम्बई में मिस्टर गांधी पर पत्थर फेंकने के लिए नौ अछूत नड़कों का पकड़ा जाना है। पुनिम ने इस अवसर पर गहर के अछूत इनके में काछे नुकसान किया।" (उप., पृष्ठ १४५-४६)। निस्तन्वेह अछूतों के पान जनीन नहीं थी और गाँवों में उनका स्थान दानो-जैता था। जहाँ भी राजा और जनीदार होंगे, सामन्तवाद होगा, वहाँ भूस्वामियों की सेवा करने के लिए इन तरह के अधिकारहीन अडंदाग अवश्य होंगे। ऐसे राज रूप में थे, भारत में ये और हैं। इसकी स्थिति में नीतिक परिवर्तन तभी हो सकता है जब मनात्र के डांचे को पूरी तरह बदला जाये। अंग्रेजी राज का मुख्य आधार यह सामन्ती डांचा ही था। इसलिए अछूतों का हित इन बात में था कि वे अन्य साम्राज्यविरोधी समुदायों के साथ मिलकर अंग्रेजी राज को सत्न करने के लिए लड़ें। डाक्टर अम्बेदकर इसी लड़ाई पर रोक लगा रहे थे। कांग्रेस सामन्तविरोधी क्रांति ने दूर रहती थी, सामन्तविरोधी क्रांति के बदले वह अछूतों में थोड़े से साते-पीने लोगों की उन्नति के लिए आरक्षण की सुविधाएँ देने को तैयार थी। इनमें लाभ यह होता था कि अछूत और गैर-अछूत वर्ग-आधार पर संगठित होकर सामन्ती-भूजावादी व्यवस्था में लड़ने के बदले आपस में लड़ने को तैयार हो जाते थे। यदि स्वाधीन भारत में आरक्षण को लेकर द्विजों और सूदों में संघर्ष होता है, तो यह उसी क्रांति-विमुख मजदूरी का परिणाम है जिसे कांग्रेसी नेता १९४६-४७ में कर रहे थे। डाक्टर भीमराव अम्बेदकर १९४२ से ४६ तक गवर्नर जनरल की कार्यपरिपद के सदस्य थे। कांग्रेस के दबाव से वह हटाये गये और अन्तरिम मरकार में शामिल न किये गये किन्तु जवाहरलाल नेहरू ने भारत का सविधान बनाने के लिए प्रमुख रूप से उनका उपयोग किया। यह स्वाभाविक था। कारण यह कि कांग्रेसी नेताओं के लिए आदर्श जनतन्त्र इंग्लैण्ड का था, आदर्श लोकसभा इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट थी, आदर्श सविधान इंग्लैण्ड का था यद्यपि इंग्लैण्ड का

संविधान लिखित रूप में शून्य के बराबर है। सर्वैधानिक तरीकों से आजादी लेने-वाले कांग्रेसी नेताओं ने स्वाधीन भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान विशेषज्ञ डाक्टर अम्बेदकर को अपनाया, यह स्वाभाविक था।

अंग्रेजों ने डाक्टर अम्बेदकर से पाकिस्तान के बारे में भी बातचीत की। डाक्टर अम्बेदकर ने कहा कि इस नये राज्य से मुसलमानों को लाभ होगा, इसमें सन्देह है। बहुत काफी मुसलमान हिन्दुस्तान में रह जायेंगे, बाहर जाना न चाहेंगे या जा न सकेंगे। सम्भव है, पाकिस्तान-सम्बन्धी विचार मुसलमानों के मन से निकल जाये, लेकिन तब तक राह देसना सम्भव न होगा। पाकिस्तान की माँग इतना जोर पकड़ चुकी है कि उसे किसी न किमी तरह पूरा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी थी 'पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन' (पाकिस्तान ओर दि पार्टिशन आफ इण्डिया, १९४६)। उन्होंने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान को दस साल के लिए स्वाधीन कर दिया जाये। इतने दिन में मालूम हो जायेगा कि वह आर्थिक रूप में चालू रहेगा या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि इतने दिन बाद हिन्दुस्तान से मोलभाव करने में पाकिस्तान को घाटा होगा। मुसलमानों का रुख इस समय जैसा है, उसे देखते कहना होगा कि यदि वे अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वीकार भी कर लें, तो वह सरकार बहुत कमजोर होगी। (उप., पृष्ठ १४४)।

कैबिनेट मिशन से अलग मुलाकात होने से पहले वाइसराय की कार्यपरिपद् के सभी सदस्यों की मुलाकात मिशन से हुई। २६ मार्च १९४६ को इस मुलाकात में डाक्टर अम्बेदकर ने परिपद् के सदस्य के रूप में बातचीत की। पाकिस्तान की माँग के बारे में उन्होंने कहा, "चुनाव से यह साबित हो गया है कि मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग है। मुसलमान फैसला कर चुके हैं कि भारत का बँटवारा हो और सबसे पहले इस सवाल से निपटना चाहिए।" (उप., पृष्ठ ६)। आगे उन्होंने कहा कि प्रान्तों की सीमाएँ बदलने से मुस्लिम लीग की माँग पूरी हो जायेगी, इससे वह सहमत नहीं है। "ऐसा मानना मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को न समझना है। मुस्लिम लीग के लिए सवाल प्रान्तीय सीमाओं का नहीं है बरन् इसका है कि प्रान्तों पर हिन्दू-प्रधान केन्द्र का नियन्त्रण रहेगा। प्रान्तों की सीमाएँ बदलने से वह कठिनाई दूर न होगी बल्कि परिस्थिति और खराब हो जायेगी।" (उप., पृष्ठ १०)।

अप्रैल १९४६ में असम के गवर्नर ब्लाउ ने अपने दस्तावेज में भारतीय परिस्थिति का विवेचन करते हुए अनुसूचित जातियों के बारे में लिखा कि उन्हें सरक्षण प्रदान करने में गम्भीर कठिनाइयाँ हैं, "और यदि वर्तमान परिस्थिति में उनकी समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं बनी तो यह केवल इसलिए कि मुसलमानों की तुलना में वे इतना नीचे गिरे हुए हैं कि वे अभी राजनीतिक रूप से खतरनाक नहीं हुए। शताब्दियों के उत्पीड़न ने, जिसकी मिसाल विश्वइतिहास में नहीं है, उनमें अधिकांश की, कुछ समय पहले तक, यह शक्ति ही खत्म कर दी थी कि वे अपनी उन्नति की सम्भावना पर विचार भी करें।" (उप., पृष्ठ १०५)। अछूत राजनीतिक रूप से खतरनाक नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उनकी माँगों को उस

हृदय नरु पूरा करना जरूरी नहीं है बिन हृदय नरु नुनतनानों ही मांसों को पूरा करना जरूरी है। किन्तु क्ताउ का यह नरु भी था कि "राजनीतिक द्कारों के रूप में इनके उभरने से नुनतनानों को अधिक नुरता प्राप्त होगी और यहाँ उनके सहायक होने की सम्भावना है।" (उप., पृष्ठ १०६)।

४ जून १९४६ को ज्ञात इन्डिया गेडून्ड कास्टन फ्रेडरेसन की बैठक हुई। इनमें एक नम्बा प्रस्ताव पास किया गया। इनमें संघ ही कार्यकारिणी ने ब्रिटिश लेबर पार्टी और बादगाह मतानन को सरकार को सूचित किया कि कैबिनेट मिशन ने उनके साथ न्याय नहीं किया। जो अन्याय हुआ है, वे उसे दूर करें; न करेंगे तो सीधी कार्रवाई के अलावा अछूतों के लिए और चारा न रह जायेगा। (उप., पृष्ठ = ११)। मुस्लिम ली। ने सीधी कार्रवाई ही धमकी दी थी, वंसी धमकी अछूत संघ ने भी दी। मुस्लिम लीग की धमकी कारगर इसलिए हुई कि उसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। ऐसा समर्थन अछूतों की धमकी को प्राप्त न था। जब दंगल में १६ अगस्त को सीधी कार्रवाई शुरू हुई, तब अछूतों के नेताओं ने भी उसका समर्थन करने का वादा किया था। गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस और लीग के साथ स्वतन्त्र अछूत नेताओं ने भी शान्ति बनाये रखने की अपील की थी; इन अछूत नेताओं ने मुस्लिम विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की अपनी इच्छा घोषित की थी। (खण्ड =, पृष्ठ २६४)।

अछूतों का अधिकांश भाग स्वाधीनता-आन्दोलन में सक्रिय था, उसी सहानुभूति कांग्रेस के साथ थी। जगजीवनराम के प्रभाव का यह एक कारण था। डाक्टर अम्बेदकर अपने संगठन के लिए दावा करते थे कि वही अछूतों का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु यह दावा सीधी कार्रवाई के अभाव में प्रमाणित न हो रहा था।

१०. कश्मीर

मई १९४६ में कश्मीर के अधिकारियों ने शेख अब्दुल्ला को पकड़ लिया। कश्मीर-स्थित ब्रिटिश रेजीडेण्ट ने वाइसराय को सूचित किया कि सैरानल फारकंस के नेता पिछले दिनों लोगों को भडकाते रहे हैं कि महाराज का आधिपत्य स्वीकार न करें, लोगों से राज्य सरकार का नाश करने को कहते हैं, महाराज और उनके परिवार के लोगों को मालियाँ देते हैं, इसलिए अधिकारियों ने शेख अब्दुल्ला और सैरानल फारकंस के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर और आसपास के क्षेत्र में फौज और पुलिस का तगड़ा बन्दोबस्त है। फौज के गश्ती दस्ते पर २३ मई के सबेरे भीड़ ने पथराव किया और कई लोगों के चोटें आयीं। सैनिकों ने गोली चलायी और एक आदमी के मरने का समाचार मिला है। शहर में कई जगह भीड़ ने सड़कें छोद डाली, अवरोध सड़के किये और कई पुलों को नुकसान पहुँचाया। श्रीनगर में करपयू लागू कर दिया गया है। जुलूसों आदि पर पाबंदी लगा दी गयी है। परिस्थिति निग्रन्त्रण में है। (खण्ड ७, पृष्ठ ६७३-७४)। यहाँ जगयादी आन्दोलन के दमन की बात थी। दंगों के मामले में अंग्रेज जैसी खिलाई दिशाते थे, वंसी यहाँ नहीं थी। वे पूरी तरह चौकलने थे।

२५ मई १९४६ को जवाहरलाल नेहरू ने वाइसराय को लिखा कि कश्मीर की घाटी में सब जगह फौजी कानून (मार्शल-ला) लागू कर दिया गया है। वह कश्मीरी हैं और अखिल भारतीय प्रजा-मण्डल (आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस) के सभापति भी हैं। इस नीति कश्मीर की घटनाओं से वे बहुत विन्तित हैं। उनके बहुत से साथी पकड़ लिये गये हैं और घाटी के लोग सहमे हुए हैं। उनके मन में आया कि तुरत वहाँ जायें पर उन्होंने अपने को रोका क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनकी सहायता किस रूप में कर सकते हैं। वहाँ जाने में उद्देश्य यही होगा कि लोगों का भय दूर हो और सामान्य स्थिति कायम हो। “जहाँ तक मुझे जानकारी मिल सकी है, राज्य के अधिकारी तुले हुए हैं कि जनता के मनोबल को चकनाचूर कर दिया जाये। वे फौज को इस तरह काम में ला रहे हैं मानो अभी हाल की जोती हुई शत्रु की भूमि पर अधिकार कर रहे हों। दर-असल कुछ और समाचार ऐसे मिले हैं जिनसे लगता है कि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है।” (उप., पृष्ठ ६६५)। नेहरूजी ने वाइसराय को अपना कार्यक्रम बताया। यदि वे गए तो जेल में अपने साथियों से मिलेंगे। शेख अब्दुल्ला अखिल भारतीय प्रजामण्डल के उपसभापति हैं। पता नहीं राज्य के अधिकारी नेहरूजी की गतिविधि के प्रति किस तरह का रवैया अपनाएँगे। यदि उन्होंने कोई गलत पाबन्दी लगायी, तो हो सकता है कि वह उसका उल्लंघन करें।

नेहरूजी में विश्वास दिलाया कि परिस्थिति सराब है और वह उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। वह वाइसराय से जानना चाहते हैं कि सारे मामले में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग का कितना हाथ है और परिस्थिति से निपटने के लिए वह क्या करना चाहता है। “जाहिर है कि कश्मीर में जो रेजीडेण्ट है, वह तटस्थ दर्शक बना नहीं रह सकता।” (उप.)। नेहरूजी को समाचार मिला था कि सड़कों पर चलनेवाले लोगों से पगड़ी उतरवाकर सड़क साफ करने को कहा गया था। कुछ स्थानों में लोगों को पेट के बल रँगने को कहा गया था। सगीन की नोंक पर लोगों से राजभक्ति के नारे लगवाये जाते हैं। फौज ने मस्जिदों में अड्डा जमाया है। फौजी लारियों को ले जाने के लिए जुम्मा मस्जिद की दीवारें तोड़ डाली गयी है। लाशें, आमतौर से मुसलमानों की, दफनाने के लिए नहीं दी जाती बल्कि पेट्रोल छिड़ककर फूँक दी जाती हैं। मानवीय और धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुँचाने वाली बातें हैं। इनसे कटुता बढ़ेगी और साम्प्रदायिक विद्वेष भी बढ़ेगा। “फिल-हाल मैंने कश्मीर जाना मुल्तवी कर दिया है जिससे कि आप यदि कोई सुझाव दें तो उससे मुझे मदद मिले कि मैं आगे क्या करूँ। मैं अपने साथियों और अपने पुराने प्रदेश के लिए कुछ करने को उत्सुक और आवुर हूँ। यदि रफ्तार यही रही तो यहाँ मेरे और जो भी काम हो, मैं वहाँ जाने से अपने को रोक न सकूँगा।” (उप., पृष्ठ ६६६)। भारत की तमाम देशी रियासतों के जन-आन्दोलन के नेता, अखिल भारतीय प्रजामण्डल के अध्यक्ष वाइसराय के सुझाव की राह देख रहे थे कि शायद उससे उन्हें अपना मार्ग निर्धारित करने में सहायता मिले। सामन्त-विरोधी आन्दोलन चलाने का यह कोई तरीका न था। क्रान्तिकारी तरीका हरगिज न था, सुधारवादी तरीका भले हो। कश्मीर का रेजीडेण्ट तटस्थ नहीं था, भारत

का राजनीतिक विभाग तटस्थ ही न सकता था। देशी राज्य अंग्रेजी राज के स्तम्भ थे। ये स्तम्भ डगमगाने लगे थे। उन्हें ध्वस्त करना आवश्यक था। स्वाधीनता के लिए जो मुल्ह-समझौते की बातचीत चल रही थी, उसी के अनुरूप कश्मीर सम्बन्धी नेहरूजी का यह पत्र था।

२७ मई को कश्मीरस्थित ब्रिटिश रेजीडेण्ट लेफ्टिनेण्ट कर्नल वेबने राजनीतिक विभाग को सूचना दी : कश्मीर के मुख्यमन्त्री ने कहा है कि जवाहरलाल या अन्य बड़े कांग्रेसी नेता कश्मीर में पैठने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जा सकता है। कश्मीर सरकार समझती है कि उनकी मौजूदगी से उस आन्दोलन को बल मिलेगा जो खुला विद्रोह है और जिसका उद्देश्य महाराज को हटाना और अमृतसर की सन्धि को रद्द करना है। (प्रथम सिक्ख युद्ध के समाप्त होने पर १६ मार्च १८४६ को जो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार अंग्रेज सरकार ने गुलाबसिंह और उनके उत्तराधिकारियों को जम्मू तथा कश्मीर का महाराज स्वीकार किया था। १८५७ की लड़ाई में नेपाल और हैदराबाद के राजाओं के साथ जम्मू-कश्मीर का यह गुलाबसिंह भी अंग्रेजों का प्रमुख सहायक बना था। ब्रिटिश रेजीडेण्ट एक सत्ताहीन पहले की सन्धि की दुहाई दे रहा था। सन्धि के रद्द होने का मतलब केवल महाराज को गद्दी से उतारना नहीं था, उसका अर्थ उस छत्र को भी गिराना था जो अंग्रेज कश्मीर नरेश के ऊपर लगाये हुए थे। देशी रियासतों के लिए ब्रिटिश सरकार सर्वोपरि सत्ता थी। अंग्रेज अपनी इस सर्वोपरि स्थिति को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे थे। कश्मीर-स्थित रेजीडेण्ट राजनीतिक विभाग को सूचनाएँ दे रहा था। रेजीडेण्ट और यह विभाग, दोनों में कोई तटस्थ न था।)

रेजीडेण्ट ने सूचित किया : कश्मीर सरकार ने बड़ी सहनशीलता दिखाई है, अल्पतम बल-प्रयोग करके वह बड़ी योग्यता से आन्दोलन में निपट गयी है। मुख्यमन्त्री काक ने साफ बता दिया है कि वह कांग्रेस या मुस्लिम लीग के पक्षधरों से अपनी नीति बदलनेवाले नहीं है। जब तक महाराज गद्दी पर हैं, तब तब सामान्य शासन की तरह चलाया जायेगा। "मैंने काक को गुणाया कि 'जवाहरलाल या दूसरे नेताओं को धीनगर आने दिया जा सकता है किन्तु शिवाग्र की ओर नेहरू के जानेमाने दृष्टिकोण को और परिस्थिति पर उनके ध्यान के बर्तानों का ध्यान में रखते हुए मैं काक से गहमत है कि उनका आना अप्रयुक्त न होना। कांग्रेस या लीग के किसी नेता को राज्य में आने में कोई बाधा नहीं दी जायेगी। अल्पतम पैदा हो सकता है, उसे मैं भलीभाँति समझता हूँ। लेकिन उनके आने में आवाहन फिर बढ़क उठेगा जबकि इस समय लोगों में उष्ण पक्षण न हो रहा है। मैं परिस्थिति से निकट सम्पर्क बनाये हूँ। मेरी समझ में कश्मीर सरकार का व्यवहार वाजिव है। हिन्दुस्तान की सरकार यदि कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे अल्पतम प्रभाव इस समय यहाँ न पड़े, तो मैं कहूँगा कि' (१६, १७, १८, १९, २०, २१)। ब्रिटिश रेजीडेण्ट, वादराय जी कश्मीर सरकार, नीति विचारक राम कृष्ण थे, और उनका उद्देश्य यह था कि कश्मीर के अल्पतम शासन का स्वतन्त्र स्वाधीनता-आन्दोलन में जनम सम्पन्न हो सके जिससे कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का उद्घोष पड़े; कश्मीर को साम्राज्यवादी

श्री १७ वा १८ वा १९ वा अंग्रेजी का १९५७

से अलग रखकर उसका उपयोग साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए किया जाये। ३० मई को वाइसराय ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने दस्तावेज में लिखा था, "कश्मीर, बलूचिस्तान और पंजाब की रियासतें उत्तर-पश्चिम में ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में रहेगी; यदि उत्तर-पूर्व में हमारा नियन्त्रण बना रहा तो उधर सिक्किम, भूटान, कूचबिहार, मणिपुर आदि रियासतें ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में रहेगी।" (उप. पृष्ठ ७३५) अंग्रेजों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का मतलब होता है कश्मीर जैसे प्रदेश को ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में बनाये रहना।

१७ जून को कैबिनेट मिशन के सदस्यों और वाइसराय में आपसी बातचीत हुई। वाइसराय ने इंग्लैंड की सरकार के सदस्यों को बताया कि कश्मीर के रेजीडेंट का तार आया है। लिखा है कि नेहरू ने कश्मीर सरकार को सूचित किया था कि वह अब्दुल्ला की परवी के लिए वकीलों के साथ वहाँ पहुँचेंगे और उन्होंने आशा प्रकट की थी कि मुकदमा उठा लिया जायेगा। कश्मीर सरकार ने जवाब दिया कि मामला अदालत के विचाराधीन है और बाहर के वकीलों को अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी। कश्मीर सरकार ने यह भी बता दिया है कि वह नेहरू को कश्मीर में घुसने से रोकना चाहती है। "वाइसराय ने कहा कि मौलाना [आज़ाद] से जो मुनाकात होने वाली है, उसमें नेहरू के इरादे का जिक्र कर दिया जाये, इस आशा से कि वह उन्हें न जाने के लिए राजी कर लें।" (उप., पृष्ठ ६५८)।

१६ जून को कैबिनेट मिशन और वाइसराय की आपसी बातचीत में वाइसराय ने फिर कहा कि नेहरू कश्मीर जा रहे हैं। उन्होंने भरसक नेहरू को समझाया कि न जायें "और उनका विचार था कि आज़ाद उनमें सहमत थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार सारी कार्यकारिणी [अर्थात् कांग्रेस हाई कमान] ने नेहरू को इम बिना पर न जाने के लिए राजी करने की कोशिश की थी कि मुख्य समस्या हल करना जरूरी है। वाइसराय ने कहा कि उन्हें कश्मीर से सूचना मिली है कि वहाँ की सरकार नेहरू को आज्ञा पत्र देने वाली है कि वह कश्मीर में प्रवेश न करे और जब तक सर्वोपरि सत्ता [दिल्ली की ब्रिटिश सरकार] उसे सीधा हुकम न दे, तब तक वह अपना रवैया न बदलेगी। उस हालत में [यानी यदि अंग्रेजों ने कहा कि नेहरू को कश्मीर में प्रवेश करने दो] मुख्यमन्त्री त्यागपत्र देने की बात कहते हैं और महाराज ने कहा है कि वह भी सिंहासन त्याग देगे। वाइसराय के विचार से यह असमंजस में डालनेवाली अनचाही परिस्थिति थी किन्तु इस समय कुछ न किया जा सकता था। घटनाएँ जो रूप लें, उन्हें लेने दिया जाये।" (उप., पृष्ठ ६७३)। मानना होगा कि कश्मीर के अधिकारी भी अंग्रेजी राज पर अहिंसात्मक तरीके से दबाव डाल रहे थे। अंग्रेज सरकार ने कश्मीर सरकार से कहा कि नेहरू को आने दो तो मुख्यमन्त्री इस्तीफा दे देंगे, महाराज सिंहासन त्याग देंगे। उधर कश्मीर के हिन्दू राजा को मुसलमान में देखकर भोपाल के मुसलमान नवाब को परेशानी हुई। रियासती कठपुतलियों की यह हिन्दू-मुस्लिम एकता भी देखने लायक है। १६ जून को भोपाल

के नवाब ने वाइसराय को तार दिया : कश्मीर सरकार की राय में जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर जाना इस समय गैरवाजिब है, फिर भी वह जा रहे हैं, यह सुनकर भारी चिन्ता हुई। देशी रियासते आज़ादी का मकसद हासिल करने के लिए हिन्दुस्तान की जो मदद कर रही है, उसे आप जानते हैं। रियासतों को हर तरफ से आश्वासन मिला है कि उनकी प्रभुसत्ता और आज़ादी बरकरार रहेगी। पण्डित जवाहरलाल का काम ऐसे आश्वासनों के खिलाफ है और भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। “स्वाभाविक ही मुझे बहुत परेशानी है। यदि योर एक्सेलेन्सी मुझे सलाह देंगे, ज़रूरत हो तो कैबिनेट मिशन ने मद्दिरा करके सलाह देंगे, तो अहसान मानूंगा। इस बात पर भी जोर देता हूँ कि इस नाजुक घड़ी में ब्रिटिश इण्डियन लोग जो असवैधानिक और अनुचित आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं, उसे रोक कर आप रियासतों की प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा के लिए कार्य करें। मैं आपसे यह अपील इसलिए कर रहा हूँ कि क्राउन [ब्रिटिश बादशाह] हिन्दुस्तान में अब भी सर्वोपरि है और रियासतें अपनी सन्धियों के अनुसार पूरी तरह स्वाधीन नहीं हैं।” (उप., पृष्ठ ६८२)। रियासतें पूरी तरह स्वाधीन नहीं थी, यह बात सही थी। देशी राज्यों की प्रजा पर दोहरा बोझ था, सबसे ऊपर अंग्रेज़ और उनके नीचे राजा। अंग्रेज़ों को अपने सिर पर बैठाये हुए ये राजा और नवाब यह दावा भी कर रहे थे कि देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान है। वे अंग्रेज़ों से तो आज़ाद न हो सकते थे पर उनकी यह कोशिश ज़रूर थी कि स्वाधीन भारत से अलग रहकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रहे।

नेहरूजी कश्मीर गये। राज्य सरकार ने पावन्दी का आज्ञा पत्र दिया। वाइसराय ने कहा, “स्पष्ट ही हम लोग राज्य के फँसले में दखल नहीं दे सकते। आगे की घटनाओं का इन्तज़ार करेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थिति पर इसका उलटा असर पड़ सकता है।” (उप., पृष्ठ ६६१)। नेहरूजी को राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने आज्ञा-पत्र पाने के बाद उसे मानने से इन्कार किया। कश्मीर सरकार ने कहा कि वह जब भी वापस जाना चाहें, उनके लिए कार की व्यवस्था कर दी जायेगी। नेहरू की गिरफ्तारी को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में सवाल किया गया। उस सिलसिले में वाइसराय ने हेण्डरसन को उक्त सूचना २३ जून को भेजते हुए यह भी बताया, “अब वह ब्रिटिश इण्डिया में लौट आये हैं। इसलिए उन्हें छोड़ने के लिए कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।” (उप., पृष्ठ १०२२)।

नेहरूजी की कश्मीर यात्रा के बारे में फील्ड मार्शल वेवल ने सरदार वल्लभभाई पटेल को बुलाकर २७ जून को उनसे बातचीत की। वाइसराय ने सुना था कि नेहरू फिर कश्मीर जाने की सोच रहे हैं। राजाओं ने मुल्ह-समझौते की बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनायी है। इस्का-दुक्का रियासतों पर दबाव डाला जाये या ऐसा कोई काम किया जाये जिससे बातचीत में रुकावट आये, इससे ज्यादा अच्छा है कि कमेटी के माध्यम से सभी राजाओं से एक साथ बातचीत की जाये। वह खुद भी नेहरू से मिलनेवाले हैं लेकिन, “मैंने सोचा कि उन पर पटेल अपने प्रभाव का उपयोग शायद कर सकें। पटेल सहमत थे। उन्होंने पिछली

यात्रा के इतिहास की चर्चा की। उन्होंने मुझे बताया कि आज़ाद ने और उन्होंने भरसक कोशिश की थी कि नेहरू को न जाने के लिए राजी कर लें। मैंने कहा कि मैंने भी नेहरू को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उनकी समझ में नेहरू से अपनी बात मैंने काफी जोरदार ढंग में न कही होगी! मैंने कहा कि मैंने अपनी समझ में अपनी राय बहुत साफ शब्दों में बता दी थी लेकिन उन्हें रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं थी और मैं समझता हूँ कि मैं तानाशाही रूप अपनाता तो नेहरू में शायद विरोधभाव जाग उठता। इस पर पटेल ने मुझसे कहा कि नेहरू फिर कश्मीर जाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी में बातचीत के बाद आज़ाद ने और उन्होंने नेहरू को न जाने के लिए राजी कर लिया है। कम-से-कम बम्बई की [ए. आई. सी. सी. की] बैठक तक वे न जायेंगे। पटेल ने कहा कि उन्होंने भी काक को सन्देश भेजा है और सुझाया है कि यह वहाँ आकर मामला तय कर लें पर उन्हें नहीं मालूम कि इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं।" (उप., पृष्ठ १०६८)। जिस तरह ब्रिटिश भारत के लिए अंग्रेज कांग्रेसी नेताओं से सौदेबाजी कर रहे थे, वैसे ही वे देशी रियासतों को लेकर सौदेबाजी कर रहे थे। कश्मीर के आन्दोलन से खतरा यह था कि मुल्ह-समझौते का मार्ग अवरोध हो जायेगा। मुल्ह-समझौता कराने में देशी रियासतों की भूमिका मुख्य नहीं थी, मुख्य भूमिका वाइसराय की थी और कांग्रेस की ओर से सरदार पटेल की थी। पटेल से २७ जून की मेट का जो विवरण वाइसराय ने लिखा था, उससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज और कांग्रेसी नेता जानते थे कि देशी राज्यों की समस्या किस तरह हल की जायेगी। पटेल ने कहा कि वह थोड़े ही समय बाद भोपाल जायेंगे और वहाँ देशी नरेशों के बावत कुछ मसलों पर बातें करेंगे। वाइसराय के अनुसार "उसके बाद रियासतों की समस्या के बारे में हमने कुछ देर बातचीत की। पटेल ने कहा कि सबसे ज्यादा कठिनाई छोटी और पिछड़ी हुई, खासतौर से काठियावाड़ की, रियासतों की ओर से पैदा होगी। उनका विचार था कि बड़ी रियासतों के राजा वक्त के साथ आगे बढ़ने की जरूरत महसूस करने लगे हैं।" (उप., पृष्ठ १०६८)।

इस सन्दर्भ में वाइसराय के नाम २६ जून को लिखे हुए पंजाब के गवर्नर के पत्र में कुछ दिलचस्प बातें हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया पंजाब में भी हो रही थी। इसी कारण पंजाब के गवर्नर ने वैसे पत्र लिखा था। गवर्नर ने नेहरूजी के कश्मीर जाने की कश्मीर पर उनका आक्रमण (Nehru's raid on Kashmir) कहा था। पंजाब के बारे में बताया कि यहाँ कश्मीर के मामले को लेकर साम्प्रदायिक भेद के अनुसार प्रतिक्रिया होती है। मुसलमानों को महाराज और उनकी सरकार पसन्द नहीं है। उनकी सहानुभूति राज्य में चलने-वाले लोकप्रिय या राष्ट्रवादी आन्दोलनों के प्रति है। हिन्दुओं की सहानुभूति महाराज के प्रति है और जिन कामों को वे ब्रिटिश भारत या मुस्लिम रियासत में नापसन्द करेंगे, कश्मीर में वे महाराज के वैसे ही कामों का अनुमोदन करते हैं। नेहरू के पकड़े जाने की खबर आने पर कांग्रेसीजन और कांग्रेसी सोशलिस्ट बहुत उत्तेजित दिखायी दिये और उन्होंने कश्मीर पर चढाई के कार्यक्रम को आगे

बढ़ाने का प्रयत्न किया। किन्तु उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने, और मुझे विश्वास है स्पयं नेहरू ने, रोक। अमृतसर जैसी कुछ जगहों में कट्टरपन्थी हिन्दू दृष्टिकोण तगड़ा था। वहाँ स्थानीय कांग्रेस हड़तालें और विरोध प्रदर्शन कराने में बहुत सफल नहीं हुईं। "मुसलमान भी असमजस में पड़ गये थे। उनकी समझ में नेहरू का काम मूर्खतापूर्ण और अनुत्तरदायी था पर वे महाराज का समर्थन भी न कर सकते थे।"

भीमसेन सच्चर और लहरीसिंह आम उत्तेजना से मुक्त नहीं थे। भीमसेन नेहरू को छुड़ाने के लिए जत्या ले जाने को तैयार थे लेकिन आज़ाद ने उन्हें रोक दिया। "रेजीडेण्ट के माध्यम से कश्मीर सरकार ने हमसे कहा कि मरी थ्रीनगर सड़क पर यातायात-व्यवस्था रोक दे। जब तक परिस्थिति स्पष्ट न हो जाये, तब तक के लिए ऐसा करना बुद्धिमानी की बात थी। इसलिए प्रान्तीय यातायात निदेशक (Transport Controller) ने आदेश जारी कर दिये और मुझे तथा सम्बद्ध मन्त्रियों को तुरत इस काम की सूचना दे दी।" (उप., पृष्ठ १०८३)। भीमसेन ने शिकायत की कि पंजाब सरकार एक पक्ष का समर्थन कर रही है। गवर्नर ने कहा कि जो सड़क दूसरी सरकार के क्षेत्र में पहुँचती है और जिस पर वह सरकार आवाजाही रोकने के लिए सेना का उपयोग कर रही है, वहाँ कोई भी जिम्मेदार सरकार यातायात चालू रखने की अनुमति न दे सकती थी। सही तरीका यह था कि लोग [अर्थात् पंजाब के लोग] कश्मीर के मामले से पूरी तरह दूर रहें। नेहरू वापस आ गये, २४ घण्टे के भीतर ही यातायातवाली पावन्दी उठा ली गयी। समस्या फिलहाल सुलझ गयी है। "यदि कांग्रेस कश्मीर में दखल देना जारी रखती है तो मेरा विचार है कि मुस्लिम लीग की तरफ से भी हम कुछ सुनेंगे।" (उप.)।

गवर्नर का कहना था कि पंजाब में जनता के बीच साम्प्रदायिक भेद के अनुसार कश्मीर को लेकर प्रतिक्रिया हुई थी। यह बात उन्हीं के दिये हुए तथ्यों से कट जाती है। कांग्रेसीजन और कांग्रेसी सोशलिस्ट बहुत उत्तेजित थे और कश्मीर पर चढ़ाई करने की सोच रहे थे। उनकी उत्तेजना और चढ़ाई की योजना हिन्दू राजा के समर्थन में नहीं थी, वह मुस्लिम प्रजा के समर्थन में थी। मुसलमान कश्मीर नरेश का समर्थन न कर रहे थे। यहाँ सामन्त-विरोधी हिन्दू-मुस्लिम एकता का आधार मौजूद था। यदि इस समय कांग्रेसी नेता स्वयं जनता की उत्तेजना को रोकते नहीं, तो समझौते के मार्ग से हटकर कश्मीर-सम्बन्धी आन्दोलन क्रान्तिकारी रूप ले लेता। वह आन्दोलन कश्मीर के अलावा पंजाब को भी अपने भीतर समेट लेता। मानी बात है कि इसके बाद वह देश के दूसरे प्रदेशों में भी फैलता। क्रान्ति से भय खाकर समझौते की राह पर चलने की कांग्रेसी नीति देश के लिए कितनी घातक थी, इसका स्पष्ट और शिक्षाप्रद प्रमाण यहाँ मिल जाता है। यह भी देखने योग्य है कि कश्मीर सरकार, वहाँ का रेजीडेण्ट और पंजाब सरकार, तीनों मिलकर आन्दोलन को रोकने की कार्रवाई में लगे थे। कश्मीर कहने को स्वाधीन था, अंग्रेज सरकार सर्वोपरि सत्ता थी, इस मामले से पंजाब सरकार का कोई सम्बन्ध हो न सकता था, पर यह सब कागज

पर। हकीकत यह थी कि देशी सामन्त और विदेशी साम्राज्यवादी, दोनों मिल-कर जनआन्दोलन को दवाने के लिए काम कर रहे थे। गवर्नर कह रहा था कि कांग्रेस कश्मीर में दखल देती रही तो मुस्लिम लीग भी कार्रवाई करेगी। आगे कश्मीर समस्या किस तरह साम्राज्यवादियों के हाथ में भारत पर दबाव डालने के लिए काम में लायी जायेगी, इसकी सूचना यहाँ पहले से दे दी गयी है।

कश्मीर में हिन्दू राजा था, बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी; हैदराबाद में मुसलमान राजा था, बहुसंख्यक प्रजा हिन्दू थी। इन राज्यों में सामन्तविरोधी आन्दोलन सफल होता तो पाकिस्तान की समस्या अपने-आप हल हो जाती। अंग्रेजों के क्रान्ति-विरोधी अभियान को, भारत-विभाजन की ब्रिटिश कूटनीति को विफल करने के लिए रियासतों का सामन्तविरोधी आन्दोलन कारगर अस्त्र बन सकता था। हैदराबाद और कश्मीर में सामन्ती-व्यवस्था बदलने के लिए आन्दोलन चलाये जा रहे थे। कांग्रेस आधे मन से इन आन्दोलनों का साथ दे रही थी, फिर भी वे काफी जोर पकड़ते गये। अंग्रेजों का प्रयत्न था कि इन रियासतों के आन्दोलन को सारे देश के स्वाधीनता आन्दोलन में घुलने-मिलने न दिया जाये। जवाहरलाल नेहरू पठानों के क्षेत्र में गये और अब्दुल गफ्फार खाँ को साथ ले गये। इससे अंग्रेज नाराज हुए। जुलाई १९४६ में वह कश्मीर जाते समय अब्दुल गफ्फार खाँ को साथ ले जाना चाहते थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर ने ६ जुलाई के पत्र में मुख्यमंत्री डाक्टर खान साहब से अपनी बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि खान साहब ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि वह एक जिम्मेदारी की जगह पर है और वहाँ से वह कश्मीर पर धावा करने नहीं जा रहे। “ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने भाई से सावधानी बरतने को कहा है। निजी तौर पर उन्होंने बताया है कि अब्दुल गफ्फार खाँ कश्मीर में सिर्फ आराम करने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ राजनीतिक प्रचार न करेंगे, हालाँकि जिन लोगों से उन्हें लगाव है, उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। मतलब शेख अब्दुल्ला से है।” (खण्ड ८, पृष्ठ २३)। यदि पश्चिमोत्तर प्रदेश के साथ कश्मीर भी स्वाधीनता-आन्दोलन की लहर में आगे बढ़ चलता, अब्दुल गफ्फार खाँ और नेहरू के नेतृत्व में वहाँ का जन-आन्दोलन सामन्तविरोधी रूप लेता, तो पाकिस्तान की सारी योजना हवा हो जाती। अंग्रेज जानते थे कि कांग्रेस सामन्तविरोधी क्रान्ति नहीं कर रही पर कश्मीर जैसे प्रदेश में थोड़ा-सा आन्दोलन भी उसे बहुत खतरनाक जान पड़ता था। १० जुलाई की प्रेस कान्फ्रेंस में नेहरूजी ने घोषित किया कि उन्होंने अभी कोई दिन निश्चित नहीं किया पर वह कश्मीर जाना चाहते हैं। मौलाना आजाद ने तार भेजकर कश्मीर से उन्हें वापस बुलाया था। नेहरूजी के अनुसार इससे साबित हुआ कि वहाँ का मामला कांग्रेस कार्यकारिणी ने अपने हाथ में ले लिया है। कश्मीर की समस्या देश की प्रमुख समस्या बन गयी है। सभी देशी रियासतों के भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक ओर कांग्रेस और प्रजागण्डल है, दूसरी ओर भारत सरकार का राजनीतिक विभाग तथा कश्मीर सरकार हैं। शेख अब्दुल्ला को पकड़ लिया गया था। नेहरू वहाँ उस समय पहुँचना चाहते थे जब मुकदमे की सुनवाई हो। कश्मीर के मुख्यमंत्री मौलाना आजाद, सरदार पटेल और गांधीजी से मिल चुके थे। अब वह कश्मीर जाकर महाराज से बातचीत

करेंगे। दस कान्फेंस में पण्डित नेहरू से एक मनोरञ्जक प्रश्न किया गया। क्या वह समझते हैं कि कश्मीर के आन्दोलन में रूस का हाथ है। नेहरू ने कहा कि यह वे सिर-पैर की बात है। सीमान्त पर तिब्बत, चीन और मध्य एशिया की अनेक जातियाँ हैं, वहाँ एक नया वातावरण है। वहाँ विदेशी शक्तियों के कुछ गुप्तचर होंगे। भारतीय सीमा के उस पार ब्रिटिश गुप्तचर भी हो सकते हैं। “किसी बुद्धिमान आदमी के लिए कश्मीर में रूस का हीवा खड़ा करना, अभी या निकट भविष्य में वहाँ रूसियों के प्रवेश की सम्भावना की चर्चा करना बेहूदा बात है। १५-२० साल बाद ऐसा हो सकता है।” (उप., पृष्ठ २६)।

नेहरूजी कश्मीर से लौट आये। ३० जुलाई को वाइसराय में मिले। वाइसराय ने कश्मीर यात्रा के बारे में पूछा। नेहरूजी ने कहा कि यात्रा शान्तिपूर्ण रही लेकिन वहाँ की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आशा प्रकट की कि अक्टूबर में जो चुनाव होंगे, उनका अच्छा असर होगा और चुनाव लोगों को शान्त रखेंगे। उन्होंने महाराज से मिलने की इच्छा की थी किन्तु महाराज ने अस्वस्थ होने का बहाना करके भेंट नहीं की। इस प्रकार कश्मीर के मुक्ति-आन्दोलन में कांग्रेस के अहिंसात्मक योगदान का शान्तिपूर्ण अवसान हुआ। यह बात नहीं थी कि कांग्रेसी नेता, विशेषकर नेहरूजी, आवश्यक हिंसा के प्रयोग के विरोधी हो। १० जुलाई १९४६ को एक प्रेस कान्फेंस में नेहरूजी ने हैदराबाद की रियासती सेना की चर्चा करते हुए कहा था कि इस सेना का इतिहास अथवा हैदराबाद का सैनिक इतिहास कुछ विशेष प्रेरणादायक नहीं है। “यदि मुझे कभी टक्कर की बात सोचनी पड़ी तो हैदराबाद की रियासती फौज के कारण मेरी नींद हराम न होगी, न उससे मुझे ज़रा भी परेशानी होगी। बुनियादी तौर से समस्या है इन रियासतों का समर्थन करनेवाली ब्रिटिश शक्ति का। एक बार उसके हट जाने पर स्थिति पूरी तरह बदल जायेगी। कोई भी स्वामीय रियासती फौज स्वतन्त्र रूप से शेष भारत के सामने डटी नहीं रह सकती क्योंकि ऐसा करना भौतिक रूप से असम्भव है।” (उप., पृष्ठ ३०)।

नेहरूजी ने ठीक कहा था कि असली समस्या थी रियासतों का समर्थन करनेवाली ब्रिटिश सत्ता की। कश्मीर में यही सत्ता महाराज को गद्दी पर बिठाये हुए थी। यही सत्ता योजना बना रही थी कि यदि स्वाधीनता-आन्दोलन का प्रसार कश्मीर तक होता है, तो इस पर मुस्लिम लीग क्या करेगी। मुस्लिम लीग कुछ करे, उससे पहले यही सत्ता कांग्रेसी नेताओं पर पूरा दबाव डाल रही थी कि वे आन्दोलन को उग्र होने से रोके। भारत से हट जाने पर भी इस सारे क्षेत्र से यह सत्ता अपना प्रभाव हटाने की तैयार नहीं थी। अभी कश्मीर में भारत से नेहरू ही गये थे, आगे पाकिस्तान की ओर से पूरा हमला होगा। इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय फौज कश्मीर में पहुँचेगी। यह फौज कहाँ तक जाये और कहाँ तक न जाये, यह सब वही ब्रिटिश सत्ता तय करनेवाली थी। भारत का विभाजन हो और कश्मीर अविभाजित रह जाये, यह कैसे हो सकता था? पाकिस्तान में जत्तावादी आन्दोलन को दबाने के लिए, साम्प्रदायिक भावना को निरन्तर उभारने लिए वही ब्रिटिश सत्ता कश्मीर समस्या का उपयोग करनेवाली थी।

११. स्वाधीनताप्राप्ति को पूर्ववेला और उत्तरवेला

(क) सम्प्रदायवादी फासिस्ट और साम्राज्यवाद

सन् ४७ के बाद भारत और पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है और पूर्वी बंगाल समेत इन दो राज्यों की जो स्थिति है, उसका गहरा सम्बन्ध सन् ४७ से पहले के भारत की स्थिति से, राजनीतिक दलों की भूमिका और ब्रिटिश सरकार की भूमिका से है। अंग्रेजी राज का सामन्ती आधार बना हुआ था पर वह इतना कमजोर हो गया था कि अपनी नीति को अमल में लाने के लिये अंग्रेज उससे थोड़ी-बहुत सहायता ले सकते थे, उसका भरोसा न कर सकते थे। अब साम्राज्यवाद अपने हितों की रक्षा के लिए फासिस्ट संगठनों का ही भरोसा कर सकता था। इन संगठनों को बढ़ावा देने में उसने बड़ी कूटनीतिक सूझ-बूझ से काम लिया। ऊपर से देखने में हर काम सर्वैधानिक तरीके से, कानून के मुताबिक, हो रहा था, वास्तव में कानून तोड़ा जा रहा था, सर्वैधानिकता को खुली चुनौती दी जा रही थी और इस सबकी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने भारतवासियों पर डाली। ब्रिटिश सर्वैधानिकता की विशेषता यह थी कि उसके साथ असर्वैधानिकता जुड़ी हुई थी और कांग्रेसी नीति की विशेषता यह थी कि वह इस असर्वैधानिकता का विरोध करने में असमर्थ थी। फासिस्ट असर्वैधानिकता को क्रान्तिकारी असर्वैधानिकता ही खत्म कर सकती है। जिन्हें इस क्रान्तिकारी असर्वैधानिकता का हुनर मालूम था, वे बिल्वरे हुए, वेबस, बहुत कुछ अपाहिज बने हुए थे। अंग्रेजों को अब भी क्रान्ति से भय था। वे स्वेच्छा से भारत न छोड़ रहे थे। बाहर दिखाने को अपनी न्यायप्रियता का डका पीटते थे, भीतर आपस में मजूर करते थे कि शासन चलाने के उपकरण टूट चुके हैं, समय रहते इच्छत के साथ विदा हो जाना चाहिए। अंग्रेजों पर क्रान्तिकारी परिस्थिति का दबाव बराबर बना हुआ था और इस दबाव से भारतीय पूंजीपति वर्ग ने पूरा लाभ उठाया, अंग्रेज जो देना न चाहते थे, वह उनसे लिया, जो करना न चाहते थे, वह उनसे कराया। क्रान्तिकारी परिस्थिति को अंग्रेजी राज पर जबदस्त दबाव बना देने में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वामपक्षी दलों, गुटों और व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किन्तु ये सब मिलकर संगठित शक्ति न बने थे, वे फासिस्ट दलों के आगे वेबस हो जानेवाले सुधारवादी कांग्रेसी नेतृत्व से बँधे रहे, इसलिए खुद वेबस हो गये। जब उस नेतृत्व के पिछलगुएँपन से मुक्त हुए, तब आवश्यक तैयारी के अभाव में क्रान्तिविरोध को ध्वस्त न कर पाये। फासिस्ट दलों में मुस्लिम लीग का स्थान सबसे ऊपर था, ब्रिटिश नीति को लागू करने का वह मुख्य उपकरण थी। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमलीग के फासिस्ट रूप की स्पष्ट व्याख्या की थी। जो लोग नेहरू का फासिस्ट-विरोधी दृष्टिकोण सराहते थे, वे मुस्लिम लीग के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में चुप रहते थे। भारत और पाकिस्तान में आज फासिस्टवाद की जो रूपरेखा उभर रही है, वह १९४७ में बन चुकी थी। और वामपक्ष उसके सामने आज भी उतना ही वेबस है जितना वह १९४७ में था। वेबसी का मतलब यह है कि वामपक्ष बल-प्रयोग द्वारा उसकी हिंसक कार्यवाही को समाप्त नहीं कर पाया।

भारत में फासिस्ट विचारधारा का आधार राष्ट्रवाद नहीं है, उसका आधार है साम्प्रदायिकता। हिन्दू सम्प्रदायवादी चाहे जिनना राष्ट्रवाद की बात करें, लोग जानते हैं, राष्ट्र की बात साम्प्रदायिकता को छिपाने के लिये है। सम्प्रदायवादी मुसलमान चाहे जितना दुनिया भर के मुसलमानों की एकता की बात करें, उनकी वास्तविक एकता साम्राज्यवाद के समर्थकों से है। जो मुसलमान साम्राज्यवाद से लड़ता है, वह उनका सबसे बड़ा शत्रु है।

वाइसराय के सचिव एवेल ने साम्प्रदायिकता का अच्छा विदलेपण किया था। इन्हीं ने वेवल को, और वेवल के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार को, सुझाया था कि भारत का विभाजन ही होना है तो मुस्लिम लीग को वही इलाके मिलने चाहिए जिनमें मुसलमान बहुसंख्यक हैं। अन्तरिम सरकार के लीगी सदस्य लिआकत अली खाँ से अन्तरंग वार्ता के पश्चात् उन्होंने १८ नवम्बर १९४६ को वेवल के पास अपनी टिप्पणी भेजी। इसमें उन्होंने लिखा था : "लिआकत ने जो कुछ कहा, उसमें मेरे मन पर यह स्पष्ट छाप पड़ी कि लोग के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह देश में साम्प्रदायिक भावना को खत्म हो जाने दे। (The League could not afford to let the communal feeling in the country die down.) ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का दावा सिद्ध करने के लिए यह साम्प्रदायिक भावना एक मयूत है। वे चाहेंगे कि उस मयूत में और बढ़नी हो और यद्यपि वे शायद यह न चाहें कि बहुत बड़े पैमाने पर रक्तपात हो, फिर भी वे चाहते हैं कि ऐसा वातावरण हो जिसमें हिंसा किसी भी समय भड़के उठे।" (ट्रान्सफर आफ पावर, खण्ड ६, पृ. ६६)।

साम्प्रदायिक भावना न हो तो मुस्लिम लीग का अस्तित्व न हो। सम्प्रदायवादी चाहते हैं कि ऐसा वातावरण हो जिसमें हिंसा किसी भी समय भड़के उठे। स्वाधीन भारत में दंगों के अनुभव ने बार-बार यह सिद्ध कर दिया है कि फासिस्ट पहले हिंसा का वातावरण बनाते हैं, बाद में हिंसा भड़काते हैं, हिंसक कार्यवाही संगठित करते हैं। यदि साम्प्रदायिकता के विरोधी उनके इस वातावरण बनाने के काम को असफल नहीं कर देते तो आगे चलकर हिंसा भड़केगी ही। उसके लिए पुलिस और अधिकारियों को दोषी बताकर क्रान्तिकारी बन्धु अपने दायित्व से बच नहीं सकते।

२४ जनवरी १९४७ को एवेल ने भारत-सचिव पेथिक लारेन्स के सचिव रोनेल्ड हैरिस के पास एक दस्तावेज भेजा जिसे गुप्तचर विभाग के निदेशक सर नोर्मन स्मिथ ने तैयार किया था। 'ट्रान्सफर आफ पावर' ग्रन्थ के दस्तावेजों में इसका विशेष महत्त्व है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो गुप्त हो और जिसे गुप्तचर विभाग ही जानता हो, फिर भी 'आदिहु तें सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी' की बात ही और है। गुप्तचर विभाग के निदेशक अच्छी तरह जानते थे कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति लीग और कांग्रेस को अन्तरिम सरकार में फासकर हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने की है या दंगे कराने की है। यहाँ कूटनीति की चादर हटाकर यथार्थ का सही रूप दिखाते हुए स्मिथ ने लिखा : "अभी तक खेल ठीक खेला गया है (The game so far has

been well played); (क) कांग्रेस और लीग दोनों को केन्द्रीय सरकार में ले आया गया है, (ख) इस प्रकार भारतीय समस्या सम्प्रदायवाद के अपने उपयुक्त धरातल पर पहुँचा दी गयी है (The Indian problem has been thereby thrust into its appropriate plane of communalism), (ग) व्यवस्थित ढंग से हट जाने के लिए अब किसी प्रकार का एक अवसर मिल रहा है क्योंकि केन्द्र में एक सरकार है जिसे सत्ता हस्तान्तरित की जा सकती है।" (उप. ५४२)। खिलाड़ी थे अंग्रेज, उनके मुहरे थे दो संगठन—कांग्रेस और मुस्लिम लीग। खिलाड़ी जीत रहे थे क्योंकि अन्तरिम सरकार में दोनों को ले आने की चाल कामयाब हुई थी। कांग्रेस और लीग मुहरे मात्र थे, इनके जरिये जिस प्रतिद्वन्द्वी पर विजय पानी थी, वह थी भारतीय क्रान्ति।

शासकों को सावधान करते हुए गुप्तचर विभाग के निदेशक ने कहा: "मुझे भय है कि अब एक यह रुझान पैदा हुआ है कि इस समय हम—विशुद्ध ब्रिटिश दृष्टिकोण से—कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शान्त परिस्थिति में हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि आगे-पीछे फिर तूफान आयेगा ही, और अपना दायित्व उतार फेंकने में बहुत ही धीमे चल रहे हैं। मुझे भय है कि इस समय अस्थायी तौर पर अपेक्षाकृत शान्त परिस्थिति में होने के कारण ऐसा रुझान पैदा हुआ है। ज़रा दम लेने का मौका मिला है, उससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। मेरे विचार से नागरिक अधिकारियों पर भारत-सचिव का नियन्त्रण जल्दी-से-जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। अधिकारियों के प्रति यह उचित ही होगा और इससे राजनीतिक लाभ यह होगा कि ऐसी निर्णायक भावमगिमा से समस्या अपने सही साम्प्रदायिक धरातल पर बनी रहेगी।" (उप., पृ. ५४२-५४३)।

१९४६ का तूफानी साल बीत गया है। परिस्थिति कुछ समय के लिए शान्त है। यह शान्ति अस्थायी है। इस बार मौका चूके तो कहीं के न रहेगे। बोरिया-बंधना संभालकर वक्त रहते इपजत के साथ विदा हो जाओ। विदाई से पहले ऐसी मगिमा दिखाओ कि लोगों को विश्वास हो जाय, तुम अपनी ओर से विदा होने-वाले हो। कहो कि नागरिक अधिकारी अब लन्दन की सरकार के मातहत नहीं हैं। इस अदा का असर यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और समस्या साम्प्रदायिक धरातल पर बनी रहेगी। भारत की राजनीतिक समस्या का सही धरातल, ब्रिटिश कूटनीति के लिए, साम्प्रदायिक ही है।

भारत छोड़ने के बारे में अंग्रेज अधिकारियों के रवैये का विश्लेषण करते हुए मथ ने लिखा कि लगभग सभी ब्रिटिश अफसर भारत छोड़ने की नीति स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेसी प्रान्तों में इस स्वीकृति के साथ उसकी पूर्ण अनिवार्यता का भी सास है और ब्रिटिश सरकार ने अब तक जो नीति अपनायी है, उसका समर्थन करते हैं। गैर-कांग्रेसी प्रान्तों में, खासतौर से पंजाब में, नागरिक अधिकारी गैर-वादाशाह सलामत की नीति की, और हुजूर वाइसराय जो चालें चलते हैं, की कटु आलोचना कर जाते हैं। यह दृष्टिभेद राजनीतिक परिस्थितियों के भेद-लक्षण होता है। पंजाब [अर्थात् पंजाब का अधिकारी वर्ग] समझता है कि भारत के अधिकारी पराजयवादी बन गये हैं और शेष भारत [अर्थात् शेष

/ भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद

भारत का अधिकारी वर्ग] अधिकांशतः समझना है कि पंजाब उस अतीत में जो रहा है जो मर चुका है या मरनेवाला है।" (उप., पृ. ५४३)। कांग्रेसी प्रान्त वे थे जहाँ राजनीतिक आन्दोलन दमिन्शाली था; यहाँ काम करनेवाले अधिकारी अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजी राज के दिन बीत चुके हैं। उनकी समझ में अंग्रेजी राज का सात्मा पूरी तरह अनिवार्य था। स्वाधीनता-आन्दोलन का विकास विपम रूप में हुआ था; कहीं वह ताकतवर था और कहीं कमजोर था। भारत-विभाजन की ब्रिटिश नीति कहीं तक सफल होती है, यह इस पर निर्भर था कि पंजाब संयुक्त रहता है या विभाजित होता है। अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब में साम्प्रदायिक भेद अधिक था; यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के अतिरिक्त सिख भी थे। इसलिए पंजाब का अधिकारी वर्ग कांग्रेसी प्रान्तों के सहयोगियों को परत और निकम्मा समझता रहा हो तो आश्चर्य नहीं।

स्मिथ ने चेतावनी दी कि खैरियत तब तक है जब तक साम्प्रदायिक उपद्रव होते रहते हैं, इनकी जगह ब्रिटिशविरोधी उपद्रव शुरू हो गये तो जान की खैर नहीं। उन्होंने लिखा : "गम्भीर साम्प्रदायिक उपद्रवों में विचलित होकर हमें ऐसी कार्रवाई में न लग जाना चाहिए जिससे ब्रिटिशविरोधी आन्दोलन फिर शुरू हो जाय। इस तरह के आन्दोलन में बेहद खतरनाक परिस्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी कि हम कहीं के न रहे। पहली [साम्प्रदायिक उपद्रववाली] प्रक्रिया सहज है, यद्यपि जघन्य है, जो अपने ही ढंग से भारतीय समस्या का समाधान पेश कर सकेगी।" (उप.)। अंग्रेजों के लिए जो प्रक्रिया रक्तरंजित और जघन्य (ghastly) थी, वह नैसर्गिक, सहज (natural) थी। इस प्रक्रिया से वे जिस समाधान की ओर भारत को ठेल रहे थे, वह ऐसा समाधान था कि रक्तरंजित प्रक्रिया कभी समाप्त ही न हो। भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचार भूल जाय, स्वाधीन होने पर अंग्रेजों से प्रीति दृढाये और उनके हितों की रक्षाली करे, यह तभी सम्भव था जब साम्राज्यविरोधी राष्ट्रियता का स्थान राष्ट्रविरोधी साम्प्रदायिकता ले ले।

आगे क्या होगा, स्मिथ के लिए कहना मुश्किल था। अतीत की ओर निगाह दौड़ाते हुए उन्होंने कहा : "कुछ वर्ष पहले कौसी भी स्थिति रही हो, साम्प्रदायिक विद्वेष अब इतना कटु हो गया है कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर भविष्य-निर्माण करेंगे, यह सोच पाना कठिन है। यह विद्वेष कम हो सकता है पर बीच की खाई इतनी चौड़ी है और संस्कृति का भेद इतना स्पष्ट है कि स्वस्थ सहयोग की सम्भावना कम है।" (उप.)। साम्राज्यवादी ही नहीं, भारत के सम्प्रदायवादी ही नहीं, यहाँ जितने क्रान्तिविमुख दक्षिण-वाम अवसरवादी हैं, वे भी इसी तरह सोचते हैं। पाकिस्तान अलग, हिन्दुस्तान अलग; मुस्लिम संस्कृति अलग, हिन्दू संस्कृति अलग; उर्दू अलग, हिन्दी अलग; हिन्दू और मुसलमान मिलकर भविष्य-निर्माण कैसे कर सकते हैं ?

स्मिथ ने लिखा : फूट डालनेवाली प्रवृत्तियों के रहते भारत का अस्तित्व मजबूत केन्द्र पर निर्भर है पर स्पष्ट है कि मुसलमान ऐसा केन्द्र स्वीकार न करेंगे और उसका बनना असम्भव-सा है। लन्दन सरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के

माध्यम से जो एकतावद्ध भारत का सञ्जवाग दिखा रही थी, उसके बारे में स्मिथ का विचार था : “वर्तमान लक्ष्य है एक कमजोर केन्द्र। उसमें विघटन के बीज पहले से विद्यमान हैं। विदेशी मामलों में सामान्य नीति हो, और इसके परिणाम-स्वरूप सुरक्षा और वित्त सम्बन्धी मामलों में सामान्य नीति ही, यह सम्भव नहीं जान पड़ता।” (उप.)। यहाँ निर्णायक भूमिका है विदेशी मामलों की। यदि विदेशी मामलों में पाकिस्तान का झुकाव साम्राज्यवाद की ओर रहता है और भारत का साम्राज्यविरोध की ओर तो दोनों की वित्तीय और सुरक्षा-सम्बन्धी नीति भी जुदा-जुदा होगी। भविष्य-निर्माण के नवसे दोनों राज्यों के अलग-अलग होंगे। साम्राज्यवाद भारत पर केवल दबाव डाल सकता है; भरोसा वह तभी करेगा जब पाकिस्तान की तरह यहाँ भी राज्यसत्ता का आधार सम्प्रदायवाद हो। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक साम्राज्यवाद पाकिस्तान का ही भरोसा कर सकता है।

भारत को एकतावद्ध बनाये रखने के लिए जो परिसंवाद हो रहे थे, उनके असफल होने की भविष्यवाणी करते हुए स्मिथ ने बताया कि कांग्रेस क्यों पाकिस्तान स्वीकार करेगी। “जैसा कि कुछ महीनों से मैं कहता आ रहा हूँ, कांग्रेसिस्तान से (कांग्रेस के पदग्रहण से) पाकिस्तान के जन्म लेने की सम्भावना है।” (उप.)। स्मिथ के अनुसार कांग्रेसी नेता सत्तारूढ़ होने को विकल हैं। पाकिस्तान को स्वीकार किये बिना अंग्रेज उन्हें सत्तारूढ़ होने न देंगे। क्रान्ति करके साम्राज्यवाद और उसके लगुओ-भगुओं को वे एक साथ खदेड़ दें, इतना साहस उनमें है नहीं। इसलिए पाकिस्तान का जन्म होगा कांग्रेसिस्तान से !

पाकिस्तान बनने से लाभ अंग्रेजों को होगा या मुसलमानों को ? स्मिथ ने लिखा : “मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बनने से भारत के मुसलमानों को लाभ होगा। उनके पूरव और पच्छिम में ज्यादा मजबूत ताकतें हैं। वे उन्हे बीच में दबोच लेंगी और वे परेशानी में पड़ जाएंगे। पर यदि वे पाकिस्तान लेने पर तुले हुए हैं तो वह उन्हें मिल जायगा।” (उप.)। पूरव में चीन, पश्चिम में रूस, ये ताकतें पाकिस्तान को दबोच सकती थीं। इसलिए साम्राज्यवादी नीति यह हुई कि कम-से-कम एक तरफ से पाकिस्तान को सुरक्षित रखा जाय। यदि पाकिस्तान और चीन में उतनी ही गहरी दोस्ती है जितनी पाकिस्तान और अमरीका में, तो यह साम्राज्यवादी कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है।

पाकिस्तान बन जाने के बाद यदि भारत में वामपन्थी आन्दोलन शक्तिशाली हो जाता है तो यह साम्राज्यवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कांग्रेसी नेता साम्राज्यविरोधी हैं पर असंगत रूप से; वे साम्राज्यवाद से सम्पर्क बनाये रखते हैं। इनकी जगह यदि सुसंगत साम्राज्यविरोधी आ गये तो यह सम्पर्क समाप्त हो जायगा। जनवरी १९४७ में अंग्रेजों पर क्रान्तिकारी परिस्थिति का कितना दबाव अभी बना हुआ था, इसका अनुमान स्मिथ के इन वाक्यों में होगा : “एक मजबूत हिन्दू [अर्थात् कांग्रेसी] केन्द्र कायम भी हो जाय, तो भी वह वामपन्थी हमले के सामने बहुत दिन तक जमा रह सकेगा, इसमें सन्देह है। मजदूरों में, किसानों में, प्रान्तीय और भापाई बडाचड़ी आदि में उपद्रव के लिए भरपूर सामग्री है। जयप्रकाश

नारायण और उनकी वेढंगी भीड़ से भविष्य को खतरा है। हो सकता है कि इनसे और कम्युनिस्टों से कांग्रेस काफी दृढ़ता से निपटे पर उसके पास समय बहुत कम है। नेहरू कैबिनेट में है, इसलिए कांग्रेस में उनसे निपटने की सामर्थ्य अथवा इच्छा भी होगी, इसमें सन्देह है।" (उप., पृ. ५४४)।

जयप्रकाश नारायण, कम्युनिस्ट और नेहरू, ये तीनों मिलकर काम करें तो स्मिथ के लिए परिस्थिति भयानक हो सकती थी। नेहरू क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल भले न हों, वह कैबिनेट में रहते हुए केन्द्रीय सरकार को दमननीति पर चलने से रोके रह सकते थे। जयप्रकाश नारायण के अनुयायी भले ही सन् ४२ में कम्युनिस्टों की भूमिका से असन्तुष्ट हों पर इस समय यदि वे कम्युनिस्टों से मिल गये तो अंग्रेजों को लेने के देने पड़ जायेंगे। उधर पूरनचन्द जोशी पटेल के विरुद्ध नेहरू के हाथ मजबूत करने में लगे थे। जोशी के नेतृत्व से हटते ही नेहरू ने दिखा दिया कि उनके हाथ कितने मजबूत हैं। बाकी रहे सोशलिस्ट, वे राजनीति से संन्यास लेकर सर्वोदयवादी हो गये, जो राजनीति में बने रहे, वे मार्क्सवाद को तिलाञ्जलि देकर गांधीवादी हो गये। यह मारा राजनीतिक खेल ठीक उमी तरह खेला गया जिस तरह बड़े-से-बड़ा आशावादी अंग्रेज उसके खेले जाने की कामना कर सकता था।

अंग्रेजी राज का अन्त भारत के विघटन से हो, स्मिथ के लिए यह बात निराशाजनक थी। आशाजनक बात यह थी कि "चरम वामपन्थी खतरा हिन्दू और मुसलमान [अर्थात् कांग्रेसी और लीगी] नेताओं को एक-दूसरे के निकट ला सकता है, पर यह सब भविष्य के गर्भ में है।" (उप.)। भारत के विघटन की निराशाजनक परिस्थिति को दार्शनिक भाव से ग्रहण करना चाहिए; "यदि हम प्राकृतिक शक्तियों को नियन्त्रित नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि उन्हें स्वीकार करें और वाजिव ब्रिटिश हितों पर अपनी निगाह बराबर जमाये रहे। (keeping our eyes steadily on reasonable British interests.)" (उप.)। यदि पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था में शामिल रहता तो अति उत्तम होता। ऐसा नहीं हुआ, यह बात निराशाजनक थी। तब दार्शनिक भाव से वाजिव ब्रिटिश हितों पर बराबर निगाह जमाये हुए प्रयत्न यह करना चाहिए कि नेहरू-पटेल वामपन्थ का दमन करें, पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षाव्यवस्था की धुरी बने और शेष भारत की राजनीतिक समस्या को ठेलकर साम्प्रदायिकता के स्तर पर कायम रखा जाय।

(ख) अन्तरिम सरकार और संविधान सभा

देश में दंगे हो रहे थे। नेहरू इन दंगों को रोकने में असमर्थ थे। दंगे कराने में प्रमुख भूमिका मुस्लिम लीग की थी। लीग के नेता अन्तरिम सरकार में शामिल थे। कांग्रेस के भीतर नेहरू की आलोचना होने लगी थी कि दंगे नहीं रोक पाते तो लीग के साथ सरकार में शामिल क्यों हो? या तो सरकार से लीगियों को निकालो या खुद बाहर आकर अंग्रेजों को निकालने के लिए आन्दोलन चलाओ। किन्तु नेहरू न लीगियों को निकाल पाये, न खुद बाहर निकले। लीगो नेता अन्तरिम सरकार

में रहते हुए खुलेआम क्रान्तिविरोधी आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे थे किन्तु नेहरू-पटेल अपना अहिंसक सत्याग्रह, विनयपूर्वक अयज्ञ करने का आन्दोलन भी रोकें हुए थे। अंग्रेज जानते थे कि पद-तोलुप कांग्रेसी नेता सरकार छोड़कर बाहर आने-वाले नहीं हैं। नवम्बर १९४६ के पहले पसवारे में वेवल ने परिस्थिति का जायजा इस प्रकार लिया था : "पूर्वी बंगाल के दंगों को लेकर नेहरू और कांग्रेस को पहली बार अपने अनुयायियों की ओर से सख्त आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब तक जो कुछ करते आये थे, उम पर वे जय-जयकार सुनने के आदी हो गये थे। यह आलोचना मुनकर वे चकित और स्तम्भित से रह गये हैं। उनके विरुद्ध आलोचना का सूत्र यह है कि यदि अन्तरिम सरकार कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की घटनाएँ रोक नहीं सकती और मुस्लिम लीग का दमन नहीं कर सकती, तो अच्छा होगा कि पद त्याग दे और पुराने क्रान्तिकारी तरीके अपनाये। ऐसे सुझावों से खतरा खरूर पैदा हो सकता है, खासतौर में नेहरू जैसे व्यक्ति जल्दी ही भाव-विह्वल हो उठते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुमत [कांग्रेसी बहुमत] पद त्यागना चाहेगा।" (१३ नवम्बर १९४६, भारत-सचिव के नाम वाइसराय; उप., पृ. ५७)। वेवल ने कांग्रेसी नेताओं की पदतोलुपता को सही पहचाना था, इसलिए उसे ब्रिटिश कूटनीति की सफलता पर विश्वास था।

संविधान सभा बुलायी जाने की थी। वह भारत का संविधान बनाती। अंग्रेज कुछ दिन तक टालते रहे, फिर ६ दिसम्बर १९४६ को विधान सभा बुला ली गयी किन्तु मुस्लिम लीग उसमें शामिल न हुई। उसे भारत के संविधान से क्या लेना-देना था? कांग्रेसी नेताओं ने जोर लगाया कि या तो लीग संविधान सभा में शामिल हो या अन्तरिम सरकार से बाहर निकले। लीग ने दोनों में से एक बात भी न की; न वह संविधान सभा के भीतर गयी, न अन्तरिम सरकार के बाहर आयी। कांग्रेसी नेताओं की स्थिति परम हास्यास्पद हो गयी।

संविधान सभा जुड़ने से पहले जिन्ना ने वेवल से कहा, हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच समझौता होना नितान्त असम्भव है। अंग्रेजों को जाना हो तो जल्दी जायें, रुकना हो और समस्या सही ढंग से हल करनी हो तो उन्हें खुद संविधान बनाकर अपनी ओर से पंच फैसला करना चाहिए (make an award)। बिहार के दंगों के लिए कांग्रेस को दोषी बताते हुए जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि "कांग्रेस का सारा उद्देश्य मौजूदा संविधान पर अमल करना नहीं है वरन् वर्तमान शासन पद्धति की गरिमा और शक्ति को समाप्त करना है। उन्होंने [जिन्ना ने] कहा, 'वे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं।' (इस बारे में जिन्ना ने जो कुछ कहा, उसके अधिकांश से मैं [वेवल] तहेदिल से सहमत हूँ यद्यपि मैं ऐसा कह न सकता था।)" (उप., पृ. १०६)।

जिन्ना जानते थे कि पूरा बंगाल, पूरा असम, पूरा पंजाब पाकिस्तान में शामिल न किये जायेंगे। पूरे-पूरे सूबे लेने के फेर में रहे तो कांग्रेस को अन्तरिम सरकार से निकलकर आन्दोलन की राह पकड़नी होगी, वरना कांग्रेस समाप्त हो जायेगी। अंग्रेज उनकी इस माँग को कांग्रेसियों से मनवा न सकेगे। इसलिए जिन्ना ने वेवल को समझा दिया : हमें अपना इलाका दे दीजिए, वह चाहे जितना छोटा हो पर वह

हमाराहो, वहाँ एक वक्त रोटी खाकर जिन्दगी बसर कर लेंगे। (उप.)। वाइसराय के सचिव एवेल ने नोट किया कि जब लीग अन्तरिम सरकार में शामिल हुई थी तब उसने निश्चित आश्वासन दिया था कि वह १६ मई वाला कैबिनेट मिशन का बयान स्वीकार करेगी। (उप., पृ. १६१)। कैबिनेट मिशन की वह योजना पुरानी पड़ चुकी थी। वेवल ने दिसम्बर १९४६ के आरम्भ में नोट किया कि मिशन के आशय के अनुसार उसका बयान कांग्रेस और लीग को मजूर न होगा तो “बादशाह सलामत की सरकार को यह हकीकत रवीकार करनी चाहिए कि मिशन की योजना मुर्दा है।” (उप., पृ. २४२)। या तो ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना अधिकार फिर कायम करे या नये समझौते का प्रयास करे। “यह किसी न किसी प्रकार का विभाजन होगा और इसमें तुरत कांग्रेस से हमारी टक्कर होगी। इसका अर्थ होगा विभाजन-क्रिया पूरी करने के लिए हम यहाँ बने रहें और शायद कुछ वर्षों तक बने रहें। मैं नहीं समझता ऐसी नीति व्यावहारिक होगी।” (उप., पृ. २४३)। वेवल के लिए जो नीति व्यावहारिक थी, उसे माउण्टबेटेन ने व्यावहारिक सिद्ध कर दिया। अब वेवल के वाइसराय भवन छोड़ने के दिन आ गये थे।

जिन्ना का तर्क था कि मिशन का बयान सही अर्थ में लीग ने स्वीकार किया है, कांग्रेस ने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा, हम बयान का ऐसा भाष्य करेंगे जैसा मुस्लिम लीग चाहती है; तब वह उसे मानेगी (यानी सविधान सभा में शामिल होगी) ? लन्दन में भारतीय नेता ब्रिटिश मन्त्रियों से मिले। “भारत-सचिव ने बताया कि सविधान सभा के विभागों की कार्यपद्धति के बारे में यदि बयान का भाष्य वैसा ही किया जाय जैसा मुस्लिम लीग चाहती है, तब भी जिन्ना इस बात के लिए राजी न हुए कि वह लीग की कार्यसमिति से सिफारिश करेंगे कि वह कैबिनेट मिशन के बयान को फिर स्वीकार करे।” (उप., पृ. २७४)। यह जानते हुए भी कि जिन्ना सविधान सभा में भाग न लेगे, ब्रिटिश सरकार ने ६ दिसम्बर १९४६ को बयान दिया। इसमें कैबिनेट मिशन के बयान की व्याख्या फिर की गयी और यह आशा प्रकट की गयी कि “कांग्रेस कैबिनेट मिशन का दृष्टिकोण स्वीकार कर ले जिससे मुस्लिम लीग के लिए अपने रवैये पर फिर से विचार करने का रास्ता साफ हो जाय।” (उप., पृ. २९६)।

ब्रिटेन की सरकार कितनी उदार है, कितनी शान्तिप्रेमी है, जनतन्त्र में उसकी कैसी दृढ़ आस्था है, भारत का शोषण कभी उसका लक्ष्य नहीं रहा, साम्राज्यवाद से सम्बन्ध किसी और सरकार का होगा, ब्रिटिश सरकार से नहीं, इन ऐतिहासिक तथ्यों की घोषणा और पुष्टि करते हुए नेहरू, जिन्ना, लिखाकत और वल्देबर्सह की उपस्थिति में वेवल, क्रिप्स, पेथिक लारेन्स और अलेग्जान्डर से परिवेष्टित प्रधान मन्त्री ऐटली ने कहा : वर्तमान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि भारत को अपने सविधान के बारे में स्वयं निर्णय करना है। यह घोषणा एक बड़ा कदम है और इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है, इस रूप में सत्तार के सभी भागों में उसका स्वागत किया गया। पार्लियामेण्ट में आमतौर में उसे समर्थन मिला। स्थिति की विडम्बना यह है कि आगे की प्रगति इससे एक बहुत छोटे समय पर

(on the much smaller question) रुक गयी है, वह है कार्यपद्धति को लेकर भारतवासियों में सहमति का सवाल। विश्व जनमत के लिए यह स्थिति अद्भुत है। इस मामले में जो कुछ सम्भव था, ब्रिटिश सरकार कर चुकी है। तीन मन्त्रियों ने भारत में साढ़े तीन महीने बिताये और सहमति के लिए उन्होंने जी-जान से परिश्रम किया। अन्त में अधिकतम सहमति के लिए जो आधार उनकी समझ में हो सकता था, उसे उन्हें स्वयं १६ मई के बयान में प्रस्तुत करना पड़ा। सारी दुनिया के जानकार लोगों की निगाह में यह सूझबूझ का बयान था। अधिकांश लोगों के विचार से उसकी व्याख्या को लेकर जो मतभेद था, वह बहुत बड़ा नहीं था। यदि भारत में शान्तिपूर्वक सत्ता का हस्तान्तरण होना है तो यह भारतीय दलों के बीच सहमति, सद्भावना और आपस की लेनी-देनी से ही होगा। (उप. २६७)।

विश्व जनमत ब्रिटिश सरकार के साथ है, जो भारतीय नेता कार्यपद्धति के छोटे से सवाल पर सहमत नहीं हो पाते, विश्व जनमत उनका साथ कभी न देगा। दूसरे महायुद्ध के बाद विश्वव्यापी जनआन्दोलनों ने साम्राज्यवाद को कठपरे में ला खड़ा किया था; यहाँ साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री ने अपनी जगह भारत के नेताओं को खड़ा कर दिया। यह स्थिति जिन्ना और लिआकत की कारगुजारी पर चार चाँद लगानेवाली थी; वे तो साम्राज्यवादी पड़्यन्त्र का अंग थे ही, यह स्थिति उनकी सफलता का प्रमाण थी। पर युवकों के हृदयसम्राट् के लिए यह स्थिति लज्जाजनक होनी चाहिए थी। विश्व इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारनामे लासानी थे। ऐटली कह रहे थे, हमने जो कदम उठाया है, इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है। अंग्रेज बेचारे पूरा जोर लगा रहे थे कि भारतीय दलों में समझौता हो जाय, उनके तीन तीन मन्त्री महीनों भारत में पड़े रहे, ऐसी कड़ी मेहनत की कि कई बीमार पड़-पड़ गये। समझौता न हुआ, तब उन्होंने अपनी तरफ से समझौते का आधार प्रस्तुत करनेवाला बयान दिया। पर अब उसकी व्याख्या को लेकर मतभेद है! मुख्य बात यह है कि शान्तिपूर्वक सत्ता लेनी है तो आपस में समझौता करना पड़ेगा अर्थात् साम्राज्यविरोधी नेहरू, क्रान्ति के बिना, भारत को स्वाधीन करना चाहें तो उन्हें साम्राज्यहितैषी जिन्ना के साथ समझौता करना होगा।

ऐटली ने आगे अपने प्रवचन में कहा: यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, वे सब दायित्व के पदों पर हैं। संसार के मामलों में वे जीवन की जनतान्त्रिक पद्धति के समर्थक हैं। एशिया में जनतान्त्रिक तरीकों का प्रमुख उद्घोषक भारत है। नये संविधान का शिलान्यास जनवादी प्रक्रिया से होता है तो इसका प्रभाव दुनिया के, यूरुप में ही नहीं वरन् एशिया में, सारे भविष्य पर पड़ेगा। (उप.)।

ऐटली के लिए जनतन्त्र क्या है? साम्राज्यवाद से क्रान्ति-विमुख समझौता। जनतन्त्र का प्रमुख उद्घोषक भारत क्यों है? इसलिए कि ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण देश पराधीन भारत था। जनतान्त्रिक पद्धति से भारत का नया संविधान बने, क्या इसका यह अर्थ है कि भारतीय जनता का बहुमत ऐसा संविधान बनाये? नहीं, इसका अर्थ है अल्पमत अपने आगे बहुमत की एक न चलने दे।

ऐसे अजूबा जनतन्त्र के सहारे भारत अपना संविधान बनायेगा तो उसका प्रभाव सारी दुनिया के भविष्य पर, यूरोप में ही नहीं, एशिया में भी, क्यों पड़ेगा ? इसलिए कि सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप में अनेक समाजवादी राज्य कायम हो चुके थे और एशिया में चीनी क्रान्ति अभी सफल न हुई थी पर होनेवाली थी। इस समाजवादी यूरोप-एशिया में ब्रिटिशमार्का जनतन्त्र का इकलौता समर्थक होगा भारत !

ऐटली ने सिद्धि निकट देखकर परम आत्मसन्तोष से कहा : ब्रिटिश सरकार अपना काम कर चुकी। प्रमुख भारतीय जिस नीति को लागू करने के लिए बरसों से कह रहे थे, सरकार ने इस देश में उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। अब उसे भारतीय सहयोग की मांग करने का हक है। वर्तमान मुलाकातो में वह (सरकार) एक पक्ष की बात के लिए दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए उसका विचार है कि आज रात वह नया वयान जारी करे। (उप.)।

इसके बाद ऐटली ने जो वयान पढा, उसका अन्तिम अंश इस प्रकार था : "परस्पर सहमतिवाली कार्यपद्धति के बिना संविधान सभा के सफल होने की कभी कोई सम्भावना नहीं रही। यदि भारतीय जनता का एक बड़ा भाग संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि न भेजे और यह सभा संविधान बना डाले, तो अवश्य ही बादशाह सलामत की सरकार देश के उन भागों पर उसे थोपना न चाहेगी जो उसे स्वीकार न करते थे, जैसा कि कांग्रेस ने भी कहा है कि ऐसे भागों पर वह उसे न थोपेगी।" (उप., पृ. २६६)।

संविधान सभा बुलाने के लिए कांग्रेस ने वेवल पर बड़ा जोर डाला था। यह उसका जवाब था। बुला तो संविधान सभा, बना तो अकेले संविधान, वह भारत पर लागू होता है या नहीं, यह ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर है। ब्रिटिशमार्का जनतन्त्र में फौसला बहुमत से नहीं होता, अल्पमत से होता है। यह नियम केवल भारत के लिए है, ब्रिटेन के लिए नहीं !

संविधान सभा का अधिवेशन ६ दिसम्बर को शुरू हुआ। उसके निधन का शोक-समाचार ६ दिसम्बर के वयान में पहले ही प्रकाशित कर दिया गया था। नेहरू ने उक्त वयान सुनकर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से कहा : वयान पर सोच-विचार के लिए कांग्रेस को समय चाहिए पर कुछ बातें अभी कही जा सकती हैं। इस वयान से १६ मई वाले वयान में संशोधन किया गया है; उसमें नयी बातें हैं। कांग्रेस १६ मई के वयान के आधार पर अब तक बातचीत करती आयी है। बाद में कांग्रेस से कहा गया था कि उसमें कोई संशोधन-परिवर्तन न होगा। अब इस व्याख्या से उसका रूप बदल गया है। यदि यह (६ दिसम्बर वाला) वयान पहले दिया गया होता तो यह कहना कठिन है कि कांग्रेस का खैया क्या होता। (उप., पृ. २६८)। "और उन्होंने जिन्ना और लिआकत अली ख़ाँ को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस में सभी लोग ऐसा रास्ता ढूँढ़ निकालने को उत्सुक हैं जो दोनों दलों के लिए सम्मानजनक हो क्योंकि वे [कांग्रेसी नेता] अपनी याकी जिन्दगी लड़ाई-झगड़े में चरवाद करना नहीं चाहते। वे किसी भी ऐसे संविधान की कल्पना नहीं कर सकते जिसे देश का एक भाग दूसरे भाग पर लाद दे।" (उप., पृ. २६९)। जवाहरलाल नेहरू उसी सुधारवादी नीति के प्रतिनिधि थे जिसके प्रमुख भाष्य-

कार सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद थे। इस नीति का सुधारवादी सारतत्व था साम्राज्यविरोध और साम्राज्यसमर्थन में समझौता कराना, इस समझौते के लिए साम्राज्यवाद का अनुमोदन प्राप्त करना। ऐटली ने अल्पमत को बहुमत के ऊपर स्थान देकर जनतन्त्र की जो व्याख्या की थी, वह नेहरू को मान्य थी।

जिन्ना ने क्रिप्स के सहायक वायट से कहा कि वह हमेशा ईमानदारी की बात करते आये हैं और खुशी की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन की व्याख्या ईमानदारी से की है। उन्होंने वायट को समझाया कि कांग्रेस न तो मुस्लिम लीग से समझौता करना चाहती है, न ब्रिटिश सरकार से। कांग्रेस ब्रिटिश अफसरों को निकाल रही है, सरकारी पदों पर मुसलमानों को निकालकर अपने आदमी रख रही है। जरूरत हो तो बल-प्रयोग द्वारा भी सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर भरपूर तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने आज़ाद हिन्द फौज के २५,००० आदमी तनखाह देकर काम में लगा रखे हैं, उनके दफ्तर सारे देश में कांग्रेस के दफ्तरों के पड़ोस में हैं। मुस्लिम लीग ने इसी पैमाने पर संगठन न रखा किया, इसके लिए उन्होंने अपनी मूर्खता को दोषी ठहराया। “अन्त में उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि वह सविधान सभा को एक बार परखने के लिए तैयार हो सकते हैं पर यह सभा सही ढंग से काम न करेगी और हमेशा की तरह एक ही समाधान था पाकिस्तान।” (उप., पृ. ३१२-१३)।

सविधान सभा का अधिवेशन आरम्भ हुआ, लीग उसमें शामिल न हुई। सरदार पटेल ने वाइसराय से कहा : वादशाह सलामत की सरकार प्रान्तों के गुट बनाने के मसले पर जो चाहे सो कह सकती है पर यदि वह समझती है कि उसकी व्याख्या मूल योजना का अभिन्न अंग है तो उसे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। प्रधान मन्त्री ऐटली ने अप्रैल १९४६ में कहा था कि अल्पमत हमेशा के लिए बहुमत के रास्ते में अड़ंगा नहीं लगा सकता; इस वयान का अन्तिम अंश इसे नकारता है। कांग्रेस में बहुत लोग इसे विश्वासघात मानते हैं। “उनके लिए यह बात गम्भीर थी और उन्होंने जता दिया कि यदि इसका अर्थ यह लगाया गया कि लीग की ओर से विरोध प्रदर्शन करने पर गाडी रुक जायगी तो हो सकता है कि इस बात पर समझौते की वार्ता टूट जाय।” (१० दिसम्बर १९४६ को स्थानापन्न वाइसराय कोलविल से पटेल की भेंट; उप. ३२२-२३)।

किन्तु वार्ता टूटी नहीं। कांग्रेस कार्यसमिति ने सारा मामला ए. आई. सी. सी. के सामने रखा और ए. आई. सी. सी. ने ६ जनवरी १९४७ के प्रस्ताव में कहा कि वह चाहती है कि सविधान सभा सभी सम्बद्ध दलों की सद्भावना से स्वाधीन भारतका सविधान बनाये; अनेक व्याख्याओं के कारण जो कठिनाइयाँ पैदा हो गयी हैं, उन्हें देखते हुए वह परामर्श देती है कि (प्रान्तों से सम्बन्धित) “गुटों (sections) की कार्यपद्धति की जो व्याख्या ब्रिटिश सरकार ने की है, उसके अनुसार [कांग्रेसी नेतृत्व] काम करे।” (उप., पृ. ४६३)। किसी प्रान्त पर दबाव न डाला जायगा; “ऐसा दबाव डाला गया तो प्रान्त या प्रान्त के भाग को अधिकार होगा कि सम्बद्ध जनता की भावना को अमल में लाने के लिए यथावश्यक कदम उठाये।” (उप.)।

कांग्रेसी नेतृत्व ने ब्रिटिश व्याख्या स्वीकार की। प्रान्त के साथ प्रान्त के भाग की बात कहकर उसने सकेत किया कि लीग को बहुसंख्यक मुस्लिम इलाके ही मिल सकते हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम इलाके नहीं। नारी बातचीत दो सम्प्रदायों को वादी-प्रतिवादी मानकर हो रही थी, इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय अपना बहुसंख्यक इलाका ले ले, यह बात बहुत तर्कसंगत जान पड़ती थी। वास्तव में यह साम्प्रदायिकता के आधार पर राष्ट्र तथा बंगाल, पंजाब जैसे जातीय प्रदेशों के विभाजन की स्वीकृति थी। यदि पंजाब और बंगाल ही जातीय एकता कायम रहती तो राष्ट्र की एकता भी कायम रह सकती थी पर कांग्रेस, लीग और अंग्रेजों के बीच बातचीत हमेशा साम्प्रदायिक भेदभाव की स्वीकृति के आधार पर हुई। यह स्वीकृति जातीय और राष्ट्रीय एकता की अस्वीकृति थी। ए. आई. सी. सी. में उक्त प्रस्ताव पास कराना आसान नहीं था। जैसा कि वेवल ने पेथिक लारेन्स को सूचित किया, पुराने नेतृत्व ने इसे अपने प्रति विश्वास का प्रस्ताव बना लिया था। (८ जनवरी १९४६; पृ. ४८६)। ३१ जनवरी को मुस्लिम लीग की कार्य-समिति ने प्रस्ताव पास किया कि सविधान सभा शुरू में ही गैरकानूनी थी, इसलिए उसे तुरंत भंग कर देना चाहिए; ६ दिसम्बर के बयान से बादशाह सलामत की सरकार ने साबित कर दिया है कि कैबिनेट मिशन के १६ मई वाले बयान की जो व्याख्या मुस्लिम लीग करती आयी थी, वह सही है; कांग्रेस ने १६ मई का बयान कभी स्वीकार ही न किया था। (उप, पृ. ५६२)।

इस पर वेवल की प्रतिक्रिया यह थी : “मुझे लगता है कि लीग ने जो फैसला किया है, वह दूरदेशी और बुद्धिमानी का नहीं है। यदि कांग्रेस जोर दे कि लीग को कैबिनेट से हट जाना चाहिए तो मैं नहीं जानता इसका विरोध मैं कैसे करूँगा हालाँकि मैं नेहरू को बताऊँगा कि मिली-जुली सरकार भंग करना कांग्रेसी दृष्टिकोण से अत्यन्त हानिकारक होगा।” (१ फरवरी १९४६, पेथिक लारेन्स के नाम तार; पृ. ५६३)। नीति-निर्धारण का काम ब्रिटिश सरकार का था। वेवल उस नीति को लागू करनेवाले उपकरण मात्र थे। सूत्रधार ऐटली और उपकरण वेवल में तालमेल न था। पेथिक लारेन्स ने वेवल को तार से जवाब दिया : अपनी तरफ से नेहरू को बुलाकर लीगी सदस्यों को निकालने के बारे में कुछ न कहना। “यदि वह औपचारिक रूप से मांग करें कि लीग को सरकार से निकाला जाय तो तुम कह सकते हो कि यह मामला बादशाह सलामत के पास भेजा जायगा।” (उप., पृ. ५६४)। इससे पहले १८ दिसम्बर १९४६ को माउण्टबाटन ने भारत का वाइसराय बनने का प्रस्ताव ऐटली कर चुके थे और २ दिसम्बर को माउण्टबाटन ने कुछ शर्तों के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वेवल के कानों में इसकी भनक भी न पड़ी। वह ४ फरवरी को ऐटली के सहयोगी पेथिक लारेन्स को सुझा रहे थे कि बादशाह सलामत की सरकार मुस्लिम लीग के ३१ जनवरी १९४७ वाले प्रस्ताव पर अपने बयान में कहे : “बादशाह सलामत की सरकार की निगाह में ६ जनवरी १९४७ के बयान के द्वारा कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली है। बादशाह सलामत की सरकार यह नहीं समझती कि सारी भारतीय समस्या के प्रति नया रवैया अपनाना चाहिए और उसकी राय में सविधान सभा

काम जारी रहना चाहिए। किन्तु यह सच्य दिल से जाना करेला ह कि मुस्लिम लोग अपने रवैये पर फिर से विचार करेगी और कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर, तथा १६ मई, २५ मई और ६ दिसम्बर के बयानों के आधार पर, विधान सभा में भाग लेना मजूर करेगी।" (उप., पृ. ६१३)।

ब्रिटेन की सरकार का कपट, उसकी कुटिलता यहाँ पूरी तरह उजागर है। वह भी तक जिस संवैधानिकता का नाटक करती आयी थी, उमका तर्कसंगत अन्तिम श्य वही था जिसकी ओर वेवल ने सकेत किया था। किन्तु ब्रिटिश सरकार अपने बयानों की नयी-नयी ध्यास्या करके, कांग्रेस को साम्राज्यविरोधी आन्दोलन दूर खींचते हुए, उसे निरन्तर भारत-विभाजन की ओर ठेल रही थी। भारत का विभाजन साम्राज्यविरोधी आन्दोलन का विघटन था, इसीलिए वह इसके लिए अतना प्रयत्नशील थी। ब्रिटिश सरकार वैसे कोई बयान देनेवाली न थी जैसा वेवल ने सुझाया था। नीग संविधान सभा में शामिल न होगी और अन्तरिम सरकार से हटेगी भी नहीं। कांग्रेसी नेता लीगी सदस्यों को अन्तरिम सरकार से निकालने की मांग कर रहे थे। पेथिक लारेन्स ने वेवल को सचेत किया: "यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकार से मुस्लिम लोग को निकालने की मांग करे ही तो हम हेंगे कि तुम टालने की कोशिश करो (play for time) और मामला हमारे पास ज दो।" (६ फरवरी १९४७; पृ. ६२२)।

कुछ समय तक लीगी सदस्यों को निकालने की बात टाली जाय, पेथिक लारेन्स को इससे क्या लाभ होनेवाला था? लाभ यह होनेवाला था कि अन्तरिम सरकार में रहते हुए लीगी नेता विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते थे। बड़ी पैमाने पर हत्याकाण्ड सगठित करके यह दिया सकते थे कि विभाजन निवार्य है। तब कांग्रेस स्वयं कहेगी कि केन्द्र में मिली-जुली सरकार चल नहीं सकती; लीगी सदस्यों को निकालने की समस्या अपने-आप हल ही जायगी। जब कि केन्द्रीय सरकार न होगी तब कौन किस निकालेगा? दो अलग-अलग राज्य, दो अलग-अलग सरकारें! किन्तु इससे पहले हत्याकाण्डों का सगठन जरूरी था। भारत के विभाजन के लिए अखेर जिम्मेदार नहीं है, स्वयं भारतवासी जिम्मेदार, यह बात अच्छी तरह दुनिया को समझा देना था।

ग) सत्ता के हस्तान्तरण की तैयारी

गवर्नर पार्टी के एक नेता अर्नेस्ट बेविन थे। उनका विचार था कि वेवल पराजयवादी हो गये हैं और भारत छोड़ने के लिए वह जैसा परामर्श दे रहे हैं, वह परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। ऐटली ने जवाब दिया कि वेवल पराजयवादी जरूर किन्तु भारत के अधिकांश अफसर उनसे सहमत हैं। ऐटली स्वयं पराजयवादी ही है, यथायंवादी हैं। भारतीय सेना ब्रिटिश राज के प्रति वफादार है। इस राज न रहने पर वह साम्प्रदायिक आधार पर विघटित होगी। "लाखों भारतवासी ऐसे हैं जो दरअसल नहीं चाहते कि सरकार बदले पर वे निष्क्रिय हैं।" (२ जनवरी १९४७; उप. पृष्ठ ४४६)। [यदि ये 'लाखों आदमी' सक्रिय होते तो ब्रिटेन की सरकार कभी भी भारत पर अपना अधिकार छोड़ने की तैयार न होती।]

“आवादी में जो लोग नफ़िर हैं, वे न्यूनाधिक मात्रा में राष्ट्रवाद में प्रभावित हो गये हैं और इनमें प्रायः सभी शिक्षित वर्ग शामिल है। यह स्थिति साइमन कमीशन के समय ही थी। तब से अब चाल और तेज हो गयी है।” [दूसरे महा-युद्ध के बाद राष्ट्रवाद के प्रसार की चाल और तेज हुई थी। शिक्षित जन सब राष्ट्रवाद में प्रभावित हैं। इन परिस्थिति में अंग्रेज़ यह चमत्कार करेंगे कि राष्ट्र साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित हो।] “हमने हमेशा भारतवासियों के माध्यम में भारत पर शासन किया है।” दम-ग्रीस लागू की आवादीवाले जिले में सिर्फ़ एक-दो गोरे अफ़ग़रों का होना सामान्य बात है। कई साल से संवैधानिक सरकारें काम कर रही हैं। भारतीय अफ़ग़र अब ब्रिटिश राज के बदले इन सरकारों के प्रति वफ़ादार होते जा रहे हैं। ब्रिटिश अफ़ग़रों को आवश्यक आदमी मिल भी जायें, तो भी “आवादी में जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी है, उन सबके सक्रिय विरोध का सामना करते हुए शासन चलाना असम्भव होगा।” (उप.)। अंग्रेज़ी राज का सामाजिक आधार चूर हो गया था। मैकाले की क्लर्क गढ़नेवाली शिक्षा-पद्धति बेकार हो गयी थी। पढ़े-बेपढ़े, राजनीति में दिलचस्पी सभी को थी। यदि भारत में ‘लालों आदमी’ अब भी ऐसे थे जो चाहते थे कि अंग्रेज़ी राज बना रहे तो वे अदृश्य थे। अंग्रेज़ों को अपनी नीति इन निष्क्रिय लोगों को देखकर नहीं, सक्रिय लोगों को देखकर निर्धारित करनी थी।

फौज से शासन चलाने के लिए आदमी लिये जायें? ऐटली ने कहा, मतलब ब्रिटिश टुकड़ियों में होगा। [क्योंकि भारतीय सैनिकों का भरोसा न किया जा सकता था।] फौज के ब्रिटिश अफ़सर यहाँ की भाषा थोड़ी-सी ही जानते हैं और शासन का काम बिलकुल नहीं जानते। यदि इनको महायुद्ध के लिए हिन्दुस्तानी है

समय भी भारतीय वित्तव्यवस्था का मेरुदंड यहाँ की भूमिकर-व्यवस्था थी अर्थात् उद्योगप्रधान ब्रिटेन भारत को अब भी कृषिप्रधान देश बनाये हुए था, यह बात नोट कीजिए।

“आप कहते हैं कि हम पहले ही बार में चीं बोल गये किन्तु यह पिछले पच्चीस वर्षों के इतिहास की पूरी अनदेखी करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप यदि भारत में शहजोरी से काम लेना चाहते हैं तो यह घोषित करेंगे कि हम वहाँ जमे रहना चाहते हैं और अपनी हुकूमत चलाने के लिए आवश्यक फौजें भेजेंगे?” (उप.)। ऐटली ने कहा कि ब्रिटेन की हर सरकार ने भारत को स्वायत्तशासी बनाने का वादा किया है। वह वादा तोड़ा नहीं जा सकता। हम भगदड़ के शिकार न होंगे। हम भारतवासियों के सामने स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सुव्यवस्थित शासन-तन्त्र छोड़कर हटेंगे “और हम उत्तरदायित्व उनके कंधों पर रख रहे हैं” (and we are placing responsibility on their shoulders)। [हमारा शासनतन्त्र सुव्यवस्थित है। अब स्वाधीन शासनतन्त्र का भार तुम उठाओ। देश का विभाजन करो, हत्याकाण्ड रचाओ, जिम्मेदारी तुम्हारी है!]

पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल नहीं थे। यहाँ

लीग की सरकारें प्रतिष्ठित किये बिना पाकिस्तान की सारी योजना खटाई में पड़ सकती थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश में मुसलमान बहुसंख्यक थे किन्तु वे लीग के साथ न थे। ५ दिसम्बर १९४६ को ऐटली-फ्रिप्स-पेथिक लारेन्स आदि के साथ वेवेल की भेंटवार्ता में यह बताया गया कि "जिन्ना ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान कामनवेल्थ में रहेगा और अनुमान है कि सीमान्त समस्या से निपटने के लिए वह [जिन्ना] ब्रिटिश सहायता पाने की आशा करते हैं।" (उप.; पृ. २७७)। पठान समस्या पाकिस्तानी शासकों के लिए हमेशा सिरदर्द रही है। ब्रिटिश सहायता के बल पर ही वे उससे निपट सकते थे। पठानों के जातीय प्रदेश का एक भाग पाकिस्तान में है, शेष और अधिकांश भूमि अफगानिस्तान में है। दोनों ओर के पठानों में एक साथ मिलकर रहने की सहज जातीय आकांक्षा है। अफगानिस्तान में दखलन्दाजी के लिए यदि आज पाकिस्तान साम्राज्यवादियों का मुख्य अड्डा है तो यह स्थिति पठान-समस्या हल करने के पुराने अंग्रेजी तरीके के अनुरूप ही है।

पठानों के आत्मनिर्णय की समस्या किस तरह हल की जा रही थी, इसका उदाहरण एक घटना है जिसका विवरण सीमान्त गवर्नर ने २२ फरवरी १९४७ को वाइसराय के पास भेजा था। हजारों के एक मुसलमान से एक सिक्ख लड़की का तब ब्याह हुआ जब हजारों के उपद्रव में उसके सिक्ख पति की हत्या कर दी गई थी। वह पेशावर लायी गयी और डा. खान साहब ने उसे अपने यहाँ ठहराया। "वह वहाँ कई दिन रही और इसके बाद उसने अपने मुसलमान पति तथा सिक्ख सम्बन्धियों के सामने निहायत साफ बयान दिया कि वह सिक्ख मत फिर से अपनाना चाहती है।" (उप.; पृ. ७८८)। इसके बाद उसे हज़ारा वापस भेज दिया गया। वहाँ उसकी जान बचाने के लिए उसे जेल में रखा गया। लीग ने पेशावर में विरोधसभा आयोजित की। सभा ने जलूस का रूप लेकर पुलिस-घेरा तोड़ते हुए मुख्यमन्त्री का मकान घेर लिया। पुलिस को गोली चलाने का हुक्म दिया गया पर उसने गोली चलाने से इन्कार किया। अधुनैस के गोले छोड़ने का कोई फल न हुआ। भीड़ ने खान साहब के घर की खिड़कियाँ तोड़ दी और पत्थर फेंके पर भीतर न घुस सकी। "बूढ़े खान साहब शेर की तरह बहादुर थे। वह छज्जे पर आ गये और भीड़ को बता दिया कि वह उसके बारे में क्या सोचते थे। उन्होंने भीड़ की एक भी माँग न मानी। अन्त में डिप्टी कमिश्नर भीड़ को जेल की तरफ हटा ले गये। ऐसी हालत में डा. खान साहब भाग्यशाली थे जो उनकी जान बच गयी।" (उप.)।

डा. खान साहब लीगी उपद्रवकारियों से अच्छी तरह निपट सकते थे पर सीमान्त गवर्नर उन पर बराबर जोर डाल रहा था कि वे मुस्लिम लीग से समझौता करें। यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता के नाम पर मुस्लिम लीग से समझौता करने का सवाल न था। इसलिए गवर्नर पठान एकता के नाम पर सम्प्रदायवादी उपद्रवकारियों से समझौता करने पर जोर दे रहा था। "उन्होंने [कांग्रेसी नेताओं ने] किसी भी तरह की बातचीत करने से एकदम इन्कार कर दिया और मैं अधिक से अधिक उन्हें जिस बात पर राजी कर सका वह यह थी कि अभी जो कर

व्यवस्था का है, दूसरा पहलू राजनीति का है। लोगों को जेल में जना आसान है किन्तु उन्हें जेल से यों निकालना कि वे सहयोग के लिए इच्छुक हों, कठिन है।” (उप. ५५६)। साम्प्रदायिक फासिस्टों से सहयोग करो, यह बात सीमान्त प्रदेश के गवर्नर ने कही, यही बात पंजाब के गवर्नर ने कही। दोनों एक ही ब्रिटिश कूटनीति के अनुसार काम कर रहे थे। २७ जनवरी को जेन्किन्स ने पेथिक लारेन्स को सूचना दी : मुख्यमन्त्री ने तै किया है कि मुस्लिम लीग नैशनल गार्ड्स तथा सप पर से पाबन्दी हटा ली जायेगी ! (उप.; पृ. ५६६)। दंगे हुए। खिज़र ने इस्तीफा दिया। मुस्लिम लीग ने अल्पमत में होते हुए भी मन्त्रिमण्डल बनाने का दावा किया। जेन्किन्स ने वेवल को लिखा कि जोड़-तोड़ से लीगी अपना बहुमत दिखा भी दें, तो भी ऐसे मन्त्रिमण्डल का बनना बहुत खतरनाक होगा। बहुमत के अभाव में तो मन्त्रिमण्डल का बनना संविधान के साथ धोसाधड़ी होगा ही। (वेवल के नाम जेन्किन्स, ५ मार्च १९४७; उप.; पृ. ८६६)।

रावलपिण्डी क्षेत्र के सेनानायक ने पंजाब के गवर्नर जेन्किन्स से कहा : मुसलमानों के एक दल ने कारो या लारियो में जाकर मरी पर संगठित रूप से हमला किया। उन्होंने मुख्य रूप से व्यवसायी कृपाराम की सम्पत्ति पर धावा किया। कई बड़ी इमारतें, जिनमें कम से कम तीन होटल थे, जला दी गयी। “मरी में या उसके पास फौज की पाँच कम्पनियाँ थी किन्तु धावा होशियारी से किया गया था और मालूम होता है कि हमलावारों से भली प्रकार [फौज का] सम्पर्क नहीं हो पाया। लगभग इसी समय टैक्सिला [तक्षशिला] के पास फ्रन्टियर मेल पर हमला हुआ।” (वेवल के नाम जेन्किन्स, ६ मार्च १९४७; उप.; पृ. ६०३-०४)। देहात में जहाँ-तहाँ फौजी टुकड़ियाँ गश्त लगा रही थी। “उपद्रवी क्षेत्र में गाँववालों की भीड़ें हैं। वे लाठी, बल्लम, कुल्हाड़ी, खेती के औजार और जहाँ-तहाँ बारूदवाले हथियार लिये हैं। एकाध पतरोल पर गोली दागी गयी है किन्तु कुल मिलाकर वे [गाँववाले] अधिकारियों के प्रति शत्रुभाव न दिखा रहे थे।” (उप.; पृ. ६०४)। सेना गश्त लगा रही थी, दंगाई अपना काम कर रहे थे, दोनों में भलीभाँति सम्पर्क न हो पाता था, जैसे कि पूर्वी बंगाल में न हो पाया था।

ब्रिटिश जनरल मेसरवी का मत था कि रावलपिण्डी क्षेत्र में जगह-जगह उपद्रव एक साथ हुए। मरी पर धावा सुसंगठित ढंग में पूर्वयोजना के अनुसार किया गया था। (वेवल के नाम जेन्किन्स, १७ मार्च १९४७; उप.; पृ. ६६७)। जनरल मेसरवी ने जेन्किन्स से कहा कि अस्पताल में उन्होंने एक बच्चा देखा जिसके हाथ काट डाले गये थे। दो अधिकृत सूचनाएँ उन गैरमुस्लिमों के बारे में हैं जो फुसलाकर शान्ति कमेटी में लाये गये, फिर उनकी हत्या कर दी गयी। एक गाँव में प्राणदान के आश्वासन पर कुछ सिक्खों ने आत्मसमर्पण किया, फिर उन्हें मार डाला गया। (उप.; पृ. ६६६)। यही फासिस्टवाद का वास्तविक रूप है।

२० मार्च को लीगी नेता राजा गखनकर अली गवर्नर जेन्किन्स से मिलने आये। उन्होंने दंगों की चर्चा ऐसे की मानो कोई खास बात न हुई हो; दंगों से लीग के सम्बन्ध को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने सुझाव रखा कि अब मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम चुनाव होने

चाहिए; इससे लोगों को यह बताने का मौका मिलेगा कि वे पंजाब का विभाजन चाहते हैं या नहीं। गवर्नर ने कहा : आप यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि रावल-पिण्डी, अटक और चकवाल क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, वह निहायत वहशियाना आम हत्याकाण्ड (a general massacre of a most beastly kind) है। वह [राजा गजनफर] समझते हैं कि गैरमुस्लिमों ने उकसावा पैदा किया पर यह उकसावा ऐसा नहीं था जिससे ऐसी क्रूरता, ऐसे जनसंहार को न्यायपूर्ण ठहराया जा सके। "जहाँ तक मुस्लिम लीग की सरकार का सवाल है, मैंने कहा कि इस घड़ी उसे बनता देखने की अपेक्षा मैं पहले इस्तीफा दे दूँगा और मेरी समझ में पंजाब का प्रायः हर ब्रिटिश अफसर यही करेगा। यह नरसंहार मुस्लिम लीग के नाम पर किया गया था और उच्च सैनिक अधिकारियों का विचार था कि उसे सावधानी से आयोजित और संगठित किया गया था।" (उप.; पृ. ६६६-६७)। लीगी फ़ासिस्टों के कृत्यों का विवरण सुनकर—अपने ही फौजी अफसरों से सुनकर—ब्रिटिश गवर्नर का भी दिल दहल गया था। वह राजनीति कितने घटिया स्तर की थी, जो करोड़ों आदमियों को अन्धकारमय भविष्य की ओर ठेल रही थी, इसकी जानकारी गवर्नर जेम्स की इस टिप्पणी से होनी है।

लीगी नेतृत्व के बारे में गवर्नर ने कहा : लीग का व्यवहार ऐसा है मानो पंजाब में मुसलमान हुकूमत करनेवाली तस्ल हो और जब उनकी हुकूमत कायम हो जायगी, तब वे अपने साथी पंजावियों से, जैसे कि सिक्खों से, उदार व्यवहार करने की कृपा करेंगे। 'पाकिस्तान' से उनका मतलब क्या है, इसकी कैफियत वे दे नहीं सकते; जब तक वे दूसरे पंजावियों से बराबरी का व्यवहार न करेंगे, तब तक वे जरा भी प्रगति न कर सकेंगे। यह स्थिति हास्यास्पद है कि ये तथाकथित लीगी नेता बम्बई से एक ऐसे आदमी से आदेश प्राप्त करते हैं जो पंजाब की परिस्थितियाँ कतई नहीं जानता। राजा गजनफर अली का तर्क था कि पहले केन्द्र की तस्वीर साफ़ होनी चाहिए, उसके बाद पंजाब की तस्वीर साफ़ होगी। गवर्नर का तर्क था, भारत के भविष्य की तुम्हारी धारणा उसही हुई है। "जो पंजाब दो या तीन राज्यों में बँटा हुआ हो या अराजकता और गृहयुद्ध की हालत में हो, उसका किसी भी सम्भाव्य अखिल भारतीय चित्र में फिट होना मुमकिन न होगा। जाहिर है कि सही रास्ता यह है कि इकाइयों [प्रान्तों, जातीय प्रदेशों] का भविष्य इस तरह निर्धारित किया जाय कि वह उसके निवासियों को स्वीकार हो और उसके बाद अखिल भारतीय चित्र की रेखाएँ बनाई जायें।" (उप.; पृष्ठ ६६७)।

पंजाब के पुराने, और नये, हिन्दू-सिख-मुस्लिम सम्प्रदायवादियों की तुलना में यह ब्रिटिश गवर्नर पंजाबीपन का मतलब ज्यादा अच्छी तरह समझता था। ऐटली और पेथिक लारेन्स की गूढ़ कूटनीति का लक्ष्य वह भी न समझ पाया था। जिन घटनाओं से वह चौंक पड़ा था, उनका मूल कारण वह कूटनीति ही है, और वह स्वयं उसी के अनुसार काम करता रहा है, यह बात उन्हें माफ़ न दिखाई देनी थी। राजा गजनफर अली ने कहा कि लीग का आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं है। [कोई भी साम्प्रदायिक नेता अपने को साम्प्रदायिक नहीं मानता, न कोई पूँजीवादी नेता अपने को पूँजीवादी मानता है !] गवर्नर ने कहा, "वह [लीगी आन्दोलन]

शुरू से ही स्पष्ट रूप में साम्प्रदायिक था, इसके अलावा वह और कुछ हो भी न सकता था।" (उप.; पृष्ठ ६६८)। इसी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देनेवाली ब्रिटिश कूटनीति को गवर्नर जेम्स अमल में लाते रहे थे।

१४ जनवरी १९४७ को जवाहरलाल नेहरू पञ्जाब के गवर्नर से मिले। उन्होंने कहा कि किसी न किसी प्रकार का विभाजन अनिवार्य है लेकिन वह मौजूदा सविधान के चौखटे में होना चाहिए और उन तरीकों से होना चाहिए जो अमल में लाने से कायम हो जायें न कि कानून से। उनका विचार था कि एक मुस्लिम इलाका हो, एक केन्द्रीय क्षेत्र हो और एक गैरमुस्लिम इलाका हो। मन्त्री इस तरह नियुक्त किये जायें कि हर इलाका कुछ बातों में स्वायत्त हो। अन्य बातों के लिए यानी सामान्य हितोद्धानी बातों के लिए तीनों क्षेत्रों के मन्त्रियों को एक साथ बैठना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि यही बात उनके दिमाग में भी आई थी यानी यह कि भौतिक रूप से बँटवारा न करे वरन् ऐसी तरकीबों से काम करें कि सभी सम्प्रदायों में विश्वास पैदा हो। इस सिलसिले में गवर्नर ने स्काटलैण्ड का हवाला दिया। स्काटलैण्ड से सम्बन्धित बिल ब्रिटिश पार्लियामेण्ट पास करती थी पर इससे पहले वे एक महासमिति को भेजे जाते थे जिसमें केवल स्काटलैण्ड के सदस्य होते थे। उसकी राय मान लेने की परम्परा थी।

उदारपन्थी पूंजीवाद का दिवालियापन यहाँ स्पष्ट हो जाता है। साम्प्रदायिक उपद्रवों से निपटने के लिए वे पूरे बँटवारे की जगह आधे बँटवारे की बात सोच रहे थे। स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड का भेद दो जातियों का भेद था, दो सम्प्रदायों का भेद नहीं था। वह उदाहरण यहाँ के लिए अप्रासंगिक था। अधिक प्रासंगिक आयरलैण्ड का उदाहरण था जहाँ ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक आधार पर एक राष्ट्र का विभाजन किया था।

नेहरू तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे थे, देखना चाहिए कि हिन्दू राष्ट्रवादी भारत की एकता बनाये रखने के लिए क्या कर रहे थे। ६ नवम्बर १९४६ को बिहार के गवर्नर ने वाइसराय को सूचना दी : बिहार में हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच, जुलाई के अन्त में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव पास करने के बाद, तनातनी गम्भीर रूप से बढ़ने लगी। कलकत्ते के दंगों और उनके बाद होनेवाले पूर्वी बंगाल के साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात् यह तनातनी और भी बढ़ गई। इस सूत्र में पहला गम्भीर दंगा २७ सितम्बर को हुआ; बेनियाबाद, जिला मजफ्फरपुर में १४ मुसलमान मारे गये और मुसलमानों के बहुत से घर

ट

नी

य

अधिकारी चाहते थे कि पटनावाली सभा न होने दी जाय पर मन्त्रिमण्डल ने अनुमति देने पर जोर दिया। यहाँ जो हिनात्मक भाषण हुए, वे जसुरक्षित मुस्लिम गाँवों पर गम्भीर और हिंसक आक्रमणों का तात्कालिक कारण थे। प्रान्त के भीतर और बाहर दोनों सम्प्रदायों के अखबार लगातार साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाते रहे हैं। बहुत दिन से मेरे निरन्तर कहने पर भी मन्त्रिमण्डल ने स्थानीय प्रेस को

नियन्त्रित करने में कोताही की। [एक तो भाषण और विचार-प्रकाशन की स्वाधीनता का प्रश्न, दूसरे स्वयं भारतवासियों द्वारा अपने भविष्य-निर्माण का प्रश्न ! प्रेस को नियन्त्रित कैसे किया जाता ?]

गवर्नर ने आगे बताया : दंगा छपरा शहर में मुसलमानों की हत्या और घर जलाने से शुरू हुआ, फिर देहात में फैल गया जहाँ मुस्लिम ग्रामीणों पर हिन्दू भीड़ ने ऐसा ही आततायीपन किया। सारन की परिस्थिति कुछ दिनों में नियन्त्रित कर ली गई लेकिन इस बीच दंगे गंगा के दक्षिण में फैल गये। पटना, दक्खिनी मुंगेर और भागलपुर में दंगों ने गम्भीर रूप धारण किया और वे उत्तरी गया में फैलते दिखाई देते हैं। एक खराब दंगा संथाल परगना में हुआ।

बिहार में मुसलमानों की स्थिति के बारे में गवर्नर का कहना था : देहात में मुसलमानों की आवादी अपेक्षाकृत कम है और अलग-थलग पड़े हुए गुटों पर बहुत जमकर हमला किया गया है। हिन्दू भीड़ इस फिराक में घूमती रही कि जहाँ भी मुस्लिम आवादी मिले, उसका सफाया कर दिया जाय। हताहतों में प्रायः सभी मुसलमान हैं और अनुमान किया जाता है कि इनमें ७५ फीसदी स्त्रियाँ और बच्चे थे। हिन्दू पड़ोसियों ने इनके प्रति निर्दय उपेक्षाभाव दिखाया; केवल कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिनमें आक्रान्त मुसलमानों की सहायता हिन्दुओं ने की। (उप.; पृ. ३८-३९)।

बिहार के दंगों से मुस्लिम लीग ने राजनीतिक लाभ उठाया। १७ नवम्बर १९४६ को जिन्ना ने वेवल को लिखा : "कांग्रेस ने अब तक असम्भव स्वपनाया है और अभी भी अपनाये है पर अब हमारे सामने यह बिहार के कई हिस्सों में सामूहिक, संगठित और आयोजित मुसलमानों का निर्दय सहार है। कांग्रेसी सरकार की नाक के नीचे जो बीभत्स और भयानक तरीके अपनाये गये हैं, वे और बिहार की पुलिस, वहाँ का शासनतन्त्र यह दिखलाते हैं कि कांग्रेस निर्दोष आदमियों को जान और उनके माल की हिफाजत करने में कतई नाकाम रही है; देश के दूसरे भागों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं जो छोटे पैमाने पर हत्याकाण्ड होते रहे हैं और सम्पत्ति का नाश होता रहा है, उसकी बात करना बेकार है। इस निहायत उत्तेजक और विस्फोटक वातावरण में, जब हमारे सामने दो विरोधी दल हैं, जिसके फलस्वरूप हत्या, मारकाट और सम्पत्ति का विनाश निरन्तर हो रहा है, प्रस्तावित सविधान सभा के बारे में सोचना या उसकी बात करना न तो उचित है, न सम्भव है। उससे वर्तमान परिस्थिति और विगड़ जायगी।" (उप.; पृ. ६३-६४)। जिन्ना ने पाकिस्तान की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए बिहार के दंगों का उपयोग किया।

बिहार के साम्प्रदायिक दंगों का एक पक्ष और था। गवर्नर के अनुसार ४ करोड़ आवादीवाले इस सूबे में भारत का आधा औद्योगिक विकास केन्द्रित था। (उप.; पृ. ३२८)। आधा विकास केन्द्रित हो या आधे से कुछ कम-ब्यादा केन्द्रित हो, बिहार भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था और है। इसलिए मजदूरों के संगठन को छिन्न-भिन्न करने के लिए कानपुर की तरह बिहार में भी दंगे बढ़ा कारगर साधन थे और अब भी हैं।

जहाँ तक तुष्टीकरण के विरोध में हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए सघर्ष का प्रश्न है, १६ मार्च १९४७ को बंगाल के गवर्नर बरोज़ ने वादमराय को जो सूचना भेजी, वह खूब मनन करने योग्य है। उन्होंने लिखा था : "बंगाल के विभाजन के लिए आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है। धरतू बोस और गान्धी एक बार एक ही स्तर से बोलें हैं, दोनों ने इस आन्दोलन की निन्दा की है। उसके मुख्य गमर्थक श्यामाप्रसाद मुकर्जी और हिन्दू महासभा हैं।" (The movement for the partition of Bengal is gathering momentum. Hindu opinion is at present very divided. For once Sarat Bose and Gandhi see eye to eye, and both condemn the movement, of which Syamaprasad Mookerjee and the Hindu Mahasabha are the chief protagonists.) (उप.; पृ. ६२-६६)।

बंगाल के विभाजन की माँग कौन कर रहा था? श्यामाप्रसाद मुकर्जी और हिन्दू महासभा। क्या हिन्दू राष्ट्र का निर्माण बंगाल के विभाजन के बिना सम्भव था? विल्कुल सम्भव नहीं था; न हिन्दू राष्ट्र का निर्माण सम्भव था, न मुस्लिम राष्ट्र का। जिन्ना हिन्दुओं और मुगलमानों की दो अलग कौमे मानते थे; हिन्दू राष्ट्रवादी क्या मानते थे? वे भी यही मानते थे, हिन्दुओं की जाति अलग, मुगलमानों की जाति अलग। बंगाल के विभाजन की हिन्दू माँग में पाकिस्तान की मुस्लिम माँग का समर्थन होता था या नहीं? अस्पष्ट होता था, फ़र्क इतना था कि जिन्ना पूरा बंगाल चाहते थे, श्यामाप्रसाद मुकर्जी आधा बंगाल देने को राजी थे। जिन्ना अपनी माँग कम करके छोटा पाकिस्तान लेने को तैयार थे या नहीं? तैयार थे और वेबल को यह बात जता चुके थे। वस्तुगत रूप में हिन्दू सम्प्रदायवाद मुस्लिम सम्प्रदायवाद की मदद कर रहा था या नहीं? वंशक कर रहा था क्योंकि दोनों का सिद्धान्त एक था : पहले बंगलाभाषी जाति को हिन्दू-मुस्लिम हिस्सों में बाँटना, फिर सारे राष्ट्र को वैसे ही दो हिस्सों में बाँटना। यदि मुस्लिम सम्प्रदायवाद अंग्रेजों का राष्ट्रविरोधी अस्त्र था तो हिन्दू सम्प्रदायवाद क्या था? वह भी अंग्रेजों का राष्ट्रविरोधी अस्त्र था।

ब्रिटिश कूटनीति का जवाब हिन्दू राष्ट्रवाद नहीं है। उसका जवाब है फ़्रान्ति-कारी आन्दोलन। वही जातीय और राष्ट्रीय एकता बहाल करके साम्राज्यवाद के मसूवे चूर कर सकता है।

(घ) फ़्रान्तिकारी परिस्थिति और वामपक्ष

वामपक्ष कमजोर था पर वह निर्जीव नहीं था। उसकी कार्रवाई से अंग्रेजों की नींद हराम थी। इस बात पर बहुतों को विश्वास न होगा किन्तु अंग्रेजों को नींद आती थी या नहीं, इसकी जानकारी बाहरवालों की अपेक्षा उन्हीं को ज्यादा हो सकती थी। इस बारे में उनके बयानों को प्रमाण मान लेना चाहिए।

अक्टूबर १९४६ के दूसरे पखवारे की स्थिति के बारे में सयुक्त प्रान्त की सी. आई. डी. रिपोर्ट में कहा गया था : "इस प्रान्त में साम्प्रदायिक स्थिति की

जो विशेषता सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह एक समर्थ शक्ति के रूप में कट्टर हिन्दूवाद का उत्थान है। हिन्दू महामभा के बहुत कम अनुयायी थे, उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत कम था। आर्य समाज विशुद्ध धार्मिक संस्था बना हुआ कहीं पीछे रहता आया था। ये अब मैदान में है और हर जगह इस्लाम से लड़ने के लिए हिन्दुओं को बटोर रहे है।" दूसरी ओर "जयप्रकाश नारायण संयुक्त प्रान्त का दौरा जारी किये हैं। अपने हर भाषण में वह क्रान्ति और हिंसा का उपदेश देते हैं। उनकी सभाओं में दस हजार और इसमें ऊपर बड़ी और उत्साही श्रोताओं की भीड़ होती है। कांग्रेस कार्यसमिति में उनके अधिक जिम्मेदार साथी देश की सेवा सर्वधार्मिक तरीके से करना चाहते हैं पर ये लोग अराजकता फैलाने पर तुले हुए हैं और इसके लिए उनके कार्यक्रम में पुलिस चौकियों और सरकारी इमारतों पर

मजदूरों का राज कायम करना शामिल है।" (उप.; पृष्ठ १४४)। एकदम सही कार्यक्रम था। जनता इसे अमल में लाने को तैयार थी, यह जयप्रकाश नारायण की सभाओं में उत्साही श्रोताओं की संख्या में स्पष्ट था। क्रान्तिकारी परिस्थिति मौजूद थी, क्रान्ति का सही कार्यक्रम सामने था, क्रान्ति का लक्ष्य स्पष्ट था, फिर भी क्रान्ति न हुई। इसलिए कि जनता के पास क्रान्तिकारी संगठन न था। किसान सेना का निर्माण केवल भाषणों में न हो सकता था।

६ दिसम्बर १९४६ को ब्रिटिश भारत-स्थित हाई कमिश्नर ने नोट किया कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अंग्रेज अब इतने कमजोर हो गये हैं कि उन्हें भारत से निकाल बाहर करने के लिए सिर्फ एक धक्के की जरूरत है; उन्हें छह महीने का अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि इतने समय में चले जायें, और उनसे किसी तरह का समझौता करना या समझौते की बात भी करना अब अनावश्यक है। (उप.; पृ. ३१४)। कांग्रेस की कार्यसमिति में जयप्रकाश नारायण के साथी समझौते की राह पर चल रहे थे। इस राह को छोड़ने में खतरा था, भारत में कहीं किसान मजदूर राज कायम न हो जाय ! समझौते की इस राह को बन्द करने के लिए किसान सेना संगठित करना जरूरी था।

२६ दिसम्बर १९४६ के 'स्टेट्समैन' ने नयी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की प्रेस कान्फेस का विवरण प्रकाशित किया। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि छह महीने में अन्तरिम सरकार के विघटित हो जाने की सम्भावना है। उन्हें यह आशा भी है कि संविधान सभा सीधे स्वाधीनता सग्राम की ओर ले जा सकती है और इस कारण भारत को सक्रिय संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। वह समझते हैं कि मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और अन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाएँ राजाओं और 'बड़े ब्यवसायियों' के साथ, अपने उद्देश्य से, अंग्रेजों को भारत छोड़ने में रोकने पर तुली है वावजूद अंग्रेजों की घोषित इच्छा के कि वे ऐसा करना चाहते हैं। इस प्रकार वे अंग्रेजों का खेल खेल रही हैं क्योंकि अपने वक्तव्यों के वावजूद अंग्रेज किसी भी प्रतिक्रियावादी तत्व को इस्तेमाल करने को तैयार हैं जो उन्हें भारत

छोड़ने से रोके ।

जयप्रकाश नारायण के अनुसार 'बड़े व्यवसायी' अवश्य इस पक्ष में हैं कि भारत स्वायत्त शासन की ओर कुछ प्रगति करे जिससे कि देश के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए उन्हें ज्यादा आजादी हो, "किन्तु वे राष्ट्रीय क्रान्ति के मार्ग में अवश्य बाधक होंगे । वे भरपूर कोशिश करेंगे कि क्रान्तिकारी विस्फोट न होने पाये, भले ही इससे राष्ट्रीय स्वाधीनता के मामले में एक हद तक समझौता हांता हो ।" (उप.; पृ. ४३६) । १९३६ में लिखी हुई पुस्तिका 'समाजवाद ही क्यों ?' का मार्क्सवाद अभी बहुत कुछ जयप्रकाश नारायण के साथ था । उन्होंने बड़े व्यवसायियों की वर्गभूमिका का सही मूल्य आँका था । मार्क्सवादियों में दक्षिणपन्थी अवसरवादी वे हैं जो कहते हैं कि भारतीय पूँजीपति वर्ग ने साम्राज्यवाद से समझौता किया ही नहीं; वामपन्थी अवसरवादी वे हैं जो कहते हैं कि उसने समझौते के अलावा और कुछ नहीं किया, उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व अब भी पहले की तरह कायम है । दोनों ही तरह के अवसरवादी एक चीज की अनदेखी करते हैं, वह है १९४५-४७ की क्रान्तिकारी परिस्थिति, इस परिस्थिति में अंग्रेजों पर गैर-कांग्रेसी आन्दोलन का दबाव ।

जयप्रकाश नारायण ने उस प्रेस कान्फ़ेंस में कहा कि कांग्रेसी नेताओं के अनुसार आजादी बस अब मिलने ही वाली है । यह जनता को गुमराह करनेवाली बात है । बेशक वह मिलनेवाली है पर उसके मिलने से पहले राष्ट्रीय संघर्ष रचना होगा । संविधान-सभा आनन-फानन आजादी देनेवाली नहीं है । आजादी के लिए संघर्ष करना जरूरी है । सिद्धान्तों के मामले में समझौता नहीं करना तो हमें क्रान्तिकारी संघर्ष चलाना होगा । (यह सब जयप्रकाश नारायण ने १९४६ में कहा था ।)

जयप्रकाश ने यह भी बता दिया कि वह जो कुछ कह रहे हैं, वह कट्टर कांग्रेसी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है । (इसीलिए उनके आन्दोलन को गैर-कांग्रेसी आन्दोलन कहना उचित है ।) उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को लिख दिया है कि वह कांग्रेस की कार्यसमिति से इस्तीफा देना चाहते हैं । उनका दावा था कि ५० फीसदी कांग्रेसजन सोशलिस्ट हैं किन्तु कांग्रेस की पार्टी-मशीन उन्हें अपना पूरा प्रभाव डालने से रोकती है । संविधान सभा में मुस्लिम लीग को लाने का प्रयास व्यर्थ है । मुस्लिम लीग और अंग्रेजों में कोई फर्क न था; "दरअसल उनके अनुसार, लीग अंग्रेजों का ही एक मोर्चा (फ्रण्ट) थी । यदि लीग संविधान-सभा में आ गयी तो उसका [संविधान सभा का] हृथ वही होगा जो अन्तरिम सरकार का हुआ है । आजादी के लिए काम करने की उसकी सारी क्षमता समाप्त हो जायगी । जिन्ना को पूर्ण प्रभुसत्ता से भय है । वह ब्रिटिश सरकार और वाइसराय की छत्रछाया में काम करना पसन्द करेंगे ।" (उप.; पृ. ४३६) । उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग से अलग हटकर मुसलमानों से सम्पर्क कायम किया जाय तो बहुत विरोध न होगा यद्यपि धार्मिक-साम्प्रदायिक प्रचार डटकर किया गया था और इस कारण प्रगति धीमी हो सकती थी । भारत के मुसलमानों की मूल समस्या आर्थिक थी जैसे कि वह हिन्दुओं की थी, खासतौर से जहाँ तक कृषि-व्यवस्था का प्रश्न था । "उनका विचार था कि यदि 'जमीन के मालिक किसान है' (the land belongs to the

peasants) यह नारा दिया जाय तो उन सबकी [हिन्दू किसानों और मुस्लिम किसानों की] प्रतिक्रिया उसके पक्ष में होगी। यदि उनके [नेहरू के] सिद्धान्त अभी वही है जो १९४२ के पहले थे, तो नेहरू भी इस सिद्धान्त का समर्थन करेंगे। भारत में सघर्ष राष्ट्रवादी और सम्प्रदायवादी शक्तियों के बीच होगा। यदि सम्प्रदायवादी जीते तो यह अंग्रेजों की जीत होगी, यदि राष्ट्रवादी जीते तो अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, शायद बलपूर्वक उन्हें खाना करना पड़े, और तब उनके समर्थक, सम्प्रदायवादी, भी लाजमी तौर से समाप्त हो जायेंगे।" (उप.; पृ. ४३७)। यह बात १९४७ में सही थी और १९७७ में भी सही थी।

वेवल को जयप्रकाश नारायण के वयानों पर भारी आपत्ति थी। १ जनवरी १९४७ को उन्होंने पेथिक लारेंस के पास 'स्टेट्समैन' की कतरन भेजते हुए लिखा: इस समय कांग्रेस के भीतर संघर्ष चल रहा है। एक ओर वेन्द्रीय गुट है जो चाहता है कि वादशाह सलामत का ६ दिसम्बरवाला वयान किसी शर्त के बिना स्वीकार कर लिया जाय। दूसरी ओर वामपन्थी और अति दक्षिणपन्थी गुट हैं और ये दोनों चाहते हैं कि उसे अस्वीकारा जाय। मैं नहीं समझता कि स्वीकारने के पक्ष में स्पष्ट निर्णय की कोई सम्भावना है। [कार्यसमिति ने ए. आई. सी. सी. से स्वीकारने के पक्ष में ही फैसला कराया।] जयप्रकाश नारायण इधर अत्यन्त आपत्तिजनक भाषण करते रहे हैं। "मैं इस मामले पर नेहरू और पटेल से बातें करने की सोच रहा हूँ। सरकार में कांग्रेस प्रमुख दल है। उसकी कार्यसमिति का एक मदस्य इस तरह बातें करे, यह असम्भव स्थिति है। या तो उसे निकाल देना चाहिए या उसके लगाम लगानी चाहिए।" (उप.; पृ. ४३४)। अन्तरिम सरकार में कांग्रेस के कुछ नेताओं को बांध लेने के बाद वेवल समझने लगे थे कि कांग्रेस संगठन भी उनके दवाव में है और नेहरू-पटेल के माध्यम से वह कांग्रेस के वामपक्ष को चुप कर देंगे।

कांग्रेस के वामपक्ष के बारे में वेवल की राय यह थी: कांग्रेस में एक शक्तिशाली वामपक्ष है जिसके नेता जयप्रकाश नारायण और श्रीमती आसफ अली जैसे लोग हैं। इनका कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है किन्तु ये देश के सबसे खराब तत्वों में हलचल पैदा कर सकते हैं, इनमें तोड़फोड़ और शरारत करने की भारी क्षमता है। अभी भी वे प्रचार कर रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना आवश्यक होगा। दक्षिणपन्थियों ने पुरानी सरकार को बदनाम करने और उसके खिलाफ असन्तोष फैलाने के लिए वामपक्ष को इस्तेमाल किया और वे अब उसे काबू में नहीं रख पा रहे। दक्षिण और वाम के बीच की अस्थिर कड़ी है नेहरू। (२ दिसम्बर १९४६ की टिप्पणी; उप.; पृ. २४०)।

अंग्रेज इस देश में अपनी नीति तभी तक लागू कर सकते थे जब तक उन्हें विश्वास था कि कांग्रेसी नेता कुछ दिन तक आन्दोलन चलाने के बाद फिर सुलह-समझौते की राह पर लौट आयेगे। यदि जहाज का पंछी एक बार उड़ने के बाद फिर जहाज पर न आया तो क्या होगा? सुलह-समझौतेवाली राह बन्द हो जायेगी, ब्रिटिश कूटनीति का जहाज हिन्द महासागर में डूब जायगा। १९४६ के अन्त में वेवल की इस बात से काफी परेशानी थी कि दक्षिणपन्थी नेता कांग्रेसी वामपक्ष

पर काबू पाने में असमर्थ हो रहे है।

जवाहरलाल नेहरू दक्षिण और वाम के बीच की अस्थिर कड़ी नहीं, स्थिर और मजबूत कड़ी थे। वह इस वामपक्ष तथा समूची क्रान्तिकारी परिस्थिति का उपयोग अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए करते थे। ४ दिसम्बर १९४६ को जब वह लन्दन में ब्रिटिश मन्त्रियों से मिले तब उन्होंने कहा : भारत की आम जनता के अन्दर प्रगति के लिए भारी आकांक्षा है। कांग्रेसी नेताओं ने प्रयत्न किया था कि इस आकांक्षा को नियन्त्रित किये रहें, और उसे सरकार के पीछे बनाये रहें, और इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है, पर यदि उनका यह प्रयत्न सफल न हुआ तो वह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। कांग्रेस के वर्तमान नेता उसे नियन्त्रित न रख सकेंगे। "समूचे भारत की विशाल जनशक्ति को देखते मुस्लिम लीग सिर्फ एक मक्खी जैसी है।" (उप.; पृ. २५६)। नेहरू समेत कांग्रेस के सुधारवादी नेता इस विशाल जनशक्ति की आकांक्षा से लाभ उठा रहे थे, अंग्रेजों पर उसका दबाव डाल रहे थे, साथ ही उन्हें आश्वासन भी देते जाते थे कि हम इसे नियन्त्रित किये है। यदि यह नियन्त्रण न होता, यदि कांग्रेस के भीतर का वामपक्ष कांग्रेस से बाहर के वामपक्ष से मिलकर काम करता, तो क्रान्ति का वेग अप्रतिहत होता, तब भारत के साथ एशिया का नक्शा ही कुछ दूसरा होता। समूचे भारत की विशाल जनशक्ति के सामने मुस्लिम लीग मक्खी जैसी ही थी। उसे सुधारवादी नेताओं की मदद से ही अंग्रेजों ने नरभक्षी दानव बना दिया था।

बिहार में साम्प्रदायिक और क्रान्तिकारी शक्तियाँ आमने-सामने थी। अंग्रेजों को परेशानी क्रान्तिकारी शक्ति से थी, साम्प्रदायिक शक्ति से नहीं। २४ दिसम्बर १९४६ को बिहार के गवर्नर ने इसका मूल्य इस तरह आँका था : कांग्रेस सोसलिस्ट तथा अन्य धामपन्थी संगठन शान्ति समितियों के सदस्य बनकर ऊपर से साम्प्रदायिक सद्भावना का अनुमोदन करते हुए भी ऐसे भाषण करते हैं जिनकी हिंसात्मकता इस प्रान्त का अब भी एक अति दुष्ट लक्षण बनी हुई है। यहाँ के मन्त्रिमण्डल का सम्मान न उसके दोस्तों की निगाह में है न उसके दुश्मनों की निगाह में। उसके लिङ्गडपन का उन्हें [वामपन्थियों को] भरोसा है। जयप्रकाश नारायण बिहार को क्रान्ति का बीज बोने और फसल काटने का अपना क्षेत्र समझते आये हैं। ६ तारीख को वह सारन जिले के सदर मुकाम छपरा में थे जहाँ अक्तूबर के अन्त में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का पहला सहार हुआ था। जनता से साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने की अपील करने के साथ उन्होंने हाल के दंगों के लिए ब्रिटिश सरकार को दोष दिया, आनेवाले संघर्ष की तैयारी करने की सलाह दी और सभी नौजवानों का आह्वान किया कि वे अपने हथियार माँजें और उन्हें पैनाये रहें। (उप.; पृ. ४१७)। अंग्रेजों को यह बिलकुल नापसन्द था कि साम्प्रदायिक दंगों के लिए कोई उन्हें दोष दे। किन्तु १९४६-४७ में किसी भी जागरूक व्यक्ति से यह छिपा न था कि दंगे, अर्थात् सुनियोजित हिन्दू-मुस्लिम जनसंहार, ब्रिटिश कूटनीति का ही परिणाम थे। जो हथियार एक-दूसरे का गला काटने के काम आ रहे थे, वे अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किये जाने के लिए माँजे और पैनाये जायें, यह स्थिति असह्य थी।

अंग्रेजों और कांग्रेसी दक्षिणपन्थियों के लिए जोरनिस्तों के अलावा और भी निरदरं थे। १० दिसम्बर १९४६ को नरदार पटेल ने स्थानापन्न वाइसराय कोलविल से कम्युनिस्टों और वामपक्ष की क्रान्तिकारी शक्तियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन्हें नियन्त्रित रखना कांग्रेस के लिए कोई आसान काम नहीं है। "उन्होंने नाविक-विद्रोह के समय कोलविल [बम्बई के गवर्नर] से अपने सम्पर्क की याद दिलायी। उनके विचार से नाविक-विद्रोह मुख्यतः कम्युनिस्टों का काम था। (and reminded me of his approaches to me at the time of the R. I. N. mutiny which he regarded as mainly the work of the Communists)" (उप.; पृ. ३२३)।

यह तो सरदार पटेल की परेशानी हुई।

वाइसराय और भारत-मन्त्रि को बहुत बड़ी परेशानी इन बात से थी कि कम्युनिस्टों ने नैना से, सुरक्षाविभाग से गुप्त सम्पर्क बना रखा था और वे अपने मुक्तपत्र में सैनिक महत्व के गुप्त दस्तावेज खुलेआम छाप रहे थे। उनकी इस कार्रवाई को रोकने के लिए प्रान्तीय सरकारों ने बहुत जगह तलाशियाँ लीं। यह काम प्रान्तीय सरकारों की परिधि में था किन्तु पेथिक लारेन्स ने यह मत प्रकट किया कि विभिन्न प्रान्तों में कार्रवाई का संयोजन भारत सरकार के गृह विभाग ने किया होगा। वेबल ने पेथिक लारेन्स को सूचित किया कि बम्बई का कम्युनिस्ट साप्ताहिक 'पीपुल्स एज' मुख्यतः सैनिक स्रोत के गोपनीय (कौन्फिडेन्शियल), गुप्त और अति गुप्त (टोप सीक्रेट) सरकारी दस्तावेजों में समय-समय पर उद्धरण और उन पर टिप्पणियाँ छापता रहा है, विशेष रूप से उसने एक अति गुप्त सैनिक योजना से विस्तृत अंश टिप्पणियों सहित छापे हैं। बड़े पैमाने पर नागरिक उपद्रव हों तो उनसे निपटने के लिए यह योजना बनायी गयी थी। अक्तूबर में भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों में इन प्रकाशनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को कहा। इस बीच रक्षा-विभाग को इस बात से भारी चिन्ता हुई कि उसके अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की सामग्री के अग बड़े पैमाने पर बाहर पहुँच रहे हैं और इनसे पता चलता है कि सैनिक तथा नागरिक दोनों तरह के सरकारी दफ्तरों में घुसपैठ गम्भीर है। उसने गृहविभाग तथा गुप्तचर संगठन के घनिष्ठ सहयोग से सितम्बर में एक विशेष पुलिस दल निर्मित किया जिसका काम सैनिकपक्ष वाली सामग्री के अंशों के बाहर पहुँचने के बारे में जाँच-पड़ताल करना था। 'पीपुल्स एज' पर मुकदमा चलाने की बात पर विचार करते समय यह तथा कि इसने लाभ उठाकर उस जाँच-पड़ताल को और आगे बढ़ाया जाये जो सैनिकपक्ष वाली सामग्री के प्रकट होने से सम्बन्धित थी। गुप्तचर संगठन ने रक्षा-विभाग के विशेष जाँच दल के घनिष्ठ सहयोग से एक ही योजना के अनुसार विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशियाँ लीं। तलाशियों के परिणाम अभी अचूक हैं पर उन्हें पता चला है कि सितम्बर तक फौजी और नागरिक दफ्तरों में कम्युनिस्ट तत्व घुस आये थे। भारत सरकार ने इस सबसे अलग कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई को देना सोचा ही नहीं होता है। पार्टी के प्रमुख सदस्यों पर वह पड़ान्वय करने का मुकदमा चलाने को सोच रही है। बम्बई सरकार ने भी केन्द्रीय कार्रवाई की अचूक पार्टी के विरुद्ध

केन्द्रीय आदेश की जोरदार माँग की है। इनके अभाव में वह कम्युनिस्ट प्रचारकों की नजरबन्दी के लिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। उस प्रान्त में सार्वजनिक शान्ति के लिए इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। (उप.; पृ. ५२४-२५)। इस तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के कांग्रेसी नेता अंग्रेजों के इशारे पर अखिल भारतीय पैमाने पर कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। दोनों को भय था कि कम्युनिस्ट नेतृत्व में चलाया जानेवाला आन्दोलन मुल्ह-समझौते का नाटक समाप्त कर देगा। जिस समय देश की एकता दाँव पर थी, समूचे भारत के जन-आन्दोलन का भविष्य दाँव पर था, जिस समय अंग्रेजों की भारतीय सेना का भरोसा न रह गया था और उनके गुप्त और महागुप्त सैनिक कागज-पत्र कम्युनिस्टों के पास पहुँच जाते थे, उस समय पटेल के विरुद्ध नेहरू के हाथ मजबूत करने के नाम पर क्रान्तिकारी आन्दोलन को रोकने, कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेसी समझौते का समर्थक बनाने का काम पूरनचन्द जोशी ने किया। जो काम नेहरू के वृत्ते का नहीं था, उसे जोशी ने पूरा किया।

वेवल ने पेथिक लारेन्स के नाम तार में कहा कि मेरी सरकार बहुत चाहती है कि इस बारे में कोई बात पार्लियामेण्ट में या अन्यत्र प्रकट न की जाय। "गृह-सदस्य [सरदार पटेल] ने मुझसे परामर्श नहीं किया। वह नेहरू द्वारा केन्द्रीय जिम्मेदारी नकारने से असमजस में पड़ गये हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि कौन-सी कार्रवाई की जानेवाली है। गृह-सदस्य ने इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की कि कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई पार्लियामेण्ट में बहस का विषय बने। मैं भी इसे नापसन्द करता हूँ क्योंकि देश के क्रान्तिकारी तत्व से निपटने के लिए कांग्रेस के प्रयत्न में इससे बाधा ही पड़ सकती है।" (उप.; पृ. ५२५; पेथिक लारेन्स के तार का उल्लेख इसी पृष्ठ की पादटिप्पणी में है।)

कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई से वाइसराय वेवल और गृह सदस्य पटेल दोनों को दिलचस्पी थी पर दोनों चाहते थे कि बाहरवालों को इसका पता न चले। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में इस विषय पर बहस हो, इससे लेबर सरकार की उदारता और कांग्रेस की सत्य-अहिंसा, दोनों का पर्दाफाश हो सकता था।

१५ जनवरी १९४७ को गृह-विभाग ने विज्ञप्ति निकाली कि तलाशियाँ उसके आदेश से न हुई थी वरन् वम्बई पुलिस की माँग पर पुलिस ने करायी थी। (उप.; पृ. ५३६, पादटिप्पणी ५)। मानो भारत की पुलिस भारत सरकार के गृह-विभाग के अनुशासन से मुक्त हो जब कि गृह-विभाग परम अनुशासनप्रेमी सरदार वल्लभभाई पटेल के पास था। ("नाविक-विद्रोह मुख्यतः कम्युनिस्टों का काम था। उन्होंने कहा कि वह [पटेल] अनुशासनप्रेमी (डिसिप्लिनेरियन) है।" उप.; पृ. ३२३)।

पेथिक लारेन्स ने वेवल को बताया कि नेहरू के नकारने और पटेल के सफाई देने से काम नहीं बनता किन्तु पार्लियामेण्ट में इस विषय से कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी दी। केवल ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की ओरसे लिखे हुए हैरी पौलिट के पत्र का उत्तर देना था। पौलिट ने लिखा था कि अन्तरिम सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है, खासतौर से

तब तक जब तक भारत में निर्णायक शक्ति ब्रिटिश हाथों में है। पेथिक लारेन्स ने वेबल को सूचित किया, मैं गृह-विभाग की विज्ञप्ति के आधार पर जवाब दूंगा कि इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है। (उप.; पृ. ५३६)।

३ फरवरी १९४७ को वेबल ने पेथिक लारेन्स के पास संयुक्त आयोजन समिति (ज्वाइंट प्लानिंग कमेटी) का एक गुप्त दस्तावेज भेजा जिसमें १९४८ के अन्त तक ब्रिटिश सेना को हटाने और अन्तरिम सरकार पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसे [अन्तरिम सरकार को] काफी पहले मेयह सब जता देने की बात थी। आधारभूत सिद्धान्त यह कि जिम्मेदारी का अधिकाधिक बोझ भारतीय दलों पर डाला जाय। “आगे हम जो भी करें, इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि क्रान्ति के कारण अथवा धीरे-धीरे शासनतन्त्र को लकवा मार जाने के कारण देश में अराजकता फैल जाय।” (उप. ६०१)। अराजकता फैली ब्रिटिश नीति को लागू करने से। जितने मारे गये और उनसे ज्यादा जो शरणार्थी बने, वे इस अराजकता का प्रमाण थे। इस अराजकता को क्रान्ति रोक सकती थी, इसी कारण अंग्रेजों को उससे इतना भय था।

१२ फरवरी १९४७ को वेबल ने पेथिक लारेन्स को निजी और गुप्त दस्तावेज में यह सूचना भेजी : अलग-अलग प्रान्तों में हमें समय-समय पर काफी धार्मिक अशांति का सामना करना पड़ा है। अक्सर इधे फैलानेवाले कम्युनिस्ट होते हैं। इस समय बिहार की कोयला खानों में स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। भारत सरकार ने समझौता समिति बनायी पर एक मजदूर यूनियन समझौते की बात करने को तैयार ही नहीं है। किन्तु कलकत्ते में आम हड़ताल कराने का प्रयत्न विफल हुआ। (उप.; पृ. ६८४-८५)।

इस तरह की परिस्थिति में यदि भारत के क्रान्तिकारी संगठित होकर प्रयत्न करते तो वे बलपूर्वक अंग्रेजों से सत्ता छीन सकते थे और क्रान्तिविरोधी अराजक शक्तियों को ध्वस्त कर सकते थे। अंग्रेज यह बात अच्छी तरह जानते थे। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में भारत की समस्या पर प्रश्न किये जाने को थे। इनमें एक प्रश्न यह था : क्या सत्ता-हस्तान्तरण के लिए जून १९४८ का निश्चित समय निर्धारित करना आवश्यक था ? ब्रिटिश कैबिनेट की भारत-वर्मा समिति ने जवाब देने के लिए टिप्पणी तैयार की : जवाब में यह कहना चाहिए कि पिछले बीस वर्षों में बादशाह सलामत की सरकार ने जिस नीति का पालन किया है और भारत में घटनाक्रम का जो विकास हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में यह निश्चित समय निर्धारित किया गया है। “ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे यह सकेत मिले कि भारतीय पार्टियाँ स्वयं सत्ता हथियाएँ तो हम उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही यह बताना चाहिए कि भारतीय हाथों में सत्ता सौंपने की बात पर भरपूर विचार-विमर्श हो चुका है और इस अवधि में उसे अमल में लाने में प्रगति हुई है। ऐसा विचार-विमर्श और सत्ता का क्रमशः हस्तान्तरण अनिश्चित काल तक फैलाया नहीं जा सकता। कोई निश्चित समय (date) होना चाहिए जिसके आगे ब्रिटिश शासन जारी नहीं रह सकता। भारत के जिम्मेदार अधिकारियों (authorities) ने यह सलाह दी है कि वर्तमान आधार पर

१९४८ के बाद ब्रिटिश शासन पर्याप्त कुशलता के साथ नहीं चलाया जा सकता।” (उप.; पृ. ७६६)।

अंग्रेजों को इतनी जल्दी क्यों थी कि उन्होंने जून १९४८ का समय निश्चित किया और अगस्त १९४७ में ही विदा हो गये? जल्दी इसलिए थी कि क्रान्ति तथा क्रान्तिविरोध के शक्ति-सन्तुलन में अभी क्रान्तिविरोध का पलड़ा भारी था। बंगाल, बिहार, पंजाब के हत्याकाण्डों से राजनीतिक लाभ उठाने का समय यही था। जितना ही विलम्ब होता था उतना ही साम्प्रदायिकता की आग के ठण्डा होने और क्रान्ति की आग के घधकने की जासंका थी। अंग्रेज जानते थे कि भारतीय पार्टियाँ उनसे बलपूर्वक सत्ता छीन सकती हैं। कल्पना कीजिए कि जून १९४८ तक भारत में अंग्रेज बने हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की नीति में परिवर्तन हुआ है, तेलगाना के किसान-आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया है, हैदराबाद के मुसलमान राजा की हिन्दू प्रजा और कश्मीर के हिन्दू राजा की मुसलमान प्रजा बग़ावत पर आमादा है, केरल की देशी रियासतों में किसान-आन्दोलन तेजी पर है, बिहार की कोयला सानों में हड़ताल हुई है, कलकत्ते में आम हड़ताल सफल हुई है, सैनिक महत्व के गुप्त कागज-पत्र कम्युनिस्टों के पास पहुँच रहे हैं और अंग्रेज अपनी भारतीय सेना द्वारा क्रान्तिकारी आन्दोलन को दवाने में अमफल है। उग्र समय सत्ता का अपहरण होता, हस्तान्तरण नहीं; भारत की विशाल जनशक्ति के सामने विभाजक दल मक्की जैसे सावित होते और माउण्टबाटन को घड़ी वेदञ्जली से पुत्री-पत्नी सहित भारत से विदा होना पड़ता। अंग्रेज भविष्य का यह चित्र बहुत स्पष्ट देख रहे थे, इसीलिए उन्हें भारत छोड़ने की जल्दी थी।

जिन लोगों को वे सत्ता सौंप रहे थे, उनके बारे में उनकी राय यह थी: “कांग्रेस। नेहरू और पटेल। आप नेहरू को जानते हैं—बोखचिल्ली (Quixotic), भावुक (Emotional), समाजवादी (Socialistic)। पटेल एकदम भिन्न है, कठोर, दृढ़ पार्टी का सूत्रधार (Party boss), अपनी ढंग से आकर्षक किन्तु निर्मम और सम्प्रदायवादी। उन पर पूंजीपतियों का गहरा असर है और वह उनमें से एक की जेब में—बिड़ला की जेब में—रहते हैं।” (वेबल की टिप्पणी, उप.; पृ. १०१०)।

कांग्रेस के गढ़, भारत के सबसे बड़ी जनसंख्यावाले प्रान्त संयुक्त प्रान्त के मुख्यमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त से गवर्नर वाइली की भेंट हुई। वेबल के पास भेजने के लिए गवर्नर का लिखा विवरण इस प्रकार है: “मैंने उन्हें कुछ दिन पहले मिलने को कहा, उन्हें उम्दा चाय पिलायी, उनसे कहा कि आपके बिना सूबे का काम नहीं चल सकता, और ईश्वर क्षमा करे, मैंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत ख्याति हम सभी का सम्बल है। इसके बाद मैंने लगाना धुरु किया। कुछ भी अनकहा न रह गया, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाय कार्पोरेशन वाला गोलमाल, सड़क-रेल मामलस्य में असह्य विलम्ब, जिलों में उनके दौरे अनुयाइयों का भ्रष्टाचार, पार्लियामेण्टरी मेम्बेटेरियों की हेकड़ी और अनुशासनहीनता, सेक्रेटेरियट की बढ़ती हुई अयोग्यता, हमारे मामलों को निपटाने में नियम की पूरी अवहेलना, पब्लिक सर्विस कमीशन को बगली दे जाने का लगातार प्रयत्न [जिसे चाहा उसे नियुक्त

किया, लोक-सेवा आयोग से सरोकार नहीं], पार्टी प्रचार के लिए सरकारी धन का दुष्प्रयोग तथा और भी बहुत कुछ। पन्त अपनी प्रशंसा से इतने प्रसन्न थे कि अपमान की बातें मजे से भी मये।" (उप.; पृ. ६४१)।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात। संयुक्त प्रान्त के होनहार बिरवा—
कांग्रेसी सरकार—के पत्तों की चिकनाई इस प्रकार थी :

प्रान्त में कांग्रेसी सरकार बनने के बाद अपराधों में वृद्धि

डकैती	६० फीसदी
लूट	५६ "
हत्या	४७ "
दंगे	८० "
चोरी	३० "

(पेथिक लारेन्स के नाम वेवल, १२ फरवरी १९४७; उप.; पृ. ६८२)।

इसमें यदि बलात्कार के आँकड़े और जोड़ दिये जायें तो स्वाधीनताप्राप्ति की उत्तरखेला के एक पक्ष का चित्र पूरा ही जायेगा।

(राधामोहन गोकुलजी का निबन्ध-संग्रह विप्लव)

राधामोहन गोकुलजी का निबन्ध-संग्रह विप्लव १९३२ के बाद किसी समय प्रकाशित हुआ था। मुझे जो प्रति देखने को मिली, उसमें ऊपर का पन्ना नहीं था। राधामोहन गोकुलजी का परिचय देते हुए आगरे के महादेवप्रसाद अग्रवाल ने कानपुर में उनके १९३० में दो साल की सजा पाने की बात लिखी है। इसकी भूमिका में राव कृष्णपालसिंह ने लिखा है : "मुझे हिन्दू सभा और दूसरी समाज-सम्बन्धी सभाओं में इनकी वक्तृता सुनने और इनके कई लेखों के पढ़ने का अवसर हुआ है।" इस तरह की सभाओं में वह क्या कहते थे, इसका अनुमान उस भूमिका में राव कृष्णपालसिंह के इन वाक्यों से होता है : "इनकी हार्दिक इच्छा यह है कि हिन्दू एक जाति हो, धर्म का बन्धन मनुष्य के ऊपर से हट जाये, स्त्रियाँ पुरुषों की भाँति स्वतन्त्र हों, छूत-अछूत का भेद मिटे और देश में कोई अन्न-वस्त्र के अभाव से कष्ट न पावे। आप ईश्वर और धर्म के अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करते रहते हैं।"

स्वभावतः राव कृष्णपालसिंह जैसे व्यक्ति इनके विचारों से सहमत न हो सकते थे। इसलिए उन्होंने भूमिका में अत्यन्त शालीनतापूर्वक अपना मतभेद प्रकट करते हुए लिखा है : "मैं पण्डितजी के विचारों से किसी-किसी अंश में सहमत नहीं हूँ, फिर भी मेरी दृढ़ धारणा है कि इनके लेख पढ़ने और सुनने योग्य हैं।"

वास्तव में राधामोहन गोकुलजी हिन्दू समाज के कट्टर वर्ग में परित्यक्त और बहिष्कृत थे। वह वर्णव्यवस्था न मानते थे, द्विज-शूद्र का भेद न मानते थे, ईश्वर और धर्म को अस्वीकार करते थे, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समझते थे। वह प्रेमचन्द और निराला की परम्परा के निर्माता, उसके अभिन्न अंग थे। पहली पत्नी का देहान्त होने पर इन्होंने प्रतिज्ञा की कि विवाह कहेगा तो विधवा के साथ। घरवाले सहमत न थे, इसलिए यह घर से भाग गये। सन् १९०१ में इनके इकलौते बेटे का १६ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। यह माता-पिता को लेकर

आगरे में रहने लगे। वहाँ उनके भाई पहले से रहते थे। 'विप्लव' लेख-संग्रह में महादेव प्रसाद अग्रवाल ने उनकी सक्षिप्त जीवनी लिखी है। उममें उक्त तथ्य देते हुए उन्होंने आगे बताया है : "कई वर्षों से यह सबसे [अर्थात् भाइयों के परिवार में] पृथक् अपना जीवन अपने विचारों के अनुसार व्यतीत करते हैं। क्योंकि इनके विचार में मनुष्य मात्र एक जाति है, इनका परस्पर खान-पान विवाह सम्बन्ध होना चाहिए, धर्म और ईश्वर झूठा ढकोसला है। इस प्रकार के विचार वाले का जाति-बन्धनग्रस्त कुटुम्ब में निर्वाह न हो सकना साधारण बात है।"

इसीलिए राधामोहन गोकुलजी जैसे व्यक्ति का अपने परिवार से, हिन्दू-समाज के कट्टर वर्ग से बहिष्कृत होना अनिवार्य था। उनकी क्रान्ति मजदूरों की वस्ती में जाकर न शुरू होती थी, वह उनके घर से शुरू होती थी। इस कारण अंग्रेज सरकार उन्हें जेल भेजती थी तो हिन्दू समाज के कर्णधार उन्हें समाज से बाहर खदेड़ते थे।

प्रेमचन्द के समान राधामोहन गोकुलजी हिन्दू और मुसलमान दोनों समाजों के रूढ़िवाद की आलोचना करते थे। कम्प्यूनिज्म क्या है? में इस तरह की आलोचना का एक उदाहरण पुस्तक के ग्यारहवें अध्याय में इस प्रकार है :

"आजकल भारत में अधिक दुराचार और कुकर्म ब्राह्मणों में ही देखा जाता है, या उन लोगों में जो इन ब्राह्मणों और धर्मयाजकों के गहरे भक्त हैं, इसका कारण धर्म ही है। पापमूलक धर्म न होता तो हमें तारकेश्वर, गया, प्रयाग, प्रभृति में सहस्रों बदमाशों के अड्डों को महन्त की गद्दी के नाम में देखने का दुर्भाग्य न प्राप्त होना, न मुसलमान मीलवी, मुल्ले, गुजावर सज्जाद नशी, पीर और स्वाजा मुसलमान जगत को मनुष्य जाति का शत्रु बनाकर उन्हें कठपुतली की तरह मनमाना नाच नचाते।"

निबन्ध-संग्रह में कुछ लेख १९२५ के या उससे पहले के हैं, कुछ १९२५ के बाद के। यहाँ उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार उद्धृत हैं।

"संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, वे चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हों, सबका प्रादुर्भाव प्रकृति से होता है, और प्रकृतिजन्य सारे पदार्थ किसी न किसी दशा में इन्द्रियग्राह्य होते हैं।" (पृ. २)

"यदि हम इसे [ईश्वर को] बल, शक्ति किंवा गति मानें तो भी हम द्रव्य के सिवा अन्यत्र इसे कहीं भी नहीं देखते। इसी तरह गुलाबी रंग भी कभी किसी न वस्तु से भिन्न, स्वतन्त्र कहीं न देखा होगा।" (पृ. ३)

"वेदान्त भी, जहाँ तक ईश्वर की मिथ्या कल्पना का सम्बन्ध है, एक छाया नास्तिकवाद है, जो संसार को बहुत ठीक मालूम होना जा रहा है।" (पृ. ४)

"एशिया की वरवादी के कारण धर्म और नुदा ही हैं।" (पृ. ५)

"मनुष्य जाति का सारा इतिहास—चाहे किसी भी विषय का क्यों न हो—द्रव्य से ही सम्बन्ध रखनेवाला मितता है; गवका प्रकृति में ही सम्बन्ध है।" (पृ. १०)

"वस्तु के विकास में, प्राणियों की उन्नति में, हम देखते हैं कि पिछला रूप भिट जाता है और अभिनव विकसित उन्नत रूप उसका स्थानापन्न हो जाता है।

मनुष्यता मे (सज्ञान पशुता में) केवल पशुता के बल का दिन-दिन ह्रास होता जाता है और ज्ञान का विकास, यह क्रिया नैसर्गिक है। इसी ज्ञान-वृद्धि के कारण प्रकृति के गुप्त रहस्य मनुष्य को मालूम होते जाते हैं।" (पृ. १०)

"हम देखते हैं, संसार का विकास क्रमशः नीचे से ऊपर को हुआ है। मानव-जगत दिन पर दिन ज्ञान की वृद्धि करता जा रहा है। जो विज्ञान—जो कला-कौशल—१५वीं शताब्दि तक न थे, आज क्रमशः उन्नत होकर बीसवीं शताब्दि मे हमारी आंखों के सामने हाज़िर हैं।" (पृ. १२)

"सिखानेवाले धनिक, पुरोहित और राज-कर्मचारियों मे से कोई भी ईश्वर को नहीं मानता, पर हरेक ईश्वर के मानने का ढोंग रचता है। मैं पूछता हूँ कौन पण्डित, मौलवी, पादरी, राजा-रईस और सेठ-साहूकार ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता, फ़रेब नहीं करता और तमाम दुनियाँ की बदमाशियों से पाक है, इस हालत मे कोई चतुर मनुष्य यह कैसे मान सकता है कि [ये] लोग ईश्वर की हस्ती के कायल हैं, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं।" (पृ. १५)

"बहुतेरे लोग कहते हैं प्रकृति और पुरुष भिन्न नहीं, एक ही हैं। जैसे द्रव्य में शक्ति, मेहदी के पत्ते में सुर्खा। इसलिए ईश्वर है और सर्वव्यापी है।' हज़रात, बिना गुलाब के गुलाबी रंगत कहाँ ? जो यह कहे कि गुलाब भी है और गुलाबीपन भी, इसी तरह ईश्वर भी है और प्रकृति भी; प्रकृति मे जो शक्ति है वही ईश्वर है तो मैं कहूँगा कि ईश्वर द्रव्यगत शक्ति का नाम है, वह कोई पृथक पूज्य पदार्थ नहीं, न वह न्यायशील और ज्ञान का इतना न्यारा गहरा गढा है, जिसे हम नाप न सकें।" (पृ. १८)

"विज्ञान पढ़ो, द्रव्यगत ईश्वर की उपासना से नये-नये आविष्कारो मे लग जाओ। बड़े-बड़े आविष्कर्ताओं को ही अवतार, नवी और बली समझो, उन्ही की खोज की पुस्तकों को धर्म पुस्तक मानो, संसार को अकारण धोका देने से क्या लाभ ?" (पृ. १९)

"मनुष्य जो धार्मिक विश्वास और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किये बैठा है, उसका कारण बेसमझी और अविचार इतना नहीं है, जितना दुख और हादिक असन्तोष। गरीब, फिर बेपड़े लोगों का जीवन इतना बुरा है, उनको खाने-पहिनने की इतनी तकलीफ है कि जब वे कुड़कुडाते और जलते हैं, तो सारा दोष किसी ऐसी शक्ति के मत्थे मढ़ देते हैं, जो उनसे भिन्न है। यदि वे ईश्वर के बदले अपने कण्ठो का दायित्व जबरदस्त सतानेवाले और अधिकारप्राप्त लोगों पर डालें, तथा सामाजिक अतिक्रान्ति के लिए तैयार हो, तो क्यादा अच्छा हो; इनका दुख दूर हो जाय।" (पृ. २१-२२)

"ईश्वर को स्वामी और मनुष्य को दास मानने से ही संसार मे गुलाम और स्वामी की सृष्टि हुई।" (पृ. २३)

"आज हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वान यदि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को निकाल देने के पहले ईश्वर को निकाल देते, धर्म की फाँसी अपने गले से निकाल फेंकते, तो उनमे कभी का इतना बल आ जाता कि अपने देश का शासन आप करते।" (पृ. २५)

“संसार में जितने धर्म-ग्रन्थ हैं, सबमें श्रेष्ठ और सुपाठ्य प्रकृति है। इस ग्रन्थ के किसी-किसी मूल के व्याख्याकार भी हुए हैं। उन्हें भी हम चाहे तो सहायता लेने के विचार में पड़ें। कितने ही गणितज्ञ, भूगोल-खगोल-वेत्ता, नयी-नयी खोज और आविष्कारों के कर्त्ता पण्डित हुए हैं। इन्हीं के निश्चित सार्वभौम निर्दोष प्राकृतिक नियमों के मानने में हमारी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा मनुष्यता स्थिर रह सकती है।” (पृ. ३१)

“सत्य जगत् का ज्ञान धन है, उसे डूबने से बचानेवाली नाव है, उसे अन्धकार से निकालनेवाला प्रकाश है। सत्य की खोज में व्यस्त होने के बराबर दूसरा कोई व्यापार या व्यवसाय ही नहीं सकता।

“सत्य उन्नति की जड़, काण्ड, शाखा और पत्ती सबकुछ है। आनन्द की जननी और जनक सचाई ही है। सत्य मन को शुद्ध करता है, विचार को पवित्र करता है, आकांक्षाओं और आदर्शों को उच्च बनाता है। सत्य का नाम सभ्यता, मनुष्यभक्ति और दयालुता है।” (पृ. ८०)

“जो एक सत्य बात खोज निकालता है [,] वह ऋषि है, उसका यह खोज-वृत्तान्त वेद है, उसके जलाये हुए प्रदीप के प्रकाश से संसार को उजाला मिलता है। लेकिन सत्य मिलता कैसे है? खोज, अनुभव और शुद्ध तर्क से, निष्पक्ष अन्वेषण, स्वतन्त्र विचारवाले दिमाग की लगन से। प्रत्येक नर-नारी को स्वतन्त्र खोज का पूरा अधिकार है। चाहे जितनी खोज करे, वने जितनी खोज करे, उसके इस नैसर्गिक अधिकार में जो बाधा डालता है [,] वही पापी है, दुष्ट है, अत्याचारी है, मानव-समार का चिर शत्रु है। संसार के साहित्य पर मुहर लगाकर रखना नीचता है। भूमण्डल का साहित्य-द्वार हर एक के लिए खुला होना चाहिए, छिपाना, बन्द करना, लट्ट के बल से रोकना अच्छा नहीं। मनुष्य के ही लिये सारे पवित्र विचार हैं। किसी विषय को छिपाकर रखना उस विषय की पवित्रता और महिमा को बढ़ाता नहीं वरन् नष्ट कर डालता है। हमसे प्रत्येक अपने शुद्ध सच्चे भावों को कह सके, अपने तर्क से काम ले सके, यही ठीक मनुष्योचित बात और व्यापार है।” (पृ. ८१)

“बिना विचार-स्वातन्त्र्य खोज असम्भव है। राजा और धर्म का भय बाधक है। खोज बुद्धि और तर्क के आधार पर होती है, अन्ध परम्परा के भरोंसे सत्य की खोज होना सर्वथा असम्भव है।” (पृ. ८२)

“कोई विचार कौसा भी पवित्र, शुद्ध और निर्दोष क्यों न हो [,] दूसरों को अधिकार है कि उसकी जाँच करें—उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करें। कौन जानता है कि कौन-सा विचार पवित्र है। कोई भी विचार मेरे लिए पवित्र नहीं है जिसकी बाबत मैं यह न जान लूँ कि यह सच्चा है।” (पृ. ८५-६)

“प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य ही अपना भाग्यविधाता, दूसरे मनुष्य का भी विधाता है। मनुष्य-समाज एक बनकर, मिलकर प्रकृति का स्वामी बन सकता है।” (पृ. ८६)

“आजकल मनुष्य जाति में केवल दो ही प्रतिद्वन्द्वी दल हैं—एक सबल, अधिकारप्राप्त, अवदस्त लोगों का, और दूसरा निर्बल, जीवन-अधिकाररहित,

सीधे-सादे लोगों का। कानून, सरकार, धर्मशास्त्र और पुरोहित केवल जवर्दस्तों के पृष्ठपोषक होते हैं [,] दोनों और दुखियों के नहीं—यह हमारा नित्यप्रति का अनुभव है।” (पृ. २१५)

“किसान भूखा मरता है, पर अपनी आय का तीन-चौथाई से अधिक राजा, जमींदार और साहूकार को चुपचाप सौंप देता है, क्योंकि यह कानून की आज्ञा है। बेचारा न दे तो जिन्दा नहीं रह सकता। एक तरफ कंद, कुर्की, नीलाम का डर है और दूसरी तरफ वदनामी और नरक आदि का भय मारे डालता है। इन चक्की के दो पाटों के बीच में धन को, असल में, कमानेवाली प्रजा रात-दिन पिसी चली जाती है, पर उफ नहीं कर सकती। इन्हीं कानूनों की प्रतिष्ठा करना रात-दिन हमें सिखलाया जाता है। कानून, शान्ति और नियम के नाम पर, जनता की रक्षा के बहाने से मानव जाति का रात-दिन रक्त-शोषण करता है।” (पृ. २२०)

“अपने हाथ से श्रम करके माल पैदा करनेवालो और चीजों के बनानेवालो के स्वत्वों की रक्षा के लिए कोई भी कानून नज़र नहीं आता।” (पृ. २२३)

“समस्त सम्पत्ति-सम्बन्धी कानूनों के बड़े-बड़े मोटे पोथे जिनसे जजों की मेज शोभा पाती है, जिन्हें डाक्टर आफ ला, कौंसिल, बैरिस्टर, वकील लोग लिए फिरते हैं, कुछ अर्थ नहीं रखते, सिवा इसके कि मानवजाति के श्रम के फल को छीनकर थोड़े से ठेकेदारों के हाथ में सौंप दें।” (पृ. २२४)

“जब कभी स्त्रियो को अवसर मिला है, उन्होंने दिखला दिया है कि वे पुरुष की शिक्षा और गुरु बन सकती हैं। संसार के किसी भी काम में स्त्रियाँ अपनी नैसर्गिक निर्बलता के कारण पीछे नहीं रह सकती, अगर पुरुषों का अत्याचार इन पर न हो।” (पृ. १७१)

“जिन स्त्रियों को बाहर खेतों आदि में काम करने का अवसर मिलता रहता है, वे शारीरिक बल में कम नहीं होती। हम उन्हें घरों में बन्द करके अवला बनाते हैं। जिन्हे शिक्षा के मैदान में दौड़ने का मौका मिलता है, वे हमें फिसड्डी बना छोड़ती हैं। इसी तरह और बातों में भी अवसर मिलने पर वे पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं।” (पृ. १७२)

•

•
-

